सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

६

(१९०६–१९०७)

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

भारत सरकार

फरवरी १९६२ (माघ १८८३ शक)

साढ़े तीन रुपये

Rs10.00

निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली-८ द्वारा प्रकाशित
और जीवणजी डाह्याभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित

भूमिका

प्रस्तुत खण्डमें २० अक्तूबर १९०६ से ३१ मई १९०७ तक की सामग्री दी गई है। इसमें गुजरातीसे अनूदित पत्रों और लेखोंका खासा अनुपात है। खण्डका प्रारम्भ शिष्टमण्डलके रूपमें गांधीजी और श्री हाजी वजीर अलीके साउर्थैम्प्टन पहुँचनेसे होता है।

गांधीजी जहाजपर भी ट्रान्सवाल एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेशके विरोध सम्बन्धी कागजात तैयार करनेमें लगे रहे। इंग्लैंड पहुँचनेसे इंग्लैंड छोड़ने तक की सारी अवधिमें उन्होंने बड़ा कठिन परिश्रम किया। सबेरे नाश्ता करके ही वे होटलसे निकल जाते थे और शाम-तक वहाँके प्रभावशाली व्यक्तियोंसे घूम-घूम कर मिलते रहते थे। फिर लौटनेपर अर्धरात्रि बीत जाने तक बोलकर पत्र आदि लिखाते थे। यही उनका नित्यक्रम था। वे संसद-सदस्यों, भूतपूर्व गवर्नरों, अवकाश-प्राप्त भारतीय प्रशासन सेवकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, सभीसे मिले। यहाँतक कि भारतीय आकांक्षाओंके विरोधियोंसे भी मिलकर उन्होंने उनकी "साम्राज्यीय" भावनाको प्रेरित किया और दक्षिण आफ्रिकावासी ब्रिटिश भारतीयोंके पक्षमें उनका समर्थन प्राप्त किया। सदाकी भाँति यहाँ भी भेदभावका राग अलापनेके बदले उन्होंने अपनी कार्य-पद्धतिके अनुरूप सहमतिके दायरे ढूंढ़े और उन्हींपर जोर दिया। उन्होंने शिष्ट-मण्डलकी ओरसे पत्रों और प्रार्थनापत्रोंके मसविदे बनानेके साथ-साथ दक्षिण आफ्रिकाकी थोक व्यापारी पेढ़ियोंके प्रतिनिधियों, चीनी राजदूत, 'लिंकन्स इन' में रहनेवाले दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीय विद्यार्थियों और अन्य अनेक लोगोंके पत्रों तथा प्रार्थनापत्रोंके मसविदे भी तैयार किये।

उन्होंने ब्रिटिश सार्वजनिक जीवनके अनेक गण्यमान्य व्यक्तियोंको "परिचयदाता शिष्ट-मण्डल" में शामिल होनेके लिए राजी किया। लगता है, कमसे-कम प्रारम्भमें उनके प्रार्थनापत्र तथा उन प्रार्थनापत्रोंके लिए प्राप्त समर्थन भारत-मन्त्री तथा उपनिवेश-मन्त्री दोनोंके प्रति कुछ हद तक कारगर सिद्ध हुए, क्योंकि लॉर्ड एलगिनने तय किया कि वे ब्रिटिश सरकारको ट्रान्सवाल अध्यादेशपर बिना और विचार किये स्वीकृति देनेकी सलाह नहीं दे सकते।

इंग्लैंडके अपने इस अल्प निवासकालमें यद्यपि गांधीजी एशियाई अधिनियम संशोधन-अध्यादेश तथा नेटाल विधानको लेकर बहुत व्यस्त थे, तथापि वे श्रीमती फ्रीथ और डॉ० ओल्डफील्ड जैसे पुराने मित्रों तथा दक्षिण आफ्रिकाके अपने सहयोगियोंके सम्बन्धियोंसे भेंट करनेका समय निकाल सके। उन्होंने रत्नम् पत्तरकी शिक्षा और आवास तथा श्री अलीकी शुश्रूषाका प्रबन्ध भी किया, किन्तु अपनी नाक और दाँतोंके कष्टका इलाज करानेके लिए उनके पास कोई समय नहीं था।

शिष्टमण्डलके कार्योंको स्थायित्व प्रदान करने तथा भावी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके विचारसे गांधीजीने इसी बीच दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिके नामसे एक स्थायी संस्थाका निर्माण किया और श्री एल० डब्ल्यू० रिचको उसका मन्त्री बनाया।

शिष्टमण्डलके प्रयत्नोंके सफल होनेकी आशा लेकर गांधीजी और श्री अली १ दिसम्बरको इंग्लैंडसे रवाना हुए और १८ दिसम्बरको केप टाउन पहुँचे। यात्राके दौरान मदीरामें उन्हें इस आशयके दो तार मिले कि ब्रिटिश सरकारने अध्यादेशपर दी जानेवाली स्वीकृति रोक ली है। किन्तु यह आनन्द अल्पायु सिद्ध हुआ, क्योंकि दिसम्बर ६ को ट्रान्सवालको स्वशासन

दे दिया गया और नये शासनने उस घिनौने अध्यादेशको फिर नियम बनाकर लागू कर दिया। मार्च २२ को, एक दिनमें ही, विधेयक अपनी सारी मंजिलें पार करके कानून बन गया, और मई ९ को उसपर साम्राज्य सरकारकी स्वीकृतिकी मुहर भी लग गई। यह नितान्त अप्रत्याशित भी नहीं था; क्योंकि दक्षिण आफ्रिका पहुँचते ही गांधीजीने भारतीयोंको परिस्थितिकी वास्तविकताओंसे परिचित कराकर सितम्बर १९०६ के प्रसिद्ध चौथे प्रस्तावमें किये गये उनके संकल्पकी याद दिलाई और उन्हें इस बातपर दृढ़ करना प्रारम्भ कर दिया कि यदि वह अपमानजनक अध्यादेश पास हो जाये तो वे उसके आगे नत नहीं होंगे।

गांधीजीने इस बीच अधिकतर आगामी संघर्षके विषयमें ही कहा और लिखा। उन्होंने अपनी सारी बौद्धिक और नैतिक शक्तियोंका उपयोग भारतीयोंमें किसी भी परिस्थितिका मुकाबला करनेकी तत्परता और दृढ़ता जगानेमें किया, जिसमें जेल जानेकी तैयारी भी आ जाती है। उनका मानस उन दिनों किस तरह काम कर रहा था सो इंग्लैंडमें चलनेवाले मताधिकार आन्दोलनके सम्बन्धमें उनके लेखसे स्पष्ट होता है। इंग्लैंडमें यह आन्दोलन अपनी आँखों देखनेका उन्हें अवसर मिला था (देखिए उनका लेख: "औरतें मर्द और मर्द औरतें!", २३–२–१९०७)।

इसी कालमें उन्होंने 'इंडियन ओपिनियन' के गुजराती स्तम्भोंमें सॉल्टरकृत 'एथिकल रिलीजन' के कतिपय अध्यायोंको संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया। उसका तात्पर्य यह था कि समस्त नैतिक आचार स्वयंस्फूर्त और निष्काम हैं। नैतिक नियम अपरिवर्तनीय और समस्त लौकिक नियमोंसे परे हैं; तथा नैतिक विचार तबतक व्यर्थ है जबतक उसका अनुरूप आचरणमें विनियोग नहीं होता। गांधीजी शौर्यपूर्ण आचरणके जो प्राचीन और आधुनिक उदाहरण दिया करते थे उन्हींके समान इन अध्यायोंने भी उस संघर्षके नैतिक आधारपर जोर देनेका काम किया जिसे वे दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी मान-रक्षाके लिए छेड़नेवाले थे। इस संघर्षका सूत्रपात उन्होंने 'इंडियन ओपिनियन' को लिखे गये अपने एक ऐतिहासिक पत्रमें ("श्री गांधीकी प्रतिज्ञा", ३०–४–१९०७) सबसे पहले अनाक्रामक प्रतिरोधकी प्रतिज्ञा लेकर किया।

भारतीय दृष्टिकोणको स्पष्ट करने और विरोधी लांछनोंका प्रतिकार करनेके लिए गांधीजीने इस समय समाचारपत्रोंका पहलेसे भी अधिक उपयोग किया। वे संघर्षकी तैयारीमें व्यस्त रहकर भी समझौतेके लिए तत्पर रहे। 'स्टार' (मई ३०, १९०७) में एक पत्रके द्वारा उन्होंने "तर्कसम्मत समझौता" करनेकी हिमायत की है और उस अन्तिम क्षणमें भी उपनिवेशियोंसे सद्भावकी अपील की है।

अपने बड़े भाई लक्ष्मीदास गांधीको (अप्रैल २० के बाद) लिखे उनके एक पत्रसे प्रकट होता है कि तबतक गांधीजी व्यक्तिगत निष्ठा और दर्शनमें कहाँ जा पहुँचे थे। उन्होंने उसमें कहा है कि अब उनके कुटुम्बमें "समस्त चेतन प्राणियोंका समावेश है।" डर्बन इस्लाम-संघमें दिये गये भाषण (जनवरी ३, १९०७) के ये शब्द इस खण्डकी आधार-श्रुति हैं: "मैं खुदाको हमेशा अपने पास ही समझता हूँ। वह मुझसे दूर नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी ऐसा ही मानें। खुदाको अपने पास समझें, और हमेशा सत्यका आचरण करनेवाले बनें।"

पाठकोंको सूचना

विभिन्न अधिकारियोंको लिखे गये प्रार्थनापत्रों और निवेदनपत्रों, अखबारोंको भेजी गई सूचनाओं, सभाओंमें स्वीकृत प्रस्तावों और संसद-सदस्योंके लिए तैयार किये गये प्रश्नोंको गांधीजीका लिखा मानकर इस खण्डमें शामिल करनेके कारण वही हैं जो खण्ड १ की भूमिकामें स्पष्ट किये जा चुके हैं। जहाँ किसी लेखको सम्मिलित करनेके लिए विशेष कारण मिले हैं, या आवश्यक समझे गये हैं, वहाँ वे पाद-टिप्पणियोंमें दे दिये गये हैं। 'इंडियन ओपिनियन' में प्रकाशित गांधीजीके विना हस्ताक्षर किये हुए लेख उनके आत्मकथा-सम्बन्धी लेखोंके सामान्य साक्ष्य, उनके सहयोगी सर्वश्री छगनलाल गांधी और हेनरी एस० एल० पोलककी सम्मति तथा अन्य उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर पहचाने गये हैं।

अंग्रेजी तथा गुजरातीसे अनुवाद करनेमें हिन्दीको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है। किन्तु साथ ही अनुवादकी भाषा सुपाठ्य बनानेका भी ध्यान रखा गया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारकर अनुवाद किया गया है और मूलमें व्यवहृत शब्दोंके संक्षिप्त रूप हिन्दीमें यथासम्भव पूरे करके दिये गये हैं। नामोंको लिखनेमें सामान्यतः प्रचलित उच्चारणोंका ध्यान रखा गया है। शंकास्पद उच्चारणोंके सम्बन्धमें गांधीजीके गुजरातीमें लिखे गये उच्चारण स्वीकार किये गये हैं।

प्रत्येक शीर्षककी लेखन-तिथि, यदि वह उपलब्ध है तो, दाहिने कोनेमें ऊपर दी गई है। यदि मूलमें कोई तिथि नहीं है तो चौकोर कोष्ठकोंमें अनुमानित तिथि दे दी गई है और जहाँ जरूरी समझा गया है वहाँ उसका कारण भी बता दिया गया है। व्यक्तिगत पत्रोंमें प्राप्तकर्ताका पता नीचे बाईं ओर, कोनेमें दिया गया है। सूत्रके साथ अन्तमें दी गई तिथि प्रकाशनकी है।

मूलकी भूमिकामें छोटे टाइपमें और मूल सामग्रीके भीतर चौकोर कोष्ठकोंमें जो-कुछ सामग्री दी गई है वह सम्पादकीय है। मूलमें आये गोल कोष्ठकोंको कायम रखा गया है। पाद-टिप्पणियोंमें आये पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकोंके नाम पाद-टिप्पणियोंमें प्रयुक्त छोटे टाइपमें ही, लेकिन गहरी स्याहीमें दिये गये हैं। गांधीजी द्वारा उद्धृत अनुच्छेद हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। किन्तु, जहाँ गांधीजीने किसीके अंग्रेजी भाषण, वक्तव्य, उक्ति अथवा लेखको गुजरातीमें अनूदित करके उद्धृत किया है, वहाँ उस उद्धरणको प्रस्तुत करनेमें हाशिया तो छोड़ा गया है, लेकिन छपाई हल्की स्याहीमें ही की गई है।

'सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा' और 'दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनो इतिहास' के विभिन्न संस्करणोंमें पृष्ठ-संख्याकी भिन्नताके कारण केवल भाग और अध्यायका ही हवाला दिया गया है।

साधन-सूत्रोंमें एस० एन० संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका सूचक है। इसी प्रकार, जी० एन० गांधी स्मारक-निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका तथा सी० डब्ल्यू० सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय द्वारा प्राप्त कागज-पत्रोंका सूचक है। सामग्रीके सूत्रोंमें यदा-कदा शब्दोंके जो संक्षिप्त रूप आये हैं, उनमें "सी० एस० ओ०" कलोनियल सेक्रेटरीके ऑफिसके लिए, "सी०ओ०" कलोनियल ऑफिसके लिए और "एल-टी० जी०" या "एल० जी०" लेफ्टिनेन्ट गवर्नरके लिए आये हैं।

इस खण्डकी सामग्रीके साधन-सूत्र और सम्बन्धित अवधिका तारीखवार जीवन-वृत्तान्त पुस्तकके अन्तमें दे दिये गये ह।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक ट्रस्ट और संग्रहालय, गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय और नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि तथा संग्रहालय और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय, नई दिल्ली; भारत सेवक समिति, पूना; कलोनियल ऑफिस पुस्तकालय और इंडिया ऑफिस पुस्तकालय, लन्दन; फीनिक्स आश्रम, डर्बन; प्रिटोरिया आर्काइव्ज़, प्रिटोरिया; नगर परिषद्, क्रूगर्सडॉर्प; श्री दी० गो० तेंडुलकर तथा 'महात्मा' के प्रकाशक; श्री छगनलाल गांधी, अहमदाबाद; श्री अरुण गांधी, बम्बई; 'इंडियन ओपिनियन', 'इंडिया', 'मॉर्निंग लीडर', 'नेटाल ऐडवर्टाइज़र', 'नेटाल मर्क्युरी', 'रैंड डेली मेल', 'स्टार', 'साउथ आफ्रिका', 'टाइम्स', 'ट्रान्सवाल लीडर', और 'ट्रिब्यून' समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओंके आभारी हैं।

अनुसन्धान और सन्दर्भकी सुविधाओंके लिए गांधी स्मारक संग्रहालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफयर्स पुस्तकालय, ब्रिटिश कौंसिल पुस्तकालय, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय तथा संयुक्त राज्य सूचना-सेवा पुस्तकालय, नई दिल्ली; साबरमती संग्रहालय और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; सार्वजनिक पुस्तकालय, जोहानिसबर्ग; पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कलकत्ता और ब्रिटिश म्यूज़ियम पुस्तकालय, लन्दन हमारे धन्यवादके पात्र हैं।

विषय-सूची

भूमिका ५

पाठकोंको सूचना ७

आभार ८

चित्र-सूची २३

१. भेंट: 'ट्रिब्यून'को (२०–१०–१९०६) १

२. भेंट: 'मॉर्निंग लीडर'को (२०–१०–१९०६) २

३. पत्र: 'टाइम्स'को (२२–१०–१९०६) ४

४. पत्र: एफ० मैकारनिसको (२४–१०–१९०६) ६

५. भेंट: 'साउथ आफ्रिका'को (२५–१०–१९०६) ७

६. तार: सर मंचरजी मे० भावनगरीको (२५–१०–१९०६) ११

७. तार: सर जॉर्ज वर्डवुडको (२५–१०–१९०६) ११

८. तार: अमीर अलीको (२५–१०–१९०६) १२

९. पत्र: एस० एम० मंगाको (२५–१०–१९०६) १२

१०. पत्र: जे० एच० पोलकको (२५–१०–१९०६) १३

११. पत्र: ए० एच० गुलको (२५–१०–१९०६) १४

१२. पत्र: एल० एम० जेम्सको (२५–१०–१९०६) १४

१३. पत्र: सर जॉर्ज वर्डवुडको (२५–१०–१९०६) १५

१४. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको (२५–१०–१९०६) १६

१५. पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (२५–१०–१९०६) १७

१६. पत्र: सर मंचरजी मे० भावनगरीको (२५–१०–१९०६) १८

१७. पत्र: जी० जे० ऐडमको (२६–१०–१९०६) १८

१८. पत्र: हेनरी एस० एल० पोलकको (२६–१०–१९०६) १९

१९. पत्र: ए० एच० वेस्टको (२६–१०–१९०६) २२

२०. पत्र: छगनलाल गांधीको (२६–१०–१९०६) २३

२१. पत्र: सर हेनरी कॉटनको (२६–१०–१९०६) २४

२२. पत्र: डॉक्टर जोसिया ओल्डफील्डको (२६–१०–१९०६) २५

२३. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको (२६–१०–१९०६) २५

२४. पत्र: प्रोफेसर परमानन्दको (२६–१०–१९०६) २६

२५. पत्र: हाजी वजीर अलीको (२६–१०–१९०६) २७

२६. पत्र: युक लिन ल्यूको (२६–१०–१९०६) २८

२७. शिष्टमण्डलकी यात्रा—४ (२६–१०–१९०६) २९

२८. कथनीसे करनी भली (२६–१०–१९०६) ३१

२९. लॉर्ड एलगिनके नाम लिखे पत्रका मसविदा (२७–१०–१९०६) ३२

३०. रायटरको भेंट (२७–१०–१९०६) ३३

३१. पत्र : हाजी वजीर अलीको (२७–१०–१९०६) ३३

३२. पत्र : डॉक्टर जोसिया ओल्डफील्डको (२७–१०–१९०६) ३५

३३. पत्र : जे० सी० मुकर्जीको (२७–१०–१९०६) ३६

३४. पत्र : एफ़० मैकारनिसको (२७–१०–१९०६) ३७

३५. पत्र : श्यामजी कृष्णवर्माको (२९–१०–१९०६) ३७

३६. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (२९–१०–१९०६) ३८

३७. पत्र : एफ़० एच० ब्राउनको (३०–१०–१९०६) ३९

३८. पत्र : जे० सी० मुकर्जीको (३०–१०–१९०६) ४०

३९. पत्र : जोजेफ रायप्पनको (३०–१०–१९०६) ४१

४०. पत्र : एम० एन० डॉक्टरको (३०–१०–१९०६) ४१

४१. पत्र : लॉर्ड रे को (३०–१०–१९०६) ४२

४२. पत्र : हाजी वजीर अलीको (३०–१०–१९०६) ४३

४३. पत्र: जे० एच० पोलकको (३०–१०–१९०६) ४३

४४. पत्र : डब्ल्यू० पी० वाइल्सको (३०–१०–१९०६) ४४

४५. पत्र : आर्थर मर्सरको (३०–१०–१९०६) ४४

४६. पत्र : श्रीमती स्पेंसर वॉल्टनको (३०–१०–१९०६) ४५

४७. लॉर्ड एलगिनके नाम लिखे पत्रका मसविदा (३०–१०–१९०६) ४५

४८. परिपत्र (३१–१०–१९०६) ४६

४९. पत्र : प्रोफेसर परमानन्दको (३१–१०–१९०६) ४७

५०. पत्र : लॉर्ड स्टैनलेको (३१–१०–१९०६) ४८

५१. पत्र : एफ़० एच० ब्राउनको (३१–१०–१९०६) ४८

५२. आवेदनपत्र : लॉर्ड एलगिनको (३१–१०–१९०६) ४९

५३. पत्र : जॉर्ज गॉडफ्रेको (३१–१०–१९०६) ५८

५४. पत्र : एच० रोज़ मैकेंजीको (३१–१०–१९०६) ५९

५५. पत्र : डॉक्टर जोसिया ओल्डफील्डको (३१–१०–१९०६) ५९

५६. पत्र : युक लिन ल्यूको (३१–१०–१९०६) ६०

५७. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (३१–१०–१९०६) ६१

५८. पत्र : कुमारी एडा पायवेलको (३१–१०–१९०६) ६१

५९. पत्र : हाजी वजीर अलीको (३१–१०–१९०६) ६२

६०. चीनी राजदूतके लिए पत्रका मसविदा (३१–१०–१९०६ के बाद) ६३

६१. भेंट : 'साउथ आफ्रिका' को (१–११–१९०६) ६४

६२. पत्र : सर चार्ल्स श्वानको (१–११–१९०६) ६६

६३. पत्र : हैरॉल्ड कॉक्सको (१–११–१९०६) ६७

६४. पत्र : अमीर अलीको (१–११–१९०६) ६८

६५. एक परिपत्र (२–११–१९०६) ६८

६६. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (२–११–१९०६) ६९

६७. पत्र : हेनरी एस० एल० पोलकको (२–११–१९०६) ६९

६८. पत्र : एच० कैलनबैकको (२–११–१९०६) ७०
६९. पत्र : ए० एच० वेस्टको (२–११–१९०६) ७१
७०. पत्र : डब्ल्यू० जे० मैकिंटायरको (२–११–१९०६) ७१
७१. पत्र : जे० सी० मुकर्जीको (२–११–१९०६) ७२
७२. पत्र : जी० जे० ऐडमको (२–११–१९०६) ७२
७३. पत्र : हैरॉल्ड कॉक्सको (२–११–१९०६) ७३
७४. पत्र : श्रीमती स्पेन्सर वॉल्टनको (२–११–१९०६) ७३
७५. पत्र : कुमारी एडिथ लॉसनको (२–११–१९०६) ७४
७६. पत्र : जे० सी० गिब्सनको (२–११–१९०६) ७४
७७. पत्र : एस० हॉलिकको (२–११–१९०६) ७५
७८. पत्र : एच० विसिक्सको (२–११–१९०६) ७५
७९. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (२–११–१९०६) ७६
८०. पत्र : टी० एच० थॉर्नटनको (२–११–१९०६) ७७
८१. पत्र : जे० एच० पोलकको (२–११–१९०६) ७८
८२. पत्र : ए० वॉनरकी पेढ़ीको (२–११–१९०६) ७९
८३. पत्र : सर हेनरी कॉटनको (२–११–१९०६) ७९
८४. पत्र : सर हेनरी कॉटनको (२–११–१९०६) ८०
८५. पत्र : डब्ल्यू० ए० वैलेसको (२–११–१९०६) ८०
८६. पत्र : युक लिन ल्यूको (२–११–१९०६) ८१
८७. पत्र : ए० एच० स्कॉटको (२–११–१९०६) ८१
८८. पत्र : लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनको (२–११–१९०६) ८२
८९. कच्ची उम्रमें बीड़ीका व्यसन (३–११–१९०६) ८३
९०. प्रार्थनापत्र : लॉर्ड एलगिनको (३–११–१९०६) ८४
९१. पत्र : ए० डब्ल्यू० अराथूनको (३–११–१९०६) ८६
९२. पत्र : एफ० एच० ब्राउनको (३–११–१९०६) ८६
९३. पत्र : नेटाल बैंकके प्रबन्धकको (३–११–१९०६) ८७
९४. पत्र : अल्बर्ट कार्टराइटको (३–११–१९०६) ८७
९५. पत्र : सर चार्ल्स डिल्कको (३–११–१९०६) ८८
९६. पत्र : सर लेपेल ग्रिफिनको (३–११–१९०६) ८८
९७. पत्र : टी० एच० थॉर्नटनको (३–११–१९०६) ८९
९८. शिष्टमण्डलकी यात्रा — ५ (३–११–१९०६) ८९
९९. परिपत्र : लोकसभाके सदस्योंकी बैठकके लिए (५–११–१९०६) ९३
१००. पत्र : जोजेफ़ किचिनको (५–११–१९०६) ९४
१०१. पत्र : अमीर अलीको (५–११–१९०६) ९४
१०२. पत्र : जी० जे० ऐडमको (५–११–१९०६) ९५
१०३. पत्र : जॉर्ज वॉलपोलको (५–११–१९०६) ९५
१०४. पत्र : सेंट एडमंडकी सिस्टर-इन-चार्जको (५–११–१९०६) ९६

१०५. पत्र : 'टाइम्स' के सम्पादकको (५-११-१९०६) ९६
१०६. पत्र : जी० जे० ऐडमको (५-११-१९०६) ९७
१०७. पत्र : लॉर्ड एलगिनको (५-११-१९०६) ९७
१०८. पत्र : अल्वर्ट कार्टराइटको (५-११-१९०६) ९८
१०९. पत्र : एफ़० एच० ब्राउनको (६-११-१९०६) ९९
११०. पत्र : सर चार्ल्स डिल्कको (६-११-१९०६) १००
१११. पत्र : ए० वॉनरकी पेढ़ीको (६-११-१९०६) १००
११२. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (६-११-१९०६) १०१
११३. पत्र : जे० डी० रीज़को (६-११-१९०६) १०२
११४. पत्र : डॉ० जोसिया ओल्डफील्डको (६-११-१९०६) १०५
११५. पत्र : कुमारी एवा रोज़नवर्गको (६-११-१९०६) १०५
११६. पत्र : जोज़ेफ़ रायप्पनको (६-११-१९०६) १०६
११७. पत्र : अल्वर्ट कार्टराइटको (६-११-१९०६) १०६
११८. पत्र : एस० हॉलिकको (६-११-१९०६) १०७
११९. आवरकपत्र (६-११-१९०६) १०८
१२०. पत्र : सर चार्ल्स श्वानको (७-११-१९०६) १०८
१२१. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (७-११-१९०६) १०९
१२२. पत्र : सर विलियम वेडरवर्नको (७-११-१९०६) ११०
१२३. पत्र : जे० एच० पोलकको (७-११-१९०६) १११
१२४. लोकसभा-भवनकी वैठक (७-११-१९०६) १११
१२५. लॉर्ड एलगिनके नाम लिखे प्रार्थनापत्रका मसविदा (८-११-१९०६ के पूर्व) ११२
१२६. ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय (८-११-१९०६) ११३
१२७. पत्र : सैम डिग्वीको (८-११-१९०६) ११६
१२८. प्रार्थनापत्र : लॉर्ड एलगिनको (८-११-१९०६) ११७
१२९. पत्र : एस० हॉलिकको (८-११-१९०६) ११९
१३०. शिष्टमण्डल : लॉर्ड एलगिनकी सेवामें (८-११-१९०६) १२०
१३१. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (८-११-१९०६) १३५
१३२. पत्र : श्रीमती जी० ब्लेयरको (८-११-१९०६) १३६
१३३. पत्र : श्रीमती फ्रीथको (८-११-१९०६) १३७
१३४. पत्र : श्रीमती वार्न्ज़को (८-११-१९०६) १३७
१३५. पत्र : श्री वार्न्ज़को (८-११-१९०६) १३८
१३६. पत्र : सर रिचर्ड सॉलोमनको (८-११-१९०६) १३८
१३७. पत्र : श्री कैमरान, किम व कं० को (८-११-१९०६) १३९
१३८. पत्र : डब्ल्यू० टी० स्टेडको (८-११-१९०६) १४०
१३९. पत्र : एस० हॉलिकको (८-११-१९०६) १४०
१४०. पत्र : सर चार्ल्स डिल्कको (९-११-१९०६) १४१
१४१. पत्र : सर मंचरजी मे० भावनगरीको (९-११-१९०६) १४२

१४२. पत्र : जॉन मॉर्लेके निजी सचिवको (९–११–१९०६) १४२
१४३. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (९–११–१९०६) १४३
१४४. पत्र : हेनरी एस० एल० पोलकको (९–११–१९०६) १४४
१४५. पत्र : जोजेफ़ किचिनको (९–११–१९०६) १४६
१४६. पत्र : सर विलियम वेडरबर्नको (९–११–१९०६) १४६
१४७. पत्र : डॉ० जोसिया ओल्डफील्डको (९–११–१९०६) १४७
१४८. शिष्टमण्डलकी टीपें — १ (९–११–१९०६) १४७
१४९. पत्र : एस० एम० मंगाको (१०–११–१९०६) १५०
१५०. पत्र : सर हेनरी कॉटनको (१०–११–१९०६) १५१
१५१. पत्र : ए० एच० वेस्टको (१०–११–१९०६) १५१
१५२. पत्र : जे० डब्ल्यू० मैकिंटायरको (१०–११–१९०६) १५२
१५३. पत्र : उमर एच० ए० जौहरीको (१०–११–१९०६) १५३
१५४. पत्र : अब्दुल कादिरको (१०–११–१९०६) १५४
१५५. पत्र : डब्ल्यू० जे० वेस्टको (१०–११–१९०६) १५५
१५६. पत्र : बुलगर व रावर्ट्सकी पेढ़ीको (१२–११–१९०६) १५५
१५७. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (१२–११–१९०६) १५६
१५८. पत्र : 'टाइम्स' को (१२–११–१९०६) १५७
१५९. पत्र : सर लेपेल ग्रिफिनको (१२–११–१९०६) १५९
१६०. पत्र : हैरॉल्ड कॉक्सको (१२–११–१९०६) १६०
१६१. पत्र : सर मंचरजी मे० भावनगरीको (१२–११–१९०६) १६०
१६२. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (१२–११–१९०६) १६१
१६३. पत्र : सर हेनरी कॉटनको (१२–११–१९०६) १६२
१६४. पत्र : सर हेनरी कॉटनको (१३–११–१९०६) १६३
१६५. पत्र : एल० एम० जेम्सको (१३–११–१९०६) १६३
१६६. पत्र : लॉर्ड स्टैनलेको (१३–११–१९०६) १६४
१६७. पत्र : बर्नार्ड हॉलैंडको (१३–११–१९०६) १६४
१६८. पत्र : डब्ल्यू० एच० अराथूनको (१३–११–१९०६) १६५
१६९. पत्र : थियोडोर मॉरिसनको (१३–११–१९०६) १६५
१७०. पत्र : सर जॉर्ज बर्डवुडको (१३–११–१९०६) १६६
१७१. पत्र : चार्ल्स एफ० कूपरको (१३–११–१९०६) १६६
१७२. पत्र : जॉन मॉर्लेके निजी सचिवको (१३–११–१९०६) १६७
१७३. पत्र : श्रीमती जी० ब्लेयरको (१३–११–१९०६) १६७
१७४. पत्र : कुमारी एफ० विंटरबॉटमको (१३–११–१९०६) १६८
१७५. पत्र : डॉक्टर जोसिया ओल्डफील्डको (१३–११–१९०६) १६८
१७६. 'टाइम्स' को लिखे पत्रका मसविदा (१३–११–१९०६) १६९
१७७. पत्र : श्रीमती फ्रीथको (१४–११–१९०६) १७०
१७८. पत्र : जे० सी० मुकर्जीको (१४–११–१९०६) १७१

१७९. पत्र: एस० हॉलिकको (१४-११-१९०६) १७१
१८०. पत्र: सर रिचर्ड सॉलोमनको (१५-११-१९०६) १७२
१८१. पत्र: विन्स्टन चर्चिलको (१५-११-१९०६) १७२
१८२. पत्र: एच० रोज़ मैकेंज़ीको (१५-११-१९०६) १७३
१८३. पत्र: डब्ल्यू० ए० वैलेसको (१५-११-१९०६) १७३
१८४. पत्र: टी० जे० बेनेटको (१५-११-१९०६) १७४
१८५. पत्र: दादाभाई नौरोजीको (१६-११-१९०६) १७५
१८६. पत्र: 'टाइम्स'को (१६-११-१९०६) १७६
१८७. पत्र: थियोडोर मॉरिसनको (१६-११-१९०६) १७७
१८८. पत्र: ए० बॉनरकी पेढ़ीको (१६-११-१९०६) १७८
१८९. पत्र: श्रीमती स्पेंसर वॉल्टनको (१६-११-१९०६) १७८
१९०. पत्र: डब्ल्यू० टी० स्टेडको (१६-११-१९०६) १७९
१९१. पत्र: हेनरी एस० एल० पोलकको (१६-११-१९०६) १८०
१९२. पत्र: टी० जे० बेनेटको (१६-११-१९०६) १८१
१९३. पत्र: बर्नार्ड हॉलैंडको (१६-११-१९०६) १८२
१९४. भेंट: 'साउथ आफ्रिका'को (१६-११-१९०६) १८२
१९५. लन्दन भारतीय संघकी सभा (१६-११-१९०६ के बाद) १८३
१९६. अखिल इस्लाम संघ (१६-११-१९०६ के बाद) १८६
१९७. संसद-सदस्योंके लिए प्रश्नोंका मसविदा (१७-११-१९०६ के पूर्व) १८७
१९८. पत्र: वुलगर और रॉबर्ट्सकी पेढ़ीको (१७-११-१९०६) १८९
१९९. पत्र: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिको (१७-११-१९०६) १८९
२००. पत्र: दादाभाई नौरोजीको (१७-११-१९०६) १९०
२०१. पत्र: एम्पायर टाइपराइटिंग कम्पनीको (१७-११-१९०६) १९१
२०२. पत्र: एच० ई० ए० कॉटनको (१७-११-१९०६) १९१
२०३. पत्र: काउंटी स्कूलके मन्त्रीको (१७-११-१९०६) १९२
२०४. पत्र: जे० डी० रीज़को (१७-११-१९०६) १९३
२०५. पत्र: सर हेनरी कॉटनको (१७-११-१९०६) १९३
२०६. पत्र: जी० जे० ऐडमको (१७-११-१९०६) १९४
२०७. शिष्टमण्डलकी टीपें — २ (१७-११-१९०६) १९४
२०८. पत्र: मॉर्लेके निजी सचिवको (२०-११-१९०६) १९६
२०९. पत्र: जे० डी० रीज़को (२०-११-१९०६) १९८
२१०. पत्र: वुलगर और रॉबर्ट्सकी पेढ़ीको (२०-११-१९०६) १९८
२११. पत्र: डब्ल्यू० अराथूनको (२०-११-१९०६) १९९
२१२. पत्र: सर वॉल्टर लॉरेंसको (२०-११-१९०६) १९९
२१३. पत्र: एम्पायर टाइपराइटिंग कम्पनीको (२०-११-१९०६) २००
२१४. पत्र: क्लीमेंट्स प्रिंटिंग वर्क्सको (२०-११-१९०६) २००
२१५. पत्र: काउंटी स्कूलके प्रधानाध्यापकको (२०-११-१९०६) २०१

२१६. पत्र : सर विलियम मार्कबीको (२०-११-१९०६) २०१
२१७. पत्र : ए० जे० बालफ़रके निजी सचिवको (२०-११-१९०६) २०२
२१८. पत्र : लॉर्ड मिलनरके निजी सचिवको (२०-११-१९०६) २०३
२१९. पत्र : लॉर्ड रेको (२०-११-१९०६) २०३
२२०. पत्र : विन्स्टन चर्चिलके निजी सचिवको (२०-११-१९०६) २०४
२२१. पत्र : ए० लिटिलटनको (२०-११-१९०६) २०४
२२२. पत्र : आर्कीबाल्ड और कॉन्स्टेबल व कं० को (२०-११-१९०६) २०५
२२३. पत्र : सर मंचरजी मे० भावनगरीको (२०-११-१९०६) २०५
२२४. पत्र : सर चार्ल्स डिल्कको (२०-११-१९०६) २०६
२२५. पत्र : सर जॉर्ज वर्डवुडको (२०-११-१९०६) २०६
२२६. पत्र : 'साउथ आफ्रिका' के सम्पादकको (२०-११-१९०६) २०७
२२७. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (२०-११-१९०६) २०७
२२८. पत्र : लॉर्ड स्टैनलेको (२०-११-१९०६) २१४
२२९. पत्र : ए० जे० बालफ़रके निजी सचिवको (२१-११-१९०६) २१४
२३०. पत्र : श्री चर्चिलके निजी सचिवको (२१-११-१९०६) २१५
२३१. पत्र : नेशनल लिबरल क्लबके मन्त्रीको (२१-११-१९०६) २१५
२३२. पत्र : जी० डब्ल्यू० एम० ग्रिगको (२१-११-१९०६) २१६
२३३. पत्र : एफ़० एच० ब्राउनको (२१-११-१९०६) २१६
२३४. पत्र : रेमिंगटन टाइपराइटर कम्पनीको (२१-११-१९०६) २१७
२३५. पत्र : सर रोपर लेथब्रिजको (२१-११-१९०६) २१७
२३६. पत्र : एस० हॉलिकको (२१-११-१९०६) २१८
२३७. पत्र : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिको (२१-११-१९०६) २१८
२३८. पत्र : एच० ई० ए० कॉटनको (२१-११-१९०६) २१९
२३९. शिष्टमण्डल : श्री मॉर्लेकी सेवामें (२२-११-१९०६) २१९
२४०. पत्र : 'साउथ आफ्रिका' को (२२-११-१९०६) २३१
२४१. पत्र : थियोडोर मॉरिसनको (२२-११-१९०६) २३२
२४२. पत्र : कुमारी ए० एच० स्मिथको (२२-११-१९०६) २३३
२४३. पत्र : एम० एन० डॉक्टरको (२२-११-१९०६) २३४
२४४. पत्र : कुमारी ई० जे० बेकको (२२-११-१९०६) २३४
२४५. शिष्टमण्डलकी टीपें — ३ (२३-११-१९०६) २३५
२४६. पत्र : जॉन मॉर्लेके निजी सचिवको (२३-११-१९०६) २३८
२४७. पत्र : डॉ० जोसिया ओल्डफील्डको (२३-११-१९०६) २३८
२४८. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (२४-११-१९०६) २३९
२४९. पत्र : क्लॉड हेको (२४-११-१९०६) २४१
२५०. पत्र : लॉर्ड रेको (२४-११-१९०६) २४२
२५१. पत्र : डॉ० जोसिया ओल्डफील्डको (२४-११-१९०६) २४४
२५२. पत्र : जॉन मॉर्लेके निजी सचिवको (२४-११-१९०६) २४५

२५३. पत्र : सर विलियम मार्कबीको (२६–११–१९०६) २४६
२५४. पत्र : थियोडोर मॉरिसनको (२६–११–१९०६) २४६
२५५. पत्र : सर इवान्स गॉर्डनको (२६–११–१९०६) २४७
२५६. पत्र : सर रोपर लेथब्रिजको (२६–११–१९०६) २४७
२५७. एक परिपत्र (२६–११–१९०६) २४८
२५८. भाषण : पूर्व भारत संघमें (२६–११–१९०६) २४९
२५९. पत्र : कुमारी ई० जे० बेकको (२७–११–१९०६) २५०
२६०. पत्र : सर जॉर्ज वर्डवुडको (२७–११–१९०६) २५१
२६१. पत्र : लॉर्ड हैरिसको (२७–११–१९०६) २५१
२६२. पत्र : सर मंचरजी मे० भावनगरीको (२७–११–१९०६) २५२
२६३. पत्र : बर्नार्ड हॉलैंडको (२७–११–१९०६) २५३
२६४. प्रमाणपत्र : कुमारी एडिथ लॉसनको (२७–११–१९०६) २५४
२६५. पत्र : कुमारी ए० एच० स्मिथको (२७–११–१९०६) २५४
२६६. पत्र : विन्स्टन चर्चिलके निजी सचिवको (२७–११–१९०६) २५५
२६७. पत्र : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिको (२७–११–१९०६) २५६
२६८. पत्र : टी० जे० बेनेटको (२८–११–१९०६) २५७
२६९. पत्र : एफ० एच० ब्राउनको (२८–११–१९०६) २५७
२७०. पत्र : ए० एच० गुलको (२८–११–१९०६) २५८
२७१. पत्र : लॉर्ड स्टैनलेको (२८–११–१९०६) २५८
२७२. पत्र : सर लेपेल ग्रिफिनको (२८–११–१९०६) २५९
२७३. भाषण : लन्दनके विदाई समारोहमें (२९–११–१९०६) २५९
२७४. पत्र : सर रेमंड वेस्टको (२९–११–१९०६) २६२
२७५. पत्र : लॉर्ड रेको (२९–११–१९०६) २६२
२७६. पत्र : सी० एच० वॅांगको (२९–११–१९०६) २६३
२७७. पत्र : डी० जी० पान्सेको (२९–११–१९०६) २६४
२७८. पत्र : कुमारी एडिथ लॉसनको (२९–११–१९०६) २६४
२७९. पत्र : कुमारी ई० जे० बेकको (२९–११–१९०६) २६५
२८०. पत्र : जे० एच० पोलकको (२९–११–१९०६) २६५
२८१. पत्र : एस० जे० मीनीको (२९–११–१९०६) २६६
२८२. पत्र : अखबारोंको (३०–११–१९०६) २६७
२८३. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको (१–१२–१९०६) २६८
२८४. पत्र : प्रोफेसर गोखलेको (३–१२–१९०६) २७१
२८५. पूर्व भारत संघमें श्री रिचका भाषण (१८–१२–१९०६ के पूर्व) २७२
२८६. शिष्टमण्डलकी टीपें—४ (१८–१२–१९०६ के पूर्व) २७३
२८७. शिष्टमण्डल द्वारा आभार-प्रकाशन (२०–१२–१९०६) २७६
२८८. स्वागत-सभामें प्रस्ताव (२३–१२–१९०६) २७६
२८९. स्वागत-समारोहमें भाषण (२६–१२–१९०६) २७७

२९०. वेरुलमके मानपत्रका उत्तर (२९-१२-१९०६) २७७
२९१. तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको (२९-१२-१९०६) २७८
२९२. सिंहावलोकन (२९-१२-१९०६) २७८
२९३. केपमें अत्याचार (२९-१२-१९०६) २७९
२९४. डर्बनके मानपत्रका उत्तर (१-१-१९०७) २८०
२९५. भोजनोपरान्त भाषण (२-१-१९०७) २८०
२९६. मुस्लिम संघके मानपत्रका जवाब (३-१-१९०७) २८१
२९७. डर्बनके स्वागत-समारोहमें भाषण (३-१-१९०७) २८२
२९८. शिक्षा-अधीक्षककी रिपोर्ट (५-१-१९०७) २८३
२९९. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (५-१-१९०७) २८५
३००. तम्बाकू (५-१-१९०७) २८५
३०१. सम्भावित नये प्रकाशन (५-१-१९०७) २८६
३०२. छगनलाल गांधीके नाम पत्रका एक अंश (५-१-१९०७ के लगभग) २८७
३०३. छगनलाल गांधीके नाम पत्रका एक अंश (५-१-१९०७ के लगभग) २८८
३०४. अधीक्षक अलैक्जेंडर (५-१-१९०७) २८८
३०५. उचित सुझाव (५-१-१९०७) २८९
३०६. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — १ (५-१-१९०७) २८९
३०७. पत्र: 'आउटलुक' को (१२-१-१९०७ के पूर्व) २९२
३०८. क्विनका भाषण (१२-१-१९०७) २९३
३०९. फ्रीडडॉर्प अध्यादेश (१२-१-१९०७) २९४
३१०. जापान और अमेरिका (१२-१-१९०७) २९५
३११. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (१२-१-१९०७) २९५
३१२. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — २ (१२-१-१९०७) २९६
३१३. अमीरकी अमीरी (१९-१-१९०७) २९८
३१४. परवानेकी तकलीफ (१९-१-१९०७) २९९
३१५. स्त्री-शिक्षा (१९-१-१९०७) २९९
३१६. जापानकी चाल (१९-१-१९०७) ३०१
३१७. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — ३ (१९-१-१९०७) ३०१
३१८. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (१९-१-१९०७) ३०५
३१९. शिक्षित भारतीयोंका कर्तव्य (१९-१-१९०७) ३०६
३२०. मनगढ़न्त (२६-१-१९०७) ३०७
३२१. क्या भारतीयोंमें फूट होगी? (२६-१-१९०७) ३०९
३२२. नेटालका परवाना-कानून (२६-१-१९०७) ३०९
३२३. 'नेटाल मर्क्युरी' और भारतीय व्यापारी (२६-१-१९०७) ३१३
३२४. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (२६-१-१९०७) ३१४
३२५. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — ४ (२६-१-१९०७) ३१६
३२६. राष्ट्रका निर्माण कैसे हो? (२८-१-१९०७ के पूर्व) ३१९

३२७. पत्र : छगनलाल गांधीको (२८-१-१९०७) ३२०
३२८. मदनजीतका उत्साह (२९-१-१९०७ के पूर्व) ३२१
३२९. पत्र : छगनलाल गांधीको (२९-१-१९०७) ३२२
३३०. पत्र : छगनलाल गांधीको (२९-१-१९०७) ३२२
३३१. पत्र : छगनलाल गांधीको (३१-१-१९०७) ३२४
३३२. ट्रान्सवालके भारतीय (२-२-१९०७) ३२५
३३३. थियोडोर मॉरिसन (२-२-१९०७) ३२६
३३४. सर जेम्स फर्ग्युसन (२-२-१९०७) ३२६
३३५. घृणा अथवा अरुचि (२-२-१९०७) ३२६
३३६. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (२-२-१९०७) ३२८
३३७. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — ५ (२-२-१९०७) ३३०
३३८. पत्र : छगनलाल गांधीको (२-२-१९०७) ३३३
३३९. आदमजी मियाँखाँ (५-२-१९०७ के पूर्व) ३३४
३४०. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — ६ (५-२-१९०७ के पूर्व) ३३५
३४१. पत्र : छगनलाल गांधीको (५-२-१९०७) ३३७
३४२. पत्र : टाउन क्लार्कको (६-२-१९०७) ३३८
३४३. पत्र : छगनलाल गांधीको (७-२-१९०७) ३३९
३४४. दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति (९-२-१९०७) ३४१
३४५. टोंगाटका परवाना (९-२-१९०७) ३४२
३४६. नेटालमें भारतीय व्यापारी (९-२-१९०७) ३४३
३४७. मिडिलबर्गकी बस्ती (९-२-१९०७) ३४४
३४८. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (९-२-१९०७) ३४४
३४९. 'ऐडवर्टाइज़र' की पराजय (१६-२-१९०७) ३४६
३५०. नेटालका परवाना-कानून (१६-२-१९०७) ३४७
३५१. केपका परवाना-कानून (१६-२-१९०७) ३४८
३५२. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — ७ (१६-२-१९०७) ३४९
३५३. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (१६-२-१९०७) ३५१
३५४. तार : द० आ० ब्रि० भा० समितिको (२२-२-१९०७) ३५३
३५५. औरतें मर्द और मर्द औरतें ! (२३-२-१९०७) ३५४
३५६. लेडीस्मिथके परवाने (२३-२-१९०७) ३५५
३५७. केपका प्रवासी अधिनियम (२३-२-१९०७) ३५५
३५८. नेटालमें व्यापारिक कानून (२३-२-१९०७) ३५६
३५९. नेटालका नगरपालिका विधेयक (२३-२-१९०७) ३५६
३६०. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (२३-२-१९०७) ३५७
३६१. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — ८ (२३-२-१९०७) ३५९
३६२. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (२६-२-१९०७) ३६२
३६३. पत्र : छगनलाल गांधीको (२६-२-१९०७) ३६४

३६४. गोगाका परवाना (२–३–१९०७) ३६५
३६५. केपका प्रवासी कानून (२–३–१९०७) ३६६
३६६. 'मर्क्युरी' और भारतीय व्यापारी (२–३–१९०७) ३६६
३६७. दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति (२–३–१९०७) ३६७
३६८. फ्रीडडॉर्प अध्यादेश (२–३–१९०७) ३६७
३६९. केपका नया प्रवासी कानून (२–३–१९०७) ३६८
३७०. अलीगढ़ कॉलेजमें महामहिम अमीर हबीबुल्ला (२–३–१९०७) ३६९
३७१. तार: एशियाई पंजीयकको (२–३–१९०७) ३७०
३७२. पत्र: एशियाई पंजीयकको (४–३–१९०७ के पूर्व) ३७१
३७३. तार: एशियाई पंजीयकको (५–३–१९०७) ३७१
३७४. पत्र: छगनलाल गांधीको (९–३–१९०७ के पूर्व) ३७२
३७५. गैरकानूनी (९–३–१९०७) ३७३
३७६. अँगुलियोंके वे निशान (९–३–१९०७) ३७४
३७७. पत्र: 'ट्रान्सवाल लीडर'को (९–३–१९०७) ३७५
३७८. अंग्रेजोंकी उदारता (९–३–१९०७) ३७५
३७९. ट्रान्सवालके भारतीयोंको चेतावनी (९–३–१९०७) ३७७
३८०. मिस्रमें स्वराज्यका आन्दोलन (९–३–१९०७) ३७७
३८१. परवानेका मुकदमा (९–३–१९०७) ३७८
३८२. जेम्स गॉडफ्रे (९–३–१९०७) ३७८
३८३. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (९–३–१९०७) ३७९
३८४. सार्वजनिक सभा (१६–३–१९०७) ३८१
३८५. लॉर्ड सेल्बोर्नका खरीता (१६–३–१९०७) ३८२
३८६. नेटालकी सार्वजनिक सभा (१६–३–१९०७) ३८३
३८७. 'इंडियन ओपिनियन' (१६–३–१९०७) ३८४
३८८. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (१६–३–१९०७) ३८४
३८९. पत्र: छगनलाल गांधीको (१८–३–१९०७ के पूर्व) ३८६
३९०. तार: 'इंडियन ओपिनियन'को (१८ और २५–३–१९०७ के बीच) ३८६
३९१. तार: जे० एस० वायलीको (२२–३–१९०७) ३८७
३९२. एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेश (२३–३–१९०७) ३८७
३९३. मलायी बस्ती (२३–३–१९०७) ३८८
३९४. दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति (२३–३–१९०७) ३८९
३९५. नेटाल भारतीय कांग्रेस (२३–३–१९०७) ३९०
३९६. मलेरिया और भारतीयोंका कर्तव्य (२३–३–१९०७) ३९१
३९७. अनुमतिपत्र विभाग (२३–३–१९०७) ३९१
३९८. इस्लामका इतिहास (२३–३–१९०७) ३९२
३९९. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (२३–३–१९०७) ३९३
४००. एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेश (२३–३–१९०७) ३९५

४०१. तार : द० आ० ब्रि० भा० समितिको (२३–३–१९०७) ३९६
४०२. पत्र : सर विलियम वेडरबर्नको (२५–३–१९०७) ३९६
४०३. पत्र : दादाभाई नौरोजीको (२५–३–१९०७) ३९७
४०४. पत्र : छगनलाल गांधीको (२५–३–१९०७) ३९७
४०५. ट्रान्सवाल भारतीयोंकी आम सभाके प्रस्ताव (२९–३–१९०७) ३९८
४०६. विक्रेता-परवाना अधिनियम (३०–३–१९०७) ३९९
४०७. ट्रान्सवाल एशियाई अध्यादेश (३०–३–१९०७) ४००
४०८. केप तथा नेटाल [के भारतीयों] का कर्तव्य (३०–३–१९०७) ४०२
४०९. लोबिटो-बे जानेवाले भारतीय (३०–३–१९०७) ४०३
४१०. जोहानिवर्गकी चिट्ठी (३०–३–१९०७) ४०३
४११. तार : लॉर्ड एलगिनको (३०–३–१९०७) ४०६
४१२. तार : द० आ० ब्रि० भा० समितिको (३०–३–१९०७) ४०६
४१३. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (४–४–१९०७ के पूर्व) ४०७
४१४. कठिनाईसे निकलनेका एक मार्ग (६–४–१९०७) ४०८
४१५. ट्रान्सवालके पाठकोंसे विनती (६–४–१९०७) ४०९
४१६. ट्रान्सवालकी आम सभा (६–४–१९०७) ४१०
४१७. नेटालका परवाना कानून (६–४–१९०७) ४१०
४१८. ट्रान्सवालके भारतीयोंकी विराट सभा (६–४–१९०७) ४११
४१९. तार : उपनिवेश-मन्त्रीको (६–४–१९०७) ४२४
४२०. तार : द० आ० ब्रि० भा० समितिको (६–४–१९०७) ४२४
४२१. नेटाल भारतीय कांग्रेसकी बैठक (८–४–१९०७) ४२५
४२२. पत्र : 'नेटाल ऐडवर्टाइज़र' को (९–४–१९०७) ४२६
४२३. चैमनेकी रिपोर्ट (१३–४–१९०७) ४२८
४२४. उमर हाजी आमद झवेरीका त्यागपत्र (१३–४–१९०७) ४२९
४२५. दक्षिण आफ्रिकामें होनेवाले कष्टोंकी कहानी (१३–४–१९०७) ४३०
४२६. भूतपूर्व अधीक्षक अलेक्ज़ैंडर (१३–४–१९०७) ४३०
४२७. माननीय प्रोफेसर गोखलेका महान प्रयास (१३–४–१९०७) ४३०
४२८. अफगानिस्तानमें शिक्षा (१३–४–१९०७) ४३१
४२९. डर्बनमें जमीनवाले भारतीय (१३–४–१९०७) ४३१
४३०. जोहानिसवर्गकी चिट्ठी (१३–४–१९०७) ४३२
४३१. तार : द० आ० ब्रि० भा० समितिको (१९–४–१९०७ के पूर्व) ४३५
४३२. ट्रान्सवालके भारतीयोंका कर्तव्य (२०–४–१९०७) ४३६
४३३. इंग्लैंड और उसके उपनिवेश (२०–४–१९०७) ४३६
४३४. लेडीस्मिथकी अपीलें (२०–४–१९०७) ४३७
४३५. मिस्रमें परिवर्तन (२०–४–१९०७) ४३८
४३६. जोहानिसवर्गकी चिट्ठी (२०–४–१९०७) ४३८
४३७. पत्र : छगनलाल गांधीको (२०–४–१९०७) ४४३

४३८. पत्र : लक्ष्मीदास गांधीको (२०–४–१९०७ के लगभग) ४४४
४३९. पत्र : छगनलाल गांधीको (२१–४–१९०७) ४४९
४४०. पत्र : कल्याणदास मेहताको (२३–४–१९०७) ४५०
४४१. उपनिवेश-सम्मेलन और भारतीय (२७–४–१९०७) ४५०
४४२. डर्वनके आसपास मलेरिया (२७–४–१९०७) ४५१
४४३. शुद्ध विचार (२७–४–१९०७) ४५१
४४४. फ्रांसीसी भारत (२७–४–१९०७) ४५३
४४५. जोहानिसवर्गकी चिट्ठी (२७–४–१९०७) ४५३
४४६. 'अल इस्लाम' (२७–४–१९०७) ४५७
४४७. जोहानिसवर्गकी चिट्ठी (२८–४–१९०७) ४५७
४४८. श्री गांधीकी प्रतिज्ञा (३०–४–१९०७) ४६१
४४९. पत्र : 'स्टार'को (३०–४–१९०७) ४६३
४५०. पत्र : ट्रान्सवाल अग्रगामी दलको (२–५–१९०७ के पूर्व) ४६५
४५१. पत्र : 'स्टार'को (२–५–१९०७ के वाद) ४६६
४५२. क्लार्क्सडॉर्पके भारतीय और स्मट्स (४–५–१९०७) ४६७
४५३. केपके भारतीय (४–५–१९०७) ४६७
४५४. पंजाबमें हुल्लड़ (४–५–१९०७) ४६८
४५५. भेंट : 'नेटाल मर्क्युरी'को (७–५–१९०७) ४६८
४५६. छगनलाल गांधीको लिखे पत्रका अंश (११–५–१९०७ के पूर्व) ४७०
४५७. क्या भारतीय गुलाम वनेंगे? (११–५–१९०७) ४७१
४५८. लेडीस्मिथका परवानेका मुकदमा (११–५–१९०७) ४७३
४५९. गिरमिटिया भारतीय (११–५–१९०७) ४७३
४६०. उमर हाजी आमद झवेरी (११–५–१९०७) ४७४
४६१. कल्याणदास जगमोहनदास [मेहता] (११–५–१९०७) ४७५
४६२. उमर हाजी आमद झवेरीको विदाई (११–५–१९०७) ४७५
४६३. जोहानिसवर्गकी चिट्ठी (११–५–१९०७) ४८१
४६४. हेजाज रेलवे : कुछ जानने योग्य समाचार (११–५–१९०७) ४८४
४६५. पत्र : 'स्टार'को (११–५–१९०७) ४८७
४६६. पत्र : छगनलाल गांधीको (१२–५–१९०७) ४८९
४६७. तार : द० आ० ब्रि० भा० समितिको (१४–५–१९०७) ४९०
४६८. पत्र : छगनलाल गांधीको (१६–५–१९०७) ४९०
४६९. पत्र : छगनलाल गांधीको (१८–५–१९०७) ४९१
४७०. एक और दक्षिण आफ्रिकी भारतीय वैरिस्टर (१८–५–१९०७) ४९२
४७१. ट्रान्सवालकी लड़ाई (१८–५–१९०७) ४९३
४७२. लेडीस्मिथकी लड़ाई (१८–५–१९०७) ४९५
४७३. शतरंजकी वाजी (१८–५–१९०७) ४९६
४७४. अनुमतिपत्र-कार्यालयका वहिष्कार (१८–५–१९०७) ४९६

४७५. शिक्षा किसे कहा जाये? (१८-५-१९०७) ४९७
४७६. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (१८-५-१९०७) ४९८
४७७. जर्मिस्टनसे जेल जानेवाले (१८-५-१९०७) ५०३
४७८. ब्रिटिश भारतीय संघकी बैठक (१८-५-१९०७) ५०४
४७९. ट्रान्सवालकी लड़ाई (२५-५-१९०७) ५०५
४८०. एस्टकोर्टमें मताधिकारकी लड़ाई (२५-५-१९०७) ५०६
४८१. चर्चिलका भाषण (२५-५-१९०७) ५०७
४८२. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (२५-५-१९०७) ५०८
४८३. भाषण: चीनियोंकी सभामें (२६-५-१९०७) ५१३
४८४. पत्र: 'स्टार'को (३०-५-१९०७) ५१४
परिशिष्ट ५१६
सामग्रीके साधनसूत्र ५१९
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ५२०
शीर्षक-सांकेतिका ५२४
सांकेतिका ५२८

चित्र-सूची

गांधीजी	मुखचित्र
लॉर्ड एलगिनको प्रार्थनापत्र : पहला पृष्ठ	४८
गोखलेके नाम पत्र	२७२
लक्ष्मीदास गांधीके नाम पत्रका एक अंश	४४८
लक्ष्मीदास गांधीके नाम पत्रका दूसरा अंश	४४९
छगनलाल गांधीके नाम पत्र	४८८
शतरंजकी बाजी	४८९

१. भेंट : 'ट्रिब्यून' को[1]

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोंका शिष्टमण्डल, जिसमें गांधीजी और श्री अली सम्मिलित थे, २० अक्तूबर १९०६ को इंग्लैंड पहुँचा। साउथैम्प्टनमें, जहाजपर, 'ट्रिब्यून' के प्रतिनिधिने उसी दिन गांधीजीसे भेंट की। भेंटमें उन्होंने कहा :

[साउथैम्प्टन
अक्तूबर २०, १९०६]

हमें लगता है, लॉर्ड एलगिनके सामने स्थिति ठीकसे नहीं रखी गई है। हालमें ट्रान्सवाल सरकारने एशियाइयोंके सम्बन्धमें एक संशोधन अध्यादेश पास किया है।

जिस कानूनके विरोधमें हम लॉर्ड एलगिनकी सेवामें उपस्थित होनेवाले हैं उसका आशय इस समय ट्रान्सवालमें बसे प्रत्येक भारतीयको, काफिरोंकी तरह, पास रखनेपर मजबूर करना है। परन्तु भारतीय पासोंकी प्रणाली बहुत ज्यादा सख्त और कठोर होगी। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक पासपर उसके धनीकी दसों अँगुलियोंके निशान अंकित रहेंगे। ट्रान्सवालके सभी भारतीयोंको, चाहे उनका दर्जा कुछ भी हो, इसके आगे झुकना पड़ेगा — भले ही वे अंग्रेजी या कोई अन्य यूरोपीय भाषा पढ़ने-लिखनेमें समर्थ हों।

जैसा कि उपनिवेश सचिवने बताया, इस कानूनको प्रस्तावित करनेका कारण यह है कि ट्रान्सवालमें भारतीय उमड़े चले आ रहे हैं। ब्रिटिश भारतीय समाजने बराबर इस आरोपका खण्डन किया है और इसकी जाँचके लिए आयोगकी माँग की है। अनुमतिपत्रोंके अनुसार ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी आबादी १३,००० है और जनगणनामें वह १०,००० पाई गई है। यह भी कह दूँ कि उन्हें अनेक अन्य निर्योग्यताएँ भी झेलनी पड़ती हैं। उनके निवासके लिए निर्धारित बस्तियों या बाड़ोंके अतिरिक्त उन्हें कहीं भूस्वामित्वका अधिकार प्राप्त नहीं है। वे जोहानिसबर्ग या प्रिटोरियामें ट्रामगाड़ियोंमें नहीं चढ़ सकते, और रेल-यात्रामें भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। कुछ ऐसे भी विनियम हैं जिनके द्वारा अन्य एशियाइयोंके साथ ब्रिटिश भारतीयोंको भी पैदल-पटरियोंपर चलनेकी मनाही है। यद्यपि ये विनियम प्रयोगमें नहीं लाये जा रहे हैं, परन्तु विधि-संहितामें ये अभी भी वर्तमान हैं। यह बात खास तौरसे जोहानिसबर्ग और प्रिटोरियाके साथ लागू होती है।

नये अध्यादेशमें एक धारा इस आशयकी है कि जबतक सम्राट् अपनी यह इच्छा व्यक्त न कर दें कि इसे अस्वीकार नहीं किया जायेगा, तबतक यह लागू नहीं होगा। साथ ही, ट्रान्सवालमें व्याप्त रंग-विद्वेषको दृष्टिमें रखते हुए हमने ऐसे सुस्पष्ट विनियमों द्वारा, जो कठोर और वर्गभेदकारी न हों, आगामी आव्रजनपर प्रतिबन्ध लगानेके सिद्धान्तको बराबर स्वीकार किया है। निरपवाद रूपसे हमारा यह अनुभव रहा है कि जहाँ-कहीं वर्गविषयक कानून बना है वहाँ राहत पाना उन स्थानोंकी अपेक्षा बहुत अधिक कठिन सिद्ध हुआ है जहाँ सर्वसामान्य रूपसे लागू होनेवाले नियम हैं; उदाहरणके लिए, जैसे केप और नेटालमें हैं।

१. यह विवरण २४-११-१९०६ के इंडियन ओपिनियनमें उद्धृत किया गया था।

हम केवल इतना ही चाहते हैं कि ट्रान्सवालमें बसे ब्रिटिश भारतीयोंके साथ उचित और सम्मान्य व्यवहार किया जाये। ब्रिटिश सरकारने अक्सर इसका वादा भी किया है। जैसा कि लॉर्ड लैंसडाउनने कहा, सच तो यह है कि गत युद्धका एक कारण ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी निर्योग्यताएँ थीं।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, २२-१०-१९०६

२. भेंट : 'मॉनिंग लीडर' को[1]

[अक्तूबर २०, १९०६]

श्री गांधीने [वाटरलू स्टेशनपर] 'मॉनिंग लीडर'के प्रतिनिधिसे बातचीतके दौरान यह दावा किया कि युद्धसे भारतीयोंको राहत मिलना तो दूर, उनकी स्थिति अब बोअर शासनकालसे भी बदतर हो गई है।

बोअरोंने ब्रिटिश भारतीयोंको केवल नागरिक अधिकारों और भूस्वामित्वसे वंचित किया था और १८८५ का कानून [३] बनाया था जिसके अन्तर्गत उनमें से जो व्यापारियोंकी हैसियतसे इस देशमें बसना चाहते थे, उन्हें पंजीयन कराना और ३ पौंड शुल्क देना पड़ता था। अंग्रेजी शासनके अन्तर्गत यद्यपि काफिर जमीनका मालिक हो सकता है, किन्तु हम अभीतक हमारे लिए विशेष रूपसे निर्धारित बस्तियों या बाड़ोंको छोड़कर, इस सुविधासे वंचित हैं। इसमें विचार यहूदी गुलामीकी पद्धतिको पुनर्जीवित करनेका है।

अतिरिक्त निर्योग्यताएँ

फिर अन्य निर्योग्यताएँ भी लाद दी गई हैं। उदाहरणार्थ, ट्रामगाड़ियोंमें यात्रासे सम्बन्धित कठिनाइयाँ। जोहानिसबर्गमें ब्रिटिश भारतीय केवल पिछलग्गू डिब्बोंमें बैठ सकते हैं। प्रिटोरियामें तो उनको ट्राममें यात्रा करने ही नहीं दी जाती। तथापि हमें क्षोभ विशेषतः पंजीयनके प्रश्नपर होता है। बोअरोंके शासनकालमें ब्रिटिश भारतीयोंका प्रवास बिलकुल मुक्त और प्रतिबन्ध-रहित था। किन्तु आज भारतीय केवल देशमें आनेसे ही नहीं रोके जाते, बल्कि पुराने अधिवासियोंको भी फिरसे दाखिल होनेमें कठिनाई होती है।

यह ठीक है कि बोअरों द्वारा पास किये गये १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत व्यापारके उद्देश्यसे बसनेवाले भारतीयोंको अपना पंजीयन कराना पड़ता था। किन्तु अब विधान परिषदने एशियाई कानून संशोधन अध्यादेश नामक एक संशोधक कानून बनाया है; ब्रिटिश भारतीयोंका दावा है कि संशोधन अध्यादेश जिस कानूनका संशोधन करना चाहता है उससे बदतर है। इसी नवीन वैधानिक कृतिके सम्बन्धमें शिष्टमण्डल लन्दन आया हुआ है।

१. यह विवरण २६-१०-१९०६ के इंडियामें और १-१२-१९०६ के इंडियन ओपिनियनमें उद्धृत किया गया था।

पास सम्बन्धी कठिनाइयाँ

उस अध्यादेशके कारण केवल व्यापारियोंके लिए ही नहीं, आज ट्रान्सवालमें रहनेवाले हर भारतीयके लिए (काफिरोंकी तरह) पंजीयन कराना और पास रखना अनिवार्य है। इस पासको पंजीयन प्रमाणपत्रकी मधुर संज्ञा दी गई है। यह बता देना आवश्यक है कि यह कदम बावजूद इस बातके उठाया गया है कि इस देशमें भारतीय पहले ही अनुमतिपत्र ले चुके हैं, जिनसे उन्हें यहाँके निवासका अधिकार प्राप्त होता है और उनके पास वे पंजीयन प्रमाणपत्र भी हैं जिन्हें उनमें से हरएकने ३ पौंडी शुल्क देकर लिया है।

जब ग्रेट ब्रिटेनने ट्रान्सवालपर अधिकार किया तब लॉर्ड मिलनरकी सलाहपर भारतीयोंने अपने बोअर पंजीयनपत्रोंकी जगह अंग्रेजी पंजीयनपत्र लिये और अपने पंजीयनपत्रोंपर अँगूठेके निशान देने तक की बात मान ली। और, जिस व्यक्तिके पास यह पंजीयनपत्र होता था उसपर उसकी उम्र, ऊँचाई और कुटुम्बके अन्य व्यक्तियोंकी तफसील भी होती थी। वास्तवमें वह अभिज्ञानपत्र ही होता था।

'अनधिकृत' आव्रजन

और अब नया अध्यादेश फिरसे तीसरी बार पंजीयनका विधान करता है।

कारण यह दिया गया है कि ट्रान्सवालमें बड़े पैमानेपर भारतीयोंने अनधिकृत प्रवेश किया है, और नये अध्यादेशके माध्यमसे यह मालूम करनेका इरादा है कि वे कौन हैं। किन्तु इस उद्देश्यकी पूर्ति इस समय प्राप्त पंजीयन प्रमाणपत्रोंकी जाँचसे भी उतनी ही अच्छी तरह हो सकती थी। वैसे सच तो यह है कि भारतीय सरकारके इस दावेका दृढ़तापूर्वक खण्डन करते हैं कि बड़े पैमानेपर कोई अनधिकृत प्रवेश हो रहा है और उन्होंने इस प्रश्नकी जाँचके लिए एक आयोगकी नियुक्तिकी माँग की है।

पुरानी पद्धतिके मुकाबिले इस संशोधक कानूनमें बहुत ज्यादा सख्त शिनाख्त की जायेगी। जैसा कि सहायक उपनिवेश-सचिव (श्री कर्टिस) ने कहा, हर भारतीयको, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति जो हो, अपने प्रमाणपत्रपर (केवल अँगूठेकी छापकी जगह) दसों अँगुलियोंकी छाप देनी पड़ेगी। पंजीयन न करानेकी सजा बहुत कठोर होगी। केवल बालिग पुरुषोंका ही नहीं, ट्रान्सवालमें रहनेवाले बालदैनके बच्चों और दुधमुँहे शिशुओं तक का पंजीयन कराना पड़ेगा।

रंग-विद्वेष

ट्रान्सवालमें रंगके प्रति जो पूर्वग्रह है उसे भारतीय समाज मान्य करता है और इसलिए उसने ब्रिटिश भारतीय आव्रजनपर प्रतिबन्धका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है — किन्तु ऐसी शर्तोंपर जो अपमानजनक न हों और जिनसे उनकी स्वतंत्रतामें बाधा न आती हो जो देशमें बस ही चुके हैं। यह बात नेटाल या केपके ढंगका कानून बनाकर आसानीसे को जा सकती है। यह कानून ऐसा होना चाहिए जो सामान्य हो और सबपर लागू हो सके। अबतक बड़ी सरकारने सारे स्वायत्तशासन-प्राप्त उपनिवेशोंमें वर्ग-विशेषके लिए निर्मित विधानपर निषेधाधिकारका प्रयोग किया है। नेटालने जब विशेषत: एशियाइयोंको प्रभावित करनेवाला कानून बनाना चाहा तब श्री चेम्बरलेनने उसे नामंजूर किया; और हम यहाँ लॉर्ड एलगिनको संशोधक कानूनपर शाही स्वीकृति न देनेके तथा भारतीयोंके बहुत बड़े पैमानेपर प्रवेश

सम्बन्धी दोषारोपणकी जाँचके लिए आयोगकी नियुक्ति करनेपर राजी करनेका प्रयत्न करनेके लिए आये हैं।

श्री गांधी कहते हैं कि भारतीय इस मामलेसे बहुत प्रक्षुब्ध हैं और झुकनेके बजाय जेल जानेको तैयार हैं।

[अंग्रेजीसे]

मॉर्निंग लीडर, २२-१०-१९०६

३. पत्र : 'टाइम्स' को[1]

[लन्दन]
अक्तूबर २२, १९०६

सेवामें
सम्पादक
'टाइम्स'
[लन्दन]

महोदय,

ट्रान्सवाल एशियाई कानून संशोधन अध्यादेशके बारेमें साम्राज्यीय अधिकारियोंसे मिलनेके लिए ट्रान्सवालसे जो ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डल आया है उसके बारेमें आपके जोहानिसबर्ग संवाददाताका तार मैंने आपके आजके अंकमें देखा।

मुझे भरोसा है कि आप न्यायकी दृष्टिसे अपने संवाददाताकी कतिपय गलतबयानियोंको सुधारनेकी मुझे इजाजत देंगे। उनका कथन है: "वर्तमान अध्यादेशमें सारे एशियाइयोंके सम्पूर्ण पंजीयनकी ऐसी व्यवस्था है कि छद्म-परिचय, जिसमें एशियाई निष्णात है, असम्भव हो जायेगा।" हम इस बातसे इनकार करते हैं कि ऐसा कोई जाल किया गया है और हम दृढ़तापूर्वक यह कहनेकी धृष्टता करते हैं कि जो पंजीयन प्रमाणपत्र इस समय भारतीयोंके पास हैं उनमें जालको पूरी तरह रोकनेकी व्यवस्था है। इन प्रमाणपत्रोंपर प्राप्तकर्ताओं और उनकी पत्नियोंके नाम, बच्चोंकी संख्या, उम्र, ऊँचाई तथा उनके अँगूठोंके निशान होते हैं। छद्म-परिचयका जब कभी कोई प्रयत्न किया गया है, तभी दोषीके विरुद्ध तत्परताके साथ आवश्यक कार्रवाई की गई है।

आपके संवाददाताका कथन है कि वर्तमान अध्यादेश बसे-बसाये एशियाइयोंको स्वामित्वके पूरे अधिकार और अपेक्षाकृत अधिक राहत देगा। उन्हें निवासका पूरा अधिकार पहलेसे ही प्राप्त है, बशर्ते कि नया कानून बनाकर वह छीन न लिया जाये। उनके पास ट्रान्सवाल उपनिवेशमें दाखिल होने और बने रहनेका अधिकार देनेवाले अनुमतिपत्र और ऊपर कहे गये

१. यह पत्र "सार रूपमें" २५-१०-१९०६ के टाइम्समें प्रकाशित हुआ था और २६-१०-१९०६ के इंडिया तथा २४-११-१९०६ के इंडियन ओपिनियनमें पूरा उद्धृत किया गया था।

वे पंजीयन प्रमाणपत्र भी हैं, जो उन्होंने लॉर्ड मिलनरकी सलाहपर स्वेच्छापूर्वक लिये थे। लॉर्ड मिलनरने उस समय उन्हें आश्वासन दिया था कि वे पंजीयन प्रमाणपत्र अन्तिम और सम्पूर्ण हैं।[1]

यह कहना कि एशियाई अप्रिय पंजीयन शुल्कसे वरी कर दिये जायेंगे एक असंगत वक्तव्य है, क्योंकि यह शुल्क तो वे बोअर या अंग्रेज सरकारको दे ही चुके हैं। जैसा कि आपके संवाददाताका कथन है, उन्हें जमीन अथवा मसजिदोंपर स्वामित्वके अधिकार नहीं दिये जायेंगे। शायद उनके मनमें मसविदा रूप वह अध्यादेश है जिसमें एक धारा ऐसी थी जिसके अनुसार सरकार ब्रिटिश भारतीयोंको अपनी मसजिदों या पूजन-स्थलोंपर स्वामित्वके हक दे सकती थी किन्तु मसजिदके अहातोंसे अलग उनकी जमीनपर नहीं। परन्तु अब यह धारा अध्यादेशके उस रूपमें नहीं है जिस रूपमें उसे विधान-परिषदने पास किया है; और यह आवश्यक भी नहीं था क्योंकि ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयने फैसला दे दिया है कि १८८५ के कानून ३ के बावजूद धार्मिक सहकार संस्थाओंकी तरह काम करनेवाले भारतीय धार्मिक कामोंके लिए स्थावर सम्पत्ति रख सकते हैं। ब्रिटिश भारतीयोंने ट्रान्सवालमें निर्वाध आव्रजनका दावा कभी सपनेमें भी नहीं किया। वे ऐसे किसी भी आव्रजनके खिलाफ तमाम पूर्वग्रहोंको तसलीम करते हैं और इसलिए उन्होंने केप, नेटाल या दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशोंमें प्रचलित प्रतिबन्धके सिद्धान्तको स्वीकार किया है।

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय विनम्र भावसे किन्तु दृढ़तापूर्वक अध्यादेशका विरोध करते हैं क्योंकि वह उनपर मनमाना, अनावश्यक और अन्यायपूर्ण अपमान थोपता है। वह उनका दर्जा काफिरोंसे भी नीचा कर देता है। वह पासों और शिनाख्तगीकी ऐसी पद्धति रूढ़ करता है जो केवल जरायमपेशा लोगोंपर ही लागू की जा सकती है। क्या यह ठीक है कि हर भारतीयको, चाहे उसका दर्जा जो हो, अपनी दसों अँगुलियोंकी छापवाला पास साथ रखने और ऐसे हर सिपाहीके सामने, जो उसे देखना चाहे, पेश करनेके लिए बाध्य किया जाये? क्या यह ठीक है कि दुधमुँहे बच्चोंको एशियाई पंजीयक नामक किसी अफसरके सामने ले जाया जाये ताकि उसे बच्चेकी शिनाख्तसे सम्बन्धित तफसीलें दी जा सकें और आरजी तौरपर उसका पंजीयन कराया जा सके?

जब कि १८८५ के कानून ३ के मुताबिक केवल व्यापारियोंका पंजीयन जरूरी है और उसके अन्तर्गत ३ पौंडकी रसीद ही पंजीयन प्रमाणपत्र है, वर्तमान कानूनके मुताबिक उपनिवेशके सभी पुरुष भारतीयोंको उक्त प्रकारका पंजीयन कराना जरूरी है।

यह वक्तव्य झूठा है कि इस पत्रपर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्तियोंमें से पहलेने प्रमुख रूपसे भारतीयोंको ट्रान्सवालमें आनेके अनुमतिपत्र दिलाये हैं और विगत समयमें उसने इसके बलपर बड़ा व्यापार जमाया है। जब पहले हस्ताक्षरकर्ताको ट्रान्सवालमें बसनेकी जरूरत पड़ी तब भारतीय शरणार्थी बड़ी संख्यामें वहाँ आ चुके थे।[2]

आपके संवाददाता द्वारा कही गई व्यक्तिगत बातोंकी चर्चा अनावश्यक है। मुझे लगता है कि ब्रिटिश भारतीय समाजको बहुत गलत ढंगसे समझा और पेश किया गया है।

१. देखिए, खण्ड ३, पृष्ठ ३२४–३१।

२. यह १९०३ के आरम्भकी बात है; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ५०९।

ब्रिटिश भारतीय समाजने, जिसकी स्थिति आज बोअर शासनकालसे बेहद खराब है, इस बातका खण्डन किया है कि ट्रान्सवालमें एशियाई बड़े पैमानेपर आ रहे हैं।[1] समाजने बड़ी संख्यामें भारतीयोंके इस तथाकथित प्रवेशकी जाँचकी माँग की है। हमारा दावा है कि ट्रान्सवालके १३,००० ब्रिटिश भारतीयोंमें से ज्यादातर लोगोंके पास बाकायदा अनुमतिपत्र और प्रमाणपत्र हैं। यदि कुछ लोगोंके पास आवश्यक दस्तावेज न हों तो शान्ति-रक्षा अध्यादेश उन्हें देशसे निकालनेके लिए काफी मजबूत और सख्त है। अक्सर ऐसे लोगोंपर सफलतापूर्वक कानूनी कारंवाई की गई है।

इसलिए यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश भारतीय समाज अनुचित आव्रजन अथवा अनुचित व्यापारिक स्पर्धा (के डर)[2] की बातको न्यायपूर्ण ढंगसे सुलझानेके लिए तैयार है; किन्तु उसका दावा है कि बिना वर्ग-भेदके सर्वसामान्य विनियमोंके अन्तर्गत आबाद भारतीयोंको साधारण नागरिकताके अधिकार, अर्थात् जमीन आदिके स्वामित्वकी स्वतन्त्रता, आवागमनकी स्वतन्त्रता तथा व्यापार करनेकी स्वतन्त्रता प्राप्त हो।

आपके, आदि,
[मो० क० गांधी
हा० व० अली]
ट्रान्सवाल ब्रिटिश [भारतीय]
शिष्टमण्डलके सदस्य

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४३८५) से।

४. पत्र: एफ० मैकारनिसको[3]

होटल सेसिल
[लन्दन]
अक्तूबर २४, १९०६

प्रिय महोदय,

ट्रान्सवाल विधान-परिषद द्वारा स्वीकृत एशियाई कानून संशोधन अध्यादेशके बारेमें ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय संघने श्री हाजी वजीर अलीको और मुझे शिष्टमण्डलके रूपमें नियुक्त किया है; इसलिए हम यहाँ आये हुए हैं।

अध्यादेशके बारेमें हमारा इरादा अधिकारियों और उन प्रमुख सार्वजनिक नेताओंसे भी मिलनेका है, जिन्होंने दक्षिण आफ्रिकी मामलोंमें दिलचस्पी ली है। यदि आप कृपा करके

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २३१–३३।

२. ये शब्द इंडियामें प्रकाशित पाठमें मिलते हैं।

३. सूचिवकी टिप्पणीके अनुसार ऐसे ही पत्र पी० ए० मोल्टेनो, संसद-सदस्य, सर चार्ल्स डिल्क, संसद-सदस्य और परममाननीय लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐल्डर्लेको भी भेजे गये थे।

शिष्टमण्डलको आसपासकी किसी तारीखको भेंट करने और अपनी स्थिति आपके सामने रखनेका मौका दें तो मैं आभारी होऊँगा।

आपका विश्वस्त,

श्री एफ० मैकारनिस, संसद-सदस्य[1]
६, किंग्ज़ वेंच वॉक
इनर टेम्पल

नकल : सेवामें, सर लेपेल ग्रिफिन, के० सी० एस० आई०,[2] स्लोन स्क्वेयर, लन्दन[3]
बिना हस्ताक्षरके टाइप किये हुए अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ४३८६) से।

५. भेंट : 'साउथ आफ्रिका' को[4]

[होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर २५, १९०६]

[संवाददाता:] श्री गांधी, जो प्रश्न आपको हजारों मील खींच लाया है, क्या आप उसके बारेमें अपने विचार बतलानेकी कृपा करेंगे?

[श्री गांधी:] बड़ी खुशीसे। बेहतर होगा, मैं शुरूसे कहूँ।

आपकी मेहरबानी।

अच्छी बात है। पिछले महीने जोहानिसबर्गके पुराने एम्पायर नाटकघरमें आयोजित भारतीयोंकी एक विशाल सार्वजनिक सभामें एक शिष्टमण्डल भेजनेका प्रस्ताव पास किया गया था। अब उसके अनुसार हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्ष श्री हा० व० अली और मैं ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा नियुक्त शिष्टमण्डलके रूपमें आये हैं।

और आपका उद्देश्य?

हमारा उद्देश्य यहाँके अधिकारियोंके सामने तथ्योंका वह रूप पेश करना है जिसे हम सच्चा मानते हैं ताकि ट्रान्सवालके एशियाई कानून संशोधन अध्यादेशको स्वीकृति न मिले।

तब क्या आप समझते हैं कि उपनिवेश-मन्त्री और भारत-मन्त्रीको अबतक जो जानकारी मिली है वह अपर्याप्त है?

ऐसा ही है। मैं देखता हूँ कि आपको और लन्दन 'टाइम्स' को अध्यादेश तथा तत्सम्बन्धी हमारी आपत्तियोंके बारेमें गलत जानकारी दी गई है।

१. फ्रेडरिक कोलरिज मैकारनिस, (१८५४–१९२०); केप सुप्रीम कोर्टके वकील, १८८२; ब्रिटेनकी संसदके उदारदलीय सदस्य, १९०६–१०।

२. सर लेपेल ग्रिफिन (१८३८–१९०९); आंग्ल भारतीय प्रशासक, पूर्व भारत संघकी परिषदके अध्यक्ष और भारत विषयक पुस्तकोंके लेखक। वे दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके पक्षके समर्थक थे।

३. यह गांधीजीके स्वाक्षरोंमें है।

४. यह भेंट २७–१०–१९०६ के साउथ आफ्रिकामें प्रकाशित हुई थी जिसे इंडियन ओपिनियनमें उद्धृत किया गया था।

क्या मैं पूछ सकता हूँ, सो कैसे?

जैसे यह मान लिया गया है कि ट्रान्सवालमें अनधिकृत ब्रिटिश भारतीयोंकी बड़ी बाढ़ आ रही है और इसे ब्रिटिश भारतीय समाज वास्तवमें बढ़ावा दे रहा है।

तब क्या वे धारणाएँ गलत हैं?

हाँ, यदि दोनों बातें जरा भी सच होतीं तो इस कानूनका, जो, कुछ भी कहिये, घबराहटमें पास किया गया है, कोई औचित्य होता; किन्तु ब्रिटिश भारतीय समाजने इस अनधिकृत बाढ़के आरोपका बार-बार खण्डन किया है।

तब क्या मैं यह मान लूँ कि आप उनके खण्डनसे सहमत हैं, श्री गांधी?

अवश्य, मैं दावा करता हूँ कि मुझे खुद अनुमतिपत्र कार्यालयकी कार्यप्रणालीका अच्छा-खासा अनुभव है। और उसके आधारपर मुझे यह कहनेमें जरा भी संकोच नहीं है कि कुछ इक्के-दुक्के मामलोंको छोड़कर ट्रान्सवालमें अनधिकृत प्रवेश कतई नहीं हो रहा है। और उनसे वर्तमान शान्ति-रक्षा अध्यादेश और १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत बखूबी निबटा जा सकता है।

कानूनकी वर्तमान सूरत

जिस-किसी भारतीयने बिना अनुमतिपत्रके या झूठे अनुमतिपत्रके द्वारा उपनिवेशमें प्रवेश करनेका प्रयत्न किया, उसपर सचमुच सफलतापूर्वक मुकदमा चलाया जा चुका है। अक्सर ऐसे लोग उनके अँगूठोंकी निशानियाँ और उनके द्वारा पेश किये गये अनुमतिपत्रों और पंजीयन प्रमाणपत्रोंपर अंकित अँगूठोंकी निशानियोंको मिलाकर पकड़े जा सकते हैं।

यदि वे न मिलें तो क्या मुकदमा चलाया जाता है?

हाँ, यदि अँगूठोंकी निशानियाँ न मिलें तो ऐसे दस्तावेजोंके अनधिकृत मालिकोंको बहुत ही कड़ा दण्ड दिया जा सकता है। यदि उपनिवेशमें कोई भारतीय बिना अनुमतिपत्रके मिल जाये तो फौरी हिदायत मिलते ही उसे जेलके डरसे तुरन्त ट्रान्सवाल छोड़ना पड़ता है, या यह सिद्ध करना पड़ता है कि वह शान्ति-रक्षा अध्यादेशमें बताई गई प्रतिबन्धमुक्त जातियोंमें से है। अतः आप देखेंगे कि वर्तमान व्यवस्था सर्वथा सम्पूर्ण है। इसलिए पिछले सोमवारको जब मैंने 'टाइम्स' में यह लम्बा तार पढ़ा कि ट्रान्सवालमें अनधिकृत भारतीयोंकी बाढ़ आ रही है और बहुत जालसाजी हो रही है जिसका पता लगाना कठिन है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

मेरा खयाल है, आपको शिकायत है कि वर्तमान कानूनोंके अन्तर्गत भी कुछ मामलोंमें अन्याय किया गया है?

बेशक। वर्तमान कानूनोंके अन्तर्गत भी बहुत ही भयानक अन्याय किया गया है; जैसे भारतीय महिला पूनियाका मामला[1], जिसके प्रति सारे ट्रान्सवालमें सहानुभूति जाग गई थी। उस मामलेमें, जैसा कि अब सबको मालूम है, एक भारतीय महिलाको अपने पतिसे जबरदस्ती अलग कर दिया गया था और पतिके पास सही अनुमतिपत्र था।

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४४४–४५ और ४५० ।

किन्तु क्या वह मामला एक अपवाद नहीं था?

बिलकुल नहीं। एक दूसरे मामलेमें ग्यारह वर्षसे कम उम्रका एक बच्चा अपने माता-पितासे अलग कर दिया गया था क्योंकि उसपर शक था कि वह किसी दूसरेके अनुमतिपत्रपर[1] ट्रान्सवालमें आया है।

आखिर हुआ क्या?

अभी एक तार आया है कि सर्वोच्च न्यायालयने बच्चेकी सजाको बिलकुल बुरा माना और कहा कि ऐसे मुकदमोंसे कानूनका[2] अमल हास्यास्पद हो जायेगा और लोग उसकी अवज्ञा करने लगेंगे।

नये अध्यादेशकी विषय-वस्तु

इसलिए यदि एशियाई कानून संशोधन अध्यादेश, जो इस समय लॉर्ड एलगिनके सामने है, स्वीकार कर लिया गया तो कोई भी आसानीसे समझ सकता है कि ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति कितनी कठिन हो जायेगी।

तब क्या यह कानून इतना असाधारण है?

सचमुच ऐसा ही है। ब्रिटिश उपनिवेशोंके कानूनके बारेमें जो-कुछ मैं जानता हूँ, नया अध्यादेश उन सबसे बहुत आगे बढ़ जाता है।

किन्तु उसका कौन-सा भाग आपत्तिजनक है?

मैं बताता हूँ। यह इस खयालसे बहुत ही अपमानजनक है कि उसके द्वारा हर भारतीयको अपनी पद-मर्यादाका खयाल किये बिना अपनी दसों अँगुलियोंकी छाप देनी होगी, और वह पास जो भी सिपाही माँगे उसको दिखाना होगा। सारे भारतीयोंको, मय बालकोंके, इस तरहका या, जैसा कि आठ वर्षसे कम उम्रके बच्चोंके लिए कहा गया है, अस्थायी पंजीयन करवाना होगा।

क्या यह बिलकुल नई व्यवस्था है?

जी; यह सब बोअर शासनकालमें बिलकुल नहीं था। १८८५ के कानून ३ के प्रशासनमें जब भी कोई कठोर या अन्यायपूर्ण कार्य होता तो उस समय हमें ब्रिटिश संरक्षणका पूरा भरोसा रहता था।

किन्तु यह कानून पहले कानूनका संशोधन ही तो है?

नहीं। इस नये अध्यादेशको संशोधन अध्यादेश कहना गलत है। क्योंकि इसका क्षेत्र १८८५ के कानून ३ के क्षेत्रसे बिलकुल भिन्न है। वह कानून भारतीय व्यापारियोंको केवल एक ही बार ३ पौंड देनेके लिए बाध्य करता है, जब कि नया अध्यादेश ब्रिटिश भारतीयोंके आव्रजनपर पूरा प्रतिबन्ध लगाता है।

तब क्या आपको उस प्रतिबन्धसे आपत्ति है?

नहीं, प्रतिबन्धोंसे हमारा कोई झगड़ा नहीं। किन्तु जैसा मैंने बताया है, उसका तरीका बहुत ही अपमानजनक और बिलकुल अनावश्यक है।

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४६५।
२. देखिए "ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय", पृष्ठ ११३-१६।

तब, प्रतिबन्ध अपने आपमें विवादका कारण नहीं है?

यही बात है। ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयों और सामान्यतः रंगदार लोगोंके प्रति जो पूर्वग्रह है, उसे हम समझते हैं। इसलिए हमने केप या नेटाल जैसे प्रतिबन्धका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। गम्भीर विचार-विमर्शके बाद उन सभी उपनिवेशोंने, जिनके सामने ऐसी समस्याएँ हैं, इसी ढंगपर कानून बनाये हैं।

प्रबुद्ध भारतीय दृष्टिकोण

यदि ट्रान्सवालवासियोंका इरादा यहाँ बसे हुए भारतीयोंको उपनिवेशसे भगानेका न हो — और मैं खुद तो मानता हूँ कि नहीं है — तो कोई कारण नहीं कि उन्हें दूसरे उपनिवेशोंके मुकाबले जरा भी ज्यादा ढील दी जाये, या वे स्वयं अपने लिए और अधिक सत्ता चाहें।

क्या भारतीय व्यापारियोंके विरुद्ध काफी आन्दोलन नहीं रहा है?

निःसन्देह हम अक्सर भारतीयोंकी व्यापारिक स्पर्धाके बारेमें सुनते हैं। किन्तु मेरा व्यक्तिगत विचार है कि नगर-परिषदों या परवाना-निकायोंका नये व्यापारिक परवानोंपर केप विक्रेता-अधिनियमसे मिलता-जुलता नियन्त्रण रहे। न्यायकी दृष्टिसे सिर्फ इतना जरूरी है कि ऐसा कानून वर्ग-विशेषके लिए न होकर सबपर लागू होनेवाला हो। इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय समाज अपनी उपस्थितिपर उठाई गई सभी उचित आपत्तियोंको दूर करनेके लिए पूरी तरह तैयार है। किन्तु ऐसा कर लेनेके बाद, मेरे विचारमें, सभी न्यायप्रिय व्यक्तियों-को निश्चित रूपसे यह मान लेना चाहिए कि कमसे-कम उन लोगोंको, जो उपनिवेशमें [पहलेसे ही] हैं, आने-जाने, जमीन-जायदाद रखने तथा उक्त विनियमोंके अन्तर्गत व्यापार करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता हो। मैं नहीं सोच सकता कि कोई दक्षिण आफ्रिकी ऐसी व्यवस्थाके खिलाफ कोई आपत्ति उठा सकता है।

तब, श्री गांधी, क्या यह मान लिया जाये कि इस वक्तव्य द्वारा आपने ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके मामलेका ही स्पष्टीकरण किया है?

जी हाँ। और चूँकि हमारा विश्वास है कि हमारी स्थितिके सम्बन्धमें बहुत अधिक गलत-फहमी है और अतिशयोक्तिसे काम लिया गया है, इसलिए श्री अली और मैं दक्षिण आफ्रिकासे इतनी लम्बी यात्रा करके अधिकारियोंके सामने अपना मामला निष्पक्ष रूपसे पेश करने आये हैं। हम स्थानीय विचारोंसे जहाँतक बने, समझौता करनेके लिए उत्सुक हैं।

आप अभीतक लॉर्ड एलगिनसे नहीं मिले?

अभीतक नहीं; किन्तु सारा प्रबन्ध हो रहा है, और हमें आशा है कि कुछ ही दिनोंमें हम उनसे भेंट करेंगे। हम चाहते हैं कि ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंसे इस प्रश्नपर सहानुभूति रखनेवाले संसदके कुछ ब्रिटिश सदस्य और अन्य प्रमुख व्यक्ति शिष्टमण्डलका नेतृत्व करें और उसका परिचय करायें। मैं 'साउथ आफ्रिका' को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उसने अपने स्तम्भोंमें हमें अपने विचार रखनेका अवसर दिया है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-११-१९०६

६. तार: सर मंचरजी मे० भावनगरीको

[अक्तूबर २५, १९०६]

सेवामें
मंचरजी
१९६, क्रॉमवेल रोड, एस० डब्ल्यू०

सर लेपेलने शिष्टमण्डलमें भाग लेनेसे इनकार कर दिया है।[1]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४३८८) से।

७. तार: सर जॉर्ज बर्डवुडको

[अक्तूबर २५, १९०६]

सेवामें
सर जॉर्ज बर्डवुड[2]
११९, द० ऐवेन्यू
वेस्ट ईलिंग

लॉर्ड एलगिनसे मिलनेके लिए श्री अली और मैं शिष्टमण्डलके रूपमें ट्रान्सवालसे आ गये हैं। सर हेनरी कॉटन, श्री नौरोजी, सर मंचरजी, श्री कॉक्सने[3] शिष्टमण्डल समिति बनाना, हमारा परिचय देना और नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया है। क्या आपसे सम्मिलित होने और प्रवक्ता बननेकी प्रार्थना कर सकता हूँ? क्या भेंट देनेकी प्रार्थना भी कर सकता हूँ? तार कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी है।

गांधी
होटल सेसिल

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४३८९) से।

१. अन्ततः उन्होंने शिष्टमण्डलका नेतृत्व किया।

२. (१८३२–१९१७); एक आंग्ल-भारतीय अफसर; भारतकी औद्योगिक कलाएँ (इंडस्ट्रियल आर्ट्स ऑफ इंडिया) और अन्य पुस्तकोंके लेखक तथा भारतीय दर्शन और कलाके अध्येता।

३. हेरॉल्ड कॉक्स (१८५९–१९३६); अलीगढ़ कॉलेजमें गणितके प्रोफेसर (१८८५–८७); अर्थशास्त्री और पत्रकार; ब्रिटिश संसदके सदस्य (१९०६–९)।

८. तार: अमीर अलीको

[अक्तूबर २५, १९०६]

सेवामें
अमीर अली[1]

आपको दक्षिण आफ्रिकी शिष्टमण्डलसे भेंट करनेकी प्रार्थना करते हुए मंगलवारको लिखा[2] था। अभी तक उत्तर नहीं। कदाचित् पत्र भटक गया। प्रस्ताव है, हमें लॉर्ड एलगिनसे परिचित करानेके लिए शिष्टमण्डल बनें। सर जॉर्ज वर्डवुडको अभी प्रवक्ता बननेके लिए आमन्त्रित किया है। सर हेनरी कॉटन, श्री नौरोजीने शिष्टमण्डलमें शामिल होना स्वीकार कर लिया है। आपसे भी शामिल होनेकी प्रार्थना। कृपया तारसे उत्तर दें और होटल सेसिलमें भेंटका समय सूचित करें।

गांधी
होटल सेसिल

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४३९०) से।

९. पत्र: एस० एम० मंगाको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर २५, १९०६

प्रिय श्री मंगा,

क्या आप मुझसे सोमवारको सुबह नौ और साढ़े नौके बीच आकर मिल सकेंगे, क्योंकि मेरा खयाल है, दूसरे सभी दिनों मैं व्यस्त रहूँगा।

आपका सच्चा,

श्री एस० एम० मंगा[3]
१०६, बैरन्स कोर्ट रोड
वेस्ट कैन्सिंगटन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४३९२) से।

१. कलकत्ता उच्च-न्यायालयके एक भूतपूर्व न्यायाधीश। इस समय वे प्रीवी कौंसिलके सदस्य थे। इस्लामकी भावना (स्पिरिट ऑफ इस्लाम) और अरबोंका संक्षिप्त इतिहास (ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द सैरासिन्ज़) के लेखक।

२. यह उपलब्ध नहीं है।

३. उस समय सुलेमान मंगा लन्दनमें वकालत पढ़ रहे थे। देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २७२।

१०. पत्र: जे० एच० पोलकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर २५, १९०६

प्रिय श्री पोलक,

आपको शायद अजीब लगेगा कि मैं अभीतक आपसे नहीं मिला हूँ।

टाइपिस्ट भेजनेके लिए अनेक धन्यवाद। उसका नाम कुमारी लॉसन[1] है। हम लोगोंकी आपसमें जान-पहचान शुरू हो गई है, और बहुत ठीक पट रही है। दुर्भाग्यसे मैंने दक्षिण आफ्रिकाके श्री सीमंड्सको, जो सर जॉर्ज फेरारके[2] निजी सचिव थे और जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, रखना तय कर लिया था। इसलिए अगले शनिवारको मुझे अनिच्छापूर्वक कुमारी लॉसनको विदा कर देना पड़ेगा।

जब हम पैदल आपके सत्कारशील घर जा रहे थे, आपने प्रसंगवशात् एक प्रश्न छेड़ा था। मैं उसपर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। इसलिए, यदि अन्यथा व्यस्त न हों तो, क्या आप कल दोपहरको मेरे साथ भोजन कर सकेंगे और यहाँ एक और दोके बीच किसी समय आ सकेंगे? यदि मैं तबतक लोगोंसे मिलकर लौट न आया होऊँ तो, मेरी विनय है, आप मेरे लौटने तक बड़े कमरेमें या मेरे कमरेमें ठहरें।

आपका सच्चा,

श्री जे० एच० पोलक[3]
२८, ग्राउने रोड
कैननबरी, एन०

[पुनश्च:] अगर ९ और ९-३० बजेके बीच टेलीफोनसे खबर दे दें कि आप आ सकते हैं या नहीं तो प्रसन्नता होगी; मैं ९-३० के बाद प्रायः बाहर रहता हूँ।

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४३९३) से।

१. कुमारी एडिथ लॉसन, शिष्टमण्डल कार्यालयकी एक सहायिका। देखिए: "कुमारी एडिथ लॉसनको प्रमाणपत्र", पृष्ठ २५४।

२. ट्रान्सवालके एक करोड़पति खान-मालिक और विधायक; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४२।

३. हेनरी एस० एल० पोलकके पिता।

११. पत्र : ए० एच० गुलको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर २५, १९०६

प्रिय श्री गुल,

आपके पिताजीने मुझसे कहा है कि जोहानिसबर्ग लौटनेके पहले मैं आपसे अवश्य मिल लूँ। फिलहाल मेरी जो व्यवस्था है उसके कारण मुझे मित्रोंके घर जाकर उनसे मिलनेकी गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि मैं अपने मुकामकी पूरी अवधिमें बहुत व्यस्त रहूँ; इसलिए क्या आपसे कह सकता हूँ कि आप किसी भी दिन ऊपरके पतेपर ९ और ९–३० बजे सवेरेके बीच आकर मुझसे मिल लें। सारा दिन लोगोंसे जाकर मिलनेमें बीत जाता है और मैं कह नहीं सकता, घर कब रहूँगा। आशा है, आपका काम ठीक चल रहा है।

आपका सच्चा,

श्री ए० एच० गुल[1]
२७, पेकहम रोड, एस० ई०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४३९८) से।

१२. पत्र : एल० एम० जेम्सको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर २५, १९०६

प्रिय श्री जेम्स,

यह सोचकर कि आप आयेंगे, मैंने बुधवारको दोपहरके भोजनके समय आपकी प्रतीक्षा की। खेद है, आप नहीं आये। मैं मानता हूँ कि किसी कामसे रुक गये होंगे। आपने कृपापूर्वक जो रूमाल मुझे दिया था सो वापस कर रहा हूँ। शायद आप मुझसे किसी और समय मिल सकेंगे। श्री ल्यू[2] चीनी दूतावाससे एक प्रतिनिधि मेरे पास भेजनेवाले थे। उसके बारेमें मुझे विदेश-कार्यालयके नाम पत्र[3] तैयार करना है। इसलिए क्या आप कृपा करके अपने

१. केपटाउनके एक प्रमुख भारतीय श्री हमीद गुलके पुत्र।

२. युक लिन ल्यू, ट्रान्सवालमें प्रधान चीनी राजदूत। वे और श्री जेम्स दोनों उसी जहाजसे गये जिससे गांधीजी और हाजी वजीर अली गये थे।

३. देखिए "चीनी राजदूतके लिए पत्रका मसविदा", पृष्ठ ६३।

आवेदनपत्रकी एक प्रति मुझे भेज सकेंगे? मेरा खयाल है कि यह वही आवेदन है जो मैंने तैयार किया था।[1] दुर्भाग्यसे मेरे पास उसकी प्रतिलिपि नहीं है।

आपका सच्चा,

श्री एल० एम० जेम्स[2]
पोर्टलैंड चाइनीज़ लिगेशन प्लेस, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४३९५) से।

१३. पत्र: सर जॉर्ज बर्डवुडको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर २५, १९०६

प्रिय महोदय,

भारतीय शिष्टमण्डलसे सम्बद्ध अपने तारके[3] उत्तरमें आपका तार पाकर बहुत आभारी हूँ। मैं बराबर सर मंचरजीके सम्पर्कमें रहा हूँ और उन्हें फिरसे लिख रहा हूँ।[4] वे आपके प्रवक्ता होनेका विचार स्वीकृत करेंगे, इसमें मुझे सन्देह नहीं है। मैं उल्लेख कर दूँ कि मैंने सर लेपेल ग्रिफिनसे प्रार्थना की थी; परन्तु परिस्थिति कुछ ऐसी है कि, यद्यपि हमारे विचारोंसे उन्हें पूरी सहानुभूति है, वे नेतृत्व नहीं करेंगे। शिष्टमण्डल आगे बढ़े, इसके पहले श्री अली और मैं आपकी सेवामें उपस्थित होने और परिस्थिति आपके सामने रखनेको उत्सुक हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तारके बादके पत्रमें आपने मिलनेका समय आदि सूचित किया होगा। यदि नहीं तो सूचित करें। आभारी होऊँगा।

आपका विश्वस्त,

सर जॉर्ज बर्डवुड
११९, द ऐवेन्यू
वेस्ट ईलिंग

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४३९६) से।

१. यह उपलब्ध नहीं है।

२. दक्षिण आफ्रिकाके चीनियोंकी ओरसे इंग्लैंड-स्थित चीनी राजदूतको व्यक्तिशः जाकर प्रार्थनापत्र देनेके लिए श्री एल०-एम० जेम्स विशेष रूपसे चुने गये थे।

३. देखिए "तार: सर जॉर्ज बर्डवुडको", पृष्ठ ९१।

४. देखिए "पत्र: सर मंचरजी मे० भावनगरीको", पृष्ठ ९८।

१४. पत्र : एल० डब्ल्यू० रिचको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर २५, १९०६

सर मंचरजीसे मेरी एक बहुत लम्बी बातचीत हुई, और फिर भी होगी। क्या आप कृपया कल शहर आयेंगे। आपका मुझसे मिलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि शायद ९ और ९–३० के बीचके अलावा मैं बाहर रहूँ; किन्तु मैं चाहता हूँ कि आप विक्टोरिया स्ट्रीटमें या कहीं उसके आस-पास कार्यालयके लिए कमरोंकी खोज करें।[1] मुझे दिखता है, समितिको मंत्रालयमें, विशेषतः दक्षिण आफ्रिका सम्बन्धी कार्यके लिए, कुछ कठिनाई अधिक होगी। सर मंचरजीने पूरे दिलसे काम करनेका वचन दिया है। जान पड़ता है, हमारे प्रश्नके बारेमें वे बहुत गहरी सहानुभूति रखते हैं। मेरे जानेके पहले निश्चयपूर्वक कुछ तय हो सके, इसके लिए अब भी काफी संगठन करना बाकी है। आशा करता हूँ कि श्री कोहन[2] बेहतर हैं। उन्हें जरूर किसी अस्पतालमें भरती करा देना चाहिए। कल, घूमने-फिरनेके पहले या बाद, किसी समय आप उन्हें देख लें।

आपका शुभचिन्तक,

श्री एल० [डब्ल्यू०] रिच[3]
[४१, स्प्रिंग फील्ड रोड
सेंट जॉन्स वुड, एन०]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४३९७) से।

१. प्रस्तावित दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके लिए।
२. रिचके श्वशुर।
३. गांधीजीके एक थियॉसफिस्ट मित्र और सहायक जो इस समय इंग्लैंडमें वकालत पढ़ रहे थे।

१५. पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको

होटल सेसिल
लन्दन, डब्ल्यू० सी०
अक्तूबर २५, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय अर्ल ऑफ एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मंत्री
लन्दन

महोदय,

ट्रान्सवाल सरकारके 'गज़ट' में २८ सितम्बर १९०६ को प्रकाशित ट्रान्सवालके एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेशके बारेमें ब्रिटिश भारतीय संघ, ट्रान्सवाल द्वारा मनोनीत शिष्ट-मण्डलके रूपमें श्री हाजी वजीर अली और मैं महानुभावके समक्ष उपस्थित होनेके लिए पिछले शनिवारको यहाँ पहुँच गये हैं, और मैं सादर हम दोनोंके आ जानेकी सूचना देता हूँ।

महानुभावने ट्रान्सवालके एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेशके विषयमें भेंट करनेकी जो अनुमति उदारतापूर्वक शिष्टमण्डलको दी है, उसका लाभ उठानेका सम्मान मुझे और मेरे सहयोगी प्रतिनिधिको प्राप्त होगा। सम्भवत: दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय प्रश्नमें दिलचस्पी लेने-वाले अनेक सज्जन महानुभावसे शिष्टमण्डलका परिचय करायेंगे और समय आनेपर वे भेंट तय करनेके लिए प्रार्थना करेंगे।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गांधी

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सी० ओ० २९१, खण्ड ११३, इंडिविजु-अल्स) और दफ्तरी प्रति (एस० एन० ४३९८) से।

१६. पत्र : सर मंचरजी मे० भावनगरीको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर २५, १९०६

प्रिय सर मंचरजी,

आपको तार[1] करनेके साथ मैंने सर जॉर्ज बर्डवुडसे भी तार[2] करके पूछा था कि क्या वे शिष्टमण्डलका नेतृत्व करेंगे। उन्होंने जो तार भेजा है, मुझे भरोसा है, उसे आप पसन्द करेंगे। वे कहते हैं: "हाँ, यदि सर मंचरजी स्वीकार करें तो मैं उपस्थित रहूँगा और बोलूँगा।" अब मैंने उन्हें लिखा है कि आप स्वीकार करेंगे, इसमें मुझे सन्देह नहीं है। कृपया सर जॉर्ज बर्डवुडको आप जो योग्य समझें सो लिखें और मुझे सूचित करें।

विचित्र बात है कि, यद्यपि सर लेपेलने सदा सहानुभूति रखी है फिर भी वे शिष्टमण्डलमें शामिल नहीं होंगे। मेरे विचारमें इसका कारण यह है कि शिष्टमण्डलके अन्य प्रस्तावित सदस्योंसे उनका मेल नहीं बैठता।

मुझे अभीतक श्री अमीर अलीसे कोई खबर नहीं मिली है, इसलिए मैंने उन्हें तार[3] दिया है।

आपका सच्चा,

सर मंचरजी मे० भावनगरी, के० सी० एस० आई०
१९६, क्रॉमवेल रोड
लन्दन, एस० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एम० एन० ४३९९) से।

१७. पत्र : जी० जे० ऐडमको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर २६, १९०६

प्रिय महोदय,

मुझे बड़ा दुःख है कि आप ऊपरके पतेपर मुझसे मिलने आये, और मिलना नहीं हो सका। कल सवेरे दस और साढ़े दस बजेके बीच आपसे मिलने और आपकी जरूरतकी सारी

१. देखिए "तार : सर मंचरजी मे० भावनगरीको", पृष्ठ ११।
२. देखिए "तार : सर जॉर्ज बर्डवुडको", पृष्ठ ११।
३. देखिए "तार : अमीर अलीको", पृष्ठ १२।

जानकारी देनेमें मुझे खुशी होगी। दुःख है कि मेरे साथी-प्रतिनिधि श्री अली इस समय लेडी मार्गरेट अस्पतालमें पड़े गठियाका इलाज करा रहे हैं।

आपका विश्वस्त,

श्री जी० जे० ऐडम[1]
८२, शैफ्ट्सबरी ऐवेन्यू, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४००) से।

१८. पत्र : हेनरी एस० एल० पोलकको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर २६, १९०६

प्रिय श्री पोलक,

जिन्हें मैं उपयोगी मानता हूँ ऐसी सारी कतरनें आपको भेज रहा हूँ। यदि मैं समय निकाल सका तो गुजराती स्तम्भोंके लिए स्त्रियोंके मताधिकार-संघर्षका सारानुवाद करूँगा[2] किन्तु यदि न निकाल सकूँ तो छगनलाल अनुवाद करके इन कीमती कतरनोंका कारगर उपयोग करे। मैंने श्री मुकर्जीसे[3] भी अपनी लन्दनकी चिट्ठीमें इसकी चर्चा करनेको कहा है। अलबत्ता, जितनी कतरनें भेज रहा हूँ, उन सबका 'इंडियन ओपिनियन' में उपयोग करना जरूरी नहीं है। उनमें से कुछ आप खुद देखना चाहेंगे — इसीलिए मैं उन्हें भेज रहा हूँ।

यहाँ उतरनेके बाद मैं एक क्षण भी आरामसे नहीं बैठा हूँ। उतरते ही शनिवारको काम शुरू हो गया था।

'ट्रिब्यून' के संवाददाताको जहाजपर मैंने भेंट[4] दी और 'मॉर्निंग लीडर' के संवाददाताको, जिसे आपके पिताजी साथ लाये थे, रेलगाड़ीसे उतरते ही स्टेशनपर मुलाकात[5] दी। भोजनके तुरन्त बादमें मैं और श्री अली लन्दन भारतीय समाजके दफ्तरमें गये और वहाँ हमने भारतके 'पितामह'का दर्शन किया और सर विलियम[6] और सर हेनरीसे[7] मुलाकात करनेके लिए उनसे समय निश्चित किया। बुधवारकी रातको छोड़कर मैं एक बजेके पहले नहीं सोया। लोगोंसे मिलने-जुलनेमें बहुत समय जाता है। अबतक मेरे कामकी जो प्रगति हुई है उससे जान पड़ता है कि सर मंचरजी, सर हेनरी कॉटन और अन्य लोगोंके साथ सर जॉर्ज बर्डवुड लॉर्ड एलगिनसे हमारा परिचय करायेंगे। इसलिए अन्दोलन बहुत अच्छा रहेगा। श्री अमीर

१. रायटरके प्रतिनिधि; देखिए "रायटरको भेंट", पृष्ठ ३३।

२. देखिए "कथनीसे करनी भली", पृष्ठ ३१-३२।

३. गांधीजीने उन्हें इंडियन ओपिनियनके लिए नियमित रूपसे संवादपत्र लिखने और टाइम्सके प्रमुख समाचार और टिप्पणियाँ भेजनेके लिए कहा था। देखिए "पत्र : जे० सी० मुकर्जीको", पृष्ठ ३६।

४. देखिए "भेंट : 'ट्रिब्यून' को", पृष्ठ १-२।

५. देखिए "भेंट : 'मॉर्निंग लीडर' को", पृष्ठ २-४।

६. सर विलियम वेडरबर्न।

७. सर हेनरी कॉटन।

अलीने मुझे तार देकर सूचित किया है कि शिष्टमण्डलका परिचय करानेमें वे भी योग देंगे। इस तरह लॉर्ड एलगिनको मालूम हो जायेगा कि हमारी पीठपर कैसे प्रभावशाली लोग हैं और यह कि अनुदार, उदार, आँग्ल-भारतीय और मुसलमान सबकी राय ठोस रूपसे हमारे पक्षमें है।

आपका तार मुझे मिला। उसे मैंने 'इंडिया' के स्तम्भोंके लिए भेज दिया है। तारसे जो मैंने समझा वह उसमें सही-सही प्रतिविम्बित है, ऐसी आशा करता हूँ। वह बहुत साफ नहीं था। तार जैसा मुझे मिला उसकी प्रतिलिपि भेजता हूँ। आप खुद समझ जायेंगे कि वह ठीक नकल है या नहीं। मुझे लगता है, ठीक नहीं है। आवश्यक विराम-चिह्न देने चाहिए थे।

शिष्टमण्डलकी तारीख जैसे ही तय होगी, मैं आपको तार दूँगा। उसमें श्री अब्दुल गनीके बारेमें भी कुछ शब्द होंगे। लेकिन फिर भी इतना कह सकता हूँ कि श्री मरेने जैसे वक्तव्यका आरोप मुझपर किया है वैसा कोई वक्तव्य मैंने नहीं दिया। मैंने उनसे नहीं कहा कि दूसरा बॉड बैंकमें रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत मैंने यह कहा कि हमें दूसरे बॉडका उपयोग कर्ज काढ़नेके लिए करना चाहिए। सारी बातचीत फोनपर हुई थी। इसलिए आप श्री अब्दुल गनीको आश्वस्त कर सकते हैं कि मैंने ऐसी कोई बाँधनेवाली बात नहीं कही।

अब मैं अपने पत्रके सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भागपर आता हूँ। मेरा खयाल है कि यहाँ पूरी तरहसे दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके मामलेमें ही दत्तचित्त एक शक्तिशाली समिति बना सकना नितान्त सम्भव है। सर मंचरजीको बहुत उत्साह है। सर विलियमने सुझावको मंजूर किया है। इस तरह रास्ता बन गया है। रिचके हाथ मुक्त रहेंगे। शिष्ट-मण्डल सफल हो या न हो, उसका काम जारी रहना चाहिए; और इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि जैसे ही उत्तरदायी सरकारकी स्थापना हुई, हमारे लिए कानून बनेगा। तब हम शिष्टमण्डलकी जरूरतको टाल सकेंगे। यदि हमारी कार्यकारिणी समिति प्रभावकारी हो तो शिष्टमण्डलकी आवश्यकता यों भी नहीं रहेगी। हम उसके जरिए एक अस्थायी शिष्टमण्डलकी अपेक्षा अधिक काम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि, सम्भवतः शिष्टमण्डलपर होनेवाले व्ययके दशांशसे भी कममें कर सकेंगे। किन्तु उसके लिए यदि योग्य व्यक्तिकी आवश्यकता है, तो निधिकी भी आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ हम ज्यादासे-ज्यादा या सम्भवतः कमसे-कम — मेरे सामने अभीतक सारे आँकड़े नहीं हैं — प्रतिमास २५ पौंड खर्च करना चाहेंगे। समिति शायद दो वर्ष रहे। कुछ भी हो, हम एक वर्षके खर्च, अर्थात्, ३०० पौंडका पक्का प्रबन्ध करेंगे। एक सालसे कमके पट्टेपर हम सस्ते किरायेपर कार्यालय नहीं पा सकेंगे। हमें कुछ रिचको देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आजकी आर्थिक अवस्थामें उनसे अवैतनिक कार्य करनेकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। उनके दक्षिण आफ्रिका लौटनेपर, यदि राजी हों तो, मेरा इरादा यह जगह आपके पिताजीको देनेका है। आज दोपहरको भोजनके समय मैं उनसे इसपर चर्चा करनेवाला हूँ। इसलिए कृपया ब्रिटिश भारतीय समितिकी[1] एक बैठक बुलाकर सारी परि-स्थिति उसके सामने रखें। यदि वे स्वीकार करें तो मुझे "हाँ" तार कर दें। इसी बीच आपको धन तैयार रखना चाहिए। जबतक पैसा हाथमें न आ जाये अथवा आपको उसे पानेके बारेमें पूरा इतमीनान न हो, मुझे "हाँ" का तार न भेजें। श्री अली इस विचारसे पूरी तरह सहमत हैं; शायद वे लिखेंगे।

१. ब्रिटिश भारतीय संघकी समिति।

पिछला इतवार मैंने आपके कुटुम्बीजनोंके साथ गुजारा। आपने मुझे हर बातके लिए तैयार कर रखा था, इसलिए मुझे किसी बातसे आश्चर्य नहीं हुआ; नहीं तो आपकी बहनों और तेजस्वी पिताजीसे मिलकर बहुत ही सुखद आश्चर्य होता। सचमुच दोनों बहनें बड़ी प्यारी हैं और यदि मैं अविवाहित होता, या तरुण होता या मिश्रित विवाहमें मेरी आस्था होती तो आप जानते हैं, मैं क्या करता। बहरहाल मैंने उनसे यह कहा कि अगर मैं उनसे १८८८ में मिला होता (न मिलनेकी बातपर उन्होंने मुझे बहुत आड़े हाथों लिया) तो मैं उन्हें अपनी बेटियाँ बना लेता। इस प्रस्तावका आपके पिताजीने प्रबल विरोध किया। आपकी माताजीने बड़ा आतिथ्य किया। प्रोफेसर परमानन्द[1] मेरे साथ थे। उन्होंने अपनेको कुटुम्बमें घुला-मिला लिया है। आपकी माताजी भयंकर मन्दाग्निसे पीड़ित हैं। मैंने धीरेसे यहूदी ढंगके लम्बे उपवासका प्रस्ताव किया। मुझे भय है कि प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा, फिर भी उसका असर तो हुआ ही है। मैंने मिट्टीकी पट्टीका दावा भी पेश किया। जाते-जाते तक कदाचित् मैं कुछ प्रभाव डाल सकूँ। कुछ भी हो, उन्होंने कहा कि वे सही बात माननेको तैयार हैं। मैं यह बता दूँ कि शोरबा सारा आपके पिताजीने बनाया था। उन्होंने मुझे बताया कि उसका माल-मसाला आदि सोचनेमें उन्हें पर्याप्त समय लगा। मैं मिलीकी[2] बहनसे मिलने नहीं जा पाया हूँ। देखता हूँ, जितने कामका सौदा किया था उससे ज्यादा काम मेरे पास है और मित्रोंसे जाकर मिलनेके लिए क्षण-भरका अवकाश नहीं है। तो भी मैंने उसे लिखा है कि वह मुझे किसी शाम मिल सकनेका समय दे। आज किसी समय जवाब आना चाहिए। मैं उससे मिले बिना रवाना नहीं होऊँगा।

आपको यह जानकर ताज्जुब नहीं होगा कि मैं यह पत्र हमारे मित्र श्री सीमंड्सको बोलकर लिखा रहा हूँ।

चूँकि श्री अली चाहते थे, मैंने हम लोगोंकी पहुँचका तार[3] कर दिया था। उन्होंने श्रीमती अलीसे ऐसा वादा किया था।

ऊपरका अंश टाइप होनेके बाद मैं आपके पिताजीसे मिला हूँ। वे सोचते हैं, ३०० पौंड प्रति वर्ष काफी नहीं होगा। बेशक उनकी कल्पना स्वभावतः ऊँची है। फिर भी चूँकि उनको स्थानीय जानकारी और अनुभव है, वह हर प्रकार विचारणीय है। इसलिए यदि आप ५०० पौंडका प्रस्ताव पास करा सकें तो ज्यादा अच्छा हो। खर्च तो वही करना चाहिए जो नितान्त आवश्यक है; फिर भी यदि अधिक व्यय करनेका अधिकार दे दिया जाये तो मैं जानता हूँ, पैसा नाहक खर्च नहीं किया जायेगा। मैं श्री स्कॉटसे मिल चुका हूँ और आप जानकर खुश होंगे कि श्री जे० एम० रॉबर्ट्सनसे भी। आपके पिताजी श्री स्कॉटके मित्र हैं। वे मुझे उनके पास ले गये थे। और जब श्री रॉबर्ट्सन लोकसभामें प्रवेश कर रहे थे, तब श्री स्कॉटने उनसे हमारा परिचय कराया। दोनों सज्जन सवालमें दिलचस्पी ले रहे हैं। श्री स्कॉटने सुझाया कि मैं लोकसभामें कुछ सदस्योंके सामने बोलूँ।[4] श्री स्कॉट और श्री रॉबर्ट्सन उसका इन्तजाम कर देंगे। श्री मैकारनिसने भी इसी तरहका सुझाव

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २३।
२. श्रीमती मिली ग्राहम पोलक।
३. यह उपलब्ध नहीं है।
४. सभा ७ नवम्बरको हुई थी; देखिए "लोकसभा-भवनकी बैठक", पृष्ठ १११-१२।

दिया है। देखें, क्या होता है। आजतककी बातें कह चुका। अब अधिक कहनेकी जरूरत नहीं है। जो कतरनें भेज रहा हूँ उन्हें सावधानीसे देख जाइये। वे पठनीय हैं। सबको मेरा स्नेह समादर। अलगसे किसी औरको लिखनेका समय नहीं है। अभी ही, जब कि पत्रका यह भाग लिखाया जा रहा है, आठ बजनेमें पाँच मिनट रह गये हैं। आपके आत्मीयोंसे फिर इतवारको मुलाकात होगी।

कृपया यह पत्र श्री वेस्टको भेज दें, ताकि जो मैंने इस पत्रमें कहा है, मुझे उनके पत्रमें दुहराना न पड़े। मैं नहीं समझता, जिन व्यक्तिगत बातोंका मैंने पत्रमें उल्लेख किया है उनके कारण उन्हें पत्र देनेमें कोई बाधा हो सकती है। 'टाइम्स'को हमने जो पत्र[1] लिखा है उसकी पूरी प्रतिलिपि आपको नहीं भेज रहा हूँ। क्योंकि आप उसे 'इंडिया'में उद्धृत देख लेंगे। 'इंडिया' की इस सप्ताहकी प्रतिमें आप श्री नौरोजीके कांग्रेसके अध्यक्ष चुने जानेके बारेमें कुछ देखेंगे। आपको अखबारमें उसकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं है। कारण समझानेका समय नहीं है। यदि जरूरत होती तो यहांसे उसपर लिख भेजता। 'उमफली' जहाजपर भारतीय गिरमिटिया मजदूरोंके प्रति होनेवाले व्यवहारके बारेमें आप 'इंडिया'से दो टिप्पणियाँ उद्धृत कर सकते हैं। उनपर सम्पादकीय विचार व्यक्त न करें।

आपका शुभचिन्तक,

[श्री हेनरी एस० एल० पोलक
बॉक्स ६५२२
जोहानिसबर्ग
दक्षिण आफ्रिका]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४०६) से।

१९. पत्र: ए० एच० वेस्टको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर २६, १९०६

प्रिय श्री वेस्ट,

पिछले शनिवारके बादसे मुझे साँस लेनेका समय नहीं मिला है और एक रातके सिवा एक बजेके पहले बिस्तरपर नहीं जा पाया हूँ। मैंने पोलकको एक बहुत लम्बा पत्र[2] लिखा है और कहा है कि वह आपके देखनेके लिए भेज दें। कृपया आप स्वयं उसे पढ़ लें और छगनलालको दिखा दें। उससे मेरी गतिविधिके बारेमें आप विस्तारसे जान जायेंगे। यह पत्र ८-३० बजे रातको टाइप किया जा रहा है, अतएव, आप मुझे लम्बा पत्र न दे सकनेके लिए क्षमा करेंगे। मुझे दिखता है कि यहाँ मैं अपने मुकामके अन्ततक व्यस्त रहूँगा। ऐसी हालतमें पूरे एक दिनके लिए लन्दनसे गैरहाजिर होना कठिन है। इसलिए मैंने कुमारी पायवेलसे[3] लन्दनमें समय तय करके मिलनेको कहा है और, अगर आप देने दें तो, खर्च

१. देखिए "पत्र: 'टाइम्स' को", पृष्ठ ४-६।
२. देखिए पिछला शीर्षक।
३. एडा पायवेल, बादमें श्रीमती वेस्ट।

देनेका भी प्रस्ताव किया है। बस, अब उनके आनेकी ही प्रतीक्षा है। श्री मुकर्जीसे मैंने उनके लेखोंके बारेमें बातचीत की है।

आपका शुभचिन्तक,

श्री ए० एच० वेस्ट
'इंडियन ओपिनियन'
फीनिक्स
नेटाल

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४०१) से।

२०. पत्र: छगनलाल गांधीको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर २६, १९०६

चि० छगनलाल,

मुझे एक क्षणका अवकाश नहीं है। रातके ८-३० बज गये हैं और गुजराती संवादपत्रको छुआ नहीं है। बने तो मैं एक अग्रलेख[1] और 'आर्मडेल'से जो भेजा था उसके आगेका संवाद-पत्र[2] तुम्हें भेजना चाहता हूँ। जितना बन सकेगा उतना लिखूँगा; शेष तुम श्री पोलकके नाम मेरे लम्बे पत्रसे[3] जान लेना। मैंने लिख दिया है कि वह पत्र वहाँ भेज दिया जाये। श्री वेस्ट अपनी बहनको वहाँ ला रहे हैं। मेरा खयाल है, यह बुद्धिमानीका काम है। वे सीधी और तत्पर महिला लगीं। हमें वहाँ कुछ अंग्रेज महिलाओंकी आवश्यकता है ही। उनका अच्छेसे-अच्छा उपयोग करना। तुम्हारी पत्नी और अन्य महिलाएँ उनसे खुलकर मिलें-जुलें और उन्हें ऐसा अनुभव हो कि हममें और उनमें अन्तर नहीं है। उन्हें, जितना बने, आराम देना। महिलाएँ, उनसे जो सीखा जा सकता है, वह सब सीखें और उन्हें जो सिखा सकती हों, सिखायें। परस्पर सीखनेके लिए दोनों पक्षोंके पास खासी अच्छी बातें हैं। मैं आशा करता हूँ कि सब स्त्रियाँ छापाखानेमें जाती हैं — विशेषत: शनिवारको। इस दिशामें सच्चा प्रयत्न किया जाना चाहिए। आनेके पहले मैं लन्दनके संवादपत्रको अच्छी तरह जमा देना चाहता हूँ।

तुम्हारा शुभचिन्तक,

श्री छगनलाल खुशालचन्द गांधी
'इंडियन ओपिनियन'
फीनिक्स
नेटाल

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४०२) से।

१. देखिए "कथनीसे करनी भली", पृष्ठ ३१-३२।

२. मूलमें यहाँ शायद भूलसे ऐसा शब्द टाइप हो गया है जिसका अर्थ होता है "पत्र-व्यवहार"। यहाँ "शिष्टमण्डलकी यात्रा—४" का उल्लेख है। देखिए, पृष्ठ २९-३०।

३. देखिए "पत्र: हेनरी एस० एल० पोलकको", पृष्ठ १९-२२।

२१. पत्र : सर हेनरी कॉटनको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर २६, १९०६

प्रिय महोदय,

मैं सेवामें यह समाचार निवेदन करना चाहता हूँ कि जो शिष्टमण्डल दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय शिष्टमण्डलका परिचय देनेवाला है उसका नेतृत्व करनेसे सर लेपेल ग्रिफिनने इनकार कर दिया है। मैं आज सवेरे यह समाचार लेकर सर विलियम और श्री नौरोजीसे मिला था। जब सर लेपेलसे मुझे नकारात्मक उत्तर मिला, मैंने सारी स्थानीय परिस्थितियोंसे अनभिज्ञ होनेके कारण यह सोचकर, कि सर जॉर्ज बर्डवुड निष्पक्ष होनेके नाते दूसरे सबसे अच्छे व्यक्ति है, उन्हें तार[1] किया कि क्या वे शिष्टमण्डलमें शामिल होकर उसके प्रवक्ता बन सकेंगे। उन्होंने तारसे उत्तर दिया कि यदि सर मंचरजी ठीक समझें तो वे तैयार हैं। सर विलियमका खयाल है कि सर जॉर्ज बर्डवुडसे प्रवक्ता बननेका प्रस्ताव करके मैंने जल्दबाजी की है, क्योंकि शिष्टमण्डलके अन्य सदस्योंको यह कदाचित् स्वीकार न होगा। मुझे अपनी भूलका अन्दाज बहुत देरीसे हुआ। सर विलियम और श्री नौरोजीका खयाल है कि सर मंचरजीसे, जो समान रूपसे और उत्साहके साथ दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके विषयमें कार्यरत रहे हैं, प्रवक्ता बननेके लिए कहा जाना चाहिए; किन्तु उन्होंने सलाह दी कि इस सम्बन्धमें आगे कार्रवाई करनेके पहले मैं आपकी अनुमति ले लूँ। इसलिए मैं आपसे मिलने लोकसभामें गया, किन्तु वहाँ एक सिपाहीने बताया कि आप सभामें नहीं हैं। मैं अब आपको लिख रहा हूँ और अनुरोध करता हूँ कि कृपया तारसे खबर दें कि सर मंचरजी प्रवक्ता हों, यह प्रस्ताव आपको स्वीकार है या नहीं।

आपका विश्वस्त,

सर हेनरी कॉटन, संसद-सदस्य
४५, सेंट जॉन्स वुड पार्क, एन० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४०३) से।

१. देखिए "तार : सर जॉर्ज बर्डवुडको", पृष्ठ ११।

२२. पत्र: डॉक्टर जोसिया ओल्डफील्डको

होटल सेसिल
[लन्दन]
अक्तूबर २६, १९०६

प्रिय ओल्डफील्ड,

सुना, श्री अलीकी तबीयत पिछली रात फिर बिगड़ गई थी। मैं आपसे केवल यह कहनेके लिए लिख रहा हूँ कि आप श्री अलीको कृपया रोज देख लिया करें। खर्चकी कोई बात नहीं है; इसलिए उन्हें रोज देखनेमें उसकी बाधा न मानें। आपकी उपस्थिति-मात्र प्रेरणा और उत्साह देनेवाली होगी। मेरी बड़ी इच्छा है कि वे, सिर्फ दिनको ही सही, लोगोंसे मिल सकें और काम कर सकें। उनका इतना करना जरूरी है।

रातको वहाँ मैंने जो भोजन किया था, बड़ा सुस्वाद था। आशा है, मैं दिनके समय आकर अस्पताल और आपका सारा प्रबन्ध देख सकूँगा। मैं अपनी तकलीफोंके बारेमें भी लिखना[1] चाहता हूँ। मगर आज रातको बहुत देरी हो चुकी है।

आपका शुभचिन्तक,

डॉ० जोसिया ओल्डफील्ड[2]
लेडी मार्गरेट अस्पताल
ब्रॉमले
केंट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४०४) से।

२३. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको

होटल सेसिल
[लन्दन]
अक्तूबर २६, १९०६

प्रिय रिच,

मालूम हुआ, आज जब मैं होटलमें था, आप आये थे। मैंने हजूरियेसे आपको ऊपर ले आनेको कहा, किन्तु जान पड़ता है, आप सिर्फ अपना कार्ड छोड़ने आये थे, क्योंकि आप उसे नहीं मिले। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आप जॉर्ज गॉडफ्रेसे मिले थे और उनसे यह मालूम होनेपर कि वे दफ्तरके लिए जगह खोज रहे हैं, आप नहीं गये। मैं तो यह चाहता था

१. देखिए "पत्र: डॉक्टर जोसिया ओल्डफील्डको", पृष्ठ ३५।
२. वेजिटेरियनके सम्पादक तथा शाकाहारी क्लबके अध्यक्ष; अपने विद्यार्थी जीवनमें गांधीजीकी इंग्लैंडमें उनसे प्रथम भेंट हुई।

कि आप स्वतन्त्र रूपसे पूछ-ताछ करें। हम, जितने सस्तेमें काम चले, चलाना चाहते हैं। वहरहाल आपको जब अवकाश मिले, कृपया घूम कर देखें। आखिरकार मुझे लगता है कि मैं कल दीक्षा-संस्कारमें उपस्थित नहीं रह सकूँगा। अगर बना तो अवश्य आऊँगा, किन्तु मुझे सर जॉर्ज वर्डवुडका पत्र मिला है जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या सर मंचरजी कल तीसरे पहर उनसे उनके घर जाकर मिल सकते हैं। बहुत मुमकिन है, सर मंचरजीसे निवृत्त होनेके बाद आ सकूँ। अगर बना तो आऊँगा। फिर भी आपको मेरे लिए रुकनेकी जरूरत नहीं है। अगर आ गया तो आपके यहाँ कुछ खाऊँगा; यदि आया ही तो ७ या ८ बजेके पहले आना सम्भव नहीं है। ८ के बाद मेरी बिलकुल अपेक्षा न कीजिए। यदि सर मंचरजी तारसे सवेरेका समय तय नहीं करते हैं तो निश्चय ही आपके यहाँ आ जाऊँगा। मैं कल कमसे-कम १०-३० तक होटलमें रहूँगा, क्योंकि रायटरके संवाददाताको[1] मैंने तबतकका समय दिया है।

आपका शुभचिन्तक,

श्री एल० डब्ल्यू० रिच
४१, स्प्रिंगफील्ड रोड,
सेंट जॉन्स वुड, एन०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४०५) से।

२४. पत्र : प्रोफेसर परमानन्दको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर २६, १९०६

प्रिय प्रोफेसर परमानन्द,

जब रत्लम्[2] मेरा सामान लेकर यहाँ आये थे तब मेरी उनसे बात हुई थी। तभीसे अवकाशके क्षणोंमें मैं उनके बारेमें सोचता रहा हूँ। दक्षिण आफ्रिकाका हर व्यक्ति मेरी निगाहमें एक निधि है और योग्य पोषणसे अधिक बड़ी निधि बनाये जाने योग्य है। मेरा खयाल है कि भौतिक दृष्टिकोणसे भी रत्नमका जीवन बहुत व्यर्थ जा रहा है। चूँकि उनका प्रारम्भिक शिक्षण बहुत कच्चा हुआ है, उन्हें अपने धन्धेमें संघर्ष करना कठिन गुजरेगा — विशेषतः दक्षिण आफ्रिकामें, जहाँ उन्हें बहुत-से पूर्वग्रहोंका मुकाबिला करना पड़ेगा। शिक्षण पूरा कर लेनेके बाद उनकी जो योग्यता होगी मैं उससे कम योग्यताके किसी वकीलको दक्षिण आफ्रिकामें नहीं जानता।

उनकी अंग्रेजी कदाचित् काफी ठीक हो जाये; किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। मेरी रायमें गणितका अच्छा आधार आवश्यक है। दक्षिण आफ्रिकी वकीलमण्डलके अध्यक्षका विचार है कि वकालतमें सफलताके लिए फ्रेंच, लैटिन और डच (खासकर लैटिनका) ज्ञान लगभग

१. जी० जे० ऐडम; देखिए "रायटरको भेंट", पृष्ठ ३३।
२. रत्लम् पत्तर, जो वकालत पढ़ रहे थे।

अनिवार्य है। कुछ वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी जरूरी है। नहीं तो जब उनके प्रतिपक्षी या अदालत वैज्ञानिक शब्दोंका उपयोग करेगी, रलम् अपने आपको बहुत पीछे पायेंगे। यदि वे अपने कानूनके ज्ञानको अपने देशके कल्याणके लिए समर्पित करनेवाले हैं और उसे आर्थिक लाभके लिए काममें नहीं लाना चाहते तो भी उन्हें जीविकोपार्जनके लिए कोई विशिष्ट हुनर सीखना ही है। अभी उनकी अवस्था यह सब करने योग्य है। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें अनुशासन — सख्त अनुशासन तकका पालन करना चाहिए। इसलिए मैंने उन्हें सुझाया है कि वे यहाँकी किसी शालामें जाना शुरू कर दें और बाकायदा मैट्रिक्युलेशनका पाठ्यक्रम पूरा करें, भले ही उत्तीर्ण होना उनके काबूकी बात न हो। शालामें प्राप्त इसी आधारसे उन्हें लाभ पहुँचेगा। मुझे लगा कि आप उनकी देख-रेख करते हैं इसलिए मैंने जो-कुछ उनसे कहा है, वह आपसे भी कहूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि वे आपसे सलाह करके मुझे सूचित करेंगे।

आपका शुभचिन्तक,

प्रोफेसर परमानन्द
६५, क्रॉमवेल ऐवेन्यू
हाइगेट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४०७) से।

२५. पत्र: हाजी वजीर अलीको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर २६, १९०६

प्रिय श्री अली,

मुझे अभी टेलीफोनसे मालूम हुआ कि आपने रात बड़े कष्टमें गुजारी। मुझे बहुत ही अफसोस है और मैं विस्मित हूँ कि इसका क्या सबब हो सकता है। मैं इतना अन्धविश्वासी हूँ कि सिगारको ही इसका कारण बताऊँगा। सच पूछिये तो जब हम लोग घूम रहे थे, मैंने जॉर्जसे[1] कहा था कि सुधार तो सन्निकट है, किन्तु सिगारके एक कशसे भी वह रुक जायेगा। निकोटिनके बारेमें मेरा विश्वास ऐसा ही जोरदार है। मैंने उसके कारण बहुत कष्ट होते देखा है। फिर भी हो सकता है, मैं गलतीपर होऊँ। अगर ऐसा हो तो मेहरबानी करके मुझे माफ फरमायें। आपको खुश और खुर्रम देखना ही मेरा मंशा है। पिछली रात आपको उतने उल्लाससे बातें करते हुए देखकर मुझे आनन्द हुआ था, इसलिए नर्ससे यह जानकर कि आपकी रात कष्टमें गुजरी, मुझे बहुत दुःख हुआ।

जॉर्ज जैसे ही आयेगा, उसे भेजूँगा। मैंने नर्सको आपके लिए एक सन्देशा दिया है जिसका जवाब शायद बादमें मिलेगा; किन्तु उसे लिखे भी देता हूँ। उसका जिक्र वहाँ भी कर सकता था, लेकिन ध्यान नहीं रहा।

१. जॉर्ज गॉडफ्रे।

सर मंचरजी और सर विलियम वेडरबर्नसे मैं दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए एक स्थायी समितिकी स्थापनाकी उपयोगिताके बारेमें चर्चा करता रहा हूँ। शायद आपको याद हो, बहुत पहले आपने यह सुझाव दिया था। अगर एक या दो बरसोंके लिए अलग-अलग विचारोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले लोगोंकी ऐसी एक स्थायी समिति स्थापित की जा सके तो हमारा काम उपयोगी ढंगसे चलता रह सकेगा। इसलिए ऐसी समितिको स्थापनाके बारेमें मैं बहुत उत्सुक हूँ। तब शायद हम दूसरा शिष्टमण्डल भी ला सकें।

मैंने श्री पोलकको इसके विषयमें लिखा है[1] और हाँ या ना में जवाब देनेको कहा है।

मेहरबानी करके इस मामलेमें अपनी राय बतायें। अगर आप मुझसे सहमत हों तो आज शामको लिखकर मेरी रायकी पुष्टि कर देनेकी कृपा करें।

आपका शुभचिन्तक,

श्री हाजी वजीर अली
लेडी मार्गरेट अस्पताल
ब्रॉमले

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४०८) से।

२६. पत्र: युक लिन ल्यूको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर २६, १९०६

प्रिय श्री ल्यू,

आपने चीनी समाजकी ओरसे चीनी राजदूत (या मन्त्री?) के नाम लिखा गया एक प्रार्थनापत्र[2] मेरे पास भेजनेका वादा किया था कि मैं, आप जो पत्र मुझसे लिखाना चाहते हैं, उसका मसविदा तैयार कर सकूँ।

चीनी प्रार्थनापत्रके मिलते ही मैं निवेदनका मसविदा लिखनेके लिए बिलकुल तैयार हूँ; यह तो आप मानेंगे कि कुछ नहीं तो तारीख और विवरणके लिए मुझे उसका मिलना जरूरी है।

आपका सच्चा,

श्री युक लिन ल्यू
चीनी दूतावास
पोर्टलैंड प्लेस, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४०९) से।

१. देखिए "पत्र: हेनरी एस० एल० पोलकको", पृष्ठ १९-२२।
२. इसका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था पर उपलब्ध नहीं है।

२७. शिष्टमण्डलकी यात्रा – ४

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर २६, १९०६

हम मदीरा पहुँचनेवाले थे, तबतकका विवरण दिया जा चुका है।

मदीरा

हम १६ अक्तूबर, मंगलवारको सवेरे मदीरा पहुँचे। मदीरा बन्दरपर आम तौरसे सभी यात्री चहलकदमीके लिए चले जाते हैं। वैसे ही हम भी गये। टापू बहुत ही सुहावना है। वह एक ऊँची टेकड़ीपर बसा हुआ है। आबादी सीढ़ी-दर-सीढ़ी करीब २,५०० फुटकी ऊँचाई तक गई है। सारा टापू हरा-भरा है और ऐसी जगह शायद ही कहीं दिखाई देती है जहाँ कुछ-न-कुछ बोया हुआ न हो। टापू-भरमें पक्की सड़कें हैं। उनपर पहियेवाली गाड़ियाँ नहीं चलाई जातीं। फिसलनेवाली गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। उतारपर ये गाड़ियाँ बड़ी तेजीसे नीचे जाती हैं, फिर भी कोई जोखिम नहीं रहती। वे इतनी हलकी होती हैं कि उन्हें एक व्यक्ति सिरपर उठा सकता है। यह टापू पुर्तगीज लोगोंके अधिकारमें है। और वहाँ केवल पुर्तगीज लोगोंकी आबादी दिखाई देती है। किसी भारतीयका चेहरा नहीं दिखाई दिया। टापूका दृश्य बहुत ही सुन्दर और मनोरम है।

लन्दन पहुँचे

हम २० तारीखको सवेरे साउथैम्प्टन बन्दरपर पहुँचे। वहाँ श्री वेस्ट और उनकी बहनसे मुलाकात हुई। वहाँसे रेलगाड़ीमें यात्रा करनी होती है। 'ट्रिब्यून' नामक प्रसिद्ध पत्रका संवाददाता हमसे मिलने जहाजपर आया था। उसे हमने सारी हकीकत कह सुनाई। उसने अपने अखबारमें सोमवारको सारा हाल प्रकाशित किया। वहाँसे गाड़ी दोपहरके १२–३० बजे वॉटरलू पहुँची। उस समय श्री रिच, श्री गॉडफ्रे, श्री जोजेफ रायप्पन तथा श्री हेनरी पोलकके पिता 'मॉर्निंग लीडर' के संवाददाताको लेकर आये थे। उन्हें सारा हाल सुनाया गया। 'मॉर्निंग लीडर' ने सोमवारको सवेरे जो विवरण प्रकाशित किया,[1] वह 'ट्रिब्यून' से ज्यादा अच्छा था।[2] इस प्रकार हमारे विलायत पहुँचनेके पहले ही हमारा काम शुरू हो गया। श्री रिचने हमें इंडिया हाउसमें ठहरानेकी व्यवस्था की थी। इसलिए हम वहाँ गये। इंडिया हाउसके विवरणके लिए इस सप्ताह जगह नहीं है, इसलिए अगले सप्ताह देनेकी बात सोच रहा हूँ।[3] वहाँ भोजन करके हम तुरन्त लन्दन भारतीय समितिकी बैठकमें शामिल होनेके लिए गये जहाँ श्री दादाभाई नौरोजीके दर्शनका लाभ मिला। उन्होंने हमारा स्वागत किया और फिर सोम-

१. देखिए "भेंट : 'मॉर्निंग लीडर' को", पृष्ठ २-४।
२. देखिए "भेंट : 'ट्रिब्यून' को", पृष्ठ १-२।
३. देखिए "शिष्टमण्डलकी यात्रा — ५", पृष्ठ ८९-९२।

वारको मिलना तय हुआ। रविवारका दिन भारतीय युवकों और श्री पोलकसे मिलनेमें गया। रातको पण्डित श्यामजी कृष्णवर्मासे मिले। उनसे रातके एक बजे तक बातचीत हुई।[1]

सोमवारसे शुक्रवार

यहाँ एक सभा करने लायक[2] भी फुरसत नहीं रहती। इस पत्रके लिखते समय रातके ग्यारह बज रहे हैं। सर मंचरजी, सर विलियम वेडरबर्न, सर हेनरी कॉटन, श्री कॉटन[3], श्री हॉल, श्री रॉबर्ट्सन, श्री अराथून[4], श्री स्कॉट आदि सज्जनोंसे मुलाकात हुई है। इरादा यह है कि यहाँके विभिन्न पक्षोंके लोग हमारे साथ चलकर लॉर्ड एलगिनसे हमारी मुलाकात करायें और उनसे बातचीत करके हमें अपना पूरा सहारा दें। इसमें श्री दादाभाई नौरोजी, सर मंचरजी भावनगरी, श्री हैरॉल्ड कॉक्स, न्यायमूर्ति श्री अमीर अली, सर जॉर्ज बर्डवुड शामिल हैं। बहुत करके अगले सप्ताह मुलाकात होना सम्भव है। हम अपने पहुँचनेकी सूचना लॉर्ड एलगिनके पास भेज चुके हैं और उनका उत्तर भी आ गया है।

'टाइम्स' का संवाददाता

'टाइम्स' के संवाददाताने, मानों साठ-गाँठसे ठीक सोमवारको 'टाइम्स' को तार दिया है कि ट्रान्सवालमें बहुतसे भारतीयोंने प्रवेश किया है। ये लोग यदि इसी तरह प्रवेश करते रहेंगे तो गोरोंको बोरिया-बिस्तर बाँधना पड़ेगा। नये कानूनसे इन लोगोंको जमीन वगैरहके हक मिलते हैं, इसलिए आशा है कि लॉर्ड एलगिन कानूनको मंजूर कर लेंगे। यदि उन्होंने मंजूरी नहीं दी तो गोरोंको बहुत बुरा लगेगा। संवाददाताने यह भी आशा की है कि उस कानूनके सम्बन्धमें सर रिचर्ड सॉलोमन गोरोंके पक्षका समर्थन करेंगे। आगे वह लिखता है कि शिष्ट-मण्डलमें श्री गांधी नामक एक होशियार वकील हैं। ट्रान्सवालमें भारतीयोंको प्रवेश दिलानेवाले वही हैं और उन्होंने इससे पैसा इकट्ठा किया है। इस प्रकार वहाँसे आँखोंमें धूल झोंकनेवाला इस तरहका तार भेजा गया है। इसका उत्तर[5] हमने उसी दिन 'टाइम्स' में दे दिया था। उसके आवश्यक अंश 'टाइम्स' ने गुरुवारके अंकमें दिये हैं और शुक्रवारके 'इंडिया' में पूरा पत्र प्रकाशित हुआ है। उत्तरमें हमने यह बताया है कि यदि कुछ भारतीय सर्वथा अनुमतिपत्रके बिना आये हों तो उनकी संख्या कम है। उन्हें निकाल बाहर करनेकी सत्ता वर्तमान सरकारके पास है। नया कानून अत्याचारपूर्ण है। कोई भारतीय यह नहीं चाहता कि सारा भारत दक्षिण आफ्रिकामें आ बसे। कोई यह भी नहीं चाहता कि गोरोंका सारा व्यापार छिन जाये। अपने इस इरादेकी सचाई बतलानेके लिए हम केप या नेटालके कानूनके समान कानून मंजूर करनेको तैयार हैं। लेकिन भारतीयोंको जमीन वगैरहके हक मिलने ही चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १–१२–१९०६

१. गांधीजीने उनसे अनेक बार चर्चा की। देखिए "शिष्टमण्डलकी यात्रा — ५" पृष्ठ ८९-९२।

२. मूलमें : "एक मीटिंग जेटली फुरसद"।

३. एच० ई० ए० कॉटन, इंडियाके सम्पादक।

४. एशिया क्वार्टरली रिव्यूके सम्पादक और पूर्व भारत संघके अवैतनिक मंत्री। अन्यत्र ए० डब्ल्यू० अराथून, सी० डब्ल्यू० अराथून, डब्ल्यू० एच० अराथून और डब्ल्यू० अराथूनके नाम पत्र भेजे गये हैं या उनका उल्लेख किया गया है। ये सम्भवतः एक ही व्यक्तिके नाम हैं।

५. देखिए "पत्र : 'टाइम्स' को", पृष्ठ ४-६।

२८. कथनीसे करनी भली[1]

[अक्तूबर २६, १९०६]

लन्दनके अखबारोंमें इस समय दो बातोंकी बड़ी चर्चा हो रही है। एक यह है कि साबुनवालोंने अमेरिकाके समान एका करके साबुनकी कीमत बढ़ानेका निर्णय किया है। यह बात व्यापारियों तथा लोगोंको अच्छी नहीं लगी। किन्तु उसके लिए उन्होंने न सरकारसे मदद माँगी, न साबुनवालोंसे विनती की; बल्कि काम शुरू कर दिया। उन्होंने साबुनवालोंको सूचना दी कि हमें चाहे जितना नुकसान हो, हम आपका साबुन नहीं लेंगे। नतीजा यह हुआ है कि सनलाइट साबुनवाले लीवर ब्रदर्स, जो एक रतल साबुनमें केवल १५ औंस वजन देते रहे हैं, अब १६ औंस देंगे। मतलब यह है कि कथनीसे करनी भली होती है। व्यापारियोंके शोर मचानेके बजाय प्रत्यक्ष कामने बहुत ही बल दिया है।

दूसरा उदाहरण इससे महत्त्वपूर्ण है। इस समय विलायतमें औरतें मताधिकार माँग रही हैं और सरकार उन्हें वे अधिकार नहीं देती। अतः, वे लोकसभामें जाकर सदस्योंको परेशान करती हैं। उन्होंने अर्जियाँ लिखीं, पत्र लिखे, भाषण दिये, लेकिन उससे उनका काम नहीं बना। अतएव अब उन्होंने दूसरे उपाय अपनाये हैं। लोकसभा बुधवारको शुरू हुई। इन बहादुर औरतोंने वहाँ जाकर अपने अधिकार माँगना शुरू किया। कुछ उपद्रव भी किया। इसपर गुरुवारको उनपर मुकदमा चलाया गया। सभीपर पाँच-पाँच पौंड जुर्माना किया गया। किन्तु उन्होंने वह रकम देनेसे इनकार किया; इसपर मजिस्ट्रेटने सबको जेलकी सजा दी; और इस समय वे सब जेलमें हैं। अनेकोंको तीन-तीन महीनेकी सजा मिली है। ये सभी महिलाएँ ऊँचे तबकेकी हैं तथा कुछ तो बहुत पढ़ी-लिखी हैं। एक तो उन प्रसिद्ध स्वर्गीय श्री कोबडनकी लड़की है जिन्हें लोग पूजते हैं। वह अपनी बहनोंके लिए जेल भोग रही है। दूसरी महिला श्री लॉरेन्सकी पत्नी है। एक महिला एलएल० बी० हैं। उसकी गिरफ्तारीके दिन यहाँ बड़ी सभा हुई थी। उसमें इन बहादुर औरतोंके निर्णयको बल देनेके लिए ६५० पौंडका चन्दा इकट्ठा हुआ; और श्री लॉरेन्सने वचन दिया कि जबतक उनकी पत्नी जेलमें है तबतक वे रोजाना १० पौंड देते रहेंगे। कोई-कोई इन बहनोंको पागल कहते हैं। पुलिस बल-प्रयोग करती है। मजिस्ट्रेट कड़ी नजरसे देखता है। श्री कोबडनकी बहादुर लड़कीने कहा कि "जिस कानूनको बनानेमें मेरा हाथ नहीं है उसे मैं कदापि नहीं मानूँगी, न उस कानूनपर अमल करनेवाली कचहरीका ही हुक्म मानूँगी। मुझे जेल भेजोगे तो जेल भोगूँगी, किन्तु जुर्माना कभी नहीं दूँगी, न जमानत ही दूँगी। जो प्रजा ऐसी औरतोंको जन्म देती है और जिस प्रजाको ऐसी औरतें जन्म देती हैं, वह क्यों न राज्य करे? आज सारी विलायत उनपर हँस रही है। चन्द गोरे उनके पक्षमें हैं। किन्तु इससे बिना घबराये वे अपना काम दृढ़तासे किये जा रही हैं। उन्हें अधिकार प्राप्त होकर रहेंगे, विजय मिलेगी, क्योंकि "कथनीसे करनी भली"। उनपर हँसनेवाले भी आज दाँतों-तले अँगुली दबा रहे हैं। जब औरतें इतनी बहादुरी दिखा रही हैं तब इस संकटके समय ट्रान्सवालके भारतीय अपना कर्तव्य भूलकर

१. गांधीजीने श्री पोलकके नाम लिखे अपने पत्रमें यह लेख भेजनेका वादा किया था। देखिए पृष्ठ १९-२२।

जेलसे डरेंगे या जेलको महल बनाकर खुशी-खुशी वहाँ जायेंगे? ऐसा होनेपर भारतके बन्धन अपने आप टूट जायेंगे।

हमने अर्जियाँ दीं, भाषण दिये; और भी अर्जियाँ भेजेंगे, और भी भाषण देंगे। किन्तु हमारी विजय तभी होगी जब हममें ऐसा बल होगा। लोगोंको भाषण या पर्चेबाजी-पर बहुत विश्वास नहीं रहा, वह तो सब कर सकते हैं। उसमें कोई बहादुरी नहीं प्रकट होती। क्योंकि कथनीसे करनी भली होती है। इसके बिना सब झूठा है। उसका डर किसीको नहीं है। इसलिए सर्वस्व बलिदानका संकल्प करके निकल पड़ें। यही एक रास्ता है। इसमें जरा भी शक नहीं। अभी हमें बहुत-कुछ करना बाकी है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-११-१९०६

२९. लॉर्ड एलगिनके नाम लिखे पत्रका मसविदा[1]

१९६, क्रॉमवेल रोड
लन्दन, एस० डब्ल्यू०
अक्तूबर २७, १९०६

सेवामें
परममाननीय अर्ल ऑफ एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री
लन्दन

प्रिय लॉर्ड एलगिन,

सर जॉर्ज बर्डवुड, श्री नौरोजी, श्री हेनरी कॉटन और श्री अमीर अली तथा मेरे सहित अन्य कुछ लोगोंसे ट्रान्सवालसे आया हुआ भारतीय शिष्टमण्डल मिला है। चूँकि हममें से अधिकांश लोग दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोंसे सम्बद्ध प्रश्नसे बराबर दिलचस्पी लेते रहे हैं इसलिए भारतीय प्रतिनिधियोंने हमसे शिष्टमण्डलका नेतृत्व करनेको कहा है।

जिन लोगोंने शिष्टमण्डलमें भाग लेना स्वीकार कर लिया है उन्होंने मुझसे इसका प्रवक्ता बननेको कहा है; और चूँकि मैंने प्रश्नका अध्ययन अन्य लोगोंकी अपेक्षा, कदाचित्, अधिक विस्तारसे किया है इसलिए मैंने यह दायित्व स्वीकार कर लिया है।

अतएव, मैं समितिकी ओरसे अनुरोध करता हूँ कि आप समिति-सहित ट्रान्सवालसे आये हुए प्रतिनिधियोंसे मिलनेके लिए कोई समय निश्चित करनेकी कृपा करें।

आपका सच्चा,

बिना हस्ताक्षरकी टाइप की हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४१०) से।

१. पत्रका यह मसविदा गांधीजीके कागजातमें पाया गया। इसपर सर मंचरजी भावनगरीका पता दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि पत्र उनके हस्ताक्षरसे भेजा जानेको था। परन्तु पत्र भेजा नहीं गया क्योंकि सर लेपेल ग्रिफिनने अन्ततः शिष्टमण्डलका नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। "तार: सर मंचरजी मे० भावनगरीको", पृष्ठ ११ भी देखिए।

३०. रायटरको भेंट[1]

[अक्तूबर २७, १९०६][1]

रायटरके प्रतिनिधिसे बातचीत करते हुए श्री गांधीने कहा:

हम नये ट्रान्सवाल एशियाई अध्यादेशका विरोध करने आये हैं जो ब्रिटिश भारतीयोंके लिए अपमानजनक है; क्योंकि इससे उनमें से प्रत्येकको एक पास रखना पड़ेगा, जिसपर अँगूठोंके निशान और शिनाख्तके अन्य चिह्न अंकित रहेंगे। नये अध्यादेशका लक्ष्य ट्रान्सवालमें अनधिकृत भारतीयोंके प्रवेशको रोकना है। हम साम्राज्यीय सरकारको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह उद्देश्य वर्तमान अनुमतिपत्र अध्यादेश[2] द्वारा, जिसे बड़ी सख्तीके साथ लागू किया जाता है, पूरी तरह सम्पन्न हो जाता है।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स, २९-१०-१९०६

३१. पत्र: हाजी वजीर अलीको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर २७, १९०६

प्रिय श्री अली,

जॉर्ज आपसे और डॉ० ओल्डफील्डसे मिलनेके बाद मुझसे मिले हैं। यह खुशीकी बात है कि जिसे मैंने रोगका फिरसे हमला समझा था, वह आखिरकार दुःखके रूपमें सुख निकला। मुझे इस बातसे भी खुशी हुई कि जब वे आपसे मिले, आप स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। जब मैं इस बातपर विचार करता हूँ तो निश्चय ही मुझे ऐसा लगता है कि जॉर्ज न होते तो हमारा यहाँका मुकाम अधूरा रह जाता; कौन हम दोनोंको एक दूसरेके सम्पर्कमें रखता? आपने सभा करनेके बारेमें जो विचार सुझाया वह मेरे मनमें सर्वोपरि रहा है। जैसा कि आप अन्दाज लगा सकते हैं, मैंने तनिक भी सुस्ती नहीं की है। मैं यहाँ-वहाँ लोगोंसे मिलता रहा हूँ। यह सुझाव पेश किया जा चुका है कि ब्रिटिश लोकसभा-भवनमें एक सभा[3] हो और हम दोनों उसमें भाषण दें। विपरीत परिस्थितियाँ न आयें तो मेरी बड़ी इच्छा है कि आप इन सभाओंमें उपस्थित रहें। आपके बिना मैं इन सभाओंमें बोलनेकी बात नहीं सोच पाता। मैं आपकी उपस्थिति और भाषणकी कीमत अच्छी तरह जानता हूँ। अगले हफ्तेके

१. देखिए अगला शीर्षक और "पत्र: जी० जे० ऐडमको", पृष्ठ १८-१९।

२. शान्ति-रक्षा अध्यादेश।

३. देखिए "लोकसभा-भवनकी बैठक", पृष्ठ १११-१२।

बादके हफ्तेसे पहले लॉर्ड एलगिनसे भेंट होनेकी सम्भावना नहीं जान पड़ती; अर्थात् अगले आठ-नौ दिनों तक। मैं अभी-अभी सर मंचरजी और सर जॉर्ज वर्डवुडसे मिलकर लौटा हूँ। श्री बर्डवुड दोस्ताना मुलाकातके लिए होटल आये थे और आपके बारेमें पूछते थे। मुझे बड़ा अफसोस है कि इन मुलाकातोंके वक्त आप साथ नहीं थे। आपने यहाँके सार्वजनिक नेताओंके बारेमें बहुत-कुछ मालूम कर लिया होता और ब्रिटिश संस्थाओंकी कार्यप्रणालीकी गहरी जानकारी हो जाती। बहरहाल, मेरा भाग्यपर काफी भरोसा है और इसलिए यह सोचकर सन्तोष करता हूँ कि इन बैठकोंसे आपकी गैरहाजिरीमें भी शायद कोई भलाई छिपी हो। मुमकिन है कि आप जब एकाएक किसी सभामें बोलनेके लिए खड़े हों तो सभापर ऐसा जादूका-सा असर हो जो अलग-अलग लोगोंसे मिलनेपर सम्भव न होता। लेकिन जब-कभी आम जलसा हो, आप तकलीफ उठाकर भी उसमें अवश्य शामिल हों। ऐसी दो सभाओंकी सम्भावना है। श्री पोलक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि एक जलसा कोई शिक्षण-संस्था करे। मेरी विनती है कि आप सिगारसे नैष्ठिक परहेज रखें। अलबत्ता हुक्का जितना चाहें, उतना पी सकते हैं। डॉ० ओल्डफील्डकी हिदायतोंको पूरी तरह मानकर चलें। मुझे यकीन है कि डॉ० ओल्डफील्ड जितनी जल्दी आपकी तन्दुरस्ती लौटा सकते हैं, कोई दूसरा डॉक्टर वैसा नहीं कर सकता; इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि आपका इलाज सबसे अच्छे हाथोंमें है। मैंने आज खतोंका एक दस्ता और 'इंडियन ओपिनियन' का एक अंक आपके पास भेजा था। 'साउथ आफ्रिका' ने मुलाकात[1] बेशक अच्छेसे-अच्छे रूपमें छापी है। आप यह भी देखिए कि अपने सम्पादकीयमें सम्पादकने इस बार कैसा नरम रुख लिया है। शायद आपने ३-४ हफ्ते पहलेके उसके उग्र लेख नहीं देखे होंगे। इसलिए आज सुबहका सम्पादकीय पढ़कर बड़ी ताजगी महसूस हुई। अगर आपको किसी और चीजकी जरूरत हो तो मेहरबानी करके कहिए; कोई अन्य सुझाव देना चाहें तो देनेमें आगा-पीछा न करें।

आज सवेरे आपके यह बतानेके बाद कि आप अच्छे हैं, फोनको मैंने नहीं काटा था। वह तो एक्सचेंजकी पगली लड़कीका काम था। मैंने फिर फोन मिलाना चाहा, लेकिन नाकामयाब रहा; और चूँकि मैं रायटरके प्रतिनिधिसे मिलनेके लिए तैयार होना चाहता था, इसलिए ज्यादा कोशिश नहीं की। होटलमें उससे लम्बी बातचीत हुई और वह फौरन समझ गया कि अध्यादेश लगभग बेकार और अत्याचारपूर्ण है। वैसे तो ये केवल शब्द हैं, किन्तु कौन जानता है, बादमें लाभ पहुँचायें।

आपका शुभचिन्तक,

श्री हाजी वजीर अली
लेडी मार्गरेट अस्पताल
ब्रॉमले
केंट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४११) से।

१. देखिए "भेंट: 'साउथ आफ्रिका' को", पृष्ठ ७-१०।

३२. पत्र : डॉक्टर जोसिया ओल्डफील्डको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर २७, १९०६

प्रिय ओल्डफील्ड,

मैंने कहा था कि मैं आपको अपनी तकलीफोंके बारेमें लिखना चाहता हूँ।[1] शायद मैंने आपसे कहा था कि जब मैं बम्बईमें था तब मेरी घ्राण-शक्ति चली गई थी; डॉक्टरके शब्दोंमें, मैं 'विषम प्रतिश्याय' (क्रॉनिक ओजीना) से पीड़ित माना जाता हूँ; नजला पुराना हो गया है। निश्चय ही मैं नहीं जानता कि आप कण्ठ-रोगोंके विशेषज्ञ हैं या नहीं। यदि न हों और जरूरी समझें तो आप मुझे फिर किसी विशेषज्ञसे मिला दें। मुझे लगता है, जब मैं फल और कच्ची मेवोंके आहारका प्रयोग कर रहा था, मेरे दाँत खराब हो गये। मुझे लगा कि दो डाढ़ें सदाके लिए खराब हो गई हैं और उनमें से एक तो मैं जहाजपर ही खो दूँगा। मैंने एकको खींच निकालनेकी पूरी कोशिश भी की, किन्तु सफल नहीं हुआ। आप उन्हें देख लेंगे, या आप चाहते हैं कि मैं किसी दाँतके डॉक्टरके पास जाऊँ? अगर जाना हो तो मेहरबानी करके किसी भरोसेके डॉक्टरका नाम सुझाइए।

भले ही हम मित्र हैं; किन्तु यदि आप दोमें से किसी भी तकलीफका इलाज करें तो धन्धेके नाते करें, कमसे-कम इसलिए कि आपको जो-कुछ मिलता है सो आप एक लोकहितके काममें लगाते हैं।

अगर आप पेशेवरकी हैसियतसे मुझे देखें तो मेहरबानी करके समय निश्चित करें; किन्तु एकसे ज्यादा समय सूचित करें ताकि मैं सुविधानुसार चुनाव कर सकूं। मुझे इतने लोगोंसे मिलना पड़ता है कि मेरे लिए समय निश्चित करना सम्भव नहीं होता। श्री अलीने मुझे फोनसे बताया कि आज वे बहुत बेहतर हैं। मुझे इससे बड़ी खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें जल्दी ही चंगा कर देंगे।

आपका सच्चा,

डॉक्टर ओल्डफील्ड
लेडी मार्गरेट अस्पताल
ब्रॉमले

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४१२) से।

१. देखिए "पत्र : डॉक्टर जोसिया ओल्डफील्डको", पृष्ठ २५।

३३. पत्र: जे० सी० मुकर्जीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर २७, १९०६

प्रिय श्री मुकर्जी,

मैं आपसे एक बात कहना भूल गया। वह बात मुझे 'इंडियन ओपिनियन' के विचारसे 'टाइम्स' देखते समय याद आई। देखता हूँ, 'टाइम्स' में हमेशा 'इंडियन ओपिनियन' के लिए भेजने लायक काफी सामग्री रहती है। आप अपने संवाद भले ही शुक्रवारकी रातको भेजा करें, किन्तु मेरा खयाल है कि 'टाइम्स' से ताजी खबरें और संसदीय विवरण शनिवारको भेजें और यदि जरूरत हो तो अन्तिम क्षण तक भी बड़े डाकखानेसे रवाना करें। मेरी रायमें इसी तरह आप अपने संवाद प्रभावशाली और आ-तिथि बना सकते हैं। आजकल संसदका सत्र चल रहा है। मैं सोचता हूँ, इस समय भारतीय और तत्सम्बन्धी अन्य प्रश्नों — जैसे वतनी, चीनी आदि — पर आप 'टाइम्स' से बहुत मसाला भेज सकते हैं। स्पष्ट ही 'टाइम्स' बहुत परिपूर्ण विवरण देता है। तब आप 'इंडिया' से आगे और दक्षिण आफ्रिकी पत्रोंके साथ रह सकेंगे जो, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, पूर्णतः आ-तिथि रहते हैं। मैं यह सुझाव, भूल न जाऊँ इसलिए, लिखे डाल रहा हूँ।

आपका सच्चा,

श्री जे० सी० मुकर्जी
६५, क्रॉमवेल ऐवेन्यू
हाइगेट, एन०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४१३) से।

३४. पत्र : एफ० मैकारनिसको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर २७, १९०६

प्रिय महोदय,

आपके २५ तारीखके पत्रके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। मैंने सर विलियम वेडरबर्नके सामने यह सुझाव रखा है और वे भी मानते हैं कि जैसी बैठकका आपने उल्लेख किया है वैसी एक बैठक होनी चाहिए। मेरा यह खयाल है कि चूँकि दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति व्यवहारके प्रश्नपर कोई मतभेद नहीं है, इसलिए यदि स्थानीय परिस्थितियोंकी बाधा न हो तो बैठकमें केवल उदारदलीय सदस्योंका शामिल होना आवश्यक नहीं माना जाना चाहिए।

आपका विश्वस्त,

श्री एफ० मैकारनिस, संसद-सदस्य
६, क्राउन ऑफिस रो
टेम्पल

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४१४) से।

३५. पत्र : श्यामजी कृष्णवर्माको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर २९, १९०६

प्रिय पण्डित श्यामजी कृष्णवर्मा,

कल शामको आपने १ शिलिंग ६ पेंस मुझे देनेकी कृपाकी थी; मैं साथमें उतनेके टिकट भेज रहा हूँ।

आपका विश्वस्त,

संलग्न :

पण्डित श्यामजी कृष्णवर्मा
९, क्वीन्स वुड ऐवेन्यू
हाइगेट

टाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४१५) से।

३६. पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको

होटल सेसिल
लन्दन, डब्ल्यू० सी०
अक्तूबर २९, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय अर्ल ऑफ एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री
लन्दन

महोदय,

आपका तारीख २६ का पत्र पानेका सौभाग्य मिला। अपने २५ तारीखके पत्रकी[1] बातको आगे बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ अन्य लोगोंके साथ श्री मंचरजी मे० भावनगरी, सर जॉर्ज वर्डवुड, सर हेनरी कॉटन, माननीय श्री दादाभाई नौरोजी और श्री अमीर अलीने ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलमें शामिल होना स्वीकार कर लिया है। शिष्ट-मण्डल समितिमें कुछ और भी मित्रोंके सम्मिलित होनेकी आशा है। अब मेरा लॉर्ड महोदयसे निवेदन है कि वे शिष्टमण्डलको, यदि सम्भव हो तो, अगले हफ्तेके शुरूमें मुलाकात देनेके लिए तिथि निश्चित करनेकी कृपा करें, ताकि मैं उल्लिखित महानुभावों और उन दूसरे लोगोंको सूचना दे सकूँ जो कदाचित् शिष्टमण्डलमें भाग लेना पसन्द करेंगे।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सी० ओ० २९१, खण्ड ११३, इंडिविजुअल्स) और टाईप की हुई दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४१६) से।

१. देखिए "पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको", पृष्ठ १७।

३७. पत्र: एफ० एच० ब्राउनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर ३०, १९०६

प्रिय महोदय,

आपका २९ तारीखका पत्र मिला। दुःख है कि वह उस समयके बाद मिला जब मैं आपसे टेलीफोनपर बातचीत कर सकता था; और वैसे तो मैं आज १० और १०-४५ के बीच बाहर लोगोंसे मिलने चला गया था। यदि आप किसी तरह कल या गुरुवारको १ और २ के बीचमें मुझसे आकर मिल सकें, तो हम लोग शायद साथ भोजन कर सकेंगे और दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके प्रश्नपर बातचीत भी कर सकेंगे। यदि यह न हो सके तो फिर मुझे गुरुवारको एन० आई० ए०[1] के स्वागत-समारोहके समय तक, जिसके लिए आपने मुझे कृपापूर्वक निमन्त्रण-पत्र भेजा है, आपसे मिलनेका लोभ संवरण करना पड़ेगा। फिर भी यदि आप कल या परसों सुविधापूर्वक मेरे साथ भोजन कर सकें, तो कृपया एक पंक्ति लिखकर सूचित कीजिएगा।

मुझे दुःख है कि मेरे सहयोगी श्री अली गठियासे पीड़ित हैं और ब्रॉमलेके लेडी मार्गरेट अस्पतालमें पड़े इलाज करा रहे हैं।

खेद है कि इस प्रश्नपर प्रकाश डालनेवाली कोई तस्वीरें मेरे पास नहीं हैं; न पासमें अपनी ही कोई तस्वीर है। मेरा खयाल है, श्री अलीकी एक तस्वीर मैं आपको दे सकूँगा। उसमें वे अपने कुटुम्बके साथ हैं।

मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पहले मिले हैं; और मेरा खयाल है कि यह उस समयकी बात है जब आप लन्दन आनेवाले तरुण भारतीयोंको सलाह दिया करते थे। मुझे ध्यान आता है कि श्री दलपतराम भवानजी शुक्लने आपसे मेरा परिचय कराया था।

आपका सच्चा,

श्री एफ० एच० ब्राउन
"दिलकुश"
वेस्टवोर्न रोड,
फॉरेस्ट हिल, एस० ई०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४१७) से।

१. 'नेशनल इंडियन असोसिएशन' — राष्ट्रीय भारतीय संघ।

३८. पत्र : जे० सी० मुकर्जीको

[होटल सेसिल,
लन्दन]
अक्तूबर ३०, १९०६

प्रिय श्री मुकर्जी,

मैं समय देकर आपसे मिल नहीं सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ; लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं जिस कामसे यहाँ आया हूँ वही प्रधान है, और बाकी सब काम गौण हैं। उस दिन यह हुआ कि मुझे सर मंचरजीके साथ अपेक्षासे अधिक, ६ बजे शाम तक व्यस्त रहना पड़ा। क्या आप फिरसे कल नहीं आ सकेंगे? किन्तु वक्त ६ बजेका रखियेगा। मैं उस समय मिलनेकी पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद हम किसी उपाहारगृहमें चले जायेंगे। वहाँ भोजन करेंगे और वापस होटलमें आ जायेंगे। मैंने शामकी अन्य सब भेंटें भी रद कर दी हैं, ताकि बोलकर लिखानेका जो काम पड़ा है उसे पूरा कर सकूँ। किन्तु आधा घण्टा हम रत्नम्की बात करेंगे। वैसे बहुत-सी चर्चा तो शायद भोजन करते-करते हो जायेगी। यदि मैं आपको वहाँ न मिलूँ तो भी मेहरबानी करके चले मत जाइये; क्योंकि अपने भोजनके लिए जरा आगे-पीछे मैं होटल पहुँचूँगा ही। जहाँतक इस समय अन्दाज लगा पाता हूँ, मुझे कल शामको ६ बजेके बाद कोई व्यस्तता नहीं रहेगी। प्रोफेसर साहबसे[1] भी मेरी क्षमा-याचना निवेदन कीजिये। यह निमन्त्रण आपके और प्रोफेसर साहबके लिए है। अगर आप समझें कि रत्नम्का आना जरूरी है, तो उनको भी लेते आइए।

आपका शुभचिन्तक,

श्री जे० सी० मुकर्जी
६५, क्रॉमवेल ऐवेन्यू,
हाइगेट, एन०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४१८) से।

१. प्रोफेसर परमानन्द

३९. पत्र : जोजेफ़ रायप्पनको

होटल सेसिल,
[लन्दन]
अक्तूबर ३०, १९०६

प्रिय जोजेफ़,

मैंने तुम्हें शामका जो समय दिया था, उसे रद कर रहा हूँ; क्योंकि अब मैं बहुत ही व्यस्त रहूँगा। बोलकर लेख आदि लिखानेके लिए मुझे केवल शामको ही समय मिल सकता है। इसलिए यदि कोई शाम खाली हुई, तो मैं तुम्हें लिखूँगा।

तुम्हारा शुभचिन्तक,

श्री जोज़ेफ़ रायप्पन
३६, स्टेप्लटन हॉल रोड,
स्ट्राउड ग्रीन, एन०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४१९) से।

४०. पत्र : एम० एन० डॉक्टरको

[होटल सेसिल,
लन्दन]
अक्तूबर ३०, १९०६

प्रिय श्री डॉक्टर,

मैं इतना अधिक व्यस्त हो गया हूँ कि लगता है, आपसे निश्चित की गई भेंटको रद करना पड़ेगा। किन्तु यदि आप इतवारको १२ बजे आ सकें तो पोलकके घर जाते-जाते रास्तेमें हमारी बातचीत हो सकेगी। मुझे पोलकसे मिलने जाना है। अगर आप लन्दनको ठीकसे जानते हों तो हम हाइबरीके पास कहीं साथ छोड़ देंगे।

आपका शुभचिन्तक,

श्री एम० एन० डॉक्टर
१०२, ह्लार्टन रोड, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४२०) से।

४१. पत्र : लॉर्ड रे को

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर ३०, १९०६

लॉर्ड महोदय,

कल आपके प्रति समादर व्यक्त करने और आपके सम्मुख ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी परिस्थिति रखनेके विचारसे मैं आपसे, बिना निश्चित समय लिये, मिलने पहुँचा था। अभी हालमें ट्रान्सवाल विधान परिषदने जो एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेश पास किया है उसके सम्बन्धमें लॉर्ड एलगिन और श्री मॉर्लेसे मिलनेके लिए ट्रान्सवालसे हाजी वजीर अली और मैं शिष्टमण्डलके रूपमें यहाँ आये हैं। सर चार्ल्स डिल्क[1], श्री नौरोजी, सर मंचरजी, सर जॉर्ज बर्डवुड, सर हेनरी कॉटन, श्री अमीर अली और कुछ अन्य सज्जन, जो ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय मामलोंमें दिलचस्पी लेते रहे हैं, लॉर्ड एलगिनके समक्ष कृपापूर्वक इस शिष्टमण्डलका परिचय देनेके लिए राजी हो गये हैं; और इस तरह उन्होंने अपने प्रभावका लाभ देनेकी कृपा की है। कदाचित् लॉर्ड एलगिन अगले हफ्तेमें भेंटके लिए कोई तिथि निश्चित करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप परिचय करानेवाले शिष्टमण्डलमें सम्मिलित होनेकी कृपा करेंगे। किसी भी हालतमें, यदि महानुभाव हमें ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति सामने रखनेका अवसर प्रदान करें, तो श्री अली और मैं बहुत ही आभारी होंगे।

आपका विनम्र सेवक,

परममाननीय लॉर्ड रे[2]
६, ग्रेट स्टैनहोप स्ट्रीट
लन्दन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४२३) से।

१. सर चार्ल्स वैन्टवर्थ डिल्क (१८४३–१९११) राजनीतिज्ञ, लेखक और संसद-सदस्य जो १८७६ में विदेश-मंत्रालयके उपमंत्री थे।

२. डोनल्ड जेम्स मैके (१८३९–१९२१); बम्बई प्रदेशके गवर्नर, १८८५–९०; ब्रिटिश अकादमीके प्रथम अध्यक्ष; सहायक भारत-मंत्री १८९४–५।

४२. पत्र : हाजी वजीर अलीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर ३०, १९०६

प्रिय श्री अली,

आपका पुर्जा तथा टेलीफोनसे भेजा संदेश मिला; लेकिन मैं अभी, अर्थात् १२ बजे रातको, काम करने बैठा ही हूँ। मैं सुबह साढ़े दस बजेसे सारे दिन बाहर ही रहा। दोपहरको भोजनके समय कुछ क्षणोंके लिए आया था और फिर साढ़े आठ बजे रातको, जब कि मुझे आपका पत्र और सन्देशा मिला। तुर्की राजदूतका पता मैं ढूँढ़ निकालूँगा। अगर नामुमकिन नहीं हुआ, तो मैं कल देरसे जानेवाली किसी गाड़ीसे रवाना होऊँगा।

लॉर्ड एलगिनने बृहस्पतिवार ८ नवम्बरको ३ बजे शिष्टमण्डलसे मिलनेका समय दिया है; इस तरह, आप देखेंगे, अभी काफी समय है। लेकिन इस पूरी अवधिका हर क्षण मेरे किसी-न-किसी कामके लिए निश्चित है। विशेष मिलनेपर।

आपका शुभचिन्तक,

श्री हाजी वजीर अली
लेडी मार्गरेट अस्पताल
ब्रॉमले
केंट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४२१) से।

४३. पत्र : जे० एच० पोलकको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर ३०, १९०६

प्रिय श्री पोलक,

मैंने कहा था कि इतवारका पूरा दिन मैं आपके साथ गुजारूँगा, किन्तु देखता हूँ कि मुझे शामको महत्त्वपूर्ण काम करना है। मैंने जिन पण्डितके[1] बारेमें आपसे कहा था उनके साथ मेरी पूरी चर्चा अभी नहीं हुई है; और चूँकि वह कुछ महत्त्वकी है, मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ पूरा इतवार गुजारनेके उस आनन्दसे वंचित रहना पड़ेगा, जिसकी मैं

१. श्यामजी कृष्णवर्मा।

प्रतीक्षा कर रहा था। भय है कि अगले इतवारको भी मुझे लगभग ४ बजे आपका साथ छोड़ देना पड़ेगा।

सबको यथायोग्य।

आपका सच्चा,

श्री जे० एच० पोलक
२८, ग्राउने रोड
कैननबरी

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४२२) से।

४४. पत्र: डब्ल्यू० पी० बाइल्सको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर ३०, १९०६

प्रिय महोदय,

अपने २८ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद स्वीकार कीजिए। मुझे इस हफ्तेमें किसी दिन — कदाचित् आज ही — लोकसभामें आपसे मिलनेके लिए भेंट-पत्र भेजते हुए बड़ी प्रसन्नता होगी।

आपका विश्वस्त,

श्री डब्ल्यू० पी० बाइल्स, संसद सदस्य
लोकसभा
लन्दन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४२४) से।

४५. पत्र: आर्थर मर्सरको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर ३०, १९०६

प्रिय महोदय

श्रीमती स्पेंसर वाल्टनका पता और संलग्न कागजात भेजनेके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

आपका सच्चा,

श्री आर्थर मर्सर,
१७, होमफील्ड रोड,
बिम्बलडन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४२५) से।

४६. पत्र : श्रीमती स्पेंसर वाल्टनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर ३०, १९०६

प्रिय श्रीमती स्पेंसर वाल्टन,

श्री स्पेंसर वाल्टनके देहावसानका समाचार सुनकर मैं अत्यधिक दुःखी हुआ हूँ। आपकी इससे जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति तो की ही नहीं जा सकती, किन्तु मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि उनकी मृत्युके कारण अन्य अनेक लोग भी अपनेको दीन अनुभव कर रहे हैं। मैं यहाँ अपने मुकामकी अवधिमें आपसे आकर मिल सकनेकी आशा करता था, किन्तु देखता हूँ, मैं जिन तीन-चार हफ्तों तक यहाँ हूँ उनमें इतना अधिक व्यस्त रहूँगा कि कदाचित् आकर मिलना न हो सके। फिर भी यदि आप मुझे दो पंक्तियाँ लिखकर सूचित कर सकें कि आप साधारणतः किस समय घर रहती हैं तो कृपा होगी।

आपका सच्चा,

श्रीमती स्पेंसर वाल्टन
एंड्रयू हाउस
टनब्रिज
केंट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४२६) से।

४७. लॉर्ड एलगिनके नाम लिखे पत्रका मसविदा[1]

२२, कैनिंगटन रोड
[लन्दन]
अक्तूबर ३०, १९०६

सेवामें
परममाननीय अर्ल ऑफ एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री
लन्दन

महोदय,

ट्रान्सवालकी विधान-परिषद द्वारा पास किये गये १९०६ के फ्रीडडॉर्प बाड़ा अध्यादेशके बारेमें ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय संघके एक प्रार्थनापत्रकी[2] प्रति सेवामें प्रेषित कर रहा हूँ। ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय संघके स्थानापन्न अवैतनिक मन्त्रीसे[3] मुझे यह सूचना मिली है

१. सम्भवतः यह पत्र गांधीजीने लिखा था। इससे पहले लिखे गये पत्रके मसविदेपर गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मन्त्रीके नाम कुछ हिदायतें और चन्द संशोधन भी हैं। यह भी जाहिर होता है कि इसपर दादाभाई नौरोजीके हस्ताक्षर होनेको थे।

२. देखिए "प्रार्थनापत्र : लॉर्ड एलगिनको", खण्ड ५, पृष्ठ ४७६-७८।

३. हेनरी एस० एल० पोलक।

कि यह प्रार्थनापत्र आपको लॉर्ड सेल्बोर्नकी मारफत उसी हफ्ते भेज दिया गया था जिस हफ्ते इसकी एक प्रति मेरे पास भेजी गई थी। ब्रिटिश भारतीय संघने गवर्नरकी मारफत एक तार[1] भी भेजा था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि जबतक आपको प्रार्थनापत्र नहीं मिल जाता तबतक अध्यादेशकी स्वीकृति रोक रखी जाये।

मेरा खयाल है कि संघका मामला बहुत मजबूत और उचित है। यह बिलकुल स्पष्ट है कि यदि यह अध्यादेश मंजूर कर लिया गया तो ब्रिटिश भारतीय जमीन-जायदादके वैसे पट्टे भी नहीं रख सकेंगे जैसे अबतक वे १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत रख सकते थे। तो इस प्रकार जब उपनिवेशको उत्तरदायी शासन मिलने जा रहा है, ऐसा जान पड़ता है कि प्रस्तुत अध्यादेश कमसे-कम पूर्वस्थिति बनाये रखनेके बजाय, भूस्वामित्वकी दृष्टिसे ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति वैसी ही बदतर बना देगा, जैसी कि युद्ध-पूर्वकालके मुकाबले अन्य बातोंमें हो गई है। इसलिए आशा करता हूँ कि आप महामहिम सम्राट्को यह अध्यादेश अस्वीकृत करनेकी सलाह देनेकी कृपा करेंगे।

ट्रान्सवालसे ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलके आगमन और उसके उद्देश्यको देखते हुए और अध्यादेशके स्वीकृत होनेकी वस्तुस्थितिका भी, जो कि इस प्रार्थनापत्रका विषय है, खयाल करते हुए मुझे लगता है कि ट्रान्सवालके भारतीयोंकी रक्षाके लिए एक जाँच-आयोगकी नियुक्ति करना बहुत जरूरी है। यह आयोग वैसा ही होना चाहिए जैसा कि सर मंचरजीने आपके पूर्वगामी उपनिवेश-मन्त्रीको सुझाया था और जिसकी, मुझे मालूम हुआ है, नियुक्ति होते-होते रह गई थी।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

टाइप किये हुए अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४२७/२) से।

४८. परिपत्र[2]

होटल सेसिल
लन्दन, डब्ल्यू० सी०
अक्तूबर ३१, १९०६

प्रिय महोदय,

सेवामें निवेदन है कि लॉर्ड एलगिनने गुरुवार ८ नवम्बरको ३ बजे उपनिवेश कार्यालयमें ट्रान्सवालके भारतीय शिष्टमण्डलको मिलनेका समय दिया है। श्री अली और मैं ऐसी आशा करते हैं कि गुरुवार, ८ नवम्बरको आप उपनिवेश कार्यालयमें २-३० बजे आनेकी कृपा करेंगे, जिससे परिचय करानेवाले शिष्टमण्डलके सदस्योंके बीच थोड़ा-सा विचार-विमर्श सम्भव हो

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४७६।

२. दफ्तरी प्रतिपर कुछ टिप्पणियाँ हैं जिससे पता चलता है कि यह परिपत्र सर चार्ल्स डिल्क, दादाभाई नौरोजी, सर लेपेल ग्रिफिन, सर मंचरजी भावनगरी, सर हेनरी कॉटन, श्री अमीर अली और सर जॉर्ज बर्डवुडको भी भेजा गया था।

सके। सर लेपेल ग्रिफिनने शिष्टमण्डलका नेतृत्व और श्री अलीका तथा मेरा परिचय कराना स्वीकार कर लिया है।

मैं आशा करता हूँ कि शिष्टमण्डलकी भेंटके पहले लॉर्ड एलगिनको जो निवेदनपत्र[1] दिया जा रहा है, उसकी एक प्रति आप लोगों को जल्दी ही भेज सकूँगा। इसी निवेदनपत्रको आधार मानकर शिष्टमण्डल अपना कार्य करेगा।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४२९) से।

४९. पत्र : प्रोफेसर परमानन्दको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर ३१, १९०६

प्रिय प्रोफेसर परमानन्द,

मुझे अफसोस है कि आज आप यहाँ नहीं होंगे। पिल्लेका मामला बहुत दुःखदायी है। मेरी समझमें नहीं आता कि क्या किया जाये, किन्तु जब हम मिलेंगे, हमें कुछ-न-कुछ सोच निकालना ही होगा। जान पड़ता है, उसे भोजन पाना भी दूभर हो रहा है। क्या आप उसके मामलेको पूरा-पूरा समझकर, यदि आवश्यक हो तो, इंडिया हाउसमें उसके रहनेका प्रबन्ध करेंगे?

आपका शुभचिन्तक,

प्रोफेसर परमानन्द
६५, क्रॉमवेल ऐवेन्यू
हाइगेट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४३०) से।

१. देखिए "आवेदनपत्र : लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ ४९-५७।

५०. पत्र: लॉर्ड स्टैनलेको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर ३१, १९०६

सेवामें
परममाननीय लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐल्डर्ले[1]
१८, मैंसफील्ड स्ट्रीट

प्रिय लॉर्ड महोदय,

आपने मिलनेका जो समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। तदनुसार कल (गुरुवारको) १० बजे मैं उसका लाभ उठाऊँगा।

आपका विनम्र सेवक,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४३१) से।

५१. पत्र: एफ० एच० ब्राउनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर ३१, १९०६

प्रिय महोदय,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मैं कल ३ बजे आपकी प्रतीक्षा करूँगा और फिर बातचीत करनेके बाद, आपने जो कृपापूर्वक मुझे स्वागत-समारोहमें[2] ले चलनेका प्रस्ताव किया है, उसका लाभ उठाऊँगा।

आपका विश्वस्त,

श्री एफ० एच० ब्राउन
"दिलकुश"
वेस्टबोर्न रोड
फॉरेस्ट हिल, एस० ई०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४३२) से।

१. (१८३९–१९२५); शिक्षा-शास्त्री और संसद-सदस्य।
२. देखिए "पत्र: एफ० एच० ब्राउनको", पृष्ठ ३९।

५२. आवेदनपत्र : लॉर्ड एलगिनको[1]

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर ३१, १९०६

सेवामें
परममाननीय अर्ल ऑफ़ एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री
उपनिवेश कार्यालय
लन्दन

महानुभाव,

प्रतिनिधियोंकी नियुक्ति

१. हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, २८ सितम्बर १९०६ को ट्रान्सवाल 'गवर्नमेंट गज़ट' में प्रकाशित ट्रान्सवालकी विधान-परिषदके एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेशके बारेमें आपके सामने ट्रान्सवालके भारतीय समाजके विचार रखनेके लिए ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किये गये हैं। ब्रिटिश भारतीयोंकी एक सार्वजनिक सभामें, जिसमें ट्रान्सवालके लगभग ३,००० ब्रिटिश भारतीय निवासी उपस्थित थे, और जो ११ सितम्बर १९०६ को जोहानिसबर्गके पुराने एम्पायर नाटकघरमें हुई थी, अन्य बातोंके साथ महानुभावकी सेवामें एक शिष्टमण्डल भेजनेका प्रस्ताव भी पास किया गया था। प्रतिनिधियोंका चुनाव संघकी समिति-पर छोड़ दिया गया था। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है,[2] समितिने उनको चुना है।

प्रतिनिधि कौन हैं?

२. प्रथम हस्ताक्षरकर्ता संघके अवैतनिक मन्त्री हैं। बोअर युद्धके समयमें ये नेटाल भारतीय आहत-सहायक दलको संगठित करनेवालोंमें थे, और नेटालमें हाल ही के वतनी विद्रोहके समय इन्होंने नेटाल भारतीय कांग्रेसके तत्वावधानमें एक भारतीय डोलीवाहक दलका संगठन किया था जो उन्हींकी निगरानीमें काम करता रहा। ये इनर टेम्पलके बैरिस्टर हैं और १९०३ से जोहानिसबर्गमें वकालत कर रहे हैं।

३. दूसरे हस्ताक्षरकर्ता पेशेसे व्यापारी हैं और ब्रिटिश भारतीय संघके सदस्य होनेके अतिरिक्त जोहानिसबर्गकी हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके संस्थापक और अध्यक्ष हैं।

४. दोनों हस्ताक्षरकर्ता दक्षिण आफ्रिकाके पुराने निवासी हैं। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता १८९३ में दक्षिण आफ्रिकामें आकर बसे और चार बच्चोंके पिता हैं। ये सब बच्चे दक्षिण आफ्रिकामें हैं। दूसरे हस्ताक्षरकर्ता गत २३ वर्षोंसे दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए हैं और ग्यारह बच्चोंके पिता हैं। ये सब बच्चे दक्षिण आफ्रिकामें ही पैदा हुए हैं।

१. इसे गांधीजीने ३१ अक्तूबरको या उससे पहले तैयार किया था और लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवके नाम लिखे गये पत्रके साथ भेजा था। देखिए पृष्ठ ७६-७७।
२. देखिए "पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको", पृष्ठ १७।

ट्रान्सवालकी भारतीय जनसंख्या

५. ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी वर्तमान जनसंख्या अनुमतिपत्रके लेखेके अनुसार लगभग १३,००० है और जनगणनाके अनुसार १०,००० से ऊपर है। इसके मुकाबिलेमें श्वेत जनसंख्या २८०,००० से ऊपर है। ट्रान्सवालके भारतीय दूकानदार, व्यापारी, उनके सहायक, फेरीवाले और घरेलू नौकर हैं। इनमें अधिकांश लोग दूकानदार या फेरीवाले हैं।

१८८५ का कानून ३

६. १८८६ में संशोधित १८८५ का कानून ३, एशियाइयोंपर लागू होता है जिनमें कुली, मलायी, अरब और तुर्की साम्राज्यके मुसलमान प्रजाजन शामिल हैं, और जैसा कि ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयने इसकी व्याख्या की है:

(१) यह उन लोगोंका निवास, जो इसके अन्तर्गत आते हैं, खास तौरसे पृथक् की गई बस्तियों या सड़कों तक ही सीमित करता है। इस धाराके भंग करनेपर कानूनमें किसी दण्डकी व्यवस्था नहीं है और इसलिए परिणामकी दृष्टिसे वह नगण्य है।

(२) उन्हें नागरिक अधिकारोंसे वंचित करता है।

(३) उन्हें सिवाय उन बस्तियों या सड़कोंके, जिनका पहले उल्लेख किया गया है, अचल सम्पत्तिके स्वामित्वके अधिकारसे वंचित करता है।

(४) और जो ट्रान्सवालमें व्यापार या अन्य कारणोंसे बसना चाहें उनके लिए यह ३ पौंड शुल्क देना और आगमनके बाद आठ दिनके अन्दर पंजीयन कराना आवश्यक ठहराता है। *(इस कानूनकी न्यायालयोंने जो व्याख्या की है, उनके अनुसार ऐसे बसनेवालोंके बच्चों, स्त्रियों और उनका, जो व्यापारी नहीं हैं, पंजीयन आवश्यक नहीं है।)*

७. उपर्युक्त कानून प्रवासपर रोक नहीं लगाता परन्तु इसका उद्देश्य व्यापारियोंको ३ पौंड तक दण्डित करना है। बोअर शासन-कालमें यह ब्रिटिश सरकारके अभिवेदनोंका कारण बना था और इसलिए तब यह कभी कड़ाईके साथ लागू नहीं किया गया। इसके प्रशासनके लिए राज्यका कोई अलग विभाग नहीं था और *पंजीयनका अर्थ केवल प्रदाताको ३ पौंडकी रसीद दे देना था।*

ब्रिटिश शासनके अन्तर्गत

८. ब्रिटिश शासन प्रारम्भ होनेके बाद, वादों और आशाओंके विरुद्ध, पृथक् एशियाई कार्यालय स्थापित किये गये। शान्ति-रक्षा अध्यादेश स्पष्टतः राज्यको खतरनाक लोगोंसे बचानेके उद्देश्यसे बनाया गया था, उसका दुरुपयोग भारतीय प्रवासको नियन्त्रित करनेके लिए किया गया। इसके अन्तर्गत ब्रिटिश भारतीयोंको केवल सम्बन्धित अधिकारियोंकी सिफारिशपर अनुमतिपत्र दिये गये जिससे दुरुपयोग और भ्रष्टाचारकी बहुत वृद्धि हुई। इन अधिकारियोंने अन्धाधुन्ध घूस लेना शुरू कर दिया और भारतीय शरणार्थियोंको, जिन्हें तत्काल ट्रान्सवाल वापस आनेका अधिकार था, ऐसा करनेमें कठिनाई होने लगी, और उन्हें प्रायः ३० पौंड तक देनेको विवश होना पड़ा। ब्रिटिश भारतीय संघने इस ओर स्थानीय सरकारका ध्यान एकाधिक बार आकृष्ट किया। अन्तमें इसका परिणाम यह हुआ कि इस अपराधमें दो अधिकारियोंपर मुकदमा

चलाया गया, और यद्यपि सबूतके अभावमें पंचोंने उन्हें बरी कर दिया तथापि वे सरकारी नौकरीसे बरखास्त कर दिये गये। तब एशियाई कार्यालय बन्द कर दिये गये और अनुमतिपत्रोंकी मंजूरीका काम, जैसा कि उचित ही था, अनुमतिपत्रोंके मुख्य सचिवको[1] हस्तान्तरित कर दिया गया। यद्यपि इस शासनमें ब्रिटिश भारतीयोंको अनुमतिपत्र केवल स्वल्प और सो भी काफी विलम्ब और गहरी छानबीनके बाद दिये जाते थे तथापि कोई भ्रष्टाचार नहीं था। इसी बीच उपनिवेश विभागमें एशियाई संरक्षकके नामसे एक अधिकारी नियुक्त किया गया।

भारतीयोंका पंजीयन

९. जबकि अनुमतिपत्र विभाग अनुमतिपत्रोंके मुख्य सचिवके अधीन था, लॉर्ड मिलनरने १८८५ के कानून ३ को कड़ाईके साथ लागू करना उचित समझा और अनुमतिपत्र सचिवको एशियाई पंजीयक नियुक्त किया। ब्रिटिश भारतीय संघने इस कदमका नम्रतापूर्वक विरोध किया[2]। परन्तु, यद्यपि ब्रिटिश भारतीयोंके लिए, जिन्होंने बोअर सरकारको ३ पौंड चुका दिये थे, पुनः पंजीयन कराना आवश्यक नहीं था तथापि लॉर्ड मिलनरकी आग्रहपूर्ण सम्मतिसे उन्होंने अपना पुनः पंजीयन करवा लिया। इन प्रमाणपत्रोंमें प्राप्तकर्ताओं और उनकी पत्नियोंके नाम, बच्चोंकी संख्या, प्राप्तकर्ताओंकी आयु, उनकी शिनाख्तके चिह्न और अँगूठोंके निशान हैं।

१०. लॉर्ड मिलनरने यह सलाह देते समय निम्नलिखित विश्वास दिलाया था :

> मेरे खयालमें पंजीयन उनका रक्षक है। इस पंजीयनके साथ ३ पौंडका कर लगा हुआ है। यह केवल इसी बार माँगा जा रहा है। पिछली हुकूमतको जिन्होंने कर दे दिया है वे केवल इसका प्रमाण पेश कर दें। फिर उन्हें दूसरी बार यह कर नहीं देना होगा। एक बार उनका नाम रजिस्टरपर चढ़ जानेके बाद *उसे दूसरी बार दर्ज करानेकी* अथवा नया अनुमतिपत्र लेनेकी *जरूरत न होगी*। इस पंजीयनसे आपको यहाँ रहने और कहीं भी जाने और आनेका अधिकार मिल जाता है।[3]

११. आजकल स्त्रियों और बच्चोंको छोड़कर ट्रान्सवालके लगभग प्रत्येक भारतीयके पास अनुमतिपत्र होता है जिसमें उसका नाम, जन्मस्थान, पेशा, अन्तिम पता, उसका हस्ताक्षर और सामान्यतः उसके अँगूठेका निशान दर्ज रहता है, और सब मामलोंमें नहीं तो अधिकांश पंजीयन प्रमाणपत्र ऊपर लिखे अनुसार होते हैं। इसलिए, यदि ट्रान्सवालमें ऐसे भारतीय हों जिनके पास अनुमतिपत्र नहीं है और जो शान्ति-रक्षा अध्यादेशकी छूटकी धाराके अन्तर्गत नहीं आते तो वे अनधिकृत निवासी हैं और उस अध्यादेशके अन्तर्गत निष्कासित किये जा सकते हैं। जो अनुमतिपत्र पेश नहीं कर सकते, यह सिद्ध करनेकी जिम्मेदारी उनकी है कि वे माफीकी धाराओंके अन्तर्गत आते हैं। यदि वे निष्कासन सम्बन्धी आज्ञा नहीं मानते तो उन्हें कैदकी सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त शान्ति-रक्षा अध्यादेश जाली प्रार्थनापत्रोंसे अनुमतिपत्र प्राप्त करने, या इस प्रकार अनुमतिपत्र प्राप्त करनेमें किसीकी सहायता करने या धोखा देकर प्राप्त किये हुए अनुमतिपत्रके आधारपर प्रवेश करनेको दण्डनीय अपराध ठहराता है।

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ १५२।
२. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३२४-३१।
३. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३२८।

अनधिकृत प्रवेशका पता लगानेके लिए वर्तमान व्यवस्था परिपूर्ण है

१२. इस प्रकार ट्रान्सवालके अनधिकृत भारतीय निवासियोंको दण्डित करनेके लिए व्यवस्था परिपूर्ण और प्रभावशाली है। और भारतीय समाजने स्वेच्छापूर्वक पंजीयन कराकर, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिकारियोंके लिए जाली लोगोंकी शिनाख्तका पूरा-पूरा साधन मुहैया कर दिया है। जिन भारतीयोंने अन्य भारतीयोंके अनुमतिपत्र लेकर प्रवेश करनेकी चेष्टा की है उन्हें भारी दण्ड मिला है। ऐसे बहुत-से मामले दर्ज हैं।

१३. इसलिए स्पष्ट ही जाली या अनधिकृत प्रवेशको रोकनेके लिए किसी और कानूनी व्यवस्थाकी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। अनुमतिपत्रके वर्तमान नियमोंके अन्तर्गत, एक अधिकारीके बयानके मुताबिक,

(१) स्त्रियाँ, अपने पतियोंके साथ हों चाहे नहीं,

(२) बच्चे, उनकी उम्र चाहे जो हो, दूधपीते हों, अपने वालदैनके साथ हों या नहीं, उनके लिए अनुमतिपत्र उपस्थित करना आवश्यक है। ऐसे मामले हुए हैं जिनमें पाँच वर्षकी आयुके नादान बच्चे अपने माता-पिताओंसे और पत्नियाँ अपने पतियोंसे अलग कर दी गई हैं; यद्यपि पिताओं या पतियोंने, जो अपने बच्चों या पत्नियोंके साथ थे, अनुमतिपत्र प्रस्तुत किये थे।

१४. ट्रान्सवालके जिन पुराने निवासियोंने अपने निवासका ३ पौंड शुल्क चुका दिया है उन्हें भी अनुमतिपत्र मिलनेमें महीनों लग जाते हैं, सो भी बड़ी सख्त और गुप्त छानबीनके बाद, जिसे निकाय अपनी फुरसतसे करते हैं।

नया अध्यादेश

१५. ये निर्योग्यताएँ तो थीं ही, ऊपरसे संशोधन अध्यादेश भारतीय समाजपर वज्रके समान आ गिरा है। इससे ट्रान्सवालके प्रत्येक भारतीय निवासीके लिए पास रखनेकी अपमानजनक प्रणाली प्रारम्भ होती है। इससे शिनाख्तकी एक ऐसी पद्धति स्थापित होती है जो समय-समयपर बदल सकती है। भारतीयोंके एक शिष्टमण्डलको सहायक उपनिवेश-सचिवने बताया कि सभी अँगुलियोंके निशान देने आवश्यक होंगे और जो भी पुलिस अधिकारी भारतीयोंकी जाँच करना चाहेगा, उन प्राप्तकर्ताओंको उसे ऐसे निशानवाले पास दिखलाने पड़ेंगे। बड़ी कठिनाईसे प्राप्त अनुमतिपत्र और पंजीयन-प्रमाणपत्र नये प्रमाणपत्रोंके बदलेमें लौटा देने होंगे। हम यह भी कह दें कि उपर्युक्त पंजीयनके लिए लोग बड़े सवेरे अपने कमरोंसे घसीटकर निकाले गये थे और उनके साथ बड़ा सख्त बरताव किया गया था।

इसका वास्तविक स्वरूप

१६. वास्तवमें अध्यादेशका उद्देश्य पंजीयन नहीं, बल्कि एक ऐसी किस्मकी शिनाख्त है जिसका प्रयोग घोर अपराधियोंके लिए किया जाता है। जहाँतक हमें मालूम है, ऐसा कानून किसी भी ब्रिटिश उपनिवेशमें अज्ञात है। इसे मुश्किलसे १८८५ के कानून ३ का संशोधन कहा जा सकता है क्योंकि निश्चय ही इसकी कार्य-सीमा उससे सर्वथा भिन्न है।

१७. संशोधक कानून प्रत्येक अनुमतिपत्रको तबतक बेकार ठहराता है जबतक उसका प्राप्तकर्ता यह न साबित कर दे कि उसमें कोई जालसाजी नहीं है। माता-पिताओंके पास भले

ही वैध अनुमतिपत्र हों, पर इस कानूनसे उनके बच्चे प्रशासन अधिकारीकी दयाके मोहताज हो जाते हैं। यह वर्गविशेषके लिए निकृष्टतम ढंगका विधान है और इसका उद्देश्य भारतीयोंको बहुत क्षुब्ध और अपमानित करनेके सिवा कुछ भी नहीं है।

तथाकथित राहत

१८. ३ पौंडकी छूटकी बात बेकार है क्योंकि इस समय ट्रान्सवालवासी प्रत्येक बालिग भारतीय पुरुष, और बहुत-से मामलोंमें तो बच्चे भी, इसे अदा कर चुके हैं। ट्रान्सवाल उपनिवेश-सचिवके वक्तव्यके अनुसार कोई भारतीय, जो युद्धसे पूर्व ट्रान्सवालका निवासी नहीं था, इस उपनिवेशमें तबतक प्रवेश न पा सकेगा जबतक उत्तरदायी सरकार प्रवासके प्रश्नपर विचार न कर लेगी। और चूँकि वर्तमान भारतीय निवासी ३ पौंड पहले ही दे चुके हैं और युद्धके पहलेके अधिकांश निवासी, जिन्हें अभी वापस आना है, बोअर सरकारको ३ पौंड दे चुके हैं, इसलिए ३ पौंडकी छूट कोई रियायत नहीं है।

१९. अस्थायी अनुमतिपत्रोंके लिए अधिकारपत्रकी भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत अधिकारियोंकी मर्जीपर दिये गये हैं।

२०. जहाँतक मद्य-संभरण सम्बन्धी सुविधाके भारतीयोंपर लागू होनेकी बात है, वह उनका सीधा अपमान है।

२१. उन भारतीयोंके उत्तराधिकारियोंको, जिनके पास १८८५ के कानून ३ के पहले अचल सम्पत्ति थी, मिलनेवाली राहत व्यक्तिगत रूपकी है। और उसका असर ट्रान्सवालमें जमीनके एक छोटे-से टुकड़ेपर पड़ता है।

२२. इसलिए इस अध्यादेशसे भारतीय समाजको न तो किसी प्रकारकी राहत मिलती है और न उसकी रक्षा होती है।

तुलना

२३. इस संशोधन अध्यादेशमें १८८५ के कानून ३ की सब निर्योग्यताएँ ज्यों-की-त्यों रह जाती हैं तथा ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत जितनी बुरी थी, उससे भी ज्यादा बुरी हो जाती है। इस तथ्यके बारेमें हम जितना कहें, थोड़ा होगा। यह कथन निम्न तुलनासे और भी अधिक स्पष्ट हो जायेगा :

१८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत	नये अध्यादेशके अन्तर्गत
१. *केवल व्यापारियोंको* ३ पौंड चुकाना और रसीदें लेनी पड़ती थीं।	अब सब भारतीय पुरुषोंको (जो ३ पौंड कर पहले ही दे चुके हैं) पंजीयन प्रमाणपत्र लेने होंगे।
२. शिनाख्तका कोई ब्योरा नहीं देना होता था।	अब शिनाख्तका अत्यन्त अपमानजनक ब्योरा देना पड़ेगा।
३. पंजीयनका सम्बन्ध प्रवास-प्रतिबन्धसे नहीं था।	यह पंजीयन मुख्यतः प्रवास रोकनेके लिए है।

४. पंजीकृत माता-पिताओंकी सन्तानको पंजीयन नहीं कराना पड़ता था।

पंजीकृत मातापिताओंके सब बच्चोंका पंजीयन होना चाहिए;
(क) आठ सालसे कम आयुके बच्चोंका पंजीयन अस्थायी रूपसे कराना होगा और माता-पिताओंको शिनाख्त करानी होगी। (आठ दिनके बच्चेको दसों अँगुलियोंके निशान देने होंगे और इसके लिए उसको पंजीयन अधिकारीके पास ले जाना होगा।)
(ख) आठ सालसे अधिक आयुके बच्चोंका अलग पंजीयन कराना होगा और ऊपर जैसी शिनाख्त भी देनी होगी।
(ग) यदि १६ वर्षकी आयु होनेपर बच्चोंका ऐसा पंजीयन नहीं होता है, तो पंजीयन न करानेपर उनको कड़ी सजा मिल सकती है और वे निर्वासित किये जा सकते हैं।
(घ) जो एशियाई अनधिकृत रूपसे उपनिवेशमें १६ वर्षसे कम आयुके बालकको लायेगा उसको कड़ी सजा दी जा सकती है, उसका पंजीयन रद किया जा सकता है और उसको निर्वासित किया जा सकता है। (यह नियम सम्भवतः दुधमुँहे बच्चे लानेवाले माता-पिताओंपर लागू होता है और दूसरे एशियाई अधिवासियोंके बच्चोंको लानेवाले वैध एशियाई अधिवासियोंपर तो निश्चित रूपसे लागू होता है।)
(ङ) जो एशियाई ऐसे बच्चेको (अनजाने भी!) नौकर रखेगा उसे भी वैसी ही सजा दी जा सकती है।
(च) जो माता-पिता या संरक्षक (क) और (ख) नियमोंके अन्तर्गत आवेदन नहीं करेंगे वे १०० पौंड जुर्माने या ३ मासकी कैदकी सजाके भागी होंगे।

५. पंजीयन न करानेपर निर्वासनका विधान नहीं था।

पंजीयन न करानेपर निर्वासनका विधान है; भले ही उस एशियाईके पास अनुमतिपत्र और पंजीयनपत्र हों और इस प्रकार संशोधन अध्यादेशके अन्तर्गत उसे ट्रान्सवालकी वैध नागरिकताका दोहरा अधिकार प्राप्त हो।

	इस तरह कलमकी एक हरकतसे उनके अधिवासका वर्तमान अधिकार प्रभावहीन और निरर्थक कर दिया जायेगा। दूसरे शब्दोंमें, जो निहित स्वार्थ अबतक इतने पवित्र माने जाते थे, एक सनक पूरी करनेके लिए छीन लिये जायेंगे।
६. १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत मलायी लोगोंके लिए पंजीयन अनिवार्य था।	नये अध्यादेशके अमलसे मलायी लोग मुक्त हैं।
७. १८८५ का कानून ३ एक अनभिज्ञ सरकारने पास किया था और ब्रिटिश सरकारने उसको वापस लेनेका वचन दिया था।	वर्तमान अध्यादेश एक विज्ञ सरकारने, जो भारत और उसकी सभ्यताके इतिहाससे पूरी तरह परिचित है, जानबूझ कर पास किया है।
८. उत्तरदायी सरकार १८८५ के कानून ३ को वर्ग-विधानका पूर्वादर्श नहीं बना सकी।	उत्तरदायी सरकार इस अध्यादेशको वर्ग-विधानका पूर्वादर्श माने तो वह सर्वथा उचित ही होगा।
९. १८८५ का कानून ३ एक सरकारने उन लोगोंके सम्बन्धमें पास किया था जो उसके प्रजाजन नहीं थे।	वर्तमान अध्यादेश एक ऐसी सरकारने पास किया है जो उसी साम्राज्यके अन्तर्गत है जिसके अन्तर्गत भारतीय हैं।
१०. चूँकि पंजीयन अपमानजनक नहीं था, इसलिए छूटका कोई प्रश्न ही नहीं उठता था।	वर्तमान अध्यादेश भारतीयोंका स्तर काफिरोंसे भी नीचा कर देता है; (क) क्योंकि उन काफिरोंको, जिनके लिए पास रखना आवश्यक है, वैसे अपमानजनक शिनाख्ती ब्योरे नहीं देने पड़ते जिनका विधान अध्यादेशमें है। (ख) काफिर एक निश्चित दर्जा प्राप्त करनेके बाद पास रखनेके दायित्वसे मुक्त कर दिये जाते हैं, किन्तु भारतीयोंको, भले ही उनका दर्जा कुछ भी हो या वे कैसे ही सुशिक्षित क्यों न हों, पंजीकृत होना ही चाहिए और पास रखने ही चाहिए।

नये अध्यादेशके कारण

२४. हमें मालूम हुआ है कि अध्यादेशको पास करनेके कारण निम्न हैं :

(क) यह कि स्थानीय सरकार भारतीयोंकी, जिनके विरुद्ध ट्रान्सवालके गोरे अधिवासियोंमें बहुत ज्यादा पूर्वग्रह है, कथित अनधिकृत बाढ़को रोकना चाहती है।

(ख) स्थानीय सरकारका विश्वास है कि भारतीय समाजकी ओरसे देशको अनधिकृत रूपसे आनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंसे भर देनेका एक संगठित प्रयत्न किया जा रहा है।

२५. इस बातसे इनकार नहीं किया जाता कि ऐसे भारतीय हैं जो ट्रान्सवालमें अनधिकृत रूपसे प्रवेश करनेका प्रयत्न करते हैं। इनका मुकाबला करनेके लिए वर्तमान कानून, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, सर्वथा पर्याप्त है। भारतीयोंने अनधिकृत प्रवेशकी बाढ़की बातका खण्डन बार-बार किया है और यह बात कभी सिद्ध भी नहीं हुई है। भारतीय समाज द्वारा प्रवेशके संगठित प्रयत्नका आरोप सरासर मनगढ़न्त है।

स्थानीय पूर्वग्रह

२६. कितने ही गोरे, खास तौरसे छोटे व्यापारी वर्गके लोग, पूर्वग्रह रखते हैं। यह बात मान ली गई है। साथ ही हम आदरपूर्वक यह भी कहेंगे कि गोरे लोगोंका सामान्य समुदाय उदासीन है। भारतीय व्यापारी थोक यूरोपीय पेढ़ियोंके और भारतीय फेरीदार सभी प्रकारके गोरे गृहस्थोंके सहयोगपर निर्भर हैं। दोनों ही इस सहयोगके बिना ट्रान्सवालमें जीवित नहीं रह सकते। हमारे इस तर्कका समर्थन उस प्रार्थनापत्रसे[1] होता है जो श्री हॉस्केन और प्रमुख पेढ़ियोंके दूसरे प्रतिनिधियोंने भारतीयोंकी ओरसे पेश किया था।

पूर्वग्रहको सन्तुष्ट करनेका उपाय

२७. किन्तु इस पूर्वग्रहको मानते हुए, भारतीय समाजने सदा ही केप या नेटालके ढंगपर प्रवासको प्रतिबन्धित करनेका सिद्धान्त स्वीकार किया है, बशर्ते कि सहायक और सेवक लानेकी अनुमति रहे। चूँकि व्यापारी ही शत्रुता और ईर्ष्याको उत्पन्न करते हैं, इसलिए भारतीय समाजने यह सिद्धान्त भी मान लिया है कि नगरपालिकाएँ नये व्यापारिक परवानोंका नियन्त्रण और नियमन करें; किन्तु जहाँ उनके निर्णय अत्यन्त अन्यायपूर्ण हों वहाँ सर्वोच्च न्यायालयको पुनर्विचारका अधिकार हो। यदि ये दो कानून मंजूर कर लिये जायें तो इनसे एशियाइयोंके अपरिमित प्रवेशका या व्यापारमें उनकी स्पर्धाका सब भय दूर हो जायेगा। *किन्तु ऐसा जो भी कानून बनाया जाये उससे १८८५ के कानून ३ को रद करके यहाँके अधिवासी भारतीयोंको अचल सम्पत्तिके स्वामित्वका अधिकार फिर दिलाया जाये और चलने-फिरने और यात्राकी स्वतन्त्रता बहाल की जाये।*

२८. अनुभव बताता है कि जहाँ-कहीं खास तौरसे कमजोर जातियोंपर लागू होनेवाला वर्ग-विधान बनाया गया वहाँ सदैव सत्ताका घोर दुरुपयोग हुआ है। परन्तु उपर्युक्त ढंगके कानूनमें, जो सबपर लागू होगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह जायेगी। इसके अलावा इससे श्री चेम्बरलेन द्वारा उपनिवेशीय प्रधानमन्त्री सम्मेलनमें[2] निर्धारित और उसके बाद अमलसे पुष्ट नीति भी जारी रहेगी। इसी नीतिके कारण नेटाल विधान-सभाका पहला मताधिकार अपहरण विधेयक[3] और प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका मसविदा[4] नामंजूर कर दिये गये थे जो खास तौरसे एशियाइयोंपर

१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३१९-२०।
२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३९१।
३. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६८ और खण्ड २, पृष्ठ ६३।
४. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २८८।

लागू होते थे और स्वर्गीय हैरी एस्कम्ब[1] द्वारा पेश किये गये थे। ऐसा वर्गभेद-रहित कानून अब कारगर तौरपर पास किया जा सकता है। तब इससे आगामी उत्तरदायी सरकारके सामने यह कल्पना स्पष्ट हो जायेगी कि साम्राज्य सरकारने प्रतिबन्धक कानून क्यों पास किया था तथा आगेके प्रतिबन्धोंकी आवश्यकता सिद्ध करनेकी जिम्मेदारी भी उसकी ही होगी।

२९. किन्तु यदि ऐसा कदम इस समय व्यावहारिक न हो तो शिष्टमण्डलकी विनीत सम्मतिमें समस्त प्रश्न तबतकके लिए छोड़ दिया जाये जबतक नये विधानके अन्तर्गत नव-निर्मित ट्रान्सवाल विधानसभाकी बैठक नहीं होती।

वैकल्पिक उपाय : एक आयोग

३०. इस बीच भारतीय समाजके लिए कमसे-कम इतना कर देना उचित है कि एक शक्तिशाली और निष्पक्ष आयोग नियुक्त किया जाये, जो ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंके अनधिकृत प्रवेश सम्बन्धी आरोपोंकी जाँच करे और शान्ति-रक्षा अध्यादेशके प्रशासनके बारेमें, जहाँतक वह ब्रिटिश भारतीयोंको प्रभावित करता है, रिपोर्ट दे। वह इस सम्बन्धमें भी रिपोर्ट दे कि ब्रिटिश भारतीयोंके अवैध प्रवेशको रोकनेके लिए वर्तमान कानून पर्याप्त हैं या नहीं। वह सामान्यतः ब्रिटिश भारतीयोंको प्रभावित करनेवाले कानूनोंके सम्बन्धमें भी राय जाहिर करे। यदि जिन लोगोंने आरोप लगाया है वे सच्चे हैं तो आयोगकी कार्रवाईमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए।

ब्रिटिश भारतीयोंकी अन्य एशियाइयोंसे भिन्नता

३१. शिष्टमण्डलको खास तौरसे इस बातका आग्रह करनेकी हिदायत दी गई है कि ब्रिटिश भारतीयोंको प्रभावित करनेवाले प्रश्नपर इसी रूपमें विचार किया जाये और उन्हें अन्य अब्रिटिश एशियाइयोंके साथ न मिलाया जाये। ब्रिटिश भारतीयोंको ट्रान्सवालके कानूनोंके सम्बन्धमें भी विशेष वचन दिये गये हैं, भारतमें भी और भारतसे बाहर भी। अगर अब भारतीय इन वचनोंकी समुचित पूर्तिकी माँग करते हैं तो उसे अधिक नहीं मानना चाहिए।

३२. इसके अलावा, समाजकी साख दाँवपर है। संशोधन अध्यादेश एक दण्डात्मक कानून है। यह ट्रान्सवालमें समाज द्वारा अनधिकृत भारतीयोंको प्रवेश करानेके कथित संगठित प्रयत्नका मुकाबला करनेके लिए पेश किया गया है। यदि महामहिमकी सरकार ऐसे कानूनको मंजूर कर देती है तो वह समग्र भारतीय समाजको अपराधी ठहरानेमें भागीदार होगी और वह भी ऐसे गम्भीर आरोपको सिद्ध करनेके लिए सार्वजनिक रूपसे कोई प्रमाण प्रस्तुत किये बिना।

हम हैं, लॉर्ड महोदयके विनम्र सेवक,

मो० क० गांधी

हा० व० अली

ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलके सदस्य

छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सी० ओ० २९१, खण्ड ११३, इंडिविजुअल्स तथा एस० एन० ४४४१ अ) से।

१. (१८३८-९९) नेटालके प्रधानमंत्री, १८९७; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९०।

५३. पत्र: जॉर्ज गॉडफ्रेको

होटल सेसिल
[लन्दन]
अक्तूबर ३१, १९०६

प्रिय जॉर्ज,

आपका निवेदनपत्र[१] इस पत्रके साथ भेजा जा रहा है। मुझे भरोसा है कि वह बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मैं उसकी छपाईके खर्चके बारेमें विचार कर रहा हूँ और सोचता हूँ कि यदि हस्ताक्षरकर्त्ता ही छपाईका खर्च उठायें तो यह काम अधिक शानदार होगा। जो-कुछ खर्च किया जाता है उसका पाई-पाई हिसाब मुझे संघको भेजना पड़ता है; ऐसी व्यक्तिगत अपीलका खर्च देना पड़े, इस विचार तक को मैं नापसन्द करता हूँ। इससे उसकी वास्तविकतामें बट्टा लगता है। छपाईका खर्च नगण्य होगा। मैं स्वयं उसे उठा सकता हूँ। श्री अली उसे उठा लेनेको तैयार हैं। लेकिन इनमें से किसी भी बातसे काम न चलेगा। आप लोग — पाँच-छः मिलकर — इसे आपसमें ही बाँट लें। आप बात समझ जायेंगे; मैं सिद्धान्त समझाना चाहता हूँ। बात बहुत मामूली-सी है। लेकिन आपको इस योग्य होना चाहिए कि किसीके भी सामने आप मस्तक ऊँचा करके कह सकें कि हमने ही यह सारा खर्च उठाया है, क्योंकि हमने महसूस किया है। जो निवेदनपत्र मैंने तैयार किया है, उसे छपवानेमें यदि लगे तो दो पौंड लगेंगे।

इस निवेदनपत्रको भेजनेमें विलम्ब न होना चाहिए। मैं तो यह चाहता हूँ कि आप तथा अन्य वे लोग जो इसमें आपका साथ देनेवाले हैं, स्वयं लोकसभामें जायें और वहाँ हमारे हितमें उन लोगोंका अनुमोदन निजी तौरसे प्राप्त करें तथा इस आवेदनपत्रकी छपी हुई प्रतियोंको बँटवानेके लिए व्यक्तिगत रूपसे प्रार्थना करें। इसी प्रकार आप लोग भिन्न-भिन्न सम्पादकोंसे भी मिलें। ये लोग आप लोगोंसे न मिलें तो कोई बात नहीं। ये हमारे उद्देश्यको क्षति नहीं पहुँचा सकते; और मिलते हैं, तो अच्छा ही है।

आपका शुभचिन्तक,

श्री जॉर्ज गॉडफ्रे
लन्दन

टाइप की हुई अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४३३) से।

१. हस्ताक्षरकर्ताओंके साथ परामर्शके बाद लॉर्ड एलगिनको दिये जानेवाले आवेदनपत्रका यह मसविदा गांधीजीने संशोधित कर दिया था। अन्तिम रूपके लिए देखिए "प्रार्थनापत्र: लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ ८४-८५।

५४. पत्र: एच० रोज मैकेंजीको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर ३१, १९०६

प्रिय श्री मैकेंजी,

मुझे खेद है कि जब आप होटलमें आये तब मैं वाहर था। 'एस० ए०' में प्रकाशित आपकी वहुत अच्छी भेंट[1] और उसकी जो चिह्नित प्रति आपने भेजी उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा सारा दिन प्रायः लोगोंसे मुलाकात करनेमें बीत जाता है और मुझे कभी भरोसा नहीं रहता है कि मैं यहाँ कब रहूँगा कब नहीं। परन्तु इस वातकी सम्भावना सदैव रहती है कि मैं होटलमें १ और २ वजेके वीच मिल जाऊँ। यदि आपको फुरसत हो, तो मैं चाहूँगा कि कल दोपहरका भोजन आप मेरे साथ करें। तव जिस प्रश्नके कारण शिष्टमण्डल यहाँ आया है, उसके वारेमें हम और आगे बातें कर सकेंगे। मैं अब भी महसूस करता हूँ कि शान्त-स्वस्थ बातचीतके द्वारा वहुत-कुछ किया जा सकता है; क्योंकि भारतीयोंकी स्थितिके वारेमें यहाँ वड़ी गलतफहमी है। यदि आप आ सकें तो मेहरवानी करके टेलीफोन कर दें या तार भेज दें।

आपका विश्वस्त

श्री एच० रोज मैकेंजी[2]
विंचेस्टर हाउस, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४३५) से।

५५. पत्र: डॉक्टर जोसिया ओल्डफील्डको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर ३१, १९०६

प्रिय ओल्डफील्ड,

आपके पत्रके लिए वहुत-वहुत धन्यवाद। मैं इतना व्यस्त हूँ कि, दीखता है, मुझे अपनी व्यालूका कुछ समय काटकर आपसे १४५ न्यू केंट रोड, एलिफेंट ऐंड कैसलमें वृहस्पतिवारको सायंकाल ६ और ७ वजेके वीच मिलने आना होगा। मैं माने लेता हूँ कि वहाँ आप होंगे ही। यदि मैं न आ सकूँ तो कृपया ७ वजे सायंकालके वाद मेरी प्रतीक्षा न करें। उस दशामें मैं शुक्रवारको ४ वजे सायंकालके वाद किसी समय ब्रॉमले पहुँचनेकी चेष्टा करूँगा। यदि

१. देखिए "भेंट: 'साउथ आफ्रिका' को", पृष्ठ ७-१०।
२. साउथ आफ्रिका पत्रके प्रतिनिधि।

मुझे बृहस्पतिवारके कार्यक्रममें परिवर्तन करना पड़ा और मैं इसे पहलेसे जान सका तो टेलीफोन कर दूंगा या लिख दूंगा।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री अलीकी तबीयत बहुत तेजीसे सुधर रही है।

आपका शुभचिन्तक

डॉ० ओल्डफील्ड
लेडी मार्गरेट अस्पताल
ब्रॉमले
केंट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४३६) से।

५६. पत्र : युक लिन ल्यूको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर ३१, १९०६

प्रिय श्री ल्यू,

मुझे चीनी निवेदनपत्रकी एक प्रति श्री जेम्ससे प्राप्त हुई थी। मैं देखता हूँ कि यह उस मसविदेसे[1] नहीं मिलती, जिसे मैंने तैयार किया था। इसके अनुच्छेद ६ पर गम्भीर आपत्ति की जा सकती है। दूसरे छोटे-मोटे मुद्दे भी ऐसे हैं जिन्हें छेड़नेकी जरूरत नहीं थी। खैर, मैं निवेदनपत्रमें कोई हेरफेर करना आवश्यक नहीं समझता। मैं उस पत्रका मसविदा[2] साथ भेजता हूँ जो परमश्रेष्ठ चीनी मन्त्रीको भेजा जाना चाहिए।

आपका सच्चा,

संलग्न :

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४३७) से।

१. यह उपलब्ध नहीं है।
२. देखिए "चीनी राजदूतके लिए पत्रका मसविदा", पृष्ठ ६३।

५७. पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर ३१, १९०६

सेवामें
निजी सचिव,
परममाननीय अर्ल ऑफ एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री
लन्दन

महोदय,

आपका ३० तारीखका पत्र प्राप्त हुआ। आपकी इस सूचनाके लिए कि लॉर्ड एलगिन बृहस्पतिवार ८ नवम्बरको तीन बजे उपनिवेश कार्यालयमें ट्रान्सवालके भारतीय शिष्टमण्डलसे भेंट करेंगे, मैं अपने साथी प्रतिनिधि श्री अली और अपनी ओरसे लॉर्ड महोदयको सादर धन्यवाद देता हूँ।

आपके पत्रके अन्तिम अनुच्छेदमें जो बातें आई हैं उनको मैंने लक्ष्य कर लिया है और मैं इस बातका ध्यान रखूँगा कि संख्या बारहसे आगे न बढ़े। ज्योंही सूची पूरी हो जायेगी, मैं आपकी सेवामें उन लोगोंके नाम भेज दूँगा, जो उपस्थित होंगे।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४३८) से।

५८. पत्र: कुमारी एडा पायवेलको[1]

[होटल सेसिल
लन्दन]
अक्तूबर ३१, १९०६

प्रिय कुमारी पायवेल,

आपका इसी महीनेकी २६ तारीखका पत्र मिला। आपसे परिचय प्राप्त किये बिना इंग्लैंडसे चले जानेपर मुझे बहुत दुःख होगा। क्या आप कृपापूर्वक मुझे बतायेंगी कि किसी दिन मेरे लिए लेस्टर आना सम्भव हुआ तो आप मुझे वहाँ मिलेंगी। बहुत मुमकिन है कि अपने कार्यमें बाधा डाले बिना मैं एक दिन इसके लिए निकाल लूँ।

आपका सच्चा,

कुमारी एडा पायवेल
३५, मेल्बोर्न स्ट्रीट
लेस्टर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४३९) से।

१. देखिए "पत्र: ए० एच० वेस्टको", पृष्ठ २२-२३।

५९. पत्र : हाजी वजीर अलीको

होटल सेसिल
लन्दन
अक्तूबर ३१, १९०६

प्रिय श्री अली,

मुझे अत्यन्त खेद है कि मैं आज शामको नहीं आ सका, परन्तु कल आनेकी कोशिश करूँगा। जब हम लोग मिलेंगे तब आपको बताऊँगा कि मैं अपना समय कैसे व्यतीत करता रहा हूँ। इस बीच, इतना ही कह सकता हूँ कि जोहानिसबर्गकी अपेक्षा यहाँ मुझपर कामका भार अधिक पड़ा है। पिछली रात तो मैं ३-३० बजे सुबह सोया था।

चीनी शिष्टमण्डलका काम आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं उसके सम्पर्कमें हूँ। चीनी मन्त्री द्वारा भेजा जानेके लिए मैंने एक निवेदनपत्र[1] भेज दिया है।

आपके रोज यहाँ आने और तीसरे पहर लौट जानेके बारेमें मिलनेपर विचार करेंगे।

आज रात मुझे लोकसभामें सर रिचर्ड सॉलोमनसे[2] मिलनेका इत्तिफाक हुआ और उनसे संक्षेपमें बातें हुई। सारे मामलेपर उनका रुख बहुत अच्छा था। वे आपके बारेमें पूछते थे।

न्यायमूर्ति अमीर अलीसे मैं स्वयं अबतक नहीं मिल सका हूँ। परन्तु उनके साथ पत्र-व्यवहार करता रहा हूँ। श्री अमीर अलीने मुझे लिखा है कि वे शिष्टमण्डलकी भेंटके दिन हमसे मिलेंगे। सर मंचरजीका दृढ़ मत है कि एक स्थायी समिति[3] होनी चाहिए। इसलिए, इस विचारसे कि हमारे यहाँ रहते-रहते इसकी स्थापना हो जाये, मैंने इसकी स्वीकृतिके लिए तार[4] भेजा है।

मैंने फोनसे आपके पास सन्देश भेजा है कि मैं सम्भवतः कल ब्रॉमले आऊँगा। मुझे ६ या ७ बजे शामके बीच डॉ० ओल्डफील्डसे मिलना है और सम्भवतः उनके साथ ही आऊँ।

आपका शुभचिन्तक,

श्री हाजी वजीर अली
लेडी मार्गरेट अस्पताल
ब्रॉमले
कैंट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४४०) से।

१. देखिए "पत्र : युक लिन ल्यूको", पृष्ठ ६० ।
२. सर रिचर्ड इस समय इंग्लैंडमें थे । देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४८०-८१ ।
३. देखिए "पत्र : हेनरी एस० एल० पोलकको", पृष्ठ १९-२२ ।
४. यह तार उपलब्ध नहीं है ।

६०. चीनी राजदूतके लिए पत्रका मसविदा[1]

[अक्तूबर ३१, १९०६ के बाद]

प्रेषक
चीनके महामहिम सम्राट्के विशेष राजदूत
और सर्वाधिकार-सम्पन्न मन्त्री
लन्दन

सेवामें
परमश्रेष्ठ सर एडवर्ड ग्रे
महामहिम ब्रिटिश सम्राट्के मुख्य विदेश-मन्त्री

महोदय,

ट्रान्सवालमें रहनेवाले स्वतन्त्र चीनी प्रजाजनोंने उक्त उपनिवेशमें अपनी शिकायतोंके बारेमें, और विशेष रूपसे ट्रान्सवाल विधानपरिषद द्वारा पास किये गये २९ नवम्बरके उस अध्यादेशके सम्बन्धमें, जिसे 'एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेश' कहा गया है, एक प्रार्थनापत्र मुझे भेजा है। उसका अविकल अनुवाद पत्रके साथ प्रेषित कर रहा हूँ। श्री एल० एम० जेम्सने मुझसे भेंट की। वे उपर्युक्त चीनी प्रजाजनों द्वारा उक्त प्रार्थनापत्रको व्यक्तिगत रूपसे प्रस्तुत करने और उनका मामला मेरे सामने रखनेके लिए भेजे गये विशेष प्रतिनिधि हैं।

मुझे लगता है कि यदि प्रार्थनापत्रमें कही गई बातें सही हैं — और मैंने जो पूछताछ की है उससे तथा दक्षिण आफ्रिकाके मुख्य चीनी वाणिज्य-दूतसे जो-कुछ ज्ञात हुआ उससे मुझे इन वक्तव्योंके सही होनेमें सन्देह नहीं है — तो चीनी प्रजाजनोंकी शिकायत बहुत ठीक है।

मुझे मालूम है कि प्रार्थनापत्रके अनुच्छेद ७ में जिन आपत्तिजनक बातोंका उल्लेख किया गया है वे स्वयं अध्यादेशमें नहीं हैं, परन्तु मुझे खबर मिली है कि ट्रान्सवाल सरकारका इरादा अँगुलियोंके निशानों और शिनाख्तकी दूसरी बातोंके लिए विनियम बनानेका है, यदि प्रार्थी इसपर रोष प्रकट करें तो वह ठीक ही होगा। इस प्रकारके विनियमोंकी बात छोड़ दें तो भी यह अध्यादेश निःसन्देह गम्भीर आपत्तिके योग्य जान पड़ता है और उसके कारण चीनी प्रजाजनोंको अनावश्यक कठिनाइयों, असुविधाओं और अपमानका सामना करना पड़ेगा।

आपका ध्यान मैं इस तथ्यकी ओर आकृष्ट करता हूँ कि महामहिम सम्राट् एडवर्ड सप्तम और चीनके सम्राट्के सम्बन्ध अत्यन्त मैत्रीपूर्ण हैं, और सम्पूर्ण चीनी साम्राज्यमें ब्रिटिश प्रजाजनोंको ऐसे व्यवहारका अधिकार प्राप्त है जो परम कृपापात्र राष्ट्रोंके साथ किया जाता है।

इसलिए मैं भरोसा करता हूँ कि परमश्रेष्ठ ट्रान्सवालमें चीनी प्रजाजनोंको समुचित व्यवहार दिलाना उचित समझेंगे। मेरा खयाल है, कि ग्रेट ब्रिटेनके साथ मैत्रीमें आबद्ध एक स्वतन्त्र राष्ट्रके प्रजाजनोंके नाते वे इसके अधिकारी हैं।

परमश्रेष्ठका आज्ञाकारी सेवक,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४४१) से।

१. इस आवेदनपत्रका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था। देखिए "पत्र: युक् लिन ल्यूको", पृष्ठ २८ और "पत्र: हाजी वजीर अलीको", पृष्ठ ६२।

६१. भेंट : 'साउथ आफ्रिका' को[1]

[लन्दन
नवम्बर १, १९०६]

'साउथ आफ्रिका' के एक प्रतिनिधिसे वातचीत करते हुए ऐडवोकेट श्री गांधीने . . . कहा कि नेटाल भारतीय कांग्रेसने शिष्टमण्डलके उद्देश्योंसे सहानुभूति प्रकट करते हुए एक वैसा ही प्रस्ताव पास किया है जैसा अभी हालमें केपके ब्रिटिश भारतीयोंने पास किया था।

[गांधीजी :] नेटालके विषयमें कहते हुए मैं एक तारका[2] जिक्र कर दूं जो मुझे मिला है और जिसमें मुझसे अनुरोध किया गया है कि मैं श्री रैल्फ टैथम द्वारा नेटाल विधानमण्डलमें पेश किये जानेवाले विधेयकसे सम्बन्धित प्रश्नोंको यहांके अधिकारियोंके सामने रखूं।

[संवाददाता :] भारतीय दृष्टिकोणके अनुसार इस कानूनके विरुद्ध मुख्य आपत्तियाँ क्या हैं?

[गांधीजी :] अच्छा, मान लीजिए यह विधेयक कानून बन जाता है — जिसकी मैं एक क्षणके लिए भी कल्पना नहीं कर सकता — तो इसका विशुद्ध परिणाम यह होगा कि सैकड़ों भारतीय व्यापारी अपनी जीविकाके साधनसे वंचित हो जायेंगे। इसका अर्थ होगा कलमकी एक ही रगड़से निहित अधिकारोंका अन्त। डर्वनमें ७,००० की सूचीमें केवल २५० के लगभग और मैरित्सवर्गमें करीब ३,००० में ३१ के लगभग भारतीय मतदाता हैं और ये सभी व्यापारी ही तो नहीं हैं। इनमें से कुछ व्यवसायी हैं, और बहुत-से इस समय नेटालमें हैं ही नहीं। इसलिए अगर यह विधेयक पास होकर कानून बन जाये तो, डर्वन और मैरित्सवर्गसे भारतीय व्यापारियोंका नामोनिशान ही मिट जायेगा। इसके अतिरिक्त जहाँतक भविष्यमें आनेवाले भारतीयोंका सम्बन्ध है, मताधिकार अधिनियमके कारण मतदाता-सूची अब बन्द हो चुकी है, क्योंकि मताधिकार-अधिनियम उन देशोंसे आनेवाले लोगोंके नाम सूचीमें दर्ज करने-पर प्रतिबन्ध लगाता है जहाँ संसदीय संस्थाएँ नहीं हैं।

किन्तु परवानोंका मामला तो फिलहाल परवाना-अधिकारियोंके हाथोंमें है?

हाँ, यह ठीक है और ऐसी हालतमें इस प्रकारके विधेयकको पेश करनेका कारण मेरी समझमें नहीं आता। नेटालके वर्तमान विक्रेता परवाना-अधिनियमके अनुसार परवाना देना-न-देना परवाना-अधिकारियोंकी मर्जीपर छोड़ दिया है।

और मेरे खयालसे इस मर्जीका प्रयोग न्यायपूर्वक किया जाता है?

बिलकुल नहीं; बल्कि परवाना-अधिकारियोंने इस मर्जीका प्रयोग कभी-कभी अत्यन्त मनमाने ढंगसे किया है और सर्वोच्च न्यायालयसे कोई राहत नहीं मिल पाई है।

१. यह ३-११-१९०६ के साउथ आफ्रिका में प्रकाशित किया गया और १५-१२-१९०६ के इंडियन ओपिनियन में इसका पुनः प्रकाशन हुआ।

२. देखिए "पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको", पृष्ठ ७६।

क्या आप कोई विशेष उदाहरण दे सकते हैं, श्री गांधी?

निश्चय ही दे सकता हूँ। फ्राइहीडमें एकमात्र भारतीय व्यापारी दादा उस्मान व्यापार करनेके परवानेसे वंचित कर दिये गये, यद्यपि वे अपनी भूमिपर व्यापार करते थे और बोअर-शासनमें[1] भी ऐसा बहुत समय तक करते रहे थे। यदि फ्राइहीड ट्रान्सवालमें ही रह जाता, तो दादा उस्मान आज भी व्यापार करते होते; किन्तु चूँकि फ्राइहीडको नेटालमें मिला दिया गया है और ट्रान्सवालका एशियाई-विरोधी कानून वहाँ बरकरार है इसलिए भारतीयोंके विरुद्ध दुहरे कानून लागू हैं। इनमें से, जहाँतक भारतीय व्यापारियोंको परवाने देनेका सम्बन्ध है, नेटालका कानून ज्यादा कड़ा है।

इसका श्री उस्मानपर क्या प्रभाव पड़ता है?

इसका परिणाम यह हुआ है कि ट्रान्सवाल कानूनके अनुसार वे फ्राइहीडमें भूसम्पत्ति नहीं रख सकते; और नेटाल कानूनके कारण वे अपने व्यापारके लिए परवाना-अधिकारीकी दयापर निर्भर हैं। अतएव, उन्हें उस जिलेको बिलकुल छोड़ ही देना पड़ा है।

क्या यह एक अपवादका मामला नहीं है, जो फ्राइहीडकी विशेष परिस्थितियोंसे उठ खड़ा हुआ है?

बात ऐसी नहीं है। डर्बनके परवाना-अधिकारीने रेशमी वस्त्रोंके प्रसिद्ध भारतीय व्यापारीके परवानेको एक व्यवसाय-केन्द्रसे दूसरेके लिए बदलनेसे इनकार कर दिया, यद्यपि उक्त व्यापारी बहुत दिनोंसे यह धंधा कर रहा है और यूरोपीय व्यापारसे उसकी दूकानकी कोई स्पर्धा नहीं है।[2] मुझे लगता है कि वास्तवमें श्री टैथमका विधेयक अनावश्यक है, और वह दरअसल नेटालसे भारतीयोंको बिलकुल निकाल बाहर करनेका प्रयास ही है।

किन्तु आप जानते हैं नेटालमें भारतीयोंके विरुद्ध एक प्रबल विद्वेष उभर रहा है?

मैं यह नहीं समझ पाता कि ऐसी कोई भावना क्यों होनी चाहिए। नेटालपर भारतीयोंका तिहरा आभार है। एक तो यह है कि उसकी समृद्धिका कारण भारतीय गिरमिटिया मजदूरोंका वहाँ होना है; दूसरे, नेटालके भारतीयोंने ही बोअर-युद्धके[3] समय १,००० से अधिक भारतीयोंका एक आहत-सहायक दल खड़ा किया था जिसके कामका उल्लेख जनरल बुलरके खरीतोंमें विशेष रूपसे किया गया था; और तीसरे, यह कि अभी हालके वतनी-विद्रोहमें भारतीयोंने नागरिकोंके नाते अपना कर्तव्य समझकर तथा अपने राजनीतिक विचारोंका कतई कोई खयाल न करके सरकारको एक भारतीय डोलीवाहक दलकी[4] सेवाएँ अर्पित की थीं। इस दलकी सेवाओंको सर हेनरी मैक्कैलमने बहुत सराहा है।

एक क्षणके लिए ट्रान्सवाल अध्यादेशके प्रश्नपर वापस आते हुए हमारे प्रतिनिधिने श्री गांधीको बताया कि कानूनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे भारतीयोंकी शिनाख्त अँगुलियोंके निशानोंसे करना जरूरी हो।

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ १२७-२८।
२. हुंडामलका मामला; देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ३८५-८६।
३. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १४७-५२।
४. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३७३ और ३७८-८३।

बात ठीक है। किन्तु श्री लॉयनेल कर्टिसने, जो उस समय ट्रान्सवालमें शहरी मामलोंके सहायक उपनिवेश-सचिव थे, तीन महीने पहले एक ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलसे कहा था कि सरकार शिनाख्तका एक ऐसा तरीका कायम करना चाहती है, जिसके मुताबिक सभी भारतीयोंको अपने पासोंपर अपनी दसों उँगलियोंके निशान लगाने पड़ेंगे। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसपर शिष्टमण्डलने स्वभावतः कड़ी आपत्ति की थी।

किन्तु अध्यादेशमें ऐसा कोई विधान नहीं है?

नहीं; लेकिन अध्यादेशमें यह विधान है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके अन्तर्गत समय-समयपर ऐसे विनियम बना सकता है जिनके द्वारा दूसरी बातोंके साथ-साथ यह निर्धारित किया जायेगा कि भारतीय अपनी शिनाख्तका सबूत किस प्रकार दें। अध्यादेशके अनुसार पुलिस अधिकारी १६ वर्षसे अधिक उम्रके सभी एशियाइयोंसे न केवल अपने पास पेश करनेको कह सकते हैं, बल्कि विनियमों द्वारा निर्धारित शिनाख्तके सबूत देनेके लिए जोर भी दे सकते हैं। और श्री कर्टिसकी घोषणाके अनुसार इस सबूतका अर्थ है उँगलियोंके निशान। जहाँतक मैं जानता हूँ, ऐसा तरीका कमसे-कम भारतीयोंपर संसारके किसी भागमें लागू नहीं है। यह नेटालमें गिरमिटिया भारतीयोंपर भी लागू नहीं होता।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-१२-१९०६

६२. पत्र: सर चार्ल्स श्वानको

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर १, १९०६

प्रिय महोदय,

ट्रान्सवालकी विधान-परिषद द्वारा जो एशियाई अध्यादेश हालमें स्वीकृत किया गया है, उसके सम्बन्धमें लॉर्ड एलगिन और उनके बाद श्री मॉर्लेसे मिलनेके लिए ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके शिष्टमण्डलके रूपमें श्री अली और मैं दक्षिण आफ्रिकासे आये हुए हैं। जिन सज्जनोंकी दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोंके साथ सहानुभूति है और जिन्होंने इस प्रश्नका थोड़ा भी अध्ययन किया है, उन्हें श्री अली और मैं इस बातके लिए प्रेरित कर रहे हैं वे हमारा नेतृत्व करें। संलग्न सूची[१] के सज्जनोंने शिष्टमण्डलमें शामिल होना स्वीकार कर लिया है। सर लेपेल ग्रिफिनसे उसका नेतृत्व करनेकी प्रार्थना की गई है, जो उन्होंने स्वीकार कर ली है। चूँकि दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके प्रश्नपर आप सदनमें प्रायः बोले हैं, इसलिए यदि आप इस शिष्टमण्डलमें उपस्थित होकर इसे अपने प्रभावका भी लाभ प्रदान कर

१. बहुत सम्भावना है कि यह तथा नवम्बर २, १९०६ को जी० जे० ऐडमके नाम लिखे पत्रमें उल्लिखित सूची (देखिए पृष्ठ ७२) वही है जो बादमें लॉर्ड एलगिनको भेजी गई। देखिए "पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको", पृष्ठ १०१।

सकें तो श्री अली और मैं बहुत आभारी होंगे। किसी भी हालतमें, यदि आप हमें परिस्थिति सामने रखनेके लिए भेंट देनेकी कृपा करें तो हम बहुत कृतज्ञ होंगे। लॉर्ड एलगिनने शुक्रवार, ८ तारीखको दिनके तीन बजे उपनिवेश-कार्यालयमें शिष्टमण्डलसे मिलनेका समय तय किया है।

श्री अलीकी और अपनी तरफसे
आपका विश्वासपात्र,

संलग्न :

सर चार्ल्स श्वान, संसद-सदस्य
लोकसभा
लन्दन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४४२) से।

६३. पत्र : हैरॉल्ड कॉक्सको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १, १९०६

प्रिय महोदय,

संसदमें मैंने आपसे तीन बार मिलनेकी चेष्टा की और अपने नामकी पर्ची भेजी; परन्तु आपसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं इसके साथ एक पत्र भेज रहा हूँ, जो सर विलियम वेडरबर्नने मुझे दिया है। सर हेनरी कॉटनने मुझे सूचना भेजी है कि आपने शिष्टमण्डलमें शामिल होना स्वीकार कर लिया है। इसके लिए श्री अली और मैं दोनों ही आपके अत्यन्त आभारी हैं। यदि आप कृपापूर्वक मुझे मुलाकातका कोई समय दे सकें तो आपके द्वारा दिये गये समयपर आपकी सेवामें उपस्थित होकर स्थिति आपके सामने रखूंगा। लॉर्ड एलगिनने इसी ८ तारीख, बृहस्पतिवारको ३ बजे उपनिवेश कार्यालयमें शिष्टमण्डलसे मिलनेका समय निश्चित किया है। सर लेपेल ग्रिफिनसे शिष्टमण्डलका नेतृत्व करनेकी प्रार्थना की गई है और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया है।

आपका विश्वासपात्र,

संलग्न :[1]

श्री हैरॉल्ड कॉक्स, संसद-सदस्य
लोकसभा
लन्दन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४४३) से।

१. भूलसे संलग्न पत्र इसके साथ नहीं भेजा गया था। बादको इसे गांधीजीके निजी सचिवने भेजा था।

६४. पत्र : अमीर अलीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १, १९०६

प्रिय महोदय,

आपका पोस्ट कार्ड मिला। उसके आते मेरा वह पत्र, जिसमें आपको शिष्टमण्डलकी भेंटकी तारीख सूचित की गई है, रास्तेमें रहा होगा। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि श्री अली, यद्यपि उनकी हालतमें काफी सुधार है, अभी अस्पतालसे नहीं लौटे हैं। वे और मैं दोनों आपसे मिलने और शिष्टमण्डलके लॉर्ड एलगिनके सामने उपस्थित होनेसे पहले ही आपको स्थितिसे परिचित करा देनेके लिए उत्सुक हैं। इसलिए यदि आप बृहस्पतिवारसे पहले कोई समय दे सकें तो श्री अली इसके लिए खास तौरसे ब्रॉमलेसे यहाँ आ जायेंगे और हम आपकी सेवामें उपस्थित होंगे।

आपका विश्वस्त,

श्री अमीर अली, सी० आई० ई०
लैम्बडेन्स,
वीनहम
रीडिंगके पास

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४४५) से।

६५. एक परिपत्र[1]

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

क्या आप कल (शनिवार, तारीख ३ को) ठीक १२ बजे दिनमें दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय विद्यार्थियों द्वारा लॉर्ड एलगिनको दिये जानेवाले प्रार्थनापत्रके[2] सम्बन्धमें होटलमें उपस्थित रहनेकी कृपा करेंगे?

आपका सच्चा,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४४८) से।

१. यह स्पष्टतया जॉर्ज गॉडफ्रे और इंग्लैंडमें अध्ययन कर रहे दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे ब्रिटिश भारतीयोंको लिखा गया था।

२. देखिए "पत्र: जॉर्ज गॉडफ्रेको", पृष्ठ ५८।

६६. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय अर्ल ऑफ एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री
लन्दन

महोदय,

अपने ३१ अक्तूबरके पत्रके सिलसिलेमें मैं इस पत्रके साथ एक आवेदनपत्र[1] भेज रहा हूँ। इसमें तथ्योंका वह रूप है जिसे प्रतिनिधियोंने तैयार किया है। ८ तारीखको हम लॉर्ड एलगिनसे आगे जो निवेदन करेंगे, उसका यह आधार होगा। यदि आप कृपापूर्वक इसे लॉर्ड महोदयके समक्ष पेश कर देंगे तो मैं आपका बहुत कृतज्ञ होऊँगा।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गांधी

संलग्न :

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल; कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स : सी० ओ० २९१, खण्ड ११३, इंडिविजुअल्स; और टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४७०) से।

६७. पत्र : हेनरी एस० एल० पोलकको

होटल सेसिल
[लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय श्री पोलक,

हम लोगोंने लॉर्ड एलगिनको जो निवेदनपत्र दिया है उसकी २५ प्रतियाँ मैं आपके पास बुक पोस्टसे भेज रहा हूँ। ८ तारीखको भेंटके समय यही बहसका आधार होगा। यह छपनेके लिए नहीं है; क्योंकि इसमें जो प्रश्न उठाये गये हैं, उनमें अधिकांश उन प्रार्थनापत्रोंमें मिलेंगे जो वहाँ दिये गये हैं। यद्यपि यह आपके पास पहुँचते-पहुँचते पुराना पड़ जायेगा, फिर भी, आप चाहें तो, इसपर सामान्य रूपसे चर्चा कर सकते हैं। मित्रोंको तो आप इसकी प्रतियाँ दे ही सकते हैं।

१. देखिए "आवेदनपत्र : लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ ४९–५७।

इस डाकसे मैं आपको एक छोटी-सी टिप्पणी ही भेज रहा हूँ। अधिक भेजनेकी आज शक्ति नहीं है। इस समय १०-४५ बजे हैं। मैं आपके पास कुछ कतरनें भी भेज रहा हूँ।

मैं अपने तारके[1] उत्तरकी प्रतीक्षामें हूँ और आशा करता हूँ कि उन लोगोंको राजी करनेमें आपको कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ा। श्री अली पूर्णतया मेरे साथ हैं। मैंने केवल ३०० पौंड माँगे हैं। और किफायतपर जरा ध्यान रखनेसे उस रकमसे काम चला लेना सम्भव होगा। परन्तु यदि अधिक रकम स्वीकृत हो सके तो काम भी अधिक हो सकता है। सर मंचरजी बड़े उत्साहमें हैं।

कृपया कुमारी नायपलीससे कुमारी टेलरका पता मालूम करें और उसे श्री विसिक्सको भेज दें। उनका पता है, ८३ कर्मशियल रोड, ब्लैकफ्रायर्स, ई० सी०।

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४४९) से।

६८. पत्र : एच० कैलनबैकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय श्री कैलनबैक,

आपके पत्रके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद स्वरूप केवल दो शब्द : ज्यादा कह ही नहीं सकता। जोहानिसबर्गसे यहाँ मुझपर कामका बोझ कहीं ज्यादा है। एक रातके सिवा मैं १ बजेसे पहले कभी नहीं सोया हूँ। कभी-कभी तो मुझे साढ़े तीन बजे सुबह तक बैठना पड़ा है। और मैं नहीं जानता कि आज मैं कब विश्राम पाऊँगा। इस समय सवा दस बजे हैं। मैं हर हफ्ते आपके पत्रोंकी प्रतीक्षा करूँगा। यदि यहाँसे फिर न लिखूँ तो आप कारण समझ ही जायेंगे।

आपका शुभचिन्तक,

श्री एच० कैलनबैक[2]
पो० ऑ० बॉक्स २४९३
जोहानिसबर्ग
दक्षिण आफ्रिका

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४५०) से।

१. यह उपलब्ध नहीं है किन्तु "पत्र : हेनरी एस० एल० पोलकको", (पृष्ठ २०) से स्पष्ट है कि यह तार प्रस्तावित दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समितिके सम्बन्धमें था।

२. जोहानिसबर्गके एक धनी वास्तुकार और टॉल्स्टॉयके प्रशंसक। वे गांधीजीके एक घनिष्ठ मित्र और सहयोगी बन गये थे। देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय २३; और आत्मकथा, भाग ४, अध्याय ३०।

६९. पत्र : ए० एच० वेस्टको

होटल सेसिल
[लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय श्री वेस्ट,

संलग्न पत्रसे[1] आपको, जो कुछ मुझे कहना है, वह सब मालूम हो जायेगा। अति व्यस्त होनेसे मैं अधिक नहीं लिख सकता। अपने पत्रके[2] उत्तरमें मुझे कुमारी पायवेलका एक पत्र मिला था। यदि सम्भव हुआ तो अब भी मैं लेस्टर जानेका प्रयत्न करूँगा।

आपका शुभचिन्तक,

संलग्न :

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४५१) से।

७०. पत्र : डब्ल्यू० जे० मैकिंटायरको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय श्री मैकिंटायर,

मुझे आपका सुन्दर, चटपटा और विनोदपूर्ण पत्र मिला। आपका श्लेष अच्छा है। यह अजीव बात है कि मेरी सहनशीलताके बारेमें आपको पहले इतना अन्दाज नहीं था जितना अब है। खैर, जब कुहरा छँट जायेगा तब हम एक-दूसरेको और अच्छी तरह जान सकेंगे। जबतक आपके पास यह पत्र पहुँचेगा, आपकी परीक्षा निकट आ जायेगी। श्री रिच पास हो गये हैं। और आपके आशाभरे पत्रसे भरोसा होता है कि आप भी पास हो जायेंगे। मैं कल श्रीमती फ्रीथका पता पानेकी उम्मीद करता हूँ।

आपका शुभचिन्तक,

श्री डब्ल्यू० जे० मैकिंटायर[3]
बॉक्स ६५२२
जोहानिसबर्ग

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४५२) से।

१. यह उपलब्ध नहीं है।
२. देखिए "पत्र : कुमारी एडा पायवेलको", पृष्ठ ६१।
३. एक स्कॉट थियॉसफिस्ट और गांधीजीके मुंशी।

७१. पत्र : जे० सी० मुकर्जीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय श्री मुकर्जी,

आपका तार मिला। मैंने प्रोफेसर साहबके[1] हाथ सूची भेजनेका इरादा किया था, परन्तु आखिरी क्षणमें यह बात मेरे ध्यानसे उतर गई। अब मैं स्वयं श्री पोलकके पास नाम भेज दूंगा। आशा है, मैंने आपको बेकार नहीं रोका।

आपका सच्चा,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४५३) से।

७२. पत्र : जी० जे० ऐडमको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय महोदय,

लॉर्ड एलगिनने इसी महीनेकी ८ तारीख, बृहस्पतिवारका दिन शिष्टमण्डलसे भेंट करनेके लिए नियत किया है। संलग्न सूचीमें जिन सज्जनोंके नाम दिये गये हैं वे ट्रान्सवालके प्रतिनिधियोंकी सहायता करेंगे। सर लेपेल ग्रिफिन शिष्टमण्डलका नेतृत्व करेंगे। सूचीमें परिवर्तनकी गुंजाइश है।

आपका सच्चा,

[संलग्न]

श्री जी० जे० ऐडम

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४५४) से।

१. प्रोफेसर परमानन्द।

७३. पत्र : हैरॉल्ड कॉक्सको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय महोदय,

आपका पत्र और पोस्टकार्ड मिले। सोमवारको ४–३० बजे मैं आपकी सेवामें उपस्थित होऊँगा।

आपका सच्चा,

श्री हैरॉल्ड कॉक्स
६, रेमंड बिल्डिंग्ज़
ग्रेज़ इन, डब्ल्यू० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४५५) से।

७४. पत्र : श्रीमती स्पेंसर वॉल्टनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय श्रीमती स्पेंसर वॉल्टन,

आपका गत मासकी ३० तारीखका पत्र मिला। इस समय मैं लॉर्ड एलगिनसे भेंटकी तैयारीमें लगा हूँ। भेंटका दिन आगामी बृहस्पतिवार रखा गया है। इसलिए मैं या तो आगामी शुक्रवारको, या उसके बादवाले सप्ताहके प्रारम्भमें किसी दिन आपसे मिलनेके लिए आनेकी चेष्टा करूँगा। यदि मैं किसी भी तरह समय निकाल सका तो आपको सूचना भेज दूँगा।

आपका शुभचिन्तक,

श्रीमती स्पेंसर वॉल्टन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४५६) से।

७५. पत्र : कुमारी एडिथ लॉसनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय कुमारी लॉसन,

क्या आपका यहाँ न आना यह जाहिर करता है कि आपकी सगाई हो गई है? यदि ऐसा है तो मेरी बधाइयाँ लें। और यदि ऐसा न हो तो कृपया कल यहाँ आकर मुझसे मिलें। मैं न होऊँ तो मेहरबानी करके प्रतीक्षा करें। मैं सम्भवतः सारी सुबह घर ही रहूँगा। यदि तीसरे पहर बाहर गया तो किसीके पास अपने कार्यक्रमकी सूचना छोड़ जाऊँगा। श्री सिमंड्स कदाचित् तीसरे पहर बाहर रहेंगे; नहीं तो वे आपकी प्रतीक्षा करते।

आपका सच्चा,

कुमारी लॉसन
मारफत श्रीमती हॉस्टर
सेंट स्टीफन्स चेम्बर्स
टेलीग्राफ स्ट्रीट, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४५७) से।

७६. पत्र : जे० सी० गिब्सनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय श्री गिब्सन,

आपके सहानुभूतिपूर्ण पत्रके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सच पूछिए तो मेरा पूरा इरादा था कि जोहानिसबर्ग छोड़नेसे पहले मैं आपसे मिल लूँ। परन्तु समयसे जूझते रहनेके कारण मुझे बहुतसे कार्य, जिन्हें मैं करना चाहता था, यों ही छोड़ देने पड़े। स्कॉटलैंड जा सकूँगा, मुझे इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखती। यहाँ मैं एक महीनेके लिए आया हूँ। परन्तु मैं देखता हूँ कि छः महीने काम करूँ, तब भी काफी बच रहेगा। मैं लगभग रात-दिन काममें लगा रहता हूँ।

आपका सच्चा,

श्री जे० सी० गिब्सन[1]
पो० ऑ० बॉक्स १२६१
जोहानिसबर्ग

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४५८) से।

१. जोहानिसबर्ग-निवासी। फरवरी १०, १९०८ को मीर आलमके प्रहारसे बेहोश हो जानेके बाद गांधीजीको श्री गिब्सनके निजी दफ्तरमें ही ले जाया गया था। देखिए *दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास*, अध्याय २२।

७७. पत्र : एस० हॉलिकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय महोदय,

आपका गत मासकी ३१ तारीखका पत्र मिला। यदि आपके लिए सुविधाजनक हो तो आगामी सोमवार या मंगलवारको ९–३० बजे प्रातःकाल आपसे मिलनेमें मुझे प्रसन्नता होगी।

आपका विश्वस्त,

श्री एस० हॉलिक
६२, लन्दन वॉल, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४५९) से।

७८. पत्र : एच० बिसिक्सको

[होटल सेसिल]
लन्दन
नवम्बर २, १९०६

प्रिय श्री बिसिक्स,

जोहानिसबर्गके पतेपर आपने मुझे जो पत्र भेजा था वह दिगन्तरित होकर यहाँ मिला। निस्सन्देह आपको यह पत्र पाकर आश्चर्य होगा। यदि आपके पास समय हो तो आगामी बुधवार या बृहस्पतिवारको ९–३० बजे मुझे आपसे मिलनेमें प्रसन्नता होगी। मैं स्वयं आता, परन्तु मुझे यहाँ बहुत कम ठहरना है, इसलिए बहुतेरे मित्रोंके घरोंपर भेंट करने जानेका कार्यक्रम छोड़ना पड़ा है। आपकी परेशानियोंमें मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है और स्वर्गीया कुमारी बिसिक्सको[1] मैंने जो पेशगी रकम दी थी उस सिलसिलेमें मैं आपसे कुछ भी पटानेकी अपेक्षा नहीं रखता। शाकाहारके प्रचार-कार्यके लिए वह मेरा चन्दा था। मुझे खेद है कि मैं

१. एक थियॉसफिस्ट; गांधीजीकी मुवक्किल और मित्र। गांधीजीने उन्हें शाकाहार भोजनालयके लिए कुछ कर्ज भी दिया था। देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३६।

कुमारी टेलरका पता नहीं जानता। परन्तु मैं जोहानिसबर्गमें अपने लोगोंको लिख रहा हूँ[1] कि वे उनका पता आपको भेज दें।

आपका सच्चा,

श्री एच० बिसिक्स
८३, कमर्शियल रोड
ब्लैक फ्रायर्स, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४६०) से।

७९. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको

होटल सेसिल
लन्दन, डब्ल्यू० सी०
नवम्बर २, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परमश्रेष्ठ परममाननीय अर्ल ऑफ एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री
लन्दन

महोदय,

चूँकि मैं ट्रान्सवाल भारतीय शिष्टमण्डलके सदस्यकी हैसियतसे यहाँ आया हुआ हूँ, नेटाल भारतीय कांग्रेसने नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थानीय निर्योग्यताओंके बारेमें लॉर्ड महोदयकी सेवामें उपस्थित होनेके लिए मुझे संलग्न अधिकारपत्र[2] भेजा है। लगभग ६ वर्षसे ऊपर मैं कांग्रेसका अवैतनिक मन्त्री रहा हूँ और अपने जोहानिसबर्ग-निवासके दौरानमें मुझे कांग्रेसको सलाह देनेका सौभाग्य प्राप्त रहा है। इस तरह नेटालकी स्थितिके बारेमें मुझे काफी निकटका ज्ञान है।

२९ अक्तूबरको मुझे निम्नलिखित तार मिला :

> परवानोंका नया किया जाना केवल संसदीय मतदाताओं तक ही सीमित करनेके बारेमें टैथमका खतरनाक विधेयक विधान-सभामें पेश। व्यापारिक स्वतंत्रता खतरेमें। उपनिवेश कार्यालय और ब्रिटिश जनताको समझाइए। सन्देश प्रातिनिधिक सभा द्वारा अनुमोदित।

इस सन्देशमें उस विधेयकका उल्लेख है जिसे नेटाल विधान-सभाके नये सदस्य श्री रैल्फ टैथम द्वारा पेश किये जानेका प्रस्ताव किया गया है। विधेयकके अनुसार केवल उन्हीं लोगोंके व्यापारिक परवाने नये किये जायेंगे जिनके नाम संसदकी मतदाता-सूचीमें हैं। यदि विधेयक

१. देखिए "पत्र: हेनरी एस० एल० पोलकको", पृष्ठ ६९-७०।
२. भूलसे गांधीजी यह अधिकार-पत्र पत्रके साथ नहीं भेज पाये। देखिए "पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको", पृष्ठ १०९-१०।

कानूनमें परिवर्तित हो गया तो इसका प्रभाव यह होगा कि नेटालके उपनिवेशसे भारतीय व्यापारियोंका पूरी तौरसे नामोनिशान मिट जायेगा।

यदि लॉर्ड महोदय नेटालके मामलोंके बारेमें मुझे थोड़ी देरके लिए भेंट देनेकी कृपा करेंगे तो मैं बहुत कृतज्ञ होऊँगा। और मुझे विश्वास है कि यदि लॉर्ड महोदय समय दे सकें तो नेटालका भारतीय समाज इसकी बड़ी कद्र करेगा।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गांधी

[संलग्न :]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स : सी० ओ० १७९, खण्ड २३९, इंडिविजुअल्स और टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४६१) से।

८०. पत्र : टी० एच० थॉर्नटनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय महोदय,

श्री अराथूनने मुझसे कहा है कि सर लेपेल ग्रिफिनके निमन्त्रणपर आपने कृपापूर्वक उस शिष्टमण्डलमें शामिल होना स्वीकार कर लिया है, जो ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धमें लॉर्ड एलगिनसे भेंट करेगा। इसलिए मैं सविनय निवेदन करता हूँ कि लॉर्ड एलगिन उपनिवेश-कार्यालयमें इसी ८ तारीख, बृहस्पतिवारको ३ बजे शिष्टमण्डलसे मिलेंगे। समयके बारेमें मैं दूसरे सदस्योंको सूचित कर चुका हूँ और आपको यह सुझाव देनेकी धृष्टता करता हूँ कि यह अच्छा होगा, यदि सब सदस्य उपनिवेश-कार्यालयमें ढाई बजे पहुँच जायें। इस तरह शिष्टमण्डलके सदस्योंकी एक छोटी-सी बैठक हो जायेगी। मैं एक परिपत्र[1] भी साथ बन्द कर रहा हूँ। इसे मैंने कुछ कागजोंके साथ सदस्योंको भेजा है।

आपका विश्वस्त,

संलग्न ३

श्री टी० एच० थॉर्नटन, सी० एस० आई०, डी० सी० एल०[2]
मारफत पूर्व भारत संघ
३, वेस्टमिन्स्टर चैम्बर्स
विक्टोरिया स्ट्रीट, एस० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४६२) से।

१. देखिए "परिपत्र", पृष्ठ ४६-४७।

२. श्री टॉमस हेनरी थॉर्नटन (१८३२-१९१३) पंजाब सरकारके मुख्य सचिव (१८६४-७६); भारत सरकारके कार्यकारी विदेश-सचिव (१८७६-७७), तथा भारत सम्बन्धी अनेक ग्रंथोंके लेखक।

८१. पत्र : जे० एच० पोलकको

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर २, १९०६

प्रिय श्री पोलक,

सभाके सम्बन्धमें मैंने श्री रिचको आपके पास भेजा था — केवल इसलिए नहीं कि आप श्री स्कॉटको मेरी अपेक्षा अधिक जानते हैं, बल्कि इसलिए भी कि मैं पूर्ण रूपसे व्यस्त हूँ और यदि जो ३ या ४ दिन अभी बाकी हैं उनमें आप कुछ घंटे रोज दे सकें तो मैं सोचता हूँ कि सदस्योंकी प्रस्तावित सभाके बारेमें जल्दी करना सम्भव हो सकता है। विचार यह है कि शिष्टमण्डलके लॉर्ड एलगिनसे मिलनेसे पहले यह सभा कर ली जाये और सभा द्वारा लॉर्ड एल्गिनके पास भेजा जानेके लिए एक प्रस्ताव भी पास करा लिया जाये। इसलिए यदि आपके लिए सम्भव हो तो कृपया सक्रिय हो जायें। इस बीचमें मैं निश्चय ही, जैसा कि आपने सुझाव दिया है, श्री स्कॉट और दूसरे सदस्योंसे मिलूँगा।

'मॉर्निंग लीडर' के आदमीके सम्बन्धमें आपने क्या किया? क्या आपने भी उस नवयुवककी[1] शिक्षाके प्रश्नपर और आगे विचार किया है जिसके बारेमें पिछले रविवारको मैंने आपसे बात की थी?

मैं कहना चाहता हूँ कि इधर-उधर जाने आदिके बारेमें आपको जो भी व्यय करना पड़ेगा वह मुझे देना चाहिए।

चूँकि मेरे लिए रविवारसे पहले या किसी और दिन पण्डितजीसे[2] मिलना सम्भव नहीं है इसलिए मुझे आशंका है कि आपके घरमें होनेवाले सान्ध्य संगीत-समारोहका आनन्द लेनेसे मुझे अपने आपको वंचित रखना पड़ेगा। मुझे उन्हीं कुछ घंटोंसे सन्तोष करना पड़ेगा जो मैं रविवारको तीसरे पहर आपके साथ बिता सकूँगा। क्या मैं आपसे यह भी निवेदन कर सकता हूँ कि आप सुबह दफ्तर जानेसे पहले होटलमें मुझसे मिलते जायें?

आपका सच्चा,

श्री जे० एच० पोलक
२८, ग्राउने रोड
कैननबरी

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४६३) से।

१. रतनस् पत्तर।
१. पण्डित श्यामजी कृष्णवर्मा।

८२. पत्र : ए० बॉनरकी पेढ़ीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय महोदय,

मैं इस पत्रके साथ ६ पौं० १७ शि० का चेक और आपका बिल आपके हिसावके भुगतानेके लिए भेज रहा हूँ। मैं आपका कृतज्ञ होऊँगा, यदि आप बिलपर प्राप्ति स्वीकार दर्ज करके उसे वापस कर देंगे।

आपका विश्वस्त,

संलग्न : २
चेक, पौं० ६–१७–०
हिसाब

ए० बॉनरकी पेढ़ी[1]
१ और २, टुक्स कोर्ट
लन्दन, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एच० ४४६४) से।

८३. पत्र : सर हेनरी कॉटनको

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर २, १९०६

प्रिय सर हेनरी,

श्री स्कॉट, श्री रॉबर्ट्सन और श्री मैकारनिसने सुझाव दिया है कि भारतीय प्रतिनिधियोंके विचार जाननेके लिए संसदमें सदस्योंकी एक सभा बुलाई जाये। इस सुझावको सर विलियम पसन्द करते हैं। मुझे लगता है कि लॉर्ड एलगिनने शिष्टमण्डलसे मिलनेके लिए जो तारीख निश्चित की है, उससे पहले यदि ऐसी सभा हो सके और यदि सभा शिष्टमण्डलके उद्देश्योंसे सहानुभूतिका कोई प्रस्ताव पास कर ले तो उससे शिष्टमण्डलके और लॉर्ड एलगिनके भी हाथ मजबूत होंगे। इसलिए मैंने श्री स्कॉटको इस बारेमें लिखा है। यदि आप इस विचारको

१. इंडियाके मुद्रक। अनुमान है कि जब गांधीजी इंग्लैंडमें थे, अपना छपाईका काम इन्हींके छापाखानेमें करवाते थे।

पसन्द करें तो मेरा निवेदन है कि कृपया इस सम्बन्धमें कार्रवाई करें। यदि आप चाहें कि मैं आपकी सेवामें उपस्थित होऊँ तो मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ।

आपका सच्चा,

सर हेनरी कॉटन, संसद-सदस्य
४५, सेंट जॉन्स वुड पार्क, एन० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४६६) से।

८४. पत्र : सर हेनरी कॉटनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय सर हेनरी,

आपके इसी १ तारीखके पत्रके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मैंने श्री हैरॉल्ड कॉक्ससे पत्र-व्यवहार शुरू किया है। मैं उनसे मिलनेके लिए संसदमें दो बार गया, परन्तु भेंट नहीं हो सकी।

आपका शुभचिन्तक,

सर हेनरी कॉटन, संसद-सदस्य
४५, सेंट जॉन्स वुड पार्क, एन० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४६५) से।

८५. पत्र : डब्ल्यू० ए० वैलेसको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय महोदय,

पहली मंजिलमें कमरा नं० २८ के किरायेपर उठानेके बारेमें आपका पत्र मिला, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे आशा है कि अगले हफ्ते कभी इसके बारेमें आपको निश्चयपूर्वक बता सकूँगा।

आपका विश्वस्त,

श्री डब्ल्यू० ए० वैलेस
क्वीन ऐन्स चेम्बर्स
ब्रॉडवे
वेस्टमिन्स्टर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४६७) से।

८६. पत्र : युक लिन ल्यूको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय श्री ल्यू,

मुझे आशा है कि विदेश सचिवको भेजनेके लिए चीनी मन्त्रीके पत्रका मसविदा[1] आपको मिल गया होगा।

आपका सच्चा,

परमश्रेष्ठ युक लिन ल्यू
ट्रान्सवालके मुख्य चीनी वाणिज्यदूत
रिचमंड हाउस
४९, पोर्टलैंड प्लेस, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४६८) से।

८७. पत्र : ए० एच० स्कॉटको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

प्रिय श्री स्कॉट,

श्री रॉबर्ट्सन और आपने सुझाव दिया था कि लोकसभाके उन सदस्योंकी एक बैठक बुलाई जानी चाहिए जो ब्रिटिश भारतीय संघमें दिलचस्पी रखते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इस मामलेमें कुछ और किया है या नहीं? लॉर्ड एलगिनसे एक बहुत प्रभावशाली शिष्टमण्डल हमारा परिचय करायेगा। शिष्टमण्डलमें शामिल होनेवाले व्यक्तियोंके नामोंकी सूची[2] और उस निवेदनपत्रकी प्रतिलिपि, जो लॉर्ड एलगिनको दिया जायेगा, मैं इसके साथ भेज रहा हूँ। आगामी बृहस्पतिवारको जब परमश्रेष्ठ शिष्टमण्डलसे मिलेंगे तब यही निवेदनपत्र बातचीतका आधार होगा। लॉर्ड एलगिनने मुझे शिष्टमण्डलके सदस्योंकी संख्या बारह तक सीमित रखनेके लिए कहा है। इसलिए इस विषयसे सम्बन्धित अन्य मित्रोंको, जो, मैं जानता हूँ, खुशीसे शामिल होते, आमन्त्रित करनेसे मुझे वंचित होना पड़ा है। परन्तु मुझे लगता है कि यदि सभा, जिसका ऊपर उल्लेख है, आगामी बृहस्पतिवारसे पहले हो सके और उसमें एक

१. देखिए "चीनी राजदूतके लिए पत्रका मसविदा", पृष्ठ ६३।
२. शिष्टमण्डलके सदस्योंकी अन्तिम सूचीके लिए देखिए "पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको", पृष्ठ १०१।

प्रस्ताव पास हो जाये जो लॉर्ड एलगिनको भेजा जा सके, तो हमारे और लॉर्ड एलगिनके भी हाथ मजबूत होंगे। यदि आप कृपापूर्वक इस मामलेमें कारंवाई करें तो मैं व्यक्तिगत रूपसे आभारी होऊँगा। यदि आप चाहें कि मैं आपकी सेवामें उपस्थित होऊँ तो मैं इसके लिए तैयार हूँ।

आपका सच्चा,

संलग्न २

श्री ए० एच० स्कॉट, संसद-सदस्य
लोकसभा
लन्दन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४६९) से।

८८. पत्र: लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

महानुभाव,

आपके ३१ अक्तूबरके पत्रके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं और श्री अली कमसे-कम इस मासकी १७ तारीख तक लन्दनमें रहेंगे। लॉर्ड एलगिन हमसे इसी ८ तारीखको भेंट करेंगे। यदि श्रीमान उस तारीखसे पहले श्री अली और मुझको मिलनेका अवसर दे सकें तो हम बहुत कृतज्ञ होंगे।

श्रीमानका विनम्र सेवक,

परममाननीय लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन[1]
१७, मॉंटेग्यू स्ट्रीट
पोर्टमन स्क्वेयर, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४७१) से।

१. उपभारत-मंत्री और बादमें भारत-मंत्री।

८९. कच्ची उम्रमें बीड़ीका व्यसन

बीड़ी या सिगरेट पीनेकी आदत नुकसानदेह है, इस ओर कई बार हम अपने पाठकोंका ध्यान आकर्षित कर चुके हैं[1]। इस सम्बन्धमें फिरसे लिखनेका प्रसंग उपस्थित हुआ है। आस्ट्रेलियाके विक्टोरिया प्रान्तमें इस कुटेवको रोकनेके लिए एक कानून बनाया गया है। उसके अनुसार अब १६ वर्षसे कम उम्रवाला कोई भी लड़का सिगरेट नहीं पी सकेगा। इस उम्रके लड़केको बीड़ी बेचते या देते जो व्यापारी पकड़ा जायेगा, उसपर पहली बार २० शि० और दूसरी बार ४० शि० जुर्माना होगा। तीसरी बार पकड़े जानेपर उसका व्यापारिक परवाना पाँच वर्षके लिए रद किया जायेगा।

बीड़ीको रोकनेके लिए पहली बार ही दुनियामें ऐसा सख्त कदम उठाया गया हो, सो बात नहीं है। जर्मनी, जापान और, पास देखें तो, केप कालोनी जैसे सुसंस्कृत राज्योंमें यह कानून मौजूद है; और कुछ समय पहले नेटालमें भी एक ऐसा विधेयक पेश किया गया था। लेकिन जहाँ दूसरोंको पामाल करके और, सम्भव हो तो, देशके बाहर निकालकर धनवान बन जानेकी दिशामें उत्साहको गुमराह किया जाता हो, वहाँ धूम्रपान निरोधक विधेयक क्या काम आयेगा, यह समझमें नहीं आता। तम्बाकू नुकसान ही नहीं पहुँचाता, शरीर और मन दोनोंको निर्बल भी करता है। कच्ची उम्रमें तो उसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है, यह बात सहज ही समझमें आ सकती है। कहीं-कहीं धर्म-नियमोंके द्वारा ही तम्बाकू इस्तेमाल करनेपर रोक लगा दी जाती है। इसीलिए बहुतेरे भारतीय बीड़ी नहीं पीते, यह भी सच है। लेकिन कहीं-कहीं इस लतने इतना घर कर लिया है कि हमें इसके विरुद्ध बार-बार कहनेमें भी संकोच नहीं होता।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-११-१९०६

१. देखिए खण्ड ५, "सिगरेटसे हानि", पृष्ठ ११०।

९०. प्रार्थनापत्र[1] : लॉर्ड एलगिनको

कॉमन रूम
लिंकन्स इन, डब्ल्यू० सी०
नवम्बर ३, १९०६

सेवामें
परममाननीय अर्ल ऑफ एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री
लन्दन

लॉर्ड महोदयकी सेवामें नम्र निवेदन है कि,

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी ब्रिटिश भारतीयोंने बहुत दुःख और चिन्ताके साथ ट्रान्सवालके एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेशको पढ़ा है और स्वभावतः हम ट्रान्सवालसे आये भारतीय शिष्टमण्डलकी गतिविधियोंको बड़ी दिलचस्पीके साथ देखते रहे हैं।

हम सब दक्षिण आफ्रिकी छात्र हैं। हममें से चार बैरिस्टरीका अध्ययन कर रहे हैं और एक चिकित्सा-शास्त्रका। और जब कि ट्रान्सवालमें अपने देशवासियोंकी स्वतन्त्रताके संघर्षके प्रति हमारी सहानुभूति स्वाभाविक ही है, हम मुख्यतः अपने लिए तथा ऐसे लोगोंके लिए चिन्तित हैं जिनकी स्थिति हमसे मिलती-जुलती है। इसलिए हम श्रीमानके सम्मुख नये अध्यादेशके प्रकाशमें अपनी स्थितिको स्पष्ट करनेका साहस करते हैं।

हम सभी दक्षिण आफ्रिकामें पैदा हुए या पाले-पोसे गये हैं और भारतकी अपेक्षा दक्षिण आफ्रिकाको अपना घर ज्यादा समझते हैं। हमारी मातृभाषा तक अंग्रेजी है। हमारे माता-पिताओंने बचपनसे हमें वही भाषा बोलना सिखाया है। हममें से तीन ईसाई हैं, एक मुसलमान है और एक हिन्दू।

हमें प्राप्त सूचना, ट्रान्सवालके शान्ति-रक्षा अध्यादेशके प्रभाव, ट्रान्सवालके श्वेतसंघमें की गई लॉर्ड सेल्बोर्नकी घोषणा और जिस वर्तमान एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेशको लेकर भारतीय शिष्टमण्डल श्रीमानसे भेंट करनेके लिए यहाँ आया है उसके अनुसार, तथा जैसी कि प्रथम हस्ताक्षरकर्ताकी व्यक्तिगत जानकारी है (सिवा पहले हस्ताक्षरकर्ताके जो ट्रान्सवालमें रह चुके हैं और जो ट्रान्सवालके माननीय सर्वोच्च न्यायालयमें अंग्रेजी और भारतीय भाषाओंके मान्य अनुवादक और दुभाषियेका काम करते रहे हैं और जिनका एशियाई विभागसे बहुत ही निकट सम्पर्क रहा है), हम सभी ट्रान्सवालमें नहीं जा सकेंगे; क्योंकि हम ट्रान्सवालमें युद्धसे पूर्व नहीं रहते थे। इस निर्योग्यताका विशुद्ध परिणाम यह होगा कि यद्यपि हमें बैरिस्टरी या डाक्टरी पास कर लेनेपर प्रमाणपत्र मिल जायेंगे और हम उन प्रमाणपत्रों और सच्चरित्रताके प्रमाणोंको पेश करके ब्रिटिश उपनिवेशोंके किसी भी भागमें अपना

१. गांधीजीने इस प्रार्थनापत्रका जो मसविदा तैयार किया था यह उसका अन्तिम रूप है। देखिए "पत्र: जॉर्ज गॉडफ्रेको" की पाद-टिप्पणी, पृष्ठ ५८ और "एक परिपत्र", पृष्ठ ६४। प्रार्थनापत्र ८-१२-१९०६ के इंडियन ओपिनियनमें छापा गया था।

व्यवसाय करनेके अधिकारी हो जायेंगे; किन्तु जहाँतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, हमारे प्रमाण-पत्रों या हमारी उपाधियोंका कोई मूल्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक ओर हम, ट्रान्सवालकी सीमाके बाहर रहते हुए, प्रार्थनापत्र देनेपर न्यायालय या चिकित्सक-संघसे अपना व्यवसाय करनेकी सनद पा सकेंगे, किन्तु ट्रान्सवालमें प्रवेशका अनुमतिपत्र न होनेके कारण हम उसका उपयोग करनेसे वंचित कर दिये जायेंगे।

हममें से अधिकतरको और दूसरे कितने ही लोगोंको, जो दक्षिण आफ्रिकामें या अन्यत्र पैदा हुए हैं, और उतने ही सुशिक्षित हैं, पंजीयन कराना पड़ेगा और पुलिसका जो भी सिपाही हमारा अनुमतिपत्र देखना चाहे, उसके सम्मुख उसे पेश करना होगा। फिर यह प्रमाणित करनेके लिए, कि हम इन पासोंके वैध स्वामी हैं, हमें अपनी शिनाख्तका सबूत देना होगा और इसके लिए हमें थाने या अपराध-जाँच कार्यालय जानेपर बाध्य किया जायेगा। हमें भय है कि उक्त पासोंको लेते समय हमें शिनाख्तका सबूत देनेको कहा जायेगा तथा दसों अँगुलियोंकी छाप लगाने और लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा बनाये जानेवाले विनियमोंके अन्तर्गत अन्य अपेक्षित विवरण देने पड़ेंगे।

इंग्लैंडमें रहकर यहाँकी स्वतन्त्र हवामें जीने और इस देशमें अंग्रेजोंसे हर तरहका लिहाज पानेके बाद हमें उक्त अध्यादेशकी सम्भावनासे जो चिन्ता हो रही है उसे लॉर्ड महोदय आसानीसे समझ सकते हैं। हम यहाँ बेन्थम, ऑस्टिन और उन अन्य अंग्रेज लेखकोंके सिद्धान्तोंकी शिक्षासे पोषित हो रहे हैं जिनके नाम स्वतन्त्रता और स्वाधीनताके बोधक हैं। और हमें विश्वास नहीं होता कि हमने ऊपर जिस बातका उल्लेख किया है वैसी कोई बात हमारे ऊपर लागू की जा सकती है।

अगर इस मामलेका प्रभाव सिर्फ हम ही तक सीमित रहता तो हम यह प्रार्थनापत्र पेश करके लॉर्ड महोदयको कष्ट न देते। किन्तु हम जानते हैं कि भारतीयोंमें अपने बच्चोंको अच्छी शिक्षा देनेकी इच्छा प्रतिदिन बलवती होती जा रही है। दक्षिण आफ्रिकामें आज भी ऐसे भारतीय हैं जिनका हमारे जैसा ही दर्जा है। इसलिए हमें यह उचित ही लगता है कि हम इस विनीत प्रार्थनापत्रके द्वारा ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिसे उत्पन्न तीव्र भावनाकी ओर श्रीमान तथा साम्राज्यके प्रत्येक लोकसेवी व्यक्तिका ध्यान आकर्षित करें। इसलिए हम नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं और हमें आशा है कि श्रीमान हमको तथा हम जैसे अन्य लोगोंको वैसा संरक्षण देंगे जिसका हम अपने आपको अधिकारी माननेकी धृष्टता करते हैं।

हम हैं,
श्रीमानके विनीत और आज्ञाकारी सेवक
जॉर्ज बी० गॉडफ्रे
जोज़ेफ़ रायप्पन
जेस० डब्ल्यू० गॉडफ्रे
ए० एच० गुल
एस० रत्नम् पत्तर

अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २३०७) से।

९१. पत्र : ए० डब्ल्यू० अराथूनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ३, १९०६

प्रिय महोदय,

श्री रिचने आपका कृपापत्र दिया। मैंने संघकी[1] मारफत कल श्री थॉर्नटनके नाम कागज भेजे थे।[2] आशा है, आपने उनको दिगन्तरित कर दिया होगा। आप इस मामलेमें जो दिलचस्पी ले रहे हैं उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं आज फिर श्री थॉर्नटनको लिखकर अपने कलके पत्रकी पुष्टि कर रहा हूँ।

आपका सच्चा,

श्री ए० डब्ल्यू० अराथून
३, विक्टोरिया स्ट्रीट, एस० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४७२) से।

९२. पत्र : एफ० एच० ब्राउनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ३, १९०६

प्रिय श्री ब्राउन,

लॉर्ड एलगिनको जो निवेदनपत्र भेजा गया है, उसकी दो प्रतियाँ आपके देखनेके लिए संलग्न करनेकी धृष्टता कर रहा हूँ। ८ तारीखको होनेवाली भेंटमें जो चर्चाकी जायेगी, यह निवेदन उसके आधारकी तरह काममें आयेगा।

आपका सच्चा,

संलग्न : २
श्री एफ० एच० ब्राउन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४७३) से।

१. पूर्व भारत संघ।
२. देखिए "पत्र : टी० एच० थॉर्नटनको", पृष्ठ ७७।

९३. पत्र : नेटाल बैंकके प्रबन्धकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ३, १९०६

सेवामें
प्रबन्धक
नेटाल बैंक
लन्दन

प्रिय महोदय,

पत्रवाहक श्री रिचको १०० पौंड का ड्राफ्ट जोहानिसबर्गके लिए भरकर देनेकी कृपा करेंगे। उसके बाद मैं उसपर हस्ताक्षर करके अपने खातेमें डालनेके लिए आपके पास भेज दूंगा।

आपका विश्वासपात्र,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४७४) से।

९४. पत्र : अल्बर्ट कार्टराइटको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ३, १९०६

प्रिय महोदय,

आज कोई श्रीमती रीड मुझसे मिलने आई थीं। वे बहुत बीमार जान पड़ती थीं। उन्होंने जो-कुछ कहा, उस सबको मैं समझ नहीं सका। और चूंकि वे बहुत घबराई हुई जान पड़ती थीं, मैंने उनसे कोई प्रश्न भी नहीं किया। उन्होंने आपका नाम लिया और कोई कागज भी दिखाया, जिसपर आपका नाम था। मुझे लगता है, उन्हें कुछ मदद चाहिए। अगर आप उनका मामला जानते हों अथवा आपको उनके मामलेमें दिलचस्पी हो, तो मुझे इस विषयमें कुछ बतानेकी कृपा करें।

आपका विश्वासपात्र,

श्री अल्बर्ट कार्टराइट[1]
६२, लन्दन वॉल, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४७५) से।

१. बादमें ट्रान्सवाल लीडरके सम्पादक। उन्होंने गांधीजी और स्मट्सके बीच मध्यस्थताकी थी। देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय २१.

९५. पत्र : सर चार्ल्स डिल्कको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ३, १९०६

प्रिय महोदय,

मैं ट्रान्सवालसे आये हुए भारतीय शिष्टमण्डलके विषयमें आपके पत्रके लिए बहुत आभारी हूँ। यदि आपका आना सम्भव नहीं है, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप बुधवारको सहानुभूतिका एक पत्र भेजनेकी कृपा करेंगे, जो लॉर्ड एल्गिनके सामने पढ़ा जा सके।

आपका विश्वस्त,

परममाननीय सर चार्ल्स डिल्क, बैरोनेट, संसद-सदस्य
स्लोन स्ट्रीट, डब्ल्यू०

टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४८७६) से।

९६. पत्र : सर लेपेल ग्रिफिनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर, ३, १९०६

प्रिय सर लेपेल,

आपके २ तारीखके पत्रके लिए मैं आभारी हूँ। मैंने प्रश्नसे सम्बन्धित कागजात कल आपके पास भेज दिये थे। अब मैं इसके साथ उनके नामोंकी सूची संलग्न कर रहा हूँ जिन्होंने शिष्टमण्डलमें शामिल होना स्वीकार कर लिया है। लॉर्ड एल्गिनने मुझसे कहा है कि यह संख्या १२ तक सीमित रखी जाये। बहुत सम्भव है कि सर चार्ल्स श्वान भी शामिल हों।

आपका विश्वस्त,

संलग्न :

सर लेपेल ग्रिफिन
४, कैडोगन गार्डन्स, एस० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४७७) से।

९७. पत्र : .. टी० एच० थॉर्नटनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ३, १९०६

प्रिय महोदय,

श्री अराथूनने आपका इसी पहली तारीखका पत्र मेरे पास भेजा है। जैसे ही उन्होंने आपका नाम शिष्टमण्डलके नामोंमें दिया, वैसे ही मैंने आपके पास कागजात भेज दिये थे। आशा है, आपको मिल चुके होंगे। अब मैं इतना ही और कहनेके लिए लिख रहा हूँ कि यदि शिष्टमण्डलकी मुलाकातके पहले, आप श्री अली और मुझे मिलनेका समय दें जिससे हम आपके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकें और आपके सामने और भी अच्छी तरह परिस्थिति रख सकें तो इसके लिए हम आपके बहुत आभारी होंगे।

आपका विश्वस्त,

श्री टी० थॉर्नटन, सी० एस० आई०, डी० सी० एल० आदि
१०, मार्लबरो बिल्डिंग्स
बाथ

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४७८) से।

९८. शिष्टमण्डलकी यात्रा — ५[1]

लन्दन
नवम्बर ३, १९०६

श्री श्यामजी कृष्णवर्मा और इंडिया हाउस

पिछले पत्रमें लिखे अनुसार मैं श्यामजी कृष्णवर्मा तथा इंडिया हाउसके बारेमें कुछ लिख रहा हूँ। श्री श्यामजी कृष्णवर्मा बम्बईके बैरिस्टर हैं। वे श्री छबीलदास भणसालीके दामाद हैं। उनका संस्कृतका ज्ञान बहुत ही अच्छा होनेके कारण स्वर्गीय प्रोफेसर मोनियर विलियम्स उन्हें ऑक्सफोर्ड ले गये थे। वहाँ श्री श्यामजी अपनी बुद्धिमानीके कारण प्रोफेसर नियुक्त हुए और उन्होंने खासी कमाई की।

१. यह और इसके पहलेका पत्र — "शिष्टमण्डलकी यात्रा — ४", (पृष्ठ २९-३०) — इंडियन ओपिनियनके एक ही अंकमें प्रकाशित हुए थे। परन्तु यह बादमें लिखा गया था और इसे अलग पत्रके रूपमें भेजनेका मंशा भी था। इसलिए इसे उचित क्रमानुसार यहाँ अलग दिया जा रहा है।

इसी बीच उन्होंने कानूनका अध्ययन किया, बैरिस्टर बने, ऑक्सफोर्डसे उपाधि ली और ग्रीक-लैटिन आदि भाषाओंका अभ्यास किया। अपने देश लौटते समय वे २,००० पौंड अपने साथ बचाकर ले गये थे। कहा जाता है कि, ऐसा उदाहरण दूसरे किसी भारतीयका दिखाई नहीं दिया। भारतमें वे अजमेर[1] वगैरह जगहोंपर दीवान रहे। बादमें उनके विचार बदले और उन्होंने अपनी कमाईको देश-सेवाके काममें लगानेका निश्चय किया। इसलिए वे विलायतमें आ बसे। यहाँ वे अपनी खरीदी हुई जमीनपर रहते हैं। वे काफी अच्छी स्थितिमें रह सकते हैं, फिर भी अत्यन्त गरीबीसे रहते हैं। पोशाक बहुत ही सादी पहनते हैं और साधुवृत्ति रखते हैं। देश-सेवा ही उनका कर्तव्य है। देशसेवा करनेमें उनकी धारणा यह है कि भारतको पूर्ण स्वराज्य मिलना चाहिए; यानी, अंग्रेजोंको भारतसे बिलकुल निकल जाना चाहिए और सारी सत्ता भारतीयोंको सौंपी जानी चाहिए। यदि अंग्रेज ऐसा नहीं करते तो भारतीयोंको उनकी मदद कतई नहीं करनी चाहिए। इससे वे राजकाज नहीं चला सकेंगे और उन्हें मजबूरन भारत छोड़ना पड़ेगा। उनका अभिप्राय है कि जबतक यह बात नहीं होती, भारतकी प्रजा कदापि सुखी नहीं हो सकती। दूसरे सब साधन स्वराज्यके बाद मिल जायेंगे।

इंडिया हाउस

इन विचारोंको बल मिले और उनके पंथका बहुत-से लोग अनुसरण करें, इस इरादेसे उन्होंने अपने खर्चसे इंडिया हाउसकी स्थापना की है। उसमें अध्ययनके लिए हर भारतीयको प्रवेश मिलता है और विद्यार्थीसे हर हफ्ते बहुत ही कम पैसा लिया जाता है। उसमें हिन्दू मुसलमान सभी रह सकते हैं और रहते हैं। कुछ तो श्री श्यामजीके पैसेसे पढ़ते हैं। हरएकको अपनी रुचिके अनुसार खाने-पीनेकी स्वतन्त्रता है। इंडिया हाउस बहुत सुन्दर जगहपर है, इससे वहाँकी हवा बहुत ही अच्छी है। अली और मैं पहले दिन इंडिया हाउसमें ही उतरे थे। वहाँ हमारी बहुत अच्छी खातिरदारी की गई थी। लेकिन हमारा काम तो बहुत बड़े-बड़े लोगोंसे मिलना था, इसलिए, और इसलिए भी कि इंडिया हाउस दूर था, हमें होटलमें आकर बहुत ज्यादा खर्चपर रहना पड़ा है।

विलायतका खर्च

मैं मानता था कि रोजाना एक पौंड खर्चपर एक आदमी रह सकेगा। लेकिन अनुमानमें मेरी गलती हुई। यहाँ १२ शि० ६ पें० प्रतिदिन तो पलंग और बैठक-घरका लगता है, और स्नानागारका १ शि० ६ पें० अलग। और इतना खर्च होता है सिर्फ एक ही व्यक्तिके लिए। श्री अली अपना स्वास्थ्य बनाये रखनेके लिए डॉ० ओल्डफील्डके परिचर्या-भवनमें सोते हैं। यदि होटलका खाना लें, तो हर भोजनके कमसे-कम ५ शि० लगेंगे, इसलिए खाना शाकाहारी भोजनालयमें खाता हूँ और जब किसी नये या बड़े आदमीको खानेका निमन्त्रण दिया जाता है, तब होटलमें खाता हूँ। जैसे आज श्री जेम्स, चीनी प्रतिनिधि और एक चीनी वकीलको खानेका निमन्त्रण दिया था। साथमें श्री रिच भी थे। इसलिए आजका खाना १ पौंड ११ शिलिंगका हुआ। शाकाहारी भोजनालयमें प्रति व्यक्ति शायद ही कभी १ शि० ६ पें० से ज्यादा होता है। श्री गॉडफ्रे या

१. अजमेर देशी राज्य नहीं था। वह अंग्रेजी राज्यमें था। लगता है, गांधीजी भूलसे उदयपुरके लिए, जहाँ श्री कृष्णवर्मा दीवान रहे थे, अजमेर लिख गये हैं।

कोई दूसरे सहायक मित्र हमेशा साथ रहते ही हैं, इसलिए हर बार तीनसे चार शिलिंग तक खर्च हो जाता है। सभी बड़े-बड़े लोग बहुत दूर रहते हैं, इसलिए गाड़ी-भाड़ा बहुत लगता है। कभी ट्रेन तो कभी बसमें और ज्यादातर बग्घीमें जाना पड़ता है। पैदल चलनेका मौका शायद ही कभी आता है। इतनी जल्दी करनेके बाद भी रोजाना दोसे ज्यादा व्यक्तियोंसे मुलाकात नहीं हो पाती। लोकसभामें जानेपर बहुत बार एक-एक सदस्यके लिए एक-एक घंटा राह देखनी पड़ती है। फिर भी उम्मीद है कि समितिने जो मर्यादा बाँधी है उसके अन्दर खर्च निभ जायेगा।

अवधि थोड़ी

यहाँ एक महीना रहनेका निश्चय किया है। लेकिन अनुभवसे देखता हूँ कि यदि यहाँ छः महीने रह सकूँ तो भी पर्याप्त काम निकल आयेगा और उसका असर भी हुए बिना न रहेगा। सहानुभूति रखनेवाले और हमारा काम करनेवाले बहुत लोग निकल आते हैं।

लॉर्ड एलगिनसे मुलाकात

लॉर्ड एलगिनसे ८ नवम्बरको मिलना है। उस वक्त लेपेल ग्रिफिन, लॉर्ड स्टैनले, सर मंचरजी भावनगरी, श्री दादाभाई नौरोजी, सर हेनरी कॉटन, श्री थॉर्नटन, जस्टिस अमीर अली, श्री हैरॉल्ड कॉक्स, सर जॉर्ज वर्डवुड, सर चार्ल्स डिल्क — इतने सज्जन साथ होंगे। सर लेपेल ग्रिफिन नेता होंगे। वास्तविक स्थितिके सम्बन्धमें संक्षिप्त निवेदन छपवाकर आज लॉर्ड एलगिनको भेज दिया है। उसमें ज्यादातर वे ही दलीलें दी गई हैं जो देते आ रहे हैं। इसलिए मैं उनका अनुवाद करके नहीं भेज रहा हूँ।

अखबारोंमें टीका

'साउथ आफ्रिका', 'मॉर्निंग लीडर' और 'ट्रिब्यून' में मुलाकात प्रकाशित हुई है। 'साउथ आफ्रिका,' बहुत ही कड़वे लेख लिखता था। अब उसने कुछ हद तक हमारे पक्षमें लिखा है। 'टाइम्स' को हमने जो पत्र लिखा था, वह उसने संक्षेपमें प्रकाशित किया है। दूसरे अखबारोंने भी उल्लेख किया है।

लोकसभाके सदस्य

लोकसभाके सदस्य हमें मुलाकात दें और हमारी हकीकत सुनकर सहानुभूतिका एक प्रस्ताव पास करें, इसके लिए हलचल चल रही है। इस काममें श्री पोलकके पिता और श्री रिच हमें बहुत मदद करते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिख सकता। भूतपूर्व भारत-मन्त्री लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनसे मिलनेका प्रयत्न चल रहा है और बहुत करके उनसे मुलाकात हो जायेगी। जो भी हो, सोचा है कि जनवरी पहलीके पहले मैं स्वयं तो लौट ही आऊँगा। श्री अलीने तुर्कीके राजदूतसे मुलाकात माँगी है। उनका उत्तर सोमवारको मिलेगा।

स्थायी समितिकी आवश्यकता

सर मंचरजी बहुत ही लगनसे काम करते हैं। उनकी और दूसरे सज्जनोंकी राय है कि फिलहाल कुछ वर्षोंके लिए स्थायी समिति नियुक्त करनेकी आवश्यकता है। लॉर्ड एलगिन कानून रद कर देंगे, फिर भी ट्रान्सवालको स्वराज्य मिलनेपर और भी नये कानून बनेंगे,

इसलिए यहाँ बहुत ही सावधानीसे काम करना होगा। जबतक कोई एक व्यक्ति उसी काममें लगा नहीं रहता तबतक इस शहरमें सार्वजनिक कार्य करना बहुत ही मुश्किल है। सब लोग सहानुभूति बतलाते हैं, लेकिन यदि उनसे काम लेना हो, तो उन्हें सब पकाकर देना चाहिए, तभी वे कुछ कर सकते हैं। क्योंकि, सभीको काम बहुत रहते हैं। ऐसी समितिके लिए प्रतिवर्ष कमसे-कम ३०० पौंड खर्च आयेगा। इसलिए भारतीय समाज इतना खर्च उठानेका विश्वास दिलाये तभी समिति बनाई जा सकती है। उसके लिए एक कार्यालयकी जरूरत है, उसपर लगभग ५० पौंड वार्षिक खर्च होगा। श्री रिचने अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; इसलिए जबतक वे यहाँ हैं, बहुत काम कर सकते हैं। उन्हें और कुछ नहीं तो हर माह १० पौंड देना चाहिए। वे स्वयं गरीब आदमी हैं, नहीं तो वे इतने भले हैं कि हमारा काम बिना मुआवजेके करते। मतलब यह कि १७० पौंड सिर्फ किराये और सेक्रेटरीपर ही खर्च होनेकी सम्भावना है। शेष घर, प्रवास, छपाई, भोजन वगैरहपर जो खर्च होगा, उसके १०० पौंड रहेंगे। यह रकम बहुत ही कम है। ३० पौंड साज-सज्जामें लगाना सम्भव है। लेकिन यदि इतना खर्च कर दिया जाये, तो काम बहुत ही ज्यादा हो सकता है। सभी बड़े-बड़े कामोंके लिए लन्दन-भरमें ऐसी समितियाँ फैली हुई हैं। हम चीनी लोगोंकी भी ऐसी समिति देखते हैं। हम दोनों यहाँ हैं, तभीतक यह समिति बन सकती है; और काम चूँकि जल्दीका है, इसलिए तार दिया है। उसमें नेटाल और केप दोनों शामिल हो सकते हैं। केपके लिए फिलहाल कुछ करना नहीं है, और चूँकि केपके नेता भी दुःखी हालतमें हैं, इसलिए वहाँसे खर्च माँगनेकी सलाह नहीं दी है। यदि समिति बन गई तो उसमें बहुत-से बड़े-बड़े गोरोंने काम करना स्वीकार किया है।

महिलाओंकी बलिहारी

स्त्रियोंको मताधिकार दिलानेके लिए घोर आन्दोलन चल रहा है। स्वर्गीय वीर कॉबडनकी बहादुर लड़कीको जब सरकारने जेलमें सुविधाएँ देनेकी इच्छा व्यक्त की, तो उसने कहा कि "मुझे चाहे कितना ही दुःख उठाना पड़े, आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। मैं अपने और अपनी बहनोंके हकोंके लिए जेलमें आई हूँ; और जबतक वे हक नहीं मिलते मैं साधारण कैदीके समान रहना चाहती हूँ।" इन शब्दोंसे इन बहनोंकी ओर लोगोंकी सहानुभति बहुत जाग उठी है, और जो अखबार पहले हँसते थे, उनका हँसना अब बन्द हो गया है। इस बहनका उदाहरण हर ट्रान्सवालवासी भारतीयको याद कर लेना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-१२-१९०६

९९. परिपत्र[1] : लोकसभाके सदस्योंकी बैठकके लिए

लोकसभा
नवम्बर ५, १९०६

प्रिय महोदय,

अगले बुधवार ७ तारीखकी शामको ६ बजे सदनके उदारदल, मजदूरदल और राष्ट्रीय-दलके सदस्योंकी एक बैठक बृहत् सभा-भवनमें होगी। उसमें ट्रान्सवाल विधान-परिषद द्वारा स्वीकृत एशियाई अधिनियम-संशोधन अध्यादेशके सम्बन्धमें वहाँसे आये हुए ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलकी बात सुनी जायेगी और प्रस्ताव पास किया जायेगा।

प्रतिनिधियोंकी रायमें, उस अध्यादेशसे ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय प्रवासियोंकी स्थिति बोअर शासनकालसे भी अधिक खराब और काफिरोंकी स्थितिसे भी बदतर हो जाती है।

उनकी मान्यता है कि उक्त अध्यादेश ब्रिटिश मन्त्रियों द्वारा बार-बार किये गये वादों और ब्रिटिश परम्पराओंके विरुद्ध है।

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवालोंको भरोसा है कि आप बैठकमें आनेकी कृपा करेंगे।

आपके विश्वस्त,

हेनरी कॉटन	आर० लेहमन
एच० कॉक्स	जे० एम० रॉबर्ट्सन
चार्ल्स डब्ल्यू० डिल्क	ए० एच० स्कॉट
चार्ल्स श्वान	जे० वार्ड

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४८२) से।

१. इसका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था। देखिए "पत्र: सर चार्ल्स श्वानको", पृष्ठ १०८।

१००. पत्र : जोजेफ़ किचिनको

होटल सेसिल
लन्दन, डब्ल्यू० सी०
नवम्बर ५, १९०६

प्रिय महोदय,

आपके भाई और मेरे मित्र श्री एच० किचिनने मुझे आपका पता देते हुए पत्र लिखा है। वे चाहते हैं, तथा मैं भी चाहता हूँ, कि लन्दनके अपने इस छोटे-से मुकामके समय मैं आपसे परिचित हो सकूँ। यदि आप मिलनेका कोई समय निश्चित कर सकें, तो आभारी हूँगा।

मैं इस हफ्ते लॉर्ड एलगिनसे भेंट करनेवाले शिष्टमण्डलके सम्बन्धमें बहुत व्यस्त रहूँगा। इसलिए क्या आप अगले हफ्तेमें भेंटका कोई समय निश्चित कर सकेंगे?

आपका सच्चा,

श्री जोजेफ़ किचिन
"इंगलनुक"
ब्रेकले रोड
बैकनहम

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४८४) से।

१०१. पत्र : अमीर अलीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ५, १९०६

प्रिय महोदय,

आपका इसी ३ तारीखका पत्र मिला। मैं आज श्री अलीके ब्रॉमलेसे आनेकी आशा करता हूँ। वे और मैं कल ४ वजे शामको रिफॉर्म क्लबमें आपसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त करेंगे।

आपका विश्वस्त,

श्री अमीर अली, सी० आई० ई०
दि लैंबडेन्स
बीनहम
रीडिंगके पास

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४८५) से।

१०२. पत्र : जी० जे० ऐडमको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ५, १९०६

प्रिय महोदय,

आपके प्रश्नके उत्तरमें निवेदन है कि अगले गुरुवारको ३ बजे लॉर्ड एलगिन शिष्ट-मण्डलसे भेंट करेंगे।

आपका विश्वस्त,

श्री जी० जे० ऐडम
२४, ओल्ड ज्यूरी
लन्दन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४८६) से।

१०३. पत्र : जॉर्ज वॉलपोलको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर, ५, १९०६

प्रिय महोदय,

आपका ३ तारीखका पत्र मिला; उसके लिए धन्यवाद।

शिष्टमण्डलके सिलसिलेमें मुझे आपकी सेवाओंकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी; क्योंकि मैंने एक निपुण शीघ्रलिपिकको स्थायी रूपसे रख लिया है।

आपका विश्वस्त,

श्री जॉर्ज वॉलपोल
१, न्यू कोर्ट
लिंकन्स इन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४८७) से।

१०४. पत्र : सेंट एडमंडकी सिस्टर-इन-चार्जको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ५, १९०६

सेवामें
सिस्टर-इन-चार्ज
सेंट एडमंड्स
"ब्रॉडस्टेयर्स"

प्रिय महोदया,

मैं और डॉ० जोसिया ओल्डफील्ड पुराने मित्र हैं। डॉक्टर साहबने मेरे एक मित्र श्री सुलेमान मंगाको अभी-अभी देखा है और उनकी रायमें एक-दो हफ्तोंके लिए इन्हें आपके विश्राम-गृहमें विश्राम और जलवायु-परिवर्तनके लिए रहना चाहिए। क्या आप तार द्वारा श्री मंगाको सूचित कर सकेंगी कि आपके पास उनके लिए स्थान है अथवा नहीं, और यह भी कि उसका साप्ताहिक किराया क्या होगा? श्री मंगाका पता यह है—"१०६ बैरन्स कोर्ट रोड, डब्ल्यू०"। कृपया श्री मंगाको कल सुबह ज़ल्दी ही तार कर दें।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४८८) से।

१०५. पत्र : 'टाइम्स' के सम्पादकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ५, १९०६

सेवामें
सम्पादक
"टाइम्स"
प्रिंटिंग हाउस स्क्वेयर, ई० सी०

प्रिय महोदय,

मैं लोकसभाके कुछ सदस्यों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित पत्र[1] आपकी सूचना [और] प्रकाशनके लिए भेज रहा हूँ।

आपका विश्वस्त,

[संलग्न :]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४८९) से।

१. देखिए "परिपत्र : लोकसभाके सदस्योंकी बैठकके लिए", पृष्ठ ९३।

१०६. पत्र : जी० जे० ऐडमको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ५, १९०६

प्रिय श्री ऐडम,

मैं आपके सूचनार्थ ब्रिटिश लोकसभाके कुछ सदस्यों द्वारा लिखित परिपत्र संलग्न कर रहा हूँ।

आप शायद अखबारोंमें यह सूचना भेज देनेकी कृपा करेंगे।

आपका विश्वस्त,

[संलग्न :]

श्री जी० जे० ऐडम
२४, ओल्ड ज्यूरी
लन्दन, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४९०) से।

१०७. पत्र : लॉर्ड एलगिनको[1]

२२ कैनिंगटन रोड
लैम्बेथ
नवम्बर ५, १९०६

सेवामें
परममाननीय अर्ल ऑफ एलगिन
महामहिमके प्रधान उपनिवेश-मन्त्री
उपनिवेश-कार्यालय
लन्दन

महोदय,

मैं आपका ध्यान इस पत्रके साथ संलग्न 'इंडियन ओपिनियन' की १३ अक्तूबरकी प्रतिकी ओर आकर्षित करता हूँ। इसमें "छिगुनीसे पहुँचा" (दि थिन एंड) शीर्षकका वह सम्पादकीय

१. '२२ कैनिंगटन रोड' से ऐसा लगता है कि यह पत्र दादाभाई नौरोजीने लिखा होगा; पर इसकी प्रति गांधीजीके कागजातमें मिली। नवम्बर १७ को दादाभाई नौरोजीको लिखे गये गांधीजीके पत्र (देखिए पृष्ठ १९०) से स्पष्ट है कि जिन दिनों शिष्टमण्डल इंग्लैंडमें था, दादाभाई दक्षिण आफ्रिकासे आये हुए तमाम कागजात गांधीजीको भेज दिया करते थे। गांधीजी इन कागजातपर टिप्पणी देकर या उनका स्पष्टीकरण करके लौटा दिया करते थे। तभी वे आगे कार्रवाईके लिए सुझाव भी दे दिया करते थे। इस प्रकार सम्भव है कि दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिका अद्यतन परिचय होनेके कारण गांधीजीने ही इस पत्रका मसविदा तैयार किया हो।

है, जिसके विषयमें मैं आपको लिख चुका हूँ। इसके पृष्ठ ७४५ पर "बच्चोंपर प्रहार" (वार ऑन इनफेंट्स) शीर्षकसे मुहम्मद मूसाके मुकदमेका विवरण भी है।

मेरा विचार है कि इस विवरणसे ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी (बच्चों तक की) कठिनाइयाँ उभर कर सामने आती हैं।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

[संलग्न :]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४८३) से।

१०८. पत्र : अल्बर्ट कार्टराइटको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ५, १९०६

प्रिय महोदय,

आपके ५ तारीखके पत्रके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

मैं इस पत्रके साथ लॉर्ड एलगिनको दिया गया आवेदनपत्र और साथ ही लोकसभाके उदारदलीय तथा अन्य सदस्योंके नाम एक परिपत्र भी नत्थी कर रहा हूँ। ये सदस्य एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेशके कारण उत्पन्न ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके दर्जेके सवालमें सक्रिय दिलचस्पी ले रहे हैं।

कदाचित् आपको मालूम हो गया होगा कि लॉर्ड एलगिन अगले गुरुवारको ३ बजे शिष्ट-मण्डलसे भेंट करेंगे।

यहाँ वकालत या डॉक्टरी पढ़नेवाले दक्षिण आफ्रिकाके पाँच तरुण भारतीयोंने भी लॉर्ड एलगिनको आवेदनपत्र[1] दिया है। उसकी प्रतिलिपि भी साथमें भेज रहा हूँ। आपके पत्रसे मुझको आपका व्यक्तिगत परिचय पानेकी प्रेरणा मिली है। मैं निवेदन करता हूँ कि अगले गुरुवारके बाद आप कभी मुझे मिलनेका समय दें; और यदि आपको असुविधा न हो तो हम लोग होटलमें दोपहरका भोजन साथ करें, और जिस कामके लिए श्री अली और मैं यहाँ आये हुए हैं उसपर चर्चा करें।

आपका विश्वस्त,

[संलग्न : ३]

श्री अल्बर्ट कार्टराइट
६२, लन्दन वॉल, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४९१) से।

१. देखिए "प्रार्थनापत्र : लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ ८४-८५।

१०९. पत्र : एफ० एच० ब्राउनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ६, १९०६

प्रिय श्री ब्रॉउन,

आपके इसी ५ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। मैं आपको 'इंडियन ओपिनियन' की पिछली दो प्रतियाँ भेज रहा हूँ, जिनसे आपको अध्यादेशके बारेमें कुछ और जानकारी मिल जायेगी तथा दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय समाजकी सामान्य गतिविधिके बारेमें भी कुछ मालूम हो जायेगा। प्रतिनिधियोंके चित्र भी आपको पिछले अंकमें मिलेंगे।

श्री रिचको और मुझे आपने सर कर्ज़न वाइलीसे[1] परिचित कराया, यह आपकी कृपा थी, हालाँ कि जब आपने परिचय कराया, तब मैं यह नहीं जानता था कि सर कर्ज़न श्री मॉर्लेके राजनीतिक सहायक हैं।

मैंने श्री रिचको आपका पत्र दिखा दिया है। वे अपने निबन्धकी[2] एक प्रति उसके पठनकी तिथिसे पहले पड़नेवाले शुक्रवारसे पूर्व ही किसी समय आपको दे देंगे।

पत्रके साथ शिष्टमण्डलके सदस्योंकी पूरी सूची संलग्न है।

आपका सच्चा,

संलग्न : ३

श्री एफ० एच० ब्राउन
'दिलकुश'
बेल्टबोर्न रोड
फॉरेस्ट हिल, एस० ई०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४९२) से।

१. इन्हें प्रसिद्ध भारतीय क्रान्तिकारी मदनलाल धींगराने १९०९ में लन्दनकी इम्पीरियल इंस्टिट्यूटमें मार दिया था।

२. देखिए "पूर्व भारत संघमें रिचका भाषण", पृष्ठ २७२-७३।

११०. पत्र : सर चार्ल्स डिल्कको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ६, १९०६

प्रिय महोदय,

आपके ५ तारीखके पत्रके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। जैसा कि उसमें सुझाया गया है, मैं पत्रका[1] उपयोग लॉर्ड एल्गिनके सामने नहीं करूँगा।

आपका विश्वस्त,

परममाननीय सर चार्ल्स डिल्क, बैरोनेट, संसद-सदस्य
७६, स्लोन स्ट्रीट, डब्ल्यू०

टाईप की हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४९३) से।

१११. पत्र : ए० बॉनरकी पेढ़ीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ६, १९०६

ए० बॉनरकी पेढ़ी
प्रिंटर्स
१ और २, टुक्स कोर्ट, ई० सी०

प्रिय महोदय,

आपका पत्र मिला। मैं साथमें एक पौंडका चेक और भेज रहा हूँ। आपका सुधारा हुआ बिल भी साथ है। भरपाई करके बिल वापस करनेकी कृपा करें।

आपका विश्वस्त,

संलग्न : २

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४९४) से।

१. सहानुभूतिका वह पत्र जिसका उल्लेख गांधीजीने नवम्बर ३, १९०६ को सर चार्ल्सके नाम लिखे पत्रमें किया है (देखिए पृष्ठ ८८)।

११२. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ६, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय अर्ल ऑफ एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री
उपनिवेश-कार्यालय, लन्दन

महोदय,

शिष्टमण्डलके सदस्योंकी सूची अब पूर्ण हो गई है। मैं इसे इस पत्रके साथ संलग्न कर रहा हूँ। ट्रान्सवालके दो प्रतिनिधियोंको मिलाकर संख्या चौदह हो गई है, किन्तु मैं आशा करता हूँ कि लॉर्ड एलगिन संख्याके इस अतिक्रमणको कृपापूर्वक क्षमा करेंगे। क्योंकि सर चार्ल्स डिल्कने लिखा है कि यद्यपि वे उपस्थित रहनेका प्रयत्न करेंगे, किन्तु सम्भव है कि लोकसभा-समितिकी एक बैठक लगभग उसी समय होनेके कारण उनका उपस्थित होना सम्भव न हो सके। सर चार्ल्सको उस बैठकमें जाना है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

संलग्न :

गुरुवार, ८ नवम्बर १९०६ को ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके दो प्रतिनिधियोंके साथ लॉर्ड एलगिनसे भेंट करनेवाले शिष्टमण्डलके सदस्योंकी सूची :

लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐल्डर्ले	सर जॉर्ज वर्डवुड
सर चार्ल्स डिल्क	श्री हैरॉल्ड कॉक्स
सर लेपेल ग्रिफिन	श्री अमीर अली
सर हेनरी कॉटन	श्री टी० [एच०] थॉर्नटन
सर मं० मे० भावनगरी	सर चार्ल्स श्वान
श्री दादाभाई नौरोजी	श्री जे० डी० रीज[1]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४९५–९६) से।

१. सर जॉन डेविड रीज, (१८५४-१९२२), भारतीय प्रशासन सेवा १८७५; तमिल, तेलुगु, फारसी और हिन्दुस्तानीके सरकारी अनुवादक; मद्रास सरकारके अवरसचिव; त्रावणकोर-कोचीनमें ब्रिटिश रेजिडेंट, भारतके गवर्नर जनरलकी परिषद्के अतिरिक्त सदस्य; भारत-भ्रमण (टूर्स इन इंडिया), मुसलमान (दी मोहमडन्स), सच्चा भारत (दी रीयल इंडिया), आधुनिक भारत (मॉडर्न इंडिया), आदि पुस्तकोंके लेखक।

११३. पत्र : जे० डी० रीज़को

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ६, १९०६

प्रिय महोदय,

आपके आजके पत्रके लिए श्री अली और मैं बहुत आभारी हैं। ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके पक्षमें हम आपकी पैरोकारीको ध्यानसे देखते रहे हैं और समय आनेपर हम आपकी सेवामें उपस्थित भी होते। अब हम आपका नाम शिष्टमण्डलके एक सदस्यके तौर-पर लॉर्ड एलगिनके पास भेज रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शिष्टमण्डल लॉर्ड एलगिनसे उपनिवेश-कार्यालयमें अगले गुरुवारको ३ बजे अपराह्णमें मिलेगा। हमने शिष्टमण्डलके सभी सदस्योंसे प्रार्थना की है कि वे उपनिवेश कार्यालयमें २-३० पर आ जायें, जिससे एक छोटी बैठक की जा सके। शिष्टमण्डलका नेतृत्व सर लेपेल ग्रिफिन कर रहे हैं। मैं इस पत्रके साथ शिष्टमण्डलके सदस्योंकी सूची और लॉर्ड एलगिनको दिये जानेवाले आवेदनपत्रकी प्रतिलिपि भी नत्थी कर रहा हूँ। यह आवेदनपत्र गुरुवारको उनसे हमारी बातचीतका आधार होगा। साथ ही मैं एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेशकी प्रतिका सारांश भी भेज रहा हूँ।

मैं आशा करता हूँ कि लोकसभाके अनेक सदस्यों द्वारा भेजा गया वह परिपत्र भी आपको मिल गया होगा जिसके अनुसार उदार दल, राष्ट्रीय दल और मजदूर दलके संसद-सदस्योंकी सभा बुलाई जा रही है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको उस बैठकमें सम्मिलित होनेका समय मिल सकेगा। यदि सम्भव हुआ तो श्री अली और मैं सदनमें आपसे भेंटका प्रयत्न करेंगे, ताकि गुरुवारको जो बैठक होगी उससे अधिक विस्तारके साथ परिस्थिति आपके सामने पेश कर सकें।

आपका विश्वस्त,

संलग्न : ३

श्री जे० डी० रीज़
लोकसभा
लन्दन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४९७) से।

[संलग्न]

१९०६ के एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेशका सारांश[1]

[लन्दन]
नवम्बर २, १९०६

परिभाषा : "एशियाई" शब्दका अर्थ होगा कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसकी परिभाषा १८८५ के कानूनकी धारा १ में दी गई है।

१. दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंसे सहानुभूति रखनेवालों, विशेषकर परिचायक शिष्टमण्डलके सदस्योंको अध्यादेशके वास्तविक स्वरूप और मन्तव्यसे परिचित करानेके उद्देश्यसे यह सारांश गांधीजीने तैयार किया था।

१८८५ के कानून ३ के अनुसार तथाकथित कुली, अरब, मलायी तथा तुर्की साम्राज्यके मुसलमान प्रजाजन "एशियाई" शब्दके अन्तर्गत आते हैं।

फिर भी यह अध्यादेश मलायियोंपर लागू नहीं होता।

पंजीयन: खण्ड ३ के अनुसार ट्रान्सवालमें वैध रूपसे बसे प्रत्येक एशियाईके लिए अपना पंजीयन कराना आवश्यक है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। और इस खण्डके अनुसार वैध निवासी वही एशियाई हो सकता है जिसे ट्रान्सवालमें प्रवेश तथा निवासके लिए स्थायी अनुमतिपत्र मिल चुका है या मिल सकता है, बशर्ते कि ऐसा अनुमतिपत्र जालसाजीसे प्राप्त न किया गया हो; या फिर वह अधिवासी एशियाई जो ३१ मई, १९०२ को वस्तुतः ट्रान्सवालमें रहा हो।

खण्ड ४: इसके अनुसार ऐसे प्रत्येक एशियाई को पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र देना आवश्यक है। १६ वर्षसे कम आयुवाले बच्चोंके मामलेमें इस तरहका प्रार्थनापत्र उनके माता-पिता या संरक्षकोंको देना पड़ेगा।

खण्ड ५: इसमें व्यवस्था की गई है कि यदि पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र नामंजूर हो जाता है तो खण्डमें वर्णित प्रक्रियाके अन्तर्गत प्रार्थीको उपनिवेश छोड़ देनेका आदेश दिया जायेगा।

खण्ड ६: इसके अनुसार ऐसे किसी भी एशियाईको, जो आठ वर्षसे कम आयुके किसी बच्चेका संरक्षक है, अपने पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र देते समय उक्त बच्चेके सम्बन्धमें विनियम द्वारा निर्धारित जानकारियाँ और शिनाख्तके निशान पेश करने पड़ेंगे। और यदि ऐसा संरक्षक स्वयं पंजीकृत हो तो उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारियाँ, अस्थायी तौरपर रजिस्टरमें दर्ज कर ली जायेंगी; और उस संरक्षकको एक वर्षके अन्दर ऐसे बच्चेकी ओरसे उस जिलेके, जिसमें वह स्वयं रहता है, अधिवासी मजिस्ट्रेटके कार्यालयमें पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र देना होगा।

फिर इस खण्डमें ऐसे बच्चेके ८ वर्षके हो जानेपर उसके पंजीयनकी प्रक्रिया बताई गई है।

खण्ड ७: इसमें बच्चोंके पंजीयनके बारेमें और आगे बताया गया है।

खण्ड ८: इसमें विधान है कि कोई भी व्यक्ति, जो . . . अपने लिए या संरक्षककी हैसियत से . . . पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र न दे, अपराध सिद्ध हो जानेपर सौ पौंडके भीतर जुर्मानेका, और जुर्मानेकी रकम अदा न करनेपर अधिकसे-अधिक ३ मासकी सख्त या सादी कैदकी सजाका भागी होगा।

खण्ड ९: इसमें विधान है कि १६ वर्ष और उससे अधिक आयुके प्रत्येक एशियाईको ट्रान्सवालमें प्रवेश करते समय या निवासकी दशामें उपनिवेशमें वैध रूपसे स्थापित पुलिस दलके किसी सदस्य या उपनिवेश-सचिव द्वारा अधिकार-प्रदत्त किसी अन्य व्यक्तिके माँगनेपर पंजीयन-प्रमाणपत्र[1] जो उसे वैध ढंगसे प्राप्त हो, प्रस्तुत करना होगा और इसी प्रकार माँगपर विनियम द्वारा निर्धारित शिनाख्तके विवरण भी पेश करने होंगे।

१६ वर्षसे कम आयुके बच्चोंके मामलेमें संरक्षकों या माता-पिताओंको प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और शिनाख्तके विवरण भी देने होंगे।

१. इस प्रार्थनापत्रका फार्म परिशिष्टमें दिया जा रहा है।

खण्ड १० : यह पंजीयन प्रमाणपत्रोंको उनके अभिधारकोंके उपनिवेशमें रहनेके अधिकारका अन्तिम सबूत करार देता है। (सूचना — आज प्रत्येक एशियाईको, जिसके पास अपना अनुमतिपत्र है, कानूनन यह अधिकार प्राप्त है।)

खण्ड ११ और १२ : ये खोये हुए प्रमाणपत्रोंके लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

खण्ड १३ : इसमें विधान है कि ऐसे किसी भी एशियाईको, जो पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाये, व्यापारिक परवाना नहीं दिया जायेगा।

खण्ड १४ : यह पंजीयकको किसी एशियाईकी आयुके मामलेमें वास्तवमें निर्णायक ही बना देता है।

खण्ड १५ : यह अध्यादेशके उद्देश्योंके लिए तैयार किये गये घोषणापत्रोंको टिकट शुल्कसे छूट दिलाता है।

खण्ड १६ : यह निम्नलिखित कार्योंके लिए ५०० पौंडका जुर्माना या जुर्माना न देनेपर अधिकसे-अधिक दो सालकी सख्त या सादी कैद या कैद और जुर्माना — दोनोंका विधान करता है :

(१) पंजीयनके सम्बन्धमें जाली या झूठा बयान देना या ऐसा बयान देनेके लिए किसीको प्रोत्साहित करना।

(२) पंजीयन-प्रमाणपत्रके सम्बन्धमें जालसाजी करना।

(३) इस प्रकारके प्रमाणपत्रका ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग जो उसका वैध अभिधारक न हो।

(४) किसी भी व्यक्तिको ऐसे प्रमाणपत्रके उपयोगके लिए प्रोत्साहित करना।

खण्ड १७ : यह अस्थायी अनुमतिपत्र जारी करनेका अधिकार देता है; और लेफ्टिनेंट गवर्नरको यह अधिकार देता है कि वह अपनी विवेकबुद्धिके अनुसार यह आदेश दे सकता है कि कोई भी एशियाई, जिसके पास अस्थायी अनुमतिपत्र है, "ऐसे अनुमतिपत्रके जारी रहने तक मद्य अध्यादेशकी व्यवस्थाके मामलेमें रंगदार "व्यक्ति नहीं समझा जायेगा।"

खण्ड १८ : यह लेफ्टिनेंट गवर्नरको अध्यादेशके अन्तर्गत विनियम बनानेका अधिकार देता है।

खण्ड १९ : यह आम तौरपर यह विधान करता है कि कोई भी एशियाई जो अध्यादेशकी किसी शर्तको पूरा नहीं करता, १०० पौंडके भीतर जुर्मानेका भागी होगा। जुर्मानेकी रकम अदा न करनेपर उसे सख्त या सादी कैदकी सजा भोगनी पड़ेगी, जिसकी अवधि तीन माससे अधिक नहीं होगी।

दूसरे खण्ड १६ वर्षसे कम उम्रके बच्चेको बिना अनुमतिपत्रके उपनिवेशमें लानेवाले एशियाईके लिए भारी दण्डका विधान करते हैं; अन्य बातोंके साथ-साथ ऐसे व्यक्तिके अनुमतिपत्र तथा पंजीयन प्रमाणपत्रको रद कर देते हैं; और अबूबकर अहमदके वारिसोंको वह जमीन रखनेका कानूनी अधिकार देते हैं जो स्वर्गीय अबूबकर अहमदने १८८५ से पहले खरीदी थी और जिसे वे अपने वारिसोंके नाम वसीयत कर गये थे।[१]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४४४७) से।

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २४१-४२।

११४. पत्र: डॉ० जोसिया ओल्डफील्डको

होटल सेसिल
[लन्दन]
नवम्बर ६, १९०६

प्रिय ओल्डफील्ड,

मेहरबानी करके पत्रवाहकका मामला अपने हाथमें लीजिए। इनका नाम ए० तांजी है। ये इस होटलमें हजूरिये (वेटर) का काम करते हैं। इनके बाँये हाथमें तीन महीनोंसे, मालूम होता है, वातका दर्द है। आप गरीबोंसे लिया जानेवाला पारिश्रमिक लें तो आभार मानूँगा। रकम मुझे सूचित कर दें।

आपका हृदयसे,

डॉ० जोसिया ओल्डफील्ड
२ ए, हार्ले स्ट्रीट
पोर्टलैंड प्लेस
कैवेंडिश स्क्वेयर, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४९८) से।

११५. पत्र: कुमारी एवा रोजनबर्गको

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर ६, १९०६

प्रिय महोदया,

आप लेडी मार्गरेट अस्पतालमें श्री अलीकी मालिश करती रही हैं। श्री अली अब मेरे साथ होटलमें ठहरे हुए हैं। क्या आप कल ठीक ३–३० बजे अपराह्णमें आकर श्री अलीकी मालिश करनेकी कृपा करेंगी। होटलके छोकरेकी मारफत कार्ड आनेमें थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए अगर आप ३–१५ बजे होटलमें आ जायें, तो ३–३० बजे मालिश शुरू करेंगी। श्री अलीको यदि कुछ पहले नहीं, तो साढ़े पाँच बजे एक महत्त्वपूर्ण कार्य करना है।

आपका विश्वस्त,

कुमारी एवा रोजनवर्ग
५, चेस्टनट रोड
एनफील्ड
वॉश

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४९९) से।

११६. पत्र : जोज़ेफ़ रायप्पनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ६, १९०६

प्रिय जोज़ेफ़,

सम्भव हो तो कल शामको ५ बजे यहाँ आ जाओ। मैं लोकसभाकी बैठकमें तुम्हारा उपस्थित रहना पसन्द करूँगा और चाहूँगा कि प्रतिनिधियोंका आवेदनपत्र[1] और अपने तथा अन्य लोगोंके द्वारा दिया गया व्यक्तिगत आवेदनपत्र[1] वहाँ तुम बाँटो। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा आवेदनपत्र छप जाये। अगर तुम आ सको, तो चूकना मत।

तुम्हारा हृदयसे,

श्री जोज़ेफ़ रायप्पन
३६, स्टेप्लटन हॉल रोड
स्ट्राउड ग्रीन, एन०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५०१) से।

११७. पत्र : अल्बर्ट कार्टराइटको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ६, १९०६

प्रिय महोदय,

आपकी परचीके लिए धन्यवाद। शुक्रवारको ९ बजे आप यहाँ नाश्तेके लिए आयेंगे, इससे श्री अलीको और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं नहीं जानता कि सदस्योंको लॉर्ड एलगिनसे भेंटके समय उपस्थित रहनेकी अनुमति होगी या नहीं; किन्तु यह बात और भी बहुत लोगोंने पूछी है, इसलिए मैं लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवसे दरियाफ्त कर रहा हूँ। तो भी, क्या उपनिवेश-कार्यालयसे स्वयं आपका पूछना अच्छा नहीं रहेगा? मैंने श्री ब्राउनसे भी यही कहा है। आपने बैठकको सार्वजनिक करनेके बारेमें जो सुझाव दिया उसे मैं बहुत ठीक मानता हूँ। मैं इस बातमें आपसे बिलकुल सहमत हूँ कि हमारी सारी हलचलोंमें यदि सभी शामिल हो सकें तो उससे हमें लाभ-ही-लाभ है। क्योंकि मुझे लगता है, हमारा पक्ष ऐसा ही न्यायोचित है। फिर भी यदि बैठक सार्वजनिक न हो, तो मैं उसके बाद सीधा होटलमें

१. देखिए "प्रार्थनापत्र : लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ ८४-८५।

आ जाऊँगा और यदि आपको असुविधा न हो तो उसके बाद होटलमें मेरी प्रतीक्षा करें। मुझे नहीं लगता कि भेंट साढ़े पाँच बजेके बाद चलेगी। लोकसभाके सदस्योंकी जो बैठक कल ६ बजे शामको बृहत् सभाभवनमें[1] हो रही है, क्या आप उसमें उपस्थित रहना पसन्द करेंगे? मुझे लगता है कि कल मैंने परिपत्रकी[2] एक प्रति आपको भेज दी है। तो भी मैं दूसरी प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

आपका विश्वस्त,

[संलग्न]

श्री अल्बर्ट कार्टराइट
६२, लन्दन वॉल, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५०२) से।

११८. पत्र: एस० हॉलिकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ६, १९०६

प्रिय श्री हॉलिक,

आज सुबह जिस स्मरणपत्रके[3] बारेमें हम लोगोंने बात की थी, उसकी एक प्रति मैं अब इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। वह [सामग्री] आपको इस प्रतिके[4] आठवें पृष्ठपर मिलेगी। देखनेके बाद प्रति वापस भेजनेकी कृपा करेंगे।

आपका सच्चा,

संलग्न

श्री एस० हॉलिक
६२, लन्दन वॉल, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५०३) से।

१. मूलमें भूलसे "बृहत् चाय भवन" दे दिया गया है।
२. देखिए "परिपत्र: लोक सभाके सदस्योंकी बैठकके लिए", पृष्ठ ९३।
३. देखिए "लॉर्ड एलगिनके नाम लिखे प्रार्थनापत्रका मसविदा", पृष्ठ ११२-१३।
४. उपलब्ध नहीं है।

११९. आवरक पत्र[1]

होटल सेसिल
लन्दन, डब्ल्यू० सी०
नवम्बर ६, १९०६

प्रिय महोदय,

एशियाई कानून संशोधन अध्यादेशके सम्बन्धमें अगले गुरुवार तारीख ८को तीन बजे लॉर्ड एलगिनसे जो शिष्टमण्डल उपनिवेश कार्यालयमें मिलनेवाला है, उसके सदस्योंकी सम्पूर्ण सूची मैं इस पत्रके साथ सेवामें भेज रहा हूँ।

आपका विश्वस्त,

[संलग्न]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५०४) से।

१२०. पत्र: सर चार्ल्स श्वानको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ७, १९०६

प्रिय महोदय,

परिपत्रमें[2] आपके नामके हिज्जे गलत छापे जानेके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। श्री स्कॉटसे सोमवारको ८ बजे सायंकाल मुझे हिदायतें मिलीं और उसी रातको मुझे इन परिपत्रोंको छपाकर भेज देना था। इस बातकी खबर होनेपर आप इस भूलके लिए मुझे अवश्य ही क्षमा करेंगे। बड़ी मुश्किलसे मैं मुद्रक पानेमें समर्थ हो सका। स्वेच्छया सहायता न मिली होती तो इस कामको करना असम्भव होता। किन्तु प्रूफ संशोधनके लिए बिलकुल समय नहीं रह गया था; इससे भूल रह गई।

आपका विश्वस्त,

सर चार्ल्स श्वान

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५०५) से।

१. कदाचित् यह सहानुभूति रखनेवालों और अखबारोंके नाम लिखा गया था।
२. देखिए "परिपत्र: लोकसभाके सदस्योंकी बैठकके लिए", पृष्ठ ९३।

१२१. पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ७, १९०६

निजी सचिव
परममाननीय अर्ल ऑफ़ एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री
उपनिवेश-कार्यालय
लन्दन

प्रिय महोदय,

नेटालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें लॉर्ड एलगिनसे भेंट करनेकी मेरी प्रार्थनाके विषयमें आपका इसी ६ तारीखका पत्र मिला। सम्पूर्ण स्थितिपर बात करनेकी मेरी इच्छा नहीं है। परन्तु यदि लॉर्ड महोदय कृपापूर्वक मुझसे भेंट करना स्वीकार करेंगे तो मैं नेटाल-विधानकी आन्तरिक कार्यप्रणाली उन्हें बतला सकूँगा। स्वर्गीय सर जॉन रॉबिन्सन[1] और स्वर्गीय श्री हैरी एस्कम्बके, जो प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम और विक्रेता-परवाना अधिनियमके संयुक्त रचयिता थे, अत्यन्त निकट सम्पर्कमें आनेका विशेष सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। ये दोनों अधिनियम, और खास कर विक्रेता-परवाना अधिनियम, बहुत बड़े और सतत सन्तापके कारण हैं। मेरी विनम्र रायमें परवाना अधिनियमके प्रशासनमें अक्सर बहुत गहरा अन्याय किया गया है।

मैं लॉर्ड महोदयका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस अधिनियमके पास हो जानेके बाद भी इसके लागू करनेके बारेमें श्री चेम्बरलेनने नेटाल-मन्त्रालयको एक गुप्त खरीता भेजा था। यह खरीता अंशतः प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया था कि परवाना अधिनियमके बलसे नगरपालिकाओंको जो मनमानी सत्ता मिल गई, उसका प्रयोग यदि वे विवेकके साथ नहीं करेंगे, तो इस अधिनियममें संशोधन करना आवश्यक हो सकता है। मुझे पता है कि लॉर्ड महोदयका हस्तक्षेप इन अधिनियमोंके बारेमें केवल कूटनीतिक हो सकता है और मैं ऐसे ही हस्तक्षेपका अनुरोध करना चाहता हूँ। भेंटका उद्देश्य यह है कि मैं लॉर्ड महोदयके समक्ष, अपनेतईं अधिकसे-अधिक योग्यताके साथ, स्थितिको इस प्रकार रखूँ कि उपनिवेश कार्यालयकी परम्परागत नीतिके अनुसार जहाँतक उपयुक्त हो, हमें श्रीमानके सक्रिय हस्तक्षेपका लाभ मिले। श्री रैल्फ टैथमने विधान-सभामें जो नया विधेयक[2] पेश किया है उसके कारण मेरे लिए और भी लाजिम हो गया है कि मैं श्रीमानकी सेवामें उपस्थित होऊँ।

मुझे अत्यन्त खेद है कि मेरे पत्रमें जिस अधिकारपत्रका उल्लेख किया गया था, वह उसके साथ नहीं भेजा गया। ऐसा भूलसे हो गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मैंने उसे

१. (१८३९-१९०३); नेटालके प्रथम प्रधानमंत्री, और उपनिवेश-सचिव, १८९३-९७। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५।

२. देखिए, "भेंट: 'साउथ आफ्रिका' को", पृष्ठ ६४।

ट्रान्सवाल शिष्टमण्डलके मन्त्री श्री रिचके हाथ भेज दिया है। मैंने अधिकारपत्रकी नकल अपने पास नहीं रखी, इसलिए कृपापूर्वक एक प्रति भेज दें।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गांधी

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: सी० ओ० १७९, खण्ड २३९, इंडिविजुअल्स तथा दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५०६) से।

१२२. पत्र: सर विलियम वेडरबर्नको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ७, १९०६

प्रिय महोदय,

सर लेपेल ग्रिफिनकी बड़ी प्रबल राय थी कि आपको उस शिष्टमण्डलमें शामिल होना चाहिए जो कल ३ बजे लॉर्ड एलगिनसे भेंट करेगा। उस समय मैं उनसे उस आपत्तिके बारेमें बताना भूल गया जो आपने शिष्टमण्डलमें शामिल होनेके विषयमें की थी। किन्तु, मैंने सर लेपेलसे वादा किया था कि मैं आपको इस बारेमें सूचित करूँगा, इसलिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। मैं आवेदनपत्रकी प्रतिलिपि और अध्यादेशका सारांश आपकी जानकारीके लिए साथ भेज रहा हूँ।

आपका विश्वस्त,

संलग्न: २

सर विलियम वेडरबर्न, बैरोनेट
मेरिडिथ
ग्लॉस्टर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५०७) से।

१२३. पत्र : जे० एच० पोलकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ७, १९०६

प्रिय श्री पोलक,

यह पत्र श्री रत्नम्‌को आपसे मिलानेके लिए है। आप इनसे सिटी ऑफ लन्दन कॉलेज ले जाने और छात्रावासमें भर्ती करानेके लिए समय निश्चित कर सकते हैं। इनकी योग्यता परखनेके लिए इनसे बातचीत भी कर सकते हैं।

आपका हृदयसे,

श्री जे० एच० पोलक
२८, ग्रावने रोड
कैननबरी, एन०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५०८) से।

१२४. लोकसभा-भवनकी बैठक

ब्रिटिश लोकसभाके उदार, मजदूर और राष्ट्रीय दलोंसे सम्बन्धित सौसे अधिक सदस्योंकी एक सभामें[१] गांधीजी और श्री अलीने भाषण दिये। यह सभा सदनके बृहद् सभा-भवनमें हुई थी।

[लन्दन
नवम्बर ७, १९०६]

. . . गांधीजीने कहा कि १८८५ में गणतन्त्र सरकार और ब्रिटिश सरकारके बीच जिन काग-जातका आदान-प्रदान हुआ, उनमें ब्रिटिश भारतीयोंको 'गन्दे कीड़े और आत्मारहित मनुष्य'

१. कई सदस्योंने इसमें भाषण दिये थे। सभाके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटनने कहा कि इस अध्यादेशके अन्तर्गत ब्रिटिश भारतीय जिस ढंगसे पुलिसकी निगरानीमें रखे गये हैं वह इंग्लैंडमें जेलसे छूटे हुए कैदियोंके साथ किये जानेवाले व्यवहारसे भिन्न नहीं है। श्री अलीने ईसाइयत और मानवताके नामपर संसद्के ब्रिटिश सदस्योंसे भारतीयोंको इस अपमानजनक कानूनसे मुक्त करानेमें सहायता देनेकी प्रार्थना की। सर चार्ल्स डिल्कने कहा कि भारतीयोंके प्रति ऐसी ईर्ष्या बहुत बुरी बात है, क्योंकि वे प्रशंसनीय व्यापारी और चिकित्सक हैं। श्री जोजेफ़ वाल्टन, श्री. हैरॉल्ड कॉक्स और श्री हायमने इस प्रस्तावका समर्थन किया कि ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंके दर्जेके बारेमें प्रधानमन्त्रीके नाम भेजे जानेवाले प्रार्थनापत्रपर हस्ताक्षर किये जायें। सर हेनरी कॉटनने सभाकी भावनाओंको संक्षेपमें व्यक्त करते हुए कहा कि प्रश्न साम्राज्यीय महत्त्वका बन गया है और इस प्रकार यह दलगत राजनीतिके क्षेत्रसे बाहर है। शिष्टमण्डलके उद्देश्योंके समर्थनमें एक प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे स्वीकार किया गया।

कहा गया था। तब उन्हें बड़ी निर्योग्यताएँ सहनी पड़ रही थीं। स्वास्थ्य और सफाईके उद्देश्यसे उनके लिए अलग की गई बस्तियोंके अलावा वे कहीं भू-सम्पत्ति नहीं रख सकते थे। उन्हें अपना पंजीयन कराना पड़ता था और ट्रान्सवाल सरकारको शुल्क देना पड़ता था। लार्ड डर्बीने उनके कष्टोंको कम करनेकी चेष्टा की और बादमें श्री चेम्बरलेनने बोअर सरकारको ब्रिटिश भारतीयोंके बारेमें एक सख्त खरीता भेजा जिसमें उन्होंने उनको प्रतिष्ठित लोगोंके रूपमें वर्णित किया और कहा कि वे ट्रान्सवालके लिए एक बड़ी नियामत हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश भारतीय उस देशमें स्वतन्त्र नागरिकोंके रूपमें रहने लगे और उनकी गतिविधियोंपर किसी प्रकारकी रोक-टोक नहीं रही। हाल ही में एक नया अध्यादेश पास हुआ है और भारतीय ब्रिटिश प्रजाजन एशियाइयोंमें शामिल कर दिये गये हैं और उनके साथ बहुत ही अपमानजनक ढंगसे व्यवहार किया जाने लगा है ....।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स, ८-११-१९०६

१२५. लॉर्ड एलगिनके नाम लिखे प्रार्थनापत्रका मसविदा[1]

लन्दन

[नवम्बर ८, १९०६ के पूर्व]

सेवामें
परममाननीय अर्ल ऑफ एलगिन
सम्राट्के मुख्य उपनिवेश-मंत्री
उपनिवेश-कार्यालय
लन्दन

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, आफ्रिकी थोक-पेढ़ियोंके ब्रिटेन-निवासी प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र

सविनय निवेदन करते हैं :

कि आपके सभी प्रार्थी लन्दनकी थोक जहाजी पेढ़ियाँ और व्यापारी हैं, जिनकी दक्षिण आफ्रिकामें या तो शाखाएं हैं या व्यापारिक सम्बन्ध हैं।

आपके अधिकतर प्रार्थियोंका दक्षिण आफ्रिकाके, जिसमें ट्रान्सवाल भी शामिल है, ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंसे सीधा सम्पर्क रहा है।

आपके प्रार्थियोंको ट्रान्सवालके ब्रिटिश व्यापारियोंका जो अनुभव है उसके आधारपर वे यह कह सकते हैं कि ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय व्यापारी कुल मिलाकर ईमानदार और प्रतिष्ठित हैं और प्रार्थियोंके साथ उनका सम्बन्ध सदा ही अत्यन्त सन्तोषजनक रहा है।

१. प्रार्थनापत्रका मसविदा स्पष्टतः गांधीजीने तैयार किया था। यह ८ नवम्बरको एस० हॉलिकके नाम लिखे पत्रके साथ भेजा गया था। देखिए पृष्ठ ११९।

आपके प्रार्थियोंका विचार है कि ट्रान्सवालमें उनकी उपस्थितिसे ट्रान्सवालके आम समाजको स्पष्ट लाभ है। वहाँ उनकी उपस्थितिसे ट्रान्सवालके लोगोंको कमसे-कम यह निश्चित लाभ तो है ही कि जो लोग यूरोपीय पेढ़ियों द्वारा माँगे जानेवाले अत्यधिक ऊँचे मूल्य और मुनाफा चुकानेमें अपनेको असमर्थ पाते हैं, उनके जीवन-निर्वाहका खर्च कम हो जाता है।

आपके प्रार्थियोंने एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेश पढ़ा है और उनकी सम्मतिमें इस अध्यादेशके कारण ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंको सर्वथा अनावश्यक अपमान और कठिनाईका सामना करना पड़ेगा।

श्री विलियम हॉस्केन तथा ट्रान्सवालके अन्य प्रतिष्ठित यूरोपीय निवासियोंने ट्रान्सवालके परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयकी सेवामें १९०३ के अप्रैल महीनेमें जो आवेदनपत्र[1] भेजा था उसमें व्यक्त भावनाओंके साथ आपके प्रार्थी अपनी पूर्ण सहमति प्रकट करना चाहते हैं।

आपके प्रार्थियोंकी विनम्र सम्मतिमें जहाँ यह वांछित है कि जनताके पूर्वग्रहको दूर करनेके लिए ब्रिटिश भारतीयोंका आव्रजन नियन्त्रित किया जाये, वहाँ साथ-ही-साथ उनका विचार यह भी है कि यह नियन्त्रण केप या नेटालकी पद्धतिपर हो और उसमें वर्गभेदकी बू न हो।

इसलिए आपके प्रार्थियोंकी अर्ज है कि लॉर्ड महोदय सम्राट्को यह सलाह देनेकी कृपा करें कि या तो उक्त अध्यादेश अस्वीकृत कर दिया जाये, या ट्रान्सवालमें बसे हुए ब्रिटिश भारतीयोंको ऐसी राहत दी जाये जिससे उनका पर्याप्त संरक्षण हो सके।

और इस न्याय और दयाके कार्यके लिए प्रार्थी सदा कृतज्ञ रहेंगे, आदि।

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५१०) से।

१२६. ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय[2]

नवम्बर ८, १९०६

इस लेखके छपते-छपते शिष्टमण्डल लॉर्ड एलगिनसे मिल चुकेगा। यह शिष्टमण्डल बहुत ही समर्थ कहा जा सकता है। इसमें सभी विचारधाराओंका प्रतिनिधित्व है तथा संसदके प्रतिष्ठित सदस्य और बहुत ही अनुभवी आंग्ल-भारतीय शामिल हैं। ट्रान्सवालके प्रतिनिधियोंको जिस तरह सब ओरसे समर्थन और सहानुभूति प्राप्त हुई है वह महत्त्वपूर्ण बात है। नाटिंघम पूर्वके सदस्य सर हेनरी कॉटनकी अध्यक्षतामें पिछले बुधवारको लोकसभाके बृहत् समिति-कक्षमें उदार दल, मजदूर दल और राष्ट्रवादी दलके सदस्योंकी जो बैठक हुई वह शायद इसका बहुत अद्भुत उदाहरण है। पूरे सौ सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने शिष्टमण्डलके सदस्योंकी बातें

१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३१९–२० ।

२. इस लेखसे ऐसा लगता है कि लेखकको ट्रान्सवाल और इंग्लैंडकी घटनाओंकी सीधी जानकारी थी। इसके अलावा यह गांधीजीके कागजोंमें मिला है। इससे जान पड़ता है कि यह मसविदा गांधीजीका बनाया हुआ है।

बहुत सहानुभूतिपूर्वक सुनीं और बहुतोंने संक्षिप्त भाषण देकर या प्रतिनिधियोंसे प्रश्न पूछकर अपनी सक्रिय सहानुभूति व्यक्त की। शिष्टमण्डलके उद्देश्योंका समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास किया गया। एक सदस्यने तो यहाँतक जानना चाहा कि इस सभामें अनुदार दलके सदस्योंको क्यों नहीं बुलाया गया। सर चार्ल्स डिल्कने, जो दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके पक्षका सतत समर्थन करते आये हैं, तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इसमें भूल हुई है और इस प्रश्नपर वे निश्चय ही अनुदार दलका सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने और उदारदलीय संसदने दक्षिण आफ्रिकाकी भारतीय सह-प्रजाके दुःख दूर करनेमें सदा अनुदार दलके लोगोंका साथ दिया है।

बैठकके संयोजक श्री स्कॉटने कहा कि परिपत्र[1] केवल उदार, मजदूर और राष्ट्रवादी सदस्यों तक सीमित रखनेका कारण यह है कि शिष्टमण्डल जिस सरकारके पास आया है, वह उदार दलकी सरकार है और बैठकका वर्तमान स्वरूप ही उचित समझा गया। साथ ही इसमें कोई शक नहीं कि वे अनुदार दलके सदस्योंका भी सहयोग मागेंगे और उसे प्राप्त करनेके हेतु सदा तैयार रहेंगे।

सर हेनरी कॉटनने आगे बताया कि शिष्टमण्डलमें कई कट्टर अनुदारदलीय सदस्य शामिल हैं।

इन कार्रवाइयोंसे यह प्रश्न दलीय राजनीतिसे ऊपर उठ जाता है और, जैसा कि सर चार्ल्स डिल्कने अकसर कहा है, यह साम्राज्यीय महत्त्वका प्रश्न बन जाता है। इस कार्रवाईसे लॉर्ड एलगिनके हाथ मजबूत होने चाहिए और उन्हें अध्यादेशपर निषेधाधिकारका प्रयोग करने या कमसे-कम उस आयोगकी नियुक्तिके लिए, जिसका प्रतिनिधियोंने इतना आग्रह किया है, प्रेरणा मिलनी चाहिए।

लॉर्ड एलगिनके सामने जो आवेदन पेश किया गया उसमें इस मामलेके सारे तथ्य सम्पूर्ण रूपमें आ गये हैं और उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह विधान कितना अनावश्यक और, १८८५ के कानून ३ की तुलनामें, कितना सख्त है। निःसन्देह यह संशोधन नहीं, बल्कि घोर वर्गभेदकारी नया कानून ही है। प्रतिनिधियोंकी प्रार्थना बहुत ही औचित्यपूर्ण है। उन्होंने लॉर्ड एलगिनसे केप या नेटालके ढंगके कानून स्वीकृत करनेका निवेदन किया है, जिससे ब्रिटिश भारतीय निवासियोंको अपने व्यापारमें सहायता देनेके लिए आवश्यक व्यक्ति व अन्य साधन लानेकी छूट हो। यदि ऐसा विधान पास किया जाता है तो इससे एशियाई लोगोंकी अबाध बाढ़का सारा भय दूर हो जायेगा। फिर अध्यादेशमें जिस जासूसीकी तजवीज की गई है उसकी अवाश्यकता ही नहीं रहेगी।

ऐसे विधानके अभावमें ब्रिटिश भारतीयोंकी दशा बहुत ही बुरी है। यह हालके एक मुकदमेसे जाहिर हो जाता है। यह मुकदमा एक ग्यारह वर्षसे कम आयुके एशियाई बालक[2]-पर अपने पिताके साथ ट्रान्सवाल उपनिवेशमें प्रवेश करनेके कारण चलाया गया था। सबसे अच्छा यह होगा कि हम ट्रान्सवाल सर्वोच्च न्यायालयके न्यायाधीशके उन शब्दोंको उद्धृत कर दें जो उन्होंने बच्चेका मुकदमा खारिज करते हुए कहे थे :

१. देखिए, "परिपत्र: लोकसभाके सदस्योंकी बैठकके लिए", पृष्ठ ९३ ।

२. मुहम्मद हाफिजी मूसा, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४६५ ।

यह सजा बिलकुल वाहियात है। यहाँ दस-ग्यारह वर्षके एक बच्चेपर अपराधके सामान्य कानूनके अन्तर्गत अभियोग न लगाकर, उसपर अनुचित तरीकेसे अनुमतिपत्र प्राप्त करके ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेका जुर्म लगाया गया है। इतना तो दिखता है — और प्रलेखमें उसके प्रमाण भी मौजूद हैं — कि बालकके अंगूठेके निशान किसी दूसरेके अनुमतिपत्रपर लगे हुए हैं। किन्तु बालक तो कतई यह अपराध करने योग्य नहीं है। कठघरेमें खड़ा किये जानेपर उसने कहा, मैं नहीं जानता कि अनुमतिपत्र क्या है, और मैंने कभी कोई अनुमतिपत्र नहीं देखा। यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि लड़केका कहना बिलकुल सच है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा दण्ड एक क्षणके लिए भी मान्य नहीं किया जा सकता।

निःसन्देह प्रशासनिक आदेश अब भी जैसाका-तैसा है। मजिस्ट्रेटने गम्भीरता-पूर्वक बालकको कैदकी अवधि पूरी हो जाने या दी हुई तारीखको, जो भी पहले आये उस दिन, ट्रान्सवाल छोड़ देनेका आदेश दिया है। यदि बालक उस दिन नहीं जाता — और मैं नहीं समझता कि जबतक कोई उसे ले न जाये, वह कहीं जा सकता है — तो उसे सम्भवतः फिर मजिस्ट्रेटके सामने अपराधीके रूपमें पेश किया जायेगा। किन्तु मुझे विश्वास है कि अधिकारी ऐसा मार्ग नहीं अपनायेंगे। मेरी समझमें नहीं आता कि यह मामला अदालतने लिया ही क्यों। यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। यह बालक भारतीय है, किन्तु यही ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेवाले (अध्यादेशमें जिन जातियोंको छूट दी गई है उन जातियोंके बालकोंको छोड़कर) किसी गोरे बालकपर भी लागू होगा और यदि यह ग्यारह वर्षके बालकपर लागू होता है तो गोदके बालकपर क्यों नहीं। निश्चिय ही इरादा यह नहीं था कि इस प्रकारकी परिस्थितिमें ऐसा प्राशासनिक आदेश दिया जाये। इस आदेशके अभावमें भी इस विधानकी काफी आलोचना की जा सकती है। यदि कोई चीज है, जिससे ऐसे कानूनका प्रशासन हास्यास्पद और निन्दनीय हो जाता है तो, वह है, इस मामलेमें उसको लागू करनेका ढंग। मुझे विश्वास है कि हमें इस प्राशासनिक आदेशके बारेमें और कुछ सुननेको नहीं मिलेगा।

कुछ ही दिन हुए, हमें उस बातका उदाहरण मिला था जिसे 'रैंड डेली मेल'ने "औरतोंपर आक्रमण"[1] कहा है। उपर्युक्त मामलेमें हमें उसका उदाहरण मिलता है जिसे 'इंडियन ओपिनियन' "बालकोंपर आक्रमण" कहता है। ऐसे मामलोंमें तत्काल सुधार करनेकी आवश्यकता है, न कि और भी सख्तीसे बरतनेकी। यदि लॉर्ड एलगिनने ब्रिटिश भारतीयों द्वारा पेश किये गये आवेदनोंपर ध्यान नहीं दिया, तो यह मौकेपर मौजूद व्यक्तिपर भरोसा रखनेके सिद्धान्तका हास्यास्पद सीमा तक पालन करना होगा।

अध्यादेशके सम्बन्धमें लॉर्ड एलगिनसे पाँच ब्रिटिश भारतीयोंने व्यक्तिगत अपील[2] की है। उससे शिष्टमण्डलको जबरदस्त समर्थन मिला है। वे सब दक्षिण आफ्रिकाके विद्यार्थी हैं और वकालत अथवा चिकित्सा-शास्त्रका अध्ययन कर रहे हैं। उनका जन्म या पालन-पोषण

१. देखिए खण्ड ५, पाद टिप्पणी पृष्ठ ४६३।
२. देखिए "प्रार्थनापत्र: लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ ८४–८५।

दक्षिण आफ्रिकामें हुआ है। वे कहते हैं, "हम भारतकी अपेक्षा दक्षिण आफ्रिकाको अपना घर ज्यादा समझते हैं। हमारी मातृभाषा तक अंग्रेजी है, हमारे माता-पिताओंने बचपनसे हमें वही भाषा बोलना सिखाया है। हममें तीन ईसाई हैं, एक मुसलमान और एक हिन्दू।" क्या ये लोग वकील और डॉक्टर बन जानेके बाद दक्षिण आफ्रिका लौटनेपर ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेसे रोक दिये जायेंगे? या उन्हें नये अध्यादेशके अन्तर्गत दिये गये पास, जिन्हें सर हेनरी कॉटनने "छूटके टिकट" कहा है, ले जाने होंगे? यदि उपनिवेशोंमें ऐसे ही क़ानून चलाने हों, तो इसीमें बड़ी कृपा होगी कि ब्रिटिश भारतीयोंको इंग्लैंडमें उच्च शिक्षा लेनेकी अनुमति बिलकुल न दी जाये; क्योंकि इंग्लैंडमें बिताये गये अच्छे समयकी स्मृतिके कारण उपनिवेशमें नामकें ब्रिटिश, किन्तु आचरणसे अब्रिटिश, लोगों द्वारा किये गये अपमानका दंश उन्हें और भी अधिक दुःख देगा।

टाइप किये हुए अंग्रेजी मसविदेकी फ़ोटो-नकल (एस० एन० ४५११) से।

१२७. पत्र: सैम डिग्बीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ८, १९०६

प्रिय महोदय,

सर मंचरजीने मुझे ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके एक पक्ष-समर्थक मित्रके रूपमें आपका नाम दिया है।

मैं लॉर्ड एलगिनकी सेवामें भेजे गये कई आवेदनपत्रोंकी प्रतियाँ साथ भेज रहा हूँ। आप जानते होंगे कि उनसे, आज ३ बजे यह शिष्टमण्डल मिलेगा।

आपका विश्वस्त,

[संलग्न]

श्री सैम डिग्बी[1]
नेशनल लिबरल क्लब
लन्दन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५२५) से।

१. टाइम्स ऑफ इंडियाके एक जमानेके सहयोगी सम्पादक और रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्सके भारतीय विभागके मंत्री। अप्रतिष्ठापित भारतीय प्रशासन सेवाकी समस्याओंके सम्बन्धमें आप बड़ी दिलचस्पी लेते थे।

१२८. प्रार्थनापत्र : लॉर्ड एलगिनको

[लन्दन
नवम्बर ८, १९०६][1]

लॉर्ड महोदय,

मेरे साथी श्री अली और मैं इस शिष्टमण्डलसे भेंट करनेके लिए श्रीमानको आदरपूर्वक धन्यवाद देते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे और श्री अलीके सामने जो कार्य है वह बहुत ही नाजुक और कठिन है; यद्यपि हमें ऐसे मित्रोंका सहारा प्राप्त है जिन्होंने विपत्तियोंमें सदैव हमारी सहायता की है और जो विभिन्न राजनीतिक विचारोंका प्रतिनिधित्व करते हैं और खास तौरसे आज जैसे दिन, स्वयं बड़ा कष्ट उठाकर, हमें अपने प्रभावका लाभ देने पधारे हैं।

लॉर्ड महोदयको मालूम है कि भारतीयोंकी एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, जिसमें प्रस्ताव पास किये गये थे। इन प्रस्तावोंका मजमून श्रीमानको तार[2] द्वारा भेजा गया था और श्रीमानने जवाबमें[3] एक तार भेजनेकी कृपा की थी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय संघको सूचित किया गया था कि लॉर्ड महोदयने अध्यादेशके मसविदेको पसन्द किया है, क्योंकि वह ब्रिटिश भारतीयोंको कुछ हद तक राहत देता है। हम, जो कि मौकेपर हैं और जिनपर अध्यादेश लागू होता है, श्रीमान लॉर्ड महोदयके प्रति अत्यन्त आदरभाव रखते हुए सोचते हैं कि बजाय राहत प्रदान करनेके अध्यादेश ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंपर इतनी कठिनाइयाँ लादता है कि, जहाँतक मैं जानता हूँ, औपनिवेशिक विधानमें इसकी कोई बराबरी नहीं है। अध्यादेश यह मानकर चलता है कि प्रत्येक भारतीय अपना अनुमतिपत्र किसी दूसरेको दे देनेमें सक्षम है, जिससे वह दूसरा व्यक्ति उपनिवेशमें अवैध रूपसे आ सके। इसलिए इससे इस परम्परागत सिद्धान्तका उल्लंघन होता है कि जबतक अपराध प्रमाणित न हो जाये तबतक प्रत्येक निर्दोष समझा जाना चाहिए। अध्यादेश प्रत्येक भारतीयको अपराधी ठहराता है और उसको यह सिद्ध करनेका भी कोई मौका नहीं देता कि वह निरपराध है। उसे १८८५ के कानून ३ का संशोधन कहा गया है। अत्यन्त आदर-भावसे मैं कहना चाहता हूँ कि वह किसी प्रकार उस कानूनका संशोधन नहीं है, बल्कि सर्वथा नया अध्यादेश है और अत्यन्त सन्तापजनक रूपसे रंग-विद्वेषको उत्तेजित करता है। पासोंकी जिस पद्धतिको अध्यादेश जारी करता है वह, जहाँतक ब्रिटिश भारतीयोंका सम्बन्ध है, ब्रिटिश साम्राज्यके किसी भी अन्य भागमें अज्ञात है और इससे निःसन्देह भारतीय काफिरोंसे भी नीचे हो जाते हैं। ऐसे विधानका कारण यह बताया जाता है कि ब्रिटिश भारतीयोंकी बहुत बड़ी संख्यामें अनधिकृत भरमार जारी है, और ब्रिटिश भारतीय समाज या ब्रिटिश भारतीय संघ भारतीयोंकी बहुत बड़ी संख्याको अनधिकृत रूपसे उपनिवेशमें

१. यह ८-११-१९०६ को लॉर्ड एलगिनसे शिष्टमण्डलकी भेंटके अवसरपर दिया गया था।

२. इस सम्बन्धमें जो तार उपलब्ध है उसमें प्रस्तावका मूल पाठ नहीं है। केवल अध्यादेशपर शाही अनुमति रोकनेकी ही उसमें प्रार्थना की गई है। देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४२७।

३. पाठके लिए देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४६८-६९।

लानेका प्रयत्न कर रहा है। दूसरे शब्दोंमें, भारतीय समाज शान्ति-रक्षा अध्यादेशको भंग करनेके अपराधमें रत है; और इस प्रकारके प्रयत्नको रोकनेके लिए ही यह अध्यादेश पास किया गया है। इसलिए यह एक दण्डका विधान है। अक्सर सुनते हैं कि जब किसी समुदायके कुछ सदस्य गम्भीर राजनीतिक अपराध करते हैं अथवा देशके सामान्य कानूनको बुरी तरह भंग करते हैं, तब समूचे समुदायपर दण्डात्मक कानून लागू किये जाते हैं। परन्तु यहाँ नागरिकोंकी स्वाधीनतापर रोक लगानेवाले उस कानूनके विरुद्ध, जो गलतीसे ब्रिटिश भारतीयोंपर लागू किया जा रहा है, अपराधके लिए समूचे समाजको अपमानजनक ढंगसे दण्डित किया जा रहा है; और सो भी तब जब सम्बद्ध समाजने इस अपराधके आरोपका जोरोंसे खण्डन किया है।

भारतीय समाजकी विनम्र सम्मतिमें ऐसा है यह अध्यादेश, जिसके बारेमें हम लॉर्ड महोदयके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तीन ऐसी बातें हैं, जिनके बारेमें कहा जाता है कि वे ब्रिटिश भारतीयोंको राहत देनेके लिए अध्यादेशमें शामिल की गई हैं। पहली बात है, ३ पौंडी शुल्ककी माफी। परन्तु हम दिखला चुके हैं कि माफीका सवाल बिलकुल नहीं है, क्योंकि वे सब लोग, जो इस समय ट्रान्सवालमें हैं, ३ पौंडी शुल्क दे चुके हैं। दूसरी बात है, वह अधिकार, जो अध्यादेश सरकारको अस्थायी अनुमतिपत्र जारी करनेके लिए देता है। परन्तु यह भी कोई राहत नहीं है, क्योंकि वह अनावश्यक है। ऐसा अधिकार तो सदैव रहा ही है और सरकार अपनी मर्जीके अनुसार उसका प्रयोग करती रही है। आज भी ऐसे ब्रिटिश भारतीय मौजूद हैं जिनके पास अस्थायी अनुमतिपत्र हैं।

फिर मद्य अध्यादेशके प्रभावसे अस्थायी अनुमतिपत्र-प्राप्त लोगोंको राहत दिलानेकी बात है। यह राहत ब्रिटिश भारतीयोंने कभी नहीं माँगी थी। और जहाँतक यह उनपर लागू होती है, इसका अर्थ है उनका अकारण अपमान।

हाँ, एक बात है, जिसे अध्यादेश जरूर दुरुस्त करता है। और वह है, स्वर्गीय अबूबकर आमदके वारिसोंको वह भूमि देना, जो उनके नामसे उनके पास १८८५ से पहले थी। इसका स्वरूप व्यक्तिगत है। और मुझे सन्देह नहीं कि जो भूमि अधिकारसे उनकी है, उसकी अगर उन वारिसोंको ऐसी कीमत चुकानी पड़े, जिससे ट्रान्सवालके सम्पूर्ण भारतीय समाजका अपमान होता हो, तो मुझे विश्वास है कि स्वयं वे वारिस भी चुकानेको तैयार नहीं होंगे। और समाज निश्चय ही ऐसी राहतके लिए कभी कृतज्ञताका अनुभव नहीं करेगा। यह बहुत ही आश्चर्यकी बात होगी, यदि बार-बार किये गये वादों और प्रतिज्ञाओंके बावजूद इस प्रकारके अध्यादेशका लॉर्ड महोदय समर्थन करें। मैं श्री चेम्बरलेन, लॉर्ड मिलनर और श्री लिटिलटनके खरीतोंसे उद्धरण देकर यह दिखानेकी धृष्टता करूँगा कि वे युद्धके बाद क्या करनेका इरादा रखते थे . . . .।[१]

यह सर्वविदित है कि युद्धसे पहले ब्रिटिश सरकारने इस बातके लिए प्रत्येक सम्भव उपाय किया था कि १८८५ का कानून ३ रद कर दिया जाये। आज स्थिति बदल गई है। परन्तु हमने आशा की थी कि परिवर्तन अच्छेके लिए होगा, क्योंकि हमने सोचा था कि हमारा वास्ता अब किसी विदेशी सरकारसे नहीं बल्कि स्वयं अपनी सरकारसे पड़ेगा। दुर्भाग्यसे हम आज उस देशमें अजनबी बन गये हैं, जिसे हमारा अपना देश कहा जा सकता है। पूर्वग्रहका समाधान करनेके लिए हमने सदैव प्रयत्न किये हैं। और इस दृष्टिसे हमने सुझाव भी दिये

१. वे अंश जो कि अब उपलब्ध नहीं हैं, मालूम पड़ता है, यहाँपर जोड़े गये थे।

हैं, जो स्वशासित उपनिवेशोंमें स्वीकृत हो चुके हैं। फिर भी यदि वे सुझाव स्वीकार न किये जायें तो एक जाँच-आयोग नियुक्त किया जाये, ऐसी हमने माँग की है। यह चिरमान्य ब्रिटिश प्रथा रही है कि जब कभी कोई नया कदम उठाया गया है तब उसके पहले एक शाही आयोगकी नियुक्ति हुई है। इसका नवीनतम उदाहरण कदाचित् ब्रिटेनका परदेशी-अधिनियम (एलिअन्स ऐक्ट) है। कोई कदम उठाये जानेसे पहले एक आयोगने विदेशियोंके विरुद्ध लगाये आरोपों, वर्तमान कानूनोंके पर्याप्त होने-न-होनेके प्रश्न और कौन-से नये कानून आवश्यक हैं, इन बातोंकी जाँच की। ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंके बारेमें हमने एक इसी प्रकारके आयोगकी माँग की है। हमें विश्वास है कि उन अत्यन्त गम्भीर आरोपोंको ध्यानमें रखते हुए, जिनका मैंने उल्लेख किया है, हम इसके अधिकारी हैं। इन तमाम वर्षोंमें हम रोटी माँगते रहे हैं; परन्तु इस अध्यादेशके रूपमें हमें पत्थर मिले हैं। इसलिए हमारे पास यह आशा करनेके लिए हर कारण मौजूद हैं कि लॉर्ड महोदय उपर्युक्त अध्यादेशका समर्थन नहीं करेंगे।

टाइप किए हुए अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५१३) से।

१२९. पत्र: एस० हॉलिकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ८, १९०६

प्रिय श्री हॉलिक,

आपके पत्रके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे खेद है कि कल आप बीमार थे। मैं लॉर्ड एलगिनके नामका प्रार्थनापत्र[1] इसके साथ भेज रहा हूँ। यदि आप सोचें कि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो आप उसे कर सकते हैं और मैं प्रार्थनापत्रको पुनः टाइप करा लूँगा। नहीं तो यही मूल प्रतिके रूपमें घुमाई जा सकती है।

आपका हृदयसे,

संलग्न

श्री एस० हॉलिक
६२, लन्दन वॉल, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५२६) से।

१. यहाँ "लॉर्ड एलगिनके नाम लिखे प्रार्थनापत्रका मसविदा" (पृष्ठ ११२-१३) की ओर संकेत किया गया है। देखिए "पत्र: एस० हॉलिकको", (पृष्ठ १०७) भी।

१३०. शिष्टमण्डल : लॉर्ड एलगिनकी सेवामें[1]

उपनिवेश-कार्यालय,
बृहस्पतिवार, नवम्बर ८, १९०६

(गोपनीय)

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय प्रजाकी ओरसे परममाननीय अर्ल ऑफ़ एलगिनसे मिलनेवाले एक शिष्टमण्डलकी कार्रवाई

शिष्टमण्डलमें निम्नलिखित सज्जन थे :—

लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐल्डर्ले
श्री हा० व० अली } ट्रान्सवालसे आये हुए प्रतिनिधि
श्री गांधी }
सर लेपेल ग्रिफिन, के० सी० एस० आई०
श्री जे० डी० रीज़, सी० आई० ई०, संसद-सदस्य
सर जॉर्ज बर्डवुड, के० सी० एस० आई०
सर हेनरी कॉटन, के० सी० एस० आई०, संसद-सदस्य
श्री नौरोजी
सर मं० भावनगरी, के० सी० आई० ई०
श्री अमीर अली
सर हैरॉल्ड कॉक्स, संसद-सदस्य
श्री थॉर्नटन, सी० एस० आई०

अर्ल ऑफ एलगिन : सज्जनो, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने इस भेंटको निजी रूप दिया, क्योंकि मैंने इस तरहकी दूसरी बैठकोंके अनुभवके बलपर यह सोचा है कि हम सार्वजनिक संवाददाताओंकी अनुपस्थितिमें मेजपर आमने-सामने मित्र-भावसे अधिक अच्छी चर्चा कर सकेंगे; साथ ही यह बात मैं अच्छी तरहसे जानता हूँ कि शिष्टमण्डल मामलोंपर तफसीलसे बातचीत करना चाहता है और इसलिए जो बातचीत हो उसे लेखबद्ध करनेका मैंने इन्तजाम कर रखा है।

इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहूँगा। शिष्टमण्डलमें मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिनके साथ मुझे भारतमें काम करनेका सौभाग्य मिला था। मुझे आशा है कि यदि शिष्टमण्डलको यह बात समझानेकी जरूरत रही हो तो उन्होंने उसे यह बात समझा दी होगी कि मेरी भावना ब्रिटिश भारतीयोंके हितके लिए जितना बने उतना करनेकी है। (साधु! साधु!)।

१. हमारे साधनसूत्र कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स हैं किन्तु इसके अपूर्ण पाठ गांधीजीकी टाइप की हुई दफ्तरी प्रति एस० एन० ४५१२ तथा दक्षिण आफ्रिकी नीली पुस्तिका सी० डी० ३३०८ में भी मिलते हैं।

सर लेपिल ग्रिफिन: महानुभाव, आपने अभी जो कुछ कहा उससे शिष्टमण्डलका परिचय देनेका मेरा काम अधिक आसान हो गया है। हम लॉर्ड महोदयके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस शिष्टमण्डलको भेंट दी है। आप जानते हैं कि इसके सभी सदस्य भारतसे सम्बद्ध हैं, और इनमें से अधिकांश स्वयं वहाँ रहे हैं, तथा सभीको भारतमें दिलचस्पी है। प्रसन्नताकी बात यह है कि उनकी यह दिलचस्पी किसी दलगत भावनाके कारण नहीं है, क्योंकि इस शिष्टमण्डलमें सभी पक्षोंका प्रतिनिधित्व है। अब दक्षिण आफ्रिकासे आये हुए प्रतिनिधियोंका आपसे परिचय करा दूँ। ये श्री गांधी हैं। लॉर्ड महोदय जानते हैं कि ये इनर टैम्पलके बैरिस्टर हैं और इन्होंने विगत बोअर-युद्ध तथा नेटालके विद्रोहमें आहत-सहायक दलके संगठन और अन्य कामोंके द्वारा देशके हितमें बहुत उत्तम काम किया है। अब ये जोहानिसबर्गमें वकालत करते हैं। श्री अली इनके सहयोगी हैं। ट्रान्सवालके भारतीय समाजके मुसलमानोंके ये प्रतिनिधि हैं, बड़े धनी-मानी व्यापारी हैं और ट्रान्सवालकी इस्लामिया अंजुमनके संस्थापक हैं, और जहांतक मुझे मालूम है, उसके अध्यक्ष भी हैं। अभी जो अध्यादेश पास किया गया है और जिसके बारेमें हम साम्राज्यीय सरकारसे निषेधाज्ञाकी प्रार्थना करनेवाले हैं, उसकी तफसील पेश करनेकी बात मैं इन्हीं सज्जनों-पर छोड़ता हूँ। किन्तु मैं इस समय उपनिवेश कार्यालयके सामने जो मामला है, उसे समझानेके लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूँ और लॉर्ड महोदयका थोड़ा ही समय लूँगा।

मुझे लगता है, शिष्टमण्डलका परिचय करानेके लिए मुझसे कहनेका मुख्य कारण यह है कि मैं उस पूर्व भारत संघकी परिषदका अध्यक्ष हूँ जिसके लॉर्ड महोदय लब्धप्रतिष्ठ उपाध्यक्ष हैं; किन्तु पूर्व भारत संघने अक्सर जिस प्रश्नपर क्रमशः आनेवाले उपनिवेश-मन्त्रियों, भारत-मन्त्रियों और वाइसरायोंके सामने जोर दिया है उसका हमारी आजकी उपस्थितिसे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। जैसा कि लॉर्ड महोदय जानते हैं, पूर्व भारत संघकी शिकायतोंकी आधारशिला यह रही [है] कि सभी सदाचारी, राजभक्त और उद्योगी ब्रिटिश प्रजाजनोंको कौम या रंगका विचार किये बिना ब्रिटिश साम्राज्यके सारे उपनिवेशोंमें समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। न्यायकी इस आधारशिलाको अतीतकालमें सदा अस्वीकार किया गया है, किन्तु पूर्व भारत संघ, जिसके प्रतिनिधि आज यहाँ काफी संख्यामें मौजूद हैं, इसीमें आस्था रखता है और वह इसी आधारपर अपना विरोध व्यक्त करेगा। किन्तु, महानुभाव, शिष्टमण्डल आजके इस अपराह्ण-में जो प्रश्न सामने रखना चाहता है, वह ठीक यही प्रश्न नहीं है; वह उन बड़े-बड़े दावोंको पेश नहीं कर रहा है जो हम पहले पेश कर चुके हैं; वह इतना ही चाहता है कि केवल ट्रान्सवालपर लागू होनेवाले अमुक अध्यादेशको साम्राज्यीय सरकारकी स्वीकृति न दी जाये।

इस विषयपर थोड़े-से शब्द कहना पर्याप्त होगा। बोअर शासनकालमें ब्रिटिश भारतीयोंसे काफी कड़ाईके साथ बरताव किया जाता था, किन्तु ट्रान्सवालमें उनके प्रवेशपर प्रतिबन्ध नहीं था और बालिग व्यापारियोंसे अनुमतिपत्रके लिए शुल्क लेनेके सिवा उनपर किसी प्रकारकी रोक-टोक नहीं थी। किन्तु उनकी परिस्थिति बहुत ही अधिक परेशानी देनेवाली थी और बहुत बार उसका विरोध किया गया था। हमारा ऐसा खयाल था कि जब वह देश अंग्रेजोंके हाथमें आ जायेगा तब ये शिकायतें दूर हो जायेंगी। अभी इन शिकायतोंके दूर होनेके बजाय उनकी परिस्थिति और खराब हो गई है और पंजीयन तथा शिनाख्तके नियम बहुत ही ज्यादा सख्त

कर दिये गये हैं। अब जो अध्यादेश पास हुआ है उसके कारण, दक्षिण आफ्रिकाके लोग उसके बारेमें चाहे जो कहें, उनकी परिस्थिति अपेक्षाकृत कई गुना खराब और अपमानजनक हो गई है। यह कहा जा सकता है कि ट्रान्सवालमें ये नियम भारतीयोंके फायदेके लिए बनाये गये हैं, किन्तु घनकी चोट निहाई जाने। ट्रान्सवालके भारतीयोंका खयाल है कि इस अध्यादेशके नये विनियम इतने कष्टकारक और अपमानजनक हैं कि उन्हें सहन करना असम्भव है; और जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं उनके इस दावे और शिकायतका बड़े जोरसे समर्थन करता हूँ।

इस अध्यादेशके अन्तर्गत ट्रान्सवालमें रहनेवाले प्रत्येक व्यक्तिकी बहुत ही सख्त जाँच की जायेगी; हरएक पासपर उसकी अँगुलियोंके निशान लिये जायेंगे; और बिना पंजीयनके पुरुष, स्त्री या बालक किसीको प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह पंजीयन इतने सख्त ढंगका है कि जहाँतक मुझे याद है, ऐसा कठोर पंजीयन किसी भी सभ्य देशमें सुननेमें नहीं आया। इस विनियमके अन्तर्गत ट्रान्सवालके प्रत्येक व्यक्तिको, फिर चाहे वह बालिग पुरुष हो, चाहे स्त्री, चाहे बच्चा, यहाँतक कि दुधमुँहे बच्चोंको भी ऐसी शर्तोंपर पंजीयन कराना पड़ेगा जो किसी भी सभ्य देशमें सामान्यतः सजायाफ्ता लोगोंपर ही लागू होती हैं। इस पंजीयनसे बचने, इसकी जानकारी न होने या इसे भूल जानेकी सजाएँ हैं भारी जुरमाना, सख्त कैद, देश-निकाला और सर्वनाश। महानुभाव, आप भारतके वाइसराय रहे हैं, उस देशके साथ आपकी सहानुभूति है; आप अवश्य यह बात जानते हैं कि ब्रिटिश झण्डेकी छायामें कहीं भी ऐसा कोई विधान नहीं है; और अगर यूरोपको लें तो मैं बिना अतिशयोक्तिके कह सकता हूँ कि यहूदी लोगोंके खिलाफ रूसी कानूनको छोड़कर इस महादेशमें कोई ऐसा कानून नहीं है जिसकी तुलना इससे की जा सके; और यदि हम इंग्लैंडमें इसकी मिसाल ढूँढ़ना चाहें, तो वह प्लैंटेजेनेट-कालमें ही मिलेगी।

और फिर यह विधान किसके खिलाफ बनाया गया है? यह उन लोगोंके खिलाफ बनाया गया है जो संसारकी सबसे अधिक अनुशासनबद्ध, शिष्ट, उद्योगी और शान्त कौम है; जो हमारे ही रक्त और वंशके हैं और जिनकी भाषाके साथ हमारी भाषाका बहनका रिश्ता है। भारतसे सम्बन्धित उन लोगोंकी उपस्थितिमें जो उसके इतिहासको जानते हैं, यह कहनेकी कोई जरूरत नहीं है कि आज भारतीय समाज क्या है। इसका उल्लेख भी लगभग उसका अपमान है।

और यह विधान किसके इशारेपर बना है? मुझे बताया गया है और मेरा विश्वास है कि ट्रान्सवालके ब्रिटिश समाजके भले आदमियोंका इसमें कोई हाथ नहीं है। मेरा खयाल है कि वे ब्रिटिश भारतीयोंको सभी उचित सुविधाएँ देनेके पक्षमें हैं; इसमें हाथ है ट्रान्सवालमें रहनेवाले पराये राज्योंके विदेशी लोगोंका, जिन्हें भारतीय व्यापारियोंके कारण कुछ असुविधाएँ होती हैं, क्योंकि वे उनकी अपेक्षा बहुत अधिक संयमी और उद्योगी हैं। अंग्रेजोंका इसमें कोई हाथ नहीं है। यूरोपके अन्तर्राष्ट्रीय नाबदानसे फेंकी हुई गन्दगी — रूसी यहूदी, सीरियाई, जर्मन यहूदी और इसी तरहके अन्य देशीय लोगोंने इस विधानको प्रोत्साहन दिया है और वे ही भारतीय विरोधी पूर्वग्रहको भी बढ़ावा देते हैं। ब्रिटिश अधिवासी, जिनकी आलोचनामें मैं एक शब्द भी नहीं कहना चाहता, मेरी समझमें ट्रान्सवालके एक अंग हैं। किन्तु ट्रान्सवाल एक जीता हुआ

उपनिवेश है, बसाया हुआ उपनिवेश नहीं और वहाँ जो अन्य देशी लोग हैं वे ही इस शिष्ट भारतीय समाजके विरुद्ध हैं।

महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, किन्तु आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हम आपसे, सम्राट्की सरकारके प्रतिनिधिकी हैसियतसे तथा यह जानते हुए कि आपकी सहानुभूति भारतीयोंके साथ है और आपने बड़ी कुशलतासे उनपर शासन किया है, यह प्रार्थना करते हैं कि आप इस अध्यादेशके प्रति निषेधाज्ञा प्राप्त करायें। यह शिष्टमण्डल आपके सामने आज कोई बड़ा प्रश्न लेकर उपस्थित नहीं हो रहा है। वे राजनीतिक अधिकार नहीं माँगते। ट्रान्सवालके युद्धमें इंग्लैंडके प्रति श्रद्धा रखनेके कारण उनमें से अनेकोंने अपने प्राण न्योछावर किये हैं। उन्होंने वहाँ वैसे ही साहससे काम किया, जैसे इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया या कनाडासे भेजी गई सेनाओंके लोगोंने किया था और वे अपनी उस महान और लगनसे की हुई सेवाका कोई बदला नहीं माँगते। उन सेवाओंको कोई मान्यता नहीं दी गई; उल्टे उनकी उपेक्षा की गई है और नये बोझ लाद दिये गये हैं। हम आज न्याय और खालिस न्यायके सिवा कुछ नहीं चाहते। हम इतना ही चाहते हैं कि बोअर हमपर जिन कोड़ोंसे प्रहार करते थे वे ब्रिटिश सरकारके हाथोंमें जाकर बिच्छू न बन जायें।

अन्तमें मैं यह कहूँगा कि हमें वर्तमान सरकारसे हर तरहकी आशा है और वह इसलिए कि इस सरकारने चीनियोंकी शिकायतोंको अधिकसे-अधिक सहानुभूतिके साथ सुना है; किन्तु जहाँतक शिष्टमण्डलका सम्बन्ध है, चीनियों और अन्य राष्ट्रोंके विदेशियोंका प्रश्न नहीं उठता। हम चीनियोंके लिए कुछ नहीं माँगते, अपनी सहप्रजाके लिए माँगते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि यदि उदारता नहीं, तो उनके साथ न्यायसे काम लिया जाये और लॉर्ड महोदय उन्हें अत्याचारों और अपमानोंसे बचायें।

इस शिष्टमण्डलको लॉर्ड महोदयकी इच्छानुसार छोटा रखा गया है। यह इससे बहुत बड़ा हो सकता था। यह एक कसौटीका मामला है, आगे या पीछे हटनेका प्रश्न है। भारतके भूतपूर्व वाइसरायके नाते लॉर्ड महोदय निश्चित रूपसे जानते हैं कि इस कसौटीके मामलेमें आज जो निर्णय दिया जायेगा, उसपर सारे भारतका ध्यान, ३० करोड़ भारतीयोंका ध्यान लगा हुआ है। और मैं लॉर्ड महोदयसे यह सोचने और याद रखनेकी प्रार्थना करूँगा कि यह अध्यादेश भारतमें पैदा होनेवाले भारतीयोंके अतिरिक्त उन तमाम भारतीय अधिकारियोंका भी अपमान करता है, जिनमें मैं और शिष्टमण्डलके अधिकांश सदस्य आ जाते हैं। क्या हम यह मान लें कि हम लोग, जिन्होंने लॉर्ड महोदय तथा आपके पूर्वाधिकारियों और उत्तराधिकारियोंके मातहत भारतीय प्रदेशके शासनमें भाग लिया है और काम किया है, कुछ ऐसे गिरे हुए लोगों-पर शासन कर रहे थे जो रूसी, यहूदी और ज़ूलू लोगोंसे भी गये-गुजरे हैं। महोदय, बात ऐसी नहीं है। जिनपर आपने ऐसा अच्छा शासन किया है उन लोगोंकी यथासम्भव रक्षाका भार हम आपपर छोड़ते हैं। यदि मेरा बोलनेका ढंग आवेशपूर्ण हो गया हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ, क्योंकि मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ट्रान्सवालमें आकर बस जानेवाले लोगोंका (मैं उन्हें उपनिवेशी नहीं कहूँगा) वहाँके ब्रिटिश भारतीयोंके साथ आज

जो व्यवहार है, उसके कारण मेरे मनमें जो लज्जा और क्षोभ घनीभूत है, उसकी तुलनामें मेरे शब्दोंकी गरमी बहुत कम है।

श्री गांधी: श्री अली और मैं, दोनों, लॉर्ड महोदयके बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने ब्रिटिश भारतीय स्थिति अपने सामने रखनेके लिए हमें अवसर दिया। यद्यपि हमें प्रतिष्ठित आंग्ल-भारतीय मित्रों और अन्य लोगोंका समर्थन प्राप्त है फिर भी मुझे लगता है कि श्री अली और मेरे सामने जो काम है वह बहुत कठिन है; क्योंकि जोहानिसबर्गमें ब्रिटिश भारतीयोंकी सार्वजनिक सभाके बाद लॉर्ड सेल्बोर्नके द्वारा आपको जो तार[1] भेजा गया था उसके उत्तरमें आपने कृपापूर्वक ब्रिटिश भारतीय संघको सूचित किया था कि आप हमें अपना पक्ष उपस्थित करनेके लिए पूरा अवसर तो देंगे; परन्तु इसका कोई अच्छा परिणाम निकलना सम्भव नहीं है; क्योंकि महानुभावने अध्यादेशके सिद्धान्तको इस दृष्टिसे स्वीकार कर लिया है कि इससे ब्रिटिश भारतीयोंको यद्यपि उतनी राहत नहीं मिलती जितनी कि महामहिमकी सरकार चाहती है फिर भी कुछ राहत तो मिलती ही है। हम, जो मौकेपर हैं और सम्बन्धित अध्यादेशसे प्रभावित हैं, इस तरह नहीं सोचते। हमने अनुभव किया है कि यह अध्यादेश हमें किसी भी प्रकारकी राहत नहीं देता। यह एक ऐसा कानून है जिससे ब्रिटिश भारतीयोंकी दशा पहलेकी अपेक्षा बहुत ही खराब हो जाती है और उनकी स्थिति लगभग असह्य बन जाती है। इस अध्यादेशके अन्तर्गत ब्रिटिश भारतीयको घोर अपराधी मान लिया जाता है। ट्रान्सवालकी परिस्थितियोंसे अनभिज्ञ कोई अजनबी यदि इस अध्यादेशको पढ़े तो उसे इस निर्णयपर पहुँचनेमें हिचक नहीं होगी कि इस प्रकारका अध्यादेश, जिसमें इतने दण्ड-विधान हैं और जो ब्रिटिश भारतीय समाजपर सब तरफसे प्रहार करता है, केवल चोरों या डाकुओंके गिरोहपर ही लागू होना चाहिए। इसलिए मैं यह सोचनेका साहस करता हूँ कि यद्यपि सर लेपेल ग्रिफिनने इस अध्यादेशके सम्बन्धमें असाधारण भाषाका प्रयोग किया है, परन्तु उनके कथनमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है और उसका प्रत्येक शब्द ठीक है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह अध्यादेश, अपने संशोधित रूपमें, ब्रिटिश भारतीय स्त्रियोंपर लागू नहीं होता। निःसन्देह प्रस्तावित अध्यादेश स्त्रियोंपर भी लागू होता था, परन्तु कहा जा सकता है कि चूँकि ब्रिटिश भारतीय संघ और पृथक् रूपसे हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्ष श्री अलीने तीव्र विरोध किया कि उससे स्त्रियोंकी प्रतिष्ठापर बड़ा आघात पहुँचेगा इसलिए इस अध्यादेशमें ऐसा संशोधन किया गया कि यह स्त्रियोंपर लागू नहीं होगा। परन्तु यह समस्त बालिग पुरुषों, यहाँतक कि बच्चोंपर भी, लागू होता है — इस अर्थमें कि माँ-बापको या संरक्षकको अपने बच्चों या आश्रितोंका, जहाँ जैसी बात हो, पंजीयन प्रमाणपत्र लेना पड़ेगा।

ब्रिटिश कानूनका यह मौलिक सिद्धान्त है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति, जबतक उसका अपराध सिद्ध न हो जाये, निर्दोष समझा जाता है। परन्तु यह अध्यादेश इस विधिको बदल देता है और प्रत्येक भारतीयको अपराधी करार देता है और उसके लिए अपनी निर्दोषता सिद्ध करनेकी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। हमारे विरुद्ध अभी कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सका है, परन्तु तो भी प्रत्येक ब्रिटिश भारतीयको, उसका दर्जा चाहे जो हो, अपराधीके समान समझा जायेगा और उसके साथ निर्दोष आदमीके जैसा व्यवहार नहीं किया जायेगा। लॉर्ड महोदय, ब्रिटिश

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४६८-६९।

भारतीयोंके लिए यह सम्भव नहीं है कि वे ऐसे अध्यादेशसे समझौता कर सकें। मैं नहीं समझता कि ऐसा अध्यादेश महामहिमके राज्यके किसी भी भागमें स्वतंत्र ब्रिटिश प्रजाजनों-पर लागू है।

इसके अतिरिक्त आज ट्रान्सवाल जैसा सोचेगा, दूसरे उपनिवेश भी कल वैसा ही सोचेंगे। जब लॉर्ड मिलनरने ब्रिटिश भारतीयोंपर बाजार सूचना[1] एकाएक लागू की तो सारा दक्षिण आफ्रिका 'बाजार'की चर्चासे गूँज उठा। 'बाजार' शब्दका प्रयोग गलत अर्थमें किया गया है। वास्तवमें इसका प्रयोग बस्तियोंके लिए किया गया है, जहाँ व्यापार सर्वथा असम्भव है। परन्तु 'बाजार' सूचनाके बाद नेटालके[2] तत्कालीन महापौरने गम्भीरतापूर्वक एक प्रस्ताव रखा था कि भारतीय बाजारोंमें[3] खदेड़ दिये जायें। इसका रंचमात्र भी कारण नहीं है कि इस अध्यादेशका भी, जब यह कानून बन जायेगा, दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे भागोंमें अनुसरण न हो। आज नेटालमें स्थिति यह है कि गिरमिटिया भारतीयोंके लिए भी इस तरह पास लेकर चलना आवश्यक नहीं है जैसा कि इस एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेशमें विहित है; और न वहाँ बिना पास लेकर चलनेवालोंके लिए ऐसी कोई सजाएँ हैं जिनकी प्रस्तावित अध्यादेशमें व्याख्या की गई है। हम अपने विनम्र प्रतिवेदनमें पहले यह दिखला चुके हैं कि इस अध्यादेशके अन्तर्गत कोई राहत नहीं दी गई है; क्योंकि ३ पौंड शुल्ककी छूट, जिसका श्री डंकनने उल्लेख किया है, सर्वथा भ्रामक है; क्योंकि ट्रान्सवालके हम समस्त ब्रिटिश भारतीय निवासी, जिन्हें १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत ३ पौंड देना पड़ता है और जो लॉर्ड सेल्बोर्नके वादेके अनुसार ट्रान्सवालमें पुन: प्रवेश कर सकते हैं, ३ पौंड अदा कर चुके हैं।

अस्थायी अनुमतिपत्र जारी करनेका अधिकार भी फाजिल है, इस अर्थमें कि सरकार इस अधिकारका प्रयोग पहले ही कर चुकी है और आज ट्रान्सवालमें अनेक भारतीय हैं जिनके पास अस्थायी अनुमतिपत्र हैं। वे अपने अनुमतिपत्रोंकी अवधि बीतनेपर उपनिवेशसे निकाले जा सकते हैं।

मद्य अध्यादेशके[4] अन्तर्गत ब्रिटिश भारतीयोंको जो राहत दी गई है, उसमें उन्हें अपना अकारण अपमान ही लगता है। स्थानीय सरकारने इस बातको समझा था और तुरन्त ही भारतीयोंको विश्वास दिलाया था कि यह कदापि ब्रिटिश भारतीयोंपर लागू करनेके लिए नहीं है, किन्हीं और लोगोंके लिए है। अन्य लोगोंसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। और हमने यह दिखानेका सदैव प्रयत्न किया है कि ब्रिटिश भारतीयोंके साथ ब्रिटिश प्रजाजनों जैसा व्यवहार होना चाहिए और उन्हें उन सर्वसाधारण एशियाइयोंमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिनपर कुछ नियंत्रणोंकी आवश्यकता हो सकती है, किन्तु वे नियंत्रण ब्रिटिश भारतीयों-पर ब्रिटिश प्रजाजनोंके रूपमें लागू नहीं किये जाने चाहिए।

एक बात और बाकी है, वह स्वर्गीय अबूबकरकी[5] जमीनके सम्बन्धमें है। वास्तवमें वह जमीन उनके उत्तराधिकारियोंको मिलनी चाहिए; परन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

१. देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ५१-५४।

२. डर्बनके महापौर।

३. देखिए खण्ड ४, पृष्ठ २५७-५८।

४. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४१२।

५. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २४०-४१।

अनिच्छापूर्वक की गई व्याख्याके अनुसार यह केवल व्यक्तिगत है और उसका समाजसे कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए वह जमीन उत्तराधिकारियोंको नहीं दी जा सकती। इस अध्यादेशका उद्देश्य इस भूलको सुधारना है। परन्तु मैं उत्तराधिकारियोंका प्रतिनिधि रहा हूँ और इसलिए मैं सोचता हूँ कि वे भी ब्रिटिश भारतीयोंपर लागू होनेवाले इस अध्यादेशकी कीमतपर यह राहत पाना पसन्द नहीं करेंगे और निश्चय ही अबूबकरकी भूमि उनके उत्तराधिकारियोंको दे दिये जानेके बदले भारतीय समाज भी ऐसा अध्यादेश स्वीकार करनेको तैयार नहीं हो सकता जिसके अन्तर्गत जो कुछ उनका है ही उसे पानेके लिए उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरह इस रूपमें भी इस अध्यादेशसे कोई राहत नहीं मिल सकती। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, इस अध्यादेशके अन्तर्गत हमें अपराधियोंकी श्रेणीमें रख दिया जायेगा।

महानुभाव, वर्तमान विधान काफी कड़ा है। मेरे पास फोक्सरस्टके मजिस्ट्रेटकी अदालतका विवरण है। सन् १९०५ और १९०६ में ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेके लिए १५० भारतीयोंपर सफलतापूर्वक मुकदमे चलाये गये। मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि ये सब मुकदमे किसी प्रकार भी न्याययुक्त नहीं हैं। मेरा विश्वास है, यदि इन मुकदमोंपर विचार किया जाये तो आप देखेंगे कि इनमें से कुछ सर्वथा बेबुनियाद हैं।

जहाँतक शिनाख्तका सम्बन्ध है, वर्तमान कानून सर्वथा पर्याप्त है। मैं महानुभावके समक्ष अपना पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे प्रकट हो जायेगा कि शिनाख्त करनेके लिए यह कितना पूर्ण है। वर्तमान कानूनको संशोधन तो कहा ही नहीं जा सकता है। मैं महानुभावके समक्ष पंजीयनकी एक रसीद पेश कर रहा हूँ जो मेरे सहयोगी श्री अलीको ट्रान्सवाल सरकारसे मिली थी। महानुभाव देखेंगे कि यह केवल ३ पौंडकी रसीद है। वर्तमान अध्यादेशके अन्तर्गत पंजीयन भिन्न प्रकारका है। जब लॉर्ड मिलनरने १८८५के कानून ३ को लागू करना चाहा, तब उन्होंने नये पंजीयनका सुझाव दिया। हमने इसका विरोध किया, परन्तु उनकी जोरदार सलाहके अनुसार हमने नये सिरेसे स्वेच्छापूर्वक अपना पंजीयन करा लिया और इसीलिए लॉर्ड महोदयके समक्ष यह पत्रक प्रस्तुत है। जब पंजीयन हुआ था तब लॉर्ड मिलनरने जोर देकर कहा था कि यह कानून सदैवके लिए है और जिनके पास ऐसे पंजीयन प्रमाणपत्र होंगे, उनको इसके अनुसार निवासका पूर्ण अधिकार होगा। क्या अब यह सब बेकार जायेगा? महानुभाव निश्चय ही पूनियाका[1] मामला जानते हैं जिसमें वह गरीब भारतीय स्त्री, जो अपने पतिके साथ थी, पतिसे जुदा कर दी गई थी और मजिस्ट्रेटने उसे आज्ञा दी थी कि वह इस देशको ७ घंटेके अन्दर छोड़ दे। सौभाग्यसे, अन्तमें उसे राहत दी गई; क्योंकि मामला समयपर अदालतमें पेश हो गया था। ११ वर्षसे कम आयुका एक लड़का भी गिरफ्तार किया गया था। उसपर ५० पौंड जुरमाना या ३ महीनेकी कैदकी सजा सुनाई गई, जिसके बाद उसे देश छोड़ देनेका हुक्म हुआ। इस मामलेमें भी सर्वोच्च न्यायालयने न्याय किया। यह सजा सर्वथा गलत घोषित की गई और सर जेम्स रोज-इन्सने कहा कि यदि ऐसी नीतिका अनुसरण जारी रहा तो शासन अपनेको उपहासास्पद और निंद्य बना लेगा। वर्तमान कानून इस तरह ब्रिटिश भारतीयोंको दण्ड देनेके लिए काफी कड़ा और सख्त है, तो क्या

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४६३–६४।

जो भारतीय उपनिवेशमें गलत ढंगसे आनेकी चेष्टा करेंगे, उनको बाहर रखनेके लिए यह काफी नहीं है?

इस विधेयकके पास करनेका कारण यह बताया गया है कि ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी अनधिकृत बाढ़ आ गई है और वह भी जबरदस्त पैमानेपर, और कि भारतीय समाज इस ढंगसे भारतीयोंको उपनिवेशमें प्रवेश दिलानेकी चेष्टा कर रहा है। अन्तिम आरोपका अनेक बार भारतीय समाजने खण्डन किया है और जिन लोगोंने यह आरोप लगाया है उनको चुनौती दी है कि वे अपने इस कथनको सिद्ध करें। प्रथम वक्तव्यका भी खण्डन किया गया है।

मुझे एक और बातका उल्लेख कर देना चाहिए। वह है, चौथा प्रस्ताव जो कि ब्रिटिश भारतीयोंकी सार्वजनिक सभामें[1] पास किया गया था। यह प्रस्ताव बड़ी गम्भीरतापूर्वक, सानुरोध और अत्यन्त विनम्रताके साथ पास किया गया था और उस सम्पूर्ण सार्वजनिक सभाने इस प्रस्तावके द्वारा यह निश्चय किया था कि यदि यह अध्यादेश कभी लागू कर दिया गया और हमें राहत नहीं दी गई तो ब्रिटिश भारतीय इसके अन्तर्गत होनेवाले अपमानके सामने झुकनेके बजाय जेल जायेंगे। इस अध्यादेशके कारण भी उत्तेजना फैल गई थी, इससे उसकी गहराईका पता चलता है। अबतक हमने ट्रान्सवालमें और दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे भागोंमें बहुत-कुछ सहन किया है, क्योंकि वह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। हमें ६ हजार मील चलकर साम्राज्यीय सरकारके समक्ष स्थिति रखनेकी आवश्यकता नहीं थी; परन्तु अध्यादेशके कारण सहनशीलताकी हद हो गई है और हमें लगा कि हम सम्पूर्ण विनम्रताके साथ अपनी पूरी शक्ति लगा दें; यहाँतक कि लॉर्ड महोदयके समक्ष एक शिष्टमण्डल भेजें।

इसलिए मेरी विनम्र रायमें भारतीय समाजके हितमें कमसे-कम एक आयोगकी नियुक्ति की जाये, जैसा कि महानुभावके समक्ष प्रस्तुत किये गये विनम्र प्रतिवेदनमें सुझाया गया है। यह एक चिरकालसे सम्मानित ब्रिटिश प्रथा है कि जब कभी किसी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तका प्रश्न उठता होता है, तब कोई कदम उठानेसे पहले एक आयोग नियुक्त किया जाता है। ब्रिटेनमें अन्य देशोंके लोगोंके प्रवेशका प्रश्न भी ऐसा ही है। ब्रिटेनमें प्रवेश करनेवाले अन्य देशीयोंपर जो आरोप लगाये गये थे, लगभग उन्हींसे मिलते-जुलते आरोप भारतीय समाज-पर लगाये गये हैं। फिर, वर्तमान कानूनके पर्याप्त होने-न-होने और आगे कानून बनानेकी आवश्यकताका भी प्रश्न था। ये तीनों मुद्दे कोई कदम उठानेसे पहले एक आयोगको विचारके लिए सौंपे गये थे। इसलिए मेरा खयाल है कि कोई सख्त कानून बनानेके पहले एक आयोग नियुक्त हो और इस सम्पूर्ण प्रश्नकी छानबीन की जाये।

इसलिए मैं यह आशा करनेकी धृष्टता करता हूँ कि लॉर्ड महोदय ब्रिटिश भारतीय समाजके लिए राहतकी यह छोटी-सी तजवीज मंजूर करेंगे।

श्री हा० व० अली : लॉर्ड महोदय, हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं कि आप इस शिष्टमण्डलके निवेदनको धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। महानुभावके समक्ष श्री गांधीने इस मामलेको पूर्ण रूपसे उपस्थित कर दिया है। जो-कुछ कहा जा चुका है, उसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। मैं वकील नहीं हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ; परन्तु ट्रान्सवालके एक पुराने निवासीकी हैसियतसे मैं महानुभावकी सेवामें यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान अध्यादेशके

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४३४।

कारण जो मुसीबतें हम लोगोंके ऊपर आ पड़ेंगी वे असह्य होंगी। क्या मैं महानुभावको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि जब ट्रान्सवालकी विधान-परिषदमें अध्यादेश पेश हुआ, तभी मेरे देशवासियोंको यह सोचकर, कि एक ब्रिटिश सरकारके अन्तर्गत ऐसे कानून कैसे पास किये जा सकते हैं, दुःख हुआ और बहुत गहरा दुःख। कुछ बरस पहले मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था।

बोअर शासनके अधीन हमारी जो हालत थी उसके मुकाबले अब वह कहीं अधिक खराब हो गई है। उस समय हम ब्रिटिश सरकारसे संरक्षण पा जाते थे। क्या अब उसी सरकारके अधीन होनेपर हमें जुल्मका शिकार होना पड़ेगा?

जब कि यह अध्यादेश पेश है और सब वर्गोंके विदेशी ट्रान्सवालमें धाराप्रवाह चले आ रहे हैं तथा जब वे ब्रिटिश प्रजाजनोंको दिये जानेवाले अधिकारों और सुविधाओंका उपभोग कर रहे हैं, तब मेरे देशवासी, जो कि साम्राज्यकी रक्षामें सदा आगे रहते हैं, इन गम्भीर निर्योग्यताओं और अध्यादेशके कारण आनेवाली निर्योग्यताओंके कारण दुःख पा रहे हैं। आज भारतमें मेरे देशवासी सीमाकी रक्षापर तैनात हैं। वे साम्राज्यकी रक्षाके लिए अपने कन्धोंपर बन्दूक लिये खड़े हैं। यह बहुत दुःखकी बात है कि उनको ऐसा कष्ट भोगना पड़े और उनके विरुद्ध इस प्रकारका वर्ग-विधान बनाया जाये।

मैं न्यायके लिए अपील कर रहा हूँ और ब्रिटिश परम्पराओंके नामपर लॉर्ड महोदयसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि महानुभाव कृपापूर्वक निषेधाधिकारका प्रयोग या कमसे-कम एक आयोगकी नियुक्ति करके उन निर्योग्यताओंको दूर करेंगे जो इस अध्यादेशके कारण हमारे ऊपर आ पड़ेंगी। हम राजभक्त ब्रिटिश प्रजाजन हैं और इस कारण हम सम्पूर्ण संरक्षणके पात्र हैं। हमने कभी राजनीतिक अधिकारोंकी माँग नहीं की और न हम आज यह माँग कर रहे हैं। हम यह भी मान लेते हैं कि ट्रान्सवालमें गोरोंका प्रभुत्व रहे, पर हम अनुभव करते हैं कि हम उन समस्त साधारण हकोंके अधिकारी हैं जो ब्रिटिश प्रजाको मिलने चाहिए।

सर हेनरी कॉटन: लॉर्ड महोदय, यदि मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ अपने चारों ओर जिन बहुत-से प्रमुख लोगोंको देखता हूँ उनके समान केवल एक अवकाश-प्राप्त भारतीय अफसरके रूपमें ही उपस्थित नहीं हुआ हूँ बल्कि मैं वर्तमान संसदका सदस्य हूँ और उस सभाका अध्यक्ष भी जो लोकसभामें ऊपरकी मंजिलके बृहत् सभा-भवनमें हुई थी, और जिसमें उदार दलके १०० से ज्यादा सदस्योंने भाग लिया था। मैं इस अवसर-पर यह भी कह दूँ कि उस सभामें सदनके दोनों पक्ष निमन्त्रित नहीं किये गये थे, इसपर मुझे बहुत ज्यादा खेद है (तालियाँ)। यह एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण भूल थी जिसपर हम सभीको खेद है। फिर भी मैं इतना बता दूँ कि उस सभामें लोकसभाके १०० से ऊपर सदस्य शामिल हुए थे और इस विषयमें उनकी भावना वस्तुतः बहुत ही तीव्र थी। यहाँतक कि उन्होंने यह प्रस्ताव भी पास किया कि वे प्रार्थियोंके निवेदनके साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। लॉर्ड महोदय, मैं उस सभाके बाद लोकसभाके उन अनेक सदस्यों — सदनके दोनों पक्षोंके सज्जनोंके सम्पर्कमें आया हूँ जो वहाँ उपस्थित नहीं थे। विरोधी पक्षके कई सज्जनोंने मुझे यह सूचना भी दी है कि श्री गांधी और श्री अलीने ट्रान्सवालके अपने सह-प्रजाजनोंकी ओरसे जो रुख अख्तियार किया है उससे उनकी पूरी सहानुभूति है।

मैं सर लेपेल ग्रिफिनके कहे हुए शब्दोंका पूरी तरह समर्थन करता हूँ और उसके साथ लॉर्ड महोदयको याद दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति क्रूगरके प्रशासनमें ब्रिटिश भारतीयोंको जो कष्ट सहने पड़ते थे, इंग्लैंडमें लॉर्ड लैन्सडाउनने ही उनकी ओर विशेष रूपसे ध्यान खींचा था। लॉर्ड लैन्सडाउनके प्रति हम सभीमें अत्यन्त आदर-सम्मानका भाव है; वे लॉर्ड सभामें विरोधी दलके नेता होनेपर भी प्रत्येक अवस्थामें, जैसा कि हम सभीको भली भाँति विदित है, एक अत्यन्त उदारचेता राजनयिक हैं, जिन्होंने कहा था कि दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयोंके साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहारसे उनके मनमें जितना रोष और क्रोध उत्पन्न होता है उतना अन्य किसी बातसे नहीं। युद्ध आरम्भ होनेके दो या तीन सप्ताह बाद शेफील्डमें दिये गये अपने भाषणमें इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने कहा था कि जब भारतमें यह ज्ञात होगा कि दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें सताया जाता है तब उससे वहाँ निश्चय ही जो भावना पैदा होगी उसको लेकर वे अत्यन्त चिन्तित हैं। और उन्होंने इस बात की ओर इंगित किया था कि उनके दर्जे और उनकी स्थितिमें सुधार करना ब्रिटिश सरकारका आवश्यक कर्तव्य है।

अब, लॉर्ड महोदय, यह एक वचन है जो लॉर्ड सभाके विरोधी दलके नेताने दिया था और मैं दक्षिण आफ्रिकाके इस मामलेको तय करनेमें उदारदलीय सरकारके प्रतिनिधिके रूपमें आपसे अपील करता हूँ कि आपको अपना कर्तव्य कमसे-कम उस हद तक तो निश्चित ही मानना चाहिए जिस हद तक कुछ वर्ष पूर्व लॉर्ड लैन्सडाउन मानते थे।

यह सच है कि भारतके लोग इस मामलेको बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। यह भी सच है कि दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीय अपनी जिन तकलीफोंकी शिकायत करते हैं वे अब बोअर शासन कालसे अधिक हैं। और, इस अध्यादेशके, जिसकी शिकायत श्री गांधी और श्री अली यहाँ उचित ही कर रहे हैं, पास होनेसे तो इन तकलीफोंकी हद ही हो गई है। चूँकि मैं इस सम्बन्धमें लोकसभाके एक बहुत प्रभावशाली और बड़े भागका, और मेरा खयाल है कि भारतकी लगभग समूची सरकारी भावनाका, प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि श्रीमान इस प्रार्थनापत्रपर अनुकूल विचार करेंगे।

सर मंचरजी भावनगरी: लॉर्ड महोदय, मेरा खयाल है, यह मामला ऐसी योग्यता और स्पष्टतासे आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है कि मुझे इसकी तफसीलमें जानेकी जरा भी जरूरत नहीं है; और यदि मैं श्रीमानके सम्मुख कुछ मिनट बोलनेकी आवश्यकता अनुभव करता हूँ तो केवल इस कारण कि मैंने इस प्रश्नमें अपने साढ़े दस वर्षके पूरे संसदीय जीवनमें दिलचस्पी ली है। मैं श्रीमानका ध्यान कुछ मुद्दोंकी ओर दिलाना चाहता हूँ जो शायद श्रीमानकी जानकारीमें न हों।

दक्षिण अफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंके कष्टोंकी शिकायतके सिलसिलेमें मुझे आपके पूर्व-अधिकारियों, श्री चेम्बरलेन और श्री लिटिलटनसे इस विषयपर बहुत बार भेंटका अवसर मिला है। कार्रवाईके अन्तमें मैंने एक लम्बा छपा हुआ पत्र दिया था जिसमें समस्त तथ्योंका पूरा ब्यौरा था। और उसपर श्री लिटिलटनने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा था कि यह मामला इतनी अच्छी तरहसे पेश किया गया है और ये माँगें इतनी उचित हैं कि उन्हें कुछ राहत दिलानेकी आशा है। इसके विपरीत, मैं जानता था कि कौन-सी स्थानीय शक्तियाँ साम्राज्य-सरकारके किसी भी मन्त्रिमण्डलकी उदार नीतिका विरोध करेंगी। इसलिए मैंने उनके

सहानुभूतिपूर्ण उत्तरके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इस समस्त मामलेपर विचारके लिए शायद एक आयोगकी नियुक्ति आवश्यक होगी। सर जॉर्ज फेरारने भी, जो ट्रान्सवाल विधानमण्डलमें ब्रिटिश भारतीय-विरोधी हितका प्रतिनिधित्व करते थे, संयोगसे उसी समय यह सुझाव दिया था कि आयोगकी नियुक्तिसे इस मामलेपर प्रकाश पड़ेगा और सम्भव है, उस बहुत कठिन समस्याका कोई हल निकल आये। इसपर मैंने श्री लिटिलटनको फिर पत्र लिखा जिसमें मैंने सर जॉर्ज फेरारके प्रस्तावको मंजूर किया। तदनुसार व्यवस्था की जा रही थी और मेरा विश्वास है कि श्री लिटिलटन अन्तमें आयोग नियुक्त कर देते; किन्तु वह सरकार, जिसके वे उस समय सदस्य थे, हट गई। यह समस्त प्रश्न जिस कठिन स्थितिमें है, उसका अनुभव करते हुए मैं जब अनुरोध करता हूँ कि एक आयोग नियुक्त कर दिया जाये और उसकी रिपोर्ट जबतक न निकले तबतक यह अध्यादेश स्थगित रखा जाये जिससे आप उस आयोगकी रिपोर्टके सहारे इस समस्त प्रश्नकी छानबीन कर सकें।

महानुभाव, मुझे केवल एक बात और कहनी है। लॉर्ड महोदय पाँच वर्षके अपने स्मरणीय और प्रसिद्ध उपराजत्व-कालमें भारतीयोंके हितोंके अभिरक्षक तथा अभिभावक और उनके अधिकारोंके संरक्षक रहे हैं। हमारे नेताके रूपमें सर लेपेल ग्रिफिनने ठीक ही कहा है कि आज समस्त भारतीय प्रजाकी दृष्टि इस कमरेमें चल रही कार्यवाहीपर केन्द्रित है और जब मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि उस सहानुभूतिके कारण, जो लॉर्ड महोदयने दिखलाई है और जो मेरे खयालमें आप अब भी दिखलानेको तैयार हैं तथा जिसका भरोसा आपने इस कमरेमें प्रवेश करनेपर भी दिलाया था, आप न्यायके अतिरिक्त अन्य किसी बातपर ध्यान नहीं देंगे और उस प्रार्थनाको मान लेंगे जिसे आपके सम्मुख रखनेके लिए ये सज्जन इतनी दूरसे यहाँ आये हैं। मैं जब यह प्रकट करता हूँ तब मैं केवल भारतके ३० करोड़ लोगोंकी भावनाएँ ही व्यक्त कर रहा हूँ।

श्री रीज़ : लॉर्ड महोदय, मैं इस मामलेके गुण-दोषोंकी चर्चा नहीं करूँगा। मेरा खयाल है कि उनकी सर लेपेल ग्रिफिन काफी चर्चा कर चुके हैं। और जिस विषयको मैंने स्वयं अक्सर संसदके सम्मुख रखा है, उसके बारेमें अपनी दिलचस्पीकी बात भी नहीं कहने जा रहा हूँ; किन्तु जब सर हेनरी कॉटनने कलकी उस सभाकी बात कही है, मैं यह कहना चाहूँगा कि वह केवल एक दलकी सभा नहीं थी; बल्कि वह एक दलके एक भागकी सभा थी और एक ऐसे मामलेमें, जो इतने गम्भीर महत्त्वका है, ब्रिटिश भारतसे सम्बन्धित किसी विषयको एकदलीय विषय बनानेके प्रयत्नकी मैं अपनी पूरी शक्तिसे निन्दा करता हूँ। हम ट्रान्सवालमें अपने सह-प्रजाजनोंके साथ दुर्भाग्यपूर्ण तरीकेसे बरताव करनेके गम्भीर मामलेको लेकर लॉर्ड महोदयके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। मेरी समझमें इससे बढ़कर गम्भीर मामला और हो नहीं सकता।

श्री हैरॉल्ड कॉक्स : लॉर्ड महोदय, यहाँ उपस्थित सज्जनोंमें से बहुतोंकी अपेक्षा मेरी स्थिति कुछ भिन्न है; क्योंकि मैं न तो भारत-सरकारका भूतपूर्व अधिकारी हूँ और न मैं जन्मतः भारतीय ही हूँ; किन्तु मैंने भारतमें एक देशी राजाके यहाँ दो वर्ष तक सेवा की है और अपने जीवनके उस कालको मैं अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक स्मरण करता हूँ। मेरे यहाँ होनेका एक विशेष कारण यह है। किन्तु आज मेरे यहाँ आनेका असली कारण यह है कि मेरे मनमें यह बात है कि मैं अंग्रेज हूँ और सोचता हूँ कि यह मामला मेरे देशके लिए अशोभनीय है। जब ट्रान्सवालसे हमारा युद्ध छिड़ा तब हमारे देशने ब्रिटिश भारतीयोंको जिस न्यायका वचन दिया था वह न्याय नहीं किया

गया; और मेरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार, जिसके संचालनमें श्रीमानका भी हाथ है, यह दलील देकर बच नहीं सकती कि ट्रान्सवाल एक स्वशासित उपनिवेश है। वह स्वशासित उपनिवेश नहीं है। वह पूर्णतः आपके अधीन है और आज या किसी भी अन्य समय वहाँ जो-कुछ होता है, वह ट्रान्सवालके नामपर नहीं होता, बल्कि अंग्रेज प्रजाके नामपर होता है और मैं अंग्रेज प्रजाके नामपर ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंके साथ अन्याय किया जानेका विरोध करता हूँ।

श्री नौरोजी: मैं श्रीमानका समय नहीं लेना चाहता और जिस योग्यतासे यह समस्त विषय आपके सम्मुख रखा गया है, उसके बाद मैं केवल उस अपीलमें शामिल होता हूँ जो ब्रिटिश झंडेके नीचे रहनेवाले मेरे साथी प्रजाजनोंकी ओरसे आपसे की गई है। किसी भी अन्य सिद्धान्त की अपेक्षा ब्रिटिश झंडेके नीचे ब्रिटिश प्रजाजनोंकी स्वतन्त्रताका सिद्धान्त अधिक महत्त्वपूर्ण है और मैं यह आशा करता हूँ कि ब्रिटिश सरकार, विशेषतः उदारदलीय सरकार, उस सिद्धान्तपर दृढ़ रहेगी।

श्री अमीर अली: लॉर्ड महोदय, मुझे केवल एक बात कहनेकी अनुमति दें। भारतके सम्बन्धमें मेरा हालका अनुभव कदाचित् सबसे अधिक ताजा है। मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंको जो आघात पहुँचाया गया है उसके विषयमें भारतकी भावना बहुत तीव्र है और यदि विषय टाल दिया गया तो यह एक गम्भीर भूल होगी। मैं एकमात्र यही बात लॉर्ड महोदयके सम्मुख रखना चाहता हूँ।

अर्ल ऑफ एलगिन: पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि श्री कॉक्सने जिसे मेरी जिम्मेदारी माना है उसको मैं पूरी तरहसे स्वीकार करता हूँ। निःसन्देह उस सलाहके लिए, जो इस मामलेमें दी गई है, मैं जिम्मेदार हूँ, कोई दूसरा नहीं; और मैं अपनी इस जिम्मेदारीको टालना नहीं चाहता। दूसरे, मैं कहना चाहता हूँ कि श्री रीज, सर हेनरी कॉटन और अन्य लोगोंने जो कहा है उससे मैं सहमत हूँ; मैं इस प्रश्नको दलीय प्रश्न कतई नहीं मानता। सर हेनरी कॉटनने लॉर्ड लैन्सडाउनका हवाला दिया है; किन्तु मेरे सामने पिछली सरकारके उपनिवेश-मन्त्रीका एक खरीता है जिसमें से मैं एक अनुच्छेद पढ़ना चाहूँगा: "महामहिमकी सरकार यह विश्वास नहीं कर सकती कि ट्रान्सवालका अंग्रेज समाज उस प्रस्तावके वास्तविक रूपको समझता है जिसके सम्बन्धमें उसके कुछ सदस्य आपपर जोर दे रहे हैं। अंग्रेज होनेके नाते वे भी ब्रिटिश नामकी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने खुद हम और यदि उस प्रतिष्ठाको कायम रखनेके लिए आर्थिक त्याग करना भी आवश्यक हो तो मुझे विश्वास है कि वे खुशीसे वैसा करेंगे। महामहिमकी सरकारकी मान्यता है कि अधिवासी ब्रिटिश प्रजाजनोंपर वैसी निर्योग्यताएँ लादना, जिनके विरुद्ध हमने आपत्ति की थी, और जैसी भूतपूर्व गणतन्त्र सरकारके नियम भी, अगर उनकी सही व्याख्या की जाये तो, उनपर नहीं लादते, राष्ट्रीय प्रतिष्ठाके लिए अपमानजनक हैं; और इसमें उसको कोई सन्देह नहीं है कि जब यह बात ध्यानमें आ जायेगी तो उपनिवेशका लोकमत पेश की गई माँगका समर्थन नहीं करेगा।

सर हेनरी कॉटन: क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वे कौन-से उपनिवेश-मन्त्री थे?

अर्ल ऑफ एलगिन: यह श्री लिटिलटनने १९०४ में आपको ही लिखा था। अब जो सज्जन आज मेरे पास आये हैं, उनसे मुझे मालूम हुआ है कि हमें यहाँ सामान्य सहानुभूतियोंपर विचार नहीं करना है और न हमें उन अधिकारोंसे आगे कोई बात सोचनी है जो ब्रिटिश

भारतीय समाजको पहले प्राप्त थे। वे इस समय इन अधिकारोंके विस्तारकी माँग नहीं करते। इससे मामला सीमित हो जाता है; क्योंकि मेरे विचारमें आप प्रश्नको इस अध्यादेश तक ही सीमित रखना चाहते हैं।

सर लेपेल ग्रिफिन: फिलहाल तो ऐसा ही है, महानुभाव। इस प्रश्नपर बादमें लड़ेंगे।

अर्ल ऑफ एलगिन: हाँ, ठीक है। मैं आजकी और उस उत्तरकी बात सोच रहा हूँ जो मुझे देना है।

सर लेपेल ग्रिफिन: जी हाँ।

अर्ल ऑफ एलगिन: मैं यह बात सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि मेरा उत्तर यथातथ्य रहे। इसलिए प्रश्न इस अध्यादेशके सम्बन्धमें है। और मैंने अभी इसके दलीय प्रश्न न होनेके सम्बन्धमें जो बात कही उसके बाद, मैं आशा करता हूँ, आप मेरी यह बात स्वीकार कर लेंगे कि ट्रान्सवाल सरकारके प्रमुख अधिकारियोंका भी ऐसा इरादा नहीं था। उन्होंने मुझसे साफ-साफ कहा कि जो कानून पेश किया गया है उसमें उनका इरादा ब्रिटिश भारतीय समाजकी स्थिति बिगाड़ना नहीं बल्कि सुधारना है, और कुछ नहीं। मैं यह नहीं कहता कि आप इस विषयकी आलोचना नहीं कर सकते किन्तु मैं चाहता हूँ कि आप मेरी यह बात स्वीकार कर लें कि कानून पेश करनेमें इरादा यही था।

अब, श्री गांधीने यह स्पष्ट किया है कि कुछ मामलोंमें, उदाहरणार्थ व्यक्ति-करके मामलेमें, अध्यादेशमें दी गई कथित रियायत भ्रामक है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे खयालसे उनके इस वक्तव्यमें कुछ सार है कि इस प्रतिबन्धके अन्तर्गत, जिसका उल्लेख मैंने अभी किया है, जो लोग आयेंगे, उनमें से ज्यादातर शायद ३ पौंड दे चुके होंगे। किन्तु इसके साथ ही ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंके दर्जेकी हद तक इसपर विचार करते हुए मुझे लगता है कि सरकारका यह खयाल बिलकुल उचित हो सकता है कि वह व्यक्ति-करको अन्तिम रूपसे हटाकर इस मामलेमें ब्रिटिश भारतीयोंका दर्जा सुधार रही है।

अब अनुमतिपत्रों या पंजीयनके प्रश्नको लें; हम एक अनुमतिपत्र देख चुके हैं जो बोअरोंके प्रशासनमें दिया गया था। यह रकमकी रसीद-भर है। बोअर प्रशासन इस सम्बन्धमें और अन्य कई मामलोंमें भी इतना यथातथ्य नहीं था, जितना निश्चय ही हमारी दृष्टिमें ब्रिटिश-सरकारके अन्तर्गत प्रचलित प्रशासन है। और इसीलिए मैं केवल वह दृष्टिकोण बता रहा हूँ जो मेरे सम्मुख रखा गया है। ट्रान्सवालकी सरकारका दृष्टिकोण यह है: जो स्थिति बोअर-सरकारसे उन्हें विरासतमें मिली थी उसमें बड़ी गड़बड़ी थी और बड़ी प्रशासनिक कठिनाइयाँ थीं। फलस्वरूप खासी कशमकश रहती थी और मामलोंके निबटारेमें भी बहुत देर होती थी जिसके चिह्न मुझे इस प्रार्थनापत्रमें भी दिखाई पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसी उद्देश्यसे ट्रान्सवालकी सरकारने पंजीयनका रूप बदलनेका प्रस्ताव किया; किन्तु उन्होंने मुझे जो आवेदन दिये हैं उनके अनुसार पंजीयनके उस रूपको विधिवत् दिये गये अनुमतिपत्रोंसे ज्यादा अत्याचारपूर्ण बनानेका उनका कदापि कोई इरादा नहीं था।

और मैं विस्तारसे चर्चा तो नहीं करना चाहता, फिर भी यदि मैं एक क्षणके लिए अँगूठा-निशानीके इस प्रश्नपर गौर करूँ तो मुझे खयाल आता है कि अँगूठा-निशानी पहले-पहल प्रमुख रूपसे ध्यानमें तब आई जब सर हेनरी कॉटन और मैं भारतके प्रशासनमें साथ-साथ थे — अर्थात् हमारे मित्र श्री हेनरीके मातहत, जिनको अब इस नगरमें प्रमुख स्थान प्राप्त है।

निःसन्देह अँगूठा-निशानी उस अवस्थामें अपराधियोंको पकड़नेके लिए शुरू की गई थी; किन्तु मेरी समझमें नहीं आता कि अपने आपमें अँगूठा-निशानी लागू करना बहुत अपमानजनक कार्य क्यों है। दरअसल मुझे सदा यह बात बहुत आश्चर्यजनक लगी है कि हर अँगूठा-निशानीका पता लगाया जा सकता है; सम्भव है, दुर्बोध लिखावटकी अपेक्षा, जिसे हममें से कुछ हस्ताक्षर कहते हैं, इसमें कुछ अच्छाई हो। और इसी तथ्यका उल्लेख-भर करके मैं इसे श्री गांधीके ध्यानमें लाना चाहता हूँ कि उन्होंने वर्तमान अध्यादेशके अन्तर्गत जारी जो अनुमतिपत्र मुझे दिया है उसपर वर्तमान अध्यादेशके अन्तर्गत अँगूठेकी वैसी ही छाप लगी हुई है जैसी नये अध्यादेशके अन्तर्गत होगी।

श्री गांधी: जैसा कि मैंने कहा था, वह तो हमने लॉर्ड मिलनरके परामर्श और प्रोत्साहनपर केवल अपनी इच्छासे किया। इसके लिए उन्होंने हमसे अनुरोध किया था।

अर्ल ऑफ एलगिन: बिलकुल ठीक; किन्तु फिर भी यह एक प्रमाणपत्र है, सरकारी प्रमाणपत्र है; और इसपर अँगूठेकी निशानी लगी है।

लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐल्डर्ले: वह बिना किसी पूर्वग्रहके किया गया था।

लॉर्ड एलगिन: मेरी समझमें यह बात नहीं आती कि पंजीयन प्रमाणपत्रमें इसे बिना पूर्वग्रहके क्यों नहीं लगाया जाता?

सर मं० मे० भावनगरी: क्या मैं एक बात कहूँ? लॉर्ड मिलनरने ब्रिटिश भारतीयोंसे जो कुछ करनेको कहा, वह इस खयालसे किया गया था कि समाजके साथ किये जानेवाले व्यवहारका पूरा मामला फिलहाल उपनिवेश-मन्त्री, और लॉर्ड मिलनर तथा स्थानीय अधिकारियोंके बीच विचाराधीन है; अतएव, सम्भव है, उन्होंने लॉर्ड मिलनरकी हिदायतका पालन आदरपूर्वक तथा, जैसा कि लॉर्ड स्टैनलेने अभी-अभी कहा है, बिना किसी पूर्वग्रहके किया हो। किन्तु इससे तो ट्रान्सवालमें एक प्रजाजन और दूसरे प्रजाजनके बीच भेद-भाव उत्पन्न होता है।

लॉर्ड एलगिन: यह न समझिए कि मेरे कथनका कुछ और अर्थ है; मुझे तो इस समय इतना ही कहना है कि हमारे सामने एक प्रलेख मौजूद है जो आजकल अँगूठेके निशानके साथ उपयोगमें लाया जा रहा है, और उसे अपमानजनक नहीं कहा जा सकता।

श्री गांधी: यह दस अँगुलियोंके निशानकी बात है।

लॉर्ड एलगिन: क्या दस अँगुलियोंके कारण यह और भी अपमानजनक हो जाता है?

सर हेनरी कॉटन: केवल अपराधियोंके मामलेमें इसकी आवश्यकता होती है।

लॉर्ड एलगिन: मैं इसपर बहस नहीं करना चाहता; परन्तु मेरा खयाल है कि यहाँ इतना ही कहा जा सकता है।

इसके बाद पंजीयनके विषयमें एक बात है, वह यह कि यदि पंजीयनकी पद्धतिका पालन किया गया तो इससे उन लोगोंको, जिनका ट्रान्सवालमें पंजीयन होगा, अपने हकोंपर निश्चित और अपरिहार्य अधिकार प्राप्त हो जायेगा। इस मामलेमें ट्रान्सवाल सरकारकी यही स्थिति है। और पास साथ रखने अथवा निरीक्षण अधिकारके अत्याचारपूर्ण उपयोगके सम्बन्धमें मुझे सूचना मिली है। मैंने इस बातकी थोड़ी पुष्टि कर ली है कि जहाँतक अध्यादेश सम्बन्धी प्रमाण-पत्रोंकी जाँचका सवाल है, शायद वह वर्षमें केवल एक बार की जायेगी। जहाँतक आकस्मिक

जाँचकी बात है, मुझे बतलाया गया है, इसकी भी स्थिति वही होगी जो अनुमतिपत्रकी है। यह अनुमतिपत्र — यदि मेरा कथन ठीक है — ट्रान्सवालमें किसी भी व्यक्तिसे माँगा जा सकता है। यह स्थिति है। मैं इस विषयपर बहुत अधिक नहीं कहना चाहता। मैं तो केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ट्रान्सवाल सरकारने विधान लागू करनेकी स्वीकृति माँगते समय मेरे सामने ऐसे ही कारण रखे थे। यह बात स्पष्ट रूपसे मेरे मनमें बैठ गई थी कि कानूनमें किये गये ये सुधार भारतीय समाजको कुचलनेवाले नहीं हैं, बल्कि आगे चलकर ये लाभदायक ही सिद्ध होंगे, और इसीलिए मैंने उस विधानको लागू करनेकी स्वीकृति दी।

सज्जनो, अब हम इस स्थितिमें हैं कि इसका विरोध किया जा रहा है। मेरे विचारमें श्री गांधी और श्री अली एक विशाल सभाके प्रतिनिधिके रूपमें जिस अधिकारको लेकर यहाँ आये हैं उसका किसी प्रकार विरोध किये बिना मुझे यह कह देना चाहिए कि मेरे पास ट्रान्सवालसे तार आये हैं, जिनमें सूचित किया गया है कि वहाँके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे एक प्रार्थनापत्र मेरे नाम भेजा जा चुका है और उनका कहना है कि उसपर बड़ी तादादमें लोगोंने हस्ताक्षर किये हैं। उस प्रार्थनापत्रमें जो विचार व्यक्त किये गये हैं वे आज मेरे समक्ष रखे गये विचारोंके विपरीत हैं। वहाँकी आम रायके सम्बन्धमें आज मेरे पास दो और तार आये हैं। मेरे दो और तार कहनेका कारण यह है कि ट्रान्सवालकी विभिन्न नगरपालिकाओंसे बहुत-से अन्य तार भी आये हैं जिनमें मुझपर अध्यादेश पास करनेके लिए जोर दिया गया है, आदि। इसलिए विरोध तथा इस मामलेके विरोधके स्वरूपके बारेमें सर लेपेल ग्रिफिनने जो-कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतया सहमत नहीं हो सकता। यहाँ उपस्थित सभी सज्जनोंकी अपेक्षा मुझे इसपर अधिक खेद है। मेरा अनुमान है कि यदि इस कार्यालयके अभिलेखोंमें नहीं तो भारत-कार्यालयके अभिलेखोंमें अवश्य ही मेरे हस्ताक्षरोंसे युक्त ऐसे ख़रीते मौजूद होंगे जिनमें आजकी ही जैसी कठोर शब्दावलीमें ब्रिटिश भारतीयोंपर लगे प्रतिबन्धों-का विरोध किया गया है, किन्तु मैं अपने एक भी शब्दसे पीछे नहीं हटता। परन्तु हमें यह तथ्य स्वीकार करना ही पड़ेगा कि समस्त संसारमें गोरे समाजोंकी ओरसे खड़ी की गई कठिनाइयाँ हैं और हमें उनका खयाल रखना है। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें हमेशा सफल ही होना चाहिए। जिन तफसीलोंमें किसी प्रकारके अत्याचारकी झलक हो उनमें उन्हें कदापि सफल नहीं होना चाहिए। परन्तु ऐसे मामलोंपर विचार करते समय इस भावनाके अस्तित्वको ध्यानमें रखना चाहिए।

मेरा खयाल है कि मुझे अब किसी बातका उत्तर नहीं देना है। प्रार्थनापत्रके अन्तमें यह सुझाव दिया गया है कि एक आयोग द्वारा जाँच-पड़ताल किये जानेके लिए इस मामले-को कमसे-कम स्थगित कर दिया जाये। निःसन्देह यह ऐसा विकल्प है जिसपर अमल किया जा सकता है। परन्तु आज मैं यह कह सकनेकी स्थितिमें नहीं हूँ कि यह सम्भव है या नहीं। वास्तवमें आप इसे सहज ही स्वीकार कर लेंगे कि यह आपके प्रति मेरा सर्वोत्कृष्ट सम्मान है कि जबतक मैंने आप लोगोंसे भेंट नहीं कर ली और आपकी बातें नहीं सुन लीं तबतक मैंने किसी निश्चयपर पहुँचनेका प्रयत्न नहीं किया। यही मेरी स्थिति है। श्री गांधीको जो कहना था सो मैंने सुन लिया है। मुझे आशा है कि वह जो-कुछ कहनेके लिए इतनी दूर आये हैं उसे उन्होंने अपनी इच्छानुसार पूरी तरह मेरे सामने रख दिया है। मैंने उन लोगोंकी बातें भी सुन ली हैं जो उनके साथ आये हैं। मैं उनके निवेदनोंपर

अच्छी तरह विचार करूँगा; और मुझे जो उत्तरदायित्व लेना है उसे पूरी तरह समझते हुए निर्णय करना मैं अपना कर्तव्य समझूँगा।

श्री गांधी: महानुभाव, क्या मुझे एक मिनटके लिए एक बात कहनेकी इजाजत है? मैंने लॉर्ड महोदयके शब्दोंको अत्यन्त ध्यानपूर्वक और बड़े ही कृतज्ञभावसे सुना है, परन्तु मैं यह निवेदन करना जरूरी समझता हूँ कि आपको एक बातके बारेमें जो सूचना मिली है वह सही नहीं है। आपने जिस अनुमतिपत्र शब्दका प्रयोग १८८५ के अध्यादेशके सम्बन्धमें किया था, उससे सम्बन्धित सूचनाका खण्डन मैं कागजी प्रमाण देकर कर सकता हूँ। यह अवसर उसके उपयुक्त नहीं है। फिर भी यदि श्रीमान हमें मिलनेका समय दें तो हम अवश्य ही ऐसा कर सकेंगे। परन्तु इससे यह स्पष्ट है कि हमारी स्थिति आयोगके सिवा और कोई भी आपके सामने ठीक-ठीक नहीं रख सकेगा।

सर लेपेल ग्रिफिन: महानुभाव, आप हमसे अत्यन्त कृपापूर्वक और शालीनताके साथ मिले और आपने धीरजसे हमारी बातें सुनीं, इसके लिए शिष्टमण्डलकी ओरसे मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हम इस मामलेमें आपकी पूर्ण सहानुभूतिके बारेमें पहलेसे ही भली भाँति आश्वस्त थे।

(शिष्टमण्डल तब लौट आया।)

छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल, इंडिया ऑफिस, ज्युडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स (४२८७-०६) से।

१३१. पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ८, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय अर्ल ऑफ एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री
उपनिवेश-कार्यालय
लन्दन

महोदय,

लॉर्ड एलगिनने हमें कृपापूर्वक जो मुलाकात दी थी, उसके सिलसिलेमें हम जानना चाहते हैं कि क्या लॉर्ड महोदय हमें उस विरोधात्मक समुद्री तारका[1] भाव और उसे भेजनेवालोंके[2] नाम बतानेकी कृपा करेंगे, जो लॉर्ड महोदयको ट्रान्सवालके कुछ भारतीयोंके पाससे प्राप्त

१. इसमें यह आरोप लगाया गया था कि शिष्टमण्डल भारतीय समाजका प्रतिनिधि नहीं है और गांधीजी एक पेशेवर आन्दोलनकारी हैं, आदि। देखिए परिशिष्ट।

२. डॉक्टर विलियम गॉडफ्रे और सी० एम० पिल्ले।

हुआ है? यह खबर कुछ चौंकानेवाली है और यदि इस बारेमें हमें कुछ और बताया जाये तो शायद हम उसका कुछ स्पष्टीकरण दे सकेंगे।

आज तीसरे पहरके शिष्टमण्डलका उद्देश्य ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंके लिए उचित और न्याय्य व्यवहार प्राप्त करानेमें लॉर्ड महोदयके हाथ मजबूत करना था, उनके सामने पूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत करना नहीं। चूंकि हमारा विश्वास है कि लॉर्ड महोदयको जो सूचना मिली है और जिसका उन्होंने अपने वक्तव्यमें उल्लेख भी किया है उसमें से कुछ तथ्योंके अनुरूप नहीं है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि लॉर्ड महोदय हमें एक छोटी-सी व्यक्तिगत मुलाकात देनेकी कृपा करें। उसमें हम लॉर्ड महोदयके समक्ष आज तीसरे पहर शिष्टमण्डलकी भेंटमें जितना बता सके थे उससे अधिक पूर्णताके साथ ब्योरा पेश कर सकेंगे।

आपके आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गांधी
हा० व० अली

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल, कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स; सी० ओ० २९१, खण्ड ११२ इंडिविजुअल्स तथा टाइप की हुई दफ्तरी प्रति (एस० एन० ४५१५) से।

१३२. पत्र : श्रीमती जी० ब्लेयरको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ८, १९०६

प्रिय महोदया,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मेरे सह-प्रतिनिधि श्री अली और मैं आपके इसी ५ तारीखके पत्रके लिए बहुत-बहुत आभारी हैं। यद्यपि लिवरपूलकी एक सभामें भाषण देना हम बहुत पसन्द करते, फिर भी मुझे भय है कि हमारे लिए जनवरी तक यहाँ ठहरना असम्भव होगा। अधिकसे-अधिक इसी महीनेकी २४ तारीख तक हमारे यहाँसे चले जानेकी सम्भावना है। इसलिए मुझे लगता है कि लिवरपूलमें सभा करनेका विचार छोड़ देना पड़ेगा। तथापि, श्री अली और मैं, दोनों आपकी सहानुभूतिके लिए बहुत कृतज्ञ हैं।

आपका विश्वस्त,

श्रीमती जी० ब्लेयर
अवैतनिक मन्त्री
लिवरपूल भारतीय दुर्भिक्ष-कोष
२१, चर्च रोड
वाटरलू
लिवरपूल

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५१६) से।

१३३. पत्र: श्रीमती फ्रीथको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ८, १९०६

प्रिय श्रीमती फ्रीथ,

मैं आपको यह पत्र इस आशासे भेज रहा हूँ कि शायद यह आपको मिल जाये। यदि यह मिल गया तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं लन्दनमें हूँ। जोहानिसवर्गसे मेरी रवानगी बहुत जल्दीमें हुई, इसलिए मैं आपका पता अपने साथ लाना भूल गया। मैंने अपने मुंशीको वह भेज देनेके लिए लिखा था; परन्तु अभी तक मुझे मिला नहीं। यदि मुझे आपसे भेंट किये बिना ही लन्दन छोड़ना पड़ा तो बहुत दुःख होगा। यदि यह पत्र आपको मिल जाये तो मुझे आशा है कि आप अपना सही पता तत्काल मेरे पास भेज देंगी।

आपका हृदयसे,

श्रीमती फ्रीथ,
भूतपूर्व श्रीमती पिलचर
सेंट जॉन्स वुड रोड
लन्दन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५१७) से।

१३४. पत्र: श्रीमती बार्न्जको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ८, १९०६

प्रिय श्रीमती बार्न्ज,

यदि यह पत्र आपको मिल गया तो मैं जानता हूँ कि आपको आश्चर्य होगा। यदि आप वेस्टवोर्न पार्क रोडपर ही हों तो मुझे दो शब्द लिख भेजें। मैं जोहानिसबर्गके लिए, जहाँ कुछ वर्षोंसे रह रहा हूँ, रवाना होनेसे पहले आपसे अवश्य मिल लूँगा।

आपका हृदयसे,

श्रीमती बार्न्ज
३६, वेस्टवोर्न पार्क रोड, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५१८) से।

१३५. पत्र : श्री बार्न्जको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ८, १९०६

प्रिय बार्न्ज,

पता नहीं, अब भी आप विक्टोरिया स्ट्रीटमें रहते हैं या नहीं। यदि रहते हों, तो कृपा-पूर्वक मुझे सूचित करें; मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा। मैं यहाँ बहुत थोड़े समयके लिए ही आया हूँ। यदि आपको यह पत्र मिले तो सबसे मेरा अभिवादन कहें।

आपका हृदयसे,

श्री बार्न्ज
मारफत श्री ट्राउटबेक ऐंड बार्न्ज
सॉलिसिटर्स
विक्टोरिया स्ट्रीट, एस० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५२०) से।

१३६. पत्र : सर रिचर्ड सॉलोमनको

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर ८, १९०६

महोदय,

यह अनौपचारिक पत्र आपकी सेवामें हम इस बलपर भेजनेकी धृष्टता कर रहे हैं कि आप रंगदार लोगोंके, यदि इन शब्दोंको इनके व्यापकतम अर्थमें प्रयुक्त किया जाये, सदैव मित्र रहे हैं। लॉर्ड एलगिनका यह खयाल मालूम होता था, जैसा कि आपका भी था, कि हमारे लिए एक जाँच-आयोगकी नियुक्ति होनी चाहिए। हमारा नम्र विचार है कि हमारे दृष्टि-कोणसे, आयोगके विचारके बारेमें आपकी सहमतिके दो शब्दोंसे इच्छित फल निकल आयेगा। अध्यादेश यह मानकर बनाया गया है कि प्रत्येक भारतीय अपने अनुमतिपत्र अथवा पंजीयनका दुरुपयोग कर सकता है। लॉर्ड एलगिनने जो वक्तव्य दिया है उससे, हमारी विनम्र रायमें, लगता है कि पहले उनको निस्सन्देह बहुत ही गलत जानकारी दी गई है। हमारा खयाल है कि एक निष्पक्ष जाँच-आयोगसे कम अन्य किसी उपायसे वर्तमान सन्देह और भ्रम दूर नहीं

हो सकते। क्या हम आपसे एक वार और इस छोटे-से न्यायके लिए प्रार्थना करें, जिसे प्रदान करना आपके हाथमें है।

आपके विश्वस्त,
[मो० क० गांधी
हा० व० अली]

सर रिचर्ड सॉलोमन,
रिफ़ॉर्म क्लव
पाल माल, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५२१) से।

१३७. पत्र: श्री कैमरॉन, किम व कं० को

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ८, १९०६

श्री कैमरॉन, किम व कं०
सॉलिसिटर्स
ग्रेशम हाउस
ओल्ड वॉड स्ट्रीट, डब्ल्यू०

महानुभाव,

जोहानिसवर्गकी पिछली डाकसे मुझे उस मुकदमेसे सम्बन्धित कागजपत्र मिले हैं जो इस समय विटवाटर्सरैंडके उच्च न्यायालयमें पेश है। सम्भवत: सर्वश्री वेल और निक्सनने इस मामलेमें आपको लिखा होगा।

उनके और मेरे बीच तय हुआ था कि मेरे लन्दनमें रहते एक ऐसे आयुक्तके समक्ष, जिसकी नियुक्ति हम अपने पारस्परिक समझौतेके द्वारा करें, श्री डालिंगकी गवाही ले ली जानी चाहिए।

यदि आप कृपापूर्वक मुझे बतायेंगे कि क्या आगामी सप्ताहमें किसी समय यह गवाही ली जा सकती है तो मैं कृतज्ञ होऊँगा, क्योंकि शनिवारसे एक सप्ताहके अन्दर नहीं, तो उसके बादवाले शनिवारको तो निश्चय ही मेरे लन्दन छोड़ देनेकी सम्भावना है।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५२३) से।

१३८. पत्र : डब्ल्यू० टी० स्टेडको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ८, १९०६

प्रिय महोदय,

जैसा कि आपने समाचारपत्रोंमें पढ़ा होगा, ट्रान्सवाल विधान-परिषद द्वारा पास किये गये एशियाई अधिनियम-संशोधन अध्यादेशके सम्बन्धमें लॉर्ड एलगिनसे भेंट करनेके लिए श्री अली और मैं एक शिष्टमण्डलके रूपमें यहाँ आये हैं।

लॉर्ड एलगिनकी सेवामें जो आवेदनपत्र प्रेषित किया गया है उसकी एक प्रति मैं साथ भेज रहा हूँ। मैं और श्री अली आपसे भेंट करना पसन्द करेंगे और यदि आप कृपापूर्वक हमें इसके लिए समय देंगे तो हम आपकी सेवामें उपस्थित होंगे और ट्रान्सवालके भारतीयोंकी वर्तमान स्थिति आपके समक्ष रखनेकी चेष्टा करेंगे।

आपका विश्वस्त,

[संलग्न]

श्री डब्ल्यू० टी० स्टेड[1]
मौब्रे हाउस

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५२४) से :

१३९. पत्र : एस० हॉलिकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ८, १९०६

प्रिय श्री हॉलिक,

आपके पत्रके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। आपने जो सुधार किया है वह उचित है और निश्चय ही मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अब मैं सुधार सहित एक साफ प्रति[2] वापस कर रहा हूँ। स्वयं आपके लिए एक अतिरिक्त प्रति भी साथ भेज रहा हूँ। मैं आपका कृतज्ञ होऊँगा यदि आप मामलेको शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ायें।

१. (१८४९-१९१२); इंग्लैंडके एक महान प्रचारक और पत्रकार; रिव्यू ऑफ रिव्यूज़के संस्थापक-सम्पादक।

२. "लॉर्ड एलगिनके नाम लिखे प्रार्थनापत्रका मसविदा", पृष्ठ ११२-१३।

लॉर्ड एलगिनकी भेंट बहुत सन्तोषजनक थी। उनकी इच्छा थी कि इसे खानगी ही रखा जाये। मेरा खयाल है कि यदि अब यथेष्ट प्रयत्न किया जाये तो राहत मिल जायेगी।

आपका सच्चा,

संलग्न :

श्री एस० हॉलिक
६२, लन्दन वाल, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५२७) से।

१४०. पत्र: सर चार्ल्स डिल्कको[1]

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ९, १९०६

महोदय,

मौसमके खराब होनेपर भी लॉर्ड एलगिनसे मिलनेवाले शिष्टमण्डलमें आपकी उपस्थितिके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी इस उपस्थितिसे हमारे पक्षको बड़ा सहारा मिला है। हमें आशा है कि आप इस मामलेमें तबतक सक्रिय दिलचस्पी लेते रहेंगे जबतक ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंको पूर्ण न्याय प्राप्त नहीं हो जाता।

आपके नम्र सेवक,
[मो० क० गांधी
हा० व० अली]

सर चार्ल्स डिल्क

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५१९) से।

१. इसकी दफ्तरी प्रतिके नीचे दी गयी टिप्पणीसे ज्ञात होता है कि यह पत्र, "उन सब महानुभावोंको जो लॉर्ड एलगिनसे मिलनेवाले शिष्टमण्डलमें शामिल हुए थे", भेजा गया था।

१४१. पत्र : सर मंचरजी मे० भावनगरीको

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर ९, १९०६

प्रिय सर मंचरजी,

ऐसा कहनेमें अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि शिष्टमण्डलको किसी अंश तक सफलता मिली तो इसका श्रेय आपको होगा। जैसे ही मैं और श्री अली सर लेपेल ग्रिफिनके पास गये, उन्होंने हमें बताया कि उन्हें आपका पत्र मिला था और वे आपसे पूर्णतया सहमत हैं कि श्री मॉर्लेकी सेवामें शिष्टमण्डल जाना चाहिए।[1] उन्होंने अत्यधिक सहानुभूति और उत्साह प्रकट किया और निःसन्देह यह आपके कारण ही हुआ।

अब मैं श्री मॉर्लेको भेंटका समय निश्चित करनेके लिए [पत्र][2] भेज रहा हूँ।

श्री अली और मैंने लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनसे आधे घंटे तक बात की। उन्होंने सहानुभूति तो दिखाई परन्तु जो कुछ उन्होंने कहा उसमें लाचारीकी झलक थी। किन्तु उन्होंने हमसे कहा है कि वे अध्यादेशको ध्यानसे पढ़ेंगे।

आपका सच्चा,

सर मंचरजी भावनगरी, के० सी० एस० आई०
१९८, क्रॉमवेल रोड, एस० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५२९) से।

१४२. पत्र : जॉन मॉर्लेके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ९, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय जॉन मॉर्ले
महामहिम सम्राट्के मुख्य भारत-मन्त्री
भारत कार्यालय
लन्दन

महोदय,

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जो ट्रान्सवाल विधान-परिषद द्वारा पास किये गये एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेशके सिलसिलेमें साम्राज्यीय अधिकारियोंसे मिलनेके लिए ट्रान्सवालके

१. शिष्टमण्डलने २२ नवम्बर १९०६ को श्री मॉर्लेसे भेंट की।
२. देखिए अगला शीर्षक।

ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किये गये हैं, सविनय निवेदन करते हैं कि हम महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीसे भेंट कर चुके हैं और अब परममाननीय भारत-मन्त्रीसे भेंट करना चाहते हैं।

श्री मॉर्लेने श्री नौरोजीके नाम अपने पत्रमें कृपापूर्वक कहा है कि वे भारतीय शिष्ट-मण्डलका स्वागत करेंगे। इसके लिए हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

सर लेपेल ग्रिफिन, जिन्होंने कलके शिष्टमण्डलका नेतृत्व किया था, और उस शिष्टमण्डलमें शामिल होनेवाले अन्य गण्यमान्य सज्जनोंने हमारे साथ शामिल होना और श्री मॉर्लेसे हमारा परिचय कराना स्वीकार कर लिया है। यदि परममाननीय महानुभाव इस शिष्टमण्डलसे मिलने-के लिए कोई समय निश्चित कर दें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी।

आपके आज्ञाकारी सेवक,
[मो० क० गांधी
हा० व० अली]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५३१) से।

१४३. पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ९, १९०६

सेवामें
लॉर्ड एलगिनके निजी सचिव

[महोदय,]

चूंकि लॉर्ड एलगिनने कल भारतीय शिष्टमण्डलसे कहा था कि शिष्टमण्डलकी कार्रवाईकी टीपें रखी जायेंगी, इसलिए क्या आप मुझे सरकारी टीपोंकी एक प्रति देनेकी कृपा करेंगे।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

टाइप किए हुए अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५३५) से।

१४४. पत्र: हेनरी एस० एल० पोलकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ९, १९०६

प्रिय श्री पोलक,

मैं आपके पास जितनी कतरनें भेज सकता हूँ, भेज रहा हूँ। मैं उनकी तफसील नहीं दे रहा हूँ। कल लॉर्ड एलगिनसे भेंट बहुत ही अच्छी रही। सर लेपेल ग्रिफिनने बहुत अच्छे तरीकेसे बात की। संघके सदस्योंको आप यह पत्र पढ़कर सुना सकते हैं। कार्रवाईकी सरकारी प्रति शायद अगले सप्ताह आपको भेज सकूँगा। मैंने उसके लिए अर्जी दे दी है। सर मंचरजी, श्री नौरोजी, श्री अमीर अली और श्री रीज़ बोले थे। उन सबने संक्षेपमें और विषयानुकूल बातें कहीं। हमें अपेक्षासे अधिक समर्थन मिला है। प्रत्येक व्यक्तिका खयाल है कि भारतीय मामलोंपर इससे अधिक जोरदार शिष्टमण्डल सरकारसे कभी नहीं मिला। यह आशा करनेका प्रत्येक कारण दिखाई देता है कि लॉर्ड एलगिन एक आयोगकी स्वीकृति देंगे और यदि वे देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। अब हमने श्री मॉर्लेसे मुलाकात देनेका अनुरोध किया है। मुझे विश्वास है कि उस शिष्टमण्डलका भी जोरदार समर्थन होगा। लोकसभाके सदस्योंकी सभा[1] बहुत ही उत्साहवर्धक और सहानुभूतिपूर्ण थी। कुछ सदस्योंका खयाल है कि वह अभूतपूर्व थी। किसीने आशा नहीं की थी कि १०० से अधिक सदस्य उपस्थित रहेंगे। सभामें वक्ताओंने भी सहानुभूति दिखानेमें एक-दूसरेसे होड़ की।

हमने आज लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनसे भेंट की। उन्होंने हमें आधा घंटा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास हो गया है कि अन्याय किया जा रहा है। लॉर्ड एलगिनको हमने जो आवेदनपत्र दिया है, उसका उन्होंने अध्ययन करनेका वादा किया है। परन्तु उन्होंने जो कुछ कहा उसमें लाचारीकी झलक थी।

कल हमने आपको एक लम्बा तार[2] भेजा था। हम जितना ही सोचते हैं उतना ही इस बातका अनुभव करते हैं कि यदि शिष्टमण्डलके कार्यको व्यर्थ नहीं जाने देना है तो एक स्थायी समिति अत्यन्त आवश्यक है। सर मंचरजी इस बातपर बहुत जोर दे रहे हैं। इसलिए अभीतक आपका कोई तार न आनेसे परेशानी मालूम होती है। इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। जिन कठिनाइयोंसे आप गुजर रहे हैं उनको मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ।[3] मैं केवल इस तथ्यको कहना चाहता हूँ कि देरी खतरनाक है और आशा करता हूँ कि कल आपका तार मिलेगा। मुझे यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि श्री अली इस विचारसे पूर्णतया सहमत हैं। हम दोनोंका सम्बन्ध बहुत अच्छा निभ रहा है।

१. यह सभा ७-११-१९०६ को हुई। देखिए पृष्ठ १११-१२।
२. उपलब्ध नहीं है।
३. निश्चय ही भूलसे वाक्यकी पुनरावृत्ति हो गई है।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि आपके पिताके मित्र श्री स्कॉटने लोकसभाके सदस्योंकी सभा बुलानेमें बड़ा काम किया और आपके पिताने गत सोमवारका अधिकांश समय इस सभाके लिए श्री स्कॉट और अन्य लोगोंसे मिलने-जुलनेमें लगाया। उनकी सहायता मेरे लिए अनेक प्रकारसे बहुमूल्य रही है। आपकी माताने वात-शूल (न्यूरॅल्जिया) के लिए मिट्टीका लेप आजमानेका वादा किया है। आपके आहातेसे मैंने कुछ स्वच्छ मिट्टी खोदनेकी चेष्टा की, परन्तु वहाँ मिली ही नहीं। आपके पिता थोड़ी-सी दूसरी जगहसे लानेवाले थे। आगामी रविवारको मैं अधिक जान सकूँगा, क्योंकि मुझे रविवारका समूचा अपराह्ण आपके परिवारके साथ बिताना है। किन्तु श्रीमती [फ्रीथका पता][1] मालूम हो जानेसे मैं उसमें से दो घंटे ले लूँगा।

इस बार मैं कोई लेख नहीं भेज रहा हूँ। यदि प्रेरणा हुई तो मैं कुछ लिखूंगा। मुझे बाहरी काम-काज ही इतना अधिक रहा है कि सोचनेके लिए कुछ समय नहीं बचा। इसलिए यदि मैं आपके पास कोई चीज भेजूँगा तो वह शुद्ध रूपसे ऊपरी होगी। परन्तु आप शिष्टमण्डलके कार्योंके बारेमें, मैं जो कागज-पत्र भेज रहा हूँ उनके आधारपर, एक लेख दे सकते हैं। श्री मुकर्जी आपके पास कुछ कतरनें भेजेंगे और आप गॉडफ्रे और दूसरोंके निवेदनपत्र तथा लोकसभाकी बैठक और शिष्टमण्डलके बारेमें भी लिख सकते हैं। इस पत्रको लिखवाते समय मेरे मनमें विचार आ रहा है कि मैं लॉर्ड एलगिनके उत्तरपर आपके पास एक सम्पादकीय लेख[2] भेजूँ। इससे कुछ बातें स्पष्ट हो जायेंगी।

शिष्टमण्डलके बारेमें कोई लेख लिखनेमें आपको इस पत्रसे कुछ मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शिष्टमण्डलकी कार्रवाई [खानगी][3] मानी गई है। लॉर्ड एलगिनको जो तार भेजा गया है, वह अवश्य ही भयानक होगा। मेरा खयाल है उसे डॉक्टर गॉडफ्रेने भेजा होगा। हमने लॉर्ड एलगिनसे अनुरोध किया है कि वे हमें तारका मजमून और भेजनेवालेका नाम बतायें; तब हम उसकी सफाई दे सकते हैं।

आपका हृदयसे,

[संलग्न]

श्री एच० एस० एल० पोलक
बॉक्स ६५२२
जोहानिसबर्ग
दक्षिण आफ्रिका

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५३०) से।

१. टाइप की हुई मूल प्रतिमें यहाँ शब्द स्पष्ट नहीं हैं। देखिए "पत्र : जे० डब्ल्यू० मैकिंटायरको", पृष्ठ १५२। गांधीजीने मैकिंटायरसे पता माँगा था।

२. लगता है, यह भेजा नहीं गया।

३. मूलमें यहाँ "गुप्त" शब्द है, जो काट दिया है। स्पष्टतया गांधीजीका इरादा यहाँ "खानगी" लिखनेका था। अन्यत्र शिष्टमण्डलकी कार्रवाईकी चर्चा करते हुए उन्होंने इसी शब्दका प्रयोग किया है।

१४५. पत्र : जोज़ेफ़ किचिनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ९, १९०६

प्रिय श्री किचिन,

आपके कृपापत्रका उत्तर देनेमें मैंने जानबूझ कर देर की है, क्योंकि मेरी गतिविधि बड़ी अनिश्चित थी।

आगामी बुधवारको आपके साथ भोजन करनेमें मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी। मैं सायंकाल ६-४५ पर चेयरिंग क्रॉसमें रेलगाड़ी पकड़ूंगा।

यदि आपके लिए असुविधाजनक न हो तो उस समय स्टेशनपर मिल सकते हैं। मैंने मार्गदर्शिका नहीं देखी है, परन्तु मेरा विश्वास है कि मुझे टिकट मुख्य स्टेशनपर मिलेगा।

आपका सच्चा,

श्री जोज़ेफ़ किचिन
"इंगलनुक"
ब्रैकले रोड
बेकेनहम

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५३२) से।

१४६. पत्र : सर विलियम वेडरबर्नको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर ९, १९०६

प्रिय महोदय,

श्री नौरोजीके सम्मानमें मंगलवार तारीख २० को ९-३० बजे प्रातःकाल आयोजित जलपानके प्रवेशपत्रोंके लिए मैं और श्री अली दोनों कृतज्ञ हैं।

श्री अली और मैं दोनों ही इस दावतमें उपस्थित होना अपने लिए सम्मानकी बात मानेंगे।

आपका विश्वस्त,

सर विलियम वेडरबर्न, बैरोनेट
८४, पैलेस चेम्बर्स
वेस्टमिन्स्टर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५३३) से।

१४७. पत्र: डॉ० जोसिया ओल्डफील्डको

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर ९, १९०६

प्रिय ओल्डफील्ड,

श्री सिमंड्स कल उस लेखको लिखनेके लिए आये थे, जो आप लिखानेवाले थे।[1] मेरा खयाल है कि आप किसी अनिवार्य कारणसे नहीं आ सके।

मुझे आशा थी कि मैं कल ऑपरेशन करा सकूँगा और शनिवारसे सोमवार तक का समय आपके साथ बिताऊँगा; परन्तु मैं देखता हूँ कि अभी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। स्थितिमें कुछ सुधार भी हुआ है, कुछ बिगाड़ भी।

शिष्टमण्डलके कार्यके सम्बन्धमें मुझे व्यस्त रहना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि मैं सम्भवत: आगामी सप्ताहमें रवाना नहीं हो सकता। इसलिए मैं अगले शनिवारीय सप्ताहमें शायद इलाज करा सकूँ।

आपका हृदयसे,

डॉ० जोसिया ओल्डफील्ड
लेडी मार्गरेट अस्पताल
ब्रॉमले

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५३४) से।

१४८. शिष्टमण्डलकी टीपें — १

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर ९, १९०६[2]

लॉर्ड एलगिनसे मुलाकात

यद्यपि लॉर्ड एलगिनसे मुलाकात अन्तमें हुई है, फिर भी महत्त्वपूर्ण होनेके कारण पहले दे रहा हूँ। हमारे साथ सर लेपेल ग्रिफिन, लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐल्डर्ले, सर मंचरजी भावनगरी, श्री दादाभाई नौरोजी, श्री सैयद अमीर अली, श्री हैरॉल्ड कॉक्स, सर हेनरी कॉटन, सर जॉर्ज वर्डवुड, श्री जे० डी० रीज, श्री थॉर्नटन तथा श्री एफ० एच० ब्राउन[3] थे। इसमें

१. डॉक्टर जोसिया ओल्डफील्डने "भारतीय माता-पिताओंका कर्तव्य", इस विषयपर दो लेख इंडियन ओपिनियनके लिए लिखे थे, जो जनवरी ५ और जनवरी १२, १९०७के अंकोंमें प्रकाशित हुए।

२. इस शीर्षककी अन्तिम कण्डिकासे लगता है कि ये टीपें १० नवम्बर १९०६को या उसके बाद पूर्ण की गई। देखिए "पत्र: उमर एच० ए० जौहरीको", पृष्ठ १५३।

३. श्री एफ० एच० ब्राउनका नाम लॉर्ड एलगिनसे भेंट करनेवाले शिष्टमण्डलके सदस्योंकी उस तालिकामें नहीं है जो गांधीजी द्वारा परिचारित की गई थी। देखिए पृष्ठ १२०।

सभी पक्षके लोग[1] आ गये हैं। कहा जाता है कि लॉर्ड एलगिनके समक्ष ऐसा [समर्थ] शिष्टमण्डल पहले कभी नहीं गया। हम सब गुरुवारको[2] तीन बजे लॉर्ड एलगिनसे मिले।

सर लेपेल ग्रिफिनने बहुत ही जोश-भरा भाषण दिया और माँग की कि लॉर्ड एलगिन नये कानूनको रद करें। उन्होंने बतलाया कि यह कानून आंग्ल-भारतीयोंकी[3] बदनामी करानेवाला है। इस कानूनको पढ़नेवाले यही मानते हैं कि ऐसे लोगोंपर[4] राज करनेवालोंमें दम नहीं होगा। भारतीय और अंग्रेजी दोनों कौमें मध्य एशियामें पैदा हुई हैं। भारतीय प्रजा बहुत ही मेहनती, चतुर, और विश्वसनीय है। जिसने भारत देखा है वह कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यूरोपका कूड़ा ट्रान्सवालमें घुसकर भारतीयोंपर रोब गाँठे।

उनके बाद श्री गांधी और श्री अलीने भाषण दिये। भाषण देते-देते श्री अलीका गला भर आया था।

फिर सर हेनरी कॉटनने सख्त भाषण दिया। लॉर्ड लैन्सडाउनके शब्दोंकी याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभाके सदस्य भी यह माँग करते हैं कि न्याय किया जाये। क्रूगर तो कोड़े ही मारता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार बिच्छूके डंक मारती है।

सर मंचरजी बोले कि उन्हें श्री लिटिलटनने एक आयोग नियुक्त करनेका वचन दिया था; वह कहाँ गया? लॉर्ड एलगिनसे और कुछ न बन सके, तो आयोग तो नियुक्त करना ही चाहिए। श्री अमीर अली बोले वे अभी-अभी भारतसे आये हैं। दक्षिण आफ्रिकामें होनेवाले दुःखोंसे सारा भारत पीड़ित रहता है।

श्री दादाभाई बोले कि यदि भारतीयोंपर जुल्म होता रहेगा, तो इससे ब्रिटिश राज्यपर आँच आयेगी।

श्री रीजने कहा यह प्रश्न सबसे सम्बन्धित है।

श्री कॉक्स बोले, एक अंग्रेज होनेके नाते उन्हें शर्म आती है कि ट्रान्सवालमें भारतीयोंको ऐसे दुःख उठाने पड़ते हैं।

लॉर्ड एलगिनने उत्तरमें कहा कि हमें भारतीयोंसे सहानुभूति होनी ही चाहिए। उन्होंने सदा ही भारतीय प्रजाका हित चाहा है। ट्रान्सवालके भारतीयोंने बताया है कि यह कानून जुल्मी नहीं है। देखा जाये तो श्री गांधीने ठीक ही कहा है कि ३ पौंडी शुल्ककी माफी कोई रियायत नहीं है। लेकिन कानूनमें जो ३ पौंडी कलंक लगा हुआ था, वह इसके द्वारा मिट जाता है, इतना फायदा तो कहा जा सकेगा। अँगूठे लगानेके सम्बन्धमें ज्यादा आपत्ति नहीं दिखाई देती। हमेशा पुलिस तंग करती रहे, जाँच करती रहे, यह ठीक नहीं। फिर भी इन सारी बातोंपर जोर देना आवश्यक नहीं है। सर लेपेल कहते हैं कि वहाँके ब्रिटिश गोरे ज्यादा विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन क्रूगर्सडॉर्प वगैरह जगहोंसे तार आये हैं कि कानून पास होना ही चाहिए। श्री गांधी और श्री अलीके बारेमें यद्यपि मैं कुछ नहीं कहना चाहता फिर भी इतना कहता हूँ कि मेरे पास कुछ भारतीयोंकी ओर से भी विरुद्ध रायके तार आये हैं। यह सब

१. लोकसभा-भवनकी बैठकमें अनुदार दलके किसी प्रतिनिधिकी उपस्थिति नहीं थी, परन्तु सर हेनरी कॉटनके कथनानुसार ट्रान्सवाल भारतीय शिष्टमण्डलके प्रति अनुदार दलके प्रत्येक सदस्यकी व्यक्तिगतरूपसे "पूरी सहानुभूति" थी। देखिए पृष्ठ १२८।

२. नवम्बर ८, १९०६।

३. भारतमें रहनेवाले अंग्रेजोंको आंग्ल-भारतीय कहा जाता था।

४. उन लोगोंकी ओर संकेत है जिनपर यह अध्यादेश लागू होता था, अर्थात् ब्रिटिश भारतीय।

मैं जानकारी देनेके हेतुसे कह रहा हूँ। आयोग नियुक्त करनेकी माँगको मैं गैरवाजिब नहीं मानता। यह बात विचार करने योग्य है और इसपर मैं आवश्यक विचार करके उत्तर दूँगा।

श्री गांधीने एक मिनट बोलनेकी अनुमति लेकर कहा कि लॉर्ड एलगिनको जो खबरें मिली हैं वे ठीक नहीं हैं। यदि आप और समय दें, तो दोनों प्रतिनिधि इसे साबित कर सकते हैं। वैसा हो या न हो, इससे स्पष्ट यह जाहिर होता है कि आयोग नियुक्त करनेकी पूरी आवश्यकता है और आयोगसे ही ऐसी उलझन-भरी बातोंका फैसला हो सकता है।

आशा है, इस शिष्टमण्डलकी बातचीतके बाद आयोगकी नियुक्ति होगी।

लोकसभाके सदस्य

यदि लोकसभाके सदस्य इकट्ठे होकर सहानुभूतिका प्रस्ताव पास करें, तो ठीक होगा और उससे मदद मिलेगी, यह समझकर हमने कुछ सदस्योंसे मुलाकात करके चर्चा की। श्री पोलकके पिताके एक मित्र श्री सूटी[1] लोकसभाके सदस्य हैं। उनकी मददसे आखिर बुधवारको रातको बैठक हुई। पाँच-सात सदस्योंने एकत्रित होकर एक परिपत्र निकाला, और लोगोंको आमन्त्रित किया। श्री अली और श्री गांधीने सदस्योंके सामने भाषण दिये। उसके बाद सदस्योंने प्रस्ताव किया कि भारतीय शिष्टमण्डलकी माँगें लॉर्ड एलगिनको मान्य करनी चाहिए। लोकसभाके सदस्योंकी इतनी बड़ी सभा तो इधर पहली बार ही हुई है, ऐसा बहुत-से लोग मानते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे प्रश्नकी चर्चा खूब हो रही है।

श्री अमीर अलीसे व्यक्तिगत मुलाकात

श्री अमीर अलीसे दोनों सदस्योंकी व्यक्तिगत मुलाकात हुई। उन्होंने खूब सहानुभूति दिखाई और वचन दिया कि सम्भव हुआ तो यहाँके नामी अखबारोंमें लिखूंगा।

लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनसे मुलाकात

लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनने आधे घंटे तक सारी बातें धीरजसे सुनीं। लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन एक समय भारत-मन्त्री रहे हैं, यह सबको याद होगा। उन्होंने सारी वस्तुस्थितिकी जाँच करना और उनसे जितना भी बन पड़ेगा, उतना करना मंजूर किया है।

'साउथ आफ्रिका' और दूसरे अखबारोंमें इस बातकी बारबार चर्चा होती रहती है। 'साउथ आफ्रिका' में श्री टैथमके विधेयकके सम्बन्धमें श्री गांधीके साथ की गई भेंटका[2] जो विवरण छपा है, वह भी सही-सही दिया गया है।

लॉर्ड एलगिनको दी गई अर्जीकी प्रतिलिपि संसदके सभी सदस्योंको एक नम्रतापूर्ण पत्रके साथ भेजी गई है।

श्री मॉर्लेके साथ मुलाकात लेनेके लिए आज ही पत्र[3] रवाना किया गया है और सम्भव है, अगले सप्ताह मुलाकात होगी। शिष्टमण्डलको अभी इतना काम करना बाकी है कि २४ नवम्बरको यहाँसे निकलना बड़ा ही मुश्किल है।

१. मूल गुजरातीमें गलती जान पड़ती है। लोकसभा-भवनकी बैठकका आयोजन करनेमें गांधीजीको श्री स्कॉटने मदद की थी। देखिए "पत्र: हेनरी एस० एल० पोलकको", पृष्ठ १४५।

२. देखिए "भेंट: 'साउथ आफ्रिका' को", पृष्ठ ६४–६६।

३. देखिए "पत्र: श्री मॉर्लेके निजी सचिवको", पृष्ठ १४२–४३।

विलायतमें पढ़नेवाले दक्षिण आफ्रिकी विद्यार्थी

इन विद्यार्थियोंकी ओरसे एक अर्जी[1] स्वयं लॉर्ड एलगिनके पास गई है। उनके देशमें उनकी क्या स्थिति होगी, इस सम्बन्धमें उन्होंने प्रश्न किया है। लेकिन उसमें सबके हकोंका समावेश हो जाता है। यदि लॉर्ड एलगिन यह कहें कि विलायत आये हुए लोगोंके लिए अलग कानून बनाये जायें, तो उससे दूसरोंका अपमान होगा, और यदि यह कहें कि उन्हें हक नहीं मिलना चाहिए, तो उसमें महा अन्याय होगा।

नेटालका सवाल

नेटालके प्रश्नका शिष्टमण्डलसे कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन चूँकि श्री टैथमका विधेयक प्रकाशित हो चुका है और उसके सम्बन्धमें तार आया है, इसलिए श्री गांधीने लॉर्ड एलगिनसे व्यक्तिगत मुलाकातकी माँग[2] की है। उसका निश्चित उत्तर अभीतक उन्हें नहीं मिला है। लिखा है, अगले सप्ताहमें देंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-१२-१९०६

१४९. पत्र : एस० एम० मंगाको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १०, १९०६

प्रिय श्री मंगा,

आपका पत्र मिला। आपकी गतिविधि मालूम न होनेसे कल मैंने एक पत्र[3] आपको भेजा था।

यदि आपके लिए सुविधाजनक हो तो, आगामी शनिवारको श्री अलीको और मुझे आपके साथ भोजन करनेमें प्रसन्नता होगी। कृपया मुझे समय बता दीजिए।

आपने बताया नहीं कि आप कैसे हैं, आपको स्थान कैसा लगा, लोग कैसे हैं और वे आपसे क्या लेते हैं, इत्यादि। उस स्थानके बारेमें हम सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया मुझे विस्तारके साथ लिखें। छुटपुट खबरें भेजनेका तो आपके पास कोई बहाना नहीं है।

आपका हृदयसे,

श्री एस० एम० मंगा
सेंट एडमंड्स
ब्रॉडस्टेयर्स

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५४०) से।

१. देखिए "प्रार्थनापत्र : लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ ८४-८५।
२. देखिए "पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको", पृष्ठ ७६-७७ और पृष्ठ १०९-१०।
३. उपलब्ध नहीं है।

१५०. पत्र : सर हेनरी कॉटनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १०, १९०६

प्रिय सर हेनरी,

भेंटके बारेमें 'टाइम्स' का विवरण आपने पढ़ा होगा। मेरी रायमें, जानकारी किसीने भी दी हो, यह एक लज्जाजनक बात थी। कल जब मैं सर लेपेलसे मिलने गया, वे इसपर बहुत खीजे हुए थे।

बृहस्पतिवारकी शामको मेरे पास तीन संवाददाता आये थे। मैंने उन्हें उत्तर दिया था कि मेरे लिए कोई जानकारी देना सम्भव नहीं है, क्योंकि लॉर्ड एलगिन चाहते हैं कि इस भेंटको सर्वथा निजी समझा जाये।

रायटर एजेंसीके श्री ऐडम अभी-अभी यह पूछने आये थे कि 'टाइम्स' में जो विवरण छपा है, उसे शिष्टमण्डलके किसी [सदस्यने] तो नहीं दिया। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि ऐसी बात सम्भव नहीं है।

सर लेपेलका खयाल है कि यह जानकारी उपनिवेश-कार्यालयके किसी आदमीने दी होगी। लॉर्ड एलगिनका भाषण लगभग शब्दश: दे दिया गया है।

श्री ऐडमका सुझाव है और मैं भी इससे पूर्णतया सहमत हूँ कि संसदमें प्रश्न[1] किया जाना चाहिए कि 'टाइम्स' पर यह विशेष कृपा क्यों की गई ?

आपका सच्चा,

सर हेनरी कॉटन, संसद-सदस्य
४५ जॉन्स वुड पार्क, एन० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५३६) से।

१५१. पत्र : ए० एच० वेस्टको

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर १०, १९०६

प्रिय श्री वेस्ट,

मैं अबतक भी आपको लम्बा पत्र नहीं लिख पा रहा हूँ। और आशंका है कि जिस थोड़े-से समय तक मैं यहाँ रहूँगा, मुझे ऐसा ही करते रहना पड़ेगा। आगामी सप्ताहमें मेरे

१. श्री स्विफ्ट मैकनील्ने सहायक उपनिवेश-मंत्री श्री चर्चिल्से दिसम्बर ३, १९०६ को यह प्रश्न पूछा। सर हेनरी कॉटन और सर ऐडवर्ड कारसनने पूरक प्रश्न किये। श्री मार्लेसे भेंट करनेवाले शिष्टमण्डलके विषयमें ऐसी ही चर्चाके सम्बन्धमें श्री हैरॉल्ड कॉक्सने भी एक पूरक प्रश्न किया।

लिए यहाँसे रवाना होना असम्भव प्रतीत हो रहा है; मैंने इस बातकी कभी बहुत उम्मीद भी नहीं की थी। मैं सम्भवतः २४ नवम्बरको यहाँ से रवाना होऊँगा।

मैं श्री पोलकके नाम अपने पत्रकी[1] एक प्रति आपको भेजता हूँ।

मैं कुमारी पायवेलसे, यदि उन्होंने मेरे कल भेजे गये पत्रके विपरीत न लिखा तो, कल मिलने जाऊँगा।

मुझे आशा है कि श्रीमती वेस्टका समय ठीक गुजर रहा है और वे आरामसे हैं तथा श्रीमती गांधीने उनकी अच्छी खातिरकी है।

आपका हृदयसे,

[संलग्न]

श्री ए० एच० वेस्ट
'इंडियन ओपिनियन'
फीनिक्स
नेटाल

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५३७) से।

१५२. पत्र : जे० डब्ल्यू० मैकिंटायरको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १०, १९०६

प्रिय श्री मैकिंटायर,

आपने मुझे श्रीमती फ्रीथका पता भेजनेका वादा किया था; परन्तु भेजा नहीं। सौभाग्यसे वह मुझे अब मिल गया है। श्री मैकडॉनल्डसे सम्बन्धित कागज-पत्र मुझे प्राप्त हो गये हैं। इसके बारेमें मैंने लन्दनके वादेक्षकोंको (सॉलिसीटरोंको) लिख दिया है।

और अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री पोलकको मैंने जो पत्र[2] लिखा है उसे आप देखेंगे ही।

आपका हृदयसे,

श्री जे० डब्ल्यू० मैकिंटायर
बॉक्स ६५२२
जोहानिसबर्ग

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५३८) से।

१. और २. देखिए पृष्ठ १४४-४५।

१५३. पत्र: उमर एच० ए० जौहरीको

होटल] से[सिल]
लं[दन]
नवम्बर १०, १९०६

प्रिय उमर,

मेरे पास आपको गुजरातीमें लिखनेके लिए समय नहीं है। मैं यह पत्र ९-४५ बजे रातको लिखा रहा हूँ। नेटालके मामलेमें मैंने यथाशक्ति सब कुछ किया है। मैंने लॉर्ड एलगिनसे भेंट करनेकी प्रार्थना की थी। बुधवारको मुझे उत्तर मिला, जिसमें कहा गया था कि मुझे जो कुछ कहना हो वह सब मैं लिखकर दे दूँ। मैंने उसी दिन उत्तर भेज दिया था, जिसमें मैंने थोड़ेमें अपना तर्क दे दिया था और एक व्यक्तिगत अनौपचारिक भेंटकी प्रार्थना की थी[1]। आज मुझे पुनः इस आशयका पत्र मिला है कि आगामी सप्ताहमें मेरे पास उत्तर भेजा जायेगा। मैं आपके पास 'साउथ आफ्रिका' की एक प्रति भी भेज रहा हूँ। इसमें उनसे भेंटका एक विवरण छपा है। इस समय मैं इससे आगे नहीं जा सकता। मैं अपना ध्यान ट्रान्सवालके प्रश्नपर लगा रहा हूँ और उसमें बहुत ही व्यस्त हूँ। परन्तु मैंने एक समुद्री तार भेजा है। उसमें मैंने सुझाया है कि यहाँ एक स्थायी समिति होनी चाहिए; क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसी समितिसे बहुत-कुछ किया जा सकता है। परन्तु उसे दक्षिण आफ्रिकाकी समिति होना चाहिए, न कि ट्रान्सवालकी। मेरा खयाल है कि सावधानीके साथ व्यवस्था की गई तो वह अत्यन्त कारगर संस्था हो सकती है।

मैंने कल एक दूसरा तार[2] भेजा है। उसमें तत्काल अधिकार माँगा है, क्योंकि जबतक मैं और श्री अली यहाँ हैं, यह समिति बन जानी चाहिए। आशा है कि कल मुझे कुछ उत्तर मिलेगा।

आपका हृदयसे,

[संलग्न]

श्री उमर एच० ए० जौहरी[3]
बॉक्स ४४१
वेस्ट स्ट्रीट
डर्बन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५३९) से।

१. देखिए "पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको", पृष्ठ १०९-१० और "पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको", का संलग्नपत्र, पृष्ठ २६९-७०।

२. उपलब्ध नहीं है।

३. झवेरी भी लिखा जाता है।

१५४. पत्र : अब्दुल कादिरको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १०, १९०६

प्रिय श्री कादिर,

आपके पत्रके लिए बहुत धन्यवाद। लॉर्ड एलगिनसे भेंटके परिणामसे मैं सन्तुष्ट हूँ — इसलिए नहीं कि मुझे सफलताका विश्वास है, बल्कि इसलिए कि आवश्यक कार्य सम्पन्न हो गया। तथापि, लॉर्ड एलगिनने एक कोरा नकारात्मक उत्तर देनेके बजाय आयोग सम्बन्धी सुझावके बारेमें विचार करनेका वादा किया है। इसलिए अब भी कुछ आशा बाकी है।

मैं अपने व्यवस्थापकसे कहूँगा कि जबतक आप लन्दनमें हैं तबतक वे आपके पास नियमित रूपसे 'इंडियन ओपिनियन' की एक प्रति भेजते रहें। जब आप लौटें तब व्यवस्थापकको पता बदल जानेकी सूचना दे दें, तो प्रतियाँ वहाँ भेज दी जायेंगी।

अपनी मासिक पत्रिकाको फीनिक्स भेजनेका प्रस्ताव करनेके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। श्री अली भी चाहते हैं कि जो प्रति आपने उन्हें भेजी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूँ।

पूर्व भारत संघके समक्ष आपने जो निबन्ध पढ़े, उन्हें मैंने जोहानिसबर्गमें ही देखा था। उनपर मैंने पत्रके गुजराती स्तम्भोंमें[1] लिखा भी है।

मैं आपको इस पत्रके साथ प्रत्येक आवेदनपत्रकी दो-दो प्रतियाँ भेज रहा हूँ।

आपका हृदयसे,

[संलग्न]

श्री अब्दुल कादिर[2]
६९, शेफर्ड्स बुश रोड

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५४२) से।

१. देखिए जीवन हिन्द, इंडियन ओपिनियन, ३१-३-१९०६।
२. लाहौर ऑबज़र्वर और उर्दूके सम्पादक।

१५५. पत्र: डब्ल्यू० जे० वेस्टको[1]

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १०, १९०६

प्रिय श्री वेस्ट,

कृपया 'इंडियन ओपिनियन' की एक प्रति श्री अब्दुल कादिरको टॉमस कुक ऐंड सन, लडगिट सरकस, लन्दनकी मारफत भेजिए। इसके बदलेमें वे एक मासिक पत्रिका भेजेंगे।

श्री कादिर पंजाब विश्वविद्यालयके स्नातक और 'उर्दू' पत्रिकाके मालिक हैं। वे हमारे निःशुल्क लेखक भी बन सकते हैं।

आपका हृदयसे,

श्री डब्ल्यू० जे० वेस्ट
फीनिक्स
डर्बन

टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५४१) से।

१५६. पत्र: बुलगर व रॉबर्ट्सकी पेढ़ीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १२, १९०६

पेढ़ी, बुलगर व रॉबर्ट्स
५८, फ्लीट स्ट्रीट, ई० सी०

महोदय,

श्री अली और मुझे दोनोंको, समाचारपत्रोंकी कतरनोंके बारेमें आपके पत्र मिले।

दी गई शर्तों, अर्थात् १ पौंड १ शिलिंगकी दो सौ प्रतियोंके हिसाबसे हम उन कतरनोंको ले लेंगे। शर्त यह है कि आप ये प्रतियाँ हमें गत मासकी २० तारीखसे दे सकें। कोई जरूरी नहीं कि वे ब्रिटिश भारतीय संघ, श्री अली या मेरे बारेमें ही हों, परन्तु साधारणतया हम दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंसे सम्बन्धित प्रतियाँ लेंगे।

आपका विश्वस्त,

टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५२२) से।

१. नामका संक्षिप्त रूप गलत है क्योंकि सिवाय श्री ए० एच० वेस्टके, जो इंडियन ओपिनियनके अंग्रेजी विभागकी देखरेख करते थे, इस नामका कोई दूसरा व्यक्ति फीनिक्समें नहीं था।

१५७. पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १२, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय लॉर्ड एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मंत्री
उपनिवेश-कार्यालय
लन्दन

महोदय,

हम एक तार, जो जोहानिसबर्गके ब्रिटिश भारतीय संघसे प्राप्त हुआ है, लॉर्ड महोदयकी जानकारीके लिए सेवामें प्रस्तुत कर रहे हैं: "हलफिया बयान कि गॉडफ्रेने झूठे बहानोंसे, 'विआस' (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशनका सांकेतिक शब्द) नामका उपयोग करके कोरे कागजपर हस्ताक्षर प्राप्त किये। हस्ताक्षर अब वापस ले लिये गये हैं। लॉर्ड एलगिनको तार दे रहे हैं। समाचारपत्रोंने सम्मेलनके पूर्ण विवरण छापे हैं।"[1]

इससे यह मालूम होगा कि जोहानिसबर्गके समाचारपत्रोंको शिष्टमण्डलके कार्यविवरणकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है और जाहिर है कि उसमें जोहानिसबर्गके भारतीयोंकी ओरसे प्रेषित लॉर्ड महोदय द्वारा प्राप्त तारका जो उल्लेख किया गया है उसीके बलपर ब्रिटिश भारतीय संघने यह तार लॉर्ड महोदयको भेजा है।

आपके आज्ञाकारी सेवक

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५४७) से।

१. यह नवम्बर १२, १९०६ के "पत्र: सर हेनरी कॉटनको", में भी उद्धृत किया गया है। परन्तु पाठ थोड़ा भिन्न है। देखिए पृष्ठ १६२।

१५८. पत्र : 'टाइम्स'को[1]

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर १२, १९०६

सम्पादक
'टाइम्स'
प्रिंटिंग हाउस स्क्वेयर, ई० सी०

महोदय,

१० तारीखके 'टाइम्स' में उपनिवेशोंके ब्रिटिश भारतीयोंके प्रश्नपर अग्रलेख लिखकर आपने उसे संकुचित स्थानीय धरातलसे निकालकर साम्राज्यीय स्तरपर उठा दिया है। परन्तु, फिलहाल यदि आप हमें उस बड़े प्रश्नको छुए विना, जिसपर आपने अपने अग्रलेखमें विचार किया है, एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेशपर कुछ कहनेकी इजाजत दें तो हम आभार मानेंगे।

आप कहते हैं:

> यह सम्भव या वांछनीय नहीं ज्ञात होता कि जिस कानूनको, लगता हो कि ऐसे लोगोंके मतका आम समर्थन प्राप्त है, जिन्हें शीघ्र ही अपने कानून आप बनानेका अधिकार मिलनेवाला है, उसे ताजकी स्वीकृति प्राप्त न हो।

हम निम्नलिखित कारणोंसे आपके विचारसे असहमति प्रकट करनेकी धृष्टता करते हैं:

(१) आप यह स्वीकार करते हैं कि अध्यादेश द्वारा उठाये गये विवाद-विशेषको दृष्टिमें रखते हुए "अभी कोई मत निश्चित करने लायक प्रमाण मुश्किलसे" उपलब्ध हैं।

(२) अध्यादेश ट्रान्सवालमें एशियाई आव्रजनके विशद प्रश्नको प्रभावित नहीं करता, परन्तु यह उपनिवेशमें बसे ब्रिटिश भारतीयोंके दर्जेको बहुत हानिप्रद ढंगसे परिवर्तित कर देता है।

(३) यह "सर्वथा अस्थायी कानून" नहीं है; क्योंकि, यद्यपि यह सत्य है कि श्री डंकनने कहा था कि यह भावी विधि-निर्माणके मार्गमें रोड़ा बने विना पेश किया जा रहा है, परन्तु उसमें स्वयं अध्यादेशके "एक अस्थायी कानून" होनेकी कोई बात नहीं थी। उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वह अस्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मकसद, जैसा कि कहा गया है, हमेशाके लिए ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंका पंजीयन सम्पन्न करना और उन्हें उन पासोंको अपने साथ रखनेके लिए बाध्य करना है, जिन्हें कि पंजीयन प्रमाणपत्रका मधुर नाम दिया गया है।

(४) पूर्वस्थितिको सुरक्षित रखने और एशियाई निवासियोंको "कुछ स्पष्ट शिकायतों" से मुक्ति देनेके बजाय यह उनके दर्जेको कम करता है और एक भी शिकायत दूर नहीं करता।

(५) आम गोरे समाजके पूर्वग्रहको हम स्वीकार करते हैं, परन्तु इसे जिस तरीकेसे प्रयोगमें लाया गया है यह तो सरकारकी खासी अपनी करतूत है और निश्चय ही ट्रान्सवालका

१. यह पत्र टाइम्समें प्रकाशित नहीं हुआ।

समाज अध्यादेशका मसविदा तैयार करनेमें सहभागी नहीं है। समाजकी योजना निःसन्देह सख्त है लेकिन साथ ही सत्यमूलक भी। यदि कभी उसे मौका मिला तो उसका वह अंश, जो एशियाई विरोधी आन्दोलनका प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा कानून पास करेगा जिसके द्वारा उपनिवेशमें बसे भारतीयोंको निष्कासित कर दिया जायेगा। स्मरण होगा कि तथाकथित राष्ट्रीय सम्मेलनमें जो प्रस्ताव पास किया गया था वह तत्त्वतः ऐसा ही था।

(६) और ट्रान्सवालको निकट भविष्यमें उत्तरदायी शासन प्राप्त होनेवाला है, यह इस बातका अतिरिक्त कारण है कि उक्त अध्यादेश द्वारा ब्रिटिश भारतीय स्थितिको हानि पहुँचानेके बदले उसे आगामी सरकारके जिम्मे इस रूपमें सौंपा जाये कि उसपर साम्राज्यीय स्वीकृति मिल सके; तात्पर्य कि यहाँके ब्रिटिश भारतीयोंको वही दर्जा प्रदान किया जाये जिसका लाभ केपके ब्रिटिश भारतीय उठा रहे हैं।

(७) क्षोभकारी वर्ग-विभेदोंके रूपमें सम्राट्के अधीनस्थ उपनिवेशोंकी शासन-परम्पराका जो इस खतरनाक ढंगसे परित्याग किया गया है, उसका औचित्य सिद्ध करनेके लिए कोई भी प्रमाण[1] नहीं है।

(८) चूँकि प्रश्नका सम्बन्ध उच्च कोटिके साम्राज्यीय मामलोंसे है, इसलिए इस अध्यादेशको, जो, घबराहटमें पास किया गया विधान है, स्वीकृति देनेके पूर्व साम्राज्य सरकारको खूब सोच-समझ लेना चाहिए।

सम्राट्की स्वीकृति रोक रखनेके लिए हमने जो कारण ऊपर बताये हैं उन्हीं कारणोंसे एक आयोगकी नियुक्ति भी आवश्यक है, जो मामलेकी जाँच करके जनता और सरकारके समक्ष उन प्रमाणोंको प्रस्तुत करे जो आपके ही कथनानुसार अभी प्राप्त नहीं हैं। महोदय, आपने ठीक ही कहा है कि ट्रान्सवालसे भारतको लौटनेवाला हर भारतीय असन्तोषका बीज बोनेका व्रत लेकर वहाँ जाता है। हम, जिन्हें समाजका प्रतिनिधित्व करनेका सौभाग्य प्राप्त है, कह सकते हैं कि हमने आपके द्वारा उल्लिखित सार्वजनिक सभामें उपस्थित हजारों लोगोंकी भावनाओंको अत्यन्त संयत ढंगसे व्यक्त किया है। इस कानूनके सम्बन्धमें आयोजित उस सभामें कटुताकी जैसी भावना व्याप्त थी उसे शब्दोंमें व्यक्त करना असम्भव है। जिस भारतीयकी स्थिति जितनी बुरी होगी, उसे उस अध्यादेशके अन्तर्गत उतनी ही अधिक मुसीबत झेलनी पड़ेगी। हो सकता है, इस अध्यादेशसे जो अत्याचार अवश्यम्भावी रूपसे फलित होनेवाला है उसके उग्रतम रूपसे धनी-मानी भारतीय अपने दर्जेके कारण बच निकलें। लॉर्ड मिलनरकी सलाहपर जो पंजीयन किया गया उसमें जोहानिसबर्ग, हीडेलबर्ग और पाँचेफस्ट्रममें गरीब लोगोंको ही जाड़ेकी एक ठिठुरानेवाली सुबहको, चार बजे तड़के ही, अपने-अपने बिस्तर छोड़कर थाना या एशियाई कार्यालय, जिसको जहाँ भेजना जरूरी समझा गया, जानेपर मजबूर किया गया था[1]। इन्हें ही अध्यादेशके अन्तर्गत हर मौकेपर काफिर पुलिसके धक्के खाने पड़ेंगे, न कि उच्चवर्गीय भारतीयोंको। अतएव, वे इस दुर्व्यवहारको हमसे ज्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी मुसीबतें उनके लिए एक सतत् उपस्थित वास्तविकता है।

सदासे भारतीय समाजका यह मत रहा है कि बड़े पैमानेपर अवैध आव्रजन जैसी कोई बात नहीं है; समाज ऐसे किसी आव्रजनको प्रोत्साहन देनेका कोई प्रयास नहीं कर रहा है;

१. बड़ी संख्यामें भारतीयोंके अनधिकृत प्रवेशका।

१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३१५-१६।

वर्तमान व्यवस्था अवैध प्रवेशको रोकनेमें पूरी तरह कारगर है; और भारतीयोंके पास अभी जो कागजपत्र हैं वे शिनाख्तके प्रयोजनोंके लिए पर्याप्त हैं। यदि इन कथनोंको चुनौती दी जाती है — और चुनौती दी ही जा चुकी है — तो क्या कमसे-कम सामान्य न्याय-भावनाके लिए यह आवश्यक नहीं है कि एक जाँच-आयोगकी नियुक्ति की जाये।

आपके, आदि,
[मो० क० गांधी
हा० व० अली०]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५४३) से।

१५९. पत्र: सर लेपेल ग्रिफिनको

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर १२, १९०६

प्रिय सर लेपेल,

आपके पत्रके लिए आभारी हूँ। 'टाइम्स' का अग्रलेख बहुत महत्त्वपूर्ण है, और कुल मिलाकर निश्चय ही सहानुभूतिपूर्ण भी।

क्या मैं आपसे यह प्रार्थना करनेकी धृष्टता कर सकता हूँ कि आप 'टाइम्स' को असन्तोषके सवाल और प्रश्नके साम्राज्यीय महत्त्वपर जोर देते हुए एक छोटा-सा पत्र लिखें?

श्री अली और मैंने 'टाइम्स' को जो पत्र[1] लिखा है उसकी एक प्रति मैं इसके साथ भेज रहा हूँ।

मैं दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके लिए एक स्थायी समिति बनानेके प्रश्नपर सर मंचरजीके साथ विचार करता रहा हूँ। शिष्टमण्डलका कार्य, यदि उसके दक्षिण आफ्रिका लौट जानेके बाद जारी नहीं रखा गया तो, व्यर्थ हो जायेगा। यदि एक छोटी-सी समिति बना दी गई तो उससे बड़ी सहायता मिलेगी। क्या हम आपके सहयोगका भरोसा कर सकते हैं? यदि आप अपना नाम समितिके लिए दें तो मैं और श्री अली आपके आभारी होंगे। जोहानिसबर्गसे अभी-अभी एक समुद्री तार मिला है जिसमें ऐसी समिति बनानेकी स्वीकृति दी गई है।

आपका सच्चा,

[संलग्न]

सर लेपेल ग्रिफिन, के० सी० एस० आई०
४, कैडोगन गार्डन्स
स्लोन स्क्वेयर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५४४) से।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

१६०. पत्र: हैरॉल्ड कॉक्सको[1]

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १२, १९०६

प्रिय श्री कॉक्स,

मैं इस पत्रके साथ ब्रिटिश भारतीयोंके विषयमें 'टाइम्स' का अग्रलेख संलग्न कर रहा हूँ। क्या मैं आपसे अनुरोध करूँ कि आप अपनी जोरदार कलम उठायें। श्री अली और मैंने 'टाइम्स' को जो पत्र[2] भेजा है उसकी एक प्रति भी मैं संलग्न कर रहा हूँ। यदि 'टाइम्स' के स्तम्भोंमें शिष्टमण्डलके विभिन्न सदस्योंने इस मामलेपर अपने विचार प्रकट किये तो, मेरा खयाल है, इससे यह प्रश्न जनताके सामने प्रमुख रूपसे बना रहेगा और सम्भवतः इससे लॉर्ड एलगिन भी प्रभावित होंगे।

आपका सच्चा,

[संलग्न २]

श्री हैरॉल्ड कॉक्स, संसद-सदस्य
६, रेमंड्स बिल्डिंग्ज़

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५४८) से।

१६१. पत्र: सर मंचरजी मे० भावनगरीको

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर १२, १९०६

प्रिय सर मंचरजी,

आज मुझे एक तार मिला है, जिसमें समितिके निर्माणका अधिकार दिया गया है। यदि आपसे प्रतिकूल उत्तर न मिला तो मैं बुधवार को ११-३० बजे सवेरे इस बातपर परामर्श करनेके लिए आपकी सेवामें उपस्थित होऊँगा कि क्या किया जाना चाहिए। सर लेपेलको सहयोगके लिए मैं पहले ही आमन्त्रित कर चुका हूँ। क्या आप कृपापूर्वक मुझे लिखेंगे?

मैंने शिष्टमण्डलके कुछ सदस्योंसे लिखित आग्रह किया है कि वे 'टाइम्स' को लिखें।[3] आपकी स्वीकृतिके लिए मैं मसविदा[4] भेज रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि आप इस मसविदेके

१. इसकी प्रतियाँ सर जॉर्ज बर्डवुड, अमीर अली और जे० डी० रीजको भेजी गई थीं।

२. देखिए पृष्ठ १५७-५९।

३. ये उपलब्ध नहीं हैं। इंग्लिशमैन, कलकत्ताके सम्पादक सर रोपर लेथब्रिजका, जो शिष्टमण्डलके सदस्य नहीं थे, एक पत्र १२ नवम्बर १९०६ के टाइम्समें प्रकाशित हुआ था। उनका कहना था कि लॉर्ड एलगिनके समक्ष प्रस्तुत ट्रान्सवालके भारतीयोंके आवेदनपत्रके प्रति भारतस्थित समस्त अंग्रेज-समाजकी पूर्ण सहानुभूति है।

४. देखिए "टाइम्सको लिखे पत्रका मसविदा", पृष्ठ १६९। इसपर १३ नवम्बरकी तारीख है और गांधीजीके स्वाक्षरोंसे सुधार किये हुए हैं। हो सकता है, यह पत्र १३ नवम्बरको भेजा गया हो अथवा सर मंचरजीकी सुविधाके खयालसे इसपर १३ नवम्बरकी तारीख डाल दी गई हो क्योंकि उन्हींके हस्ताक्षरोंसे यह टाइम्सको भेजा जानेको था।

ढंगपर कुछ लिखेंगे तो इसका प्रभाव पड़े विना नहीं रह सकेगा, और विवाद चालू रहेगा। दक्षिण आफ्रिकामें इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा।

आपका सच्चा,

[संलग्न]

सर मं० मे० भावनगरी, के०सी०एस०आई०
१९६, क्रॉमवेल रोड, एस० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५४९) से।

१६२. पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १२, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय लॉर्ड एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री
उपनिवेश-कार्यालय
लन्दन

महोदय,

गत बृहस्पतिवारको लॉर्ड महोदयसे जो शिष्टमण्डल मिला था उसकी बातचीतके विवरणकी प्रतिके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने इस प्रतिको "गोपनीय" अंकित किया है, सो मैंने समझ लिया है। लॉर्ड महोदयने 'टाइम्स' में कार्यवाहीका विवरण पढ़ा होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि भेंटके बाद तुरन्त ही मेरे पास चार संवाददाता आये थे और उन्होंने मुझसे मुलाकातका विवरण माँगा था। मैंने उनसे कह दिया था कि मैंने लॉर्ड महोदयसे मामलेको गोपनीय रखनेका वादा किया है। इसलिए 'टाइम्स' का विवरण देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। मैं सर लेपेल ग्रिफिनसे मिला और उन्होंने भी आश्चर्य प्रकट किया। मैं बिलकुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि 'टाइम्स' ने यह जानकारी कैसे प्राप्त की। इस तथ्यको ध्यानमें रखते हुए, कि कार्यवाहियोंका जो एक विवरण 'टाइम्स' में छपा है और उसमें ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे लॉर्ड महोदयके सामने जो वक्तव्य रखे गये थे वे पूरी तौरसे आये ही नहीं हैं, क्या लॉर्ड महोदय मुझे इस विवरणकी एक प्रति समाचारपत्रोंको भेजनेकी अनुमति देंगे?

आपका आज्ञाकारी सेवक,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५५०) से।

१६३. पत्र: सर हेनरी कॉटनको

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर १२, १९०६

प्रिय सर हेनरी,

आपके इसी १२ तारीखके पत्रके लिए कृतज्ञ हूँ। आज हमें निम्नलिखित तार मिला है: "हलफिया बयान, गॉडफ्रेने झूठे बहानोंसे 'बिआस' (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशनका सांकेतिक शब्द) नामका प्रयोग करके सादे कागजपर हस्ताक्षर प्राप्त किये। हस्ताक्षर अब वापस ले लिये गये हैं। (लॉर्ड) एलगिनको तार दे रहे हैं। सामाचारपत्रोंमें सम्मेलनके पूर्ण विवरण छपे हैं।" इस तारसे स्पष्ट है कि जोहानिसबर्गमें पूरी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है और लॉर्ड एलगिनने जिस तारकी चर्चा की थी उसका उल्लेख भी साफ-साफ है। मैं और श्री अली उन सज्जनको अच्छी तरह जानते हैं। व्यक्तिगत रूपसे मैं इतना कह सकता हूँ कि वे थोड़ा पागल हैं। वे एक चिकित्सक हैं और उन्होंने एडिनबरामें अपनी उपाधि प्राप्त की है। अध्यादेशके विरुद्ध कार्रवाई करनेमें जहाँतक हम जा सकते हैं उसकी अपेक्षा वे और आगे तक जायेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो हिंसक उपायों तक की वकालत की थी। इसका कारण केवल यही है कि उनके सामने हल करनेके लिए कोई भी समस्या क्यों न रखी जाये, वे अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठते हैं। मैंने जो वक्तव्य दिया है उसकी पुष्टि करनेके लिए डॉक्टर गॉडफ्रेसे सम्बन्धित और भी मामले हैं, परन्तु मैं इस समय उनका जिक्र करना नहीं चाहता हूँ। उनके दो भाई यहाँ कानूनकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उन्होंने उस व्यक्तिगत प्रार्थनापत्रपर[1], जो लॉर्ड एलगिनके पास भेजा गया है, हस्ताक्षर किये हैं। उसकी एक प्रति उन्होंने आपके पास भेजी है। अपने भाईके व्यवहारसे वे भी बहुत नाराज हुए हैं; यहाँतक कि वे सार्वजनिक रूपसे उनके व्यवहारसे अपनी असहमति व्यक्त करनेकी बात सोच रहे हैं।[2] परन्तु श्री अली और मैंने उनसे कहा है कि अभी ऐसा कोई कदम उठानेकी आवश्यकता नहीं है। चूँकि आपने प्रश्न[3] किया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उपर्युक्त जानकारी आपके हवाले कर दूँ।

आपका सच्चा,

सर हेनरी कॉटन, संसद-सदस्य
४५, सेंट जॉन्स वुड पार्क, एन० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५५१) से।

१. देखिए "प्रार्थनापत्र: लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ ८४-८५।

२. उन्होंने १४ नवम्बर १९०६ को टाइम्समें एक पत्र लिखकर ऐसा किया।

३. नवम्बर १४, १९०६ को सर हेनरी कॉटनने लोकसभामें सहायक उपनिवेश-मन्त्री श्री चर्चिलसे अन्य प्रश्नोंके साथ यह भी पूछा था कि उन्हें उक्त प्रार्थनापत्रके "जाली होने और उसपर झूठे बहानोंसे हस्ताक्षर करवाये जाने" के सम्बन्धमें तार मिले हैं या नहीं।

१६४. पत्र : सर हेनरी कॉटनको

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर १३, १९०६

प्रिय सर हेनरी,

आपकी इस मासकी १२ तारीखकी पर्ची मिली, धन्यवाद। आपके नाम लिखे एक पृथक् पत्रसे[1] आपको मालूम हो गया होगा कि श्री मॉर्लेने अगले सप्ताह बृहस्पतिवारको शिष्टमण्डलसे भेंट करना स्वीकार कर लिया है। इसे देखते हुए आयोगकी नियुक्तिके सम्बन्धमें लॉर्ड एलगिनके निर्णयपर सवाल करना क्या असामयिक न होगा?

आपका सच्चा,

सर हेनरी कॉटन
४५, सेंट जॉन्स वुड पार्क, एन० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५५५) से।

१६५. पत्र : एल० एम० जेम्सको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १३, १९०६

प्रिय श्री जेम्स,

आपका इसी १२ तारीखका पत्र मिला। ९ तारीखके 'टाइम्स' में लॉर्ड एलगिनसे भेंटका एक संक्षिप्त विवरण आपने पढ़ा होगा।

हमें श्री मॉर्लेसे इसी २२ तारीखको भेंट करना है। इस बातकी कुछ आशा है कि एक आयोगकी नियुक्ति हो जायेगी। मेरा खयाल है, आपको अपनी ओरसे विदेश कार्यालयको एक स्मरणपत्र भेज देना चाहिए।

आपका सच्चा,

श्री एल० एम० जेम्स
चीनी वाणिज्य दूतावास
पोर्टलैंड प्लेस, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५५६) से।

१. यह उपलब्ध नहीं है।

१६६. पत्र : लॉर्ड स्टैनलेको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १३, १९०६

महानुभाव,

श्री मॉर्लेने ट्रान्सवालके एशियाई अधिनियम-संशोधन अध्यादेशके बारेमें एक छोटे-से शिष्टमण्डलसे मिलनेके लिए इसी २२ तारीख, बृहस्पतिवारको १२-२० बजेका समय निर्धारित किया है। अपने साथी श्री अलीकी और स्वयं अपनी ओरसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस शिष्टमण्डलमें शामिल होनेकी कृपा करेंगे या नहीं? सर लेपेल ग्रिफिनने कृपापूर्वक इसका नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया है। यदि आप पधारनेकी कृपा करें तो मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आप अगले बृहस्पतिवारको १२ बजे भारत कार्यालयमें पहुँच जायें।

आपका विश्वस्त,

परममाननीय लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐल्डर्ले
१८, मैन्सफील्ड स्ट्रीट, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५५७) से।

१६७. पत्र : बर्नार्ड हॉलैंडको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १३, १९०६

प्रिय महोदय,

आपके आजके पत्रमें दिये गये सुझावके अनुसार श्री अली और मैं कल ४-३० बजे आपकी सेवामें उपस्थित होंगे। आपने अपने पत्रमें लिखा है: "१३ तारीख, कल तीसरे पहर।" मैंने मान लिया है कि "१३ तारीख" भूलसे लिखा गया है।

आपका विश्वस्त,

श्री बर्नार्ड हॉलैंड,
उपनिवेश-कार्यालय
लन्दन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५५८) से।

१६८. पत्र : डब्ल्यू० एच० अराथूनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १३, १९०६

प्रिय श्री अराथून,

आपके आजके पत्रके लिए आपका आभारी हूँ। आप जितने निमन्त्रणपत्र भेज सकें उतने मुझे भेजनेकी कृपा करें; मैं उन्हें संसद-सदस्योंमें वितरित कर दूँगा।

लॉर्ड एलगिनसे हुई भेंटके विवरणकी एक प्रति मुझे मिल गई है। वितरणके लिए मैं इसकी प्रतियाँ तैयार करा रहा हूँ। एक प्रति मैं आपकी सेवामें भी भेजूँगा।

आप जो कष्ट उठा रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आपका हृदयसे,

श्री डब्ल्यू० एच० अराथून
३, विक्टोरिया स्ट्रीट, एस० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५५९) से।

१६९. पत्र : थियोडोर मॉरिसनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १३, १९०६

प्रिय महोदय,

श्री अली और मैं, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे एक शिष्टमण्डलके रूपमें आये हैं। अपने कार्यके सम्बन्धमें हम आपसे मिलना चाहते हैं। यदि आप कृपापूर्वक हमें समय देंगे, तो हम आपके आभारी होंगे।

आपका विश्वस्त,

श्री थियोडोर मॉरिसन[1]
मारफत पूर्व भारत संघ
३, विक्टोरिया स्ट्रीट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५६०) से।

१. किसी समय अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेजके प्रिंसिपल; बादमें लॉर्ड मेयो द्वारा सर्वोच्च विधान-परिषद्में ले लिये गये और १९०६ के अन्तमें श्री मॉर्ले द्वारा इंडिया कौंसिलके सदस्य नियुक्त किये गये।

१७०. पत्र : सर जॉर्ज बर्डवुडको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १३, १९०६

प्रिय सर जॉर्ज,

आपके आजके पत्रके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पत्रमें आपने अपने पहलेके जिस पत्रका उल्लेख किया है, उसे इसके साथ वापस कर रहा हूँ। अपने प्रस्तावके अनुसार आप एक संशोधित पत्र भेज दें तो मैं आपका कृतज्ञ होऊँगा। मैं इस बातसे पूर्णतया सहमत हूँ कि सर मंचरजीने इस प्रश्नको अपना ही बना लिया है।

आपका सच्चा,

संलग्न

सर जॉर्ज बर्डवुड
११९, द ऐवेन्यू
वेस्ट ईलिंग

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५६१) से।

१७१. पत्र : चार्ल्स एफ० कूपरको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १३, १९०६

प्रिय श्री कूपर,

ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें लॉर्ड एलगिनको सबसे हालमें जो आवेदनपत्र दिये गये हैं, उनकी प्रतियाँ इसके साथ भेज रहा हूँ। दक्षिण आफ्रिका लौटनेके बाद मैं इस विषयपर आपको और साहित्य भेजूँगा।

एक स्थायी [समिति] का निर्माण हो रहा है। मैंने श्री रिचको, जो मंत्रीके रूपमें काम करेंगे, आपका नाम दे दिया है। वे इस विषयमें आपसे पत्र-व्यवहार करेंगे और आपसे मिलेंगे तथा आपका सहयोग चाहेंगे, जो आपने कृपापूर्वक देनेका वादा किया है। अवसर आनेपर वे भी संघ[1] अथवा किसी नैतिक-समाज द्वारा आयोजित सभाओंमें भाषण दे सकते हैं।

आपका विश्वस्त,

[संलग्न]

श्री चार्ल्स एफ० कूपर
३६, ओक्ले स्क्वेयर
लन्दन, एन० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५६२) से।

१. नैतिकतावादी समिति संघ।

१७२, पत्र : जॉन मॉर्लेके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १३, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय जॉन मॉर्ले
भारत-कार्यालय
ह्वाइटहॉल, एस० डब्ल्यू०

महोदय,

आपका इसी महीनेकी १२ तारीखका पत्र, जिसमें आपने सूचित किया है कि श्री मॉर्ले भारतीय शिष्टमण्डलसे किस तारीखको मिलेंगे, प्राप्त हुआ।

शिष्टमण्डलके सदस्योंके नाम मैं यथासमय आपकी सेवामें भेजनेकी आशा रखता हूँ। मैं प्रयत्न करूँगा कि सदस्योंकी संख्या यथासम्भव कमसे-कम हो।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५६३) से।

१७३. पत्र : श्रीमती जी० ब्लेयरको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १३, १९०६

प्रिय महोदया,

आपके इसी १२ तारीखके पत्रके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। श्री अली और मैं श्रीमती बनर्जीका[1] अभिवादन करने और आपका परिचय प्राप्त करनेके लिए सहर्ष क्रॉइडन आयेंगे। हम इसी गुरुवारको दोपहर बाद किसी समय आयेंगे। आशा है कि हम ४ और ५ बजेके बीच वहाँ पहुँच सकेंगे।

आपका सच्चा,

श्रीमती ब्लेयर
मारफत, श्रीमती डब्ल्यू० सी० बनर्जी
"किदरपुर"
बेडफोर्ड पार्क
क्रॉइडन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५६४) से।

१. श्री उमेशचन्द्र बनर्जीकी विधवा पत्नी। श्री बनर्जीका देहान्त इंग्लैंडमें १९०६ के जुलाई महीनेमें हुआ था।

१७४. पत्र: कुमारी एफ० विंटरबॉटमको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १३, १९०६

प्रिय कुमारी विंटरबॉटम,

यह दुहरानेकी आवश्यकता नहीं कि दक्षिण आफ्रिकामें मेरे देशवासियोंकी दशाके विषयमें आपसे जो अत्यन्त दिलचस्प बातचीत हुई, उससे मुझे कितना आनन्द हुआ है।

लॉर्ड एलगिनको हाल ही में जो दो स्मरण पत्र दिये गये हैं, उनकी प्रतियाँ मैं संलग्न कर रहा हूँ। और सामग्री दक्षिण आफ्रिका वापस पहुँचनेपर ही भेज सकूँगा।

मैंने कल शामको जिन श्री रिचकी बात की थी, वे आपसे समयानुसार मिलेंगे और मामला जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे उससे आपको परिचित कराते जायेंगे।

उपस्करण उधार देनेके विषयमें आपने जिन महिलाका जिक्र किया था उनसे बातचीत करनेके लिए आप तैयार हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

आपका सच्चा,

[संलग्न]

कुमारी एफ० विंटरबॉटम[1]
इमर्सन क्लब
१९, बकिंघम स्ट्रीट
स्ट्रैंड, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५६५) से।

१७५. पत्र: डॉक्टर जोसिया ओल्डफील्डको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १३, १९०६

प्रिय ओल्डफील्ड,

श्री रिच न्यायशालिकों (बेंचर्स)को अर्जी दे रहे हैं कि उन्हें विद्यालयके सत्रोंसे मुक्त कर दिया जाये। एक कारण उन्होंने यह दिया है कि उनके श्वशुर श्री कोहन पागलपनकी हालतमें हैं, और उनके हितके लिए यह जरूरी है कि जितनी जल्दी सम्भव हो, वे दक्षिण आफ्रिका चले जायें। श्री कोहनका सबसे अच्छा समय दक्षिण आफ्रिकामें ही बीता है, इसलिए दक्षिण आफ्रिकासे दूर रहना उन्हें बहुत खिन्न करता जा रहा है। श्री कोहनका जल्दीसे-जल्दी

१. नैतिकतावादी समिति संघकी मंत्री।

दक्षिण आफ्रिका जाना जरूरी है, यदि आप ऐसा मानें तो क्या आप कृपा करके मुझे उनकी हालतके बारेमें एक प्रमाणपत्र भेज सकेंगे?

आपका हृदयसे,

डॉ॰ जोसिया ओल्डफील्ड
लेडी मार्गरेट अस्पताल
ब्रॉमले
कॅंट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस॰ एन॰ ४५६६) से।

१७६. 'टाइम्स' को लिखे पत्रका मसविदा[1]

कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब
[लन्दन]
नवम्बर १३, १९०६

सम्पादक
'टाइम्स'
[लन्दन]
महोदय,

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके प्रश्नपर आपके वजनदार अग्रलेखका सभी विचारशील लोग स्वागत करेंगे। ट्रान्सवालसे भारतीय शिष्टमण्डलके आनेके कारण यह प्रश्न इधर प्रमुख रूपसे सामने आ गया है। मैंने आपके कथन ध्यानसे बार-बार पढ़े हैं और मुझे स्वीकार करना चाहिए कि जो-कुछ आपने कहा है, उस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि लॉर्ड एलगिन किसी भी प्रकार महामहिम सम्राट्को एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेशको मंजूर करनेकी सलाह नहीं दे सकते। सर लेपेलने लॉर्ड एलगिनसे यह बात बड़े सुन्दर ढंगसे कही थी: "पटेलेके नीचे पड़ा मेढक ही बता सकता है कि उसे चोट लगी है या नहीं और लगी है तो कहाँ।" इस अध्यादेशने, जो ब्रिटिश भारतीयोंको राहत देनेवाला बताया जाता है, भारतीय समाजको अत्यधिक उद्विग्न कर दिया है। दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोंके प्रश्नको, जिसे मैं सर्वाधिक महत्त्वका मानता रहा हूँ, जाननेका श्रेय तो आप मुझे देंगे ही। श्रीमान्, आपने प्रश्नके साम्राज्यीय महत्त्वको बड़ी क्षमतासे दिखा दिया है।

कोई एक साल हुआ, ट्रान्सवालकी विधान-परिषदकी बैठकमें सर जॉर्ज फेरारने सुझाव दिया था कि पूरे मामलेकी जाँच करनेके लिए एक आयोग ट्रान्सवाल भेजा जाना चाहिए। मैंने तत्काल इस सुझावको स्वीकार कर लिया और मैं श्री लिटिलटनसे मिला। यदि वे इस समय भी उपनिवेश कार्यालयमें होते[2] तो मुझे इसमें सन्देह नहीं कि वे आयोगकी नियुक्ति कर देते।

औपनिवेशिक सम्मेलन निकट आ रहा है। इस बातको ध्यानमें रखते हुए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि साम्राज्य सरकार ऐसा आयोग नियुक्त कर दे, जिससे सम्मेलनको

१. यह मसविदा गांधीजीका लिखा हुआ है। देखिए "पत्र: सर मंचरजी मे॰ भावनगरीको", पृष्ठ १६०-६१। यह पत्र टाइम्समें प्रकाशित नहीं हुआ।
२. १९०५में अल्फ्रेड लिटिल्टनके बाद लॉर्ड एलगिन उपनिवेश-मन्त्री बने।

आगे बढ़नेके लिए विश्वसनीय तथ्य और आँकड़े मिल जायें। ऐसे आयोगकी नियुक्तिके बारेमें किसी क्षेत्रसे किसी प्रकार भी आपत्तिकी सम्भावना नहीं हो सकती। इस मामलेमें पहलेसे कोई मत स्थिर न हो जाये, इसलिए यह उचित होगा कि सम्बन्धित अध्यादेशको राजकीय मंजूरी तबतक न दी जाये जबतक ऐसे किसी आयोगकी, जो इस बारेमें नियुक्त किया जाये, रिपोर्ट प्राप्त न हो जाये।

उस भयानक असन्तोषके बारेमें, जो दक्षिण आफ्रिकासे आनेवाले भारतीयों द्वारा फैलाया जा रहा है, आपकी रायका मैं समर्थन करता हूँ। आपने बहुत ठीक कहा है कि यह राजनीतिक निर्योग्यताओंका प्रश्न नहीं है, बल्कि एक सभ्य देशमें ब्रिटिश प्रजाजनके, अथवा मानवमात्रके भी, साधारण अधिकारोंको भोगनेमें असमर्थताका प्रश्न है। यदि उपनिवेश अपनी पृथक्करणकी नीतिपर दृढ़ रहे तो वे मातृदेशपर एक बहुत ही गम्भीर समस्याके समाधानका भार लाद देंगे, जिसके विषयमें स्वर्गीय सर विलियम विलसन हंटर[1] आपके स्तम्भोंमें बार-बार कहते रहते थे: "भारत ब्रिटिश राज्योंका एक अंग बना रहेगा अथवा नहीं?" यह बिलकुल स्पष्ट है कि यदि भारतके लोगोंका ब्रिटिश उपनिवेशोंमें बसते ही इस तरह अपमान किया जायेगा और उनका दर्जा इस प्रकार गिराया जायेगा जैसे वे किसी जंगली जातिके हों, तो इंग्लैंडके लिए भारतपर अधिकार बनाये रखना कठिन होगा।

आपका, आदि,

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें संशोधित, टाइप किये हुए अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५५२) से।

१७७. पत्र: श्रीमती फ्रीथको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १४, १९०६

प्रिय श्रीमती फ्रीथ,

मुझे बहुत ही दुःख है कि मैं इतवारकी शामको आपसे नहीं मिल सकूँगा। यदि आप अगले हफ्ते किसी और शामको फुरसतमें हों तो मुझे फिलहाल उसे स्वीकार कर लेनेमें सुविधा होगी।

मैंने जिस फोटोके बारेमें वादा किया था, वह भेज रहा हूँ। श्रीमती गांधीकी दाहिनी ओर मेरी विधवा बहनका इकलौता बेटा[2] है।

आपका हृदयसे,

[संलग्न]

श्रीमती फ्रीथ
४८, फिंचले रोड, एन०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५६८) से।

१. भारतीय मामलोंके अधिकारी विद्वान और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिके प्रमुख सदस्य। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९६।

२. गोकुलदास, रलियातबहनका पुत्र।

१७८. पत्र : जे० सी० मुकर्जीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १४, १९०६

प्रिय श्री मुकर्जी,

आपका पत्र मिला। मैं हर शामको व्यस्त रहा, इसीलिए आपको लिख नहीं सका कि आप भेंटके लिए किस समय आयें। क्या आप कल शामको ६ बजे आ सकेंगे? अगर मेरा कमरा खुला न हो या मैं वहाँ न होऊँ, तो कृपया बड़े कमरेमें रुके रहिए। श्री अली और मैं कल श्रीमती बनर्जीसे मिलने जा रहे हैं और हमें थोड़ी-बहुत देर हो सकती है। लौटकर हम लोग साथ भोजन करेंगे और बातचीत भी होगी।

आपका सच्चा,

श्री जे० सी० मुकर्जी
६५, क्रॉमवेल ऐवेन्यू
हाइगेट, एन०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५६९) से।

१७९. पत्र : एस० हॉलिकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १४, १९०६

प्रिय श्री हॉलिक,

मुझे इस बातका दुःख है कि हस्ताक्षर प्राप्त[1] करनेमें आपको कठिनाई हो रही है। अगर आपको लगे कि लोगोंसे मिलते समय मेरा साथ रहना कुछ उपयोगी होगा तो मैं खुशीसे साथ चलूँगा।

मैं आपके पत्रमें उल्लिखित स्मरणपत्रकी प्रति भेज रहा हूँ।

आपका सच्चा,

[संलग्न]

श्री एस० हॉलिक
१६२, लन्दन वाल, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५७०) से।

१. दक्षिण आफ्रिकाकी थोक पेढ़ियोंके प्रतिनिधियों द्वारा लॉर्ड एलगिनको दिये जानेवाले प्रार्थनापत्रके लिए देखिये "लॉर्ड एलगिनके नाम लिखे प्रार्थनापत्रका मसविदा", पृष्ठ ११२-१३।

१८० पत्र : सर रिचर्ड सॉलोमनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १५, १९०६

महोदय,

आपने जहाजपर उदारतापूर्वक मुझसे कहा था कि आप, यदि समय रहा तो, अपने लन्दनके मुकामकी अवधिमें कुछ क्षण मुझे देंगे। क्या आप भेंटके लिए कोई समय सूचित करनेकी कृपा करेंगे?

आपका विश्वस्त,

सर रिचर्ड सॉलोमन
रिफॉर्म क्लब
पाल माल

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५७१) से।

१८१. पत्र : विन्स्टन चर्चिलको[1]

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १५, १९०६

श्री विन्स्टन चर्चिल
महामहिमके उपनिवेश-उपमन्त्री
ह्वाइटहॉल

महोदय,

ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे श्री अली और मैं यहाँ एक शिष्टमण्डलके रूपमें ट्रान्सवालसे आये हुए हैं और आपसे भेंटका[2] समय माँगनेकी धृष्टता कर रहे हैं जिससे कि हम आपके सामने ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति रख सकें। यदि आप हमें मिलनेके लिए थोड़ा समय दे सकें तो हम अत्यन्त आभारी होंगे।

आपका आज्ञाकारी,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५७२) से।

१. इसी प्रकारके पत्र लॉर्ड मिलनर, ए० जे० बाल्फ़र और अल्फ्रेड लिटिल्टनको भी भेजे गये थे।
२. गांधीजी विन्स्टन चर्चिलसे २७ नवम्बर १९०६ को मिले।

१८२. पत्र : एच० रोज़ मैकेंज़ीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १५, १९०६

प्रिय श्री मैकेंज़ी,

क्या आप कल सुबह आकर मुझसे मिल सकते हैं?

आपका सच्चा,

श्री एच० रोज़ मैकेंज़ी
मारफत 'साउथ आफ्रिका'
विंचेस्टर हाउस, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५७३) से।

१८३. पत्र : डब्ल्यू० ए० वैलेसको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १५, १९०६

श्री डब्ल्यू० ए० वैलेस
क्वीन ऐन्स चेम्बर्स
ब्रॉडवे
वेस्टमिन्स्टर

प्रिय महोदय,

बाबत : नं० १८, निचली मंजिल

आपका १५ तारीखका पत्र अभी मिला। मैं इसके साथ २५ पौंडका एक चेक भेज रहा हूँ। यह आपके पत्रमें उल्लिखित उपस्करणके लिए है। कृपया श्री जेमिसनसे बाकायदा रसीद भिजवायें।

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय चौकसी समितिके[1] मन्त्री और कोषाध्यक्षकी हैसियतसे श्री रिच द्वारा हस्ताक्षरित पट्टा संलग्न कर रहा हूँ। इस इकरारनामेपर श्री रिचने इसलिए दस्तखत किये हैं कि मैं स्वयं जल्दी ही दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना हो जाऊँगा; किन्तु यदि आप श्री रिचके हस्ताक्षरोंके सम्बन्धमें इकरारनामेपर मेरी भी तसदीक चाहें तो मैं

१. बादमें यह नाम बदलकर दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति कर दिया गया था। देखिए "पत्र : सर जॉर्ज बर्डवुडको", पृष्ठ २०६।

प्रसन्नतासे वैसा कर दूंगा। क्या आप मकान-मालिकसे पट्टेपर दस्तखत कराकर मुझे भेज देंगे?

कमरेकी चाबी मुझे कब मिलेगी, यह भी सूचित कीजिए।

आपका विश्वस्त,

संलग्न: २

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५७४) से।

१८४. पत्र: टी० जे० बेनेटको

होटल सेसिल
स्ट्रैंड
[लन्दन]
नवम्बर १५, १९०६

प्रिय महोदय,

दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय समुदायने तय किया है कि दक्षिण आफ्रिकाकी ब्रिटिश भारतीय प्रजाको उचित न्याय दिलानेके लिए एक समितिका संगठन किया जाये; और उसके संगठनका दायित्व हमें सौंपा है।

समितिका नाम "दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय चौकसी समिति" (साउथ आफ्रिका ब्रिटिश इंडियन विजिलैन्स कमिटी) प्रस्तावित किया गया है।

सर विलियम वेडरबर्न, सर लैपेल ग्रिफिन, सर हेनरी कॉटन, श्री जे० डी० रीज़, श्री दादाभाई नौरोजी, सर मंचरजी भावनगरी और दूसरे सहानुभूति रखनेवाले सज्जनोंने कृपापूर्वक समितिमें शामिल होना स्वीकार कर लिया है।

यदि आप भी कृपापूर्वक समितिमें शामिल होना स्वीकार करें और हमें सूचित करें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। यह कह दूं कि समितिसे किसी प्रकारके लगातार और सक्रिय कामकी अपेक्षा नहीं की जायेगी, क्योंकि इस तरहके कामके लिए एक छोटी कार्यकारिणी-समिति रहेगी। किन्तु हम उन सब सज्जनोंका नैतिक समर्थन और प्रभाव प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हैं जो यह मानते हैं कि दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयोंके साथ उचित और न्याय्य व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

दक्षिण आफ्रिकाके श्री एल० डब्ल्यू० रिचने समितिके मन्त्रीके रूपमें काम करना स्वीकार कर लिया है।

आपके विश्वस्त,
[मो० क० गांधी
हा० व० अली]

श्री टी० जे० बेनेट, सी० आई० ई०[1]
'टाइम्स ऑफ इंडिया'
[लन्दन]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५७५) से।

१. टाइम्स ऑफ इंडियाके प्रकाशक, बेनेट कोलमैन ऐंड कम्पनीवाले।

१८५. पत्र : दादाभाई नौरोजीको[1]

[होटल सेसिल
लन्दन, डब्ल्यू० सी०]
नवम्बर १६, १९०६

महानुभाव,

दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय समाजकी ओरसे हमें अधिकार दिया गया है कि हम दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंको उचित और न्याय्य व्यवहार प्राप्त करानेके लिए एक समितिका निर्माण करें। समितिका नाम "दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय चौकसी समिति" प्रस्तावित किया गया है।

यदि आप हमें यह सूचित करनेका कष्ट करें कि आप समितिमें शामिल होनेकी कृपा करेंगे या नहीं, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी, और हम आपके आभारी होंगे।

हम निवेदन कर दें कि सिवा उन सज्जनोंके, जो एक छोटी-सी कार्यकारिणी-समितिके सदस्य नामजद किये जायेंगे, समितिके अन्य सदस्योंसे लगातार और सक्रिय काम करनेकी अपेक्षा नहीं की जायेगी।

जो सज्जन ऐसा सोचते हैं कि ब्रिटिश भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकामें उचित और न्याय्य व्यवहार नहीं मिल रहा है, हम उन सबका नैतिक बल प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हैं।

दक्षिण आफ्रिकाके श्री एल० डब्ल्यू० रिचने समितिका मन्त्री होना स्वीकार कर लिया है।

आपके विश्वस्त,
मो० क० गांधी
हा० व० अली

श्री दादाभाई नौरोजी
२२, कैनिंगटन रोड, एस० ई०

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २२७१) से।

१. यह एक परिपत्र था जो सर हेनरी कॉटन, सर जॉर्ज बर्डवुड, सर लेपेल ग्रिफिन, सर चार्ल्स डिल्क, लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐल्डर्ले, सर चार्ल्स श्वान, सर विलियम वेडरबर्न, ए० एच० स्कॉट, जे० एम० रॉबर्ट्सन, हैरॉल्ड कॉक्स, टी० एच० थॉर्नटन और जे० डी० रीजको भी भेजा गया था।

१८६ पत्र : 'टाइम्स' को[1]

[होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर १६, १९०६]

[सम्पादक
'टाइम्स'
लन्दन

महोदय,]

आपके कलके अंकमें कुछ भारतीयों द्वारा ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलके विषयमें दिये गये "प्रार्थनापत्र" पर लोकसभामें जो प्रश्नोत्तर हुए, उनका विवरण प्रकाशित हुआ है। कदाचित् उसपर मेरा कुछ कहना जरूरी है। उसमें कहा गया है कि मेरे पास कोई आदेशपत्र नहीं है, मैं पेशेवर आन्दोलनकारी हूँ और भारतीय पक्षकी मेरी वकालतसे भारतीयोंको हानि पहुँच रही है।

मेरे सहयोगीकी तथा मेरी नियुक्ति सर्वसम्मितिसे एक सार्वजनिक सभामें हुई थी। इस बातका हमारे पास प्रमाणपत्र है।[2] ब्रिटिश भारतीय संघके मन्त्रीकी हैसियतसे मैंने जोहानिसवर्गमें जो सार्वजनिक सभा बुलाई थी, उसने शिष्टमण्डल भेजनेका सिद्धान्त स्वीकृत कर लिया था। इस "प्रार्थनापत्र" पर जिन सज्जनने[3] पहले हस्ताक्षर किये हैं, वे सभामें उपस्थित थे और उन्होंने जोरदार व्याख्यान दिया था और सभी मुख्य प्रस्तावोंका अनुमोदन किया था। इसके अलावा उन्होंने स्वयं शिष्टमण्डलमें शामिल होनेकी तत्परता दिखाई थी, किन्तु वह बात स्वीकृत नहीं हुई। "प्रार्थनापत्र" पर दो भारतीयोंने हस्ताक्षर किये हैं। इस "प्रार्थनापत्र" को उस कागजसे अलग करके देखना आवश्यक है जिसपर, कहा जाता है, ४३७ भारतीयोंने हस्ताक्षर करके हमारी नियुक्तिका प्रतिवाद किया है। जहाँतक इसका सवाल है, इस विषयमें इसी १० तारीखको जोहानिसवर्गसे शिष्टमण्डलके प्रतिनिधियोंको निम्नलिखित तार मिला था : "हलफिया बयान कि गॉडफ्रेने झूठे बहानोंसे, 'बिआस' (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशनका सांकेतिक शब्द) नामका प्रयोग करके, सादे कागजपर हस्ताक्षर प्राप्त किये; हस्ताक्षर अब वापस ले लिये गये हैं। (लॉर्ड) एलगिनको तार दे रहे हैं। समाचारपत्रोंने सम्मेलनके पूर्ण विवरण छापे हैं।" स्पष्ट है कि उक्त तार संवाददाताओं द्वारा तारसे भेजे गये भेंटका विवरण पहुँचनेपर दिया गया है।

इस घटनाका अर्थ यह नहीं है कि "प्रार्थनापत्र" पर हस्ताक्षर करनेवाले दोनों व्यक्ति एशियाई अध्यादेशसे सहमत हैं, उलटे स्पष्टतया उनकी राय यह है कि जिस कानूनसे वे दूसरे

१. यह टाइम्समें प्रकाशित नहीं हुआ था।
२. देखिए "भेंट : 'साउथ आफ्रिका' को", पृष्ठ १८२-८३।
३. डॉ० विलियम गॉडफ्रे।

भारतीयोंकी तरह ही घृणा करते हैं उसका शरारत-भरा कारण मैं हूँ। उनके रुखसे अध्यादेशकी स्वीकृति जाहिर नहीं होती वल्कि व्यक्तिगत रूपसे मेरे प्रति विरोध प्रकट होता है।

चूँकि उपनिवेश कार्यालयने उस "प्रार्थनापत्र"को देखनेकी मुझे अनुमति दे दी, इसलिए मैं यह समझ गया हूँ कि "पेशेवर आन्दोलनकारी"से उनका मतलब वैतनिक आन्दोलनकारी है। अतएव मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि मैंने पिछले १३ सालोंमें अपने देशवासियोंके लिए जो कुछ किया है, केवल सेवा-भावनासे किया है और उससे मुझे वहुत आनन्द मिला है।

मेरी सेवाएँ उपयोगी हुईं या नहीं, इसके विषयमें मतभेद हो सकता है। स्वर्गीय सर जॉन रॉबिन्सनका[1] विचार था कि मेरी सेवाएँ निरुपयोगी नहीं हैं। दक्षिण आफ्रिकाकी ब्रिटिश भारतीय प्रजा और यूरोपीयोंके वीचकी गलतफहमीके कारणोंको हटाकर उनके सम्बन्धोंको दृढ़ करनेके जो प्रयत्न मैं कर रहा हूँ उसमें श्री विलियम हॉस्केन[2] और ट्रान्सवालके दूसरे लोगोंने भी मुझे प्रोत्साहित किया है।

यह सारा स्पष्टीकरण पेश करनेका कारण केवल यही है कि कहीं ऐसा न हो कि यदि मैं उक्त आरोपोंका खण्डन न करूँ तो जिस पवित्र कार्यको करनेके लिए मैं यहाँ आया हूँ उसके विषयमें जनताके मनमें कोई पूर्वग्रह वन जाये।

[आपका, आदि,
मो० क० गांधी]

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, १५–१२–१९०६

और टाइप किये हुए अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ४५७७) से।

१८७. पत्र : थियोडोर मॉरिसनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १६, १९०६

प्रिय महोदय,

मैंने जो कागजात भेजनेका वादा किया था, वे पत्रके साथ संलग्न कर रहा हूँ। आप लॉर्ड एलगिनके साथ हुई भेंटका विवरण देखकर वापस करनेकी कृपा करें।

आपका सच्चा,

संलग्न

श्री थियोडोर मॉरिसन
मारफत पूर्व भारत संघ
९, विक्टोरिया स्ट्रीट, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५७८) से।

१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १७१-७२।
२. ट्रान्सवाल विधान-सभाके एक प्रमुख यूरोपीय सदस्य।

१८८. पत्र : ए० बॉनरकी पेढ़ीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १६, १९०६

ए० बॉनरकी पेढ़ी
१ व २, टुक्स कोर्ट
लन्दन, ई० सी०

प्रिय महोदय,

२ पौंड ८ शिलिंगका चेक आपके बिलके साथ भेज रहा हूँ। भरपाई करके बिल वापस भेजनेकी कृपा कीजिए।

आपका विश्वस्त,

संलग्न : २

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५७९) से।

१८९. पत्र : श्रीमती स्पेंसर वॉल्टनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १६, १९०६

प्रिय श्रीमती वॉल्टन,

कल हम लोगोंकी जो बातचीत हुई उसके विषयमें मैं अभी-अभी अपने एक योग्य मित्रसे[1] बातें कर रहा था। वे पंजाबके आर्यसमाजके एक व्रती प्रचारक हैं। आर्यसमाजका हिन्दू धर्मसे वही सम्बन्ध है जो प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायका कैथलिक सम्प्रदायसे है। प्रचारक मित्रने निष्कांचनताका व्रत लिया है और वे अपनी प्रतिभाको धर्मके साथ-साथ शिक्षाके कार्यमें लगाते हैं। वे पंजाब विश्वविद्यालयके एम० ए० हैं, किन्तु अपनी कार्यक्षमता बढ़ानेके विचारसे लन्दनमें निवास कर रहे हैं और लन्दन विश्वविद्यालयकी एम० ए० परीक्षाकी तैयारी कर रहे हैं। मैंने उन्हें सुझाया है कि यदि वे किसी शान्त, भले अंग्रेज घरमें रह सकें, तो वे अंग्रेजोंके जीवनकी वास्तविक संस्कृति और सुन्दरतासे परिचित हो सकेंगे, जो उनके काममें बहुत अधिक उपयोगी होगा। साथ ही उन्हें जितना सम्भव हो, उतनी कमखर्चीसे रहना है। क्या आप किसी ऐसे परिवारसे परिचित हैं जो आर्थिक लाभका खयाल किये बिना उन्हें अपने यहाँ रख ले? निस्सन्देह वे अपने रहने और खानेका खर्च देंगे, किन्तु वे एक पौंड प्रति सप्ताहसे अधिक नहीं दे सकेंगे।

१. प्रोफेसर परमानन्द।

स्थान कहीं भी हो, जबतक वे आधे घंटेमें या अधिकसे-अधिक पौन घंटेमें वहाँसे ब्रिटिश म्यूजियम पहुँच सकते हैं तबतक चिंताकी कोई बात नहीं।

आपका हृदयसे,

श्रीमती स्पेंसर वॉल्टन
ऐंड्र्यू हाउस
टनब्रिज

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५८०) से।

१९०. पत्र: डब्ल्यू० टी० स्टेडको

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर १६, १९०६

प्रिय महोदय,

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके सवालके साथ आपने बहुत अधिक सहानुभूति दिखानेकी कृपा की थी, इसलिए क्या मैं यह सुझा सकता हूँ कि आप ट्रान्सवालके बोअर नेताओंपर अपने प्रभावका उपयोग करें? मुझे विश्वास है कि उनके मनमें काफिरोंके विरुद्ध जैसा पूर्वग्रह है, वैसा ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध नहीं है। किन्तु जब ब्रिटिश भारतीयोंने ट्रान्सवालमें प्रवेश किया, तब वहाँ काफिर जातिके प्रति पूर्वग्रह उग्र रूपमें मौजूद था, इसलिए भारतीयोंको भी काफिर जातियोंके साथ गूँथ दिया गया और उनका वर्णन भी व्यापक अर्थोवाले "रंगदार" शब्दके अन्तर्गत होने लगा। धीरे-धीरे बोअरोंके मन इस विशेषणके अभ्यस्त हो गये और दक्षिण आफ्रिकाकी काफिर जातियों और ब्रिटिश भारतीयोंमें निस्सन्देह जो स्पष्ट और गहरा भेद है, उन्हें मान्य करनेसे उन्होंने इनकार कर दिया।

यदि आप अपनी सुस्पष्ट शैलीमें उनके सामने इस परिस्थितिको रखें और बतायें कि ब्रिटिश भारतीयोंके पीछे एक प्राचीन सभ्यताकी परम्परा है; ट्रान्सवालमें उन्हें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनेकी आकांक्षा नहीं है; वे वहाँ केवल मुट्ठी-भर अर्थात् १३ हजारकी संख्यामें हैं और भविष्यमें बिना वर्ग-भेदको उग्र बनाये प्रवास आसानीसे नियमित किया जा सकता है, तो मुझे कोई सन्देह नहीं है कि बोअर नेताओंमें से कुछ लोग तो आपकी बात सुनेंगे और आपके सुझावोंको अमलमें लायेंगे।

यदि उस दिशामें, जिसमें मैंने सुझाया है, आप बोअरोंके मनपर प्रभाव डालनेका उपाय कर सकें, तो भारतीय समाज आपका बहुत अधिक कृतज्ञ होगा।

आपका विश्वस्त,

श्री डब्ल्यू० टी० स्टेड
मोब्रे हाउस
नॉरफोक स्ट्रीट
स्ट्रैंड

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५८४) से।

१९१. पत्र : हेनरी एस० एल० पोलकको

होटल सेसिल
[लन्दन]
नवम्बर १६, १९०६

प्रिय श्री पोलक,

अग्रलेख या अन्य सामग्री लिखनेके लिए मेरे पास एक क्षणका भी समय नहीं है। गॉडफ्रेके प्रार्थनापत्रके बारेमें आपको 'इंडिया' में एक प्रश्नोत्तर[1] मिलेगा। क्या यह भाग्यकी विचित्र विडम्बना नहीं है कि जब डॉक्टर महोदय हमारे हितको पागलोंकी तरह नुकसान पहुँचानेमें भरसक लगे हुए हैं, यहाँ उनके दो भाई हमारे उद्देश्यकी पूर्तिमें जितना बन सकता है उतना सहयोग दे रहे हैं? इसलिए गणित शास्त्रकी दृष्टिसे एक व्यक्तिकी गतिविधियोंसे जो बुरा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वह मिट जाना चाहिए, विशेषतः उस अवस्थामें जब दूसरे दो व्यक्तियोंके प्रयासकी दिशा सही है। सर मंचरजीने इस विषयमें 'टाइम्स' को एक पत्र[2] लिखा है। उसी तरह मैंने भी लिखा है[3]। मैं आपको अपने और गॉडफ्रे-बन्धुओंके पत्रोंकी[4] एक-एक प्रति भेज रहा हूँ। आपके तारसे मालूम हुआ कि आपका संघ लॉर्ड एलगिनको तार भेज रहा है। लगता है यह पत्र लिखते समय तक तो तार पहुँचा नहीं है।

जानकारीके लिए मुझे शायद अगले हफ्ते तार भेजना पड़े।

हम लोग श्री मॉर्लेसे २२ तारीखको मिलेंगे। मेरा खयाल है कि शिष्टमण्डल जोरदार होगा। सर लेपेल ग्रिफिन उसका नेतृत्व करेंगे।

स्थायी समितिके लिए ४० पौंड वार्षिक किरायेपर एक कमरा ले लिया गया है। २५ पौंडके उपस्करण भी खरीद लिये गये हैं। कदाचित् सर मंचरजी अध्यक्ष होंगे। विशेष समाचार बादमें।

मुझे भय है कि हम लोग अगले महीनेके पहले हफ्तेसे पूर्व रवाना नहीं हो सकेंगे, क्योंकि समितिको संगठित करनेकी आवश्यकता होगी और मॉर्लेसे भेंट हो जानेके बाद कुछ काम करना पड़ेगा।

श्री स्टेडसे हम लोगोंकी बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने वादा किया है कि वे जो-कुछ कर सकते हैं, सब करेंगे। इसलिए मैंने उन्हें सुझाया है कि वे अलग-अलग राष्ट्रोंके रंगदार लोगोंमें अन्तर करनेके लिए अपने बोअर मित्रोंको लिखें।[5]

१. देखिए पाद टिप्पणी ३, पृष्ठ १६२।

२. देखिए टाइम्सको लिखे पत्रका मसविदा, पृष्ठ १६९-७०।

३. देखिए "पत्र : 'टाइम्स' को", पृष्ठ १५७-५९।

४. श्री जॉर्ज व्ही० गॉडफ्रे और श्री जेम्स डब्ल्यू० गॉडफ्रेने, जो लिंकन्स इनमें अध्ययन कर रहे थे, १५ नवम्बर १९०६ को टाइम्सको पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपने भाई डॉ० गॉडफ्रेके प्रार्थनापत्रसे किसी प्रकारका भी सम्बन्ध अस्वीकार कर दिया। उन्होंने एशियाई अधिनियम-संशोधन अध्यादेशके प्रति पुनः तीव्र विरोध प्रकट किया और कहा कि श्री गांधी केवल "सेवा-भाव" से प्रेरित हैं और इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। और वे डॉ० गॉडफ्रेके व्यवहारका कोई कारण नहीं बता सकते। परिशिष्ट भी देखिए।

५. देखिए पिछला शीर्षक।

पूर्व भारत संघमें श्री रिचका भाषण[1] २६ तारीखको होगा।

नैतिक समिति संघकी कुमारी विंटरबॉटमसे मैं मिल चुका हूँ। उन्हें बहुत दिलचस्पीका अनुभव हुआ है।

अखिल इस्लाम संघने लॉर्ड एलगिनको एक निवेदनपत्र भेजा है। उसकी प्रति भी मैं भेज रहा हूँ।

मैं लन्दन भारतीय समितिकी[2] बैठकका एक विवरण तैयार करना चाहता हूँ, किन्तु अभीतक वह तैयार नहीं हुआ है। और वैसे ही अखिल इस्लाम संघका विवरण[3] भी, जिसे शायद इसके साथ भेज सकूँ। अखिल इस्लाम संघका निवेदनपत्र आपको छाप देना चाहिए। मैं डॉ० ओल्डफील्डका एक बहुत शानदार लेख भी भेज रहा हूँ। शायद वे हमें एक लेखमाला ही देंगे। आप इसपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं और भारतीय संघकी बैठकपर भी।

आपका हृदयसे,

[संलग्न]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५८१) से।

१९२. पत्र: टी० जे० बेनेटको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १६, १९०६

प्रिय महोदय,

मैं जानता हूँ कि आपने दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी तमाम मुसीबतोंमें समभावसे और निरन्तर उनके पक्षकी पैरोकारी की है। श्री अली और मैं ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे एक शिष्टमण्डलके रूपमें लॉर्ड एलगिन और श्री मॉर्लेसे भेंट करनेके लिए आये हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शिष्टमण्डल लॉर्ड एलगिनसे मिल भी चुका है। श्री मॉर्ले भारत कार्यालयमें अगले गुरुवार २२ तारीखको १२–२० बजे शिष्टमण्डलसे भेंट करेंगे। यदि आप शिष्टमण्डलमें सम्मिलित होकर अपने प्रभावका लाभ उसे देनेकी कृपा करेंगे तो हम बहुत आभारी होंगे। सर लेपेल ग्रिफिन उसका नेतृत्व करेंगे।

यदि आप श्री अलीको और मुझे मिलने तथा परिस्थिति सामने रखनेके लिए कोई समय दें, तो हम उसे भी आपकी बड़ी कृपा मानेंगे।

आपका विश्वस्त,

श्री टी० जे० बेनेट
१२१, फ्लीट स्ट्रीट, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५८२) से।

१. देखिए "पूर्व भारत संघमें श्री रिचका भाषण", पृष्ठ २७२-७३।
२. देखिए "लन्दन भारतीय संघकी सभा", पृष्ठ १८३-८६।
३. देखिए "अखिल इस्लाम संघ", पृष्ठ.१८६-८७।

१९३. पत्र : बर्नार्ड हॉलैंडको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १६, १९०६

प्रिय महोदय,

मैं आपके इसी १५ तारीखके पत्रके लिए आभारी हूँ।

यदि शिष्टमण्डलकी भेंटका विवरण बिना कुछ छोड़े पूराका-पूरा प्रकाशित हो, तो लॉर्ड एलगिनको उसके अखबारोंमें दिये जानेपर कोई आपत्ति नहीं है, यह बात मैंने नोट कर ली है। इसलिए मैं 'इंडियन ओपिनियन' के सम्पादकको पूराका-पूरा छापनेकी हिदायतके साथ, विवरण[1] भेजनेकी स्वतन्त्रता ले रहा हूँ।

आपका विश्वस्त,

श्री बर्नार्ड हॉलैंड
उपनिवेश कार्यालय
डाउनिंग स्ट्रीट
व्हाइटहॉल

टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५८३) से।

१९४. भेंट : 'साउथ आफ्रिका' को[2]

[नवम्बर १६, १९०६]

डॉ० गॉडफ्रे और सी० एम० पिल्लेने अपने हस्ताक्षरोंके साथ प्रत्यक्षतः ४३७ अन्य ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे एक प्रार्थनापत्र भेजा था। इन भारतीयोंने इस बातसे इनकार किया था कि उन्होंने गांधीजीको अपना प्रतिनिधित्व करनेके लिए विलायत भेजा है, (गत सप्ताह इस विषयपर सर हेनरी कॉटनने संसदमें सवाल किया था)। गांधीजीने साउथ आफ्रिकाके पत्र-प्रतिनिधिसे कहा है कि जोहानिसबर्गसे एक तार आया है जिसमें बताया गया है कि डॉ० गॉडफ्रेने ब्रिटिश भारतीय संघके नामका उपयोग करके उक्त ४३७ भारतीयोंसे कोरे कागजपर हस्ताक्षर लिये थे।

गांधीजीने कहा :

जहाँतक स्वयं अध्यादेशकी स्थितिका सम्बन्ध है, उसपर इस प्रार्थनापत्रका, जिसपर केवल डॉक्टर गॉडफ्रे और सी० एम० पिल्ले नामक एक दुभाषियेके हस्ताक्षर हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि गत सितम्बर महीनेमें पुराने एम्पायर नाटकघरमें जो विशाल सार्वजनिक सभा हुई थी उसमें डॉ० गॉडफ्रे इस अध्यादेशके सबसे प्रबल विरोधी थे। उसी सभामें यह तय

१. ये १५-१२-१९०६ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित किये गये।
२. इंडियाने इस भेंटको १७-११-१९६० के साउथ आफ्रिकासे उद्धृत किया था।

किया गया था कि एक शिष्टमण्डल विलायत भेजा जाये। उनके इस कृत्यका एकमात्र कारण, जो मैं बतला सकता हूँ, यह है कि जब उपर्युक्त सभाके द्वारा नियुक्त उस समितिके समक्ष, जिसे लन्दन भेजे जानेवाले प्रतिनिधियोंको नामजद करनेका अधिकार सौंपा गया था, यह प्रश्न आया, तब उनको प्रतिनिधि नहीं चुना गया, जिससे उन्हें बहुत अधिक खीज हुई। श्री गॉडफ्रे तथा श्री पिल्लेके प्रार्थनापत्रमें यह भी कहा गया है कि मैं एक "पेशेवर राजनीतिक आन्दोलन-कारी" हूँ। जहाँतक इस वक्तव्यका सम्बन्ध है, इसकी जड़में या तो अज्ञान या जानबूझ कर की गई गलतबयानी है, क्योंकि मैं १३ वर्षोंसे अपने दक्षिण आफ्रिकी देशवासियोंकी जो सेवा कर रहा हूँ उसके मूलमें शुद्ध प्रेम-भावना ही रही है; और उससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती रही है।

श्री गांधीने अन्तमें एक प्रलेख दिखाया जिसपर "जोहानिसबर्ग, १ अक्टूबर १९०६" की तारीख पड़ी हुई थी और जिसपर "अब्दुल गनी, अध्यक्ष ब्रिटिश भारतीय संघ" के हस्ताक्षर भी थे। उस प्रलेख द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि "ब्रिटिश भारतीय संघके अवैतनिक मन्त्री श्री गांधी और हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्ष हाजी वजीर अली साहबको लन्दन जानेके लिए शिष्टमण्डलका सदस्य चुना गया ताकि वहाँ एशियाई अधिनियम-संशोधन अध्यादेशके सम्बन्धमें साम्राज्यीय अधिकारियोंके समक्ष भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करें और दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोंके इंग्लैंडवासी हितैषियोंसे मुलाकात करें।"

[अंग्रेजीसे]

इंडिया, २३-११-१९०६

१९५. लन्दन भारतीय संघकी सभा[1]

[नवम्बर १६, १९०६ के बाद]

३ नवम्बरको ८४ व ८५ पैलेस चेम्बर्स, वेस्टमिन्स्टरमें माननीय दादाभाई नौरोजीकी अध्यक्षतामें लन्दन भारतीय संघकी एक सभा हुई जिसमें काफी लोग उपस्थित थे। इसमें नेटालवासी श्री जेम्स गॉडफ्रेने उक्त शीर्षकसे[2] एक निबन्ध पढ़ा। श्री गॉडफ्रे फिलहाल बैरिस्टरीके पाठ्यक्रमसे सम्बन्धित अपना कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं और अपनी अन्तिम परीक्षा पास कर चुके हैं। नीचे उनके निबन्धका सार दिया जाता है:

यहाँ आनेके बाद मुझे इन लोगोंके अध्ययनका पर्याप्त अवसर मिला है और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम उनसे बहुत-से बेशकीमती सबक ले सकते हैं।

अब हम उनका परीक्षण एवं विश्लेषण करें और यह देखें कि किन गुणोंके कारण उनको अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई है और ऐसे कौन-से सबल तत्व हैं जिनके कारण उनको

१. यह ३ नवम्बरको हुई एक सभाकी रिपोर्ट है और इंडियन ओपिनियनमें "विशेष लेख" के रूपमें छपी थी। इसे गांधीजीने लिखा था, देखिए "पत्र: श्री हेनरी एल० एस० पोलकको", पृष्ठ १८०-८१।

२. "अंग्रेज, मेरी नजरमें" (इंग्लिशमैन ऐज़ आई फाइंड हिम), यह लेख उक्त उपशीर्षकसे प्रकाशित किया गया था।

सर्वत्र ऐसी विजय मिल रही है, जो दिन दूनी बढ़ती जान पड़ती है तथा जिसके कारण बड़ेसे-बड़े शत्रुओंको भी उनकी सराहना करनी पड़ती है। स्वयं मुझे यह छानवीन इसलिए करनी पड़ी कि यहाँसे लौटकर जानेवाले हमारे बहुत-से देशवासियोंने इस प्रश्नके जो उत्तर दिये, वे मुझे असन्तोषजनक लगे। मैंने उनसे बराबर यह प्रश्न पूछा: "इंग्लैंडसे आपने क्या सीखा है या लौटकर आप अपने देशवासियोंको कौन-सा सुधार सुझाना चाहते हैं?" और ऐसे प्रश्नोंका मुझे यही दुःखद और खेदजनक उत्तर मिला कि वे अपने तात्कालिक अध्ययन और काम-काजमें इतने व्यस्त रहे कि उनको अपने आसपासके लोगों या चीजोंके बारेमें सोचनेके लिए समय ही नहीं मिला। जहाँतक अपने देशमें सुधार करनेका प्रश्न है वह स्थानीय स्वार्थोंको प्रभावित करता है और इसलिए उसपर स्थानीय रूपसे विचार करना जरूरी है। अब सज्जनो, मेरा कहना यह है कि ऐसे उत्तर कतई सन्तोषजनक नहीं हैं। मैं यह कहनेकी जिम्मेदारी नहीं लूँगा कि जो लोग देश लौटकर जाते हैं उनमें से अधिकांशकी मनोदशा यही होती है; और मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात गलत साबित हो। जो भी हो, मेरी समझमें यह जानकारी कि हममें से एक भी व्यक्ति ऐसी नितान्त उदासीनता और शंकाकी मनोदशामें अपने देश लौट सकता है, इस प्रकारके निबन्धमें ऐसे उल्लेखके औचित्यको पर्याप्त रूपसे साबित कर देती है। अंग्रेज विदेशमें जैसा होता है स्वदेशमें उससे बिलकुल भिन्न होता है। विदेशमें वह सचमुच ही अत्याचारी और स्वेच्छाचारी होता है पर इंग्लैंडमें शायद ही कोई उसे अवांछनीय व्यक्ति कहे।

अतः इससे स्पष्ट हो जायेगा कि वस्तुतः हम इस देशमें पहलेसे ही न्यूनाधिक रूपमें पूर्वगृहीत धारणाओं और विचारोंको लेकर आते हैं, जिन्हें कुछ तो कभी नहीं बदलते, और इसलिए वे अंग्रेजोंमें न कोई अच्छाई देखते हैं और न उनकी प्रशंसा कर पाते हैं। हम कभी यह महसूस नहीं करते कि हम स्वदेशसे इतनी दूर अपनी भलाई और उस अनुभव और मर्यादाको प्राप्त करने आये हैं जिसको वहाँ प्राप्त करना हमारे लिए जरा कठिन है। हम केवल किसी खास धन्धेमें योग्यता प्राप्त करनेके इरादेसे नहीं, बल्कि उसके साथ-साथ संसार और उसके तौर-तरीकोंका वह व्यापक अनुभव प्राप्त करनेके लिए आते हैं जो केवल विदेश-यात्रा करनेसे ही मिल सकता है। हमने इस देशके अपने प्रवास-कालमें जो विविध बातें सीखीं यदि उनमें से कुछका लाभ हम अपने देशको नहीं देते तो हमारा यहाँ आनेका उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है। यहाँकी अच्छीसे-अच्छी बात लेकर हम वापस जाना चाहते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो उसमें हानि हमारी ही है और साथ ही, अपने देशकी बात तो दूर रही, हम अपने प्रति भी कर्तव्यका पालन नहीं करते।

सभी लोग मानते हैं कि जापानियोंको सफलता इसीलिए मिली है, वे पिछले ५० से भी अधिक वर्षोंसे अपने छात्रों और विशेषज्ञोंको बाहर भेजते रहे हैं। इसमें उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि वे सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करें, नवीनतम और आधुनिकतम आविष्कारोंको सीखें और यूरोपकी विद्या, प्रगति और उन्नतिके विचारोंका सार अपने देशके लाभार्थ अपने साथ ले जायें। और देखिए कि वे इस ज्ञान और विचारधाराको केवल लेकर ही नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने उसका ऐसा सफल विनियोग किया कि उससे सारी दुनिया दंग रह गई।

अब हम उनके कुछ गुणोंपर विचार करें, उनका मूल्यांकन करें और देखें कि क्या वे अनुकरण-योग्य हैं। दुर्गुणोंको हम छोड़े देते हैं। उनके समस्त इतिहासमें हम यह देखते हैं कि

उन्होंने स्वतन्त्रता और स्वाधीनताके लिए अपूर्व उत्साहका परिचय दिया है। जिस भूखण्डको वे आज अभिमानपूर्वक इंग्लैंड कहते हैं, क्या उसके लिए उन्हें लड़ना नहीं पड़ा है? क्या कई शताब्दियों तक देशके भीतर और बाहर उनके शत्रु नहीं रहे हैं? जान पड़ता है कि इस जातिकी अद्भुत प्रतिभा असन्दिग्ध, निश्चित और निरन्तर प्रगतिको प्राप्त करनेमें स्वयं भूमिके शक्ति-प्रद प्रभावके साथ एक हो गई है। महान अमरीकी लेखक आर० डब्ल्यू० इमर्सन कहता है "ये सैक्सन लोग मानव-जातिके हाथ हैं। इनको श्रमसे रुचि है और विलास या विश्रामसे अरुचि; तथा इनमें दूरवीक्षण यंत्रकी भाँति दूरस्थ लाभको देखनेकी क्षमता है। ये अपनी मानसिक शक्तिके बलपर, जिसकी अपनी मर्यादा और शर्तें हैं, धनोपार्जन करते हैं। सैक्सन काम अपनी रुचि अथवा स्वार्थके कारण करता है। यदि उससे काम करवाना हो और ऊसर ब्रिटेनसे बाहर उसकी दानवी क्षमताओंका लाभ उठाना हो तो निरादर, डाँट-डपट और पाबन्दियोंको हटाना जरूरी है; तभी उसकी शक्तियाँ खिलती हैं।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तरहसे इस जातिकी सम्पूर्ण मानसिक शक्ति ठीक अनुपातमें विकसित होती रही है। विकासके लिए अंग्रेजोंका यह प्रयास निरन्तर चलता रहा है और उन्होंने खेलका संतुलन बनाये रखा है। "अंग्रेजके खेलमें होती है ताकतके सामने ताकत, पैंतरेके सामने पैंतरा, खुला मैदान, ईमानदारीसे और बिना किसी चालबाजी या चकमेके सख्त झटका।" उनकी योग्यता और शक्तिके सम्बन्धमें युक्तिसंगत सन्देहकी गुंजाइश नहीं है। यहाँ एक क्षणके लिए उस देशके सम्पूर्ण ताने-बानेके किंचित् कृत्रिम स्वरूपको समझिए। स्वयं यहाँकी जलवायु और भौगोलिक स्थिति ऐसी अवस्थाओंके विरुद्ध है जो स्वाभाविक जीवनमें सहायक होती है। बेकन कहता है: "रोम ऐसा राज्य था जिसमें विरोधाभास नहीं थे; किन्तु इंग्लैंड तो प्रतिकूलता तथा विरोधोंपर ही टिका हुआ है और यह विसंगतियोंका पूरा अजायबघर है।" यद्यपि यह परिहासमें कहा गया है, फिर भी क्या यह सच नहीं कि "ब्रिटेनमें पकाये हुए सेवोंके अलावा फल नहीं पकते", और फिर, क्या यह भी उतना ही सच नहीं है कि दूसरे देशोंकी तुलनामें इस देशमें पहले कभी कोई उल्लेखनीय स्थानीय पशु नहीं पनपा? इन प्राकृतिक कठिनाइयोंके बावजूद उन्होंने अपने सतत धैर्य, चातुर्य, उत्साह और बलसे आगेके सब लोगोंको खदेड़ दिया है और अब वे खुद सबसे आगे हैं। ऐसा मालूम होता है, सारी जातिमें कोई गुप्त शक्ति व्याप्त है और उसको उन्नतिकी ओर ले जाती है। उनको अपनी कौमपर गर्व है और वे उससे प्रेम करते हैं। क्या हम प्रत्येक अंग्रेजको अपने अंग्रेज होनेपर गर्व करते और शेखी मारते हुए नहीं सुनते? क्या वह हर बार सतिरस्कार आपके मुँहपर नहीं कह देता कि अंग्रेज हूँ, इसलिए राज करता हूँ? उनमें एकता या उत्तरदायित्वकी भावना और पारस्परिक विश्वास है। अंग्रेजोंके सम्बन्धमें यह कहा गया है कि "वे अपने प्राणोंकी अपेक्षा अपने पक्षकी रक्षा अधिक दृढ़तासे करते हैं।"

निबन्धका खासा स्वागत हुआ। सर्वश्री बी० जे० बाडिया, एम० ए०; परमेश्वरलाल, एम० ए०; जे० गौरीशंकर, एम० ए०; नाथूराम; द्वारकादास और कई अन्य सज्जनोंने, जो इस विचार-गोष्ठीमें सम्मिलित हुए थे, वक्ताको उदार दृष्टिकोण और योग्यताके साथ लिखे गये निबन्धपर बधाई दी। कुछ वक्ताओंका खयाल यह था कि श्री गॉडफ्रेने अंग्रेजोंका चित्रण करते हुए उनके पक्षमें अतिशयोक्तिसे काम लिया है। किन्तु श्री गॉडफ्रेने अपने उत्तरमें सदस्योंको उनके सहानुभूतिपूर्ण स्वागतके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजोंके चरित्रका दूसरा पक्ष

जानबूझ कर छोड़ दिया है; वे संघके सदस्योंके सम्मुख उन्हीं बातोंको रखना चाहते थे जिनको वे उनके चरित्रमें सर्वोत्तम समझते थे और जो अनुकरण करनेके योग्य हैं। वक्ता और अध्यक्षको धन्यवाद देनेके बाद कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-१२-१९०६

१९६. अखिल इस्लाम संघ[1]

[नवम्बर १६, १९०६के बाद]

तीन नवम्बरको क्राइटीरियन रेस्तराँमें अखिल इस्लाम संघकी, जिसका मुख्य कार्यालय लन्दनमें है, एक बैठक हुई। यह बैठक संघके संस्थापक और सेवा-निवृत्त होनेवाले मन्त्री श्री अब्दुल्ला-अल-मैमून सुहरावर्दी एम० ए०, एम० के० आर० एस०, बैरिस्टरके सम्मानमें हुई।

स्वागत समारोहमें श्री सैयद अमीर अली (कलकत्ता उच्च न्यायालयके भूतपूर्व न्यायाधीश) श्री दादाभाई नौरोजी, श्री श्यामजी कृष्णवर्मा, श्री एस० ए० कादिर, कुमारी मार्था क्रेग, कुमारी ए० ए० स्मिथ, श्रीमती कॉन्सेल, माननीय हमीद बेग (तुर्क साम्राज्यके सलाहकार), श्रीमती हमीद बेग, कुमारी फैजी (जो मद्रास विश्वविद्यालयकी एक छात्रा हैं और अब शिक्षिकाका प्रशिक्षण पा रही हैं), माननीय मुइन-उल-विजारत (फारसी वाणिज्य दूतावासके कार्याध्यक्ष), डॉ० पोलक और कई और सज्जन उपस्थित थे।

लखनऊके श्री एम० एच० किदवईने अतिथियोंका स्वागत किया।

निवर्तमान मन्त्री श्री सुहरावर्दीने लन्दनमें प्रतिष्ठाका जीवन बिताया है। उन्होंने काफी दुनिया देखी है और 'मालकी लॉं' तथा 'सेइंग्ज ऑफ मुहम्मद' नामक पुस्तकें लिखी हैं। अखिल इस्लामवादको उन्होंने अपने जीवनका लक्ष्य बना लिया है। अपने लम्बे, किन्तु प्रभावशाली भाषणमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि अखिल इस्लामवादका ध्येय अपने तत्वावधानमें मुसलमानोंके विभिन्न पन्थोंको एक करना तथा विश्व-बन्धुत्वको प्रोत्साहन देनेके लिए पैगम्बरके मतका शान्तिपूर्ण प्रचार करना है।

यह संघ, जिसका नाम मूलतः अंजुमन-ए-इस्लाम था, सन् १८८६ में लन्दनमें स्थापित किया गया था। जून २३, १९०३ को इसका नाम बदल कर अखिल इस्लाम संघ कर दिया गया। किसी समय श्री अमीर अली इस संस्थाके अध्यक्ष थे।

संघके माने हुए ध्येय निम्नलिखित हैं।

(क) मुस्लिम समाजकी धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक प्रगतिको प्रोत्साहन देना।

(ख) सारे संसारके मुसलमानोंके लिए सामाजिक संगठनके हेतु एक केन्द्र प्रस्तुत करना।

(ग) मुसलमानोंमें भ्रातृ-भावनाको प्रोत्साहन देना और उनका परस्पर मेल-जोल सुकर बनाना।

१. यह "इंडियन ओपिनियनकी विशेष रिपोर्ट" के रूपमें "श्री सुहरावर्दी, एम० ए०, एम० के० आर० एस० का स्वागत" उपशीर्षकसे प्रकाशित किया गया था; इसका मसविदा गांधीजीका तैयार किया हुआ जान पड़ता है; देखिए "पत्र : हेनरी एस० एल० पोलकको", पृष्ठ १८०-८१।

(घ) गैर-मुसलमानोंके बीच इस्लाम और मुसलमानोंके सम्बन्धमें फैली हुई मिथ्या धारणाओंको दूर करना।

(ङ) संसारके किसी भी भागमें सहायताके इच्छुक किसी भी मुसलमानको यथाशक्ति वैध सहायता देना।

(च) गैर-मुस्लिम देशोंमें धार्मिक उत्सव मनानेकी सुविधाएँ देना।

(छ) ऐसे वाद-विवादों तथा भाषणोंका आयोजन करना तथा ऐसे निबन्धोंको पढ़ना जिनसे इस्लामके हितोंको प्रोत्साहन मिलनेकी सम्भावना हो।

(ज) लन्दनमें एक मसजिद बनवाने, उसके लिए एक स्थायी निधि स्थापित करने तथा मुसलमानोंके कब्रिस्तानको बड़ा करनेके लिए संसारके सभी भागोंसे चन्दा इकट्ठा करना।

उसके सदस्य साधारण, विशिष्ट और मानसेवी, तीन दर्जोंके होंगे।

साधारण अधिवासी सदस्योंके लिए वार्षिक चन्दा १० शि० ६ पेंस है; और अनधिवासी सदस्योंको केवल ५ शि० ६ पें० का प्रवेश शुल्क देना पड़ता है।

श्री शेख मुशीर हुसैन किदवई वर्तमान स्थानापन्न अवैतनिक मन्त्री हैं। उनसे इस पतेपर पत्रव्यवहार किया जा सकता है: द्वारा सर्वश्री टॉमस कुक ऐंड सन्स, लुडगेट सरकस, लन्दन, ई० सी०।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-१२-१९०६

१९७. संसद-सदस्योंके लिए प्रश्नोंका मसविदा[1]

[नवम्बर १७, १९०६ के पूर्व]

प्रश्न १

क्या परममाननीय उपनिवेश-मन्त्रीको गत २८ सितम्बरके ट्रान्सवाल सरकारके 'गज़ट' में प्रकाशित फ्रीडडॉर्प बाड़ा अध्यादेशके सम्बन्धमें ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष श्री अब्दुल गनीका प्रार्थनापत्र मिला है? क्या लॉर्ड महोदय एक स्वपत्र (लेटर्स पेटेंट) के अन्तर्गत सुरक्षित अधिकारके अनुसार महामहिमको वह अध्यादेश रद कर देनेकी सलाह देंगे; क्योंकि वह ब्रिटिश भारतीयों तथा अन्य रंगदार लोगोंपर फ्रीडडॉर्पमें पट्टे रखने या बाड़ोंपर बने रहनेके बारेमें प्रतिबन्ध लगाता है?

क्या यह सत्य नहीं है कि फ्रीडडॉर्प मलायी बस्तीसे लगा हुआ है और वहाँ काफी तादादमें भारतीय रहते हैं?

१. कदाचित् गांधीजीने इन चार प्रश्नोंका मसविदा संसद-सदस्योंके लिए तैयार किया था। इनमें से चौथा प्रश्न १७ नवम्बर १९०६ को एक पत्रके साथ श्री जे० डी० रीज़को भेजा गया था (पृष्ठ १९३); और उन्होंने २२ नवम्बर १९०६ को श्री चर्चिलसे यह प्रश्न पूछा। प्रश्न और उत्तर दोनों १-१२-१९६० के इंडियामें पुनः उद्धृत किये गये थे।

क्या यह सत्य नहीं है कि फ्रीडडॉर्पमें बहुत-से बाड़े भारतीयोंके अधिकारमें हैं? क्या उनमेंसे कुछने कतिपय बाड़ोंमें पक्के ढाँचे खड़े नहीं किये हैं और ऐसे बाड़ोंमें वे अपना व्यापार नहीं चला रहे हैं?

क्या यह भी सत्य नहीं कि डच शासनके समय बहुत-से ब्रिटिश भारतीय फ्रीडडॉर्पमें रहते थे और उस समय उनके वहाँ रहनेपर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी?

प्रश्न २

पूर्वोक्त प्रश्नको दृष्टिमें रखते हुए परममाननीय उपनिवेश मन्त्रीको क्या यह आवश्यक नहीं लगता कि ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिसे सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्नकी जाँचके लिए एक निष्पक्ष आयोग नियुक्त किया जाये?

प्रश्न ३

क्या ब्रिटिश उपनिवेशोंमें २८ सितम्बर १९०६ के ट्रान्सवाल 'गवर्नमेन्ट गज़ट' में प्रकाशित एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेशके समान कोई विधान सम्बन्धी पूर्वोदाहरण मौजूद है?

क्या यह सत्य नहीं है कि कथित अध्यादेश द्वारा अपेक्षित पास रखनेके कारण ट्रान्सवालके भारतीयोंकी जैसी स्थिति हो जायेगी, ब्रिटिश भारतीयोंकी वैसी स्थिति महामहिमके साम्राज्यमें कहीं भी नहीं है?

प्रश्न ४

क्या परममाननीय उपनिवेश-मन्त्रीने सरकार बनाम मुहम्मद हाफिजी मूसाके मामलेसे सम्बन्धित उस अपीलकी रिपोर्ट नहीं देखी जो ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा .... मासकी ... तारीखको[1] सुनी गई थी? उस मामलेमें ११ वर्षसे कम आयुके एक भारतीय बालकको, जो अपने पिताके साथ रहता था, गिरफ्तार कर फोक्सरस्ट मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया गया। वह अपराधी साबित हुआ। अतः, उसे ५० पौंड जुर्माने या ३ महीनेकी कैदकी सजा हुई; और हुक्म दिया गया कि यथास्थिति सजा भुगत लेने या जुर्माना अदा कर देनेके बाद वह देश छोड़कर चला जाये?

क्या लॉर्ड महोदय जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालयने उक्त सजाको रद्द कर दिया और ब्रिटिश भारतीयोंसे सम्बन्धित शान्ति-रक्षा अध्यादेशकी निन्दा करते हुए उसपर कड़ी टिप्पणी दी? सरकार इस मामलेमें क्या कदम उठाना चाहती है?

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६६७) से।

१. प्रश्नको इंडियाने इस रूपमें उद्धृत किया था: "ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी महीने सुनी गई थी" आदि।

१९८. पत्र : वुलगर और रॉबर्ट्सकी पेढ़ीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १७, १९०६

वुलगर और रॉबर्ट्सकी पेढ़ी
८८, फ्लीट स्ट्रीट, ई० सी०

प्रिय महोदय,

आपकी भेजी अखबारकी कतरनें मिलीं। मैं देखता हूँ, आपने मुझे कल 'टाइम्स' में प्रकाशित सर रोपर लेथब्रिजका पत्र नहीं भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सावधानीसे काम करें, जिससे मुझे यह भरोसा रहे कि सारी कतरनें मुझे भेजी जा रही हैं। मुझे २० अक्तूबरसे ३ नवम्बर तक की कतरनें भी नहीं मिलीं। मैं जानता हूँ कि ट्रान्सवाल और नेटाल सहित दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके विषयमें इस बीच काफी उल्लेख किये गये थे। 'आफ्रिकन वर्ल्ड' में किये गये उल्लेखोंकी ओर भी मेरा ध्यान खींचा गया था। यदि आप इन सब कतरनोंको पूरा करके भेज सकें, तो आभारी होऊँगा। चेक समयपर आपके पास भेज दिया जायेगा।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५८६) से।

१९९. पत्र : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १७, १९०६

प्रिय श्री हॉल,

जोहानिसबर्गके ब्रिटिश भारतीय संघको भेजे गये एशियाई अध्यादेशसे सम्बन्धित एक तारका श्री नौरोजीने ३ पौंड, १० शिलिंग दिया है। संघके कार्यवाहक मन्त्रीने मुझे लिखा है कि श्री नौरोजीके पाससे उन्हें एक स्मरणपत्र मिला है। क्या आप कृपा करके अध्यादेश सम्बन्धी खर्चके लिए समितिको दिये गये कोषमें से वह रकम भिजवा देंगे? जब मैं आपसे पैलेस चेम्बर्समें मिला था तब इसके बारेमें बातचीत करनेका इरादा था। मुझे इतना अधिक काम

रहा है कि मैं पैलेस चेम्बर्समें जितना आना-जाना चाहता था उतना आ-जा नहीं सका। पिछले मंगलवारको हम मिले तो, लेकिन मैं वह बात बिलकुल ही भूल गया।

आपका सच्चा,

श्री मन्त्री
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समिति,
८४ व ८५, पैलेस चेम्बर्स
वेस्टमिन्स्टर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५८७) से।

२००. पत्र : दादाभाई नौरोजीको

होटल सेसिल
लन्दन, डब्ल्यू० सी०
नवम्बर १७, १९०६

प्रिय श्री नौरोजी,

आपके परचे मिले। मुझे आशा थी कि मैं खुद आपके पास आकर श्री पोलकके पत्रोंके बारेमें समझाकर बता सकूँगा। किन्तु एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेशके सम्बन्धमें इतना अधिक व्यस्त रहा कि वैसा नहीं कर पाया।

चूँकि अब नेटाल विधान-सभाने टैथमके विधेयकको अस्वीकृत कर दिया है, इसलिए फिलहाल कुछ करनेके लिए नहीं बचा।

श्री अब्दुल गनीके प्रार्थनापत्रको[1] आप निपटा ही चुके हैं।

श्री पोलक द्वारा आपको लिखे हुए पत्र मैं आपकी फाइलके लिए वापस कर रहा हूँ।

आपका सच्चा,
मो० क० गांधी

श्री दादाभाई नौरोजी
२२, कैनिंगटन रोड
लैम्बेथ

टाइप किये हुए मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २२७८) से।

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४७६-७८।

२०१. पत्र: एम्पायर टाइपराइटिंग कम्पनीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १७, १९०६

सेवामें
प्रबन्धक महोदय,
'एम्पायर' टाइपराइटिंग कम्पनी
७७, क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट

प्रिय महोदय,

जो 'एम्पायर' मैंने [किराये पर] लिया था, उसे मैं १२ तारीखसे महीना भर रखूँगा। मेरा खयाल है, मासिक किराया १५ शिलिंग है। आपको ७ शिलिंग ६ पेंस मिल ही चुके हैं, बाकी रकम चेकसे भेज रहा हूँ। कृपया रसीद भेजकर आभारी बनाइए।

आपका विश्वस्त,

[संलग्न]

टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५८९) से।

२०२. पत्र: एच० ई० ए० कॉटनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १७, १९०६

प्रिय श्री कॉटन,

'एम्पायर' की कतरन पत्रके साथ भेजनेके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। क्या आप 'साउथ आफ्रिका' को भी देख लेंगे और उसमें प्रकाशित मेरी एक भेंटका विवरण[1] 'इंडिया' के आगामी अंकमें उद्धृत कर देंगे? मैं सर हेनरीको उसकी एक कतरन भेज रहा हूँ।

१. देखिए "भेंट: 'साउथ आफ्रिका' को", पृष्ठ १८२-८३।

श्री मॉल्टेनो द्वारा भेजे गये लेखके विषयमें मैंने आपकी विज्ञप्ति देख ली है। मैं आपसे ज्यादा सम्पर्क नहीं बनाये रख सका हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहा हूँ। मैं अपने मुकामकी अवधिमें एक बजे रातसे पहले कभी बिस्तरपर नहीं जा पाया हूँ।

आपका सच्चा,

श्री एच० ई० ए० कॉटन
१८६, ऐडलेड रोड
साउथ हैम्पस्टेड, एन० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५९०) से।

२०३ पत्र : काउंटी स्कूलके मन्त्रीको

होटल सेसिल
[लन्दन]
नवम्बर १७, १९०६

सेवामें
मन्त्री
काउंटी स्कूल
बेडफोर्ड

प्रिय महोदय,

संलग्न कागजातके साथ आपके इसी १४ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। मैंने जिस तरुणके[1] विषयमें आपको लिखा[2] है वह मैट्रिक्युलेशनकी परीक्षाकी तैयारी करेगा और साथ ही उसकी वकालतकी पढ़ाई भी चलती रहेगी, जो वह कुछ समय तक कर भी चुका है। उसका अबतक का शिक्षण बहुत ही कम है और यदि उसे भविष्यमें सफलता प्राप्त करनी है तो लन्दन विश्वविद्यालयकी मैट्रिक्युलेशन उत्तीर्ण करना उसके लिए आवश्यक है। उसे वहाँ या जहाँ रख दिया जायेगा वह पूरी अवधि तक वहीं रहेगा। डर्बनके उच्चतर श्रेणी भारतीय विद्यालयके प्रधान अध्यापक द्वारा दिया गया उसका पहलेका प्रमाणपत्र लिंकन्स इनके व्यवस्थापकके पास है। क्या आप वही प्रमाणपत्र पेश करना जरूरी मानते हैं या मेरे प्रमाणपत्रसे काम चल जायेगा? मैं यह भी कह दूँ कि वह ईसाई नहीं है, हिन्दू है।

देखता हूँ कि चालू सत्र आधा बीत चुका है, क्या इसलिए शुल्कमें कोई कमी होगी?

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५९१) से।

१. रत्नम् पत्तर।
२. यह उपलब्ध नहीं है।

२०४. पत्र : जे० डी० रीजको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १७, १९०६

प्रिय महोदय,

क्या आप संलग्न प्रश्न[1] पेश करनेकी कृपा करेंगे? आपने कदाचित् ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामलेमें दिये गये फैसलेका विवरण देखा होगा। मैं कह नहीं सकता कि इस प्रश्नकी रचना ठीक है या नहीं, किन्तु इसमें जो तथ्य हैं, वे ठीक-ठीक दिये गये हैं।

आपका विश्वस्त,

संलग्न

श्री जे० डी० रीज़, संसद-सदस्य
लोकसभा
वेस्टमिन्स्टर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५९२) से।

२०५. पत्र : सर हेनरी कॉटनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १७, १९०६

प्रिय सर हेनरी,

आपने श्री चर्चिलसे जो प्रश्न पूछा था उससे सम्बन्धित 'साउथ आफ्रिका' की एक कतरन पत्रके साथ भेज रहा हूँ। मैंने 'टाइम्स' को[2] भी लिखा है और डॉ० गॉडफ्रेके जो दो भाई यहाँ वकालत पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी लिखा है।[3]

आपका सच्चा,

संलग्न :

सर हेनरी कॉटन, संसद-सदस्य
४५, सेंट जॉन्स वुड पार्क, एन० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५९३) से।

१. देखिए "संसद-सदस्योंके लिए प्रश्नोंका मसविदा", चौथा प्रश्न, पृष्ठ १८७।
२. देखिए "पत्र: 'टाइम्स' को", पृष्ठ १७८।
३. देखिए पाद टिप्पणी ४, पृष्ठ १८०।

२०६. पत्र : जी० जे० ऐडमको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर १७, १९०६

प्रिय श्री ऐडम,

सर हेनरी कॉटनने मुझे जवाब दिया है। वे कहते हैं कि मेरे सुझाये हुए प्रश्नको[1] पूछना उपयोगी नहीं है, क्योंकि जानकारी देना उपनिवेश कार्यालयकी पद्धतिका एक अंग ही है। यदि प्रश्न पूछनेके लिए आप किसी अन्य सदस्यको राजी कर सकें, तो निश्चय ही बहुत अच्छा होगा।

शायद आपको मालूम है कि श्री मॉर्ले शिष्टमण्डलसे २२ तारीखको मिलेंगे। लगभग वे ही सज्जन इस शिष्टमण्डलमें भी शामिल किये जायेंगे, जो लॉर्ड एलगिनसे मिलनेवाले शिष्टमण्डलमें शामिल हुए थे।

आपका सच्चा,

श्री जी० जे० ऐडम
२४, ओल्डज्यूरी, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५९४) से।

२०७. शिष्टमण्डलकी टीपें — २

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर १७, १९०६

नेताओंसे मुलाकात : उनकी सहानुभूति और मददके वादे

पिछला सप्ताह बहुत ही कार्यव्यस्त बीता। घड़ी-भरकी भी फ़ुरसत नहीं मिली। अलीगढ़के श्री थिओडोर मॉरिसन और 'रिव्यू ऑफ रिव्यूज़' के प्रख्यात श्री स्टेडने हमें मुलाकात दी। श्री स्टेडने पूरी मदद देनेका वचन दिया है। इसलिए उनसे निवेदन किया गया है कि भारतीयोंको काफिरोंके बराबर न माननेके लिए वे बोअर सरदारोंको लिखें[2]।

'पंजाबी' तथा 'अमृत बाजार पत्रिका' में लिखनेवाली बहन कुमारी स्मिथसे भी मुलाकात हुई है। नैतिकतावादी समिति संघ (यूनियन ऑफ एथिकल सोसाइटी) की मन्त्री कुमारी विंटरबॉटमने[3] पूरी मदद करना स्वीकार किया है।

१. इस सम्बन्धमें कि शिष्टमण्डलकी कार्रवाईका विवरण टाइम्समें कैसे प्रकाशित हो गया; देखिए "पत्र : सर हेनरी कॉटनको", पृष्ठ १५१।
२. देखिए "पत्र : डब्ल्यू० टी० स्टेडको", पृष्ठ १७९।
३. देखिए "पत्र : कुमारी विंटरबॉटमको", पृष्ठ १६८।

लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवसे ट्रान्सवाल तथा नेटालके सम्बन्धमें बातचीत हुई। उनके साथ बहुत-सी बातें हुई हैं और आशा है कि परिणाम कुछ तो ठीक होगा ही। श्री चर्चिलने सर हेनरी कॉटनको जो उत्तर दिया है उससे मालूम होता है कि अभी तत्काल तो कानूनको स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अखिल इस्लाम संघ (पान इस्लामिक सोसाइटी) ने लॉर्ड एलगिनको अर्जी भेजी है। उसमें लिखा है कि यह कानून तुर्कीके मुसलमानोंपर तो लागू किया गया है, लेकिन तुर्कीके ईसाइयों और यहूदियोंको उससे बरी रखकर मुस्लिम समाजका दिल बहुत दुखाया गया है। इस तरह सब तरफसे मदद मिल रही है।

सर रिचर्ड सॉलोमनके साथ श्री अलीकी मुलाकात हुई है। उससे भी आशा बँधती है।

डॉ० गॉडफ्रेकी अर्जी[1]

गुलाबके पौधेमें काँटे होते ही हैं। उसी प्रकार आशारूपी गुलाबके पौधेमें गॉडफ्रेकी अर्जी रूपी काँटा देखनेमें आया है। उससे मैं निराश नहीं हूँ। इसलिए परेशान होनेकी जरूरत नहीं। डॉ० गॉडफ्रेपर नाराज नहीं होना है। वह बालक है और नादान है। बहुधा उसे अपनी मूर्खताका भान नहीं रहता। उसे तिरस्कारके बजाय दयाकी नजरसे देखना चाहिए। वह अर्जी हमें लॉर्ड एलगिनके सचिवने दिखा दी है। उसमें उसने लिखा है कि भारतीय समाजने श्री गांधी और श्री अलीको अधिकार नहीं दिया। श्री गांधी किरायेके आन्दोलनकारी हैं; उन्होंने इसी तरहके धन्धेसे धन जोड़ा है। १८९६[2] में डर्बनके गोरोंने उन्हें मारकर निकाल बाहर किया था। उनके कामसे बहुत ही नुकसान हुआ है और गोरे-कालेके बीच भेद पड़ा है। दूसरे व्यक्ति हैं अब्दुल गनी। वह अध्यक्ष हैं। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। श्री अली हुल्लड़बाज हैं और राजनीतिक मामलोंमें भी खलीफाकी[3] दुहाई फिराना चाहते हैं। इस अर्जीपर डॉ० गॉडफ्रे और श्री सी० एम० पिल्लेकी सही है। उन्होंने यह भी लिखा है कि संघके डरसे बहुतेरे लोग सही नहीं करते। एक कागज और भी है। उसपर ४३७ भारतीयोंकी सहियाँ बताई जाती हैं। उसमें यह लिखा है कि श्री गांधी और श्री अलीको भारतीय समाजकी ओरसे कोई अधिकार नहीं। इस अर्जीके सम्बन्धमें सर हेनरी कॉटनने प्रश्न किया ही था, इसलिए इसका मुख्य हिस्सा लोग जानते हैं। यह प्रश्न बहुतेरे व्यक्तियोंने किया है, इसलिए सर मंचरजीने पत्र लिखा है जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ। श्री गांधीने भी लिखा है; और डॉ० गॉडफ्रेके दोनों भाइयोंने भी अखबारोंमें लिखा है। ये दोनों भाई शिष्टमण्डलको उसके काममें मदद देते हैं। ये सब पत्र प्रकाशित हो जायेंगे, तो लगता है कि सब कुछ शान्त हो जायगा। ये सब खबरें देनी तो चाहिए, लेकिन इनसे घबड़ानेकी जरा भी आवश्यकता नहीं।

लन्दन 'टाइम्स' में लेख

पिछले शनिवारको 'टाइम्स' में एक जोरदार लेख प्रकाशित हुआ था। उसकी प्रतिलिपि पिछले सप्ताह ही भेज दी गई है। सर रोपर लेथब्रिजके लेखमें भी कहा गया है कि भारतीय समाजपर पड़नेवाली मुसीबतोंकी बाबत भारत बहुत नाराज हो रहा है।

१. देखिए लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको लिखे पत्रके साथ संलग्नपत्र, पृष्ठ २०८-१३।
२. यह घटना १८९७ में हुई थी।
३. मूलमें 'सुल्तान' है।

स्थायी समिति

स्थायी समिति स्थापित करनेके सम्बन्धमें तार आ गया है। उसके आधारपर एक वर्षके लिए एक छोटा-सा कमरा किरायेपर ले लिया गया है। उसका किराया ४० पौंड देना होगा। सर मंचरजी बहुत मदद करते हैं। वे ही, बहुत सम्भव है, उसके अध्यक्ष होंगे। २५ पौंड की साज-सज्जा खरीदी गई है। योजना यह है कि जिन सज्जनोंने मदद की है उनका आभार माननेके लिए भोज दिया जाये और उसी समय समितिकी घोषणा की जाये। समय बहुत ही कम है, इसलिए इसमें से कितना किया जा सकेगा, यह तो बादमें मालूम होगा। श्री रिच इस समितिके मन्त्री होंगे और चूँकि वे गरीबीकी हालतमें हैं, इसलिए उन्हें हर माह बराय नाम ७॥ या १० पौंड निर्वाहके लिए देने होंगे। वे अपना पूरा समय समितिको देंगे। २६ तारीखको उनका भाषण पूर्व भारत संघमें होगा। सम्भव हुआ तो उसका सारांश अगले सप्ताह दूंगा[1]। समितिके द्वारा बहुत काम होगा, यह आशा अकारण नहीं है। उसे सम्पूर्ण दक्षिण आफ्रिकासे मदद मिलेगी। सर मंचरजीने उसका नाम दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय चौकसी समिति (साउथ आफ्रिका ब्रिटिश इंडियन विजिलैन्स कमिटी) दिया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-१२-१९०६

२०८. पत्र: मॉर्लेके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय जॉन मॉर्ले
महामहिमके मुख्य भारत-मन्त्री
भारत-कार्यालय
लन्दन

महोदय,

अगले गुरुवारको शिष्टमण्डलके जो सदस्य मेरे और श्री अलीके साथ आयेंगे, उनकी सूची इस पत्रके साथ सेवामें प्रेषित कर रहा हूँ।

श्री मॉर्लेने जैसी इच्छा व्यक्त की थी उसके अनुसार सदस्योंकी संख्या यथासम्भव सीमित रखी गई है। और भी बहुत-से सज्जनोंने अपनी सहानुभूति व्यक्त की है; और वे शिष्टमण्डलमें सम्मिलित होनेके लिए तैयार थे, किन्तु उपर्युक्त कारणसे नहीं आयेंगे।

१. देखिए "पूर्व भारत संघमें श्री रिचका भाषण", पृष्ठ २७२-७३।

लॉर्ड एलगिनकी सेवामें भेजे गये आवेदनपत्रोंकी[1], जिसमें परिस्थितिका सारांश दिया गया है, दो प्रतियाँ भी साथ भेजनेकी धृष्टता कर रहा हूँ।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

संलग्न: ३

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५९५) से

[संलग्नपत्र]

२२ नवम्बर १९०६ को महामहिमके मुख्य भारत-मन्त्री परममाननीय जॉन मॉर्लेकी सेवामें ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके दो प्रतिनिधियोंके साथ उपस्थित होनेवाले सज्जनोंकी सूची:

१. परममाननीय लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐल्डर्ले
२. परममाननीय सर चार्ल्स डिल्क
३. सर लेपेल ग्रिफिन
४. सर हेनरी कॉटन
५. सर मंचरजी मे० भावनगरी
६. सर चार्ल्स श्वान
७. सर विलियम वेडरबर्न
८. श्री दादाभाई नौरोजी
९. श्री हैरॉल्ड कॉक्स
१०. श्री अमीर अली
११. श्री जे० डी० रीज़
१२. श्री थियोडोर मॉरिसन
१३. श्री टी० जे० बेनेट
१४. श्री डब्ल्यू० अराथून
१५. श्री टी० एच० थॉर्नटन
१६. डॉ० रदरफोर्ड
१७. श्री लोरेन पीटर
१८. श्री एल० डब्ल्यू० रिच
१९. श्री ए० एच० स्कॉट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६१७) से।

१. देखिए "आवेदनपत्र : लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ ४९-५७; और "प्रार्थनापत्र : लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ ११७-११९।

२०९. पत्र: जे० डी० रीजको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

प्रिय महोदय,

आप प्रस्तावित समितिमें शामिल होने और कार्यकारिणी समितिके सदस्य बननेको तैयार हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ।

श्री अली और मैं दोनों ही इस बातसे सहमत हैं कि इस प्रश्नको सभी तरहके दलोंसे अलग रखना चाहिये और इसे अपने बलपर खड़ा रहना चाहिए।

आपका विश्वस्त,

श्री जे० डी० रीज
क्रेगीनॉग
न्यू टाउन
मॉंटगोमरीशायर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५९६) से।

२१०. पत्र: बुलगर और राबर्ट्सकी पेढ़ीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

बुलगर व रॉबर्ट्स की पेढ़ी
५८, फ्लीट स्ट्रीट, ई० सी०

प्रिय महोदय,

अखबारी कतरनोंके लिए १ पौंड १० शिलिंगका चेक संलग्न कर रहा हूँ।

२८ तारीख और उसके बादकी सारी अखबारी कतरनें श्री डब्ल्यू० रिच, मन्त्री, दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति, नं० २८, क्वीन एन्स चेम्बर्स, वेस्टमिन्स्टरके पतेपर भेजनेकी कृपा करें।

आपका विश्वस्त,

संलग्न

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४५९७) से।

२११. पत्र : डब्ल्यू० अराथूनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

प्रिय श्री अराथून,

सर लेपेल ग्रिफिनका विचार है कि बृहस्पतिवार, तारीख २२ को १२–२० पर भारत कार्यालयमें श्री मॉर्लेसे मिलनेवाले शिष्टमण्डलमें आप शामिल हों। इसलिए मैंने आपसे पूछे बिना शिष्टमण्डलके सदस्यके रूपमें आपका नाम श्री मॉर्लेके पास भेज दिया है। आशा है, इसमें उपस्थित होना आपके लिए सुविधाजनक होगा।

मैंने आपसे जिन कागजातके बारेमें बातचीत की थी उन्हें मैं आपके दफ्तरमें छोड़ आया हूँ। श्री रिच और मैं आपसे मिलने आपके दफ्तर गये थे, लेकिन आप वहाँ थे नहीं।

आपका सच्चा,

श्री डब्ल्यू० अराथून
मन्त्री
पूर्व भारत संघ
३, वेस्टमिन्स्टर चेम्बर्स
विक्टोरिया स्ट्रीट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५९८) से।

२१२. पत्र : सर वॉल्टर लॉरेंसको[1]

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

प्रिय महोदय,

श्री अली और मैं ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे एक शिष्टमण्डलके रूपमें दक्षिण आफ्रिकासे आये हैं। यदि आप कृपापूर्वक हमें अपने सामने स्थिति रखनेका अवसर दें तो हम कृतज्ञ होंगे।

आपका विश्वस्त,

सर वॉल्टर लॉरेन्स, के० सी० आई० ई०[2]
स्लोन स्ट्रीट, एस० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४५९९) से।

१. इसी प्रकारका एक पत्र सर रेमंड वेस्ट, के० सी० आई० ई०, चेस्टरफील्ड, कॉलेज रोड, नॉरवुड, एस० ई० को भेजा गया था।

२. (१८५७–१९४०); भारतीय प्रशासन सेवक (इंडियन सिविल सर्वेंट); भारत : जिसकी हमने सेवा की (इंडिया वी सर्व्ड) के लेखक।

२१३. पत्र: एम्पायर टाइपराइटिंग कम्पनीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

मन्त्री
"एम्पायर" टाइपराइटिंग कम्पनी
७७, क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, ई० सी०

प्रिय महोदय,

आपके यहाँसे जो टाइपराइटर किरायेपर लिया है, उसके बारेमें आपकी दर्ज की हुई रसीद मिली। आपसे मेरा जो आदमी मिला था, वह बताता है कि मैं जिस टाइपराइटरका उपयोग कर रहा हूँ उसका मासिक किराया १५ शिलिंग तय हुआ था। उसने यह भी बताया कि आपने नया टाइपराइटर अपने इस व्यक्तिगत हितकी दृष्टिसे दिया है कि यन्त्रका विज्ञापन हो। इसलिए यदि आप सोचते हों कि मैं १५ शिलिंगपर पुराना यन्त्र ही काममें लाता, तो यह नया यन्त्र यहाँसे मँगवा सकते हैं और इसके बदलेमें पुराना भेज सकते हैं।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६०१) से।

२१४. पत्र: क्लीमेंट्स प्रिंटिंग वर्क्सको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

प्रबन्धक
क्लीमेंट्स प्रिंटिंग वर्क्स
पोर्तुगाल स्ट्रीट
स्ट्रैंड

प्रिय महोदय,

श्री रिचके नाम श्री पोलकको भेजा हुआ आपका हिसाबका पुर्जा चुकता करनेके लिए मुझे दिया गया है। मैं इस पत्रके साथ अपना ४ पौंड ९ शिलिंगका चेक और रसीद भेज रहा हूँ। कृपया भरपाई करके रसीद वापस भेज दें।

आपका विश्वस्त,

संलग्न: २

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६०२) से।

२१५. पत्र : काउंटी स्कूलके प्रधानाध्यापकको[1]

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

प्रधानाध्यापक
काउंटी स्कूल
बेडफोर्ड

प्रिय महोदय,

आपका इसी १९ तारीखका पत्र मिला, तदर्थ धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं अभी लन्दन नहीं छोड़ सकता। इसलिए मेरे मित्र श्री एल० डब्ल्यू० रिच उस युवकको आपके पास लायेंगे और तब आप उसकी जाँच कर सकते हैं। श्री रिच आपको प्रमाणपत्र भी दिखा देंगे। श्री रिच शुक्रवार को २–५ बजेकी गाड़ी द्वारा सेंट पैंक्राससे रवाना होंगे।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६०३) से।

२१६. पत्र : सर विलियम मार्कबीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

प्रिय महोदय,

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे श्री अली और मैं यहाँ एक शिष्टमण्डलके रूपमें आये हुए हैं। कामको जारी रखनेके विचारसे एक स्थायी समिति बनानेका प्रस्ताव है जिसमें सर मंचरजी भावनगरी, सर विलियम वेडरबर्न, श्री दादाभाई नौरोजी और दूसरे सज्जन दिलचस्पी ले रहे हैं। यदि आप अपना नाम समितिके सदस्यके रूपमें प्रकाशित करनेकी अनुमति दें तो श्री अलीको और मुझे प्रसन्नता होगी।

मैं ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी वर्तमान परिस्थितिसे सम्बन्धित कुछ कागजात संलग्न कर रहा हूँ।

१. देखिये "पत्र : काउंटी स्कूलके मन्त्रीको", पृष्ठ १९२।

यदि इस हफ्ते या अगले हफ्ते आप किसी समय लन्दनमें हों तो आपके दर्शन करनेमें हम अपना सम्मान समझेंगे।

आपका विश्वस्त,

संलग्न :

सर विलियम मार्कबी[1]
हेडिंग्टन हिल
ऑक्सफोर्ड

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६०४) से।

२१७. पत्र : ए० जे० बालफ़रके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय ए० जे० बालफ़र
४, कार्ल्टन गार्डन्स
पाल माल

प्रिय महोदय,

आपके इसी १९ तारीखके पत्रके लिए मैं श्री बालफ़रका[2] कृतज्ञ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रतिनिधिगण श्री लिटिलटनसे निवेदन कर चुके हैं। उन्होंने कृपापूर्वक मिलनेका समय दे दिया है।

अनुदार दलके नेता और भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीके रूपमें यदि परममाननीय महानुभाव हमें अपनी सेवामें उपस्थित होनेका अवसर दें, तो हम इसे अपने सम्मानकी बात समझेंगे।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६०५) से।

१. (१८२९–१९१४), वकील और विधि-वेत्ता; कलकत्ता उच्च न्यायालयके न्यायाधीश, १८६६–७८।
२. आर्थर जेम्स बालफ़र, (१८४८–१९३०), दार्शनिक और राजनीतिज्ञ; ग्रेट ब्रिटेनके प्रधान मन्त्री, इस समय वे संसद-सदस्य थे।

२१८. पत्र : लॉर्ड मिलनरके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
लॉर्ड मिलनर
४६, ड्यूक स्ट्रीट

प्रिय महोदय,

लॉर्ड महोदयने प्रतिनिधियोंसे मिलना स्वीकार किया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अगले गुरुवारको ४ बजे रोड्स ट्रस्टके दफ्तरमें श्री अली और मैं लॉर्ड महोदयसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त करेंगे।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६०६) से।

२१९. पत्र : लॉर्ड रेको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

लॉर्ड महोदय,

मुझे आपसे मिलने और आपको लिखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह सोचकर कि शायद मेरे पत्रकी[1] ओर आपका ध्यान नहीं गया हो, मैं फिर निवेदन करनेकी धृष्टता कर रहा हूँ कि श्री अली और मैं ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे शिष्टमण्डलके रूपमें आये हुए हैं। यदि आप मिलनेके लिए हमें कुछ क्षण दे सकें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

परममाननीय लॉर्ड रे,
६, ग्रेट स्टैनहोप स्ट्रीट, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६०७) से।

१. देखिए "पत्र: लॉर्ड रेको", पृष्ठ ४२।

२२०. पत्र : विन्स्टन चर्चिलके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

निजी सचिव
श्री विन्स्टन चर्चिल
महामहिमके उपनिवेश-उपमन्त्री
व्हाइटहॉल

प्रिय महोदय,

आपके इसी १५ तारीखके पत्रके लिए मैं श्री चर्चिलके प्रति आभारी हूँ।

श्री अली और मैं श्री चर्चिलसे भेंट[1] करना चाहते हैं ताकि हम पूरी परिस्थिति उनके सामने रख सकें और उनके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित कर सकें। चूँकि ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी साधारण परिस्थितिके विषयमें हमारे इंग्लैंड आनेका दूसरा अवसर कदाचित् अब न आयेगा, चूँकि उत्तरदायी शासन दे देनेपर शायद अब बहुत-सी वैधानिक हलचल होगी और चूँकि हमने लॉर्ड एलगिनसे केवल एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेशके विषयमें बातचीत की है; इसलिए यदि श्री चर्चिल हमें एक व्यक्तिगत भेंट देनेकी कृपा करेंगे तो हम इसे एक बड़ा उपकार मानेंगे।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नकल (एस० एन० ४६०८) से।

२२१. पत्र : ए० लिटिलटनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

महोदय,

भेंटकी स्वीकृतिके लिए श्री अली और मैं आपके प्रति बहुत आभारी हैं। अगले शुक्रवारको ४ बजे हम लोग लोकसभामें आपसे मिलनेका सम्मान प्राप्त करेंगे।

आपका विश्वस्त,

परममाननीय ए० लिटिलटन
१६, कॉलेज स्ट्रीट
वेस्टमिन्स्टर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६०९) से।

१. देखिए "पत्र: विन्स्टन चर्चिलको", पृष्ठ १७२।

२२२ पत्र: आर्कीबाल्ड और कॉंस्टेबल व कं० को

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

श्री आर्कीबाल्ड और कॉन्स्टेबल व कं०
१६, जेम्स स्ट्रीट
हेमार्केट, एस० डब्ल्यू०

प्रिय महोदय,

आपके इसी २३ तारीखके पत्रके सम्बन्धमें मुझे दुःख है कि जो फार्म भरा जाना था उसे मैंने कहीं इधर-उधर रख दिया है। यदि श्री अमीर अली कृत 'इस्लाम'[१] नामक पुस्तककी दो प्रतियाँ २८ तारीखके पहले मिल सकें तो ऊपरके पतेपर, अन्यथा बॉक्स ५५२२, जोहानिसबर्गके पतेपर, भेजनेकी कृपा करें।

२४ टिकट साथ संलग्न हैं।

आपका विश्वस्त,

संलग्न :

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६१०) से।

२२३. पत्र: सर मंचरजी मे० भावनगरीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

प्रिय सर मंचरजी,

यदि कुछ अन्यथा सूचना नहीं मिली तो श्री अली, श्री रिच और मैं कल ११-३० पर आपकी सेवामें उपस्थित होंगे।

आपका सच्चा

सर मंचरजी मे० भावनगरी,
१९६, क्रॉमवेल रोड, एस० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६११) से।

१. इस्लामकी भावना (द स्पिरिट ऑफ इस्लाम)। इंडियन ओपिनियनके गुजराती पाठकोंके लाभार्थ गांधीजी इस पुस्तकको संक्षिप्त करना चाहते थे। देखिए "सम्भावित नये प्रकाशन", पृष्ठ २८६।

२२४. पत्र : सर चार्ल्स डिल्कको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

प्रिय महोदय,

अगले गुरुवारको भारत-कार्यालयमें १२-२० पर श्री मॉर्लेसे शिष्टमण्डल मिलनेवाला है। जैसा कि आपने अपने पत्रमें इंगित किया है, यदि आप उसमें उपस्थित हों तो श्री अली और मैं बहुत अनुग्रह मानेंगे।

आपका विश्वस्त,

परममाननीय सर चार्ल्स डिल्क, बैरोनेट; संसद-सदस्य
७६, स्लोन स्ट्रीट, एस० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६१३) से।

२२५. पत्र : सर जॉर्ज बर्डवुडको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

प्रिय सर जॉर्ज,

आपके इसी १७ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। आपने समितिके नामके विषयमें जो सुझाव दिया है, मुझे अच्छा लगा। सर मंचरजीकी स्वीकृति प्राप्त हो जानेपर "चौकसी" शब्द निकाल दिया जायेगा।

समितिमें शामिल होनेकी स्वीकृति देनेके लिए मेरा और श्री अलीका धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आपने जिस संशोधित पत्रका वादा किया था, उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

आपका विश्वस्त,

सर जॉर्ज बर्डवुड
११९, द ऐवेन्यू
वेस्ट ईलिंग

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६१४) से।

२२६. पत्र : 'साउथ आफ्रिका' के सम्पादकको

[होटल सेसिल
लन्दन] .
नवम्बर २०, १९०६

सम्पादक
'साउथ आफ्रिका'
लन्दन

प्रिय महोदय,

ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डल लॉर्ड एलगिनसे मिला था। लॉर्ड महोदयके निजी सचिवने उस भेंटकी कार्रवाईकी एक प्रति मुझे भेज दी है। लॉर्ड महोदयकी आज्ञा है कि यदि कार्रवाई प्रकाशित होनी ही है, तो वह पूरी-पूरी प्रकाशित की जाये। इसलिए मैं यह विवरण आपके निरीक्षणके लिए भेज रहा हूँ। यदि आप उसे पूरा-पूरा छापना चाहें तो ठीक है, नहीं तो देखकर वापस करनेकी कृपा करें।

आपका विश्वस्त,

[संलग्न]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६१२) से।

२२७. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको

होटल सेसिल
लन्दन, डब्ल्यू० सी० २
नवम्बर २०, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
अर्ल ऑफ एलगिन
उपनिवेश-मंत्री
उपनिवेश-कार्यालय
डाउनिंग स्ट्रीट

प्रिय महोदय,

डॉ० गॉडफ्रे और एक अन्य सज्जन द्वारा दिये गये 'प्रार्थनापत्र' तथा ४३७ भारतीयों द्वारा हस्ताक्षरित कहे जानेवाले एक कागजके विषयमें श्री अली और मैं आपसे तथा श्री जस्टसे मिले थे। वह प्रार्थनापत्र तथा हस्ताक्षरित कागज लॉर्ड महोदयके उस उत्तरसे निष्पन्न हुए

हैं, जो उन्होंने ८ नवम्वरको उनसे मिलनेवाले शिष्टमण्डलको दिया था। आपकी हिदायतोंके मुताबिक श्री अली और मैं एक लिखित वक्तव्य लॉर्ड महोदयकी सेवामें पेश करनेके लिए इसके साथ भेज रहे हैं।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गांधी

[संलग्नपत्र]

डॉ० विलियम गॉडफ्रे और एक अन्य व्यक्तिके "प्रार्थनापत्र" तथा अन्य मामलोंके सम्बन्धमें ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया वक्तव्य

"प्रार्थनापत्र"

१. "प्रार्थनापत्र" पर डॉ० विलियम गॉडफ्रे और श्री एम० पिल्लेके हस्ताक्षर हैं। इन दोनोंसे प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूपसे परिचित हैं।

२. प्रार्थी विलियम गॉडफ्रे एडिनवरा विश्वविद्यालयके एक डॉक्टर हैं और जोहानिसवर्गमें डाक्टरी करते हैं।

३. प्रार्थी सी० एम० पिल्ले एक दुभाषिये हैं, जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। वे शराबके नशेमें धुत देखे गये हैं और उन्हें आवारागर्द कहा जा सकता है।

४. जहाँतक प्रतिनिधियोंकी स्मृति ठीक काम देती है, "प्रार्थनापत्र" में दिये गये मुद्दे निम्न प्रकार हैं:

(क) प्रतिनिधियोंको भारतीयोंके साधारण समाजने कोई आदेश नहीं दिया है।
(ख) श्री गांधी एक पेशेवर आन्दोलनकारी हैं। उन्होंने अपने इस कामसे पैसा बनाया है।
(ग) श्री गांधीने यूरोपीयों और भारतीयोंके बीच मनमुटाव पैदा कर दिया है और उनकी पैरोकारीसे समाजको हानि पहुँची है।
(घ) उनपर डर्वनमें यूरोपीय समाजने हमला किया था।
(ङ) वे 'इंडियन ओपिनियन' के मालिक हैं।
(च) श्री अली एक राजनीतिक और धार्मिक संस्थाके अध्यक्ष और संस्थापक हैं, जिसका उद्देश्य सुलतानको मुसलमानोंके आध्यात्मिक और राजनीतिक नेताके रूपमें मान्यता देना है।
(छ) अब्दुल गनी नामके एक व्यक्ति ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष हैं।
(ज) प्रार्थी ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा लोगोंके डराये-धमकाये जानेके कारण अपने मुद्दोंका समर्थन नहीं करा सके हैं।

५. जहाँतक मुद्दा (क) का सम्बन्ध है, प्रतिनिधि ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षका हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र[1] संलग्न कर रहे हैं। प्रतिनिधियोंका चुनाव सर्वसम्मत था।

१. देखिए "भेंट: 'साउथ आफ्रिका' को", पृष्ठ १८२ और खण्ड ५, पृष्ठ ४७१ भी।

वह संघकी एक सभामें किया गया था, जिसमें बहुत लोग आये थे। संघको कोई विरोध-पत्र नहीं भेजा गया, यद्यपि चुनाव जनताके सामने बहुत समय तक होता रहा।

६. जहाँतक मुद्दा (ख) का सम्बन्ध है, अपने तेरह वर्षके कार्यकालमें श्री गांधीने अपनी सार्वजनिक सेवाके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया है। उन्होंने समय-समयपर संघके कोषमें चंदा दिया है। उन्होंने यह काम विशुद्ध सेवा-भावसे किया है। जोहानिसबर्गके 'स्टार' ने २३ अक्तूबरको एक वक्तव्य प्रकाशित किया था, जो कुछ-कुछ ऐसा ही था। लॉर्ड महोदयसे प्रार्थना है कि उसके खण्डनमें उक्त पत्रमें ही २५ अक्तूबरको प्रकाशित पत्र-व्यवहारपर ध्यान देनेकी कृपा करेंगे।

७. मुद्दा (ग) के सम्बन्धमें, श्री गांधीको ऐसे किसी मन-मुटावका कतई पता नहीं है जो उनकी पैरोकारीके कारण यूरोपीयों और भारतीयोंमें पैदा हुआ हो। इसके विपरीत, वे दोनों समाजोंमें समझौता करानेका अधिकतम प्रयत्न करते रहे हैं। नेटाल भारतीय कांग्रेसका, जिसके वे अवैतनिक मन्त्री और एक संस्थापक थे, [और] ब्रिटिश भारतीय संघका, जिसके वे मौजूदा मन्त्री हैं, माना हुआ उद्देश्य भी यही है। इस मुद्देके सम्बन्धमें हम लॉर्ड महोदयका ध्यान स्वर्गीय सर जॉन रॉबिन्सनके निम्नलिखित पत्रकी ओर दिलाते हैं। यह पत्र विशेष प्रतिष्ठित नागरिकोंके उन अनेक पत्रोंमें से एक है, जो उन्होंने सन् १९०१ में श्री गांधीके भारत जाते समय उन्हें लिखे थे:

> आज (१५ अक्तूबर, १९०१) शामको आपने मुझे कांग्रेस-भवनकी सभामें आनेका कृपापूर्ण निमन्त्रण दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अपने सुयोग्य और विशिष्ट सह-नागरिक श्री गांधीके सम्मानके, जिसका उन्होंने भली भाँति अधिकार प्राप्त किया है, अवसरपर उपस्थित होनेमें मुझे प्रसन्नता होती; किन्तु दुर्भाग्यसे मेरे स्वास्थ्यकी हालत रातको बाहर जानेमें मेरे आड़े आती है और फिलहाल मेरे लिए किसी भी सार्वजनिक समारोहमें भाग लेनेकी मनाही है। इसलिए कृपया मुझे उपस्थित होनेकी असमर्थताके लिए क्षमा करेंगे।
>
> मैं कामना करता हूँ — और कम हार्दिकतासे नहीं — कि श्री गांधीके द्वारा किये गये अच्छे कामको और समाजके लिए की गई उनकी अनेक सेवाओंकी सार्वजनिक सराहनाका यह समारोह पूरी तरहसे सफल हो।[1]

उन्होंने बोअर युद्धके[2] समय भारतीय आहत-सहायक दल संगठित किया और वतनी विद्रोहके समय भारतीय डोलीवाहक-दल बनाया। इसका मुख्य कारण यह दिखाकर परस्पर मेल-जोल कराना ही था कि ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यकी नागरिकताके अयोग्य नहीं हैं और यदि वे अपने अधिकारोंका आग्रह रखते हैं तो अपने कर्तव्योंको स्वीकार करनेमें भी समर्थ हैं।

८. मुद्दा (घ) के सम्बन्धमें, यह सत्य है कि १३ जनवरी १८९७ को भारतसे लौटनेपर श्री गांधीपर भीड़ने हमला किया था, क्योंकि भारतमें नेटालके भारतीयोंके मामलेमें उनकी पैरोकारीके बारेमें गलतबयानी की गई थी। १४ जनवरीको उनसे सार्वजनिक क्षमायाचना की गई और जब समस्त स्थिति मालूम हो गई तब स्वर्गीय श्री एस्कम्बने उनको मिलनेके लिए बुलाया और उस समयसे उनको स्वर्गीय एस्कम्बकी मैत्रीका विशेष लाभ प्राप्त रहा।

१. खण्ड ३, पृष्ठ १७१ भी देखिए।

२. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १३८ और १४७-१५२।

स्वर्गीय श्री एस्कम्बने उनकी प्रार्थना मानकर नेटाल भारतीय आहत-सहायक दलके नेताओंको आशीर्वाद दिया और स्वेच्छासे उनको चाय पार्टी दी और उस अवसरपर एक बहुत प्रशंसात्मक और देशभक्तिपूर्ण भाषण दिया।[1] भीड़के हमलेकी घटनाके बाद वे सन् १९०१ में भारत लौटनेके समय तक डर्बनमें रहे।

९. मुद्दा (ङ) के सम्बन्धमें यह सत्य है कि श्री गांधी 'इंडियन ओपिनियन' के वास्तविक स्वामी हैं। लेकिन उससे कोई मुनाफा नहीं कमाया जाता और उसमें श्री गांधीने अपनी सारी बचत लगा दी है। उस काममें उनके दो अँग्रेज साथी हैं, जिन्होंने — और कई भारतीयोंने भी — पत्रके लिए स्वेच्छापूर्वक कंगाली अंगीकार कर ली है। अखबार टॉल्स्टॉय और रस्किनके तरीकोंपर चलाया जा रहा है। उसका सार्वजनिक रूपसे घोषित व्रत दोनों समाजोंमें मेल कराना और भारतीय समाजको शिक्षित करनेके लिए साधन-रूप बनना है।

१०. मुद्दा (च)[2] के सम्बन्धमें, जिन शब्दोंमें श्री अब्दुल गनीका उल्लेख किया गया है, वे अत्यन्त अपमानास्पद और अज्ञान-जनित हैं। वे दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय व्यापारियोंकी एक अत्यन्त समृद्ध पेढ़ीके व्यवस्थापक साझेदार हैं। जबसे वह संस्था बनी है, तभीसे श्री अब्दुल गनी उसके निर्विरोध अध्यक्ष हैं। वे २५ वर्षसे ट्रान्सवालके अधिवासी हैं और प्रायः ब्रिटिश अधिकारियों से, जिनमें उच्चायुक्त भी हैं, उनका सम्पर्क रहा है। वे बहुत ही जाने-माने व्यक्ति हैं और प्रतिष्ठित यूरोपीय व्यापारी उनका आदर करते हैं।

११. मुद्दा (छ)[3] के सम्बन्धमें, दक्षिण आफ्रिकामें श्री अलीका सारा जीवन, अर्थात् तेईस वर्षका काल, साम्राज्यकी सेवामें लगा है। उनको सर रिचर्ड सॉलोमन, स्वर्गीय लॉर्ड लॉक, स्वर्गीय लॉर्ड रोजमीड, डॉ० जेमिसन, सर गॉर्डन स्प्रिग, सर जेम्स सीवराइट और ट्रान्सवाल-के वर्तमान अधिकारियोंसे व्यक्तिगत सम्पर्कमें आनेका सम्मान प्राप्त था। जब कब्रिस्तानकी जगहके मामलेको लेकर मलायी लोगोंके बीच असंतोष फैला तब केप सरकारने उसे शान्त करनेके लिए उनसे आग्रह किया था। उसे शान्त करनेमें वे सफल हुए, जिसके लिए सरकारने उनको धन्यवाद दिया था। यह १८८५ की बात है। केपमें स्वयं मतदाता होनेके कारण उन्हें बॉडदलके उम्मीदवारोंके विरुद्ध ब्रिटिश दलके उम्मीदवारके समर्थनमें सार्वजनिक मंचसे भाषण देनेका सम्मान अक्सर मिला है। डचेतर गोरोंकी शिकायतोंके सम्बन्धमें स्वर्गीया सम्राज्ञीको भेजी गई अर्जीपर दस्तखत करानेके लिए डचेतर गोरा-समितिने उनकी मुफ्त सेवाएँ ली थीं।

यह बात असत्य है कि हमीदिया इस्लामिया अंजुमनका, जिसके वे संस्थापक और अध्यक्ष हैं, उद्देश्य सुलतानको मुस्लिम जगतके राजनीतिक नेताके रूपमें मान्यता देना है। यह मुख्यतः गरीब मुसलमानोंको दफन करनेका खर्च देने, मुसलमानोंमें सामाजिक पुनरुत्थानका काम करने और उनकी विशेष कठिनाइयाँ दूर करनेके लिए बनाया गया है।

सर रिचर्ड सॉलोमनने, जिनसे श्री अली पिछले शुक्रवारको मिले थे, कृपापूर्वक यह स्वीकार कर लिया है कि यदि आवश्यक हो तो साम्राज्यके प्रति श्री अलीकी गहरी वफादारी और निष्ठाके साक्षीके रूपमें लॉर्ड महोदयके सम्मुख उनका नाम लिया जा सकता है।

१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १३८।
२. यह मुद्दा (छ) होना चाहिए। देखिए अनुच्छेद ४ में दिया गया 'प्रार्थनापत्र'का सारांश; पृष्ठ २०८।
३. इसका सम्बन्ध मुद्दा (च) से है।

१२. मुद्दा (ज) के सम्बन्धमें, डराने-धमकानेका आरोप निराधार है। गरीब लोगोंको अध्यादेशके अन्तर्गत सबसे अधिक हानि पहुँचेगी; इसलिए उनको आगामी संकटसे, क्योंकि वह उनके लिए निस्सन्देह संकट ही है, मुक्त होनेका प्रयत्न करनेके लिए तनिक भी प्रोत्साहन देनेकी आवश्यकता नहीं है।

प्रतिनिधि ट्रान्सवाल उपनिवेशके १०,००० से अधिक भारतीयोंकी भावनाओंके अत्यन्त विनम्र प्रवक्ता होनेका आदरपूर्वक दावा करते हैं। लॉर्ड महोदयको अध्यादेशसे उत्पन्न कटु भावोंकी पर्याप्त कल्पना देना सम्भव नहीं है। जिस विराट् सार्वजनिक सभामें एक भी आवाज विरोधमें उठे बिना शिष्टमण्डल भेजनेका निश्चय किया गया, उसमें कई यूरोपीय मौजूद थे, जिनमें एक सरकारी अधिकारी भी था। इन आगन्तुकोंने समाजमें आन्दोलित तीव्र भावनाकी गम्भीरताको पूरी तरह महसूस किया था। लॉर्ड महोदयका ध्यान सभाके विवरणके लिए 'स्टार', 'लीडर' और 'रैंड डेली मेल' की ओर, जिनमें सभाकी लगभग पूरी खबरें प्रकाशित की गई थीं, आकर्षित किया जाता है।

प्रार्थीके व्यवहारका सम्भावित स्पष्टीकरण

१३. डॉ० गॉडफ्रे एक तेज मिजाजके युवक हैं, जिन्हें संसारके व्यावहारिक जीवनका कोई अनुभव नहीं है। अभी दो वर्षसे कुछ ही ज्यादा अर्सा हुआ कि उन्होंने अपना अध्ययन समाप्त किया है। वे एशियाई अधिनियम-संशोधन अध्यादेशके सिवा अन्य किसी मामलेके सम्बन्धमें सार्वजनिक कार्य करनेके लिए कभी आगे नहीं आये। वे स्वयं सार्वजनिक सभामें आये थे और मुख्य-मुख्य प्रस्तावोंपर बोले थे जिनमें अध्यादेशकी निन्दा करने, एक आयोग नियुक्त करने और पास लेकर चलनेके नियमको माननेकी अपेक्षा जेल जानेका समर्थन करनेके प्रस्ताव भी थे। जब प्रतिनिधि चुननेका समय आया, उन्होंने अपना नाम उम्मीदवारके रूपमें पेश किया; किन्तु वे चुने नहीं गये। उन्होंने केप टाउनमें श्री अलीको तार दिया था कि वे उनकी सफलता चाहते हैं और उन्हें एडिनबरामें अपनी सास और अपने ससुरके नाम परिचयका एक पत्र भी दिया था, जो इस प्रकार है :

> मैं इस पत्रके द्वारा आपको अपने एक श्रेष्ठ मित्र श्री हा० व० अलीका परिचय देता हूँ। वे यहाँसे भारतीयोंके हितोंकी लड़ाई लड़नेके लिए रवाना हो रहे हैं और अपनी इस लड़ाईके बाद निस्सन्देह स्कॉटलैंडकी यात्रा करेंगे। वे किस गाड़ीसे और किस तारीखको आ रहे हैं, यह तारसे सूचित करेंगे। वे इस्लाम धर्मके अनुयायी हैं और इस दृष्टिसे मैं आपको मुसलमानोंके रहन-सहन, खास तौरसे उनके भोजन, के बारेमें विस्तारसे लिखूँगा; और मैं आशा करता हूँ कि (मेरे अगले सप्ताहके पत्रोंके बाद) आप उनके एडिनबराके मुकाममें उन्हें यथाशक्ति सुखी और प्रसन्न रखेंगे। उनको शानदार एफ० ब्रिज और हमारा टाउन कैसल टरेसका छोटा-सा सुन्दर घर दिखाना न भूलिए। जॉन तो, निस्सन्देह, श्री अलीसे अच्छी तरह परिचित होगा। ये वही हैं, जिन्होंने उसको उसकी रवानगीसे पहले रंगीन कागजी फूल दिये थे।
>
> आपका स्नेहभाजन
>
> (हस्ताक्षर) विलियम

मूलपत्र लॉर्ड महोदयके अवलोकनके लिए इसके साथ संलग्न है। डॉ० गॉडफ्रे बहुत समय तक श्री गांधीके मुवक्किल रहे हैं। और सन् १९०४ में प्लेगके रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषामें उनके साथ थे एवं उस समय रोगियोंके कष्ट-मोचनके लिए उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। इसलिए उनके इस व्यवहारका स्पष्टीकरण केवल एक ही प्रकारसे किया जा सकता है कि उन्होंने ऐसा अपनी तेजमिजाजीकी वजहसे किया है। मालूम होता है कि इस सम्बन्धमें निराशाके कारण उनका दिमाग सन्तुलन खो बैठा। उनके व्यवहारका उदारतम स्पष्टीकरण यही प्रतीत होता है, अन्यथा उनके द्वारा अध्यादेशकी तीव्र निन्दा और श्री अलीकी जोरदार सिफारिशकी इस अर्जीको भेजनेसे संगति न बैठेगी। निम्न तारसे, जो प्रतिनिधियोंको मिला है और लॉर्ड महोदयको भेजा जा चुका है[1], यह प्रकट हो जायेगा कि एक अलग कागजपर ४३७ भारतीयोंके जो हस्ताक्षर प्राप्त किये गये हैं, वे धोखेसे प्राप्त किये गये हैं:

> **हलफिया बयान गॉडफ्रेने झूठे बहानोंसे "बिआस" (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशनका सांकेतिक शब्द) नामका प्रयोग करके कोरे कागजपर हस्ताक्षर प्राप्त किये। हस्ताक्षर अब वापस ले लिये गये हैं। (लॉर्ड) एलगिनको तार दे रहे हैं। समाचारपत्रोंमें सम्मेलनके पूर्ण विवरण छपे हैं।**

१४. प्रतिनिधि दुःखके साथ और अनिच्छापूर्वक उक्त वक्तव्य देनेके लिए बाध्य हुए हैं। इसमें उनका इरादा कतई यह नहीं रहा है कि डॉ० गॉडफ्रे या उनके साथीको हानि पहुँचे और यदि वे अपने सम्बन्धमें कुछ कहनेके लिए बाध्य हुए हैं तो अपने उन देशवासियोंके प्रति वाजिब सर्वोच्च कर्त्तव्यकी भावनासे, जिनके हितोंका प्रतिनिधित्व करनेका उनको सम्मान प्राप्त है। चूँकि यहाँ इस अर्जीके द्वारा और जोहानिसबर्गमें 'स्टार' द्वारा व्यक्तियोंका प्रश्न उठाया गया है, इसलिए लॉर्ड महोदयको सम्मानपूर्वक यह बताना आवश्यक हो गया है कि जहाँतक इस विवादमें व्यक्तिगत तत्वका असर पड़ता है, प्रतिनिधियोंने जो रुख अख्तियार किया है वह उनकी विनीत सम्मतिमें सूक्ष्मतम जाँचके बाद समाजके पक्षमें ही भारी रहेगा। उनकी यह इच्छा है कि सारे अध्यादेशकी जाँच उसके गुणावगुणोंकी दृष्टिसे की जाये और इसीलिए वे सम्मानपूर्वक कुछ मुद्दोंपर चर्चा करेंगे जो शिष्टमण्डलको दिये गये लॉर्ड महोदयके उत्तरसे उठते हैं।

लॉर्ड एलगिनका उत्तर: १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत अनुमतिपत्र नहीं दिये जायेंगे

१५. लॉर्ड महोदयका खयाल यह है कि १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत बोअर-शासनमें अनुमतिपत्रोंका चलन था और बोअर-शासन अनुमतिपत्रोंकी व्यवस्थामें लापरवाह था। प्रतिनिधि सम्मानपूर्वक यह कहनेका साहस करते हैं कि बोअरोंके लिए कानूनमें अनुमतिपत्रोंका लेना कतई जरूरी नहीं था। इसलिए ३ पौंडके लिए दी गई रसीदें गलत नहीं थीं। वे प्रवेश या निवासका अधिकार देनेवाले अनुमतिपत्र नहीं थे। १८८५ के कानून ३ में प्रवासपर कोई प्रतिबन्ध लगानेका इरादा नहीं था, जैसा कि खुद कानूनसे मालूम होता है। इसलिए शिनाख्तका कोई सवाल ही नहीं था।

अनुमतिपत्र ब्रिटिश शासनका शान्ति-रक्षा अध्यादेश लागू होनेके बाद ही चालू हुए।

१. देखिए "पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको", पृष्ठ १५६।

यह अन्तर यह बतानेके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है कि एशियाई अध्यादेश, जो अब विचारके लिए लॉर्ड महोदयके सम्मुख है, संशोधन नहीं है, बल्कि एक नया कानून है। उससे जो बात बोअर-शासनमें गलत थी वह सही नहीं हो जाती। उससे एक नई निर्योग्यता पैदा होती है।

स्वेच्छासे अँगूठा-निशानी

१६. सादर निवेदन है कि भारतीय समाजने अनुमतिपत्रों और पंजीयन प्रमाणपत्रोंपर स्वेच्छासे जो अँगूठा-निशानी दी थी, वह संजीदगीके साथ लॉर्ड मिलनरको प्रसन्न करनेके लिए दी थी और ऐसी अँगूठा-निशानीके लिए बाध्य करनेवाले विधानको टालनेके लिए ही। अतः उस कदमको एक नजीर बना कर समाजके विरुद्ध प्रयुक्त करना शायद ही न्यायसंगत होगा।

नया पंजीयन

१७. इसके अलावा, जो पंजीकृत हैं उनको नये पंजीयनसे अन्तिम और पक्का अधिकार मिल जायेगा, यह वक्तव्य प्रतिनिधियोंकी विनीत सम्मतिमें तथ्योंके अनुकूल नहीं है। जिनके पास अनुमतिपत्र हैं उनका अधिकार आज कानूनमें पक्का है। नये अध्यादेशसे वह अधिकार वस्तुतः रद हो जायेगा, मिलेगा नहीं। समाजके पास फिलहाल जो कुछ है उससे उसको वंचित करनेके बाद, कानून संदिग्ध महत्त्वका एक नया अधिकार वापस देगा, जो अपमानजनक शर्तों और सजाओंसे जकड़ा होगा। इसलिए इससे समाजसे जो कुछ छीना जायेगा, उसका केवल एक अंश ही उसको वापस मिलेगा।

निरीक्षण

१८. नये अध्यादेशके अन्तर्गत दैनिक निरीक्षण किया जाना सम्भव है। लॉर्ड महोदयको दिया गया यह आश्वासन, कि निरीक्षण वार्षिक होगा, विषयान्तर है। इस बातका कोई भरोसा नहीं है कि एक ही कार्यपालक सत्ता बराबर पदारूढ़ रहेगी। समाज लगभग बराबर यह अनुभव करता आया है कि दक्षिण आफ्रिकामें कार्यपालिकाको जो निरंकुश सत्ता दी गई है उसका प्रयोग मनमाने तौरपर और प्रायः पूर्ण रूपसे ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध किया जाता रहा है। जब कोई प्रतिबन्ध-कानून एक ऐसे समाजके विरुद्ध पास किया जाता है, जो लोक-विद्वेषसे पीड़ित है, तब कार्यपालिका प्रतिबन्धोंको पूरी तरहसे लागू करनेकी लोगोंकी माँगका मुकाबला करनेमें असमर्थ हो जाती है। १८८५ के कानून ३ और शान्ति-रक्षा अध्यादेशके सम्बन्धमें वर्तमान कार्यपालिकाके साथ यही हुआ है। यह बात यहाँतक हुई है कि भारतीय समाजको कार्यपालिका द्वारा उक्त कानूनोंका ऐसा अर्थ, जो सामान्यतः उनसे नहीं निकल सकता, निकालनेके प्रयत्नका विरोध करनेके लिए सर्वोच्च न्यायालयमें जाना पड़ा था।

प्रार्थना

१९. भारतीय समाजके लिए यह जीवन-मरणका प्रश्न है। हम सादर जोर देकर कहते हैं कि इस मामलेकी उचित छानबीन केवल एक अदालती आयोग द्वारा ही की जा सकती है। यदि लॉर्ड महोदयको भारतीयोंके कथनके न्यायसंगत होनेके सम्बन्धमें सन्तोष नहीं है, तो निवेदन है कि आयोगकी जाँच होने तक निर्णय स्थगित रखा जाये।

मो० क० गांधी
हा० व० अली

[संलग्न २]

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सी० ओ० २९१, खण्ड ११३, इंडिविजुअल्स) तथा टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५४५) से।

२२८. पत्र : लॉर्ड स्टैनलेको[1]

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २०, १९०६

लॉर्ड महोदय,

क्या मैं आपको याद दिला सकता हूँ कि श्री मॉर्ले ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंसे सम्बन्धित शिष्टमण्डलसे गुरुवारको १२–३० बजे मिलेंगे और सदस्य १२ बजे भारत कार्यालयमें इकट्ठे होंगे?

आपका आज्ञाकारी सेवक,

परममाननीय लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐल्डर्ले
१८, मैन्सफील्ड स्ट्रीट, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६१६) से।

२२९. पत्र : ए० जे० बालफ़रके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २१, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय ए० जे० बालफ़र
४, कार्ल्टन गार्डन्स
पाल माल

प्रिय महोदय,

अगले शुक्रवारको लोकसभामें ४ बजे श्री लिटिलटन हमें मुलाकात दे रहे हैं। श्री बालफ़रने उसमें उपस्थित रहना स्वीकार कर लिया है। इसके लिए श्री अलीका और मेरा धन्यवाद उन तक पहुँचानेकी कृपा करें।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६१८) से।

१. दफ्तरी प्रतिमें जे० डब्ल्यू० गॉडफ्रेके हस्ताक्षरोंसे युक्त एक नोटमें कहा गया है कि यद्यपि यह पत्र अन्ततः भेजा नहीं गया, लेकिन इसकी प्रतियाँ सर चार्ल्स डिल्क, सर लेपेल ग्रिफिन, सर हेनरी कॉटन, सर मंचरजी मे० भावनगरी, श्री एल० डब्ल्यू० रिच, सर विलियम वेडरबर्न, श्री दादाभाई नौरोजी, श्री हैरॉल्ड कॉक्स, श्री अमीर अली, श्री टी० एच० थॉर्नटन, श्री जे० डी० रीज़, थियोडोर मॉरिसन, श्री टी० जे० बेनेट, श्री डब्ल्यू० अराथून, और डॉ० रदरफोर्डको भेज दी गईं।

२३०. पत्र : श्री चर्चिलके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २१, १९०६

श्री जी० सी० विलियम्स
निजी सचिव
उपनिवेश-उपमन्त्री
उपनिवेश-कार्यालय
डाउनिंग स्ट्रीट

प्रिय महोदय,

यदि आप श्री विन्स्टन चर्चिलको हमसे उपनिवेश कार्यालयमें मिलनेकी मंजूरी देनेके लिए श्री अलीका और मेरा धन्यवाद कह देंगे तो मैं बहुत अनुगृहीत हूँगा। हम श्री चर्चिलसे इसी मासकी २७ तारीखको १२ बजे दोपहरको मिलेंगे।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६१९) से।

२३१. पत्र : नेशनल लिबरल क्लबके मन्त्रीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २१, १९०६

मन्त्री
नेशनल लिबरल क्लब
व्हाइटहॉल, एस० डब्ल्यू०

प्रिय महोदय,

क्लबमें मेरे नाम जो पत्र पड़ा हुआ है उसे कृपया ऊपरके पतेपर भिजवा दें। आभार मानूंगा।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६२०) से।

२३२. पत्र : जी० डब्ल्यू० एम० ग्रिगको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २१, १९०६

प्रिय महोदय,

श्री मॉरिसनने आपको जो कागजात दिये थे उनके साथ आपके २० तारीखके पत्रके लिए मैं आभारी हूँ। श्री अली और मैं आशा करते हैं कि आप इस प्रश्नमें, जो मेरी समझमें साम्राज्यीय महत्त्वका है, दिलचस्पी लेते रहेंगे।

आपका विश्वस्त,

श्री जी० डब्ल्यू० एम० ग्रिग
'आउटलुक'
१६७, स्ट्रैंड, डब्ल्यू० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६२१) से।

२३३. पत्र : एफ० एच० ब्राउनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २१, १९०६

प्रिय श्री ब्राउन,

सर लेपेलने जिक्र किया था कि 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की ओरसे आप शिष्टमण्डलमें शामिल होना पसन्द करेंगे। श्री मॉर्लेने एक सन्देशा भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे शिष्टमण्डलको खानगी रखना चाहेंगे। मैं नहीं जानता कि आपको ऐसी हालतमें वहाँ उपस्थित रहना चाहिए या नहीं। मेरा सुझाव है कि आप कल भारत कार्यालयमें चले जायें और देखें कि श्री मॉर्लेकी हिदायतोंके बारेमें सर लेपेलकी क्या राय है। जब मैं सर लेपेलसे मिला था, तबतक हिदायतें पहुँची नहीं थीं।

यह पत्र लिखाते-लिखाते आपका पोस्टकार्ड मिला। श्री मॉर्लेने १२-२० बजेका समय दिया है। आपके शेष प्रश्नोंका उत्तर ऊपर आ ही चुका है।

आपका सच्चा,

श्री एफ० एच० ब्राउन
"दिलकुश"
वेस्टबोर्न रोड
फॉरेस्ट हिल, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६२२) से।

२३४. पत्र : रेमिंगटन टाइपराइटर कम्पनीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २१, १९०६

प्रबन्धक
रेमिंगटन टाइपराइटर कम्पनी
१००, ग्रेसचर्च स्ट्रीट, ई० सी०

प्रिय महोदय,

आप अब कृपया अपनी मशीन उठवा लें और बिल मुझे भिजवा दें।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६२३) से।

२३५. पत्र : सर रोपर लेथब्रिजको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २१, १९०६

प्रिय महोदय,

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयों और उनकी स्थितिसे सम्बन्धित 'टाइम्स' में प्रकाशित आपके सहानुभूतिपूर्ण पत्रके लिए अपनी और श्री अलीकी तरफसे मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

इस पत्रके साथ मैं लॉर्ड एलगिनको दिये गये निवेदनपत्रकी एक प्रति भेजनेकी धृष्टता कर रहा हूँ। यदि आप मुझे और श्री अलीको मिलनेका कोई समय दे सकें तो हम अपने उद्देश्यके सम्बन्धमें आपसे मिलनेके लिए उपस्थित होंगे।

आपका विश्वस्त,

[संलग्न :]

सर रोपर लेथब्रिज
कार्ल्टन क्लब, डब्ल्यू० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६२४) से।

२३६. पत्र : एस० हॉलिकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २१, १९०६

प्रिय श्री हॉलिक,

मालूम नहीं, प्रार्थनापत्रपर[1] हस्ताक्षर लेनेके काममें आपको आगे कोई सफलता मिली है या नहीं। आवेदनपत्र पेश करनेका ठीक समय आ गया है।

शिष्टमण्डल श्री मॉर्लेसे कल मिलेगा।

आपका सच्चा,

श्री एस० हॉलिक
६२, लन्दन वॉल, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६२५) से।

२३७. पत्र : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २१, १९०६

मन्त्री
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समिति
८४ व ८५, पैलेस चेम्बर्स
वेस्टमिन्स्टर

प्रिय श्री हॉल,

जोहानिसबर्गके ब्रिटिश भारतीय संघको भेजे गये तारके लिए श्री दादाभाई नौरोजी द्वारा दिये गये ३ पौंड १० शिलिंग आप सर विलियम वेडरबर्नको भेजी गई हुंडीमें से काट लेनेकी कृपा करें।

साथ ही कृपया, हमीदिया अंजुमन, बॉक्स नं० ६०३१, जोहानिसबर्गको नियमित रूपसे 'इंडिया' भी भेजते रहें। जब मैं वहाँ आऊँगा तब उसका वार्षिक शुल्क लेता आऊँगा।

आपका सच्चा,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६२६) से।

१. देखिए "लॉर्ड एलगिनके नाम लिखे प्रार्थनापत्रका मसविदा", पृष्ठ ११२-१३।

२३८. पत्र : एच० ई० ए० कॉटनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २१, १९०६

प्रिय श्री कॉटन,

कृपया 'टाइम्स' से गॉडफ्रे बन्धुओंका पत्र[1] और १७ तारीखके 'साउथ आफ्रिका' से मेरे साथ हुई मुलाकातका[2] विवरण उद्धृत कर लें। मेरा खयाल है, 'इंडियन ओपिनियन' के इस अंकमें उद्धृत करने योग्य बहुत-कुछ है। कदाचित् सबसे महत्त्वपूर्ण लेख वह है जो 'टाइम्स ऑफ नेटाल' के पृष्ठ ७८८ से लिया गया है। मेरा खयाल है, उसी पृष्ठपर "ब्रिटिश भारतीय संघ और भारतीय शिष्टमण्डल" शीर्षकसे जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसे भी लेना चाहिए।

मैं आपको उन लोगोंके नाम भेज ही चुका हूँ जो कल श्री मॉर्लेसे मिलनेवाले हैं।

आपका सच्चा,

श्री एच० ई० ए० कॉटन
सम्पादक
'इंडिया'
८४ व ८५, पैलेस चैम्बर्स
वेस्टमिन्स्टर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६२७) से।

२३९. शिष्टमण्डल : श्री मॉर्लेकी सेवामें

भारतमन्त्री श्री मॉर्ले और दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले शिष्टमण्डलके बीच जो भेंट हुई उसकी रिपोर्ट निम्नलिखित है :

[लन्दन
नवम्बर २२, १९०६]

सर लेपेल ग्रिफिन : महोदय, दक्षिण आफ्रिकासे आये हुए दो प्रतिनिधि, श्री गांधी और श्री अलीका परिचय देनेके लिए जो शिष्टमण्डल आज आपकी सेवामें उपस्थित हुआ है उसका नेतृत्व करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त है।

१. १५ नवम्बर १९०६ का। उसे २३ नवम्बर १९०६ के इंडियामें उद्धृत किया गया।
२. "भेंट : 'साउथ आफ्रिका' को"; पृष्ठ १८२-८३।

श्री गांधी और उस मूर्खतापूर्ण प्रार्थनापत्रके बारेमें, जो उनके और उनके कार्यके विरोधमें भेजा गया है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह काम एक शरारती स्कूली छोकरेका है और वे सभी लोग जो श्री गांधीको जानते हैं या उनके कामसे जिनका वर्षों सम्बन्ध रहा है, जैसा कि मेरा रहा है, जानते हैं कि वे बिना किसी व्यक्तिगत प्रयोजन या लाभके इस विशिष्ट उद्देश्यके प्रति एकान्त-भावसे काम करते रहे हैं; उनकी रीति-नीति बिलकुल निःस्वार्थ रही है — यह बात मैं शपथपूर्वक कह सकता हूँ।

मुझे लगता है, मैं बिना किसी मुगालतेके इस सम्बन्धमें एक बात कह सकता हूँ। महोदय, इस बातको आपसे अधिक कोई भी नहीं जानता कि इस मामलेमें भारतकी भावना कितनी तीव्र है। एकके बाद एक आनेवाले वाइसराय और भारतमन्त्रीने यह बात भारत-कार्यालय और उपनिवेश-कार्यालयके सामने रखी है। उन स्मरणपत्रोंके जवाबमें, जो मैंने ही उनकी सेवामें प्रेषित किये थे, स्वयं उपनिवेश-मन्त्रियोंने दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतोंके साथ उतनी ही गहरी सहानुभूति प्रदर्शित की जितनी भारतीय वाइसराय और लन्दनमें भारत-मन्त्रियोंने की। इस बातको विस्तारसे कहनेकी जरूरत नहीं है। इंग्लैंड और उसके उपनिवेशोंके सम्बन्ध मुझे बहुत-कुछ वैसे ही लगते हैं जैसे आज संयुक्त-राज्यकी केन्द्रीय सरकार और कैलिफोर्निया राज्यके बीच हैं और यह स्थिति संसारके बहुतसे भागोंमें गम्भीर हो जायेगी। (तालियाँ)। निस्सन्देह इस मामलेमें जबरदस्त कठिनाइयाँ हैं। आपके सामने दो विपरीत स्थितियाँ हैं — पहली स्पष्ट और किंचित् अपरिपक्व है, फिर भी उसका आधार गौरवपूर्ण और योग्य है। वह स्थिति यह है कि ब्रिटिश झंडेके नीचे रहनेवाले हरएक प्रजाजनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहिए, उसे बिना रोक-टोकके इज्जतके साथ आने-जाने और सम्मानपूर्ण अपने योग्य कोई धन्धा चुननेकी छूट चाहिए। (तालियाँ)। महोदय, यह बात सारे साम्राज्यपर लागू है, किन्तु दूसरी ओरसे इसके मुकाबलेमें मजदूरी घटानेका विरोध करनेवाली स्थिति पेश की जाती है। निस्सन्देह जहाँतक गोरोंका सवाल है, वे यह चाहते हैं और यह चाहना बिलकुल ठीक है कि मजदूरीकी दर और अधिक होनी चाहिए। एक ऐसे परिश्रमी और संयमी समाजका आना, जो बहुत थोड़ेमें निर्वाह कर सकता है, गोरोंकी आमदनीकी दरोंको कम कर देता है और वे इतने थोड़ेमें अपना निर्वाह नहीं कर सकते। ये दो विरोधी बातें हैं और इन्हें किसी सेतुबन्धके द्वारा शान्तिपूर्वक जोड़ा जाना चाहिए; महोदय, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रयत्न करें और उसे बनाएँ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहूँगा कि दो कारणोंसे आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस अत्यन्त उलझे हुए मामलेके दावोंको सन्तुष्ट कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि भारत-मन्त्रीके नाते आपके पास बन्द करने और खोलनेकी चाबियाँ हैं।

मैं थोड़ेमें अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। उदाहरणके लिए नेटालको लीजिए। पूर्व भारत संघके अध्यक्षकी हैसियतसे मैंने एकाधिक बार उपनिवेश-मन्त्रीके नाम आवेदनपत्र भेजे हैं कि नेटालको उस समय तक कोई गिरमिटिया मजदूर न भेजे जायें, जबतक दक्षिण आफ्रिकामें उनके सह-प्रजाजनोंका दर्जा नहीं बदल जाता। नेटाल भारतीयोंके बिना नहीं रह सकता, फिर भी वह उनपर अत्याचार करता है; और पहले तो उनपर उसने ट्रान्सवालकी

अपेक्षा भी अधिक अत्याचार किया था; यद्यपि नेटालको प्रतिवर्ष अधिकाधिक भारतीय मजदूरोंकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशी स्वयं खेतोंमें काम नहीं कर सकते। उनकी हालत अभीतक कुछ अच्छी नहीं है। ये ऐसे देश हैं जिन्हें किसी भी दिन अंग्रेजोंके बलपर नहीं बसाया जा सकता।

महोदय, मेरी समझमें इतना ही कहना आवश्यक है, किन्तु मैं एक अन्तिम व्यक्तिगत प्रार्थना आपसे करूँगा कि मैं आपको इस प्रश्नका समाधान करने लायक एकमात्र व्यक्ति इसलिए भी मानता हूँ कि आपने अंग्रेज जातिको जो अमर कृति[1] दी है, वह समझौतेपर लिखी गई है और मुझे सन्देह नहीं है कि इस अत्यन्त उलझे हुए प्रश्नकी चाबी हमें वहाँ मिल सकेगी।

श्री गांधी: महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री अलीकी और अपनी ओरसे आपको सादर धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें अपनी बातें पेश करनेका अवसर दिया किन्तु, मैं आपका बहुमूल्य समय लेनेके लिए क्षमा-प्रार्थी नहीं हूँ; क्योंकि महोदय, मेरी समझमें हमें जब भी अपने अधिकार खतरेमें दिखें, तभी हमें, आपके पास आनेका हक है, क्योंकि आप हमारे जिम्मेदार वकील और न्यासी हैं। जैसा कि सर लेपेल ग्रिफिनने कहा है, एशियाई अध्यादेश लॉर्ड एलगिनने, मेरे विचारसे, एक गलतफहमीके कारण मान लिया था। उक्त अध्यादेश, मेरे नम्र विचारसे, उपनिवेशीय विधानके बारेमें अबतक की उपनिवेशीय नीतिसे हट जाता है। उपनिवेश-मन्त्रियों और भारत-मन्त्रियोंने स्वतन्त्र प्रवासियोंसे सम्बन्धित जिस रंगभेदका विरोध सफलताके साथ किया, मेरी रायमें उक्त अध्यादेश अकारण उसी रंगभेदकी रेखाएँ खींचता है। एक दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेश-निवासीने इस अध्यादेशके बारेमें यह कहा है कि हम इसके कारण गलेमें कुत्तेका पट्टा बाँधकर चलनेके लिए बाध्य होंगे और एक दुःखी भारतीयने किसी सार्वजनिक सभामें यह कहा कि हमारे साथ जो व्यवहार किया जायेगा वह किसी उपनिवेशीय कुत्तेकी तरह भी नहीं होगा, क्योंकि वह तो पला हुआ कुत्ता है, बल्कि हमारे साथ भारतीय कुत्ते जैसा व्यवहार किया जायेगा जो एक दुरदुराने लायक प्राणी है। मैं यह मानता हूँ कि मेरे समाजके अधिकांश भागको जो अनुभव सदा ही होता रहता है यह कटुता उससे उत्पन्न हुई थी। महोदय, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मेरे समाजकी उस विशाल सभामें जो बात कही गई, वह ब्रिटिश भारतीयोंको ट्रान्सवाल और दक्षिण आफ्रिकाके अन्य भागोंमें बार-बार होनेवाले अनुभवोंसे पूरी तरह सिद्ध हो गई है। अध्यादेशको लागू करनेके कारण, 'स्टार' में किसीकी प्रेरणासे लिखाये गये एक लेखमें तथा श्री डंकन द्वारा, इस तरह बताये गये हैं कि ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीय अथवा एशियाई बड़ी संख्यामें अनधिकृत रूपसे आ रहे हैं और ब्रिटिश भारतीय इस एशियाई बाढ़को जान-बूझकर प्रोत्साहन देते हैं। महोदय, मेरी समझमें यह दोषारोपण अथवा ये दोनों ही दोषारोपण बिलकुल झूठे सिद्ध किये जा सकते हैं। बड़े पैमानेपर अनधिकृत प्रवेशसे उनका यह अर्थ है कि ब्रिटिश भारतीय पुलिसको चकमा देकर बिना अनुमतिपत्रोंके ट्रान्सवालमें आ जाते हैं और प्रवेश करते हुए शान्ति-रक्षा अध्यादेशको जान-बूझ कर भंग करते हैं; यह अध्यादेश ट्रान्सवालमें केवल ब्रिटिश भारतीयोंके प्रवेशका नियमन कर रहा है, जबकि उसे सबके प्रवेशका नियमन करना चाहिए। जब जनगणना की गई थी और उस समय पाया गया कि १२,००० अनुमतिपत्रोंके बीच १०,००० ब्रिटिश भारतीय थे।

१. यहाँ श्री मॉर्लेके निबन्ध – समझौतेके सम्बन्धमें (ऑन कॉम्प्रोमाइज़) की ओर संकेत है।

इससे मेरी नम्र रायमें छल-कपटसे प्रवेशकी बात अपने-आप कट जाती है। यदि इस आरोपको असिद्ध मान लें, तो ब्रिटिश भारतीय समाज द्वारा प्रोत्साहनकी बात ठीक नहीं हो सकती, यह स्पष्ट हो जाता है।

पिछले दो वर्षोंमें १५० से कम मामले नहीं चलाये गये अर्थात् १५० ब्रिटिश भारतीय जबरदस्ती बाहर निकाल दिये गये हैं। मैं नहीं जानता कि ये सभी चालान ठीक थे या नहीं, किन्तु यह एक तथ्य है कि ये सारे भारतीय निकाल दिये गये थे। शान्ति-रक्षा अध्यादेश भारतीय पत्नियोंको अपने पतियोंके साथ आने देनेके मामलेमें बहुत सख्त रहा है; कोमल आयुके भारतीय बच्चोंको भी ट्रान्सवालमें प्रवेश देनेपर वह बहुत सख्त रहा है, क्योंकि उनके पास अनुमतिपत्र नहीं थे। वर्तमान कानून, अर्थात् शान्ति-रक्षा अध्यादेश, ब्रिटिश भारतीयोंके छल-कपटपूर्ण प्रवेशको रोकनेके लिए पर्याप्त है। कुछ भी हो, ब्रिटिश भारतीयोंने इन दोनों वक्तव्योंका बार-बार खण्डन किया है और इसी कारण हम स्थानीय सरकारसे इस तथ्यकी जाँचके लिए एक छोटे आयोगकी नियुक्तिका अनुरोध करते रहे हैं कि सचमुच बड़े पैमानेपर प्रवेश हो रहा है अथवा नहीं।

तथापि मैं नहीं समझता कि मुझे बहुत अधिक समय लेनेकी जरूरत पड़ेगी; मैंने लॉर्ड एलगिनको आवेदनपत्र भेजा है, जिसमें पूरी स्थिति उनके सामने आ जाती है; किन्तु मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ और वह है, उपनिवेशकी भावना। मैं तमाम दक्षिण आफ्रिकाके प्रतिबन्धक विधानके इतिहासका अध्ययन करता रहा हूँ — कमसे-कम पिछले १३ वर्षोंसे — और मुझे अच्छी तरह याद है कि १८९४ में लॉर्ड रिपनने मताधिकार-अपहरण विधेयकका निषेध कर दिया था, क्योंकि वह केवल एशियाइयोंपर लागू होता था। ब्रिटिश भारतीयोंपर प्रतिबन्ध लगानेके बारेमें १८९७ में प्रस्तुत किये गये एक विधेयकके मसविदेको श्री चेम्बरलेनने नामंजूर कर दिया था। उस समय श्री चेम्बरलेनने कहा था कि एशियाई और ब्रिटिश प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगानेके उद्देश्यसे विधानमें वे कोई वर्ण-भेदकी रेखा खींचनेकी इजाजत नहीं दे सकते और इसलिए हमें १८९७ का कानून मिला। आस्ट्रेलियाकी लोकसभामें एशियाई बहिष्करण विधेयकपर बिना किसी हिचकिचाहटके ऐसे ही निषेधाधिकारका प्रयोग किया गया था। किन्तु, महोदय, ट्रान्सवालमें — पिछले साल भी, ऐसा ही मेरा खयाल है, या १९०४ में — विधान-परिषदने वतनी भूस्वामित्व विधेयक पेश किया और मेरे खयालमें एक भी व्यक्तिने इसका विरोध नहीं किया था; किन्तु फिर भी भूस्वामित्व विधेयकका निषेध करनेमें श्री लिटिलटनने तनिक भी आगा-पीछा नहीं किया। महोदय, उक्त विधेयक और वर्तमान अध्यादेशमें एक बहुत बड़ा अन्तर है और मैं यह सोचनेकी धृष्टता करता हूँ कि उस विधानपर कदाचित् इतनी बड़ी कोई आपत्ति नहीं थी जितनी बड़ी इस विधानके बारेमें है, क्योंकि वह ट्रान्सवालके वतनियोंके जमीन-जायदाद रखनेपर प्रतिबन्ध नहीं लगाता था, वह केवल उन वतनियोंपर लागू होता था जिनके पास जमीन-जायदाद थी; किन्तु लॉर्ड लिटिलटनने उसे भी बहुत सख्त माना और उस विधानका निषेध करनेमें तनिक भी आगा-पीछा नहीं किया।

ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ उपनिवेशीय भावनाके बारेमें बहुत-कुछ कहा गया है; यद्यपि यह बात विचित्र मालूम होगी, तथापि मुझे इस भावनासे इनकार करनेमें कोई हिचक नहीं। "हाथ कंगनको आरसी क्या"। ब्रिटिश भारतीय ट्रान्सवालमें केवल इसलिए हैं कि वहाँके गोरे उपनिवेशीय उनका रहना बरदाश्त करते हैं। उन्हें जमीनके लिए अंग्रेज या गोरे स्वामियोंके पास भले ही जाना पड़ता हो; अपने मालके लिए गोरे व्यापारियोंके पास जाना पड़ता है

जो उन्हें ६ महीनेमें अदा करनेकी शर्तपर मिल जाता है। यदि ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ सचमुच कहने लायक आम मुखालफत होती, तो महोदय, मुझे लगता है कि वे वहाँ एक दिन भी न टिक पाते। क्रूगर्सडॉर्पके महापौरने एक सभा बुलाई थी जिसमें कुछ गोरे आये और जहाँ यह प्रस्ताव किया गया कि वे जमीन खरीदने और बेचनेके मामलेमें ब्रिटिश भारतीयोंका बहिष्कार करेंगे। यह बहिष्कार एक दिन भी नहीं टिका। सारे ट्रान्सवालमें एक ही जगह ऐसी है जहाँ उन्हें बहिष्कारके प्रयत्नमें कुछ सफलता मिली। हमारा खयाल है कि यदि सरकार-से संरक्षण-प्राप्त टुटपुँजिये गोरे दूकानदारोंमें सीमित पूर्वग्रहको हटा दिया जाये, तो हम स्वयं अपना रास्ता आप ही निकाल सकते हैं। यदि यह नहीं हो सकता, तो यह आसानीसे समझा जा सकता है कि हमारी स्थिति असह्य हुए बिना नहीं रहेगी; नहीं तो महोदय मेरी समझमें ट्रान्सवालमें हमारी इस समय जो स्थिति है वह आज भी कायम रखी जा सकती है।

श्री मॉर्ले: श्री गांधी, क्या आप इस समय उनकी स्थितिकी बात कह रहे हैं जो पहले ही ट्रान्सवालके निवासी हैं?

श्री गांधी: जी हाँ, महोदय; अध्यादेश केवल उन्हींपर लागू होता है जो इस समय वहाँके निवासी हैं और जो शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत ट्रान्सवालमें आनेवाले हैं। भविष्यमें होनेवाले प्रवेशके विषयमें कदाचित् मेरे मित्र श्री अली कुछ कहेंगे। मैं प्रसंगवश इतना ही कह सकता हूँ कि हमने सारी स्थिति छोड़ दी है और प्रतिबन्धके सिद्धान्तको केप अधिनियमके अनुसार स्वीकार कर लिया है। यही एक ऐसा अधिनियम है जो बिना वर्ण-भेदकी रेखा खींचे शैक्षणिक जाँचके कारण — जो बहुत सख्त जाँच है — ब्रिटिश भारतीयोंके उपनिवेशोंमें प्रवेश-पर प्रतिबन्ध लगाता है। किन्तु हमने इसे बुद्धिमानी माना है कि हम व्यापारिक परवानोंके मामलेमें भी इस स्थितिको मान लें। हमने कहा है कि नये व्यापारिक परवानोंके मामलेमें हम अपने अधिकारोंका नगरनिकायों द्वारा विनियमन और नियन्त्रण मान लेंगे; किन्तु ऐसे विधान दूसरोंपर भी लागू होने चाहिए — केवल ब्रिटिश भारतीयोंपर ही नहीं। मेरा अनुभव है कि जहाँ कोई विधान किसी वर्ग-विशेषपर लागू किया जाता है, वहाँ उसका पालन बड़ी सख्तीसे होता है और जहाँ सभीपर लागू होनेवाला विधान होता है, वहाँ राहत पानेकी गुंजाइश रहती है। महोदय, मेरा खयाल है कि सरकार उन लोगोंपर जुल्म नहीं करना चाहती जिनके न जबान है, न मताधिकार। मैं इस तथ्यका उल्लेख इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमें कोई राजनीतिक सत्ता चाहिए। हम यह बात साफ कर चुके हैं कि जहाँतक ब्रिटिश भारतीयोंका सम्बन्ध है, उन्हें किसी भी राजनीतिक सत्ताकी कोई आकांक्षा नहीं है, किन्तु यदि हमें मताधिकारहीन रहना है तो मैं निश्चय ही यह सोचता हूँ कि सरकारको मताधिकारहीन लोगोंकी रक्षा करनी चाहिए। और सो भी जैसे-तैसे नहीं, बल्कि वह संरक्षण एक वास्तविक शक्ति होनी चाहिए; और महोदय, हम जिस संरक्षणके हकदार हैं, उसकी प्राप्तिके लिए, अपने समाजके अधिवक्ता और न्यासीकी हैसियतसे, हम आपके मुखापेक्षी हैं, और यह आश्वा-सन, कि हमें वह संरक्षण प्राप्त है, हम आपसे चाहते हैं। (तालियाँ)।

श्री अली: महोदय, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अपने उद्देश्यके बारेमें आपसे अधिक कहनेकी मुझे कोई जरूरत पड़ेगी; श्री गांधीने सभी मुद्दे और तथ्य प्रस्तुत कर दिये हैं। मुझे अपने समाजकी ओरसे केवल ट्रान्सवालमें उनकी स्थितिको विशेष रूपसे आपके सामने रखनेका आदेश मिला है। वे अनुभव करते हैं — और बड़ी तीव्रतासे — कि ब्रिटिश सरकारके अन्तर्गत

ट्रान्सवालका शासन उनके विरुद्ध वर्ग-भेदपर आधारित विधान पेश कर रहा है जब कि आरमीनियाई, सीरियाई, ग्रीक, रूसी, पोलैंडके यहूदी आदि हजारों विभिन्न कौमोंके परदेशी बिना किसी अपमान और रोक-टोकके ट्रान्सवालमें प्रवेश कर रहे हैं। हमारे बन्धुगणोंको १८५७ का घोषणापत्र और साथ ही वह सन्देश[1] भी याद है जो दिल्ली दरबारके समय राजाने लोगोंको ब्रिटिश झंडेके नीचे उनकी स्वतन्त्रताका आश्वासन देते हुए भेजा था; इसलिए वे बड़ी तीव्रताके साथ ऐसा महसूस करते हैं कि इस अध्यादेशके पास होनेसे वे अत्याचार और अपमानके शिकार हुए हैं।

मैंने अभी आपसे परदेशियोंकी बात की है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि यूरोपियोंकी भावना — अर्थात् उपनिवेशियोंकी भावना हमारे खिलाफ है। उपनिवेशवासियोंने किसी भी रूप या प्रकारसे ट्रान्सवालमें हमारे भाइयोंको अपमानित करनेकी माँग नहीं की है। उन्होंने हमारी व्यापारिक स्पर्धासे संरक्षण माँगा है; यह स्पर्धा उनके बहुत खिलाफ जाती है और महोदय, वे इतना ही चाहते हैं कि ट्रान्सवालमें एशियाइयोंकी जबर्दस्त बाढ़ देखनेमें न आये। हमने समय-समयपर सरकारसे कहा है कि हममें से जो लोग ट्रान्सवालमें हैं, वे एशियाइयोंको बड़ी संख्यामें आया हुआ देखनेके इच्छुक नहीं हैं और श्री डंकनने स्वयं कहा कि साम्राज्यीय सरकार ट्रान्सवालकी उत्तरदायी सरकारकी हद तक इस प्रश्न तथा प्रवेशके प्रश्नपर विचार करेगी। चूँकि हमें विधान-परिषदमें प्रतिनिधित्व-प्राप्त नहीं है, साम्राज्यीय सरकार ही हमारी एकमात्र रक्षक है। अब मैं केवल एक बात यह बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार यह विधान और यह अध्यादेश लादा गया। एक धारा इस नये अध्यादेशके प्रभावसे अछूती बची थी, उसके द्वारा डचोंके वंशज इस अध्यादेशकी परिधिसे बाहर रह जाते थे, किन्तु दक्षिण आफ्रिकामें, यहाँतक कि ट्रान्सवालमें, जन्म लेनेवाले भारतीय बच्चोंके लिए भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। इसके सिवा स्वयं मैंने श्री डंकनका ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित किया कि यह अनुचित है। यदि दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न किसी भी एशियाईके साथ रियायत की जाती है, तो भारतीय बच्चोंके साथ रियायत न करना अनुचित है। मैं एक उदाहरणसे यह भी बताना चाहता हूँ कि बोअर सरकारके अधीन भी तुर्कोंके सुलतानकी मुसलमान प्रजापर इस अध्यादेशका विपरीत असर पड़ता था, किन्तु उन्हींकी ईसाई प्रजापर नहीं। अब आप देख सकते हैं कि अध्यादेश भारतीयोंके प्रति कितना अन्यायपूर्ण है।

मैं विस्तारसे बातचीत करनेकी आवश्यकता नहीं देखता, किन्तु मैं आपसे केवल इतना कहूँगा कि शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत हमारे वर्तमान अनुमतिपत्र शिनाख्तगीके लिए बिलकुल पर्याप्त हैं और उनके द्वारा ऐसे किसी भी भारतीयका पता लगाया जा सकता है जो बिना आज्ञाके गैरकानूनी तौरपर ट्रान्सवालमें हो। इसलिए नया अध्यादेश पेश करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, और न इस बातकी ही कि फिलहाल इन अनुमतिपत्रोंके होते हुए हमें अपमानित किया जाये। हमें लगता है कि इसका मंशा हमारे खिलाफ है और महोदय हम इसे अपमानजनक समझते हैं। हमारे विचारसे यह अध्यादेश सिद्धान्ततः खराब है, क्योंकि

१. सन् १९०३का सम्राट् ऐडवर्डका सन्देश।

यह स्वशासनसम्पन्न उपनिवेशोंमें एक पूर्व उदाहरण पेश करेगा। महोदय, मैं इस तथ्यकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि केप उपनिवेशके, जहाँका मैं १३ वर्ष तक अधिवासी रहा हूँ, उत्तरदायी शासनके अन्तर्गत मुझे लोकसभामें मताधिकारका, जमीन-जायदाद रखनेका और खानें खुदवानेका हक था और वहाँ हमें आजतक भी वे ही अधिकार प्राप्त हैं। अब साम्राज्यीय उपनिवेशके अन्तर्गत ऐसे विधानपर विचार किया जा रहा है जो भारतीयोंके खिलाफ है। इसलिए मेरे मुसलमान समाजने मुझे विशेष तौरपर आपके सामने ट्रान्सवालके भारतीयोंकी स्थिति रखनेके विचारसे भेजा है। हमें ब्रिटिश प्रजाकी तरह ही सरकारसे सुविधा और अधिकार प्राप्त करनेका पूरा अधिकार है। यदि ब्रिटिश सरकार भारतसे बाहर गये असंख्य भारतीयोंको संरक्षण न देनेकी बात स्वीकार करनेपर तत्पर हो, तो बात अलग है। यदि ब्रिटिश सरकार ऐसी बात कहनेके लिए तैयार हो, तो कोई भी भारतीय भारत छोड़कर ब्रिटिश उपनिवेशोंमें जानेसे पहले इस मामलेपर सौ बार सोचेगा। (तालियाँ)।

श्री है० कॉक्स: मैं इस प्रश्नके सम्बन्धमें बहुत थोड़ी बातें कहना चाहता हूँ। . . . भारतीय दूकानदार अथवा भारतीय व्यापारी गोरे दूकानदारोंके मुकाबलेमें अधिक कुशल है। जैसा कि श्री गांधीने कहा, ये गोरे दूकानदार प्रायः ब्रिटिश प्रजा न होकर दक्षिण यूरोप या रूससे आये हुए परदेशी हैं। किन्तु जिस प्रश्नपर इस समय ब्रिटिश सरकारको विचार करना है, वह यह है कि क्या ब्रिटिश प्रजाजनोंके मुकाबलेमें परदेशी गोरे दूकानदारोंकी पद्धति बरकरार रखी जाये। वास्तवमें प्रश्न यही है कि क्या हम ट्रान्सवालमें आये हुए परदेशी दूकानदारोंको लगभग आर्थिक मदद पहुँचाएँ और उन्हें पक्षपातपूर्ण व्यापारका अधिकार दें। इस सम्बन्धमें एक और बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है कि दक्षिण आफ्रिकाकी कौमोंका भविष्य क्या होगा। दक्षिण आफ्रिकाकी आबादीके आँकड़ोंकी जाँच करनेसे और विशेषतः आबादीकी वृद्धिसे मुझे इस बातका पूरा भरोसा हो गया है कि दक्षिण आफ्रिका गोरोंका देश न है, न कभी हो सकता है। गोरोंके मुकाबलेमें काले लोग बहुत अधिक गतिसे बढ़ रहे हैं। यह ठीक है कि दक्षिण आफ्रिकामें गोरे रह सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं; किन्तु सभी इस बातको मानते हैं कि गोरे आदमी मजदूरी नहीं कर सकते, इसलिए अनेक लोगोंने यह सुझाया है कि चूँकि गोरे आदमी शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, इसलिए हमें चाहिए कि हम दूकानदारीके कामके लिए उन्हें विशिष्ट सुविधाएँ दें। मेरे विचारमें यह एक असह्य स्थिति है। शेष आबादीके प्रति यह अन्याय है और उन भारतीयोंके प्रति भी जो इस काममें लगना चाहते हैं। भारतीय अधिक धैर्यवान हैं और वतनियोंमें अधिक लोकप्रिय हैं। इसके सिवाय दक्षिण आफ्रिकाके बहुत-से गोरे भी इन भारतीय व्यापारियोंका स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे अपेक्षाकृत सस्ती चीजें प्राप्त हो सकती हैं। एक अंग्रेज महिलाने मुझसे कहा कि उसके पतिको भारतीय व्यापारियोंसे व्यवहार रखनेमें आपत्ति है, किन्तु फिर भी वह हमेशा उन्हींसे व्यवहार रखती है, क्योंकि उसे उनसे चीजें सस्ती मिलती हैं।

. . . कुछ भी हो, हमें इन उपनिवेशोंकी रक्षा करनी है। हम ट्रान्सवालकी प्रतिरक्षाके लिए फौजें रखते हैं और उनका खर्च उठाते हैं, इसलिए स्थिति इस प्रकार है कि जब ट्रान्सवाल एक परकीय देश था, तब हम अपनी प्रजाकी ओर हस्तक्षेप करनेके अधिकारका

दावा करते थे; अब वह हमारा अपना उपनिवेश है, हमारी अपनी फौजसे प्रतिरक्षित है, तब हम चुपचाप खिसक जाते हैं और उनकी इच्छाका विरोध करनेका साहस नहीं करते। यदि बात ऐसी है, तो हमें समस्त साम्राज्यका शासन करनेवाली जाति होनेका कतई दावा ही नहीं करना चाहिए। (तालियाँ)।

तथ्य यह है कि बहुमत परदेशियोंका है, क्योंकि न केवल वहाँकी गोरी आबादी मुख्यतः बोअर हैं, बल्कि आये हुए गोरे भी ज्यादातर परदेशी ही हैं। इसलिए यदि हम स्वीकार कर लें — क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ी हद तक पथभ्रष्ट होना मानता हूँ — तो हम इस प्रस्तावको अंग्रेज होनेके नाते इंग्लैंडकी ओरसे स्वीकार करते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यके बहुसंख्यक निवासी ब्रिटिश साम्राज्यके अल्पसंख्यकोंके मुकाबलेमें सदा कम दर्जेके माने जायें। किसी भी ब्रिटिश सरकारके लिए यह एक बड़ी ही गम्भीर बात है और विशेषतः उदारदलीय सरकारके लिए। इसलिए श्री मॉर्ले, मैं आपके सामने जो विशिष्ट निवेदन करना चाहता हूँ और जो सर लेपेल ग्रिफिन कहना भूल गये, वह यह है कि इसके पहले, कि ब्रिटिश भारतीय-विरोधी किसी विधानको वर्तमान सरकार मंजूरी दे, दक्षिण आफ्रिकामें परिस्थितिकी जाँच करने और उसपर अपना मन्तव्य देनेके लिए एक आयोग भेजा जाये।

लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐल्डर्ले : . . . मैं व्यक्तिगत रूपसे कह सकता हूँ कि यह मामला जितने न्यायकी अपेक्षा रखता है, मेरी समझमें आवेदनपत्रमें उससे बहुत कमकी प्रार्थना की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सम्बन्धमें जो कठिनाई हमारे बिलकुल सामने खड़ी है उसके लिए यदि हम किसी सिद्धान्तको पकड़ कर नहीं चले, तो वह दिनोंदिन बढ़ती ही जायेगी। मुझे भय है कि ज्यादातर भाषण एक खराब सिद्धान्तका विरोध करनेके बजाय सफाई देते हुए-से जान पड़ते हैं। . . . ट्रान्सवालकी विजयके समय बोअरोंसे समझौता करते हुए हमने जो रुख अख्तियार किया, मैं आपका ध्यान उससे सम्बन्धित उस अंशकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो हमारे मामलेको जोरदार ढंगसे पेश करता है। मेरा तात्पर्य श्री चेम्बरलेनके १९०१ के उस तारसे है जो *क्लोनियल कागजात*, ५१८, पृष्ठ ५ पर मिलेगा। श्री चेम्बरलेनने उस समय तार दिया था कि रंगदार लोगोंकी कानूनी स्थिति उसी प्रकारकी होगी जैसी उनकी केप कालोनीमें है। . . . स्वशासित उपनिवेशोंसे केन्द्रीय सत्ताके उलझे हुए सम्बन्धोंको देखते हुए मैं कदापि नहीं कह सकता कि हम लोग उपनिवेशकी राजनीतिक व्यवस्था और अधिकारोंमें हस्तक्षेप करनेकी कल्पना नहीं कर सकते, बल्कि मुझे निश्चय ही ऐसा मालूम होता है कि जबतक उपनिवेश ब्रिटिश झंडेके नीचे संरक्षण और ब्रिटिश साम्राज्यके सहारेकी माँग करते हैं, तबतक हमें यह अपेक्षा रखनेका भी अधिकार है कि वे नागरिक अधिकार दें; राजनीतिक अधिकारोंका प्रश्न उनकी मर्जीपर छोड़ा जा सकता है।

अब कदाचित् आप कह सकते हैं, 'केन्द्रीय सरकार और उपनिवेशोंके बीचमें मतभेद होनेपर मैं इस मामलेपर जोर किस तरह दे सकता हूँ?' मैं यह नहीं कहता कि आप ऐसी जबरदस्ती कर सकते हैं। ये समस्याएँ सहगामी अधिकारोंके उलझे हुए सम्बन्धोंकी समस्याएँ हैं; और यद्यपि सिद्धान्ततः तो इस देशकी संसद सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न है, फिर भी जब उपनिवेश कोई कार्रवाई करता है तब संसदकी सर्वोच्च सत्ताको काममें लानेका कोई स्वप्न भी

नहीं देखता। पहली बात तो यह है कि मुझे इस बातका भरोसा नहीं है कि किसी उपनिवेशके साथ मामला यहाँतक बढ़ जायेगा। किन्तु यदि हम साल-दर-साल किसी सिद्धान्तके साथ खिलवाड़ करें, तो उपनिवेशियोंमें जातिगत प्रभुताकी क्षुद्र भावनाको बढ़ावा मिलेगा और आगे चलकर इसे हल करना अधिक कठिन हो जायेगा...। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि परिस्थिति बहुत बिगड़ जाये तो भारत जानेवाले उपनिवेशवासियोंपर वैसे ही अपमानजनक प्रतिबन्ध लगाये जायें जैसे उपनिवेशवाले भारतवासियोंपर लगाना चाहते हैं, इससे कोई उपनिवेश शिकायत नहीं कर सकेगा। उदाहरणके लिए, यदि किसी आस्ट्रेलियाई व्यापारीको किसी विशिष्ट जिलेमें रहना पड़ता और पुलिसका परवाना निकलवाना पड़ता तो मेरे विचारसे उनमें से बहुत लोगोंकी समझमें यह बात बहुत जल्दी आ जाती कि ब्रिटिश प्रजाजनोंपर वे जो प्रतिबन्ध लगा रहे हैं, वे सहन करने योग्य नहीं हैं। मेरी समझमें यह बात महत्त्वपूर्ण है...। नहीं, मेरी समझमें यह असह्य है। मैं स्वयं यह सोचता हूँ कि जब भी हम सिद्धान्तसे हटते हैं, तब बहुत ही जल्दी बड़ी-बड़ी कठिनाइयोंमें फँस जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि किसी सिद्धान्तपर जैसा-का-तैसा अमल हो सकता है। मुझे लगता है कि ब्रिटिश सरकार वैसा नहीं कर सकती, किन्तु सिद्धान्त ध्यानमें रखना चाहिए और जितना हो सके उसके निकट पहुँचना चाहिए।

अन्तमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि सर लेपेल ग्रिफिनने उपनिवेश-मन्त्री द्वारा हमें दिये गये आश्वासनपर जो संतोष प्रकट किया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सहानुभूति प्रकट करना ठीक है लेकिन कुछ कर के दिखाना उससे बहुत बढ़कर है।

सर मं० मे० भावनगरी:... जिस अध्यादेशकी शिकायत करनेके लिए प्रतिनिधि इतनी दूरसे आये हैं, यदि आपके प्रभावके कारण मन्त्रिमण्डल अथवा सम्राट्की सरकार उसपर अपना निषेधाधिकार प्रयुक्त करनेके लिए राजी हो गई, तो ठीक है। किन्तु यदि सम्राट्की सरकारको लगे कि उपनिवेशके कथित गोरोंके मनमें बसे हुए पूर्वग्रह और भारतीयोंके अधिकारमें ऐसी कोई खाई है जिसे उनके अथवा आपके प्रभाव द्वारा भरा नहीं जा सकता, तो मैं इस प्रार्थनाका समर्थन करूँगा कि सारे प्रश्नकी छानबीनके लिए एक आयोग नियुक्त किया जाये और वह सम्राट्की सरकारके सामने अपना निष्कर्ष रखे।... प्रतिनिधियों और साधारण रूपसे आफ्रिका तथा ट्रान्सवालमें रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंके लगभग सारे समाजकी ओरसे मुझे यह कहनेका अधिकार है कि वे ऐसे आयोगके निर्णयोंको मान्य करेंगे। उनका खयाल है कि ६, ८ अथवा १२ निष्पक्ष अंग्रेज राजनयिक एक साथ बैठकर ऐसी जबरदस्त शिकायतकी छानबीन करें, तो उसमें गलती नहीं हो सकती...।

सर हें० कॉटन:... दक्षिण आफ्रिकामें जो-कुछ हो रहा है उसे भारतके लोग बड़ी सावधानीसे देखते रहते हैं और महोदय, वे आपपर — जो उनके अधिकारों और स्वतन्त्रताके न्यासी हैं, वास्तवमें इस देशमें उनके एकमात्र संरक्षक हैं — भरोसा करते हैं। सच तो यह है कि यह देखना आपका काम है कि वे भूमण्डलके किसी भी भागमें क्यों न बसें, उनके साथ न्याय होना चाहिए...।

सर लेपेल ग्रिफिन: महोदय, मेरी समझमें इतना पर्याप्त है...। आखिरकार यह सिद्धान्तका प्रश्न है और सिद्धान्त छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सच कहें तो सरकारने चीनी

मजदूरोंके प्रश्नके समय इस बातपर इतना अधिक जोर दे दिया है कि यदि इस प्रश्नको वर्तमान लोकसभाके सम्मुख सारे तथ्यों-समेत सोच समझकर पेश किया गया, और यदि सदा एक-से व्यवहारका कोई अर्थ है, तो इसका उत्तर भी एक ही प्रकारसे दिया जा सकेगा।

श्री मॉर्ले: . . . मैं मानता हूँ कि इसमें कोई सन्देह नहीं और प्रत्येक व्यक्ति जिसे भारतका कुछ भी अनुभव है तथा जिससे मैंने इस विषयपर बात की है, यह मानता है कि इसका भारतके लोकमतपर स्वाभाविक रूपसे गम्भीर असर है और होना चाहिए। जो लोग दक्षिण आफ्रिका जाते हैं, वे आगे-पीछे वापस भी आते हैं और उस अपमानकी जगह-जगह चर्चा करते हैं जो उनको और उनके आत्मीयोंको सहना पड़ा है। यह अपने आपमें पूर्वग्रहोंको भड़कानेके लिए पर्याप्त है। अक्सर भारतवर्षके लोग — विचारशील लोग — अपने आपसे प्रश्न करते हैं कि क्या यह अभाव ब्रिटिश सरकारकी इच्छा-शक्ति अथवा बलका है कि वह अभी-अभी ब्रिटिश ताजके अधिकारमें आये हुए क्षेत्रोंमें लोगोंको ऐसी असुविधाओंके बीच अरक्षित छोड़ देती है। इस नव-अधिकृत क्षेत्रकी स्थितिकी विडम्बनाकी एकाधिक वक्ताओंने बात की है और मुझे सचमुच बड़ी खुशी हुई कि मेरे मित्र लॉर्ड स्टैनलेने श्री चेम्बरलेनका १९०१ का तार पढ़कर सुनाया और लॉर्ड लैन्सडाउनने युद्धके पहले या दूसरे हफ्तेमें शेफील्डमें जो प्रसिद्ध भाषण दिया था उसका उल्लेख किया गया है। श्री चेम्बरलेन — उनकी प्रशंसामें यह कहा ही जाना चाहिए — अपने उपनिवेश-कार्यालयके समस्त कार्यकालमें सदा इस प्रकारके अन्याय, अत्याचार और अपमानपूर्ण कार्रवाइयोंका पूरी शक्तिके साथ विरोध करते रहे . . .।

. . . मैं फिर कहता हूँ कि यह बड़ी विडम्बना है कि ब्रिटिश सरकारको जिन अधिनियमोंकी ओर पहले-पहल ध्यान देना पड़ा, उनमें एक ऐसा अध्यादेश है जो — हम कुछ भी क्यों न कहें — परिणामतः अन्य आचार-विचारोंके साथ मिलकर करोड़ों ब्रिटिश प्रजाजनोंपर निर्योग्यताका ठप्पा लगा देनेका काम करता है। (तालियाँ)

यद्यपि एक उत्तरदायी मन्त्री कदाचित् ही सिद्धान्तकी दुहाई पसन्द करता है, मुझे इस बातकी बड़ी प्रसन्नता है कि लॉर्ड स्टैनलेने निर्भीक होकर उसी कठिन और काँटों-भरे आधारको अपनाया है। यह बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमें यह स्मरण कराया है कि जिन सिद्धान्तोंका वे उल्लेख कर रहे हैं और जो आज लागू किये जा रहे हैं, वे तनिक पुराने हो गये हैं। किन्तु मैं उनके पालनके विषयमें पूरी तरह उनसे सहमत हूँ। (तालियाँ) किन्तु हम, कमसे-कम मैं एक जिम्मेदार पदपर हूँ और प्रश्न यह नहीं है कि यदि हमारे सामने एक कोरा कागज होता तो हम क्या करना चाहते, बल्कि यह है, जैसा कि लॉर्ड स्टैनलेने स्वीकार किया कि हमें मनमें अपने सिद्धान्तको रखना है और व्यावहारिक क्षेत्रमें उसे जितना अधिक लागू कर सकें, उतना लागू करना है।

किन्तु, तब, भारत-कार्यालयकी स्थिति क्या है? याद रखिए कि यह जिस विभाग और मन्त्रीसे सम्बन्धित है वह प्राथमिक, तात्कालिक तथा एक अर्थमें अन्तिम रूपसे भी, उपनिवेश-मन्त्री ही हैं। . . . सज्जनो, आयोगके मार्गमें मुझे एक जबर्दस्त कठिनाई दिखाई देती है और वह मैं आपके सामने रखता हूँ; वह यह है कि हमें ट्रान्सवालके लोगोंको मई तक उत्तरदायी शासन देनेकी आशा है। ऐसे आयोगकी नियुक्तिसे उपनिवेशके हाथमें

शासनकी बागडोर सौंपनेका प्रारम्भ करना बहुत ही असंगत होगा; क्योंकि अगर उस आयोगको कुछ करना है और यहाँ साम्राज्य सरकारपर कोई असर डालना है तो वह साम्राज्य सरकारको भावी नवसंगठित सत्तासे यह कहनेको बाध्य करेगा कि उसे विधि-निर्माणके कठिन और कंटकाकीर्ण क्षेत्रमें क्या करना है और क्या नहीं। श्री गांधी और श्री मं० मे० भावनगरीने जो-कुछ कहा है उसका मेरे पास केवल यही जवाब है। किसीने इस बातका उल्लेख भी किया कि आयोग इस प्रश्नको हल कर सकेगा। मैं बहुत वर्षों तक संसदमें रहा हूँ और मुझे याद नहीं आता कि किसी आयोगने कभी कोई सवाल हल किया है। इसलिए, मुझे इस सामान्य प्रस्तावपर और आजकी परिस्थितियोंमें आयोगके विचारपर भी आपत्ति है, क्योंकि ऐसा करनेसे आप उस नई सत्तासे तत्काल टकरा जायेंगे जिसे आपने बनाया है या जिसे आप बनाना चाहते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे उपनिवेशोंमें, जैसा ट्रान्सवाल बनने जा रहा है और जैसा नेटाल है, साम्राज्य सरकारकी स्थिति एक जबर्दस्त विरोधाभास है। इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। किन्तु बात ऐसी ही है। आपको वर्तमान पद्धति, जिसे साम्राज्यीय पद्धतिका गलत नाम दिया गया है, मंजूर करनी पड़ेगी। आपको इसे मंजूर करना है और इस सीधे तथ्यको स्वीकार करना है — आपको यह तथ्य स्वीकार करना ही चाहिए — कि हम इन उपनिवेशोंपर हुक्म नहीं चला सकते। हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? मैं आशा करता हूँ कि लॉर्ड एलगिनसे, मुझसे और कदाचित् अन्य मन्त्रियों और व्यक्तियोंसे मिलनेवाले इस शिष्टमण्डल जैसे अन्य दल इस कामको आगे बढ़ायेंगे। हम मामलेकी वकालत कर सकते हैं, उसके पक्षमें तर्क दे सकते हैं तथा उन सिद्धान्तोंपर जोर दे सकते हैं जिनका लॉर्ड स्टैनलेने उल्लेख किया है। हम यही-भर कर सकते हैं — चाहे आगामी वर्षमें होनेवाले उपनिवेशीय सम्मेलनमें, अथवा लॉर्ड सेल्बोर्नको भेजे जानेवाले खरीतोंमें। हम ट्रान्सवालके उत्तरदायी निकायोंपर ब्रिटिश लोकमत एवं प्रभावको कारगर बना सकते हैं, इतना ही हम कर सकते हैं।

सर लेपेल ग्रिफिनने इस बातपर ध्यान दिया था, जब उन्होंने यह कहा कि मैं बन्धनोंको खोल सकता हूँ या इन गाँठोंको मजबूत कर सकता हूँ, तो मैंने थोड़ा-सा ताज्जुब जाहिर किया था। आज ऐसा कोई भी वाइसराय जीवित नहीं है जिसने इन व्यवस्थाओंको, जिसके नये रूपके विषयमें आज आप लोग शिकायत कर रहे हैं, सुधारने और काफी शक्तिके साथ सुधारनेकी कोशिश न की हो। लॉर्ड लैन्सडाउन इनके विषयमें जो सोचते थे, सो आपने सुन ही लिया है। जब आप लॉर्ड एलगिनसे मिले तो उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने इस कार्यालय द्वारा अनेक खरीते उपनिवेश कार्यालयको भी भेजे। मेरी समझमें उनमें यही विरोध था। अन्तिम वाइसराय लॉर्ड कर्जनने बड़ा जबर्दस्त संघर्ष किया। (तालियाँ)। आज सुबह यह देखनेके लिए कि उन्होंने क्या कहा था या किया था, मैं उनके भाषण उलट रहा था। उनके एक भाषणमें — सातवें भाषणमें — जहाँतक मेरा खयाल है, १९०३ में नेटाल सरकारके साथ उन्होंने जो कोशिशें कीं, उनकी तफसील दी है। उन्होंने यह कहा है। चूँकि वह बहुत संक्षिप्त है, इसलिए मैं उसे पढ़नेकी धृष्टता करता हूँ। "हमने तीन पौंडी व्यक्ति-करको अन्ततः समाप्त करनेका प्रयत्न किया जो निवासकी अनुमतिके लिए हर व्यक्तिपर

लगाया जाता था; हमने व्यापारियोंको, वे चाहे कितने ही पुराने व्यापारी क्यों न हों, स्थानीय निकायों, जिन्हें व्यापारिक परवाने देनेसे इनकार करनेकी निरंकुश सत्ता थी, के हाथके नीचे रखनेवाले अधिनियमको संशोधित करानेका प्रयत्न किया; हमने भारतीयोंको एक अन्य अधिनियमसे भी मुक्त करानेका प्रयत्न किया जिसके अन्तर्गत वे बर्बर कौमोंके समकक्ष माने जाते थे; और मुक्त भारतीयों (अर्थात् ऐसे भारतीय जो अपनी गिरमिटिया मजदूरीकी अवधि पूरी करनेपर मुक्त हो चुके थे) को फौरन मुक्त करनेकी व्यवस्थाका प्रयत्न किया; इन्हें गैरकानूनी तौरपर अथवा कानूनी ढंगसे इस आधारपर गिरफ्तार किया जा सकता था कि वे गिरमिटिया कुली अथवा निषिद्ध प्रवासी हैं।" १९०३ में नेटालकी सरकारके साथ व्यवहार करनेमें लॉर्ड कर्जनका यह रुख था। नेटाल सरकारने इसपर क्या कहा? लॉर्ड कर्जन कहते हैं: "इसके उत्तरमें हमसे यह कहा गया कि इन शर्तोंके पक्षमें स्थानीय विधान-सभाकी स्वीकृति प्राप्त करनेकी कोई आशा नहीं है।" और पत्र-व्यवहार बन्द कर दिया गया। यह निःसन्देह बुद्धिमानीकी बात न होगी और मैं सोचता हूँ कि सर लेपेल ग्रिफिन मुझे (यदि मुझे अधिकार होता) इस तरहकी स्थितिमें पड़नेकी सलाह नहीं देंगे और न यह सलाह देंगे कि मैं लॉर्ड एलगिनको ऐसा पत्र लिखूँ जिसके कारण नई ट्रान्सवाल सरकारकी हद तक, जब वह बने वे अपने-आपको उसी स्थितिमें डाल लें जिस स्थितिमें प्रतिष्ठित नेटाल सरकारने लॉर्ड कर्जनको डाल दिया था . . .।

जैसा कि मुझे श्री गांधीसे मालूम हुआ — मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई और शायद थोड़ा ताज्जुब भी, किन्तु खुशी हुई ही — कि अब और कुछ समयसे भारतीयोंके प्रति ट्रान्सवालके गोरे उपनिवेशवासियोंकी भावना खराब नहीं है, बल्कि अन्य बातोंकी अपेक्षा कुछ अच्छी है।

श्री गांधी: भावना काफी खराब है, किन्तु वह टुटपुंजिये दूकानदारों तक सीमित है। झगड़ा-फिसाद करनेवाले और लोगोंके पूर्वग्रहको उभारनेवाले वे ही लोग हैं।

श्री मॉर्ले: मैं यह समझता हूँ, किन्तु आखिरकार हमें इस चीजकी ओर निष्पक्ष दृष्टिसे देखना चाहिए। यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है। यदि कोई छोटा गोरा दूकानदार लोगोंके पूर्वग्रहका लाभ उठाकर, अधिकारियोंपर प्रभाव डालकर अपने प्रबल प्रतिस्पर्धियोंको रास्तेसे हटा सके तो उसे बड़ी खुशी होगी; क्योंकि हम जानते हैं — यह कोई रहस्यकी बात नहीं है, यह केवल रंग-विद्वेष ही नहीं है, यह जातीय हीनतासे सम्बन्धित पूर्वग्रह भी नहीं है; क्योंकि यह कहना निरर्थक होगा; जबकि हम जानते हैं, कि विविध व्यवसाय आदि करते हुए ऐसे भारतीय ट्रान्सवालमें हैं जो हीन होनेके बजाय अनेक तत्वोंमें उन लोगोंसे अपेक्षाकृत बहुत ऊँचे हैं, जिनका ट्रान्सवालमें प्रवेश वर्जित नहीं है। (तालियाँ) . . .।

. . . यदि कोई परदेशी सत्ता हमारे सहप्रजाजनोंपर इस प्रकारकी निर्योग्यताएँ लादे, तो मैं सोचता हूँ कि विदेश-कार्यालय ऐसे कामको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार सिद्ध करनेके लिए कार्यवाही शुरू कर देगा। (तालियाँ)। यह एक कटु सत्य है, किन्तु हमें ऐसी बातोंका मुकाबला करना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ परिस्थितियोंमें हम परदेशी सत्ताओंका जिस प्रकार प्रभावपूर्ण विरोध कर सकते हैं, वैसा अपने आत्मीयोंका नहीं। (शर्म-शर्म)।

किन्तु यह कहकर मैं बातसे बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरा खयाल है कि लॉर्ड स्टैनलेने इस प्रकारकी बातोंकी कल्पनाका लोभ मुझमें जगा दिया था। अन्ततोगत्वा यदि मैं कुछ भला कर सकता हूँ, तो वह यही है कि यदि भारतकी कोई भावना हो, तो उसे पहुँचा देनेकी कोशिश करूँ। आप और वे निश्चिन्त रहें कि प्रसंग आनेपर इन सख्त और अप्रतिष्ठापूर्ण अपमानोंके विरुद्ध तीव्र सम्मति-प्रकाशन अथवा विरोधके तौरपर जो-कुछ किया जा सकता है, किया जायेगा और यह कार्यालय, उपनिवेश-कार्यालय जो आवेदन करना चाहेगा, उन्हें समर्थन देनेमें अथवा, सम्भव है, उनसे भी दो कदम आगे बढ़कर कुछ कहनेमें देरी नहीं लगायेगा। (तालियाँ)। मेरे जैसे पदपर आसीन कोई भी आदमी आपको वचन देनेसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और मैं पूरी ईमानदारीके साथ आपको वचन देता हूँ और आप सब लोगोंने जो सर्वसाधारण दृष्टिकोण इतनी योग्यताके साथ मेरे सामने रखा है, मैं उसे समझ गया हूँ और मैं न केवल उससे सहानुभूति रखता हूँ जिसका आज किसीने भाषणमें उल्लेख किया था, बल्कि मैं उसका जितना समर्थन कर सकता हूँ, उतना करता हूँ। (तालियाँ)।

सर लेपेल ग्रिफिन : . . . श्री मॉर्ले, मैं शिष्टमण्डलकी ओरसे हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने अत्यन्त सहानुभूति और स्नेहके साथ देर तक हमारी बातें सुनीं और उनका हमें उत्तर दिया।

इसके बाद शिष्टमण्डल चला आया।

[अंग्रेजीसे]

जर्नल ऑफ द ईस्ट इंडिया असोसिएशन, अप्रैल १९०७

२४०. पत्र : 'साउथ आफ्रिका' को

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २२, १९०६

सम्पादक
'साउथ आफ्रिका'
[लन्दन]

महोदय,

आपने ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर विचारके लिए अपने स्तम्भ खोलकर ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलको अत्यन्त अनुगृहीत किया है और, लॉर्ड मिलनरके शब्दोंमें केवल ऐसे विचारविमर्शसे ही हम किसी उचित समाधानके समीप पहुँच सकते हैं। किन्तु आपने अपनी टिप्पणीमें ब्रिटिश भारतीय समाजपर मताधिकार और ट्रान्सवालमें एशियाइयोंको भर देनेकी इच्छाका आरोप लगाकर उसके साथ न्याय नहीं किया है। क्या मैं यह कह सकता हूँ कि इस समाजने ट्रान्सवालमें राजनीतिक सत्ताकी या उसको ब्रिटिश भारतीयोंसे भर देनेकी इच्छा कभी नहीं की और इसी कारण उसने केप या नेटालके नमूनेका कानून मंजूर

किया है, जिससे (सिवा उन लोगोंके जिनको एक दर्जा हासिल है) ब्रिटिश भारतीयोंका आव्रजन रुक जाता है और उनका अपमान भी नहीं होता। समाजने सभी नये व्यापारिक परवानोंपर स्थानीय निकायों या नगरपालिकाओंके नियन्त्रणका सिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया है, बशर्ते कि सर्वोच्च न्यायालयमें अपीलका अधिकार रहे।

एशियाई अधिनियम-संशोधन अध्यादेशपर आपत्ति इसलिए नहीं की गई है कि उससे आव्रजनपर रोक लग जाती है, बल्कि इसलिए कि वह ट्रान्सवालके अधिवासी ब्रिटिश भारतीयोंकी सामान्य नागरिक स्वतन्त्रताका भी अवरोधक है। भारतीयोंके आव्रजनपर रोक वर्तमान अध्यादेशसे नहीं लगेगी; उस उद्देश्यको पूरा करनेके लिए तो, जैसा आपको विदित है, शान्ति-रक्षा अध्यादेशका दुरुपयोग किया गया है।

आप कहते हैं कि भारतीयोंके साथ दक्षिण आफ्रिकाके वतनियोंसे ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इस उक्तिपर कोई विवाद छेड़े बिना क्या मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उनके साथ वतनियोंसे ज्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ वतनी ट्रान्सवालके किसी भी भागमें भूसम्पत्तिके स्वामी हो सकते हैं, भारतीय इस अधिकारसे सर्वथा वंचित हैं।

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

साउथ आफ्रिका, २४-११-१९०६

२४१. पत्र: थियोडोर मॉरिसनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २२, १९०६

प्रिय श्री मॉरिसन,

साथमें एक कतरन भेज रहा हूँ। इसके चिह्नित अंश लॉर्ड सेल्बोर्नकी उक्तियाँ हैं। इनमें से एक युद्धके पहलेकी है और दूसरी अभी हालकी।

श्री लिटिलटनको लिखे हुए सर मंचरजीके पत्रकी प्रति भी निशान लगाकर भेज रहा हूँ।

आप देखेंगे कि लॉर्ड एलगिनको दिये गये आवेदनपत्रमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम केपके ढंगपर बननेवाले कानूनसे सन्तुष्ट हो जायेंगे। आपके पास आवेदनपत्रकी प्रति है ही। यदि जरूरत हुई तो मैं और भी प्रतियाँ भेज दूंगा। मुझे आशा है कि एशियाई अध्यादेशपर जो मूल आपत्ति है उसपर आपने ध्यान दिया होगा। आपत्ति यह है कि उसमें पहले-पहल रंग-भेदको स्थान दिया गया है और उसका अर्थ उपनिवेशीय परम्परासे विलग होना है। यदि पिछले वर्ष वतनी भूस्वामित्व विधेयक (नेटिव लैंड टेन्युअर बिल)पर निषेधाधिकारका प्रयोग करनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई थी, तो यह बात समझमें नहीं आती कि

अब इस अध्यादेशपर, जो वतनी भूस्वामित्व अध्यादेशकी अपेक्षा कई गुना खराब है, उसका उपयोग करनेमें कोई हिचकिचाहट क्यों होनी चाहिए।

आपका सच्चा,

संलग्न : [२]

श्री थियोडोर मॉरिसन
मारफत पूर्व भारत संघ
३, विक्टोरिया स्ट्रीट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६२८) से।

२४२. पत्र : कुमारी ए० एच० स्मिथको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २२, १९०६

प्रिय कुमारी स्मिथ,

मुझे आपका टेलीफोनपर दिया गया सन्देशा तो मिल गया था; किन्तु मैं रातको ९–१५ बजेके बाद ही उस सम्बन्धमें कुछ नहीं [उन्हींके शब्दोंमें] कर पाया। उस समय आपको टेलीफोन करना निरर्थक लगा इसलिए मैं अब आपको पत्र लिख रहा हूँ।

शिष्टमण्डलमें जो लोग उपस्थित थे उनकी एक सूची साथ भेज रहा हूँ। श्री मॉर्लेने शिष्टमण्डलसे बातचीत गुप्त रखनेका वचन लिया है, इसलिए मैं आपको प्रकाशनके लिए कुछ नहीं दे सकता। वे हम लोगोंसे बहुत अच्छी तरहसे मिले। श्री मॉर्लेका भाषण कहीं-कहीं बड़ा जोरदार था। लेकिन कुल मिलाकर उसका प्रभाव उत्साहवर्धक था, ऐसा मैं नहीं कह सकता। फिर भी हमें प्रतीक्षा करनी है।

श्री अली और मैं निश्चित रूपसे अगले महीनेकी पहली तारीखको रवाना हो जायेंगे।

आपका सच्चा,

कुमारी ए० एच० स्मिथ
५, विंचेस्टर रोड
हैम्पस्टेड

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६२९) से।

२४३. पत्र : एम० एन० डॉक्टरको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २२, १९०६

प्रिय श्री डॉक्टर,

क्या आप शनिवारको १० बजे आकर मुझसे मिलनेकी कृपा करेंगे?

आपका सच्चा,

श्री एम० एन० डॉक्टर
१०२, ह्वार्टन रोड, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६३०) से।

२४४. पत्र : कुमारी ई० जे० बेकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २२, १९०६

प्रिय महोदया,

मुझे पत्रिकामें विज्ञापित वह पुस्तक भेजनेकी कृपा करें जिसमें शिक्षणके लिए इंग्लैंड आनेवाले भारतीय तरुणोंको हिदायतें हैं। इसके लिए मैं आपका आभार मानूंगा।

आपका विश्वस्त,

कुमारी ई० जे० बेक
२३३, ऐल्बियन रोड
स्टोक न्यूइंगटन, एन०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६३१) से ।

२४५. शिष्टमण्डलकी टीपें — ३

होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर २३, १९०६

शिष्टमण्डलके लिए यह अन्तिम सप्ताह है। आशा तो यह थी कि हम २४ नवम्बरको निकल जायेंगे। लेकिन समितिका काम पूरा करने तथा श्री मॉर्लेसे मिलनेके बाद जो कुछ करना होगा उसके लिए रुकना कर्त्तव्य हो गया है। हमने अब पहली दिसम्बरको चलनेका निर्णय किया है।

सहायताके और भी वचन

इस सप्ताह लॉर्ड मिलनर, श्री लिटिलटन, लॉर्ड रे, सर रेमंड वेस्ट आदि महानुभावोंसे मुलाकात हुई है। सभी बहुत सहानुभूति बताते हैं और मेहनत करनेका वचन भी देते हैं। इस सबका परिणाम क्या होगा, कहा नहीं जा सकता।

भारत-मन्त्रीसे भेंट

शिष्टमण्डल भारत-मन्त्रीसे कल, यानी गुरुवारको, १२–२० पर मिला। उसमें सर लेपेल ग्रिफिन, लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐल्डर्ले, सर चार्ल्स डिल्क, सर चार्ल्स श्वान, सर विलियम वेडरबर्न, सर हेनरी कॉटन, सर मंचरजी भावनगरी, डॉ० रदरफोर्ड, श्री हैरॉल्ड कॉक्स, श्री ए० एच० स्कॉट, श्री लिच, श्री एफ़० एच० ब्राउन, श्री जे० डी० रीज़, डॉक्टर थॉर्नटन, श्री अरायून, श्री दादाभाई नौरोजी, श्री टी० जे० बेनेट, श्री थियोडोर मॉरिसन तथा श्री रिच उपस्थित थे। श्री अमीर अली अस्वस्थ हो जानेके कारण नहीं आ सके।

सर लेपेल ग्रिफिन, लॉर्ड स्टैनले, श्री कॉक्स तथा सर मंचरजी खूब बोले। लॉर्ड स्टैनलेने तो हद कर दी। उन्होंने मीठे शब्दोंके बदले मीठे कामोंकी माँग की। श्री अली और श्री गांधीने[1], जो कहना था, कहा।

श्री मॉर्लेका भाषण

श्री मॉर्लेने लम्बा जवाब दिया। उसमें उन्होंने कहा :

शिष्टमण्डलसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। क्योंकि, जिस देशके लिए मैं संसदके समक्ष उत्तरदायी हूँ, उस देशकी सम्पूर्ण स्थिति जानना चाहता हूँ। मेरे सामने जो प्रश्न पेश हुआ है उसका भारतके मिश्रतापूर्ण राज्य-कारोबारसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी स्थितिसे भारतके लोगोंकी भावनाएँ उभड़ती हैं, यह बहुत ही गम्भीर बात है। दक्षिण आफ्रिकासे भारत लौटनेवाले भारतीय अपनेपर बीते जुल्मोंकी बातें साथ ले जाते हैं, जिससे लोगोंमें बड़ी खलबली मचती है। भारतमें लोग मानते होंगे कि दक्षिण आफ्रिकामें जो जुल्म हो रहे हैं उन्हें या तो सरकार रोकना नहीं चाहती,

१. गांधीजी अपने गुजराती संवादपत्रोंमें प्राय: प्रथम पुरुषवाचक सर्वनामसे या नामनिर्देश करके अपना उल्लेख करते हैं।

या उसके पास सत्ता नहीं है। दोनों बातोंमें नुकसान है। मैं मानता हूँ कि १९०१ में श्री चेम्बरलेनने भारतीयोंके लिए जो संघर्ष किया था उसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। इस नई सरकारके सामने जो पहली हकीकत आई है सो यह है कि उपनिवेशमें भारतीयोंपर काले लोग होनेका ठप्पा लगा दिया जाता है। यदि सत्ताधारियोंसे नीतिकी बातें की जायें तो वे उन्हें अरुचिकर लगती हैं। लेकिन लॉर्ड स्टैनलेने जो नीतिकी बातें कही हैं उससे मुझे खुशी हुई है। कोई-कोई लॉर्ड स्टैनलेकी नीतिकी बातोंको बूढ़ेकी सीख मानते होंगे। मैं वैसा नहीं मानता। लेकिन दुर्भाग्यसे हमें कोरे कागजपर लिखना मुयस्सर नहीं है। हमें वास्तविकताको समझना चाहिए और फिर, जहाँतक हो सके, नीतियुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए अब भारत मन्त्रालय क्या कर सकता है, यह देखेंगे। सर लैपेल ग्रिफिनने स्वीकार किया है कि मुख्य सत्ता तो लॉर्ड एलगिनके हाथमें है। सर मंचरजी मुझसे कहते हैं कि मुझे आयोगकी माँग करनी चाहिए, परन्तु कठिनाई यह आती है कि मई महीनेमें उत्तरदायी शासन मिल जायेगा। तब यदि नई सरकार और आयोगकी सिफारिशोंमें विरोध पैदा हो जाये तो बहुत ही गम्भीर बात होगी। आयोग द्वारा इस विवादका कभी अन्त भी होगा, यह मैं नहीं मानता। मैं संसदमें कई वर्ष रहा हूँ। लेकिन मुझे एक भी ऐसा प्रसंग याद नहीं आता जिसका निबटारा आयोगके द्वारा हुआ हो। नई सरकारके स्थापित होते ही उसके साथ झगड़ेका मौका आ जानेकी सम्भावना है। सच तो यह है कि हम स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशको हुक्म नहीं दे सकते। हम विनती कर सकते हैं, दलील कर सकते हैं, हमारी नीति कायम रखे, इसके लिए उसपर दबाव डाल सकते हैं। औपनिवेशिक सम्मेलनमें या खरीतोंमें बेशक लॉर्ड एलगिन सख्त दलीलें और बातें करेंगे। हर वाइसरायने इस सम्बन्धमें लिखा-पढ़ी की है। लॉर्ड कर्ज़नने बहुत ही सख्त लिखा था। उन्होंने नेटालके बारेमें बहुत-से विचार जाहिर किये हैं। लेकिन नेटालने लॉर्ड कर्ज़नकी बात नहीं मानी। अब ट्रान्सवाल सुनता है या नहीं, यह देखना है। ट्रान्सवालमें भारतीयोंके विरुद्ध ज्यादा गोरे नहीं हैं, यह जानकर मुझे खुशी होती है। छोटे गोरे व्यापारी यदि विरोध करते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। यदि [पहलेसे आकर बसा हुआ] कोई भारतीय भी [नये आनेवालेसे] विरोध करे तो वह भी समझा जा सकता है।[1] लेकिन मेरी समझमें यह तो नहीं आता कि सम्पूर्ण गोरा समाज काली चमड़ीका विरोध करता है। मैं जानता हूँ कि ट्रान्सवालमें गोरोंसे ऊँचे स्तरके [भारतीय] लोग बहुत हैं। उनपर जुल्म कैसे किया जा सकता है? भारतीयोंपर गुजरते हुए दुःखोंसे जैसे लॉर्ड लैन्सडाउनके दिलको चोट लगती थी, वैसे ही मेरा भी खून खौलता है। लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि जितने जोरसे हम विदेशी राज्यसे बात कर सकते हैं उतने जोरसे उपनिवेशसे नहीं कर सकते। परन्तु यहाँ भावावेशमें मैं लॉर्ड स्टैनलेसे आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे केवल इतना ही कहना है कि मुझसे जितनी भी बनी, उतनी मदद करना मेरा फर्ज है। सख्त पत्र-व्यवहार जितना किया जा सकता है उतना करनेमें भारत मन्त्रालय कभी नहीं चूकेगा। इतना तो विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मैं उपनिवेश कार्यालयका पूरा समर्थन करनेमें ही नहीं, बल्कि उससे आगे जानेमें भी नहीं चूकूँगा।

१. श्री मॉर्लेके भाषणके दफ्तरी विवरणमें यह कथन नहीं मिलता। देखिए पृष्ठ २२८-३१।

अन्य मुलाकातें और सहानुभूतियाँ

इस प्रकार श्री मॉर्लेने सख्त भाषण किया। फिर भी मैं अभी यह आशा नहीं कर सकता कि अध्यादेश नामंजूर कर दिया जायेगा। मालूम होता है कि ट्रान्सवालसे सख्त पत्र आये हैं। यह भी दिखाई देता है कि यहाँके राज्यकर्ता मन-ही-मन मानते हैं कि हम हलके दर्जेकी प्रजा हैं, इसलिए हमपर जितना भी बोझ लादा जा सकता हो, उतना लादनेमें कोई हर्ज नहीं। आज हम श्री लिटिलटनसे मिले तथा बम्बईके भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश सर रेमंड वेस्टसे[1] भी मिले। उनका विचार भी वैसा ही दिखाई देता है। उनकी भावना अच्छी है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि जितना जोर गोरे रखते हैं, उतना जोर जबतक हम नहीं रखेंगे, तबतक हमारी सुनवाई नहीं होगी। उपनिवेशसे वे डरते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वे गोरे हैं, बल्कि यह है कि वे समर्थ हैं। यदि यह विचार ठीक हो तो हमें समझना चाहिए कि हमारा उद्धार हमारे ही हाथ होगा।

हमारी मुक्ति

इसी विचारके सिलसिलेमें कुमारी मिलनका किस्सा कह देना ठीक होगा। कुमारी मिलन स्त्रियोंके लिए मताधिकार चाहनेवाली महिलाओंमें से एक हैं। उन्होंने संसद भवनमें भाषण देना शुरू किया। पुलिसने रोका। फिर भी उन्होंने भाषण जारी रखा। उन्हें गिरफ्तार कर उनपर मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीशने उन्हें १०शि० का जुर्माना या सात दिनकी कैदकी सज़ा दी। उन वीर महिलाने जुर्माना न देकर जेल जाना मंजूर किया।

इंग्लैंडसे यह हमारा अन्तिम पत्र होगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि यह मानकर कि कानून स्वीकार हो ही जायेगा, ट्रान्सवालके प्रत्येक भारतीयको कुमारी मिलनके समान ही जेल जाना मंजूर करना चाहिए। चौथे प्रस्तावमें भारतीयोंको गुलामीसे मुक्त करनेकी कुंजी है, इसमें मुझे कतई शक नहीं। और यदि इस प्रस्तावपर अमल होता है, तो कानून स्वीकार होता है या नहीं, इसकी मुझे जरा भी चिन्ता नहीं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-१२-१९०६

१. (१८३२-१९१२); न्यायज्ञ, बंबई विश्वविद्यालयके उपकुलपति तथा भारतको कृषि विषयक ऋण-सुविधाओंके पुरस्कर्ता।

२४६. पत्र: जॉन मॉर्लेके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २३, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय जॉन मॉर्ले
महामहिमके मुख्य भारत-मन्त्री
भारत-कार्यालय
डाउनिंग स्ट्रीट, डब्ल्यू०

प्रिय महोदय,

कल श्री जॉन मॉर्लेसे मिलनेवाले शिष्टमण्डलकी कार्यवाहीका एक कथित विवरण मैंने 'टाइम्स' में देखा है। मेरे पास कल अनेक संवाददाता आये थे और मैंने उनसे कहा कि कार्यवाही खानगी रहेगी, जिसकी सूचना 'डेलीमेल' और 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित भी हो चुकी है। मैं नहीं जानता कि यह विवरण 'टाइम्स' ने किस प्रकार पा लिया। यदि आप कृपापूर्वक मुझे यह जानकारी दें कि श्री मॉर्ले इस बातकी जाँच करेंगे या नहीं कि यह विवरण 'टाइम्स' में कैसे प्रकाशित हुआ तो मैं बहुत आभार मानूँगा।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६३३) से।

२४७. पत्र: डॉ० जोसिया ओल्डफील्डको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २३, १९०६

प्रिय ओल्डफील्ड,

कृपया पता लगाइए कि श्री अलीका पारसल भेजा जा चुका है या नहीं। कुमारी रोजेनबर्ग तो उसे लाई ही नहीं है। श्री अलीके नाम जो बकाया है वह भी मुझे सूचित करनेकी कृपा करें।

जब आपने जाँच की थी तबसे मेरे दाँत और ज्यादा हिलते हैं; फिर भी मुझे लगता है कि मैं अस्पतालमें दाँतका या नाकका ऑपरेशन नहीं करा सकूँगा।

आपका सच्चा,

डॉ० जोसिया ओल्डफील्ड
लेडी मार्गरेट अस्पताल
ब्रॉमले
केंट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६३४) से।

२४८. पत्र : लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको[1]

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २४, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय लॉर्ड एलगिन
महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री
डाउनिंग स्ट्रीट

प्रिय महोदय,

सर हेनरी कॉटनके प्रश्नके[2] उत्तरमें फ्रीडडॉर्प बाड़ा-अध्यादेश (फ्रीडडॉर्प स्टैंड्स ऑर्डिनेन्स) की बाबत श्री चर्चिलका जवाब मैंने देखा। मेरी नम्र सम्मतिमें यह उत्तर वास्तविक स्थितिकी गलत जानकारीपर आधारित है।

फ्रीडडॉर्प गरीब डच नागरिकोंको व्यक्तिगत निवासके लिए दिया गया था; किन्तु इस कार्रवाईके साथ ही उनके अलावा अन्य लोगोंने भी, जाति या रंगके किसी भेदके बिना, वहाँ कब्जा कर लिया था। उदाहरणके लिए, बोअर सरकारकी जानकारीमें ही बहुत-से डचेतर गोरोंने उन लोगोंसे, जिन्हें मूलतः स्थान दिया गया था, फ्रीडडॉर्पमें बाड़ोंका कब्जा ले लिया था।

१. यह पत्र सर हेनरी कॉटनके प्रश्न और श्री चर्चिलके उत्तर (पा० टि० २ नीचे) सहित २२-१२-१९०६ के 'इंडियन ओपिनियन' में उद्धृत किया गया था।

२. नवम्बर २२, १९०६ को सर हेनरी कॉटनने लोकसभामें उपनिवेश-उपमंत्रीसे पूछा कि क्या आपका ध्यान १९०६ के फ्रीडडॉर्प बाड़ा-अध्यादेशके दूसरे खण्डकी धारा ५, ८ और ९ की ओर गया है; जिसके अन्तर्गत घरेलू नौकरोंके अलावा सभी भारतीयोंके लिए उस क्षेत्रमें रहना वर्जित है जो इससे प्रभावित होता है। उन्होंने यह भी पूछा कि इस बातको देखते हुए, कि सम्राट्की स्वीकृतिके बिना अध्यादेश लागू नहीं हो सकता और ब्रिटिश -भारतीयोंको बोअर और वर्तमान दोनों सरकारोंके अधीन वर्षोंसे यह अधिकार प्राप्त रहा है कि वे फ्रीडडॉर्पके नागरिकोंसे प्राप्त सनदोंके अन्तर्गत उस क्षेत्रमें जमीनपर कब्जा कर सकते हैं तथा अब भी उस क्षेत्रमें निवास कर रहे हैं और वहाँ उन्होंने पक्के ढाँचे खड़े कर लिये हैं, क्या उपनिवेश-मन्त्री महोदय महामहिमको अध्यादेश अस्वीकृत कर देनेकी सलाह देंगे?

श्री चर्चिल: उन धाराओंकी ओर मेरा ध्यान गया है। यह जमीन मूलतः गरीब नागरिकोंको, यानी केवल गोरे लोगोंको, दी गई थी और सो भी व्यक्तिगत अधिवासकी शर्तपर। अतः, अध्यादेश इस क्षेत्रके हमारे राज्यमें मिलाये जानेसे पहलेकी कानूनी शर्तोंको स्थायित्व-भर प्रदान करता है। उन शर्तोंको, मुझे मालूम हुआ है, कुछ भारतीयोंने तोड़कर कुछ बाड़ोंपर कब्जा कर लिया है, और टीनकी झोपड़ियाँ खड़ी कर ली हैं। मैं यह कह दूँ कि गोरे और रंगदार लोगोंके आवास अलग-अलग रखना बहुत अपेक्षित है, क्योंकि यूरोपीय, एशियाई और वतनी परिवारोंको साथ-साथ मिश्रित समुदायके रूपमें रखनेका प्रचलन अनेक बुराइयोंसे भरा हुआ है और, लॉर्ड सेल्बोर्नके शब्दोंमें, यह तीनोंके सामाजिक हितके लिए घातक है। फिर भी, पूरा प्रश्न अभीतक विचाराधीन है।

अध्यादेश इस इलाकेके मिलाये जानेसे पहलेकी कानूनी शर्तोंको स्थायी नहीं करता; क्योंकि कब्जेसे पहलेकी कानूनी स्थिति यह थी कि जिन्हें वह जमीन दी गई थी, उन्हें केवल रिहायशी अधिकार प्राप्त था। अब अध्यादेश उन्हें स्थायी स्वामित्व प्रदान करता है और कब्जेदारोंको यह अधिकार देता है कि वे एशियाइयोंको छोड़कर चाहे जिसके नाम अपना पट्टा बदल सकते हैं। इस तरह व्यक्तिगत कब्जेकी कानूनी शर्तें अब परिवर्तनीय पट्टोंके रूपमें बदली जा रही है।

मैं इस वक्तव्यका विरोध करनेकी धृष्टता करता हूँ कि फ्रीडडॉर्पमें भारतीयोंने कानूनी शर्तोंको तोड़कर अधिकार ले लिये थे। गरीब डच नागरिकोंके अलावा अन्य लोगोंने जिस तरह वहाँ कब्जा किया उसी तरह भारतीयोंने भी किया। यह भी सही नहीं है कि फ्रीडडॉर्पमें भारतीयोंने झोपड़ियाँ बना रखी हैं। मेरी नम्र सम्मतिमें अगर सब मिलाकर देखा जाये तो जिन्हें झोपड़ियाँ कहा गया है वे फ्रीडडॉर्पकी कितनी ही इमारतोंसे बेहतर हैं।

यदि गोरों और रंगदार लोगोंके निवासोंको अलग-अलग रखनेका सिद्धान्त उचित माना जाये तो मुझे भय है कि अगर ब्रिटिश भारतीयोंमें थोड़ा भी आत्माभिमान हुआ तो उनके ट्रान्सवाल-निवासका सर्वथा अन्त हो जायेगा। ऐसे सिद्धान्तका तर्कसंगत परिणाम ऐसी पृथक् बस्तियोंकी पद्धतिके रूपमें निष्पन्न होगा जो सैकड़ों इज्जतदार और कानूनपर चलनेवाले भारतीयोंके विनाशका कारण बनेगा।

भारतीय मामलोंके सम्बन्धमें लॉर्ड महोदयके सामने जैसी गलत जानकारी पेश की गई है वह भयावह है। और यह बड़े ही दुःखकी बात है कि जो कानून किसी भी हालतमें न्यायोचित नहीं कहा जा सकता, वह भ्रामक और गलत वक्तव्योंके आधारपर उचित ठहराया जाता है।

उपर्युक्त विचार प्रकट करनेकी धृष्टता करते हुए हमारा मंशा लॉर्ड सेल्बोर्नपर दोष लगानेका नहीं है, बल्कि हम विनयपूर्वक यह निवेदन करना चाहते हैं कि स्वयं लॉर्ड सेल्बोर्नको भ्रामक जानकारी दी जाती है। यह दुःखद बात उन लोगोंके सामने स्पष्ट है जो मौकेपर उपस्थित हैं और जिन्हें प्रशासनका भीतरी हाल मालूम है।

आपका आज्ञाकारी सेवक

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६३५) से।

२४९. पत्र : क्लॉड हेको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २४, १९०६

प्रिय महोदय,

मैं पत्रके साथ सर मंचरजी द्वारा दिया गया एक परिचयपत्र संलग्न कर रहा हूँ जो अपने आपमें स्पष्ट है।

चूंकि मेरे सह-प्रतिनिधि श्री अलीको और मुझे अगले शनिवारको ट्रान्सवालके लिए रवाना हो जाना है, इसलिए पहलेसे भेंटका समय निश्चित करानेके बजाय मैं आपकी सेवामें संलग्न पत्र भेजने और यह निवेदन करनेकी धृष्टता करता हूँ कि श्री अली और मैं अगले सोमवारको २-४५ पर लोकसभामें अपने कार्ड भेजकर आपसे मिलनेकी कोशिश करेंगे। किन्तु यदि हम आपसे मिलनेमें सफल न हो सके, तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे कामके प्रति अपनी सहानुभूतिके सम्बन्धमें अनुकूल उत्तर और दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिमें सम्मिलित होनेकी स्वीकृति भेजनेकी कृपा करें।

कदाचित् आप जानते होंगे कि हम सभी दलोंसे प्रार्थना कर रहे हैं और हमें उनसे समर्थन भी मिला है।

साथमें 'टाइम्स' की एक कतरन भेज रहा हूँ, जिसमें श्री मॉर्लेके साथ हुई भेंटका विवरण दिया गया है। इससे ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जायेगी।

मैं ऐसे ही पत्र सर एडवर्ड सैसून, मेजर सर इवान्स गॉर्डन और सर विलियम वुलको भेज रहा हूँ।

आपका विश्वस्त,

संलग्न

माननीय क्लॉड हे, संसद-सदस्य
लोकसभा
वेस्टमिन्स्टर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६३७) से।

२५०. पत्र : लॉर्ड रेको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २४, १९०६

महानुभाव,

कल आपने श्री अलीको और मुझे जो बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण भेंट दी, उसके लिए हम आपके अत्यन्त आभारी हैं।

मैं इसके साथ दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिके संविधानके मसविदेकी प्रति भेज रहा हूँ। मसविदेमें जिनके नाम दिये गये हैं उन्होंने समितिमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया है। आपने कल जिन महानुभावका नाम लिया था हम उनसे भी निवेदन कर रहे हैं।

यदि आप समितिकी अध्यक्षता स्वीकार कर सकें, तो दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय समाज आपका बहुत आभारी होगा।

संविधानका मसविदा छपवाया जा रहा है और जो सदस्य बन चुके हैं उनकी स्वीकृतिके लिए वह उनके पास भेजा जायेगा। इसलिए क्या आप कृपापूर्वक मुझे यह सूचित करेंगे कि हम आपका नाम समितिके अध्यक्षके स्थानपर रख सकते हैं या नहीं?

आपने कृतज्ञता-ज्ञापनके लिए आयोजित जिस जलपानमें कृपापूर्वक आनेकी सम्मति दे दी है, वह अगले गुरुवारको होटल सेसिलमें सवेरे १०-३० पर होगा।

जलपानके शीघ्र बाद ही समितिके सदस्योंकी एक छोटी-सी बैठक होगी जिसमें सुझावोंका पारस्परिक आदान-प्रदान होगा और समितिका उद्घाटन किया जायेगा।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

सेवामें
परममाननीय लॉर्ड रे
६, ग्रेट स्टैनहोप स्ट्रीट
पार्क लेन, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६३८) से।

[संलग्न][1]

अस्थायी मसविदा

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति

(नवम्बर १९०६)

अध्यक्ष :

उपाध्यक्ष :

सर लेपेल ग्रिफिन, के० सी० एस० आई०

समितिके सदस्य :

श्री अमीर अली, सी० आई० ई०; श्री टी० जे० वेनेट०, सी० आई० ई०; सर मंचरजी भावनगरी, के० सी० आई० ई०; सर जॉर्ज वर्डवुड, के० सी० आई० ई०, सी० एस० आई०; श्री हैरॉल्ड कॉक्स, संसद-सदस्य; सर विलियम मार्कबी, के० सी० एस० आई०; श्री थियोडोर मॉरिसन; श्री दादाभाई नौरोजी; श्री जे० एच० एल० पोलक, जे० पी०; श्री जे० डी० रीज़, संसद-सदस्य; श्री एल० डब्ल्यू० रिच; श्री जे० एम० रॉबर्ट्सन, संसद-सदस्य; डॉ० रदरफोर्ड, संसद-सदस्य; सर चार्ल्स श्वान, बैरोनेट, संसद-सदस्य; श्री ए० एच० स्कॉट, संसद-सदस्य; सर विलियम वेडरबर्न, बैरोनेट; सर रेमंड वेस्ट, के० सी० एस० आई०

उपसमिति

अध्यक्ष : सर मंचरजी भावनगरी, के० सी० आई० ई०

सदस्य : श्री अमीर अली, सी० आई० ई०; श्री हैरॉल्ड कॉक्स, संसद-सदस्य; श्री जे० एच० एल० पोलक, जे० पी०; श्री जे० डी० रीज़, संसद-सदस्य; श्री जे० एम० रॉबर्ट्सन, संसद-सदस्य; श्री ए० एच० स्कॉट, संसद-सदस्य

मन्त्री : श्री एल० डब्ल्यू० रिच

अवैतनिक सालिसिटर

बैंकर : नेटाल बैंक लिमिटेड

कार्यालय : २८, क्वीन ऐन्स चेम्बर्स, ब्रॉडवे, वेस्टमिन्स्टर, डब्ल्यू०

संविधान

नाम

इस समितिका नाम दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति होगा।

उद्देश्य

इस समितिकी स्थापना इन उद्देश्योंसे की गई है :

(क) दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय प्रवासियोंको उचित और न्याय्य व्यवहार दिलानेके लिए जो हितैषीजन अबतक संसदमें तथा अन्य तरीकोंसे प्रयत्न करते रहे हैं उनके प्रयत्नोंको बल देना और जारी रखना;

(ख) और इस समस्याका उचित समाधान प्राप्त करनेमें साम्राज्य-सरकारको सहायता देना।

[1] बादमें संविधानके मसविदेकी प्रतियाँ सूचीमें उल्लिखित सज्जनोंको भेजी गई थीं।

नियम

१. समितिकी सदस्यताके लिए कोई चन्दा नहीं होगा; और समितिके नामपर किये गये किसी खर्चके लिए सदस्य व्यक्तिगत रूपसे उत्तरदायी नहीं होंगे।

२. समितिमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे।

३. इसकी एक उपसमिति होगी जिसमें अध्यक्ष और मन्त्रीके अतिरिक्त छ:से अधिक सदस्य न होंगे। अध्यक्ष और मन्त्री पदेन इस समितिके सदस्य होंगे।

४. समितिकी बैठक हर सप्ताह .... को .... में होगी।

५. गणपूर्ति (कोरम) के लिए .... सदस्योंकी उपस्थिति आवश्यक होगी।

६. उपर्युक्त नियमोंमें जिन मामलोंके सम्बन्धमें व्यवस्था नहीं है, उसके साथ सभाओंके सामान्य नियम लागू होंगे।

७. उक्त नियम उपसमितिकी इच्छासे बदले जा सकते हैं।

टाइप किये हुए अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ४५७६ और ४५७६/२) से।

२५१. पत्र : डॉ० जोसिया ओल्डफील्डको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २४, १९०६

प्रिय ओल्डफील्ड,

आपके पत्रके लिए अनेक धन्यवाद। अगर आप होटलमें ऑपरेशन कर सकें और फिर सारा दिन मुझे कमरेमें बन्द न रहना पड़े अथवा अगर आप शामको ८ बजेके बाद किसी भी समय ऑपरेशन कर सकें ताकि मैं दूसरे दिनका काम करनेके लिए मुक्त हो सकूं तो मैं ऑपरेशन करा लूंगा और बड़ी राहत महसूस करूंगा। क्या आप मंगलवारको पाँच बजे या पौने पाँच बजे ही होटलमें आ सकेंगे? ४ बजेके बाद मेरा 'डेली न्यूज' के दफ्तरमें जाना[1] तय है। वहाँसे छूटते ही मैं होटल आ जाऊँगा। आप कमरा नं० २५६ में आकर मेरी राह देखें। अगर मुझे आनेमें पाँचसे भी अधिक बज जायें और यदि आप मेरे साथ चाय ले सकें और उसके बाद ऑपरेशन करें, या जो चाहें सो करें, तो मैं सारी शाम खाली रखनेकी कोशिश करूँगा। आप जो कुछ तय करें, पहले ही सूचित कर देनेकी कृपा करें।

श्री सिमंड्सकी बाबत १ पौंड १ शिलिंगका चेक संलग्न कर रहा हूँ।

आपका हृदयसे,

[संलग्न]

डॉ० जे० ओल्डफील्ड
लेडी मार्गरेट अस्पताल
ब्रॉमले
केंट

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६३९) से।

१. डेलीन्यूज़के सम्पादक श्री गार्डिनरसे मिलने; देखिए "शिष्टमण्डलकी टीपें—४ पृष्ठ २७४।

२५२. पत्र: जॉन मॉर्लेके निजी सचिवको

[हॉटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २४, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परममाननीय जॉन मॉर्ले
भारत-मन्त्री
डाउनिंग स्ट्रीट

महोदय,

यदि आप श्री मॉर्लेका ध्यान निम्नलिखित बातोंकी ओर आकर्षित कर सकें तो हम आभारी होंगे।

कल श्री मॉर्लेने जो-कुछ कहा उससे ऐसा जान पड़ता है कि परममाननीय महोदयका विश्वास है कि ट्रान्सवालसे प्रेषित भारतीय 'प्रार्थनापत्र' में अध्यादेशको स्वीकार किया गया है, किन्तु बात ऐसी नहीं है। लॉर्ड एलगिनको प्रतिनिधियोंने जो विस्तृत उत्तर[1] दिया है उससे यह बात स्पष्ट हो जायेगी। हम उसकी एक प्रति संलग्न कर रहे हैं।

साम्राज्यीय आयोगके विषयमें प्रतिनिधियोंने यह प्रार्थना की है कि एक आयोग, बल्कि कहिए कि एक समिति — जो स्थानीय भले ही हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालयके जज या जोहानिसबर्गके मुख्य न्यायाधीश जैसे निष्पक्ष सज्जन उसमें हों — भारतीय समाजपर लगाये गये उन आरोपोंकी जाँचके लिए कायम की जाये जिनको अध्यादेश बनानेका कारण बताया गया है। हमारी नम्र रायमें ऐसी समिति अपनी जाँचका नतीजा अपने संगठनके समयसे एक महीनेके भीतर प्रस्तुत कर सकती है। प्रतिनिधि नम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि जबतक उक्त समिति अथवा आयोगकी जाँचका फल प्रकाशित न हो जाये तबतक, जिस तरह वतनी भूमि-सुधार अध्यादेशपर निषेधाधिकारका उपयोग किया गया था, वैसे निषेधाधिकारका उपयोग किया जाये अथवा शाही मंजूरीको स्थगित रखा जाये।

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय वहाँ रहनेवाली भारतीय जनताकी पूरी सुरक्षाकी माँग करते हैं; और हमारी नम्र रायमें उपनिवेशके लोगोंकी भावनाके बावजूद उन्हें सुरक्षाका आश्वासन मिलना चाहिए।

आपके आज्ञाकारी सेवक,

[संलग्न]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६४०) से।

१. देखिए "पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको", पृष्ठ २०७-१३।

२५३. पत्र : सर विलियम मार्कबीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २६, १९०६

प्रिय महोदय,

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिमें सम्मिलित होनेकी आपकी स्वीकृतिके लिए श्री अली और मैं अत्यन्त आभारी हैं।

आपको समितिके विधानका मसविदा और जलपानका निमन्त्रणपत्र अलग-अलग लिफाफोंमें भेजे जा रहे हैं। यदि आपने कहीं आनेका कष्ट किया तो कहनेकी आवश्यकता नहीं कि हम आपके बड़े कृतज्ञ होंगे। विधानके बारेमें कोई भी सुझाव मूल्यवान होगा।

आपका विश्वस्त,

सर विलियम मार्कबी
हेडिंगटन हिल
ऑक्सफोर्ड

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६४१) से।

२५४. पत्र : थियोडोर मॉरिसनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २६, १९०६

प्रिय श्री मॉरिसन,

आशा है, आप बृहस्पतिवारके जलपानके लिए समय निकाल सकेंगे। इसके लिए आपके पास निमन्त्रणपत्र भेजा जा चुका है।

'आउटलुक'में मैंने वह लेख देखा है। पूराका-पूरा लेख मिथ्या धारणाओं और वास्तविक स्थितिकी गलत जानकारीपर आधारित है। मैं नहीं जानता कि इस बारेमें आप भी ऐसा ही सोचते हैं या नहीं। यदि समय मिला, तो इसका जवाब भेजूँगा।

आपका विश्वस्त,

श्री थियोडोर मॉरिसन
ऐशले
वेब्रिज

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६४२) से।

२५५. पत्र: सर डब्ल्यू० इवान्स गॉर्डनको[1]

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २६, १९०६

प्रिय महोदय,

आपके इसी २६ तारीखके पत्रके लिए श्री अली और मैं आपके बहुत आभारी हैं। हमने अलग-अलग लिफाफेमें आपको जलपानका निमन्त्रण और समितिके विधानका मसविदा भेजा है। हमें आशा है, आप जलपानमें शामिल होनेके लिए समय निकाल सकेंगे।

आपका विश्वस्त,

मेजर सर डब्ल्यू० इवान्स गॉर्डन[2]
४, चेल्सी एम्बैंकमेंट, एस० डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६४३) से।

२५६. पत्र: सर रोपर लेथब्रिजको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २६, १९०६

प्रिय महोदय,

आपके २३ तारीखके पत्रके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ।

मैं आपकी सेवामें जलपानका एक निमन्त्रणपत्र और दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिके विधानका मसविदा भी भेज रहा हूँ। यदि आप समितिमें सम्मिलित हो सकें, तो आपका सहयोग मूल्यवान माना जायेगा।

मुझे यह जानकर एक सुखद आश्चर्य हुआ कि आप कलकत्ताके 'इंग्लिशमैन' से सम्बन्धित थे। मैं यह बता दूं कि १८९६ और १९०१ में जब मैं दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धमें कलकत्तामें था तब स्वर्गीय श्री सॉडर्सने मेरी बहुमूल्य सहायता की थी। बल्कि उन्होंने सर चार्ल्स टर्नर और अन्य लोगोंके नाम मुझे परिचयपत्र भी दिये थे और लॉर्ड कर्जनने दक्षिण

१. इसी तरहका पत्र सर एडवर्ड सैसून, २५ पार्क लेन, को भी भेजा गया था।

२. (१८५७–१९१४); इंडियन जनरल स्टाफ कोर, १८७६–९७; विदेशी आवासी (द एलियन इमिग्रैंट) के लेखक।

आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें जो जोरदार सहानुभूति पत्र लिखा था, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था।

आपका विश्वस्त,

[संलग्न]

सर रोपर लेथब्रिज
१९९, टेम्पल चेम्बर्स
टेम्पल ऐवेन्यू, ई० सी०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६४४) से।

२५७. एक परिपत्र[1]

होटल सेसिल
लन्दन, डब्ल्यू० सी०
नवम्बर २६, १९०६

प्रिय महोदय,

आगामी गुरुवारको १०-३० पर होटल सेसिलमें एक जलपानका आयोजन किया गया है, जिसके सम्बन्धमें श्री अली और मैंने आज आपको एक निमन्त्रणपत्र भेजनेकी धृष्टता की है। यह भारतीय समाजकी ओरसे, जिसका प्रतिनिधित्व करनेका सम्मान हमें प्राप्त है, आपके मूल्यवान सहयोग और सहानुभूतिके लिए कृतज्ञताका एक छोटा-सा प्रदर्शन-मात्र है। मुझे भरोसा है कि आप यह निमन्त्रण स्वीकार कर सकेंगे। मुझे इस बातका भान है कि सूचना बहुत थोड़े समयकी दी गई है, किन्तु अगले शनिवारको प्रतिनिधियोंका दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना हो जाना अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए हम अधिक लम्बे समयकी सूचना नहीं दे सकते थे।

आपके सुझावके लिए इस पत्रके साथ दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिके विधानका मसविदा भेज रहा हूँ। समितिमें सम्मिलित होनेकी कृपा तो आप कर ही चुके हैं। खयाल है कि मसविदेसे सम्बन्धित कुछ सुझाव हों तो उनपर विचार करनेके लिए जलपानके बाद एक छोटी-सी बैठक भी की जाये।

चूँकि समितिका संगठन दक्षिण आफ्रिकासे प्राप्त हिदायतोंके मुताबिक किया गया है, इसलिए मण्डलके प्रतिनिधियोंने सर मंचरजीसे उपसमितिकी अध्यक्षता स्वीकार करनेकी प्रार्थना की है। हमने ऐसा इसलिए किया है कि हम सोचते हैं, लन्दनमें हमारे पक्षके समर्थकोंमें से किसीने दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय प्रश्नका इतना अच्छा अध्ययन नहीं किया है जितना सर मंचरजीने किया है। वे विगत १२ वर्षोंसे उसमें सक्रिय दिलचस्पी ले रहे हैं और उसके विशेषज्ञ हो

१. यह दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिके सदस्योंको भेजा गया था।

चुके हैं। सर मंचरजीने बहुत कृपापूर्वक इस पदके लिए अपनी मंजूरी दे दी है, बशर्ते कि उपसमितिके अन्य सदस्योंकी भी स्वीकृति हो।

समितिकी अध्यक्षताके लिए लॉर्ड रेसे प्रार्थना की गई है और यदि लॉर्ड महोदयके लिए यह पद स्वीकार करना जरा भी सम्भव हुआ, तो वे इसे स्वीकार करेंगे।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

संलग्न:

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फ़ोटो-नकल (एस० एन० ४६५४) से।

२५८. भाषण: पूर्व भारत संघमें

लन्दनके कैक्सटन हॉलमें आयोजित पूर्व भारत संघकी एक बैठकमें श्री एल० डब्ल्यू० रिचने "दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयका भार" शीर्षकसे एक निबन्ध पढ़ा। तदनन्तर जो बहस हुई उसका श्रीगणेश गांधीजीने किया।

नवम्बर २६, १९०६

. . . . श्री गांधीने कहा कि वक्ताने जो-कुछ कहा है उसके बाद जो कार्य उन्हें सौंपा गया है उसके उद्देश्यके बारेमें आगे कुछ कहना अनावश्यक है; परन्तु भारतीय पक्षको दक्षिण आफ्रिकामें जो समर्थन मिला है उसके लिए यदि उन्होंने पूर्व भारत संघ और उसके मन्त्री, श्री सी० डब्ल्यू० अरायूनके प्रति अपना गहरा आभार प्रकट करनेका अवसर खो दिया तो वह उनकी कृतघ्नता होगी। एक बात है जो सबको ध्यानमें रखना चाहिए; अर्थात्, दक्षिण आफ्रिकामें और खास तौरसे ट्रान्सवालमें वे जो-कुछ कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, उन्हें वे अंग्रेज जनताके नामपर झेल रहे हैं। जिस अध्यादेशके कारण उन्हें इंग्लैंड आना पड़ा है वह बादशाहके नामपर लागू किया गया है।

औपनिवेशिक इतिहासमें प्रथम बार एक शाही उपनिवेश द्वारा ऐसा विधान बनानेका दृष्टान्त उपस्थित किया गया है जिसने एक वर्गके लोगोंको केवल इसलिए छाप लगाकर अलग कर दिया है कि उनकी चमड़ी रंगदार है। भारतको साम्राज्यमें बनाये रखना है या उसे केवल औपनिवेशिक भावनाओंका खयाल रखनेके लिए खो देना है? गोरी आबादीकी तुलनामें भारतीय आबादीका अनुपात क्या है?

श्री रिचका कहना है कि ट्रान्सवालमें एशियाई वैसे ही हैं जैसे सागरमें एक बूंद — २,८५,००० गोरोंके मुकाबले, मात्र १३,०००। उस उपनिवेशमें वे केवल शान्ति, संतोष और आत्म-सम्मानके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनमें से लगभग सभी युद्धसे पहले उपनिवेशमें आये थे। आज वे केवल नागरिक अधिकारोंकी मांग कर रहे हैं, जो कि ब्रिटिश ताजकी छायामें प्रजाके रूपमें रहनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको मिलने चाहिये। फिर भी इस अध्यादेशके अन्तर्गत

१. विवरणके लिए देखिए "पूर्व भारत संघमें श्री रिचका भाषण", पृष्ठ २७२-७३।

अन्य ब्रिटिश प्रजाजनोंके मुकाबले उनके साथ भिन्न व्यवहार किया जाता है। क्या ब्रिटिश राष्ट्रके नामपर इस प्रकारका विधान स्वीकृत कर दिया जायेगा? (हर्षध्वनि) . . . .।

[अंग्रेजीसे]

जर्नल ऑफ द ईस्ट इंडिया असोसिएशन, जनवरी १९०७

२५९. पत्र: कुमारी ई० जे० बेकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २७, १९०६

प्रिय महोदया,

यदि आपको एक १८ वर्षीय भारतीय नवयुवकके योग्य, जिसे कॉलेजकी शिक्षा और माता-पितावत् देखरेखसे भिन्न स्कूली शिक्षाकी जरूरत है, किसी व्यवस्थाकी जानकारी हो तो कृपा कर मुझे सूचित करें। मैं आभारी हूँगा। मेरी रायमें उसका विकास एक अत्यन्त भले, तेजस्वी और स्नेही व्यक्तिके रूपमें हो सकता है। मैं चाहता यह हूँ कि उसे कोई ऐसा स्थान मिल जाये जहाँ वह लन्दन विश्वविद्यालयकी मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने योग्य शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके साधन सीमित हैं। वह कुल मिलाकर प्रतिमास ८ पौंडसे अधिक खर्च करनेकी स्थितिमें नहीं है।

आपका सच्चा,

कुमारी ई० जे० बेक
२३३, ऐल्बियन रोड
स्टोक न्यूइंगटन, एन०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६४५) से।

२६०. पत्र: सर जॉर्ज वर्डवुडको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २७, १९०६

प्रिय सर जॉर्ज,

आपके लम्बे पत्रके लिए धन्यवाद। मैं उसकी एक प्रति इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। निमन्त्रण स्वीकार करनेके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जलपानके लिए जो समय चुना है वह बहुत बुरा है। दुर्भाग्यसे जब निमन्त्रणपत्र भेजे गये तब मुझे दादाभाईकी रवानगी[1] [का] समय नहीं मालूम था। यह मेरा दुर्भाग्य है कि स्टेशनपर जाकर मैं उनके प्रति अपना आदर व्यक्त नहीं कर सकूँगा।

आपका सच्चा,

संलग्न

सर जॉर्ज वर्डवुड
११९, द ऐवेन्यू
वेस्ट ईलिंग

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६४६) से।

२६१. पत्र: लॉर्ड हैरिसको[2]

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २७, १९०६

महानुभाव,

कदाचित् आप जानते होंगे कि श्री अली और मैं ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय समाजकी ओरसे शिष्टमण्डलके रूपमें यहाँ आये हुए हैं।

हम लोग लॉर्ड एलगिन और श्री मॉर्लेसे मिल चुके हैं। उन्होंने हमारे उद्देश्यके सम्बन्धमें बहुत सहानुभूतिपूर्ण उत्तर दिया है। किन्तु फिर भी हम अनुभव करते हैं कि वे हमारी ओरसे जो भी आवेदन करेंगे उसे अभी भी बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके सिवा हमें सभी दलोंकी ओरसे असाधारण रूपसे हार्दिक सहयोग मिला है। हम इसका अपने आगेके संघर्षमें

१. दादाभाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके कलकत्ता अधिवेशनका सभापतित्व करनेके लिए गुरुवार, २९ नवम्बरको सवेरे ही भारतके लिए प्रस्थान करनेवाले थे।

२. पत्रमें कोई पता नहीं दिया गया है, लेकिन अगले शीर्षकमें इस पत्रके उल्लेखसे स्पष्ट हो जाता है कि यह लॉर्ड हैरिसको लिखा गया था। दफ्तरी प्रतिपर अंकित टिप्पणियोंसे ज्ञात होता है कि यह लॉर्ड सैंटहर्स्ट, सर जेम्स फर्ग्युसन और लॉर्ड वॅनलॉकको भी भेजा गया था।

यथासम्भव अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं। दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंसे हमें फिर हिदायत मिली है कि हम एक समिति बनायें, ताकि जो काम अभी किया जा रहा है वह जारी रखा जा सके।

हम संविधानकी एक प्रति संलग्न कर रहे हैं।

परममाननीय लॉर्ड रेसे हमने समितिकी अध्यक्षता स्वीकार करनेकी प्रार्थना की है और हमें आशा है कि यदि आप समितिकी उपाध्यक्षता स्वीकार करके उसे अपने प्रभावका लाभ दें, तो वे इसकी अध्यक्षता स्वीकार कर लेंगे। इसके लिए दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय समाज आपका बड़ा आभारी होगा।

अगले गुरुवारको सवेरे १०.३० पर हमने एक प्रीति-जलपानका आयोजन किया है। उसका निमन्त्रणपत्र हम आपकी सेवामें भेज रहे हैं। यदि आप जलपानमें उपस्थित होकर उसका महत्त्व बढ़ानेकी कृपा कर सकें तो हम बहुत कृतज्ञ होंगे। लॉर्ड रेने जलपानके कुछ बाद आनेका वचन दिया है। वे उसके पश्चात् होनेवाली एक छोटी-सी बैठकमें, जो समितिके विधानकी चर्चा करनेके लिए की जायेगी, सम्मिलित होंगे।

आपके विनम्र और आज्ञाकारी सेवक,

[संलग्न]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६४७) से।

२६२. पत्र: सर मंचरजी मे० भावनगरीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २७, १९०६

प्रिय सर मंचरजी,

आपके आजके पत्रके लिए आभारी हूँ। मैंने लॉर्ड हैरिस और अन्य तीन सज्जनोंको संलग्न प्रतिके अनुसार पत्र भेजा है।[1] जिस परिपत्रकी[2] प्रति मैंने आपको भेजी थी, वह आपका पत्र आने तक भेजा जा चुका था।

उसके बाद श्री ब्राउनका पत्र आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शायद 'टाइम्स' या अन्य पत्रोंको निमन्त्रण न भेजना ठीक होगा।

यदि आप गुरुवारको १०–३० पर आ सकें, तो मैं बहुत कृतज्ञ होऊँगा। आपको कल तकलीफ देनेकी जरूरत मुझे नहीं मालूम होती। श्री विन्स्टन चर्चिलने हमें कल मिलनेका समय दिया है।

आप शायद कल उपसमितिके अध्यक्ष और चेकोंपर हस्ताक्षर करनेवाले एक सज्जनकी हैसियतसे अपना हस्ताक्षर देने बैंक जायेंगे। यदि उस समय बहुत कष्ट न हो, तो होटल पधारनेकी कृपा कीजिए।

१. पिछला शीर्षक देखिए।
२. देखिए पृष्ठ २४८-४९।

'डेली न्यूज' के सम्पादकके साथ हमारी भेंट बहुत ही सन्तोषप्रद रही।

मैंने श्री रिचकी योग्यताओंके बारेमें आपको सब कुछ नहीं बताया है। वे बहुत-सी बैठकोंका संचालन कर चुके हैं और एकसे अधिक संस्थाओंके मन्त्री रहे हैं। बीस साल पहले वे ऐसे समाजवादी थे, जिसे लोग कट्टर कह सकते हैं। उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। आज उनके बराबर मुझे जाननेवाला मेरा कोई दूसरा दोस्त नहीं है। वे ऐसे लोगोंमें हैं जो अपने प्रिय उद्देश्यके लिए मर-मिटनेमें विश्वास करते हैं।

आपका हृदयसे,

[संलग्न]

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६४८) से।

२६३. पत्र: बर्नार्ड हॉलैंडको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २७, १९०६

श्री बर्नार्ड हॉलैंड
उपनिवेश-कार्यालय
डाउनिंग स्ट्रीट

प्रिय महोदय,

शनिवारको प्रतिनिधिगण दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना हो जायेंगे। यदि आप डॉ० गॉडफ्रे द्वारा श्री अलीको दिया गया मूल पत्र[1] उसके पहले वापिस कर दें तो मैं आभारी हूँगा।

यदि आप डॉ० गॉडफ्रे और एक अन्य सज्जन द्वारा भेजे गये प्रार्थनापत्रकी एक प्रति भी हमें दे सकें, तो मैं आभारी होऊँगा — अर्थात् यदि लॉर्ड एलगिनने उसकी प्रति हमें देना स्वीकार कर लिया हो तो।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६४९) से।

१. देखिए लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको लिखे गये पत्रका संलग्न-पत्र, पृष्ठ २११-१२।

२६४. प्रमाणपत्र : कुमारी एडिथ लॉसनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २७, १९०६

हमें यह प्रमाणित करते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि कुमारी एडिथ लॉसनने साम्राज्य-अधिकारियोंकी सेवामें आये ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलके लिए सचिव सम्बन्धी कार्य किया है।

इस अवधिमें हमने इन्हें एक अत्यन्त बुद्धिमती युवती पाया जो बहुत ही अनुग्राही, समयनिष्ठ और कर्मठ हैं। तथापि, इनके जिस गुणका हमपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, वह है इनकी अपने काममें तन्मय हो जानेकी क्षमता। हमारा विश्वास है कि ये कोई भरोसेका पद सम्भाल सकती हैं।

प्रतिनिधिगण

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६५०) से।

२६५. पत्र : कुमारी ए० एच० स्मिथको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २७, १९०६

प्रिय कुमारी स्मिथ,

आपका कृपापत्र मिला। आज रात आपके घर आना मेरे लिए नामुमकिन है; और श्री गॉडफ्रे भी नहीं आ सकेंगे। हमारे पास एक क्षणका भी अवकाश नहीं है। हमें जिन लोगोंने सहायता दी है, उनको धन्यवाद देनेके लिए कल सवेरे हम एक जलपान-बैठक कर रहे हैं। मैंने आपको उसमें निमन्त्रित नहीं किया है, क्योंकि आप वहाँ अकेली महिला होतीं।

मैं समितिके विधानकी एक प्रति आपको भेज रहा हूँ। मेरे जानेके बाद २८, क्वीन ऐन्स चेम्बर्स, ब्रॉडवे, वेस्टमिन्स्टरमें श्री रिचसे मिलकर जलपानके साथकी इस बैठकके बारेमें सारी जानकारी ले लीजिए।

जैसा कि मैंने वचन दिया था, दिसम्बरके लेखोंके लिए मैं १ पौंड १ शिलिंगका चेक साथ भेज रहा हूँ। आप सामग्री शनिवारकी डाकमें छोड़ दीजिए या मुझे दे जाइए।

आपका सच्चा,

संलग्न : २

कुमारी ए० एच० स्मिथ
५, विंचेस्टर रोड
हैम्पस्टेड

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६५१) से।

२६६. पत्र : विन्स्टन चर्चिलके निजी सचिवको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २७, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
श्री विन्स्टन चर्चिल

प्रिय महोदय,

श्री विन्स्टन चर्चिलकी इच्छाके अनुसार हम एक-एक कागजपर तीनों वक्तव्य आपके पास भेज रहे हैं। पहलेमें एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेश, दूसरेमें फ्रीडडॉर्प बाड़ा अध्यादेश[1] और तीसरेमें सामान्य प्रश्नपर ब्रिटिश भारतीय समाजका मत दिया गया है।

आपके विश्वस्त,

संलग्न : ३

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६५३) से।

[संलग्न]

फ्रीडडॉर्प बाड़ा-अध्यादेशपर आपत्तियाँ

१. यदि अध्यादेश मंजूर कर लिया गया तो यह जोहानिसबर्ग या ट्रान्सवालकी दूसरी बस्तियोंके पट्टोंमें किसी वर्गको अयोग्य करार देनेवाली धाराओंको शामिल करनेके लिए एक नजीर बन जायेगा। इसलिए यह अध्यादेश भारतीयोंके अधिकारोंको सीमित करनेकी दृष्टिसे १८८५ के कानून ३ से आगे बढ़ जायेगा।

२. ब्रिटिश भारतीयोंने बोअर सरकारके जानते हुए फ्रीडडॉर्पमें बहुत-से अन्य यूरोपीयोंके समान ही बाड़ोंपर कब्जा करके मकान बना लिये थे। ये यूरोपीय उन मूल नागरिकोंमें से नहीं थे जिन्हें स्वर्गीय राष्ट्रपति क्रूगरसे बाड़ोंपर रिहायशी अधिकार प्राप्त हुए थे।

३. फ्रीडडॉर्प मलायी बस्तीसे लगा हुआ है, जिसमें ब्रिटिश भारतीय बहुत बड़ी संख्यामें आबाद हैं।

४. अध्यादेश युद्ध-पूर्वकी कानूनी स्थितिको स्थायी नहीं बनाता, बल्कि वह मूल नागरिकोंको स्थायी अधिकार प्रदान करता है और साथ ही उन्हें फिर किरायेपर उठानेका अधिकार भी दे देता है। इस अधिकारके अनुसार वे यूरोपीय, जो नागरिक नहीं थे, नागरिकों

१. तीनों संलग्न-पत्रोंमेंसे केवल एक — "फ्रीडडॉर्प बाड़ा-अध्यादेशपर आपत्तियाँ" उपलब्ध है, जो यहाँ दिया जा रहा है।

द्वारा दिये गये अधिकारोंको कायम रख सकेंगे, जब कि भारतीय तनिक भी औचित्यके बिना बेदखल कर दिये जायेंगे।

५. ब्रिटिश भारतीयोंके बनाये हुए घर झोंपड़े नहीं हैं, बल्कि बहुत-सी दूसरी इमारतोंकी तरह अच्छे-पक्के मकान हैं।

६. यदि अध्यादेश पास हो जाता है, तो यह साम्राज्य-सरकार द्वारा किसी नगर-पालिकाके ऐसे अधिकारको मंजूर करनेका पहला उदाहरण होगा जिससे कि वह ट्रान्सवालके किसी भी भागमें ब्रिटिश भारतीयोंके निवासके अधिकारोंको, जो उन्हें सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयके अन्तर्गत उपलब्ध हैं, कम कर सके। इससे अप्रत्यक्ष रूपसे 'बस्तियों'की ऐसी प्रणालीका जन्म होगा, जिसको, अनुमान है, साम्राज्य-सरकार अन्यथा कभी मंजूर न करती।

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस०एन० ४६३६)से।

२६७. पत्र: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २७, १९०६

मन्त्री
[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी] ब्रिटिश समिति
८४ व ८५ पैलेस चेम्बर्स
वेस्टमिन्स्टर

प्रिय श्री हॉल,

आपके अधिकारमें उचन्त खातेमें जो शेष रकम पड़ी हुई है वह, ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे दानस्वरूप समितिके आम खातेमें जमा करनेकी कृपा करें।

आपका सच्चा,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६५२) से।

२६८. पत्र : टी० जे० बेनेटको[1]

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २८, १९०६

प्रिय महोदय,

आशा है, प्रतिनिधियोंने आपकी सेवामें जलपानका जो निमन्त्रणपत्र भेजा था वह मिल गया होगा। जलपान कल सुबह १०-३० पर होटल सेसिलमें होगा। मुझे विश्वास है, आप उपस्थित होकर शिष्टमण्डलका मान बढ़ानेकी कृपा करेंगे।

आपका सच्चा,

श्री टी० जे० बेनेट
हार्वर्टन हाउस
स्पेल्डहर्स्ट
टनब्रिज वेल्स

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६५५) से।

२६९. पत्र : एफ० एच० ब्राउनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २८, १९०६

प्रिय श्री ब्राउन,

आपके पत्रके लिए बहुत आभारी हूँ। मैं साथमें समितिके संविधानका मसविदा भेज रहा हूँ। इससे आपको मालूम हो जायेगा कि श्री अमीर अलीकी सक्रिय सहायता उपलब्ध हो गई है।

उन्हें निमन्त्रण भेज दिया गया है और अभी-अभी मुझे उनका स्वीकृतिपत्र मिला है।

आपका सच्चा,

संलग्न

श्री एफ० एच० ब्राउन
'दिलकुश'
वेस्टबोर्न रोड
फॉरेस्ट हिल, एस० ई०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६५६) से।

१. इसी तरहका पत्र संसद-सदस्य श्री जे० एम० रॉबर्टसनको भेजा गया था।

२७०. पत्र: ए० एच० गुलको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २८, १९०६

प्रिय श्री गुल,

आशा है, आपको निमन्त्रणपत्र मिल गया होगा। कल १०–३० पर अवश्यमेव यहाँ आयें और भोज-कक्षमें उपस्थित हों।

आपका सच्चा,

श्री ए० एच० गुल
२७, पेकहम रोड, एस० ई०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६५७) से।

२७१. पत्र: लॉर्ड स्टैनलेको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २८, १९०६

लॉर्ड महोदय,

शिष्टमण्डलने आपको कल १०–३० बजेके जलपानके लिए जो निमन्त्रणपत्र भेजा था उसका लॉर्ड महोदयसे कोई उत्तर नहीं मिला। प्रतिनिधि आशा करते हैं कि लॉर्ड महोदय अपनी उपस्थितिसे उन्हें सम्मानित करेंगे।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

परममाननीय लॉर्ड स्टैनले ऑफ ऐल्डर्ले
१८, मैन्सफील्ड स्ट्रीट, डब्ल्यु०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६५८/ए) से।

२७२. पत्र: सर लेपेल ग्रिफिनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २८, १९०६

प्रिय सर लेपेल,

प्रतिनिधियोंने जलपानके लिए आपको जो निमन्त्रण भेजा था उस सम्बन्धमें अभीतक आपकी ओरसे मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। जलपान कल सुबह १०-३० पर होटल सेसिलमें होगा। उसके बाद एक बैठक होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी उपस्थिति तथा परामर्शसे हमें सम्मानित करेंगे।

आपका विश्वस्त,

सर लेपेल ग्रिफिन, के० सी० एस० आई०
४, कैडोगन गार्डन्स
स्लोन स्क्वेयर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६५८/बी) से।

२७३. भाषण: लन्दनके विदाई समारोहमें[1]

लन्दनसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना होनेसे पहले ट्रान्सवाल भारतीय शिष्टमण्डलके सदस्योंने भारतीय तथा ब्रिटिश मित्रोंको जलपानपर निमन्त्रित किया। उस अवसरपर गांधीजीने जो भाषण दिया उसकी समाचार-पत्रोंको भेजी गई रिपोर्ट नीचे दी जाती है:

[होटल सेसिल
लन्दन
नवम्बर २९, १९०६]

सर मंचरजी, लॉर्ड महोदय और सज्जनो, यहाँ उपस्थित होनेके लिए आप लोगोंको तथा उन लोगोंको, जो आज सुबह यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, धन्यवाद देनेसे पहले निमन्त्रणके सम्बन्धमें प्राप्त हुए कुछ पत्र[2] पढ़कर सुनाता हूँ।

१. यह समारोह होटल सेसिलमें हुआ था। इंडियन ओपिनियनके लिए इसकी विशेष रिपोर्ट तैयार की गई थी। उपस्थित सज्जनोंमें लॉर्ड रे, संसद-सदस्य सर विलियम वुल, संसद-सदस्य श्री ए० एन० स्कॉट, सर जॉर्ज बर्डवुड, सर फ्रेडरिक फ्रायर, सर रेनंड वेस्ट, सर मंचरजी मेरवानजी भावनगरी, श्री अमीर अली, श्री थियोडोर मॉरिसन, डॉ० जोसिया ओल्डफील्ड, डॉ० ई० पी० एस० काउंसेल, श्री सी० डब्ल्यू० अराथून, श्री जे० एच० एल० पोलक, श्री एल० डब्ल्यू० रिच, श्री जी० व्ही० गॉडफ्रे, श्री जे० डब्ल्यू० गॉडफ्रे, श्री ए० कार्टराइट, श्री एफ० एच० ब्राउन, श्री एच० ई० ए० कॉटन, श्री ए० एच० गुल, श्री टी० रत्नम् पत्तर, श्री एस० एम० मंगा तथा श्री जे० एम० रॉबर्ट्सन शामिल थे।

२. गांधीजीने सर विलियम मार्कबी, सर रोपर लेथब्रिज तथा सर चार्ल्स श्वानके शुभकामना-पत्र पढ़कर सुनाये। उन्होंने सर हेनरी कॉटन, सर विलियम वेडरबर्न, श्री टी० जे० बेनेट, श्री हैरॉल्ड कॉक्स तथा अन्य सज्जनोंसे प्राप्त इसी प्रकारके पत्रोंका भी उल्लेख किया।

मेरे और मेरे साथियोंके सामने आज एक ऐसा कार्य आया है जो नितान्त सुखकर है — अर्थात्, आप सबको, जिन्होंने अपनी उपस्थितिसे हमें सम्मानित किया है, तथा उन महानुभावोंको भी, जो आज सुबह हमारे साथ शामिल नहीं हो सके, धन्यवाद देना। जब श्री अली और मैं अपना उद्देश्य समाप्त कर चुके तब हमने सोचा कि ट्रान्सवालके १३,००० ब्रिटिश भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करते हुए हम जो कमसे-कम कर सकते हैं वह यह कि अपने आभार-प्रदर्शनके लिए इस तरहका ठोस तरीका अपनायें। अपने इंग्लैंडके मुकाममें हमें जो सहायता उपलब्ध हुई वह अत्यन्त उत्साहवर्धक रही है। इस शक्तिशाली साम्राज्यमें अपनेको नागरिक अधिकारोंसे वंचित किये जानेके विरुद्ध हमने जो संघर्ष छेड़ा है उसमें प्रारम्भसे ही हमें सभी दलोंसे सहायता मिली है। हमने सभी दलोंसे अपील की है और सभी दलोंने हमारी ओर सदा ही सहायताका हाथ बढ़ाया है। इसके लिए हम जितनी कृतज्ञता प्रकट करें, थोड़ी है और मेरी समझमें यह उचित ही होगा कि यहाँपर खास तौरसे स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हंटरका उल्लेख करूँ। सर विलियम विल्सन हंटरको १८८३ में एक परिपत्र मिला, जो उन्हें दक्षिण आफ्रिकासे भेजा गया था। और मेरे विचारसे वे सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रश्नका राष्ट्रीय महत्त्व समझा। वे तबसे लेकर मृत्यु-पर्यन्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके पक्षके लिए कुछ-न-कुछ करनेमें सतत व्यस्त रहे। 'टाइम्स' तथा अन्य समाचारपत्रोंके स्तम्भोंमें वे सदैव हमारे पक्षकी वकालत करते रहे। और मुझे लेडी हंटरसे एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सर विलियम अपने अन्तिम समयमें भी इस मामलेसे सम्बन्धित एक लम्बा लेख तैयार कर रहे थे। १९०६ में, जब मैं कलकत्तेमें था, श्री सॉन्डर्स भी हमारे पक्षकी सहायताके लिए आगे आये। इसी तरह 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने भी किया। इस पत्रने सदैव दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके पक्षकी वकालत की। हालकी बात लें तो हमें पूर्व भारत संघसे सहयोग प्राप्त हुआ है; और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिने हमारी मूल्यवान सहायता की है। मेरे और श्री अलीके लिए यह दुःखकी बात है कि हमें यह निमन्त्रणपत्र उस समय भेजना पड़ा जब भारतके 'पितामह' श्री दादाभाई नौरोजी कांग्रेसके आगामी अधिवेशनके लिए इस देशको छोड़ रहे हैं। हम उनके प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, मैंने ब्रिटिश लोकसभामें सभी दलोंसे अपील की थी और सभीने हमारी सहायता की। खासकर मुझे श्री स्कॉटके नामका उल्लेख करना नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमारी शिकायतोंके सम्बन्धमें अत्यन्त सद्भावना और उत्साहके साथ हमें सहायता पहुँचाई। अब मैं सर मंचरजी भावनगरीके नामपर आता हूँ। वे गत १२ वर्षोंसे प्रबल उत्साह और दृढ़ताके साथ दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके पक्षकी वकालत कर रहे हैं। यों तो सभीने सहायता की है, लेकिन सर मंचरजीने इसे अपना ही पक्ष बना लिया है। उन्होंने इसके लिए इस तरह काम किया, मानो उन्हें उन्हीं दृढ़ विश्वासों तथा भावनाओंसे प्रेरणा मिली हो जिनसे हमें मिली है। उक्त समस्याओंके राष्ट्रीय महत्त्वको जिस प्रकार सर मंचरजीने अनुभव किया है उस प्रकार किसी औरने नहीं। लोकसभामें, सभासे बाहर और अपने पत्रोंमें उन्होंने सदैव हमारी सहायता की है और हमें परामर्श दिया है कि किस प्रकार हमें काम करना चाहिए। हम दक्षिण आफ्रिका-वासियोंके लिए उन्होंने जो-कुछ किया है उसके लिए हम शब्दोंमें अपना आभार प्रकट नहीं कर सकते। यह अध्यादेश पास हो या न हो, हमारे मार्गमें कठिनाइयाँ तो अभी शायद

प्रारम्भ ही हुई है। इसलिए हम आशा करते हैं कि यहाँके हमारे मित्र जो सहायता अबतक देते रहे हैं उसे जारी रखेंगे, क्योंकि अध्यादेशके पास न होने पर भी — जैसा होनेकी आशा है — आम सवालके बारेमें अभी बहुत-कुछ करना शेष है। फिर फ्रीडडॉर्प अध्यादेश है। इनके अलावा नेटाल नगरनिगम विधेयक भी है। जो-कुछ ट्रान्सवालमें होगा, दूसरे उपनिवेश भी वैसा ही करेंगे, ऐसी सम्भावना है। हमारी नीति अत्यधिक नरमीकी रही है। हमने सदैव यह दावा किया है कि हम दक्षिण आफ्रिकामें अपने विरोधियों (यदि इस शब्दका प्रयोग किया जा सके तो) की भावनाओंको समझनेमें समर्थ हुए हैं। और यद्यपि हमने पूरे प्रश्नपर उनके दृष्टिकोणसे विचार किया है और उन लोगोंको, जिन्हें हमारे प्रति पूर्वग्रह है, यह विश्वास दिलानेका प्रयत्न किया है कि हमारी इच्छा सीमित है, फिर भी हम आपसे माँग करते हैं कि आप हमारे संघर्षमें हमें सहायता दें। इसी कारणसे दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंने हमें अधिकार दिया है कि हम ऐसी समितिका संघटन तथा उद्घाटन करें जो हमारे हितोंकी सदैव रक्षा करती रहे। हमारे सहायकोंने जो कार्य यहाँ इतनी अच्छी तरह और योग्यताके साथ किया है उसे यदि इस समिति जैसे संघटनके द्वारा संयोजित न किया जाये और जारी न रखा जाये तो वह बिलकुल नष्ट हो जायेगा।

चूँकि आप महानुभावोंमें से बहुतोंके पास परिपत्रकी[1] प्रतियाँ पहुँच चुकी हैं, इसलिए मैं संक्षेपसे समितिके उद्देश्योंके बारेमें कहूँगा। आप देखेंगे कि यह भी केवल कामचलाऊ मसविदा है। ये वे विचार हैं जो हमें सूझे हैं। आशा है, आप उनपर विचार करेंगे और परामर्श देकर हमारी सहायता करेंगे। मसविदेमें जिनके नाम छपे हैं उन्होंने सानुग्रह समितिका सदस्य बनना स्वीकार कर लिया है। अब मेरे लिए केवल यह शेष बचा है कि मैं आपसे कृपापूर्वक इस संविधानके मसविदेपर विचार करने, और यदि आप यह सोचते हैं कि जो कदम हमने उठाया है वह आपको स्वीकार्य है, तो औपचारिक रूपसे इसका उद्घाटन करनेका निवेदन करूँ। ट्रान्सवालमें हमें जिस स्थितिमें रखा गया है उसकी गम्भीरताके बारेमें मैं इससे बढ़कर उदाहरण नहीं दे सकता कि मैं उन नौजवान भारतीयोंकी ओर संकेत करूँ जो आज यहाँ हैं। वे आपके अतिथि होनेकी अपेक्षा मेजबान ही अधिक हैं। वे हैं दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय छात्र। दूसरे शब्दोंमें खुद भारतकी अपेक्षा दक्षिण आफ्रिका उनका घर अधिक है। वे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे सन्देह नहीं कि वे अत्यन्त चिन्ता और आशंकाके साथ दक्षिण आफ्रिका वापस जानेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी वही अवस्था झेलनी पड़ेगी जो ट्रान्सवालके तेरह हजार ब्रिटिश भारतीय ही नहीं, बल्कि वास्तवमें सारे दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय झेल रहे हैं। यहाँ, इंग्लैंडमें वे बैरिस्टर और डॉक्टर बनेंगे, किन्तु वहाँ, दक्षिण आफ्रिकामें, हो सकता है, वे ट्रान्सवालकी सीमाको पार भी नहीं कर सकें।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-१२-१९०६

१. देखिए "एक परिपत्र", पृष्ठ २४८-४९।

२७४. पत्र: सर रेमंड वेस्टको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २९, १९०६

प्रिय सर रेमंड,

आज जलपानके समय आपने जो उदात्त और प्रेरणापूर्ण वचन कहे उनके लिए अपनी और श्री अलीकी ओरसे मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि अपने जीवन-संघर्षमें हमें आपके सलाह और सहारेका लाभ मिलता रहेगा। इस विचारसे, कि इतने अधिक विशिष्ट पुरुष पूरे मनसे हमारे साथ हैं, हम लोगोंमें उत्साह भर जाता है और यद्यपि निराशाका बादल इस समय सर्वाधिक घना जान पड़ता है, तो भी हम अच्छे दिनोंकी आशा कर पाते हैं।

आपका सच्चा,

सर रेमंड वेस्ट, के० सी० आई० ई०
'चेस्टरफील्ड'
कॉलेज रोड
नॉरवुड, एस० ई०

टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६६३) से।

२७५. पत्र : लॉर्ड रेको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २९, १९०६

लॉर्ड महोदय,

श्री अली और मैं अपनी तथा ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे, जिनका प्रतिनिधित्व करनेका हमें सौभाग्य प्राप्त है, आजकी सभामें उपस्थित रहनेके लिए आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आपने जो सुन्दर भाषण दिया और हमें ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयों तक पहुँचानेके लिए जो सन्देश दिया उसके लिए भी हम आपके कृतज्ञ हैं।

हम इस आश्वासनके लिए अत्यन्त आभारी हैं कि आप और वे, जिनके आप प्रतिनिधि हैं, हमारी शिकायतमें भागी हैं और जबतक वह दूर नहीं हो जाती, आप सन्तोष नहीं करेंगे।

आपका आज्ञाकारी सेवक

परममाननीय लॉर्ड रे
६, ग्रेट स्टेनहोप स्ट्रीट, डब्ल्यू०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६६५) से।

२७६. पत्र: सी० एच० वॉंगको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २९, १९०६

प्रिय महोदय,

आपने मुझसे 'इंडियन ओपिनियन' के लिए एक लेख देनेका वादा किया था। मैं अभीतक इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं शनिवारको प्रातः ११-३५ की गाड़ीसे रवाना हूँगा। यदि आप मुझे उससे पहले वह लेख दे सकें तो मैं आभारी हूँगा। यदि न दे सकें, तो कृपया बॉक्स ६५२२ जोहानिसबर्गके पतेपर भेज दें, और ध्यान रखें कि इसमें चूक न हो।

मैंने आपका चीनी शिकायतोंका संक्षिप्त विवरण पढ़ा है। मेरे खयालसे यह अच्छा लिखा गया है, किन्तु उसपर एक या दो मामलोंमें गम्भीर आपत्ति की जा सकती है, क्योंकि आपको स्थिति पूरी तरहसे ज्ञात नहीं है।

आपका सच्चा,

श्री सी० एच० वॉंग, डी० सी० एल०
२८, मॉंटेग्यू स्ट्रीट
रसेल स्क्वेयर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६५९) से।

२७७. पत्र : डी० जी० पान्सेको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २९, १९०६

प्रिय महोदय,

इस महीनेमें किसी दिन, होटल लौटनेपर मुझे एक कार्ड मिला था जो आप यहाँ छोड़ गये थे। मैं उसे इस आशासे रखे रहा कि अपने मुकामकी अवधिमें कभी आपसे मिल सकूँगा। किन्तु देखता हूँ कि वैसा करना सम्भव नहीं है। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थनाके रूपमें यह पत्र लिख रहा हूँ।

आपका सच्चा,

श्री डी० जी० पान्से
इन्स ऑफ कोर्ट होटल
हाइ हॉलबर्न

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६६०) से।

२७८. पत्र : कुमारी एडिथ लॉसनको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २९, १९०६

प्रिय कुमारी लॉसन,

आपके पत्रके लिए बहुत धन्यवाद। हम शनिवारको रवाना हो रहे हैं। मुझे हर्ष है कि आप पहले ही गहरे संघर्षके बीच पहुँच गई हैं और अपने कामके विषयमें इतनी आशाके साथ बातचीत कर सकती हैं। श्री अली और मैं दोनों आपकी दैनन्दिन प्रगतिके समाचारोंके लिए उत्सुक रहेंगे। दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीय प्रश्नसे अपना सम्पर्क बनाये रखनेका वादा आप मुझसे कर चुकी हैं। ठीक है न? आप हर हफ्ते श्री रिचसे 'इंडियन ओपिनियन' का अंक पढ़नेके लिए अवश्य लेती रहें।

आपका सच्चा,

कुमारी एडिथ लॉसन
७४, प्रिंस स्क्वेयर

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६६१) से।

२७९. पत्र: कुमारी ई० जे० बेकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २९, १९०६

प्रिय कुमारी बेक,

आपके २८ तारीखके पत्रके लिए बहुत धन्यवाद। यद्यपि मैं चाहता था कि दक्षिण आफ्रिका लौटनेसे पहले आपसे मिलूँ, किन्तु मुझे दुःख है कि मैं मिल नहीं सका। शिष्ट-मण्डल अगले शनिवारको वापस जा रहा है।

मैंने जिन तरुण भारतीय श्री पत्तरके बारेमें आपको लिखा था, उनसे इतवारको आपसे मिलनेके लिए कहा है।[1]

आपका सच्चा,

कुमारी ई० जे० बेक
२३३, ऐल्बियन रोड
स्टोक न्यूइंगटन, एन०

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६६२) से।

२८०. पत्र: जे० एच० पोलकको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २९, १९०६

प्रिय श्री पोलक,

आखिरकार मैं यह सोचता हूँ कि रत्नम् कमसे-कम फिलहाल वान वीनेनके यहाँ चला जाये। बेडफोर्ड काउन्टी स्कूल आयु अधिक हो जानेके कारण उसको नहीं लेगा। मुझे कोई दूसरी संस्था तलाश करनेका वक्त नहीं मिला। उसको जल्दीसे-जल्दी 'भारत कार्यालय' में चला जाना चाहिए। इसलिए यदि वान वीनेन उसको अब भी लेनेके लिए तैयार हों तो आप कृपा करके ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे रत्नम सोमवारको वेस्टक्लिफको रवाना हो सके। मैं यह चाहता हूँ कि कुमारी वीनेन उसको जितनी शिक्षा दे सकती हैं, दें। शायद वे उसके लिए वेस्टक्लिफमें कोई निजी शिक्षक ठीक कर सकती हैं या उसको किसी स्कूल या वर्गमें दाखिल करा सकती हैं। उक्त प्रस्तावके अनुसार श्री रत्नम् पत्तरको रेलवेका मियादी टिकट

१. देखिए "पत्र: कुमारी ई० जे० बेकको", पृष्ठ २५० ।

लेनेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि वह एक सत्रमें केवल छः दिन ही शहर जाया करेगा। मैं चाहता हूँ कि कुमारी वीनेन उसके साथ परिवारके सदस्यकी तरह पूर्णतः निःसंकोच और खुला बर्ताव करें या उसको उसके बोलने या रहन-सहनके तौर-तरीकेकी खराबियाँ बतानेमें न हिचकिचायें। संक्षेपमें उसके साथ एक बहुत छोटे लड़केका-सा व्यवहार किया जाना चाहिए और उसकी प्रेमपूर्ण निगरानी होनी चाहिए। यह उसके जीवनका ऐसा काल है जिसमें बालक संस्कार ग्रहण करता है। उसमें ऐसे लक्षण वर्तमान हैं कि यदि अभी उसको उचित रूपसे सँभाला गया तो वह बहुत अच्छा आदमी बन सकेगा।

यदि आप चाहें तो, इस पत्रको कुमारी वान वीनेनको दे सकते हैं।

आपका हृदयसे,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६६४) से।

२८१. पत्र: एस० जे० मीनीको

[होटल सेसिल
लन्दन]
नवम्बर २९, १९०६

श्री एस० जे० मीनी
उपनिवेश-कार्यालय
डार्उनिंग स्ट्रीट

प्रिय महोदय,

आपके पत्रके सन्दर्भमें मैं अब इसके साथ उस छपे पत्रकी[1] दो प्रतियाँ भेज रहा हूँ जो प्रतिनिधियोंने उपनिवेश-मन्त्रीको लिखा है।

मैं यह कह दूँ कि प्रतिनिधि अगले शनिवारको दक्षिण आफ्रिकाको रवाना होंगे।

आपका विश्वस्त,

संलग्न: २

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४६६६) से।

१. सम्भवतः यह "प्रार्थनापत्र: लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ ११७-१९ होगा किन्तु इसकी मुद्रित प्रति उपलब्ध नहीं है।

२८२. पत्रः अखबारोंको[१]

होटल सेसिल
स्ट्रैंड, डब्ल्यू० सी०
नवम्बर ३०, १९०६[२]

सेवामें
सम्पादक
'टाइम्स'
[लन्दन]

महोदय,

क्या आप ट्रान्सवालसे आये भारतीय शिष्टमण्डलके बिदा होनेके अवसरपर भारतीय मामलेके उन समर्थकोंको धन्यवाद देनेकी अनुमति देंगे जिन्होंने हमें अपने मामलेको साम्राज्य-सरकार तथा ब्रिटिश जनताके सामने रखनेमें मूल्यवान सहायता दी है? विभिन्न विचारोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले सज्जनों, सभी दलों तथा अखबारोंसे हमें जो पूर्ण सौजन्य प्राप्त हुआ उससे हमें अत्यन्त सन्तोष है और हममें नई आशा जग उठी है। हम लन्दनमें थोड़े ही समय रहे, इसलिए हम उन सब लोगोंके पास नहीं जा सके जिनसे मिलना चाहते थे। फिर भी, उन लोगोंसे भी हमें समर्थन मिला है और सहानुभूति प्राप्त हुई है।

उपर्युक्त बातोंसे जो पाठ हमें मिला है वह यह कि हम ब्रिटिश लोगोंकी ईमानदारी और न्यायबुद्धिपर भरोसा कर सकते हैं और जिस मामलेका हम समर्थन कर रहे हैं वह न्यायोचित है। क्या हम इस मामलेको पुनः संक्षेपसे दे सकते हैं? हम ट्रान्सवालमें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं माँगते। लेकिन हम सादर और दृढ़तापूर्वक देशमें पहलेसे बसे हुए लोगोंके लिए नागरिकताके साधारण अधिकारोंका दावा करते हैं; अर्थात् समस्त समाजके हितकी दृष्टिसे आवश्यक बातोंका खयाल करते हुए उन्हें भूस्वामित्वका अधिकार, आने-जानेकी आजादी और व्यापारकी स्वतंत्रता दी जाये। संक्षेपमें ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय आत्माभिमान तथा गौरवके साथ ट्रान्सवालमें रहनेके अधिकारका दावा करते हैं। भारतीय समाज हर तरहके वर्गभेदका विरोध करता है। और उसने एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके खिलाफ इसीलिए आवाज उठाई है कि वह उपर्युक्त सिद्धान्तोंका अत्यन्त क्रूरताके साथ हनन करता है। हमारी नम्र सम्मतिमें, यदि हम अपने देशवासियोंके लिए जिनका कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उपर्युक्त अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते तो ब्रिटिश भारतीय शब्द निरी बकवास

१. यह दूसरे पत्रोंको भी भेजा गया था और १-१२-१९०६ को *दक्षिण आफ्रिकामें* प्रकाशित हुआ। इसके बाद इसे ७-१२-१९०६ को *इंडियामें* और २९-१२-१९०६ को *इंडियन ओपिनियनमें* कुछ शाब्दिक हेरफेरके साथ पुनः प्रकाशित किया गया था।

२. *साउथ आफ्रिकामें* प्रकाशित पत्रपर नवम्बर २९ की तारीख है।

बन जाता है और ब्रिटिश भारतीयोंके लिए 'साम्राज्य' शब्द अर्थहीन हो जाता है। इंग्लैंड आकर अपना मामला सरकारके सामने रखनेमें हमारी कतई यह इच्छा नहीं कि हम ट्रान्सवालमें यूरोपीय उपनिवेशियोंका हिंसात्मक प्रतिरोध करेंगे। हमारा तो पूर्णतः प्रतिरक्षात्मक रुख है। जब स्थानीय सरकार ट्रान्सवालकी प्रजाके नामपर रंगभेदको प्रश्रय और बढ़ावा देनेके लिए आक्रमणात्मक विधानको[1] स्वीकृतिके लिए साम्राज्य सरकारके पास भेजती है तब हमें आत्मरक्षाके लिए मजबूर होकर प्रश्नका भारतीय पक्ष उसी सरकारके सामने रखना पड़ता है। अपने आचरण द्वारा तथा उपनिवेशियोंको यह दिखाकर कि उनके हित हमारे हित भी हैं और हमारा लक्ष्य उनकी तथा अपनी सामान्य प्रगति है, हम अपने उद्धारका मार्ग ढूंढ़ निकालनेको चिन्तित और इच्छुक हैं। यदि चन्द लोगोंका भारतीय-विरोधी पूर्वग्रह सम्राट्की मुहरके नीचे विधानका रूप लेकर ठोस बन जाता है तो हमें साँस लेनेका भी मौका नहीं मिलेगा, और ऐसी दशामें हम यह कार्य नहीं कर सकते।

आपके,
मो० क० गांधी
हा० व० अली

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स, ३-१२-१९०६

२८३. पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको

यूनियन-कासिल लाइन
आर० एम० एस० 'ब्रिटन'
साउथैम्प्टन डॉक्स
दिसम्बर १, १९०६

[सेवामें
निजी सचिव
उपनिवेश-मंत्री
लन्दन]

प्रिय महोदय,

मैं रात-दिन इतना व्यस्त रहा कि अपने पहलेके वादेके अनुसार लॉर्ड एलगिनको नेटालपर अपना वक्तव्य[2] अबसे पहले नहीं भेज सका। चूंकि श्री टैथमके विधेयकको नेटाल संसदने नामंजूर कर दिया था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया।

१. इंडियन ओपिनियनमें छपा पाठ इस प्रकार है: "...प्रजाके नामपर आक्रमणात्मक प्रतिबन्धात्मक विधान, ..."।

२. देखिए साथका "संलग्न-पत्र"।

अब मैंने अपना वक्तव्य दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिके मन्त्री श्री रिचको भेज दिया है और उनसे कहा है कि वे उसे टाइप कराकर और एक टाइप की हुई प्रतिके साथ मूल प्रति लॉर्ड एलगिनको पेश करनेके लिए आपके पास भेज दें।

आपका पत्र संलग्न पत्रोंके साथ यथासमय मिल गया था। इसके लिए आपको धन्यवाद।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे, सी० ओ० १७९, खण्ड २३९, इंडिविजुअल्स।

[संलग्न]

वक्तव्य: नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें[1]

१. मैं सवालके केवल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और आवश्यक भागपर विचार करनेका साहस करूँगा।

प्रवास अधिनियम

२. इस अधिनियमके अन्तर्गत ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंके साथ एक असंदिग्ध अन्याय किया गया है, क्योंकि उनको अपने विश्वस्त मुनीम और घरेलू नौकर लानेकी छूट नहीं दी गई है।

३. इसका परिणाम यह है कि थोड़ेसे मुनीमों और नौकरोंका एकाधिकार हो गया है।

४. जो लोग उपनिवेशके अधिवासी बन चुके हैं, उनमें से बड़ी संख्यामें विश्वस्त मुनीम मिलना भी सम्भव नहीं है।

५. विश्वस्त मुनीमोंमें, सामान्यतः, और घरेलू नौकरोंमें, निरपवाद रूपसे, प्रवास कानूनके अन्तर्गत शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षामें खरा उतरने लायक योग्यताका अभाव होता है।

६. यह नहीं कहा जाता कि ऐसे लोगोंको अधिवासके अधिकार दे दिये जायें, किन्तु सम्मानपूर्वक निवेदन किया जाता है कि उनको उपनिवेशमें अस्थायी रूपसे रहनेके लिए प्रवेश करने दिया जाये; बशर्ते कि वे अपने मालिकोंके यहाँ नौकरी पूरी करनेके बाद उपनिवेशको छोड़कर चले जानेकी गारंटी दें।

विक्रेता-परवाना अधिनियम

७. इस अधिनियमसे गम्भीरतम हानि हुई है और हो रही है। ब्रिटिश भारतीय व्यापारी पूर्णतः उन परवाना अधिकारियोंकी दयापर निर्भर हैं जिनके निर्णयोंपर सर्वोच्च न्यायालय भी पुनर्विचार नहीं कर सकता।

१. यह श्री एल० डब्ल्यू० रिचने ४ दिसम्बरको लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको भेजा था।

८. इस अधिनियमके अन्तर्गत बहुत पुराने रहनेवाले अत्यन्त सम्मानित भारतीय व्यापारी व्यापारिक परवानोंसे, अर्थात् अपने निहित अधिकारोंसे, वंचित कर दिये गये हैं। यह बात सर्वश्री दादा उस्मान और हुंडामलके मामलोंमें हुई है।[1]

९. एक समय परवाना अधिकारियोंके द्वारा अपने अधिकारोंके मनमाने प्रयोगके कारण उनकी बदनामी हुई थी। श्री चेम्बरलेनने एक जोरदार खरीता भेजा और नेटालके तत्कालीन मन्त्रि-मण्डलने नेटालकी नगरपालिकाओंको एक परिपत्र[2] भेजा कि यदि वे प्राप्त अधिकारका प्रयोग उचित रूपसे, नरमीसे और निहित स्वार्थोंका उचित ध्यान रखते हुए न करेंगी तो अधिनियममें ऐसा संशोधन कर देना पड़ेगा जिससे सर्वोच्च न्यायालयका स्वाभाविक अधिकार-क्षेत्र पुनः स्थापित हो जाये।

१०. यह निवेदन है कि यदि भारतीय व्यापारियोंको, उनका उपनिवेशमें जो कुछ है, वह सब गँवा नहीं देना है तो सर्वोच्च न्यायालयका परवाना-अधिकारियोंके निर्णयोंपर पुन-विचारका अधिकार जल्दीसे जल्दी वहाल कर दिया जाना चाहिए।

११. स्वर्गीय श्री एस्कम्बने अपने अन्तिम दिनोंमें परवाना-अधिकारियोंके निर्णयोंके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमें अपीलके अधिकारको छीननेपर खेद प्रकट किया था।

नगरपालिका विधेयक

१२. भारतीय करदाताओंको नगरपालिका मताधिकारसे वंचित करनेका प्रयत्न बिलकुल अन्यायपूर्ण और अपमानजनक माना गया है।

१३. भारतमें संसदीय मताधिकारपर आधारित प्रातिनिधिक संस्थाएँ हैं या नहीं, यह विवादग्रस्त है। किन्तु नगरपालिका-मताधिकारके बारेमें सन्देह नहीं किया जा सकता।

१४. स्वर्गीय सर जॉन रॉबिन्सन और स्वर्गीय श्री एस्कम्बने जोर देकर कहा था कि भारतीय समाजको नगरपालिका-मताधिकारसे वंचित करना उचित नहीं है।[3]

१५. ऐसे कानूनको मंजूर करनेका नैतिक असर बहुत गम्भीर होगा और भारतीयोंकी प्रतिष्ठा उपनिवेशी लोगोंकी दृष्टिमें और भी कम हो जायेगी।

निष्कर्ष

१६. अब मुझे केवल यही और कहना है कि नेटालके सम्बन्धमें उपाय पूर्णतः साम्राज्य-सरकारके हाथमें है। नेटालकी समृद्धि भारतसे गिरमिटिया मजदूर निरन्तर लाते रहनेपर निर्भर है। नेटाल जब अपनी भारतीय आबादीके साथ न्याय और शिष्टताका बर्ताव करनेसे इनकार करता है तब उसको भारतसे गिरमिटिया मजदूर जुटानेकी छूट नहीं दी जा सकती।

मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल: सी० ओ० १७९, खण्ड २३९/दफ्तरी, विविध।

१. देखिए खण्ड ४ और ५।
२. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ९९
३. देखिए खण्ड ४, पृष्ठ २०५-६।

२८४. पत्र: प्रोफेसर गोखलेको

यूनियन-कासिल लाइन
आर० एम० एस० 'ब्रिटन'
दिसम्बर ३, १९०६

प्रिय प्रोफेसर गोखले,

मैं जोहानिसबर्ग वापस जा रहा हूँ। मैंने आपको लन्दनसे[1] पत्र लिखा था। सर मंचरजीका सुझाव है कि जिस तरह लन्दनमें दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति बनी है, उसी तरह भारतमें भी अलग समिति होनी चाहिए। शायद अबतक आप लन्दन समितिके बारेमें सब-कुछ जान चुके होंगे। यदि भारतमें भी ऐसी एक समिति बने तो मुझे कोई सन्देह नहीं है कि उसे सब दलोंका सहयोग मिलेगा। श्री बेनेटने मुझे बताया कि 'टाइम्स' के श्री फ्रेजर खुशीसे मदद देंगे। व्यापार संघके बहुत-से सदस्य भी सहयोग दे सकते हैं और आगाखाँ तो ऐसा करेंगे ही। यदि ऐसे किसी संगठनकी स्थापना हो सके, तो वह बहुत प्रभावजनक काम करेगा।

लन्दनमें इस प्रश्नके महत्त्वको हरएकने पूरा-पूरा समझा। मुझे मालूम है कि सर फीरोजशाह इस मामलेमें हमारे साथ सहमत नहीं हैं, किन्तु मैं यह माननेकी धृष्टता करता हूँ कि वे गलतीपर हैं। कुछ भी हो, यदि समितिकी स्थापना हो जाये और वह बहुत अच्छा काम न भी करे तो भी उससे कोई हानि नहीं होगी। समिति बनानेके लिए आपको कुछ ऐसे स्थानीय सज्जनोंकी आवश्यकता होगी जिन्हें दक्षिण आफ्रिकाकी परिस्थितिकी सही जानकारी हो। उनके बारेमें मैं कोई सुझाव नहीं दे सकता।

आपका सच्चा,
मो० क० गांधी

[पुनश्च:] कृपया मुझे बॉक्स ६५२२, जोहानिसबर्गके पतेपर पत्र लिखें।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २२४६) से।

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं हुआ।

२८५. पूर्व भारत संघमें श्री रिचका भाषण[1]

[दिसम्बर १८, १९०६ के पूर्व]

श्री रिचने पिछले नवम्बरकी २६ तारीखको पूर्व भारत संघके आमन्त्रणपर दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको होनेवाले कष्टोंके सम्बन्धमें कैक्स्टन हॉलमें भाषण दिया था। श्री मंचरजी अध्यक्ष थे। लॉर्ड रे, सर रेमंड वेस्ट, सर फ्रेडरिक टेलर, सर जॉर्ज बर्डवुड, श्री कॉटन, श्री बेनेट, श्री ब्राउन, श्री मॉरिसन, श्री अराथून आदि बहुतसे लोग उपस्थित थे। भारतीयोंमें प्रोफेसर परमानन्द, श्री मुकर्जी, आदि आये थे। श्री रिचने अपने भाषणमें सारे दक्षिण आफ्रिका [के भारतीयों] का हाल कहा था। भाषणकी बहुतेरी दलीलोंसे इस पत्रके पाठक परिचित हैं। इसलिए उसका सार हम यहाँ नहीं दे रहे हैं।

श्री रिचके भाषणके बाद श्री अली और श्री गांधीको बोलनेके लिए कहा गया। श्री गांधीने पूर्व भारत संघने जो कुछ मदद दी थी उसके लिए आभार मानते हुए कहा कि यदि ट्रान्सवालका नया कानून पास हो गया तो उसका उत्तरदायित्व प्रत्येक अंग्रेजपर होगा। दक्षिण आफ्रिकामें जितने भी कानून बनाये जाते हैं वे सब सम्राट्के नामसे बनते हैं। अतः अंग्रेज प्रजाको तीस करोड़ भारतीयोंके साथ जरा भी न्याय करनेकी इच्छा हो तो उसे उनपर उपनिवेशमें होनेवाले कष्टोंको दूर करनेकी व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री अलीने श्री गांधीकी बातका समर्थन किया और कहा कि जब आर्मिनियन आदि लोग चैनसे ट्रान्सवालमें आ सकते हैं तब भारतीयोंको कष्ट भोगना पड़े, यह तो कभी नहीं होना चाहिए।

सर रेमंड वेस्टने भाषण करते हुए कहा कि वे श्री रिचका भाषण और प्रतिनिधियोंकी रिपोर्ट सुनकर लज्जित हुए हैं। उपनिवेशोंको स्वराज्य दे दिया गया इससे क्या अंग्रेजोंका कर्तव्य पूरा हो गया? यदि यह बात हो तो "इम्पीरियल रेस" शब्दोंका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उपनिवेशोंको स्वराज्य मिल जानेका अर्थ यह नहीं कि वे काले लोगोंको कुचल डालें। भारतीयोंका मामला बहुत मजबूत है और धीरज रखनेसे निश्चय ही उन्हें न्याय मिलेगा।

श्री थॉर्नटनने कहा कि ट्रान्सवालके भारतीयोंको निश्चय ही न्याय मिलना चाहिए। उनकी माँग इतनी सरल है कि उसके सम्बन्धमें दो रायें नहीं हो सकतीं।

'पारसी क्रॉनिकल' के सम्पादक श्री नसरवानजी कूपरने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश गियानाकी यात्रा की है। वहाँके भारतीयोंकी हालत बहुत ही अच्छी है। उन्हें सारे अधिकार हैं और बहुतेरे भारतीय ऊँची-ऊँची जगहोंपर पहुँच गये हैं। दक्षिण आफ्रिकामें भी भारतीयोंकी वैसी ही स्थिति होनी चाहिए। उन्हें कष्ट हो, यह बहुत ही बड़ा अन्याय माना जायेगा।

लंकाके एक बगान-मालिक श्री वाइजने कहा कि श्री रिचने गिरमिटिया लोगोंके सम्बन्धमें जो बात कही है वह ठीक नहीं है। वे लोग अपनी इच्छासे जाते हैं, और इसमें किसीकी आपत्तिके योग्य कुछ नहीं है। उसके बाद श्री मार्टिन वुड, सर लेजूली ग्रॉबेन आदि सज्जन बोले।

१. इसका मसविदा गांधीजीने जहाजपर तैयार किया था। देखिए "शिष्टमण्डलकी टीपें — ४", पृष्ठ २७५।

श्री रिचने कुछ सवालोंके जवाब देते हुए कहा कि यदि भारतीयोंके साथ न्याय करना और उपनिवेशोंको खो देना, ये दो ही विकल्प हों तो उपनिवेशोंको जाने देना ज्यादा अच्छा होगा। किन्तु भारतीयोंको न्याय न मिले, यह ब्रिटिश जनताके लिए बहुत ही लज्जा-जनक है।

सर मंचरजीने कहा कि मैं इस विषयमें बहुत वर्षोंसे सोचता आ रहा हूँ। मेरे लिए भारतीयोंके कष्ट बर्दाश्त करना सम्भव नहीं है। श्री रेमंड वेस्टने धीरज रखनेके लिए कहा है। किन्तु यह धीरज रखनेका समय नहीं है। भारतीयोंके अधिकार मारे जायें तो फिर धीरज रखनेको क्या रहा?

सभाके समाप्त होनेसे पहले नैतिकतावादी समिति-संघकी मन्त्री कुमारी विंटरबॉटमने भारतीयोंके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पेश किया जो पास हो गया। इसके बाद श्री रिचका आभार मानकर सभा विसर्जित हुई।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-१२-१९०६

२८६. शिष्टमण्डलकी टीपें — ४

[दिसम्बर १८, १९०६ के पूर्व]

यह पत्र डाकके जिस जहाजसे जा रहा है उसीसे प्रतिनिधि भी अपना काम पूरा करके जा रहे हैं। वास्तवमें यह टिप्पणी जहाजमें ही लिखी जा रही है।

अन्तिम सप्ताह हमेशा याद रहेगा। जिस कामके लिए प्रतिनिधि विलायत आये थे उसके सफल होनेका विश्वास हर घड़ी बढ़ता गया है।

संसद-सदस्योंकी दूसरी सभा

श्री मॉर्लेके उत्तरके बाद संसद-सदस्योंकी आँखें और भी खुलीं। उन्होंने समझ लिया कि यदि ट्रान्सवालका कानून मंजूर हो गया तो उससे इंग्लैंडकी नाक कट जायेगी। इसलिए उन्होंने दूसरी बैठक करनेका निश्चय किया। सर चार्ल्स श्वान, श्री कॉक्स तथा श्री स्कॉट उस काममें जुट गये। उन्होंने हमें सभाके लिए सूचना जारी करनेका हुक्म दिया। सूचनाएँ रातोंरात तैयार करके डाकमें डाल दी गईं। सोमवारको सदस्योंकी बैठक हुई। उसमें उन्होंने प्रस्ताव किया कि प्रधान मन्त्रीसे मिलकर इस कानूनके सम्बन्धमें बातचीत की जाये। एक समिति बनाई गई और वह सर हेनरी कैम्बेल बेनरमनसे मिली। प्रधानमन्त्रीने कहा कि यह कानून उन्हें पसन्द नहीं है। इस सम्बन्धमें वे स्वयं लॉर्ड एलगिनसे मिलेंगे। इससे आशाका पहला कारण उपलब्ध हुआ।

श्री विन्स्टन चर्चिलसे मुलाकात

श्री विन्स्टन चर्चिलने हमें समय दिया था। उसके अनुसार हम उनसे मिले। उन्होंने अच्छी तरह बातचीत की। उन्होंने हम दोनोंसे पूछा कि यह कानून पास न भी हो तो

क्या बादमें आप लोगोंको उत्तरदायी शासनसे डर नहीं है? उत्तरदायी शासन यदि इससे भी ज्यादा खराब कानून पास करे तो? हमने उत्तर दिया कि इससे ज्यादा खराब और किसी कानूनकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हम तो यही चाहते हैं कि यह कानून रद हो। फिर जो होना होगा सो होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस कानून तथा फ्रीडडॉर्पके कानूनके सम्बन्धमें और सामान्यत: इस सम्पूर्ण प्रश्नपर जो कुछ भी कहना हो वह संक्षेप में — सिर्फ एक कागजभर — लिखकर भेज दीजिए।[1] उसे वे पढ़ेंगे और विचार करेंगे। इसके बाद श्री अलीने श्री चर्चिलको याद दिलाया कि लड़ाईसे[2] वापस लौटते समय आपको पाइंटपर लेनेके लिए जो अली आया था वही अली आज आपके सामने भारतीय समाजके लिए न्याय माँग रहा है। इसपर चर्चिल हँसे और श्री अलीकी पीठ थपथपाकर कहने लगे कि उनसे जितना भी बनेगा, करेंगे। इस उत्तरसे और भी आशा बँधी है। श्री चर्चिलने जैसी चिट्ठी माँगी थी, वैसी भेज दी गई है।

'डेली न्यूज' को भेंट

इन सम्पादक महोदयका नाम श्री गार्डिनर है। उन्हें हमने सब बातें बताईं तो उन्होंने सख्त लेख लिखनेका वचन दिया और दूसरे दिन एक तीखा लेख छपा।

शुभचिन्तकोंको भोज

कहना होगा कि तारीख २९ को प्रतिनिधियोंका अन्तिम काम समाप्त हो गया। जिन महानुभावोंने मदद दी थी, उन्हें उन्होंने होटल सेसिलमें भोज दिया और उनके समक्ष समितिकी रूपरेखा पेश की। भोजमें काफी लोग शामिल हुए थे। उसमें लॉर्ड रेने बहुत अच्छा और जोरदार भाषण दिया। दूसरे भाषण भी प्रभावशाली हुए। इसकी और समितिकी रिपोर्ट मैं अलगसे देना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ।

प्रतिनिधियोंका विदाईपत्र

प्रतिनिधियोंने अखबारोंमें कृतज्ञता-सूचक पत्र भेजा है[3]। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय प्रजा उपनिवेशके साथ लड़ना नहीं चाहती, बल्कि हिलमिलकर काम लेना चाहती है। जब समाजपर आघात होता है, तब विवश होकर ढाल अड़ानी पड़ती है। जहाँतक सम्भव है वह उपनिवेशके लोगोंके विचारोंके सामने झुककर चलना चाहता है। लेकिन वह यह चाहता है कि जो सामान्य अधिकार हर नागरिकके पास होने चाहिए उनमें जरा भी परिवर्तन न किया जाये।

विदाई

दिसम्बर १ को वाटरलू स्टेशनसे प्रतिनिधि रवाना हुए। उन्हें पहुँचानेवालोंमें सर मंचरजी, श्री जे० एच० पोलक, श्री रिच, गॉडफ्रे बन्धु, श्री सुलेमान मंगा, श्री मुकर्जी, श्रीमती पोलक, कुमारी स्मिथ, श्री सीमंड्स, प्रोफेसर परमानन्द, श्री रत्नम् पत्तर वगैरह शामिल थे।

१. देखिए "पत्र: विन्स्टन चर्चिलके निजी सचिवको" का संलग्नपत्र, पृष्ठ २५५-५६।

२. स्पष्टतया बोअर युद्ध।

३. देखिए "पत्र: अखबारोंको", पृष्ठ २६७-६८।

मददगारोंके प्रति कृतज्ञता

सार्वजनिक काम करनेवाले लोगोंमें से जिन लोगोंने मदद दी उनके नाम दिये जा चुके हैं। उनके प्रति आभार भी प्रकट किया जा चुका है। लेकिन जिन्होंने बिना नामकी इच्छाके मदद की है, उनका आभार मानना शेष रहा है। उनमें हैं श्री सीमंड्स, कुमारी लॉसन, श्री जॉर्ज गॉडफ्रे, श्री जेम्स गॉडफ्रे, श्री रिच, श्री मणिलाल मेहता, श्री आदम गुल, श्री मंगा और श्री जोज़ेफ़ रायप्पन हैं। श्री सीमंड्स और कुमारी लॉसनको वेतन मिलता था। लेकिन उन्होंने वैतनिक जैसा काम नहीं किया। रात-रातभर जागनेवालोंमें वे लोग थे। उसमें उन्होंने आनाकानी नहीं की। दोनों गॉडफ्रे हमेशा हाजिर रहते और मदद करते थे; और जब श्री गुल और श्री मंगाकी जरूरत होती, वे भी आ जाते थे। इसी तरह श्री रत्नम पत्तर हैं। वे अभी विलायतमें पढ़ रहे हैं। वे भी मददके लिए आते थे। यदि इस तरह मदद न मिली होती, तो लोकसभाके सदस्योंका जो काम सोचा गया था, वह नहीं हो पाता। उनके लिए ही २,००० सूचनापत्र निकालने पड़े थे। वह सारी डाक तैयार करके भेजनेमें कितना समय लगा होगा, इसे हर कोई समझ सकेगा। श्री रिचकी प्रशंसा करते नहीं बनती। उनके कामसे सारा भारतीय समाज परिचित है। प्रोफेसर परमानन्दने भी आवश्यक मदद की थी।

श्री रिचका भाषण

पूर्व भारत संघमें श्री रिचने भाषण दिया था।[1] वह भी अलगसे दिया गया है, इसलिए यहाँ नहीं दे रहा हूँ।

मदीरामें तार

यह काम पूरा करके हम 'ब्रिटन' जहाज द्वारा विदा हुए। 'ब्रिटन' के मदीरा पहुँचनेपर हमें दो तार मिले। एक तार श्री रिचकी ओरसे और दूसरा जोहानिसबर्गसे आया था। दोनोंमें सूचना थी कि लार्ड एलगिनने अध्यादेश रद कर दिया है। यह आशा नहीं थी। पर ईश्वरकी महिमा न्यारी है। अन्तमें सच्ची मेहनतका फल सच्चा होता है। भारतीय समाजका मामला सच्चा था और परिस्थितियाँ भी सब अनुकूल रहीं। परिणाम शुभ निकला। इससे फूलना नहीं है। लड़ाई अभी बहुत बाकी है। भारतीय समाजको अपनी बहुत-सी जिम्मेदारियाँ निभानी हैं। हम अपनी योग्यता साबित करेंगे तभी हम इस सफलताको पचा सकेंगे, नहीं तो यह सफलता जहर-जैसी भी हो सकती है। इसपर विशेष चर्चा बादमें करेंगे।

नेटालकी लड़ाई

लार्ड एलगिनने नेटालके सम्बन्धमें लिखित[2] मसविदा माँगा था। वह उन्हें भेज दिया गया है। अब परिणाम क्या होता है, यह धीरे-धीरे मालूम होगा। जो स्थायी समिति बनाई गई है उसके सामने मंथनके लिए नेटाल और फ्रीडडॉर्पका काम है, इसलिए उसे फुरसत नहीं मिलेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-१२-१९०६

१. देखिए "पूर्व भारत संघमें श्री रिचका भाषण", पृष्ठ २७२-२७३।

२. देखिए "पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको" का संलग्नपत्र, पृष्ठ २६९-७०।

२८७. शिष्टमण्डल द्वारा आभार-प्रकाशन[1]

[केप टाउन]
दिसम्बर २०, १९०६

डर्बनसे लगभग ३० स्नेहपूर्ण सन्देश मिले हैं। मैफेकिंगसे भी मिले हैं। शिष्टमण्डलके सदस्य सबका आभार मानते हैं। हरएकके नामसे अलग-अलग तार प्राप्तिकी सूचना नहीं दी जा सकती। परमेश्वरका उपकार माना जाये, प्रतिनिधियोंका नहीं। उन लोगोंने तो मात्र अपने कर्तव्यका निर्वाह किया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-१२-१९०६

२८८. स्वागत-सभामें प्रस्ताव[2]

जोहानिसबर्ग
[दिसम्बर २३, १९०६]

प्रस्ताव २[3] : ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा अब इंग्लैंडके उन अनेक मित्रोंको धन्यवाद देती है जिन्होंने प्रतिनिधियोंकी सक्रिय सहायता की है; और साथ ही ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष और हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके स्थानापन्न अध्यक्षको इन सज्जनोंके नाम धन्यवादपत्र लिखनेका अधिकार देती है।

प्रस्ताव ३ : ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा आगे अंकित करती है कि भारतीय समाजकी विनम्र अभिलाषा यूरोपीय उपनिवेशियोंके सहयोगमें काम करनेकी है और वह उनकी इच्छाओंको हर समुचित तरीकेसे पूरा करनेको तैयार है। सभाका विश्वास है कि वे भी ट्रान्सवालके भारतीय अधिवासियोंको इस उपनिवेशमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठाके साथ

१. इंग्लैंडसे लौटनेपर दिसम्बर २० को केप टाउनसे गांधीजीने **इंडियन ओपिनियन**के सम्पादकके नाम इस आशयका तार भेजा था।

२. गांधीजी और अलीके दक्षिण आफ्रिका लौटनेपर ब्रिटिश भारतीय संघने उनके स्वागतमें २३ दिसम्बरको हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके सभा-भवनमें एक समारोहका आयोजन किया था। सभामें उन्हें मानपत्र भेंट किये गये और उनके कार्योंकी सराहना की गई। उत्तरमें गांधीजी और अलीने जो-कुछ कहा **इंडियन ओपिनियन**के अनुसार इस प्रकार था: "हमारा काम अभी शुरू ही हुआ है। हमें यूरोपीय उपनिवेशियोंको यह दिखाना है कि भारतीयोंका दावा न्यायपूर्ण और उचित है तथा उसपर किसी भी संयत उपनिवेशीको विरोध नहीं हो सकता।"

३. जान पड़ता है, इसका तथा इसके बादके प्रस्तावका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था। इससे पहले सभामें गांधीजी और अलीको उनके कार्यकी सफलतापर बधाई देनेका प्रस्ताव पास किया गया था। तीनों प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास किये गये।

रहने और सभ्य सरकारके अधीन सभी शिष्ट नागरिक जिन साधारण अधिकारोंके हकदार हैं उन अधिकारोंके उपभोगमें मदद करके उनकी भावनाका उत्तर देंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-१२-१९०६

२८९. स्वागत-समारोहमें भाषण

श्री उमर हाजी आमद झवेरीने गांधीजीके सम्मानमें अपने निवास-स्थानपर एक स्वागत-समारोह किया था। उसमें गांधीजीने जो भाषण दिया था उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी जाती है:

[डर्बन
दिसम्बर २६, १९०६]

श्री गांधीने सबका आभार माना और श्री अली द्वारा की गई मददकी प्रशंसा करते हुए कहा कि अध्यादेशके रद हो जानेमें हमारे खुश हो जाने लायक कुछ नहीं है। अभी तो हम हिन्दू-मुसलमानोंके लिए एक होकर सच्ची लड़ाई लड़नेका समय आया है। ऐसे प्रत्येक काममें हम सबको एक रहना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन २९-१२-१९०६

२९०. वेरूलमके मानपत्रका उत्तर

दिसम्बर २९, १९०६ को वेरूलमके भारतीय समाजने गांधीजी और श्री हाजी वजीर अलीको मानपत्र दिया था। श्री अली अनुपस्थित थे, इसलिए गांधीजीने दोनोंकी ओरसे मानपत्रका उत्तर दिया:

दिसम्बर २९, १९०६

सारे भाषणोंका उत्तर देते हुए श्री गांधीने, श्री अलीको और उन्हें जो सम्मान दिया गया, उसके लिए कृतज्ञता प्रगट की [और कहा कि] मजदूरोंके कष्टोंसे मुझे पूरी सहानुभूति है। उनपर जब [३ पौ०] का कर लगाया गया था, तब हमने पूरी तरह मुकाबला किया था। फिलहाल उस स्थितिमें कोई परिवर्तन होना मुश्किल है। रविवारके कामके सम्बन्धमें भी हम बहुत-कुछ कर सकेंगे सो नहीं जान पड़ता। आप सबने मुझे मानपत्र और आभारका जो सन्देश अलीके पास ले जानेके लिए सौंपा है वह मैं पहुँचा दूंगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-१-१९०७

२९१. तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको

[जोहानिसबर्ग]
दिसम्बर २९, १९०६

सेवामें

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति
२८, क्वीन ऐन्स चेम्बर्स, एस० डब्ल्यू०
[लन्दन]

कृपया अध्यादेशके सम्बन्धमें सरकारको जगायें।

डेपुरिशन[1]

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स: सी० ओ० २९१, खण्ड २९१, विविध।

२९२. सिंहावलोकन

हर वर्ष क्रिसमसके दिनोंमें हम भारतीय समाजकी स्थितिका सिंहावलोकन करते आये हैं। इस बार हमें यह कहते हुए खुशी है कि भारतीय शिष्टमण्डलके प्रयाससे ट्रान्सवाल कानूनके सम्बन्धमें प्राप्त विजयका उल्लेख हम सबसे पहले करनेमें समर्थ हुए हैं। इस कानूनको लॉर्ड एलगिनने रोक दिया है। इससे ट्रान्सवालके भारतीयोंको लाभ हुआ है। इतना ही नहीं, दक्षिण आफ्रिकाके सारे भारतीय समाजको लाभ हुआ है, और समाज एक कदम और आगे बढ़ गया है। हम यह मानते हैं कि इस अध्यादेशको रोकनेका मुख्य हेतु था कि उसके द्वारा भारतीय समाजपर निश्चित रूपसे जो कलंक लगनेवाला था वह न लगे। यानी जो कानून केवल भारतीयोंपर ही लागू हो और गोरोंपर लागू न हो सके, वैसे कानूनको बड़ी सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। यदि हमारी यह मान्यता ठीक हो तो इस दृष्टिसे फ्रीडडॉर्प अध्यादेश भी रद किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा फ्रीडडॉर्पमें भारतीयोंको जमीनका पट्टा लेनेकी मनाही है। यही स्थिति नेटाल नगरपालिका-मताधिकार विधेयककी होनी चाहिए। 'नेटाल मर्क्युरी' ने यह आपत्ति की है कि ट्रान्सवाल चूँकि अभी ताजका उपनिवेश है इसलिए बड़ी सरकार शायद वहाँ हस्तक्षेप कर सकती है। किन्तु नेटालके, जिसे स्वराज्य प्राप्त है, बीचमें बड़ी सरकारको नहीं आना चाहिए। इस तर्कमें भूल है; क्योंकि नेटालके संविधानमें एक धारा यह रखी गई है कि यदि नेटालकी संसद जातिभेदवाला कानून पास करे तो लागू किये जानेके पहले उसपर बड़ी सरकारके हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि यह धारा केवल

१. उपनिवेश कार्यालयके अभिलेख बताते हैं कि ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघके मन्त्रीकी हैसियतसे गांधीजी इसका सांकेतिक शब्दके रूपमें उपयोग करते थे।

शोभाके लिए नहीं, बल्कि काले लोगोंके सच्चे बचावके लिए रखी गई हो, तो 'नेटाल मर्क्युरी' का तर्क रद हो जाता है। अतः यह माननेके लिए जबरदस्त कारण है कि नेटालका विधेयक भी रद हो जाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९–१२–१९०६

२९३. केपमें अत्याचार

हमें मालूम हुआ है कि केपके प्रवासी कानूनके अनुसार जब भारतीय प्रवासी प्रमाणपत्र अथवा अनुमतिपत्र लेते हैं तब अपनी तसवीर, एक पौंड शुल्क और, इसके अलावा कभी-कभी अपने दाहिने और बांयें अँगूठेके निशान देते हैं। हमें यह भी मालूम हुआ है कि यह कुछ अरसेसे चल रहा है। इस हकीकतसे हम बहुत ही दुःखी हैं। यह रिवाज भारतीय समाजको नीचा दिखानेवाला है; इतना ही नहीं, यदि यह बन्द न किया गया तो इससे दक्षिण आफ्रिकाकी सारी भारतीय प्रजाको नुकसान होगा और केपके छींटे दूसरी जगह उड़ेंगे। इसका उपाय बहुत ही आसान है; क्योंकि हमारी रायमें यह कार्रवाई बाकायदा नहीं है। प्रवासी-अधिकारीने कुछ भारतीयोंसे पूछकर तसवीरका नियम दाखिल किया है। इसलिए इस सम्बन्धमें भारतीय यदि प्रवासी अधिकारीसे मिलें, तो सम्भव है तत्काल सुनवाई हो जायेगी। यह सुननेको हम आतुर हैं कि इस सम्बन्धमें जरा भी ढील नहीं की गई और बहुत ही प्रभावशाली उपाय काममें लाये गये हैं। ट्रान्सवालमें एक समय एशियाई अधिकारियोंने ऐसा ही नियम लागू किया था। लेकिन भारतीय समाजके विरोध करनेपर उसे रद कर देना पड़ा था।

इन प्रमाणपत्रोंके सम्बन्धमें यह भी देखा गया है कि ये सिर्फ एक वर्षके लिए हैं। ऐसा होनेका भी कोई कारण नहीं। जिसे अंग्रेजी भाषाका ज्ञान न हो, और जो केपका निवासी हो उसे केपमें वापस आनेका हक है, इस तरहका स्थायी प्रमाणपत्र मिलना चाहिए। हम कोई कैदी नहीं हैं, जो हमें अमुक समय तक बाहर रहनेकी अनुमति मिले और यदि समयकी मर्यादामें न लौट सकें तो वह परवाना रद हो जाये। केपकी स्थिति और जगहोंसे अभी अच्छी मानी जाती है। हम केपके नेताओंको सलाह देते हैं कि वे इस स्थितिको बड़ी सावधानीके साथ सँभाल कर रखें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९–१२–१९०६

२९४. डर्बनके मानपत्रका उत्तर

गांधीजी और हाजी वजीर अलीको मानपत्र भेंट करनेके लिए नेटाल भारतीय कांग्रेसकी एक बैठक मंगलवार जनवरी १, १९०७को डर्बनमें हुई थी। श्री दाउद मुहम्मद अध्यक्ष थे। मानपत्रके उत्तरमें गांधीजीने कहा :

[डर्बन
जनवरी १, १९०७]

बहुत समय बीत गया है, इसलिए मैं अधिक नहीं बोलूँगा। यहाँ श्री अली और मेरे सम्बन्धमें जो कुछ कहा गया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। हमें यहाँ संगठित होकर रहना चाहिए। हम संगठित रहकर नम्रतापूर्वक किन्तु दृढ़ताके साथ अपने उचित हकोंकी माँग करेंगे। उसकी सुनवाई होगी ही। विलायतमें हमें जो मदद मिली, वह यदि न मिलती तो हम कुछ नहीं कर पाते। ब्रिटिश राज्य न्यायी है, इसलिए यदि हम उसके सामने अपने कष्ट रखेंगे तो हमें न्याय मिल सकेगा। यह हमने देख लिया है। किन्तु हमें जो विजय मिली है उससे हमें बहुत खुश नहीं होना है। हमारी लड़ाईका प्रारम्भ अभी ही हुआ है। अब इस विजयको बनाये रखना हमारे हाथ है। यहाँकी सरकारको हमें समझाना होगा। मैं अपना भाषण समाप्त करनेसे पहले आप सबसे याचना करता हूँ कि कौमकी भलाईके कामोंमें तन-मन-धनसे आगे बढ़कर हाथ बँटायें और सभी भाई अपने कर्त्तव्यका पालन करें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५–१–१९०७

२९५. भोजनोपरान्त भाषण

गांधीजी और श्री अलीके सम्मानमें एम० सी० कमरुद्दीनकी पेढ़ीने बुधवार जनवरी २, १९०७ को ग्रे स्ट्रीट डर्बनके अपने अहातेमें एक भोज दिया था। उक्त अवसरपर पहले पेढ़ीके प्रबन्धक बोले और बादमें गांधीजी और श्री अलीने उसका उत्तर दिया। निम्नलिखित अंश उन दोनोंके भाषणोंका संयुक्त विवरण है :

[डर्बन, जनवरी २, १९०७]

सर्वश्री गांधी और अली दोनोंने उत्तर दिया तथा लन्दनमें अपने कामका विवरण सुनाया। यद्यपि मुकाम लम्बा नहीं था, फिर भी वे लोग उस अवधिमें प्रधान मंत्रीसे लेकर बड़ेसे-बड़े और छोटेसे-छोटे सभी वर्गोंके राजनीतिज्ञोंसे मिले। युक्तिसंगत तरीकेसे प्रस्तुत उस मामलेको सुनकर किसी भी व्यक्तिने, फिर वह किसी भी दलका क्यों न हो, उसके समर्थनमें आनाकानी नहीं की। कुछ अंदाज देनेके विचारसे प्रतिनिधियोंने बताया कि लन्दनमें उनके कामपर एक-एक पेनीकी ५,००० टिकटें सर्फ हुईं। उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाका मामला जिस समितिको सौंपा था उसका निर्माण बहुत प्रभावशाली व्यक्तियोंसे मिलकर हुआ था। संसदके दोनों

भवनोंके सदस्योंने मददका जोरदार और पक्का वादा किया; उन्हें कोई शक नहीं था कि पक्षकी माँग नरम है और रुख समझौतेका है। यद्यपि अध्यादेश जब पेश हुआ था तब वह सारे विरोधोंकी परवाह किये बिना तेजीसे पास कर लिया गया था, तथापि लोगोंने बाहरसे हस्तक्षेप करानेका प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने सही रास्ता अपनाया और न्यायकी विजय हुई। समितिने जो काम किया उससे उन्हें बड़ी-बड़ी आशाएँ हो गई थीं। लन्दनमें जनमतके मुखपत्र 'टाइम्स'ने इस पक्षकी चर्चाके लिए स्तम्भ खोल रखे थे, परिस्थितिके विस्तृत स्पष्टीकरण और समझ लिये जानेके बाद सदा एक ही उत्तर मिलता था कि ठीक ढंगसे सोचनेवाले किसी भी व्यक्तिकी रायमें उनकी शिकायत उचित, नरम और तर्कसंगत है। इंग्लैंड छोड़कर आते समय तक उन्हें प्रबल आशा हो गई थी कि उनके साथ न्याय किया जायेगा; और कुछ दिनोंके बाद जब वे मदीरा पहुँचे, उन्हें इस आशयका तार मिला कि अध्यादेश नामंजूर कर दिया गया है। प्रतिनिधियोंने श्रोताओंसे कहा कि वे नागरिकोंकी हैसियतसे अपने सारे उत्तरदायित्वोंका निर्वाह करें; उन्हें ब्रिटिश न्यायसे पूरी आशा है। संघर्ष अभी प्रारम्भ ही हुआ है, किन्तु भविष्यके प्रति वे निराश नहीं हैं।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, ४-१-१९०७

२९६. मुस्लिम संघके मानपत्रका जवाब

श्री गांधी और श्री हाजी वजीर अलीको मानपत्र देनेके लिए डर्बनमें ३ जनवरी १९०७ को मुस्लिम संघ (मोहम्मडन असोसिएशन) की एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। सभाके अध्यक्ष-पदपर श्री उस्मान मुहम्मद अफेन्दी थे। मानपत्रके जवाबमें गांधीजीने कहा :

[डर्बन
जनवरी ३, १९०७]

हालमें बहुतसे संघोंकी स्थापना हुई है। वे चाहें तो समाजकी बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। इन संघोंके चालकोंको संघोंके अधिकारियोंकी तरह नहीं, सेवककी तरह बरतना चाहिए। और ऐसा होनेपर ही सच्ची सेवा हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि ये विविध संघ आपसमें सहयोग करें तो हममें बहुत ही शक्ति आ सकती है। दूसरे, श्री पॉलने शिक्षाके सम्बन्धमें जो संकेत किया है वह वास्तवमें ध्यान देने योग्य है। उसमें फीनिक्सकी जमीनकी बाबत कहा गया है। उसके सम्बन्धमें मैं बड़ी खुशीके साथ बतलाना चाहता हूँ कि यह जमीन मेरी नहीं, कौमकी ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि भारतमें हिन्दू-मुसलमानोंके बीच फूट डालनेके लिए सरकारी पक्ष द्वारा प्रयत्न किये जाते हैं। वे हमें एक-दूसरेसे अलग देखना चाहते हैं। क्योंकि उनकी मान्यता है कि ऐसा होनेपर ही अंग्रेजी राज्य भारतमें दीर्घकाल तक टिकाया जा सकता है। आज 'ऐडवर्टाइजर' में एक तार है। उस तारको हम कदापि सत्य नहीं मान सकते। यह तार करनेवाली तथा इस प्रकारकी सभाएँ करानेवाली सरकार ही है। हमारी जीतका सच्चा और मुख्य कारण जाननेकी बहुतेरोंकी इच्छा है। वह कारण तो यही है कि मैं और श्री अली दोनों एक थे। हमारे बीच कभी भी

मतभेद नहीं हुआ। सत्य तो यह है कि हम दोनों मेल और प्रेमसे बाप-बेटेकी तरह काम करते रहे और इसीसे विजय पानेमें समर्थ हो सके हैं। हमारे धर्म भिन्न होनेके बावजूद मोर्चेपर हम दोनों एक रहे। यह बात सभीको याद रखनी है। दूसरे, हमारे पक्षमें सत्य और न्याय भी था। मैं खुदाको हमेशा अपने पास ही समझता हूँ। वह मुझसे दूर नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी ऐसा ही मानें। खुदाको अपने पास समझें, और हमेशा सत्यका आचरण करनेवाले बनें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-१-१९०७

२९७. डर्बनके स्वागत-समारोहमें भाषण

मंगलवार जनवरी ३, १९०७ को विक्टोरिया स्ट्रीटके भारतीय नाटकघरमें मुस्लिम संघ द्वारा गांधीजी तथा श्री अलीको अभिनन्दनपत्र भेंट किया गया था। उस अभिनन्दनपत्र तथा सर्वश्री दाउद मुहम्मद, दादा अब्दुल्ला एवं अन्योंके भाषणोंके उत्तरमें गांधीजी तथा श्री अलीने भी भाषण दिये थे। उनके भाषणोंकी संयुक्त रिपोर्ट नीचे दी जाती है :

[डर्बन
जनवरी ३, १९०७]

प्रतिनिधियोंने भाषण दिये। दोनोंने विस्तृत राजनीतिपर अलग-अलग प्रकाश डालकर अपने श्रोताओंको बताया कि उन्हें इंग्लैंडमें कितना कठिन कार्य करना पड़ा था। उन्होंने सर मंचरजीका, जिन्होंने अपने भारी प्रभाव और दीर्घ अनुभवका लाभ उन्हें दिया, उनकी उत्तम सेवाओं और महत्वपूर्ण परामर्शके लिए आभार माना। उन्होंने बताया कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालयके भूतपूर्व न्यायाधीश श्री अमीर अलीने भी उन्हें ऐसी ही सहायता दी थी। सम्राट्की प्रजाकी एक तिहाई, अपनी ३०,००,००,००० जनसंख्याके साथ, ब्रिटिश साम्राज्यका एक मूल्यवान अंग होनेके कारण भारतका जो महत्त्व है उसका उनकी सफलतामें काफी हद तक योग रहा है। बहुत-सी सभाओंमें अंग्रेज श्रोताओंसे पूछा गया था कि क्या वे दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशियोंको भारतके उन पुत्रोंके साथ दुर्व्यवहार करने देंगे, जिन्होंने चीन, दक्षिण आफ्रिका, सोमालीलैंड एवं सूडानमें तथा भारतकी सीमाओंपर उनके लिए युद्ध लड़े हैं? उन लोगोंके साथ, जिनकी वफादारीका पता यह याद करके लग जाता है कि भारतमें अपने ३० करोड़ बन्धु प्रजाजनोंकी देखरेखके लिए मुट्ठी-भर गोरे सिपाही (करीब ७८,०००) ही काफी हैं? और क्या वे यह पसन्द करेंगे कि ट्रान्सवालके १३,००० भारतीयोंके प्रतिनिधि जब भारत वापस जायें तब वे अपने सम्बन्धियोंको बतायें कि वह महान सम्राट्, जो इस विशाल साम्राज्यपर शासन करता है, दक्षिण आफ्रिकामें तंगदिल गोरे उपनिवेशियोंके अपमानसे उनकी रक्षा नहीं कर सकता? उत्साहपूर्ण श्रोताओंकी ओरसे तत्काल दृढ़ उत्तर मिलता था — 'नहीं'।

गांधीजी तथा श्री अलीने भारतीय श्रोताओंको विश्वास दिलाया कि वे इंग्लैंडसे यह दृढ़ धारणा लेकर लौटे हैं कि यदि किसी भी उचित एवं न्यायपूर्ण शिकायतको नरमीके साथ

इंग्लैंडके शासकोंके सामने रखा जाये तो वह अनसुनी नहीं रहेगी। और अन्तमें समाजके सदस्योंसे सरकारके उचित और अनुचित सभी प्रकारके कानन तथा उपनियम पालन करनेको तथा अच्छे नागरिक बननेको कहा, क्योंकि इसीमें उनकी मुक्ति है। उन्हें अपने गोरे पड़ोसियोंको यह यकीन दिलाना होगा कि उनकी उपस्थिति उपनिवेशके लिए अलाभकर नहीं है; और उन्हें यूरोपीय उपनिवेशियोंके साथ, जिनका प्रधान प्रजाति होनेके कारण सदैव आदर करना चाहिए, मिलकर काम करना होगा।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, ८–१–१९०७

२९८. शिक्षा-अधीक्षककी रिपोर्ट

सरकारी शिक्षा विभागके मुख्य अधिकारीने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें बताया गया है कि शिक्षाका जो भी काम किया जा रहा है वह केवल सरकारके खर्चपर होता है। भारतीय समाज कुछ भी नहीं करता। यह उलाहना गैरवाजिब और वाजिब दोनों प्रकारका है। भारतीय समाज अमगेनीका मदरसा चलाता है, दो-एक निजी पाठशालाएँ चलाता है और कभी-कभी भारतीयोंकी शिक्षाके लिए थोड़ी-बहुत सहायता दिया करता है। इससे प्रकट होता है कि अधीक्षक-(सुपरिंटेंडेंट) के आरोपको हम लोग ज्योंका-त्यों स्वीकार नहीं कर सकते। किन्तु यह आरोप बहुत-कुछ उचित है। इसे प्रत्येक भारतीयको लज्जाके साथ स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हममें भारी उत्साह हो तो वर्तमान शालाओंसे भी बहुत अधिक काम हो सकता है। हमारी निश्चित राय है कि जिस तरह हर मदरसेमें अरबीकी शिक्षा दी जानी चाहिए उसी तरह अंग्रेजी, गुजराती अथवा अन्य भारतीय भाषाओंकी लोकोपयोगी शिक्षा भी दी जानी चाहिए। फिर, अरबीकी शिक्षा अधिकतर केवल तोता-रटन्त होती है, यानी बिना अर्थ समझे। इस विषयमें मुसलमान भाइयोंको हमारी सलाह है कि वे मिस्रका उदाहरण देखें। वहाँ बचपनसे अरबीमें शिक्षा दी जाती है, किन्तु अर्थके साथ, इसलिए सब लोग अरबी भाषा बोल सकते हैं और बचपनसे जो पढ़ते हैं वह समझ सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी शिक्षा मिस्रके मदरसोंमें दी जाती है। किन्तु यह सुधार यदि प्रत्येक भारतीय मदरसेमें हो जाये, तो सहज ही बहुतेरे मुसलमान बालक साधारण शिक्षा ले सकेंगे। इस विषयमें यह स्वीकार करना ही होगा कि नेता लोग पीछे रहे हैं।

मदरसोंके अतिरिक्त जो-कुछ है वह इतना कम है और इस विषयमें सारा भारतीय समाज इतनी गफलतमें रहा है कि उसके लिए जितना उलाहना दिया जाये वह हमें बर्दाश्त ही करना होगा। सरकार शिक्षा नहीं देती, यह कहकर अपना दोष दूसरेपर डालना हमें शोभा नहीं देता। जिस प्रकार सरकार शिक्षा देनेके लिए बँधी हुई है उसी प्रकार हम भी बँधे हुए हैं। सरकार यदि अपना कर्त्तव्य भूल जाती है तो हम भी भूल जायें, यह नहीं हो सकता। उलटे, सरकार यदि शिक्षा न दे तो भारतीय समाजका उत्तरदायित्व दुगना हो जाता है। इसलिए हमें खेदपूर्वक कहना चाहिए कि उपर्युक्त आरोप बहुत ही वाजिब है।

हम जानते हैं कि इस प्रकार आलोचना करना सरल है किन्तु उपाय बताना और उसे अमलमें लाना कठिन है। फिर भी हम गुनहगार हैं, इतना स्वीकार करके ही आगे बढ़ सकेंगे। उपाय करनेमें तीन बातोंकी आवश्यकता है। एक तो मकान और उनके लिए आवश्यक दूसरे साधन। इसमें वे ही लोग मुख्य काम कर सकते हैं जो पैसे-टकेसे सुखी हों।

दूसरा उपाय यह है: जिस तरह पैसेवाले लोगोंका कर्तव्य पैसा देना है, उसी तरह सुशिक्षित भारतीयोंको चाहिए कि वे समाजको अपना ज्ञान मुफ्त या लगभग मुफ्त दें। शिक्षाका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। रोमन कैथोलिक लोग शिक्षाके कार्यमें दुनियामें सबसे आगे बढ़े हुए हैं, सो सिर्फ इसीलिए कि उन लोगोंने शुरूसे निर्णय कर रखा है कि शिक्षा देनेवालोंको केवल निर्वाहभरके लिए लेकर शिक्षा देनी चाहिए। फिर, वे लोग बड़ी आयुके और अविवाहित होते हैं, इसलिए अपना सारा समय उसी काममें लगा सकते हैं। हम इस हद तक पहुँच सकें या नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हमें उनके उदाहरणसे सबक लेना चाहिए। जिन्होंने थोड़ी-बहुत भी शिक्षा प्राप्त की है उन्हें इसपर विचार करना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति बिना अधिक कष्ट उठाये सुगमतासे सहायता कर सकते हैं, इसपर हम फिर ब्यौरेवार विचार करेंगे[1]।

तीसरा उपाय माँ-बापके हाथ है। हममें यदि माता-पिताओंको बच्चोंकी शिक्षाका शौक होता तो उपर्युक्त दोनों उपाय अपने आप सुलभ हो जाते और माता-पिता, चाहे जिस तरह भी, अपनी सन्तानको शिक्षा देनेका प्रबन्ध करते। इस विषयमें भारतीय माता-पिता पिछड़े हुए हैं। यह हमें नीचा दिखानेवाली बात है। एक भी जमाना ऐसा देखनेमें नहीं आता जब अशिक्षित जनता खुशहाल बनी हो। केवल इसी जमानेमें शिक्षाकी आवश्यकता हो, सो बात नहीं। शिक्षाकी आवश्यकता तो सदा ही रही है। केवल रूप बदलता रहा है। आजकल जिस प्रकारकी शिक्षाके बिना काम चल ही नहीं सकता उसके बिना पहले चल सकता था। हम मानते हैं कि इस जमानेके जिस समाजने शिक्षा नहीं ली, वह अन्तमें पिछड़ जायेगा इतना ही नहीं, वह यदि नष्ट भी हो जाता है तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। चाहे जो हो तो भी इतना तो निश्चित है कि हम लोग अधिकार प्राप्त करनेके लिए कितनी ही लड़ाई लड़ते रहें, यदि शिक्षामें पिछड़े हुए रहे तो किसी भी हालतमें हमारी स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पायेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-१-१९०७

१. देखिए "शिक्षित भारतीयोंका कर्तव्य", पृष्ठ ३०६।

२९९. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

इस बार कांग्रेसकी ओर बहुतसे ऐसे प्रसिद्ध लोगोंने भी ध्यान दिया है, जो पहले कभी नहीं देते थे। उसका मुख्य कारण यह है कि इन दिनों बंगालमें बहुत हलचल हो रही है। रायटरने यहाँके समाचारपत्रोंमें बड़े-बड़े संवाद भेजे हैं। कांग्रेसको पहली बार इतनी प्रसिद्धि मिली है। इस बार उसका प्रभाव भी बहुत पड़ा है। भारतके पितामह [दादाभाई नौरोजी] का भाषण भी बहुत प्रभावशाली और जोरदार है। उसके शब्द कंठ कर रखने लायक हैं। उस भाषणका तात्पर्य यही है कि जबतक हम जाग्रत नहीं होते, संगठित नहीं रहते तबतक भारत खुशहाल नहीं होगा। दूसरे शब्दोंमें कहें तो उसका मतलब यही होगा कि स्वराज्य पाना, खुशहाल होना और जो हक हमें चाहिए उनका निर्वाह करना हमारे ही हाथमें है। हम बता चुके हैं कि अंग्रेज महिलाओंको जवाब देते हुए श्री एस्क्वियने कहा था कि यदि इंग्लैंडकी सब महिलाएँ मताधिकार माँगें तो वह मिले बिना नहीं रहेगा। अतः हमें समझना है कि जिस प्रकार कुछ हक हमें नहीं मिलते उसी प्रकार इंग्लैंडमें भी प्राप्त करनेमें लोगोंको अड़चन होती है। इंग्लैंडमें माँगे हुए हक थोड़ी कठिनाईके बाद मिल सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह नहीं कि वे गोरे लोग हैं; बल्कि यह है कि वे जो माँग करते हैं वह प्रबलतापूर्वक और संगठित होकर करते हैं; और माँगके स्वीकार न होनेपर माँग करनेवाले लोग शासकोंका काम कठिन कर देते हैं। जब इंग्लैंडमें समितिकी स्थापना हुई उस समय डॉ० ओल्डफील्डने कहा था कि अंग्रेज-जनताको शक्ति और न्याय प्रिय हैं। पर अंग्रेजी राज्यमें न्याय बहुधा शक्तिके बिना नहीं मिल पाता — भले ही वह शक्ति कलमकी हो, तलवारकी हो या धनकी हो। हमें तो मुख्य रूपसे केवल एकता और अपनी सचाईका बल ही काममें लाना है। मतलब यह कि सब लोग मिलकर अपने हक माँगें और माँगनेपर जो-कुछ हानि हो उसे झेलनेके लिए तैयार रहें तो भारतमें हमारे बन्धन आज ही टूट सकते हैं। और जो विचार भारतके लिए उपयुक्त हैं, वे बहुत-कुछ यहाँके लिए भी उपयोगी हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-१-१९०७

३००. तम्बाकू

तम्बाकू पीने और खानेसे होनेवाले नुकसानोंके सम्बन्धमें हम समय-समयपर लिखते रहे हैं। ज्यों-ज्यों अनुभव होता जा रहा है त्यों-त्यों देखनेमें आ रहा है कि तम्बाकूसे होनेवाले नुकसानोंके कारण बड़े-बड़े लोगोंमें एक घबराहट फैल रही है। मैफेकिंगके सुप्रसिद्ध मेजर जनरल बेडन पॉवेलने[1] लिवरपूलमें विद्यार्थियोंके समक्ष भाषण देते हुए कहा कि दुनियाके उच्च कोटिके लोगोंमें अधिकतर तम्बाकू नहीं पीते। फुटबालका खिलाड़ी बासेट, क्रिकेटका ग्रेस, नौका-चालक हेनलन, गॉफ खेलनेमें पटु तथा चलनेमें तेज वेस्टन, बहुत बड़ा शिकारी टेलर तथा बड़ी

1. लॉर्ड बेडन पॉवेल (१८५७-१९४१); बालचर और बालचारिका संस्थाओंके संस्थापक।

यात्राओंमें मार्गदर्शन करनेवाला प्रसिद्ध सेलू — इनमें से एक भी व्यक्ति तम्बाकू (बीड़ी) नहीं पीता। मैफेकिंगमें बेडन पावेलके पासकी सारी तम्बाकू खतम हो जानेपर वहाँके बीड़ी पीनेवाले बिलकुल बेकार हो गये थे; क्योंकि जबतक उन्हें बीड़ी नहीं मिलती थी वे एकदम शिथिल हो जाते थे। बीड़ी इस प्रकार मनुष्यको गुलाम बना लेती है। विलायतमें कहा जाता है कि बीड़ीके व्यसनी अपने आसपासके लोगोंकी जरा भी चिन्ता या परवाह नहीं करते। यह गन्दगी जब बच्चोंमें घुस जाती है तब तो बड़े भयंकर परिणाम होते हैं। बच्चे चोरी करना सीख जाते हैं, अन्य अपराध करते हैं, माता-पिताको छलते हैं और उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और ठीक जवानीमें पहुँचते-पहुँचते उनका मनोबल बहुत क्षीण हो जाता है। भारतीय समाजमें बीड़ीने यूरोप जितना प्रवेश नहीं किया है, परन्तु यदि समझदार भारतीय अपने आपको भूलकर बीड़ीके इस दुर्व्यसनकी ओर जरा भी झुकाव रखेंगे तो हमारे अनेक अनिष्टोंमें यह एक और अनिष्ट जुड़ जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५–१–१९०७

३०१. सम्भावित नये प्रकाशन

जो पुस्तकें अंग्रेजीमें छपी हैं पर जिनका अनुवाद भारतमें नहीं हुआ है और जिनके पठन-पाठनसे प्रत्येक भारतीयको कुछ-न कुछ लाभ हो सकता है ऐसी पुस्तकोंका अनुवाद या सारांश हम प्रकाशित करना चाहते हैं। हमारे पाठकोंमें मुसलमानोंकी संख्या विशेष है, इसलिए सुप्रसिद्ध न्यायाधीश अमीर अलीकी इस्लामके सम्बन्धमें जो पुस्तक अभी-अभी प्रकाशित हुई है — उसका अनुवाद देनेका हमारा इरादा है। न्यायाधीश अमीर अलीने उसका अनुवाद करनेकी अनुमति दे दी है। परन्तु अभी उसके प्रकाशकोंकी अनुमति मिलना बाकी है। यदि यह अनुमति प्राप्त हो गई और हमारे इस इरादेसे पाठकगण भी प्रसन्न हुए और उनका प्रोत्साहन हमें मिला तो हम 'इस्लामकी भावना' (स्पिरिट ऑफ इस्लाम) का अनुवाद पुस्तकाकारमें प्रकाशित करना चाहते हैं। हमें कहना चाहिए कि न्यायाधीश अमीर अलीकी यह पुस्तक सारी दुनियामें प्रसिद्ध है और वह मुसलमान ही क्या, प्रत्येक भारतीयके लिए पठनीय है। उसमें बहुत-कुछ सीखने योग्य है। इस सम्बन्धमें हमारे पाठक कुछ सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। हम उन सुझावोंका खयाल रखेंगे और आभारी होंगे। सुझाव संक्षिप्त और साफ अक्षरोंमें लिखकर भेजे जायें यह हमारी प्रार्थना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५–१–१९०७

३०२. छगनलाल गांधीके नाम पत्रका एक अंश[1]

[जोहानिसबर्ग,
जनवरी ५, १९०७ के लगभग]

तुम्हें जो हिसाबपत्रक भेजे गये हैं उनमें उपर्युक्त रकमें जमा दिखाई गई होंगी।

फोक्सरस्टवाले श्री भाभाका कहना है कि तुम उनके नाम उधारपुर्जा भेजा करते हो। उन्होंने विज्ञापनका पैसा दे दिया है। वह यहाँ जमा भी है।

कल्याणदास यहाँ भी अभी 'इंडियन ओपिनियन' का चन्दा उगाहनेका काम करता है। कई ग्राहकोंकी शिकायत है कि उन्हें 'ओपिनियन' नियमित नहीं मिलता। साथके एक-दो अखबारोंपर ही कागजका लपेटन था। तुम देखोगे कि देसाईकी टिकटोंपर मुहर नहीं है। इन टिकटोंको उखाड़कर काममें लाना[2]। कल्याणदासका अनुमान है कि कोई लापरवाहीसे लपेटन चिपकाता होगा। उसके उखाड़नेसे कागज बेकार जाता होगा। इस विषयमें श्री वेस्टको भी लिख रहा हूँ। हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा लगता है कि लपेटन चढ़ानेका काम हो तब निगरानी रखना जरूरी है। इस सम्बन्धमें सबसे बात करना।

लन्दनकी चिट्ठीके बारेमें लिखनेवाला हूँ। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को भी लिख रहा हूँ। रायटरके साथ तीन महीनेका इकरार है, इसलिए तीन महीने बाद हम दूसरी व्यवस्था कर सकेंगे। उसकी तजवीज आजसे कर रहा हूँ।

मनियाको[3] मुझे लिखनेके लिए कहना। उसे क्या-क्या पढ़नेको देते हो, सो लिखना। मैंने चीनकी सामग्री भेजी है। वह पर्याप्त थी या नहीं सूचित करना। न्यायमूर्ति अमीर अलीकी पुस्तकके अनुवादके बारेमें कोई खबर मिली हो तो वे कागज मुझे भेजना।[4]

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०७१) से।

१. इस पत्रके तीन कागजोंमें से पहला खो गया है। फिर भी पत्रकी सामग्रीसे मालूम होता है कि यह फीनिक्सके पतेपर श्री छगनलाल गांधीके नाम है। पत्रके अन्तमें न्यायमूर्ति अमीर अलीकी पुस्तकका उल्लेख किया गया है। इससे मालूम होता है कि वह ५ जनवरीके आसपास लिखा गया होगा।

२. स्पष्ट है कि श्री देसाईकी प्रतिका टिकट लगा हुआ पैकेट दूसरे किसीके टिकट लगे हुए लपेटनमें लिपटा हुआ था।

३. मणिलाल, गांधीजीके द्वितीय पुत्र।

४. यह उल्लेख सम्भवतः प्रकाशककी अनुमतिके सम्बन्धमें होगा, जिसकी प्रतीक्षा थी। देखिए पिछला शीर्षक।

३०३. छगनलाल गांधीके नाम पत्रका एक अंश[1]

[जोहानिसबर्ग
जनवरी ५, १९०७ के लगभग][1]

[चि० छगनलाल,]

तुमने वसूलीके लिए ग्राहकोंकी जो सूची भेजी है उसमें श्री के० एम० कागदी, बॉक्स २९६ का नाम देखा। मुझे याद है कि मैंने यह नाम तुम्हारे पास भेजा है। किन्तु उनका कहना है कि उन्हें आजतक एक भी प्रति नहीं मिली। वे अपनी डाकपेटी रोजाना देखते हैं, किन्तु उसमें 'ओपिनियन' कभी नहीं मिलता। क्या इस सम्बन्धमें छानबीन करोगे? यदि तुम अखबार भेजते रहे हो तब तो चन्दा लेना आसान है। यदि न भेजा हो तो इस रकमको खारिज करना होगा। यदि अखबार पहले न भेजा हो तो भी इस पत्रकी तारीखसे भेजना शुरू कर सकते हो। तुमने जो छपी हुई सूची भेजी है उसे मैं देख चुका हूँ। किन्तु यह नाम मैंने पहले नहीं देखा।

मणिलालको जहाँतक बन सके अंग्रेजी डेस्कसे न उठानेकी कोशिश करनी चाहिए। उसे नियमित तालीम देना जरूरी है। उसके बारेमें वेस्टने जो दलील दी है उसमें बहुत बल है।

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०८५) से।

३०४. अधीक्षक अलेक्जेंडर

डर्बनके आजतक के [पुलिस] अधीक्षक श्री अलेक्जेंडर[2] अपने पदसे निवृत्त हो गये हैं। उनकी उत्तम सेवाओंके प्रति आदर दिखानेके लिए डर्बनमें उनका बहुत सम्मान किया गया है। उन्होंने भारतीयोंपर बहुत ही कृपा-दृष्टि रखी है। डर्बनका भारतीय समाज उनकी भावनाको समझता है और हमें मालूम हुआ है कि अपना आदर व्यक्त करनेके लिए उनको मानपत्र आदि देनेका विचार कर रहा है। हमारी राय है कि इस काममें बिलकुल सुस्ती न करके तुरन्त निपटा दिया जाये। हम आशा करते हैं कि श्री डोनोवन, जो श्री अलेक्जेन्डरके स्थानपर नियुक्त हुए हैं, इस परम्पराको निभायेंगे और शुद्ध न्याय देंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-१-१९०७

१. यह पत्र अपूर्ण है। उसपर नाम और तारीख दोनों नहीं हैं। फिर भी पत्रके विषयसे स्पष्ट है कि वह छगनलाल गांधीको लिखा गया था। उस समय फीनिक्समें बकाया वसूलीका काम बड़ी तत्परतासे किया जा रहा था। बकाया वसूली और मणिलालके अध्ययनका उल्लेख इसमें तथा पिछले पत्रमें भी है।

२. जब १८९७ में भीड़ने गांधीजीपर हमला कर दिया था तब इन्हीं अधिकारीने गांधीजीकी रक्षा की थी। देखिए खण्ड २, पृष्ठ २२७ और आत्मकथा भाग ३, अध्याय ३ भी।

३०५. उचित सुझाव

केप टाउनका 'केप आरगस' एशियाई अध्यादेशके सम्बन्धमें आलोचना करते हुए लिखता है कि समस्त दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय समस्याका निपटारा करनेके लिए दक्षिण आफ्रिकाकी भिन्न-भिन्न सरकारोंको भारतीय नेताओंके साथ परामर्श करना चाहिए और इस प्रकार समस्याका समाधान करना चाहिए।[1] 'केप आरगस' यह भी लिखता है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो ब्रिटेन और भारत दोनोंको हानि पहुँच सकती है। यह सुझाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और इस प्रकारका सुझाव अंग्रेजी अखबारने पहली ही बार दिया है। यदि पूरे कारगर उपाय काममें लाये जायें तो सम्भवतः वैसा हो सकता है। इस सुझावसे यह पता चलता है कि एशियाई अध्यादेशके रद हो जानेसे दक्षिण आफ्रिकामें गोरोंके मनपर बहुत प्रभाव पड़ा है। इस सम्बन्धमें अपनी अंग्रेजी टिप्पणीमें हमने अधिक विवेचन किया है और आशा की जा सकती है कि उससे कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५–१–१९०७

३०६. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति[2] — १

भूमिका

इस विषयपर अपने 'ओपिनियन' के पाठकोंके लिए हम कुछ समय तक कुछ लिखना चाहते हैं। आजकल दुनियामें पाखण्ड बढ़ गया है। किसी भी धर्मका मनुष्य क्यों न हो, वह

१. ट्रान्सवाल एशियाई अधिनियम-संशोधन अध्यादेशके स्थगित किये जानेसे जो स्थिति पैदा हुई थी उसपर टीका करते हुए केप आरगसने लिखा था: "हम चाहेंगे कि हर जगह स्थानीय सरकार भारतीय समाजके नेताओंसे सलाह ले। किन्तु इन लोगोंसे यह साफ कह दिया जाना चाहिए कि वे गोरे उपनिवेशियोंसे यह अपेक्षा न रखें कि वे खड़े-खड़े देखते रहें और उनके देखते-देखते भारतीयोंकी बाढ़से सारे समाजका स्वरूप ही बदल जाये। फिर भी कुछ-न-कुछ नियमन तो मान लेना चाहिए ही जिससे यहाँ रहनेवाले भारतीयोंको जो अनुचित कष्ट भोगने पड़ते हैं, वे न भोगने पड़ें। ऐसे किसी समझौतेके द्वारा ही हम इस संघर्षसे बच सकते हैं जिसमें न अंग्रेजोंका हित है, न भारतीयोंका।" इसपर टीका करते हुए ५–१–१९०७ के 'इंडियन ओपिनियन' ने अपने अंग्रेजी विभागमें इसे "बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव" कहा था और लिखा था कि "दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंने रंगभेदसे मुक्त नीतिके आधारपर भारतीय आव्रजनपर पाबन्दी लगानेके सिद्धान्तको [सदा] स्वीकार किया है।"

२. इसमें तथा बादके सात लेखोंमें गांधीजीने शिकागोके नैतिक संस्कृति संघके संस्थापक विलियम मेकिंटायर सॉल्टरके 'एथिकल-रिलीजन' का स्वतंत्ररूपसे गुजराती सारानुवाद दिया था। यह पुस्तक रैशनल प्रेस असोसिएशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक-मालामें से एक थी। इसका प्रथम प्रकाशन अमेरिकामें १८८९ के मार्चमें हुआ था और फिर १९०५ में यह इंग्लैंडमें प्रकाशित की गई थी। गुजराती मालामें गांधीजीने पन्द्रहमें से आठका सार प्रस्तुत किया था।

अपने धर्मके बाहरी रूपका ही विचार करता है और अपने सच्चे कर्तव्यको भुला देता है। धनका अत्यधिक उपभोग करनेसे दूसरे लोगोंको क्या कष्ट होते हैं या होंगे इस बातका विचार हम क्वचित् ही करते हैं। अत्यन्त मृदुल और नन्हें-नन्हें प्राणियोंको मारकर यदि उनकी खालके कोमल दस्ताने बनाये जा सकें तो ऐसे दस्ताने पहननेमें यूरोपकी महिलाओंको जरा भी हिचक नहीं होती। श्री रॉकफेलर दुनियाके धन-कुबेरोंमें प्रथम श्रेणीके गिने जाते हैं। उन्होंने अपना धन इकट्ठा करनेमें नीतिके अनेक नियमोंको भंग किया है, यह जगत्-प्रसिद्ध है। चारों ओर इस तरहकी हालत देखकर यूरोप तथा अमरीकामें बहुतेरे लोग धर्मके विरोधी हो गये हैं। उनका कहना है कि दुनियामें यदि धर्म नामकी कोई चीज होती, तो यह जो दुराचरण बढ़ गया है वह बढ़ना नहीं चाहिए था। यह खयाल भूलसे भरा हुआ है। मनुष्य अपनी हमेशाकी आदतके अनुसार अपना दोष न देखकर साधनोंको दोष देता है। ठीक इसी तरह मनुष्य अपनी दुष्टताका विचार न करके धर्मको ही बुरा मानकर स्वच्छन्दतापूर्वक जीमें आये वैसा व्यवहार करता है और रहता है।

यह देखकर अभी-अभी अमेरिका तथा यूरोपमें अनेक लोग सामने आये हैं। उन्हें भय है कि इस तरह धर्मका नाश होनेसे दुनियाका बहुत नुकसान होगा और लोग नीतिका रास्ता छोड़ देंगे। इसलिए वे लोगोंको भिन्न-भिन्न मार्गोंसे नैतिकताकी ओर प्रवृत्त करनेकी शोधमें लगे हैं।

एक ऐसे संघकी[1] स्थापना हुई है जिसने विभिन्न धर्मोंकी छानबीन करके यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि सारे धर्म नीतिकी ही शिक्षा देते हैं, इतना ही नहीं सारे धर्म बहुत-कुछ नीतिके नियमोंपर ही टिके हुए हैं। और लोग किसी धर्मको मानें या न मानें फिर भी नीतिके नियमोंका पालन करना तो उनका फर्ज है। और यदि उनसे नीतिके नियमोंका पालन नहीं किया जा सकता तो वे इस लोक या परलोकमें अपना या दूसरोंका भला नहीं कर सकेंगे। जो पाखण्डपूर्ण मत-मतान्तरोंके कारण धर्म-मात्रको तिरस्कारकी नजरसे देखते हैं ऐसे लोगोंका समाधान करना इन संघोंका उद्देश्य है। ये सब धर्मोंका सार लेकर उसमें से केवल नीतिके विषयोंकी ही चर्चा करते हैं, उसी सम्बन्धमें लिखते हैं और तदनुसार स्वयं व्यवहार करते हैं। अपने इस मतको वे 'नीति धर्म' या "एथिकल रिलीजन" कहते हैं। किसी भी धर्मका खण्डन करना इन संघोंका काम नहीं है। इन संघोंमें किसी भी धर्मका माननेवाला दाखिल हो सकता है और होता है। इन संघोंसे लाभ यह होता है कि इस तरहके लोग अपने धर्मका दृढ़तासे पालन करने लगते हैं और उसकी नीति-शिक्षाओंपर अधिक ध्यान देने लगते हैं। इस संघके सदस्योंकी यह दृढ़ मान्यता है कि मनुष्यको नीति-धर्मका पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो दुनियाकी व्यवस्था टूट जायेगी और अन्तमें भारी नुकसान होगा।

श्री सॉल्टर अमेरिकाके एक विद्वान सज्जन हैं। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की है। वह पुस्तक बड़ी खूबीसे भरी है। उसमें धर्मकी चर्चा नामको भी नहीं है। परन्तु उसकी शिक्षा सभी लोगोंपर लागू हो सकती है। उसी पुस्तकका सारांश हम प्रति सप्ताह देना चाहते हैं। इस पुस्तक-लेखकके सम्बन्धमें इतना कहना ही आवश्यक है कि वे जितना करनेकी सलाह

१. शिकागोका नैतिक संस्कृति संघ — जिसकी स्थापना श्री सॉल्टरने १८८५ के आसपास की थी।

हमें देते हैं उतना वे स्वयं भी करते हैं। हम पाठकोंसे इतनी ही याचना करते हैं कि यदि कोई नीति-वचन उन्हें सच्चा लगे तो वे उसके अनुसार आचरण करनेका प्रयत्न करें। यदि ऐसा हुआ तो हम अपने प्रयासको सफल मानेंगे।

प्रकरण १

जिससे हम अच्छे विचारोंमें प्रवृत्त हो सकते हैं, वह हमारी नैतिकताका परिणाम माना जायेगा। दुनियाके सामान्य शास्त्र हमें बतलाते हैं कि दुनिया कैसी है। नीति-मार्ग यह बतलाता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इस मार्गसे यह जाना जा सकता है कि मनुष्यको किस प्रकार आचरण करना चाहिए। मनुष्यके मनमें हमेशा दो खिड़कियाँ रही हैं। एकसे वह देख सकता है कि स्वयं कैसा है, और दूसरीसे, उसे कैसा होना चाहिए इसकी कल्पना कर सकता है। देह, दिमाग और मन तीनोंकी अलग-अलग जाँच करना हमारा काम अवश्य है, परन्तु यदि इतने तक ही रह जायें तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करके भी हम उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। अन्याय, दुष्टता, अभिमान आदिके क्या परिणाम होते हैं और जहाँ ये तीनों एक साथ हों वहाँ कैसी खराबी होती है यह जानना भी जरूरी है। और, केवल जान लेना ही बस नहीं, जाननेके बाद वैसा आचरण भी करना है। नीतिका विचार वास्तुकारके नक्शेकी तरह है। नक्शा तो केवल यह बतलाता है कि घर कैसा बनाया जाये। पर जैसे चुनाई और बाँधनेका कार्य न किया जाये तो नक्शा बेकार ही होगा, उसी तरह नीतिके अनुसार आचरण न किया जाये तो नैतिकताका विचार भी बेकार हो जायेगा। बहुत लोग नीतिके वचन याद करते हैं, उसके सम्बन्धमें भाषण करते हैं, परन्तु तदनुसार आचरण नहीं करते और करना चाहते भी नहीं। फिर, कुछ यही मानते हैं कि नैतिकताके विचारों-पर अमल करना इस दुनियाके लिए नहीं, मरनेके बाद दूसरी दुनियाके लिए है। पर ये विचार सराहनीय नहीं माने जायेंगे। एक विचारवान व्यक्तिने कहा है कि यदि 'पूर्ण' बनना है तो हमें आजसे ही हर तरहके कष्ट उठाकर नीतिके अनुसार आचरण करना चाहिए। इस प्रकारके विचारोंसे हमें बिदकना नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर तदनुसार आचरण करनेमें प्रसन्न होना चाहिए। महान योद्धा पेम्ब्राक ऑबरकॉकके युद्धके बाद अर्ल डर्बीसे मिला तब डर्बीने उसे खबर दी कि युद्ध जीता जा चुका है। इस खबरपर पेम्ब्राक बोल उठा : "आपने मेरे साथ शिष्टताका व्यवहार नहीं किया। जिसका मुझे सम्मान मिलता उसे आपने मेरे हाथसे छीन लिया है। मुझे युद्धमें बुलाया था तो मेरे आनेसे पहले युद्ध नहीं करना था।" जब नीतिमार्गमें इस तरह जिम्मेदारी उठानेकी हौंस मनुष्यको होगी, तभी वह उस मार्गपर चल सकेगा।

खुदा या ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सम्पूर्ण है। उसकी दया, उसकी अच्छाई तथा उसके न्यायका पार नहीं है। यदि यह सत्य है तो उसके बन्दे कहलानेवाले हम लोग नीति-मार्गका परित्याग कर ही कैसे सकते हैं? नीतिके अनुसार आचरण करनेवाला यदि असफल होता दिखाई दे तो इसमें कोई नीतिका दोष नहीं है। वह दोष नीति भंग करनेवालेको स्वयं अपने ऊपर लेना होगा।

नीति-मार्गमें नीतिका पालन करते हुए उसका फल प्राप्त करनेकी बात तो उठती ही नहीं। मनुष्य भलाई करता है तो कुछ प्रशंसा प्राप्त करनेके लिए नहीं। वह भलाई किये बिना रह ही नहीं सकता। सुन्दर भोजन और भलाईकी यदि तुलना की जाये, तो भलाई उसके

लिए श्रेष्ठ भोजन है। ऐसे मनुष्यको यदि कोई भलाईका अवसर दे तो वह भलाईका अवसर देनेवालेका आभारी होगा — वैसे ही, जैसे कोई भूखा अपने अन्नदाताको दुआ देता है।

ऐसे नीति-मार्गकी बातें करनेसे अपने-आप ही मनुष्यता प्राप्त हो जाये, ऐसा यह मार्ग नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि हम थोड़े अधिक मेहनती बनें, अधिक शिक्षित हों, अधिक स्वच्छ रहें आदि। यह सब तो उसमें आ ही जाता है। परन्तु यह तो नीतिके क्षेत्रके किनारे तक पहुँचना-मात्र हुआ। इसके अलावा मनुष्यको इस मार्गमें बहुत-कुछ करना बाकी है। और यह सब स्वाभाविक तरीकेसे अपना कर्तव्य समझकर करना है — इसलिए नहीं कि ऐसा करनेसे उसे कोई लाभ होगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-१-१९०७

३०७. पत्र : 'आउटलुक' को

[जोहानिसबर्ग
जनवरी १२, १९०७ के पूर्व]

[सेवामें
सम्पादक
'आउटलुक'

महोदय,]

आपने अपने २४ नवम्बरके अंकमें "ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय" शीर्षकसे जो विस्तृत अग्रलेख लिखा है उसमें इस प्रश्नका साम्राज्यीय महत्त्व स्वीकार किया है। क्या इसपर मैं आपको बधाई दे सकता हूँ? साथ ही क्या मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि यूरोपीयोंकी भारतीय-विरोधी नीतिका औचित्य सिद्ध करनेमें आपने, बेशक अनजाने, ब्रिटिश भारतीयोंके साथ दुहरा अन्याय किया है?

प्रथम तो मेरी नम्र रायमें आपकी निगाह केन्द्रीय प्रश्नपर पड़ी ही नहीं। आपका खयाल यह मालूम होता है कि एक ओर भारतीय अपने देशवासियोंके अमर्यादित प्रवेशके लिए खुला द्वार माँगते हैं और दूसरी ओर गोरे उपनिवेशी आत्म-रक्षाकी भावनासे यह माँग करते हैं कि दरवाजा पूरी तरह बन्द कर दिया जाये। परन्तु बात ऐसी नहीं है। भारतीय उन साधारण नागरिक अधिकारोंको माँगते हैं, जिनका उपभोग किसी भी सभ्य राज्यमें अपराध वृत्तिवालोंके सिवा अन्य सब मानव प्राणी करते हैं। वे आस्ट्रेलिया द्वारा अपनाये गये ढंगपर भी अपने भाइयोंके और अधिक प्रवासपर प्रतिबन्ध लगानेका सिद्धान्त स्वीकार करते हैं; परन्तु उनका कहना है, श्री चेम्बरलेनकी[1] भी यही राय है कि केवल ब्रिटिश भारतीय होनेके कारण उनपर पाबन्दी न लगाई जाये। अगर साम्राज्यवादका कोई अर्थ है तो उपर्युक्त स्थितिपर कोई ऐतराज कैसे कर सकता है? मुझे कोई सन्देह नहीं, आप यह स्वीकार करेंगे

१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३९६-३९८।

कि एक स्वशासनभोगी उपनिवेश भी, जबतक उसे साम्राज्यका एक अंग रहना पसन्द है, इस हद तक नहीं जा सकता कि वह उन लोगोंको जलील करे या उनके साथ दुर्व्यवहार करे, जो उसे स्वशासनकी सत्ता प्राप्त होनेपर अपनी सीमामें बसे हुए मिलते हैं।

दूसरे, आप "तर्कके सिद्धान्त" को (आपने यही नाम देना मुनासिब समझा है) "उच्च स्तरीय सुविधा" के सिद्धान्तपर बलिदान करनेकी जरूरतकी बात कहते हैं। मेरे खयालसे "सुविधा" की वेदीपर तर्कका इतना बलिदान नहीं होगा जितना नैतिकताका। लेकिन मान लीजिये कि तर्क या नैतिकताके सिद्धान्तका इस तरह बलिदान किया जा सकता है, तो "उच्च स्तरीय सुविधा" है क्या? यह अकारण लाखों भारतीयोंके जैसे एक उत्कृष्ट भावनाशील और वफादार समाजकी कोमल भावनाओंको आघात पहुँचाना है या लॉर्ड मिलनरकी भाषामें पहरेकी मीनारपर बैठे हुए और सम्पूर्ण क्षितिजको सामने देखते हुए साम्राज्यीय पहरेदारकी तरफसे एक विवेकरहित और प्रमाणशून्य रंग-द्वेषकी रक्षा करनेसे दृढ़तापूर्वक इनकार करना है?

आपने प्रसंगवश वैरीनिगिंगकी सन्धिका[1] भी जिक्र किया है। मैं इस हकीकतकी तरफ आपका ध्यान दिला दूं कि यदि उसमें "वतनी" संज्ञाके अन्तर्गत ब्रिटिश भारतीयोंकी भी गिनती की गई है तो भी उससे सिर्फ "वतनी लोगों" को राजनीतिक मताधिकार देनेका विचार उपनिवेशमें जिम्मेदार हुकूमत कायम होनेके बाद तक स्थगित होता है। तथापि, ब्रिटिश भारतीयोंने असन्दिग्ध भाषामें कह दिया है कि कमसे-कम वर्तमान स्थितिमें राजनीतिक सत्ताकी उनकी कोई आकांक्षा नहीं है।

आपका आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, १२-१-१९०७

३०८. क्विनका भाषण

हमारे जोहानिसबर्गके संवाददाताने श्री क्विनका भाषण भेजा है।[2] वह विचार करने योग्य है। श्री क्विनने जो भाषण दिया है उससे पता चलता है कि गोरोंको हमारी परिस्थितिकी लेशमात्र भी जानकारी नहीं है। श्री क्विनकी धारणा है कि: (१) एशियाई अध्यादेशसे बिना अनुमतिपत्रके आनेवाले भारतीय रुक जाते। (२) बिना अनुमतिपत्रके बहुतेरे भारतीय प्रविष्ट हुए हैं। (३) और भारतीय व्यापार रोकनेमें भी ट्रान्सवालका कानून सहायक होता।

ये तीनों बातें अनुचित हैं। ट्रान्सवालके रद किये गये अध्यादेशसे अनुमतिपत्रके बिना आनेवाले भारतीय रुकते नहीं। अनुमतिपत्रके बिना आनेवाले व्यक्तिको रोकनेवाला कानून केवल शान्ति-रक्षा अध्यादेश है। बहुतेरे भारतीय अनुमतिपत्रके बिना प्रविष्ट होते हैं, यह बात सही भी

१. यह सन्धि १९०२ में बोअरों और ब्रिटिश सरकारके बीच हुई थी। इसके द्वारा ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर कालोनी ब्रिटिश सत्ताके अधीन हो गये थे।
२. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ २९५-९६।

नहीं है। जो मुकदमे अभी-अभी हुए हैं उनसे पता चलता है कि बहुत-से व्यक्तियोंको प्रविष्ट होनेसे रोका जाता है। और यह सभी लोग जानते हैं कि भारतीय व्यापारके साथ एशियाई अध्यादेश का जरा भी सम्बन्ध नहीं था।

फिर भी यह ध्यानमें रखने जैसी बात है कि भारतीय लोग बिना अनुमतिपत्रके अथवा झूठे अनुमतिपत्रोंके द्वारा प्रविष्ट होनेका जितना प्रयत्न करते हैं उतनी ही सारे समाजको क्षति पहुँचती है। अतः जो लोग ऐसे काम करते हों उन्हें रुक जाना चाहिए।

फिर गोरोंमें जो इस प्रकार गलतफहमी चल रही है उसे रोकनेके लिए भारतीय नेताओंको भरसक प्रयत्न करना चाहिए। इसका ताजा उदाहरण श्री दाउद मुहम्मदके घरकी घटना है। उसके सम्बन्धमें हम अन्य स्थानपर लिख चुके हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-१-१९०७

३०९. फ्रीडडॉर्प अध्यादेश

हमारी जोहानिसबर्गकी चिट्ठी देखनेपर विदित होगा कि फ्रीडडॉर्प अध्यादेश पास हो गया है[1]। इसलिए भय है कि फ्रीडडॉर्पके भारतीयोंको वहाँसे निकलना पड़ेगा। इस कानूनके पास हो जानेसे भारतीय समाजको समझ लेना है कि अभी बहुत काम करना बाकी है। लड़ाई बहुत करनी है। एशियाई अध्यादेश, तभी रद हुआ जब विलायतमें खूब चर्चा हुई। जिस तारसे यह खबर आई कि फ्रीडडॉर्प अध्यादेश स्वीकृत हुआ है, उसी तारमें यह भी खबर है कि नेटालके नगरपालिका विधेयकके सम्बन्धमें हमारी लन्दनकी समिति कोशिश कर रही है। उसका परिणाम अभी देखना है। परिणाम चाहे जो हो, इसपर से इतना तो सिद्ध होता है कि हमने विलायतमें जो समिति स्थापित की है उसको बहुत बल देना है। उसे तत्काल बन्द करनेकी बात ही नहीं रहती। श्री रिचके पहले पत्रका सार हम प्रकाशित कर चुके हैं। उसकी ओर सब पाठकोंका ध्यान खींचते हैं। यदि समितिका कार्य इस प्रकार चलता रहा तो लाभ होनेकी सम्भावना यथेष्ट है।

यह अध्यादेश यह भी बताता है कि हमारे अपने बलके समान और कोई बल होने-वाला नहीं है। अर्थात् हम लोगोंको दक्षिण आफ्रिकामें जो कुछ करना आवश्यक है, वह स्वयं नहीं करेंगे, तबतक यह भरोसा रखना व्यर्थ है कि हमें पूरी सफलता मिलेगी। दक्षिण आफ्रिकामें हमारा क्या कर्तव्य है, इसपर फिर विचार करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपियनिन, १२-१-१९०७

१. "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी" (पृष्ठ २९५-९६) में फ्रीडडॉर्प अध्यादेशका उल्लेख नहीं है।

२. देखिए "नेटाल परवाना कानून", पृष्ठ ३१०-१३।

३१०. जापान और अमेरिका

जापान और अमेरिकाके बीच भी खींचातानी चल रही है। केलीफोर्नियामें जापानियोंकी बहुत-बड़ी आबादी है। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्तासे बहुत तरक्की की है। बहुतसे जापानी लड़के अमेरिकी पाठशालाओंमें पढ़ते हैं। यह वहाँके गोरोंको बर्दाश्त नहीं होता। इस विषयमें जापान भारी संघर्ष कर रहा है। अभी उसका फैसला नहीं हुआ। राष्ट्रपति रूजवेल्टकी हालत विषम हो गई है। एक ओर जापान-जैसी वीर प्रजाका अपमान हो रहा है और दूसरी ओर गोरे जिन्हें इस बातकी परवाह नहीं कि अमेरिकाको लड़ाईमें फँसना पड़ेगा, राष्ट्रपति रूजवेल्टकी सलाह न मानकर जापानी लड़कोंको पाठशालाओंमें प्रविष्ट नहीं होने दे रहे हैं। सांप-छछूंदरकी गति हो गई है। अमेरिका लड़ सके, ऐसी भी स्थिति नहीं है। उसकी नौसेनाकी तुलनामें जापानकी नौसेना बहुत ही बड़ी है, और उस नौसेनाने तो अभी-अभी ही केसरिया बाना पहना था।

ऐसे अवसरपर इंग्लैंडके लिए भी बहुत विचार करनेकी बात है। एक ओर जापान उसका दोस्त और दूसरी ओर अमेरिका उसका चचेरा भाई। किसका पक्ष ले? कहा जाता है कि इंग्लैंड यथेष्ट दृढ़तासे मध्यस्थता करे तभी लड़ाई होनेसे रुक सकती है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-१-१९०७

३११. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी[1]

श्री क्विनका भाषण

ट्रान्सवालमें नई संसद् बननेवाली है इसलिए आजकल नये चुनावकी धूमधाम मची है। श्री क्विन संसदमें जानेका प्रयत्न कर रहे हैं। मतदाताओंके समक्ष अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा है:

> कुछ समय पूर्व विधान-परिषद्ने एशियाई अध्यादेश पास किया था। उससे बिना अनुमतिपत्रके आनेवाले एशियाइयोंको ट्रान्सवालमें आनेमें बहुत कठिनाई हो सकती है। जिन लोगोंने उस कानूनको स्वीकार किया उनके मनमें एशियाइयोंके प्रति कोई द्वेष नहीं था। यह कहनेमें कोई अर्थ नहीं है कि वे ब्रिटिश प्रजा हैं। गोरी चमड़ीवाले अनेक ऐसे लोग ब्रिटिश प्रजा हैं जिनसे मैं सम्बन्ध रखना नहीं चाहता। हम जो उनका विरोध करते हैं उसका उद्देश्य अपनी रक्षा करना है। इस सम्बन्धमें हमारे विचार भी चेम्बरलेनके व्यक्त किये गये विचारोंसे मिलते-जुलते हैं। यानी एशियाई लोग जो गोरोंकी अपेक्षा दसगुना कम खर्चमें अपना गुजारा कर सकते हैं, यदि बड़े पैमानेपर ट्रान्सवालमें

१. ये संवादपत्र "जोहानिसबर्ग सम्वाददाता" के नामपर इंडियन ओपिनियनमें नियमित रूपसे प्रकाशित होते थे।

आकर बसनेकी आशा करते हों तो वह अनुचित है। ऐसे लोग हमारे साथ स्पर्धा करें यह उचित नहीं माना जायेगा। अतः उन्हें ऐसा करनेसे रोकनेके लिए हमें समुचित उपाय करना चाहिए। आज हालत यह है कि जोहानिसबर्गमें ५,००० परवाने जारी हुए हैं। उनमें दस प्रतिशत एशियाइयोंके हैं: यानी २७० भारतीय तथा २५५ चीनी परवाने हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये दूकानें बन्द होनी चाहिए। दूकानदारोंको मुआवजा दे दिया जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकारने उपर्युक्त कानून नामंजूर कर दिया क्योंकि उसे हमारी स्थिति और हमारी भावनाओंका पता नहीं है। मैं नहीं मानता कि ब्रिटिश सरकार हमारा नुकसान करना चाहती है। उसने दुखियोंका साथ दिया है और यदि इसीलिए उसने इस कानूनको स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया हो तो जब ट्रान्सवाल संसद्‌की बैठक होगी और उसमें सर्वसम्मतिसे यह कानून पास किया जायेगा तब ब्रिटिश सरकार उसे मंजूर करनेमें आनाकानी नहीं करेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-१-१९०७

३१२. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — २

उत्तम नीति

नीति विषयक प्रचलित विचार वजनदार नहीं कहे जा सकते। कुछ लोग यों मानते हैं कि नीतिकी बहुत आवश्यकता नहीं है। फिर कुछ लोगोंका कहना है कि धर्म और नीतिमें कोई सम्बन्ध नहीं है। पर दुनियाके धर्मोंका परीक्षण किया जाये तो दीख पड़ेगा कि नीतिके बिना धर्म टिक नहीं सकता। सच्ची नीतिमें धर्मका बहुत-कुछ समावेश हो जाता है। जो लोग अपने स्वार्थके लिए नहीं, बल्कि नीतिके लिए ही नीति-नियमोंका पालन करते हैं उन्हें धार्मिक कहा जा सकता है। रूसमें ऐसे लोग हैं जो अपने देशके लिए अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। ऐसे लोगोंको सच्चा नीतिमान मानना चाहिए। जेरेमी बेन्थमको, जिन्होंने इंग्लैंडके लिए कानूनकी अनेक सुन्दर धाराओंकी शोध की, जिन्होंने अंग्रेज जनतामें शिक्षा प्रसारके लिए विकट प्रयास किया और जिन्होंने कैदियोंकी स्थिति सुधारनेकी दिशामें जबरदस्त हाथ बँटाया, नीतिनिष्ठ माना जा सकता है।

इसके अलावा, सच्ची नीतिका नियम यह है कि उसमें हमारे लिए अपने परिचित मार्गपर चलना ही बस नहीं, बल्कि जिस मार्गको हम सच्चा समझते हैं, उससे हम परिचित हों या न हों, फिर भी उसपर हमें चलना चाहिए। मतलब यह कि जब हम जानते हों कि अमुक मार्ग सही है तब हमें निर्भयताके साथ संकल्पपूर्वक उसमें कूद पड़ना चाहिए। नीतिका इस तरह पालन किया जाये तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि नैतिकता, सच्ची सभ्यता और सच्ची उन्नति ये तीनों सदा एक साथ दिखाई देती हैं।

अपनी इच्छाओंका परीक्षण करनेपर भी हम पायेंगे कि जो वस्तु हमारे पास होती है उसे लेनेकी आकांक्षा नहीं रहती। जो वस्तु हमारे पास नहीं होती उसकी कीमत हम सदैव ज्यादा आँकते हैं। परन्तु इच्छा दो प्रकारकी होती है। एक तो अपना निजी स्वार्थ साधनेकी,

जिसकी पूर्तिका प्रयत्न करना ही अनीति है। दूसरे प्रकारकी इच्छाएँ वे होती हैं जिनके कारण हम हमेशा भले बनने तथा परहित साधनेकी ओर रुझान रखते हैं। हम कितनी ही भलाई क्यों न करें, हमें उसका कभी गुमान नहीं करना चाहिए; और न उसकी कीमत आँकनी चाहिए, बल्कि निरन्तर यह इच्छा करते रहना चाहिए कि हम और अधिक अच्छे बनें, और अधिक भलाई करें। ऐसी इच्छाओंकी पूर्तिके लिए किये गये आचरण एवं व्यवहारका नाम ही सच्ची नीति है।

हमारे पास घरबार न हो तो इसमें शरमाने जैसी कोई बात नहीं होती। परन्तु घर-बार हो और उसका दुरुपयोग करें, धन्धा मिले और उसमें बदमाशी करें, तो हम नीतिके मार्गसे च्युत होते हैं। जो हमारे लिए कर्तव्य है उसको करनेमें ही नीति निहित है। इस प्रकार नीतिकी आवश्यकता है, यह बात हम कुछ उदाहरणों द्वारा साबित कर सकते हैं। जिस समाज या कुटुम्बमें अनीतिके बीज — जैसे कि फूट, असत्य आदि दीख पड़े हैं, वह समाज या कुटुम्ब अपने आप नष्ट हो गया है। इसके अलावा, यदि धन्धे-रोजगारका उदाहरण लें तो उसमें हमें यह कहनेवाला एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा कि उसे सत्यका पालन नहीं करना है। न्याय और भलाईका असर तो बाहरसे नहीं हो सकता। वह हमारे भीतर ही समाया हुआ है। चार सौ वर्ष पहले यूरोपमें अन्याय और असत्यका बहुत बोलबाला था। उस वक्त ऐसी हालत थी कि लोग घड़ी-भर भी शान्तिपूर्वक नहीं रह सकते थे। इसका कारण यह था कि लोगोंमें नीति नहीं थी। नीतिके समस्त नियमोंका दोहन किया जाये तो हम देखेंगे कि मानव-जातिके कल्याणके लिए प्रयास करना ही उत्कृष्ट नीति है। इस कुंजीसे नीति रूपी मंजूषाको खोलकर देखनेपर नैतिकताके अन्य नियम हमें उसमें मिल जायेंगे।

इन निबन्धोंके नीचे हम गुजराती या उर्दू कवियोंकी चुनी हुई ऐसी रचनाएँ, जो नैतिकताके नियमोंसे सम्बन्धित हैं, देते रहेंगे। वह इस आशासे कि उनका लाभ हमारे सारे पाठक लेंगे और उन्हें कण्ठस्थ भी कर लेंगे। हम श्री मलबारीकी[1] पुस्तक, "आदमी अने तेनी दुनिया"[2] से इसका प्रारम्भ करते हैं।

जमाना नापायदार[3]

किउ[4] मुश्ताक होते तुं[5] फिरता बिरादर?
अये दाना[6], तवाना[7], होनार तमें हाजर[8]
चले गये वड़े फिलसुफां[9], पेहेलवानां,
अरे दोस्त दानां, तुं होगा दिवाना।
न दाना की दानाई हरदम टकेगी[10]
न नेकांवी[11] हरदम गुजारेंगे नेकी
किसे यारी हरदम न देता जमाना;
अरे दोस्त दाना तुं होगा दिवाना।

१. बहरामजी मेहरवानजी, मलबारी, (१८५३–१९१२): लेखक, पत्रकार, समाज-सुधारक तथा गुजराती और उर्दू शैलीके प्रथम पारसी कवि।

२. कविकी फुटकर कविताओंका संग्रह; फोर्ट प्रिंटिंग प्रेस, बम्बई, १८९८।

३. मूल पुस्तकसे उद्धृत।

४. क्यों, ५. तू, ६. बुद्धिमान, ७. बलवान, ८. होना है तुझे हाजिर, ९. तत्त्ववेत्ता, १०. टिकेगी, ११. नेक भी।

कूवत[12] पीलतनका[13] तुं लेके फिरेगा;
जमाना अचानक शिकस्त[14] आके देगा;
अकलकी नकल बेअकल बस बनाना;
अरे दोस्त दाना, तुं होगा दिवाना।

गुजारे अवल बचगीकी[15] बादशाही
होनारत दरद[16] देवे जमकी गवाही
बेताकत[17], किस राह उठाना सोलाना[18];
अरे दोस्त दाना, तुं होगा दिवाना।

न दुनियामें तेरा हुआ, को[19] न होगा;
न तुं तेरा होवे हबेगा न ब रोगा[20]
सिवा पाक दीदार[21] सब कोई बेगाना;
अरे दोस्त दाना, तुं होगा दिवाना।

—बहरामजी मलबारी

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-१-१९०७

३१३. अमीरकी अमीरी[1]

अफगानिस्तानके अमीरने भारतमें अपनी अमीरी थोड़े ही दिनोंमें दिखा दी है। यह रायटरके दो तारोंसे साबित होता है। दिल्लीमें सैनिकोंकी पंक्तियोंके मध्यसे गुजरते हुए उन्हें वर्षा होनेके कारण छतरी दी गई। किन्तु पंक्तिमें खड़े हुए सभी सैनिक भीग रहे थे, इसलिए उन्होंने भी भीगना ही पसन्द किया और छतरी लेनेसे इनकार कर दिया।

दूसरा तार यह है कि दिल्लीमें माननीय अमीरको दावत देनेके लिए मुसलमान भाइयोंने सौ गायें मारनेका इरादा किया था। अमीरने सुझाया कि ऐसा करनेसे हिन्दुओंकी भावनाको ठेस लग सकती है; और इसलिए उन्होंने गायके बदले बकरे मारनेकी सलाह दी। लोगोंने उस सलाहको स्वीकार किया। कहा जाता है कि अमीरके इस कार्यसे समस्त भारतको आनन्द और आश्चर्य हुआ है। वे दूसरोंकी भावनाका इतना खयाल रखेंगे, इसकी किसीको कल्पना नहीं थी।

माननीय अमीरके दोनों कार्योंसे पता चलता है कि उनका मन दयालु और सरल होना चाहिए। दोनोंमें उन्होंने जनताका खयाल रखा है। दोनों कार्योंके द्वारा उन्होंने पश्चिमके

१२. ताकत, १३. हाथीका शरीर, १४. पराजय, १५. बचपनकी, १६. भविष्यकी पीड़ा, १७. बेताकत, १८. भुलाना, १९. कोई, २०. रोयेगा, २१. परमेश्वर।

१. इस लेखका तात्कालिक कारण ऐंगस हैमिल्टन द्वारा रिव्यू ऑफ रिव्यूज़में अफगानिस्तानके अमीरपर लिखा गया एक लेख प्रतीत होता है। लेख "अन्य बातोंमें एक प्रशंसात्मक चरित्रांकन" था, लेकिन उसमें अमीरको "बर्बर" और क्रूर बताया गया था।

राज्योंके सामने सबक ग्रहण करने योग्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। तार देनेवाले हमें यह नहीं बता सकते कि ऐसे ही और कितने काम उन्होंने किये हैं। किन्तु हम आसानीसे कल्पना कर सकते हैं कि अमीर हबीबुल्लामें अपने नामके[1] अनुरूप ही गुण भी हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-१-१९०७

३१४. परवानेकी तकलीफ

लेडीस्मिथ, टोंगाट वगैरह जगहोंसे [भारतीय] व्यापारियोंने परवानेके लिए अर्जियाँ दी थीं। परवाना अधिकारीने उन्हें खारिज करके परवाने देनेसे इनकार कर दिया है। इसका कारण कहीं स्वच्छता का अभाव दिखाया गया है और कहीं यह बताया गया है कि बहीखाते साफ नहीं हैं, और कहीं कोई भी कारण नहीं बताया। इससे व्यापारी लोग परेशान हैं कि यदि परवाना नहीं मिलेगा तो वे क्या करेंगे? इस विषयमें और भी पक्की जानकारी मिलनेपर क्या करना है, इस सम्बन्धमें अगले सप्ताह विचार करूँगा।[2]

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-१-१९०७

३१५. स्त्री-शिक्षा

स्त्री-शिक्षामें भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, यह हमें स्वीकार करना पड़ता है। इस स्वीकृतिमें हमारा हेतु यह कहनेका नहीं है कि भारतीय स्त्रियाँ अपना फर्ज नहीं बजातीं। हमारी तो यह मान्यता है कि सम्पूर्ण बातोंका विचार करते हुए जैसे भारतीय पुरुषकी तुलनामें दुनियाके किसी भी वर्गका पुरुष नहीं पहुँच पाता, उसी प्रकार हमारी यह भी मान्यता है कि भारतीय नारीके स्तरको पहुँच पानेवाली नारियाँ संसारकी अन्य स्त्रियोंमें अभी पैदा ही नहीं हुईं। परन्तु यह सब भारतकी वर्तमान निर्बल, अधम और कंगाल परिस्थितियोंमें ज्यादा समय तक निभ सके ऐसा नहीं है। यह जमाना ऐसा है कि यदि कोई एक ही स्थितिमें बना रहना चाहे, तो नहीं हो सकता। जो आगे बढ़ना नहीं चाहते या नहीं बढ़ते, उन्हें पिछड़ना ही होगा। यदि यह विचार सत्य है तो हम देख सकेंगे कि भारतीय पुरुषोंने भारतीय स्त्रियोंको बहुत पिछड़ा हुआ रखा है। आजकल सुधारका दम्भ करनेवाले अथवा खा-पीकर सुखी रहनेवाले बहुतेरे भारतीय — भले ही वे हिन्दू हों या मुसलमान, पारसी हों या ईसाई — स्त्रियोंको या तो खिलौनेके समान रहने देते हैं, या अपने विषय-भोगके लिए मनमाने ढंगसे रखते हैं। परिणाम यह होता है कि स्वयं दुर्बल होते हैं और वैसे ही रहते हैं, तथा दुर्बल प्रजोत्पत्तिमें सहायक बनकर ईश्वर या खुदाको जो मंजूर होगा सो होगा — ऐसा कहकर अधर्ममय जीवन बिताते

1. हबीबुल्ला अर्थात् 'ईश्वरका प्यारा'।
2. देखिए "नेटालका परवाना कानून", पृष्ठ ३१०-१३।

हैं। यदि यों ही निरन्तर चलता रहा तो भारतको अंग्रेज सरकारसे जितना मिलना चाहिए उतना पानेपर भी भारत अधम दशा ही में बना रहेगा। अच्छी तरहका रहन-सहन रखनेवाले सब देशोंमें स्त्री-पुरुषोंकी गणना समान होती है। यदि भारतमें ५० प्रतिशत मानव प्राणी हमेशा अज्ञान दशामें और खिलौने बनकर रहें तो उससे भारतकी पूंजीमें कितना घाटा होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है।

उपर्युक्त विचार फ्रांसके विद्वान श्री लॉविसने फ्रांस बालिकाओंको जो प्रवचन दिया था उसे पढ़कर उत्पन्न हुए हैं। जैसी दशा भारतीय स्त्रियोंकी आज है वैसी ही फ्रांसकी स्त्रियोंकी कुछ ही वर्ष पूर्व थी। अब फ्रांसकी जनता जाग गई है और अपने अर्द्धांगको निकम्मा नहीं रहने देना चाहती। श्री लॉविसके भाषणका सारांश हम नीचे दे रहे हैं।

> बालाओ! आपको सीखनेके लिए तो बहुत है। सुई और कतरनीका प्रयोग आपका काम है। घरको साफ-स्वच्छ किस प्रकार रखा जाये यह आपको जानना है। घरकी साज-सज्जा ठीक होगी तो उसकी बात बाहर भी फैलेगी और घरके समान ही गाँव भी बन जायेगा। पैसेका क्या उपयोग किया जाये यह भी आपको सीखना है। आप एक दिन माता बनेंगी। आपपर आपके बच्चोंकी जिम्मेदारी होगी। केवल पढ़ना-लिखना-भर सीख लेना आपके लिए बस नहीं है। अपने मनका संस्कार करना जरूरी है, क्योंकि बच्चोंको सच्ची शिक्षा देनेवाली तो उनकी माता ही होती है। जैसे आपको अपना मन विकसित करना है उसी प्रकार आपके चारों ओर क्या हो रहा है, आपके देशके अलावा अन्य कौन-कौनसे देश हैं, उन देशोंके लोग क्या करते हैं, वे आपसे अच्छे हैं या बुरे — यह भी आपको जानना चाहिए। इतिहास और भूगोल आपको इसीलिए सिखाये जाते हैं। लड़कोंके लिए जिस प्रकारकी पाठशालाएँ हैं वैसी ही लड़कियोंके लिए भी होनी चाहिए।

श्री लॉविसने बड़े ही मीठे शब्दोंमें पेरिसके बड़े स्कूलकी बालिकाओंके समक्ष इस प्रकार प्रवचन दिया और उन्हें सहज रूपसे भान कराया कि माता-पिताके रूपमें उनके क्या कर्तव्य हैं। दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय आबादीमें लड़कियाँ तथा स्त्रियाँ एक बड़ी संख्यामें हैं। हमारा निश्चित मत है कि इन दोनोंको अच्छी शिक्षाकी बड़ी ही जरूरत है। वह शिक्षा यद्यपि उन्हें सहज ही दी जा सकती है परन्तु यह तो तब हो सकता है जब हम खिलवाड़ करना छोड़कर अपने कर्तव्यको समझें। शिक्षा देते हुए भी हमें यह सोचना चाहिए कि वह किस हेतुसे दी जानी चाहिए। यदि स्वार्थके हेतुसे देंगे तो उससे कोई सार नहीं निकलेगा। वह तो केवल वेश बदलने जैसा होगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-१-१९०७

३१६. जापानकी चाल[1]

जापानसे सभीको बहुत-कुछ सीखना है। भारतीय जनताको तो विशेष सीखना है। अमेरिकाके कुछ हिस्सोंमें जहाँ जापानी बालकोंको पाठशालाओंमें पढ़ने नहीं दिया जाता वहाँ आज भी खींचातानी चलती रहती है। अंग्रेजी अखबारोंके समाचारोंसे पता चलता है कि यह खींचातानी अभी समाप्त नहीं हुई। अमेरिकाके लोग अपनी जिद छोड़नेको तैयार नहीं हैं और न यही लगता है कि जापान अपना मान भंग होने देगा। इसपर-से कुछ लेखकोंका अनुमान है कि कुछ ही समयमें जापान तथा अमेरिकामें मुठभेड़ हो जायेगी। यदि ऐसा हो तो कुछ लोगोंकी यह भी मान्यता है कि जापान अधिक बलवान है। बहुत-कुछ अंग्रेज जनतापर निर्भर है। जापान तथा अंग्रेजोंके बीच इस समय मैत्री-भाव है। अंग्रेज सरकार मध्यस्थ बनकर शान्ति कायम रखे, तभी यह रक्तकी नदी बहनेसे रुक सकेगी, ऐसा लगता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-१-१९०७

३१७. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — ३

नीतियुक्त काम कौन-सा है?

क्या यह कहा जा सकता है कि अमुक काम नैतिक है? इस प्रश्नका हेतु नैतिक और अनैतिक कामका मुकाबला करना नहीं, बल्कि उन बहुत-से कार्योंके विषयमें विचार करना है कि जिनके खिलाफ कुछ कहा नहीं जाता और जिन्हें कुछ लोग नैतिक मान लेते हैं। हमारे अधिकतर कामोंमें विशेष रूपसे नीतिका समावेश नहीं होता। प्रायः हम लोग सामान्य रीति-रिवाजके मुताबिक चलते हैं। बहुधा ऐसी रूढ़ियोंके अनुसार चलना जरूरी होता है। यदि उन नियमोंका पालन न किया जाये तो अंधाधुंधी मच जायेगी और दुनियाका कारोबार बन्द हो जायेगा। पर इस प्रकार रूढ़ि-निर्वाहको नीतिका नाम देना उचित नहीं माना जा सकता।

नैतिक काम तो अपनी ओरसे यानी स्वयंस्फूर्त होना चाहिए। जहाँतक हम यन्त्रके पुर्जेके रूपमें काम करते हैं वहाँतक हमारे काममें नीतिका समावेश नहीं होता। यन्त्रके पुर्जेके समान कार्य करना उचित है, और हम वैसा करते हैं, तो यह विचार नैतिक है; क्योंकि उसमें हम अपनी विवेक-बुद्धिका उपयोग करते हैं। यह यंत्रवत् काम और उस कामको करनेका विचार करना, दोनोंमें जो भेद है वह ध्यानमें रखने जैसा है। राजा किसीका अपराध माफ कर दे तो यह कार्य नैतिक हो सकता है; परन्तु राजाके किये हुए नैतिक कार्यमें माफीकी चिट्ठी ले जानेवाले चपरासीका योग यंत्रवत् ही है। परन्तु यदि चपरासी चिट्ठी ले जानेका काम कर्तव्य समझकर करे, तो उसका यह कार्य भी नैतिक हो सकता है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि

१. देखिए "जापान और अमेरिका", पृष्ठ २९५।

और मस्तिष्कका उपयोग नहीं करता और बाढ़के पानीमें लकड़ीकी तरह बहता रहता है, वह नीतिको कैसे समझेगा? कभी-कभी मनुष्य परम्परासे विमुख होकर परमार्थकी इच्छासे कर्म करता है। महावीर वेण्डल फिलिप्स[1] ऐसे ही पुरुष थे। लोगोंके सन्मुख भाषण देते हुए उन्होंने एक बार कहा था, "जबतक आप लोग स्वयं विचार करना और उन्हें व्यक्त करना नहीं सीख लेते, तबतक मुझे इसकी चिन्ता नहीं है कि मेरे विषयमें आपके विचार क्या हैं।" इस प्रकार जब हम सबको इसीकी चिन्ता रहे कि हमारा अन्तर क्या कहता है, तब समझना चाहिए कि हम नीतिकी सीढ़ीपर पहुँच गये हैं। परन्तु यह स्थिति हमें तबतक नहीं प्राप्त होती जबतक हम यह नहीं मान लेते और अनुभव नहीं करते कि सबके अन्तरमें निवास करनेवाला परमेश्वर हमारे सारे कार्योंका साक्षी है।

केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि इस प्रकार किया हुआ काम अपने आपमें अच्छा हो, बल्कि वह हमारे द्वारा अच्छा करनेके इरादेसे किया जाना चाहिए। मतलब यह कि अमुक कार्यमें नैतिकता है या नहीं यह कर्त्ताके इरादेपर निर्भर है। दो मनुष्योंने एक ही कार्य किया हो, तथापि एकका काम नीतियुक्त और दूसरेका नीतिरहित हो सकता है। जैसे, एक मनुष्य दयासे प्रेरित हो गरीबोंको भोजन देता है, दूसरा सम्मान पानेके लिए अथवा ऐसी ही किसी स्वार्थपूर्ण भावनासे वही कार्य करता है। दोनों कार्य एक जैसे ही हैं, तो भी पहलेका किया हुआ काम नीतियुक्त माना जायेगा और दूसरेका नीतिरहित। यहाँ पाठकको नीति-रहित और नीतियुक्त इन दो शब्दोंके बीचका भेद स्मरण रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि नैतिक कार्यका परिणाम सदा अच्छा होता नहीं दीखता। हमें नीतिके सम्बन्धमें विचार करते हुए इतना-भर देखना है कि किया गया काम शुभ है और शुद्ध इरादेसे किया गया है। उसके परिणामपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। फलदाता तो एकमात्र परमेश्वर है। सम्राट् सिकन्दरको इतिहास-वेत्ताओंने महान माना है। वह जहाँ-जहाँ गया, वहाँ-वहाँ उसने यूनानकी शिक्षा, कला, रीतिरिवाज आदि दाखिल किये और उसका फल हम आज भी स्वादसे चखते हैं। पर इतना सब करनेमें सिकंदरका हेतु महान बनना और विजय पाना था। अतः उसके कार्योंमें नैतिकता थी ऐसा कौन कह सकेगा? भले ही वह महान कहलाया, परन्तु उसे नीतिमान नहीं कहा जा सकता।

ऊपर व्यक्त किये विचारोंसे सिद्ध होता है कि नैतिक कार्य शुद्ध हेतुसे किया जाये, इतना ही बस नहीं है, वह बिना दबावके भी किया जाना चाहिए। अपने दफ्तरमें समयपर न पहुँचनेसे मैं अपनी नौकरी खो बैठूंगा, इस भयसे यदि मैं बड़े सवेरे उठूं तो उसमें किसी प्रकारकी नैतिकता नहीं है। इसी प्रकार अपने पास दौलत न होनेके कारण मैं गरीबी तथा सादगीसे रहूँ तो इसमें भी नीतिका समावेश नहीं होता। पर यदि धनवान होते हुए भी मैं यह सोचूं कि जब मेरे आसपास दरिद्रता और दुःख दिखाई दे रहा है, इस स्थितिमें मैं ऐश-आराम किस प्रकार भोग सकता हूँ, मुझे भी गरीबी और सादगी ही से जीवन बिताना चाहिए, तो इस प्रकार अपनाई गई सादगी नीतिमय मानी जायेगी। इसी तरह नौकरोंके प्रति — इस भयसे कि कहीं वे भाग न जायें — हमदर्दी दिखानेमें या उन्हें अच्छा और अधिक वेतन देनेमें भी नीति नहीं होगी, यह तो निरी स्वार्थबुद्धि है। यदि मैं उनका हित चाहूँ और यह मानकर कि मेरी समृद्धिमें उनका हिस्सा है, उन्हें अच्छी तरह रखूं तो उसमें नीति हो सकती

१. (१८११–८४); अमेरिकाके प्रसिद्ध वक्ता, समाजसुधारक और नीग्रो-दासता उन्मूलनके समर्थक।

है। अर्थात् नीतियुक्त काम जोर-जबरदस्ती और भयसे रहित होना चाहिए। इंग्लैंडके राजा द्वितीय रिचर्डके पास जब देहाती लोग क्रोधसे आँखें लाल करके जबरदस्ती कुछ हक माँगने आये तब उसने स्वयं अपने हस्ताक्षरोंसे उन्हें अधिकारपत्र लिख दिया और जब उसे ग्रामीण जनताका भय नहीं रहा तब जबरदस्ती वह अधिकारपत्र वापस ले लिया। इस कार्यमें यदि कोई यह कहे कि राजाका पहला काम नीतिपूर्ण था और दूसरा अनीतिपूर्ण तो यह भूल होगी। रिचर्डका पहला कार्य केवल भयसे किया गया था अतः उसमें नीति छू-तक नहीं गई थी।

जिस प्रकार नैतिक कार्यमें भय या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहनेका हेतु यह नहीं है कि जिन कार्योंमें स्वार्थ निहित हो वे बेकार होते हैं; परन्तु ऐसे कार्योंको नीतियुक्त कहना नीतिको लांछित करनेके समान है। प्रामाणिकता एक अच्छी "पॉलिसी" है — इस मान्यतापर आधारित प्रामाणिकता बहुत समय तक नहीं निभ सकती। शेक्सपीयर कहता है कि "जो प्रीति लोभकी दृष्टिसे होती है वह प्रीति नहीं है।"

जिस प्रकार इस दुनियामें लाभ पानेकी दृष्टिसे किया गया काम नैतिक नहीं माना जाता, ठीक उसी प्रकार परलोकमें लाभ पानेकी आशासे किया गया कार्य भी नीतिरहित है। भलाई भलाईके लिए करनी है, इस दृष्टिसे किया गया काम नीतिमय माना जायेगा। जेवियर[1] नामक एक महान सन्त हो गये हैं। उन्होंने प्रार्थना की थी कि "मेरा मन सदा स्वच्छ रहे।" उनका विश्वास था कि ईश्वर-भक्ति मृत्युके बाद दिव्य भोग भोगनेके लिए नहीं, बल्कि वह तो मनुष्यका कर्तव्य है। इसलिए वे भक्ति करते थे। महान भक्तिन थेरेसा[2] अपने दाहिने हाथमें मशाल और बायें हाथमें एक जलपात्र रखना चाहती थी, सो इसलिए कि मशालके द्वारा वह स्वर्गके सुखको स्वयं जला दे और जलसे नरकके ताप को बुझा दे, जिससे मानवमात्र नरकके भय और स्वर्ग-सुखकी लालसासे मुक्त होकर खुदाकी भक्ति करने लगे। इस प्रकार नीतिका पालन करना मौतपर विजय पानेवालेका काम है। मित्रोंके साथ सच्चे रहना और दुश्मनोंसे दगाबाजी करना तो कापुरुषता है। डरते-डरते भलाईके काम करनेवाले नीतिरहित ही मानें जायेंगे। हेनरी क्लैवक दयालु और सहृदय था। पर उसने अपने लोभके सामने नीतिका बलिदान कर दिया। डेनियल वेबस्टर[3] बहादुर था। उसके विचार गम्भीर थे। परन्तु एक बार पैसेके लिए वह दुर्बल हो गया था। उसने अपने एक नीच कामसे अपने सारे सत्कार्योंपर पानी फेर दिया। इससे हम देखते हैं कि मनुष्यकी नीतिकी परीक्षा करना अत्यन्त कठिन है। क्योंकि, उसके मनको हम परख नहीं सकते। हमने इस प्रकरणके आरम्भमें जो यह प्रश्न किया गया था कि नीतियुक्त काम कौनसा है, उसका जवाब भी हमें मिल चुका है। और इसीके साथ अनायास हमने यह भी देख लिया कि ऐसी नीतिका पालन किस प्रकारके लोग कर सकते हैं।

१. सेंट फ्रांसिस जेवियर (१५०६–१५५२); स्पेनके एक सन्त, जिन्होंने भारतमें और पूर्वी द्वीप समूहमें ईसाई धर्मका बहुत प्रचार किया था।

२. सेंट थेरेसा (१५१५–८२); अपने रहस्यवादी विचारोंके लिए प्रसिद्ध, स्पेनकी एक सन्त और लेखिका।

३. डैनियल वेब्स्टर (१७८२–१८५२); जिन्होंने राजनीतिज्ञ, वकील और वक्ताके रूपमें अमेरिकाके सांविधानिक विचारों और व्यवहारको अत्यधिक प्रभावित किया था।

उपर्युक्त विषयसे सम्बन्धित भजन[1]

हरिका मार्ग शूरवीरोंका है।
यहाँ कायरोंका काम नहीं है।
सबसे पहले तू हथेलीपर अपना सिर ले-ले;
(अहंकारका त्याग करनेके लिए तैयार हो जा)
फिर हरिका नाम ले।
जो सन्तति, सम्पत्ति, गृहणी और अहंकार
(हरिके चरणोंमें) समर्पित कर देते हैं
वे ही हरि-भक्तिका रस भी पी-पाते हैं।
वे मोती निकालनेके लिए गोताखोरोंके समान
बीच समुद्रमें पड़े हुए हैं।
जो मृत्युका सामना करनेको तत्पर हैं वे ही मुक्तिरूपी
मोतियोंसे मुट्ठी भर सकते हैं
क्योंकि उन्होंने मनकी सारी दुविधाओंका निवारण कर लिया है।
जो लोग किनारेपर खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं
उन्हें कौड़ी भी नहीं मिलती।
प्रेमका पंथ अग्निमय मार्ग है
कई तो उसे देखकर ही भाग जाते हैं;
मुक्तिका अमर सुख केवल उन्हींको मिलता है
जो इसके बीचों-बीच कूद पड़ते हैं।
निरे तमाशबीन तो झुलस जाते हैं।
जो वस्तु सिर देकर भी महँगी हो
उसे पाना कोई सहज नहीं है।
मनके सारे मैलको त्यागकर ही
मृत्युका आह्वान करनेवाले
उस परमपदको पा जाते हैं।

[गुजरातीसे]
इंडियन ओपिनियन, १९–१–१९०७

१. मूल गुजराती भजन निम्नलिखित है:

हरिनो मारग छे शूरानो,
नहि कायरनुं काम जोने.
परथम पहेलुं मस्तक मुकी,
वळती लेवुं नाम जोने.
सुत-वित-दारा-शीश समरपै,
ते पामे रस पीवा जोने.
सिंधु मध्ये मोती लेवा,
मांही पड्या मरजीवा जोने.
मरण आंगमे ते भरे मूठी,
दिलनी दुग्धा पामे जोने.
तीरे उभा जुए तमासो,
ते कोडी नव पामे जोने.
प्रेमपंथ पावकनी ज्वाळा,
भाळी पाछा भागे जोने.
मांही पड्या ते महासुख माणे,
देखनारा दाझे जोने.
माथा साटे मोंघी वस्तु,
सांपडवी नहि सहेल जोने.
महापद पाम्या ते मरजीवा,
मूकी मननो मेल जोने.

—काव्यदोहन

३१८. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

माननीय अमीरको तार

हमीदिया इस्लामिया अंजुमनने माननीय अमीरको उनके भारत आगमनके उपलक्ष्यमें लॉर्ड सेलबोर्नकी मारफत मुबारकबादीका तार भेजा है। लॉर्ड सेल्बोर्नके सेक्रेटरीने उक्त तारके भेज दिये जानेकी सूचना श्री हाजी वजीर अलीको दी है।

संसद्का चुनाव

ट्रान्सवालमें नई संसदका चुनाव होनेवाला है। स्थानीय समाचारपत्र उम्मीदवारोंके भाषण छापनेमें व्यस्त हो गये हैं। संसदके लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवार जगह-जगह भाषण दिया करते हैं। ये सभी भारतीयोंके सम्बन्धमें अपना-अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि रद किया गया एशियाई अध्यादेश संसदको पुनः पास करना चाहिए। कुछका कहना है कि सब भारतीय व्यापारियोंको नुकसानका मुआवजा देकर निकाल देना चाहिए। कुछका कहना है कि बिना मुआवजेके निकाल देना चाहिए। अध्यादेशका तात्पर्य क्या है इसे तो कोई भी सदस्य नहीं समझ सकता। ट्रान्सवालमें आजकल ऐसी स्थिति है। जो प्रगतिशील दल (प्रोग्रेसिव पार्टी) कहलाता है और जिसके बहुतेरे सदस्य खदानोंमें मददगार या बड़े-बड़े हिस्सेदार हैं, उसके हार जानेकी सम्भावना मालूम होती है। बोअर लोगोंकी सफलताके लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

सर रिचर्ड सॉलोमन

सर रिचर्ड सॉलोमन विलायतसे लौट चुके हैं। वे कुछ समय लॉर्ड सेलबोर्नके साथ रहकर प्रिटोरिया गये हैं। केप टाउनमें पत्रकारोंने उनसे भेंट की थी। उस समय उन्होंने कोई खबर देने या अपना किसी भी प्रकारका अभिप्राय प्रकट करनेसे इनकार किया। वे भी नौकरी छोड़कर संसदमें जाना चाहते हैं। वे किस पक्षमें शामिल होंगे यह जाननेके लिए लोग आतुर हो रहे हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग उनसे इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने अपना मत अभीतक बिलकुल प्रकट नहीं होने दिया। और उनपर आरोप लगाया जा रहा है कि वे दोनों तरफ ढोलक बजायेंगे।

बच्चोंके अनुमतिपत्र

सोलह वर्षसे कम उम्रवाले भारतीय बच्चे, जिनके माता-पिता ट्रान्सवालमें हों, बिना अनुमतिपत्रके ट्रान्सवाल आ सकते हैं। ये बच्चे वयस्क होनेपर बिना अनुमतिपत्रके कैसे रह सकते हैं और यदि ये अपने देश लौट गये तो वापस आ सकते हैं या नहीं — ये दो सवाल पैदा हुए हैं। इस सम्बन्धमें पंजीयक मदद करनेसे इनकार करते हैं और कहते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालयने तय कर दिया है कि ऐसे बच्चोंको अनुमतिपत्रकी जरूरत नहीं है, तो फिर ये अनुमतिपत्र क्यों माँगते हैं? इस तरह करनेसे जान पड़ता है कि पंजीयक महोदय अपना रोष व्यक्त करते हैं। बच्चोंको अनुमतिपत्रकी आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ यह तो नहीं

होता कि उन्हें बड़े होनेपर अपने संरक्षणके लिए या ट्रान्सवाल छोड़नेपर अनुमतिपत्र न दिया जाये। इसका उपाय अर्जी देनेके सिवा दूसरा नहीं दिखाई देता। क्योंकि कानून अनुमतिपत्र कार्यालयको अनुमतिपत्र देनेके लिए बाध्य नहीं करता, कानून तो इतना भर कहता है कि ऐसे बालकोंको अनुमतिपत्रकी आवश्यकता नहीं है, और यदि ऐसे बालकोंको कोई हैरान करे तो कानून उनकी रक्षा करेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-१-१९०७

३१९. शिक्षित भारतीयोंका कर्तव्य

नेटालके शिक्षा-अधिकारीकी रिपोर्टपर टीका करते हुए हमने लिखा है[1] कि शिक्षित भारतीय किस प्रकार और कैसी सरलतासे सहायता कर सकते हैं, इसपर बादमें विचार करेंगे। उसके लिए हम इस अवसरका लाभ उठाते हैं।

भारतीय समाजमें बालक और प्रौढ़ दोनोंको अभी बहुत शिक्षा लेनी बाकी है। उनमें अधिकतर लोग व्यापार-रोजगारमें व्यस्त दिखाई देते हैं, इसलिए उनका दिनमें पढ़ना सम्भव नहीं होता। इसी प्रकार शिक्षित भारतीय भी अधिकतर दिनमें व्यस्त रहते हैं। दुनियामें सभी बड़े-बड़े शहरोंमें रात्रिमें अध्ययन करनेके लिए बहुत-सी पाठशालाएँ होती हैं। हम मान लेते हैं कि सच्ची शिक्षा पाये हुए अनेक भारतीय युवक स्वदेशाभिमान रखते हैं और वे चाहते हैं कि जो शिक्षा उन्होंने पाई है वही दूसरोंको भी दें। ऐसे व्यक्ति अपने सम्पर्कमें आनेवाले बालकों अथवा प्रौढ़ोंको पढ़ानेका आग्रह कर सकते हैं। और यदि दो-चार व्यक्ति पढ़ना स्वीकार करें तो एक स्थानपर इकट्ठा होनेका निश्चय किया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति ही पढ़ना मंजूर करे तो उसे घर जाकर भी पढ़ाया जा सकता है।

हमारी स्थिति यह है कि जिस प्रकार पढ़ानेवाले कम हैं उसी प्रकार पढ़नेवाले भी कम हैं। इसलिए पढ़ानेकी भावनावालेके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि जिसकी पढ़नेकी इच्छा हो उसे पढ़ानेके लिए आतुर रहे, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वह जिसके सम्पर्कमें आये उसे पढ़नेकी ओर आकर्षित करे।

हम अच्छी तरह समझते हैं कि कुछ लोगोंके मनमें विचार आयेगा कि उपर्युक्त पंक्तियाँ कागजपर तो शोभा दे सकती हैं, परन्तु उनके अनुसार चलना मामूली बात नहीं है। उसके जवाबमें हमें इतना ही कहना है कि यह लेख उन सूरमाओंके लिए है जिनके मनमें देशाभिमान सुलग रहा है; और जो लिखा गया है वह अनुभव-सिद्ध है, इसलिए अव्यावहारिक कहकर खारिज कर देने योग्य नहीं है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-१-१९०७

१. देखिए "शिक्षा-अधीक्षककी रिपोर्ट", पृष्ठ २८३-८४।

३२०. मनगढ़न्त

'नेटाल ऐडवर्टाइज़र' में इस आशयका एक समाचार निकला है कि भारतीयोंकी एक सभा नेटाल भारतीय कांग्रेसके खिलाफ कुछ शिकायतोंपर विचार करने तथा एक नया संगठन कायम करनेके लिए हुई। हमें अपने जोहानिसबर्ग-संवाददातासे ज्ञात हुआ है कि यह बेशकीमत खबर विस्तारके साथ तारके जरिए 'जोहानिसबर्ग स्टार' को भेजी गई थी। स्पष्टतः आकांक्षाने ही इस विचारको जन्म दिया जान पड़ता है। यह भी प्रतीत होता है कि कुछ "भलेमानुस" ऐसे हैं जो भारतीय समाजके विभिन्न अंगोंको आपसमें लड़ते-झगड़ते देखनेको लालायित हैं। अतः हम अपने इन दोस्तोंको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस प्रकारका झगड़ा सम्भव नहीं है, क्योंकि इसका कोई आधार ही नहीं हो सकता। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस पर-प्रेरित विवरणमें इन बातोंका जिक्र नहीं है कि यह सभा कहाँ हुई, किसने बुलाई, कौन इसमें शामिल हुए, और यह कब हुई।

पर हमने इस सम्बन्धमें जानकारी हासिल करनेका प्रयास किया है और हमें ज्ञात हुआ है कि इस तरहकी एक सभा किसी एक खानगी मकानमें हुई जरूर थी। किन्तु तथ्योंकी जानकारी मिलते ही मामलेका सारा स्वरूप बदल जाता है। सभामें इस बातपर चर्चा हुई कि कांग्रेससे अलग एक राजनीतिक संस्था कायमकी जाये; किन्तु वक्ताओंने इस प्रस्तावका समर्थन नहीं किया और न अधिकतर लोगोंकी राय इसके पक्षमें थी। हम समझते हैं कि उपर्युक्त सभाके सभापति श्री बी० लॉरेन्सके निम्नांकित पत्रसे, जो उन्होंने 'ऐडवर्टाइज़र' के नाम लिखा है, वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती है:

> महोदय, आपके १७ ता० के दूसरे संस्करणके पृष्ठ ५ पर उपनिवेशवासी हिन्दुओं और भारतीय ईसाइयोंकी विगत मंगलवारकी रातमें हुई एक सभाकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसका शीर्षक है "नेटालके हिन्दू : नेटाल भारतीय कांग्रेससे असन्तोष : प्रतिनिधित्व वाञ्छनीय।" सभाके सभापतिके नाते मेरा फर्ज है कि इस खबरमें दी गई बहुत-सी बातोंका जोरदार शब्दोंमें खण्डन करूँ। सभाका उद्देश्य था एक प्रभावशाली एवं प्रतिनिधित्वपूर्ण समितिका निर्माण, जो नेटालवासी भारतीय समाजकी प्रतिनिधि-संस्थाके रूपमें साम्राज्य तथा उपनिवेश-सरकारोंसे मान्यता प्राप्त नेटाल भारतीय कांग्रेसके सामने उस संस्थाको वर्तमानकी अपेक्षा अधिक प्रातिनिधिक बनानेका सुझाव पेश करे। यह सत्य नहीं है कि चर्चाके दौरानमें बताया गया कि उपनिवेशी भारतीयों और हिन्दू समाजका मुसलमान व्यापारियोंसे सम्बन्ध रखना अपने बारेमें देशके यूरोपीय समाजकी अच्छी रायको धक्का पहुँचानेवाला है। यह केवल विचार ही नहीं, बल्कि सभाका प्रथम और प्रमुख लक्ष्य था कि जो निर्योग्यताएँ भारतीय समाजपर लादी गई हैं और भविष्यमें लादी जा सकती हैं, उनसे मुक्ति पानेके लिए नेटाल भारतीय कांग्रेससे एकता स्थापित की जाये, न कि उससे अलग हुआ जाये। उस रातकी सारी चर्चाका लक्ष्य यही था।

> यह सही नहीं है कि इसके बाद छोटी-मोटी बातोंपर विचार हुआ और सभा बिना किसी निर्णयपर पहुँचे ही भंग हो गई। सभा तो तभी विसर्जित हुई जब उसने भारतीय समाजके सभी वर्गोंकी एक पूर्ण प्रतिनिधि समितिका निर्वाचन कर लिया, जो नेटाल भारतीय कांग्रेससे बातचीत करे। कांग्रेसके अध्यक्ष एवं मंत्रियोंसे मिलकर यह तय करनेके लिए कि समितिके विचार सुननेके लिए कांग्रेसको कौन-सी तिथि, स्थान और समय उपयुक्त होगा, मेरी नियुक्ति की गई। हमारी इच्छा या नीयत कांग्रेस अथवा यूरोपीय लोगोंके खिलाफ काम करनेकी नहीं है, बल्कि यूरोपीय और भारतीय समाजके बीच अधिक सद्भाव पैदा करनेमें कांग्रेसके साथ मिलनेकी है।

हमें यह देखकर खुशी हुई कि डर्बनके प्रमुख हिन्दू उक्त समाचारपत्रमें छपे वक्तव्यका खण्डन करनेके लिए रविवारको इकट्ठे हुए थे। इस सभाके सभापति श्री संघवीने कहा है कि भारतीय समाजके सभी वर्गोंमें पूर्ण मैत्री और एकता है और जाति, सम्प्रदाय या धर्मका कोई भेद नहीं है।

'ऐडवर्टाइज़र' में उपर्युक्त मनगढ़न्त समाचार प्रकाशित करानेवालोंके अलावा भी यदि कोई ऐसे नौजवान भारतीय हों जिन्हें कांग्रेसके कार्य-संचालनमें प्रमुख रूपसे हाथ बँटानेका मौका न मिलनेकी शिकायत हो तो उन्हें हम जोरदार शब्दोंमें सलाह देते हैं कि वे ऐसी किसी भी हलचलसे दूर रहें जो समाजके विभिन्न अंगोंमें आपसी फूट डालनेवाली हो।

हम नेटाल भारतीय कांग्रेसकी[1] उत्पत्तिके कारणोंपर विचार करें तो अच्छा हो। जब कतिपय यूरोपीय उपनिवेशियों द्वारा सारे भारतीय समाजपर आम हमला शुरू किया गया तब उसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेसके ट्रस्टियोंमें दो हिन्दू हैं। उनमें से एक तमिल सज्जन हैं। और कांग्रेसके सदस्योंमें बीसियों हिन्दू और ईसाई हैं जो भारतके विभिन्न प्रान्तोंके निवासी हैं। इसके उद्देश्योंमें सबका समावेश होता है और यदि तमिल समाजके प्रति जो दिलचस्पी ली गई उसका कोई मूल्य हो तो सच बात तो यह है कि अपने अस्तित्वके प्रारम्भमें कुछ वर्षों तक कांग्रेस खास तौरसे इसी समाजसे सम्बन्वित मामलोंमें ज्यादा लगी रही थी। इस सिलसिलेमें यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेसके संरक्षणमें ही नेटाल भारतीय शिक्षा-सभा उन्नत और समृद्ध हुई। इसके कार्यके लिए कांग्रेसका सभाभवन निःशुल्क अर्पित किया गया था। पुनः उपनिवेशी भारतीयोंके फायदेके लिए हीरक-जयन्ती पुस्तकालयकी[2] स्थापना खास तौरसे कांग्रेस-कोषके बलपर ही सम्भव हुई। अगर आज कांग्रेसकी बैठकोंमें भारतीय व्यापारियोंके सम्बन्धमें ही विशेष चर्चा होती है तो इसका सबब यह है कि वे ही सबसे ज्यादा खतरेमें हैं। और उनकी उपेक्षा हुई या उन्होंने स्वयं अपनी उपेक्षा होने दी तो हानि किसकी होगी? निश्चय ही सारे भारतीय समाजकी; क्योंकि दुनिया-भरमें वणिक-वर्ग ही ऐसा है जो अपने समाज अथवा राष्ट्रको द्रव्य और साथ ही व्यावहारिक बुद्धि भी प्रदान करता है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१-१९०७

१. यह १८९४ में स्थापित की गई थी; देखिये खण्ड १, पृष्ठ १३०-५, २३५-४३ और खण्ड ३, पृष्ठ १०६-१९।

२. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ११५।

३२१. क्या भारतीयोंमें फूट होगी?

'ऐडवर्टाइज़र' में 'नेटालके हिन्दू' शीर्षकसे एक [सभाकी] खबर प्रकाशित हुई है, उससे शायद कोई-कोई भारतीय घबरा जायेंगे। हमें लगता है कि उससे घबराना नहीं चाहिए। उस खबरका सारांश हम अन्यत्र दे रहे हैं। सभामें कौन-कौन था, और वह कहाँ हुई थी, यह नहीं बताया गया। यह भी देखनेमें नहीं आया कि सभाने क्या प्रस्ताव पास किया है। इसमें शक नहीं कि इस कार्यमें कुछ हताश भारतीयोंका हाथ है। उन्हें गोरोंकी सहायता मिलेगी, यह बात साफ है। सभाका एक परिपत्र हमारे हाथ लगा है। उसमें श्री ब्रायन गेब्रियल, बी० लॉरेन्स तथा ए० डी० पिल्लेके हस्ताक्षर हैं। सभा १५ तारीखको ८ बजे श्री ए०डी० पिल्लेके घर हुई थी। हम नहीं समझते कि इस सम्बन्धमें कुछ अधिक हलचल करनेकी आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेसके संविधानमें परिवर्तन करनेका कुछ भी कारण नहीं है। इसके अलावा यह सभा केवल धमकी स्वरूप है, और धमकीसे डरकर परिवर्तन करनेकी आवश्यकता बिलकुल नहीं होती। कांग्रेसके नेताओंका कर्तव्य है कि वे उसके बावजूद कांग्रेसके संविधान और नियमोंसे विचलित न हों। जिन लोगोंने कांग्रेसका चन्दा न दिया हो उनसे लिया जाना चाहिए, और पहले जिस प्रकार वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित होती रही है उसी प्रकार अब भी होनी चाहिए। उपर्युक्त बैठक बुलानेवालेका अथवा उसमें उपस्थित रहनेवालेका दोष माननेकी आवश्यकता नहीं है। हिन्दू सुधार सभाके सभा-भवनमें जो बैठक हुई थी उससे तथा श्री बी० लॉरेन्सके पत्रसे[1] ज्ञात होगा कि 'ऐडवर्टाइज़र' ने जो कार्रवाई प्रकाशित की है, वह झूठी है। इसलिए समझदारोंको और कांग्रेसको अपने-अपने कर्तव्यका पालन करके बेखटके रहना चाहिए। ऐसा होनेपर फूट नहीं पड़ेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१-१९०७

३२२. नेटालका परवाना-कानून

प्रत्येक वर्षके आरम्भमें भारतीयोंके लिए नेटालमें बड़ा भय रहता है। व्यापार करनेके लिए परवाना मिलेगा या नहीं, यह भय छोटे-बड़े सब व्यापारियोंको रहता है। इस बार उनपर अधिक अत्याचारकी तैयारी हो रही है।

लेडीस्मिथ

लेडीस्मिथमें इस प्रकारकी सूचना दी जा चुकी है कि किसी व्यापारीको आगामी वर्ष परवाना नहीं मिलेगा। कुछ लोगोंके लिए यह कहकर इस वर्ष भी परवानेकी मनाही की गई है कि उन्हें अंग्रेजीमें बहीखाता रखना नहीं आता।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

टोंगाट

टोंगाटमें बहुत-से भारतीयोंको परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया है। उसका कारण दूकानकी गन्दगी और वहीखातोंकी बुरी हालत बताया गया है।

सभी जगहोंमें

सभाएँ सर्वत्र होती रहती हैं और गोरे इस प्रकारका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं कि भारतीय व्यापारियोंको परवाने बिलकुल न दिये जायें। इस प्रकारके प्रस्तावोंके परिणामस्वरूप फिलहाल तो सम्भव नहीं है कि सभी जगहोंपर परवाने न दिये जायें, किन्तु यदि आजसे ही प्रयत्न नहीं किया गया, तो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि बादमें हाथ मलनेकी नौबत आ जायेगी।

उपाय

उपाय क्या-क्या किये जायें, इस सम्बन्धमें विचार करें। जिन लोगोंको परवाने देनेसे इनकार कर दिया गया है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वे परवाना-निकायसे अपील करें। अपील करनेमें खर्च बहुत कम है। अपील करते समय बहीखाते और घर-बारकी स्थितिके बारेमें सबूत देना आवश्यक है। अपील करनेका प्रयोजन यह है कि वैधानिक रूपसे अपील करना ही कानूनके अनुसार एक उपाय है, और दूसरा कोई कदम उठानेसे पहले इसे करना ही चाहिए। फिर, अपील करनेसे यह भी सिद्ध किया जा सकेगा कि परवाना-अधिकारी और परवाना-निकाय दोनों एक ही हैं। अपील करनेके साथ-साथ स्थानीय सरकार अर्थात् उपनिवेश-मन्त्रीके पास आवेदनपत्र जाना चाहिए।

कांग्रेस

कांग्रेसकी सहायता कितनी लेनी चाहिए और मालिकको निजी खर्च कब करना चाहिए, यह जान लेना जरूरी है। कांग्रेस सरकारसे लिखा-पढ़ी कर सकेगी। परन्तु प्रत्येक गाँवमें, जहाँ अपीलकी आवश्यकता मालूम हो, खर्च सम्बन्धित लोगोंको उठाना होगा।

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति

हम जानते हैं कि कांग्रेसने समितिके नाम विलायत तार भेजा है कि समिति परवानेके बारेमें कार्रवाई शुरू कर दे। अपीलोंके परिणाम मालूम होनेपर उस समितिको और भी सूचना देना कांग्रेसका कर्तव्य है। समितिके पास सारी जानकारी पहुँचनेपर सम्भव है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर सकेगी। इस सिलसिलेमें यह भी कह देना आवश्यक है कि सभी लोग करीब-करीब एक ही नीतिसे अथवा एक ही वकीलकी मारफत काम करेंगे तो परिणाम अधिक अच्छा होगा। इस प्रकार हो या न हो, लोगोंको कांग्रेसके मन्त्रियोंको तो तुरन्त सूचना देनी ही चाहिए। परन्तु यदि लोग खबर न दें तो भी कांग्रेसको बैठे नहीं रहना है। मन्त्रियोंको अथवा कांग्रेसकी ओरसे अन्य व्यक्तियोंको गाँव-गाँव जाकर पता लगाना चाहिए। इतना याद रखें कि गोरा समाज समूचे उपनिवेशमें संगठित होकर काम कर रहा है। उसी प्रकार हमें भी करना चाहिए।

भय

इस मुकाबलेमें हमें भय लेशमात्र भी नहीं रखना है। अपना परवाना प्राप्त करनेके लिए दूसरेका कुछ भी हो, इस प्रकारका विचार जो भारतीय रखेगा वह नामर्द और डरपोक

कहलायेगा। खुशामद करके यदि कोई परवाना लेता है तो वह बड़ी भूल कहलायेगी। इतना तो निश्चित रूपसे समझ लिया जाना चाहिए कि एक व्यापारीको दूसरे व्यापारीके विरोधमें खड़ा करके यदि हानि पहुँचाई जा सकती हो, तो ईर्ष्यालु गोरे उस परिस्थितिका लाभ लेनेसे नहीं चूकेंगे। ये उपाय बिगड़ती हुई स्थितिको सँभालनेके लिए हैं और बाह्य हैं।

भीतरी उपाय

अब भीतरी उपायोंपर विचार करें। इस लड़ाईमें हम स्वयं दोषी हैं या नहीं, यह पूरी तरह जान लेना चाहिए। जो मनुष्य अपने दोष नहीं देख पाता वह मरेके समान है। हमारे विरुद्ध कुछ भी कहने-लायक न हो तो भी हम दुःख भोगें, यह अनुभवके विपरीत है। वैधानिक तरीकेसे लड़ाई करना हमारा कर्तव्य है, किन्तु अपने दोषोंका विचार करना भी कर्तव्य है। कानूनके सम्बन्धमें हमारे तीन निम्न दोष माने जाते हैं: (१) गन्दगी। (२) बहीखातेकी बुरी हालत। (३) घर और दूकानका साथ-साथ होना।

गन्दगी

विचार कर लेनेपर हमें तुरन्त स्वीकार करना पड़ता है कि गोरे हमें जितना गन्दा कहते हैं उतने गन्दे हम नहीं हैं, फिर भी वह आक्षेप बहुत-कुछ सही है। गन्दगीमें घरके दिखावे और अपने दिखावे दोनोंका समावेश होता है।

दूकानकी स्थिति

दूकानकी स्थिति प्रायः खराब रहती है। पीछेके हिस्सेमें सील अथवा कूड़ा-कचरा रहता है। दूकानके भीतर भी कभी-कभी गन्दगी होती है; और झोंपड़े जैसी दूकानसे हम सन्तोष मान लेते हैं। इसमें परिवर्तन करनेकी बड़ी जरूरत है। हमारे देशके समान चाहे जैसी दूकान रखकर यदि हम इस देशमें व्यापार करनेकी आशा रखते हों तो उसे छोड़ देनेमें ही बुद्धिमानी होगी। अच्छे गोरे जिस ढंगसे अपनी दूकान रखते हैं यदि वैसी हम लोग न रख सकें तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम दूकान रखनेके योग्य नहीं हैं। गोरोंकी स्वच्छ और मनोहर दूकानसे सटा हुआ हमारा झोंपड़ा दिखाई दे और उस झोंपड़ेमें हम गोरोंके जैसा माल बेचें तो उन्हें हमसे ईर्ष्या क्यों न हो। इसके उत्तरमें किसीको यह न कहना चाहिए कि क्या किसी गोरेकी बेढंगी दूकान नहीं होती? निःसन्देह होती है, परन्तु यदि हम उन लोगोंकी देखा-देखी करने लगेंगे तो हमें याद रखना चाहिए कि हम मात खायेंगे। इतना ही नहीं यदि हम लोगोंको कुछ अधिक भी खोना पड़े तो कोई अनहोनी बात न होगी क्योंकि हमारी राष्ट्रीयता भिन्न है।

अपना दिखावा

अपने दिखावेके बारेमें पूरी सावधानी रखना जरूरी है। फटेहाल व्यापारी नेटाल अथवा दक्षिण आफ्रिकामें कदापि नहीं टिक पायेगा। यदि कोई व्यापारी है तो उसे यहाँके रिवाजके मुताबिक कपड़े पहनने होंगे। अंग्रेजी कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। लेकिन देशी कपड़े तो बाकायदा और साफ-सुथरे होने चाहिए। भारतीयोंको यह चेतावनी देना आवश्यक है कि इस देशमें धोती पहनना उचित नहीं है। टोंगाटमें भारतके समान ही दूकानके बाहर व्यापारियों और उनके मुनीमोंको दातुन आदि करते हुए देखा गया है। इन सब बातोंका

असर गोरोंपर नहीं पड़ेगा, यह मानना नादानी है। जब हम बाहर निकलें तब सदैव पूरी पोशाक पहनकर निकलना चाहिए। पगड़ी, टोपी और जूतेपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। हम मान लेते हैं कि सिरके आवरणका गन्दा रहना परिपाटीके अनुसार है। जूतोंको साफ करनेका रिवाज क्वचित् ही देखनेमें आता है। मोजे कुछ लोग तो पहनते ही नहीं और यदि पहनते भी हैं तो इतने जीर्ण कि वे जूतोंपर दुहरे हो जाते हैं। इस स्थितिमें परिवर्तन होना ही चाहिए। इन सब बातोंकी कुंजी एक है। खान-पान, सफाई आदिके काम एकान्त स्थानमें होने चाहिए, यानी बाहर निकलनेपर हमें सदैव अच्छी स्थितिमें दिखना चाहिए। इस दृष्टिसे हम अदालत या सार्वजनिक स्थानोंमें मुँहमें पान, जरदा या सुपारी भरकर नहीं जा सकते।

बहीखाता

बहीखातेकी बात देखें तो अखबारोंमें यह शिकायत छपी है कि हमारा अंग्रेजी बहीखाता बेढंगा और बरायनाम या बनावटी है। हमें अत्यन्त लज्जाके साथ स्वीकार करना चाहिए कि इस बातमें भी कुछ सचाई है। कुछ भोले व्यापारी तो केवल वर्षके अन्तमें बहीखाते लिखवा लेते हैं। इस प्रकार पैबन्द लगानेसे कहाँतक निभेगा? सचमुच जागनेकी आवश्यकता है। अंग्रेजीमें नियमित बहीखाता रखना कठिन नहीं है। न रखनेका मुख्य कारण आलस्य और लोभ जान पड़ता है। दोनों छोड़कर नियमित बहीखाता रखनेका रिवाज शुरू होना चाहिए।

जो दूकान, वही घर

बहुत-से व्यापारी घरोंमें ही दूकान लगाते हैं, कई गोरे भी ऐसा करते हैं। गाँवोंमें कुछ-कुछ ऐसा किये बिना नहीं चलता। जहाँ सम्भव हो, वहाँ दूकान और घर अलग और फासलेपर होने चाहिए। किन्तु जहाँ निकट रखनेकी आवश्यकता हो वहाँ भी अलग तो रहना ही चाहिए, और वह भी नाम-मात्रका पर्दा लगाकर धोखा देनेके विचारसे नहीं, बल्कि बिलकुल सही ढंगसे।

वचन

इन तीन बातोंपर ध्यान दिया जाये तो यह वचन दिया जा सकता है कि कुछ ही समयमें नेटालमें भारतीय व्यापारियोंकी स्थिति सुधर जायेगी। कानून नहीं बदलेगा तो वह अमलमें नहीं आयेगा। कोई यह प्रश्न करेगा कि इन सारी सयानी सीखोंको निभानेसे पहले दूकानें बन्द हो जायेंगी और ताले लग जायेंगे, तो उसका उपाय क्या है? यह प्रश्न यथार्थ है।

जो जवाँमर्द हैं

नेटाल और दक्षिण आफ्रिका ऐसे भारतीयोंके लिए है जो जवाँमर्द हैं। डरपोक और कंजूसका बुरा हाल है, यह दिनोदिन सिद्ध होता जा रहा है। तब उपर्युक्त प्रश्नका उत्तर यह है कि जिसके बहीखाते अच्छे हैं, जिसकी दूकान बढ़िया और साफ-सुथरी है, जिसकी पोशाक वगैरह व्यवस्थित है और जिसका घर दूकानसे अलग और स्वच्छ है, ऐसे व्यापारीको यदि परवाना न भी मिले, और वह अपीलमें हार जाये तो भी उसे दूकान चालू रखनी है। और ऐसे व्यापारीकी लड़ाई ठेठ विलायत तक लड़ी जा सकती है और उसका

सुपरिणाम प्राप्त किया जा सकता है। हिम्मतवाला व्यक्ति यह सब कर सकेगा, इतना तो निश्चित है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१-१९०७

३२३. 'नेटाल मर्क्युरी' और भारतीय व्यापारी

'नेटाल मर्क्युरी' ने भारतीय व्यापारियोंके बारेमें अच्छा लिखा है। उसका भावार्थ यह है कि भारतीय व्यापारीका विरोध करनेवाले लोग दम्भी हैं। अर्थात् वे बाहरसे विरोधी हैं और भीतरसे भारतीयोंके साथ व्यवहार करते हैं। 'मर्क्युरी' यह भी मानता है कि गोरे लोग यदि भारतीय व्यापारियोंके विरोधमें हों तो भारतीय व्यापारी टिक नहीं सकते। क्योंकि, उसके कथनानुसार, गोरे लोग भारतीयोंको जमीन बेचते हैं तभी तो भारतीय उसे ले सकते हैं। गोरे लोग भारतीयोंको उधार देते हैं तथा उनसे सामान लेते हैं तभी तो भारतीय व्यापार कर पाते हैं। यह दलील बहुत-कुछ यथार्थ है। ऐसी ही दलीलके द्वारा शिष्टमण्डलने विलायतमें लॉर्ड एलगिन तथा श्री मॉर्लेको बताया था कि गोरे लोग यदि भारतीयोंके विरुद्ध हों तो वे भले ही बहिष्कार शुरू कर दें। हम सबको सलाह देते हैं कि वे बहिष्कारकी बातका समर्थन करें। इससे सम्भव है कानून अपने-आप समाप्त हो जायेगा; क्योंकि भारतीयोंके लिए संघर्ष करनेको कई बातें हैं, और हमारा विरोध करनेवाले कानून समाप्त हो जायें तो अन्य विषयोंमें हम निपट लेंगे। परन्तु वह एक ही शर्तपर, कि हम लोग अपने दोषोंको दूर करें। इसके बारेमें हमने पहले अधिक लिखा है। उसे देख लें।

बहिष्कारसे किसीको डरना नहीं है, क्योंकि बहिष्कार ऐसी वस्तु है कि यदि गोरे उसे शुरू कर दें, तो संरक्षणके चाहे जैसे कानून बनें हम लोग बच नहीं सकते। परन्तु बहिष्कारको शिरोधार्य करना ही ठीक माना जायेगा। बॉक्सबर्गमें एक भी गोरा भारतीयके काममें नहीं आता। इसलिए यद्यपि वहाँ जानेका सबको हक है, फिर भी वहाँ कोई नहीं जा सकता। जहाँपर भारतीयोंकी बस्ती जमी हुई है, वहाँ यदि हम ढंगसे रहें, तो बहिष्कार टिक नहीं सकता।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१-१९०७

३२४. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

ट्रान्सवालमें स्वराज्य

पिछले सप्ताह लॉर्ड सेल्वोर्न स्वराज्य संविधानके अनुसार पुनः ट्रान्सवालके गवर्नर नियुक्त किये गये हैं। अब भविष्यमें लेफ्टिनेंट गवर्नरका पद साफ उठा दिया गया है। जो लोग नई संसदकी सदस्यताके उम्मीदवार हैं वे ९ फरवरीको स्थानीय मजिस्ट्रेटोंके पास अपने-अपने नाम पेश करेंगे। फरवरी २० को इन उम्मीदवारोंमें से जनता सदस्योंका चुनाव करेगी।

स्वराज्य क्या है?

इस प्रसंगपर यह समझा देना अनुचित न होगा कि ट्रान्सवालमें जो परिवर्तन हुए हैं उनका क्या मतलब है। अंग्रेजी साम्राज्यमें इंग्लैंडके बाहर स्वराज्य भोगनेवाले उपनिवेश (सेल्फ गवर्निंग कालोनी) ताजके उपनिवेश (क्राउन कालोनी) और मातहत देश (डिपेन्डेन्सी)—यों तीन प्रकारके देश हैं। मातहत मुल्कोंमें भारत गिना जायेगा, ताजके उपनिवेशोंमें मॉरीशस, श्रीलंका आदिकी गणना होगी और स्वराज्यका उपभोग करनेवाले देशोंमें कैनेडा, नेटाल और आस्ट्रेलिया आदिका समावेश होगा।

ताजके उपनिवेशोंमें प्रायः जनता द्वारा निर्वाचित अथवा सरकार द्वारा नामजद धारासभा होती है। उसमें अधिकारियोंकी नियुक्ति सरकार ही करती है। उन अधिकारियोंपर धारासभाका नियन्त्रण नहीं होता। वे सभासदोंके प्रति किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होते। सारे कानून सरकार द्वारा ही बनाये गये माने जाते हैं।

ऐसी हुकूमतकी जगह अधिकारियोंको नियुक्त करनेका अधिकार भी जब जनताके हाथमें आता है और कर लगाना या कानून बनानेका काम भी जनताको सौंप दिया जाता है तब माना जाता है कि लोगोंको स्वराज्य प्राप्त है। स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशोंपर इंग्लैंडका नियन्त्रण बहुत कम होता है। उनके बनाये विधानपर सम्राट्की सहीकी जरूरत तो होती है, परन्तु यदि सम्राट् सही करनेसे इनकार करें तो ऐसे राज्य एकदम स्वतन्त्र हो सकते हैं। अनेक अनुभवी राजनीतिज्ञोंकी मान्यता है कि स्वराज्यका उपभोग करनेवाले उपनिवेश कुछ ही वर्षोंमें अपनी ध्वजा फहराते नजर आयेंगे। ट्रान्सवाल अबतक ताजका उपनिवेश था। अब वह स्वराज्य-भोगी उपनिवेश है। उसमें निर्वाचित सदस्य अधिकारियोंको उत्तरदायी रहनेके लिए कह सकते हैं। अतः इसे उत्तरदायी शासन (रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट) भी कहा जाता है।

चुनावकी धूमधाम

चुनावका संघर्ष पिछले कुछ सप्ताहोंसे चल रहा है। सभाओंमें कभी-कभी मारपीटका प्रसंग भी आ जाता है। मतदाता कभी-कभी ऐसे बेढंगे प्रश्न पूछ बैठते हैं कि इन चुनावोंको सुधार कहा जाये या जंगलीपन, यह शंका होने लगती है। श्री हॉस्केन यहाँके सुप्रसिद्ध धनिक तथा सद्गृहस्थ हैं। उनका प्रतिपक्षी उम्मीदवार उनके मुकाबलेका नहीं है। श्री हॉस्केन लोगोंका भला करनेवाले हैं या बुरा, इस प्रश्नपर निर्वाचकोंने विचार किया हो ऐसा नहीं मालूम होता। उन्होंने श्री हॉस्केनसे प्रश्न किया कि वे अपनी खानेकी चीजें कहाँसे मँगाते हैं? यदि इस प्रश्नके उत्तरपर ही श्री हॉस्केनका चुनाव निर्भर हो, तो कोई आश्चर्य नहीं।

निर्वाचक ऐसी अधम दशामें हैं। यह तो एक नमूना-मात्र है, ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।

ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें काले लोगोंके लिए कानून

ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें काले लोगोंकी ओरसे एक गोरा नामजद किया जाये और वह उनके अधिकारोंकी रक्षा करे, ऐसा एक विधेयक सरकारी अधिकारियोंकी ओरसे 'गज़ट' में प्रकाशित हुआ था। इस कानूनका विरोध अनेक नगरपालिकाओंने किया है, ऐसे तार स्थानीय समाचारपत्रोंमें छपे हैं। सरकार जो अधिकार देना चाहती थी उनमें कोई सार नहीं था; परन्तु उतने हक मिल जानेसे भी काले लोगोंकी कुछ-न-कुछ प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, इसी भयसे ऑरेंज रिवरकी बहादुर नगरपालिकाके गोरे सदस्योंने विरोध किया है। ऐसे लोगोंके मातहत काले लोगोंकी क्या स्थिति होगी यह सोचकर बड़ी घबड़ाहट होती है।

डॉक्टर पेरेराका लड़का

डॉक्टर पेरेराका, जो यहाँ निजी तौरसे दुभापियेका काम करते हैं, लड़का इंग्लैंडमें पढ़ता है। वह अपने स्कूलकी परीक्षामें उत्तीर्ण हो चुका है। उसे सब विद्यार्थियोंसे अच्छा आचरण-प्रमाणपत्र मिला है। कुछ ही दिनोंमें वह डॉक्टरीके अध्ययनके लिए स्काटलैंड जानेवाला है।

सर रिचर्ड सॉलोमन

सर रिचर्ड सॉलोमनका प्रिटोरियाके नगर-भवनमें भाषण हुआ। भवन खचाखच भरा हुआ था। किन्तु मैं उस भाषणका पूर्ण विवरण इस बार नहीं दे सकता। अगले सप्ताह देनेका विचार[1] है। सर रिचर्डने अपनी आँखें खोली हैं। एशियाई अध्यादेशके सम्बन्धमें वे यहाँतक कह गये कि यदि उक्त अध्यादेश नई संसदमें पास हो गया तो बड़ी सरकार भी उसे स्वीकार कर लेगी। इससे ऐसा ही अनुमान किया जा सकता है कि यह कानून छः-सात महीनोंमें अवश्य पास हो जायेगा। यदि ऐसा हो तो सम्भव है कि भारतीयोंको जेल-महलमें आनन्द करने जाना पड़ेगा। किन्तु इस सम्बन्धमें अगले सप्ताह विशेष विवेचन करूँगा।

घरमें फूट[2]

सोमवारको 'स्टार' के संवाददाताने डर्बनसे एक लम्बा तार दिया है कि डर्बनके भारतीयोंमें फूट हो गई है। कांग्रेस मुसलमानोंकी मानी जाती है। इससे उपनिवेशमें पैदा हुए, अर्थात् सभ्य भारतीय नाराज हो गये हैं और दूसरी सभा स्थापित करना चाहते हैं। इस सबके पीछे सम्भव है किसी गोरेका हाथ हो। इस तारकी भाषा ही ऐसी है मानो लेखक भारतीयोंमें लड़ाई करवानेके लिए आतुर हो रहा हो। डर्बनमें इस सारी बातकी विशेष जानकारी होगी।

एशियाई अध्यादेश

ट्रान्सवालका एशियाई अध्यादेश केवल मूर्छित हुआ है, मरा नहीं — यह बात स्थानीय समाचारपत्रोंसे स्पष्ट मालूम हो रही है। क्रूगर्सडॉर्पमें जो सभा हुई थी उसमें यह चर्चा है

1. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ३२८-३० ।
2. देखिए "मतभेद", और "क्या भारतीयोंमें फूट होगी", पृष्ठ ३०७-९ ।

कि नगरपालिका संघमें इस अध्यादेशकी बातको फिरसे उठाया जाये और नई सरकारके बनते ही तुरन्त उसके पास यह प्रस्ताव पास करके भेजा जाये कि नई धारासभामें वही अध्यादेश पास किया जाना चाहिए और लॉर्ड एलगिनको उसपर हस्ताक्षर करने चाहिए। यह चर्चा केवल क्रूगर्संडॉर्पमें ही हो सो बात नहीं, सारे ट्रान्सवालमें चल रही है। अतः भारतीय समाजको जागते रहनेकी आवश्यकता है। अध्यादेशके रद हो जानेकी खुशीमें लोग बेखबर सोते नजर आ रहे हैं; परन्तु बहुत सावधानी रखनेकी आवश्यकता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१-१९०७

३२५. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — ४

क्या कोई सर्वश्रेष्ठ विधान है?

कोई काम अच्छा है या बुरा — इस सम्बन्धमें हम हमेशा अपना अभिप्राय देते रहते हैं। कुछ कामोंसे हम सन्तोष पाते हैं और कुछसे नहीं। अमुक काम अच्छा है या बुरा, यह इस बातपर निर्भर नहीं कि वह हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक। परन्तु इसकी तुलना करनेमें तो हम दूसरा ही दृष्टिकोण अपनाते हैं। हमारे मनमें कुछ विचार रमे रहते हैं जिनके आधारपर हम अन्य लोगोंके कामोंकी परीक्षा करते हैं। एक मनुष्यने किसी दूसरेका नुकसान किया हो और हमपर उस नुकसानका कोई असर न पड़ा हो तब भी हम उसे बुरा समझने लगते हैं। कभी-कभी नुकसान करनेवाले व्यक्तिकी ओर हमारी सहानुभूति होती है, फिर भी उसका काम बुरा है यह कहते हमें जरा भी संकोच नहीं होता। कभी-कभी हमारी राय गलत भी साबित हो जाती है। मनुष्यके हेतु हम सदा देख नहीं सकते और इससे गलत परीक्षा कर जाते हैं; फिर भी हेतुके हिसाबसे परीक्षा करनेमें अड़चन नहीं होती। कुछ बुरे कामोंसे हम लाभ उठाते हैं, फिर भी हम मनमें इतना तो समझते हैं कि वे काम बुरे हैं।

यानी यह सिद्ध हो गया कि भलाई-बुराई मनुष्यके स्वार्थपर निर्भर नहीं है, और न वह मनुष्यकी इच्छाओंपर ही निर्भर है। नीति और भावनाके बीच सदैव सम्बन्ध दिखाई नहीं देता। ममताके कारण बच्चेको हम कोई विशेष वस्तु देना चाहते हैं, परन्तु यदि वह उसके लिए हानिकारक हो तो उसे देनेमें अनीति है, इस बातको हम समझते हैं। भावना दिखाना निःसन्देह अच्छा है, पर नीति-विचारके द्वारा उसकी मर्यादा न बँधी हो तो वह विष-रूप बन जाती है।

हम यह भी देखते हैं कि नीतिके नियम अचल हैं। मत बदलते रहते हैं परन्तु नीति नहीं बदलती। हमारी आँख खुली होनेपर हमें सूर्य दिखाई देता है और बन्द रहनेपर नहीं। यह परिवर्तन हमारी दृष्टिमें हुआ, न कि सूर्यके अस्तित्वमें। यही बात नीतिके नियमोंके सम्बन्धमें भी समझनी चाहिए। सम्भव है अज्ञानकी दशामें हम नीतिको न समझ पायें, पर ज्ञान-चक्षु खुलनेपर उसे समझनेमें हमें कठिनाई नहीं होती। मनुष्यकी दृष्टि हमेशा भलेकी ओर ही

रहे यह क्वचित् ही होता है। इसलिए अक्सर वह स्वार्थकी दृष्टिसे देखनेके कारण अनीतिको नीति कह देता है। ऐसा समय तो अभी आनेको है जब मनुष्य स्वार्थके विचार छोड़कर केवल नीति-विचारकी ओर ही ध्यान देगा। स्वयं नीतिकी शिक्षा ही अभी शैशव अवस्थामें है। बेकन[1] और डार्विनसे पूर्व जो स्थिति शास्त्रकी थी वही आज नीतिकी है। सत्य क्या है इसे जाननेकी मनुष्योंमें जिज्ञासा तो थी, किन्तु नैतिकताके सम्बन्धमें जाननेकी अपेक्षा वे पृथ्वी आदिके भौतिक नियम जाननेमें व्यस्त थे। ऐसा कौन-सा विद्वान हमें दिखाई देता है, जिसने निष्ठापूर्वक दुःख उठाकर और अपने पूर्वग्रहोंको छोड़कर सच्ची नीतिकी शोधमें अपना जीवन बिताया हो? प्रकृतिकी खोज करनेवाले लोगोंके समान ही जब लोग नीतिकी खोजमें तल्लीन हो जायेंगे तब, हम मानते हैं, नीति-सम्बन्धी विचार संग्रहीत किये जा सकेंगे। विज्ञानके विचारोंके विषयमें मनुष्योंमें आज भी जितना मतभेद है उतना नीतिके सम्बन्धमें होना सम्भव नहीं है। फिर भी सम्भव है कि नीतिके नियमोंके सम्बन्धमें कुछ समय तक हम एकमत न हों। इसका यह अर्थ नहीं कि सच-झूठका भेद समझमें नहीं आ सकता।

तब हमने देख लिया कि मनुष्योंकी धारणाओं और इच्छाओंसे परे नीतिकी ऐसी कुछ व्यवस्था है, जिसे हम विधान या कायदा कह सकेंगे। राज्य-कारोबारमें भी जब हम विधान देखते हैं, तब नीतिका भी विधान क्यों नहीं हो सकता, भले वह मानव लिखित न हो; और मानव लिखित होना भी नहीं चाहिए। और यदि हम मान लें कि नीतिका भी कोई विधान है तो जिस प्रकार हमें राज्यके नियमोंके मातहत रहना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार नीतिके विधानके मातहत रहना हमारा कर्तव्य है। नीतिका विधान राज्य या व्यावसायिक विधानसे भिन्न तथा श्रेष्ठ है। व्यावसायिक विधानका पालन न करनेसे मैं गरीब ही बना रहूँ तो क्या हुआ? राज्यके विधानके मातहत न रहनेपर शासक मुझसे नाराज हों तो भी क्या हुआ? परन्तु कोई यह नहीं कह सकेगा, और न मैं ही कह सकूँगा कि मैं झूठ बोलूँ या सच, इससे क्या बिगड़ा।

इस प्रकार नीतिके नियमों और दुनियादारीके नियमोंमें बड़ा भेद है, क्योंकि नीतिका वास हमारे हृदयमें है। अनीतिपर चलनेवाला मनुष्य भी अपनी अनीति स्वीकार करेगा। झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता। जहाँकी प्रजा बहुत दुष्ट होगी वहाँ लोग यद्यपि नीति-पालन नहीं करते होंगे तो भी नीतिके निर्वाहका पाखण्ड तो करेंगे ही; अर्थात् इतना तो उन्हें भी स्वीकार करना होगा कि नीतिका निर्वाह किया जाना चाहिए। नीतिकी ऐसी महिमा है। इस नीतिमें या इसके निर्वाहमें लोक-परम्परा या लोकमतकी परवाह नहीं रहती। लोकमत या रीति-रिवाज जहाँतक नीतिके विधानका अनुसरण करते दिखाई दें वहींतक वे नीतिमान व्यक्तिके लिए बन्धनकारक होंगे।

नीतिका यह विधान कहाँसे आया? इसे राजा नहीं बनाते; क्योंकि भिन्न-भिन्न राज्योंमें भिन्न-भिन्न कानून देखनेमें आते हैं। सुकरात अपने जमानेमें जिस नीतिका पालन करते थे उसके विरुद्ध अनेक लोग थे, तो भी सारा संसार मानता है कि उनकी नीति ही सनातन थी, और वह सर्वदा रहनेवाली है। अंग्रेज कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग कह गया है कि यदि कोई शैतान

१. रोजर बेकन (१२१४–१२९४) एक ईसाई संन्यासी, जिन्होंने सर्वप्रथम विज्ञानके क्षेत्रमें प्रयोगोंके महत्त्वपर जोर दिया था।

इस दुनियामें द्वेष और झूठकी दुहाई फिरवा दे, तो भी न्याय, भलाई और सत्य तो ईश्वरीय ही रहेंगे।[1] अतः हम यह कह सकते हैं कि नीतिका विधान सर्वोपरि और ईश्वरीय है।

ऐसे नीति-विधानका भंग कोई भी समाज या व्यक्ति अन्ततक नहीं कर सकता। कहा है कि जैसे भयंकर अन्धड़ भी आखिर चला जाता है उसी प्रकार अनैतिक व्यक्तियोंका भी नाश हो जाता है।[2]

असीरिया और बैबीलोनमें अनैतिकताका घड़ा भरते ही फूट गया, रोमने जब अनैतिकताका मार्ग लिया तो महापुरुष उसे नहीं बचा सके। यूनानी प्रजा बहुत होशियार थी, परन्तु उसकी वह होशियारी अनीतिको कायम न रख सकी। फ्रांसका विद्रोह भी अनीतिके प्रतिकारमें हुआ। इसी तरह अमेरिकामें वैंडल फिलिप्स कहते थे कि अनीतिको राजगद्दीपर अधिष्ठित कर दिया जाये तो भी वह नहीं टिक सकेगी। नीतिके ऐसे अद्भुत विधानका जो व्यक्ति पालन करता है उसका उत्कर्ष होता है, जो कुटुम्ब पालन करते हैं वे बने रह सकते हैं और जिन समाजोंमें पालन किया जाता है वे विकसित होते हैं। जो प्रजा इस उत्तम विधानका पालन करती है वह सुख, स्वतन्त्रता और शान्तिका उपभोग करती है।

उपर्युक्त विषयसे सम्बन्धित भजन

हे मन, तू 'तूही तूही' बोलता है। यह तेरा शरीर स्वप्नके समान है। यह अचानक उड़ जायेगा जैसे आगमें लकड़ी खतम हो जाती है।

ओसका पानी पल भरमें उड़ जायेगा जैसे कागजपरका पानी सूख जाता है। यह काया-रूपी बगीचा मुरझा जायेगा और सब धूलधानी हो जायेगा। फिर तू पछतायेगा कि तूने व्यर्थ 'मेरा-मेरा' किया।

यह तेरी काया काँचके घड़ेके समान है। इसे नष्ट होते देर न लगेगी। जीव और कायाके बीच सम्बन्ध ही कितना है। वह उसे जंगलमें छोड़कर चला जायेगा। तू व्यर्थ घमण्ड करके फिरता रहता है। अचानक अंधेरा हो जायेगा।

जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है। बचनेकी कोई सम्भावना नहीं है। देव, गंधर्व, राक्षस और मनुष्य सबको काल निगल जायेगा। तूने आशाका महल तो ऊँचा बना रखा है लेकिन बुनियाद सब कच्ची है।

१. ... justice, good, and truth were still
Divine, if, by some demon's will,
Hatred and wrong had been proclaimed
Law through the worlds, and right misnamed.

Christmas Eve, XVII.

२. As the whirlwind passeth, so is the wicked no more; but the righteous is an everlasting foundation. *Proverbs*, X. 25.

इस चंचल चित्तके साथ सँभलकर चल और हरिके नामका सहारा ले। तू जितना परमार्थ करेगा वही साथ जानेवाला है। इसलिए विश्रामकी व्यवस्था कर ले। 'धीरा' कवि कहता है कि इस पृथ्वीपर कोई नहीं रहेगा।[1]

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१-१९०७

३२६. राष्ट्रका निर्माण कैसे हो?

[जनवरी २८, १९०७ के पूर्व]

'नेशन बिल्डिंग' अथवा उपर्युक्त शीर्षकसे श्रीमती एनी बेसेंटने 'इंडियन रिव्यू' में जो एक लेख लिखा है वह सबके लिए समझने योग्य है। भारतमें आजकल एक राष्ट्र बनकर स्थिति सुधारनेकी उमंग सभी कौमोंमें दिखाई दे रही है। इसलिए भी प्रसिद्ध लोग अपने विचार प्रकट किया करते हैं। श्रीमती बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटीकी अध्यक्ष हैं। वे आधा वर्ष विलायतमें और आधा भारतमें बिताया करती हैं। वे दुनियामें उत्तम भाषण देनेवाली मानी जाती हैं। उनके लेख भी बहुत ही पढ़ने योग्य होते हैं। उनका उपर्युक्त शीर्षकका लेख, जान पड़ता है, बहुत ही विचारपूर्वक लिखा गया है। इसलिए उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है।[2]

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-२-१९०७

१. मूल गुजराती भजन निम्नलिखित है:

मन तुंही तुंही बोले रे	फोगट फूल्यां फरखुं रे
आ सुपना जेवुं तन तारूं	ओचिन्तु थाशे अंधारूं ।
अचानक उडी जशे रे	जायुं ते तो सूखे आवानुं
जेम देवता मां दारू ।	ऊगरवानो उधारो ।
झाकळ जळ पळमां वळी जाशे	देव, गंधर्व, राक्षस ने माणस
जेम कागळने पाणी	सऊने मरणनो मारो;
कायावाडी तारी एम करमाशे	आशानो महेल ऊंचो रे
थई जाशे धुळधाणी	निचुं आ कायुं कारमारूं ।
पाछळथी पस्ताशे रे	चंचल चितमां चेतीने चालो
मिथ्या करी मारूं मारूं ।	झालो हरीनुं नाम;
काचनो कुंपो काया तारी	परमारथ जे हाथे ते साथे
वणसता न लागे वार;	करो रहेवानो विश्राम
जीव कायाने सगाई केटली	धीरो धराधरीथी रे
मुकी चाले वन मांझार	कोई नथी रहेनारू ।

—काव्यदोहन

२. इसके बाद श्रीमती बेसेंटके लेखका अनुवाद दिया गया था।

३२७. पत्र : छगनलाल गांधीको

[जोहानिसबर्ग]
जनवरी २८, १९०७

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला।

सामग्री बहुत-सी रह गई है। इसलिए श्रीमती बेसेंटवाला लेख[1] भले ही अगले हफ्ते जाये। जब भी दो, एक बारमें ही पूरा देना जरूरी है। दो हफ्तेकी ढील चल सकती है।

अमीर सम्बन्धी लेख[2] इस बार पूरा जाये तो ठीक।

तुम्हारा बोझ कम होना चाहिए, यह ठीक बात है। मुतुको रख लो। इस पत्रकी पहुँचके पहले उसे रख लिया हो, तो भी ठीक है।

वसूली और हिसाबके ऊपर बेशक पूरा ध्यान देनेका यह समय है। ग्राहकोंको सन्तोष देना ही चाहिए। लोग सामग्रीमें रस लेने लगे हैं। इस समय यदि उन्हें निराशा हुई, तो हम उन्हें नहीं निभा सकेंगे। उन्हें सन्तोष देनेकी जितनी जरूरत है, उतनी ही वसूलीकी भी जरूरत है। इसलिए मैं यह समझ सकता हूँ कि हिसाबपर तुम्हारा बहुत ध्यान होना चाहिए।

उपर्युक्त कारणसे यदि ठक्करको तरक्की देकर रखनेका इरादा किया हो, तो ठीक जान पड़ता है। उसपर अंकुश रखनेसे उसकी कमी दूर हो सकेगी।

तलपट कबतक तैयार हो सकता है?

सेठ हाजी हबीबका मसजिदका विज्ञापन वापस भेज रहा हूँ। उन्हें मैंने पत्र लिखा है। उनसे पौंड ६-१०-० प्राप्त हो गये हैं, यह तुम्हारे ध्यानमें होगा। उनको रकम जमा करनेका पर्चा भेज दिया गया है।

आज दूसरी कुछ सामग्री भेज रहा हूँ। ताजी सामग्रीको तो बचाना ही मत।

मैं समझता हूँ कि विलायत जानेका खर्च छापाखानेपर रहे, तो भी फिलहाल मुझे कर्ज उठाना पड़ेगा, किन्तु उसका बोझ आखिरकार छापाखानेपर ही होना चाहिए। मेरा विचार इस तरह है।

रोज-रोज छापाखाना बढ़ रहा है। जैसे-जैसे हमारे हेतुओंकी निर्मलता प्रकट होती जायेगी और उनका विकास होगा, वैसे-वैसे छापाखानेका काम बढ़ेगा। निर्मलताके साथ कुशलता रहेगी, तो हम बहुत-कुछ कर सकेंगे, लेकिन लोभ अथवा स्वार्थमें नहीं पड़ेंगे तो। इसलिए कोई भी १० पौंडसे अथवा जो अन्तिम सीमा हम बाँध दें, उससे अधिक न ले सके, ऐसा

१. देखिए पिछला शीर्षक।
२. देखिए "अमीरकी अमीरी", पृष्ठ २९८-९९।

प्रबन्ध करना चाहिये। इसके बाद जो बचे, उसे हम शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की उन्नतिके काममें लायें। ऐसा करते हुए हम सबको अधिक शिक्षण लेनेकी जरूरत है। इसलिए जिसको सबसे अधिक दृढ़ मानता हूँ उसको विलायत भेजनेके विचारपर आता हूँ। जो जायेंगे वे ऐसे दृढ़ निश्चयी ही होने चाहिए कि जो अपनी शिक्षासे अपने लिए एक भी पैसा न लें। वरन् उसका सारा लाभ प्रेसको दें और प्रेससे उन्हें जो भी मिले वही वे खायें और लें। भारतीयोंमें इस योग्य फिलहाल मैं तुम्हींको देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम रहस्य समझ सकते हो; और मेरी भावनाओंका उत्तराधिकार फिलहाल तुम्हीं ले सकते हो, ऐसा लगता है। पोलक और वेस्ट बहुत जानते-समझते हैं। वे कुछ ऐसी बातें समझते हैं, जो तुम नहीं समझते। फिर भी ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर तुम विशेष समझते हो। अपनी पूँजी और धरोहर अन्ततोगत्वा पैसा नहीं है, बल्कि अपना धैर्य, आस्था, सत्य और कुशलता है। इसलिए यदि तुम विलायत जाओ, तुम्हारी बुद्धि निर्मल रहे एवं तुम स्वस्थ और मनसे समर्थ बनकर वापस आओ, तो उस हद तक अपनी धरोहरमें वृद्धि ही मानी जायेगी। अधिक नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर लोगोंका आना-जाना शुरू हो गया है।

[मोहनदासके आशीर्वाद]

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६९०) से।

३२८. मदनजीतका उत्साह

[जनवरी २९, १९०७ के पूर्व]

श्री मदनजीतने रंगून — ब्रह्मदेश — से 'युनाइटेड बर्मा' नामक अंग्रेजी अखबार निकालना शुरू किया है। उसके आरम्भिक अंक हमें मिले हैं। अखबार शुरू करनेमें श्री मदनजीतका उद्देश्य ब्रह्मदेशकी प्रजाको संगठित करना तथा उसे वहाँकी सरकारसे न्याय प्राप्त कराना है। इसीके साथ एक उद्देश्य यह है कि ब्रह्मदेशवासी भी कांग्रेसमें भाग ले सकें। श्री मदनजीतका यह साहस जबरदस्त है। उसके लिए सभी मंगल कामना कर सकते हैं। उस अखबारमें अंग्रेजों और भारतीयोंके विज्ञापन बहुत दिखाई देते हैं। इससे जान पड़ता है कि उसे काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। उसका पता है — नं० २९, २७ स्ट्रीट रंगून। चन्दा ६ रुपये वार्षिक है। फुटकल प्रतिका मूल्य तीन आने है। श्री मदनजीत स्वयं उसके सम्पादकका काम करते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-२-१९०७

३२९. पत्र : छगनलाल गांधीको

[जोहानिसबर्ग]
जनवरी २९, १९०७

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। हिन्दी-तमिलके बारेमें श्री वेस्टको लिखा है, सो पढ़ लेना।

कुमारी वेस्टके बाबत समझ गया। योग्य हो सो करना। वह उदाहरण लेने-जैसा नहीं है।

यहाँके कार्यालयमें बहुत नुकसान हुआ दीख पड़ता है। इसलिए मुझे घड़ी-भर भी फुरसत नहीं रहती।

चि० कल्याणदासको[1] आज न्यूकैसिलमें होना चाहिए। उसके हाथमें दर्द उठा है, फिर भी कार्यक्रम पूरा करना चाहता है। इसलिए मैंने तार किया है कि फिलहाल बाकी जगह जाना मुल्तवी रखे। तारका जवाब नहीं आया। उसके हाथकी पूरी खबरदारी रखना।

मेढ़को छुट्टी देनेके बाबत लिख चुका हूँ।

आज अमीरका वृत्तान्त पूरा भेज रहा हूँ — पृष्ठ ४४ से ७३ तक। पिछले पृष्ठोंसे इनका सम्बन्ध है। शीर्षक ठीकसे देना।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६९२) से।

३३०. पत्र : छगनलाल गांधीको

[जोहानिसबर्ग]
जनवरी २९, १९०७

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला।

देसाईका पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। यदि मुतु न आया हो और तुम नाथालालको जानते हो तथा वह रखने लायक जान पड़े, तो देसाईको लिखना। मैंने उसे लिखा है कि तुम्हें लिखे।

तुम्हारे जानेके पहले एक आदमी जरूर तैयार हो जाना चाहिए। यदि मगनलाल[2] तैयार हो जाये तो ठीक होगा।

मैंने तुम्हारे बैरिस्टर होनेकी बात सोची है। इसके सिवाय इस विषयमें तुम्हें और क्या सूझता है, सो लिखना। बैरिस्टरीमें एक बात यह आड़े आती है कि उसमें १५० पौंड-

१. कल्याणदास जगमोहनदास मेहता।
२. श्री छगनलालके भाई।

का अधिक खर्च पड़ता है। यदि वकालतका काम सीखनेका निश्चय करें, तो दूसरी बात भी सोची जा सकती है और वह है, लन्दन विश्वविद्यालयकी एलएल० बी० की उपाधि प्राप्त करना। इस सबके विषयमें अपने विचार स्पष्टत: लिखना।

प्रिटोरियाकी सूची कल मिली है। वह गौरीशंकरको भेजी है।

श्रीमती बेसेंट सम्बन्धी लेख मुल्तवी रखनेके लिए तुम्हें लिख चुका हूँ।[1] वह अगले हफ्ते आये, तो चलेगा।

मदनजीतकी बाबत मैं लिख चुका हूँ।[2]

शराब पीनेसे सम्बन्धित पत्र सुधार कर भेज रहा हूँ, उसे छापना।[3]

नीति-धर्मके बारेमें उर्दू कविताएँ खोजता रहता हूँ। अभी हाथ नहीं लगीं। आशा है अगले हफ्ते दूँगा। उसी तरह, तुमने जो पहली कविता लिखी है, वह मुझे ठीक नहीं लगी। हमें ऐसी कविता छापनी है जिसमें विवादकी सम्भावना ही न हो।

उपनिवेश-सचिव सम्बन्धी कोई पत्र यदि मेरे पास आयेगा, तो मैं जवाब दे सकूंगा। पत्रके साथ मुझे कानून भी भेजना।

श्री वेस्ट और तुम्हारे नामसे ३५ पौंडकी हुंडी लेकर भेज रहा हूँ।

आनन्दलालने[4] काम शुरू कर दिया है, यह ठीक हुआ।

ठक्करके बारेमें सब-कुछ लिख चुका हूँ। यदि वह चला गया, तो मैं मानता हूँ कि हम एक अच्छा आदमी खो देंगे। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि वह ठीक है। उसके समान जानकार आदमी हमें तुरन्त नहीं मिलेगा। फिर भी यदि ५ पौंड देनेपर भी वह न रहे, तो जाने देना।

मगनलालने बम्बईमें जो टाइप लिया है वह कहाँसे लिया है, यह सूचित करना और यह भी लिखना कि वह किस स्थितिमें आया है। इस बार टाइप गुजराती फाउंडरीसे आये, तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, यह भी लिखना।

हमने संघवीके यहाँसे जो चाय ली थी, उसका पैसा अभीतक नहीं दिया गया; और कल हरिलाल कहता था कि उसकी चाय हमारे यहाँ जमा नहीं हुई। इसके बारेमें तुम्हें जानकारी हो तो लिखना। और यदि उसकी चायका पैसा न दिया गया हो तो दे देना।

मणिलालने संस्कृतकी किताब माँगी है। वह उसे भेजी है। वह उसका क्या करना चाहता है, वह कैसा अभ्यास करता है, प्रेसमें वह कैसा काम करता है, इत्यादि बातें लिखना।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६९१) से।

१. देखिए "पत्र: छगनलाल गांधीको", पृष्ठ ३२०-२१।
२. देखिए "मदनजीतका उत्साह", पृष्ठ ३२१।
३. देखिए इंडियन ओपिनियन, जनवरी २, १९०७।
४. गांधीजीका भतीजा।

३३१. पत्र: छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग,
जनवरी ३१, १९०७

प्रिय छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला और सूची भी। श्री आदमजी मियाँखाँकी[1] विदाईके अवसरपर हमें उनका चित्र परिशिष्टके रूपमें प्रकाशित करना है और उनके जीवनका संक्षिप्त परिचय भी देना है। परिचय मैं यहाँसे भेजूँगा। मैंने श्री आदमजीसे उनका चित्र माँगा है। वे एक चित्र तुम्हारे पास वहाँ भेज देंगे। जैसे ही वह पहुँचे, तुम्हें उसका ब्लाक बनवा लेना चाहिए ताकि जब आवश्यकता पड़े, हम उसे काममें ला सकें और उसके लिए हड़बड़ी न करनी पड़े।

तुम मेरे पास भेंटकी प्रतियाँ और परिवर्तनमें जानेवाली प्रतियोंकी कुल संख्या दो शीर्षकोंमें बाँटकर भेज दो। एक शीर्षकमें भेंटकी प्रतियाँ हों, दूसरेमें परिवर्तनकी: नेटाल और नेटालके बाहरकी। जनवरीकी आमदनी ऐसी खराब नहीं है। इस महीनेकी खर्चेकी मदमें तुमने तनख्वाहें बिलकुल ही नहीं दिखलाई। क्या तलपट बनना शुरू हो गया है?

पहेलियाँ कौन बनायेगा? पारितोषिकोंकी बात उसके बाद ही सोच सकते हैं। मेरी अपनी राय तो यह है कि हम अभी इतने तैयार नहीं हैं कि इस दिशामें फैलाव करें।

डॉक्टर नानजीने कल्याणदासके लिए क्या नुस्खा दिया है और उसके हाथोंके घावोंका उन्होंने क्या कारण बताया है?

तुम्हारे जोहानिसबर्गके विज्ञापन-दाताओंकी सूची मुझे ठीक समयपर मिल गई है। उन सब लोगोंने रकमें देना मंजूर कर लिया है। छोटाभाई दे चुके हैं। तुम्हें उनका जमापुर्जा मिल गया होगा। पता लगाकर मुझे सूचित करो कि मिला या नहीं। दूसरे भी दे देंगे। इसलिए तुम विज्ञापनोंको जारी रख सकते हो।

तुम श्रीमती जेमिसनसे ३ पौंड वसूल कर सको तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि ये ३ पौंड मुझे श्री व्यासको वापस कर देने चाहिए। आगेसे जिन लोगोंपर तुम्हें काफी भरोसा न हो उन्हें परिचयकी चिट्ठी न दिया करो।

शक्तिसे अधिक काम करके थको मत। मुतुका क्या हुआ? मुझे अबतक न तो 'पारसी क्रॉनिकल' मिला, न 'पत्रिका' ही मिली। जिन ग्राहकोंके सामने तुमने यह × चिह्न लगा दिया है उनके नाम तबतक कायम रखो जबतक मैं और न लिखूं। अन्य नाम काटे जा सकते हैं। किन्तु मैं पूछताछ करूँगा।

मुझे खुशी हुई कि इतवारको तुमने सभा की। महिलाओंके मनपर उसका क्या असर हुआ? वे क्या समझीं? जो पढ़कर सुनाया गया उसे उन्हें समझानेके लिए क्या प्रयत्न

१. दक्षिण आफ्रिकासे गांधीजीकी अनुपस्थितिमें नेटाल भारतीय कांग्रेसके अवैतनिक मन्त्री थे। वे फरवरी १९०७ में भारत आये थे। देखिए "आदमजी मियाँखाँ", पृष्ठ ३३४।

किया गया? व्याख्याएँ किसने कीं? सभा कहाँ हुई? यह काम बिलकुल सही दिशामें हुआ और किसी भी मूल्यपर इसे जारी रखना चाहिए।

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मो० क० गां०

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६९३) से।

३३२. ट्रान्सवालके भारतीय

हमारे जोहानिसबर्गके संवाददाताने सर रिचर्ड सॉलोमनके भाषणका अनुवाद भेजा है।[1] उसकी ओर हम प्रत्येक भारतीयका ध्यान आकर्षित करते हैं। सर रिचर्डके भाषणको केवल चुनावके समय किया हुआ भाषण ही न समझा जाये। वे अभी ही विलायतसे लौटे हैं। उपनिवेश-कार्यालयके अधिकारियोंसे मिले हैं। अधिकारियोंके मनमें उनके प्रति सम्मान है। उदारदलीय मन्त्रिमण्डल उनके द्वारा अंग्रेजों और डचोंको मिलाना चाहता है। इसलिए सर रिचर्ड जो-कुछ कहें, उसे पूरा महत्त्व देना है।

सर रिचर्ड कहते हैं कि एशियाई अध्यादेशको फिरसे नई संसदमें प्रस्तुत करना होगा और नई संसद द्वारा स्वीकार किये गये कानूनको बड़ी सरकार रद नहीं करेगी।

सर रिचर्ड ऐसा कानून पास कराना चाहते हैं, इतना ही नहीं; उनका यह भी विचार है कि एक भी नया भारतीय ट्रान्सवालमें स्थायी रूपसे रहनेके लिए दाखिल न हो। इसलिए उन्हें नेटालका अथवा केपका प्रवासी-अधिनियम पसन्द नहीं है। उनकी राय है कि ऑरेंज रिवर उपनिवेशका कानून[2] लागू किया जाना चाहिए।

इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यकी बागडोर यदि सर रिचर्डके हाथमें आई तो भारतीयोंकी कम्बख्ती आ जायेगी।

ऐसी परिस्थितिमें क्या किया जाये? हमारे पास एक ही उत्तर है। एशियाई अध्यादेश रद हो गया। उसे हमने विजय समझा है। किन्तु वास्तविक विजय तभी होगी जब हम अपना बल बतायेंगे। यह निश्चित है कि एशियाई अध्यादेश प्रस्तुत होगा। उस समय भारतीयोंके मनमें एक ही विचार होना चाहिए कि वे इस प्रकारके कानूनको कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि यदि वह कानून अमलमें आया तो काफिरोंकी भाँति अनुमतिपत्र लेने अथवा पासमें रखनेके बदले स्वयं जेल जायेंगे। इस साहसके साथ जब कारावास रूपी महलमें जानेका दिन आयेगा और भारतीय समाज उस महलमें निवास करेगा तभी सच्ची विजय प्राप्त होगी।

इस प्रकारके काम करनेका समय आनेसे पहले बहुत काम करने हैं। हमें यह दिखा देना चाहिए कि भारतीय लोग बिना अनुमतिपत्रके सामूहिक रूपसे प्रविष्ट नहीं होते। यदि

१. देखिए, "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ३२८-३०।
२. इस कानूनके अन्तर्गत ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें भारतीय "सिर्फ घरेलू नौकरोंके रूपमें" ही प्रवेश कर सकते थे।

कोई अनुमतिपत्रके बिना आता हो तो उसे रोकना चाहिए और गोरोंको दिखा देना चाहिए कि वे जिस अत्याचारपर तुले हैं वह सर्वथा निरर्थक है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-२-१९०७

३३३. थियोडोर मॉरिसन

श्री थियोडोर मॉरिसनको, जो दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिके सदस्य हैं, मॉर्लेने भारत-परिषद्में स्थान दिया है। श्री मॉरिसन अलीगढ़ कॉलेजके आचार्य थे। कितनी ही बातोंमें उनके विचार अति उदार हैं। वे प्रतिष्ठित परिवारके व्यक्ति हैं। यह नियुक्ति श्री मॉर्लेका नया कदम है। आजतक नियुक्त किये गये सभी सदस्य आंग्ल-भारतीय अधिकारी थे। किन्तु श्री मॉरिसनको उस पंक्तिमें नहीं खड़ा किया जा सकता। अर्थात्, मानना होगा कि श्री मॉर्लेने भारत-परिषद्के संविधानमें बड़ा परिवर्तन किया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-२-१९०७

३३४. सर जेम्स फर्ग्युसन

तार आया है कि जमैकामें भूकम्प हुआ और उसमें बम्बईके भूतपूर्व गवर्नर सर जेम्स फर्ग्युसनकी दबकर मृत्यु हो गई। उन्होंने बम्बई राज्यमें शिक्षाको बहुत ही प्रोत्साहन दिया था। जमैका जानेसे पहले उन्होंने दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली थी। उनका शव अत्यन्त आदरके साथ किंग्स्टनमें दफनाया गया।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-२-१९०७

३३५. घृणा अथवा अरुचि

प्रायः हर व्यक्तिको किसी-न-किसी चीजसे घृणा या अरुचि होती है। किसीको पीब या खून देखकर घृणा होती है, किसीको मिट्टीके तेलकी बदबूसे। इसी तरह अंग्रेजोंको भी कुछ बातोंसे घृणा होती है। उनमेंसे कुछ तो ठीक हैं और कुछमें अति है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उन्हें घृणा होती है। यद्यपि उनमें कुछ बातें तो निरर्थक जान पड़ती हैं, फिर भी वे क्या हैं, सो तो हमें जानना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य छोटी-छोटी बातोंको लेकर लड़ बैठता है। छोटी-छोटी बातोंको लेकर गोरे बहुत ही अनर्थ करते हैं। हमें मालूम है कि एक बार एक भारतीयकी अपान-वायु निकल गई थी, तो एक गोरेने उसे लात

मार दी थी। एक बार अमलाजी न्यायालयके मजिस्ट्रेट श्री मिलानको एक भारतीय गवाहको हिचकियाँ लेते देखकर इतनी घृणा हुई कि वे सहन नहीं कर सके। उन्होंने उसे हिचकी रोकनेको कहा। एक बार एक भारतीय सज्जन और कुछ गोरे खाना खानेके लिए बैठे थे। भारतीय सज्जनने खाते-खाते डकारें लेना शुरू किया। एक अंग्रेज महिला साथमें टेबलपर बैठी थी। उसे लगभग चक्कर आ गया और उस दिन वह बिलकुल खा न सकी। इनमें हम देख सकते हैं कि हमें साथके व्यक्तिकी भावनाओंका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा, इस देशमें रहते हुए जैसे भी हो हमें ऐसी तजवीज करनी चाहिए कि गोरोंकी घृणा कम हो। इस दृष्टिसे घृणा पैदा करनेवाली कुछ बातें हम नीचे देते हैं और सारे भारतीय भाइयोंको सलाह देते हैं कि वे घृणाके कारणोंको दूर करें।

न करने योग्य कुछ बातें

१. साफ किये हुए या पक्के रास्तेपर, जहाँ लोगोंका आमदरफ्त हो, यथासम्भव हमें लोगोंके सामने नाक छिड़कना या खखारना नहीं चाहिए।

वैद्यककी दृष्टिसे भी यह नियम पालने योग्य है। डॉक्टरोंका कहना है कि नाक या मुँहसे निकलनेवाली गन्दगीका स्पर्श यदि दूसरे मनुष्यको हो तो कभी-कभी उसे कोढ़ हो जाता है। डॉक्टर म्यूरिसनने कहा है कि जहाँ-तहाँ थूकनेकी आदतके द्वारा हम प्रायः क्षयको प्रोत्साहन देते हैं। उपर्युक्त दोनों क्रियाएँ यदि घरमें की जायें तो पीकदानीमें और बाहर रूमालमें और यथासम्भव एकान्तमें की जानी चाहिए।

२. मनुष्योंके सामने डकार या हिचकी नहीं लेनी चाहिए; अपान-वायु नहीं निकलने देना चाहिए, और खुजलाना नहीं चाहिए।

यह नियम सभ्यताके निर्वाहके लिए आवश्यक है। आदत डालनेसे उपर्युक्त क्रियाओंको हाजत होनेपर भी रोका जा सकता है।

३. खाँसी आये तो रूमाल मुँहके सामने रखकर खाँसना चाहिए।

दूसरोंपर हमारा थूक उड़ता है तो उससे उन्हें बड़ी परेशानी होती है और यदि हमारे शरीरमें विकार हो तो कभी-कभी उस थूकके स्पर्शसे दूसरे व्यक्तिको बीमारी हो जाती है।

४. बहुतसे लोग स्नान करते हैं। लेकिन उनके कानों और नाखूनोंमें मैल बना रहता है। नाखून काटकर साफ रखना और कान साफ रखना जरूरी है।

५. जिन्होंने दाढ़ी न रखी हो उन्हें आवश्यक हो तो रोज हजामत करनी चाहिए। मुँहपर बढ़े हुए बाल आलस्य या कंजूसीका लक्षण हैं।

६. आँखमें कीचड़ बिलकुल न रहने देना चाहिए। जो अपनी आँखोंमें कीचड़ रहने देते हैं वे आलसी और सुस्त माने जाते हैं।

७. शारीरिक सफाईकी प्रत्येक क्रिया एकान्तमें की जानी चाहिए।

८. पगड़ी या टोपी या जूते साफ होने चाहिए। जूते साफ रखने — पालिश करने — से उनकी उम्र बढ़ जाती है।

९. पान-सुपारी रास्तेमें या आम लोगोंके सामने चाहे जब खानेके बजाय एक निश्चित समयपर पूरक खुराकके रूपमें खा लेना चाहिए, जिससे किसीको यह न लगे कि हम हमेशा खाते ही रहते हैं। तम्बाकू खानेवालोंको तो बहुत ही खयाल रखना चाहिए। वे जहाँ-तहाँ

थूक कर गंदगी कर देते हैं। हमारे यहाँ तम्बाकूके व्यसनीके बारेमें कहावत है कि, "खाय उसका कोना, पीये उसका घर और सूँघे उसके कपड़े बड़े गंदे रहते हैं।"

हम इतने नियम शारीरिक स्वच्छताके सम्बन्धमें दे रहे हैं। घर-बार सम्बन्धी नियम बादमें देंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-२-१९०७

३३६. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

सर रिचर्ड सॉलोमनका भाषण

जनवरी २१ को प्रिटोरियामें सर रिचर्ड सॉलोमनने अपनी उम्मीदवारीके समर्थनमें एक भाषण दिया था। हम पहले लिख चुके हैं कि हम उनके भाषणके उन हिस्सोंका अनुवाद देंगे[1], जिनमें उन्होंने काले लोगोंके सम्बन्धमें विचार व्यक्त किये हैं। वही अनुवाद यहाँ दे रहे हैं।

एशियाई अध्यादेश

अब मैं काफिरोंके सवालोंसे सम्बन्धित एशियाई प्रश्नपर आता हूँ। इस देशमें जितने एशियाई हैं उनमें ज्यादातर ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने नियमानुसार प्रवेश किया है और जिन्हें नियमित अधिकार प्राप्त हो गये हैं। इनके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सजाकी परवाह किये बिना नियम भंग करके दाखिल हुए हैं। (तालियाँ)। जो नियमानुसार आये हैं उन्हें न्याय और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए तथा उन्हें जो अधिकार कानूनन प्राप्त हुए हैं उनसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जो नियमानुसार दाखिल हुए हैं उनका सम्पूर्ण लेखा रखनेकी जरूरत है। इसके अलावा जो यहाँ कानूनन बसे हुए हैं उनकी ही रक्षाके लिए पंजीयन करना जरूरी हो सो बात नहीं; बल्कि भविष्यमें जिनपर रोक लगाई जाये वे वापस न आ सकें, इसके लिए भी कानून बनाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्यसे विधान-परिषद्में कानून पास किया गया था। लेकिन भारतीय समाजने उसपर आपत्ति की। इसलिए बड़ी सरकारने उसे मंजूर नहीं किया। यह बात समझी जा सकती है, क्योंकि भारतके सम्बन्धमें इंग्लैंड सरकारपर बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब यह कि जबतक उपनिवेशकी लगाम बड़ी सरकारके हाथमें थी तबतक उसने कानून पास नहीं किया — यह ठीक ही था।

उसी कानूनको फिरसे स्वीकार किया जाये

किन्तु नई संसदमें हमें वैसा ही कानून पास करना होगा। मुझे विश्वास है कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश यदि ऐसा कानून पास करता है तो बड़ी सरकार उसे स्वीकार करेगी।

१. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी', पृष्ठ ३१५ और "ट्रान्सवालके भारतीय", पृष्ठ ३२५-२६।

अन्य कानून

किसीने प्रश्न किया है कि अबसे भारतीयोंके आवागमनके सम्बन्धमें क्या किया जाये? इस उपनिवेशमें रहनेवाले अंग्रेज व्यापारी मानते हैं कि उनसे भिन्न ढंगसे रहनेवाले और अनुचित तरीकेसे प्रतिस्पर्धा करनेवाले भारतीयोंके ट्रान्सवालमें जाने व व्यापार करनेकी मनाही होनी चाहिए। उन्हें डर है कि यदि ऐसे लोग आते रहे तो वे स्वयं बरबाद हो जायेंगे। इस विचारसे मेरी सहानुभूति है। इन विचारोंके कारण इस देशकी संसदको जल्दीसे जल्दी भारतीयोंको रोकनेके लिए कानून पास करना चाहिए। वैसे कानूनका नमूना केप या नेटालमें मौजूद है।

क्या केप-नेटालका कानून काफी नहीं है?

इस सवालपर मैंने बहुत ध्यान दिया है। और मुझे लगता है कि यदि हम केप और नेटालके कानूनोंको ग्रहण करें तो उनसे सामान्य 'कुली' लोग रोके जा सकेंगे, किन्तु जिन्हें आप लोग बाहर रखना चाहते हैं, — यानी व्यापारी — वे नहीं रुकेंगे। यदि आप केप या नेटालका कानून ग्रहण करें तो आपको यह भी निश्चित करना होगा कि जो एशियाई प्रविष्ट हों वे व्यापार न कर सकें।

सर रिचर्डकी तजवीज

मैं इस सम्बन्धमें स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मुझे तो यह बात पसन्द आती है कि हमारे देशमें भारतीय आ ही न सकें। सिर्फ जो देश देखनेको आना चाहें उन्हींको आनेकी छूट दी जानी चाहिए। इस देशमें भारतीयोंको आने दें, फिर उन्हें दबायें और आखिर इस सरकार और बड़ी सरकारमें विवाद हो, इससे तो यही अच्छा है कि भारतीयोंको आने ही न दिया जाये। इसलिए मेरा विचार है कि हमें ऑरेंज रिवर उपनिवेशके समान कानून पास करना चाहिए। वह कानून लड़ाईके पहले पास हुआ है। उसका बड़ी सरकारने विरोध नहीं किया। उस कानूनको स्वीकार करते समय जो इस देशमें नियमानुसार आये हुए हैं और जिन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिये हैं उन्हें यहाँ रहने दिया जाये और उनके अधिकार कायम रखे जायें।

जोहानिसबर्ग व्यापार-मण्डल

इस मण्डलने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है। उसमें जोहानिसबर्गकी वर्तमान भुखमरीके कारण बताये गये हैं। उन कारणोंमें एक कारण भारतीय व्यापारियोंकी प्रतिस्पर्धा भी बताया गया है। श्री क्विनने कुछ महीने पहले भाषण दिया था[1]। उन्होंने कहा था कि भारतीयोंको दोष देना बेकार है। लेकिन मण्डलका इस समय तो यह पेशा ही बन गया है कि चाहे जैसे भी हो भारतीयोंके विरुद्ध लोकमत तैयार किया जाये।

डेलागोआ-बे जानेवाले भारतीय

ट्रान्सवालसे डेलागोआ-बे जानेवाले भारतीयोंके साथ सख्तीकी जानेकी खबर मिलनेपर पुर्तगाली वाणिज्यदूतसे छानबीन की गई थी। उससे मालूम हुआ है कि वह सख्ती कोई

१. देखिए "क्विनका भाषण", पृष्ठ २९३-९४; और "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ २९५-९६। गांधीजीने श्री क्विनके भाषणका जो सारांश दिया है उसमें इस बातका उल्लेख नहीं है।

नई बात नहीं है। अभी-अभी यदि कोई कानून बनाये गये हों तो अभी 'गज़ट' में प्रकाशित नहीं हुए हैं। इसलिए वाणिज्यदूतने सूचित किया है कि ट्रान्सवालसे भारतीयोंके जानेमें कोई आपत्ति नहीं है। तकलीफकी जो शिकायत सुननेमें आई थी सो यह थी कि जिस भारतीयके पास नेटालके समान ही डेलागोआ-बेका पास न हो उसे डेलागोआ-बेकी सीमापर ही रोक दिया जाता है। वाणिज्यदूतके साथ और भी लिखा-पढ़ी चल रही है। सम्भव है ब्यौरेवार दूसरा जवाब और आयेगा।

पूर्व भारत संघ

'ट्रान्सवाल लीडर' में आज विलायतका एक तार छपा है। उसमें बताया गया है कि पूर्व भारत संघकी जो वार्षिक बैठक हुई उसके अध्यक्ष सर रेमंड वेस्ट थे। उसमें एक भाषणकर्ताने कहा था कि जमैका वगैरहमें भारतीयोंको तकलीफ नहीं है। कारण यह है कि वहाँके गोरे अच्छे कुटुम्बोंके और इज्जतदार लोग हैं। यदि भारतीय अच्छे, होशियार और निर्व्यसनी हों तो वे वहाँ अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसपर टीका करते हुए रेमंड वेस्टने कहा कि दक्षिण आफ्रिकामें गोरे भारतीयोंके विरुद्ध हैं, इसका कारण यह है कि वहाँ भारतीयोंकी प्रतिस्पर्धा गोरोंको बाधा पहुँचाती है। इसलिए जमैका और दक्षिण आफ्रिकाके बीच मुकाबला नहीं किया जा सकता। सर रेमंडने आखिरमें कहा कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी तकलीफें दूर करनेका एक ही उपाय हो सकता है, सो यह कि प्रत्येक भारतीय आवश्यक शिक्षा प्राप्त करे। इस विचारसे सर रेमंड हमें सलाह देते हैं कि यदि हममें शिक्षा होगी तो गोरोंको हमसे कम आपत्ति होगी; क्योंकि तब हम उनके रहन-सहनका अनुकरण करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-२-१९०७

३३७. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — ५

नीतिमें धर्म समा सकता है?

इस प्रकरणका विषय कुछ विचित्र माना जायेगा। सामान्य मान्यता यह है कि नीति और धर्म दो भिन्न विषय हैं। फिर भी इस प्रकरणका उद्देश्य नीतिको धर्म मानकर विचार करना है। इससे कोई-कोई पाठक ग्रंथकारको उलझनमें पड़ा हुआ मानेंगे। यह आरोप वे दोनों पक्ष करेंगे जो यह मानते हैं कि नीतिमें धर्मका समावेश नहीं हो सकता और, दूसरे, जिनकी मान्यता है कि जहाँ नीति है वहाँ धर्मकी आवश्यकता नहीं है। पर लेखकने यह दिखानेका निश्चय कर रखा है कि नीति और धर्मके बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। नीतिधर्म अथवा धर्मनीतिका प्रसार करनेवाले संगठन मानते हैं कि धर्मका निर्वाह नीतिके द्वारा होता है।

यह मानना होगा कि सर्वसामान्य दृष्टिसे नीतिके बिना धर्म हो सकता है और धर्मके बिना नीति हो सकती है। ऐसे अनेक दुराचारी लोग दिखाई पड़ते हैं जो बुरे कर्म करते हुए भी धार्मिक होनेका पाखण्ड करते हैं। इसके विपरीत, स्वर्गीय ब्रैडलॉ जैसे नीतिपरायण

लोग हैं जो अपनेको नास्तिक कहलानेमें अभिमान मानते हैं और धर्मका नाम लेते ही भागते हैं। इन दोनों मतोंके लोग भूल करते हैं, और पहले मतवाले तो भ्रममें ही नहीं, धर्मके बहाने अनीतिका आचरण करके भयंकर हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकरणमें दिखायेंगे कि बुद्धिपूर्वक और शास्त्रोंके आधारपर विचार करें तो नीति और धर्म एक हैं और उन्हें एक ही रहना भी चाहिए।

पूर्वकालमें नीति केवल सांसारिक रीति थी। अर्थात्, मनुष्य यह सोचकर आचरण करता था कि समूहमें रहकर उसे कैसा आचरण करना चाहिए। यों करते-करते जो अच्छी रीति थी वह कायम रही और बुरी नष्ट हो गई। क्योंकि यदि बुरी रीति या अनीतिका नाश न हो तो तदनुसार चलनेवालोंका विनाश होता है। ऐसा होते हम आज भी देखते हैं। मनुष्य जाने-अनजाने अच्छे रिवाजोंको चालू रखता है। वह न नीति है, न धर्म है। फिर भी प्रायः दुनियामें नीतिमें खपने योग्य काम उपर्युक्त अच्छे रिवाज ही हैं।

इसके अलावा, मनुष्यके मनमें धर्मका विचार प्रायः ऊपर ही ऊपर रहता है। कभी-कभी हम अपनेपर आनेवाली आपत्तियोंसे बचनेके लिए किये गये प्रयत्नको थोड़ा-बहुत धर्म मान लेते हैं। इस प्रकार भय-प्रेरित प्रीतिके कारण किये गये मनुष्यके कामोंको धर्म मानना भूल है।

लेकिन अन्तमें ऐसा वक्त आता है जब मनुष्य इच्छापूर्वक, सोच समझकर, नुकसान हो या फायदा, मरे या जिये फिर भी दृढ़ निश्चयसे सर्वस्व बलिदानकी भावना लेकर पीछे देखे बिना चला जाता है। तब कहा जा सकता है कि उसपर सच्ची नीतिका रंग चढ़ा है।

ऐसी नीति धर्मके बिना कैसे निभ सकती है? दूसरेका थोड़ा-सा नुकसान करके यदि मैं अपना फायदा बनाये रख सकता हूँ तो मुझे वह नुकसान क्यों नहीं करना चाहिए? नुकसान करके प्राप्त किया हुआ लाभ लाभ नहीं, बल्कि नुकसान है, यह घूंट मेरे गले कैसे उतर सकता है? बिस्मार्कने जर्मनीको बाह्य लाभ पहुँचानेके लिए अनेक घोर कृत्य किये। तब उसकी शिक्षा कहाँ चली गई थी? मामूली समयमें बच्चोंके सामने वह जिन नीतिवचनोंकी बकवास किया करता था वे वचन कहाँ खो गये? उनकी याद करके उसने नीतिका पालन क्यों नहीं किया? इन सारे सवालोंका जवाब स्पष्ट ही दिया जा सकता है। ये सारी बाधाएँ आईं और नीतिका पालन नहीं किया गया, इसका एकमात्र कारण यह है कि उस नीतिमें धर्मका समावेश नहीं था। जबतक नीतिरूपी बीजको धर्मरूपी जलका सिंचन नहीं मिलता, वह अंकुरित नहीं होता; और पानीके बिना यह बीज सूखा ही पड़ा रहता है और दीर्घ काल तक बिना पानीके पड़ा रहे तो नष्ट हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि सच्ची नीतिमें सत्य धर्मका समावेश होना चाहिए। इसी विचारको दूसरे शब्दोंमें रखा जाये तो हम कह सकते हैं कि धर्मके बिना नीतिका निर्वाह नहीं किया जा सकता; अर्थात् नीतिका पालन धर्मके रूपमें किया जाना चाहिए।

हम फिर यह भी पाते हैं कि दुनियाके महान् धर्मोंमें जो नीति-नियम दिये गये हैं वे प्रायः एक-से ही हैं। इन धर्मोंके प्रचारकोंने यह भी कहा है कि धर्मकी नींव नीति है। यदि हम नींवको खोद डालें तो घर अपने-आप ढह जाता है, ठीक इसी प्रकार नीतिरूपी नींव टूट जाये तो धर्मरूपी महल एकदम धराशायी हो जायेगा।

ग्रंथकार यह भी कहता है कि यदि नीतिको धर्म कहा जाये तो कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रार्थना करते हुए डॉक्टर कोट कहते हैं, "हे खुदा! नीतिको छोड़कर मुझे किसी दूसरे खुदाकी आवश्यकता नहीं है।" विचार करनेपर हम देखेंगे कि हम मुखसे खुदा या ईश्वरकी रट लगायें और बगलमें खंजर रखें तो खुदा या ईश्वर हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा। एक मनुष्य ईश्वरको मानता है किन्तु उसकी सारी आज्ञाओंका उल्लंघन करता है, और दूसरा ईश्वरको नामसे न जानते हुए भी अपने कामसे भजता है और ईश्वरीय नियमोंमें उनके कर्त्ताको पहचानता है और यह समझकर उनका पालन करता है। इन दो व्यक्तियोंमें हमें किसको नीतिमान या धर्मात्मा मानना चाहिए? इस सवालका जवाब देनेके लिए, क्षणभर भी रुके बिना, हम निश्चित रूपसे कह सकेंगे कि दूसरा व्यक्ति ही धर्मात्मा तथा नीतिमान माना जायेगा।

उपर्युक्त विषयसे सम्बन्धित दोहे

प्रभु प्रभु पूछत भव गयो, भइ नहीं प्रभु पिछान;
खोजत सारा जग फिरो, मिले न श्री भगवान।
सहस्र नामसे सोच की, एकि न मिलो जवाब;
जप-तप कीनो जन्म तक, हरि हरि गिने हिसाब।
साधु संतको संग किनो, वेद पुरान अभ्यास;
फिर भी कछु दरशन नहीं पायो प्राण उदास।
कहो जी, प्रभु अब क्यूं मिले सोचूं जीकूं आज;
जन्म जुदाई यह भई, कछु नहि सुझत इलाज।
अन्तरयामी तब कहे क्यूं तूं होवे कृतार्थ?
'प्रभु', बकबक फोगट करे, निश दिन ढूंढ़त स्वार्थ।
मुख 'प्रभु' नाम पुकारत, अन्तरमें अहंकार;
दंभी! ऐसे दंभ से, दिनानाथ मिलनार?
ठग विद्यामें निपुण भयो, प्रथम ठगे मा-बाप;
सकल जगत कूं ठगत तूं, अंत ठग रह्यो आप।'
सुनते सुध-बुध खुल गई, प्रकट्यो पश्चात्ताप;
उलट पुलट करने गयो; आप ही खायो मार।

—बहरामजी मलबारी

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-२-१९०७

३३८. पत्र : छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
फरवरी २, १९०७

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। फर्मके बारेमें सोमवारको।

इसके साथ तुम्हारे भेजे हुए पत्र और मुझे मिली हुई सामग्री टिप्पणी सहित भेज रहा हूँ। उसपर पूरा ध्यान देना।

भारतीय-विरोधी कानून निधिके नाम दिया गया तुम्हारा बिल ठीक था। आज उसे भेज रहा हूँ। पैसा जमा कर लिया है। टिकट लगाकर रसीद भेजना। उसी तरह फ्रीडडॉर्प अध्यादेशकी अर्जीके सम्बन्धमें तुमने अक्तूबरमें पाँच पौंड जमा बताये हैं। उतनेका बिल बनाकर उसके नामसे उस तारीखकी रसीद भेजना, जिससे मैं उसे अपनी फाइलमें नत्थी कर सकूँ।

आज थोड़ी ही सामग्री भेज रहा हूँ। कल और भेजूंगा।

हरिलाल ठक्करको खूब शान्त रखना और उसके साथ बहुत ही ममतासे बरतना। आज मेरे पास उसकी चिट्ठी आई है। मैंने उसे उसका जवाब दिया है।[1] उसका मन अभीतक बिलकुल शान्त नहीं जान पड़ता।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

श्री रिचकी मुलाकातका[2] विवरण श्री वेस्टके नाम भेजा है। उसका जो हिस्सा निकाल दिया है, उसे छोड़कर शेषका अनुवाद इसी बार देना।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६९५) से।

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

२. फ्रीडडॉर्प बाड़ा-अध्यादेश और नेटाल नगरपालिका विधेयकके सम्बन्धमें पाल माल गज़टके संवाददाता श्री रिचकी भेंट। देखिए इंडियन ओपिनियन, फरवरी २, १९०७।

३३९. आदमजी मियाँखाँ

[फरवरी ५, १९०७ के पूर्व][1]

श्री आदमजी मियाँखाँ ७ तारीखको स्वदेश लौट रहे हैं। उन्होंने समाजकी जो सेवा की है सब भारतीय व्यापारियोंके लिए वह सबक लेने योग्य है। इस अंकमें हम उनकी तसवीर प्रकाशित कर रहे हैं। श्री आदमजी स्वयं एक कुलीन परिवारके हैं। उनके पूर्वज किमखाब आदिका व्यापार करते थे। वे स्वयं अपने भाई श्री गुलाम हुसैन और पिता श्री मियाखाँके साथ १८८४ में दक्षिण आफ्रिका आये थे। उस समय उनकी उम्र १८ वर्षकी थी। उन्होंने अंग्रेजीका थोड़ा-बहुत अध्ययन किया था। वह उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ।

भारतीय समाजको उनकी सच्ची सार्वजनिक सेवाका अनुभव १८९६-९७ में हुआ। कांग्रेसको बने बहुत-थोड़ा समय हुआ था। कांग्रेसके पहले मन्त्रीके स्वदेश लौटनेके कारण प्रश्न था कि मन्त्री किसे बनाया जाये। लेकिन श्री मियाखाँको उनके अंग्रेजी ज्ञान और जागरूकताके कारण कार्यवाहक मन्त्री बनाया गया। उस समय अध्यक्ष श्री अब्दुल करीम हाजी आदम झवेरी थे। उनके और श्री आदमजीके कार्यकालमें कांग्रेसकी निधि १०० पौंडसे बढ़कर १,१०० पौंड हो गई। इस समय सदस्योंमें जोश भी और ही था। वे अपनी गाड़ी लेकर चन्दा उगाहनेके लिए दूर-दूर तक चले जाते थे। उस समय जो काम हुआ उसका फल आज सारी कौम चख रही है। उस कामका मुख्य श्रेय श्री आदमजीको देना उचित होगा; क्योंकि जबतक मन्त्री लगनशील न हो तबतक कोई भी संगठन बढ़ नहीं सकता। किन्तु श्री आदमजीने अपनी सच्ची जागरूकताका परिचय दिसम्बर १८९६ और फरवरी १८९७ में दिया था। उस समय 'कूरलैंड' और 'नादरी' के यात्रियोंको डर्बन बन्दरगाहपर उतारनेमें अड़चन पैदा हुई थी।[2] गोरोंने विरोध किया था। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि एक भी यात्री न उतर पाये। उस समय बड़ी शान्ति, तत्परता और धीरजकी जरूरत थी। ये सारे गुण श्री आदमजीने दिखाये। अपनी दूकानके कामको भूलकर श्री आदमजी रात-दिन उस संकटको दूर करनेमें लगे रहते थे। उसी समय स्वर्गीय श्री नाजर आ गये। उन्होंने बहुत ही मूल्यवान सहायता की। फिर भी यदि श्री आदमजी ढीले पड़ जाते तो आखिर जो शुभ परिणाम हुआ वह नहीं हो सकता था।

उपर्युक्त नाजुक समय बीत जानेके बाद आजतक जितना भी सार्वजनिक काम हो सका उतना श्री आदमजीने किया है। उन्हें श्री उमर हाजी आमद झवेरी तथा वर्तमान संयुक्त मन्त्री श्री मुहम्मद कासिम आँगलिया अपने अनुभवका लाभ देते आये हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री आदमजी स्वदेश लौटकर अपनी मनोकामनाएँ पूरी करें और स्वस्थ होकर लोक-सेवा करनेके लिए वापस लौटें। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि श्री आदमजीके कामोंका दूसरे भारतीय भी अनुकरण करें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९–२–१९०७

१. देखिए "पत्र: छगनलाल गांधीको", पृष्ठ ३३७-३८।

२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १६६।

३४०. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — ६

[फरवरी ५, १९०७ के पूर्व][1]

नीतिके विषयमें डार्विनके विचार

इस प्रकरणका सारांश देनेके पहले डार्विनका परिचय करा देना जरूरी है। पिछली शताब्दीमें डार्विन नामक एक महान अंग्रेज हो गये हैं। उन्होंने विज्ञान सम्बन्धी बड़ी-बड़ी खोजें की हैं। उनकी स्मरण-शक्ति और अवलोकन शक्ति बड़ी ही जबरदस्त थी। उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत ही पढ़ने और विचार करने योग्य हैं। मनुष्यकी आकृतिकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस सम्बन्धमें उन्होंने अनेक उदाहरण और दलीलें देकर बताया है कि वह एक जातिके बन्दरोंसे हुई है। यानी अनेक प्रकारके प्रयोग करके और बहुतसे निरीक्षणके बाद उन्हें यह दिखाई दिया है कि मनुष्यकी आकृति और बन्दरकी आकृतिके बीच बहुत अन्तर नहीं है। यह विचार ठीक है या नहीं, इसका नीतिसे कोई गहरा सम्बन्ध नहीं है। लेकिन डार्विनने उपर्युक्त विचार व्यक्त करनेके साथ यह भी बताया है कि नीतिके विचारोंका मनुष्य जातिपर क्या प्रभाव पड़ता है। और चूँकि डार्विनके विचारोंपर बहुतसे विद्वानोंकी श्रद्धा है इसलिए हमारे पुस्तक लेखकने भी डार्विनके विचारोंके सम्बन्धमें छठा प्रकरण लिखा है।

प्रकरण ६

जो अच्छा और सत्य हो उसे अपनी इच्छासे ही करनेमें कुलीनता है। मनुष्यकी कुलीनताकी सच्ची निशानी ही यह है कि वह जो उचित जान पड़ता है उसे हवाके झोंकेसे इधर-उधर भटकनेवाले बादलोंके समान धक्के खानेके बदले स्थिर रहकर करता है और कर सकता है।

इतना होते हुए भी हमें यह जानना चाहिए कि उसका रुझान अपनी वृत्तियोंको किस दिशामें ले जानेका है। यह हम जानते हैं कि हम सर्वतन्त्र स्वतन्त्र नहीं हैं। हमें कुछ-कुछ बाह्य परिस्थितियोंके अनुसार चलना होता है। जैसे कि, जिस देशमें हिमालय जैसी सर्दी पड़ती हो वहाँ हमारी इच्छा हो या न हो फिर भी शरीरको गरम रखनेके लिए ढंगसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। मतलब यह कि हमें समझदारीसे चलना होता है।

तब यह प्रश्न उठता है कि अपने आस-पासकी और बाहरी परिस्थितिको देखते हुए हमें नीतिके अनुसार व्यवहार करना पड़ता है या नहीं; अथवा, हमारे व्यवहारमें नीति हो या न हो, इसकी परवाह किये बिना काम चल सकता है?

इन प्रश्नोंपर विचार करते हुए डार्विनके मतका परीक्षण करनेकी जरूरत होती है। यद्यपि डार्विन नीति-विषयका लेखक न था; तो भी उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि बाहरी वस्तुओंके साथ नीतिका सम्बन्ध कितना गहरा है। जो लोग यह मानते हैं कि मनुष्य

१. देखिए अगला शीर्षक।

नैतिकताका पालन करे या न करे इसकी चिन्ता नहीं और इस दुनियामें केवल शारीरिक-बल या मानसिक-बल ही काम आता है, उन्हें डार्विनके ग्रन्थ पढ़ने चाहिए। डार्विनके कथनानुसार, मनुष्य तथा अन्य प्राणियोंमें जीवित रहनेका लोभ रहता है। वह यह भी कहता है कि जो इस संघर्षमें जीवित रह सकते हैं वे ही विजयी माने जाते हैं और जो अयोग्य हैं उनका जड़मूलसे नाश हो जाता है। परन्तु यह संघर्ष शारीरिक बलपर ही नहीं चल सकता।

यदि हम मनुष्यकी रीछ या भैंसेसे तुलना करें तो हमें मालूम होगा कि शारीरिक-बलमें रीछ या भैंसा मनुष्यसे बढ़कर है। उनमेंसे किसी एकके साथ मनुष्य यदि कुश्ती लड़े तो वह हार जायेगा। इतना होते हुए भी अपनी बुद्धिके कारण मनुष्य अधिक बलवान है। ऐसी ही तुलना हम मनुष्य जातिके विभिन्न समाजोंके बीच भी कर सकते हैं। युद्धके समय केवल वे ही जीतते हैं जिनके सिपाही अधिक बलवान हों या सिपाहियोंकी संख्या अधिक हो, सो बात नहीं; जीत उनकी होती है जिनके पास युद्ध कौशल है और अच्छे सेनानायक होते हैं— भले ही वे संख्यामें कम व शरीरसे दुर्बल हों। ये बौद्धिक शक्तिके उदाहरण हैं।

डार्विन कहता है कि बुद्धिबल और शरीरबलसे नीति-बल कहीं बढ़कर है और योग्य मनुष्य अयोग्यकी अपेक्षा अधिक टिक सकता है। इस बातकी सचाई हम अनेक प्रकारसे देख सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि डार्विनने तो यही सिखाया है कि "शूरा सो पूरा" यानी शारीरिक बलवानोंकी ही अन्तमें विजय होती है और इसीके अनुसार विचार करने-वाले लेभग्गू लोग मान बैठते हैं कि नीति तो बेकार चीज है। परन्तु डार्विनका यह विचार बिलकुल नहीं है। प्राचीन ऐतिहासिक तथ्योंके आधारपर देखा गया है कि जो समाज अनैतिक थे उनका आज नामोनिशान भी नहीं रहा। सोडम और गमोराके लोग अत्यन्त अनैतिक थे इसलिए आज वे देश भूमिसात् हो गये। हम आज भी देख सकते हैं कि अनीतिपूर्ण समाजोंका नाश होता जा रहा है।

अब हम कुछ साधारण उदाहरण लेकर देखेंगे कि साधारण नीति भी मानव-जातिका अस्तित्व कायम रखनेमें कितनी जरूरी है। शान्त स्वभाव नीति का एक अंग है। इस वाक्यको लेकर यदि हम ऊपरी तौरसे देखें तो हमें लगेगा कि घमण्डी मनुष्य उन्नति कर जाता है, परन्तु थोड़ा विचार करनेपर हम देख सकते हैं कि मनुष्यकी घमण्ड-रूपी तलवार तो आखिर उसीकी गर्दनपर पड़ती है। मनुष्यको व्यसन नहीं करना चाहिए — यह नीतिका दूसरा विषय है। आँकड़ोंकी जाँच द्वारा पता चलता है कि विलायतमें तीस वर्षकी उम्रके शराबी लोग आगे तेरह या चौदह वर्षसे अधिक नहीं जीते। परन्तु निर्व्यसनी मनुष्य सत्तर वर्ष तक जीवित रहते हैं। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, यह नीतिका तीसरा विषय है। डार्विनने कहा है कि व्यभिचारी लोग बहुत शीघ्र नाशको प्राप्त होते हैं। उन्हें सन्तान नहीं होती और यदि होती भी है तो अत्यन्त दुर्बल दिखलाई देती है। व्यभिचारी लोगोंका मन हीन हो जाता है और ज्यों-ज्यों उम्र बीतती है त्यों-त्यों उनका चेहरा-मोहरा पागलों जैसा लगने लगता है।

यदि हम कौमोंकी नीतिके सम्बन्धमें विचार करेंगे तो भी हमें यही स्थिति दिखाई देगी। अंडमान द्वीपके पुरुष, जैसे ही उनकी सन्तान चलने-फिरने लायक हो जाती है, अपनी पत्नियोंको छोड़ देते हैं। मतलब यह कि परमार्थ-बुद्धि दिखानेके बदले वे परले दर्जेकी स्वार्थ

बुद्धि दिखाते हैं। परिणाम यह हुआ है कि इस कौमका धीरे-धीरे नाश होता जा रहा है। डार्विन कहते हैं कि जानवरोंमें भी कुछ हद तक परमार्थ-बुद्धि दिखाई देती है। डरपोक स्वभाववाले पक्षी भी अपने बच्चोंकी रक्षा करते समय बलवान हो जाते हैं। इससे मालूम होता है कि प्राणिमात्रमें थोड़ी-बहुत परमार्थ-बुद्धि रहती ही है। यदि न होती तो इस दुनियामें घासफूंस और जहरीली वनस्पतियोंके सिवा शायद ही कुछ जीवधारी दिखाई देते। मनुष्य और अन्य प्राणियोंमें सबसे बड़ा अन्तर यह है कि मनुष्य सबसे अधिक परमार्थी है। अपने नैतिक बलके अनुसार मनुष्य दूसरोंके लिए, यानी अपनी सन्तानके लिए, अपने कुटुम्बके लिए और अपने देशके लिए अपनी जान कुर्बान करता आया है।

मतलब यह है कि डार्विन साफ-साफ बतलाता है कि नीति-बल सर्वोपरि है। यूनानी लोग आजके यूरोपीय लोगोंसे कहीं अधिक बुद्धिमान थे। फिर भी ज्यों ही उन लोगोंने नीतिका परित्याग किया त्यों ही उनकी बुद्धि उन्हींकी दुश्मन बन गई, और आज वह समाज देखनेमें भी नहीं आता। जातियाँ न पैसेके बलपर टिकती हैं और न सेनाके बलपर; वे केवल नीतिके आधारपर ही टिक सकती हैं। यह विचार सदा मनमें रखकर परमार्थ-रूपी परम नीतिका आचरण करना मनुष्य-मात्रका कर्तव्य है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन ९-२-१९०७

३४१. पत्र: छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
फरवरी ५, १९०७

चि० छगनलाल,

तुम्हारी तरफसे स्पष्ट करनेके लिए कुछ पत्र आये थे। उन्हें आज स्पष्टीकरणके साथ डाकसे भेज रहा हूँ। कुछ अन्य गुजराती सामग्री भी आज भेज रहा हूँ। उसे इसी बार छापना है। यदि आदमजी सेठ न जा रहे हों, तो उनके बारेमें जो लिखा है[1], वह अगली बार दिया जाये। आदमजी सेठको वहाँ मानपत्र देनेके सम्बन्धमें मैंने लिखा है। यदि कांग्रेसकी तरफसे मानपत्र दिया गया होगा, तो मेरा खयाल है उसका अलग वृत्तान्त आयेगा।[2]

इस बार गुजराती विभागमें कांग्रेसके भाषण वगैरह दिये गये, वह ठीक हुआ। अमीरका जीवन-वृत्तान्त बहुत लम्बा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिये था।

'नीति-धर्म' के लिए उर्दू कविता आजतक नहीं मिली। यदि वहाँ तुम्हारी नजरमें आये तो दे देना। मुझे आज उर्दू मिलनेकी आशा थी। न मिले, तो जाने देना। किन्तु ऐसी कोई चीज न देना जो केवल हिन्दुओंपर ही लागू हो। "परमारथ प्रीछयो नहि प्राणी,

१. देखिए "आदमजी मियाँखाँ", पृष्ठ ३३४।

२. यह मानपत्र फरवरी ६, १९०७को भेंट किया गया था और समारोहका विवरण फरवरी ९, १९०७के इंडियन ओपिनियनमें छपा था।

ईछयो आप सवारथ रे,"[1] इस तरह प्रारम्भ होनेवाला प्रीतमदासका पद 'काव्यदोहन' में है। इसे देखकर, यदि ठीक हो तो, दे देना। कबीरके भजन मिल जायें, तो उनमें बहुतेरे निर्विवाद हैं।

कल्याणदास आदिके बारेमें कल सवेरे पत्र आनेकी सम्भावना है।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

कल मुख्तारनामा और पंजीयनकी बाबत पत्र गये।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६९६) से।

३४२. पत्र : टाउन क्लार्कको

जोहानिसबर्ग
फरवरी ६, १९०७

सेवामें
टाउन क्लार्क
पो० ऑ० बॉक्स १०४७
जोहानिसबर्ग

महोदय,

ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिने एशियाई चायघर अथवा भोजनालयोंको परवाना देने और नियमित करनेसे सम्बन्धित उपनियमोंका मसविदा देख लिया है। मेरी समिति उक्त उपनियमोंके बारेमें परिषदके विचारार्थ नम्रतापूर्वक निम्नलिखित निवेदन करती है।

जान पड़ता है कि गिरमिटिया चीनी आबादी और उसको खिलाने-पिलानेका काम जिन अनेक व्यक्तियोंने लिया है उनके कारण इन उपनियमोंकी आवश्यकता उत्पन्न हुई है। किन्तु "एशियाई चायघर अथवा भोजनालय" शब्दकी परिभाषाके अन्तर्गत स्पष्टतया ऐसा कोई भी स्थान आ जाता है जहाँ एशियाइयोंके खाने-पीनेका प्रबन्ध है, और, इसलिए, इसमें वे छोटे-छोटे ब्रिटिश भारतीय उपाहारगृह भी आ जायेंगे जो जोहानिसबर्गमें चल रहे हैं। वे बहुत थोड़े हैं और उनमें आनेवाले भी बहुत थोड़े हैं, क्योंकि ब्रिटिश भारतीयोंकी सारी आबादी स्थायी है और उसके खाने-पीनेके लिए किसी प्रकारके भोजनालयोंकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरी समितिका सुझाव है कि उक्त परिभाषामें ब्रिटिश भारतीयोंके ऐसे स्थान शामिल न किये जायें। साथ ही, मेरी समितिका इरादा जोहानिसबर्गके उन थोड़े-से छोटे-छोटे उपाहारगृहोंको स्वच्छता आदि सम्बन्धी निरीक्षणसे बचाना नहीं है; परन्तु, समितिकी नम्र रायमें, सामान्य लोकस्वास्थ्य उपनियम उक्त उद्देश्यकी दृष्टिसे पर्याप्त हैं।

मेरी समितिके नम्र मतानुसार चायघर अथवा भोजनालयके परवानोंकी अर्जी देनेकी निर्धारित पद्धति महँगी और झंझट भरी है। उसका औचित्य यदि भोजनालय बड़े और बहुत

१. हे प्राणी, तूने परमार्थकी चाह नहीं की, स्वार्थ ही चाहा है।

लाभकारी होते तभी हो सकता था। मेरी समितिकी नम्र रायमें सालाना परवानाका-शुल्क भी लगभग उनके बूतेके बाहर तथा यूरोपीय उपाहारगृहों और काफिरोंके भोजनालयोंसे लिये जानेवाले शुल्ककी अपेक्षा अधिक है। यूरोपीय उपाहारगृहोंका परवानाशुल्क केवल ७ पौंड १० शिलिंग और वतनी भोजनालयोंका ५ पौंड है। इसके सिवा 'एशियाई भोजनालय' की परिभाषामें "चायघर" शामिल है। इसलिए, जब कि एक सामान्य चायघरके लिए ३ पौंड परवाना शुल्क लगता है, एशियाई चायघरको उसका १० पौंड देना पड़ेगा; इसके सिवा मेरी समितिकी नम्र रायमें परवानेको नया करानेका २ पौंड शुल्क भी बहुत अधिक है।

अतः मेरी समिति आशा करती है कि नगर-परिषद प्रस्तावित उपनियमोंपर उठाई गई इन आपत्तियोंपर अनुकूल विचार करनेकी कृपा करेगी।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-२-१९०७

३४३. पत्र: छगनलाल गांधीको

[जोहानिसबर्ग]
फरवरी ७, १९०७

चि० छगनलाल,

तुम्हारा ४ तारीखका पत्र मिला।

मुस्लिम जायदाद (मोहम्मडन इस्टेट) के विज्ञापनका पैसा मिलनेवाला है। बिल भेजना।

तुम्हारे भेजे हुए बिल मिल गये हैं। अब देखूंगा कि क्या वसूल हो सकता है।

पहेलीके बारेमें मैं समझ गया था। मुझे लगता है कि जबतक हम हमेशा पहेली न दे सकें और स्वयं पुरस्कार न दें, तबतक पहेली शामिल करना ठीक नहीं होगा। जो मनुष्य खुद पैसा खर्च करना चाहता है, उसका क्या हेतु है? वह कहाँतक खर्च करेगा? फिर उसमें बहुत लोगोंके भाग लेते रहनेकी सम्भावना नहीं है। फिर भी जिसका पत्र है उससे पूछना कि वह क्या हमेशाके लिए पुरस्कार देता रहना चाहता है? यदि ऐसा हो, तो बड़ी विचित्र बात है। कभी-कभी देनेकी बात हो, तो यह हमारे करने योग्य नहीं है। फिर भी यदि तुम्हें कुछ और लिखना हो तो लिखना।

संघवीका मामला समझमें आ गया।

बी० पी० इब्राहीमने विज्ञापन निकालनेकी सूचना नहीं दी है। वे आयेंगे तब पूछ देखूंगा। तुमने ग्राहकोंके नाम भेजे हैं, उनका प्रबन्ध करता हूँ।

हमीदिया [अंजुमन]के लिए अभी प्रबन्ध कर रहा हूँ।

मणिलालका गणित कच्चा है, इसे मैं जानता हूँ। उसपर पूरा ध्यान देना।

नया आदमी कहाँतक अंग्रेजी पढ़ा है? वह कौन है? गिरमिटियेका लड़का है?

हीरजी वालजीकी रकम मैं मुजरा दे सकूँगा।

भारतीय-विरोधी कानून-निधिके बिलके बारेमें हेमचन्द कहता है कि वह यहाँ नकद ही तो दिया गया है।

शनिवारकी रातको मुझे डाक मिलना सम्भव नहीं है। इसलिए प्रूफकी झंझटमें पड़नेकी जरूरत नहीं। तुम गुरुवारके पत्रमें मुझे लिखो कि किस-किस विषयपर लिखा जा चुका है, तो काफी होगा। उससे मैं समझ सकूँगा कि मुझे क्या नहीं लिखना है।

विलायत जानेके बारेमें, मेरी रायमें, तुरन्त जा सको तो अच्छा हो। किन्तु तुम्हारा जाना मुख्य रूपसे वहाँके कामपर निर्भर है।

(१) तुम कब मुक्त हो सकते हो?

(२) तुम्हारी जगह काम कौन सँभालेगा?

(३) क्या हरिलाल गुजराती स्तम्भ सँभाल सकेगा?

मैं मानता हूँ कि तुम जिस समय छापाखानेका काम छोड़ सको, वही तुम्हारे जानेका समय है। यदि तुम्हारा मन कहे कि हाँ, छापाखाना छोड़ा जा सकता है, तो फिर तुम्हें सबके साथ बात करनी चाहिए। उसके बाद मुझे लिखना।

कल्याणदास जाता है, यह बात विघ्न-रूप जान पड़ती है। मुझे लगता है कि जहाँतक हो तुम्हें गाँवमें जाना छोड़ना पड़ेगा। यदि मगनलालकी हिम्मत गाँवका काम उठानेकी हो, तो उसे गाँवमें जाना है। हरिलाल गुजराती स्तम्भ सँभाले और वहीखातेकी देख-रेख मगनलाल रखे, अर्थात् असल वही उसीके हाथकी होनी चाहिए। यदि मगनलालसे दोनों काम साथ न हो सकें, और यदि वेस्टसे भी वह काम न उठाया जा सके, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जाना फिलहाल स्थगित रहना चाहिए। यदि ऐसा हो, तो मेरे आनेके बाद ही तुम्हारा जाना सम्भव होगा, अर्थात् आगामी वर्षके प्रारम्भमें। सम्भावना यह है कि मैं वहाँ इस वर्षके अन्तमें आ सकूँगा। किन्तु यदि ऐसा न हुआ तो फिर मैं केवल आगामी वर्षके मार्च महीनेमें ही वहाँ आ सकूँगा। तबतक तुम्हारा जाना रुक जायेगा। मैं कल्याणदासके भाईको बुलवानेका विचार करता हूँ। शायद गोको[1] भी आ सकता है। किन्तु यह सब अनिश्चित है। कल्याणदास न हो और वहाँ जो लोग हैं वे ही रहें, तो भी तुम निकल सकते हो या नहीं, इसपर विचार करना है। इन सब बातोंका खयाल करके मुझे लिखना। मुझे लगता है कि तुम वेस्टके साथ बातें करके लिखो, तो भी अच्छा हो। उनका क्या विचार है? यदि अभी तुम्हें तुरन्त जाना हो, तो तुम देश नहीं जा सकोगे। देश जानेका कार्यक्रम लौटते हुए रख सकते हो। तुम्हें क्या करना है, इसका निश्चय करनेका भार मुख्य रूपसे तुमपर ही रखना चाहता हूँ।

यद्यपि हरिलालने रहना मंजूर कर लिया है, तो भी उसके पत्रमें अस्वस्थ चित्तकी झलक है। इसीलिए मैंने लिखा है कि उसके साथ ऐसा बरताव करना कि उसका मन स्थिर हो।

पोस्टरका उपयोग यहाँ तो हो रहा है। वहाँ भी यदि गाँवमें जानेवाले व्यक्तिकी हम ठीक व्यवस्था कर सकें, तो पोस्टर उपयोगी हो सकते हैं। अब उन्हें बन्द करनेका विचार छोड़

१. गोकुलदास।

देना। किन्तु छापे हैं, इसलिए उनका सदुपयोग कैसे हो सकता है, सो देखना। गंधर्वा, उमर सेठ आदि सज्जन पोस्टर भी रखें और प्रतियाँ भी, तो यह प्रयत्न करने योग्य है। ऐडम्ससे भी पूछकर देखो। मैरित्सबर्गमें भी कोई फिक्रके साथ रखे, तो हो सकता है। किन्तु इसके लिए समयकी जरूरत है।

यह बिलकुल जरूरी है कि कोई भी निश्चित रकमसे अधिक न उठाये। ज्यादा अच्छा यह है कि हरएकका आँकड़ा मुझे हर महीने भेज दिया जाये, ताकि जिसने अधिक उठाया हो उसे मैं लिख सकूँ, अथवा तुम आनन्दलालके साथ बात करना।

तलपट जल्दी तैयार करनेकी बहुत ही जरूरत है। यदि अप्रैलमें कल्याणदासका जाना सम्भव है तो मगनलालको मुख्य रूपसे उसीमें लगाकर तलपट पूरा करा लिया जाये।

साम सरदारका लड़का रहना चाहता है। उसके बारेमें मैंने कल वेस्टको लिखा है, सो देखकर लिखना।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च]

तुमने जोहानिसबर्गकी छपी हुई सूची भेजी है। उसमें श्री अलीका नाम कटा हुआ है। यह किस लिए? जाँच कर लिखना।

यदि जोज़ेफ रायप्पन, ३६ स्टैपल्टन हॉल रोड, स्ट्रैंड ग्रीन, उत्तरी लन्दन, के पतेपर अखबार न जाता हो, तो भेजना।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४६९७) से।

३४४. दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिके सम्बन्धमें हम एक लेख दूसरी जगह छाप रहे हैं। उस लेखसे मालूम होता है कि समिति बहुत काम कर रही है और यदि दक्षिण आफ्रिकाकी ओरसे मदद मिले तो वह और अच्छा काम कर सकती है।

मुख्य आवश्यकता यह है कि हम यहाँसे उसकी शक्ति बढ़ायें, यानी खूब हल्ला मचायें। भारतके पितामहने भी यही सलाह दी है। हमें दर्द महसूस होता है, इतना ही काफी नहीं है, दर्दके हिसाबसे चिल्लाना भी चाहिए। माँगे बिना माँ भी खाना नहीं देती, इस कहावतके अनुसार हमें समझना चाहिए कि हम यहाँ जबतक शोर नहीं मचायेंगे तबतक कुछ नहीं होगा; न हमें समितिकी पूरी सहायता मिल सकती है।

समितिकी स्थापनाके बाद यदि अब हम उसे नहीं चलाते, तो हमारी हालत अबसे भी ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि जो हमारी मदद करते हैं सो यह समझकर ही कि हम मददके योग्य हैं। समितिको चलानेके लिए हमें उसके खर्चकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। समितिने हमें ३०० पौंडके लिए लिखा है और जबतक हम उतनी रकम नहीं भेज देते तबतक इस वर्षका गड्ढा नहीं भर सकता। जिन प्रश्नोंका निबटारा किया जानेवाला है जबतक उनका निर्णय नहीं हो जाता तबतक हमें उसको चलाना होगा।

समितिके सामने आज तत्काल चार काम हैं: (१) नेटालका नगरपालिका विधेयक; (२) नेटालका परवाना कानून; (३) ट्रान्सवालके कष्ट; और (४) आगामी उपनिवेश सम्मेलन।

उपनिवेश सम्मेलन १५ अप्रैलको होगा। उसके लिए समितिको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और शेष तीन बातोंके बारेमें हमें यहाँसे तथ्य आदि भेजने आवश्यक हैं। हम समझते हैं कि नेटालके दोनों कानूनोंके बारेमें सभा करके लॉर्ड एलगिनको तार भेजना चाहिए तथा समितिको भी सूचित करना चाहिए। यह बात बहुत ही ध्यानमें रखने योग्य है कि यह अवसर चूक जानेपर हाथ नहीं आयेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-२-१९०७

३४५. टोंगाटका परवाना

टोंगाटका जो परवाना रद हो गया था, उसकी अपीलकी सुनवाई ३१ जनवरीको हुई। हमारे संवाददाताने उसका विशेष विवरण अंग्रेजी विभागमें दिया है। उससे मालूम होता है कि परवाना-निकायने कुल मिलाकर अन्याय नहीं किया है। जिनके मकान या दूकानके बारेमें डॉक्टरकी राय अच्छी थी उन्हें परवाना दिया गया है। जिनके वहीखातोंकी हालत भी सन्तोष-जनक थी उन्हें भी परवाना देनेका हुक्म हुआ है। इस अपीलके परिणामसे सिद्ध होता है कि हमने जो चेतावनी पहले ही दी थी वह अक्षर-अक्षर सही उतरी है।

अपनी दूकानें हम बिलकुल साफ रखेंगे, हमारा मकान ठीक तरहसे साफ होगा और वहीखातोंमें कहने जैसी कोई बात नहीं होगी तो परवाना रुक नहीं सकता। दोष हमारा नहीं होना चाहिए। हमारे मकान वगैरह अच्छे हों, इतना ही पर्याप्त नहीं है। सफाईमें उनका सानी नहीं मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर हिलने कृपा करके अच्छा बयान दिया है। लेकिन हमें किसीकी कृपापर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस वर्ष बच गये, इसलिए कोई यह न समझ ले कि अगले वर्ष भी ऐसा ही होगा। हमारे मकान, दूकान या वहीखाते देखनेके लिए जब भी कोई आये, तब वे तैयार और साफ-सुथरे ही होने चाहिए। उस स्थितिमें परवाना प्राप्त करनेमें बहुत ही कम तकलीफकी सम्भावना है।

हम आशा करते हैं कि टोंगाटके व्यापारियोंके किस्सेसे जो सबक मिला है उसे सारे भारतीय व्यापारी याद रखेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-२-१९०७

३४६. नेटालमें भारतीय व्यापारी

नेटालमें इस समय भारतीय व्यापारियोंपर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। इसपर हम बहुत लिख चुके हैं[1]। फिर भी इसके बारेमें हमें जो करना है उसपर हम जितना भी विचार करें कम है।

'टाइम्स ऑफ नेटाल' में श्री एफ० ए० बेकर नामक एक सज्जनने पत्र लिखा है कि उन्होंने खुद एक काफिरको एक भारतीय दूकानमें रोगन करते देखा। उस आधारपर उन्होंने निम्नानुसार लिखा है :

> मुझे मालूम नहीं कि साधारण मनुष्य इसका खयाल रखता है या नहीं। यदि रखता तो वह कभी ऐसा नहीं कहता कि भारतीय व्यापारियोंको जबरदस्ती न निकाला जाये। हम [गोरे] भारतीय व्यापारियोंको कितना ही लाभ क्यों न पहुँचायें, वे कभी गोरेको लाभ नहीं होने देंगे। यदि वे एक कौड़ी भी गोरोंकी जेबमें डालते हैं तो विवश हो जानेपर ही। मैंने [गोरे] सरकारी नौकरों, मजदूरों वगैरहको भारतीय दूकानमें जाते देखा है। किन्तु क्या कभी उसी व्यापारीने उन्हें कोई काम भी सौंपा है? यदि भारतीय व्यापारी जानता हो कि कोई गोरा भूखों मर रहा है, तब भी वह कभी उसकी मदद नहीं करेगा। ऐसे भारतीयोंपर दया करनेका क्या कारण है? यदि हमारी संसदके सदस्य उन्हें निकाल देनेका कानून पास न करें, तो हमें उन सदस्योंको हटाकर ऐसे लोगोंको भेजना चाहिए जो हमारे विचारोंके अनुसार चलें।

उपर्युक्त गोरे सज्जनके विचारोंसे हमें सार यह लेना है कि हमें गोरोंको भी काम देना चाहिए। गलत लोभ करके रंगाईके लिए काफिरको बुलाना ओछी नजरका हिसाब है। इस देशकी परिस्थितियोंका विचार करके जो काम उनके (गोरोंके) लिए उपयुक्त मालूम हो वह यदि हम उन्हें दें तो इसका परिणाम यह होगा कि काम पानेवाला प्रत्येक गोरा भारतीय व्यापारीका विज्ञापन बन जायेगा। सम्पन्न गोरोंकी खुशामदके लिए हम जो-कुछ करते हैं उसके बजाय या उसीके साथ यदि हम कुछ गरीब गोरोंके लिए भी करें, खुशामदकी दृष्टिसे नहीं बल्कि उन्हें लाभ पहुँचानेके लिए, तो उसका नतीजा अच्छा होगा। श्री टैथम जैसे साँपको अपनेको कटवानेके लिए दूध पिलाकर पालनेके बदले किसी गोरेकी मदद करना हम हर तरह अच्छा समझते हैं। यदि हमने मदद नहीं की तो यह मानकर ही कि वे हमारा नुकसान करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-२-१९०७

१. देखिए "परवानेकी तकलीफ", पृष्ठ २९९, "नेटालका परवाना-कानून", पृष्ठ ३१०-१२ और "नेटाल मर्क्युरी और भारतीय व्यापारी", पृष्ठ ३१३-१४।

३४७. मिडिलबर्गकी बस्ती

मिडिलबर्गकी भारतीय बस्तीमें रहनेवाले भारतीयोंको वहाँकी नगर-परिषदने तीन महीनेकी सूचना दी है कि वे उतने समयमें बस्ती खाली कर दें; जिन्होंने मकान बाँध लिये हैं वे अपने मकान उखाड़ कर ले जायें। मतलब यह है कि बहुत समयसे रहनेवाले भारतीयोंको अपने मकान बिना मुआवजा पाये ही उखाड़ कर ले जाने पड़ेंगे। बस्तीमें रहनेवाले भारतीयोंने इस सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीय संघको पत्र लिखा है। जाँच-पड़ताल हो रही है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-२-१९०७

३४८. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

डेलागोआ-बे जानेवाले भारतीय

इस सम्बन्धमें मैं पिछले सप्ताह लिख चुका हूँ[1]। श्री मंगा डेलागोआ-बेसे अभी यहाँ आये हैं। वे पुर्तगाली वाणिज्यदूतसे मिले थे। पुर्तगाली वाणिज्यदूतने स्वीकार किया है कि उनके सामने शपथपूर्वक बयान देनेवालेको जानेकी अनुमति दी जायेगी। उन्होंने अपने नाम लिखे गये पत्रका उत्तर इस प्रकार दिया है:

> आपके २२ तारीखके पत्रके उत्तरमें निवेदन है कि डेलागोआ-बेमें विदेशियोंके लिए कोई रोकटोक नहीं है। किन्तु जो विदेशी डेलागोआ-बेमें रहना चाहते हैं उन्हें रहनेका अनुमतिपत्र लेना पड़ता है। यदि उन्हें २० दिनसे कम रहना हो तो नगरपालिकाको अपना नाम-पता और उद्देश्य बताना पड़ता है। इस प्रकारकी लिखा-पढ़ी मेरे साथ की जा सकती है। लिखा-पढ़ी न करनेवालोंको सजा होना सम्भव है। उपर्युक्त नियमके निर्वाहके हेतु प्रायः तीन दिनकी अवधि दी जाती है।

यानी जो भारतीय डेलागोआ-बे होकर भारत जाना चाहते हों उन्होंने यदि ऊपर लिखे अनुसार पुर्तगाली वाणिज्यदूतसे हस्ताक्षर करवाकर पत्र ले लिया हो तो कोई रोकटोक नहीं होगी।

चुनावकी धूम

चुनावकी धूम चल रही है। प्रत्येक उम्मीदवार अपने-अपने चुनावके लिए बहुत पैसा खर्च कर रहा है। उन्होंने प्रत्येक मतदाताके नाम पत्र लिखे हैं और उनके मत माँगे हैं। सर रिचर्ड सॉलोमन प्रिटोरियामें बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। इस महीनेकी २२ तारीख तक चुनावका परिणाम मालूम हो जायेगा। सर रिचर्ड सॉलोमनको 'स्टार' समाचारपत्रने राष्ट्रीय चर (नेशनल स्काउट) कहा है।

१. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ३२८-३०।

डॉक्टर पोर्टर

जोहानिसबर्ग नगरपरिषद[1] और शहरके सुधारके सम्बन्धमें जो रिपोर्ट डॉक्टर पोर्टरने प्रकाशित की है उसमें से भारतीयोंके सम्बन्धमें की गई टीकाका उद्धरण यहाँ देता हूँ।

चेचक

चेचकके विषयमें लिखते हुए डॉ० पोर्टर सूचित करते हैं:

सबसे अधिक तकलीफ देनेवाले लोग हैं—एशियाई और सोमाली। यदि कोई एशिया-इयोंके घर जाता है तो वे उसका विरोध करते हैं। उन्हें यदि बीमारोंको अलग रखनेके लिए कहा जाये, जिससे उन्हें छूत न लगे, तो वे उसपर भी आपत्ति करते हैं। उन्हें जब देखनेके लिए जाते हैं तो वे अपने बीमारोंको टट्टीमें बैठा देते हैं। उनमें एक प्रसिद्ध व्यक्तिको चेचककी बीमारी छिपानेके कारण दण्ड दिया गया। तबसे ये लोग सीधे हो गये और श्री लॉयडकी मददसे फिर ठीक-ठीक खबरें मालूम होने लगीं। चेचककी[2] बीमारीके समय भारतीय समाजके नेताओंकी सहायता उपलब्ध हुई थी।

मलायी बस्ती

बस्तीमें १९०५ के नवम्बर महीनेमें ४,२०० की आबादी थी। उसमें १,६०० भारतीय, ९७० मलायी, ७० चीनी और जापानी, १०० सोमाली आदि, ४० काफिर, १,३०० केपबॉय व १२० गोरे थे। १९०६ के जनवरी महीनेमें डॉक्टर स्टॉकने उस बस्तीके सम्बन्धमें रिपोर्ट दी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि गन्दगी जमीनमें भिद कर, सम्भव है, कुएँका पानी बिगाड़ दे। गन्दा पानी निकाल देना जरूरी है। भारतीयोंमें प्लेग और चेचकके फैलनेका डर है; क्योंकि ये लोग बीमारोंको छिपाते हैं। बड़े डॉक्टरने पहले लिखा है कि गरीब भारतीय हजूरिये आदि लोगोंको शहरके किनारे बाजारमें भेज दिया जाये तो अच्छा होगा। इसमें आपत्ति तो है किन्तु अब क्लिप्सप्रूट बस्ती बस गई है। इसलिए भारतीयोंको वहाँ जानेकी सुविधा कर दी जायेगी। बहुतेरे भारतीयोंका व्यापार काफिरोंसे होता है इसलिए आशा है कि भारतीय क्लिप्सप्रूट चले जायेंगे।

यह डॉक्टर पोर्टरकी रिपोर्ट है। उसमें और भी महत्त्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन ऊपर दी गई बातें प्रत्येक भारतीयके लिए सोचने योग्य हैं। बस्तीकी बात अभी कायम है। और जबतक हममें बीमारोंको छिपानेकी आदत है तथा कंजूसी या आलस्यके कारण हम सामान्य नियमोंके निर्वाहकी परवाह नहीं करते तबतक बस्तीमें भेज दिये जानेका भय दूर नहीं होगा।

एशियाई भोजनगृह

एशियाई भोजनगृहोंके लिए नियम जोहानिसबर्ग नगरपरिषदने बनाये हैं। वे कुछ ही दिनोंमें परिषदकी बैठकमें पेश किये जानेवाले हैं। उन नियमोंके अनुसार परवाना-शुल्क १० पौंड प्रतिवर्ष रखा जायेगा। ये नियम मुख्यत: चीनी लोगोंके लिए हैं, किन्तु एशियाइयोंमें भारतीयोंका समावेश हो जानेके कारण बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारतीय भोजनगृहमें भोजन करनेवालोंकी संख्या बहुत ही कम है इसलिए उन्हें १० पौंडका वार्षिक शुल्क

१. मूलमें नगरपालिका दिया गया है।
२. मूलमें शीतला दिया गया है परन्तु यहाँ स्पष्ट ही प्लेगकी ओर संकेत है।

घुसा नहीं सकता। इसलिए ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे परिषदको लिखा गया है[1]। इन नियमोंके और भी उपनियम हैं जिनमें दिखाया गया है कि परवानेकी अर्जी किस प्रकार लिखी जाये और मकान किस प्रकार साफ रखा जाये?

तुर्की और जर्मनी

यहाँके 'रैंड डेली मेल' में तार छपा है कि इन दोनों देशोंके बीच फिर झगड़ेका कारण उपस्थित हो गया है। किन्तु वह 'रायटर' का तार नहीं है इसलिए वह आपके अखबारोंमें नहीं आ सकता। इसलिए उसका अनुवाद यहाँ दे रहा हूँ:

> मालूम होता है कि गुप्तचर विभागके वरिष्ठ अधिकारी फेहिम पाशाने जर्मनीके एक लकड़ीसे भरे हुए जहाजको पकड़ लिया। इसका कारण यह था कि जर्मन कम्पनीने, जिसका कि वह जहाज था, कर्मचारियोंको रिश्वत देनेसे इनकार कर दिया। पाशाके कार्यकी जर्मन राजदूतको सूचना दी गई। और राजदूतने सैनिक चौकी ('पोस्ट') से इसकी शिकायत की। इसके अतिरिक्त उसने यह भी कहा कि यदि पाशा तुरन्त ही जहाज वापस नहीं देगा तो जर्मन सेनाकी सहायतासे उसे वापस ले लिया जायेगा; क्योंकि जर्मन लोगोंके हकोंपर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस धमकीका जैसा चाहिए था, वैसा ही प्रभाव पड़ा। गुप्तचर विभागके वरिष्ठ अधिकारीने तुरन्त ही जर्मन कम्पनीको सूचना दी कि वह जहाज छोड़ दिया गया है। अब राजदूतने सैनिक चौकी ('पोस्ट') को पत्र लिखा है और कहा है कि फेहिम पाशा रिश्वतखोर, लुटेरा और सर्वविदित चोर है। वही माननीय सुलतानके नामको बट्टा लगाता है और ऑटोमन सरकारको विदेशियोंकी नजरोंमें गिराता है। उसने यह भी माँग की है कि कानूनके अनुसार उसको अपदस्थ करके निर्वासित किया जाये या आजन्म कारावास दिया जाये।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-२-१९०७

३४९. 'ऐडवर्टाइज़र' की पराजय[2]

'नेटाल ऐडवर्टाइज़र' के सम्पादकसे भारतीय नेता मिले। उसका परिणाम अच्छा हुआ है। 'नेटाल ऐडवर्टाइज़र' ने बहुत बड़ा लेख लिखा है। उसमें उन्होंने हमारी लिखी हुई बातमें, श्री गांधी और श्री अलीके काममें, तथा नेताओं द्वारा कहे गये तथ्योंमें भेद करते हुए कहा है कि सर लेपेल ग्रिफिन जैसे व्यक्ति भी भारतीयोंको सारे अधिकार देना चाहते हैं और कहते

१. देखिए "पत्र: टाउन क्लार्कको", पृष्ठ ३३८-३९।

२. नेटाल ऐडवर्टाइज़रने अपने एक सम्पादकीयमें ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलके प्रति साम्राज्यीय सरकारकी प्रतिक्रियाकी आलोचना की थी। इस बातको लेकर डर्बनके प्रमुख भारतीयोंका एक शिष्टमण्डल ऐडवर्टाइज़रके सम्पादकसे मिला। परिणामस्वरूप ('ए ट्रू ऐजीटेशन ऐंड ए फॉल्स') 'खरा और खोटा आन्दोलन' शीर्षकसे एक मैत्रीपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें ऐडवर्टाइज़रने इस प्रकार लिखा; 'कुछ भी हो, हमें एक दूसरेको समझनेकी चेष्टा करनी चाहिए।'

हैं कि दक्षिण आफ्रिकामें चाहे जितने भारतीय जाना चाहें, उन्हें जानेकी छूट होनी चाहिए। यह सारा लेख निरर्थक है, यह बात समझमें आ सकती है। लेकिन यह हार न मानते हुए "तमाचा मारकर मुँहकी लाली बनाये रखने" के समान है।[1] उस लेखको छोड़ दें तो यह देखा जा सकता है कि बड़े व्यापारियोंको कष्ट न होना चाहिए, प्रवासी कानूनसे होनेवाली परेशानियाँ मिटनी चाहिए, और भारतीय समाजके प्रति सामान्यतः न्याय-दृष्टिसे बरताव होना चाहिए। 'ऐडवर्टाइज़र' का यदि ऐसा बरताव बना रहे, तो मान सकते हैं कि डर्बनके दोनों समाचारपत्र भारतीय समाजकी ओर कुछ मीठी दृष्टि रखेंगे, एकदम आक्रमण नहीं करेंगे। जिस प्रकार डर्बनमें हुआ उसी प्रकार मैरित्सबर्गके समाचारपत्रोंके सम्बन्धमें भी हो तो उनसे लाभ होनेकी सम्भावना है।

किन्तु 'ऐडवर्टाइज़र' के लेखसे यह नहीं समझ लेना है कि अब हमारे लिए कुछ करना नहीं रहा। समाचारपत्र हमारे विरुद्ध न लिखें, इससे हमें लड़ना कम होगा। परन्तु समाचारपत्रोंके समान और भी बहुत-से शत्रुओंको जीतनेका काम हमारे लिए है ही। गोरे लोग ऐसे नहीं हैं कि अपना आन्दोलन छोड़ दें। जैसा कि श्री आर्थर वेडने आफ्रिकी लोगोंको उभाड़ना आरम्भ किया है। उन्होंने आफ्रिकियोंको समझाया है कि वे भारतीय व्यापारियोंके साथ बिलकुल व्यवहार न करें। ऐसे एक-दो भाषणोंका विशेष प्रभाव नहीं होगा। परन्तु ये हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोगोंको सदैव जागृत रहना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-२-१९०७

३५०. नेटालका परवाना-कानून

मैरित्सबर्गमें परवानेके सम्बन्धमें एक अपील की गई थी। उसमें नगर-परिषदके एक सदस्यने बताया कि जो भारतीय ब्रिटिश प्रजा है उसे परवाना देनेसे इनकार करते समय संकोच होना चाहिए। इसके अलावा वहाँके [व्यापार] संघने ऐसा प्रस्ताव पास किया है कि जो भारतीय अपने-आपको ब्रिटिश प्रजा सिद्ध कर सकता है उसे परवाना मिलनेमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। वेरुलममें चार मुकदमे और चले थे। उनमें भी दूकानें गन्दी होने, दूकानमें से होकर घरमें जाने तथा दूकानके अन्दर भोजन करनेके सम्बन्धमें शिकायत थी। पोर्टशेप्स्टनमें चमड़ीके रंगके कारण ही परवाना रोक दिया गया है। लेडीस्मिथ और उसके आसपासके हिस्सेकी परवाना सम्बन्धी अपील खारिज कर दी गई है और उसका कारण यह बताया गया है कि व्यापारी वहीखाता नहीं समझ सकते, तथा अंग्रेजी बिलकुल नहीं जानते और कम तनख्वाहवाले नौकरोंपर ही उनका सारा दारोमदार है। वहीखाते लिखनेवालेका बयान अथवा गवाही लेनेसे इनकार किया गया, इससे मालूम होता है कि गोरे हमें इस देशसे निकाल ही देना चाहते हैं। जिन लोगोंके परवाने लिये गये हैं उनकी आजीविकाका साधन ले लिया गया है। ऐसी स्थितिमें वे भूखों मरें, या बिना परवानेके व्यापार करें? सरकारको इस सम्बन्धमें विचार करना है। नगरपालिकाओंको सरकारने चेतावनी देकर समझाया था कि उन्हें जो

१. झेंप छिपानेके समान है।

सत्ता दी गई है उसका न्यायपूर्ण तरीकेसे उपयोग किया जाये, नहीं तो दी हुई सत्ता वापस ले लेनी होगी। हमारी कांग्रेस और भारतीय कौम दृढ़तापूर्वक लड़कर व्यापारियोंके साथ किये गये अन्यायका सरकार और सारी दुनियाको भान करायेगी, तो हमें आशा है कि कुछ-न-कुछ सुनवाई जरूर होगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६–२–१९०७

३५१. केपका परवाना-कानून

केप कालोनीके ग्रेहम्ज़ टाउनके परवानेके सम्बन्धमें हमें जो पत्र[1] प्राप्त हुआ है उसे हम इस अंकमें प्रकाशित कर रहे हैं। उस पत्रसे यह शंका पैदा होती है कि बहुत-सी जगहोंमें गरीब फेरीवाले बिना परवानेके बैठे रहते होंगे। यह परवाना सैकड़ों भारतीयोंके गुजारेका साधन है। केपका कानून हम पढ़ चुके हैं। हमारा खयाल है, ऐसे परवाने देनेके लिए परिषद बँधी हुई है। इसलिए इसका वैधानिक उपाय किया जा सकता है।

नेटालमें वैसी ही तकलीफ है। कानून बहुत ही सख्त है, फिर भी कांग्रेसके कर्ताधर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उससे बहुत-सा नुकसान होता-होता रुक गया है और आगे भी रुकेगा। कांग्रेसके मन्त्री जगह-जगह घूमते हैं, लोगोंको सहारा देते हैं और यथावश्यक उपाय भी करते हैं।

केपकी समिति (लीग) को और संघको इससे उदाहरण लेना है। इन दोनों सभाओंका कर्तव्य है कि प्रत्येक गाँवमें कैसी परिस्थिति है, इसकी जाँच करें। हम मानते हैं कि यदि वे यथेष्ट प्रयत्न करें तो न्याय प्राप्त कर सकेंगी। फिर यह भी याद रखना है कि केपमें लड़नेकी जैसी सुविधा है वैसी नेटालमें नहीं है। इसलिए यदि केपमें पूरा मुकाबला न हो तो भारतीय नेताओंको शर्मिन्दा होना पड़ेगा। केपमें जिन लोगोंको परवाने नहीं मिले हैं उनके नाम, पते आदि प्रकाशित करनेमें हमें प्रसन्नता होगी, इसलिए सभी पाठकोंको सूचना है कि वे वैसे नाम-पते आदि हमारे पास भेजें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६–२–१९०७

१. यह पत्र एक फेरीवालेने लिखा था, जो अपने मामलेमें इंडियन ओपिनियनके सम्पादककी सहायता चाहता था। उसे कई वर्षोंसे फेरीका परवाना प्राप्त था। अब अधिकारियोंने उसे नया करनेसे इनकार कर दिया था, जिससे उसके भूखों मरनेकी नौबत आ गई थी।

३५२. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — ७

सामाजिक आदर्श

कभी-कभी यह कहा जाता है कि नैतिकता मात्रमें सार्वजनिक कल्याण समाया है। यह बात ठीक है। उदाहरणार्थ, यदि न्यायाधीशमें न्याय-बुद्धि हो तो उन लोगोंको, जिन्हें न्याया-लयमें जाना पड़ता है, समाधान मिलता है। इसी प्रकार प्रीति, ममत्व, उदारता आदि गुण भी दूसरोंके प्रति ही बताये जाते हैं। वफादारीकी ताकत भी हम दूसरोंके सम्पर्कमें आनेपर ही व्यक्त कर सकते हैं। स्वदेशाभिमानके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या? सच देखा जाये तो नैतिकतासे सम्बन्धित एक भी बात ऐसी नहीं जिसका परिणाम नैतिकताका पालन करने-वालेको ही मिले। कभी-कभी ऐसा कहा जाता है कि सत्य आदि गुणोंका सम्बन्ध दूसरोंसे नहीं होता। परन्तु असत्य बोलकर यदि हम किसीको धोखा दें तो उसको नुकसान पहुँचेगा, इस बातको हम स्वीकार करते हैं; तब यह भी स्वीकार करना होगा कि सत्य बोलनेसे दूसरा मनुष्य उस नुकसानसे बच गया।

इसी तरह जब कोई मनुष्य किसी रिवाज या कानूनको नापसन्द करके उसके बाहर रहता है, तब भी उसके उस कार्यका परिणाम जन-समाजपर होता है। ऐसा मनुष्य विचारोंकी दुनियामें रहता है। उन विचारोंसे मिलती-जुलती दुनिया अभी पैदा नहीं हुई है, इसकी वह परवाह नहीं करता। ऐसे मनुष्यके लिए प्रचलित मान्यताओंका अनादर करनेके हेतु यह विचार-भर काफी है कि वे उचित नहीं हैं। ऐसा व्यक्ति अपने विचारोंके अनुसार दूसरोंको चलानेके लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा। पैगम्बरोंने दुनियामें प्रचलित चक्रोंकी गतिको इसी प्रकार बदला है।

जबतक मनुष्य स्वार्थी है, अर्थात् दूसरोंके सुखकी परवाह नहीं करता, तबतक वह जानवर जैसा ही, या उससे भी बदतर है। मनुष्य जानवरसे श्रेष्ठ है, यह हमें तभी मालूम होता है जब हम उसे अपने कुटुम्बकी रक्षा करते हुए देखते हैं। इससे भी ज्यादा वह मनुष्य-जातिमें तब आता है जब वह अपने देश या समाजको अपना कुटुम्ब मानने लगता है। जब मानव-मात्रको अपना कुटुम्ब मानता है तब तो वह इससे भी ऊँची सीढ़ीपर चढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य जितना मानव-समाजकी सेवा करनेमें पीछे रहता है उतना ही वह हैवान है अथवा अपूर्ण है। मुझे अपनी पत्नीके लिए, अपने समाजके लिए तो दर्द हो, परन्तु उससे बाहरके मनुष्यके लिए यदि कोई हमदर्दी न हो, तो स्पष्ट है कि मुझे मानव-जातिके दुखकी परवाह नहीं है। और अपनी पत्नी, बच्चे या समाजके प्रति, जिन्हें मैंने अपना माना है, पक्षपात या स्वार्थ-बुद्धिके कारण कुछ-कुछ सहानुभूति होती है।

अतः जबतक हमारे मनमें हरएक मनुष्यके लिए दया नहीं जगती तबतक हमने न तो नीतिधर्मका पालन किया और न उसे जाना ही है। यों हम देखते हैं कि उत्कृष्ट नैतिकता सार्वजनिक होनी चाहिए। अपने सम्बन्धमें हमें यह सोचकर चलना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्यका हमपर हक है; यानी सदा उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। किन्तु अपने बारेमें हमें यह सोचकर चलना चाहिए कि हमारा किसीपर भी हक नहीं है। कोई यह

कहेगा कि ऐसा मनुष्य इस दुनियाके संघर्षमें कुचलकर मर जायेगा तो उसकी यह बात केवल नादानी ही होगी, क्योंकि यह सर्वविदित अनुभव है कि एकनिष्ठ सेवा करनेवाले मनुष्यको हमेशा खुदाने बचाया है।

ऐसी नीतिकी दृष्टिसे मनुष्य-मात्र एक समान है। इसका मतलब यह न किया जाये कि प्रत्येक मनुष्य समान पदका उपभोग करता है या एक प्रकारका काम करता है। बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि यदि मैं किसी उच्च पदपर हूँ तो उस पदकी जिम्मेदारी सँभालनेकी मुझमें शक्ति है। अतः न तो उससे मुझे बचना है, न यह मान लेना है कि मुझसे नीचे दर्जेका काम करनेवाले लोग मुझसे हलके दर्जेके हैं। समत्वका भाव हमारे मनकी स्थितिपर निर्भर है। जबतक हमारे मनकी यह स्थिति नहीं हो जाती, हम बहुत पिछड़े हुए रहेंगे।

इस नियमके अनुसार एक कौम अपने स्वार्थके लिए दूसरी कौमपर शासन नहीं कर सकती। अमेरिकी लोग अपने यहाँके मूल निवासियोंको गिराकर उनपर राज्य करते हैं, यह बात नीतिविरुद्ध है। उन्नत कौमका अविकसित कौमसे पाला पड़े तो उन्नत कौमका फर्ज है कि वह उसे अपने ही समान उन्नत बना दे। ठीक इसी नियमके अनुसार राजा प्रजाका कोई मालिक नहीं, बल्कि सेवक है। अधिकारीगण भी अधिकारके उपभोगके लिए नहीं, बल्कि प्रजाको सुख पहुँचानेके लिए हैं। गणतांत्रिक राज्यमें यदि लोग स्वार्थी हों तो उस राज्यको निकम्मा समझा जाये।

और एक ही राज्यके निवासियोंमें अथवा एक ही कौमके लोगोंमें हमारे नियमके अनुसार बलवानोंको दुर्बलोंकी रक्षा करनी है, न कि उन लोगोंको कुचलना है। ऐसी व्यवस्थामें न तो भुखमरी होगी, न अति धनिकता ही। क्योंकि वहाँ इस बातके लिए कोई गुंजाइश न होगी कि हम अपने पड़ोसीका दुःख देखते हुए सुखसे बैठे रहें। सर्वोच्च नैतिकताका निर्वाह करनेवाले मनुष्यसे धन-संग्रह किया ही नहीं जा सकता। ऐसी नैतिकता जगतमें बहुत कम दिखाई देती है। फिर भी नैतिक व्यक्तिको घबराना नहीं है, क्योंकि वह अपनी नैतिकताका स्वामी है, उसके परिणामका नहीं। यदि वह नैतिकताका पालन नहीं करेगा तो वह दोषी माना जायेगा, परन्तु उसका परिणाम यदि जन-समाजपर न हो तो उसके लिए उसे कोई दोष नहीं देगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-२-१९०७

३५३. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

नई संसद

ट्रान्सवालकी नई संसदकी धूमधाम चल रही है। नई संसदमें ५८ सदस्य होंगे। उनमें ३१ जोहानिसबर्गके हैं। शनिवार, तारीख ९ को उम्मीदवारोंके नाम दर्ज कर लिये गये हैं। 'इंडियन ओपिनियन' के पाठकोंके पास यह अखबार १६ या १८ तक पहुँचेगा। तारीख २०, यानी बुधवारको सदस्योंका चुनाव होगा। तारीख २१ को चुनावका परिणाम घोषित हो जायेगा। इसलिए आशा है कि इसके बादके अंकमें पाठकोंको सफल उम्मीदवारोंके नाम मालूम हो जायेंगे।

विभिन्न दल

कुल मिलाकर पाँच पक्ष हैं। अर्थात — प्रगतिशील (खानोंवाले), हैटफोक (डच), राष्ट्रवादी (नेशनलिस्ट), स्वतन्त्र (इंडिपेन्डेन्ट), मजदूर (लेबर)। इनमें वास्तविक पक्ष दो ही हैं। प्रगतिशील और हैटफोकके नामोंसे यदि कोई डर जाये तो कह सकते हैं कि उसके लिए राष्ट्रवादी दल खड़ा हुआ है। अधिकतर यह माना जाता है कि हैटफोक और राष्ट्रवादी दलोंकी विजय होगी और अधिकतर सदस्य इन दोनोंके आयेंगे। प्रगतिशील दलकी ओर बहुतेरे लोगोंकी दृष्टि है। हैटफोकके नेता जनरल बोथा और जनरल स्मट्स हैं; राष्ट्रवादियोंके सर रिचर्ड सॉलोमन और वाईबर्ग हैं। प्रगतिशील पक्षमें सर पर्सी फिट्ज़पैट्रिक, सर जॉर्ज फेरार, श्री हॉस्केन आदि हैं।

वास्तविक द्वन्द्वयुद्ध सर रिचर्ड सॉलोमन तथा सर पर्सी फिट्ज़पैट्रिकके बीच चल रहा है। वे दोनों प्रिटोरियासे उम्मीदवार हैं। दोनोंमें से कौन जीतेगा निश्चित नहीं कहा जा सकता। सर रिचर्डके विचार चीनी और काफिर लोगोंके सम्बन्धमें बदलते रहते हैं, इसलिए बहुतेरे लोग उनकी ओर तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते हैं। वे चीनियोंको लानेके लिए तैयार हो गये थे। कहते हैं कि उनके विचार फिर बदले हैं। काफिरोंको उचित अधिकार मिलना चाहिए, ये ऐसी बातें करते थे। अब कहते हैं कि काफिरोंके सम्बन्धमें दूसरे सदस्य जो-कुछ करना चाहेंगे वे उससे सहमत होंगे।

देखनेपर मालूम होता है कि हैटफोकके ३५ उम्मीदवार हैं, प्रगतिशील दलके २९, स्वतन्त्र ३२, राष्ट्रवादी दलके १५ और मजदूर वर्गके १२ हैं। इनमें से हैटफोकके ५ उम्मीदवार तो चुने जा चुके हैं; क्योंकि उनके विरुद्ध उनके शहरमें कोई उम्मीदवार नहीं था। इसलिए वहाँ चुनावकी आवश्यकता नहीं रही।

चाहे जिस पक्षका जोर बढ़े, भारतीय समाजके लिए लाभ-हानि जैसी कोई बात नहीं है। दोनों ही पक्ष भारतीयोंके विरुद्ध अपनी राय जाहिर कर चुके हैं।

अनुमतिपत्र-कार्यालय

'ट्रान्सवाल ऐडवर्टाइज़र' में एक लेख आया है। उससे स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि वह अनुमतिपत्र कार्यालयकी शरारतसे प्रकाशित हुआ है। उसमें लिखा है कि भारतीय समाज अनुमतिपत्र कार्यालयको बहुत तकलीफ देता है। अध्यादेशके पास न होनेसे अनुमतिपत्र-कार्यालयका काम बढ़ गया है। सैकड़ों जगहोंसे भारतीय बिना अनुमतिपत्रके आते हैं और वे लोग लड़कोंको बिना अनुमतिपत्रके लाकर उनसे दूकानोंमें काम करवाते हैं। इसके अलावा

सर्वोच्च न्यायालयके फैसलोंके कारण मौजूदा कानूनमें वहुत-सी अड़चनें खड़ी हो गई हैं। इस प्रकार लिखकर उत्तेजना दी जाती है और नई संसदमें अध्यादेश फिरसे पास हो, उसके लिए पहले तजवीज शुरूकी है।

यह साफ है कि उपर्युक्त हकीकत गलत है। तंग अनुमतिपत्र कार्यालय नहीं किया जा रहा है, वल्कि वह खुद कर रहा है। कानूनकी तकलीफ कम होनेके वजाय वढ़ती जा रही है और जव अनुमतिपत्र कार्यालय अपनी मर्यादाका उल्लंघन करता है तव सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करता है। किन्तु हम सव जानते हैं कि उतना काफी नहीं है। उपाय क्या किया जाना चाहिए सो 'इंडियन ओपिनियन' में वतला दिया गया है। लेकिन सवसे वड़ा और अन्तिम उपाय जेल है। जवतक हम यह वात नहीं भूलते तवतक कोई आपत्ति आनेवाली नहीं है। जेलका उपाय किया जाये तो उसके लिए भी पैसेकी वहुत आवश्यकता होगी। इस सम्वन्धमें ब्रिटिश भारतीय संघ और दूसरे सव मण्डलोंको पुरअसर तरीके काममें लाने चाहिए।

मिडिलवर्गकी वस्ती

मिडिलवर्गकी वस्तीके सम्वन्धमें अव वहाँसे समाचार आ गया है। उसके आधारपर संघने टाउन क्लार्कको पत्र लिखकर सूचना देनेका कारण पूछा है। उस सम्वन्धमें जानकारी मिलनेके वाद ज्यादा कार्रवाई की जा सकेगी।

श्री कुवाड़ियाका मुकदमा

जोहानिसवर्गके प्रसिद्ध व्यापारी श्री कुवाड़िया, जो ब्रिटिश भारतीय संघके खजांची हैं, अपने १६ वर्षके लड़केके साथ जोहानिसवर्ग आ रहे थे। लड़केको फोक्सरस्टमें उतार दिया गया; क्योंकि उसके नामसे अनुमतिपत्र नहीं था। उस लड़केके नामसे भी अनुमतिपत्र माँगा गया था, किन्तु कैप्टन फॉउलने इनकार करते हुए कहा था कि कोई रुकावट नहीं होगी। श्री कुवाड़ियाके पास वह पत्र था, फिर भी लड़केको उतार दिया गया। डॉक्टरी प्रमाणमें कहा गया कि लड़केकी उम्र १८ वर्षकी है। इससे न्यायाधीशने उसे छोड़नेसे इनकार कर दिया। श्री चैमनेके पास सूचना भेजी गई। लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर दिया। पिछले सोमवार फोक्सरस्टमें मुकदमा चला। न्यायाधीशने उस मुकदमेको प्रमाणके लिए जोहानिसवर्ग भेजनेसे इनकार कर दिया। इसलिए मुकदमा फिर अगले सोमवारको चलेगा। आखिर वह लड़का छूट जायेगा। लेकिन इस वीच कौड़ी-वरावर न्याय प्राप्त करनेके लिए श्री कुवा-ड़ियाको कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी और कितने खर्चमें उतरना होगा। यदि उस लड़केके लिए अनुमतिपत्र माँगते हैं तो कहा जाता है कि उसकी उम्र १६ वर्षसे कम है, इसलिए अनुमतिपत्र नहीं दिया जा सकता; और अनुमतिपत्र न मिलनेसे इतने खर्चमें पड़ना पड़ता है। इतनी मुसीवत समझदार आदमीको भोगनी पड़ती है, तव फिर गरीवोंका क्या पूछना?

एशियाई भोजनगृहका कानून

इस कानूनके विरुद्ध ब्रिटिश भारतीय संघने नगर-परिषदको अर्जी[1] भेजी है। उसमें लिखा है कि उसका परवाना-शुल्क १० पौंड नहीं होना चाहिए; और चूँकि भारतीय समाजके लोग संख्यामें कम हैं, इसलिए उनके लिए सख्त कानून वनानेकी जरूरत नहीं है।

१. इस अर्जीका उल्लेख "जोहानिसवर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ३४४-४६ में भी किया गया था। "पत्र: टाउन-क्लार्कको, पृष्ठ ३३८ भी देखिए।

डॉक्टर हेगर

डॉक्टर हेगर यहाँके चुनावमें भाग लेनेके लिए आये हैं। पिछले रविवारको उन्होंने जो भाषण दिया उसमें कहा था कि उन्हें किसी भारतीय मतदाताने बहुत पैसे देनेको कहा, लेकिन उन्होंने लेनेसे इनकार कर दिया। यह बात सरासर झूठ है। आशा है, इस सम्बन्धमें हमें और भी बातें मालूम होंगी। यह घोर असत्य सुनकर स्वयं श्री मैकिंटायरने 'इंडियन ओपिनियन' को यह समाचार भेजा है।

वर्षा

जोहानिसबर्ग और सारे ट्रान्सवालमें इस बार बहुत वर्षा हो रही है। तीन दिन तक लगातार रिमझिम वर्षा होती रही। स्टैंडर्टनमें जबरदस्त वर्षा होनेसे बहुत नुकसान हुआ है। बॉक्सबर्गके तालाबका पानी पालोंके ऊपरसे बहने लगा था।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६–२–१९०७

३५४. तार[1] : द० आ० ब्रि० भा० समितिको

जोहानिसबर्ग
फरवरी २२, [१९०७]

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति
लन्दन

फ्रीडडॉर्पवासी भारतीयोंके मुआवजेके दावेपर[2] जोर देनेके लिए कृपया साम्राज्यीय सरकार और समितिको धन्यवाद दें विराम फ्रीडडॉर्प भारतीय आबादी सौसे कम विराम इमारतें, पट्टे, माल, कर्ज मिलाकर भारतीय पूँजी लगभग उन्नीस हजार विराम कुछ फ्रीडडॉर्पके पुराने निवासी विराम डच सरकारने कभी हस्तक्षेप नहीं किया विराम भारतीय झुग्गियाँ कतई नहीं, फोटो भेज रहे हैं विराम संघ बीच-बचावकी प्रार्थना करता है।

ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स २९१/१२२

१. श्री एल० डब्ल्यू० रिचने इसकी एक प्रति फरवरी २५ को उपनिवेश-कार्यालय, लन्दनको भेजी थी।
२. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ३५७-५८।

३५५. औरतें मर्द और मर्द औरतें!

पिछले सप्ताह विलायतसे कुछ तार आये हैं। उनसे उपर्युक्त सवाल उठता है। अंग्रेज औरतें तो मर्दोंका काम करती हैं; क्या हम मर्द होते हुए भी औरतें बन बैठेंगे? यह सवाल मजाकका नहीं, गम्भीर है। कैसे, सो हम देखें।

अंग्रेज औरतोंको मताधिकार नहीं है। उसके लिए वे आन्दोलन कर रही हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, वे उसकी परवाह नहीं करतीं। कुछ दिन पहले आठ सौ औरतोंका जुलूस संसद-भवनके पास पहुँचा। पुलिसने उसे रोका। इससे कुछ बहादुर औरतें जबरदस्ती संसद-भवनमें घुसनेके लिए बढ़ीं। ये औरतें मजदूर वर्गकी नहीं है। इनमें एक जनरल फ्रेंचकी[1] बहन हैं। वे स्वयं ६० वर्षसे अधिक उम्रकी हैं। दूसरी कुमारी पैंकहर्स्ट हैं। वे विलायतके एक प्रसिद्ध धनिककी लड़की हैं। दोनों विदुषी हैं। आठ सौकी टोलीमें ऐसी बहुत-सी बहनें हैं। इस तरह जबरदस्ती घुसनेवाली औरतोंमें से जनरल फ्रेंचकी बहन आदि प्रसिद्ध महिलाओंको पकड़ लिया गया। उनपर मुकदमा चलाया गया। मजिस्ट्रेटने उनपर एकसे दो पौंड तक जुर्माना किया और जुर्माना न दें तो जेलकी सजा दी गई। इस तरहकी सजा ४९ औरतोंको दी गई है। किन्तु उनमें से सब औरतें उनपर किये गये जुर्मानेकी रकम न देनेके बदले जेल गई हैं। उनमें जनरल फ्रेंचकी बूढ़ी बहन भी हैं। हम मानते हैं कि इन औरतोंका यह काम मर्दानगीका है।

अब हम अपना घर देखें। लॉर्ड सेल्बोर्न और सर रिचर्ड सॉलोमन कहते हैं कि एशियाई अध्यादेश पास किया जाना चाहिए। एक-दो महीनेमें, सम्भव है, पास हो भी जायेगा। यदि ऐसा हुआ तो क्या भारतीय जेल जायेंगे? हम मानते हैं कि झूठे अनुमतिपत्रोंके आधारपर प्रवेश करनेवाले व्यक्ति जब पकड़े जाते हैं तब जेलके डरके मारे रोने लगते हैं। किन्तु चोरी करते समय नहीं रोते। इसे हम नामर्दी मानते हैं। जब गलत तरीकेसे जुल्मके द्वारा लोगोंको चोर मानकर उनकी अँगुलियोंकी निशानी लेनेका हुक्म होगा तब लोग चुपचाप अँगुलियोंकी निशानियाँ देंगे या जेल जायेंगे? यदि वे अँगुलियोंके निशान देकर नाक कटायेंगे तो हम उन्हें दुहरा नामर्द मानेंगे। इसपरसे हम प्रश्न करते हैं कि भारतीय मर्द क्या औरत बन जायेंगे? या जैसे अंग्रेज औरतें बहादुरी दिखा रही हैं उनका अनुकरण करके जागेंगे, और ट्रान्सवालकी सरकार यदि जुल्म करना चाहे तो उन्हें सहन न करके जेलको महल मानकर उसे आबाद करेंगे? थोड़े ही दिनोंमें पता चल जायेगा कि हममें कितना पानी है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-२-१९०७

१. फील्ड-मार्शल सर जॉन फ्रैंच (१८५२-१९२५) दक्षिण आफ्रिकी युद्धके एक सफल नायक। प्रथम विश्व-युद्धके समय फ्रांसमें ब्रिटिश सेनाकी कमान इन्हींके हाथमें थी।

३५६. लेडीस्मिथके परवाने

लेडीस्मिथके परवानोंके बारेमें अधिक विचार करते समय हमें यह भी देखना है कि इसमें हमारा दोष कितना है। अंग्रेजीमें हम बराबर लिखते रहे हैं। समितिकी ओरसे संसदमें प्रश्न पूछा जा चुका है। किन्तु हम यदि अपना घर देखें तो अनुचित न होगा।

उस अपीलके फैसलेके समय यह देखा गया कि बहीखाते ताजे लिखे मालूम होते थे; ये कभी-कभी ही लिखे जाते थे; और एक व्यक्तिको ८ पौंड वार्षिक देकर लोग लिखवाते थे। इसपर 'नेटाल विटनेस'ने कड़ी आलोचना की है। उसने कहा है कि लेडीस्मिथ निकायने जो काम किया है, वह सही है। इन सारी बातोंपर हमें विचार करना चाहिए। बहीखाते सदैव नियमपूर्वक लिखे जाने चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग मुनीम रखे। किन्तु बहीखाते नियमित रूपसे लिखे जाने चाहिए, ताकि उनके सम्बन्धमें कोई कुछ कह न सके। जिस गाँवमें योग्य भारतीय मुनीम न हों, वहाँ अंग्रेजी हिसाबनवीस या वकीलसे भी लिखवाया जा सकता है। कुछ-न-कुछ लोभ छोड़े बिना हम कभी कामयाब नहीं होंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-२-१९०७

३५७. केपका प्रवासी अधिनियम

समाचारपत्रोंमें इस आशयके तार छपे हैं कि [साम्राज्यीय] सरकारने केपके नये प्रवासी अधिनियमको मंजूरी दे दी है और उसपर जल्दी ही अमल होने लगेगा। मुख्य अन्तर यह है कि पहले दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी भागके सारे भारतीयोंको केपमें दाखिल होनेकी इजाजत थी, अब केवल पुराने निवासी ही आने दिये जायेंगे। इसके सिवा दूसरे फर्क भी हैं। हमारी समझमें इन परिवर्तनोंके लिए केपके भारतीयोंकी लापरवाही कुछ हद तक जिम्मेदार है। यह बहुत सम्भव है कि कड़े संघर्षके बाद भी भारतीय सफल न होते, किन्तु तब हमने अपना कर्तव्य तो किया होता। इसके सिवा केप संघर्षके लिए ऐसी सुविधाएँ देता है जो अन्यत्र प्राप्त नहीं हैं। केपके भारतीय इन सुविधाओंसे लाभ नहीं उठाते।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-२-१९०७

३५८. नेटालमें व्यापारिक कानून

हमें निश्चित खबर मिली है कि डर्बन व्यापार-मण्डलके बहुत-से सदस्य लेडीस्मिथके परवाना निकायके निर्णयसे घबरा गये हैं। उन्होंने जो खानगी बैठक की, उसमें भी बहुतेरे लोगोंने यह विचार प्रकट किया है कि परवाना कानून रद किया जाना चाहिए। आखिर श्री हैंडज़ और श्री बुचरको इस विषयकी जाँच करनेके लिए नियुक्त किया गया है। यह एक ऐसा मौका है कि यदि इसका लाभ उठाकर हमारे नेता व्यापार मण्डलके मुखियोंसे और खासकर उन दो व्यक्तियोंसे, जिनके नाम हमने ऊपर दिये हैं, मिलें और सलाह करें तो बहुत लाभ हो सकता है। क्या किया जाना चाहिए, इस विषयमें अंग्रेजीमें लेख लिखा गया है और उसका अनुवाद हम अगले अंकमें देंगे। इस कानूनमें परिवर्तनका सुझाव तटस्थ व्यक्तिकी तरह दिया गया है। इसलिए उसे किसीके लिए बन्धनकारक नहीं माना जा सकता। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लिए यही रास्ता स्वीकार करने योग्य है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–२–१९०७

३५९. नेटालका नगरपालिका विधेयक[१]

इस सम्बन्धमें लॉर्ड एलगिन लड़ रहे हैं। यह उपकार मानने योग्य है। उनका कथन है कि असभ्यकी व्याख्यामें गिरमिटियोंके लड़कोंको नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, रंगदार लोगोंमें भारतीयोंका जो समावेश किया गया है वह भी वास्तविक नहीं है। क्योंकि रंगदारोंमें सभी लोगोंका समावेश हो जाता है। इस विषयमें भारत सरकारको बड़ी सहानुभूति है। उसकी ओरसे आग्रह किया जा रहा है कि भारतीय समाजको राहत दी जानी चाहिए। इससे लॉर्ड एलगिनको आशा है कि नेटाल सरकार इस सम्बन्धमें विचार करेगी। इस तरह जो लड़ाई चल रही है उसमें हमारी जीतकी इसी शर्तपर सम्भावना हो सकती है कि हम अपना फर्ज अदा करें। नेटाल नगर-परिषदने उत्तर दिया है कि कानूनमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–२–१९०७

१. देखिए "पत्र: लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको", के साथ संलग्न वक्तव्य, पृष्ठ २६८-७०।

३६०. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

अनुमतिपत्रके पाँच मुकदमे

श्री कुवाड़ियाके लड़केका मुकदमा फोक्सरस्टके मजिस्ट्रेटके सामने शुक्रवार तारीख १५ को हुआ था।[1] श्री कुवाड़ियाकी ओरसे श्री गांधी उपस्थित थे। सिपाही मैक्ग्रेगरने बयान देते हुए कहा कि १४ वर्षसे कम उम्रके भारतीय लड़कोंको बिना अनुमतिपत्रके जाने देते हैं। किन्तु १४ वर्षके या उससे ज्यादा उम्रके लड़के हों तो उनसे अनुमतिपत्र माँगा जाता है और न दिखानेपर पकड़ा जाता है।

श्री जेम्स कोडीने बयान देते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि कैप्टन फाँउलका निर्णय वर्तमान पंजीयकको हमेशा स्वीकार्य ही है। श्री कुवाड़ियाके लड़केके सम्बन्धमें कैप्टन फाउलका जो पत्र था, उसे देखकर उन्होंने कहा कि इस पत्रको अनुमतिपत्र नहीं माना जा सकता और यह श्री चैमनेके लिए बन्धनकारक नहीं है। अपने सख्त बयानके बाद उन्होंने इतना स्वीकार किया कि यदि कैप्टन फाउलने वह काम अनुमतिपत्र अधिकारीके रूपमें किया हो तो श्री चैमनेको उसे स्वीकार करना चाहिए। श्री आमद सालेजी कुवाड़ियाने[2] अपने भतीजेकी उम्र और उसके १९०३ में जोहानिसबर्गमें पढ़नेके सम्बन्धमें बयान दिया। श्री कुवाड़ियाने स्वयं उपर्युक्त बयानका समर्थन किया। डॉ० हिकने लड़केकी उम्रके सम्बन्धमें बयान दिया और श्री गांधीने अपने पासके कैप्टन फाउलके कागज पेश किये। लड़केने भी यह बतानेके लिए बयान दिया कि उसे थोड़ी-बहुत अंग्रेजी आती है। मुकदमा समाप्त हुआ और मजिस्ट्रेटने दोनों पक्षोंकी दलीलें सुनकर लड़केको छोड़ दिया।

उसके बाद अन्य चार भारतीयोंपर दूसरे लोगोंके अनुमतिपत्रके आधारपर आनेके सम्बन्धमें मुकदमे चलाये गये। उनके नाम कीकाप्रसाद, नगा भाणा, बबू वल्लभ सोनी और मिर्जाखाँ थे। उनमें से तीनने स्वीकार किया कि उनमें से हरएकने बम्बईमें ९० रुपये देकर दूसरोंके अनुमतिपत्र लिये थे। चौथे व्यक्तिने स्वीकार नहीं किया। चारोंको ४०–४० पौंडका जुर्माना और ४–४ महीनेकी कैदकी सजा दी गई।

श्री कुवाड़ियाके मुकदमेसे मालूम होता है कि सच्चे मामलेवालोंकी भी कभी-कभी बहुत खर्च करनेके बाद सुनवाई होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि झूठे मामले भी होते हैं। जो चारों मामले एक ही दिन हुए उनसे हम देख सकते हैं कि अनुमतिपत्र बेचनेवाले दगा करके दूसरोंको ठगते हैं और उन्हें गड्ढेमें पटकते हैं। वैसे अनुमतिपत्र लेनेवाले अपनी कमाई गँवा कर बेकार बरबाद होते हैं और ट्रान्सवालमें नहीं रह सकते। दूसरी ओर इन तरहके कामसे सारे समाजको नुकसान होता है और वे सख्त कानून बनाये जानेका कारण बन जाते हैं।

१. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ३५१-५२।
२. श्री इमादीन सालेजी कुवाड़ियाके भाई।

एशियाई नीलीपुस्तिका

विलायतमें एशियाई अध्यादेशके सम्बन्धमें लॉर्ड एलगिनने सारा इतिहास प्रकाशित किया है। उसके सम्बन्धमें यहाँके तीनों अखबारोंमें बड़े-बड़े तार प्रकाशित हुए हैं। उनमें खासकर लॉर्ड सेल्बोर्नका लेख भारतीय समाजके लिए सोचने योग्य है। लॉर्ड एलगिनके निर्णयपर लॉर्ड सेल्बोर्नने कड़ी टीका की है। उनका कहना है कि लॉर्ड एलगिनने भारतीय बातको स्वीकार करके लॉर्ड सेल्बोर्नका दिया हुआ वचन भंग करवाया है। यह वचन वह है जो उन्होंने पाँचेफ़स्ट्रूममें दिया था — यानी उत्तरदायी शासन आने तक किसी भी नये भारतीयको प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। उनकी यह शिकायत ठीक नहीं है, क्योंकि नये भारतीयोंके आनेकी बात तो दर-किनार, पुराने लोगोंको भी आनेमें दिक्कत हो रही है; महीनों बीत जाते हैं। इसके *अतिरिक्त उनका कथन यह है कि बहुत-से भारतीय बिना अनुमतिपत्रके प्रवेश* किया करते हैं। यह बात भी अनुचित मानी जायेगी। क्योंकि यदि ऐसा होता हो तो उसे सिद्ध करनेके लिए भारतीय समाज लॉर्ड सेल्बोर्नसे जाँच आयोग बैठानेके लिए कई बार कह चुका है। लेकिन लार्ड सेल्बोर्नका कड़वा लेख बताता है कि भारतीय समाजको सिर्फ गोरोंसे ही टक्कर नहीं लेनी है, उसे गवर्नरसे भी भिड़ना है, जिन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए, किन्तु जो भारतीयोंके विरुद्ध हो गये हैं।

धारासभाके नये सदस्य

लॉर्ड सेल्बोर्नने धारासभाके १५ सदस्योंका चुनाव किया है। उनमें ११ प्रगतिशील तथा ४ हेटफ़ोक हैं। उनके नाम: सर्वश्री एच० क्रॉफ़र्ड, एल० कर्टिस, कर्नल डब्ल्यू० डार्यरिपल, जी० जे० डब्ल्यू० ड्यू'टायट, आर० फीलपम, डब्ल्यू० ग्रांट, मैक्स लेंगरमैन, डब्ल्यू० ए० मार्टिन, टी० ए० आर० पर्चेस, ए० एस० रॉयट, ए० जी० रॉबर्ट्सन, पी० डी० रॉक्स, जे० रॉथ, जे० फानडरबर्ग, ए० [डी० डब्ल्यू०] जुलमेरन्स।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-२-१९०७

३६१. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति — ८

व्यक्तिगत नैतिकता

"मैं जिम्मेदार हूँ," "यह मेरा फर्ज है" — यह विचार मनुष्यको दोलायमान कर देता है और एक विचित्रताका अनुभव कराता है। हमारे कानोंमें सदा एक रहस्यमय आवाजकी प्रतिध्वनि पड़ा करती है! "हे मानव! यह काम तेरा है। हार या जीत तुझे स्वयं ही प्राप्त करनी है। तेरे जैसा दुनियामें तू ही है क्योंकि प्रकृतिने दो समान वस्तुएँ कहीं नहीं बनाई हैं। जो कर्तव्य तुझे सौंपा गया उसे यदि तू नहीं निभाता तो जगतके लेखा-जोखा पत्रकमें उतना नुकसान आता ही रहेगा।"

ऐसा यह कौन-सा फर्ज है जो मुझको ही बजाना है? कोई कहेगा कि :

> "आदमको खुदा मत कहु, आदम खुदा नहीं
> लेकिन खुदाके नूरसे आदम जुदा नहीं।"

और फिर कहेगा कि इस हिसाबसे मैं खुदाका नूर हूँ, यह मानकर मुझे बैठे रहना है। दूसरा कहेगा कि मुझे अपने आसपासके लोगोंसे हमदर्दी और भाईचारा रखना है। तीसरा कहेगा कि मुझे तो अपने माता-पिताकी सेवा करनी है, पत्नी-बच्चोंको सँभालना है, भाई-बहन तथा मित्रके साथ समुचित वर्ताव करना है। किन्तु इन सारे गुणोंको रखते हुए मुझे स्वयं अपने प्रति भी वैसा ही वर्ताव करना है और यह मेरे समग्र कर्तव्यका एक विशेष अंग है। जबतक मैं स्वयं अपनेको ही नहीं पहचानता तबतक मैं दूसरोंको कैसे पहचान सकूंगा? और जिसे मैं पहचानता नहीं उसका सम्मान भी कैसे कर सकूंगा? बहुत लोगोंकी यह मान्यता हो गई है कि मनुष्यको दूसरोंके सम्पर्कमें आकर ठीक तरहसे व्यवहार करना चाहिए। परन्तु जबतक हम इस तरहसे दूसरेके सम्पर्कमें नहीं आते तबतक मनमाने ढंगसे, जैसा अच्छा लगे वैसा, वर्ताव कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा मानता हो वह बिना समझे बोलता है। दुनियामें रहते हुए कोई भी मनुष्य नुकसान किये बिना स्वच्छन्दतापूर्वक नहीं चल सकता।

अब हमें देखना है कि हमारा स्वयं अपने प्रति क्या कर्तव्य है? पहली बात तो यह है कि हमारे एकान्त व्यवहारको हमारे सिवा कोई नहीं जानता। ऐसे व्यवहारका असर हमपर ही होता है, अतः इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। उसका असर दूसरोंपर भी होता है, अतः उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। हरएकको अपनी उमंगोंपर नियंत्रण रखना चाहिए, अपना तन-मन स्वच्छ रखना चाहिए। किसी महापुरुषने कहा है कि मुझे किसी भी मनुष्यके व्यक्तिगत रहन-सहनका परिचय दो और मैं आपको तुरन्त बता दूंगा कि वह मनुष्य कैसा है और कैसा रहेगा। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओंको काबूमें रखना चाहिए। अर्थात्, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए; असंयमपूर्वक बहुत अधिक खाना भी नहीं चाहिए; नहीं तो आखिर शक्तिहीन होकर आबरू गँवानी होगी। जो मनुष्य विषयोंसे दूर रहकर अपने शरीर, मन, बुद्धि और जीवनकी रक्षा नहीं करता वह बाह्य जीवनमें सफल नहीं हो सकता।

इस प्रकार चिन्तन करनेवाला मनुष्य अपनी अन्तर्वृत्तियोंको स्वच्छ रखकर विशेष तौरसे यह विचार करता है कि अब इन वृत्तियोंका उपयोग क्या किया जाये? जीवनमें कुछ तो निश्चित धारणाएँ होनी ही चाहिए। जीवनका लक्ष्य शोधकर यदि हम उस ओर प्रवृत्त न रहेंगे तो बिना पतवारकी नावके समान बीच समुद्रमें गोते खायेंगे। सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य मनुष्यमात्रकी सेवा करना और उसकी स्थिति सुधारनेमें हाथ बँटाना है। इसमें ईश्वरकी सच्ची प्रार्थना, सच्ची पूजाका समावेश हो जाता है। जो मनुष्य खुदाका काम करता है वह खुदाई पुरुष है। खुदाका नाम जपनेवाले कितने ही ढोंगी-पाखण्डी मारे-मारे फिरते हैं। तोता नाम लेना सीख लेता है, इससे उसे कोई खुदाई नहीं कहता। मनुष्यमात्रको समुचित स्थिति प्राप्त हो, ऐसे नियमका प्रत्येक मनुष्य पालन कर सकता है। माँ इसी दृष्टिसे अपने पुत्रका लालन-पालन कर सकती है, वकील इसी धारणासे अपनी वकालत कर सकता है, व्यापारी इसी दृष्टिसे व्यापार कर सकता है और मजदूर इसी आशासे मजदूरी कर सकता है। इस नियमका पालन करनेवाला मनुष्य कभी नीतिधर्मसे विचलित नहीं होता, क्योंकि इससे विचलित होकर मनुष्य-समाजका उत्कर्ष करनेकी धारणा सफल नहीं हो सकती।

हम अब सिलसिलेवार विचार करें। हमें यह निरन्तर देखना होता है कि हमारा रहन-सहन सुधारनेवाला है या बिगाड़नेवाला। व्यापार करनेवाला व्यापारी प्रत्येक सौदेके समय सोचेगा कि वह स्वयं ठगाता तो नहीं या दूसरेको ठगता तो नहीं? यही ध्येय सामने रखकर वकील और वैद्य अपनी कमाईके बदले अपने मुवक्किल या रोगीके हितमें पहले सोचेगा। माँ बच्चेका पालन-पोषण करते हुए सदा सतर्क रहेगी कि कहीं गलत लाड़ या अपने दूसरे स्वार्थके कारण बच्चा बिगड़ न जाये। इन विचारोंवाला मजदूर भी अपने कर्तव्यका खयाल रखकर मजदूरी करेगा। इस सबका सारांश यह निकलता है कि यदि मजदूर अपने कर्तव्यका पालन नैतिकतापूर्वक करता है तो स्वच्छन्द चलनेवाले धनाढ्य व्यापारी, वैद्य या वकीलसे वह कहीं अच्छा माना जायेगा। ऐसा मजदूर खरा सिक्का है और उपर्युक्त दूसरे स्वार्थी लोग अधिक होशियार या धनवान होते हुए भी खोटे सिक्केके समान हैं। अतः हम यह भी देखते हैं कि उपर्युक्त नियमका पालन करनेमें हर मनुष्य — भले ही वह किसी दर्जेका हो — समर्थ है। मनुष्यका मूल्य उसके रहन-सहनके तरीकेपर निर्भर है, उसके पदपर नहीं। इस रहन-सहनकी परीक्षा उसके बाह्य जीवनसे नहीं होती। वह तो उसकी अन्तर्वृत्तिको जानकर ही की जा सकती है। कोई मनुष्य किसी गरीबसे अपना पिण्ड छुड़ानेके लिए उसे एक डॉलर देता है और दूसरा उसपर दया करके स्नेहपूर्वक आधा डॉलर देता है। इनमें आधा डॉलर देनेवाला मनुष्य वास्तविक रूपमें नैतिक है और पूरा डॉलर देनेवाला पापी है।

तो इस सबका मतलब यह हुआ कि जो मनुष्य स्वयं शुद्ध है, द्वेषरहित है, किसीसे गलत लाभ नहीं उठाता, हमेशा पवित्र मनसे व्यवहार करता है, वही मनुष्य धार्मिक है, वही सुखी है और वही धनवान है। ऐसे लोग ही मानव-जातिकी सेवा कर सकते हैं। दियासलाईमें ही यदि अग्नि न हो तो वह दूसरी लकड़ियोंको कैसे सुलगा सकेगी? जो मनुष्य स्वयं ही नीतिका पालन नहीं करता वह दूसरोंको क्या सिखायेगा? जो स्वयं डूब रहा है वह दूसरेको कैसे बचा सकेगा? नैतिकताका आचरण करनेवाला मनुष्य कभी यह सवाल ही नहीं उठाता कि दुनियाकी सेवा किस प्रकार की जाये, क्योंकि यह सवाल ही उसके

मनमें नहीं उठता। मैथ्यू आर्नल्डने कहा है: "एक समय था जब मैं अपने मित्रके लिए स्वास्थ्य, विजय और कीर्तिकी कामना किया करता था। पर अब वैसा नहीं करता। क्योंकि मेरे मित्रका सुख-दुख, स्वास्थ्य, विजय और कीर्तिपर अवलम्बित नहीं है। अतः अब हमेशा मेरी यह कामना रहती है कि उसकी नैतिकता सदा अचल रहे।[1]" इमर्सन कहता है, भले आदमीका दुःख भी उसका सुख है, और बुरे आदमीका धन और कीर्ति दोनों ही उसके और दुनियाके लिए दुःख-रूप हैं।

उपर्युक्त विषयसे सम्बन्धित कविता

गर बादशाह होकर अमल
मुल्कों फिरा तो क्या हुआ
दो दिन का नरसिंगा बजा
भूं-भूं हुआ तो क्या हुआ।
गुल-शोर मुल्को मालका
कोसों हुआ तो क्या हुआ
या हो फकीर आजादके
रंगो हुआ तो क्या हुआ।
गर यूं हुआ तो क्या हुआ
और वूं हुआ तो क्या हुआ। १

दो दिन तो यह चर्चा हुआ
घोड़ा मिला हाथी मिला।
बैठा अगर हौदे उपर
या पालकीमें जा चढ़ा।
आगे को नक्कारे निशां
पीछेको फौजोंका परा
देखा तो फिर एक आन में
हाथी न घोड़ा, न गधा।
गर यूं हुआ तो क्या हुआ
और वूं हुआ तो क्या हुआ? २

अब देख किसको शाद हो,
और किस पे आंखें नम करें?
यह दिल बिचारा एक है
किस-किसका अब मातम करें?
या दिल को रोवें बैठकर
या दरदो दुःखको कम करें
यांका यही तूफान है
अब किसकी जूती गम करे।
गर यूं हुआ तो क्या हुआ
और वूं हुआ तो क्या हुआ। ३

गर तू 'नजीर' अब मर्द है
तो जालमें भी शाद हो,
दस्तारमें भी हो खुशी
रुमालमें भी शाद हो।
आजादगी भी देख ले,
जंजालमें भी शाद हो।
इस हालमें भी शाद हो,
उस हालमें भी शाद हो।
गर यूं हुआ तो क्या हुआ,
और वूं हुआ तो क्या हुआ? ४

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-२-१९०७

१. I saw him sensitive in frame,
I knew his spirits low,
And wished him health, success and fame—
I do not wish it now.
For these are all their own reward,
And leave no good behind:
They try us—oftenest make us hard,
Less modest, pure, and kind.

३६२. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[फरवरी २६, १९०७]

अनुमतिपत्रोंकी सूचना

यहाँके सरकारी 'गज़ट' में सूचना प्रकाशित हुई है कि ऐसे भारतीयोंको, जो ट्रान्सवालमें हों, और यह सिद्ध कर सकें कि वे सन् १८९९ में ट्रान्सवालमें थे और लड़ाईके समय या उसके ऐन पहले लड़ाईके कारण ट्रान्सवाल छोड़कर बाहर चले गये थे, ३१ मार्चके पहले अर्जी देनेपर अनुमतिपत्र दे दिया जायेगा। इसके बाद जिसके पास अनुमतिपत्र नहीं होगा उसपर मुकदमा चलाया जायेगा। इस सूचनाका अर्थ यह हुआ कि जिन लोगोंके पास पुराने पंजीयनपत्र हों और वे अभी ट्रान्सवालमें रह रहे हों, अथवा जिनके पास दूसरे साधन तो हों लेकिन पीला अनुमतिपत्र न हो, उन्हें ३१ मार्च तक अनुमतिपत्र ले लेना चाहिए।

फ्रीडडॉर्प अध्यादेश

फ्रीडडॉर्प अध्यादेशके सम्बन्धमें दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिके एक सदस्यने लोकसभामें प्रश्न किया था। उसका श्री विंस्टन चर्चिलने उत्तर दिया है कि उस सम्बन्धमें भारतीयोंको मुआवजा दिलवानेके लिए लॉर्ड सेल्बोर्नसे बातचीत हो रही है। इससे मालूम होता है कि श्री रिच समितिका काम जोरोंसे कर रहे हैं और उनके कामका असर मालूम होने लगा है। इस तारके कारण यहाँ ब्रिटिश भारतीय संघकी बैठक हुई थी। उसमें यह निर्णय किया गया कि फ्रीडडॉर्पके सम्बन्धमें फोटोके साथ 'इंडियन ओपिनियन' का परिशिष्ट निकाला जाये और उस सम्बन्धमें तार भेजा जाये। इस निर्णयके आधारपर समितिने लम्बा तार भेजा है[1]। उसका सारांश यह है कि भारतीयोंके पास उस बस्तीमें जमीन, मकान, सामान और उधारी कुल मिलाकर १९,००० पौंड तक की जायदाद है; और उसमें ७५ के करीब भारतीय रहते हैं।

एशियाई भोजनगृह

इस सम्बन्धमें जोहानिसबर्ग नगर-परिषदकी ओरसे पत्र आया है कि उन्होंने जो वार्षिक दर निश्चित की है उसमें बिलकुल कमी नहीं की जायेगी। इसपर संघने फिर पत्र लिखा है।

रेलकी असुविधा

श्री कुवाड़ियाको सवारी गाड़ीमें प्रिटोरिया नहीं जाने दिया गया और श्री जेम्स नामक भारतीयका जर्मिस्टन आते हुए एक कंडक्टरने अपमान किया। इस सम्बन्धमें मुख्य प्रवन्धकको पत्र लिखा गया है। उसकी ओरसे उत्तर मिला है कि इसकी जाँच की जा रही है।

१. देखिए "तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको", पृष्ठ ३५३

नया चुनाव

पिछले सप्ताहमें ४८ नाम दे चुका हूँ; शेष २१ नाम नीचे दिये जा रहे हैं:

पार्कटाउन — कर्नल सैम्सन (प्र०); न्यूटाउन — आर० गोल्डमैन (स्व०); ट्रिफ़ान्टीन — ए० फ० वेयर्स (हे० फो०); वारवर्टन — आर० के० लवडे (स्व०); कैरोलीना — वेन आरडट (हे० फो०); अरमेलो — कॉलिन्स (हे० फो०); रूडेकोपेन — वेजवुड्डन हाउट (हे० फो०); लीडेनवर्ग — सी० टी० रैवी (हे० फो०); मेरी, कोएल और लोमर (हे० फो०); मिडिलवर्ग — क्लेरको (हे० फो०); डी'वेट (हे० फो०); प्रिटोरिया — जे० रिसिक (हे० फो०); डी० इरेस्मस (हे० फो०); स्टैंडर्टन — जनरल बोथा (हे० फो०); वेथौल — ग्राबलर (हे० फो०); फोक्सरस्ट — जे० ए० जुबर्स (हे० फो०); वॉटरवर्ग — एफ० वेयर्स (हे० फो०); डी' वाल (हे० फो०); ब्लूमहॉफ — आई० फरेरा (हे० फो०); जूटपांसवर्ग — मनीक (हे० फो०), और ए० मॉन्ट्स। इस प्रकार कुल ६९ में २१ प्रगतिशील, ३५ हेटफोक, ७ राष्ट्रवादी, ३ मजदूरदलीय और ३ स्वतंत्र चुने गये हैं।

चुनावकी धूमधाम समाप्त हो गई है। जो परिणाम निकला है उसकी किसीको कल्पना नहीं थी। डच लोगोंको इतना बड़ा बहुमत मिला है कि वे सभी विरोधी पक्षोंके एक हो जानेपर भी उन्हें हरा सकते हैं। अधिकसे-अधिक यह आशा थी कि डच और राष्ट्रवादी दल दोनोंका मिलकर बहुमत होगा। अर्थात् डच लोगोंने लड़ाईमें जो खोया है वह वैधानिक रीतिसे वापस पा लिया है। सर रिचर्ड सॉलोमनकी प्रिटोरियामें हार हुई है। इसलिए बहुत गड़-बड़ी मची हुई है। सर रिचर्ड अब प्रधानमन्त्री तो बन ही नहीं सकते। लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है कि कोई निर्वाचित सदस्य अपनी जगह खाली करके वहाँ सर रिचर्डको चुनावका मौका देगा। यह हो जानेके बाद सम्भव है सर रिचर्ड न्यायमन्त्री बन सकेंगे। जनरल बोथाके प्रधानमन्त्री बननेकी सम्भावना है। यानी वे तो लगभग राष्ट्रपति हो गये। डच इस स्थितिसे बहुत खुश हो रहे हैं। इसमें हमारे लिए न बहुत खुश होने की बात है, न बहुत नाराज होने की। फिर भी यह माना जा सकता है कि डच लोग भारतीय समाजके साथ कुछ-न-कुछ न्याय करेंगे। उनके कुछ सदस्य भारतीय समाजको अच्छी तरह जानते हैं। वे एकदम अन्याय करें, ऐसा नहीं जान पड़ता। यह मैं मंगलवार तारीख २६ को लिख रहा हूँ। लेकिन 'इंडियन ओपिनियन' के प्रकाशित होनेके पूर्व ही मन्त्रिमण्डल बन जाये तो आश्चर्य नहीं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-३-१९०७

३६३. पत्र: छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
फरवरी २६, १९०७

चि० छगनलाल,

मैं अलग पैकेटमें हमीदिया अंजुमनकी पुस्तक छापनेके लिए भेज रहा हूँ। पुस्तक उसी छपी हुई रिपोर्टके आकारकी होगी, जिसे मैं तुम्हारे पास सामग्रीके साथ भेज रहा हूँ। गुजराती नियमों और उनके अंग्रेजी अनुवादके साथ, जो दोनों तुम्हारे पास पहले भेजे जा चुके हैं, तुम्हें साथ-वन्द गुजराती सामग्री भी छापनी है। जो गुजराती सामग्री अब भेज रहा हूँ उसे अंग्रेजीमें भी करना है और छापना है। मुझे पूरी सामग्रीकी ५०० प्रतियोंकी छपाईका खर्च लिख भेजो। अनुवादका खर्च जोड़नेकी जरूरत नहीं है। यह भी बताओ कि पूरा काम अन्दाजन कितने पृष्ठोंमें आयेगा। यह बृहस्पतिको तुम्हारे हाथमें पहुँच जायेगा। यदि तुम मुझे १ शिलिंगमें तार भेज सको तो तारसे छपाईका खर्च बता दो। क्योंकि, आगामी सप्ताहमें मेरे वहाँ आनेकी सम्भावना है और मुझे इस बातकी चिन्ता है कि मेरे यहाँ रहते उसके छापने या लौटानेका आदेश मिल जाये। खर्चका प्रश्न मैंने स्वयं उठाया है, क्योंकि मुझे लगा कि यह काम जरा भारी है और यदि उनके पास ऐसा देयक (बिल) भेजा गया जो उन्हें बहुत बड़ा प्रतीत हो तो उन्हें असन्तोष हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले उन्हें सही स्थितिका पता लग जाये। नियमोंका गुजराती प्रूफ मुझे मिला है। उसे मैं उसी पैकेटमें भेज रहा हूँ। तुम्हें छपाई आरम्भ करनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि प्रत्येक बात हमारी शर्तोंकी स्वीकृतिपर निर्भर करेगी। गुजराती सामग्रीको फिलहाल तुम्हें अपने पास रखना चाहिए; क्योंकि यदि हमारी शर्तें स्वीकृत हुईं तो वहाँ आनेपर मैं उसका अनुवाद कर सकूँगा।

'इंडियन ओपिनियन' के लिए मैं कुछ और सामग्री भेज रहा हूँ। तुमने मेरे पास एवेरी कम्पनीके कामका प्रूफ भेजा था। मैं इसे वापस कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी निगाह अंग्रेजी भागमें बड़ी भूलोंपर नहीं गई। मुझे तुम्हें तार भेजना पड़ा।

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मो० क० गांधी

[संलग्न]

[पुनश्च:]

उपनिवेशियोंवाले जिस लेखका अनुवाद करनेको मैंने लिखा था उसे गुजरातीमें देते हुए हम कह सकते हैं कि ये विचार हमारे हैं।

मेरे पत्रोंमें निशान लगानेकी जरूरत नहीं है। मदरसेका पैसा दूसरी जगह चढ़ा हुआ था। अब जमा बता दिया गया है। वह रकम और अब जो रकम मिली है, दोनों भरपाईमें हैं। लालभाईका पत्र कल ही मिला। कल्याणदासने कस्टम्स-नोट नहीं भेजा था[1]।

गांधीजी द्वारा हस्ताक्षरित टाइप किये हुए मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० ४७१०) से।

१. ये दो अनुच्छेद गुजरातीमें गांधीजीके स्वाक्षरोंमें हैं।

३६४. गोगाका परवाना

इस परवानेकी अपीलसे कई विचार उठते हैं। श्री गोगा जीत गये, इसलिए उन्हें बधाई देनी चाहिए। भारतीय समाजको भी हर्ष होना चाहिए। 'नेटाल मर्क्युरी' ने इस सम्बन्धमें कड़ी टीका की है। वह हमारे लिए लाभप्रद है। इसी प्रकार 'टाइम्स ऑफ नेटाल' ने भी लिखा है। यहाँकी सरकार भी हमारी सहायता करती है। किन्तु इससे क्या? श्री गोगाको कितना खर्च उठाना पड़ा, जिसके बाद उनका साधारण अधिकार बहाल रहा? उन्हें तीन वकील रखने पड़े, और वे भी नेटालमें ऊँचे माने जानेवाले।[1] अत्यधिक चिन्ताके बाद उन्हें परवाना मिला। नगर-परिषदने जो परवाना दिया वह न्यायबुद्धिसे नहीं, किन्तु केवल डरके कारण। क्योंकि श्री गोगाके परवानेका मुकदमा पूरा हुआ कि तुरन्त एक गरीब भारतीय बेनीपर मुकदमा चला। उसके परवानेके बारेमें भी बहीखाते सम्बन्धी आपत्ति थी, फिर भी उसको परवाना देनेसे इनकार किया गया। क्योंकि, बेनी न कोई तीन वकील रख सकता था, न आगे बढ़ सकता था। इसलिए उसे परवाना नहीं मिला। इसका अर्थ यह हुआ कि धनवान अपने परवाने बचा पायेगा।[2] परन्तु, यदि गरीब मर जायें तो धनिक कितने समय टिक पायेंगे? धनवान भारतीय गरीब भारतीय व्यापारियोंपर निर्भर हैं। इस समय समूचे उपनिवेशमें इस विषयकी चर्चा हो रही है। व्यापार संघ हमारे पक्षमें काम करना चाहता है। इसलिए ऐसा सम्भव है कि हमारी ओरसे यदि पूरी तरह लड़ाई लड़ी गई तो हम कानूनमें परिवर्तन करवा सकेंगे।

इस विचारसे अंग्रेजी विभागमें[3] हमने कुछ सुझाव तटस्थ रूपसे दिये हैं। उस तरीकेसे सारे उपनिवेशमें हमें हो-हल्ला कर देनेकी आवश्यकता है। कांग्रेस बड़ा परिश्रम कर रही है। उसे और भी जोर लगाकर चेम्बरोंसे मिलना चाहिए, और दूसरे गोरों तथा संसदके मुख्य सदस्योंसे मिलकर इस समस्याको हल करना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-३-१९०७

१. श्री गोगाके प्रमुख सलाहकार प्रसिद्ध वकील और विधायक श्री के० सी० टाथम, थे। विक्रेता-परवाना अधिनियमका मसविदा तैयार करनेमें उनका भी हाथ था। नेटालके जुलू विद्रोहको दबानेमें उन्होंने विशेष रूपसे भाग लिया था। इस मुकदमेमें बहस करते हुए उन्होंने कहा कि "एक भारतीयको भी न्याय और समान व्यवहार पानेका अधिकार है।"

२. सुनवाईके समय ज्ञात हुआ कि मुकदमेके खर्चेके अतिरिक्त श्री रसेल नामक एक भूतपूर्व सहायकने श्री गोगाको परवाना दिलानेका भरोसा देकर उनसे ५० पौंड ऐंठ लिये थे।

३. देखिए "महँगा न्याय", इंडियन ओपिनियन, २-३-१९०७।

३६५. केपका प्रवासी कानून

केपमें नया प्रवासी कानून बन चुका है। हमारी रायमें वह नेटालके कानूनकी अपेक्षा बहुत बुरा है। फिलहाल हम उसका सबसे बुरा हिस्सा यहाँ दे रहे हैं। अंग्रेजी न जाननेवाला भारतीय केपका निवासी हो तो भी यदि वह केप छोड़नेकी अनुमति लेकर बाहर न जाये, तो वह लौटकर नहीं आ सकेगा। यानी अंग्रेजी न जाननेवाले भारतीयको प्रत्येक बार पास निकलवाना होगा। उसका शुल्क १ पौंड देना होगा। यह पास हमेशाके लिए नहीं, बल्कि अमुक अवधिके ही लिए मिलेगा। यानी स्थायी परवाना नहीं मिल सकता। फिर, जिस राजपत्रमें यह विधेयक प्रकाशित हुआ है उसमें बताया गया है कि जिस व्यक्तिको उपर्युक्त परवाना चाहिए उसे अपना फोटो और हुलिया देना होगा। परवाना तो लेना ही होगा। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि परवाना लेना कानूनका अंग है और उस कानूनको लॉर्ड एलगिनकी स्वीकृति मिल चुकी है। फोटोवाली बात गवर्नरके हाथ है। वह एक स्थानीय नियम है। उसमें हर समय परिवर्तन हो सकता है। हमारी राय है कि फोटोके सम्बन्धमें केपके नेताओंको तुरन्त लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने यही भूल की कि विधेयक स्वीकृत होने दिया, परन्तु अब यदि फोटोकी बात रह गई तो हम उसे भारी अपराध समझेंगे। केपमें यदि परिपाटी स्थापित हो गई तो उसके छींटे सब जगह उड़ेंगे और उसके कारण धर्म-भावनाको ठेस पहुँचेगी। आशा है, केपके नेता इस सम्बन्धमें ढील नहीं करेंगे। उपर्युक्त कानूनके मुख्य भागका अनुवाद हमने अन्यत्र दिया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-३-१९०७

३६६. 'मर्क्युरी' और भारतीय व्यापारी

'नेटाल मर्क्युरी' ने अपने २१ फरवरीके अंकमें भारतीय व्यापारियोंके बारेमें जो टीका[1] की है वह जानने और समझने योग्य है। उसने भारतीय व्यापारियोंका पक्ष लिया है और लेडीस्मिथ निकायको फटकारा है। किन्तु यह भी कहा है कि हमें व्यापार-रूपी नौका हर तरहकी चट्टानोंसे बचाकर चलानी है। उसमें कहा गया है कि मैरित्सबर्गके व्यापारियोंको परवाना मिल गया है, इसे वे सौभाग्य समझें। उन्होंने सूचना प्राप्त हो जानेके बावजूद बहीखाते ठीक नहीं रखे थे। दुबारा सूचना मिलनेपर रखे। दूसरी बार सूचना देनेके लिए परिषदपर

१. नेटाल मर्क्युरीने सुझाव दिया था कि यदि अधिकांश यूरोपीय भारतीय व्यापारियोंको पसन्द नहीं करते तो उन्हें भारतीयोंका बहिष्कार करना चाहिए। उसने लिखा: "....भारतीय अपनी अचल सम्पत्ति तभी बढ़ा सकते हैं जब यूरोपीय भू-स्वामी और मकान मालिक अपनी जमीन-जायदाद उनके हाथ बेचनेके इच्छुक हों। एशियाई व्यापारके इस वर्तमान विस्तारका कारण यह है कि यूरोपीयोंने उन्हें व्यापार करनेके परवाने दिये हैं और उन्हें एशियाइयोंसे सम्बन्ध रखना अपने लिए लाभदायक जान पड़ता है।"

बन्धन नहीं था। फिर भी दया करके मजदूर पक्षके लोगोंकी परवाह नहीं की गई और परवाना दिया गया। ऐसा वक्त फिर नहीं आयेगा, यह हमें याद रखना है। गोरोंकी ओरसे इस प्रकार परवाना दिये जानेका विरोध किया जा चुका है। इस वर्षका भय तो गया। किन्तु इसी प्रकार यदि हर बार होगा तो लोगोंके परवाने रद किये जायेंगे और ऐसे लापरवाह व्यक्तियोंकी कांग्रेस भी मदद नहीं कर सकेगी। इस बातको याद रखकर प्रत्येक भारतीयको बहीखाते ठीक तरहसे रखने चाहिए, और घर और दूकान साफ रखनेकी ओर पूरा ध्यान देना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २–३–१९०७

३६७. दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति

यह समिति बहुत अच्छा काम कर रही है, यह हमें अभीके दो तारोंसे मालूम हो सकता है। एक तारमें तो लेडीस्मिथके सम्बन्धमें समिति द्वारा की गई कार्रवाईका समाचार है और बताया गया है कि उसके परिणामस्वरूप लॉर्ड एलगिनने बहुत लिखा-पढ़ी की है। लेडी-स्मिथमें एक वर्ष बाद परवाना न देनेकी सूचना दी गई थी। उसे सार्वजनिक रूपसे वापस लेना पड़ा है। दूसरे, फ्रीडडॉर्प अध्यादेश पास हो गया है। फिर भी भारतीय अधिवासियोंको हरजाना दिलानेके लिए सरकार लॉर्ड सेल्बोर्नसे पत्र-व्यवहार कर रही है। इनसे और श्री रिचके हर हफ्ते जो पत्र प्रकाशित किये जाते हैं उनसे हम समझ सकते हैं कि दक्षिण आफ्रिकी समिति बन जानेसे हमें बहुत लाभ होनेकी सम्भावना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २–३–१९०७

३६८. फ्रीडडॉर्प अध्यादेश

इस अध्यादेशके विषयमें हम इस बार कुछ फोटो प्रकाशित कर रहे हैं। उनसे मालूम होगा कि श्री चर्चिलने जिन्हें झोंपड़ा माना है वे झोंपड़े नहीं, बल्कि बढ़िया मकान हैं। यह परिशिष्ट प्रकाशित करनेकी आवश्यकता थी, क्योंकि इसके द्वारा हम लॉर्ड एलगिनको बता सकते हैं कि उन्हें यहांसे जो समाचार भेजे जाते हैं वे सब सही न मान लिये जायें। इनमें भी विशेषतः जब वे समाचार भारतीयोंके सम्बन्धमें हों, तब तो क्वचित् ही सही होंगे। क्योंकि हमारे प्रति जितना तिरस्कार गोरोंको है उतना ही प्रायः गोरे अधिकारी भी रखते दिखाई देते हैं। लॉर्ड सेल्बोर्नको यह जानकारी नहीं होगी कि फ्रीडडॉर्पके भारतीयोंके घर कैसे हैं। इसलिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। परन्तु बिगाड़नेवाले तो नीचेके अधिकारी हैं।

हम इस अंकमें एक तालिका दे रहे हैं। उससे पता चलेगा कि फ्रीडडॉर्पमें भारतीय समाजको कुल मिलाकर लगभग १९,००० पौंडकी हानि उठानी पड़ेगी। इस क्षतिपूर्तिके लिए लन्दनमें कारंवाई चल रही है। उसमें इस तालिकासे बड़ी सहायता मिलेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २–३–१९०७

३६९. केपका नया प्रवासी कानून

फरवरी १५ के केपके सरकारी 'गज़ट' में नया प्रवासी कानून प्रकाशित हुआ है। उसमें से भारतीयोंसे सम्बन्धित उपधाराओंका अनुवाद निम्नानुसार है।

प्रतिबन्धित प्रवासी

जिन लोगोंपर निम्न उपधाराएँ लागू होती होंगी उन्हें "प्रतिबन्धित प्रवासी" समझकर प्रवेश करनेसे रोक दिया जायेगा: (१) ऐसा व्यक्ति जो अल्प शिक्षाके कारण यूरोपकी किसी भी भाषामें अर्जी लिखकर एवं उसपर हस्ताक्षर करके [प्रवासी] अधिकारीको सन्तुष्ट न कर सके; (२) जिसके पास निर्वाहके साधन न दिखाई पड़ते हों; (३) जो खून, लूट, चोरी, षड्यंत्र आदि अपराधोंके कारण अवांछनीय हो; तथा (४) जो पागल हो गया हो।

उपर्युक्त उपधाराएँ निम्न प्रवासियोंपर लागू नहीं होंगी: (१) जिसने [सम्राट्की] स्वयंसेवक टुकड़ीमें सन्तोषजनक रीतिसे काम किया हो; (२) उपनिवेशमें बसनेकी अनुमति पाये हुए व्यक्तिकी पत्नी या उसका १६ वर्षसे कम उम्रका बच्चा; (३) दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे हुए सभी लोग, तथा अधिवासी गोरे; (४) वे एशियाई जिन्होंने उपनिवेशमें कानूनन अधिवास प्राप्त करनेके बाद अनुमतिपत्र लिये हों और उनकी शर्तोंके अनुसार वापस आये हों।

उतरते समयकी जाँच

उपनिवेशमें किसी भी बन्दरगाहपर उतरनेवाले व्यक्तिको अधिकारीको यह सन्तोष कराना होगा कि वह प्रतिबन्धित प्रवासी नहीं है, और उसपर उपर्युक्त उपधाराएँ लागू नहीं होतीं। इस धाराके अनुसार सोलह वर्ष तक के बच्चे या पतिके साथ प्रवास करनेवाली पत्नीको छोड़कर शेष यात्रियोंको एक छपा हुआ फार्म भरना होगा। जो व्यक्ति यह फार्म नहीं भरेगा या जो भरनेके बाद भी [प्रतिबन्धित] प्रवासी जान पड़ेगा उसे रोका जा सकेगा।

किन्तु फिर भी यदि वह उपर्युक्त हक साबित करना चाहे तो उसे उसकी स्वतंत्रता एवं यथासम्भव सुविधाएँ दी जायेंगी।

मीयादी अनुमतिपत्र

जहाज बदलनेके लिए उपनिवेशसे होकर जानेके लिए या किसी आवश्यक कारणसे कुछ समय रुकना हो तो एक पौंड शुल्क देने तथा जमानतके रूपमें थोड़ी-सी रकम अमानत जमा करनेपर मीयादी अनुमतिपत्र मिल सकेगा। मीयादके अन्दर लौटनेवालेको अमानत रकम वापस की जायेगी। किन्तु मीयाद बीत जानेके बाद रकम जब्त कर ली जायेगी और उस

व्यक्तिको गिरफ्तार करके उसपर मुकदमा चलाया जा सकेगा। गलत या जाली पता देनेवालेका अनुमतिपत्र छीनकर उसपर मुकदमा चलाया जा सकेगा। प्रधान प्रवासी-अधिकारी २१ दिनका और उस विभागका मन्त्री तीन महीनेका मीयादी अनुमतिपत्र दे सकेगा।

अनुमतिपत्रपर फोटो

उपनिवेशमें कानूनी तौरसे निवास करनेवाले एशियाईको अनुमतिपत्र मिल सकेगा। उसमें बाहर रहनेकी अवधि और लौटनेपर उतरनेका बन्दरस्थान आदि बताया जायेगा। इसके लिए १ पौंड शुल्क लिया जायेगा तथा प्रत्येक अनुमतिपत्रपर उसके मालिकका फोटो और दूसरी आवश्यक शिनाख्त तथा जानकारी लिखी जायेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २–३–१९०७

३७०. अलीगढ़ कॉलेजमें महामहिम अमीर हबीबुल्ला

जनवरी १६ को महामहिम अमीर अलीगढ़ कॉलेजमें गये थे। उस अवसरपर उनका बहुत ही सम्मान किया गया। उस समय उन्होंने अलीगढ़ कालेजके विद्यार्थियोंके समक्ष जो भाषण दिया उसका अनुवाद हम 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से दे रहे हैं।

शिया और सुन्नी

आप लोग युवक हैं। मेरे शब्द सुनिएगा। लोगोंने आपसे कहा होगा कि अमीर तो धर्मान्ध सुन्नी है। परन्तु मैं सुन्नी हूँ, इसलिए क्या मुझे धर्मान्ध होना चाहिए? मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। आप लोगोंमें जो शिया हैं वे क्या सुन्नीके मुकाबले हिन्दूको विशेष समझेंगे? कभी नहीं। तब क्यों आप यह मानें कि चूँकि मैं सुन्नी हूँ, इसलिए शियाके मुकाबले हिन्दूको अधिक पसन्द करूँगा? कभी नहीं। आपने समाचारपत्रोंमें देखा होगा कि हिन्दुओंकी भावनाको ठेस न पहुँचे, इसलिए बकरीदके दिन मैंने दिल्लीमें गायें मारना रोक दिया। यदि मैं हिन्दुओंके प्रति इतनी ममता रखता हूँ तो आप यह समझते हैं कि शियासे कम रखूँगा? आप लोगोंसे मेरा निवेदन है कि आजसे आप यह न मानें कि मैं एक धर्मान्ध सुन्नी हूँ। अफगानिस्तानमें मेरी प्रजामें सुन्नी, शिया, हिन्दू और यहूदी हैं। उन सबको मैंने धर्मकी पूरी स्वतंत्रता दी है। क्या इसे आप धर्मान्धता कहेंगे? किन्तु मुझे इतना तो कहना चाहिए कि मैं शियाओंको तीन खलीफाओंका तिरस्कार करनेकी अनुमति हरगिज नहीं दे सकता। यदि वे तिरस्कार करें और तब मैं हस्तक्षेप करूँ इसको यदि कोई धर्मान्धता माने तो मैं धर्मान्ध हूँ।

शिक्षा

बहुतेरे लोगोंने अलीगढ़ कॉलेजके खिलाफ कहा है। इसलिए मैं स्वयं देखने आया हूँ कि वास्तविक स्थिति क्या है। भारत सरकारने मुसलमानोंको मुझे मिलनेके लिए इतने बड़े सम्मेलनके रूपमें इकट्ठा होने दिया और मुझे आपके समक्ष बोलनेका अवसर दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आज मैंने अलीगढ़ कॉलेजके विद्यार्थियोंका निरीक्षण किया और धर्मके सम्बन्धमें उनमें पर्याप्त ज्ञान देखा तो मुझे प्रसन्नता हुई। इनमें जो लोग कॉलेजके खिलाफ बातें किया करते थे उनके मुँह मैं स्वयं बन्द कर दूँगा।

पश्चिमी शिक्षा

मैं कदापि ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि आप लोग पश्चिमी शिक्षा न लें, बल्कि मैं तो बार-बार सिफारिश करूँगा कि आप लोगोंको भरसक परिश्रम करके पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। किन्तु उसके साथ आप लोगोंको इस्लाम धर्मकी शिक्षा पहले लेनी चाहिए। मैंने अफगानिस्तानमें हबीबिया कॉलेज खोला है। वहाँ मैंने पश्चिमी शिक्षा देनेकी छूट दी है, जिससे वहाँके विद्यार्थी पूर्ण रूपसे मुसलमान बनें। मैंने आज जिन विद्यार्थियोंसे बातचीत की, उन्हें धर्म-ज्ञानकी दृष्टिसे परिपूर्ण पाया।

कॉलेजको दान

मुझे खेद है कि मेरे राज्यमें मुझे शिक्षापर अधिक व्यय करना पड़ता है, इसलिए मैं अलीगढ़ कॉलेजको, जितनी चाहिए, उतनी सहायता नहीं दे सकता। फिलहाल तो मैं कॉलेजको प्रति मास ५०० रुपये दूंगा। मेरी सिफारिश है कि आज जिनसे मैंने बातचीत की है उन्हें आप देश-विदेशकी यात्रा कराएँ। आगे चलकर वे लोग सफल सिद्ध होंगे। प्रति मास ५०० रुपयेके अतिरिक्त मैं इसी समय कॉलेजको २०,००० रुपये देता हूँ।

ग्वालियरका आतिथ्य

अलीगढ़ कॉलेजमें सम्मान प्राप्त करनेके बाद महामहिम अमीर ग्वालियरके महाराजाके यहाँ अतिथि हुए। उनको महाराजा सिन्धियाके महलमें ठहराया गया था, और ग्वालियरमें उनका बड़ी धूम-धामके साथ स्वागत किया गया था।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २–३–१९०७

३७१. तार: एशियाई पंजीयकको

[जोहानिसबर्ग
मार्च २, १९०७]

एशियाई पंजीयक
प्रिटोरिया

रस्टनबर्ग भारतीयों द्वारा संघको प्राप्त सूचनानुसार पुलिस उनकी अँगुलियोंके निशान ले रही है और अनुमतिपत्र जाँच रही है। संघ को अनुमतिपत्रोंकी जाँचपर आपत्ति नहीं तथापि वह नम्रतापूर्वक अँगुलियोंकी छाप लेनेका विरोध करता है। रस्टनबर्गकी सूचना ठीक हो तो संघ छाप लेनेके कारण बताने और यह प्रथा बन्द करनेके आश्वासनकी प्रार्थना करता है।

[बिआस][1]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९–३–१९०७

१. ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन (ब्रिटिश भारतीय संघ) का तारका नाम।

३७२. पत्र : एशियाई पंजीयकको[1]

[जोहानिसबर्ग
मार्च ४, १९०७ के पूर्व]

[सेवामें]
एशियाई पंजीयक
प्रिटोरिया

महोदय,

इसी तारीख २ शनिवारको आपकी सेवामें निम्नलिखित तार भेजा था :

रस्टनबर्ग भारतीयों द्वारा संघको प्राप्त सूचनानुसार पुलिस उनकी अँगुलियोंके निशान ले रही है और अनुमतिपत्र जाँच रही है। संघको अनुमतिपत्रोंकी जाँचपर आपत्ति नहीं तथापि वह नम्रतापूर्वक अँगुलियोंकी छाप लेनेका विरोध करता है। रस्टनबर्गकी सूचना ठीक हो तो संघ छाप लेनेके कारण बताने और यह प्रथा बन्द करनेके आश्वासनकी प्रार्थना करता है।

इसके बाद मेरे संघको विदित हुआ है कि ट्रान्सवालमें दूसरे स्थानोंपर भी अँगुलियोंके निशान लिए गये हैं। अतः मैं शीघ्र ही उक्त तारका उत्तर देनेकी प्रार्थना करता हूँ।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, ९-३-१९०७

३७३. तार : एशियाई पंजीयकको

[जोहानिसबर्ग
मार्च ५, १९०७]

सेवामें
एशियाई पंजीयक
उपनिवेश-कार्यालय
प्रिटोरिया

आपका तार ६७[2] आज मिला। संघ लॉर्ड मिलनरके साथ हुए समझौतेके मुताबिक चलनेको उत्सुक और अधिकारियोंको हर तरह मदद देनेको इच्छुक।

१. यह पत्र 'हमारे जोहानिसबर्ग संवाददाता द्वारा'—के हवालेसे प्रकाशित हुआ था।

२. एशियाई पंजीयकने ४ मार्चके पत्रकी पहुँच देते हुए पूछा था, "आपकी आपत्ति (उक्त सिद्धान्त शीर्षक), अँगूठे या किसी भी अँगुलीकी छाप लेनेपर है अथवा केवल दसों अँगुलियोंकी छाप लेनेपर।"

समाज अनुभव करता है दसों अँगुलियोंकी छाप लेना अनावश्यक अपमान। किन्तु शिनाख्तको पक्का करनेके लिए अँगूठेकी छापपर राजी।

यह भी कि ब्रिटिश भारतीय संघकी शाखा समितिको जोरदार शब्दोंमें गश्ती चिट्ठी[1] लिखी गई है कि वह दसों अँगुलियोंकी छाप न देने दे किन्तु इसके अतिरिक्त शिनाख्त अनुमतिपत्रोंकी जाँच और प्रमाणपत्रोंके पंजीयनमें लॉर्ड मिलनरके साथ हुए समझौतेके मुताबिक अधिकारियोंको यथाशक्ति पूरी मदद करे।

विआस

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-३-१९०७

३७४. पत्र : छगनलाल गांधीको

[मार्च ९, १९०७ के पूर्व][2]

[चि० छगनलाल,]

तुम्हारे दो पत्र मिले। मैं तुमसे पूर्णतया सहमत हूँ। मुझे खुशी है कि इस बार तुमने तेरह पृष्ठ दिये। श्री वेस्टको राजी करनेके लिए मैं उन्हें लिख रहा हूँ। गुजराती शब्दोंमें अक्षरोंको पृथक् करनेके बारेमें तुम्हारी आपत्तिका मैंने पहले ही अनुमान कर लिया था। मैंने यह त्रुटि फोक्सरस्टमें देखी। मैं कल वहाँ था और मैंने फौरन आनन्दलालको लिख दिया था[3]। फोक्सरस्टसे मैंने कुछ गुजराती और काफी अंग्रेजी सामग्री भेजी थी। आशा है, तुम्हें दोनों मिल गई होंगी।

मैं डच और अंग्रेजीमें १,००० पर्चे छापनेका आदेश साथ भेज रहा हूँ। कागज किसी आकारका हो सकता है परन्तु अष्टकसे कम न हो। अंग्रेजी और डच वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि साथके कागजोंपर लिखी है। इसकी १,००० प्रतियाँ तुम्हें श्री ए० ई० एम० कचालिया, बॉक्स ९७, फोक्सरस्टको भेजनी चाहिए। उनका नाम फोक्सरस्टके ग्राहकोंमें भी दर्ज कर लो। प्रिटोरियाके लिए भी तुम्हें यह नाम पहले मिल चुका होगा। १,००० पर्चोंके लिए मैंने १ पौंड लेना स्वीकार कर लिया है। रेल-व्यय तो अलग होगा ही। जब यह काम तैयार हो जाये तब तुम उन्हें १ पौंड और शुल्कके लिए बिल भेज सकते हो। उन्होंने तुम्हें एक सप्ताहमें या उसके आस-पास ही विज्ञापन भी भेजनेका वादा किया है। यदि न भेजें तो तुम मुझे याद दिलाना।

मुझे लगता है कि हमीदियाके कुछ नियमोंमें तुम्हें परिवर्तन करने होंगे। श्री फैन्सीने ठीक ही मेरा ध्यान इस तथ्यकी ओर खींचा है कि गुजरातीकी अपेक्षा अंग्रेजी नियमोंकी संख्या अधिक है। इसलिए तुम उन परिवर्तनोंको देख लेना जो मैंने किये हैं। मैंने ४९ से

१. यह उपलब्ध नहीं है।

२. पत्रके अन्तमें कुवाडियाके विज्ञापनके उल्लेखसे स्पष्ट है कि यह पत्र मार्च ९, १९०७ के पूर्व लिखा गया था क्योंकि वह विज्ञापन इंडियन ओपिनियनमें २ मार्च तक ही दिया गया।

३. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

५३ नम्बर तक के नियम, इन दोनोंके सहित, काट दिये हैं। ४८के स्थानपर दूसरा रख दिया है जिससे कि वह गुजरातीके अनुसार हो जाये। इसी तरह संख्या २२ को भी बदला है। मैं नियमावलीकी जो प्रति भेज रहा हूँ उसकी भाषामें तुम यह परिवर्तन ज्यादा अच्छी तरह देख सकोगे। श्री फैन्सीने गुजराती सामग्रीमें भी कुछ आवश्यक संशोधन किये हैं। तुम उन्हें भी समझ लेना। उसके बाद तुम्हें आगे प्रूफ भेजनेकी आवश्यकता नहीं है, बस छपाई शुरू कर देना। अंग्रेजीमें मैंने प्रत्येक शब्द ध्यानसे नहीं देखा है परन्तु मैं मानता हूँ कि हिज्जे आदिकी भूलें नहीं होंगी। प्रेस शब्द गुजरातीमें उलटा छपा है। इसका तो संशोधन करना ही चाहिए। हरिलाल और घोरीभाईके लिए पाखानेकी व्यवस्थाके बारेमें, बेशक मेरा यह खयाल है कि यदि हम बारकोंमें रहनेवालोंके लिए ऐसा करते रहे हों तो हमें खाई खोद लेनी चाहिए। मैं नहीं सोचता कि हमें नौकरोंसे कहना चाहिए कि वे खाइयाँ खोद दें। अपने आप वे खोदें तो बात दूसरी है। मुझे ठीक वैसा ही लगा जैसा कि तुमको। तब मैंने तर्क किया और यह फैसला किया। साथ ही, यदि बारकोंमें रहनेवाले अपनी खाइयाँ स्वयं खोद रहे हों तो इसका सहज अर्थ यह है कि तुम सिर्फ ढाँचा खड़ा करा दो और हरिलाल तथा घोरीभाईको खुद खाई खोदने दो। बात यह है कि जैसे हो यह किया ही जाना चाहिए।

मैं श्री लच्छीरामको लिख रहा हूँ। टोंगाटसे गोकुलदासके बारेमें मुझे समाचार नहीं मिला। हरिलालके लिए मेजके बारेमें तुम्हारी राय मैंने जानी। साथ-बन्द गृहस्थीका हिसाब ठीक है . . .[1] ए० कुवाड़ियाका नाम ग्राहकोंकी सूचीसे काट दो। उनका विज्ञापन भी बन्द कर दो, क्योंकि उनका कारबार बैठ गया है। मैं पत्र वापस कर रहा हूँ।

एनाविल्सके कारबारके बारेमें एम० के० देसाईका पत्र मत छापना। दरअसल उस पत्रकी नकल उन्होंने मुझे दिखाई थी और मैंने उनसे कहा था कि यह पत्र नहीं छप सकता।

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मो० क० गांधी

[संलग्न]

श्री छगनलाल खुशालचन्द गांधी
[फीनिक्स]

टाइप किये हुए मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० ४९१२) से।

३७५. गैरकानूनी

नेटाल सरकारके गत १९ फरवरीके 'गज़ट' में एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, जिसके अनुसार विक्रेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत अपील दायर करनेवालोंसे अदालतके रूपमें कार्य करनेवाले निकाय अथवा परिषदके सदस्योंके सफर-खर्चके वास्ते १२-१०-० पौंडकी रकम जमा करना आवश्यक है। चूँकि अभागे भारतीय ही ऐसे होंगे जिन्हें आम तौरपर अपील करनी होगी, अथवा अपीलके प्रहसनसे गुजरना होगा, इसलिए इस नये करसे उनकी कठिनाई और भी बढ़ जायेगी एवं इन्साफ पाना उनकी पहुँचसे बाहर हो जायेगा। यह संकट आने ही वाला है कि अगली बार हमसे न्यायाधीशोंके सफर-खर्चकी भी माँग की जायेगी।

१. यहाँ एक पंक्ति मूलपत्रमें मिटा दी गई है।

पर हमें यह कायदा साफ गैर-कानूनी लगता है। कानूनकी जो धारा सरकारको नियम बनानेका अधिकार देती है उससे मनमाने प्रकारके नये बोझ लादनेकी नहीं, महज कार्य-प्रणालीको नियमित करनेकी सत्ता मिलती है। हमें विश्वास है कि नेटाल भारतीय कांग्रेस अविलम्ब इस कायदेके खिलाफ आवाज उठायेगी[1] और इस दौरानमें हम निर्भयतासे कह सकते हैं कि अपील करनेवालोंको उपर्युक्त विज्ञप्तिके अन्तर्गत उल्लिखित रकम जमा करनेकी जरूरत नहीं है। वस्तुतः अगर हमें सही खबर मिली है तो हालकी अपीलोंमें न तो इस तरहकी रकम जमा करनेकी माँग की गई थी और न वह जमा कराई गई है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-३-१९०७

३७६. अँगुलियोंके वे निशान

हमारे जोहानिसबर्गके संवाददाताने, यदि सच हो तो, एक बड़ी गम्भीर स्थितिकी ओर हमारा ध्यान खींचा है। जान पड़ता है कि एशियाई अधिनियम-संशोधन अध्यादेशके वर्जित या स्थगित हो जानेपर भी, एशियाई विभाग ऐसी कार्यवाही करता जा रहा है, मानो अध्यादेशपर स्वीकृति मिल गई हो। मालूम होता है कि अधिकारी ब्रिटिश भारतीयोंके अनुमतिपत्रों तथा पंजीयनके प्रमाणपत्रोंकी जाँच कर रहे हैं और साथ ही उनकी दसों अँगुलियोंके निशान भी ले रहे हैं। इस जोर-जुल्म भरे कामके लिए कोई मुनासिब सबब नहीं जान पड़ता। हमें अनुमतिपत्रों और पंजीयनके प्रमाण-पत्रोंकी जाँचके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। दरअसल हम इसे वाजिब बात समझते हैं और मानते हैं कि यही अकेला जरिया है जिससे उन ब्रिटिश भारतीयों और एशियाइयोंको इस उपनिवेशसे बीन-बीन कर बाहर किया जा सकता है जो बिना अनुमतिपत्रके यहाँ घुस आये हों। मगर जाँच एक बात है और उसकी आड़में ब्रिटिश भारतीयोंसे उनकी अँगुलियोंके निशान माँगना बिलकुल दूसरी बात है। ब्रिटिश भारतीयोंने महज सद्भावना और समझौतेके विचारसे अपने अँगूठोंके निशान देना कबूल किया है। अधिकारियोंको इससे सन्तुष्ट हो जाना चाहिए। श्री हेनरीने बताया है कि अँगूठोंके निशान यदि ठीक तरहसे लिए जायें तो वे शिनाख्तकी अनमोल कसौटी हैं। इसलिए समाजसे सब अँगुलियोंके निशान देनेको कहना उसका अकारण अपमान करना है। इस मामलेमें इतनी तत्परतासे कदम उठानेके लिए हम ब्रिटिश भारतीय संघको बधाई देते हैं। हमारे संवाददाताने यह भी सूचित किया है कि ब्रिटिश भारतीय संघने सभी उपसमितियोंको परिपत्र भेजकर अँगुलियोंके निशान देनेके विरुद्ध चेतावनी दी है और यह भी सूचना दी है कि ऐसे अपमानजनक नियमका समर्थन करनेवाला कोई भी कानून नहीं है।[2]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-३-१९०७

१. कांग्रेसने उपनिवेश सचिवसे यह सूचना रद करनेकी प्रार्थना की थी लेकिन प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। देखिए "नेटालका विक्रेता कानून", पृष्ठ ३९९-४००।

२. गश्ती चिट्ठीके सारांशके लिए देखिए "तार: एशियाई पंजीयकको", पृष्ठ ३७१-७२।

३७७. पत्र : 'ट्रान्सवाल लीडर' को

[जोहानिसबर्ग
मार्च ९, १९०७]

[सेवामें
सम्पादक
'ट्रान्सवाल लीडर'
जोहानिसबर्ग
महोदय,]

'इस उपनिवेशपर कौन शासन करता है?' शीर्षकसे आजके अंकमें प्रकाशित आपके सम्पादकीयमें ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय प्रश्नपर सद्य-प्रकाशित नीली पुस्तिकाके विश्लेषणके आधारपर अनेक अजीब असंगत निष्कर्ष निकाले गये हैं। इनमें से एकका खण्डन विशेषतया आवश्यक है।

आप कहते हैं कि यहाँ जो ब्रिटिश भारतीय हैं उन्हें जो राजनीतिक अधिकार और सुविधाएँ अपने देशमें भी प्राप्त नहीं है, आँखें बन्द करके यहाँ नहीं दे दिये जाने चाहिए। मेरे संघने आपके स्तम्भोंमें कई मर्तबा यह सूचित किया है कि ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय समाजका इस उपनिवेशमें किन्हीं राजनीतिक अधिकारों अथवा सुविधाओंकी माँगका इरादा नहीं है, और वास्तवमें वह ऐसी माँग करता भी नहीं। ब्रिटिश भारतीय बिलकुल प्रारम्भिक नागरिक अधिकारमात्र चाहते हैं, जो नितान्त भिन्न हैं।

मैं आशा करता हूँ कि तथ्योंकी उपर्युक्त गलतबयानीको आप जल्दीसे-जल्दी सुधारेंगे।

[आपका, आदि,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय संघ]

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, १६-३-१९०७

३७८. अंग्रेजोंकी उदारता

अंग्रेजोंकी ओरसे होनेवाले जुल्मोंके सम्बन्धमें हमें प्रायः लिखते रहना पड़ता है। ट्रान्सवालमें फिरसे डच लोगोंका राज्य सच्चे रूपमें स्थापित हुआ है, इस सम्बन्धमें विचार करनेपर अंग्रेजोंके बारेमें अच्छा लिखनेका प्रसंग हमें मिला है। इससे हमें हर्ष होता है। डच लोग लड़ाईमें हारे इससे अंग्रेजोंकी दृढ़ता सिद्ध होती है। अंग्रेजोंमें 'चीं' बोलनेका अवगुन या गुण जो भी कहें, नहीं है। लड़ाई शुरू हो जानेके बाद उसे जीतना ही उन्होंने जाना है।

लड़ाईके बीच उन्होंने देख लिया कि डच हारनेवाले लोग नहीं हैं। वे भी 'चीं' कहने-वाले नहीं हैं। वे हारकर भी जीत गये। यदि वे सिर्फ मुट्ठीभर न होते तो कभी न हारते। अंग्रेजोंपर इस तरहकी छाप पड़ी। इसके अतिरिक्त चतुर अंग्रेज प्रजाने यह भी देख लिया कि डचोंके साथ युद्ध करनेमें मुख्य दोष अंग्रेजोंका ही था।

जिस पक्षने लड़ाईकी थी उसकी पिछले चुनावमें हार हुई। 'उदार' दल जीता और उसने डचोंके हाथमें राज्यकी लगाम सौंपनेका विचार किया। उससे आज जनरल बोथा और उनके साथी ट्रान्सवालके मन्त्री हुए हैं। वे अब ब्रिटिश प्रजा हैं। किन्तु ट्रान्सवालमें स्वतन्त्र हैं। जितने डचोंको राज्य-व्यवस्थामें दाखिल किया जा सकेगा, किया जायेगा। गरीब डचोंको मदद देनेकी बात भी हवामें फैल रही है। डच भाषाका मूल्य आज ५० प्रतिशत बढ़ गया है और गाँव-गाँवमें जैसे पहले डच लोग दिखाई देते थे वैसे फिर दिखाई देने लगे हैं। उनका उत्साह बढ़ गया है और वे फिरसे तत्पर हो गये हैं।

डच लोगोंने हमारे साथ चाहे जैसा बरताव किया हो, किन्तु उन्हें जो-कुछ मिला है, हम मानते हैं कि वे उसके योग्य हैं। इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। अंग्रेजोंकी उदारताका यह बड़ा उदाहरण है। वे लोग हमारे साथ रहते हैं इसकी हमें प्रसन्नता होनी चाहिए।

इससे हमें सबक भी लेना चाहिए। डच तथा अंग्रेज दोनों हमें किस बातके लिए धिक्कारते हैं? हम मानते हैं कि उसका गहरा कारण हमारी चमड़ीका रंग नहीं, बल्कि हमारा जनानापन, हमारी नामर्दी, हमारी हीनता है। हम उनके मुकाबलेमें खड़े हो सकते हैं इसका आभास यदि हम करा सकें तो वे तुरन्त हमारी इज्जत करने लगेंगे। इसके लिए उनसे लड़नेकी नहीं, हिम्मतकी जरूरत है। यदि कोई हमें ठोकर मारे तो हम बैठे रहते हैं। इससे सामनेवाला व्यक्ति समझता है कि हम ठोकरके ही लायक हैं। यह हमारा जनानापन है। ठोकर खाकर बैठे रहनेमें एक प्रकारकी बहादुरी भी है। हम यहाँ उस बहादुरीकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो ठोकर खाकर बैठे रहते हैं वह सिर्फ डरके कारण।

जवानीका झूठा घमण्ड करके विषयान्ध होकर हम अपनी मर्दानगी खोते हैं और अपनी औरतोंको बिगाड़ते हैं। यह नामर्दी है। शादीका रहस्य न समझकर हम अन्धे होकर जैसे-तैसे विषय-भोगमें रत रहते हैं। यह हमारी नामर्दीका नमूना है।

केपमें हम अपनी तसवीरें देते हैं, रस्टनबर्गमें हम डरके मारे अपनी अँगुलियोंकी निशानी देते हैं, ट्रान्सवालमें हिम्मतके साथ खुले-आम प्रवेश करनेके बजाय, चोरीसे प्रवेश करते हैं, यह हमारी हीनता है।

ये विचार सभीपर लागू नहीं होते, इतना हम समझते हैं। लेकिन ज्यादा लोग इस तरहका आचरण करें तो उसका दोष सारे समाजको भोगना पड़ता है। यह हमारी दशा है। इसलिए हम मानते हैं कि अंग्रेजोंको दोष देनेके बजाय यदि हम अपना दोष देखें तो जल्दी पार लगेंगे और जिन अंग्रेजोंने आज डचोंको राज्यकी लगाम सौंपी है वही अंग्रेज हमें हमारा राज्य सौंप देंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९–३–१९०७

३७९. ट्रान्सवालके भारतीयोंको चेतावनी

रस्टनबर्गके भारतीयोंने हाथकी छाप देकर हाथ कटवा लिये हैं। यह उनके लिए लज्जाजनक है। जबतक लकड़ी कुल्हाड़ीमें नहीं बैठती तबतक कुल्हाड़ी घाव नहीं लगा सकती। इस कहावतके अनुसार अँगुलियोंकी निशानी देनेका प्रारम्भ रस्टनबर्गसे हुआ है। इसलिए यदि भारतीय समाजको नुकसान हुआ तो उसका कलंक रस्टनबर्गके भारतीयोंपर लगेगा। हमें यह देखकर प्रसन्नता है कि ब्रिटिश भारतीय संघने इस सम्बन्धमें तत्काल कदम उठाये हैं।[1] सरकारके पास इस सम्बन्धमें पुकार की गई है कि उसका वह कदम एकदम गैर-कानूनी मालूम होता है। भारतीय समितियोंने गाँव-गाँव पत्र[2] भेजे हैं; यह कदम भी उचित ही उठाया गया है।

उपर्युक्त उदाहरणके कारण ट्रान्सवालके भारतीय समाजको बहुत सावधानीसे चलना चाहिए। तत्काल जो कार्रवाई की जाये वह संगठित और संघसे पूछकर की जानी चाहिए। अधिकारियोंसे डरकर कुछ करनेकी जरूरत नहीं। डरना किससे और किसलिए? जब विलायतमें बहादुर औरतें लड़ रही हैं तो ट्रान्सवालके भारतीयोंको साधारण हिम्मत रखकर लड़ना भारी नहीं लगना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९–३–१९०७

३८०. मिस्रमें स्वराज्यका आन्दोलन

अखबारोंमें प्रकाशित तारोंसे मालूम होता है कि मिस्रमें स्वराज्य — होम रूल — प्राप्तिके लिए आन्दोलन किया जा रहा है। मिस्रवासी बड़ी-बड़ी सभाएँ करके लॉर्ड क्रॉमरको[3] भगाकर शासन-सूत्र हाथमें लेनेके प्रस्ताव कर रहे हैं। इस सम्बन्धमें लन्दनके 'टाइम्स' समाचार-पत्रने एक सख्त लेखमें कहा है कि इस हलचलपर अंकुश रखना जरूरी है। हमारे विचारमें इस हलचलको बन्द करना सम्भव नहीं है। मिस्रियोंमें कुछ लोग बड़े बहादुर हैं। उनमें शिक्षाका काफी प्रसार हुआ है और यह हलचल यदि लम्बे समय तक चलती रही तो हम समझते हैं कि अंग्रेज उन्हें स्वराज्य दे देंगे। अंग्रेज प्रजाके रिवाजके मुताबिक जो माँग की जाये उसके लिए यह बतलाना भी जरूरी है कि लोग अपनी माँगके लिए मरनेको तैयार हैं। मुँहसे 'लाओ लाओ' करना पर्याप्त नहीं है। यह नियम वे लोग अपने घरमें भी पालते हैं; इसीलिए निभ रही है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९–३–१९०७

१. देखिए "तार: एशियाई पंजीयकको", पृष्ठ ३७० और ३७१-३७२।

२. ये उपलब्ध नहीं हैं।

३. क्रॉमरके प्रथम अर्ल (१८४१–१९१७) मिस्रमें ब्रिटिश महालेखा-नियन्त्रक (१८८३–१९०७)।

३८१. परवानेका मुकदमा

पोर्ट शेप्स्टनका भारतीय परवानेका जो मुकदमा सर्वोच्च न्यायालयमें गया था, जान पड़ता है उसमें हमारी हार होगी। फिर भी उससे हमें घबराना नहीं है। उस मुकदमेके द्वारा हम लोग बड़ी सरकारको बता सकेंगे कि परवाना कानूनके आधारपर भारतीय समाजको किसी भी प्रकारसे न्याय प्राप्त न होगा। श्री गोगाके मुकदमेकी[1] जीत तो अनायास मिली मानी जायेगी। न्यायकी अदालत जबतक केवल न्याय न करे तबतक खतरा मानना चाहिए। श्री रेमजे कॉलिन्सने कहा है कि नगर-परिषदें न्याय करने योग्य नहीं हैं। हमें सर्वोच्च न्यायालयका मोह नहीं है, परन्तु हम जानते हैं कि वहाँ न्याय मिल सकता है, इसलिए उस न्यायालयमें अपील करनेका अधिकार माँग रहे हैं। यदि गोरे उसका विरोध करते हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि वे न्यायसे डरते हैं। इस सम्बन्धमें वास्तविक लड़ाई बड़ी सरकारकी मारफत करनी है। हमारी विशेष राय है कि यहाँके लोगोंको जबतक बड़ी सरकारके दबावका भय नहीं होगा तबतक हमें किसी भी प्रकारकी जीत नहीं मिलेगी और इन लोगोंको हम रिझा नहीं पायेंगे, इस बातको याद रखकर हमें दोनों ओरसे काम लेना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-३-१९०७

३८२. जेम्स गॉडफ्रे

श्री जेम्स गॉडफ्रे विलायतसे शिक्षा लेकर और बैरिस्टर होकर लौटे हैं। उनका हम सम्मान सहित स्वागत करते हैं। यह दिन उनके माता-पिताके लिए बड़े हर्षका और भारतीय समाजके लिए गौरवका है।

श्री गॉडफ्रे और उनकी पत्नीने अपनी सन्तानके लिए जैसा साहस किया, दक्षिण आफ्रिकामें वैसा साहस थोड़े ही माता-पिताओंने किया होगा। उन्होंने अपने लड़के-लड़कियोंको उत्तम शिक्षा देनेके लिए समझ-बूझ कर अपनी सारी सम्पत्ति खर्च कर दी है। इस उदाहरणके अनुसार यदि अधिकतर भारतीय माता-पिता चलें, तो भारतीय समाजके बन्धन तेजीसे छूट सकते हैं। शिक्षाकी बिलकुल आवश्यकता है यह हम सब मानते हैं। लेकिन उस मान्यताके अनुसार चलनेमें हम पीछे रह जाते हैं।

श्री जेम्स गॉडफ्रे पढ़कर तो लौट आये हैं, किन्तु गुननेका समय अब आ रहा है। शिक्षा तो एक साधन-मात्र है। यदि उसके साथ सचाई, दृढ़ता, शान्ति आदि गुणोंका सम्मिश्रण नहीं हो तो वह शिक्षा रूखी रहती है और लाभके बदले कभी-कभी नुकसान पहुँचाती है। शिक्षाका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अच्छा बनना और देश-सेवा करना है। यदि यह उद्देश्य

१. देखिए "गोगाका परवाना", पृष्ठ ३६५।

सफल न हों तो शिक्षापर किये गये खर्चको बेकार समझ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि श्री जेम्स गॉडफ्रे अपनी शिक्षाका सदुपयोग करेंगे और अपने ज्ञानका लाभ भारतीयोंको देंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९–३–१९०७

३८३. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

अनुमतिपत्रका कानून

मालूम हुआ है कि सत्ताधारियोंने गाँव-गाँवमें अनुमतिपत्र जाँचनेका काम शुरू कर दिया है। रस्टनबर्गके भारतीयोंके अनुमतिपत्रोंकी जाँच की गई है। इतना ही नहीं पुलिसने उनकी अँगुलियोंके निशान भी लगवाये हैं। इस तरह अँगुलियोंके निशान लगवाये जानेपर रस्टनबर्गके भारतीयोंने संघसे पूछा तो उन्हें सूचित किया गया है कि किसीको अँगुलियोंके निशान नहीं लगाने चाहिए थे। अँगुलियोंके निशान लगाना ठीक नहीं हुआ। कुछ भारतीयों द्वारा इस प्रकार अँगुलियोंके निशान लगाये जानेकी बातको लेकर सम्भव है शासकवर्ग कहेगा कि भारतीयोंको अँगुलियोंकी छाप देनेमें कोई आपत्ति नहीं है। इस हकीकतके मालूम होते ही ब्रिटिश भारतीय संघने हर जगह पत्र लिखे हैं। उनमें कहा गया है कि अधिकारी यदि अनुमतिपत्र और पंजीयनपत्र देखनेके लिए आयें तो दोनों दिखला दिये जायें; उसी प्रकार, जाँच करनेमें अधिकारियोंकी सहायता की जाये और जो जानकारी माँगी जाये वह दी जाये; अँगूठेकी छाप देनेको कहें तो दे दी जाये; लेकिन इससे ज्यादा कहें तो साफ इनकार कर दिया जाये; और संघको सूचना दी जाये कि अधिकारी अँगुलियोंकी छाप देनेको कहते हैं। ये चार बातें सारे भारतीयोंको खूब ध्यानमें रखनी हैं।

सरकारको तार[1] भेजा है कि रस्टनबर्गमें जो अँगुलियोंकी छाप ली गई है उसे लोग जुल्म मानते हैं और यह सवाल पूछा गया है कि अँगुलियोंकी छाप किसके हुक्मसे ली गई है और यह तरीका बन्द होगा या नहीं? ट्रान्सवालके भारतीय समाजको अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि अधिकारी जो जाल फैलाते हैं वे उसमें न फँसें।

संघने अधिकारियोंको जो तार भेजा था उसके उत्तरमें संघसे पूछा गया है कि आपत्ति दसों अँगुलियोंकी छाप देनेपर है या अँगूठेकी छाप देनेपर भी? इसके उत्तरमें[2] संघने बताया है कि लॉर्ड मिलनरके साथ जो इकरार किया गया था उसके अनुसार अनुमतिपत्र लेनेके लिए एक अँगूठेकी छाप देनेमें संघको आपत्ति नहीं है। संघका उद्देश्य अनुमतिपत्रकी जाँचमें सरकारकी मदद करना है। किन्तु दसों अँगुलियोंकी छाप देनेसे संघ नाराज है; क्योंकि उससे भारतीय समाजका बेकार अपमान होता है।

१. देखिए "तार: एशियाई पंजीयकको", पृष्ठ ३७० ।

२. देखिए "तार: एशियाई पंजीयकको", पृष्ठ ३७१-७२ ।

ट्रान्सवालमें अनुमतिपत्र

जो लोग ट्रान्सवालमें विना अनुमतिपत्रके रहते हैं उनके सम्बन्धमें एक सूचना प्रकाशित हुई है। उसके वारेमें मैं पिछले सप्ताह लिख चुका हूँ।[1] उस सम्बन्धमें संघके द्वारा प्रश्न किये जानेपर श्री चैमनेने उत्तर दिया कि जो लोग पुराने डच प्रमाणपत्रोंके आधारपर ट्रान्स-वालमें रहते होंगे उन्हें ३१ मार्च तक अनुमतिपत्र दिये जायेंगे और ३१ मार्चके बाद जो विना अनुमतिपत्रके रहते पाये जायेंगे उनपर मुकदमा चलाया जायेगा। इससे किसीको यह नहीं समझना चाहिए कि जिनके पास डच प्रमाणपत्र होगा उन्हें अनुमतिपत्र मिल ही जायेगा। उन लोगोंको भी ये सबूत देने होंगे कि डच प्रमाणपत्र अपना खुदका है; और प्रमाणपत्र रखनेवाला व्यक्ति, लड़ाई शुरू होनेके ऐन पहले ट्रान्सवालमें था और उसने लड़ाईके कारण ट्रान्सवाल छोड़ा था।

इस तरहके सबूतवाले प्रत्येक व्यक्तिको जो ट्रान्सवालमें हो, जैसे बने वैसे, तुरन्त अनुमतिपत्र ले लेना चाहिए। किन्तु इतना याद रखना चाहिए कि अर्जदारको अनुमतिपत्र न मिले तो वह अपना पंजीयनपत्र उन्हें न दे।

ट्रान्सवालका शासकवर्ग

जनरल बोथाने अपना मन्त्रिमण्डल अब पूरा कर लिया है। वे स्वयं प्रधान मन्त्री हुए हैं। जनरल स्मट्स उपनिवेश मन्त्री हुए हैं। श्री डी' विलियर्स न्याय और खानमन्त्री हैं। श्री हल राजस्व मन्त्री हैं। श्री रसिक काफिरोंके प्रतिनिधि हैं और श्री ई० पी० सॉलोमन लोककार्यके मन्त्री हैं। सर रिचर्ड सॉलोमनने कोई भी पद लेनेसे इनकार कर दिया है। जान पड़ता है इस मन्त्रिमण्डलमें भारतीय समाजको श्री डी' विलियर्स तथा श्री स्मट्सकी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अब देखना है क्या होता है।

एशियाई बाजारका कानून

इसी सरकारी 'गज़ट' में बस्तीके सम्बन्धमें कानून प्रकाशित किया गया है। उससे जान पड़ता है कि अभी बस्तीकी बात भुलाई नहीं गई है। इस कानूनको प्रकाशित करनेका उद्देश्य यह मालूम होता है कि एशियाई विभागको जैसे-तैसे अलग चालू रखा जाये।

श्री आमद सालेजी कुवाड़िया

श्री आमद सालेजी कुवाड़िया ब्रिटिश भारतीय संघ और हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके सदस्य और सूरती मस्जिदके मुतवल्ली हैं। वे स्वदेश जानेके लिए यहाँसे रविवारको गये हैं। श्री आमद सालेजीने, अध्यादेशके सम्बन्धमें जो टक्कर ली गई, उसमें खासा भाग लिया था। उन्हें श्री मामद ममदू, श्री एम० पी० फैन्सी, श्री भाणाभाई, श्री ईसप मियाँ, श्री मूसा दावजी करीम, श्री गुलाम मुहम्मद कड़ोदिया वगैरहकी ओरसे दावत दी गई थी। श्री फैन्सीकी ओरसे सोनेके लॉकेट आदि भेंटमें दिये गये। सूरती मस्जिदमें भी जुम्मेके दिन उनका अभिनन्दन किया गया था। फूल-हार पहनाये गये थे। श्री आमद सालेजी दक्षिण आफ्रिकामें बाइस वर्ष पहले आये थे। उनकी उम्र ४२ वर्षकी है। वे १० वर्ष बाद स्वदेश जा रहे हैं।

१. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ३६२-६३।

सम्भवतः वे २० मार्चको डर्बन छोड़ेंगे। जोहानिसबर्गसे डर्बन जाते हुए उन्हें रास्तेमें बहुत-सी जगहोंके आमन्त्रण हैं, इसलिए डर्बन पहुँचनेमें लगभग दस दिन लग जायेंगे।

वारबर्टनके भारतीयोंको सूचना

वारबर्टन बस्तीके सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीय संघको सरकारकी ओरसे पत्र मिला है। वहाँकी बस्ती नगरपालिकाको सौंपी जायेगी और नगरपालिकाकी ओरसे २१ वर्षका पट्टा मिल सकेगा।

दक्षिण आफ्रिकी समितिके लिए विशेष खर्च

ब्रिटिश भारतीय संघ तथा भारतीय विरोधी कानून निधि समितिकी बैठक पिछले रविवारको श्री हाजी वजीर अलीके मकानपर हुई। वहाँ बहुत-से सदस्य उपस्थित हुए। श्री रिचके कामके लिए उन्हें प्रति माह जो थोड़ीसी रकम दी जाती है उसमें वृद्धि करके प्रति माह १५ पौंड कर दिये जायें और उसके लिए उन्हें १०० पौंड और भेजे जायेंगे—यह प्रस्ताव बैठकमें सर्वानुमतिसे स्वीकार किया गया है। समितिको ३०० पौंड भेजनेका निश्चय किया गया था। उसमें जो १०० पौंडकी वृद्धि की गई यह उचित है। श्री रिच जैसा जागरूक व्यक्ति बिलकुल हमारे ही कामके लिए विलायतमें रहे तो ३० पौंड देकर भी वैसा आदमी पाना मुश्किल है। यदि श्री रिच सम्पन्न होते तो इतना भी नहीं लेते। उनके कामकी जानकारी हमें प्रति सप्ताह मिलती रहती है।

जनरल बोथा

जनरल बोथाको लॉर्ड एलगिनने उपनिवेश सम्मेलनमें जानेके लिए निमन्त्रण भेजा है। कहा जाता है कि जनरल बोथा जायेंगे तो उनका अंग्रेज प्रजा अच्छा स्वागत करेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९–३–१९०७

३८४. सार्वजनिक सभा

व्यापारिक परवानों और नगरपालिका सम्बन्धी मताधिकारके प्रश्नोंपर विचार करनेके लिए सोमवारकी[1] रातको नेटालके भारतीय बड़ी संख्यामें इकट्ठे हुए थे। अबतककी सभाओंके लेखेमें यह सभा सबसे बड़ी जान पड़ती है। 'ऐडवर्टाइज़र' इस सभाको "श्रोताओंकी संख्या और उनके उत्साह दोनों दृष्टियोंसे अभूतपूर्व" कहता है। इसमें उपनिवेशके सभी भागोंके प्रतिनिधि उपस्थित हुए और पूरा एकमत रहा। जिस प्रशंसनीय ढंगसे सभाको संगठित किया गया, उसके लिए हम कांग्रेसके अथक परिश्रम करनेवाले मन्त्रियोंको बधाई देते हैं।

सभाके सभापति द्वारा सोच-समझकर दिये हुए संयत भाषण और व्यवस्थित रूपसे रखे गये तथ्योंसे सारा विरोध ठंडा पड़ जाना चाहिए। व्यापारके जटिल प्रश्नपर जो समझौता उन्होंने पेश किया उससे बढ़कर न्यायसंगत दूसरा सुझाव नहीं हो सकता। सम्भवतः

१. मार्च ११।

श्री दाउद मुहम्मदने सिद्ध किया है कि विवेकशील उपनिवेशियोंने भारतीय व्यापारियोंको कमसे-कम जितनेका हकदार माना है, उससे कुछ भी ज्यादाकी माँग उन्होंने नहीं की है। सभा द्वारा पास किये गये पहले प्रस्तावमें[1] भारतीय समाजकी परवाना-अधिनियम सम्बन्धी शिकायतोंको ठोस रूपमें रखा गया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मौजूदा कानूनमें संशोधनसे कम अन्य किसी उपायसे इस कठिनाईका मुकावला सन्तोषजनक रूपसे नहीं किया जा सकता।

दूसरा प्रस्ताव[2] हालके परवाना-सम्बन्धी मामलोंका परिणाम था। भारतीय समाजका कहना है कि नगरपालिका-मताधिकारके होते हुए जब भारतीयोंको नगरपालिकाओंके हाथों घोर अन्याय झेलना पड़ा है, तब नगरपालिका-मताधिकारसे वंचित कर दिये जानेपर तो उनकी हालत न जाने और भी कितनी बदतर हो जायेगी। अतएव सभामें नेटालके ब्रिटिश भारतीय करदाताओंको नगरपालिकाके सदस्य चुननेके अधिकारसे वंचित करनेके प्रयत्नसे बचानेकी आवश्यकतापर जोर दिया गया।

दोनों प्रस्ताव औपनिवेशिक देशभक्त संघको[3] पूरा जवाब देते हैं और बतलाते हैं कि दोनों समाजोंके अध्यक्षोंके लिए यह कितना जरूरी है कि वे आपसमें मिलकर रहें और एक काम-चलाऊ समझौता ढूँढ़ निकालें। हमें आशा है कि श्री पाइंट, जो हमारे खयालसे एक नर्म विचारवाले आदमी हैं, हमारे सुझावपर विचार करेंगे और भारतीयोंके प्रवास तथा भारतीयोंकी प्रतियोगिताके कंटीले सवालके वास्तविक निबटारेका मार्ग प्रशस्त करके उपनिवेशियोंका सम्मान प्राप्त करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन १६-३-१९०७

३८५. लॉर्ड सेल्बोर्नका खरीता

ट्रान्सवालके एशियाई-विरोधी अध्यादेशके बारेमें लॉर्ड सेल्बोर्न द्वारा लॉर्ड एलगिनको भेजा गया खरीता अब मिला है। हमको खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि परमश्रेष्ठने अपनी साधारण न्यायपरायणताके बावजूद इस सारे खरीतेमें अपनेको एक निष्पक्ष शासन तथा सम्राट्का प्रतिनिधि प्रकट करनेके बजाय एक पक्षपातपूर्ण व्यक्ति प्रकट किया है।

अभी हम ट्रान्सवालमें अनधिकृत एशियाइयोंकी कथित बाढ़को लेंगे। हमको बिना हिचकिचाहटके कहना होगा कि परमश्रेष्ठने उस वक्तव्यके समर्थनमें लेशमात्र भी साक्षी उपस्थित नहीं की है, जिसे ट्रान्सवालका भारतीय समाज बार-बार चुनौती दे चुका है। लॉर्ड सेल्बोर्नने

१. प्रथम प्रस्तावमें विक्रेता-परवाना अधिनियमके प्रशासनके ढंगपर आपत्ति की गई थी और स्थानीय तथा साम्राज्यीय सरकारोंके हस्तक्षेपकी प्रार्थना की गई थी। आगे इसमें यह माँग की गई थी कि कानूनमें "इस प्रकार परिवर्तन कर दिये जायें कि निहित स्वार्थोंकी रक्षा हो सके।"

२. दूसरे प्रस्तावमें "नगरपालिकाके चुनावोंमें ब्रिटिश भारतीय करदाताओंको मताधिकार देकर उनके अधिकारोंकी रक्षा" करनेके लिए साम्राज्य सरकारसे प्रार्थना की गई थी। नेटाल नगरपालिका विधेयकमें नगरपालिकाके चुनावोंमें ब्रिटिश भारतीयोंको मताधिकारसे वंचित करनेका प्रस्ताव किया गया था।

३. देखिए खण्ड २, पादटिप्पणी पृष्ठ ९०।

साक्षीके रूपमें उस रिपोर्टका उल्लेख किया है, जिसे श्री वर्जेसने समुद्र तटपर भारतीय यात्रियोंसे पूछताछके बाद तैयार किया था। इस रिपोर्टसे अधिकसे-अधिक यही पता चलता है कि कुछ भारतीय दूसरोंके अनुमतिपत्रोंके सहारे ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेका प्रयत्न करते हैं, और ट्रान्स-वालकी सीमापर पहुँचनेके पूर्व ही उन भारतीयोंके उस प्रयत्नको सफलतापूर्वक विफल कर दिया जाता है। कुछ भारतीयों द्वारा बिना कानूनी अधिकारके ट्रान्सवालमें प्रवेशके इक्के-दुक्के प्रयत्नोंसे कभी इनकार नहीं किया गया है। फिर भी इस प्रकारकी कोशिशोंके आधारपर इस तरहका कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि ऐसा एक भी भारतीय सफलतापूर्वक प्रवेश पा चुका है। "अनुमतिपत्रोंका व्यापार करनेवाली संगठित एजेंसी" के आरोपके बारेमें उन परिस्थितियोंके अलावा, जिन्हें प्रकट नहीं किया गया और जो उनकी (समुद्र-तटीय एजेंटकी) नजरमें आई हैं, कोई गवाही पेश नहीं की गई। अब ब्रिटिश भारतीय संघका यह साफ कर्तव्य है कि वह उस साक्षीको पेश करनेकी माँग करे जिसके आधारपर यह बयान दिया गया है। उससे पहले अध्यादेश निकालनेकी आवश्यकता सिद्ध नहीं होती।

हम देखते हैं कि इस तथ्यके बावजूद लॉर्ड सेल्बोर्नके खरीतेको लेकर 'ट्रान्सवाल लीडर' ने एक उत्तेजक लेख प्रकाशित किया है। 'लीडर' गम्भीरतापूर्वक पूछता है कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी हुकूमत चलेगी या गोरोंकी? और यह सब इसलिए कि लॉर्ड एलगिनने सरकारी विरोध होनेपर भी न्याय करनेका साहस किया है। इसके बाद 'लीडर' क्रोधान्ध होकर कहता है कि यदि भारतीय दक्षिण आफ्रिकामें हुकूमत करनेकी ऐसी कोई कोशिश करें तो उसका मुकाबला आवश्यकता होनेपर खून बहा कर भी किया जाना चाहिए। किन्तु हम 'लीडर' को विश्वास दिला दें कि ऐसे किसी पराक्रमी उपायकी जरूरत नहीं पड़ेगी; क्योंकि ब्रिटिश भारतीयोंकी दक्षिण आफ्रिकामें हुकूमत करनेकी कोई महत्त्वाकांक्षा नहीं है। हम अपने सह-योगीसे अनुरोध करेंगे कि वह उस वक्तव्यको[1] सावधानीसे पढ़े, जो शिष्टमण्डलने लॉर्ड एलगिनके सामने दिया था। और हम विश्वास दिलाते हैं कि उससे पता चल जायेगा कि लॉर्ड एलगिनने अध्यादेशके विरुद्ध अपने निषेधाधिकारका प्रयोग क्यों किया है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६–३–१९०७

३८६. नेटालकी सार्वजनिक सभा

डर्बनमें हुई आम सभाका विवरण[2] हम अन्यत्र दे रहे हैं। उस विवरणकी ओर हम सब पाठकोंका ध्यान आकर्षित करते हैं। इतनी बड़ी सभाका होना और भिन्न-भिन्न गाँवोंसे प्रतिनिधियोंका आना कांग्रेस मन्त्रियोंकी लगन-शीलता प्रकट करता है। सभा द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्तावोंका प्रभाव बड़ी सरकार और स्थानीय सरकारपर हुए बिना नहीं रहेगा। किन्तु हमें चेता देना चाहिए कि इसके बाद जो काम करना बाकी है वह यदि नहीं होगा तो जमा हुआ प्रभाव निःशेष हो जायेगा और हमारी स्थिति खाईसे निकल कर कुएँमें गिरनेकी-सी हो जायेगी।

१. देखिए "आवेदनपत्र: लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ ४९ से ५७।
२. देखिए "सार्वजनिक सभा", पृष्ठ ३८१-८२।

ऐसी सभाओंके बाद हमेशा बहुत काम रहता है। उसके आधारपर सरकारको पत्र लिखने पड़ेंगे और समय-समयपर उसे तंग करना पड़ेगा। तार भी भेजने पड़ेंगे। इन सारे कामोंके लिए धनकी आवश्यकता है। हमें याद रखना चाहिए कि इस समय कांग्रेसके पास पैसा बिलकुल नहीं है; सारी रकम बैंकसे उधार ली गई है। इस स्थितिमें बड़ी लड़ाई लेना कठिन है। इसलिए धन इकट्ठा करनेकी आवश्यकता पहली है।

दूसरी आवश्यकता श्री पीरन मुहम्मदने जो चेतावनी दी है उसे याद रखनेकी है। जबतक हम अपने घर-बार साफ नहीं रखते, मुसीबत उठाये बिना हमारे लिए चारा नहीं है। मतलब यह है कि यदि हमें बड़ी-बड़ी सभाएँ करके लाभ उठाना हो, तो जो अन्दरका काम करना है उसे तो करना ही पड़ेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन १६–३–१९०७

३८७. 'इंडियन ओपिनियन'

कुछ हितैषियोंकी ओरसे सूचना मिली है कि हमें गुजराती विभागमें वृद्धि करनी चाहिए। उनका कहना है कि 'इंडियन ओपिनियन' की कीमत अब लोगोंको मालूम होने लगी है और उसकी सेवाओंकी चेतना भी होने लगी है। इस मतको स्वीकार करके हम इसी समय अधिक पृष्ठ दे रहे हैं, आगेसे बारहके बदले तेरह पृष्ठ देंगे। आशा है इस वृद्धिको प्रोत्साहन मिलेगा। हमें कहना चाहिए कि आज भी 'इंडियन ओपिनियन' की स्थिति ऐसी नहीं है जिससे कार्यकर्ताओंको पूरा वेतन तक दिया जा सके। उनमें देशभक्तिका कुछ-न-कुछ जोश है। इसीलिए यह समाचारपत्र चल रहा है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६–३–१९०७

३८८. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

अध्यादेशकी नीली पुस्तिका

लॉर्ड सेल्बोर्न और लॉर्ड एलगिनके बीच अध्यादेशके सम्बन्धमें जो पत्र-व्यवहार हुआ था उसकी नीली पुस्तिका छपकर आ गई है। उससे मालूम होता है कि लॉर्ड एलगिनने पहले तो एक पक्षकी बातें सुनकर अध्यादेश स्वीकार कर लिया लेकिन जब उन्होंने विलायतमें शिष्टमण्डलकी बातें सुनी, तब उनकी आँखें खुलीं और उन्होंने अध्यादेश रद कर दिया।

किन्तु लॉर्ड सेल्बोर्न अब भी अपनी बातपर अड़े हुए हैं। वे अपने जवाबमें लिखते हैं कि लॉर्ड एलगिनने भारतीय शिष्टमण्डलकी बात सुनकर उनके हाथ कमजोर कर दिये हैं।

अध्यादेश पास करनेके उद्देश्यके सम्बन्धमें लॉर्ड सेल्बोर्न लिखते हैं कि भारतीय समाजके बहुतसे व्यक्तियोंने झूठे अनुमतिपत्रोंके आधारपर प्रवेश किया है। इसके सबूतमें उन्होंने

श्री बर्जेसकी रिपोर्ट दी है। श्री बर्जेसने लिखा है कि उन्होंने स्वयं कुछ भारतीयोंके झूठे अनुमति-पत्र देखे हैं। कुछ तो अँगूठेकी निशानी मिटा देते हैं। इस कथनकी कुछ बातें यद्यपि सही हैं, फिर भी इसका अर्थ यह होता है कि गलत तरीकेसे लोग प्रवेश नहीं कर सकते और यदि वे प्रवेश करना चाहें तो उन्हें रोका जा सकता है। इसके अलावा लॉर्ड सेल्बोर्नके पत्रमें और भी कुछ जानने योग्य बातें हैं। किन्तु हम उन्हें बादमें देखेंगे।

इस पुस्तिकापर 'लीडर' और 'स्टार' ने टीका करते हुए लिखा है कि चाहे जो हो, भारतीय समाजका पंजीयन किया जायेगा; और 'लीडर' तो यहाँतक लिखता है कि गोरे लड़कर भी अपनी मुराद पूरी करेंगे। संघने नीली पुस्तिकाका जवाब देनेकी तैयारी की है।

अनुमतिपत्रका मुकदमा

झूठे अनुमतिपत्रोंके सम्बन्धमें कभी-कभी जोहानिसबर्गमें मुकदमे दायर होते रहते हैं। अभी-अभी कुछ लोग पकड़े गये हैं। उन्हें देश छोड़कर जानेकी हिदायत की गई है। इस प्रकारसे आनेवाले लोगोंके कारण दूसरे भारतीयोंको बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं।

जनरल बोथा और उनके मन्त्री

जनरल बोथा और उनके मन्त्रियोंको प्रिटोरियाके लोगोंने भोज दिया था। उसमें अनेक बड़े-बड़े लोग उपस्थित थे। जनरल बोथाने अपने भाषणमें ब्रिटिश जनताका आभार माना और स्वीकार किया कि अंग्रेजोंने राज्यकी बागडोर बोअर लोगोंके हाथ देकर बड़ी उदारता बरती है। इससे निश्चय ही डच लोग सम्राट् एडवर्डकी वफादार प्रजा बनकर रहेंगे। जनरल बोथाने यह भी कहा कि ट्रान्सवालका नाम बहुत प्रख्यात हो गया है। अब लोगोंको चाहिए कि उन बातोंको भूल जायें, ताकि देशकी समृद्धिके लिए कदम उठाये जा सकें। बोअर लोग स्वयं सुखसे रहना और दूसरेको सुखसे रखना चाहते हैं। वे काफिरोंपर न्याय-दृष्टि रखेंगे और खान-मालिकोंको परेशान नहीं करेंगे। उनके लिए डच और अंग्रेज, एवं डच भाषा और अंग्रेजी भाषा एक समान हैं।

यह भाषण उदार एवं सौम्य है। यदि इसीके अनुसार आचरण किया गया तो इस मन्त्रिमण्डलके कार्यकालमें सब सुखसे रह सकेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-३-१९०७

३८९. पत्र : छगनलाल गांधीको

[जोहानिसबर्ग
मार्च १८, १९०७ के पूर्व][1]

चि० छगनलाल,

आज तुम्हें रामायणके पन्ने भेज रहा हूँ। इनमें बायीं तरफ जो आँकड़े दिये गये हैं, वे पृष्ठ-संख्या सूचित करते हैं। तुम्हें अवकाश मिले तो पढ़ जाना। मैं कल रातको पढ़ गया हूँ। जो चुनाव किया है वह ठीक जान पड़ता है। फिर भी कुछ कहने योग्य हो तो सूचित करना।

इसके प्रूफ मूलसे मिलाना। हिज्जे आदिके लिए मेरे द्वारा भेजी हुई प्रतिपर निर्भर मत रहना। जो छापो, उसका प्रूफ भेजना। पुस्तकका आकार इत्यादि निश्चित करके छापना। और बहुत-कुछ टाइप काममें आ जाये, इतना कम्पोज होनेके बाद ही छापना ठीक जान पड़ता है। फुटकर काम आदिके लिए आवश्यक टाइप बचा रखना। और सामग्री थोड़ी-थोड़ी भेजता जाऊँगा।

एक हजार प्रति छापना ठीक मानता हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

[संलग्न]

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४७२०) से।

३९०. तार : 'इंडियन ओपिनियन' को[2]

[१८ और २५, मार्च
१९०७ के बीच]

सेवामें
'ओपिनियन'
फीनिक्स

इस बार हमीदियाकी साप्ताहिक रिपोर्ट मत छापो। कल महत्त्वपूर्ण अंग्रेजी, गुजराती टिप्पणियाँ भेजी हैं।

गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी दफ्तरी प्रति (एस० एन० ४७२१) से।

१. पत्रपर दी गई टीपसे ज्ञात होता है कि यह १८ तारीखको प्राप्त हुआ था।

२. इस तारपर तिथि नहीं है। यहाँ उसे जिस तिथिक्रममें रखा गया है उसका आधार मात्र साबरमती संग्रहालयके कागजातकी क्रम-संख्या है। इन कागजातकी क्रम-संख्याएँ गांधीजीकी फाइलके कागज-पत्रोंके मूल क्रमके अनुसार निर्धारित की गई थीं।

३९१. तार : जे० एस० बायलीको[1]

[जोहानिसबर्ग
मार्च २२, १९०७]

[जे० एस० बायली
डर्बन]

दाउद तथा अन्य व्यक्तियोंको आपकी सलाहसे मैं पूरी तरह एकमत हूँ।

[गांधी]

[अंग्रेजीसे]
नेटाल मर्क्युरी, २७-३-१९०७

३९२. एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेश

एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेशको[2], १८८५ के कानून ३ का संशोधन करनेवाले विधेयकके मसविदेके रूपमें ट्रान्सवाल विधानसभामें पुनः पेश किया गया है और वहां उसका तीसरा वाचन स्वीकृत भी हो चुका है। कुछ लफ्जी तब्दीलियोंको छोड़कर यह मूल अध्यादेशका ठीक प्रतिरूप ही है। ट्रान्सवालमें एशियाई-विरोधी आन्दोलनके सूत्रधारोंको हम बधाई देते हैं कि वे इस मामलेको एक बार फिर जोर-शोरसे आगे लानेमें कामयाब हो गये। साथ ही हम उनकी अद्भुत क्रियाशीलतापर भी उनको बधाई देते हैं। ब्रिटिश भारतीयोंको उनकी इस क्रियाशीलताका अनुकरण करना चाहिए। हम खुले दिलसे मंजूर करते हैं कि हम इस विधेयकके मसविदेका ट्रान्सवालमें रहनेवाले भारतवासियोंके लिए चुनौतीके रूपमें स्वागत करते हैं। उनको यह दिखला देना है कि वे किस धातुके बने हैं। अब कोई नई दलील देनेकी जरूरत नहीं है। कोई और तर्क बाकी बचा ही नहीं। विधेयकके मसविदेमें साम्राज्य-सरकारकी भारतीयोंकी रक्षा करनेकी शक्तिकी, और इस बातकी भी परीक्षा हो

1. प्रस्तावित बेनगुएला रेलमार्गके निर्माणमें काम करनेके लिए दो हजार भारतीय लोबिटोको खाड़ी जानेके लिए भारत सरकारकी मंजूरीकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रेलमार्गके ठेकेदार नेटाल सरकारको वचन दे चुके थे कि भारतीय श्रमिकोंके साथ अच्छा व्यवहार किया जायेगा और काम समाप्त हो जानेके बाद वे नेटाल अथवा भारत वापस भेज दिये जायेंगे। नेटाल भारतीय कांग्रेसके अधिकारी मार्च २२ को होनेवाली सार्वजनिक सभामें भाग लेनेके लिए आये। उस समय श्री बायलीने गांधीजीके नाम यह तार जोहानिसबर्ग भेजा: "नेटालमें लोबिटो खाड़ी जानेके लिए उत्सुक किन्तु जानेमें असमर्थ भारतीयोंकी आज अपराह्नमें सार्वजनिक सभा होगी। दाउद मुहम्मद, पीरन उमर और आँगलिया मेरे पास यह जाननेके लिए आये हैं कि, अगर ऐसा ही हो तो, वे कैसा रुख लें। कुछ कहने या करनेके पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मेरी सलाह है कि फिलहाल सभामें किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करें। अलबत्ता वहाँ जो-कुछ हो उसे [illegible] रखकर [illegible] हैं। कृपया तारसे शीघ्र जवाब दें।" इसपर गांधीजीने उपर्युक्त तार दिया। उसी सभामें भारत सरकारकी अनुमतिकी घोषणा की गई।

2. नया कानून 'एशियाई पंजीयन अधिनियम' कहा जाता था, किन्तु गांधीजी उसका उल्लेख 'अध्यादेश' कह कर ही करते रहे।

जायेगी कि भारतीय समाजमें अपने उस प्रसिद्ध प्रस्तावको[1], जिसे 'स्टार' ने "अनाक्रामक प्रतिरोध" का नाम दिया है, कार्यान्वित करनेकी कितनी क्षमता है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–३–१९०७

३९३. मलायी बस्ती

जैसा कि हमारे समाचार-स्तम्भोंसे विदित होगा, जोहानिसबर्ग नगर-परिषदको मलायी बस्तीका अधिकार बहुत जल्दी ही मिल जायेगा। इस मंजूरीकी एक शर्त यह होगी कि नगर-परिषद बस्तीके निवासियोंको उनके द्वारा बनाये गये मकानोंका मुआवजा देगी और उनके अधिकृत मकानोंके बदलेमें उनको दूसरे बाड़े भी देगी। पहली नजरमें यह व्यवस्था न्यायपूर्ण जँचती है। किन्तु इसपर आगे विचार करनेपर इस तथ्यका पता चल जायेगा कि मुआवजेमें भूमिके पट्टे या लगानकी हानिके सम्बन्धमें कोई भुगतान शामिल नहीं है। और परिषदके वर्तमान इरादोंका जहाँतक पता लगता है, बाड़े देनेका अर्थ है बस्तीके लोगोंको क्लिप्स्प्रूटमें स्थानान्तरित कर देना। यद्यपि मलायी बस्तीके बाड़ेदार असलमें केवल मासिक किरायेदार थे, तथापि युद्ध शुरू होनेसे पहले तक बाड़ोंपर उनका अधिकार उतना ही सुरक्षित था, जितना कि फ्रीडडॉर्पमें डच नागरिकोंका, जिन्होंने बाड़ोंपर उन्हीं शर्तोंपर कब्जा किया था, जिनपर मलायी-बस्तीके निवासियोंने। इसलिए जब हम डच नागरिकोंके साथ किये गये उत्तम व्यवहारकी तुलना उस व्यवहारसे करते हैं जो मलायी बस्तीके निवासियोंको इस सरकारी मंजूरीके मातहत सम्भवतः मिलेगा, तब हमें इस बातका पूरा अनुभव हो जाता है कि भूरी चमड़ी होनेका अर्थ क्या है। यदि रंगदार लोग बोअर राज्यमें प्राप्त अपने किसी अधिकारको कानूनन सिद्ध नहीं कर सकते तो उनका उचित अधिकार, चाहे कितना ही मजबूत क्यों न हो, बदली हुई परिस्थितियोंमें खत्म ही कर दिया जाता है। क्या लॉर्ड सेल्बोर्न एक बार फिर यह कहेंगे कि गणतन्त्रीकी जगह ब्रिटिश झंडा आ जानेपर मलायी बस्तीके निवासियोंके अधिकारोंपर आंशिक रूपमें डाका डालना आवश्यक हो गया? क्योंकि बाड़ेदारोंको उनके मकानोंके बदलेमें दी जाने वाली मुआवजेकी तुच्छ रकम उनके वर्षोंके उस अबाध अधिकारका, जिसके फलस्वरूप यहाँके अधिकांश बाड़ेदार अपने किरायेदारोंसे किरायेके रूपमें अच्छी आमदनी कर लेते हैं और जो उनकी आजीविकाका साधन है, अपर्याप्त मुआवजा ही दे सकती है। अपने तर्कको और भी बल देनेके लिए हम सौवीं बार इस तथ्यकी दुहाई देते हैं कि राष्ट्रपति क्रूगरने इस बस्तीके निवासियोंको बस्तीसे, जो जोहानिसबर्गसे १३ मील नहीं, ५ मील दूर है, हटानेका जो भी प्रयत्न किया, उसका उन लोगोंके पिछले हिमायतियोंने सफलतापूर्वक विरोध किया और ये हिमायती थे ट्रान्सवाल-स्थित खुद ब्रिटिश सम्राट्के प्रतिनिधि।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–३–१९०७

१. चौथा प्रस्ताव, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४३४।

३९४. दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति

हम अपने पाठकोंको सलाह देते हैं कि वे श्री रिचका इस सप्ताहका पत्र ध्यानसे पढ़ें। श्री रिच और उनके द्वारा विलायतकी समिति जो काम कर रही है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। श्री रिच बड़ी उमंग एवं होशियारीके साथ काम चला रहे हैं; और यदि नेटाल नगरपालिका विधेयक रद हो जाये, फ्रीडडॉर्पके भारतीयोंको हरजाना मिल जाये, तथा नेटाल परवाना कानूनके जुल्मसे आखिरकार राहत मिल जाये तो इस सबका श्रेय श्री रिच और दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिको देना चाहिए। समितिके बिना श्री रिचके लिए काम करना सम्भव नहीं है और न श्री रिचके बिना समिति जोर पकड़ सकती है। श्री रिचसे फिक्र और होशियारीमें मुकाबला करनेवाला लन्दनमें आज तो दूसरा कोई नहीं है। सर मंचरजी वगैरह शुभचिन्तक लोग हमारी पूरी सहायता करते हैं। लेकिन उन्हें एक जगह लानेवाला और उनकी निगरानीमें काम करनेवाला मन्त्री न हो तबतक बहुत काम नहीं हो सकता। इन दिनों हमें लगभग प्रति सप्ताह रायटरके तारोंसे पता चलता रहता है कि समिति जागरूक है। पिछले सप्ताहकी खबर है कि आम सभाके निर्णयके आधारपर समितिने लॉर्ड एलगिनको सख्त पत्र लिखे थे। इस सप्ताह हम देखते हैं कि लॉर्ड ऐम्टहिलकी मारफत लार्ड सभामें चर्चा की गई है। लोकसभामें भी हमारे कष्टोंके सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर हुए हैं। यह हमें दूसरी जगह दिये गये विवरण एवं तारोंसे मालूम होगा। यह सब काम समिति और श्री रिचके प्रयत्नोंका फल है। इतनेसे ही साफ मालूम हो जाता है कि वे अथक श्रम कर रहे हैं। समितिको किस प्रकार चालू रखा जा सकता है और वह किस प्रकार ज्यादा काम कर सकती है, इसका उत्तर श्री रिचने दिया है। श्री रिच लिखते हैं कि २५० पौंड एक वर्षके लिए काफी नहीं होंगे। उन्होंने जो हिसाब भेजा है वह हमने दूसरी जगह दिया है। उससे मालूम हो जायेगा कि खर्च किस प्रकार चलता है। श्री रिच स्वयं तीन महीनेमें २५ पौंड लेते थे, लेकिन उन्हें समितिने ४५ पौंड लेनेकी अनुमति दी है क्योंकि उनका घर-खर्च २५ पौंडसे नहीं चलता था। श्री रिचको जो-कुछ दिया जाता है वह उनका वेतन नहीं है। श्री रिचका काम बाजार भावसे देखा जाये तो ३० पौंड मासिकसे कमका नहीं होता। किन्तु श्री रिच पैसेके भूखे नहीं हैं। वे पैसेके लिए काम नहीं करते। उनमें लगन है, इसलिए काम करते हैं। यदि उनकी परिस्थिति अनुकूल हो तो वे एक पैसा भी नहीं लें।

समितिके खर्चमें हम देखते हैं कि श्री रिचके १८० पौंड, एक वैतनिक सेवकके ५० पौंड तथा किराया ५० पौंड, इस तरह कुल मिलाकर २८० पौंड तो सिर्फ वेतन और किराया हो जाता है। तब इसमें २० पौंड बचे। इतनेमें समितिका खर्च नहीं चल सकता। इसलिए यदि हम ३०० पौंडमें से बचे हुए ५० पौंड भेज दें तब भी खर्च पूरा नहीं होगा। भारतीय-विरोधी कानून निधि समितिने १०० पौंड और भेजनेका निर्णय किया है। हमारे विचारसे हमें विलायतमें ५०० पौंड तक खर्च करना बिलकुल जरूरी है। जान पड़ता है, यह खर्च हमें दो-तीन वर्ष तक करना पड़ेगा। यदि फ्रीडडॉर्पके लोगोंको हरजानेकी रकम मिली तो हम उसीमें से ५,०० पौंडसे ज्यादा वसूल कर सकते हैं। नेटालमें व्यापारी जम जायें तो उनसे हम सौ गुना पैसा वसूल कर सकते हैं। मलायी बस्तीवालोंपर आक्रमण जारी है। उनका बचाव किया जा सका तो उससे भी मुआवजा मिल सकता है। इसलिए हम सब पाठकोंको विशेष रूपसे सलाह देते

हैं कि वे पूरा प्रयत्न करके समितिको बनाये रखनेकी व्यवस्था करें। नेटाल भारतीय कांग्रेसने १२५ पौंड दिये हैं। जो ५० पौंड भेजे जानेवाले हैं उनमें से उसे २५ पौंड देने चाहिए। ट्रान्सवालसे दूसरे १०० पौंड भेजनेके सम्बन्धमें जैसा निर्णय किया है उसी प्रकार नेटालसे भी १०० पौंड अलग जाने चाहिए। यह कांग्रेसका कर्तव्य है। इतनी रकम भेजी जानेपर ही समिति पूरी ताकतसे काम कर सकेगी।

फिलहाल केप टाउनसे मदद मिलनेकी सम्भावना कम है, यद्यपि वहाँसे मदद प्राप्त करनेके हेतु प्रयत्न जारी हैं। केपके भारतीय बन्धुओंसे हम विनती करते हैं कि यदि वे सामूहिक रूपसे पैसे न भेज सकें तो जिनसे जितनी बने उतनी रकम हमें भेज दें। हम वह रकम समितिके पास भेज देंगे। यदि केपके भारतीय यह मानते हों कि उनकी स्थिति अच्छी है तब भी, चूँकि दूसरे हिस्सोंमें उनके भाइयोंको कष्ट है, उन्हें हाथ बँटाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-३-१९०७

३९५. नेटाल भारतीय कांग्रेस

नेटाल भारतीय कांग्रेसने सार्वजनिक सभा[1] करके बहुत ही अच्छा काम किया है। रायटरके तारोंसे हमें मालूम हो चुका है कि समितिने उस सार्वजनिक सभाके निर्णयोंके आधारपर तुरन्त काम शुरू कर दिया है और लॉर्ड एलगिनको एक सख्त पत्र लिखा है। इसके लिए हम कांग्रेसके मन्त्रियोंको बधाई देते हैं।

मन्त्री और अध्यक्ष हर समितिके रखवाले माने जाते हैं। उन लोगोंने सार्वजनिक सभामें जितना उत्साह बताया है उतना ही उत्साह उन्हें कांग्रेसकी निधिके बारेमें भी बतलाना चाहिए। इस समय कांग्रेसकी हालत यह है कि उसे अभी बैंकसे उधार रकम लेनी पड़ी है। उसमें श्री दाउद मुहम्मद और श्री उमर हाजी आमदने अपनी व्यक्तिगत जमानत दी है। उन्होंने यह बहुत ही अच्छा किया। लेकिन उधार रकम लेकर कांग्रेस लम्बे समय तक काम नहीं कर सकती।

परवानेका काम बहुत बड़ा है। उसमें बहुत पैसा खर्च होगा। परवानेका कानून बदलवानेके लिए जबर्दस्त प्रयासकी आवश्यकता है। उसमें पैसे भी चाहिए। अतः परवाना और नगरपालिका-विधेयक सम्बन्धी लड़ाईके लिए कांग्रेसको तुरन्त ही धन इकट्ठा करना चाहिए। इसमें ढील हुई तो हम मानते हैं कि हमें पछताना पड़ेगा।

कांग्रेसने चन्दा करना शुरू किया है, यह हम जानते हैं। स्वदेशाभिमानी भारतीयोंको हमारी सलाह है कि वे अपनी ओरसे जितनी मदद दे सकते हैं, तत्काल दें।

मन्त्री और अध्यक्षसे हमारा कहना है कि रक्षाका सबसे पहला काम यह है कि वे कांग्रेसकी आर्थिक स्थितिको बहुत मजबूत बुनियादपर रख दें। हमें विश्वास है कि यदि वे एक महीना पूरे उत्साहसे काम करेंगे तो कांग्रेसकी स्थिति सुधर जायेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-३-१९०७

१. देखिए "सार्वजनिक सभा", पृष्ठ ३८१-८२।

३९६. मलेरिया और भारतीयोंका कर्तव्य

डर्बनके आसपास मलेरिया बहुत-से लोगोंका भक्षण कर रहा है। सुना है कि अमगेनीके उस किनारेपर लगभग ३०० भारतीयोंकी लाशें दफनाई जा चुकी हैं। नगर-निगमने मुफ्त कुनैन देना शुरू किया है। एक परोपकारी गोरेने सभीको दवा देनेका कार्य अपने जिम्मे लिया है। बहुतेरे भारतीय दवा ले गये हैं।

इस अवसरपर भारतीय समाजको पीछे नहीं रहना है। हम समझते हैं कि नेताओंको बाहर निकलकर घर-घर जाकर रोगियोंका पता लगाना चाहिए और दवा भी देनी चाहिए। लोगोंको स्वच्छता रखनेके लिए तथा आसपास पानी रुका न रहने देनेके लिए समझाना चाहिए। कांग्रेसको डॉक्टर म्युरीसनसे सहायता देनेके लिए लिखित निवेदन करना चाहिए। इस अवसरपर हम मानते हैं कि डॉक्टर नानजीका कर्तव्य है कि वे बाहर निकलकर बीमारोंका पता लगायें और उनकी सेवा-शुश्रूषा करें। यदि वे निकलते हैं तो लोगोंको बहुत सहारा मिलेगा और वे बहुत उपकार कर सकेंगे।

जो लोग सहायता करना चाहते हैं उनकी जानकारीके लिए हम निम्न सूचनाएँ दे रहे हैं: १. रोगीके लिए सादा भोजन; २. डॉक्टरकी हिदायतके अनुसार कुनैन; ३. दस्त साफ हो, इस बातका ध्यान रखें; ४. आसपास घास आदि हो तो उसे साफ कर दें; ५. सील हो तो दूर कर दें; ६. लोगोंसे यथासम्भव मच्छरदानीमें सोनेके लिए कहें; ७. घिचपिच न रहें; ८. पाखाना साफ रखें। उसपर सूखी मिट्टी अथवा राख डालें।

इन सूचनाओंका पालन सुगमतासे किया जा सकता है। यह देखा गया है कि जहाँपर एक बार मलेरिया बहुत था वहाँपर जमीनकी सीलन आदि दूर कर देनेसे जड़से खत्म हो गया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-३-१९०७

३९७. अनुमतिपत्र विभाग

फोक्सरस्टके अनुमतिपत्र सम्बन्धी मुकदमेका विवरण हमने अन्यत्र दिया है। वह पढ़ने योग्य है। उसी तरह शेख यूनुसका मुकदमा बहुत-सी बातें बताता है। यह जाननेकी बात है कि श्री बर्जेस कहाँ-कहाँ दखल देते हैं। वे उन्हींकी जाँच नहीं करते जो बिना अनुमतिपत्रके हैं, बल्कि अनुमतिपत्रवालोंकी भी जाँच करते हैं। हमें स्पष्ट रूपमें दिखाई देता है कि यह कार्य अनुचित है। क्योंकि, जब वह व्यक्ति अदालतमें खड़ा हुआ तब न्यायाधीशने उसके मुकदमेको सही ठहराया, उसके अनुमतिपत्रको सच्चा ठहराया और उसको रिहा कर दिया। फिर भी लॉर्ड सेल्बोर्नने श्री बर्जेसकी रिपोर्टको महत्त्व दिया है और कहा है कि बहुतेरे लोग झूठे अनुमतिपत्रोंसे अथवा बिना अनुमतिपत्रके आते हैं।

अब्दुल रहमानका मुकदमा भी इतना ही महत्त्वपूर्ण है। वह जान-पहचानवालोंकी गवाही देकर छूट जायेगा। फिर भी यदि श्री वर्जेसका वश होता तो वह भी रह जाता।

हम समझते हैं कि इस सम्बन्धमें यदि नेटाल भारतीय कांग्रेस कोशिश करे तो सुनवाई हो सकती है। यह बात डर्बनमें हो रही है, इसलिए उसके अधिकारकी है। वह श्री स्मिथ तथा नेटाल सरकारसे पूछ सकती है कि लोग किस अधिकारसे जहाजोंपर जाकर जाँच करते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-३-१९०७

३९८. इस्लामका इतिहास

'स्पेक्टेटर' विलायतमें प्रकाशित होनेवाले प्रसिद्ध समाचारपत्रोंमें से एक है। प्रिन्स टीआनो इटलीके एक बड़े लेखक हैं। उन्होंने पूर्वीय भाषाओंका अध्ययन किया है। आजकल उन्होंने इस्लामी इतिहासपर पुस्तकें लिखना शुरू किया है। वे उसे बारह भागोंमें लिखना चाहते हैं। प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है। उसका मूल्य १ पौंड १२ शिलिंग है। उसमें ७४० बड़े आकारके पृष्ठ हैं। उसकी समालोचना २२ दिसम्बरके स्पेक्टेटर' में दी गई है। उसमें से हम निम्न सारांश दे रहे हैं:

> प्रिन्स टीआनोने पहले भागमें पैगम्बरके पहले छः वर्षोंका इतिहास दिया है। उसमें हम पैगम्बरको राज्य-प्रबन्धक, विधायक, और सेनापतिके रूपमें पाते हैं। उनकी शक्ति दिनोंदिन बढ़ती जाती है। यहूदियोंने उनका बहुत विरोध किया। किन्तु पैगम्बरने उनकी शक्तिको खत्म कर दिया। पैगम्बरका ठाठबाट चाहे ज्यादा न रहा हो, उनका जोर बहुत था। उन्होंने जो-कुछ किया, वह दूसरे किसी धर्म-शिक्षकने नहीं किया। चालीस वर्षके बाद उन्होंने धर्मकी शिक्षा देना शुरू किया। उनकी लड़ाई स्वार्थकी नहीं, परोपकारकी थी। अपनी मृत्युके समय वे धर्म-राज्यके सर्वाधिकारी थे। उन्होंने दुनियावी ताकत भोगनेवाले धर्मकी स्थापना की। यह उनकी नैतिकता और महानताका परिणाम था। अरबोंको सामाजिक जीवनका भान नहीं था। उन्होंने उन्हें उसका भान कराया और उन्हें एक राष्ट्र बनाकर जबर्दस्त लड़ाकू कौमका रूप दिया। उस कौमने विविध राष्ट्रोंपर हुकूमत की, और मुसलमान लोग आज भी, यद्यपि भिन्न-भिन्न देशोंमें रहते हैं, एक ही खुदा और उसके रसूलको मानते हैं और ऐसा माननेवाले दूसरे लोगोंके साथ भाईचारा रखते हैं। यह भाईचारा किस प्रकारका है और इस जमानेमें मुसलमान कौम क्या कर सकती है, इसपर अखिल इस्लाम आन्दोलनकी छानबीन करते हुए हमें बार-बार विचारना पड़ता है।

ऊपर हमने सार-मात्र दिया है। उसका बहुत-सा हिस्सा, जिसमें विरोध है, हमने छोड़ दिया है। परन्तु अंग्रेजी जाननेवालोंसे हमारी सिफारिश है कि वे उस पूरे लेखको पढ़ें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-३-१९०७

३९९. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

जनरल बोथा

यहाँ जनरल बोथा सबकी जबानपर हैं। उनके भाषणका सब जगह बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। 'टाइम्स' ने बहुत सुन्दर लेख लिखा है और जनरल बोथाको बहुत ऊँचा चढ़ाया है। जैसा उन्होंने कहा वैसा दूसरे भी कह सकते थे। किन्तु लड़ाईमें विजय पानेके बाद जो व्यक्ति उदारतापूर्वक बोलता है, उसपर अंग्रेज प्रजा बहुत मुग्ध होती है। मतलब यह है कि भारतीय समाजको बहादुरी बतलानी है।

जनरल बोथा और उनके मन्त्रिमण्डलका जैसा प्रिटोरियामें अभिनन्दन किया गया, वैसा ही यहाँ भी करनेकी हलचल हो रही है। कहा जाता है कि तारीख २३ को कार्लटन होटलमें अभिनन्दन किया जायेगा।

वे एक सम्मेलनमें शामिल होनेके लिए विलायत जानेवाले हैं। हमने यहाँसे अपनी लन्दन समितिको सूचना दी है कि वह जनरल बोथासे मिले और उनके सामने सारी हकीकत पेश करे।

ट्रान्सवाल संसद

संसद २१ तारीखको बैठनेवाली है। वह क्या करती है यह देखनेके लिए सभी लोग आतुर हो रहे हैं। वह लम्बी अवधि तक नहीं चलेगी। सिर्फ दो-तीन दिन बैठनेके बाद स्थगित हो जायेगी।

रेलकी तकलीफ

रेलकी तकलीफ यहाँ अब भी चालू है। श्री उस्मान लतीफको जो तकलीफ हुई उस सम्बन्धमें उन्होंने प्रबन्धकको पत्र लिखा है। संघ और प्रबन्धकके बीच पत्र-व्यवहार चल रहा है कि सवेरे तथा शामकी प्रिटोरिया और जोहानिसबर्गके बीच चलनेवाली गाड़ियोंमें भारतीयोंको पूरी छूट मिलनी चाहिए। प्रबन्धकने लिखा है कि इस समय जो नियम चालू है उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसपर संघने लिखा है कि जो व्यवस्था स्वीकार की गई थी वह तो कुछ समयके लिए थी। उस व्यवस्थासे बड़ी तकलीफ हो गई है, इसलिए रोकका नियम रद किया जाना जरूरी है।

डेलागोआ-बेकी रेल

डेलागोआ-बेकी रेलपर बड़ी दुर्घटना हो गई है। एक दरार पड़ जानेसे यात्रियोंकी प्राण-हानि हुई है। मृतकोंमें कृषि-विभागके भूतपूर्व मन्त्री डॉक्टर जेमिसन भी शामिल हैं। नया मन्त्रिमण्डल बन जानेसे वे सेवामुक्त होकर विलायत जा रहे थे। मन धारा अविचल रहे, हरि करे सो होय, इस कहावतके अनुसार विलायत पहुँचनेके पहले ही दुर्घटनासे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी लाशको प्रिटोरिया लाकर दफनाया गया है।

दुर्घटनासे

दुर्घटनासे बहुत-से विचार पैदा होते हैं। डॉक्टर जेमिसनके साथ अन्य लोग भी मरे। कुछ लोग आहत हुए। तूलोंमें फ्रेंच युद्धपोत टूटा था। उसमें लगभग २०० व्यक्ति मरे थे। ऐसी घटनाएँ हमेशा हुआ करती हैं। लेकिन हम जिन्दगीके नशेमें इतने चूर हैं कि कुछ देख नहीं पाते। बचपनमें सीख चुके हैं:

समझ समझ रे मनुष्य मनमें
मौतसे डर
कालकी चिन्ता कर
क्योंकि तुझे जलकर खाक हो जाना है।[1]

लेकिन इसका प्रभाव नहीं रहा। हम किसी भी कामका प्रारम्भ इस प्रकार करते हैं मानो अमरपट्टा लिखवाकर आये हों; और चमड़ेकी बद्धीके लिए भैंसको मारते हैं। किन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करें और जरा शान्तिसे देखें तो हमें मालूम होगा कि परोपकारके सिवा सारे काम व्यर्थ हैं। जो मिनट, घण्टे या दिन हमारे लिए हों उनका उपयोग हम भला करनेमें, देश-सेवा करनेमें और सत्यका निर्वाह करनेमें लगायें तो फिर हमें मौतकी चपेटका डर नहीं। समुद्रमें गहरा गोता लगाकर मोती लाना गोताखोरोंका काम है। उसी प्रकार दुनियारूपी समुद्रमें से मोती जैसे कामोंकी ही खोज करना बहादुरोंका काम है। हम औरतका काम करके मर्द नहीं रह सकते। लॉर्ड सेल्बोर्नने हमें ताना मारा है कि हम इतने हलके दर्जेके हैं कि हमें जरा भी कुछ होता है तो हम अधिकारीको रिश्वत देनेका विचार करने लगते हैं। हममें सच्चा जोश हो तभी हम इस आरोपका खण्डन कर सकते हैं।

अँगुलियोंकी छाप देना

मैं लिख चुका हूँ[2] कि यह काम रस्टनबर्गसे शुरू हुआ है। अब संघके पास रस्टनबर्गकी सभाका पत्र आया है। उसमें लिखा है कि जिसपर लोगोंकी अँगुलियाँ लगाई गई थीं वह कागज सभाका पत्र पानेपर जला दिया गया है। इसके लिए रस्टनबर्ग धन्यवादका पात्र है। दूसरी जगहोंके भारतीयोंको सावधान रहना है कि वे दस अँगुलियाँ कभी न लगायें।

फ्रीडडॉर्प अध्यादेश

इस अध्यादेशको पहली जुलाईसे लागू करनेकी सूचना जोहानिसबर्ग नगरपालिकाने दी है। इस बीच दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति हरजाना दिलानेकी तजवीज कर रही है।

मलायी बस्ती

मलायी बस्ती जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको सौंपनेके सम्बन्धमें सरकारने लिखा है कि नगर-परिषद द्वारा अमुक शर्तोंके स्वीकार किये जानेपर तुरन्त ही स्थायी पट्टा दे दिया

१. समज समज मन मानवी
मोत तणो भय राख।
काळ विषे कर काळजी
थवुं बळी ने खाख॥

२. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ३७९-८१।

जायेगा। उन शर्तोंमें एक यह है कि मलायी बस्तीके निवासियोंको यदि परिषद निकाल दे तो उन्हें दूसरी योग्य जगह दे और उनके बनाये हुए मकानोंके बदले पंचों द्वारा निश्चित मुआवजा दे।

इस शर्तका अर्थ यह हुआ कि बहुत वर्षोंसे लोग जिस जमीनको अपनी माने बैठे हैं उन्हें उस जायदादका मुआवजा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ मकानोंकी आज जो कीमत निश्चित की जायेगी उतना ही दिया जायेगा। अर्थात् ५० पौंडसे १५० पौंड तक रकम प्राप्त होगी। इस सम्बन्धमें मलायी बस्ती समितिको आजसे हलचल शुरू करनी चाहिए। सम्भव है, कुछ समयमें ही परिषद और सरकारके बीच इकरारनामोंपर हस्ताक्षर हों।

अनुमतिपत्र

ट्रान्सवालमें जो लोग अभी रह रहे हैं, जिनके पास पुराने पंजीयनपत्र हैं, और जो लड़ाई शुरू होनेके ऐन पहले ट्रान्सवाल छोड़कर चले गये थे, उन लोगोंको अनुमतिपत्रोंके लिए अर्जी देनेकी अवधि बहुत कम रह गई है। मार्च ३१ के बाद किसीकी अर्जीपर सुनवाई नहीं की जायेगी, यह याद रखना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-३-१९०७

४००. एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेश

इस अध्यादेशके फिरसे ट्रान्सवाल-संसदमें स्वीकृत होनेका मौका आ गया है। यह भी प्रायः अक्षरशः वैसा ही है जैसा पिछला अध्यादेश था, जो रद हो चुका है। यूरोपके लोगोंकी बहादुरीका यह नमूना है। वे लोग जिस कामको हाथमें लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। हम लोग केवल आरम्भ-शूर माने जाते हैं। यह सच्ची कसौटीका समय है। यदि ट्रान्सवालके भारतीय जेल जानेके लिए तैयार हों, तो कतई डरना नहीं है। बड़ी सरकार अब उस कानूनको रद करेगी या नहीं, यह हम नहीं कह सकते। इस अवसरपर हम प्रत्येक भारतीय पुरुषको सलाह देते हैं कि वह अंग्रेज महिलाओंके महान कार्यका स्मरण करे। तर्ककी अपेक्षा कार्यकी अधिक आवश्यकता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-३-१९०७

४०१. तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको[1]

जोहानिसबर्ग
मार्च २३, १९०७

[सेवामें]
दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति
लन्दन

एशियाई विधेयक ट्रान्सवाल संसदकी दो बैठकोंमें पास। ब्रिटिश भारतीय उससे आतंकित। उन्नीसको गज़टमें प्रकाशित। समाजको संसदके सामने सुनवाईका कोई अवसर नहीं। लगातार गैरकानूनी भरमारके आरोपसे पूर्ण इनकार और वह अबतक अप्रमाणित। असली सवाल साम्राज्यके अन्दर भारतीयोंके दर्जे का। यही मत अखबारोंका भी है। भरोसा है समिति भारतीयोंको आसन्न अपमानसे बचायेगी।

[विआस]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स (सी० ओ० २९१/१२२)

४०२. पत्र: सर विलियम वेडरबर्नको

[जोहानिसबर्ग]
मार्च २५, १९०७

प्रिय सर विलियम,

डॉक्टर ओल्डफील्डके लेखोंके बारेमें आपके पत्रके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। यह पत्र आपसे निवेदन करनेके लिए लिख रहा हूँ कि आप उस अध्यादेशके बारेमें, जो नई संसदके सामने फिर पेश किया गया है, बहुत सक्रिय दिलचस्पी लें। मेरा खयाल है कि 'इंडिया'में इस मामलेपर वैसा विचार नहीं किया गया जैसा कि होना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि भारतके प्रचारक और पत्रकार इसका पूरा लेखा-जोखा नहीं लेंगे।

'टाइम्स ऑफ इंडिया' के श्री फ्रेज़रका एक पत्र मुझे मिला था। उन्होंने लिखा था कि यदि इस कामके लिए एक विशेष समिति नियुक्त करनेका विचार किया जाये तो वे उसको सहर्ष सहयोग प्रदान करेंगे। यदि आप कृपापूर्वक भारतके नेताओंको सुझाव दे सकें कि ऐसी समिति बनाना वाञ्छनीय है तो, मेरा खयाल है, यह सुझाव स्वीकार कर लिया जायेगा।

१. श्री एल० डब्ल्यू० रिचने इसे अपने २५ मार्चके पत्रके साथ लन्दनमें उप-उपनिवेश मन्त्रीके पास भेज दिया था। "तार: लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ ४०६ भी देखिए।

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिके मन्त्रीको मैंने सुझाव दे दिया[1] है कि जनरल बोथासे एक शिष्टमण्डल मिले और इस प्रश्नपर विचार-विमर्श करे।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

सर विलियम वेडरबर्न, बैरोनेट
[इंग्लैंड]

टाइप किये हुए मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७७९-२) से।

४०३. पत्र : दादाभाई नौरोजीको

जोहानिसबर्ग
मार्च २५, १९०७

प्रिय श्री नौरोजी,

मैं सर विलियमके नाम अपने पत्रकी[2] प्रतिलिपि आपके देखनेके लिए साथ भेज रहा हूँ। मेरा निश्चित विचार है कि 'इंडिया' को प्रति सप्ताह प्रमुख रूपसे इस मामलेपर विचार करना चाहिए। ट्रान्सवालमें जो-कुछ भी किया जाता है उसका सभी उपनिवेशोंमें अनुकरण किया जायेगा। और यदि इस अध्यादेशके मूलमें निहित प्रजातीय विधानका पतनकारी सिद्धान्त एक बार मान लिया गया तो भारतीय आव्रजनका अन्त हो जायेगा।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

[संलग्न]

श्री दादाभाई नौरोजी
२२, केनिंगटन रोड
लन्दन, एस० ई०

टाइप किये हुए मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७७९/१) से।

४०४. पत्र : छगनलाल गांधीको

[जोहानिसबर्ग]
मार्च २५, १९०७

प्रिय छगनलाल,

तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि प्रति सप्ताह हमारे पास 'इंडियन ओपिनियन' की प्रतियोंकी कमी पड़ जाती है। आज अगर तुमने १०० प्रतियाँ भेजी होतीं तो वे सब खप जातीं। इसलिए कदाचित् यह अच्छा होगा कि आगामी सप्ताहसे यहाँ २०० प्रतियाँ भेजो;

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।
२. देखिए पिछला शीर्षक।

क्योंकि उनकी बहुत-बड़ी माँग अवश्यम्भावी है। तुम चालू अंककी भी लगभग २ दर्जन प्रतियाँ और भेज सकते हो। मैंने हेमचन्दको हिदायत दी है कि वह यहाँ आनेवालोंसे प्रतियाँ पहुँचानेके वादेपर चन्दे स्वीकार कर ले। यदि वे बेची नहीं जा सकेंगी तो मैं उन्हें रखूँगा। फिलहाल तुम्हें इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि जितनी प्रतियोंकी माँग होती है, उनसे तुम १०० या २०० प्रतियाँ ज्यादा छापो। आगामी सप्ताहकी माँगमें तुम्हें २०० प्रतियाँ अवश्य ही शामिल करनी चाहिए।

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मो० क० गांधी

टाइप किये हुए मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० ४७२४) से।

४०५. ट्रान्सवाल भारतीयोंकी आम सभाके प्रस्ताव[1]

[जोहानिसबर्ग
मार्च २९, १९०७]

[प्रस्ताव – १][2]

ब्रिटिश भारतीय संघके तत्त्वावधानमें आयोजित ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा नम्रतापूर्वक नई ट्रान्सवाल संसद द्वारा एशियाई कानून-संशोधन विधेयक पास किये जानेका विरोध करती है, क्योंकि उक्त विधेयक अनावश्यक और ब्रिटिश भारतीय समाजको अपमानित करनेवाला है।

[प्रस्ताव – २][3]

ब्रिटिश भारतीय संघके तत्त्वावधानमें आयोजित ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा भारतीयोंके गैरकानूनी रूपसे बड़े पैमानेपर आनेके दोषारोपणको नामंजूर करती है और शासन तथा जनताके पूर्वग्रहके संतोषके लिए जिस प्रकारका स्वेच्छापूर्वक पंजीयन १९०४ में लॉर्ड मिलनरकी सलाहपर किया गया था उस प्रकारका पंजीयन अध्यक्षके भाषणमें चर्चित ढंगसे करानेको तैयार है। इस प्रकार व्यवहारतः, विधेयककी सारी जरूरतें उसके सन्तापजनक स्वरूपके बिना ही पूरी हो जायेंगी।

[प्रस्ताव – ३][4]

यदि प्रस्ताव २ में पेश नम्र विचार स्थानीय सरकारके द्वारा स्वीकृत न किया जाये तो इस तथ्यकी बिनापर कि ब्रिटिश भारतीयोंका विधानसभाके सदस्योंके चुनावमें कोई हाथ

१. ये प्रस्ताव मार्च २९, १९०७ की सार्वजनिक सभामें पास किये गये थे। इस सभामें ट्रान्सवालके सभी अंचलोंके प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रस्तावोंके मसविदे, अनुमानतः, गांधीजीने तैयार किये थे।

२. यह प्रस्ताव हाजी वजीर अलीने रखा था।

३. पॉचेफ्स्ट्रूमके अब्दुल रहमान द्वारा प्रस्तावित।

४. जोहानिसबर्गके नादिरशाह ए० कामा द्वारा प्रस्तावित।

नहीं है और उनका समाज बहुत छोटा, कमजोर और अल्पसंख्यक समाज है, यह सभा साम्राज्यीय सरकारसे पूर्ण संरक्षणकी प्रार्थना करती है।

[प्रस्ताव – ४][1]

ब्रिटिश भारतीयोंकी इस सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावोंको तार अथवा समुद्री तार द्वारा स्थानीय सरकार, माननीय उपनिवेश सचिव, परममाननीय भारत-मन्त्री और भारतके परमश्रेष्ठ गवर्नर जनरलकी सेवामें पेश करनेका अधिकार अध्यक्षको रहे और है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६–४–१९०७

४०६. विक्रेता-परवाना अधिनियम

विक्रेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत एक नियमके अनुसार भारी शुल्क लागू करनेके सम्बन्धमें नेटाल सरकारने नेटाल भारतीय कांग्रेसको जो उत्तर[2] दिया है वह अत्यन्त असन्तोषजनक है। उसमें सरकारकी ओरसे केवल अपनी कार्यवाहीको उचित ठहरानेकी उत्सुकता प्रदर्शित की गई है। किन्तु मद्य-परवाना अधिनियम तथा सड़क-निकाय अधिनियमके साथ जो उसकी तुलना की गई है वह सर्वथा गलतफहमीमें डालनेवाली है। मद्य-परवाना अध्यादेश और कानून स्वभावतः मद्य-व्यापारके लिए सदैव प्रतिबंधक होते हैं। इसलिए विधानमण्डलकी नीति स्वभावतः यह है कि परवानोंमें अभिवृद्धि रोकनेके लिए जितने भी प्रतिबन्ध सम्भव हों, लगाये जायें। यह सच है, प्रत्युत्तरमें यह कहा जा सकता है कि जहांतक भारतीयोंका सम्बन्ध है, विक्रेता-परवाना अधिनियमकी भी यही नीति है। किन्तु हमारा विचार है, सरकार ऐसा पैंतरा नहीं बदल सकती। परवाने देनेके बारेमें अपील निकायोंको जो पूर्ण विवेकाधिकार सौंपा गया है उससे इस अधिनियमके कारण कठिनाइयां और भी बढ़ गई हैं। १२ पौंड १० शिलिंग शुल्कके रूपमें भारी जुर्माना करनेका मतलब होगा निकायोंके पास पहुँचनेपर भी व्यवहारतः प्रतिबन्ध लगाना, इससे कुछ भी कम नहीं। सड़क निकाय अधिनियमसे तुलना करना भी ठीक नहीं है। उसमें जो अधिकार सन्निहित हैं वे बिलकुल भिन्न हैं। वे विशेष अधिकारोंको विनियमित करते हैं और सामाजिक अनर्हताको प्रश्रय नहीं देते। इसके विरुद्ध विक्रेता-परवाना अधिनियम स्वाभाविक अधिकारपर प्रतिबन्ध लगाता है। यह अधिकार अबतक निहित अधिकार समझा

१. ओडेन्डालरस्टके इमाम अब्दुल कादिर बावजीर द्वारा प्रस्तावित।

२. सरकारकी ओरसे उत्तरमें कहा गया था कि, "जिस नियमके अनुसार प्रार्थीको १८९७के अधिनियम १८के अन्तर्गत १२ पौंड जमा करना पड़ता है वह उचित है और अधिनियमके उपलब्ध अधिकारके अन्तर्गत है। मैं कह सकता हूँ कि यह नियम उन अन्य नियमोंके समान ही है जो उस तरहके अधिनियमोंके सम्बन्धमें बनाये गये हैं। मद्य अधिनियमके अन्तर्गत जो नियम है, यह उनमें से एकके जैसा ही है तथा १९०१के सड़क-निकाय अधिनियमके अनुसार भी १५ से २५ पौंड तक जमा करने पड़ते हैं।"

जाता रहा है। निःसन्देह हमारा विचार है कि कांग्रेस तबतक इस मामलेको चलाती रहे जबतक कि यह शुल्क हटाया नहीं जाता।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-३-१९०७

४०७. ट्रान्सवाल एशियाई अध्यादेश

ट्रान्सवालके भारतीयोंकी जो स्थिति गत सितम्बरमें थी वही आज फिर हो गई है। आज सबकी दृष्टि इसपर है कि ट्रान्सवालके भारतीय क्या करते हैं।

उनकी प्रतिक्रियापर सारे भारतीय निर्भर हैं। जो ट्रान्सवालमें होगा वही समस्त दक्षिण आफ्रिकामें होना सम्भव है।

मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता

आप मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस कहावतके अनुसार यदि ट्रान्सवालके भारतीय जेल जानेके प्रस्तावपर दृढ़तासे नहीं डटे रहेंगे तो सर्वस्व खो बैठेंगे। अधिकार उनके हाथसे ही जायेंगे, इतना ही नहीं, दक्षिण आफ्रिकाके अन्य भारतीयोंको भी अधिकारोंसे हाथ धोना पड़ेगा।

यदि ट्रान्सवालका भारतीय समाज जेलके प्रस्तावको ठीक तरहसे नहीं निभायेगा तो वह थूककर चाटनेके समान होगा। गोरे हँसी उड़ायेंगे, हमें नामर्द और डरपोक कहेंगे तथा समझने लगेंगे कि हमपर जितना भी बोझ लादा जायेगा, हम उसे उठा लेंगे। इसके अलावा भारतीय समाजके लिखने या बोलनेपर बिलकुल भरोसा नहीं रहेगा।

यदि यह विधेयक पास हो गया

यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो ट्रान्सवालकी सरकार तेजीके साथ और भी विधेयक बनायेगी और भारतीय समाज एक-एक करके सारे अधिकार स्वयं खो बैठेगा। ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें जो कानून हैं वे ट्रान्सवालमें लागू होंगे और उसके बाद सब स्थानोंमें वैसा किया जायेगा। सभी व्यापारियोंको 'बाजारों' में हटाना, लोगोंको मलायी बस्तीसे तेरह मील दूर क्लिप्स्प्रूट भेज देना, बस्तीके बाहर भू-स्वामित्वके अधिकार बिलकुल न देना, वगैरह बातें आजसे शुरू हो गई हैं। अब यदि भारतीय समाज जेलके प्रस्तावसे हटता है तो हम नहीं समझते कि उपर्युक्त एक भी बातमें उसकी सुनवाई होगी।

यदि इस बार साख गई तो फिर न आयेगी। दिये हुए वचनसे मुकरनेके समान हम किसी बातको बुरा नहीं मानते।

अध्यादेशका विरोध करनेके अन्य कारण

ये संक्षेपमें नीचे दिये जा रहे हैं:

१. अध्यादेशके द्वारा सभी लोगोंके अनुमतिपत्र रद हो जायेंगे और जाँच करके नये अनुमतिपत्र दिये जायेंगे।

२. वह अनुमतिपत्र आफ्रिकी सिपाही अथवा अन्य किसी भी सिपाहीको दिखाना पड़ेगा।

३. अनुमतिपत्र न दिखानेवालेको परवाना नहीं मिलेगा।

४. अनुमतिपत्र दिखानेपर भी किसी व्यक्तिको रात-भर तहखानेमें बन्द कर रखनेका पुलिसको अधिकार है।

५. आठ वर्षके बच्चेका भी उसके पिताको पंजीयन कराना होगा; और बच्चेका हुलिया देना होगा।

६. यह सारी मुसीबत झूठे अनुमतिपत्रवालों या बिना अनुमतिपत्रवालोंको नहीं उठानी पड़ेगी। क्योंकि उनको तो ट्रान्सवाल छोड़ना होगा। किन्तु सच्चे अनुमतिपत्रवालोंको यह मुसीबत उठानी है।

७. सभी अधिकारी यह कह चुके हैं कि नये अनुमतिपत्रपर दसों अँगुलियोंकी छाप देनी होगी।

८. हम पहले जो अँगूठेकी निशानी दे चुके हैं उसमें और अब जो कानून बन रहा है इसमें बहुत अन्तर है। तब हमने अँगूठेकी निशानी स्वेच्छासे दी थी, किन्तु उस बातको अब कानून अनिवार्य बना रहा है।

९. हम आजतक जो अँगूठेकी निशानी देते आ रहे हैं वह कानूनकी पुस्तकोंमें नहीं है, इसलिए उसका असर सार्वत्रिक नहीं होता। परन्तु नये कानूनका असर सभी जगह होगा।

१०. यदि कोई अनजान व्यक्ति इस कानूनको पढ़े तो उसके मनपर प्रभाव पड़ेगा कि यह कानून जिन लोगोंके लिए है, वे चोर, डाकू और ठग होने चाहिए।

११. इस कानूनकी धाराएँ केवल जरायमपेशा लोगोंपर ही लागू हो सकती हैं।

१२. इस कानूनको पेश करनेका कारण भी यही बताया गया है: भारतीय समाजके प्रमुख लोग गलत तरीकेसे भारतीयोंको ट्रान्सवालमें प्रविष्ट करते हैं, अर्थात् वे गुनहगार हैं।

१३. यह कानून यह प्रश्न पैदा करता है कि भारतीय समाज सम्मानका पात्र है या तुच्छ है।

१४. यदि इस कानूनको भारतीय समाज स्वीकार कर लेता है तो परिणाम यह होगा कि सर मंचरजी भावनगरीके समान भारतीय कहीं ट्रान्सवालमें आयें तो उनसे भी अँगुलियोंवाले प्रवेशपत्र माँगे जायेंगे। इसका उत्तरदायित्व ट्रान्सवालके भारतीयोंपर रहता है।

१५. यह कानून केवल एशियाई लोगोंपर लागू होता है। केप निवासी, काफिर या मलायीपर लागू नहीं होता। यानी ये तीनों जातियाँ भारतीय समाजकी हँसी उड़ायेंगी। एक भारतीय किसी मलायी औरतसे शादी करता है तो उसके मलायी सगे-सम्बन्धीसे तो कोई प्रवेशपत्र नहीं माँग सकता किन्तु भारतीयसे हर जगह आफ्रिकी सिपाही "कुली पास"[1] कहकर प्रवेशपत्र माँगेंगे। अर्थात् मलायी औरतके मुकाबले भारतीयकी स्थिति हल्की रही।

इसी प्रकारके और कारण भी दिये जा सकते हैं। उपर्युक्त कारणोंको खूब अच्छी तरह पढ़कर पाठकको सोचना चाहिए कि ऐसी दुर्दशा भोगनेके बजाय क्या जेल अच्छी नहीं है? इस कायदेके अनुसार प्रवेशपत्र प्राप्त करनेमें तो, हम मानते हैं, हमेशाकी जेल है। इसके बदले थोड़े दिनों या महीनोंकी जेल भोगना कुछ बुरा नहीं है। बल्कि उसमें लाभ और यश है और इस हमेशाकी जेलमें नुकसान व बदनामी है। इसके अतिरिक्त स्मरण रहे कि भारतीय

१. आपका पास।

समाज एक बार जेलका प्रस्ताव कर चुका है, यह बात सारे संसारको मालूम हो चुकी है। यदि यह कानून दिसम्बरमें स्वीकार नहीं था, तो क्या अब स्वीकार हो गया? इस कानूनको लेकर ली गई जेल जानेकी शपथ सदाके लिए कायम है। हमारी प्रार्थना है कि भारतीय समाज इन विचारोंको लेकर ठीक-ठीक निश्चय करे और जेलके प्रस्तावपर डटा रहे तथा खुदा उसे अपने प्रस्तावको कायम रखनेकी हिम्मत बख्शे।

विलायतकी बहादुर महिलाएँ

ये महिलाएँ जो लड़ाई लड़ रही हैं, उसके सम्बन्धमें अभी भी तार आते रहते हैं। उनमें से सभी महिलाएँ जुर्माना न देकर जेल जाती हैं। उन्हें अबतक अधिकार प्राप्त नहीं हुए, इससे वे पस्तहिम्मत नहीं हैं, बल्कि मानती हैं कि स्वयं उन्हें भले अधिकार प्राप्त न हों, उनकी मेहनतका फल उनकी लड़कियोंको तो मिलेगा।

जेलके प्रस्तावके सम्बन्धमें कोई यह न माने कि सभी भारतीय जेल जायेंगे तभी वह भी जायेगा। परन्तु जिसे हिम्मत हो उसे जेल जाना है। उपर्युक्त महिलाओंसे सबक लेना है। यद्यपि वे बहुत कम हैं फिर भी जेल जाती हैं, और इसके द्वारा दुनियाका ध्यान इस विषयकी ओर खींचती हैं।

हम अपने सभी पाठकोंसे विनम्र निवेदन करते हैं कि उन्हें हमारे इस लेखको हृदयमें अंकित कर रखना है और बहुत सोच समझकर काम करना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-३-१९०७

४०८. केप तथा नेटाल [के भारतीयों] का कर्तव्य

केप तथा नेटालके भारतीयोंका इस समय यह कर्तव्य है कि वे सभायें करके ट्रान्सवालके भारतीयोंके प्रति हमदर्दी व्यक्त करें। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रस्ताव करके बड़ी सरकारको भेजना चाहिए। उन्हें हर जगह प्रस्ताव करके सरकारको नम्रतापूर्वक लिखना चाहिए कि कानून अमुक-अमुक प्रकारसे अत्याचारी है और यह रद कर दिया जाये तभी ठीक होगा। इतना याद रखना है कि ट्रान्सवाल अध्यादेशके समर्थनमें हर जगहसे गोरोंकी ओरसे लॉर्ड एलगिनके नाम तार भेजे गये हैं। भाषण हर जगह गम्भीरतापूर्वक और ढंगसे किये जाने चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-३-१९०७

४०९. लोबिटो-बे जानेवाले भारतीय

पुर्तुगाली आफ्रिकामें केपके उत्तर १,००० मीलपर लोबिटो-बे है। वहाँ श्री स्टोन नामक एक अंग्रेज भारतीय मजदूरोंको ले जाना चाहते हैं। लोबिटो-बेमें एक अंग्रेज कम्पनी रेल बना रही है। उसमें काम करनेके लिए भारतीयोंको ले जानेका उनका इरादा है। यह सवाल उठा है कि भारतीय समाज इसमें प्रोत्साहन दे या नहीं। डर्बन स्वच्छता संघ-(सैनीटरी असोसिएशन) के अध्यक्ष जो कुछ हकीकतें प्रकाशमें लाये हैं उनसे मालूम होता है कि श्री स्टोनने डर्बनमें भारतीयोंको बहुत बुरी दशामें रखा है। उनके लिए जो मकान लिया गया है, वह बहुत ही छोटा और गंदा है। यह हकीकत यदि सही हो तो हमें सोचना है कि भारतीय मजदूरोंको लोबिटो-बे जानेसे लाभ होगा या नहीं। श्री स्टोनको भारत सरकारकी ओरसे अनुमति भी मिल चुकी है। इसलिए अब उन्हें भारतीय समाजकी सहायताकी अपेक्षा नहीं रहती। परन्तु इस उदाहरणसे हमें समझ लेना है कि भारतीय समाज ऐसे काममें सम्मति नहीं दे सकता। उलटे, आवश्यक होनेपर विरोध कर सकता है। हमें यह समाचार मिला है कि लोबिटो-बेकी जलवायु अच्छी है। इसलिए सम्भव है कि भारतीय मजदूर वहाँ सुखी होंगे। किन्तु यह बहुत-कुछ उनके साथ जानेवाले मुखियाओंकी भलमनसाहतपर निर्भर रहेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०–३–१९०७

४१०. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

एशियाई अध्यादेश

ट्रान्सवालकी नई संसदने एशियाई अध्यादेशको दो दिनमें, जैसा सितम्बरमें था उसी हालतमें, पास कर दिया है। तारीख २० को अध्यादेश विधानसभामें पेश किया गया। उसी दिन दो घंटेमें उसके तीन "वाचन" हुए और वह तुरन्त ही विधान-परिषदमें भेज दिया गया। वहाँ श्री मार्टिनके कहनेसे वह सदस्योंसे पूछताछ करनेके हेतु २२ तारीख तक मुल्तवी रखा गया। लेकिन यह निरा ढोंग ही माना जायेगा। एक रातमें सदस्य क्या समझ सकते हैं? २२ तारीखको विधान-परिषदने उसे पास कर दिया।[1]

संघका तार

विधेयक इस प्रकार पास होगा इसका किसीको स्वप्नमें भी खयाल न था। इस बातके मालूम होते ही संघने तुरन्त नीचे लिखे अनुसार तार किया है:

> संघको यह देखकर बहुत खेद हुआ है कि एशियाई विधेयक सभामें पास किया जा चुका है और सम्भव है कि आज परिषदमें भी पास हो जायेगा। संघ नम्रतापूर्वक

१. दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय १५ में गांधीजी कहते हैं कि "विधेयकपर सारी कार्रवाई मार्च २१, १९०७को एक ही बैठकमें समाप्त कर दी गई"।

प्रार्थना करता है कि जबतक हमारी आपत्ति न सुन ली जाये, विधेयकपर आगे विचार करना स्थगित रखा जाये। संघ आपको स्मरण दिलाता है कि परिषदका काम मताधिकाररहित लोगोंके हितोंकी रक्षा करना है। भारतीय समाज वफादार है, किन्तु उसे मताधिकार नहीं है। भारतीय चोरीसे बड़े पैमानेपर आते हैं, इस बातको संघ बिलकुल स्वीकार नहीं करता। सभी वयस्क भारतीयोंके पास नाम और निशानीयुक्त अनुमतिपत्र हैं। जिनके पास अनुमतिपत्र न हों उन्हें सरकार अब भी निर्वासित कर सकती है। हमारी प्रार्थना है कि उपर्युक्त आरोपकी जाँच करनेके लिए एक आयोगकी नियुक्ति की जानी चाहिए। हम समझते हैं कि विधेयक अत्याचारी और अनावश्यक है। संघ परिषदसे न्यायके लिए प्रार्थना करता है।

यह तार परिषदमें पढ़ा गया किन्तु उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। अब वह विधेयक हस्ताक्षरके लिए लॉर्ड एलगिनके समक्ष गया है।

विधेयक पेश करते समयके भाषण

उपनिवेश-सचिव श्री स्मट्सने कहा कि इस सम्बन्धमें ट्रान्सवालकी सारी गोरी प्रजा एकराय है। भारतीयोंका प्रवेश रुकना चाहिए। वे बहुत बड़ी संख्यामें आ रहे हैं। उन्हें रोकनेका डच सरकारने प्रयत्न किया था, इसलिए लड़ाई हुई। जो विधेयक आज पेश किया गया है वह भूतपूर्व परिषदमें पेश किया जा चुका था। इसमें केवल भारतीयोंका पंजीयन करवानेकी बात है। १८८५ का कानून ३ ठीक नहीं है। इसलिए इस नये विधेयकसे वह दोष दूर हो जायेगा। बड़ी सरकारने पहला विधेयक नामंजूर किया इसका कारण यह था कि उसे पुरानी परिषदने पास किया था। अब हम दिखा सकते हैं कि यह सर्वानुमतिसे पास किया जा रहा है। इस विधेयकके पास हो जानेपर दूसरे कानून बनाने होंगे। सो बादमें देखा जायगा। अभी तो हमें यह जानना जरूरी है कि इस देशमें रहनेका अधिकार किसे है। इसलिए यह विधेयक आज ही पास करना जरूरी है।

डॉक्टर क्राउज़ने समर्थन किया। श्री ओवेन जॉन्सने कहा कि सारी नगरपालिकाएँ यह कानून चाहती हैं। गोरोंकी रक्षा करना बिलकुल जरूरी है। इस विधेयकको इतनी जल्दी पेश करनेके लिए श्री लवडेने सरकारको धन्यवाद दिया। श्री जेकब्सने कहा, सारे किसान भारतीयोंको भगा देना चाहते हैं। यदि वे नहीं गये तो किसानोंकी जमीनें भी छीन लेंगे। ट्रान्सवालमें गोरे रह सकते हैं किन्तु भारतमें नहीं रह सकते। इसलिए यहाँसे उन लोगोंको निकालना ही चाहिए।

जनरल चोक-बरगरने समर्थन किया। सर पर्सी फिट्ज़पैट्रिकने समर्थन किया और विधेयक पास होनेपर परिषदमें भेज दिया गया।

परिषद्में

श्री कर्टिसने कहा यह विधेयक तो पास होना ही चाहिए, किन्तु विलायतमें यह खयाल न हो कि परिषदने बिना विचार किये विधेयक पास कर दिया है, इसलिए परिषदको विचार करनेके लिए एक रात मिलनी चाहिए। यह विधेयक बहुत ही जरूरी है। मैं अपने अनुभवसे कह सकता हूँ कि हर महीने एक सौ भारतीय बिना अनुमतिपत्रके ट्रान्सवालमें प्रवेश करते हैं। इसलिए दक्षिण आफ्रिकाको यदि गोरोंके कब्जेमें रहना हो तो यह विधेयक पास होना ही चाहिए।

श्री मार्टिनने कहा व्यापारी वगैरह सब इस विधेयककी माँग करते हैं और इसे पास होना चाहिए। श्री रॉयने विधेयक पेश करनेके सम्बन्धमें बधाई दी। श्री पर्चेसने कहा विधेयक उचित है। भारतीयोंकी आपत्ति ठीक नहीं है। वे सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं, दूसरी ओर नहीं देखते; और उनके अंग्रेज मित्र यहाँकी परिस्थितिसे अपरिचित हैं।

अखबारोंकी टीका

'लीडर', 'डेली मेल' तथा 'स्टार'ने निम्नानुसार टीकाएँ की हैं:

'लीडर'का कहना है कि लॉर्ड एलगिनके लिए विधेयकको मंजूर करनेके सिवा कोई चारा नहीं है। फिर भी उन्होंने पिछले विधेयकको रद करके बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। अब वे इस विधेयकको कैसे मंजूर कर सकते हैं, यह समझमें नहीं आता।

'रैंड डेली मेल' का कहना है कि नये भारतीयोंको रोकनेके लिए विधेयक जरूरी है। इसलिए उसका पास होना ठीक हुआ। जिन्हें ट्रान्सवालमें रहना है उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए।

'स्टार' का कहना है कि सर रिचर्ड सॉलोमन खबर लाये हैं कि नई संसद यदि विधेयक स्वीकार कर दे तो उसे मंजूरी मिल जायेगी। इसलिए अब यह विधेयक पास होना ही चाहिए।

विलायतमें टीका

'टाइम्स' समाचारपत्रका कहना है कि ट्रान्सवाल संसदने विधेयक पास करके बड़ी गलती की है। उसने वहाँकी सरकारकी असुविधाओंका विचार नहीं किया। अनुदार दलके 'ग्लोब' अखबारका भी कहना है कि यह विधेयक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। 'ट्रिब्यून'का कहना है कि विधेयक पास हुआ यह गलत हुआ। लेकिन अब जनरल बोथा आनेवाले हैं, इसलिए लॉर्ड एलगिन उसका कुछ हल निकाल सकेंगे।

हमारी समिति जागृत

विलायतके तारोंसे मालूम होता है कि हमारी समितिने संसदमें विधेयकके विरोधमें हलचल शुरू कर दी है। ९ अप्रैलको कैक्स्टन हॉलमें समितिकी तथा पूर्व भारत संघकी बैठक होगी।

संघकी बैठक

ब्रिटिश भारतीय संघ और भारतीय-विरोधी कानून-निधि समितिकी बैठक पिछले रविवारको श्री कुवाड़ियाके मकानमें हुई थी। उसके बाद सोमवारको हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी बैठक हुई। कुछ विचार-विमर्शके बाद दोनों बैठकोंने गम्भीरतापूर्वक निर्णय किया कि जेलके निर्णयपर अटल रहा जाये। दोनों बैठकोंमें प्रिटोरिया समितिके मन्त्री श्री हाजी हबीब उपस्थित थे।

इस बैठकमें गुजरात हिन्दू सोसायटीके पास भारतीय-विरोधी कानून सम्बन्धी आन्दोलनके इकट्ठा किये गये जो पैसे थे उनका एक चेक प्राप्त हुआ और श्री अलीभाई आकुजीके पास जो रकम पड़ी थी वह भी मिल गई। अभी कुछ लोग गये हुए हैं। कुछ लोगोंके पास चन्देकी रकम पड़ी है, उसकी तजवीज की जा रही है।

पैसेकी आवश्यकता

पैसेकी आवश्यकता इस समय अधिक होगी यह समझमें आने जैसी बात है। दूसरी जगहोंकी समितियोंसे अभी पैसे नहीं मिले, इस सम्बन्धमें उपर्युक्त बैठकमें बहुत चर्चा हुई। इसलिए बाहरी समितियोंको व्यवस्था करके तुरन्त ही पैसे पहुँचाना चाहिए।

आम सभा

शुक्रवार ता० ३०को[1] आम सभा करनेका निश्चय किया गया है। उसके सम्बन्धमें हर जगह सूचनाएँ भेजी गई हैं। और यह पत्र लिखते समय अनुमान है कि उस सभामें बहुत लोग उपस्थित होंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०–३–१९०७

४११. तार[2] : लॉर्ड एलगिनको

ब्रिटिश भारतीयोंके बारेमें उत्तरदायी सरकार और स्थानीय संसदके प्रथम कार्यसे ब्रिटिश भारतीय आतंकित। ब्रिटिश भारतीय संघका निवेदन कि बड़े पैमानेपर कोई गैरकानूनी आव्रजन नहीं। समय आनेपर संघ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेगा। भरोसा है, इस बीच निर्णय स्थगित रखा जायेगा।

[बिआस]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०–३–१९०७

४१२. तार[3] : द० आ० ब्रि० भा० समितिको

जोहानिसबर्ग,
मार्च ३०, १९०७

[सेवामें]
दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति
लंदन

रायटर सार्वजनिक सभाकी कार्रवाईकी पूरी रिपोर्ट भेज रहा है। आप प्रस्तावित समझौतेको न समझें तो स्पष्टीकरणके लिए तार दें। स्थानीय सरकारने तार ब्रिटिश सरकारकी सेवामें बढ़ानेसे इनकार कर दिया।

[बिआस]

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स, सी० ओ० २९१/१२२।

१. यह भूलसे दिया गया है, क्योंकि मार्च ३०को शनिवार था। सार्वजनिक सभा जोहानिसबर्गमें २९ तारीखको हुई थी।

२. जान पड़ता है कि इसी प्रकारका एक तार श्री मॉर्लेको भी भेजा गया था।

३. यह तार एल० डब्ल्यू० रिचने उप-उपनिवेश मंत्री, लंदनको २ अप्रैलको प्रेषित किया था।

४१३. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[अप्रैल ४, १९०७ के पूर्व]

आम सभा

इस विराट सार्वजनिक सभाका विवरण मैंने अलग भेजा है[1], इसलिए यहाँ कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है। सभाका क्या परिणाम होगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस सम्बन्धमें रायटरकी मारफत आधे मूल्यमें विलायत तार भेजा है। उसका २१ पौंडसे ज्यादा खर्च आया है। उसमें करीबन ४४० शब्द हैं और वह विलायतके सभी समाचार-पत्रोंको भेजा गया है। इसके अलावा एक तार दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिके नाम गया है।

उपनिवेश-सचिवको सभाकी खबर दी है और संघने शिष्टमण्डलके लिए मुलाकातका समय माँगा है। उसका उद्देश्य यह है कि सारे प्रस्ताव उपनिवेश-सचिवके समक्ष पेश किये जायें और उन्हें समझाया जाये कि वे दूसरे प्रस्तावमें किये गये निवेदनको मान्य करें।

लॉर्ड एलगिनको भेजनेके लिए जो तार श्री स्मट्सको भेजा गया था उसे भेजनेसे इनकार करते हुए श्री स्मट्सने लिखा है यदि संघ सीधे तार भेजना चाहता हो तो उसके लिए उपनिवेश-सचिवकी मनाही नहीं है। इस उत्तरसे मालूम होता है कि नई सरकार भारतीयोंके साथ न्याय नहीं करना चाहती। इसपर संघने लॉर्ड सेल्बोर्नको लिखकर पूछा है कि वे तार भेज सकेंगे या सीधे संघ ही तार भेजे।

रेलकी तकलीफ

मुख्य प्रबन्धकने संघके पत्रका उत्तर दिया है कि ८-३५ बजे सवेरेकी विशेष गाड़ीमें भारतीयोंको सिर्फ [गार्डके] वानमें ही बैठनेकी अनुमति मिलेगी।

प्रिटोरियाका शिष्टमण्डल

उपनिवेश-सचिव श्री स्मट्सने आम सभाके प्रस्तावके सम्बन्धमें शिष्टमण्डलसे मिलना स्वीकार कर लिया है। शिष्टमण्डल ता० ४ को प्रिटोरियामें मिलेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-४-१९०७

1. देखिए "ट्रान्सवालके भारतीयोंकी विराट सभा", पृष्ठ ४११-२३।

४१४. कठिनाईसे निकलनेका एक मार्ग

जोहानिसवर्गमें उस दिन भारतवासियोंकी जो सार्वजनिक सभा हुई थी, उससे पता चलता है कि ट्रान्सवालमें रहनेवाले ब्रिटिश भारतीय किस लगनसे एक कठिन संग्राम कर रहे हैं। कार्यवाहीका केन्द्र-विन्दु निस्सन्देह दूसरा प्रस्ताव था, जिसमें सभाके अध्यक्ष और ब्रिटिश भारतीय संघके प्रधान श्री अब्दुल गनीका निहायत वाजिव सुझाव शामिल किया गया था। यदि ट्रान्सवाल सरकार भारतीयोंको राजी करने और स्थितिपर सभी दृष्टिकोणोंसे विचार करनेकी कुछ भी इच्छा रखती है तो वह उस प्रस्तावको लेशमात्र भी हिचके विना स्वीकार कर लेगी। भारतीयोंने राजनीतिज्ञों जैसी नरमीसे स्वयं ही अपना पंजीयन दुवारा करानेका प्रस्ताव किया है। उनके पास जो दुहरे दस्तावेज हैं, वे उनको भी दूसरे दस्तावेजसे वदलनेको तैयार हैं, जिसको दोनों पक्ष आपसमें मिलकर स्वीकार करेंगे और कानूनी वाध्यता न होनेपर भी, उन्होंने कुछ ऐसी पावन्दियाँ सहन करना मंजूर किया है, जिनको सरकारने आवश्यक समझा है। यह दूसरा प्रस्ताव भारतीय समाजकी सद्भावनाका प्रमाण है और साथ ही एक नाजुक तथा कठिन परिस्थितिसे वाहर निकलनेका मार्ग भी है। यदि यह सच नहीं है कि ट्रान्सवाल-मन्त्रालय साम्राज्य-सरकारके साथ मुठभेड़के लिए आतुर नहीं है तो हमें वड़ा आश्चर्य होगा। उसे भारतीय सुझावोंके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। और भारतीयोंको भी उस प्रस्तावसे जरा भी डरनेकी जरूरत नहीं है। उपनिवेशमें वर्तमान विद्वेषको ध्यानमें रखते हुए, इससे उनको वेशक एक वार फिर कष्टदायक कार्यवाहीसे गुजरनेकी नौवत आ जाती है, तो भी उनके लिए उसमें से गुजरना लाजिमी है। अपनी मर्जीसे उठाये हुए इस कदमसे भारतीय समाजकी साख हमेशाके लिए वढ़ जायेगी। और सारे भारतीय सवालोंके माकूल निपटारेके लिए रास्ता साफ हो जायेगा। इसके अलावा भारतीय समाज जितने शानदार तरीकेसे झुकेगा, इस आपत्तिजनक विधेयकपर शाही मंजूरी मिलनेकी हालतमें और भारतीय समाजके लिए पिछले सितम्वरके चौथे प्रस्तावको अमली जामा पहनाना आवश्यक होनेके कारण, उसकी स्थिति उतनी ही ज्यादा मजवूत हो जायगी।

'नेटाल ऐडवर्टाइज़र' ने हमें इसके लिए आड़े हाथों लिया है कि हमने, उसके शब्दोंमें, "ट्रान्सवालके प्रवासी भारतीयोंको अनाक्रामक प्रतिरोधके लिए जान-बूझकर भड़काया है।" भारतीयोंको प्रभावित करनेवाली भावनाओंमें डुवकी लगाना" ऐडवर्टाइज़र" के लिए असम्भव है। यह प्रश्न शहादतका नहीं है और न प्रतिरोधके लिए प्रतिरोध करनेका है। हमको यह कहनेमें कोई हिचक नहीं है कि राजभक्त तथा कानूनको माननेवाले समुदायके लिए अनाक्रामक प्रतिरोध न्याय प्राप्त करनेका एक सर्वमान्य तरीका है। इस प्रस्तावित जेल यात्राको अधिक अच्छे शब्दोंके अभावमें अनाक्रामक प्रतिरोधका ही नाम दिया गया है। वास्तवमें जेल-जाना कानूनकी वश्यता स्वीकार करनेका कानूनी तरीका है। विधेयकमें चार वातोंकी व्यवस्था की गई है। पहली वात है पंजीयन कराना; दूसरी है, वैसा न करनेपर देशको छोड़ देना; तीसरी है, पूर्वोक्त दोनोंके न करनेपर विकल्प रखा गया हो तो जुर्माना देना; और चौथी तथा अन्तिम वात है, पूर्वोक्त तीनोंके न करनेपर जेल जाना। हम यह नहीं सोच सकते कि यदि एक भारतीय

पंजीयन करानेको जेल जानेसे भी बुरा समझता है, तो उसके लिए अन्तिम उपायको अपनाना कोई गलत काम है। यह बात बेशक सही है कि अन्तिम उपाय उग्रतम कदम है, जिसको खास हालतोंमें ही मुनासिब कहा जा सकता है। किसी विशेष अवस्थासे ऐसी हालतें पैदा होती हैं या नहीं, यह मामला अपनी-अपनी रायका है। किसी समाजकी विवेक-बुद्धि इससे नापी जाती है कि उसमें इस तरीकेको मुनासिब ठहरानेके लिए प्रचलित वास्तविक अवस्थाको खोज निकालनेकी कितनी क्षमता है। इसलिए, यदि ट्रान्सवालके भारतीयों द्वारा पेश की हुई सभी नर्म तजवीजें कोई असर न करें और अगर साम्राज्य-सरकार बलवानसे दुर्बलकी रक्षा करनमें अपना फर्ज छोड़ दे, तो हम अपनी इस रायको फिर दुहराते हैं कि भारतीयोंके लिए स्वाभिमानी समझा जानेका, इसके सिवाय कि इस विधेयकसे होनेवाले अपमानके आगे झुकनेके बजाय वे शान्ति, साहस और ईश्वरपर भरोसेके साथ जेल जाना पसन्द करें, और कोई मार्ग खुला नहीं रह जाता।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६–४–१९०७

४१५. ट्रान्सवालके पाठकोंसे विनती

इस बारका 'इंडियन ओपिनियन' हम बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं। इसमें ट्रान्सवालकी सभाका विवरण[1] सभीके पढ़नेके योग्य है। लेकिन अंग्रेजी विवरण अधिकसे अधिक गोरोंके पढ़नेमें आये तो अच्छा होगा। यह ज्यादा जरूरी है। उन्हें दूसरा प्रस्ताव पढ़ाना बहुत जरूरी है। यदि ठीक तरहसे पढ़ें तो हमें विश्वास है कि वे हमारा निवेदन मान्य कर लेंगे और यदि मान्य कर लिया तो विधेयक लागू नहीं होगा। इसलिए हम अपने पाठकोंको सूचित करते हैं कि उनसे जितनी प्रतियाँ मँगवाई जा सकें, उतनी मँगवाकर वे गोरोंको दें और उनसे पढ़नेको कहें। हमारा यह उद्देश्य पूरा होगा, ऐसा मानकर हमने कुछ प्रतियाँ ज्यादा छापी हैं। जिन्हें प्रतियोंकी आवश्यकता हो, वे हमारे प्रधान कार्यालय या हमारे जोहानिसबर्ग कार्यालयसे मँगवा लें। प्रत्येक प्रतिपर चार पैनीके टिकट लगाये जायें। इतना जरूर है कि समझाये बिना किसी भी गोरेको प्रति देना फेंक देनेके समान है। अतः यदि देना हो तो उसे यह समझा देना भी जरूरी है कि उसे कौनसा हिस्सा पढ़ना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६–४–१९०७

१. देखिए "ट्रान्सवालके भारतीयोंकी विराट सभा", पृष्ठ ४११-२३।

४१६. ट्रान्सवालकी आम सभा[1]

ट्रान्सवालके भारतीय सैकड़ोंकी संख्यामें तारीख २९ को जोहानिसबर्गमें इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ प्रस्ताव पास किये। सारा काम सकुशल सम्पन्न हुआ। इसके लिए ब्रिटिश भारतीय संघ धन्यवादका पात्र है। लेकिन सभाएँ करके लोग बैठे रहें यह परिस्थिति नहीं है। जबरदस्त टक्कर लेना प्रत्येक भारतीयका कर्तव्य है। हमें याद रखना चाहिए कि यह प्रश्न केवल ट्रान्सवालका ही नहीं है। यदि विधेयक पास हो जाये तो क्या करना चाहिए, इसपर हम विचार करें। इस बारकी आम सभामें जेलका प्रस्ताव पास नहीं किया गया, इससे कोई यह न मान ले कि जेलका विचार छोड़ दिया गया है। जेलके सिवा और कोई उपाय रहा ही नहीं। और यदि भारतीय समाज इस विचारपर अटल रहेगा तो चारों ओरसे लाभ ही लाभ होनेवाला है। यदि अध्यादेश स्वीकृत हो जाता है तो भारतीयोंको गाँव-गाँवमें सभा करके सरकारको दिखा देना होगा कि वे पास निकलवानेके बदले जेल जायेंगे। इसके लिए आजसे तैयारी करनेमें हम बुद्धिमानी समझते हैं और इसलिए जो लोग जेल जानेके लिए तैयार हों, वे यदि हमें पत्र लिखें, तो हम उनके नाम और पते प्रकाशित करेंगे। ऐसा करना आवश्यक है; क्योंकि इससे एक-दूसरेको बल मिलेगा और नाम प्रकाशित होनेसे सरकार भी चौंकेगी। जो नाम प्राप्त होंगे, उन्हें अंग्रेजीमें भी प्रकाशित करनेका हमारा विचार है।

नेटाल और केप उपनिवेशके भारतीयोंका इस समय क्या कर्तव्य है, यह हम समझा चुके हैं।[2] उन्हें अविलम्ब सभा करके सहानुभूतिके प्रस्ताव पास करने चाहिए तथा उन प्रस्तावोंको [अधिकारियोंके पास] विलायत भेजना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-४-१९०७

४१७. नेटालका परवाना कानून

हार्डिंगमें जो जीत हुई है उसे हम जीत नहीं मानते। बेचारे प्रार्थीको साझेदारीका इकरारनामा तोड़ना पड़ा, तभी उसे परवानेका हुक्म मिला। इसे न्याय नहीं कह सकते। अपील न्यायालयने आज यह माँगा, कल इससे और भी अधिक माँगेगा; और वह दिया जायेगा तभी परवाना मिलेगा। यह तो इसीलिए हो सकता है कि बोर्डको अशोभनीय सत्ता प्राप्त है। हार्डिंगके मुकदमेसे यह साफ सिद्ध होता है कि नेटालमें परवाना कानूनके विरुद्ध अभी और लड़ाई लड़ना जरूरी है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-४-१९०७

१. सम्पूर्ण विवरणके लिए देखिए "ट्रान्सवालके भारतीयोंकी विराट सभा", पृष्ठ ४११-२३।
२. देखिए "केप तथा नेटाल (के भारतीयों) का कर्तव्य", पृष्ठ ४०२-३।

४१८. ट्रान्सवालके भारतीयोंकी विराट सभा

सम्पूर्ण विवरण

एशियाई कानूनके सम्बन्धमें प्रस्ताव स्वीकार करनेके लिए २९ मार्चको जोहानिसबर्गमें गेटी थियेटरमें भारतीयोंकी एक विराट सभा हुई थी। उसमें बाहरी स्थानोंके प्रतिनिधि भी आये थे। गेटी थियेटर ठसाठस भर जानेसे बहुत-से लोगोंको लौट जाना पड़ा था। ब्रिटिश भारतीय संघके प्रमुख श्री अब्दुल गनीने सभापतिका स्थान सुशोभित किया था। मंचपर प्रिटोरियाकी ओरसे श्री हाजी हबीब, श्री व्यास आदि; पीटर्सबर्गकी ओरसे श्री अब्दुल रहमान मोती, श्री जुसब हाजी वली, श्री मोहनलाल खंडेरिया; स्पेलॉनकिनके श्री केशवजी गीगा; हीडेलबर्गके श्री ए० एम० भायात और श्री सोमा भाई; क्रूगर्सडॉर्पके श्री इस्माइल काजी, श्री बाजा, श्री खुरशेदजी, और जीरस्टके श्री खान। उनके अतिरिक्त श्री एम० एस० कुवाड़िया, श्री हाजी वजीरअली, श्री एम० पी० फैन्सी, श्री ईसप मियाँ, श्री गुलाम साहब, श्री अमीरुद्दीन, श्री नादिरशाह कामा, श्री बोमनशाह, इमाम अब्दुल कादिर, श्री उस्मान लतीफ, श्री इब्राहीम अस्वात, श्री ई० एम० पटेल, श्री मूनसामी मूनलाइट, श्री वी० नायडू, श्री ए० ए० पिल्ले और श्री बापू देसाई (रस्टनबर्गके); श्री मणिभाई खंडूभाई, श्री नानालाल शाह, श्री गवरू, श्री उमरजी साले, श्री आमद मुहम्मद, श्री अलीभाई आकुजी, श्री एस० डी० बोबात (पॉचेफस्ट्रूम), श्री वी० अप्पासामी, पण्डित रामसुन्दर, श्री लालबहादुर सिंह, श्री दादलानी, श्री गांधी आदि उपस्थित थे। अनेक स्थानोंसे पत्र और तार भी आये थे। 'स्टार' तथा 'रैंड डेली मेल' के संवाददाता उपस्थित थे। सभाका काम ४ बजे शुरू हुआ। श्री अब्दुल गनीके भाषणका अनुवाद हम नीचे दे रहे हैं:

स्वागत

हमारे समाजके महत्त्वपूर्ण कार्यपर विचार करनेके लिए आये हुए प्रतिनिधियों और जोहानिसबर्गके भारतीयोंका स्वागत करनेका काम दुबारा मेरे सिर आया है। जिस कानूनको लॉर्ड एलगिनने लगभग रद कर दिया था उसे यहाँकी नई संसदने फिरसे पास किया है। जब हमने विलायतसे विजय प्राप्त करके लौटे हुए अपने प्रतिनिधियोंका स्वागत किया तभी हम सौभाग्यसे भ्रममें नहीं थे। हम तभी जानते थे कि यह तो हमारे कामका प्रारम्भ है। फिर भी हममें किसीको यह शंका नहीं हुई थी कि यह कानून २४ घंटेके अन्दर फिरसे पास हो जायेगा, और ऐसा करनेके लिए चालू धाराओंको स्थगित कर दिया जायेगा।[1] चालू धाराओंको स्थगित करना अनहोनी बात नहीं है। परन्तु अत्यन्त संकटके समय ही इन धाराओंको स्थगित किया जाता है।

विधेयक क्यों पास हुआ?

यदि देशपर आफत आई होती तो हम समझ सकते थे कि सुरक्षाके लिए शीघ्रतासे कोई कानून पास किया जाना चाहिए। किन्तु इस समय तो निरे सिंह और बकरेकी लड़ाई जैसा प्रसंग था।

१. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४०३-०६।

गोरे और गेहुँए

एक ओर २,५०,००० गोरे हैं। उन्हें सब राजकीय अधिकार हैं। वे बिला नागा हर महीने आते रहते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर १४,००० भारतीय हैं। उनमें, कहा जाता है, प्रति माह १०० भारतीय बढ़ते हैं। ऊपर लिखे अनुसार सभी प्रकारसे प्रबल दीखनेवाले गोरोंकी रक्षाके हेतु बिना अनुमतिपत्रके आनेवाले भारतीयोंको रोकनेके लिए यह कानून पास किया गया है। इस प्रकारका काम करनेवाले तो निश्चित ही ऐसे लोग होने चाहिए जिनके मन हमारे प्रति तिरस्कारसे ओत-प्रोत हैं। साधारणतः यह कानून तीन महीने तक लोगोंके सामने विचारके लिए रहता, किन्तु इससे ढाई लाख गोरे लोगोंके हकोंकी रक्षा करनेवाले कानूनके हिमायतियोंको ट्रान्सवालमें और भी तीन सौ भारतीयोंके घुस आनेका खतरा उठाना पड़ता।

नई संसद कैसी?

अपने विधायकोंको मैं जान-बूझकर केवल गोरोंके हकोंके रक्षक मानता हूँ। विधानसभाके सदस्य तो साफ ही वैसे हैं। यह माना जाता है कि विधान-परिषद काले लोगोंके विरुद्ध बननेवाले कानूनोंको रोकनेके लिए बनाई गई है। और कुछ सदस्योंने कहा भी है कि इस विधेयकका वाचन एक रातके लिए स्थगित रखनेकी माँग इसलिए की गई कि उनपर उपर्युक्त जिम्मेदारी है। किन्तु मुझे खेदके साथ कहना चाहिए कि वह तो केवल बहाना था। जिस विधेयकके बारेमें यह स्वीकार किया जा चुका है कि वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और उलझनोंसे भरा हुआ है उससे सदस्य लोग एक रातमें कैसे परिचित हो सकते हैं? परिषद जिन लोगोंके हकोंकी रक्षाके लिए नियुक्त हुई है उनकी भावनाओं और विचारोंको एक रातमें किस प्रकार जान सकती है? यदि परिषदके सदस्योंका चुनाव हमने किया होता, तो क्या वह ऐसी लापरवाहीसे विधेयक स्वीकार कर सकती थी? हम लोगोंने अपना पक्ष प्रस्तुत करनेके लिए विचार स्थगित रखनेकी जो विनम्र माँग की थी उसका अनादर क्या वह कर सकती थी? ऐसा कहनेमें मैं गलतीपर नहीं हूँ, यह सिद्ध करनेके लिए मैं इस विधेयकके निर्माता माने जानेवाले श्री कर्टिसके शब्द यहाँ उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा: "यद्यपि इस विधेयकके आनेसे मुझे प्रसन्नता है, फिर भी श्री मार्टिनने जो इसे एक रातके लिए स्थगित रखनेकी माँग की उसका मैं समर्थन करता हूँ। यदि पहले ही दिन बिना कुछ कहे दोनों सभाओंमें यह विधेयक पास हो जाये तो हम अपने विरोधियोंके हाथोंमें एक जबरदस्त हथियार सौंप देंगे। लॉर्ड एलगिनने इस विधेयकको नामंजूर किया, इसका कारण इसका उद्देश्य नहीं, बल्कि इसकी कुछ धाराएँ थीं। कितने सदस्य कह सकेंगे कि उन्होंने इस विधेयककी धाराओंको अच्छी तरह पढ़ा है? यह विधेयक अत्यन्त आवश्यक और गम्भीर है। यह देश गोरोंका रहेगा या कालोंका, यह प्रश्न इस विधेयकसे उत्पन्न होता है?"

भारतीय विचार नहीं करते?

अपना मत विधेयकके पक्षमें देते हुए श्री परचेसने कहा कि हम भारतीय एक ही पहलू देखते हैं। गोरोंके हित नहीं देखते। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे अंग्रेज मित्र उपनिवेशकी परिस्थितिसे परिचित नहीं हैं। यों कहकर श्री परचेसने हमारी और हमारे

अंग्रेज मित्रोंकी वास्तविक स्थितिके सम्बन्धमें अज्ञान प्रदर्शित किया है। उनकी जानकारीके लिए मैं दुबारा कहता हूँ कि हम गोरोंकी स्थिति जानते हैं और उनके विचारोंसे एकरूप होना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने राजकीय अधिकारोंको छोड़ा है, इसीलिए हमने जाति-भेद रहित प्रवास और व्यापार सम्बन्धी अधिनियम स्वीकार करनेकी तैयारी दिखाई है। यदि कोई कहता है कि यह तो हम अपनी विवशताके कारण स्वीकार कर रहे हैं तो यह बिलकुल गैरवाजिब होगा; क्योंकि यदि हम चाहते तो इस सम्बन्धमें लड़ाई तो कर ही सकते थे, और उपनिवेश एवं भारत-कार्यालयको तंग करके उनकी मुसीबतोंको भी बढ़ा सकते थे। मैं तो अपने समाजके लिए शाबाशीकी माँग कर सकता हूँ; क्योंकि बगैर लाचार हुए हम अपनी स्थितिको समझ सके और हमने बड़ी सरकारको तंग नहीं किया। फिर, श्री परचेस हमारे मित्रोंको नहीं पहचानते। यदि वे पहचानते होते तो जान सकते थे कि हमारे मित्रोंमें बहुतेरे तपे-तपाये, अनुभवी और प्रसिद्धि-प्राप्त पुराने सरकारी कर्मचारी हैं। वे लोग बिना विचारे एकका पक्ष कदापि नहीं ले सकते। सर लेपेल ग्रिफिन, सर विलियम वुल, सर रेमंड वेस्ट जैसोंपर पक्षपातका आक्षेप करनेवाला व्यक्ति, यही कहना होगा, उन्हें नहीं जानता है। सुविख्यात उदारदलीय सदस्योंके नाम लेनेकी मुझे आवश्यकता नहीं है। उन्हींकी बदौलत तो परिषद तथा विधानसभाके सदस्य निर्वाचित किये गये हैं। जिस हेतुसे उन्होंने ट्रान्सवालकी गोरी प्रजाके प्रति अनपेक्षित उदारता दिखाई है उसी हेतु वे ट्रान्सवालकी सरकारसे यह आशा रखते हैं कि वह भारतीय समाजके साथ न्याय करे। उनकी और साथ ही हमारी रायमें स्वराज्यका अर्थ है अपने ऊपर राज्य करनेका अधिकार, न कि जिनके पास मताधिकार नहीं है उनपर अत्याचार करनेका अधिकार। स्वराज्यके इस अर्थको उपनिवेशवाले लोग भूल जाते हैं और संविधानमें काले लोगोंके हकोंकी रक्षाके लिए रखे गये बन्धनोंको पसन्द नहीं करते। इसीलिए सर रिचर्ड सॉलोमनके समान व्यक्ति भी कहते हैं कि ये बन्धन बरायनाम हैं। उत्तरदायी सरकारके प्रारम्भमें ही हमारी यह स्थिति हो गई है।

लॉर्ड सेल्बोर्न

जिस प्रकार उपनिवेशको स्वतन्त्रता मिल जानेसे हमारी स्वतन्त्रताके सम्बन्धमें हमें भय लग रहा है उसी प्रकार जब हम लॉर्ड सेल्बोर्नके लेख पढ़ते हैं, तब हमें घबराहट होती है। हमें आशा थी कि लड़ाईके पहले जो लॉर्ड सेल्बोर्न हमारे हकोंकी बात किया करते थे वे, अधिक अच्छा मौका मिलनेपर, हमारी और अधिक रक्षा करेंगे। परन्तु मुझे आदरसहित कहना चाहिए कि उन्होंने न्यासी (ट्रस्टी) की तरह व्यवहार करनेके बजाय एक ही पक्षकी हिमायत की है। सबको समदृष्टिसे देखनेके बजाय उन्होंने गोरोंका पक्ष लिया है।

"रिश्वत तो भारतीयका धर्म है"

नीली पुस्तिकाके उनके लेखमें दी हुई कुछ बातोंका ही विवेचन करता हूँ। उनके पास झूठे अनुमतिपत्रवालोंकी बातें पहुँची हैं। उनके आधारपर उन्होंने हमपर अशोभनीय और दुःखदायी आरोप लगाया है। वे कहते हैं "जो पूर्वीय लोगोंके सम्पर्कमें आये हैं, वे जानते हैं कि पूर्वके लोग रिश्वत देकर अपना काम निकाल लेना धर्म-विरुद्ध

नहीं मानते। ऐसी परिस्थितिमें अनुमतिपत्र जाँचनेवाला अधिकारी जो लालचमें फँस जाता है, उसे लालचमें पड़नेका कभी अवसर ही नहीं मिलना चाहिए।" पूर्वके लोगोंकी रिश्वत देनेकी आदतके विषयमें मैं कुछ नहीं जानता। किन्तु इतना तो जानता हूँ कि छोटेसे-छोटा भारतीय भी समझता है कि रिश्वत देना अच्छा काम नहीं है। मुझे उन महोदयको यह याद दिला देना चाहिए कि १९०३ में जोहानिसबर्गमें एशियाई कार्यालयके अधिकारी रिश्वत लेते थे, और ब्रिटिश भारतीय संघकी कोशिशसे वे अधिकारी पकड़े गये और उन्हें अलग कर दिया गया था।

क्या विधेयक भारतीयोंके लिए लाभप्रद है?

लॉर्ड सेल्बोर्न कहते हैं कि यह विधेयक भारतीय समाजके लिए लाभदायक है। परन्तु हमने सिद्ध कर दिया है कि इस विधेयकके द्वारा भारतीय समाजको कुछ भी लाभ नहीं होता। मतलब यह कि बढ़ा-चढ़ाकर बात करनेका जो आरोप हमपर लगाया जाता है वह हम उनपर लगा सकते हैं। वे कहते हैं कि हमारा यह कथन अनुचित है कि विधेयकसे काफिरोंकी तुलनामें हमारी हालत हलकी हो जाती है। मैं फिर दोहरा कर वही बात कहता हूँ। काफिरोंको हमारी तरह पास नहीं लेना पड़ता। काफिरोंको अपने बालकोंका पंजीयन नहीं कराना पड़ता।

सर लेपेलपर आरोप

फिर उन्होंने सर लेपेल ग्रिफिनपर भी आरोप लगाया है तथा पत्नी और बच्चोंके लिए पास निकलवानेके सम्बन्धमें उन्होंने जो बात कही उसपर टीका की है। किन्तु श्री गांधीने सर लेपेलकी एक छोटी-सी भूल उसी समय सुधार दी थी[1], इस बातको वे बिलकुल पचा गये हैं। बच्चोंका पंजीयन करवाना है इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बल्कि यह भी जान लेनेकी बात है कि यदि ट्रान्सवाल सरकारका वश चलता तो वह औरतोंका भी पंजीयन करती।

क्या बहुतेरे भारतीय बिना अनुमतिपत्रके आते हैं?

लॉर्ड सेल्बोर्नके लेखोंसे और बहुत-सी बातें उठती हैं, किन्तु उनका विवरण मैं यहाँ नहीं दे सकता। फिर भी मुझे एक बात यहाँ कह देनी चाहिए। लॉर्ड सेल्बोर्नने जो प्रमाण यह सिद्ध करनेके लिए दिये हैं कि बहुतेरे भारतीय झूठे अनुमतिपत्रोंसे आते हैं, वही प्रमाण हम उससे उल्टी बात सिद्ध करनेके लिए देते हैं; क्योंकि साबित हो चुकनेवाले जिन अपराधोंको वे हमारे खिलाफ पेश कर रहे हैं, वही अपराध यह बताते हैं कि मौजूदा अनुमतिपत्र भी झूठे अनुमतिपत्रवालोंको पकड़नेके लिए काफी हैं। लॉर्ड सेल्बोर्नके समक्ष जिन लोगोंने तथ्य रखे हैं उन्होंने झूठे अनुमतिपत्रोंसे आ चुकनेवाले तथा झूठे अनुमतिपत्रों द्वारा आनेकी कोशिश करनेवाले लोगोंके बीचका भेद ध्यानमें नहीं रखा। और उन्हें ट्रान्सवालकी रंग-भेदकी हवामें झूठे अनुमतिपत्रका एक किस्सा सौ किस्सोंके बराबर मालूम हो रहा है। सितम्बर २७ के अपने प्रतिवेदनमें श्री चैमनेने कहा है कि "पिछले छः महीनोंमें झूठे अनुमतिपत्रवाले या बिना अनुमतिपत्रवाले २८७ लोग देखनेमें आये। उनमें से १६५ का अपराध सिद्ध हुआ है और १२२ अभी उपनिवेशमें हैं,

१. देखिए "शिष्टमण्डल: लॉर्ड एलगिनकी सेवामें", पृष्ठ १२०।

किन्तु मिल नहीं रहे हैं।" इसलिए यदि श्री चैमनेकी जाँच सही हो तो अनुमतिपत्ररहित और झूठे अनुमतिपत्रवाले औसतन २१ मनुष्य प्रतिमाह आते थे। फिर भी श्री कर्टिस कहते हैं कि झूठे अनुमतिपत्रवाले एशियाई प्रतिमाह १०० के हिसाबसे आते थे।

हमारी लड़ाई क्या है?

हमने जो लड़ाई ठानी है वह विधेयककी अमुक धाराओंके विरुद्ध नहीं, बल्कि समूचे विधेयक और उसके उद्देश्यके विरुद्ध है। यह विधेयक हमपर काला धब्बा लगाता है। हमारी भावनाओंको चोट पहुँचाता है। जिनपर यह लागू होता है वे जरायमपेशा होने चाहिए, ऐसा मान लेता है। काफिर और मलायी आदि जिन लोगोंके नित्य सम्पर्कमें हम आया करते हैं उनमें और हममें आपत्तिजनक रूपसे भेद खड़ा करके उनके और हमारे बीचके सम्बन्धको बहुत बिगाड़ देता है। इससे हमारी प्रतिष्ठा घटती है। इतना ठीक है कि यह तो केवल भावनाओंको चोट लगनेकी बात हुई। ऐसी चोट हमेशा सहन नहीं की जा सकती। किसी नगण्य बातके लिए सिर्फ एक-आध बार हमारी भावनाओंको ठेस लगे तो हमारे लिए कोई चिन्ताकी बात नहीं। इतना तो हम गोरोंके हाथों सदा ही सहन करते हैं। परन्तु जब महत्त्वपूर्ण बातोंमें हमारे मनको आघात पहुँचाया जाता है, और हमें सदाके लिए निकृष्ट बनाया जाता है, उस समय यदि हम सहन कर लें तो वह हमारी नामर्दी और देश-द्रोह माना जायेगा। गोरे भविष्यके सम्बन्धमें सोचते हैं, इसलिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु उनकी प्रशंसा यदि हम सच्चे हृदयसे करते हों तो हमें चाहिए कि उनका अनुकरण भी करें। उस हालतमें यदि हम अपने भविष्यकी चिन्ता करते हैं तो गोरोंको हमें शाबाशी क्यों न देनी चाहिए? अपने हकोंकी रक्षाके लिए वे प्रयत्नशील हैं, यह यदि ठीक है तो हम अपने हकोंकी रक्षाके लिए क्यों प्रयत्न नहीं कर सकते?

गोरोंपर क्या बीती थी?

जब राष्ट्रपति क्रूगरने गोरोंको पास निकलवानेके लिए बाध्य किया था तब वे लोग बहुत उत्तेजित हो गये थे। उन्हें नीचे गिरानेका जो उपाय स्वर्गीय राष्ट्रपतिने — उनकी रायमें — खोजा था उससे सारे दक्षिण आफ्रिकामें धूम मच गई थी। अन्तमें राष्ट्रपतिको झुकना पड़ा। तब, जितना निकृष्ट उन्हें बनाया जा रहा था, उसकी तुलनामें हमें कहीं अधिक गिराया जा रहा है। दूसरी बात यह कि हमारी अपेक्षा उनके खिलाफ सख्ती बरतनेके कारण अधिक प्रबल थे। क्योंकि वे तो निश्चय ही राज्यमें हस्तक्षेप करनेवाले थे, जब कि हमारे विरुद्ध राज्यके अथवा समाजके खिलाफ अपराध करनेका कोई आरोप है ही नहीं। ट्रान्सवाल [सरकार] के वार्षिक प्रतिवेदनमें लिखा है कि हमारे लोग पुलिसवालोंको कुछ भी तकलीफ नहीं देते। इतना होनेपर भी, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मानो हम लोग बड़े जरायमपेशा हों, इस प्रकारका कानून चौबीस घंटोंमें पास हो गया है और अब केवल बड़ी सरकारकी स्वीकृति बाकी है।

अपमानके साथ नुकसान भी बहुत है

फिर हम जो आपत्ति उठाते हैं वह केवल भावनाको ठेस पहुँचानेपर ही नहीं है। विधेयकसे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारा यह अनुभव रहा है कि एक ही वर्गपर

लागू होनेवाला कानून बहुत कष्ट देता है। उस कानूनके परिणामस्वरूप अन्य कानून बनाये जाते हैं। इतना मैं स्वीकार करता हूँ कि इस विधेयकसे कोई और भी सख्त कानून बने सो सम्भव नहीं। परन्तु इससे हमें कोई राहत नहीं मिलती। एक ही वर्गपर लागू होनेवाले कानूनोंसे कष्ट पहुँचानेका इरादा न हो, फिर भी बहुत कष्ट भोगना पड़ा है, इसके मैं उदाहरण दे सकता हूँ। बोअर राज्यमें १८८५ का कानून [३] आजके समान सख्तीसे अमलमें नहीं लाया जाता था। यही नहीं, सर हर्क्युलिस रॉबिन्सन [बादमें लॉर्ड रोजमीड] ने यह शर्त तक रखी थी कि वह व्यापारी-वर्ग जैसे प्रतिष्ठित भारतीय समाजपर लागू नहीं होगा। परन्तु लॉर्ड रोजमीडके विचार उनके पास ही रह गये और कानूनका जैसा अर्थ होता है वैसा ही हमपर लागू हुआ। इस विधेयकके द्वारा राज्यकर्ताओंको इतनी अधिक सत्ता दी गई कि यदि राज्यकर्ता कठोर हृदयके हों, तो इससे भयानक अत्याचार हो सकता है।

नेटालका उदाहरण

नेटालमें व्यापारी कानून यद्यपि काले-गोरे सभीपर लागू होता है फिर भी उसने [काले लोगोंके लिए] बड़ा अत्याचारी रूप ले लिया है; क्योंकि उसमें भी कानूनका अर्थ एक होता है और उसके सम्बन्धमें वचन दूसरे ढंगसे दिये गये थे। खयाल यह था कि पुराने व्यापारियोंके अधिकारोंमें हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। वह खयाल खत्म हो गया और कानूनपर अमल आज इस प्रकार हो रहा है कि कोई भारतीय व्यापारी अब सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। यही भय केपमें फैला हुआ है। लड़ाईके बाद हमें भी वचन दिये गये थे, किन्तु वचनोंके सिवा हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि यह विधेयक हमें मृत्युके किनारेपर ला छोड़ता है।

अँगूठा दिया तो अँगुलियाँ क्यों नहीं?

हमसे कहा जाता है कि जब हम खुशीसे अँगूठा लगा आये तब अब जबरदस्तीसे दस अँगुलियाँ क्यों नहीं लगायेंगे? इस प्रश्नका अर्थ यह होता है कि मानो हमारी लड़ाई केवल अँगुलियों अथवा अँगूठेकी ही है। हमारी लड़ाई तो बहुत बड़ा प्रश्न पैदा करती है। दूसरी ओरसे सोचनेपर हम देखते हैं कि हम स्वेच्छासे बहुतेरे काम करते हैं और उनमें कुछ अपमान नहीं मानते। किन्तु उन्हीं कामोंको अनिवार्य कर दिया जाये तो हम बिलकुल नहीं करेंगे। अनिवार्य पंजीयनके कानूनको हमें बिच्छूके डंकके समान समझना चाहिए। परन्तु हमारी दलीलोंसे गोरे लोग कुछ समझनेवाले नहीं हैं। उन्हें यह वहम है कि हम इस उपनिवेशमें भारतीयोंको जबरदस्ती ठूँस देना चाहते हैं। श्री रॉय मानते हैं कि हमारी इस प्रकारकी इच्छा होना स्वाभाविक है। परन्तु हम तो इसे माननेसे इनकार करते हैं। श्री स्मट्सने कहा है कि इस विधेयकके दो उद्देश्य हैं। एक तो यह है कि साधिकार भारतीयोंको अनधिकार भारतीयोंसे अलग करना और दूसरा यह कि अनुमतिपत्रके बिना आइन्दा जो भारतीय ट्रान्सवालमें प्रविष्ट हों उनको खोज निकालनेके लिए साधिकार निवासियोंको और भी विस्तृत जानकारी देनेवाला अनुमति-पत्र देना। यह सब वर्तमान कानूनोंके द्वारा भारतीय समाजकी सम्मतिसे शीघ्रता एवं सुगमतासे हो सकता है। हमने सदैव सरकारको सहायता देना स्वीकार किया है, और

आपकी ओरसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सहायता देनेको तैयार हैं, और इससे नया विधेयक पास किये बिना ही उपर्युक्त दोनों उद्देश्योंकी पूर्ति हो सकती है।

निवेदन

लॉर्ड मिलनरके समयमें ऐसा किया गया था और लॉर्ड मिलनर तथा कैप्टन फाउलको भारतीय समाजसे सन्तोष हुआ था। मेरा निवेदन निम्न प्रकार है:

(१) सरकार सभी अनुमतिपत्रोंको एक साथ जाँचनेके लिए एक दिन नियुक्त करे।

(२) सभी अनुमतिपत्रोंपर या तो उपनिवेश सचिवकी मुहर लगाई जाये, या इस समय जो अनुमतिपत्र हैं वे यदि सच्चे हों तो उन्हें बदलकर दे दिया जाये। अनुमतिपत्रमें क्या-क्या लिखा जाये, यह भारतीय समाजकी सम्मति लेकर ठहराया जाये।

(३) इस समय अनुमतिपत्र और पंजीयनपत्र दो दस्तावेज रखे जाते हैं। भारतीय समाजको उनके बदले एक ही दस्तावेज दिया जाये।

(४) बालिग लड़कोंको भी अनुमतिपत्र दिया जाये।

(५) कोई भी भारतीय अनुमतिपत्र दिखाये बिना व्यापारका परवाना न प्राप्त कर सके।

(६) अधिकार-प्राप्त भारतीयके बालकोंको भी अनुमतिपत्र दिये जायें।

(७) मुद्दती अनुमतिपत्र, जितनी उपनिवेश सचिव ठीक समझें, उतनी जमानत लेकर ही दिये जायें।

उपर्युक्त प्रणालीमें सभी आपत्तियोंका समावेश हो जाता है। यह सही है कि इनमें से किसी-किसी शर्तका निर्वाह सदा ही भारतीयोंकी भलमनसाहतपर निर्भर रहता है। जैसे, बिना अनुमतिपत्रके व्यापारका परवाना न लेना। किन्तु उस सम्बन्धमें हम सरकारसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वह हम लोगोंपर भरोसा रखे। यह सब भी ज्यादा समय चलनेवाला नहीं है। क्योंकि सारे प्रश्नका निबटारा निकट भविष्यमें हो जाना चाहिए। और ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका समावेश पंजीयन-कानूनमें नहीं होता, बल्कि इनके लिए दूसरे कानूनोंकी आवश्यकता है।

आवेदन

आपकी ओरसे मैं सरकारसे प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारे इस निवेदनको स्वीकार कर ले। उससे यह झगड़ा बड़ी सरकार तक जानेसे रुक जायेगा। हम लोग बड़ी सरकारसे रोज-रोज शिकायत करना नहीं चाहते। हम मेल-जोल और सम्मानके साथ स्थानीय सरकारके अधीन रहना चाहते हैं और गोरोंकी इच्छाका आदर करना चाहते हैं। किन्तु यह सब तभी हो सकता है जब वे लोग समझें कि हम मनुष्य हैं; हमारी भी भावनाएँ उनकी जैसी ही हैं और ब्रिटिश साम्राज्यमें हम भी समान नागरिक अधिकार भोगने योग्य हैं। किन्तु दुर्भाग्यसे यदि यह सभा सरकारके गले यह बात न उतार सके तथा हमारा प्रस्ताव उचित है, यह न समझा सके तो हमें बड़ी सरकारसे संरक्षण माँगना ही होगा। बड़ी सरकार संरक्षण करनेके लिए बाध्य है। जहाँ-जहाँ निर्बलोंपर

सबल जुल्म करें, वहाँ-वहाँ निर्बलोंकी सहायताके लिए दौड़ जाना बड़ी सरकारका कर्तव्य है। संघकी समितिने कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं, उनपर इस सभाका ध्यान आकर्षित करता हूँ। आप सब उपस्थित हुए हैं इसलिए मैं आपका आभार मानता हूँ। खुदा हमारी सहायता करे और शासकोंको ऐसी बुद्धि दे कि वे हमारे आवेदनको न्यायसंगत मानकर स्वीकार करें, तथा हमारे पास अपनी सचाईको छोड़कर और कोई बल नहीं है, यह समझकर अपने शासन-कालके प्रारम्भमें हमें भविष्यके लिए आशा बँधायें। (करतल ध्वनि)।

उपर्युक्त भाषण श्री नानालाल शाहने अंग्रेजीमें पढ़कर सुनाया। इसके बाद श्री अलीने पहला प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

पहला प्रस्ताव

ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा आमन्त्रित यह सभा एशियाई कानून-संशोधन विधेयकका सविनय विरोध करती है और मानती है कि यह विधेयक गैरजरूरी है तथा भारतीय समाजपर कलंक लगानेवाला है।

श्री [हाजी] वजीर अली

यह प्रस्ताव मैं खुशीसे प्रस्तुत करता हूँ। इंग्लैंड जानेवाले शिष्टमण्डलमें मैं भी था। शिष्टमण्डलकी लड़ाईपर अब पानी फिर गया है। कोई कह नहीं सकता कि हम वफादार नहीं हैं। हम सदैव कानूनके अनुसार चलनेवाले हैं, फिर भी हमपर जुल्म होता है। जो लोग झूठे अनुमतिपत्रोंसे अथवा बिना अनुमतिपत्रके प्रविष्ट हो गये हैं उन्हें बचानेके लिए हम एकत्र नहीं हुए हैं। उन लोगोंको सरकार भले ही निकाल बाहर करे, परन्तु उनके अपराधके लिए सच्चे लोगोंको सजा हो, यह न्याय नहीं कहलायेगा। नई संसदमें कहा गया है कि अपराधी भारतीयोंको निकाल बाहर करनेके लिए मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है। यह बात उचित नहीं है। सरकार भले ऐसा कानून बनाये कि बिना अनुमतिपत्रके कोई भी व्यक्ति व्यापार, नौकरी या फेरी नहीं कर सकेगा। इस प्रकार हो जाये तो कौन-सा भारतीय अनुमतिपत्रके बिना ट्रान्सवालमें टिक पायेगा? शिष्टमण्डल इंग्लैंडमें था तब [यहाँसे] इस प्रकारकी अर्जी भेजी गई थी कि शिष्टमण्डलके सदस्य सम्पूर्ण समाजका प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस सभामें सभी कौमोंके भारतीय हैं, सब जगहोंसे आये हुए प्रतिनिधि हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस शिष्टमण्डलके विरुद्ध हो तो उसे इस समय बोलना चाहिए। लॉर्ड सेल्बोर्नने हमपर जो आक्रमण किया है वह गलत है। जिस विधेयकको लॉर्ड एलगिनने नामंजूर किया, उसीको फिरसे प्रस्तुत किया गया, यह आश्चर्यकी बात है। अध्यक्ष महोदयने कहा है कि विधेयक चौबीस घंटेके अन्दर पास हुआ। मैं कहता हूँ कि वह डेढ़ घंटेके अन्दर पास हुआ। ब्रिटिश प्रजा क्या अपनी न्यायबुद्धि खो बैठेगी? यदि ऐसी बात है तो महारानी [विक्टोरिया] की घोषणा और महाराजा एडवर्डका सन्देश बखूबी लौटा लिया जाये। यह विधेयक यदि पास हो जाता है तो हम समस्त संसारमें निम्न कोटिके अपराधी माने जायेंगे। श्री स्मट्स हम लोगोंको 'कुली' कहकर सम्बोधित करें, यह लज्जाजनक है। मैं इंग्लैंडमें था तब मुझे नेशनल लिबरल क्लबका सदस्य बनाया गया था। उमराव लोग भी मेरा सम्मान करते थे। यदि यह कानून पास हो जाये तो मैं इस देशमें कभी नहीं रहूँगा। ऐसे

कानून पास करनेकी अपेक्षा सरकारके लिए उचित है कि वह हमें इस देशसे निकाल दे।

श्री ईसप मियाँ

श्री अली द्वारा पेश किये गये प्रस्तावका मैं समर्थन करता हूँ। हम सब लोग उचित समयपर एकत्र हो सकते हैं, यह प्रसन्नताकी बात है। मैं मानता हूँ कि लॉर्ड सेल्बोर्न आरम्भसे ही हमारे हितैषियोंमें नहीं हैं। उन्होंने हम सबको 'कुली' के समान माना और अब टिड्डीके समान समझते हैं। हमारे नामपर डचोंके साथ उन्होंने युद्ध किया। अब उन्हीं उनोंको राज्य वापस सौंप दिया। उन लोगोंने यह विधेयक फिर पास किया। लॉर्ड एलगिनने जिस विधेयकपर एक बार हस्ताक्षर करनेसे इनकार कर दिया, क्या उसी विधेयकपर वे अब हस्ताक्षर करेंगे? हमें पूरी लड़ाई करनी है। विलायतमें हमारे प्रति अच्छी भावना है इसलिए हम वहाँ सुनवाई की आशा करते हैं। हमारे अनुमतिपत्रोंपर श्री चैमने चाहे तो भले अपना अँगूठा लगायें। फिर उस अँगूठेको कौन मिटा सकेगा? यहाँकी सरकार हमारे तार तक नहीं भेजती, इससे पता चलता है कि हम लोगोंकी यहाँ सुनवाई नहीं होगी। यह कानून ऐसा है कि हम इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री कुवाड़िया

मैं भी श्री अलीके प्रस्तावका समर्थन करता हूँ। सामना करना हमारा कर्तव्य है। अध्यादेश इतना खराब है कि मैं सबसे विनयपूर्वक कहता हूँ कि उसे किसीको भी स्वीकार नहीं करना चाहिए।

श्री हाजी हबीब

मैं इस प्रस्तावका समर्थन करता हूँ। विलायतमें अध्यादेशको स्वीकृति नहीं मिली, इस कारण सेल्बोर्न साहबको दुःख है। क्योंकि, वे मानते हैं कि इसके अभावमें वे मुट्ठी-भर गोरोंको दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सकते। किन्तु युद्धसे पहले भारतीय समाजको दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर रहे हैं, इस बातका उन्हें दुःख नहीं हो रहा है क्या? मुट्ठी-भर गोरोंको दिया हुआ वचन अच्छा या तीस करोड़ भारतीयोंको दिया हुआ वचन अच्छा? फिर लॉर्ड सेल्बोर्नका वचन अधिक वजनदार है या स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया और सम्राट् एडवर्डका? गोरे कहते हैं कि यह देश केवल उन्हींका है। अब हम इसपर विचार करें। [उपनिवेशमें] लगभग एक लाख भारतीय हैं[1], पचास लाख आफ्रिकी हैं, शेष मलायी और केप बॉय हैं। इन सबका देश-निकाला हो तभी यह देश गोरोंका कहलायेगा। भले ही वे सिद्दियोंको अबीसीनिया भेज दें, हमें भारत, चीनियोंको चीन, मलायियोंको उनके देशमें और केप बॉएजको सेंट हेलेनामें। तब जरूर यह देश गोरोंका कहलायेगा। तब हम देख सकेंगे कि यह देश कैसे चलता है। इस कानून सम्बन्धी लड़ाई अथवा किसी भी लड़ाईके समय हमें हमेशा तीन वस्तुओंकी आवश्यकता होती है — लड़नेवाले, लड़नेका साधन पैसा, और एकता। पहली वस्तु हमारे पास है। दूसरी हम पैदा कर सकते हैं। तीसरी यानी एकताकी कमी है। इसे, चाहे जिस तरह, हमें पैदा करना चाहिए।

१. उपनिवेशमें भारतीय आबादीकी गणना और अनुमतिपत्र-कार्यालयके आँकड़ोंके लिए देखिए "भेंट: 'ट्रिब्यून' को", पृष्ठ १।

श्री जूसब हाजी वली

क्या हम चोर या लुटेरे हैं कि रास्ते-रास्ते आफ्रिकी पुलिस भी हमें रोक सके और पूछ सके? हमने बहुत भीख माँग ली। गोरोंके वचनोंपर विश्वास नहीं किया जा सकता। हम वैधानिक लड़ाई करते रहेंगे। परन्तु निजी परिश्रमकी आवश्यकता है। देशको मुक्त करनेके लिए हमें स्वयं तालीम लेनी होगी।

रामसुन्दर पण्डित

सगी माँ हो, तो बच्चेको दूध पिलाती है। किन्तु सौतेली माँ बच्चेको खा जाती है। सरकार हमारी सौतेली माँके समान है। भारतके पितामह दादाभाई नौरोजीने भारतके लिए न्याय पानेमें अपना जीवन लगा दिया, परन्तु सुनवाई नहीं हुई। हमारे लिए जरूरी है कि हम जापानका उदाहरण लेकर ऐक्यबद्ध हों और हुनरोंमें दक्ष तथा सुशिक्षित बनें। मैं इस कानूनके सामने झुकनेके बजाय जेल जाना अच्छा समझता हूँ। विलायतमें औरतें अपने अधिकारोंकी रक्षाके लिए जेल जाती हैं, तो फिर हम मर्द होकर क्यों डरें? देश-हितके लिए मरना पड़े तो भी क्या? हमें बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे महान पुरुषोंका उदाहरण लेना चाहिए। इस देशमें हेय बन कर रहनेके बजाय मैं भारत लौट जाना भी अच्छा समझता हूँ।

सर्वश्री बाजा, खुरशेदजी, श्री वी० नायडू, तथा के० एन० दादलानीने भी उपर्युक्त प्रस्तावका समर्थन किया और फिर वह प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हुआ।

दूसरा प्रस्ताव

ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा आयोजित यह सभा अस्वीकार करती है कि अधिकार रहित भारतीय बड़े पैमानेपर ट्रान्सवालमें आते हैं। और सरकार तथा जनताको विश्वास दिलानेके लिए उसी तरह स्वेच्छया पंजीयन कराना स्वीकार किया जाता है, जिस तरह लॉर्ड मिलनरके समयमें किया गया था। शर्त यह है कि पंजीयनकी विधि वैसी ही हो जैसी कि अध्यक्षके भाषणमें बताई गई है। इससे विधेयकका उद्देश्य पूरा हो जायेगा और उसमें समाहित अपमानकी बात समाप्त हो जायेगी।

श्री अब्दुल रहमान

मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूँ। मैं स्वयं इसे ठीक नहीं मानता। फिर भी चूँकि संघने यह कदम उठाया है इसलिए मुझे मान्य होना चाहिए। डच सरकारसे कुछ भी भला होनेकी सम्भावना नहीं है। श्री स्मट्सने स्मरण दिलाया है कि युद्ध हमारे लिए हुआ। अर्थात् डच सरकारसे हम लोग भलेकी आशा न रखें। और लॉर्ड सेल्बोर्न तो भला करेंगे ही क्यों? श्री रीज हमारी समितिसे[1] यह कहकर अलग हो गये हैं कि लॉर्ड सेल्बोर्नके खरीतेका उत्तर देना सम्भव नहीं है। परन्तु हमारे अध्यक्षने उसका ठीक उत्तर दिया है। हमें मताधिकार भी नहीं है। डच लोगोंसे हमें बहुत सीखना है। वे हिम्मतवाले हैं, इसीलिए उन्हें फिरसे राज्य मिला है। क्या हम हार मान लेंगे? जेल जाना इस कानूनके सामने झुकनेकी अपेक्षा अच्छा है।

१. इंग्लैंडकी दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति।

उपर्युक्त प्रस्तावका समर्थन सर्वश्री इब्राहीम गेटा, एम० पी० फ़ैन्सी, एस० डी० वोवात, अब्दुल रहमान मोती, मोहनलाल खंडेरिया, टी० नायडू तथा वी० अप्पासामीने किया और प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास हुआ।

तीसरा प्रस्ताव

यदि दूसरे प्रस्तावमें की गई नम्र विनतीको स्थानीय सरकार स्वीकार न करे तो यह सभा बड़ी सरकारसे संरक्षणकी माँग करती है। क्योंकि भारतीय समाजको निर्वाचनका अधिकार नहीं है, और वह समाज छोटा और निर्बल है।

श्री नादिरशाह कामा

इस प्रस्तावको मैं पेश करता हूँ। यह कानून क्या है, यह हमें समझना है। इसके द्वारा हमारा बड़ा भारी अपमान हो रहा है। हम गोरोंके साथ मिलजुलकर रहना चाहते हैं। किन्तु उनकी गुलामी नहीं करेंगे। जो गलत ढंगसे आये हों उन्हें भले निकाल दिया जाये। हम सब एकतापूर्वक रहेंगे तो किसीको कुछ भी आँच आनेवाली नहीं है। हम लोग राजकीय अधिकार नहीं माँगते। हमने अनुमतिपत्र कई बार बदले। लॉर्ड मिलनरकी सलाहसे अँगूठेकी छाप दी। राष्ट्रपति क्रूगरके जीवनकालमें लॉर्ड सेल्बोर्न हमारे न्यासी थे। राष्ट्रपति क्रूगरके मरनेपर वे क्रूगर बन गये हैं। ऐसा कानून जब हॉटेंटॉट लोगोंके लिए नहीं है, काफिरोंके लिए नहीं है, तो हमारे लिए क्यों होना चाहिए? मेरी चमड़ी काली है किन्तु दिल गोरोंसे सफेद है, ऐसा समझता हूँ। विलायतमें हमारी समिति लड़ रही है। वहाँसे हमारे प्रतिनिधि विजय प्राप्त करके लौटे हैं। इसलिए हम निराश न हों। चाहे कुछ भी हो, हम यह कानून कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह सारी दुनियामें हमारा मुँह काला करनेवाला है। श्री स्मट्स क्या हमसे युद्धकी सहायताका बदला लेना चाहते हैं? हमारी मुसीबतें बहुत हैं। बड़ी सरकार यदि यह कानून पास कर देगी तो भी मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा।

श्री ई० एम० अस्वात

इस कानूनके बनानेवाले अंग्रेज थे। अब डच लोग राज्य कर रहे हैं। किन्तु इसमें उन्हें दोष देनेकी आवश्यकता नहीं। कुत्तेको ढेला लग जाये तो वह ढेला मारनेवाले व्यक्तिको काटता है, ढेलेको नहीं काटता। बोअर सरकारकी जमीन हम नहीं खायेंगे, उसकी फसल तो टिड्डियाँ खा गईं। मुझे यह कानून कदापि स्वीकार नहीं है।

श्री गवरू

इस कानूनका दंश साँपके दंशके समान है। यदि सम्राट् एडवर्ड हमारी सुनवाई न करें तो यही समझिए कि सर्वत्र अन्धकार छा गया है। हम लोगोंकी गिनती कुछ एशियाइयोंमें क्यों की जाती है? जो गोरे ब्रिटिश प्रजा नहीं वे लोग जो हक भोगते हैं, क्या उतने हक भी हमें नहीं मिल सकते?

श्री गौरीशंकर व्यास

हमने आवेदनका प्रस्ताव पास किया है। वह भीख माँगनेका प्रस्ताव है। किन्तु जो हुआ सो ठीक हुआ। गत सितम्बरमें एम्पायर नाटकघरमें जो प्रस्ताव पास किया

गया था उसकी याद मैं आप सबको दिलाता हूँ। वह नाटकघर तो जल गया, परन्तु उसके शब्द कायम ही हैं। यदि उसके अनुसार जेल न जा सकें, तो हमें इस देशको छोड़ देना चाहिए, परन्तु इस कानूनके मुताबिक पास निकलवा कर गुलामी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। बनारसकी कांग्रेसमें मैं उपस्थित था। उस समय लाला लाजपतरायने बंगालियोंको सिंह कहा था। हमें भी वैसा ही करना है।

इस प्रस्तावका समर्थन सर्वश्री ई० एम० पटेल, ए० देसाई, उमरजी साले, अहमद मुहम्मद, तथा ए० ए० पिल्लेने किया और यह सर्वसम्मतिसे स्वीकृत किया गया।

चौथा प्रस्ताव

यह सभा अध्यक्षको अधिकार देती है कि वे उपर्युक्त प्रस्ताव स्थानीय सरकार, उपनिवेश-सचिव, भारत-मन्त्री और वाइसरायको तारके द्वारा भेज दें।

इमाम अब्दुल कादिर

आजादी (स्वतन्त्रता) सबसे श्रेष्ठ है। इस्लाम फैला, वह आजादीसे। जंजीबारमें गुलामीका अन्त करवानेके लिए अंग्रेज सरकार जोरोंसे लड़ी। वही सरकार क्या हमारे लिए यहाँ गुलामी देनेका निर्णय करेगी? लॉर्ड सेल्वोर्न हमें घूसके विषयमें फटकारते हैं। यूरोपीय अधिकारी यदि घूस न लेते और न्याय करते तो उन्हें घूस कौन देता? बड़ी सरकारने जिन्हें [हमारे] न्यासीके रूपमें भेजा है वे हमको गुलामी देना चाहते हैं। मैं तो उसे कभी भी लेनेवाला नहीं हूँ।

श्री उस्मान लतीफ

बहुत समयसे हम इस सम्बन्धमें सभाएँ करते रहे हैं। हमें साहस रखनेकी जरूरत है। ट्रान्सवालमें गोरे गरीब हैं, इस बातका दोष हमें दिया जाता है। परन्तु ऑरेंज रिवर कालोनीमें गोरे दिवाला निकालते रहते हैं, उसका क्या? वहाँ तो भारतीय नहीं हैं। हमने बहुत बार पंजीयन कराया। क्या निरन्तर पंजीयन ही कराया करेंगे? गोरे स्वीकार करते हैं कि जब उनके बाप-दादे जंगली थे तब हम सभ्य थे। ऐसे लोगोंकी प्रजा होनेपर क्या हम इस कानूनको सहन कर सकेंगे?

श्री मणिभाई खंडुभाई

दुनियामें सब जीता जा सकता है, किन्तु हमारे मनको दूसरा व्यक्ति नहीं जीत सकता। चाहे कितना ही दुःख उठाना पड़े, उसे सहन करके हम लोगोंको इस कानूनका विरोध करना है। मुझको तो यह कानून कभी मान्य न होगा।

श्री बोमनशाह तथा श्री बापू देसाईने भी उपर्युक्त प्रस्तावका समर्थन किया। फिर वह सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हो गया।

दूसरे प्रस्तावका अर्थ

श्री अब्दुल रहमानने कहा कि दूसरे प्रस्तावको बहुत लोगोंने समझा हो, ऐसा नहीं लगता। उन्हें यह मालूम हो रहा है कि उस प्रस्ताव और विधेयकमें कोई अन्तर नहीं है। इसका उत्तर देते हुए श्री गांधीने कहा:

दूसरा प्रस्ताव बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करके तथा नेताओंकी स्वीकृतिके बाद पेश किया गया है। फिर भी इसकी जिम्मेदारी मैं ही अपने सिर लेता हूँ। मुझे लगता है कि पहले हमने लॉर्ड मिलनरकी सलाहके अनुसार अनुमतिपत्र बदलवाये और पंजीयन करवाया, इसलिए विलायतमें शिष्टमण्डल सफल हो सका था। यदि उस समय हमने हठ किया होता तो हमारी परिस्थिति तभी बिगड़ जाती। लॉर्ड मिलनरने 'टाइम्स' में हम लोगोंके पक्षमें पत्र लिखा है। उसका कारण मैं यही समझता हूँ कि विलायतमें शिष्टमण्डलने उनके पास जो जानकारी प्रस्तुत की थी, वह उनकी समझमें आ गई थी। जिस प्रकार हम अपने अधिकारोंकी माँग बहुत जोशके साथ करते हैं, हमपर किये जानेवाले आक्षेप गलत होनेपर उनको अस्वीकार करते हैं, उसी प्रकार जब हमें अपना दोष दिखाई दे तब हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। गोरे लोग कहते हैं उतने भारतीय यहाँ गलत ढंगसे नहीं आ रहे हैं। फिर भी इतना तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए कि कुछ भारतीय उस तरीकेसे आते हैं। इस प्रकारके मामले जितने अधिक देखनेमें आते हैं, उतनी ही हमारे साथ सख्ती की जाती है। सरकार कहती है कि वर्तमान अनुमतिपत्रोंके द्वारा वह पूरी तरहसे अंकुश नहीं रख सकती। कोई-कोई अँगूठे ठीकसे उठे हुए नहीं हैं और कोई-कोई व्यक्ति तो अनुमतिपत्र और पंजीयनपत्र दोनोंको अलग-अलग जगहोंपर बेच देते हैं। इसमें कुछ तो सही है। लेकिन इस लाञ्छनको हम सामाजिक रूपमें स्वीकार नहीं करते। फिर भी सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। इसलिए हमारे लिए उचित है कि हम उसको विश्वास दिलानेका प्रयत्न करें। अर्थात् हमें जो पसन्द हो वैसे फार्मवाले अनुमतिपत्र कानून द्वारा विवश हुए बिना यदि हम लें, तो उसमें कुछ भी खतरा नहीं है। इसलिए हम सरकारसे निवेदन करते हैं कि वह कानून पास करनेकी बात छोड़ दे। हम अपने-आप ही अनुमतिपत्र बदलवा लेंगे। यदि यह निवेदन मान लिया जाये तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारको हमपर विश्वास होगा, भविष्यमें जब कानून बनेंगे तब भी हमारी सलाह ली जायेगी, और नया विधेयक अपने-आप खतम हो जायेगा। स्वेच्छापूर्वक किये गये काममें कुछ भी अपमान नहीं होगा। फिर चूँकि यह सुझाव हमारी ओरसे ही जा रहा है, इसलिए विलायतमें हमारी नम्रता, सहिष्णुता, और विवेक-बुद्धिकी प्रशंसा की जायेगी, और भविष्यकी लड़ाईमें हमें हर प्रकारसे लाभ होगा। इसलिए अगर हमें ऐसे उपाय करने हों जिससे यह कानून पास न हो तो जेलके बाद यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसके अलावा इस प्रकारके अनुमतिपत्रका आधार हमारा आपसी समझौता है। इसलिए किसी भी समय यदि अधिक जुल्म हो तो हम लोग उस समझौतेसे इनकार कर सकते हैं।

इस प्रकारका निवेदन करनेके बाद हम जेल जानेका विचार रखते हैं, यह भी बहुत शोभा देनेवाली बात है। आखिरी इलाज तो निस्सन्देह जेल ही है। हमने इस बार जेलका प्रस्ताव नहीं किया, इसका कोई यह अर्थ न करे कि यदि यह कानून पास हो जाये तो हमें जेल नहीं जाना है। जेलकी बात किसीको अपने मनसे दूर नहीं होने देनी है।

इसके बाद अध्यक्ष साहबका उपकार मानकर सभा विसर्जित हुई।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-४-१९०७

गया था उसकी याद मैं आप सबको दिलाता हूँ। वह नाटकघर तो जल गया, परन्तु उसके शब्द कायम ही हैं। यदि उसके अनुसार जेल न जा सकें, तो हमें इस देशको छोड़ देना चाहिए, परन्तु इस कानूनके मुताबिक पास निकलवा कर गुलामी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। बनारसकी कांग्रेसमें मैं उपस्थित था। उस समय लाला लाजपतरायने बंगालियोंको सिंह कहा था। हमें भी वैसा ही करना है।

इस प्रस्तावका समर्थन सर्वश्री ई० एम० पटेल, ए० देसाई, उमरजी साले, अहमद मुहम्मद, तथा ए० ए० पिल्लेने किया और यह सर्वसम्मतिसे स्वीकृत किया गया।

चौथा प्रस्ताव

यह सभा अध्यक्षको अधिकार देती है कि वे उपर्युक्त प्रस्ताव स्थानीय सरकार, उपनिवेश-सचिव, भारत-मन्त्री और वाइसरायको तारके द्वारा भेज दें।

इमाम अब्दुल कादिर

आजादी (स्वतन्त्रता) सबसे श्रेष्ठ है। इस्लाम फैला, वह आजादीसे। जंजीबारमें गुलामीका अन्त करवानेके लिए अंग्रेज सरकार जोरोंसे लड़ी। वही सरकार क्या हमारे लिए यहाँ गुलामी देनेका निर्णय करेगी? लॉर्ड सेल्बोर्न हमें घूसके विषयमें फटकारते हैं। यूरोपीय अधिकारी यदि घूस न लेते और न्याय करते तो उन्हें घूस कौन देता? बड़ी सरकारने जिन्हें [हमारे] न्यासीके रूपमें भेजा है वे हमको गुलामी देना चाहते हैं। मैं तो उसे कभी भी लेनेवाला नहीं हूँ।

श्री उस्मान लतीफ

बहुत समयसे हम इस सम्बन्धमें सभाएँ करते रहे हैं। हमें साहस रखनेकी जरूरत है। ट्रान्सवालमें गोरे गरीब हैं, इस बातका दोष हमें दिया जाता है। परन्तु ऑरेंज रिवर कालोनीमें गोरे दिवाला निकालते रहते हैं, उसका क्या? वहाँ तो भारतीय नहीं हैं। हमने बहुत बार पंजीयन कराया। क्या निरन्तर पंजीयन ही कराया करेंगे? गोरे स्वीकार करते हैं कि जब उनके बाप-दादे जंगली थे तब हम सभ्य थे। ऐसे लोगोंकी प्रजा होनेपर क्या हम इस कानूनको सहन कर सकेंगे?

श्री मणिभाई खंडुभाई

दुनियामें सब जीता जा सकता है, किन्तु हमारे मनको दूसरा व्यक्ति नहीं जीत सकता। चाहे कितना ही दुःख उठाना पड़े, उसे सहन करके हम लोगोंको इस कानूनका विरोध करना है। मुझको तो यह कानून कभी मान्य न होगा।

श्री बोमनशाह तथा श्री बापू देसाईने भी उपर्युक्त प्रस्तावका समर्थन किया। फिर वह सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हो गया।

दूसरे प्रस्तावका अर्थ

श्री अब्दुल रहमानने कहा कि दूसरे प्रस्तावको बहुत लोगोंने समझा हो, ऐसा नहीं लगता। उन्हें यह मालूम हो रहा है कि उस प्रस्ताव और विधेयकमें कोई अन्तर नहीं है। इसका उत्तर देते हुए श्री गांधीने कहा:

दूसरा प्रस्ताव बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करके तथा नेताओंकी स्वीकृतिके बाद पेश किया गया है। फिर भी इसकी जिम्मेदारी मैं ही अपने सिर लेता हूँ। मुझे लगता है कि पहले हमने लॉर्ड मिलनरकी सलाहके अनुसार अनुमतिपत्र बदलवाये और पंजीयन करवाया, इसलिए विलायतमें शिष्टमण्डल सफल हो सका था। यदि उस समय हमने हठ किया होता तो हमारी परिस्थिति तभी बिगड़ जाती। लॉर्ड मिलनरने 'टाइम्स' में हम लोगोंके पक्षमें पत्र लिखा है। उसका कारण मैं यही समझता हूँ कि विलायतमें शिष्टमण्डलने उनके पास जो जानकारी प्रस्तुत की थी, वह उनकी समझमें आ गई थी। जिस प्रकार हम अपने अधिकारोंकी माँग बहुत जोरके साथ करते हैं, हमपर किये जानेवाले आक्षेप गलत होनेपर उनको अस्वीकार करते हैं, उसी प्रकार जब हमें अपना दोष दिखाई दे तब हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। गोरे लोग कहते हैं उतने भारतीय यहाँ गलत ढंगसे नहीं आ रहे हैं। फिर भी इतना तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए कि कुछ भारतीय उस तरीकेसे आते हैं। इस प्रकारके मामले जितने अधिक देखनेमें आते हैं, उतनी ही हमारे साथ सख्ती की जाती है। सरकार कहती है कि वर्तमान अनुमतिपत्रोंके द्वारा वह पूरी तरहसे अंकुश नहीं रख सकती। कोई-कोई अँगूठे ठीकसे उठे हुए नहीं हैं और कोई-कोई व्यक्ति तो अनुमतिपत्र और पंजीयनपत्र दोनोंको अलग-अलग जगहोंपर बेच देते हैं। इनमें कुछ तो नहीं है। लेकिन इन लाञ्छनको हम सामाजिक रूपमें स्वीकार नहीं करते। फिर भी सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। इसलिए हमारे लिए उचित है कि हम उसको विश्वास दिलानेका प्रयत्न करें। अर्थात् हमें जो पसन्द हो वैसे फार्मवाले अनुमतिपत्र कानून द्वारा विवश हुए बिना यदि हम लें, तो उसमें कुछ भी खतरा नहीं है। इसलिए हम सरकारसे निवेदन करते हैं कि वह कानून पास करनेकी बात छोड़ दे। हम अपने-आप ही अनुमतिपत्र बदलवा लेंगे। यदि यह निवेदन मान लिया जाये तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारको हमपर विश्वास होगा, भविष्यमें जब कानून बनेंगे तब भी हमारी सलाह ली जायेगी, और नया विधेयक अपने-आप खत्म हो जायेगा। स्वेच्छापूर्वक किये गये काममें कुछ भी अपमान नहीं होगा। फिर चूँकि यह सुझाव हमारी ओरसे ही जा रहा है, इसलिए विलायतमें हमारी नम्रता, सहिष्णुता, और विवेक-बुद्धिकी प्रशंसा की जायेगी, और भविष्यकी लड़ाईमें हमें हर प्रकारसे लाभ होगा। इसलिए अगर हमें ऐसे उपाय करने हों जिससे यह कानून पास न हो तो जेलके बाद यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसके अलावा इस प्रकारके अनुमतिपत्रका आधार हमारा आपसी समझौता है। इसलिए किसी भी समय यदि अधिक जुल्म हो तो हम लोग उस समझौतेसे इनकार कर सकते हैं।

इस प्रकारका निवेदन करनेके बाद हम जेल जानेका विचार रखते हैं, यह भी बहुत शोभा देनेवाली बात है। आखिरी इलाज तो निस्सन्देह जेल ही है। हमने इस बार जेलका प्रस्ताव नहीं किया, इसका कोई यह अर्थ न करे कि यदि यह कानून पास हो जाये तो हमें जेल नहीं जाना है। जेलकी बात किसीको अपने मनसे दूर नहीं होने देनी है।

इसके बाद अध्यक्ष साहबका उपकार मानकर सभा विसर्जित हुई।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-४-१९०७

४१९. तार: उपनिवेश-मन्त्रीको[1]

जोहानिसबर्ग
अप्रैल ६, १९०७

[सेवामें
उपनिवेश-मन्त्री]
लन्दन

मार्च २९ को ब्रिटिश भारतीयोंकी आम सभा। उपस्थिति १,५००। ट्रान्सवाल विधान-परिषद द्वारा हालमें पास एशियाई कानून संशोधन विधेयकके विरोधमें प्रस्ताव पास। इस समय समाजके पास जो प्रमाणपत्र हैं, उनके बदलेमें स्वेच्छया पंजीयनका सुझाव दिया गया। नये प्रमाणपत्रका मसविदा परस्पर तय किया जायेगा। विधेयकका सारा मंशा आक्रामक ढंगके विधेयकके बिना प्रस्ताव द्वारा पूर्ण। यदि समझौता मंजूर न हो तो संघ ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे, जो दुर्बल मताधिकारहीन अल्पसंख्यक हैं, शाही मध्यस्थताका प्रार्थी। विधेयक विधान-परिषदमें तीव्र गतिसे २४ घण्टेमें पास। उसके पास होते ही संघने सरकारसे आपको तार देनेकी प्रार्थना की। परन्तु सरकारने यह कहकर इनकार कर दिया कि संघके सीधा तार देनेपर एतराज न होगा। अतः यह तार दिया। और निवेदन स्थानीय सरकारसे बातचीतके परिणामके बाद।

ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स, सी० ओ० २९१/१२२।

४२०. तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको[2]

जोहानिसबर्ग
अप्रैल ६, १९०७

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति
लन्दन

एशियाई पंजीयकका प्रतिवेदन[3] प्रकाशित। भारतीयोंका पक्ष पूर्णतया उचित सिद्ध। भारी संख्यामें छलसे प्रवेशका कोई प्रमाण नहीं। चोरी किये गये परवानोंसे या बिना परवाने प्रवेश करनेवाले एशियाइयोंकी कथित संख्या कुल ८००। कोई विवरण नहीं दिया गया। सम्भवतः प्रतिवेदनका अभिप्राय पाँच सालके अन्दरके प्रवेशोंसे है। उससे प्रकट कि एशियाई विरोधी आरोप निराधार।

१. ऐसा ही एक तार समाचार-पत्रोंमें प्रकाशनार्थ रायटरको भेजा गया था।

२. यह श्री एल० डब्ल्यू० रिचने अप्रैल ९ को उपनिवेश-उपमन्त्रीके पास भेजा था।

३. देखिए "चैमनेकी रिपोर्ट", पृष्ठ ४२८-२९।

साथ ही आम समाज उसमें शामिल नहीं। दिये आँकड़ोंके अनुसार अनेक दण्डितोंको देशनिकाला। 'रैंड डेली मेल' टिप्पणी करता है कि प्रतिवेदन नये कानूनकी जरूरत साबित नहीं करता। वह साफ साबित करता है कि वर्तमान प्रणाली काफी अच्छी है। भारतीय शिष्टमण्डल उपनिवेश-मन्त्रीसे मिला और समर्थनका प्रस्ताव उनके सामने रखा। उत्तर अनिर्णयात्मक। सहानुभूतिपूर्ण प्रभाव काम कर रहे हैं।

ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स, सी० ओ० २९१/१२२।

४२१. नेटाल भारतीय कांग्रेसकी बैठक

[अप्रैल ८, १९०७]

ट्रान्सवालके भारतीयोंके प्रति सहानुभूतिका प्रस्ताव

श्री दाऊद मुहम्मदकी अध्यक्षतामें नेटाल भारतीय कांग्रेसकी बैठक सोमवार, तारीख ८ की रातको लगभग ८-३० बजे हुई थी। उसमें बहुत-से सदस्य उपस्थित थे। पिछली बैठककी कार्रवाई और हिसाब वगैरह स्वीकार कर लिये जानेके बाद श्री मोतीलाल दीवानके निवेदन और श्री पीरन मुहम्मदके समर्थनसे यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि ट्रान्सवालके भारतीयोंने एशियाई विधेयकके विरोधमें जो लड़ाई शुरू की है उसके लिए नेटाल भारतीय कांग्रेस उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करती है और बड़ी सरकारसे निवेदन करती है कि वह भारतीय समाजको पूरा संरक्षण दे। यह प्रस्ताव तार द्वारा विलायत पहुँचानेका मन्त्रीको आदेश मिला है।

उमर हाजी आमद झवेरीका त्यागपत्र

श्री उमर हाजी आमद झवेरी भारत जाना चाहते थे और उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था; अतः इसके बाद वह कांग्रेसके समक्ष रखा गया। श्री गांधीने, जो इस बैठकमें शामिल थे, सलाह दी कि श्री झवेरीका त्यागपत्र स्वीकार किये बिना कांग्रेसके लिए कोई रास्ता नहीं है। श्री झवेरीके अभावकी पूर्ति करनेवाला यद्यपि एक भी व्यक्ति नहीं है, फिर भी सबसे अच्छा रास्ता यही जान पड़ता है कि श्री दादा उस्मानको अवैतनिक संयुक्त मन्त्रीका पद दिया जाये।

श्री अब्दुल कादिरने राय दी कि श्री झवेरीका त्यागपत्र उनके रवाना होनेकी तारीखसे ही मंजूर किया जाना चाहिए और इसलिए उनके त्यागपत्र एवं दूसरे मन्त्रीकी नियुक्तिके सम्बन्धमें दूसरी बैठकमें विचार करना अधिक उपयुक्त होगा।

श्री पीरन मुहम्मदने भी श्री अब्दुल कादिरकी रायका समर्थन किया और त्यागपत्र तथा [उत्तराधिकारीकी] नियुक्तिकी बात दूसरी बैठकके लिए स्थगित की गई।

उसके बाद श्री लॉरेन्सने कुछ युवकोंको कम चन्देपर भरती करनेके सम्बन्धमें जो पत्र लिखा था, उसपर विचार किया जाने लगा। कुछ चर्चाके बाद श्री गांधीके प्रस्ताव और

श्री अब्दुल कादिरके समर्थनसे यह प्रस्ताव पास किया गया कि [इस सम्बन्धमें] श्री लॉरेन्स और उनके साथियोंसे मिलनेके लिए श्री दाउद मुहम्मद, दोनों मन्त्री, श्री पीरन मुहम्मद, श्री अब्दुल कादिर, श्री अब्दुल हाजी आदम, श्री इस्माइल गोरा मुहम्मद और श्री गांधीकी समिति नियुक्त की जाये। यह समिति कांग्रेसके विधान और उपनियमोंमें कौन-कौन-से परिवर्तन करने हैं, इस विषयमें कांग्रेसके समक्ष सुझाव पेश करे। इस प्रस्तावके एक रायसे स्वीकार हो जानेके बाद बैठक समाप्त हुई।

बैठक समाप्त हो जानेके बाद श्री गांधीने बताया कि अमगेनीके पूर्वी किनारेपर भारतीयोंमें मलेरिया फैला हुआ दिखाई देता है।[1] उसके लिए भारतीय समाजको यथासम्भव मदद करनी चाहिए। और इसमें जिन भारतीय युवकोंको समय मिले, उन्हें गरीब बीमारोंकी सेवा करनी चाहिए। डॉक्टर नानजीने जितनी हो सके उतनी सेवा करनेका वचन दिया है और यदि भारतीय स्वयंसेवक सार-सँभाल करनेके लिए निकल पड़ें तो बहुत ही अच्छा काम हो सकेगा। उससे भारतीय समाजका नाम होगा और मदद करनेवालोंको गरीब बीमारोंकी अन्तरात्मा दुआ देगी। एक व्यक्ति भी बहुत काम कर सकेगा। विशेष आवश्यकता इस बातकी है कि नदीके किनारे जाकर बीमारोंका पता लगाकर तथा उनकी हालतकी जाँच करके कांग्रेसके मन्त्री तथा डॉ० नानजीको रिपोर्ट दी जाये। बहुत-से युवकोंने उत्साहपूर्वक यह काम करना स्वीकार किया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-४-१९०७

४२२. पत्र: 'नेटाल ऐडवर्टाइजर' को[2]

मैरित्सबर्ग
अप्रैल ९, १९०७

[सेवामें
सम्पादक
'नेटाल ऐडवर्टाइजर'
डर्बन]

महोदय,

आप और आपके सहयोगी 'नेटाल मर्क्युरी' ने रायटरके उस तारपर विरोधपूर्ण टिप्पणी दी है, जो एशियाई पंजीयक द्वारा ट्रान्सवालमें प्रकाशित अनुमतिपत्र प्रणालीके अमल सम्बन्धी विवरणके बारेमें दिया गया है। यदि आपके बताये तथ्य सही होते तो आपका कहा हुआ प्रत्येक शब्द उचित ठहरता। किन्तु चूँकि आपने मुझे ईमानदार कहनेकी कृपा की है, मैं इस सम्मानके योग्य रहनेकी दृष्टिसे निस्सन्देह उन सब बातोंको फिरसे कहनेके लिए बाध्य हूँ जो मैंने

१. देखिए "मलेरिया और भारतीयोंका कर्तव्य", पृष्ठ ३९१।

२. नेटाल ऐडवर्टाइज़रके सम्पादकने इस पत्रका जवाब इस प्रकार दिया था: '....चूँकि हमें अभी तक उक्त विवरणकी प्रति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम श्री गांधी और रायटरके तत्सम्बन्धी आशयके बीच निर्णय करनेमें समर्थ नहीं हैं....।'

सार्वजनिक सभाओंमें एशियाइयोंके ट्रान्सवालमें जबरदस्त और गैरकानूनी प्रवेशके दोषारोपणके विरोधमें कही हैं। सौभाग्यसे मैं जिस उद्देश्यकी पूर्तिमें लगा हूँ, उसके लिए मैंने अबतक जो-कुछ कहा है उसका एक भी शब्द वापस लेनेकी मुझे जरूरत नहीं है और उसका सीधा-सादा कारण इतना ही है कि रायटरकी एजेंसी अनजाने ही एक बिलकुल गलत वक्तव्यको तार द्वारा भेजनेका निमित्त बनी है। इसके कारण जो नुकसान हुआ है उसे पूरी तरह पोंछ डालना अब कठिन होगा। रायटरके तारमें कहा गया था कि १२,५४३ पंजीयनोंमें से केवल ४,१४४ खरे माने गये। यह वास्तवमें विवरणके, जो इस समय मेरे सामने है, एक कथनका सार है। इस सारसे रचयिताके मंशाका बिल्कुल उलटा अर्थ प्रकट होता है। कृपया मुझे वस्तुस्थितिको यथासम्भव संक्षेपमें पेश करनेकी इजाजत दीजिए। पंजीयन कराने और अनुमतिपत्र लेने, दोनोंको एक नहीं माना जाना चाहिए। १९०३ में ट्रान्सवालमें कमसे-कम १२,५४३ एशियाई बाकायदा रहते थे। उस साल कभी लॉर्ड मिलनरने हिदायतें निकाली थीं कि १८८५ का कानून ३ लागू किया जाये और जिन एशियाइयोंने भूतपूर्व बोअर सरकारको तीन पौंड नहीं दिये थे उनसे वह रकम वसूल की जाये। और, उन्होंने पंजीयनकी एक-जैसी पद्धति स्थापित करनेके लिए भारतीय समाजको नये प्रमाणपत्र लेनेकी सलाह दी थी। इनमें वे भारतीय, जिन्होंने तीन पौंडी प्रमाणपत्र पहले ले लिये थे और जिन्होंने नहीं लिये थे, दोनों ही शामिल थे।

लॉर्ड महोदयकी प्रसन्नताके विचारसे भारतीय समाजने स्वेच्छापूर्वक इस परिस्थितिको स्वीकार कर लिया। श्री चैमने अपने विवरणमें जो-कुछ कहते हैं सो यह है कि उन १२,५४३ व्यक्तियोंमें, जिन्होंने अपनेको पंजीयनके लिए प्रस्तुत किया था, ४,१४४ तीन पौंड अदा करनेसे छुटकारा पानेका अपना दावा सिद्ध कर सके थे। यह नहीं कहा गया है कि कितने दावे अस्वीकार किये गये थे। किन्तु यह मुद्दा बिलकुल स्पष्ट है कि जो अनुमतिपत्र जारी कर दिये गये थे उनकी वैधतापर पंजीयनका कोई असर नहीं पड़ा। वास्तवमें पंजीयन उन्हींका किया गया जिनके पास अनुमतिपत्र थे। इसलिए रायटरने जो वक्तव्य तारसे भेजा है उसका अर्थ यह है कि ४,१४४ व्यक्तियोंको छोड़कर सभी लोगोंको पंजीयन प्रमाणपत्र पानेके लिए तीन पौंडकी रकम अदा करनी पड़ी। इन प्रमाणपत्रोंसे पहले प्राप्त अनुमतिपत्र किसी तरह रद नहीं हुए। इसलिए आपका यह अनुमान कि उपनिवेशमें ८,००० व्यक्ति अवैध ढंगसे आये, बिल्कुल गलत है। इस तथ्यसे कि १४४ एशियाई मरे और उनके अनुमतिपत्रोंमें से केवल चार प्राप्त किये जा सके, सिवाय इसके कुछ सिद्ध नहीं होता कि मृत व्यक्ति अपने मरनेका पूर्व-अनुमान नहीं कर सके और अनुमतिपत्र लौटाना भूल गये। इन प्रपत्रोंको लौटानेका कोई कानून नहीं है और यह भी याद रखना चाहिए कि ये व्यक्ति ट्रान्सवालमें नहीं, भारतमें मरे थे। इसलिए चर्चित विवरणके अन्तर्गत अवैध प्रवेशसे सम्बन्धित केवल एक ही अनुच्छेद है, जहाँ ८७६ व्यक्तियोंके विषयमें बिना अनुमतिपत्र अथवा चुराये हुए अनुमतिपत्रोंके साथ होनेका आरोप है। श्री चैमनेने जो आँकड़े दिये हैं उन्हें ठीक भी मान लें तो इतना ही सिद्ध होता है कि जाली अनुमतिपत्रके साथ या बिना अनुमतिपत्रके लगभग ५० व्यक्ति हर महीने ट्रान्सवालमें घुसे। श्री चैमनेकी निन्दा करनेके किसी भी उद्देश्यसे आपकी शिष्टताका लाभ उठाकर मैं चर्चाको यह कहनेके लिए लम्बा नहीं बनाऊँगा कि उनमें न्यायिककी बुद्धिकी कमी है, सन्देह और प्रमाणमें वे अन्तर नहीं देख पाये हैं और उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिये हैं

जो न्यायिक जाँच की जानेपर सही साबित नहीं होंगे। ये केवल बिना किसी यथार्थ तथ्यके सहारे व्यक्त किये गये हठपूर्ण उद्गार हैं; और यद्यपि, जैसा कि मैंने स्पष्ट कर दिया है, उनके जबरदस्त संख्यामें अवैध प्रवेश सम्बन्धी कथनके आधारका भी आसानीसे खण्डन किया जा सकता है, तथापि उस विवरणमें यह सिद्ध करने योग्य तो कोई बात नहीं है कि अवैध प्रवेश अथवा जबरदस्त संख्यामें अवैध प्रवेशको भारतीय समाजकी ओरसे किसी भी प्रकारका बढ़ावा दिया गया हो। अवैध प्रवेश बिलकुल नहीं होता, ऐसा कभी किसीने नहीं कहा। किन्तु बड़े पैमानेपर उनका आना कभी स्वीकार नहीं किया गया। और श्री चैमनेका विवरण यदि जैसाका-तैसा ले लिया जाये, तो भी मैंने जिन स्वाभाविक त्रुटियोंकी ओर ध्यान आकर्षित किया है उनपर विचार किये बिना भी वह ब्रिटिश भारतीयोंके पक्षको पूरी तरह उचित सिद्ध करता है। मैं यहाँ आपके जोहानिसबर्गके सहयोगी 'रैंड डेली मेल' का उल्लेख भी कर दूँ जिसे स्वयं इस विवरणको पढ़नेका अवसर मिला है। वह आपके निर्णयसे बिलकुल विपरीत निर्णयपर पहुँचा है। फिर, उसने पूछा है कि क्या नया विधेयक जिस हद तक अवैध प्रवेश सिद्ध हुए हैं, उस हद तक उनका कोई निराकरण प्रस्तुत कर पाता है?

आपका इत्यादि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

नेटाल ऐडवर्टाइज़र, ११-४-१९०७

४२३. चैमनेकी रिपोर्ट

श्री चैमनेकी रिपोर्टका सारांश हमारे जोहानिसबर्गके संवाददाताने भेजा है। वह बहुत पठनीय है। रिपोर्टसे तीन बातें सिद्ध होती हैं। वे हैं: भारतीय समाजके प्रति श्री चैमनेका तिरस्कार, श्री चैमनेकी न्यायबुद्धिकी त्रुटि और भारतीय समाज द्वारा बताई गई हकीकतोंकी प्रामाणिकता।

श्री चैमनेका द्वेष प्रत्येक पंक्तिमें दीख पड़ता है। उन्होंने राईका पर्वत बनाया है, और कहीं-कहीं तो बेबुनियाद बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुतेरे लोग बड़ी रकम लेकर पुराने पंजीयनपत्र बेच देते हैं। किन्तु उसका प्रमाण वे कुछ भी नहीं दे पाये। उन्होंने ८७६ लोगोंके अनुमतिपत्रके बिना प्रविष्ट होनेकी बात लिखी है, परन्तु वह किस प्रकार, यह जानकारी नहीं दी। उन्हें न्यायाधीशके अधिकार नहीं हैं। इसलिए किसीके भी सम्बन्धमें वे ऐसा नहीं कह सकते कि उसने बिना अधिकार प्रवेश किया है। वे इतना ही कह सकते हैं कि लोग अनुमतिपत्रके बिना आये होंगे, ऐसा उन्हें सन्देह है। फिर भी बिना अनुमतिपत्रके और बिना अधिकारके वे आये ही हैं, उनका यह कहना तो द्वेष और सदोष न्यायबुद्धि दोनों ही प्रकट करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत-से लोग डर्बनसे लौट गये, और जो लोग चोरीसे आये हैं तथा पकड़े गये हैं वे पहले ८७६ से अलग हैं। किन्तु इसमें से एक भी बातका सम्बन्ध अवैध रूपसे आनेवाले लोगोंकी संख्या बतानेसे नहीं है। फिर भी उन्होंने बढ़ा-चढ़ाकर कहनेके लिए ये बातें सामने लायी हैं।

इस प्रकार रंग-रोगन चढ़ाकर बातें कही गई हैं, फिर भी यह सिद्ध नहीं होता कि भारतीय समाज बहुत-से लोगोंको अवैध रूपसे प्रविष्ट करता है या बहुतेरे लोग उस ढंगसे प्रविष्ट होते हैं। श्री चैमने द्वारा दी गई संख्या सही हो तो भी हर महीने अवैध रूपसे आनेवाले भारतीयोंकी संख्या ५० हुई। और इसको ट्रान्सवालपर चढ़ाईका रूप देना स्पष्ट ही बेढंगा है। फिर, भारतीय समाजने कहा है कि नये विधेयककी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, यह भी श्री चैमनेकी रिपोर्ट सिद्ध कर देती है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान कानूनमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अँगूठा लगानेके लिए बाध्य किया जा सके। यह बात सही नहीं है। क्योंकि भारतीय समाजने अँगूठेकी निशानी देनेमें कभी आना-कानी नहीं की। और यदि कोई अँगूठा नहीं लगाता है तो उसे बिना अनुमतिपत्रके रहनेका आरोप लगाकर न्यायालयमें पेश किया जा सकता है। उस समय उस व्यक्तिको अँगूठेकी निशानी दिये बिना कोई चारा नहीं। इसलिए अँगूठेके निमित्त तो नये विधेयककी आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन वे कहते हैं कि लड़कोंको रोकनेके लिए वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है। यदि ऐसी बात है तो नये विधेयकके द्वारा अपने माता-पिताके साथ आनेवाले बालकोंपर पाबन्दी लगी हुई नहीं दीख पड़ती। अर्थात् वह उपाय भी नये कानूनके द्वारा नहीं मिल रहा है। इससे साबित होता है कि नया कानून बिलकुल निकम्मा है। और इस बातको 'रैंड डेली मेल' भी अब तो स्वीकार करता है। इस सबपर विचार करनेपर हम देख सकते हैं कि श्री चैमनेकी रिपोर्टको कुछ भी महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३–४–१९०७

४२४. उमर हाजी आमद झवेरीका त्यागपत्र

बहुत ही जरूरी कामके कारण श्री उमर हाजी आमद झवेरीने नेटाल भारतीय कांग्रेसके संयुक्त मन्त्रि-पदसे त्यागपत्र दे दिया है। श्री उमर झवेरी नेटालमें ही नहीं, दक्षिण आफ्रिकामें भी अपने जैसे अकेले और बेजोड़ हैं। उनकी बराबरी करनेवाला दूसरा कोई भारतीय नहीं है। इस तरह कहकर हम मानते हैं कि हम कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। वे बहुत ही थोड़े समयमें [भारत] चले जायेंगे। उनका अभिनन्दन करना अभिनन्दन लेनेके समान है। हमें विश्वास है, कि कांग्रेस तो अभिनन्दन करेगी ही, श्री उमर झवेरीसे समदृष्टिकी शिक्षा लेनेके लिए दूसरे मण्डल भी अलग-अलग अभिनन्दन करेंगे। अभिनन्दन अलग-अलग जगहोंपर और अलग-अलग दिन हो, यह जरूरी नहीं। एक ही स्थानपर कांग्रेस और दूसरे मण्डल अभिनन्दन कर सकते हैं और वही शोभा भी देगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३–४–१९०७

४२५. दक्षिण आफ्रिकामें होनेवाले कष्टोंकी कहानी

हमें कई सज्जनोंकी ओरसे सूचना मिली है कि दक्षिण आफ्रिकामें हमें जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनका एक इतिहास प्रकाशित किया जाये। उसमें आजतक दी गई सारी अर्जियोंका अनुवाद आदि दिया जाये। ऐसी पुस्तकें प्रकाशित हों तो बेशक उपयोगी हो सकती हैं और बहुत-सी जानकारी भी मिल सकती है। किन्तु ऐसी पुस्तक शायद १,००० पृष्ठ तक भी पहुँच सकती है। इसलिए उसे बहुत कम कीमतमें प्रकाशित नहीं किया जा सकता। उसके पाँच शिलिंग सहज पड़ सकते हैं। जबतक उसकी ५०० प्रतियाँ पहलेसे न बिक जायें तबतक हम वैसी पुस्तक प्रकाशित करनेकी हिम्मत नहीं कर सकते। इसलिए जो ऐसी पुस्तक प्रकाशित देखना चाहते हों, वे हमें लिखित सूचना दें तो हम उसपर विशेष विचार कर सकेंगे।[1]

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-४-१९०७

४२६. भूतपूर्व अधीक्षक अलेक्जैंडर

भूतपूर्व अधीक्षक अलेक्जैंडरको भारतीय समाजकी ओरसे सम्मान दिये जानेके सम्बन्धमें बहुत समयसे चर्चा चल रही है, फिर भी अभीतक दिया नहीं जा सका। अब बहुत समय बीत गया है। जितना ज्यादा समय जाता है उतना ही हमारा हल्कापन प्रकट होता है। इसलिए अग्रणी लोगोंसे हमारा निवेदन है कि आरम्भ किया हुआ काम तुरन्त ही कर लिया जाये।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-४-१९०७

४२७. माननीय प्रोफेसर गोखलेका महान प्रयास

प्रोफेसर गोखले इस समय भारतमें दौरा कर रहे हैं और हर जगह भारतकी स्थितिके बारेमें भाषण देते हैं। इस यात्रामें उनका मुख्य उद्देश्य हिन्दू और मुसलमानोंमें एकता पैदा करना है। सब जगह दोनों कौमें उन्हें भोज देती हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। इसी यात्राके सिलसिलेमें वे अलीगढ़ कॉलेजमें गये थे। वहाँके विद्यार्थियोंने उनका बहुत ही सम्मानपूर्ण स्वागत किया। वहाँ उन्होंने कहा कि जबतक हम शरीर-श्रम नहीं करेंगे तबतक हमें स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी। वहाँ वे नवाब मोहसिन-उल-मुल्कके मेहमान थे; और उनके सम्मानमें बहुत बड़ा भोज दिया गया था। इलाहाबाद, लखनऊ, लाहौर, अमृतसर वगैरह जगहोंसे भी वे हो आये हैं। उन्होंने वहाँ भाषण देकर लोगोंमें जागृति और एकताकी भावनामें वृद्धि की है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-४-१९०७

१. पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई।

४२८. अफगानिस्तानमें शिक्षा

अफगानिस्तानके शिक्षा विभागके प्रमुख डॉ० अब्दुल गनी इस समय काबुलमें शालाओंकी स्थापना कर रहे हैं। शालाएँ स्थापित करनेके लिए उन्होंने काबुलके ४० विभाग किये हैं। इसके अलावा हबीबिया विश्वविद्यालयके सिलसिलेमें अच्छी-अच्छी पुस्तकोंका अनुवाद हो रहा है। चिकित्सा शास्त्रकी शिक्षा देनेका काम भी चल रहा है और सम्भव है कि इस महीनेमें लोगोंको उद्योगकी शिक्षा देना भी शुरू हो जायेगा। राज्यके खर्चसे शिक्षणके लिए विद्यार्थियोंको यूरोप और जापान भेजनेका विचार भी चल रहा है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३–४–१९०७

४२९. डर्बनमें जमीनवाले भारतीय

सन् १९०६–७ में डर्बनमें भारतीयोंके अधिकारमें निम्नांकित मूल्यकी जमीनें थीं:

विभाग	भारतीय	अन्य	कुल
१	१४,४८०	११,४०,५७०	११,५५,०५०
२	२६,६००	१४,४९,१५०	१४,७५,७५०
३	१९,६९०	१९,३८,३४०	१९,५८,०३०
४	३,४०,७९०	१८,५७,७७०	२१,९६,५६०
५	४५,९२०	१३,१६,९१०	१३,६२,८३०
६	१,०५,६८०	९,०७,५३०	१०,१४,२१०[1]
७	२८,३८०	९,३२,६२०	९,५१,०००[2]
पौंड	५,३२,५४०[3]	९५,४२,८९०	१,०१,२५,४३०[4]

इस तरह देखनेपर भारतीयोंके पास केवल पाँच प्रतिशत मूल्यकी भूमि है, और उसमें भी अधिकतर तो बाँडपर होगी। इसलिए गोरोंका डर बेकार है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३–४–१९०७

१ से ४ इन जोड़ोंमें छपाईकी भूल मालूम होती है।

४३०. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

श्री स्मट्सके समक्ष शिष्टमण्डल

मैं पिछले सप्ताह लिख चुका हूँ कि शिष्टमण्डल श्री स्मट्सके पास जाकर आम सभाके[1] निर्णय पेश करेगा। उसके अनुसार श्री स्मट्सने गुरुवार, ४ तारीखको शिष्टमण्डलको मिलनेका समय दिया था। श्री अब्दुल गनी, श्री कुवाड़िया, श्री ईसप मियाँ, श्री हाजी वजीर अली, श्री मून-लाइट तथा श्री गांधी महाप्रबन्धकसे विशेष प्रबन्ध करा कर ८–३५ की एक्सप्रेससे जोहानिसबर्गसे प्रिटोरिया गये। प्रिटोरियासे श्री मुहम्मद हाजी जुसब और श्री गौरीशंकर व्यास शामिल हो गये थे। वे सब ठीक १२ बजे उपनिवेश-कार्यालयमें पहुँच गये। श्री चैमने उपस्थित थे।

श्री गांधीने स्मट्सको सारी हकीकत कह सुनाई। श्री स्मट्सको याद दिलाया गया कि भारतीय समाज कई बार पंजीयनपत्र ले चुका है। उसकी यह दलील श्री चैमनेकी रिपोर्टके द्वारा सिद्ध होती है और उस रिपोर्टने यह भी बता दिया गया है कि दूसरी दृष्टिसे भी भारतीय समाज विश्वसनीय है। एशियाई-कार्यालयके रिश्वत लेनेवाले अधिकारियोंको भारतीय समाजकी मददसे पकड़ लिया गया है। इसलिए इन सारी बातोंका विचार करके इस बार सरकारको आम सभाके दूसरे प्रस्तावके अनुसार स्वेच्छया पंजीयन सम्बन्धी निवेदन मान्य करना चाहिए।

उसके बाद हाजी वजीर अलीने समर्थनमें दलीलें दीं और भारतीय समाजकी वफा-दारीकी ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री अब्दुल गनी तथा ईसप मियाँने भी दलीलें पेश कीं और कहा कि अब भी नौकरों वगैरहकी तकलीफें होती रहती हैं।

श्री स्मट्सने पौन घंटेसे भी अधिक समय तक ये सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनीं। अन्तमें उत्तर दिया कि उन्होंने स्वयं भी कई नई-नई बातें सुनी हैं। अतः उस सम्बन्धमें जाँच-पड़ताल करनेके बाद लिखित उत्तर देंगे। इससे शिष्टमण्डलको यह न समझ लेना चाहिए कि सरकार दूसरा प्रस्ताव स्वीकार कर ही लेगी।

इस उत्तरका अर्थ यह हुआ कि जब शिष्टमण्डल लॉर्ड एलगिनके पास गया था तब जो परिस्थिति थी, वही आज आ गई है। और श्री स्मट्सको यदि कोई तटस्थ व्यक्ति ठीक तरहसे समझा सके तो दूसरे प्रस्तावका असर पड़ सकता है। इससे श्री पोलक शुक्रवारको श्री ग्रेग-रोवस्कीके पास गये थे। उन्होंने दिलासा दिया है। बहुत-कुछ श्री चैमनेपर निर्भर जान पड़ता है। यदि वे कह दें कि भारतीय बिना कानूनके स्वयं पंजीयन करवा सकेंगे तो बहुत सम्भव है कि श्री स्मट्स अर्जी मंजूर कर लें। जान पड़ता है कि श्री पोलकने प्रिटोरियामें बहुत अच्छा काम किया है। शुक्रवारका पूरा दिन उन्होंने लोगोंसे मिलनेमें बिताया। 'प्रिटोरिया न्यूज' और 'ट्रान्सवाल ऐडवर्टाइज़र' के सम्पादकोंसे वे स्वयं मिले तथा श्री डी० वेटसे भी मिले। उन सबको कुछ भी मालूम नहीं था। किन्तु अब वे जानने लगे हैं। उन्होंने यथासम्भव सहायता करनेको भी कहा है।

श्री चैमनेकी रिपोर्ट

श्री चैमनेकी सन् १९०६ की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि ३१ दिसम्बर १९०५ तक एशियाइयोंको १२,८९९ अनुमतिपत्र दिये गये थे। वे अनुमतिपत्र उन एशियाइयोंको

१. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४०७।

देना तय किया गया था जो लड़ाईके पहले ट्रान्सवालमें रहते थे। १८९९ के पहलेके पंजीयनपत्र खो जानेके कारण यह पहचानना मुश्किल था कि ट्रान्सवालके पुराने निवासी कौन-कौन हैं। इसके अतिरिक्त, लड़ाईके पहले तीन पौंड देनेवाले व्यक्तिको बिना नामके केवल रसीद ही दी जाती थी, इसलिए यह साबित नहीं किया जा सकता था कि उनमें से यह रकम देनेवाले कौन लोग हैं। कई लोग इन पंजीयनपत्रोंको बहुत-सा पैसा लेकर बेच देते थे। १२,५४३ अनुमतिपत्रोंमें से ४,१४४ व्यक्तियोंने पहले ३ पौंड दिये थे। कुछ पंजीयनपत्रोंपर तो भारतीय भाषामें ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है कि उसके आधारपर हम कह सकते हैं कि पंजीयनपत्र किसी औरके होने चाहिए। इस समय अनुमतिपत्र देनेके बारेमें दो रायें ली जाती हैं। एक तो यह कि डर्बनमें जो तटीय एजेंट रखा गया है, वह जाँच करता है; और दूसरा यह कि जगह-जगह यूरोपीयोंके सलाहकार-निकाय बने हुए हैं। जोहानिसबर्ग पुलिस कमिश्नर जाँच करते हैं और जो ठीक प्रमाण नहीं दे पाते उन्हें अनुमतिपत्र नहीं दिया जाता। १९०५ से दिसम्बर १९०६ तक कुल मिलाकर ५९६ अनुमतिपत्र दिये गये थे। ३,२८६ व्यक्तियोंकी अनुमतिपत्र सम्बन्धी अर्जियाँ खारिज की गई थीं। उपर्युक्त अनुमतिपत्रोंमें १२,२४० भारतीयोंके और १,२३८ चीनियोंके थे। इसके अलावा ट्रान्सवालमें बहुत-से एशियाई बिना अनुमतिपत्रके या दूसरोंके अनुमतिपत्र लेकर आये हैं। ऐसे सभी लोग पकड़े नहीं जा सकते; क्योंकि सबको अँगूठे लगानेके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगोंकी संख्या ८७६ है। उनमें २१५ पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें सजा हुई थी। उपर्युक्त संख्यामें उन लोगोंकी गिनती नहीं है जो दिखाई नहीं दिये और देशमें घुस गये हैं। इसी प्रकार जिन १४१ लोगोंको डर्बनसे ही लौटा दिया था उनका भी समावेश नहीं है। अधिकसे-अधिक कठिनाई एशियाई लड़कोंके बारेमें होती है। सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेके अनुसार यह नहीं मालूम होता कि किस लड़केको अनुमतिपत्र लेना ही चाहिए। इससे भारतीय लड़के बहुत घुस आये हैं। इस परिस्थितिमें एशियाई कानून-संशोधक अध्यादेश लागू किया गया था। १९०४ की जन-गणनाके अनुसार १५ वर्षसे कम उम्रवाले एशियाई लड़के १,७७४ थे। ४१७ अनुमतिपत्र खो गये मालूम होते हैं। धन्धेके अनुसार एशियाइयोंके निम्न विभाग किये जा सकते हैं:

	१९०५ जून	१९०६ जून	ज्यादा
फुटकर व्यापारी	१,०५४	१,१०५	५१
फेरीवाले	३,०८६	३,५८७	५०१
पर्यटक व्यापारी	४६	२२९	१८३
एजेंट	११	८	—
नानबाई	६	५	—
कसाई	४३	४०	—
भोजनालयों [के मालिक]	६३	८	—
धोबी	३२	६०	२८
पंसारी	१३५	१३१	—
दूधवाले	४	३	—
फलवाले	१९	११	—

इसके अलावा इस रिपोर्टमें एक सूची दी गई है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय बस्तियाँ कहाँ-कहाँ निर्धारित की गई हैं।

'रैंड डेली मेल' की टीका

उपर्युक्त रिपोर्टकी 'रैंड डेली मेल' ने सख्त टीका की है। टीकाकारका कहना है कि श्री चैमनेने एशियाई आव्रजनपर नियन्त्रण लगानेके कारण तो बताये, लेकिन वे यह नहीं बतला सके कि आज जो कानून लागू है उससे ज्यादा और भी कुछ किया जाना चाहिए। श्री चैमनेकी रिपोर्टसे स्पष्ट मालूम होता है कि आज जो तरीका अपनाया गया है वह असफल रहा है। यदि ऐसा हो तो वह तरीका नये कानूनसे नहीं बदलनेवाला है। एक अँगूठेके बदले दस अँगुलियाँ देनेसे कोई बड़ा फर्क होगा, सो तो नहीं माना जा सकता। इसलिए अब जो करना चाहिए सो यह कि कानून नहीं बल्कि तरीका नया हो। और यदि वह तरीका भारतीय समाजसे सलाह करके खोजा जा सके तो बहुत सुविधा होगी और आज बड़ी सरकारसे टकरानेकी जो नौबत आई है वह दूर हो जायेगी। श्री चैमनेने वर्तमान व्यवस्थाके दोष बतलाये हैं, लेकिन उससे तो अधिक अच्छा होता कि वे भावी व्यवस्थाके सम्बन्धमें कुछ कहते।

विलायतको तार

उपनिवेश-सचिवने एशियाई विधेयकके विषयमें तार भेजनेसे जो इनकार कर दिया था, उसपर [ब्रिटिश भारतीय] संघके अध्यक्ष महोदयने लॉर्ड सेल्बोर्नसे पूछा था कि क्या किया जाये।[1] उन्होंने जवाब दिया है कि स्थानीय सरकारने जो-कुछ किया है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसपर संघने पिछले शनिवारको लॉर्ड एलगिनके नाम लम्बा तार[2] भेजा है और दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश समितिके नाम भी शिष्टमण्डलके सम्बन्धमें संक्षिप्त तार[3] भेजा है। इन तारोंमें २८ पौंड लग चुके हैं।

फेरीवालोंके लिए जानने योग्य

व्यापार-संघने फेरीवालोंके लिए विशेष कानून बनानेके सम्बन्धमें सुझाव दिये हैं। उनमें एक सुझाव ऐसा है कि किसी भी फेरीवालेको व्यापारके सिलसिलेमें एक जगह २० मिनटसे ज्यादा नहीं रुकना चाहिए; और वही फेरीवाला उसी दिन उसी जगहपर दूसरी बार नहीं आ सकता; और फेरीवाले सिर्फ खुले रास्तोंपर ही फेरी लगा सकते हैं। ये सुझाव अभी मंजूर नहीं हुए हैं। किन्तु यदि हो गये, तो फेरीवालोंका बुरा हाल होगा।

अनुमतिपत्रके सम्बन्धमें चेतावनी

अभी-अभी मुझे कई जगहोंसे मालूम हुआ है कि कुछ व्यक्ति, विशेषकर एक गोरा, भारतीयोंको जाली अनुमतिपत्र देते हैं। इस बातके सच होनेकी सम्भावना है। ऐसे अनुमतिपत्रोंके लिए कुछ भारतीय बहुत पैसा देते हैं। मुझे सूचित करना चाहिए कि इन अनुमतिपत्रोंको किसी कामका न समझा जाये। जो लेंगे वे अपराध करेंगे। यानी यह पैसे देकर कष्ट मोल लेनेके समान होगा। इतना तो आसानीसे समझमें आ जाना चाहिए कि जाली अनुमतिपत्रोंकी प्रतिलिपि अनुमतिपत्र कार्यालयमें हो ही नहीं सकती और जबतक अनुमतिपत्र कार्यालयमें वैसी प्रतिलिपि न हो तबतक अपने लिये हुए अनुमतिपत्रको झूठा ही समझा जाये।

१. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४०७।
२. देखिए "तार: उपनिवेश-मंत्रीको", पृष्ठ ४२४।
३. देखिए "तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको", पृष्ठ ४२४।

३१ मार्चकी सूचनाका स्पष्टीकरण

जोहानिसबर्गके एक पत्र-लेखकने जो प्रश्न किया है वह सम्पादकने मेरे पास भेजा है। प्रश्न यह है कि ३१ मार्चके पहले पंजीकृत व्यक्तिने यदि अनुमतिपत्र न लिया हो तो उसे सिर्फ ट्रान्सवाल छोड़नेकी ही सूचना मिलेगी या कुछ सजा भी होगी? इसके उत्तरमें निवेदन है कि यदि उस व्यक्तिपर विना अनुमतिपत्रके रहनेका दोष लागू हो तो उसे सिर्फ सूचना ही मिलेगी।

जोहानिसबर्गके पत्र-लेखकोंको सूचना

जोहानिसबर्गके पत्र-लेखक यदि अपने पत्र, लेख आदि 'ओपिनियन' के जोहानिसबर्ग कार्यालयमें भेजेंगे तो उनकी तुरन्त व्यवस्था हो सकेगी। क्योंकि, उन कागजोंके फीनिक्ससे वापस जोहानिसबर्ग आनेमें कुछ समय बेकार जाता है। पता पो० ऑ० बॉक्स ६५२२ लिखें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-४-१९०७

४३१. तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको[1]

[जोहानिसबर्ग,
अप्रैल १९, १९०७ के पूर्व]

[सेवामें
दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति
लन्दन]

चीनियोंने सरकारको लिखा है कि उन्होंने भारतीय प्रस्तावको स्वीकार कर लिया है। 'रैंड डेली मेल'ने सरकारको सलाह दी है कि वह भी स्वीकार कर ले।[2]

[ब्रिआस]

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स, सी० ओ० २९१-१२२

१. यह उपनिवेश उप-मन्त्रीको श्री एल० डब्ल्यू० रिच द्वारा १९ अप्रैलको भेजा गया था।

२. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४३७।

४३२. ट्रान्सवालके भारतीयोंका कर्तव्य

हमने श्री तिलकके भाषणका सारांश दूसरी जगह दिया है। उसकी ओर हम ट्रान्सवालके भारतीयोंका ध्यान खींचते हैं। उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। नया कानून पास हो तो उन्होंने जेल जानेका प्रस्ताव स्वीकार किया है। शपथ ली जाये या नहीं, सितम्बर माहकी शपथ बन्धनकारी है या नहीं, ये प्रश्न अब नहीं उठते। बात यह है कि इस कानूनके सामने घुटने न टेकनेका विचार हमने सारे संसारमें जाहिर कर दिया है। इसीके आधारपर श्री रिच लड़ रहे हैं। इसीके आधारपर विलायत शिष्टमण्डल भेजा गया था। इसीके आधारपर बहुत-से गोरे मदद कर रहे हैं और यह सवाल इतना गम्भीर है कि श्री स्मट्स भी विचारमें पड़ गये हैं। किम्बरलेके लोगोंने तार भेजे हैं; नेटाल कांग्रेसने तार भेजे हैं। यह सब इसीलिए कि जेलका प्रस्ताव पास हुआ है। इस समय भय नहीं रखना है, बल्कि अपनी और सारे भारतीय समाजकी लाज रखनेके लिए ट्रान्सवालके भारतीयोंको चुस्तीके साथ जेलके प्रस्तावपर डटे रहना है।

श्री तिलकने जो भाषण दिया है वह हमपर आज भी लागू होता है। जब तक हम अपनी माँग मंजूर करनेके लिए मजबूर न कर देंगे तब तक वह मंजूर नहीं होगी। हमारा बहिष्कार[1] — हमारा हथियार तो यही है कि हम जेल-रूपी अक्सीर इलाजका अवलम्बन करें। उसमें असफलता है ही नहीं, क्योंकि जेल जाकर हारनेके लिए रहा ही क्या?

हम ट्रान्सवालके समाजको फिरसे याद दिलाते हैं कि वहाँ केपके रंगदार लोगोंने पासका विरोध किया, पास लेनेसे इनकार किया और जेल गये, इससे सरकार उन्हें पास लेनेके लिए विवश नहीं करती। पासका कानून यद्यपि उनपर लागू होता है फिर भी उनसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ऐसे रंगदार लोगोंकी अपेक्षा हम डरपोक साबित हों, यह तो होना ही नहीं चाहिए। श्री रिचने लॉर्ड ऐम्टहिलको जो आश्वासन दिया है उसके अनुसार हम न चलेंगे तो सारी मेहनतपर पानी फिर जाना सम्भव है। मतलब यह कि भारतीय समाज जेलके प्रस्तावपर चुस्तीसे डटा रहा तो समझ लेना है कि नया कानून बना ही नहीं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०–४–१९०७

४३३. इंग्लैंड और उसके उपनिवेश

आजकल लन्दनमें इंग्लैंडकी जनता उपनिवेशोंके मन्त्रियोंका स्वागत कर रही है। डॉक्टर जेमिसनपर, जिन्होंने बोअरोंके मुल्कको लूटना चाहा था, जय-जयकार बरस रहा है। जहाँ भी वे तथा उपनिवेशोंके अन्य मन्त्री जाते हैं, उनका बहुत मान-सम्मान किया जाता है। उनके दोषोंका किसीको खयाल नहीं, केवल गुणोंका ही विचार किया जा रहा है।

यह सब वास्तविक है। जहाँ ऐसा हो वहीं जनताकी उन्नति हो सकती है। उपनिवेश अंग्रेज प्रजाकी सन्तानके समान हैं। पिता सन्तानसे उत्साहके साथ मिलता है। वह अपनी

१. बहिष्कार अबतक भारतीय राजनीतिका भी एक महत्त्वपूर्ण अंग बन चुका था।

सन्तानके दोषोंपर ध्यान न देकर केवल गुणोंका ही विचार करता है और उमंगपूर्वक मिलता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जहाँ इस प्रकारका सम्बन्ध हो वहीं कुटुम्बका उत्कर्ष होता है। ऐसे सम्बन्धके बलपर ही जनता ऊपर उठती है। अंग्रेजोंकी उन्नतिका यह एक प्रबल कारण है। वे अपने भाइयोंकी अथवा अपनी सन्तानोंकी उन्नतिको देखकर ईर्ष्या नहीं करते।

फिर ये मन्त्री, जिन्हें इतना सम्मान मिल रहा है, बहादुर हैं। ये एक-दूसरेके चक्करमें आनेवाले नहीं हैं, और देशके हितमें साहसके कार्य करनेवाले हैं। इसीलिए अंग्रेज उनका स्वागत करते हैं। जब जनरल बोथा साउथैम्प्टनमें उतरे, वहाँकी नगरपालिकाने उनका सम्मान किया। वे अंग्रेज तो नहीं हैं किन्तु अंग्रेजोंके समान गुणी और बहादुर योद्धा हैं। उन्होंने कहा: "एक समय वह था जब अंग्रेजोंने मुझको लड़ाईमें घेरा था। आज ऐसा समय है कि अंग्रेजोंसे घिर कर खुश हो रहा हूँ। और आप सब इतने लोग मुझे घेर रहे हैं, तो भी मुझे डर नहीं लग रहा है, बल्कि आप जितना अधिक मुझे घेरेंगे उतना ही अधिक मैं खुश होऊँगा।" यह भाषण अपनी देशभक्ति दिखानेके लिए उन्होंने डच भाषामें ही किया था।

इन सारी बातोंसे हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। बल्कि उन्हें शाबाशी देनी है। और यदि हममें जनताका हित करनेका गुण हो तो उनके समान हमें भी जनताके हितमें लग जाना है तथा उनके समान ही जनताके हितमें मरने तक के लिए तैयार रहना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-४-१९०७

४३४. लेडीस्मिथकी अपीलें

लेडीस्मिथसे ग्यारह अपीलें सर्वोच्च न्यायालयमें गई थीं। उनका परिणाम, जैसी हमारी धारणा थी, वही हुआ है। उन मुकदमोंमें परवाना अदालतने गवाही आदि न लेकर वैसे ही निर्णय दे दिया था, इसलिए उन्हें अपील नहीं कहा जा सकता। इस आधारपर उच्च न्यायालयने अपील अदालतका निर्णय रद कर दिया है और दुबारा मुकदमोंकी सुनवाई करनेका आदेश दिया है। जिन ग्यारह अर्जदारोंको परवाने नहीं मिले हैं, वे दुबारा अपील कर सकते हैं। और यदि अपील अदालत सबूत लेते हुए भी हठपूर्वक परवाना न दे तो आवेदक कुछ भी नहीं कर सकेंगे।

इन मामलोंमें सोमनाथ महाराजके मुकदमेके समान न्यायालयने अर्जदारोंको खर्च नहीं दिलवाया है, यह बुरी बात है। यदि खर्च दिलवाया होता तो अपील अदालतके सदस्य कुछ डर जाते। इस अपीलको हम पूरी जीत नहीं कह सकते। परवाना-अधिनियम ज्योंका-त्यों कायम है। इसके सिवा विशेष परिणामकी आशा नहीं थी। इसलिए निराश होनेका कारण नहीं। नेटाल भारतीय कांग्रेसको लड़ाई जारी रखनी है। यदि ठीक तरहसे मेहनत की जायेगी तो परवाना-अधिनियम रद होकर रहेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-४-१९०७

४३५. मिस्रमें परिवर्तन

लॉर्ड क्रॉमरने मिस्रके मुख्य अधिकारीका पद छोड़ दिया है। उसका कारण यह बताया है कि उनकी तबीयत खराब है। लॉर्ड क्रॉमरने मिस्रमें बहुत-से सुधार किये हैं, मिस्रवासियोंको शिक्षा दी और वे एक राष्ट्र हैं, ऐसा भान कराया। अब वही जनता क्रॉमरका विरोध कर रही है; क्योंकि लॉर्ड क्रॉमर अनुचित सत्ता भोगना चाहते हैं। उनकी जगह सर एल्डन गॉर्स्टको नियुक्त किया गया है। कहा जाता है कि वे लॉर्ड क्रॉमरकी नीतिका निर्वाह करेंगे। फिर भी अंग्रेजी उदारदलीय अखबार मानते हैं और चाहते हैं कि मिस्रवासियोंको और भी ज्यादा अधिकार दिये जाने चाहिए। मिस्रके अखबारोंको भी यही आशा है कि लॉर्ड क्रॉमरके तबादलेसे जनताको विशेष अधिकार दिये जायेंगे। इतना तो दिखाई देता ही है कि आजके उदारदलीय संसद-सदस्य चाहते हैं कि सारे ब्रिटिश साम्राज्यमें प्रजाके अधिकारोंमें वृद्धि हो।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-४-१९०७

४३६. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

उपनिवेश-सचिवका जवाब

शिष्टमण्डलका हाल मैं दे चुका हूँ। उसका जो जवाब[1] श्री स्मट्सने भेजा है वह निम्नानुसार है:

> १. आपके ३० तारीखके पत्रके लिए तथा बादमें भारतीय शिष्टमण्डलसे जो भेंट हुई थी और उसमें एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेश और दूसरे विषयोंपर जो बातें मेरे सामने पेश की गईं थीं, उन सबके लिए मैं भारतीय समाजका आभारी हूँ। शिष्टमण्डलने नये कानूनके विरोधमें आपत्ति करते हुए कहा था कि यह कानून भारतीय समाजकी प्रतिष्ठा गिरानेवाला है और जब भारतीय समाज आप ही नया पंजीयन करवानेको तैयार है तब फिर कानूनकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। अतः अनिवार्य पंजीयन कानून अपमानजनक है। शिष्टमण्डलने यह भी कहा था कि १८८५के कानूनमें जमीनके सम्बन्धमें [भारतीयोंको] जो कठिनाई है वह दूर नहीं होती तथा उपनिवेशमें कुछ समयके लिए रहनेवालेको जो भी कठिनाई होती है वह नहीं होनी चाहिए।
>
> २. इन सारी बातोंका पूरी तरहसे विचार कर लिया गया है। और मुझे कहना चाहिए कि नये कानूनकी १७वीं धारामें मुद्दती अनुमतिपत्र देनेकी व्यवस्था की गई है।

१. नये एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेशके सम्बन्धमें जनरल स्मट्ससे जो भारतीय शिष्टमण्डल मिला था, उससे उन्होंने लिखित उत्तर देनेका वादा किया था। देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४३२-५।

३. जमीनके सम्बन्धमें मुझे खेदके साथ कहना चाहिए कि २१ वीं धारामें एक व्यक्तिकी जमीनके बारेमें[1] जो-कुछ लिखा गया है उससे ज्यादा राहत सरकार नहीं दे सकती।

४. और भी कारणोंको लेकर कानूनके विरोधमें आपत्ति की गई है। उस सम्बन्धमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार एशियाई समाजका अपमान नहीं करना चाहती। किन्तु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एशियाई लोगोंके हुलियेका सवाल मुश्किल है। नये कानूनका मुख्य हेतु यह है कि ऐसी तजवीज की जाये जिससे एशियाई लोगोंको तुरन्त पहचाना जा सके। साथ ही यह भी जाना जा सके कि यहाँ रहनेका अधिकार किसको है। इस उद्देश्यको सफल बनानेके लिए नया कानून आवश्यक है। मुझे खेदके साथ कहना चाहिए कि पुनः पंजीयनके सम्बन्धमें शिष्टमण्डलने जो सुझाव दिया है वह व्यावहारिक नहीं है; क्योंकि उसके लिए अनिवार्य पंजीयन कानूनकी आवश्यकता है। इसके अलावा, यह समझमें नहीं आता, आप किस प्रकार निश्चयपूर्वक कह रहे हैं कि दूसरी एशियाई कौमें भी, जिनमें वे लोग भी आ जाते हैं जो बिना अनुमतिपत्रके हैं, आपके वचनसे बँध जायेंगी।

५. इसमें कोई शक ही नहीं कि बहुतेरे गोरे मानते हैं कि बिना अनुमतिपत्रोंके इस देशमें बहुत-से एशियाई आ रहे हैं। और उन्हें लगता है कि इस तरह लोगोंके बेकायदा आनेका कारण यह है कि लोगोंको छाँट निकालनेके लिए जैसी व्यवस्था चाहिए उसके अनुरूप कानून नहीं है। सरकार उनकी इस चिन्ताकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इसके अलावा सरकारके पास तो गैरकानूनी तौरसे प्रवेश करनेवाले लोगोंके खिलाफ मजबूत प्रमाण है। इस सम्बन्धमें विचार करते हुए मैं खेदके साथ देखता हूँ कि आपकी सभाओंमें और भाषणोंमें लोगोंको यह सलाह दी गई है कि वे पंजीयन न करवाकर कानूनका भंग करें। आपके अपने हितकी दृष्टिसे मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसी प्रणाली शुरू न करेंगे जिससे आपकी कौमको खास लाभ न दिये जा सकें। मैं अन्तःकरणसे आशा करता हूँ कि आपकी कौम, जो हमेशा कानूनको मान देनेका दावा करती है, अपनी वह प्रतिष्ठा बनाये रखेगी और जल्दीसे-जल्दी सफाईके साथ एवं कानूनके अनुसार पंजीयन करानेमें सरकारकी पूरी तरह मदद करेगी। यह कानून गोरे और एशियाई दोनोंके हितकी दृष्टिसे बनाया गया है। इस कानूनको यदि बन्धनकारी नहीं माना जायेगा तो ट्रान्सवालमें बिना अनुमतिपत्रके आनेवाले एशियाइयोंको रोकनेके लिए अधिक नियन्त्रण रखनेके हेतु सरकार एवं संसद दोनोंपर अधिक दबाव डाला जायेगा।

उत्तरसे पैदा होनेवाले विचार

यह उत्तर अच्छा भी है, खराब भी; भीरुतापूर्ण भी है और धमकी देनेवाला भी। अच्छा कहनेका कारण यह है कि यह विनयपूर्ण है। यदि भारतीय समाजको एकदम दुत्कारना होता तो बिना कारण दिये दो लकीरोंमें उत्तरको समेट दिया जाता। उसे खराब कहनेका

१. यहाँ संकेत उस धाराकी ओर किया गया है, जिसके द्वारा अबूबकर आमदके वारिसोंको १८८५ के कानून ३ और भारतीयोंके भूस्वामित्वसे सम्बन्धित अन्य कानूनोंसे बरी कर दिया गया था। देखिए "पत्र: जे० डी० रीजको" का संलग्न पत्र पृष्ठ १०२–०४।

कारण यह है कि हमने जो अत्यन्त उचित माँग की है उसे स्वीकार करनेमें भी श्री स्मट्सको विचार करना पड़ रहा है। भीरुतापूर्ण कहनेका कारण यह है कि [भारतीयोंके] जेलके विचार, [उनके] प्रस्ताव तथा भाषणसे सरकारको डर लग रहा है कि कहीं भारतीय समाज इतना जोर न दिखा दे। और यदि कहीं जोर दिखा दिया तो कानून बेकार हो जायेगा। धमकीवाला कहनेका कारण यह है कि यदि हम डरकर जेलकी बातको छोड़ दें तो सरकार संकटपूर्ण स्थितिसे बच जायेगी, इस विचारसे हमें धमकी दी गई है कि यदि हम कानूनको स्वीकार न करेंगे तो हमारे साथ और भी ज्यादा सख्ती बरती जायेगी।

अब क्या किया जाये? यह दरअसल कसौटीका अवसर है। हमपर रंग चढ़ा होगा और हम आबरूकी परवाह करते होंगे तो जीत जायेंगे। सरकारकी धमकीसे जरा भी नहीं डरना है। क्योंकि जो कानून पास किया गया है उससे ज्यादा दुःख और वह क्या देगी? हमारी इज्जत लेनेसे अधिक और दुःख क्या हो सकता है? हमें एक तरफ तो समझाया जा रहा है कि हम कानूनको कार्यान्वित करनेमें मदद करें। दूसरी ओर कानून ऐसा पास किया गया है कि समूचे भारतीय समाजमें ऐसा एक भी विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं जिसे पंजीयनपत्र यानी 'चोर-चिट्ठी' न देनी पड़े। सरकार हमें चोर बनाकर कानूनको कार्यान्वित करनेके लिए चोरकी मदद माँगती है!

ऐसा कुछ जान नहीं पड़ता कि वे हमें एक भी अधिकार देंगे। जमीन सम्बन्धी अधिकारके बारेमें वे साफ इनकार करते हैं। बस्ती तो आँखोंमें खटकती रहती है। जिन लोगोंकी इतनी बेइज्जती कर दी गई है उनकी इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या करेंगे? यूरोपकी नीतिके अनुसार और इस जमानेमें भय बिना प्रीति नहीं होती। हम भी स्मट्सके देशवासियोंका उदाहरण लेनेपर देखते हैं कि अंग्रेज सरकार डच लोगोंको ऐसी ही दलील देती थी। राष्ट्रपति क्रूगरसे कहा गया था कि आप अमुक हक अंग्रेजोंको देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको भोगना होगा। राष्ट्रपति क्रूगरने इन फुसलानेवाले शब्दोंकी ओर ध्यान नहीं दिया, न धमकीसे डरे। वे स्वयं बहादुर रहे और अपने देशवासियोंको बहादुर बनाये रखकर स्वयं ही अमर नहीं हुए, उन्होंने अपनी प्रजाको भी अमर कर दिया। इसके परिणामस्वरूप आज उसी प्रजाने अपना राज्य फिरसे ले लिया है। बहुत-से डच लोग युद्धमें कूदे। स्त्री-बच्चे तबाह हुए। लेकिन बचे हुए लोग आज राज्य भोग रहे हैं। इस तरह मरनेवाले मरे नहीं बल्कि अमर हैं। ऐसा ही, किन्तु दूसरे तरीकेसे, हम करें तभी हम जीतेंगे। श्री स्मट्स या दूसरे लोग जितना भी समझायें, उसे हमें चीनी चढ़ी हुई जहरकी टिकिया मानकर छोड़ देना है। हम आज यदि पीछे पैर रखेंगे तो समझिए कि हमेशाके लिए फँस गये। संघकी बैठकने इन सारी बातोंका विचार करके कार्यवाहक अध्यक्ष श्री ईसप मियाँके हस्ताक्षरसे पिछले गुरुवार, तारीख ११ को श्री स्मट्सके नाम पत्र भेजा है। वह पत्र विनयपूर्ण, किन्तु अपनी नाक रख लेनेवाला है। उसका अनुवाद निम्नानुसार है:

संघका जवाब

एशियाई विधेयकके सम्बन्धमें भारतीय समाजने जो सूचना दी है उससे सम्बन्धित आपका ८ तारीखका पत्र मिला। सरकारने सहानुभूतिपूर्वक स्पष्ट उत्तर भेजा, उसके लिए मेरा संघ बहुत आभारी है। फिर भी मैं सरकारके विचारार्थ निम्न निवेदन करता हूँ। भारतीय समाजने जो आपत्तियाँ की हैं वे इतनी महत्त्वपूर्ण हैं तथा जो सूचनाएँ

दी हैं वे इतनी उचित हैं कि मेरा संघ मानता है कि सरकारको उन सूचनाओंको स्वीकार करना आवश्यक समझना चाहिए।

आपको याद दिलानेका साहस करता हूँ कि जिस प्रकार पंजीकृत होनेके लिए इस बार सूचना दी गई है उसी प्रकारका पंजीयन करवाना भारतीय समाजने लॉर्ड मिलनरकी सलाहसे भी स्वीकार किया था, और चीनियोंने भी उस निर्णयको माना था। मेरा संघ आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता है कि इसमें किसी भी प्रकार वचन देनेकी जरूरत नहीं; क्योंकि जो सूचनाएँ दी गई हैं उनपर तत्काल अमल किया जा सकता है। और थोड़े ही समयमें मालूम हो जायेगा कि कितने एशियाई अपना वर्तमान अनुमतिपत्र बदलवाकर नया प्रमाणपत्र लेनेको तैयार हैं।

आपने अपने पत्रमें बिना अनुमतिपत्रवाले लोगोंका प्रश्न उठाया है। किन्तु वह प्रश्न हमारी सूचना या नये कानूनमें नहीं उठता। क्योंकि बिना अनुमतिपत्रवाले लोग दोनोंमें से एक भी स्थितिमें अनुमतिपत्र नहीं ले सकेंगे। जब पुन: पंजीयन हो जायेगा तब बिना अनुमतिपत्रके लोगोंकी जाँच करनेका काम ही शेष रहेगा और जो इस देशमें गैरकानूनी तरीकेसे रह रहे होंगे उन्हें सूचना देना बाकी रहेगा।

मेरा संघ स्वीकार करता है कि बहुत-से भारतीयोंके बिना अनुमतिपत्रके आ जानेकी बातसे गोरोंके मन भड़कते हैं और इसीलिए मेरे समाजने उपर्युक्त सूचना दी है। उस सूचनाके अनुसार शिनाख्तके लिए बहुत-से साधन मिल सकेंगे। और जब [नये पंजीयनपत्र दे देनेके बाद] वर्तमान दस्तावेज ले लिये जायेंगे तब शिनाख्तके साधनोंकी अड़चन तो रह ही नहीं सकती। लेकिन मुझे यह कह देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि शिनाख्तकी चाहे जैसी व्यवस्था की जाये फिर भी चोरीसे आनेवाले तो आते ही रहेंगे। मुझे यह भी बता देना चाहिए कि चोरीसे बहुत लोग नहीं आते, और यही बात श्री चैमनेकी रिपोर्टसे सिद्ध होती है।

इसलिए मेरा संघ अर्जीपर फिरसे विचार करनेके लिए सरकारसे विनती करता है और आशा करता है कि फिरसे विचार करते समय सरकार भारतीय समाजके सुझावके बारेमें ज्यादा अच्छी राय कायम करेगी।

आपने कानून तोड़नेसे सम्बन्धित प्रस्तावके बारेमें लिखा है। उसके उत्तरमें हमें कहना चाहिए कि कानून तोड़नेकी बात तो है ही नहीं। किन्तु यदि भारतीय समाजकी अनुशासनप्रियतापर बहुत दबाव डाला जाये और कौम अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा करना चाहती हो तो उसके पास एक ही रास्ता है, सो यह कि कानूनकी अन्तिम सजाको स्वीकार किया जाये — यानी जेल जाया जाये। इस प्रकार भारतीय समाज कानूनका भंग करना चाहता है सो बात नहीं। बल्कि वह तो नम्रतापूर्वक बतलाना चाहता है कि नये कानूनसे उसकी भावनाओंको बहुत ही चोट लगती है। कानूनका अर्थ ऐसा है कि भारतीय समाजको उसके उद्देश्यका विरोध करना चाहिए। किन्तु उपर्युक्त सूचनाके द्वारा भारतीय समाज तो कानूनका उद्देश्य सफल कर रहा है। इसलिए मेरा संघ नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता है कि कानूनके अमलमें आनेसे पूर्व कौमकी सूचनाकी परीक्षा की जानी चाहिए। मेरे संघको विश्वास है कि एशियाई लोग उस सूचनाका निर्वाह करेंगे, इसीलिए वह सूचना दी गई है।

इस उत्तरका परिणाम

इस उत्तरको सरकार अच्छा समझेगी या बुरा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो निश्चित है कि इससे वह विचारमें अवश्य पड़ेगी। जेलका प्रश्न सरकारने ही उठाया है। उससे अब हम पीछे हट जायें तो उसमें समाजका हलकापन प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। उत्तरमें न तीखापन है, न कोई भीरुता। वह सभ्य किन्तु दृढ़ है। उससे समाजकी मर्दानगी प्रकट होती है।

चीनियोंमें हलचल

पिछले शनिवारको श्री गांधीके दफ्तरमें चीनी नेता इकट्ठा हुए थे और उन्होंने भारतीय समाजका समर्थन करनेका प्रस्ताव किया है। चीनी वाणिज्य-दूतने भी उन्हें यही सलाह दी है। मतलब यह कि हर तरफसे बल मिलता दिखाई दे रहा है।

एशियाई भोजन-गृह

एशियाई भोजन-गृहका कानून संघकी लड़ाईके बावजूद पास कर दिया गया है और सरकारी 'गज़ट' में छप चुका है। अतः भोजन-गृह चलानेवालोंको परवाने ले लेने चाहिए। किन्तु यह बात याद रखनी चाहिए कि यदि उनके रसोईघर और खानेके कमरे एकदम साफ नहीं होंगे तो उन्हें परवाने नहीं मिल पायेंगे।

नया कानून स्वीकृत होनेकी अफवाह

यहाँ ऐसी अफवाह उड़ी थी कि लॉर्ड एलगिनने नया कानून मंजूर कर लिया है। इससे संघने खबर मँगवाई तो मालूम हुआ है कि वैसी कोई बात नहीं हुई। अफवाह झूठी है।

सावधानी

इस सम्बन्धमें सावधान रहना जरूरी है। बहुत मेहनत हो जानेपर भी सम्भव है कि कानूनपर लॉर्ड एलगिनके हस्ताक्षर हो जायें। इसलिए अच्छा रास्ता यह है कि जो लोग व्यापार करते हैं वे दूकान या फेरीका पूरे वर्षका परवाना ले रखें। ऐसा करनेसे यदि कानून अमलमें आया तो भी इस वर्ष तो व्यापारको धक्का नहीं लगेगा। इस बीच जेलका मार्ग अपनाया जायेगा तो आखिर कानून रद हुए बिना नहीं रह सकता।

चीनियोंकी सहमति

चीनियोंने सरकारको तार भेजा है और लिखा है कि उन्हें कानून पसन्द नहीं है और भारतीय समाजने जो अर्जी दी है वह उन्हें मंजूर है।[1]

'रैंड डेली मेल'की टीका

इसके आधारपर 'रैंड डेली मेल' ने बहुत ही सुन्दर टीका करते हुए लिखा है कि चीनियोंने भारतीयोंकी अर्जीका समर्थन किया है। इसका अर्थ हुआ कि सारा एशियाई समाज अध्यादेशके विरुद्ध है। इससे सरकारको लाजिमी तौरसे भारतीय अर्जी मंजूर कर लेनी चाहिए। भारतीय समाजका कानूनके विरुद्ध आपत्ति करना उचित ही है। उसकी भावनाओंको चोट नहीं पहुँचानी चाहिए।

१. "तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको", पृष्ठ ४३५ भी देखिए।

श्री चैमनेको जवाब

इस पत्रके अंग्रेजी सम्पादककी ओरसे श्री चैमनेकी रिपोर्टका[1] जो लम्बा जवाब दिया गया था उसे 'रैंड डेली मेल' ने प्रकाशित किया है। उसे उसने अग्रलेखके नीचे ही स्थान दिया है। जवाब दो भागोंमें प्रकाशित होगा।

श्री उस्मान लतीफका पत्र

श्री उस्मान लतीफने "ब्रिटिश इंडियन" नामसे यहाँके अखबारमें पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने बताया है कि भारतीय समाजने कई बार प्रमाणपत्र लिये। व्यापारिक प्रतिस्पर्धाकी आपत्ति झूठी है। महारानी विक्टोरियाके वचनों और दूसरे वचनोंकी ओर तथा इस बातकी ओर कि भारतीय समाज ब्रिटिश राज्यकी रक्षाके लिए सदा तैयार है, ध्यान देकर उसके साथ न्याय किया जाना चाहिए।

समितिको तार

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिको चीनियोंकी सहमति और '[रैंड] डेली मेल' के समर्थनके विषयमें तार भेजा गया है और पूछा गया है कि विलायतमें क्या हो रहा है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-४-१९०७

४३७. पत्र: छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
अप्रैल २०, १९०७

प्रिय छगनलाल,

हरिलालने तुम्हारे पितासे राजकोटमें जो १० पौंड लिये थे, उनके खयालसे मैं प्रेस-खातेमें १० पौंड जमा कर रहा हूँ और अपने निजी हिसाबमें इतना ही खर्च दिखा रहा हूँ। और मैं यह माने लेता हूँ कि यदि अभीतक ले नहीं लिया हो तो तुम प्रेससे ये १० पौंड ले लोगे।

कल्याणदासके सम्बन्धमें जो ४ पौंडकी मद पड़ी है उसके बारेमें वही यहाँ ठीक जान पड़ती है। जब महीना पूरा हुआ था, ३ पौंड प्रेसके खर्चमें डाले गये थे और कल्याणदासको दिये गये थे, ४ पौंड कार्यालयके खर्चमें डाले गये थे और कल्याणदासको दिये गये थे। साफ है कि ४ पौंड प्रेसके नाम होना चाहिए और ३ पौंड कार्यालयके नाम। ऐसा अब कर दिया जायेगा। अब यहाँ किया यह जाना चाहिए कि प्रेसके खर्चमें १ पौंड डाल दें। ये दाखिले तब सही होंगे, जबकि तुमने उस समय अपने यहाँ कोई दाखिला न लिया हो; अर्थात्, जो दाखिले यहाँसे भेजे गये हैं उनसे अलग तुमने कोई दाखिला कल्याणदासके नाम न किया हो। यदि कर चुके हो तो तुम्हें उसका जमा-खर्च बराबर कर लेना होगा। मैं यह भी माने लेता हूँ कि कल्याणदासको तुमसे कोई रकम नहीं मिली, क्योंकि मेरे खातेमें उसके नाम ७ पौंड जमा हैं।

१. देखिए "चैमनेकी रिपोर्ट", पृष्ठ ४२८-२९ तथा "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४३२-३५।

मुझे घर-सम्बन्धी हिसाब अब मिल गया है। उन्होंने मुक्तहस्त होकर खर्च किया है, ऐसा जान पड़ता है, और तब भी ब्यौरेमें मेरे आपत्ति करने लायक कुछ नहीं है। मैं यह भी देखता हूँ, पियानो मेरे नाम अभीतक नहीं डाला गया है। जल्दीमें हिसाब देखनेमें मेरी निगाह उसपर न पड़ी हो तो बात दूसरी है। इस तरह यह रकम कोई १० पौंड और बढ़ जायेगी। बात यही है न?

गोकुलदासकी सगाईके बारेमें मुझे गहरा असंतोष है, क्योंकि मैंने सुना है, सगाई करनेके लिए उसने नकद २,००० रुपये दिये हैं। मैं नहीं जानता कि मैंने इस बातको ठीक-ठीक समझा है। यदि यह जेवरोंके बारेमें है तो यह मामला इतनी आलोचनाके लायक नहीं है। इसके बारेमें मुझे बहुत कम विवरण मिला है। यदि तुम्हें कोई निश्चित बात मालूम हो तो मैं जानना चाहूँगा कि वास्तवमें क्या हुआ?

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मो० क० गांधी

[पुनश्च :]

मैं तुम्हारे पास 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के तीन अंक भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि चित्रोंको देखनेके बाद तुम गायकवाड़, जाम साहब और क्रिकेट दलके चित्र काट लो। किसी दिन जल्दी ही हमें इनमें से किसीको प्रकाशित करनेकी जरूरत पड़ सकती है। दूसरे चित्रोंको भी, जिनपर तुम्हारी दृष्टि पड़े और जिन्हें तुम छापने योग्य समझो, काटकर रख सकते हो।

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४७३४) से।

४३८. पत्र : लक्ष्मीदास गांधीको

[अप्रैल २०, १९०७ के लगभग][1]

पूज्यश्रीकी सेवामें,

आपका पत्र मिला। मैं आपको बड़ी शान्तिसे जवाब देना चाहता हूँ और वह भी, जहाँतक बने, पूरी तौरपर। पहले तो मेरे मनमें जो विचार आये हैं, उन्हें लिखता हूँ। बादमें आपके प्रश्नोंका जवाब दूँगा।

मुझे भय है कि हम दोनोंके विचारोंमें बड़ा भेद है और उनके मिलनेकी सम्भावना फिलहाल नहीं दीखती। आप पैसेके द्वारा शान्ति पाना चाहते हैं, मैं शान्तिका आधार पैसेपर नहीं रखता। और इस समय तो यह मानता हूँ कि मन अत्यन्त शान्त है और बहुत दुःखोंको सहन करनेके लिए बना है।

आप प्राचीन विचारोंको मानते हैं। उसी तरह मैं भी मानता हूँ। फिर भी हमारे बीच भेद है। क्योंकि आप प्राचीन वहमोंको मानते हैं और मैं नहीं मानता। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें मानना पाप गिनता हूँ।

आप मुमुक्षु हैं। उसी तरह मैं भी हूँ। फिर भी, आपके मोक्ष-दशाके विचार और मेरे विचारमें बहुत भेद जान पड़ता है। मेरी आपके प्रति अत्यन्त निर्मल वृत्ति है, फिर भी

१. मूल पत्रमें तिथि नहीं दी गई है; तथापि पिछले शीर्षकमें गांधीजीने गोकुलदासकी सगाईकी चर्चा की है और इस पत्रमें वे उनके विवाहका उल्लेख करते हैं। इसी दृष्टिसे इस पत्रको इस तिथिक्रममें रखा गया है।

आप मेरे प्रति तिरस्कार-भाव रखते हैं, इसका कारण मुझे यह दिखाई देता है कि आप मोह-लुब्ध हैं और स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध रखते हैं। यह सब आप अनजाने ही करते हैं, फिर भी परिणाम जो मैं कह रहा हूँ, वही है। यदि आपके विचारकी मुमुक्षु-दशा ठीक हो, तो फिर मैं अत्यन्त पापी हूँ। आपको यदि दगा देता होऊँ, तो भी आपका चित्त स्वस्थ रहना चाहिए और मुझे भूल जाना चाहिए। किन्तु अत्यन्त रागके कारण आप वैसा नहीं कर पाते, ऐसी मेरी मान्यता है। यदि इसमें मैं चूकता हूँ, तो आपके सामने साष्टांग दण्डवत् करके माफी मांगता हूँ।

आप मोह-लुब्ध हों या न हों, मुझे उसपर रोष नहीं है। मेरी भक्तिमें भेद नहीं है। मेरा पूज्यभाव अंशमात्र भी कम नहीं हुआ और मुझसे जितनी बने उतनी सेवा करनेके लिए तैयार हूँ और उसे अपना कर्तव्य समझता हूँ।

'कुटुम्ब'—यानी क्या, यह मैं नहीं समझ सका। मेरे लेखे कुटुम्बमें केवल दो भाई ही नहीं आते, बहनें भी आती हैं, काकाके लड़के भी आते हैं। दरअसल यदि मैं बिना अभिमानके कह सकूँ तो कहूँगा कि जीवमात्र मेरा कुटुम्ब है। भेद यही है कि जो सगे-सम्बन्धी होनेके नाते अथवा दूसरे प्रसंगोंके कारण मुझपर विशेष निर्भर हैं, उन्हें मेरी सहायता विशेष मिलती है। इसी कारण स्त्रीके नाम बीमा करवाया है। वह भी आपकी नाराजीभरी चिट्ठियाँ बम्बईमें आती थीं, मैं प्लेगके काममें जुटनेवाला था और कहीं आपके ऊपर स्त्री और बच्चोंका बोझ आ पड़ा तो आपको विशेष शाप लगेगा, इस विचारसे मैंने कराया। मै स्वयं बीमेके विरुद्ध हूँ, फिर भी उपर्युक्त और ऐसे ही अनेक कारणोंसे वह काम किया है। यदि मुझसे पहले आपका देहावसान हो जाये, तो भाभी और बच्चोंके लिए मैं खुद बीमा हूँ। इस विषयमें मेरी प्रार्थना है कि आप निर्भय रहें। इसके उदाहरण-स्वरूप आप रलियात बहिनकी स्थिति ले लीजिए।

रलियात बहिन आपके साथ नहीं रहतीं, इसमें मैं अपना दोष नहीं समझता बल्कि इसका दोष आपका स्वभाव है। मैं आपको विनम्रतापूर्वक याद दिलाता हूँ कि बाको आपसे सन्तोष नहीं हुआ। दूसरे कुटुम्बियोंको भी सन्तोष नहीं हुआ।

चि० गोकुलदास और हरिलाल मेरे कारण नहीं बिगड़े। गोकुलदास मुझसे जुदा हुआ, और वहांकी जहरी हवाके कारण बिगड़ा। हरिलालकी भी कुछ हद तक वही बात है। फिर भी आप जैसा मानते हैं, वैसा उन दोनोंमें से एक भी नहीं बिगड़ा है। दूसरे लड़कोंकी अपेक्षा उनका चरित्र अच्छा है। मैं केवल अपनी दृष्टिसे ही दोष निकालता हूँ। यहाँ आनेसे हरिलालका कल्याण हुआ है और यदि मैं भूलता न होऊँ, तो उसका चरित्र बहुत सुधरा है। हरिलालका विवाह हो गया, इसलिए अब उसके बारेमें मुझे कुछ कहनेको नहीं बचता। किन्तु मैं उससे खुश हुआ हूँ, यह तो नहीं कह सकता।

गोकुलदासका विवाह हो जायेगा, इसे भी मैं गलत मानता हूँ। किन्तु उन दोनों भाइयोंका विवाह लगभग आवश्यक हो गया। इसका कारण वहांका विषयी वातावरण है। ऐसा कहनेमें देशके प्रति मेरी भावनाका अभाव नहीं है, बल्कि देशकी वर्तमान करुणाजनक स्थितिके प्रति खेद है।

सौभाग्यसे मणि[1], रामा[2] और देवा[3] यहाँ हैं, इसलिए संस्कार अच्छे हैं। इसलिए उनके विवाहके विषयमें मैं निश्चिन्त हूँ। मेरे विचार ऐसे हैं कि इस समय बहुत-से भारतीयोंके लिए

१, २ और ३. मणिलाल, रामदास और देवदास — गांधीजीके पुत्र।

ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक है। यदि विवाह करें तो भी। इसलिए, जो तीनों लड़के ब्रह्मचर्य-दशामें मर जायें, तो मुझे खेद होनेके बदले खुशी होगी। फिर भी, उम्र आनेपर यदि उनकी विवाहकी इच्छा हुई तो मेरा विश्वास है कि उन्हें योग्य कन्याएँ मिल जायेंगी। अपनी ही जातिमें न मिलीं तो क्या करेंगे, इसका जवाब देनेसे आप उद्विग्न हो जायेंगे, इसलिए क्षमा माँगता हूँ और उसका जवाब न देनेकी आज्ञा चाहता हूँ। मैं फिरसे कहता हूँ कि श्रद्धाके अनुसार फल मिलता है। यही ईश्वरीय नियम है। इसलिए मेरे मनमें यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

छगनलाल, मगनलाल और आनन्दलाल कुटुम्बी हैं, इसलिए उनकी सेवा करनेमें कुटुम्बकी सेवा आ जाती है। वे फीनिक्समें आ गये हैं, इसलिए सुधरे हैं और उनकी नैतिकतामें वृद्धि देखता हूँ।

आपने सौ रुपया महीना माँगा है सो देनेकी फिलहाल ताकत नहीं है; जरूरत भी नहीं देखता। मैं कर्ज करके फीनिक्सका कारखाना चलाता हूँ। फिर यहाँके नये कानूनोंके विरुद्ध लड़ाई करनेमें कभी मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो मेरी परिस्थिति बहुत बुरी हो सकती है। यह परिणाम एक-दो महीनेमें मालूम हो जायेगा। इसलिए फिलहाल इस सम्बन्धमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी यदि दो-चार महीनेमें स्थिति बदली और निर्भय हुआ, तो यहाँसे आपको मनीऑर्डर द्वारा पैसा भेजनेका प्रयत्न करूँगा। वह भी आपको खुश रखनेके लिए।

मेरी कमाईमें आपका और उसी प्रकार भाई करसनदासका भाग है। ऐसा ही मैं मानता हूँ। आप जो खर्च करते हैं उसकी अपेक्षा परिमाणमें मैं अपने उपभोगपर कम खर्च करता हूँ। परन्तु मेरी कमाईमें कहनेका अर्थ यह है कि मेरे लिए जो-कुछ बच जाता है, उसमें। मेरा यहाँ रहनेका पहला हेतु कमाईका नहीं, बल्कि लोकसेवाका था। इसलिए यहाँके खर्चसे बचे हुए पैसेको लोकसेवामें लगाना मैंने अपना फर्ज माना है। इसलिए यह न माना जाये कि मैं यहाँ कमाई करता हूँ। आपको याद दिलाता हूँ कि मैं दोनों भाइयोंके बीचमें लगभग ६० हजार रुपया भर चुका हूँ। वहाँ था, तब सब कर्ज चुकाया था और आपने कहा था कि अब कुछ जरूरत नहीं है। उसके बाद ही मैंने यहाँ खर्च करनेका निश्चय किया। नेटालमें जो बचा था, वह सारा आपको सौंप दिया था। उसमें से या इसमें से मैंने एक पेनी[1] भी नहीं रखी। इसलिए आप देखेंगे कि मेरे ऊपर विलायतमें खर्च हुए १३ हजार रुपयेसे ज्यादा मैं दे चुका हूँ। इससे मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैंने कोई उपकार किया है, किन्तु जो हकीकत गुजरी है, वह आपका रोष उतारनेके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

फिट्ज़राल्ड साहबने आपसे मेरे विषयमें जो कहा उससे उनका अज्ञान प्रकट होता है। अब आपके सवालोंका[2] जवाब देता हूँ। सवाल इसीके साथ वापस भेज रहा हूँ:

१. मुझे विलायत भेजनेका उद्देश्य यह था कि हम पिताजीकी गद्दी कुछ अंशोंमें सँभालें और सब भाई मालदार होकर ऐशो-आराम भोगें।

२. इसमें जोखिम बहुत थी, क्योंकि हमारे पास जो-कुछ था, सो मेरी शिक्षामें लगा देनेका विचार किया था।

१. इंग्लैंडका सबसे छोटा सिक्का जो १ आनेके बराबर होता है।

२. श्री लक्ष्मीदासजीका वह पत्र, जिसमें ये सवाल थे, उपलब्ध नहीं है।

३. जिन्होंने मदद देनेको कहा था, उन्होंने मदद नहीं दी, इसलिए आपने बहुत मेहनत करके, कष्ट उठाकर भी चुपचाप जितना मैंने माँगा, उतना पैसा पूरा किया। यह आपकी उदारता और छोटे भाईपर आपका प्रेम प्रकट करता है।

४. प्रश्नमें कही गई स्थिति जब उत्पन्न हुई तब मेरे मनमें आया (ऐसा भास होता है) कि मैं खूब कमाई करके आपको तृप्त करूँगा और मेरे लिए भोगे हुए कष्टोंको भुला दूंगा।

५. यह बात मुझे याद नहीं है। क्योंकि स्वयं पिताजीने सम्पत्ति उड़ायी और आपने भी उनके बाद कुछ-कुछ वैसा ही किया।

६. यह बात स्वाभाविक है।

७. मुझे बड़े दुःखके साथ कहना चाहिए कि आपका रहन-सहन उड़ाऊ और बिना सोच-विचारके होनेके कारण आपने ऐशो-आराम और झूठे बड़प्पनमें बहुत पैसा उड़ाया है। आपने घोड़ा-गाड़ी रखी, इनाम दिये, स्वार्थी मित्रोंके लिए पैसा खर्च किया, जिसमें से कुछ तो अनीतिमें हुआ समझता हूँ; और ऐसे खर्चके कारण आपने बहुत कर्ज किया और आज भी कर रहे हैं।

८. मुझे याद है कि मैंने बँटवारा किया। उसके बारेमें मुझे जरा भी शर्म या खेद नहीं होता।

९. मैंने अँधेरेमें रखकर बँटवारा किया हो, ऐसा मुझे खयाल नहीं है। ऐसा हो, तब भी ठीक।

१०. मैंने ये गहने फिरसे बनवा कर नहीं दिये, किन्तु उनका और उनके बादके गहनोंका पैसा दे चुका हूँ। फिर भी यदि मुझे अब गहने बनवानेका हुक्म हो, तो मैं वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे पाप मानता हूँ। किन्तु उनके नामसे यदि मेरे पास बचत हो, तो रुपये जरूर लगा सकता हूँ। मैं गहने बनवानेसे इनकार करता हूँ, इसका यह अर्थ है कि मेरे पहलेके और आजके विचारोंमें बहुत ही अन्तर है।

११. मैं इसमें उपकार नहीं मानता। मेरे लिए यदि कुछ भी न किया गया होता, तो भी सहोदर भाईके लिए मैं जो करूँगा वह फर्ज समझकर ही करूँगा। तब जिन्होंने मेरे लिए खर्च किया है, उनके लिए यदि मैं कुछ करूँ तो वह तो मेरा दुहरा कर्तव्य है।

१२. मैं अपनी कमाईका मालिक हूँ ही नहीं। क्योंकि मैंने सब-कुछ लोकार्पित कर दिया है। मैं कमाता हूँ, ऐसा मुझे मोह नहीं है; बल्कि सदुपयोग करनेके लिए ईश्वर देता है, ऐसा ही मानता हूँ।

१३. अपनी सारी कमाईमें मैं आपका हिस्सा समझता हूँ। किन्तु अब तो मेरी कमाई जैसी कोई चीज ही नहीं बची, इसलिए वहाँ क्या भेजूँ।

१४. मैं आपके हिस्सेका उपयोग नहीं करता, बल्कि ईश्वर मुझे जो सार्वजनिक कामके लिए भेजता है, उसे उसमें लगाता हूँ। यह करते हुए यदि बचे, तो जितना आपका हिस्सा हो उतना ही नहीं, बल्कि ज्यादा भेजनेकी इच्छा रखता हूँ।

१५. मुझे ऐसा बिलकुल नहीं लगता कि मैंने आपको या किसीको लूटा है। व्यवहार तथा नीतिकी दृष्टिसे यदि मैं जीवमात्रको समान मानता हूँ तो जो मेरे ऊपर अधिक निर्भर हैं उन्हें मेरा अधिक देना उचित है। अर्थात् स्त्रीको पहले, उसके बाद उन्हें जिनका मुझपर अधिकार

हो और जो निराधार हों। यदि स्त्री-पुत्रोंका निर्वाह दूसरी तरह होता हो, तो उन्हें छोड़कर जो दूसरी तरह निराधार हैं और मुझपर आश्रित हैं उनका पहला हक है। अर्थात् यदि हरिया[1] कमाता हो और गोको[2] न कमाता हो, तो उसका पहला हक। ये सब कमाते हों और आप न कमाते हों, तो आपका पहला हक। यों सब कमाते हों और पुरुषोत्तम न कमाता हो और अभी आपके साथ ही हो, तो उसका पहला हक। इसमें केवल निर्वाहके हकका समावेश होता है, ऐशो-आराम या मोह पूरा करनेका नहीं। इसीमें से यदि दूसरे उपप्रश्न पैदा हों तो उनके उत्तर आप बता सकेंगे। यह सारा बहुत निर्मल मनसे लिखा है।

१६. इस सवालका जवाब पहलेके जवाबोंमें आ जाता है।

१७. यह पत्र, अथवा इसका कोई हिस्सा, आप जिसे बताना चाहें, उसमें मेरी आनाकानी नहीं है। हमारे बीचमें इन्साफ कौन करे, यह मैं नहीं जानता। मैं आपके अधीन हूँ। मैं आपके समान नहीं हूँ कि हमारे बीच कोई तुलना करें। फिर भी जिन्हें आप बतायेंगे, वे यदि मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं उसे सुनूँगा और बुद्धिके अनुसार उत्तर दूँगा।

मैं आपकी पूजा करता हूँ, क्योंकि आप बड़े भाई हैं। हमारा धर्म सिखाता है कि बड़ेको पूज्य माना जाये। यह नीति मैं मानता हूँ। सत्यको उससे अधिक पूजता हूँ। यह भी हमारा धर्म सिखाता है। मेरे लिखनेमें यदि कहीं भी दोष दिखाई दे, तो आप निश्चय समझिए कि मैंने सत्यके आग्रहसे सारे जवाब दिये हैं, आपको दुःख पहुँचाने या थोड़ा भी आपका अनादर करनेके लिए नहीं। हमारे बीच पहले मतभेद नहीं था, बुद्धि-भेद नहीं था। इसलिए आपकी प्रीति थी। अब आपकी अप्रीति है, क्योंकि मेरे विचारोंमें जैसा मैंने ऊपर बताया वैसा फेरफार हुआ है। इसे आप दोषरूप मानते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे कुछ जवाब भी रुचिकर नहीं होंगे। किन्तु सत्यका पालन करते हुए मेरे विचार बदले हैं, इसलिए मैं लाचार हो गया हूँ। आपके प्रति मेरी भक्ति वैसी ही है, उसने रूप अलग ले लिया है। यह सब यदि हम किसी दिन इकट्ठे हुए और आपने सुनना चाहा, तो विशेष रूपसे समझाऊँगा और आपसे प्रार्थना करूँगा। किन्तु यहाँके संयोग ऐसे हैं, यहाँके कर्तव्य इतने बढ़ गये हैं कि कब छूट सकूँगा, कह नहीं सकता।

मैंने शुद्ध मनसे लिखा है, इतना विश्वास रखें। ऐसा करेंगे, तो आपका रोष नहीं रहेगा। जहाँ आप यह मानें कि मैं भूल कर रहा हूँ, वहाँ मुझपर दया करें।

आपका पत्र हरियाको पढ़ा दिया है। वह इस उद्देश्यसे कि आप चाहे जैसा समझें, फिर भी हम दोनों पुराने जमानेके हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। और यद्यपि आप मुझे बहुत रोषसे लिखते हैं, फिर भी छोड़ते . . . सच्चा रूप बताता है[3]। उसका मैंने जो जवाब लिखा है, उसकी नकल उससे कराता हूँ, जिससे आपको पढ़नेमें दिक्कत न हो। आप मुझसे जो रोष रखते हैं, उसका मैं क्या जवाब देता हूँ, यह उसे मालूम हो जाये और उसमें कुछ सीखने योग्य हो तो अपने कर्मके अनुसार सीखे।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५२४) से।

१. हरिलाल, गांधीजीके ज्येष्ठ पुत्र।

२. गोकुलदास।

३. मूलमें कागजके फट जानेसे यहाँ एक पंक्ति पढ़ी नहीं जाती।

४४०. पत्र : कल्याणदास मेहताको

[जोहानिसबर्ग]
अप्रैल २३, १९०७

प्रिय कल्याणदास,

कुछ समयसे मुझे तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला। जरा जागो। मैं फुलमनियाके[1] पक्षमें सन् १९०६ का बैनामा नं० १२८७ साथ भेज रहा हूँ। उसका एक सन्देशवाहक कल आया था और कहता था कि वह बीमार है और बैनामा माँगती है। इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। यदि इसकी माँग आये तो रसीद लेकर उसे दे दो। यह भी मालूम करो कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।

तुम्हारा विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४७३६) से।

४४१. उपनिवेश-सम्मेलन और भारतीय

उपनिवेश-सम्मेलनको लॉर्ड मिलनरने जो पत्र लिखा है उसमें से भारतीयोंसे सम्बन्धित अंश हमने अन्यत्र दिया है। उससे मालूम होगा कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंको जो कष्ट भोगने पड़ रहे हैं उनसे सब जगह खलबली मची हुई है। लॉर्ड मिलनरकी रायमें उपनिवेशोंकी तुलनामें भारतका मूल्य अधिक है और यदि कभी यह प्रश्न उठे कि उपनिवेशोंको छोड़ा जाये या भारतको, तो अंग्रेज प्रजा उपनिवेशोंको ही छोड़नेका निश्चय करेगी। परन्तु ऐसा अवसर कब आये, यह बात हमारे हाथमें है। यदि हम अपने दोषोंको दूर कर दें तो कह सकते हैं कि वह समय आज ही है। जबतक शासकवर्ग [ब्रिटिश लोगोंको] यह समझा सकेगा कि हम बहुत हानि सहन करनेमें समर्थ हैं तबतक उपनिवेशकी बात मान्य रहेगी, और भारतीय प्रजापर अधिकाधिक बोझ पड़ता रहेगा। यह संसारका नियम है। साहूकार अधिक साहूकार बनता है; गरीबकी गरीबी बढ़ती है। बोझ ढोनेवाले अधिक बोझ उठाते हैं, और जो नहीं उठाते उन्हें कोई नहीं कहता। मतलब यह कि सरकारको हमें बतला देना है कि उपनिवेशमें अब हम अधिक बोझ नहीं उठाना चाहते।

लॉर्ड मिलनरने यह भी कहा है कि भारतकी आवश्यकता सारी अंग्रेज जनता और उपनिवेश दोनोंको बहुत है। इसका मूल्य आँका नहीं जा सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? भारतका राजस्व ४४ मिलियन (एक मिलियन, यानी दस लाख) पौंड है। उसमें से २२ मिलियन तो सेनापर खर्च होता है। यानी इतने पौंडोंका अधिकांश भाग अंग्रेजी सैनिकोंके वेतनमें और अंग्रेजी माल खरीदनेमें चला जाता है। ४४ का तीसरा भाग, यानी लगभग १५ मिलियन, पूराका-पूरा इंग्लैंड चला जाता है। शेष रकम ही भारतमें रहती है।

1. गांधीजीके बदरिया नामक एक मुवक्किलकी पत्नी।

यानी अंग्रेजों और भारतीयोंकी साझेदारीमें ८३ प्रतिशत भाग अंग्रेजोंका और १७ प्रतिशत भारतीयोंका है। कुल पूँजी भारतकी है। स्पष्ट ही यह साझा अंग्रेजी राज्यके लिए लाभप्रद है। अब उपनिवेशियोंकी स्थिति देखें तो पता चलता है कि पूँजी सारी अंग्रेज देते हैं और उसका लाभ सारा उपनिवेश खाते हैं। कोई पूछे कि ऐसा एकपक्षी न्याय क्यों है, तो इसका उत्तर एक ही है कि उपनिवेशवाले समर्थ हैं, और इसलिए दो हिस्से पाते हैं। वे इंग्लैंडकी बराबरीके हैं। हम भी वैसे बनें तो हमें भी न्याय मिल सकता है। 'बोलतेके बेर बिकते हैं', यह अंग्रेजी राज्यकी रीति है। किन्तु बोलनेका अर्थ हल्ला मचाना नहीं है। हल्लेके साथ-साथ बल भी चाहिए। दक्षिण आफ्रिकामें अथवा भारतमें हमारा बल जेल है। यदि हम अपने ऊपर होनेवाले अत्याचारमें सहयोग न करें तो हम मुक्त ही हैं। रुखानीमें लकड़ीकी मूँठ लगी होती है, तभी लकड़ी कटती है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७–४–१९०७

४४२. डर्बनके आसपास मलेरिया[1]

भारतीयोंके बीच मलेरियाका जोर बहुत दिखाई दे रहा है। डॉक्टर नानजीकी अध्यक्षतामें अब इसके लिए एक समिति बनाई गई है। उसमें बहुत भारतीय सहायता कर रहे हैं। अनुमान है कि बीमारोंकी संख्या साधारणतः सौ रहेगी व रोजका खर्च ४ पौंड होगा; यानी व्यक्तिशः १ शिलिंगसे भी कम। कुछको तो दवाके अलावा पतला भात वगैरह भी देना होगा, इसलिए रोजाना ४ पौंड खर्च ज्यादा नहीं माना जा सकता। इस विषयमें नेताओंको पूरे उत्साहसे मदद करनी चाहिए और हमें आशा है कि ठीक तरहसे मिहनत की जायेगी तो थोड़े समयमें बीमारी मिट जायेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७–४–१९०७

४४३. शुद्ध विचार

सच्चा स्वदेशाभिमान क्या है?

भारतमें आजकल अपना-अपना खयाल या स्वार्थ अधिक दीख पड़ता है। उसके बदले स्वदेशका 'अर्थ' यानी स्वदेशाभिमान होना जरूरी है। परन्तु जब हम सुधरना ही चाहते हैं तब यह स्मरण रखना आवश्यक है कि 'स्वदेशके अर्थ' में औरोंसे द्वेष करना नहीं आता। औरोंसे द्वेष करनेकी स्थितिपर तो तब पहुँचा जा सकता है जब हम 'स्वदेशका अर्थ' सुरक्षित करनेकी स्थितिपर पहुँच जायें। इसलिए यह भय कम है कि हम अभी ही परदेशका द्रोह करेंगे। फिर भी सर विलियम वेडरबर्नने इस सम्बन्धमें जो-कुछ लिखा है वह जानने और विचारने योग्य है। इसलिए 'इंडियन रिव्यू' से उसका सारांश नीचे दिया जा रहा है:

१. देखिए "मलेरिया और भारतीयोंका कर्तव्य", पृष्ठ ३९१ तथा "नेटाल भारतीय कांग्रेसकी बैठक", पृष्ठ ४२५-२६।

भारतमें आजकल कुछ लोग यह मानते हैं कि अंग्रेज सरकारसे न्याय न माँगा जाये। उसका कारण वे यह बताते हैं कि यदि अंग्रेज न्याय देते हैं तो देशमें उनके पैर और अधिक जम जायेंगे। और यदि उनके पैर जम जायेंगे तो स्वदेशभक्तिको क्षति पहुँचेगी। परन्तु यह विचार गलत है। ऐसी सीख देनेवाले स्वयं उन अंग्रेजोंका दोष अपने सिर लेना चाहते हैं जो अपनी चमड़ीके गर्वमें भारतीयोंको सताते हैं और इसलिए दोषी माने जाते हैं। और इसलिए, यह बात उस आन्दोलनके विरुद्ध पड़ जाती है जो मनुष्य-जातिका एक संगठन बनाकर रहनेके सम्बन्धमें सारी दुनियामें चल रहा है। यदि निजी स्वार्थकी जगह समाज-स्वार्थकी प्रतिष्ठा करें तब भी सर्वोच्च नीतिका भंग होता है। यदि कोई अच्छा बनना और रहना चाहे तो उसे सर्वोच्च नीतिका ध्यान रखना होगा। उस नीति तक भले ही वह न पहुँच पाये, फिर भी उसका लक्ष्य तो ऊँचेसे ऊँचा होना चाहिए। जिसका लक्ष्य सही न हो वह तो कभी भी मुकामपर नहीं पहुँच सकेगा। हमें अपनी क़मियोंके बावजूद सदैव ऊँचा चढ़नेका प्रयत्न करना चाहिए। और जैसे यह बात एक व्यक्तिपर लागू होती है वैसे ही व्यक्ति-समूहपर अर्थात् राष्ट्रपर भी लागू होती है। फिर यह भारतपर अधिक लागू होती है। क्योंकि कौन-सा मार्ग अपनाया जाये, इसपर भारत अभी विचार कर रहा है। अपना स्वार्थ साधना निकृष्ट है। राष्ट्रका स्वार्थ साधना एक सीढ़ी ऊपर चढ़नेके समान है। जो व्यक्ति अपने राष्ट्रके लिए प्राण देता है वह महापुरुष कहलाता है। किन्तु जब अपने राष्ट्रका स्वार्थ साधनेके लिए दुनियाके स्वार्थको हानि पहुँचाई जाये तब उस राष्ट्र-स्वार्थको निकृष्ट मानना चाहिए। यदि हम सारे संसारमें शान्ति और भलाई देखना चाहते हैं तो हमें सारे संसारके स्वार्थमें अपने और अपने राष्ट्रके स्वार्थकी गणना करनी चाहिए। भारतकी जनताको पिछले वर्षोंमें बहुत ही कष्ट सहन करना पड़ा है। इसका कारण यह है कि स्वदेशाभिमानका घमण्ड रखनेवाले अंग्रेजोंने अपना ही स्वार्थ खोजा। क्या भारतके नेतागण ऐसे स्वार्थी अंग्रेजोंका अनुकरण करना चाहते हैं? क्या वे पापीको धिक्कारते हैं, किन्तु पापसे प्रेम करते हैं? उन्हें लालचवश ठगाना नहीं चाहिए। स्वतन्त्रता और प्रगतिके शत्रु जुल्मी राज्य हैं, न कि जाति या चमड़ीके भेद। रूसमें रूसियोंका अपना राज्य है, फिर भी वहाँ वे जुल्म करते हैं और वहाँकी हालत भारतके समान ही बुरी मानी जायेगी। इसलिए इस परिस्थितिका इलाज केवल यह है कि दुनियामें जहाँ भी भले और परमार्थी लोग हों वे मिल जायें। इसलिए उन अंग्रेज सुधारवादियोंके साथ, जो बलवान हैं, भारतीय सुधारवादियोंको, जो निर्बल हैं, मिलना चाहिए। इंग्लैंड और भारतके वर्तमान सम्बन्धोंसे ऐसा मिलन सहज हो सकता है। परन्तु भारतके साथ अंग्रेजोंका जो सम्बन्ध है उसे न्यायकी बुनियादपर खड़ा करना जरूरी है। यह भावना दूर होनी चाहिए कि इंग्लैंड मालिक है और भारत नौकर। यदि ऐसा हो तो इंग्लैंड और भारत साथ-साथ रहकर दुनियासे मित्रता कर सकते हैं और मानव-जातिकी भलाई करनेमें योग दे सकते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन २७–४–१९०७

४४४. फ्रांसीसी भारत

हमारे पाठकोंको स्मरण होगा कि भारतमें पहले फ्रांसीसियोंने भी राज्य भोगनेकी कोशिश की थी। उनके पास उस समयके तीन स्थान बचे हैं, जो फ्रांसीसी भारत कहलाते हैं। उनके नाम हैं चन्द्रनगर, पांडीचेरी और कालीकट[१]। बहुत बार यह कहा जाता है कि फ्रांसीसियोंका बरताव भारतीयोंके प्रति अच्छा है। हाल ही में इसका एक उदाहरण देखनेमें आया है। पांडीचेरीके गवर्नरने वहांके भारतीय समाजको निम्न प्रकार पत्र लिखा है:

> नागरिको, थोड़े दिनोंमें आपको और आपकी जमीनको देखनेके लिए मैं आनेवाला हूँ। मैं आपके खेत, पानीके बाँध आदि देखूंगा, और आप लोगोंकी अर्जियाँ सुनूंगा। आप लोग मुझपर पूरा विश्वास रखकर आयें। गणराज्यका प्रतिनिधि सभी लोगोंके प्रति एक-सा बरताव करनेके लिए बाध्य है, तथा आपके और मेरे बीचमें सिर्फ एक ही चीज है, वह है कानून। कानूनके अन्तर्गत मुझसे जितना भी दिया जा सकेगा, मैं दूंगा; और कानूनकी मर्यादा में आपको साफ-साफ बता दूंगा। मुझे बेकार अथवा न-कुछ सवाल न पूछें, क्योंकि उनके उत्तरमें जो समय जायेगा उसे हम और भी महत्त्वके सवालोंका हल निकालनेमें लगा सकेंगे।
>
> आप लोग अपनी खेतीके काममें लगे हुए हैं। मुझे भी बहुत-से काम हैं। इसलिए हमें शानदार भवनोंमें मिलने और गुलाब-चमेलीके हार पहननेका समय नहीं है। यह निश्चित समझें कि मैं किसी प्रकारके दिखावे और ठाटके बिना आप लोगोंसे मिलनेके लिए ही आ रहा हूँ। और मैं आपसे सादगीमें मिलकर ही प्रसन्न होऊँगा। आप लोग अपनी मेहनत-मजदूरीमें लगे होंगे; मैं उसी रूपमें आपको देखूंगा, उसमें आपको अधिक पहचान सकूंगा और आपके कष्टोंको समझकर उन्हें दूर कर सकूंगा।
>
> जिस प्रजापर ऐसे अधिकारी हों वह क्योंकर दुःखी हो?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७-४-१९०७

४४५. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

एशियाई विधेयकके सम्बन्धमें चीनियोंकी अर्जी

चीनी संघने भारतीय समाजकी अर्जी मंजूर करनेके सम्बन्धमें पत्र लिखा था। उसका श्री स्मट्सने जवाब दिया है कि भारतीय समाजकी सूचना सरकारने मंजूर नहीं की, और कर भी नहीं सकती। खबर मिली है कि इसपर उन्होंने विलायतमें चीनी राजदूतको तार भेजा है। चीनी भी जोशमें हैं। उनके मन्त्रीने मुझसे कहा कि यदि कानून मंजूर होगा तो वे भी जेल जायेंगे।

१. स्पष्टतः गांधीजीका मतलब माहीसे है।

समितिका तार

संघने विलायतकी समितिको जो आखिरी तार भेजा था, उसका जवाब यह मिला है कि जनरल बोथासे मिलनेकी व्यवस्था की जा रही है। लॉर्ड एलगिनको सख्त पत्र भेजा गया है और लोकसभाके सदस्योंकी बैठक बुधवारको होगी। उपर्युक्त तार गुरुवार, १८ तारीखको मिला। शनिवार, २० तारीखके 'रैंड डेली मेल' में तार है कि जनरल बोथाने समितिसे मिलनेकी स्वीकृति दे दी है। आजतक इतनी ही खबर मिली है।

क्या होगा?

इससे और समितिके पत्रसे यह मानना अकारण न होगा कि विधेयक स्वीकार हो जायेगा। और यदि ऐसा हो तो स्पष्ट ही जेलके सिवाय दूसरा उपाय नहीं रहता। मैंने सुना है कि एक गोरे अधिकारीके पास जेलके निर्णय की बात चल रही थी। उसने हँसकर कहा कि "भारतीय समाज ऐसे निर्णयोंका पालन करेगा, यह मैं मानता ही नहीं।" इस वाक्यको बहुत ही महत्त्वपूर्ण मानना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय समाजकी साख बहादुरीकी नहीं है। और इसलिए सरकार चाहे जैसे कानून पास करनेकी हिम्मत करती है। यदि विधेयक पास हो जाये और हम जेल जानेकी बात दरकिनार कर दें तो यही समझना चाहिए कि भारतीय समाजके बारह बज गये।

उस गोरे अधिकारीकी हँसीसे मालूम होता है कि जेलके प्रस्तावमें यदि उन लोगोंने विश्वास किया होता तो वे विधेयक फिरसे लाते ही नहीं। हम सच्चे हैं, इसे सिद्ध करनेका अब समय है। हम पढ़ चुके हैं कि एक लड़का "भेड़िया आया" कहकर हमेशा झूठा शोर मचाया करता था। लोग उसकी मददके लिए आते और भेड़ियेको न देखकर चिढ़कर चले जाते थे। एक बार भेड़िया सचमुच ही आ गया। तब लड़केने चिल्ला-चिल्लाकर खूब शोर मचाया, लेकिन लोगोंने मजाक समझा और मदद करने नहीं आये, जिससे वह लड़का मारा गया। उनका खयाल है कि हमने भी झूठा शोर बहुत मचाया है। अब यह बतलाना बिलकुल जरूरी है कि हमारा शोर सच्चा है।

शंकाओंके उत्तर

विधेयक पास न हो, इसके लिए बहुत प्रयत्न किया जा रहा है फिर भी हमें पहलेसे इस दृष्टिसे तैयार रहना चाहिए कि वह पास हो ही जायेगा। कई जगहोंसे भिन्न-भिन्न प्रश्न पूछे गये हैं। उनमें से मुख्य एवं आवश्यक प्रश्नोंका खुलासा नीचे लिखे अनुसार करता हूँ:

यह बात याद रखनी चाहिए कि यह सारी लड़ाई सच्चे अनुमतिपत्रवालोंके लिए है। इसलिए जिनके पास यह हथियार न हो उन्हें तो ट्रान्सवाल छोड़ ही देना चाहिए। जो लड़ाईके पहलेसे यहाँ बसे हुए हैं अथवा जो शुद्ध तरीकेसे लड़ाईके बाद यहाँ आये हैं, परन्तु जिनके पास सच्चे अनुमतिपत्र हैं, उन्हें टक्कर लेनी है। लड़कोंको कोई तकलीफ दे सकेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। १६ वर्षसे कम उम्रवालोंको लड़का समझा जाये। इतनी स्पष्टता हो जानेके बाद सचमुच समझना तो यह है कि लड़ाई किस तरहसे करनी है। उसके उत्तरमें [हम कहेंगे]:

१. सभी लोगोंको एकदम जेल ले जायें या जाना पड़े, यह कभी होनेको नहीं है।

२. कानून मंजूर हो जानेके बाद अमुक अवधिमें अनुमतिपत्र बदलनेका हुक्म होगा।

३. उस अवधिमें कोई भारतीय अनुमतिपत्र न बदलवाये।

४. अर्थात्, अवधि बीत जानेपर सरकार किसी भी व्यक्तिको बिना अनुमतिपत्रके रहनेके आधारपर पकड़ सकती है।

५. सरकार किसे और कहाँ पकड़ेगी, यह कहा नहीं जा सकता।

६. मान लीजिए किसी भी गरीब भारतीयको पकड़ लिया गया। अब, श्री गांधीके सितम्बर माहमें कहे अनुसार, यदि वह सच्चे अनुमतिपत्रवाला होगा तो वे स्वयं उसका मुफ्त बचाव करेंगे।

७. उस समय वे स्वयं यह प्रमाण दें कि उन्होंने पूरे समाजको यह सलाह दी है कि कानूनके अनुसार कोई अनुमतिपत्र न ले, बल्कि नम्रतापूर्वक जेल जाये। उसी सलाहको मानकर सदर मुवक्किलने नया अनुमतिपत्र नहीं लिया है।

८. इस प्रकार जब वकील ही कहेगा तब, सम्भव है, सरकार उस आदमीको छोड़कर वकील को ही पकड़ेगी। यदि यह हुआ तो श्री गांधी ही पकड़े जायेंगे और मुवक्किल छूट जायेंगे। इस समय यदि सम्भव हुआ तो संघकी ओरसे भी ऐसा ही बयान दिया जायेगा।

९. फिर भी सम्भव है कि पकड़े हुए व्यक्तिको सजा होगी और यदि ऐसा हुआ तो पहली सजा तो यह दी जायेगी कि वह अमुक अवधिमें देशको छोड़कर चला जाये।

१०. उपर्युक्त अवधिके बीत जानेके बाद उसे फिर पकड़ा जायेगा। तब अदालतका हुक्म न माननेके कारण उसे जुर्माने अथवा जेलकी सजा होगी।

११. जुर्माना देनेसे वह व्यक्ति इनकार करेगा। इसलिए उसे जेल जाना होगा।

१२. इस प्रकार यदि बहुत लोगोंपर मुकदमा चले और वे सब जेल जायें तो सम्भावना यह है कि तुरन्त ही छुटकारा हो जायेगा और ठीक-सा नया कानून बनेगा।

१३. लेकिन यह भी सम्भव है कि जेलसे छूटनेके बाद यदि वह व्यक्ति देश छोड़कर न जाये तो उसे वापस जेलमें भेज दिया जाये।

१४. जो लोग इस प्रकार जेल जायेंगे उनके औरत-बच्चोंको आवश्यकता पड़नेपर सार्वजनिक निधिसे खानेको दिया जायेगा।

संक्षेपमें यह स्थिति होना सम्भव है। वास्तवमें यह कदम जरा भी खतरनाक नहीं है। दूकानदार अपनी दूकानके लिए और फेरीवाले अपने लिए साल-भरके परवाने ले रखें, जिससे व्यापारमें रुकावट न हो। दूकानदार किसीको दूकानमें रखकर स्वयं जेलका सुख भोग सकता है। फेरीवालेपर तो कोई मुसीबत आयेगी ही नहीं। मेरा अनुभव ऐसा है कि कई फेरी-वाले इतना कष्टपूर्ण जीवन बिताते हैं कि उससे वे जेलमें ज्यादा सुखी रहेंगे। इस जेलमें बदनामी तो है ही नहीं, पूरी प्रतिष्ठा ही मिलनी है। इसलिए किसीको घबराना या हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ[1], उसके मुताबिक किसीको इसपर प्रश्न पूछना हो तो वह सीधे सम्पादकके नाम पो० बॉक्स नं० ६५२२ पर पत्र लिखे, जिससे इस स्तम्भमें ही उनके उत्तर दिये जा सकें। इस बीच मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जेल

१. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४३५।

जानेका साहस करना बहुत बड़ा काम है। एक भी भारतीयको पीछे पाँव नहीं रखना है, नहीं तो जीती हुई बाजी हारनी होगी।

भारतीय कितने बुरे

'रैंड डेली मेल' में इस पत्रके सम्पादकने श्री चैमनेकी रिपोर्टपर जो सख्त टीका की है उसको लेकर "न्यायी" उपनामसे किसी गोरेने लेडनबर्गसे एक अन्यायी पत्र लिखा है। उसमें वह लिखता है:

> भारतीयोंके कामके दिन सप्ताहमें सात होते हैं। सूर्यके उगनेसे लेकर डूबने तक वे काम करते हैं। रविवारको वे बहीखाते लिखते हैं, फेरीवाले एक-दूसरेका हिसाब साफ करते हैं। दूसरे छुट्टीके दिन या तो खुलेआम दूकान खुली रखते हैं या कुछ व्यक्तियोंको बाहर खड़ा कर देते हैं, जिससे वे ग्राहकोंको दूकानमें भेज दें। देहातोंके भारतीय व्यापारी रविवारको एजेंट लोगोंके लाये हुए नमूने देखते हैं, जिससे एजेंटोंको भी सात दिन काम करनेको मिलता है। समयपर पैसे देना तो वे जानेंगे ही क्यों? ९० दिनकी मुद्दतके १५० दिन बनाना तो उनका स्वाभाविक धन्धा है। लेनदारोंको रुपयेमें सिर्फ एक टका चुकाना उनके लिए मामूली बात है। अपने तथा अपने रिश्तेदारोंके नामसे व्यापार करके दिवाला निकालनेवाले लोगोंकी गिनती नहीं है। वे माल खरीदते समय बातचीत करनेमें अपनी बुद्धिका जितना परिचय देते हैं उतना ही दिवालियेपनके सम्बन्धमें खुलासा करते समय बनावटी मूर्खता दिखाकर छूट जानेमें भी देते हैं। ९५ प्रतिशत भारतीयोंका व्यापार गन्दा है। कोई भी भारतीय ग्राहकको कभी नहीं छोड़ता। नुकसान खाकर भी माल बेचता है। उसमें नुकसान हो तो वह उसका नहीं, बल्कि लेनदारका होता है। जो व्यापारी ऐसे भारतीयोंसे सम्बन्ध रखते हैं वे भारतीयोंसे कम दोषी नहीं माने जायेंगे। जब ऑरेंज रिवर उपनिवेशसे सबक लेकर ट्रान्सवाल हर्जाना देकर या न देकर भारतीय दूकानें बन्द करेगा, तभी स्टैंडर्टन, हीडेलबर्ग, अरमीलो, क्लार्क्सडॉर्प वगैरह शहरोंमें यूरोपीय व्यापारी व्यापार कर सकेंगे।

इसके उत्तरमें 'मेल' के सम्पादकने लिखा है कि यदि "न्यायी" की सारी बातें सच हों तो इतने गोरे व्यापारी भारतीयोंसे जो व्यापार करते हैं वह समझमें नहीं आ सकता।

अतः "न्यायी" के पत्रका उत्तर तो मिल चुका है। उसके पत्रमें कुछ तो अतिशयोक्ति है, लेकिन कुछ बातें मंजूर करनी होंगी। हम रात-दिन काम करते हैं; रविवारको भी आराम नहीं करते; वचनोंका निर्वाह नहीं करते और रुपयोंके बदले टके चुकाते हैं। निःसन्देह इन सब बातोंमें सुधार करनेकी आवश्यकता है। मुख्य बात तो यह है कि हममें टेक होनी चाहिए और अमीरकी सीखके अनुसार सबको पाश्चात्य शिक्षा लेनी चाहिए।[1] अब मण्डलोंकी तो सीमा नहीं रही। कोई भी प्रतिष्ठित व्यापारी "व्यापारीवर्ग सुधारक मण्डल" शुरू करे और महत्त्वपूर्ण सुधार कर सके तो बहुत-सी तकलीफें दूर हो जायेंगी और परवाना सम्बन्धी कठिन कानून भी रद हो जायेगा।

ईश्वरीय कोप

जोहानिसबर्गमें आजकल ट्रामगाड़ी समय-समयपर रुक जाती है। ऐसा दिन शायद ही कोई हो जब ट्रामगाड़ी रुकी न हो। इसके दो कारण हो सकते हैं। भारतीय समाज मान

१. देखिए "अलीगढ़ कॉलेजमें महामहिम अमीर हबीबुल्ला", पृष्ठ ३६९-७०।

सकता है कि नगरपालिका काले लोगोंको ट्रामगाड़ियोंका उपयोग नहीं करने देती, इसलिए भगवान नाराज हो गये हैं। या, यह कारण हो कि जिनके हाथमें बिजलीके यन्त्र जमानेका काम था उन्होंने उसमें पैसेके लिए धोखा करके इकरारके मुताबिक काम नहीं किया।

उपनिवेश-सम्मेलनमें भारतीय प्रश्न

आज विलायतसे तार आया है। उससे मालूम होता है कि श्री मॉर्लेने कहा है कि भारतीयोंका प्रश्न सम्मेलनमें निश्चित रूपसे उठाया जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७–४–१९०७

४४६. 'अल इस्लाम'

'अल इस्लाम' का पहला अंक १९ तारीखको प्रकाशित हुआ है। इसके मालिक श्री उस्मान अहमद एफेन्दी हैं, जिनके बारेमें हम बहुत बार लिख चुके हैं। यह पत्र हर सप्ताह शुक्रवारको प्रकाशित होगा। इसका चन्दा डर्बनमें १२ शिलिंग, उपनिवेशके दूसरे हिस्सोंमें १२ शिलिंग ६ पेंस और उपनिवेशके बाहर १७ शिलिंग ६ पेंस है। पहले अंकमें दो सुन्दर तसवीरें भी हैं। उनमें एक है सम्राट् एडवर्डकी और दूसरी [तुर्कीके] महामहिम सुल्तानकी। हम 'अल इस्लाम' के लिए लम्बी उम्रकी कामना करते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७–४–१९०७

४४७. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[अप्रैल २८, १९०७]

पंजीयनका कानून

'रैंड डेली मेल' अभी तो भारतीयोंके पक्षमें है। पिछले सप्ताह उसमें दो अग्रलेख आये हैं। 'नेशनल रिव्यू' में लॉर्ड मिलनरका एक लेख था। उसपर टीका करते हुए 'रैंड डेली मेल' कहता है कि उपनिवेशका ब्रिटिश साम्राज्यके दूसरे हिस्सोंके बिना काम नहीं चल सकता; जैसे, आस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्सका भारतके साथ हर वर्ष दस लाख पौंडका व्यापार होता है। सीलोनके साथ उससे भी ज्यादा है। न्यू साउथ वेल्स जितना न्यूज़ीलैंडको बेचता है, उससे भारतको ज्यादा बेचता है और दक्षिण आफ्रिकाकी अपेक्षा सीलोनको ज्यादा बेचता है। उक्त लेखसे मालूम होता है कि भारतके बिना उपनिवेशका काम नहीं चल सकता। भारतके स्वतन्त्र होनेके लिए बस इतनी देर है कि भारतीय जाग्रत रहकर अपने अधिकार समझें। ट्रान्सवालमें उसका उपाय हाथमें ही है, सो यह कि पंजीयन कानून पास हो जाये तो जेल जायें।

उपर्युक्त लेखकी अपेक्षा 'रैंड डेली मेल' का दूसरा लेख नये कानूनपर ज्यादा लागू होता है। उसके लेखकका कहना है कि वर्तमान एशियाई दफ्तर बेकार जान पड़ता है। उस दफ्तरके विवरणसे मालूम होता है कि वह असफल रहा है। उसमें कई कारकुन, निरीक्षक और पूरी वर्दीके चपरासी हैं, फिर भी भारतीय बिना अनुमतिपत्रके घुस आते हैं। इस दफ्तरके वेतनपर हर वर्ष ४,००० पौंड से ज्यादा खर्च होता है। फिर भी, जैसा सुना है, उसके अनुसार सिर्फ एक यूरेशियन कारकुनके हाथमें समूची सत्ता है। यदि ऐसा ही हो तो फिर समझमें नहीं आता कि ४,००० पौंड खर्च करनेकी क्या जरूरत है। तब तो उस कारकुनको सारा काम सौंप देना ठीक माना जायेगा। वास्तवमें तो अनुमतिपत्रका काम केवल पुलिसके जाब्तेकी बात है, नये कानूनकी नहीं।

इस प्रकार 'रैंड डेली मेल'ने बहुत ही सख्त टीका की है और एशियाई दफ्तरकी धज्जियाँ उड़ाई हैं। इससे जान पड़ता है कि दूसरे लोग भी इस दफ्तरपर नजर रखते हैं।

विलायतमें सभा

तार मिला है कि लोकसभाके सदस्योंकी बैठक[1] २४ तारीख, बुधवारको हुई थी। सर हेनरी कॉटन उसके अध्यक्ष थे। श्री कॉक्स आदि सदस्योंने भाषण दिया तथा श्री मॉर्ले और जनरल बोथासे मिलनेका विचार पेश किया। यह बात मैं रविवारको लिख रहा हूँ। लेकिन मंगलवारको और भी खबर आना सम्भव है।

एशियाई बाजार

एशियाई बाजार यानी बस्तियाँ नगरपालिकाओंके अधिकारमें सौंप दी गई हैं। इसका फिलहाल तो कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि बस्तियोंमें भारतीयोंको अनिवार्यतः भेजनेका कानून नहीं है। लेकिन याद रखना चाहिए कि यदि भारतीय समाजने नया कानून स्वीकार किया तो तुरन्त ही बाजारोंमें अनिवार्यतः भेजनेका कानून पास किया जायेगा और फिर नगरपालिकाकी सत्ता पूरी तरह दुःखदायक बन जायेगी।

दक्षिण आफ्रिकाके व्यापारमण्डलोंकी सभा

दक्षिण आफ्रिकाके व्यापारमण्डल (चेम्बर ऑफ कॉमर्स) की बारहवीं वार्षिक सभा २४ तारीखको प्रिटोरियामें हुई थी। पोर्ट एलिजाबेथके श्री मैकिनटॉश अध्यक्ष थे। उसमें जर्मिस्टनके श्री प्रैडीने यह प्रस्ताव पेश किया था कि एशियाइयोंका आव्रजन और व्यापार बन्द किया जाना चाहिए। अपने भाषणमें उन्होंने कहा था कि भारतीय व्यापारसे बहुत ही नुकसान होता है। गोरे उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। गोरे १०० वर्षसे दक्षिण आफ्रिकामें मेहनत कर रहे हैं। उन्हें भारतीय कौम निकाल फेंके, यह कैसे हो सकता है? स्टैंडर्टन, हीडेलबर्ग, पॉचेफ्स्ट्रूम वगैरहकी हालत बहुत खराब हो गई है। यदि उन्हें आनेसे न रोका जा सकता हो तो उनपर भारी कर लगा दिया जाये, जिससे उन्हें यहाँका रहना लाभप्रद न हो। यदि मौजूदा व्यापारियोंको नुकसानी देनी पड़े तो नुकसानी देकर भी निकाल देना ज्यादा अच्छा होगा।

मसेरूके श्री हॉब्सनने समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय व्यापारी बसूटोलैंडमें पहुँच गये हैं और वहाँका बहुत-सा व्यापार उनके हाथमें है। फिर भी श्री प्रैडीका एकदम व्यापार बन्द करनेका प्रस्ताव उन्हें आवश्यकतासे अधिक भारी मालूम हुआ।

१. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४५४।

सर विलियम वैन हुल्स्टीनने कहा कि सारा दक्षिण आफ्रिका भारतीय कौमके विरुद्ध है। फिर भी उसे एकदम निकाल देना अथवा उसका व्यापार बन्द कर देना सम्भव नहीं है। यही प्रस्ताव अच्छा है कि वे बाजारमें ही व्यापार करें। भारतीयोंके आगमनके प्रश्नसे व्यापारमण्डलका सम्बन्ध नहीं है। इसलिए व्यापारमण्डल उसमें दखल नहीं दे सकता। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव पेश किया कि एशियाई व्यापारके विषयमें सारे दक्षिण आफ्रिकामें तुरन्त ही कानून बनानेकी जरूरत है।

श्री क्विनने इस संशोधनका समर्थन किया। नेटालके श्री हेंडरसनने कहा कि नेटालको भारतीय व्यापारियोंने बरबाद कर दिया है। लेडीस्मिथ वगैरह गाँवोंमें भारतीय व्यापारियोंके हाथमें ही सारा व्यापार है। वे टिड्डीके समान नेटालको खा रहे हैं। वे काफिरोंके लिए भी नुकसानदेह हैं, क्योंकि काफिर उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते।

केप टाउनके श्री जैगरने कहा कि वे भी भारतीयोंके विरुद्ध हैं। किन्तु एकदम पाबन्दी लगाना कठिन काम है। बड़ी सरकार वैसा कानून कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रस्ताव पेश किया कि चूँकि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय समाजकी उपस्थिति नुकसान-देह है, इसलिए उनके आने और व्यापार करनेपर नियन्त्रण रखनेके हेतु तुरन्त ही कानून बनाना आवश्यक है।

जूटपान्सबर्गके श्री आयरलैंडने कहा कि श्री ग्रैंडीका प्रस्ताव मर्यादाके बाहर चला जाता है। इस प्रश्नके सम्बन्धमें जल्दी कोई उपाय किया जाना चाहिए। एशियाई एक प्रकारकी प्लेगकी बीमारी है। श्री फॉरेस्ट बोले कि नेटालमें इतने ज्यादा भारतीय हैं कि उनकी जब उन्हें याद आ जाती है तो ठण्ड लगने लगती है। प्रिटोरियाके श्री चैंपेलने संशोधनका समर्थन किया। श्री बर्कने श्री ग्रैंडीसे कहा कि उन्हें अपना प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए जिससे संशोधित प्रस्ताव सर्वानुमतिसे स्वीकार हो और उसका अच्छा प्रभाव पड़े। श्री ग्रैंडीने प्रस्ताव वापस ले लिया और सर्वानुमतिसे संशोधित प्रस्ताव पास हुआ।

उसके बाद सामान्य विक्रेता परवाना सम्बन्धी कानूनका विवाद खड़ा होनेपर यह प्रस्ताव किया गया कि सब जगह संशोधन एवं परिवर्धनके साथ केपके समान कानून पास किया जाये।

सेठ हसन मियाँके लड़केका अकीका

सेठ मुहम्मद कासिम कमरुद्दीनकी पेढ़ीके साझीदार सेठ हसनमियाँके यहाँ लड़केका जन्म हुआ है। कल उसका अकीका था। इसलिए बड़ा भोज दिया गया था। दूर-दूरसे रिश्तेदार आये थे और लगभग ५०० व्यक्तियोंके लिए भोजन बनाया गया था। डर्बनसे श्री अब्दुल कादिर खास उसी कामके लिए आये थे। प्रिटोरियासे हाजी हबीब आये थे। समारोह बड़ी धूमधामसे किया गया था।

कुछ लोगोंको यह नहीं मालूम होगा कि अकीका किसे कहते हैं। बालकोंका सातवें दिन मुण्डन-संस्कार किया जाता है, वह अकीका कहलाता है। मुण्डन करते समय जो केश उतरते हैं उनके वजनके बराबर माता-पिता अपनी स्थितिके अनुसार सोना, चाँदी या ताँबा तौलते हैं और उसे खर्च करके भोज देते हैं।

न्यू क्लेयरके धोबियोंपर हमला

न्यू क्लेयरमें धोबियोंके कपड़े धोनेके घाटोंके विषयमें 'संडे टाइम्स' में सख्त लेख आया है। लेखकने कहा है कि न्यू क्लेयरकी सारी जमीन बदबू और गन्दगीसे सड़ रही है। कपड़े धोनेके घाट भारतीय धोबियोंने बिगाड़ डाले हैं। पानी बहुत ही गन्दा हो गया है और बदबू मारता है। इसलिए उसमें कपड़े धोना-न-धोना बराबर है। लेखकका कहना है कि उसमें धोये हुए कपड़ोंसे किसी-न-किसी दिन बीमारी फैल जायेगी। भारतीय धोबियोंको इस सम्बन्धमें सावधानी बरतनी चाहिए। घाटका पानी हर बार उलीचकर साफ रखना चाहिए। नहीं तो निश्चित ही उनकी रोजी जानेका डर है। लेखकने नगरपालिकाको तत्काल ही कारगर उपाय करनेकी सलाह दी है।

"कुली व्यापारी"

इस शीर्षकसे 'संडे टाइम्स'में एक लेखकने बहुत ही कड़वा लेख लिखा है। उसने लिखा है कि खानमें से चुराये हुए सोनेका बन्धा केवल काफिर और भारतीय फेरीवाले ही करते हैं। वे इसीसे धनवान बन जाते हैं। वे लोग इस चोरीसे लिये सोनेको गलाकर कड़े बनवा लेते हैं और हाथोंमें पहने रहते हैं। कभी-कभी खुफियोंको यह बात मालूम रहती है, फिर भी वे उन्हें नहीं पकड़ते; और कभी-कभी पकड़ भी नहीं सकते, यह बात बिलकुल ठीक है। किन्तु अच्छे भारतीयों और उनके अंग्रेज मित्रोंको इसका पता नहीं है। फिर भी लेखक का कहना है कि भारतीय निःसन्देह इस तरहकी चोरी बहुत करते हैं।

इसमें कितना सत्य है, यह कोई नहीं जान सकता। लेकिन जो भारतीय ऐसे व्यापारमें फँसे हुए हों उन्हें सावधान हो जाना चाहिए।

'स्टार' की उत्तेजना

नेटालके बारेमें श्री रिचने 'मॉर्निंग पोस्ट' में एक पत्र लिखा है। उसे 'स्टार' ने पूरा छापा है और उसपर टीका की है। टीकामें लिखा है कि भारतीय समाज जाग्रत है। इंग्लैंडमें उसके बड़े जबरदस्त समर्थक हैं। उनमें फूट नहीं है। वे बराबर काम कर रहे हैं। उनकी पहुँच बहुत है। उनसे बड़ी सरकार बहुत डरती है। इस स्थितिमें यदि नया कानून नामंजूर हो तो आश्चर्य नहीं। इसलिए गोरे बिलकुल नरम हो गये हैं। उन्हें अध्यादेशकी कोई चिन्ता ही नहीं है। 'स्टार' ने सलाह दी है कि गोरोंको बड़ी-बड़ी सभा करके अध्यादेश पास हो, वैसी व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो भारतीय लोग बहुत घुस आयेंगे और गोरोंको नुकसान होगा।

गोरोंको इस तरह भय लग रहा है कि शायद कानून पास नहीं होगा। इस समय पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। और यदि ऐसा हो तो आश्चर्य नहीं कि अब भी जीत हो जाये। लेकिन मैं भूल गया। जिन्होंने जेलका प्रस्ताव स्वीकार किया है वे तो सदा जीते ही हुए हैं। उनकी दोनों तरहसे जीत है।

जनरल बोथाके समक्ष शिष्टमण्डल

'रैंड डेली मेल' में एक तार है, जिससे मालूम होता है कि लॉर्ड ऐम्टहिलके नेतृत्वमें एक शिष्टमण्डल एशियाई कानूनके सम्बन्धमें जनरल बोथासे मिल चुका है। उसमें सर मंचरजी, सर हेनरी कॉटन, श्री हैरॉल्ड कॉक्स, न्यायमूर्ति श्री अमीर अली, श्री रिच और दूसरे लोग

उपस्थित थे। लॉर्ड ऐम्टहिलने कहा कि भारतीय समाजकी प्रतिष्ठा गिरानेवाला कानून तो बनना ही नहीं चाहिए। ट्रान्सवालमें इस समय जो भारतीय रहते हैं वे वहाँ इज्जतके साथ रह सकें, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए। जनरल बोथाने उत्तरमें कहा कि उनका भारतीयोंका अपमान करनेका रत्ती-भर भी इरादा नहीं है और उनकी प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिए वे अपनी ओरसे यथासम्भव प्रभाव डालेंगे। शिष्टमण्डलके सदस्योंने अखबारवालोंसे कहा है कि जनरल बोथाके उत्तरको सन्तोषजनक माना जा सकता है।

श्री हाजी वजीर अली

श्री हाजी वजीर अली केप टाउनसे लिखते हैं कि केपका प्रवासी अधिकारी अब पासपर अनिवार्य रूपसे फोटो नहीं माँगेगा। वे 'आरगस' के सम्पादक श्री पॉवेलसे मिले हैं और उन्होंने मदद देनेके लिए कहा है। श्री अली केपके संघसे लन्दन समितिके लिए ५० पौंड लेनेकी तजवीज भी कर रहे हैं।

लोबिटो-बे जानेवाले भारतीय[1]

जो भारतीय नेटालसे लोबिटो-बे गये हैं उनके मालिकका एजेंट यहाँ है। उसने सूचित किया है कि सब भारतीय सुरक्षित पहुँच गये हैं और लोबिटो-बेके जिस हिस्सेमें वे गये हैं, वहाँकी हवा बहुत अच्छी है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-५-१९०७

४४८. श्री गांधीकी प्रतिज्ञा

जोहानिसबर्ग
अप्रैल ३०, १९०७

सेवामें
सम्पादक
'इंडियन ओपिनियन'

महोदय,

कई भाइयोंने लिखकर सूचित किया है कि यदि ट्रान्सवालका पंजीयन कानून पास होगा तो वे सितम्बरके प्रस्तावपर डटे रहकर जेल जायेंगे। इन सब लोगोंको धन्यवाद है। कुछ पत्रोंसे मुझे दिखाई देता है कि अग्रणियोंके वैसे पत्र न होनेके कारण कुछ लोग नाराज हुए हैं। मैं मानता हूँ कि अग्रणियोंने पत्र नहीं लिखे, इसमें शंका करनेका कोई कारण नहीं है। मैं नहीं मानता कि वे नये अनिवार्य पंजीयनपत्र लेनेमें पहल करेंगे।

फिर भी कहीं मुझसे गलती न हो, इसलिए प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि यदि नया कानून लागू होगा तो मैं कानूनके अनुसार कभी भी अनुमतिपत्र व पंजीयनपत्र नहीं लूँगा,

१. देखिए "लोबिटो-बे जानेवाले भारतीय", पृष्ठ ४०३।

बल्कि जेल जाऊँगा। और यदि जेल जानेवाला मैं अकेला ही हुआ तब भी मैं अपनी प्रतिज्ञा-पर दृढ़ रहूँगा। क्योंकि :

१. इस कानूनके सामने झुकनेमें मैं बेइज्जती मानता हूँ और वैसी बेइज्जती स्वीकार करनेके बजाय जेल जाना अधिक पसन्द करता हूँ।

२. मैं मानता हूँ कि मुझे अपने शरीरसे अपना देश अधिक प्यारा है।

३. सितम्बरके प्रस्तावकी घोषणा करनेके बाद यदि भारतीय समाज कानूनके सामने झुकता है तो वह सब-कुछ खो देगा।

४. हमें विलायतमें जो बड़े-बड़े लोग मदद कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, वे चौथे प्रस्तावपर भरोसा किये हुए हैं। यदि हम पीछे पैर रखते हैं तो हम उन्हें बट्टा लगायेंगे। इतना ही नहीं, फिर वे भी हमारी मदद कभी नहीं करेंगे।

५. दूसरे कानूनोंके खिलाफ जेलका रास्ता नहीं बरता जा सकता। किन्तु इस कानूनके सामने वह अक्सीर है तथा छोटे-बड़ेपर एक-सा लागू होता है।

६. इस वक्त यदि मैं पीछे पैर रखता हूँ तो भारतीय समाजकी सेवाके लिए अयोग्य माना जाऊँगा।

७. मैं मानता हूँ कि यदि सारे भारतीय दृढ़ रहकर कानूनके सामने नहीं झुकेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इतना ही नहीं, भारतमें भी ट्रान्सवालके भारतीयोंके प्रति बहुत सहानुभूति पैदा हो जायेगी।

इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से कारण दिये जा सकते हैं। अन्तमें हर ट्रान्सवालवासी भारतीयसे मैं इतना ही चाहता हूँ कि इस अवसरको चूका न जाये। पीछे कदम न रखा जाये। नेटाल, केप तथा डेलागोआ-बेके भारतीयोंसे याचना करता हूँ कि हम ट्रान्सवाल-वालोंको हिम्मत देना, और समय आनेपर दूसरी मदद भी करना।

मोहनदास करमचंद गांधी

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४–५–१९०७

४४९. पत्र : 'स्टार' को[1]

बॉक्स ६५२२
जोहानिसबर्ग
अप्रैल ३०, १९०७

सेवामें
सम्पादक
'स्टार'
[जोहानिसबर्ग]

महोदय,

आपने "भारतीय खतरे" का भूत खड़ा किया है और उसका आधार बनाया है श्री रिचके 'मॉर्निंग स्टार' को लिखे गये योग्यतापूर्ण पत्रको। देशके सौभाग्यसे आपने श्री रिचके पत्रका स्पष्टतः गलत अर्थ लगाया है और उनके गले उस मांगका दोष मढ़ा है, जो उन्होंने की नहीं थी; अर्थात्, ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे राजनीतिक अधिकारोंकी माँग। यदि आप कृपा करके उस पत्रको फिर पढ़ें तो देखेंगे कि ऐसे किन्हीं अधिकारोंका दावा करनेके बजाय श्री रिचने उस दावेका खण्डन किया है। वे कहते हैं :

> एशियाइयोंके निर्बाध प्रवेशके विरुद्ध गोरे उपनिवेशवादी संरक्षणकी माँग करते हैं, तो उसकी पूर्तिके रूपमें एक प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके द्वारा शैक्षणिक आधारपर लगायी गई बन्दिशें हमें मंजूर हैं। वे (भारतीय) कोई राजनीतिक सत्ता नहीं चाहते और व्यापारिक परवाने जारी करनेपर नगरपालिकाओंकी सत्ताको स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि उन्हें उस सत्ताके अन्यायपूर्ण अमलके विरुद्ध उपनिवेशके न्यायालयमें अपील करनेका अधिकार हो।

यदि शब्दोंका कोई अर्थ होता हो तो आपके द्वारा प्रकाशित पत्रके उक्त वाक्योंमें समाजपर लगाये गये आपके आरोपका पूरा खण्डन आपके सामने मौजूद है।

इस प्रकार ब्रिटिश भारतीयोंपर दक्षिण आफ्रिकामें राजनीतिक अधिकारोंकी आकांक्षाके आरोपका तो निराकरण हो गया। अब अगर आपकी अनुमति हो तो आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करनेकी धृष्टता करूँ कि आप एक ही झंडेके नीचे रहनेवाले दो समुदायोंके बीच विद्वेष-भाव उत्पन्न कर रहे हैं। और अपने इस कथनकी पुष्टिमें मैं आपसे ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा प्रस्तावित समझौतेको पढ़नेका अनुरोध करता हूँ। इस समझौतेके द्वारा वे सारी बातें शीघ्र ही हो सकती हैं जो पंजीयन अधिनियमके अन्तर्गत अपेक्षित हैं, और इसके लिए सम्राट्की स्वीकृतिकी आवश्यकता भी नहीं होगी। मौजूदा शिनाख्तसे ज्यादा सख्त ढंगकी शिनाख्तकी आवाज उठायी जा रही है। ब्रिटिश भारतीयोंने स्वयं प्रस्ताव किया है

१. यह २९-४-१९०७ के स्टार में प्रकाशित एक लेखके उत्तरमें लिखा गया था।

कि उनके कानूनी कागजात ऐसे कागजातसे बदल दिये जायें, जिनपर पारस्परिक सहमतिके आधारपर निर्धारित काफी शिनाख्ती निशान हों। इसका मतलब यह नहीं कि वर्तमान कागजातमें उनके मालिकोंकी शिनाख्तके लिए काफी निशान नहीं हैं। यह समझौता उपनिवेशवादियोंके विक्षुब्ध मनको ठंडा करनेके लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह समझौता, यद्यपि यह विचित्र प्रतीत हो सकता है, एक मानीमें स्वयं एशियाई अधिनियमसे भी आगे बढ़ जाता है; अर्थात्, इसमें वयस्क हो जानेवाले अल्पवयस्कोंके लिए भी अनुमतिपत्र लेनेकी व्यवस्था है, और इस वयस्कताका निर्णय उपनिवेश-सचिवके अधीन है।

आप पूछ सकते हैं कि यदि यह प्रस्ताव निष्कपट है तो इस अधिनियमको लेकर कोई हंगामा क्यों होना चाहिए। उत्तर स्पष्ट है। ब्रिटिश भारतीय अपराधियोंकी श्रेणीमें रखे जाना नहीं चाहते। लेकिन अधिनियमके अनुसार, निस्सन्देह, उनके साथ हुआ है यही। वे इस कथनका पूर्ण रूपसे खण्डन करते हैं कि बड़े पैमानेपर कोई गैरकानूनी प्रवेश हुआ है या समाजके नेताओंकी ओरसे ऐसे प्रवेशको किसी प्रकार शह दी गई है। दमनकारी कानूनोंकी आवश्यकता तब होती है जब, जिन लोगोंपर वह लागू होता है, वे अमनपसन्द नहीं होते और उनसे जो-कुछ कहा जाता है वह स्वेच्छया नहीं करते। ब्रिटिश भारतीयोंने सदा विधिचारी होनेका दावा किया है, और इसलिए वे वर्ग-विधानपर, जो उनके इस दावेके विरुद्ध पड़ता है, आपत्ति करते हैं। आप चाहें तो इसे कोरी भावुकता कह सकते हैं। फिर भी यह भावुकता समाजके लिए, जिसका मुझे प्रतिनिधित्व करनेका सम्मान प्राप्त है, एक वास्तविकता है; और मैं समझता हूँ, आदमके जमानेसे ही यह भावुकता मानवके कार्य-कलापोंको जिस प्रकार प्रभावित करती आई है, आपके सामने उसके उदाहरण पेश करना जरूरी नहीं।

प्रस्तावित समझौता बड़ा सस्ता है। अगर इसके कारगर होनेमें किसी प्रकारका सन्देह है तो, कानूनपर विचार-विमर्शके दौरान, क्यों न इसका प्रयोग करके देखा जाये? क्या यह बात ज्यादा अच्छी और साम्राज्यके हितमें नहीं होगी कि आप ताजके निरीह प्रजाजनोंके विरुद्ध जनताको भड़कानेके बजाय इस समझौतेको मंजूर करनेकी वकालत करें?

आपका आदि,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

स्टार, ३०–४–१९०७

४५०. पत्र : ट्रान्सवाल अग्रगामी दलको[1]

[जोहानिसबर्ग
मई २, १९०७ के पूर्व][2]

[महोदय,]

एशियाई पंजीयन अधिनियमके बारेमें ट्रान्सवाल अग्रगामी दल (रैंड पायोनियर्स) और ट्रान्सवाल नगरपालिका संघ द्वारा की जानेवाली प्रस्तावित कार्यवाहीके विषयमें मैं अपने संघकी ओरसे आपकी समितिका ध्यान ब्रिटिश भारतीयों द्वारा प्रस्तुत दिसा तथा उस तथ्यकी ओर आकर्षित करता हूँ जिससे पंजीयन अधिनियमकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और जल्दी ही उस उद्देश्यकी पूर्ति भी हो जाती है जो आपकी समिति चाहती है।

मेरे संघकी सदा यह मान्यता रही है कि वास्तवमें गोरे उपनिवेशियोंकी माँग और ब्रिटिश भारतीयोंकी तत्सम्बन्धी स्वीकृतिमें बहुत थोड़ा अन्तर है। ब्रिटिश भारतीय किसी प्रकारका राजनीतिक अधिकार नहीं चाहते और १८८५ के कानून ३ की जगह वे व्यापारी परवानोंपर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचारकी सुविधाके साथ नगरपालिकाका वर्चस्व तथा प्रवासपर नेटाल अथवा केपके ढंगका प्रतिबन्ध स्वीकार करते हैं।

मेरे संघका दृढ़ विश्वास है कि अधिकतर उत्तेजनाका कारण तो पारस्परिक परिस्थिति सम्बन्धी गलतफहमी ही है। इसलिए मेरा संघ यह सुझानेकी धृष्टता करता है कि यदि आपकी समिति मेरे संघके शिष्टमण्डलसे भेंट करनेको तैयार हो तो बहुत-सा संघर्ष खत्म किया जा सकता है तथा निर्बल पक्षके शाही शरणमें गये बिना ही प्रश्नका हल स्थानीय तौरपर ही प्राप्त किया जा सकता है।

मेरे संघको इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आपकी समिति रंगदार लोगोंके प्रति अपने आन्दोलनमें किसी बदलेकी भावनासे परिचालित नहीं है। इसलिए आशा है कि मेरे संघ द्वारा बातचीत करनेका यह प्रस्तावित सुझाव जिस भावनासे पेश किया गया है उसी भावनासे मान्य किया जायेगा। यदि आपकी समितिको प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो ८ तारीखके बादकी कोई भी तारीख मेरे संघके लिए सुविधाजनक होगी।[3]

[स्थानापन्न अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय संघ]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-५-१९०७

१. यह पत्र, जिसका मसविदा सम्भवतः गांधीजीने बनाया था, रैंड पायोनियर्स और ट्रान्सवाल नगरपालिका संघके नाम भेजा गया था, जिन्होंने ट्रान्सवाल पंजीयन अधिनियमके जल्दी लागू किये जानेके लिए आन्दोलन करनेका इरादा घोषित किया था।

२. बिना तिथि तथा हस्ताक्षरका यह पत्र २-५-१९०७ के रैंड डेली मेलमें प्रकाशित हुआ था।

३. यह भेंट नहीं हुई; देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४८२-८५।

४५१. पत्र: 'स्टार' को[1]

[जोहानिसबर्ग
मई २, १९०७ के बाद]

[सेवामें
सम्पादक
'स्टार'
जोहानिसबर्ग

महोदय,]

क्या मैं आपकी बातको दुबारा ठीक कर सकता हूँ? मुझे भय है कि आप समझौतेको अभीतक नहीं समझ पाये हैं। जैसा कि आपने कहा है, नारा यह नहीं है कि भारतीयोंका विश्वास करो। नारा यह है कि अन्तरिम कालमें भारतीयोंका विश्वास करो और देखो कि क्या यह विश्वास उचित नहीं था। पंजीयन कानूनके अधीन सभी भारतीयोंको अनिवार्यतः पंजीयन कराना है। भारतीयोंके प्रस्तावके अनुसार स्वेच्छापूर्वक उनका पंजीयन किया जा सकता है, और वह भी अभी। लेकिन मान लीजिए कि यदि निम्नतम वर्गके भारतीय, जैसा कि आपने कुछ भारतीयोंको वर्गीकृत किया है, उपनिवेशमें आयें और ब्रिटिश भारतीय संघके प्रस्तावको स्वीकार न करें तो स्थितिकी कुंजी तो सरकारके हाथमें है ही। तब ऐसा विधेयक पास किया जा सकता है जो समझौतेके अनुसार जारी किये गये अनुमतिपत्रोंके अलावा शेष सभी परवानोंको, जबतक कि उनको किसी निश्चित समयके अन्दर बदलवा न लिया जाये, रद कर देगा। तब कानून अपराधियोंको पकड़ लेगा और निर्दोष व्यक्तियोंको स्वतन्त्र छोड़ देगा। इस समय यह कानून कुछ थोड़े-से अपराधियोंके कारण अधिकांश निर्दोष, आत्मसम्मानित लोगोंको दण्ड देता है। आप भारतीय समाजको अत्यधिक तुनकमिजाज बताकर उनके एतराजोंको खारिज कर देते हैं। वैसे ही आप लॉर्ड ऐम्टहिल और उनके मित्रोंको भी बिना शिष्टाचारके, मैं समझता हूँ, "पूर्वीपनका दोष" लगाकर खारिज कर देते हैं और उनको एक व्यापक साम्राज्यीय भावनाके अधिकारसे वंचित कर देते हैं। मैं आपको केवल इस बातकी याद दिला सकता हूँ कि लॉर्ड मिलनरने, जिनको आप लॉर्ड ऐम्टहिलकी श्रेणीमें नहीं रखेंगे, 'नेशनल रिव्यू' में छपे अपने लेखमें, उपनिवेशियोंको अधिक व्यापक साम्राज्यवादकी याद दिलाते हुए ब्रिटेनके अधीन देशों — विशेषकर ब्रिटिश भारतके बारेमें उनकी जिम्मेदारियोंको उनके सामने रखा है।

[आपका, आदि,
मो० क० गांधी]

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, ११-५-१९०७

१. ३० अप्रैलको स्टारको एक पत्र (पृष्ठ ४६३-६४) लिखनेके बाद गांधीजीने पत्रके सम्पादकसे मिलकर बातचीत की। स्टारने इस विषयपर दुबारा लिखा जिसका गांधीजीने यह जवाब दिया। देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४८२-८५।

४५२. क्लार्क्संडॉर्पके भारतीय और स्मट्स

क्लार्क्संडॉर्पके भारतीयोंने ट्रान्सवालके कार्यवाहक प्रधान मन्त्री श्री स्मट्सको मानपत्र दिया तथा उन्होंने उनका उत्तर दिया। दोनोंका विवरण हम दूसरी जगह विशेष तौरसे दे रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि स्वयं श्री स्मट्सको ही डर है कि भारतीय समाज यदि जेलका प्रस्ताव कायम रखेगा तो उनका कानून मंजूर हो जानेपर भी बेकार हो जायेगा। इसलिए उन्होंने सबको समझाया है कि संघ कानूनका जो विरोध कर रहा है वह बेकार है। इतना तो श्री स्मट्स स्वयं भी स्वीकार करते मालूम होते हैं कि ट्रान्सवालमें कुछ नये लोग नैतिकतासे गिरे हैं, और उनके कारण सारे समाजको सजा देनेवाला यह कानून बना है। और यह भी हो सकता है कि कुछ समय तक पुलिस कोने-कोने पूछती फिरे। "कुछ समय" का क्या अर्थ है, यह तो वे ही जानें! ऐसा कानून तो भारतीय समाजको स्वीकार होना ही नहीं चाहिये। इस सम्बन्धमें कोई विवाद नहीं। श्री स्मट्सका भाषण भारतीय समाजके लिए उत्तेजनात्मक माना जाना चाहिए। वे तो यही समझते जान पड़ते हैं कि भारतीय समाजपर जुल्म करना मामूली बात है। मुझे लगता है कि समाजको उनकी आँखें खोलनेका मौका मिलेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-५-१९०७

४५३. केपके भारतीय

केपका प्रवासी कानून इतना अटपटा है कि उसका असर आज तो नहीं मालूम हो रहा है, फिर भी धीरे-धीरे बहुत बुरा होगा। उसकी एक धारा बहुत ही कठिन है। वह है: जो भारतीय अनुमतिपत्र लिये बिना जायेगा, उसे वापस आनेका अधिकार नहीं रहेगा। यानी मान लें कि केपके प्रमुख सेठोंमें से कोई वार्षिक अनुमतिपत्रके बिना बाहर जाता है, तो वह लौट नहीं पायेगा। उसका व्यापार केपमें चालू हो, बाल-बच्चे भी वहीं हों, फिर भी उसे उनका लाभ नहीं मिल सकता। यहाँ हम यह नहीं कह रहे कि ऐसे सेठपर यह कानून ऐसे भयानक रूपसे लागू किया जायेगा, बल्कि हमें तो यह दिखाना है कि कानूनका असर ऊपर लिखे अनुसार होगा। परिणाम यह होगा कि केपमें से सारे गरीब भारतीय निकल जायेंगे। यदि ऐसा हो तो केपमें थोड़े-से भारतीय रह जायेंगे। उनका प्रभाव क्या हो सकता है? इसलिए केपके सभी नेताओंको सावधान रहना चाहिए कि कोई भी भारतीय अनुमतिपत्र लिये बिना केप न छोड़े। हमें आशा है कि यह जानकारी केपके जिस-किसी भारतीयके पढ़नेमें आयेगी वह अन्य भारतीयको पढ़नेके लिए देगा और समझायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-५-१९०७

४५४. पंजाबमें हुल्लड़

जोहानिसबर्गके 'रैंड डेली मेल' तथा 'लीडर' को भयंकर तार प्राप्त हुए हैं। उनका सारांश हम नीचे दे रहे हैं:

> मालूम होता है, पंजाबमें लोग गदर करनेके लिए तैयार हो रहे हैं। १८५७ के बाद भारतमें पहली ही बार ऐसी गड़बड़ी देखनेमें आई है। देशी अखबार गुप्त रूपसे और खुलेआम उत्तेजना दे रहे हैं। 'पंजाबी' पर मुकदमा चलाया गया, यह अच्छा नहीं हुआ। जिस बातको कुछ ही लोग जानते थे उसे अब सारा भारत जान गया है। अखबारका जोर बढ़ गया है। लोग सरकारी नियन्त्रणकी उपेक्षा करने लगे हैं। बम्बईके अखबारपर मुकदमा चलानेसे भी यही हाल हुआ। अधिकारी घबड़ा गये हैं। पंजाबमें न्यायाधीश स्वयंसेवक बने हैं और उन्होंने हथियार धारण किये हैं। इसी कारणसे दिल्लीके घेरेका जो प्रदर्शन होनेवाला था वह स्थगित कर दिया गया। लेकिन लोगोंके मन शान्त हो गये हैं, ऐसा नहीं मालूम होता।

इस प्रकारका तार है। इसलिए निवेदन है कि खुदा या ईश्वर भारतका भला करे, ऐसी सब प्रार्थना करें। यह समय जिस प्रकार दक्षिण आफ्रिकाके लिए नाजुक है, वैसे ही भारतके लिए भी है। हमें अपने कर्तव्यका यहाँ निर्वाह करना है। यदि देशको मर्दानगी और हिम्मतकी कभी आवश्यकता पड़ी है तो वह इस समय।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-५-१९०७

४५५. भेंट: 'नेटाल मर्क्युरी' को

[मई ७, १९०७]

कल 'मर्क्युरी' के संवाददाताने श्री गांधीसे श्री लॉयनेल कर्टिसके 'टाइम्स' में प्रकाशित उस सुझावके बारेमें भेंट ली जिसका आशय ग्रेट ब्रिटेनके उष्णकटिबन्ध-स्थित प्रदेशोंको भारतीयोंको बसानेके लिए सुरक्षित रखना था और सोमवारको हमारे तार-समाचार स्तम्भमें भी जिसका उल्लेख था। श्री गांधीने सुझावको अमान्य कर दिया है।

श्री गांधीका कहना है कि जबतक भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकामें अथवा दूसरी जगहोंमें निवासके अधिकार प्राप्त हैं तबतक ऐसा सुझाव अव्यवहार्य है तथा भारतीय उसे कदापि मान्य नहीं कर सकते। जैसा कि उन्होंने अक्सर कहा है, दक्षिण आफ्रिकी एशियाइयोंके मामलेको हाथमें लेनेका उनका एकमात्र उद्देश्य इस देशमें भारतीयोंके "निहित स्वार्थों" की रक्षा करना है। उनमें से बहुतोंको निवासका जो अधिकार प्राप्त है उन्हें उससे वंचित करना निःसन्देह उनकी दृष्टिमें निहित स्वार्थोंको ठुकराना होगा। श्री गांधीने कहा कि निवासके अधिकार भारतीय स्थितिकी मुख्य शक्ति हैं; और इंगित किये जानेपर उन्होंने स्वीकार किया कि वे इससे जितना बने उतना लाभ उठानेका इरादा रखते हैं।

श्री गांधीको बताया गया कि सम्भवतः प्रस्तावका मंशा उष्णकटिबन्ध-स्थित उपनिवेशोंको आगामी प्रवासियोंके लिए सुरक्षित रखनेका है; लाजिमी तौरपर उसका इरादा जिन भारतीयोंको निवासके अधिकार प्राप्त हो चुके हैं उन्हें हटानेका नहीं है। पूछा गया कि इस विचारके बारेमें उनका क्या खयाल है।

श्री गांधीने कहा कि भारतमें जनसंख्याका इतना दबाव नहीं है कि उसके कारण प्रवास आवश्यक हो और उन्होंने इस तथ्यकी ओर इशारा किया कि जो भारतीय गिरमिटियोंकी तरह लाये गये थे वे खुद-ब-खुद नहीं आये थे, उन्हें आनेके लिए फुसलाया गया था और अब भर्ती दिन-ब-दिन मुश्किल होती जाती है। दूसरी जिन जगहोंमें भारतीय-भरतीकी जरूरत है, वहाँ भी यही बात लागू होती है। यह उन्होंने यही बतानेके लिए कहा कि भारतमें आबादीका कोई वास्तविक बाहुल्य नहीं है और उसे किसी निर्गमनकी जरूरत नहीं है। इसलिए भारतके बाहर केवल भारतीयोंको बसानेके लिए किसी अंचलको सुरक्षित रख छोड़नेका विचार फाजिल और गैरजरूरी है। उनकी रायमें भारतके अपने साधन इस हद तक नहीं चुक गये हैं कि वह अपनी जनता अथवा जनसंख्यामें होनेवाली स्वाभाविक वृद्धिका भरण-पोषण न कर सके। भारतमें जिसे उन्होंने "अन्तर्देशीय निर्गमन" कहा, उसकी गुंजाइश तो है, किन्तु इसके लिए देशके बाहर किसी क्षेत्र-निर्धारणकी जरूरत नहीं है।

श्री गांधीने आगे कहा कि उनसे अक्सर पूछा गया है कि यदि ऐसा है तो भारतीय इतनी बड़ी तादादमें दक्षिण आफ्रिका क्यों आते हैं। इसका यह जवाब है कि झंझट तो गिरमिटियोंके प्रवासकी पद्धति अपनाकर स्वयं दक्षिण आफ्रिकाने पैदा की है। श्री गांधीने कहा कि यह ऐसी पद्धति है जिसके खिलाफ यदि अर्जी दी जाये तो दक्षिण आफ्रिकाका हर भारतीय उसपर अपने हस्ताक्षर कर देगा और उसे खत्म करनेको कहेगा।

[संवाददाता:] किन्तु, श्री गांधी, परेशानी गिरमिटिया भारतीयोंके कारण उतनी नहीं होती जितनी स्वतन्त्र व्यापारीवर्गके कारण होती है और ज्यादातर व्यापार करनेके समानाधिकारोंकी माँग तो वे ही करते हैं।

[गांधीजी:] भारतीय व्यापारीके व्यापारका जिन अन्य भारतीयोंपर दारोमदार है वह उनके पीछे-पीछे जाता है। अगर गिरमिटिया यहाँ न आता तो व्यापारी भी यहाँ न आता। आज भी जबरदस्त लेन-देनवाले ऊँचे तबकेके भारतीय व्यापारियोंमें से बहुत-से अपने ही देशमें रहते हैं; वहाँ उन्हें व्यापार करनेकी गुंजाइश है; और यदि उपनिवेशोंमें आनेके बजाय वहीं रहना पसन्द किया जाये तो वहाँ हरएक भारतीय व्यापारीके लिए गुंजाइश है। भारतीय व्यापारी जहाँ अपने देश-बन्धुओंमें व्यापारका अवसर दिखाई देता है वह वहाँ जाता है।

... श्री गांधीने जंजीबारका उदाहरण दिया। चूँकि पूर्वी आफ्रिका खुला हुआ ही है, भारतीयोंकी बस्तीके लिए उष्णकटिबन्ध-स्थित उपनिवेशोंको सुरक्षित रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद श्री गांधीने ट्रान्सवालके पंजीयन अध्यादेशका जिक्र किया और शाही शासन द्वारा इस कदमको स्वीकृत किये जानेके निर्णयपर निराशा प्रकट की। उन्होंने कहा कि इसके फलस्वरूप ट्रान्सवालके भारतीयकी स्थिति उस कैदीकी-सी हो गई है जिसकी हथकड़ी-बेड़ी कामके वक्त खोल दी जाती है। यदि उनके साथ इस तरहका बर्ताव किया जाता है तो बेहतर है कि

यह धोखाधड़ी तत्काल खत्म कर दी जाये। श्री गांधीने कहा कि सम्भव है कि भविष्यमें ब्रिटेनको उपनिवेश अथवा भारतमें से एक छोड़ना पड़े, क्योंकि यह एक राष्ट्रके आत्माभिमानका प्रश्न है; ट्रान्सवालकी आजकी हालतोंमें उनका अस्तित्व असह्य हो जायेगा। भारतीय पूरी तरह प्रश्नके दोनों पहलू समझनेमें समर्थ है और वह उन्हें समझता है, किन्तु, उन्होंने कहा, ट्रान्सवाल अध्यादेश जैसे उपायोंसे एशियाई समस्या हल नहीं हो सकती।

श्री गांधीसे जब यह पूछा गया कि क्या वे अध्यादेशके पास किये जानेका यह अर्थ मानते हैं कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी स्थिति कमजोर हो गई है तब उन्होंने कहा कि निःसन्देह बात ऐसी ही है। किन्तु उन्होंने भरोसा भी व्यक्त किया कि यदि भारतीय अपने प्रतिरोधके निश्चयपर दृढ़ रहे तो उनकी आशाओंपर होनेवाला तुषारपात अन्तमें लाभदायी सिद्ध होगा। श्री गांधीने कहा कि प्रतिरोध शारीरिक शक्तिसे नहीं होगा; वह अनाक्रामक प्रतिरोध होगा और यदि अध्यादेशको माननेके बदले भारतीय अपने जेल जानेकी प्रतिज्ञापर अटल रहे तो, उनकी समझमें, उपनिवेशके गोरोंमें इतनी अच्छाई है कि उनसे सिद्धान्तके लिए ऐसे साहसके प्रति प्रशंसा और, अन्तमें, सहानुभूति भी मिलेगी।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, ८-५-१९०७

४५६. छगनलाल गांधीको लिखे पत्रका अंश[1]

[मई ११, १९०७ के पूर्व][2]

. . . डर्बनका काम पूरा हो जानेपर कल्याणदासको दूसरे गाँवोंमें भेजना।

ज्यादा पत्र हरिलालसे लिखवाना। हस्ताक्षर तुम ही करना। हरिलाल सारा काम तुम्हारी देख-रेखमें करे। गुजराती विभागके मुख्य सम्पादक तुम्हीं माने जाओगे। किन्तु फिलहाल तुम निगरानी रखो, इतना काफी है। यदि हरिलाल दोनों प्रूफ न पढ़ सके तो गुजराती प्रूफ तुम्हें ही पढ़ने पड़ेंगे।

किन्तु मेरी तुम्हें यह सलाह है कि जहाँतक सम्भव हो, फिलहाल बहीखातोंके सिवा दूसरा बोझ अपनेपर कम रखो।

बहीखाते नियमित हो जायेंगे और तलपट बन जायेगा तब तुम्हें . . . बहीखाते . . .

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ६०८०) से।

१. इस पत्रका केवल पाँचवाँ और छठा पृष्ठ उपलब्ध है। किन्तु पत्रकी सामग्रीसे स्पष्ट है कि यह छगनलाल गांधीको फीनिक्सके पतेपर लिखा गया था।

२. फीनिक्सके कामसे २३ अप्रैलको कल्याणदास डर्बनमें थे। (देखिए "पत्र: कल्याणदास मेहताको", पृष्ठ ४५०)। यह पत्र, स्पष्टतः, उसी तारीखको या उसके बाद लिखा गया है। वे उमर हाजी आमद झवेरीके साथ एक ही जहाजपर दक्षिण आफ्रिकासे भारतके लिए रवाना हुए। (देखिए "कल्याणदास जगमोहनदास [मेहता]" पृष्ठ ४७५); यह मई ६, जब कि श्री झवेरीके सम्मानमें अनेक विदाई-समारोह आयोजित किये गये थे, और मई ११ के बीचकी बात है जब श्री कल्याणदासके सम्बन्धमें इंडियन ओपिनियनमें लेख प्रकाशित हुआ था।

४५७. क्या भारतीय गुलाम बनेंगे?

हम जितना सोचते थे उससे जल्दी ट्रान्सवालका कानून पास हो गया है। उपनिवेशमें भारतीयोंको बेड़ीसे जकड़नेके लिए बड़ी सरकारने यह पहला कदम ठीक समझा है। अब यह प्रश्न है कि भारतीय समाज यह जूआ कन्धेपर लेगा या नहीं।

हमें मालूम है कि एक बार जोहानिसबर्गमें किसी वकीलके यहाँ एक नौजवान जापानी विद्यार्थी अपने कामके लिए गया था। वकीलके उसी समय न मिलनेके कारण वह बाहर खड़ा राह देख रहा था। इसी बीच वकीलसे मिलनेके लिए कोई अंग्रेज अधिकारी आया। वह एकदम वकीलके दफ्तरका दरवाजा ठोक कर अन्दर घुसने ही वाला था कि जापानी युवकने उसका हाथ पकड़ कर कहा — आप अभी नहीं जा सकते, पहला हक मेरा है। अधिकारी समझदार था। वह समझ गया। उसे जरूरी काम था, इसलिए उसने पहले जानेकी अनुमति माँगी। विद्यार्थी जैसा बहादुर था वैसा ही समझदार भी था। इससे जब अधिकारीने अनुमति माँगी तो उसने तुरन्त दे दी। यह बात प्रत्येक भारतीयको अपने हृदयमें लिख रखनी चाहिए। क्योंकि इससे हमारे गुलामीके चिट्ठेकी सही कल्पना होती है। उस जापानीने अपना अपमान सहन नहीं किया। इस प्रकार राजा और रंक सभीने जब जापानपर अभिमान रखा तभी वह स्वतन्त्र हुआ, उसने रूसको थप्पड़ मारा और आज उसका झण्डा बहुत जोरोंसे फहरा रहा है। आज जापान यद्यपि पीले रंगका है, फिर भी वह गोरे रंगके इंग्लैंडके साथ समानताका हक रखता है। उसी प्रकार हमपर अपने स्वाभिमानका रंग चढ़ना चाहिए। बहुत समयसे हम तोतेके समान पिंजरेमें पड़े हुए हैं, इसलिए स्वाभिमान क्या है, स्वतन्त्रता क्या है, यह नहीं जान सकते। इसके अलावा, जैसे तोतेको सुनहरी जंजीर बाँधकर नचाया जाता है तो वह फूलकर कुप्पा हो जाता है, उसी प्रकार हमारे रक्षक — फिर वे गोरे हों या काले — हमारे मनसे गुलामीका भान भुलानेके लिए सोनेकी जंजीर पहनाकर जब प्यार व्यक्त करते हैं तब हमारा मन भी छलक उठता है, और यह मानकर कि हम कितने सुखी हैं, हम लाल-गुलाल हो जाते हैं। उस दशाका भान करानेके लिए यह डंकदार कानून पास हुआ है। और अब हम उसके अनुसार चलकर गुलाम बनेंगे या नहीं? हमारा जोहानिसबर्गका संवाददाता लिखता है कि कानूनके अन्तर्गत जो नियम बनाये जानेवाले हैं वे नरम होंगे। यानी लॉर्ड एल्गिन हमारे गलेमें सुनहरा डोरा लटकायेंगे ही। लेकिन क्या उससे हम अपने इस आत्म-बोधको भूल जायेंगे? हम तो दोनों प्रश्नोंके उत्तरमें साफ नहीं ही कह सकते हैं।

इस कानूनको हटानेके लिए बहुत ही मेहनत करनी है और कभी पीछे पाँव नहीं रखना है। जरा उस सम्बन्धमें विचार करें। सितम्बर मासमें एक जबरदस्त सभा करके जाहिर किया गया था कि भारतीय समाज इस कानूनको स्वीकार करनेके बजाय जेल जायेगा[1]। यह निर्णय करते समय सबने खुदा या ईश्वरकी शपथ ली थी। यद्यपि वह कानून उस समय रद हो गया था, फिर भी अभी जो पास हो रहा है, वह भी वही कानून है। जितनी दलीलें उसके

१. चौथा प्रस्ताव; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४३०-३४।

खिलाफ हो सकती थीं उतनी ही अब भी की जा सकती हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही। क्योंकि उसके लिए हम बहुत मेहनत कर चुके और डंकेकी चोट अपना विरोध जाहिर कर चुके। इतना ही नहीं, हमने इस कानूनको इतना खराब माना कि बहुत-सा चन्दा इकट्ठा किया तथा लगभग सात सौ पौंड खर्च करके विलायत शिष्टमण्डल भेजा। शिष्टमण्डलने वरिष्ठ अधिकारियोंके समक्ष लॉर्ड एलगिनसे नीचे लिखे अनुसार कहा:

> हमें श्रीमानके समक्ष एक विशेष बात भी रख देनी चाहिए, और वह है सार्वजनिक सभाका चौथा प्रस्ताव। यह प्रस्ताव सभाने शपथ लेकर नम्रता एवं दृढ़ताके साथ सर्वसम्मतिसे पास किया है। प्रस्ताव यह है कि यदि बड़ी सरकार किसी दिन इस कानूनको मंजूर कर दे तो उससे होनेवाले महान अपमानको सहन करनेके बदले भारतीय कौम जेल जायेगी। कौमका मन इतना उत्तेजित हो गया है। आजतक हमने बहुत-कुछ सहन किया है। किन्तु इस कानूनका दुःख असह्य है इसलिए आपके पास आजिजी करनेके लिए छः हजार मील आये हैं। यह कानून अन्तिम सीमापर पहुँच चुका है।

मानो इतना काफी न हो, और जेल जानेके प्रस्तावके बारेमें किसीके मनमें बिलकुल शंका न हो, ऐसे ढंगसे हमने दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिकी स्थापना की। उसमें बहुत-से प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लोग शामिल हुए। अब यदि जेलका प्रस्ताव किसी भी बहानेसे भारतीय समाज रद कर दे तो उसका क्या परिणाम होगा? यही कि दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति निकम्मी हो जायेगी, शिष्टमण्डलकी लड़ाईपर पानी फिर जायेगा, भारतीय समाजका जितना नाम हुआ है उतनी ही बदनामी हो जायेगी, इसके बाद भारतीय समाजके एक भी वचनपर सरकार विश्वास नहीं करेगी और हम बिलकुल नीच और हलके दर्जेके लोगोंमें गिने जायेंगे। इस तरह होगा तो दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके विरुद्ध जो भी कानून बनेंगे उन्हें बड़ी सरकार अविलम्ब पास कर देगी और, आखिरको, जो सिर्फ कौवे-कुत्तेकी जिन्दगीसे भी सन्तोष ही करते हैं, उन्हें दक्षिण आफ्रिका छोड़ना होगा। ऐसा होनेपर उसके छींटे भारतपर भी उड़ेंगे और सारा भारत हमें तिरस्कारपूर्वक देखने लगेगा, जो सर्वथा उचित ही होगा। चौथा प्रस्ताव इतना जबरदस्त, उपयोगी और भयंकर है। इसलिए हमें पूरी आशा है कि भारतीय समाज उससे नहीं फिसलेगा और सब स्वीकार करें या न करें, समझदारोंको तो अपना कर्तव्य भूलना ही नहीं चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-५-१९०७

४५८. लेडीस्मिथका परवानेका मुकदमा

इस सम्वन्धमें दुबारा अपील की जा चुकी है। परवाना अदालतने परवाना न देनेका निश्चय किया है। यद्यपि यह खेदजनक है, फिर भी भारतीय समाजको हम बधाई देते हैं। क्योंकि इतना सख्त अन्याय होगा तभी हम स्वयं जागेंगे, और बड़ी सरकारको जगायेंगे। एक भी भारतीय व्यापारीको दूकान बन्द करनेकी आवश्यकता नहीं है। इस समय हमारे पत्रमें जगहकी इतनी कमी है कि अभी विशेष विचार करनेकी गुंजाइश नहीं। अगले सप्ताह करनेका इरादा है।[1]

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११–५–१९०७

४५९. गिरमिटिया भारतीय

डर्वन निगमने प्रस्ताव पास किया है कि गिरमिटिया भारतीयोंको कम चावल दिया जाये। इससे गिरमिटियोंने काम बन्द कर दिया है और वे जेल जानेको भी तैयार हो गये हैं। ऐसा ही उन्होंने पहले भी किया था। उस समय मजिस्ट्रेट दयालु था। उसने देखा कि नियमानुसार उन्हें चावलके बदले पुपु[2] दिया जा सकता हो तब भी नियमका उपयोग करना जुल्म होगा। इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया और निगमको सलाह दी कि महँगा मिले तब भी हमेशाके अनुसार चावल ही दिया जाये। वैसी ही हालत आज है। लेकिन मजिस्ट्रेट ठहरे श्री वीन्स। उन्होंने तो कानूनके अनुसार ही फैसला कर दिया है, और उनमें से कईको एक-एक पौंड जुर्माना किया है। इस सम्बन्धमें हमें आशा है कि भारतीय वकील जाँच-पड़ताल करके व्यवस्था करेंगे।

इसी सिलसिलेमें ट्रान्सवालके कानूनका विचार करें तो हम देख सकते हैं कि कानून जुल्मी मालूम हो तो उसका विरोध करनेकी हिम्मत गरीब गिरमिटिया भी कर सकते हैं और जेल जानेको तैयार रहते हैं। बहुत बार ऐसे उपायोंसे न्याय मिल जाता है, यह हमने गिरमिटिया लोगोंके सम्बन्धमें देख लिया। अतः यदि गिरमिटिया सिर्फ अपने स्वार्थके लिए इतना करते हैं तो भारतीय कौमको तो ट्रान्सवालमें ऐसा करना ही चाहिए। इसमें कौन शंका कर सकता है?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११–५–१९०७

१. देखिए "लेडीस्मिथकी लड़ाई", पृष्ठ ४९६।
२. मकईका दलिया।

४६०. उमर हाजी आमद झवेरी

संक्षिप्त जीवन-वृत्तान्त

श्री उमर हाजी झवेरीका जो सम्मान[1] किया गया उसका संक्षिप्त विवरण हम इस अंकमें दे रहे हैं। उनका कार्य-कलाप जाननेके लिए हमारे पाठक उत्कण्ठित होंगे, ऐसा समझकर उनका जीवन-वृत्तान्त नीचे दे रहे हैं।

श्री उमर झवेरीका जन्म १८७२ में पोरबन्दरमें हुआ था। १२ वर्षकी उम्रमें वे अपने भाई स्वर्गीय एवं प्रख्यात श्री अबूबकर झवेरीके[2] साथ आफ्रिकाके लिए रवाना हुए थे। जहाजमें ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया और गुजराती सीखी। डर्बनमें सरकारी शालामें एवं घरपर ४ वर्ष तक पढ़ाई की। सन् १८८७ में श्री अबूबकर गुजर गये, इसलिए सारा बोझ श्री उमर झवेरीपर पड़ा। १८९० में उन्होंने अपने संरक्षक श्री अब्दुल्ला हाजी आमदजीकी पेढ़ीमें नौकरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी अरबी-फारसी पढ़नेकी हवस थोड़ी-बहुत पूरी की। १८९७ में उन्होंने पहले-पहल सार्वजनिक काममें भाग लिया और डर्बन अंजुमन-ए-इस्लामके अवैतनिक संयुक्त मन्त्री नियुक्त हुए। श्री उमरको चूँकि खेतीका शौक था और पोरबन्दरमें चूँकि मेवेकी कमी थी, इसलिए उन्होंने मेवा पैदा करनेका प्रयोग किया। उसीके फलस्वरूप आज पोरबन्दरमें किसी-किसी प्रकारके मेवे बहुत बड़ी मात्रामें मिल सकते हैं। १९०४ में उन्होंने छः महीने तक मिस्र, इटली, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड तथा अमेरिकाकी यात्रा करके अमूल्य अनुभव प्राप्त किया।[3] इस यात्रामें एक बैरिस्टर उनके साथ विशेष रूपसे रहा। यह यात्रा अध्ययनके लिए थी।

लन्दनमें श्री दादाभाई नौरोजी, सर मंचरजी भावनगरी वगैरह सज्जनोंसे मिलकर वे उसी वर्ष डर्बन वापस आये और उन्हें श्री आदमजी मियाँखांके साथ नेटाल भारतीय कांग्रेसका अवैतनिक संयुक्त मन्त्री बनाया गया। तबसे आजतक उन्होंने जो काम किया है उससे भारतीय समाज परिचित है। उनका पैसा, उनके नौकर, उनका घर, उनका वक्त, और उनकी शिक्षा —सबका भारतीय समाजको पूरा लाभ मिला है। जब ट्रान्सवाल शिष्टमण्डल विलायत गया था तब परवाना कानूनके सम्बन्धमें जो लड़ाई की गई उसमें श्री उमर झवेरीने श्री आँगलियाके साथ रहकर बहुत मेहनत की। मेमन समितिकी स्थापना करनेमें श्री उमर अग्रगामी थे। डर्बन पुस्तकालयको उनकी ओरसे बहुत-सी पुस्तकें भेंटमें मिली हैं। वे स्वयं उस पुस्तकालयमें बहुधा उपस्थित रहते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही प्रेमिल है, इसलिए भारतीय समाजमें होनेवाले झगड़ोंको सदा घरमें ही निबटानेका उनका प्रयत्न रहा है। उनकी सचाईके प्रति लोगोंका इतना ऊँचा खयाल रहा है कि उनके पास बहुत-से मुख्त्यार-पत्र रहते हैं। इस सारे काममें उन्हें और भी ज्यादा शिक्षाकी आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने मैट्रिककी परीक्षा पास करके बैरिस्टर बननेका इरादा किया है। उनकी नम्रता और सादगीका एक उदाहरण यह है कि अपने घरमें फुर्सतके समयमें वे अपने नौकरों और दूसरे छोटे बालकोंको

१. देखिए "उमर हाजी आमद झवेरीको विदाई", पृष्ठ ४७५-८१।

२. अबूबकर आमद झवेरी।

३. देखिए खण्ड ४, पृष्ठ २९३।

स्वयं पढ़ाते हैं। श्री उमर हाजी आमद झवेरीका जैसा नाम है वैसे ही गुण हैं। उनकी उम्र अभी कम है और जैसे उनके विचार आज हैं यदि इसी प्रकार दिनोंदिन बढ़ते जायें तो सम्भव है कि वे भारतके लिए अमूल्य बन जायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-५-१९०७

४६१. कल्याणदास जगमोहनदास [मेहता]

जिस जहाजसे श्री उमर हाजी आमद झवेरी गये हैं उसी जहाजसे श्री कल्याणदास नामके एक व्यक्ति गये हैं, जो गुणसे 'जौहरी' हैं। श्री उमर झवेरीका काम नेतृत्व करना था। किन्तु श्री कल्याणदासका काम पीछे रहकर बिना बोले सत्कर्म करना था। वे उम्रसे अभी बिलकुल लड़के ही हैं। किन्तु जैसा हमें अनुभव हुआ है, मनकी कोमलतामें, पैसेका तिरस्कार करनेमें, अपने शरीरकी ओरसे लापरवाह रहनेमें, किन्तु दूसरेके हितकी उतनी ही परवाह करनेमें शायद ही दूसरा कोई युवक उनके मुकाबलेका दिखाई देता है। जोहानिसबर्गमें जब भयंकर प्लेग शुरू हुआ था तब श्री कल्याणदासने जो काम किया वह यहाँके भारतीयोंको मालूम ही है। हम तो नहीं जानते कि उनसे किसीको नाराज होनेका प्रसंग आया हो। श्री उमर हाजी आमद झवेरी और श्री कल्याणदास जैसे सिपाही यदि भारतमें बहुत-से निकल पड़ें तो उसकी बेड़ियाँ आज ही कट सकती हैं। पैसे या मानकी रत्ती-भर भी परवाह किये बिना, स्वप्नमें भी नेता बननेका विचार मनमें लाये बिना कर्तव्यके नामसे, यानी खुदाके नामसे, चुपचाप निरन्तर परोपकारका काम करते रहना और उसे करते हुए हँसमुख रहना — ऐसे वीर हमें हर जगह नहीं दिखाई देते। ऐसे कल्याणदास विरले ही मिलते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-५-१९०७

४६२. उमर हाजी आमद झवेरीको विदाई[1]

नेटाल भारतीय कांग्रेसके संयुक्त अवैतनिक मन्त्री और नेटालके सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय श्री उमर हाजी आमद झवेरी स्वदेश लौट रहे हैं, इसलिए उनके सम्मानमें बहुत लोगोंने भोज दिये थे। अन्तमें तारीख ६ की रातको नेटाल कांग्रेसके अध्यक्ष श्री दाउद मुहम्मदके पाइन स्ट्रीटके सभा भवनमें कांग्रेसकी सभा हुई थी। भोज देनेवालोंमें श्री दादा उस्मान, श्री अहमद उस्मान, श्री तैयब मूसा, श्री पीरन मुहम्मद, 'इंडियन ओपिनियन' का कर्मचारी-वर्ग, श्री दादा अब्दुल्ला, श्री जी० एच० मियाँखाँ, श्री एम० सी० आँगलिया, श्री मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन, और श्री पारसी रुस्तमजी थे। इन सब जगहोंमें ४० से लेकर १०० तक व्यक्तियोंको आमन्त्रित किया गया था। और बहुत-सी जगहोंमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, सभी कौमोंके भारतीयोंको बुलाया गया था। हर भोजमें श्री उमर हाजी आमद झवेरीकी

१. यह इंडियन ओपिनियनके लिए विशेष रिपोर्टके रूपमें प्रकाशित हुआ था। रिपोर्ट, लगता है, गांधीजीने तैयार की थी, जो स्वयं कुछ विदाई-समारोहोंमें उपस्थित थे।

विशेषताओंका अनेक तरहसे वखान किया जाता था। सारी सभाओंमें यही कामना की गई कि श्री उमर हाजी झवेरीको नेटालसे वाहर रहते हुए हज करनेका अवसर प्राप्त हो और उनकी वैरिस्टर वननेकी मुराद पूरी हो। श्री इस्माइल गोराने आशा व्यक्त की कि श्री उमर झवेरी पोरवन्दर जा रहे हैं; इसलिए वहाँ एक मदरसेका जो झगड़ा चल रहा है उसे सुलझानेका उन्हें मौका मिलेगा और वे उसे हाथसे जाने नहीं देंगे। श्री पीरन मुहम्मदके यहाँ दिये गये भोजके समय श्री गांधी खास तौरसे इसीके लिए ट्रान्सवालसे आकर उपस्थित हुए थे। उसी दिन कानूनके मंजूर किये जानेकी खवर मिली थी, इसलिए भोजके समय काफी चर्चा हुई थी। भाषणोंमें कहा गया था कि श्री उमर झवेरीका जो भारी सम्मान किया गया है वह तो तभी सार्थक हो सकता है जव कि सभी भारतीयोंमें श्री झवेरीके देशप्रेमसे जोश पैदा हो और वे ट्रान्सवालके भारतीयोंके लिए पूरी ताकत लगायें और जेल जानेके वारेमें जो प्रस्ताव पास किया गया है उसे निवाहनेके लिए उन्हें हिम्मत और सीख दें। जिस दिन श्री रुस्तमजीके यहाँ भोज दिया गया उसी दिन श्री रुस्तमजी वम्वईसे लौटे थे। श्री उमरने उनकी अनुपस्थितिमें उनके ओहदेपर रहकर जो काम किया था उससे उन्हें इतना सन्तोष हुआ था कि श्री उमरकी विदाईके समय उपस्थित हो पानेमें उन्होंने वड़ा आनन्द और गर्व महसूस किया। श्री झवेरीको सोनेकी घड़ी, जंजीर और पेन्सिल-मंजूषा भेंटमें दी गई थी।

'इंडियन ओपिनियन' के कार्यकर्त्ताओंकी ओरसे भोज फीनिक्समें दिया गया था। उनके सम्मानमें उस वक्त लगभग १२ सज्जनोंने अपनी असुविधाका खयाल न करके डर्वनसे उतनी दूर फीनिक्स आना स्वीकार किया था। कार्यकर्त्ताओंकी ओरसे श्री झवेरीको निम्नानुसार मानपत्र दिया गया था:

> महोदय, दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी भलाईके लिए हमारा पत्र जो लड़ाई लड़ रहा है उसके तथा हमारी संस्थाके प्रति आपने उत्साह व्यक्त किया है। उसके लिए 'इंडियन ओपिनियन' के कार्यकर्त्ताओंकी ओरसे हम आभार प्रदर्शित करते हैं।
>
> हम आशा करते हैं कि सुख एवं शान्तिसे स्वदेश पहुँचनेके वाद जव आप वहाँ रहेंगे उस वीच दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी मुसीवतों और परेशानियोंको घटानेके लिए अपने प्रयत्न जारी रखेंगे।
>
> आपने वार-वार फीनिक्स आकर हमारे काममें दिलचस्पी दिखाई है। उसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं और अन्तःकरणसे कामना करते हैं कि आप तुरन्त वापस लौटें।

कांग्रेसकी बैठक

सोमवारको कांग्रेसकी सभाके समय सभा-भवन अच्छी तरह भर गया था। सभा-भवनको काफी सजाया गया था, जिसका श्रेय श्री पोलकको दिया जाना चाहिए। उस सभामें श्री झवेरीके स्थानपर श्री दादा उस्मानको संयुक्त मन्त्री चुना गया था।

मानपत्र पढ़े जानेके पहले अध्यक्ष श्री दाउद मुहम्मदने इस आशयका भाषण दिया:

> श्री उमर हाजी आमद झवेरी सभी कौमोंके प्रेमपात्र वन गये हैं। इसका कारण यह है कि उनकी सव कौमोंपर समदृष्टि है। वे हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभीको अपना भाई मानते हैं। उन्होंने अपने धनको प्रजाकी भलाईके लिए ही माना है। जिस धनका सदुपयोग नहीं होता, वह निकम्मा है। धनसे जितनी कीर्ति मिल सकती है,

विद्यासे उसकी अपेक्षा अधिक मिल सकती है, इसलिए उन्होंने विद्याध्ययन करनेका निर्णय किया है। कोई यह समझेगा कि इतनी बड़ी उम्रमें विद्याभ्यास करना असम्भव है, तो मैं कहूँगा कि शेखसादीने ४० वर्षकी उम्रके बाद विद्याभ्यास करना प्रारम्भ किया था। कांग्रेसके काम-काजके लिए उन्होंने अपने आदमियोंका खुलकर उपयोग किया है। श्री छबीलदासकी मदद तो बहुत उपयोगी मानी जायेगी।

एशियाई कानून

एशियाई कानूनके सम्बन्धमें बोलते हुए श्री दाउद मुहम्मदने कहा:

ट्रान्सवालमें जो कानून बना है उसका मुझे बहुत खेद है। इस सम्बन्धमें मैंने जब तार देखा तभी मुझे बुखार चढ़ आया था। यह कानून हमारी बहुत ही बेइज्जती करनेवाला है। इसका विरोध करनेमें सभी भारतीयोंका हित है। इसका मुझपर इतना प्रभाव पड़ा है कि हमारे पास चाहे जितना धन हो, और उस सबको कुरबान ही क्यों न करना पड़े, फिर भी हमें इस कानूनके सामने नहीं झुकना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ट्रान्सवाल भारतीय समाज दृढ़तापूर्वक इस कानूनका विरोध करेगा और इसके लिए जेल जाना पड़े तो जेल जाना मंजूर करेगा। इस प्रकार मिलनेवाली जेलको मैं बगीचा मानता हूँ। वहाँ जानेसे इज्जत बढ़ती है। बेइज्जती तो है ही नहीं। मैं यह भी आशा करता हूँ कि डर्बनके अनुमतिपत्र कार्यालयसे कोई भी सम्बन्ध नहीं रखेगा। इस कानूनके विरुद्ध जितना जोर दिखाया जाना चाहिए उतना यदि हम नहीं दिखायेंगे तो आखिर यहाँसे जानेकी नौबत आयेगी और सारे दक्षिण आफ्रिकामें खराब कानून बनने शुरू हो जायेंगे।

कांग्रेसका मानपत्र

नेटाल भारतीय कांग्रेसके मन्त्रित्वकालमें आपने यूरोप और अमेरिकाकी यात्रा करके योग्यता प्राप्तकी तथा उसके द्वारा भारतीय समाज की बहुत ही उम्दा सेवाएँ कीं। उन्हें कांग्रेसकी ओरसे हम प्रशंसापूर्वक स्वीकार करते हैं।

सतत लगन, धैर्य और स्वदेश-प्रेमके कारण आपने भारतीय समाजके कामको प्राथमिकता दी तथा सार्वजनिक काममें अमूल्य सहायता दी। अपनी ममता, भलमनसाहत और अचल धैर्यके कारण आपने सबका सम्मान अर्जित किया है। आपकी अनुपस्थिति-से होनेवाली कमीकी पूर्ति होना मुश्किल है। आपने अपने स्वर्गीय लोकप्रिय भाई श्री अबूबकरका अनुसरण किया है। आपका अतिथि-सत्कार प्रसिद्ध है। गरीब और अमीर सबका आपके यहाँ समान रूपसे स्वागत हुआ है।

आपने तमाम सार्वजनिक कामोंमें उत्साह दिखाया है। आपका वह उत्साह आपके शिक्षाके लिए किये गये प्रयत्नोंमें भी दिखाई देता है। भारतीय सार्वजनिक पुस्तका-लयको आपने जो प्रोत्साहन दिया है वह भी उसका एक उदाहरण है। अपने देश-भाइयोंकी और भी अच्छी तरह सेवा कर सकें, इसके लिए आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। हम अन्तःकरणसे कामना करते हैं कि खुदाकी मेहरसे आप उसमें सफल हों।

आप सुख-शान्तिपूर्वक स्वदेश लौटें। स्वदेशमें आपके दिन आनन्दमें गुजरें और आप सकुशल वापस लौट आयें।

यह मानपत्र भेंट करते हुए श्री आँगल्यिाने कहा कि यदि मुझसे कुछ बन पड़ा हो तो उसका श्रेय श्री झवेरीको है। क्योंकि उनकी लगन और देशप्रेमका रंग मुझे भी लगा

था। श्री उमर झवेरी स्वयं बहुत काम करते थे। इतना ही नहीं, वे अपने नौकरोंको भी कांग्रेसके काममें जुटाते थे। उनमें श्री छबीलदास मेहता मुख्य हैं। श्री छबीलदासने बहुत मदद की है। श्री झवेरीकी जगहकी पूर्ति होना मुश्किल है। किन्तु आशा है कि श्री दादा उस्मान उस कमीकी बहुत-कुछ पूर्ति कर सकेंगे। श्री रुस्तमजी ठीक समयपर आ पहुँचे, यह खुशीकी बात है। इससे मन्त्रियोंको बहुत मदद मिल सकेगी। मेरी कामना है कि श्री झवेरी बैरिस्टर बनें। इसके बाद एशियाई पंजीयनके सम्बन्धमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे स्वयं मीयादी अनुमतिपत्र लेकर जानेकी तजवीज कर रहे थे। किन्तु कानून मंजूर हो जानेसे उसके प्रति अपना विरोध व्यक्त करनेके लिए उन्होंने निश्चय किया है कि अब अनुमतिपत्र बिलकुल नहीं माँगेंगे। आशा है कि ट्रान्सवालके भारतीय जेलके प्रस्तावपर अटल रहेंगे और कोई भी भारतीय व्यक्ति अनुमतिपत्र कार्यालयसे सम्बन्ध नहीं रखेगा।

मेमन समितिका मानपत्र

इसके बाद मेमन समितिका मानपत्र उसके संयुक्त अवैतनिक मन्त्री श्री पीरन मुहम्मदने पढ़ा। उसका अनुवाद निम्नानुसार है:

> मेमन कौमके गरीब लोगोंको हर प्रकारकी मदद देनेके लिए निधि शुरू की गई है। उस निधिके लिए आपने जो कोशिश की उसके लिए हम, उसकी कार्य समितिके सदस्य, आपका अन्तःकरणसे आभार मानते हैं। वास्तवमें निधिके संस्थापक और व्यवस्थापक आप ही थे। और हम बिना किसी अतिशयोक्तिके कह सकते हैं कि आप मेमन समाजके मुकुटके समान हैं। अपने समाजके प्रति आपके मनमें जो भक्ति है उसके कारण ही समाज उस निधिको मजबूत किये हुए है। हम आशा करते हैं कि आपकी अनुपस्थितिके दिनोंमें हम समितिकी शक्तिको जैसीकी-तैसी कायम रख सकेंगे और आपके लौटनेपर आपकी धरोहर आपके सुपुर्द कर देंगे।

भारतीय पुस्तकालयका मानपत्र

भारतीय पुस्तकालयका मानपत्र श्री उस्मान अहमद एफेन्दीने पढ़ा। उसका अनुवाद नीचे देते हैं:

> भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालयके काममें आपने जो मदद दी है उसके लिए हम पुस्तकालयकी समिति और सदस्योंकी ओरसे हृदयसे आभार मानते हैं। आपकी ज्ञान-प्राप्तिकी आकांक्षा सर्वविदित है। इस काममें आपने जो मदद दी वह आपके स्वभावके अनुरूप ही है।
>
> इस पुस्तकालयके प्रति आपकी सद्भावना है। हमें विश्वास है कि आप उसे कायम रखेंगे और नेटालके सार्वजनिक जीवनके अपने प्रिय काममें भाग लेनेके लिए आप जल्दी वापस आयेंगे।

भारतीय समाजका मानपत्र

फिर श्री आर० आर० मूडलेने भारतीय समाजकी ओरसे मानपत्र पढ़ा। उसका सारांश यह है:

> आपके स्वदेश लौटनेके अवसरपर आपका विशेष तौरसे आभार मानना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। आप कट्टर धर्म-भावनावाले हैं। फिर भी आपने हिन्दुओं

और मुसलमानोंके बीच जरा भी फर्क नहीं किया। आप अपने अत्यन्त दयालु स्वभाव, सत्यव्रत एवं सबके प्रति सहानुभूतिके कारण लोकप्रिय बन गये हैं। इस वर्तावके कारण आज हम सब आपके अहसानमन्द हैं तथा हमारे सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश हुआ है। हम कामना करते हैं कि आपकी इच्छाएँ पूरी हों, आप सुखसे स्वदेश पहुँचें और वहाँसे सकुशल लौटकर अपना काम अपने हाथमें लें।

इसके बाद साहित्य समितिकी ओरसे श्री पॉलने श्री झवेरीको हार पहनाया और सनातन धर्म सभाकी ओरसे श्री अम्बाराम महाराजने दूसरा हार पहनाया और पुष्प-वृष्टि की।

श्री गांधीका भाषण

फिर श्री गांधीने कहा :

श्री झवेरीको हमने मानपत्र दिये, यह ठीक है। किन्तु जिन गुणोंके कारण हमने उन्हें मानपत्र दिये हैं उनका हम अनुकरण करेंगे तभी श्री उमर झवेरी सच्चा सम्मान मानेंगे। उन्होंने मान पानेके लिए कुछ नहीं किया। वे मानके भूखे नहीं हैं, उन्होंने कर्तव्यवश कौमकी सेवा की है। उन्होंने प्रत्यक्ष व्यवहार द्वारा धन और सच्ची शिक्षा किसे कहते हैं, यह दिखाया है। उन्होंने अपने धनका कौमके लिए उपयोग करके उसका सच्चा उपयोग बताया है। वे अपनी शिक्षाका यही समझकर उपयोग करते हैं कि वह सारीकी-सारी देशके लिए है। इसका नाम है सच्ची शिक्षा। वे मानते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम एकता भारतके दुःख दूर करनेके लिए मुख्य चीज है। उसके लिए उन्होंने जितना जबरदस्त प्रयत्न किया है उतना करनेवाले भारतमें विरले ही मिलेंगे। श्री झवेरी इन तीन गुणोंको कायम रखकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं तथा सत्यका भी पालन करते हैं। इसीलिए हम उन्हें सच्चे कर्णधारके समान मानते हैं। हम उनके समान आचरण कर सकें तभी कहा जा सकता है कि हमने उन्हें मान दिया है। नये मन्त्री श्री दादा उस्मान श्री झवेरीके अभावकी पूर्ति कर सकेंगे। यह काम है तो मुश्किल, किन्तु श्री दादा उस्मान श्री झवेरीके साझी हैं और श्री झवेरीने बेधड़क उनका नाम कांग्रेसको दिया है, इसलिए माना जा सकता है कि श्री दादा उस्मान अपने पदकी प्रतिष्ठा बढ़ायेंगे। श्री आँगलिया और श्री दादा उस्मानपर और भी बहुत बोझ है। श्री उमरकी गद्दी सम्भालना मामूली आदमीका काम नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि वे दोनों उमर झवेरीके गुणोंका पूरी तरह अनुकरण करेंगे।

श्री पारसी रुस्तमजी उसी दिन भारतसे लौटकर आये थे। उन्होंने भाषणमें श्री उमर झवेरीकी तुलना सर फीरोजशाह मेहतासे की।

श्री अब्दुल्ला हाजी आमद झवेरीने कहा कि श्री उमर उनके निकटके सम्बन्धी हैं। इसलिए उनसे इस समय यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि श्री उमर झवेरीने कुटुम्बका नाम चमका दिया है। उन्होंने यह कामना व्यक्त की कि ट्रान्सवालके भारतीय कभी ट्रान्सवालका कानून स्वीकार न करें। उनके बाद डॉ० नानजीने भाषण दिया।

श्री पीरन मुहम्मदका भाषण

फिर श्री पीरन मुहम्मदने कहा :

मैं श्री उमर झवेरीका पड़ोसी था। उनकी जितनी तारीफ की जाये, कम है। मैं ट्रान्सवालके कानूनको बड़ा जुल्मी मानता हूँ और यदि वह कानून यहाँ लागू किया

गया तो मैं खुदा पाकको बीचमें रखकर शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूँगा, बल्कि जेलमें जाऊँगा। मैं आशा करता हूँ, ट्रान्सवालके भारतीय भाई भी वैसा ही करेंगे। श्री छबीलदासके सम्बन्धमें श्री आँगलियाने जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने कांग्रेसकी बहुत ही सेवा की है।

श्री इस्माइल गोराका भाषण

श्री इस्माइल गोराने कहा:

श्री उमर हाजी आमद झवेरीके सम्बन्धमें जो-कुछ कहा जा रहा है उसे मेरा पूरा समर्थन है। उन्होंने कौमकी बहुत अच्छी सेवा की है। श्री रुस्तमजी स्वदेशसे लौटे हैं। इससे कांग्रेसका काम बहुत ठीक हो जायेगा। एशियाई कानूनके खिलाफ हमें बहुत लड़ाई लड़नी है। सितम्बरका चौथा प्रस्ताव भारतीय कभी नहीं छोड़ सकते। यदि हम उस प्रस्तावको छोड़ देंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा। नेटाल भारतीय कांग्रेसका पैसा समाप्त हो रहा है। हमपर बैंकका कर्ज है। इसलिए आशा करता हूँ कि उसके लिए मन्त्रिगण पूरी मेहनत करके चन्दा उगाहेंगे।

श्री छबीलदास मेहता बोले कि उन्हें श्री उमर हाजी आमद झवेरी जैसे सेठ मिले, इसीलिए कौमकी सेवा की जा सकी है। उन्होंने अपने कर्तव्यसे परे कुछ नहीं किया।

श्री दादा उस्मानका भाषण

श्री दादा उस्मानने कहा:

श्री उमर मेरे भाई हैं। उनके बारेमें मैं अधिक नहीं बोल सकता। किन्तु इतना तो कहता हूँ कि भारतीय समाज श्री उमर जैसे कई नर पैदा करे। मेरा चुनाव करके मेरा जो सम्मान किया गया है, उसके लिए मैं कांग्रेसका आभारी हूँ। मैं कितनी सेवा कर सकूँगा, यह कांग्रेसको और मुझे देखना है। मैं अपनी ओरसे भरसक मेहनत करूँगा। श्री रुस्तमजीके आ जानेसे मुझे हिम्मत मिली है और श्री आँगलियाके साथ रहकर काम करनेमें मैं गर्व महसूस करूँगा।

श्री झवेरीका जवाब

श्री उमरने सभी मानपत्रोंका बहुत ही संक्षिप्त किन्तु प्रभावशाली उत्तर दिया। उस सम्बन्धमें भाषण करते हुए उन्होंने कहा:

इतने भोजों और आजके इन मानपत्रोंसे भारतीय समाजने मुझे दबा दिया है। इतना सब स्वीकार करने योग्य सेवा मुझसे नहीं हुई। जितना किया है वह कर्तव्य समझकर ही। कांग्रेसके मानपत्रके लिए मैं सारी कौमका आभार मानता हूँ और इतना ही कहता हूँ कि मैं सदा ही सेवामें अपना मन रखूँगा। मैं जल्दी ही हज कर आऊँ, ऐसी बहुत सज्जनोंने दुआ माँगी है। खुदा पाकको मंजूर होगा तो कुछ ही समयमें वह फर्ज अदा करूँगा। मेमन समितिके मानपत्रके लिए मैं उस समितिका आभार मानता हूँ। उसमें मैंने कोई विशेष बात नहीं की। पुस्तकालयकी ओरसे दिये गये मानपत्रके योग्य मैं कतई नहीं। वह श्री मोतीलाल दीवानकी मेहनतसे चल रहा है। हिन्दू भाइयोंके मानपत्रके लिए मैं हिन्दू भाइयोंका आभार मानते हुए कहता हूँ कि सीधे रास्ते जानेवाला

कभी भूलमें नहीं पड़ता। उसी रास्तेपर चलकर मैं कौमकी सेवा करता आया हूँ और, आशा है, करता रहूँगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-५-१९०७

४६३. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

"महामारी"

भारतीय समाजको इस समय मानो महामारीने आ घेरा है। पिछला साप्ताहिक पत्र जब मैंने रवाना कर दिया तब शुक्रवारको तार आया कि बड़ी सरकारने भारतीयोंकी गुलामीका कानून मंजूर कर लिया है। देखें, हमारे आगेके शुक्रवार क्या देनेवाले हैं? इस प्रकार सब पूछने लगे हैं। किन्तु स्वाभिमानी भारतीय ऐसे प्रश्नके साथ तुरन्त जाग्रत होकर कहते हैं कि यह कानून गुलामी देनेवाला, नहीं बल्कि भारतीयोंकी गुलामीकी बेड़ियाँ काटनेवाला है; क्योंकि हमें इसे स्वीकार न करके जेल जाना है। इस विचारसे इस कानूनका पास हो जाना वरदान ही समझना चाहिए।

'स्टार' से विवाद

जब दिया बुझनेवाला होता है उस समय उसका प्रकाश तेज हो जाता है। इसी प्रकार, कानून पास होनेको था कि इतने ही में 'स्टार' के स्तम्भोंमें द्वंद्व-युद्ध शुरू हो गया। 'स्टार' ने लोगोंको भारतीयोंके विरुद्ध भड़कानेवाला लेख लिखा। उसका श्री गांधीने जवाब[1] दिया। बादमें वे 'स्टार' के सम्पादकसे मिले और उससे बहुत देर तक बातचीत की। उसके फलस्वरूप 'स्टार' ने दूसरा लेख लिखा। उस लेखको यद्यपि बहुत विवेकपूर्ण माना जा सकता है फिर भी उसने विवाद समाप्त नहीं किया। और लिखा कि भारतीय समाज चाहता है कि उसपर भरोसा रखकर काम लिया जाये, सो नहीं हो सकता। इसलिए श्री गांधीने फिर लिखा है[2] कि भारतीय समाजपर हमेशा विश्वास रखनेकी कोई बात नहीं है। सिर्फ एक ही बार, और वह भी कुछ समयके लिए ही, भरोसा रखनेकी बात है। इसके अलावा और भी बहुत-कुछ लिखा है। किन्तु इस बार उस सबका तर्जुमा देनेके लिए 'इंडियन ओपिनियन' में जगह भी नहीं है। इसलिए जिन्हें बहुत जिज्ञासा हो उन्हें मेरी सलाह है कि वे उन सब लेखोंको अंग्रेजी विभागमें पढ़ लें। क्योंकि वे सब लेख जानने योग्य और अच्छे हैं। उनमें इस बातका स्पष्ट चित्रण है कि गोरों और भारतीयोंके बीच किस प्रकारकी लड़ाई चल रही है और उसका क्या अर्थ है। उनसे यह साफ दिखाई दे सकता है कि भारतीय समाज जब अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा करना चाहता है, तब अंग्रेज कहते हैं कि भारतीय हमें पछाड़ना चाहते हैं। इससे यह भी जाहिर हो जाता है कि 'स्टार' ने जो विवाद उठाया था वह स्थानीय सरकारकी ओरसे और उसकी मर्जीसे

१. देखिए "पत्र: स्टारको", पृष्ठ ४६३-६४।
२. देखिए "पत्र: स्टारको", पृष्ठ ४६६।

उठाया था। हम ट्रान्सवाल अग्रगामी दल [रैंड पायोनियर] और ट्रान्सवाल [नगरपालिका] संघसे अत्यन्त विनयपूर्वक मिलना चाहें और वे हमसे न मिलें[1], इसका क्या अर्थ है? सिर्फ एक ही कि वे हमें कुत्तोंके समान मानते हैं और हम जो-कुछ कहते हैं उसे हमारा भौंकना समझकर उसकी परवाह नहीं करते। अब कोई यह नहीं कह सकता कि अनुमतिपत्रोंके बारेमें हमारा उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए हमें जितना करना चाहिए था उतना हमने नहीं किया। यदि कोई ऐसा कहे तो वह बात जागते हुए सोनेके समान है। अब वे अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रिटिश भारतीय संघने स्वेच्छया पंजीयनके लिए जो निवेदन किया है उससे कानूनका अनुमतिपत्र सम्बन्धी उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। सच देखा जाये तो अब यह उद्देश्य रहा नहीं है, किन्तु खास बात तो उनके मनमें यह समा रही है कि भारतीय समाजकी बेइज्जती की जाये। भेड़ और भेड़ियेकी कहानी इस कानूनपर लागू होती है। बलवान भेड़ियेके मनमें जब गरीब भेड़को खा जानेकी इच्छा हुई तो उसने खानेके लिए कुछ बहाना ढूंढ़ा। उसने भेड़पर इल्जाम लगाया कि तूने मेरे पीनेका पानी गन्दा कर दिया है। भेड़ने जवाब दिया कि मैं तो उतरता हुआ पानी पी रही थी। उसे जवाब मिला कि तूने नहीं तो तेरे बापने किया होगा। यह कहकर उसने भेड़के बारह बजा दिये। इस स्थितिमें और भारतीयोंकी स्थितिमें तिल भरका भी फर्क नहीं है। चाहे जिस प्रकार हो, गोरे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राजकीय मामलोंके बाहर भी हममें तथा उनमें समानता नहीं है, और इसीलिए यह कानून पास कराया गया है। लॉर्ड एलगिनमें जितनी न्याय-वृत्ति है उससे भय ज्यादा है। इसीलिए ट्रान्सवालके गोरोंसे डरकर उन्होंने भारतीय समाजके साथ अन्याय किया है। किन्तु जिसे राम रखता है उसे कौन खा सकता है? भारतीय समाज अपने जेलके प्रस्तावपर डटा रहेगा, ये लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं स्वयं तो आनन्दमग्न हो रहा हूँ। मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है कि कानून पास हुआ, यह हमारी खुश-किस्मती है। चारों ओर लोग इस जोशमें हैं कि जेलमें जाकर महलका सुख भोगेंगे।

श्री कर्टिस साहब

उपर्युक्त विचारोंका प्रबल समर्थन करनेवाली बात भी जाहिर हो चुकी है। श्री कर्टिस यहाँकी विधानसभाके सदस्य हैं। इस कानूनका विधाता उन्हें ही कहा जाता है। उन्होंने 'टाइम्स' में लिखा है कि यह कानून यह विचार पक्का करनेके लिए पास किया गया माना जाना चाहिए कि गोरे और भारतीयोंके बीच समानता नहीं है। हरएक ब्रिटिश प्रजा एक समान है, यह नहीं होना चाहिए। मतलब यह कि इसके द्वारा हमारी गुलामी सिद्ध करनी है। वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि किसी चीजके बारेमें हमारी मर्जी-नामर्जीका विचार किये बिना उन्हें स्वच्छन्दतापूर्वक चलनेका अधिकार है। वे जिस हद तक स्वराज्य प्राप्त करके स्वतन्त्र बने हैं, उसी हद तक हमें परतन्त्र बनाना चाहते हैं। गुलामी और स्वतन्त्रतामें अन्तर इतना ही है कि सामनेवाला हमसे किस प्रकार काम ले सकता है। मैं अपने भाई, सेठ या बापकी नीचसे-नीच टहल करूँ तो उसमें मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सेठ मुझे बहुत ही वफादार समझेंगे, बाप प्यारा लड़का समझेगा। किन्तु यही काम मैं मजबूरीसे करूँ तो लोग मुझपर थूकेंगे और मुझे नामर्द समझेंगे और कहेंगे कि ऐसी गुलामी करनेके बजाय फाँसी लगाकर मर क्यों नहीं

१. देखिए "पत्र: ट्रान्सवाल अग्रगामी दलको", पृष्ठ ४६५।

गया। ऐसा और इतना ही अन्तर इस नये कानूनके अन्तर्गत रहने और उससे मुक्त रहनेमें है। हमें जमीनके अधिकार न हों, हमारा व्यापार कम हो, और हमें दूसरे कई अधिकार न दिये जायें, यह सहन किया जा सकता है। क्योंकि उस वक्त हमें विवश नहीं किया जा सकता। किन्तु इस कानूनके द्वारा हमारे विवश किये जानेकी बात है। जैसे हमारे देश भारतमें हममें से कुछ लोग जुल्म करके भंगियोंको विशेष पोशाक ही पहनने देते हैं, और हम छू न जायें इसके लिए उन्हें हलकी भाषा काममें लानेके लिए मजबूर करते हैं, उसी तरह ट्रान्सवालमें हमें भी भंगी बन कर रहना पड़ेगा। और हमें अपनी इस स्थितिकी याद रहे, इसके लिए चिट्ठी रखनी होगी। जर्मनीके महान लूथरके नाम पोपने जासूसकी मारफत कोई हुक्म भेजा तो लूथरने जासूसके सामने ही उस चिट्ठीको जला दिया, और कहा कि "जा, पोपसे कह दे कि लूथर आजसे स्वतन्त्र है। इस चिट्ठीका हाल उसे कह सुनाना।" उस दिनसे लूथर आजतक अमर है। और वैसा करना चाहेंगे करोड़ों व्यक्ति, किन्तु एक भी नहीं कर सकेगा।

उपाय

अब हम क्या करें, यह कई पाठक इस 'चिट्ठी' के द्वारा जानना चाहेंगे। जवाब तो लूथरने ही दे दिया है। हम इतनी स्वतन्त्रता भोगने योग्य हो गये हैं कि नये अनुमतिपत्रोंके साथ पुराने अनुमतिपत्र भी जला दें। अब यह स्थिति नहीं रही कि एक भी मनुष्य अनुमतिपत्र कार्यालयमें जाये। यदि किसीको अनुमतिपत्र मँगवाना होगा तो वह नये कानूनके अन्तर्गत ही मँगवा सकेगा। किन्तु यदि वह कानून हमें मंजूर न हो तो हम अनुमतिपत्र मँगवा ही नहीं सकते। इसलिए पहला काम तो यह करना रहा कि अनुमतिपत्र कार्यालयमें कोई भी भारतीय न जाये, न पत्र-व्यवहार करे। शेष तो हमें फिलहाल देखते रहना है कि अनुमति-पत्र कार्यालय हमारे द्वारा नये अनुमतिपत्र निकलवानेके लिए क्या-क्या तरकीबें करता है। भारतीयोंको अभी तुरन्त तो जेलका लाभ नहीं मिलेगा। अभी अनुमतिपत्रके नियम बनाने बाकी हैं। फिर अनुमतिपत्र लेनेका अन्तिम दिन निश्चित किया जायेगा और उस दिनके बाद जेल-महलमें जाया जा सकेगा। इसलिए हम सावधान हैं, निर्भय हैं, और अपने प्रस्तावपर निश्चित रूपसे अमल करनेवाले हैं, यह सिद्ध करनेके लिए हम अनुमतिपत्र कार्यालयका बहिष्कार कर दें। ट्रान्सवालमें बाहरसे बिना अनुमतिपत्रके निराश्रित भारतीयोंके आनेका विचार फिलहाल हमें छोड़ देना है। क्योंकि उन्हें यदि अनुमतिपत्रकी आवश्यकता होगी तो नये कानूनके अन्तर्गत ही मिल सकता है। लेकिन वह तो किसी भारतीयसे हो ही नहीं सकता। मुझे आशा है कि सारे भारतीय इतना उत्साह रखेंगे कि खुदावन्द करीम ट्रान्सवालके बाहर भी हमें रोजी देनेकी ताकत रखता है। विशेष बातें 'इंडियन ओपिनियन' अंक १७, पृष्ठ २१६ देखनेसे समझमें आ जायेंगी।

लॉर्ड एलगिनका मरहम

एलगिन साहब हमें घातक चोट करके अब इलाजके तौरपर अपना बनाया हुआ खास मरहम लगाना चाहते हैं। रायटरका तार है कि चर्चिलने कानूनके सम्बन्धमें जवाब देते हुए कहा है कि जनरल बोथासे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि कानूनके अन्तर्गत जो नियम बनाये जायेंगे वे बहुत ही नरम और ऐसे होंगे कि उनसे किसीकी भावनाओंको चोट न लगे। इस खबरके आधारपर रायटर और लिखता है कि लोकसभामें सदस्योंने खुश होकर

तालियाँ बजाईं? प्रसव की पीड़ा प्रसूता ही जान सकती है। लोकसभाके सदस्य तो हमारी दाईका काम करते हैं, इसमें शक नहीं। उन्होंने तालियाँ बजाईं, इससे सिद्ध होता है कि हमारी भावनाओंको चोट लग रही है। इससे उनके दिल तो नरम हो गये हैं, लेकिन श्री चर्चिलके उत्तरका अर्थ उन्होंने नहीं समझा, इसलिए तालियाँ बजी हैं। जान पड़ता है, एलगिन साहब बच्चोंको समझाना चाहते हैं। कानून पास हो जानेके बाद चाहे जैसे नरम बनाये जायें, उनसे गुलामीकी स्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें बैलके समान गाड़ीमें जोतकर हाँकनेवाला रास ढीली रखे, उससे हमारी बैलों-जैसी स्थिति मिट नहीं जाती। दस अँगुलियाँ लगवानेके बदले एक ही अँगूठा लगवाया जाये, एक अँगूठा भी छोड़कर सिर्फ सहीसे काम हो जाये तो उससे क्या? तब भी हम, जैसा मैं ऊपर कह चुका हूँ, उस कारणसे कानून स्वीकार नहीं कर सकते। गुलामीमें रहकर अच्छा खानेको मिले, ज्यादा ऐशो-आराम दिये जायें, उस नशेमें डूबकर हमें गुलामीको भूल नहीं जाना है। इसलिए हमें उन महाशयोंसे नम्रतापूर्वक विनती करनी है कि जब तक अनिवार्य पासका कानून लागू रहेगा तबतक, चाहे जितनी रियायतें की जायें, वह मंजूर नहीं होगा।

डर्बनकी सहानुभूति

डर्बनके भारतीय नेताओंकी ओरसे ट्रान्सवालमें चारों ओर सहानुभूतिके पत्र आये हैं और हमारे नेटालके भाइयोंने सलाह दी है कि हम जेलके प्रस्तावपर डटे रहें। इस सहानुभूतिके लिए हम आभारी हैं। इसलिए संघके नाम आभारका तार भेजा जा चुका है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-५-१९०७

४६४. हेजाज रेलवे: कुछ जानने योग्य समाचार

'टाइम्स ऑफ इंडिया' के इस्तम्बूल-स्थित विशेष संवाददाताने हेजाज रेलवेके सम्बन्धमें जानने योग्य हकीकत दी है। उसका सारांश हम दे रहे हैं। लेखकने रेलवे प्रबन्धकोंकी बहुत कड़ी टीका की है और सभी हिस्से खरीदनेवालोंको यह सूचित किया है कि जबतक रेलवेके काममें पैठी हुई भयानक गन्दगी दूर नहीं होती तबतक कोई भी पैसे न भरे। लेखक श्री किदवई तथा श्री अब्दुल कादिरने उन विद्यार्थियोंके फोटो भी दिये हैं, जो पैसे लेकर इस्तम्बूल गये थे। हमने लिखकर इस सम्बन्धमें इन दोनों सज्जनोंके विचार पूछे हैं। उत्तर आनेपर प्रकाशित करेंगे। निम्न लेखमें क्या सच है, यह हमें नहीं मालूम, किन्तु 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने इसे बड़ी प्रसिद्धि दी है। इससे मालूम होता है कि इसमें कुछ-कुछ सचाई तो होनी ही चाहिए।

रेलवेका निर्माण

हेजाज रेलवेको जन्म देनेवाले हैं — कुख्यात इज्जत पाशा। इन्हीं इज्जत पाशाने आरमीनियाइयोंका कत्ल किया था। माननीय सुलतानके पास कुछ धूर्त लोग रहते हैं। ये उन्हींमें से एक है। श्री इज्जत पाशा दमिश्कसे आये हैं। इस्तम्बूलसे बाहर थोड़े ही लोगोंको ज्ञान है कि

माननीय सुलतान सीरियाके पाशाओंके अधीन एक कैदीके समान यील्डीज कीओस्कमें[1] रहते हैं। माननीय सुलतान स्वयं भोले मुसलमान हैं। इसलिए हेजाज रेलवेकी बात उनके सामने पेश हुई तो उन्होंने उसे पसन्द किया। सबको लाभ हो, इस इच्छासे उन्होंने यह कहा कि जिद्दा और याम्बो इन दोनों बन्दरगाहोंसे मदीना शरीफ और मक्का शरीफ तक लाइन ले जाई जाये। किन्तु माननीय सुलतानकी सूचना स्वीकृत नहीं हुई। इज्जत पाशाने यह समझाया कि यदि जिद्दा होकर रेल बनेगी तो अंग्रेज लोग उसका लाभ लेनेसे नहीं चूकेंगे। वे अपने आदमीको खलीफा बनायेंगे। इज्जत पाशाने अपनी तैयारी कर रखी थी। कुछ जमीन भी खरीदी थी। शेख अबूहुदाकी उन्हें मदद थी। इसलिए दमिश्कसे मदीना शरीफ लाइन ले जानेका निर्णय हुआ।

दमिश्कसे मदीना शरीफ

इस लाइनकी लम्बाई लगभग १,६०० मील है। इसमें से ४५० मीलका फासला पूरा हो गया है। गत वर्ष इसके द्वारा केवल ६१,९०० पौंड आय हुई थी। रकम प्राप्तिके लिए बहुत मेहनतकी जाती है, किन्तु इस्तम्बूलके लोगोंको इज्जत पाशापर विश्वास नहीं है। इसलिए कोई पैसे नहीं देता। और यद्यपि इसमें लगानेके लिए सब अफसरोंको दस दिनका वेतन देना पड़ता है और सरकारी विभागके प्रत्येक पत्रपर रेलवेके लिए दो पेनी चन्दा वसूल किया जाता है, तो भी भोले-भाले लोगोंके मनपर प्रभाव डालकर जो पैसा वसूल किया जाता है उसपर सारी बातका दारोमदार है। सुना गया है कि इज्जत पाशाने बहुत पैसा बटोर लिया है। जो माल खरीदा जाता है उसपर वे अपना निजी कमीशन ले रहे हैं। कमीशनके रूपमें एक अमेरिकी पेढ़ीको उन्हें ३,००० पौंड देने पड़े।

इस रेलके पहले भागका १९०१ में आरम्भ किया गया था। फिर भी अबतक पाँचवाँ भाग भी पूरा नहीं हुआ है। जहाँ रेलगाड़ी चल रही है वहाँ मरम्मतका काम नहीं किया जा रहा है। और पटरियाँ हलके प्रकारकी होनेके कारण आजसे ही इस सारे काममें खराबियाँ दिखाई दे रही हैं। भारत और चीनसे आनेवाले मुसलमानोंके लिए यह लाइन सर्वथा अनुपयोगी है। हेजाज रेलवेका उपयोग दूसरे भी कम ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस लाइनपर चलनेका खतरा कोई भी अपने सिर लेना नहीं चाहता।

भारतीय शिष्टमण्डल

कुछ समय पहले विलायतके भारतीय विद्यार्थियोंका एक शिष्टमण्डल चन्दा लेकर [इस्तम्बूल] गया था। माननीय सुलताननें उसका अच्छा स्वागत किया था। किन्तु उन विद्यार्थियोंको उनकी इच्छाके बावजूद दमिश्क जाने नहीं दिया गया था। उनकी गतिविधिपर गुप्तचरोंकी निगरानी रहती थी। और यद्यपि उन्हें उस्मानिया-पदक दिये गये थे और भली भाँति सम्मानित किया गया था, फिर भी पाशा लोग डर रहे थे। माननीय सुलतानकी सेवामें कुछ भारतीय मुसलमान भी हैं। परन्तु उनपर कम भरोसा रखा जाता है; क्योंकि धर्मके नामपर पाशा लोग ठगकर खाते हैं और इस पोलका वे भण्डाफोड़ होने देना नहीं चाहते।

१. तुर्कीके सुल्तानका प्रासाद।

कर्मचारी

रेलका सारा काम सैनिक करते हैं, फिर भी प्रति मील ३,७२० पौंड खर्च आया है। और यथा आवश्यक सामान न होनेके कारण रेलगाड़ी प्रति घंटा १२ मीलसे अधिक नहीं चल पाती। माननीय सुलतानके एक भूतपूर्व प्रबन्धकर्ताने बातचीत करते हुए मुझसे कहा कि कोई यह नहीं मानता कि रेलवे उपयोगमें आ सकेगी। जबतक दक्षिणी भाग पूरा होगा तबतक उत्तर-वाला भाग बिगड़ जायेगा और यह बात तो अलग ही है कि रेलवेसे जानेमें जितने दिन लगते हैं उतने दिनोंमें इस्तम्बूलसे जलमार्ग द्वारा जिद्दा पहुँचा जा सकता है।

भारतीय मुसलमानोंको क्या करना चाहिए?

मुझे उसी कर्मचारीने बताया कि आपके भारतीय भाई-बन्धुओंको तबतक एक पाई भी नहीं देनी चाहिए जबतक कि उनके लोगोंको निगरानीका अधिकार न मिल जाये और जिद्दासे मक्का शरीफ तक लाइन बनानेका पक्का यकीन न दिला दिया जाये। आजकल तो इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि रेलके पूरा होनेकी सम्भावना कम ही है। बहुत-से बड़े-बड़े सूबेदारोंने माननीय सुलतानको सूचित किया है कि रेलवेके नामसे डकैती चल रही है। लेकिन इज्जत पाशाके हजूरिये किसीकी चलने नहीं देते। लाखों पौंड आये हैं; उनमें से प्रायः २५ प्रतिशत लुटेरे अफसरोंकी जेबमें गये हैं। यात्रियोंकी ओरसे व्यक्तिगत पत्र आते हैं; उनमें वे लिखते हैं कि पानीकी या अन्य सुविधाएँ कुछ ही हैं, और मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं। किरायेकी दर भी बहुत अधिक रखी गई है। दमिश्कसे ताबुक तक तृतीय श्रेणीका भाड़ा चार पौंड रखा है। अर्थात् एक मीलका एक आना हुआ। इस समय इज्जत पाशा ५०,००० पौंड खर्च करके इस्तम्बूलमें नया रेलवे-कार्यालय बनानेकी बात कह रहे हैं। यह खर्च बिलकुल बेकार है, क्योंकि बहुतेरे कार्यालय खाली पड़े हैं। किन्तु इस अन्धाधुन्धकी किसीको परवाह नहीं है।

उपसंहार

उगाहीमें २५,००,००० पौंड आ चुके हैं। नाममात्रके वेतनपर सैनिकोंसे काम करवाया जा रहा है। पाँच वर्षमें केवल ४३२ मील लाइन बनी है। ट्रेन एक घंटेमें १२ मीलसे अधिक नहीं काट पाती। इंजिन केवल १६ हैं। प्रथम श्रेणीके दो और तृतीय श्रेणीके २४ डिब्बे हैं। इसके अतिरिक्त शेष खुले डिब्बोंमें यात्रियोंको ले जाया जाता है। उनमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यह रेलवे केवल ठगोंके हाथमें है। हेजाजके बड़े सूबेदार अहमद हाजी पाशाने माननीय सुलतानको तार दिया था कि जबतक लुटेरे अफसर रेलपर हैं तबतक कुछ नहीं हो सकता। यह बात सच निकली है। "इसलिए", सूबेदार महोदय कहते हैं, "मुसलमानोंसे मेरी यह विनती है कि जबतक लुटेरे लोग नहीं हटते, और ठीक-ठीक यकीन नहीं होता, तबतक कोई मुसलमान कुछ भी पैसा न भेजे।"

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-५-१९०७

४६५. पत्र : 'स्टार' को[1]

जोहानिसबर्ग
मई ११, १९०७

सेवामें
सम्पादक
'स्टार'
[जोहानिसबर्ग]

महोदय,

एशियाई पंजीयन अधिनियमके बारेमें श्री पोलकके पत्रपर अपने अग्रलेखमें आपने कहा है कि "यदि प्रस्तावित अनाक्रामक प्रतिरोधके फलस्वरूप अत्यधिक उग्र आन्दोलनकारियोंको देशसे निर्वासित कर दिया गया तो एशियाई व्यापारियोंके कट्टरतम विरोधियोंको, कदाचित्, कोई दुःख नहीं होगा। लेकिन एशियाई व्यापारियोंके "कट्टर विरोधियों"के दुर्भाग्यवश, जहाँतक मैं समझ सका हूँ, अनिवार्य देश-निर्वासनकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जैसी आप सोचते प्रतीत होते हैं। इसलिए यदि उनकी इच्छा पूरी करनी है तो उन सब भारतीयोंको जबरदस्ती उपनिवेशसे निकाल बाहर करनेके लिए एक नया कानून बनाना पड़ेगा, जो अपने देशवासियोंका कुछ आत्मसम्मान और पौरुष बनाये रखनेके संघर्षमें, अपने खयालसे, अपने देश तथा साम्राज्यकी सेवा कर रहे हैं। आप आगे लिखते हैं:

> हमारा विश्वास है कि इन लोगोंके प्रभुत्वसे मुक्त हो जानेपर ट्रान्सवालमें कानूनी तौरसे बसे हुए ब्रिटिश भारतीयोंकी आबादीका एक बहुत बड़ा भाग शीघ्र ही ज्यादा बड़ी सुरक्षाके महत्त्वको समझना सीख जायेगा, जो उन्हें इस कानूनसे मिलती है। और तब वे जानेंगे कि इस नये कानूनके वास्तविक प्रभावके बारेमें उनको कितना भ्रान्त किया गया है।

ब्रिटिश भारतीयोंकी भावनाओंको न समझनेकी आपकी असमर्थता बखूबी समझी जा सकती है। यदि आप सोचते हैं कि एक भी ऐसा भारतीय है, जो इस प्रभुत्वके (जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है) छूट जानेसे कानून द्वारा मिली हुई इस "ज्यादा बड़ी सुरक्षा"की सराहना करेगा, तो आपने सम्पूर्ण भारतीय समाजको बिलकुल गलत समझा है। कोशिशोंके बावजूद मुझे उसमें कोई ज्यादा बड़ी सुरक्षा दिखाई नहीं पड़ी। नये विधानके वास्तविक प्रभावके बारेमें भारतीय जनताको बरगलानेका कोई सवाल नहीं उठता। मामला सीधा-सादा है। अनिवार्य पंजीयनसे व्यक्तिकी निजी आजादीपर उसकी चमड़ीके रंगके कारण एक खास नियन्त्रण लागू होता है। ट्रान्सवालके भारतीयोंको बता दिया गया है कि इस तरहका विधान गहरे अपमान तथा एक प्रकारकी गुलामीका द्योतक है। इसलिए उन्हें यह सलाह दी गई है कि नये विधानमें उनके लिए जो स्थिति तय की गई है, वह और प्रकारसे कितनी ही लुभावनी क्यों न प्रतीत

१. यह १८-५-१९०७ के इंडियन ओपिनियनमें उद्धृत किया गया था।

हो, उसके बदलेमें उन्हें अपनी आजादीकी मौजूदा बेहतर हालतको बेच नहीं देना चाहिए। मेरी रायमें नये विधानसे वे ऊपर बतलाई हुई बदतर हालतमें पहुँच जायेंगे।

इस अपमानजनक चोटको टालनेके लिए मैंने उनको यह बतलानेकी धृष्टता की है कि पहले तो उनका यह फर्ज है कि वे इस कानूनके अन्तर्गत दुबारा पंजीयन करानेसे दृढ़ताके साथ, किन्तु विनयपूर्ण ढंगसे, इनकार कर दें। मैंने उनको दूसरा परामर्श यह दिया है कि यह देखते हुए कि ट्रान्सवालको उन्होंने घर बना लिया है और उसके विधायकोंके चुनावके बारेमें बोलनेका उनको जरा भी अधिकार नहीं है, उनके लिए अपनी सुनवाई करानेका केवल एक ही प्रभावशाली तरीका है कि वे इस कानूनकी शर्तोंको तोड़कर उसका आखिरी नतीजा भुगतें; अर्थात्, वे दुबारा पंजीयन कराने या देश छोड़ने या जुर्माना देनेकी अपेक्षा जेल जाना पसन्द करें। मैंने उनको तीसरा तथा अन्तिम परामर्श यह दिया है कि उपर्युक्त रुखके मुताबिक उनको अनुमतिपत्र विभागसे सब तरहका पत्र-व्यवहार बन्द कर देना चाहिए, और ट्रान्सवालमें दुबारा प्रवेश करनेकी इच्छा रखनेवाले अपने मित्रों तथा अन्य भारतीयोंसे अनुरोध करना चाहिए कि वे नये कानूनके अन्तर्गत अस्थायी या स्थायी अनुमतिपत्रके लिए प्रार्थनापत्र न दें।

यदि यह कहा जाये कि मेरी अन्तिम दोनों बातें साफ तौरसे एशियाई विरोधी ध्येयकी पुष्टि करती हैं तो कहा जाने दीजिए। इससे केवल इतना ही साबित होता है, और यह मैं प्रायः कह चुका हूँ, कि भारतवासियोंका उद्देश्य इस संघर्ष द्वारा ट्रान्सवालके अधिकसे-अधिक व्यापारको हस्तगत करना नहीं है, बल्कि इस देशमें गौरव तथा आत्मसम्मानके साथ रहना है और भोजनके बदले अपने जन्मसिद्ध अधिकारको बेचना नहीं है।

मैं स्वीकार करता हूँ और मेरे अनेक अंग्रेज मित्रोंने मुझसे कहा है कि शायद मेरे परामर्शपर, व्यापक रूपमें अमल न हो सके। किन्तु यदि ऐसे मित्रोंके सन्देहका आधार ठोस प्रमाणित हो जाये तो भी मुझे सन्तोष होगा। और यदि ब्रिटिश भारतीय उस दासताको अपनाना पसन्द करें जो इस नये कानून द्वारा उनपर लादी जा रही है तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि हम उस पंजीयन कानूनके योग्य ही थे। निस्सन्देह इस समय हम कसौटीपर कसे जा रहे हैं और अब यह देखना बाकी है कि क्या हम इस मौकेपर सामूहिक रूपसे चेतेंगे? मेरी समझमें ऊपर बतलाई हुई स्थिति निर्विवाद है और वीर उपनिवेशियोंसे मैं उसके सम्बन्धमें उपहासके बजाय प्रशंसाका अधिकारी हूँ। उपहास अथवा प्रशंसा, कुछ भी मिले, यदि मैं या मेरे साथी कार्यकर्ता उस मार्गसे लेशमात्र भी पीछे कदम हटाते हैं, जिसे हमने अपने अन्तःकरणकी आवाजपर अपनाया है, तो यह हमारे लिए छिछोरेपन तथा पापकी बात होगी।

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

स्टार, १४–५–१९०७

21-24 Court Chambers,
Corner Rissik & Anderson Streets.
Telephone No. 1635 P.O. Box 6522,
Telegrams "GANDHI." A.B.C. Code 5th Edition Used.

My Dear Chhaganlal,

I enclose herewith order for the Germiston Sanatan Dharam Sabha. Please give the equivalent of the Hindi in English, and Gujarati also. In order to make the letter-heads appear artistic, you will have to use your judgment as to how they should be printed. What I think is that you could have the English in the form of an arch, and underneath the arch you could have the Hindi and Gujarati equivalent in parallel columns. This is with reference to the title of the Sabha. The address will follow in the three languages, one after the other. The top with the mystic syllable "om" may appear only in Hindi. It should be on ruled paper, 500 Foolscap and 500 Bank. I have told them that it will be about 25/- for the whole order, but, if it is more, let it be more. Send you bill to the Sabha, Box 53, Germiston, at the same time that you send the letter-heads. In printing the address, you are not to give the Box.

I have written to Osman Ahmed. I have not by me the extract from the "Times of India", as I have sent it to London. The Maleys of Johannesburg do speak Dutch, the same as on Cachalia's order, but very few of them are capable of reading the language. Why do you want to know it?

Yours sincerely,

ASIATIC
ASIATIC ORDINANCE
INDIA
ASIATIC
ASIATIC ORDINANCE
INDIA

शतरंजकी बाजी

४६६. पत्र : छगनलाल गांधीको

[जोहानिसबर्ग]
रविवार, मई १२, १९०७

चि० छगनलाल,

तुम्हें बहुत लम्बा पत्र लिखनेका इरादा था, किन्तु रेलगाड़ीमें सिर इतना भारी रहा कि कुछ भी नहीं लिख सका। कल भी ऐसी ही स्थिति थी और आज भी लगभग वैसी ही है। इस वक्त डर्बनमें जो मेहनत हुई उससे तबीयतको बड़ा धक्का लगा जान पड़ता है। फिर भी जितना बने उतना आराम लेकर, मिट्टी इत्यादिके उपचार करके स्वस्थ होनेका विश्वास है।

आज कुछ सामग्री भेज रहा हूँ। रातको और लिखने या बोलकर लिखानेका इरादा करता हूँ। मैंने तलपटके बारेमें सुना तो मेरे मनमें विचार आया कि ठक्करको उसके बिना माँगे तरक्की दे देना आवश्यक और कर्तव्य है। मैं मानता हूँ कि वह हमारे लिए उपयोगी आदमी है। उसमें यद्यपि कुछ कुटेवें हैं, फिर भी स्वदेशाभिमानकी टेक और ब्रह्मचर्य, ये दो गुण दृढ़ हैं। उसका काम कुल मिलाकर अच्छा है। इसलिए मेरी खास सलाह है कि उसे हम तुरन्त तरक्की दें। चि० मगनलालके साथ बात करते समय मैंने एक पौंडका विचार किया था। किन्तु, फिलहाल तुरन्त आधा पौंड दिया जाये तो भी ठीक है। मगनलाल मुझसे कहते थे कि कुमारी वेस्टको भी तरक्की दी जाये। यह बात भी मुझे बहुत ठीक लगती है। वेस्टके मनमें आये, उससे पहले तुम सब इसपर विचार करो, यह बहुत उचित जान पड़ता है। इन दोनों बातोंको तुरन्त अमलमें लानेकी मेरी सलाह है। रस्किनकी पुस्तक[1] तुम भी पढ़ लेना। आनन्दलाल और मणिलालको पढ़ानेकी पद्धतिपर विचार करके हमेशा सुधार करते रहना। दादा सेठने बड़े तख्तेकी माँग की है, सो दे देना। मैंने कल और प्रतियाँ तुरन्त ही भेजनेके लिए लिखा है,[2] सो भेज दी होंगी। चि० हेमचन्द अधिकसे-अधिक जून महीनेके अन्तमें जा सकेगा, ऐसी सम्भावना है। डेलागोआ-बेके रास्तेसे जानेका विचार करता है। डेलागोआ-बेमें जो आदमी हमारे लिए काम करता है, उसका नाम और पता भेजना। हिन्दी तथा तमिल पुस्तकोंकी सूची अभीतक नहीं मिली। उमर सेठने २५ प्रतियाँ भेजी होंगी। जगमोहनदासको[3] तीन प्रतियाँ चिह्न लगाकर भेजना। उमर सेठको और भी प्रतियोंकी जरूरत हो तो पूछ लेना। उन्हें विनयपूर्वक लिखना कि २५ प्रतियाँ छापाखानेकी तरफसे भेंट हैं। फोक्सरस्टके सार्वजनिक वाचनालयोंमें भेंटकी प्रति हमेशा भेजते रहना। चि० जयशंकरको भारतीय नाम-निर्देशिका (इंडियन डायरेक्टरी) में नाम सम्मिलित करनेके लिए लिखता हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४७४३) से।

१. अन्टु दिस लास्ट।

२. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

३. कल्याणदासके पिता। ये प्रतियाँ कदाचित् इंडियन ओपिनियनके मई ११, १९०७के अंककी थीं, जिसमें गांधीजीने कल्याणदासपर एक लेख लिखा था।

४६७. तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको[1]

जोहानिसबर्ग
मई १४, १९०७

[सेवामें
दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति
लन्दन]

कुछ मामलोंमें अँगुलियोंके निशान माँगे जाते हैं। कानून अभी 'गजट' में नहीं छपा। अँगुलियोंकी निशानियोंका विषय केवल एक संयोग। मूल आपत्ति अनिवार्य पंजीयन और वर्गभेदपर। नरम कायदे इलाज नहीं। कानूनकी मंसूखी जरूरी। संघर्ष केवल पंजीयनसे अधिक व्यापक। हमारा ऐच्छिक पंजीयनका प्रस्ताव अब भी बरकरार। बहुत बड़ा बहुमत अनिवार्य पंजीयनके सामने झुकनेके बजाय जेलके लिए तैयार।

[बिआस]

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: सी० ओ० २९१/१२२

४६८. पत्र: छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
मई १६, १९०७

प्रिय छगनलाल,

मैं जर्मिस्टन सनातन धर्म सभाका आर्डर इस पत्रके साथ नत्थी कर रहा हूँ। हिन्दीके पर्याय अंग्रेजी और गुजरातीमें भी दे देना। पत्रोंके कागज कलापूर्ण दिखाई दें, इसके लिए तुम्हें अपनी विवेक-बुद्धिसे काम लेना होगा कि वे किस प्रकार छापे जायें। मेरी रायमें तुम अंग्रेजी धनुषाकार रख सकते हो और इस चापके नीचे हिन्दी और गुजराती पर्याय समानान्तर स्तम्भोंमें दे सकते हो। यह सभाके नामके बारेमें हुआ। पता तीनों भाषाओंमें एकके बाद एक दिया जाये। सबसे ऊपर गूढ़ार्थ बोधक अक्षर "ॐ" केवल हिन्दीमें रखा जा सकता है। यह रूलदार कागजपर छपना चाहिए; ५०० फुलस्केपपर और ५०० बैंक पेपरपर। मैंने उनसे कहा है कि पूरे आर्डरके कोई २५ शिलिंग होंगे। परन्तु यदि अधिक हों तो होने दो। सभाको बॉक्स ३३, जर्मिस्टनके पतेपर जब चिट्ठियोंके कागज भेजो तभी अपना बिल भी भेज देना। पता छापनेमें तुम्हें बॉक्स नम्बर नहीं देना है।

मैंने उस्मान अहमदको लिखा है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' का उद्धरण मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने उसे लन्दन भेज दिया है। जोहानिसबर्गके मलायी डच बोलते जरूर हैं, वैसी ही

१. मई २१ को इस तारकी एक प्रति रिच द्वारा उपनिवेश कार्यालयको भी प्रेषित कर दी गई थी।

जैसी कि कचालियाके आर्डरमें है। परन्तु इस भाषाको पढ़नेकी योग्यता उनमें से बहुत कम लोगोंमें है। तुम यह क्यों जानना चाहते हो?

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मो० क० गांधी

[संलग्न]

[पुनश्च :]

कल्याणदासको पैसा देना। रसीद ले लेना। उसके जो ४५ पौं० जमा किये हैं सो ठीक हैं। पारसलें लानेमें अड़चन नहीं हुई क्योंकि गार्ड पहचानका था। उसकी आलोचना हुई।

भीखुभाईको कुछ समय बनाये रखना। श्री पोलकके तारकी व्यवस्था की होगी।[1]

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४७४८) से।

४६९. पत्र : छगनलाल गांधीको

[जोहानिसवर्ग]
मई १८, १९०७

प्रिय छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरा खयाल है कि बृहस्पतिवारसे मैंने अपने सिरके दर्दको भगा दिया है। परन्तु, यद्यपि मुझे तबीयत बहुत अच्छी लगती है, फिर भी मैं अभी अधिक काम नहीं करना चाहता। मैंने जो इलाज किया वह यह कि मिट्टीकी दो पट्टियाँ सिरपर और दो पेड़ूपर बाँधी और सुबह ६ के बजाय ७ बजे तक विश्राम किया। असल बात थी, रातको जितना अधिक हो सका उतना आराम।

मुझे खुशी है कि अतिरिक्त प्रतियोंके बढ़ानेके बारेमें तुमने मेरे सुझावके अनुसार काम करना तय कर लिया है। मैं हेमचन्दसे कहूँगा कि वह तुम्हारे पास इस सप्ताह बिकी प्रतियोंकी सूची भेज दे। मैं जानता हूँ कि बहुत-सी अभी बच गई हैं, परन्तु इसकी कोई बात नहीं। तुमने उधर कितनी अतिरिक्त प्रतियाँ बेचीं?

हेमचन्दको स्वदेश जाना होगा। कारण यह है कि मैं उसके अनुमतिपत्रकी अवधि बढ़ानेका प्रार्थनापत्र नहीं देना चाहता, क्योंकि यह नये कानूनके अन्तर्गत होगा; और चूँकि मैंने दूसरोंको ऐसा ही करनेकी सलाह दी है, अतएव संगति बनाये रखनेके लिए मुझे हेमचन्दकी अवधि नहीं बढ़वानी चाहिए। हेमचन्दका खयाल है कि डेलागोआ-बेसे होकर जानेसे वह कुछ पैसा बचा लेगा और वह स्थान भी देख लेगा। परन्तु साथ ही, यदि ऐसा कोई कारण होगा कि वह डर्बन होकर जाये तो वह वैसा करेगा।

ब्लॉकके बारेमें, मेरा खयाल उसका व्यय संघसे ले लेनेका है। उस दशामें मैं तुमसे कह चुका हूँ कि परिशिष्टांककी प्रतियाँ अलगसे नहीं बेची जानी चाहिए और न तुम्हें उनकी बिक्रीका विज्ञापन करना चाहिए, जैसा कि तुम अन्य ऐसे अंकोंके लिए करते हो। यदि हम उन परिशिष्टांकोंको बेचें तो सिर्फ वह रकम संघको दे सकते हैं, जो शायद ही कामकी होगी। 'ऐडवर्टाइज़र'का लेख तो बिलकुल घृणित है।

१. मूलमें ये पंक्तियाँ गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीमें हैं।

तुम जानते हो कि टीकेके निशानोंका क्या उपचार करना चाहिए। यदि नहीं, तो तुम्हें डॉक्टर त्रिभुवनकी पुस्तक देखनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक तुम्हारे पास है।

निर्देशिकाके लिए मैं यहाँ नाम प्राप्त करनेकी चेष्टा करूँगा। स्टैंडर्टनके श्री ई० इब्राहीम-का विज्ञापन तुम निकाल सकते हो। रकमकी वसूलीके बारेमें मुझे निराशा नहीं है। मुझे खुशी है कि तुमने श्री उमरको उनके लेखोंके बारेमें लिख दिया है। तुम उन्हें फिर लिख सकते हो और यदि उन्हें और प्रतियोंकी आवश्यकता हो तो भेजनेकी बात कह सकते हो।

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मो० क० गांधी

[पुनश्च :]

मैं थोड़ी-सी सामग्री आज भेज रहा हूँ।[1]

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४७५१) से।

४७०. एक और दक्षिण आफ्रिकी भारतीय बैरिस्टर

श्री जोजेफ़ रायप्पनके कैम्ब्रिजके स्नातक बननेपर हमें उनको और उनके रिश्तेदारोंको बधाई देनेका अवसर मिला था। अब श्री रायप्पनके बैरिस्टरीकी अन्तिम परीक्षा पास कर लेनेपर उनको बधाई देते हुए हमें और भी खुशी हो रही है। अब वे किसी भी दिन हमारे बीच हो सकते हैं। उनके आ जानेसे यहाँ वकालत करनेवाले भारतीय बैरिस्टरोंकी संख्या चार हो जायेगी। उन्होंने जो समुचित शिक्षा पाई है उसकी उपयोगिताका मापदण्ड हमारी रायमें केवल यह देखना है कि वे उसका प्रयोग अपने देशवासियोंकी उन्नतिके लिए कहाँतक करते हैं। संसार-भरके देशोंमें कदाचित् भारतको आज अपनी सीमाके भीतर और बाहर, सर्वत्र अपने पुत्रोंकी प्रतिभाकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हमारा मत है कि अपनी उदार शिक्षाका इस प्रकार सार्वजनिक उपयोग करनेसे पहले ऐसे प्रत्येक भारतीयको गरीबीका जीवन स्वेच्छापूर्वक अपनाना पड़ेगा। वास्तवमें, इस बारेमें, हमें ऐसा लगता है कि क्या यह हर आदमीका फर्ज नहीं है कि वह अपनी निजी आर्थिक महत्त्वाकांक्षाओंको सीमित करे। तो भी भले ही महत्तर प्रश्नको पूरी तरह साबित किया जा सके या नहीं, यह लघु बात तो, जिसे हम निर्धारित कर चुके हैं, अकाट्य है। दक्षिण आफ्रिकामें अपने देशवासियोंके लिए साधारण नागरिक अधिकार हासिल करनेके अलावा श्री रायप्पन जैसे भारतीय आन्तरिक व सामाजिक सुधारोंके लिए बहुत-कुछ लाभदायक और शान्त कार्य कर सकते हैं। हम उनके सामने स्वर्गीय मनमोहन घोष और स्वर्गीय श्री कालीचरण बनर्जीके[2] आत्मत्यागका उदाहरण रखते हैं। दोनों ही प्रतिभावान वकील थे। उन्होंने अपनी कानूनी योग्यता ही नहीं, अपनी सम्पत्तिको भी देशवासियोंके हवाले कर दिया था।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८-५-१९०७

१. यह पंक्ति गांधीजीने गुजरातीमें हाथसे लिखी है।

२. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनके एक अग्रणी।

४७१. ट्रान्सवालकी लड़ाई

सब चलो जीतने जंग—
'या होम'[1] कहकर सब युद्धमें कूद पड़ो; विजय है आगे।
कुछ कामोंमें ढील नहीं चलती,
शंका और भय तो रोजाना हमें सताते ही रहते हैं।
अभी समय नहीं आया, कहकर जो दिन बिताते हैं,
वे बहाना करते हैं; इससे काम नहीं चलेगा, कलपर छोड़नेसे कोई लाभ न होगा,
जूझ पड़नेमें सिद्धि है—यह देखकर बल आता है।
साहसके कारण ही कोलम्बस नई दुनियामें गया।
साहसके कारण ही नेपोलियन सारे यूरोपसे भिड़ा।
साहसके कारण ही लूथरने पोपका विरोध किया।
साहसके कारण ही स्कॉटने देखते ही देखते कर्ज चुका दिया।
साहसके कारण ही सारी दुनियामें सिकन्दरका नाम अमर है, यह किसीसे छिपा नहीं है।
इसलिए 'या होम' कहकर सब युद्धमें कूद पड़ो।[2]

इस प्रकार कविने[3] गाया है। यह गीत प्रत्येक भारतीयको और खासकर ट्रान्सवालके भारतीयको कण्ठस्थ कर लेना चाहिए। इसका अर्थ ठीक तरहसे समझ लेना है और फिर सम्पूर्ण बलिदानका संकल्प करके कूदना है। ट्रान्सवालके कानूनके विषयमें हम जितना विचार करते हैं उतना ही हमें लगता है कि इस कानूनको उसी तरह छोड़ देना चाहिए जिस तरह हम जहरीले साँपको छोड़ देते हैं। और उस तरह छोड़नेके लिए हिम्मतकी आवश्यकता है।

१. पूर्ण बलिदान-वृत्तिका नारा।
२. मूल गुजराती गीत इस प्रकार है:

सहु चलो जीतवा जंग, ब्युगलो वागे,
या होम करीने पड़ो, फतेह छे आगे।
केटलाक करमो विषे, ढील नव चाले,
शंका भय तो बहु रोज, हामने खाळे;
हजी समय नथी आवियो, कही दिन गाळे
जन बहानुं करे नव सरे, अर्थ को काले।
झंपलाववाथी सिद्धि जोई बळ लागे।
या होम०; सहु० च०; या होम०
साहसे कोलंबस गयो, नवी दुनियामां,
साहसे नेपोल्यन भिड्यो, युरोप आखामां;
साहसे ल्युथर ते थयेा, पोपनी सामां
साहसे स्काटे देवुं रे, वाळ्युं जोता मां;
साहसे सिकन्दर नाम अमरसहु जाणे।
या होम०; सहु० च०; या होम०

३. नर्मदाशंकर।

कविके कथनके अनुसार इसमें ढील नहीं चल सकती। भयके कारण हिम्मत छूटना सम्भव है, इसलिए हमें भय नहीं रखना चाहिए। हममें कहावत है कि शंका भूत और मनसा डाकिन। उसीके अनुसार यदि हम शंका करते रहेंगे तो कई तरहके विचार आते रहेंगे। किन्तु यदि शंका छोड़ देंगे तो आगे जाकर विजयका डंका बजा सकेंगे। यदि कोई कुछ निमित्त बताता है तो समझना चाहिए कि वह भयके कारण है। ऐसी भयरूपी डाकिनको निकालकर प्रत्येक भारतीय यह निश्चय करेगा कि कोई चाहे कुछ भी करे, मैं तो नये कानूनके सामने झुकनेके बजाय जेल ही जाऊँगा तो आखिर हम देखेंगे कि कोई भारतीय नामर्द होकर नया अनुमतिपत्र नहीं लेगा। कोलम्बसको सभी मल्लाह मारनेके लिए खड़े हो गये थे तब भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी; इसीलिए उसने अमेरिकाका पता लगाया और दुनियामें नाम पाया। नेपोलियन कॉर्सिका द्वीपका एक युवक था। उसने अपने शौर्यसे सारे यूरोपको कँपा दिया था। उसके शब्दपर लाखों सिपाही दौड़ते थे। लूथरको पोपने गुलामीका चिट्ठा भेजा, तो उसने उसे फाड़ डाला और बन्धन-मुक्त हो गया। महाकवि स्कॉट अपने अन्तिम दिनोंमें भी टेकके साथ लिखता रहा और उसने कमाकर अपना सब कर्ज चुकाया। सिकन्दरकी हुकूमतसे हरएक परिचित है। हमारे सामने ऐसे उदाहरण होते हुए भी क्या ट्रान्सवालके भारतीय हिम्मत हार जायेंगे? हमारे पास पत्र आते रहते हैं कि सितम्बरमें की हुई प्रतिज्ञा वे कभी नहीं छोड़ेंगे। किन्तु यदि उन वचनोंका त्याग करके भारतीय समाज पीछे कदम रखेगा तो हम निम्न भविष्यवाणी करते हैं।

यदि भारतीय समाज नये कानूनके अन्तर्गत अनिवार्य पंजीयनपत्र ले लेगा तो कुछ ही समयमें :—

१. ट्रान्सवालमें व्यापारका परवाना बन्द हो जायेगा।

२. लगभग सभी भारतीयोंको बस्तीमें रहने और व्यापार करने जाना होगा।

३. मलायी बस्ती हाथसे निकल जायेगी और वहाँ रहनेवालोंको क्लिप्स्प्रूट जानेकी नौबत आयेगी।

४. जमीनका हक पानेकी आशा छोड़ दें।

५. भारतीयोंपर पैदल-पटरी कानून लागू होगा।

६. अगले वर्ष नेटालके व्यापारी-परवाने ज्यादा रद होंगे; और

७. ट्रान्सवाल जैसा पंजीयन कानून सारे दक्षिण आफ्रिकामें चालू होगा।

क्या इस स्थितिमें भारतीय दक्षिण आफ्रिकामें रहना चाहेंगे?

यदि इस कानूनका विरोध किया जायेगा तो हम निश्चयपूर्वक तो नहीं कह सकते कि उपर्युक्त सभी हक प्राप्त हो ही जायेंगे; किन्तु कुछ तो मिलेंगे ही। हक मिलें या न मिलें, दुनिया इतना तो जान लेगी कि भारतीय समाजने अपना नाम रख लिया। ट्रान्सवालकी सरकार समझ लेगी कि भारतीय समाजका अपमान हमेशा आसानीसे नहीं किया जा सकता। लाख भले चले जायें, लेकिन साख नहीं जानी चाहिए; और भारतीयोंकी वह साख रह जायेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८–५–१९०७

४७२. लेडीस्मिथकी लड़ाई

परवानेके सम्बन्धमें भारतीयोंकी फिर हार हुई है। उसके बारेमें जरा ज्यादा विचार करना आवश्यक है। ट्रान्सवालमें जो लड़ाई चल रही है, लेडीस्मिथकी लड़ाईको उसीसे मिलती-जुलती समझना चाहिए। हमें आशा है कि एक भी भारतीय व्यापारी अपनी दूकान बन्द नहीं करेगा। जैसे अनुमतिपत्र न लेनेवाले लोग ट्रान्सवालमें जेल जा सकते हैं वैसा नेटालके भारतीय व्यापारी नहीं कर सकते। क्योंकि परवाना कानूनके अनुसार उनपर बिना परवानेके व्यापार करनेके अपराधमें जुर्माना ही किया जा सकता है। यदि कोई जुर्माना न दे तो उसे जेलकी सजा नहीं है। इसलिए केवल सरसरी तौरसे देखें तो कुछ गड़बड़ी मालूम होती है। किन्तु वास्तवमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। बिना परवानेके व्यापार करनेपर कानूनके अनुसार जो जुर्माना होगा, यदि वह न दिया जाये तो उसका नतीजा यह होगा कि सरकार माल नीलाम करके जुर्माना वसूल कर लेगी। यह अवसर ऐसा है कि यदि माल नीलाम हो तब भी लोगोंको डरना नहीं चाहिए। हम माल नीलाम होने देंगे तभी सरकारकी आँख खुलेगी कि हमपर कितना जुल्म होता है। हम स्वयं लेडीस्मिथके विषयमें तो जानते ही हैं कि सरकार खुद ही लेडीस्मिथके प्रस्तावसे नाराज है। और ज्यादातर किसीपर मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन लेडीस्मिथके लिए जैसा आज हुआ है वह यदि सब जगह हो तो बड़ी मुसीबत होगी, और लोग बरबाद हो जायेंगे। जैसे जेल जानेका उत्साह दिखाना है वैसे ही माल नीलाम होने देनेका उत्साह दिखाना भी जरूरी है। इस सम्बन्धमें भी हम अंग्रेजोंका अनुकरण करनेको ही कह सकते हैं। दो वर्ष पहले जब विलायतमें शिक्षा-कानून लागू किया गया, तब बहुतेरे लोग शिक्षा-कर देनेको राजी नहीं थे। वह कर यदि लोग न दें तो वसूल करनेका एक ही रास्ता था और वह था कि उनका सामान नीलाम किया जाये। जो उस करके खिलाफ थे उन्होंने कर देनेसे इनकार किया और अपना सामान नीलाम होने दिया। नतीजा यह हुआ कि अब उस करको रद करनेकी तैयारी हो रही है। हम मानते हैं कि परवानेकी मुसीबत आ ही जाये और दूसरी किसी तरहसे सुनवाई न हो तो हमें उपर्युक्त मार्ग अपनाना चाहिए। वैसा करनेमें इतनी बात निश्चित होनी चाहिए कि व्यापार करनेवाले भारतीयकी दूकान, घर, बहीखाते वगैरह सब अच्छी हालतमें हों। हम यह मानते हैं कि यदि भारतीय कौम ट्रान्सवालमें अपना वचन निबाह लेगी तो उसका नेटालपर भी अच्छा प्रभाव हो सकता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८-५-१९०७

४७३. शतरंजकी बाजी

जब नये कानूनके पास होनेका समाचार आया उस समय 'स्टार' समाचारपत्रने एक प्रभावशाली चित्र[1] दिया था। उसमें दिखाया गया था कि गोरे और भारतीय शतरंजका खेल खेल रहे हैं। वह चित्र हमने 'स्टार' की अनुमतिसे इस अंकमें अलगसे छापा है और उसका उत्तर[2] भी छापा है। 'स्टार'के सबसे काले रंगका बादशाह ट्रान्सवालरूपी हाथीपर चढ़ाई कर रहा है। गोरा घोड़ा यदि अध्यादेशके घरमें बैठ जाये तो काले बादशाहको शह दे सकता है। अब कानून पास हो गया है, इसलिए गोरा घोड़ा अध्यादेशके घर बैठ सकता है और काले बादशाहको भारतीय घरमें भेज सकता है। इससे गोरा घोड़ा खुश हो रहा है।

हमने अपने प्रत्युत्तररूपी चित्रमें यह दिखाया है कि जेलके प्रस्तावरूपी घरमें एक छोटा-सा प्यादा है। वह अध्यादेशके घर की रक्षा करता है। यह बात गोरा घोड़ा अपनी जल्दीमें भूल गया है। लेकिन जबतक जेलरूपी घरमें काला प्यादा बैठा है तबतक गोरा घोड़ा अध्यादेशरूपी घरमें जा नहीं सकता। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि गोरा घोड़ा अपनी अन्धी उतावलीमें जिसे काला बादशाह मान रहा है वह भी वास्तविक बादशाह नहीं है, शायद गरीब प्यादा ही हो।

'स्टार' ने अध्यादेशको इतना बड़ा रूप दिया है। भारतीयके सिर ट्रान्सवालपर आक्रमण करनेका इल्जाम लगाया है। इससे मालूम होता है कि यह कानून छोटी-मोटी बात नहीं है। इस चित्रको समझनेकी हम प्रत्येक भारतीयसे सिफारिश करते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८-५-१९०७

४७४. अनुमतिपत्र-कार्यालयका बहिष्कार

बहिष्कारका आरम्भ पिछले वर्ष पहले-पहल चीनियोंने किया। उसका असर कैसा हुआ, यह हम देख चुके हैं। ट्रान्सवालके और ट्रान्सवाल जानेके इच्छुक भारतीयोंको चीनियों जितना करनेकी जरूरत नहीं है। उन्हें तो जेलके प्रस्तावका समर्थन करना है और उस प्रस्तावको सफल बनानेके लिए अनुमतिपत्र-कार्यालयसे पूरी तरह सम्बन्ध तोड़ लेना है। किसी भी भारतीयको डर्बनमें श्री बर्जेसके कार्यालयमें नहीं जाना चाहिए। इसी तरह किसी भी भारतीयको प्रिटोरियामें अनुमतिपत्र-कार्यालयमें नहीं जाना चाहिए, न उससे पत्र-व्यवहार ही रखना चाहिए। इतना तो सहज ही समझमें आ सकता है कि यदि हमें नया कानून मंजूर न हो तो अब हम अनुमतिपत्र-कार्यालयके सामने जा ही नहीं सकते, क्योंकि उस कार्यालयमें अब जो आवेदन दिये जायेंगे वे सब नये कानूनके अन्तर्गत दिये गये माने जायेंगे। वह कानून 'गजट'में प्रकाशित नहीं हुआ

१. और २. पृष्ठ ४८९ के सामने दिये गये चित्रको देखिए।

है, इसलिए हमें रुके नहीं रहना है। हमें यह जानकर खुशी हुई है कि श्री मुहम्मद कासिम आँगलियाने, जिन्होंने अनुमतिपत्रके लिए आवेदन दे दिया था, उसे वापस ले लेनेका इरादा किया है। इसी प्रकार श्री उस्मान अहमदका भी इरादा है। ये बातें हमें फिरसे ऊपर उठानेवाली हैं। ऐसा ही प्रत्येक भारतीयको करना चाहिए। विचार करके देखें तो अनुमतिपत्र-कार्यालयके साथ सम्बन्ध रखनेसे भी क्या लाभ होगा? दो-चार भारतीय ट्रान्सवालमें आये तो क्या और नहीं आये तो क्या? उस कार्यालयसे सम्बन्ध रखकर समूचे भारतीय समाजको जो नुकसान होनेवाला है उसे ध्यानमें लेते हुए हम मानते हैं कि ब्रिटिश भारतीय संघकी सूचनाके अनुसार प्रत्येक भारतीय उक्त कार्यालयका बहिष्कार करेगा।

इस विषयपर विचार करते हुए, युवक भारतीयोंको और उन लोगोंको, जिनका अनुमतिपत्र-कार्यालयसे सम्बन्ध है, चाहिए कि वे स्वयं अपना सम्बन्ध तोड़कर औरोंको भी सम्बन्ध तोड़नेके लिए समझायें। दो-चार व्यक्ति उस कार्यालयके दरवाजेके पास बारी-बारीसे खड़े रहकर, जो लोग वहाँ जाना चाहते हों, उन्हें समझा सकते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८-५-१९०७

४७५. शिक्षा किसे कहा जाये?

पाश्चात्य देशोंमें शिक्षाका इतना अधिक मूल्य होता है कि बड़े शिक्षकोंका बहुत ही सम्मान किया जाता है। इंग्लैंडमें आज भी सैकड़ों वर्ष पुरानी पाठशालाएँ हैं, जहाँसे बड़े प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लोग निकले हैं। इन प्रसिद्ध शालाओंमें एक ईटनकी पाठशाला है। उस शालाके पुराने विद्यार्थियोंने कुछ महीने पहले वहाँके प्रधान अध्यापक डॉ० वेरका, जिनका सारे अंग्रेजी राज्यमें नाम है, अभिनन्दन किया। उस समय वहाँके प्रसिद्ध समाचारपत्र 'पाल माल गज़ट' ने टीका करते हुए सच्ची शिक्षाका जो वर्णन किया है वह हम सबके लिए जानने योग्य है। 'पाल माल गज़ट' का लेखक कहता है:

> हम मानते हैं कि सच्ची शिक्षाका अर्थ पुरानी या वर्तमान पुस्तकोंका ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है। सच्ची शिक्षा वातावरणमें है; आसपासकी परिस्थितिमें है; और साथ-संगतिमें, जिससे जाने-अनजाने हम आदतें ग्रहण करते हैं, तथा खासकर काममें है। ज्ञानका भण्डार हम अच्छी पुस्तकें पढ़कर बढ़ायें या और जगहसे प्राप्त करें, यह ठीक ही है। लेकिन हमारे लिए मनुष्यता सीखना ज्यादा जरूरी है। इसलिए शिक्षाका असल काम हमें ककहरा सिखाना नहीं, बल्कि मनुष्यता सिखाना है। अरस्तू कह गया है कि मोटी-मोटी पुस्तकें पढ़ लेनेसे सद्गुण नहीं आ जाते, सत्कर्म करनेसे सद्गुण आते हैं। फिर एक और महान लेखकने कहा है कि आप अच्छी तरह जानते हैं यह तो ठीक है, किन्तु आप ठीक तरहसे आचरण करेंगे तब सुखी माने जायेंगे। इस मापदण्डमें इंग्लैंडकी पाठशालाएँ कमजोर साबित हों सो बात नहीं। अंग्रेजी शालाओंका विचार हम मनुष्य बनानेवाले स्थानोंके रूपमें करें तो देखेंगे कि वे हमें शासनकर्ता देती हैं। जर्मन शालाओंके विद्यार्थी भले ज्यादा ज्ञान रखते हों, किन्तु यदि वे ईटनके विद्यार्थियोंके

समान काम करनेवाले बनते हों तो वह कुशलता उन्हें अपनी शालाओंसे नहीं मिलती। इंग्लैंडकी शालाओंमें दूसरे चाहे जितने दोष हों, किन्तु वास्तविक मनुष्य वे ही पैदा करती हैं। वे मनुष्य ऐसे होते हैं कि यदि इंग्लैंडके दरवाजेपर शत्रु आ जाये तो वे उसे जवाब देनेके लिए तैयार ही खड़े रहते हैं।

जिस देशमें शिक्षाका इतना अच्छा अर्थ किया जाता है वह देश क्यों खुशहाल है, यह क्षणभरमें समझमें आ सकता है। ऐसी शिक्षा भारतके बालक भी लेंगे, तब भारतका सितारा चमकेगा। माता-पिता, शिक्षक और विद्यार्थी सबको इन शब्दोंपर बहुत ही ध्यान देना है। उन्हें अपने दिमागमें ही रखना पर्याप्त नहीं है, उनके अनुसार आचरण भी करके बतलाना है। मतलब यह कि माता-पिताको बालकोंको वैसी सुन्दर शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षकोंको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और विद्यार्थियोंको समझना चाहिए कि अक्षर-ज्ञानको शिक्षा नहीं कहते।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८-५-१९०७

४७६. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

जेलकी बलिहारी

आजकल ट्रान्सवालमें और, यदि मैं भूलता न होऊँ तो, सारे दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय लोग जेलके प्रस्तावकी ही बात कर रहे हैं और निश्चित मान रहे हैं कि ट्रान्सवालके भारतीय तो जेल जायेंगे ही। कोई-कोई कहते हैं कि जेल महल है। कोई उसे सुन्दर बगीचा मानते हैं। कोई वैकुण्ठ मानते हैं। फिर, कोई मानते हैं कि जेल भारतीयोंकी बेड़ी खोलनेवाली कुंजी है। किसी-किसीका कहना है, जेल-द्वारमें जानेसे हम परतन्त्रसे स्वतन्त्र हो जायेंगे। इस प्रकार तरह-तरहके विचार करके भारतीय जेल जानेके लिए उत्साहित हो रहे हैं। इस उत्साहके भर जानेपर कुछ लोग तरह-तरहकी कल्पनाएँ करके मनमें सोचते हैं कि फलाँ आदमीका क्या होगा, और परेशान होते हैं। ऐसे कुछ पत्र मेरे पास आये हैं जिनके प्रश्नोंकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। और यदि अन्तमें हमें विजय मिलनी ही है तो जो रुकावटें आती रहती हैं उनकी भी व्यवस्था कर रखेंगे। ऐसे कुछ पत्र 'इंडियन ओपिनियन'के नाम आये हैं और कुछ संघके नाम हैं। उन सबका जवाब इस पत्रके द्वारा दे रहा हूँ, और अलग-अलग जवाब नहीं दिये जा सके, उसके लिए संघकी ओरसे माफी माँगता हूँ। पत्र-लेखकोंके नाम देना आवश्यक नहीं है, इसलिए नहीं दिये हैं।

दूकानदार क्या करें?

एक भारतीय लिखता है कि मेरी दूकानमें मैं और मेरा लड़का दो हैं। मुझपर कुछ कर्ज है। हम दोनोंको यदि पकड़ लिया गया तो हम क्या करेंगे? उस प्रश्नके कई उत्तर दिये जा सकते हैं। पहले मेरे मनमें जो उत्तर उठ रहा है वह देता हूँ।

उत्तर पहला : जेल एक बड़ा साहस है। उसका लाभ सिर्फ जेल जानेवालेको ही नहीं होता, ट्रान्सवालके सारे भारतीयोंको होता है, और वास्तविक रूपमें देखा जाये तो सारे भारतीय

समाजको होता है। इस महान लाभके लिए जितना भी नुकसान उठाना आवश्यक हो, उतना उठाया जाये। मैं मानता हूँ कि जेल जाना खुदा अथवा ईश्वरको प्यारा है, और हम जो-कुछ उससे डरकर करते हैं उसमें वह जगतका सिरजनहार हमेशा सहायता करता है; तथा हमारी उसपर जितनी श्रद्धा होती है उतना फल मिलता है। एक दफा मुहम्मद पैगम्बर और उनके शिष्य एक गुफामें थे। एक फौज उनका पीछा कर रही थी। शिष्य भयसे बोल उठे: "हे पैगम्बर, हम तो सिर्फ तीन ही हैं और फौजमें तो सैकड़ों मनुष्य हैं; उससे कैसे बचेंगे?" पैगम्बरने जवाब दिया, "हम तीन ही नहीं हैं, सबसे निबट लेनेकी शक्ति रखनेवाला खुदा भी हमारे साथ ही है।" इस तरहके अलौकिक विश्वाससे पैगम्बरने जो-कुछ भी किया उसमें सफलता प्राप्त की। शत्रु उन्हें जरा भी कष्ट नहीं पहुँचा सके। शत्रु यद्यपि गुफाके पाससे गुजरे, फिर भी उन्हें भीतर जानेका विचार तक नहीं आया। इसी तरह यदि हम भारतीय धर्मग्रन्थ देखें तो मालूम होगा कि ईश्वरके अटल भक्त प्रह्लादने बकबक करते हुए लाल सुर्ख खम्भेको पकड़ लिया, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। क्योंकि, उसे ईश्वरकी सहायतापर अटल विश्वास था। उसी तरह जो भारतीय ईश्वरको बीचमें रखकर यह साहसका काम करता है, उसे किसी भी प्रकार चिन्ता नहीं करनी चाहिए। सच्ची नीयतवालेकी बात बनाये रखनेवाला और इज्जतकी रक्षा करनेवाला परमेश्वर सदा और सर्वत्र हाजिर है। इस जवाबमें यद्यपि तकदीरपर भरोसा रखनेकी बात है, फिर भी यह हम जानते हैं कि बिना तदबीरके तकदीर बेकार रहती है, इसलिए तदबीर अवश्य करते रहना है।

उत्तर दूसरा: पहले उत्तरको हमेशा खयालमें रखकर ही तदबीरके सम्बन्धमें विचार करना चाहिए। सच्चे दिलसे ईश्वरपर श्रद्धा न रखनेवालोंके लिए श्री कुवाड़ियाने जो एक उपाय बताया है सो यह है कि दूकानके सब लोगोंको एक साथ ही यदि जेल ले जायें तब भी जाना चाहिए। जेलसे छूटनेके बाद दूकानके मुख्य व्यक्तिके बजाय दूसरे किसीको (कानूनपर अमल करनेकी दृष्टिसे नहीं बल्कि उसे रद करवानेके लिए) अनुमतिपत्र लेकर दूकान खुलवानी चाहिए। इस प्रकार करनेसे हर व्यक्ति जेलसे तैयार होकर निकल सकेगा।

उत्तर तीसरा: यदि किसीको यह मालूम हो कि दूसरे उत्तरके अनुसार नहीं किया जा सकता, तो दूकानके मुखियाको छोड़कर दूसरे किसी भी व्यक्तिके नामसे 'गज़ट' में नये अनुमतिपत्र लेनेकी जो अन्तिम तारीख रखी गई हो उस तारीखको अनुमतिपत्र ले लिया जाये।

उत्तर चौथा: मेरे पूर्व लेखोंके अनुसार पाठकोंको याद होगा कि किसी भारतीयके लिए जेलमें जानेका मौका आनेके पहले उसे ट्रान्सवाल छोड़नेकी सूचना मिलेगी।[1] उस सूचनाकी अवधि बीत जानेके बाद उसे पकड़ा जायेगा और फिर जुर्मानेकी और जुर्माना न देनेपर जेलकी सजा होगी। उस वक्त जुर्माना देनेके बजाय जेल तो भोगना ही है। अतः जब सूचना मिले तब सूचनाकी अवधिमें व्यापारी अपने पासके मालका कब्जा अपने कर्जदारोंको दे सकता है। यह उपाय छोटे व्यापारियोंके लिए बहुत ही अच्छा है। जेलसे बाहर आनेपर उस व्यक्तिको अपनी रोजी कमानेमें जरा भी कठिनाई होना सम्भव नहीं है।

पत्नी, बच्चोंका क्या किया जाये?

औरतों और सोलह वर्षसे कम उम्रके लड़कोंको पकड़नेका अधिकार कानूनमें नहीं है। अतः उन्हें अपने पति तथा माता-पिताका वियोग भोगनेके सिवा और कुछ भी नहीं रहता।

१. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४३२-३५ और ४५३-५७।

उनके भरण-पोषणका यदि प्रश्न उठता हो तो उस सम्बन्धमें उत्तर दिया जा चुका है। यानी ऐसे लोगोंके भरण-पोषणकी व्यवस्था भारतीय समाज कर लेगा। इतना याद रखना है कि १३ हजार लोगोंको एक ही साथ जेल जाना नहीं होगा। और यदि वैसा हो तो छुटकारा तत्काल ही हो जायेगा। और जब सबको एक ही साथ जेल जाना नहीं है तब एक-दूसरेकी सार-सँभाल करनेवाला कोई-न-कोई तो हमेशा बाहर रहेगा ही।

सच्चा अनुमतिपत्र किसे कहा जाये?

एक पत्र लेखकने यह प्रश्न भी उठाया है। जिन्होंने सच्चे शपथपत्रके द्वारा अनुमतिपत्र प्राप्त किया हो और जिनके हस्ताक्षर या अँगूठे अनुमतिपत्रोंपर लगे हों, वे निर्वासित हों या न हों, वे लोग सच्चे अनुमतिपत्रवाले हैं और उन्हीं लोगोंको ट्रान्सवालमें रहना तथा जेल जाना है।

छोटे गाँववालोंका क्या होगा?

यह प्रश्न बेलफास्टवाले एक भाईने किया है। उपर्युक्त उत्तरमें इस सवालके उत्तरका भी बहुत-कुछ समावेश हो जाता है। किन्तु यदि छोटे गाँवोंपर पहले हमला हुआ तो ऐसी जगहोंपर अक्सर श्री गांधी पहुँच जाया करेंगे। यदि वे ट्रान्सवालके दूसरे हिस्सोंमें कहीं रुक गये तो भी लोगोंको डरना बिलकुल नहीं चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति अनुमतिपत्र देखने आये तब उसे अपने पास जो भी अनुमतिपत्र हो, बता दिया जाये। नया अनुमतिपत्र लेनेसे हमारा अपमान होता है, इसलिए कहा जाये कि नया अनुमतिपत्र बिलकुल नहीं लेंगे। अँगूठेके सिवा दूसरी अँगुलियाँ लगवाना चाहें तो साफ इनकार कर दिया जाये। सूचना मिले तो नाम, पता वगैरहके साथ एकदम संघको सूचित किया जाये। और सूचनाकी अवधि पूरी हो जानेपर अदालतमें जाकर वहाँ जो भी सजा दी जाये उसे भोगा जाये। जुर्माना नहीं दिया जाये। यह खबर हर भारतीयको ऐसे सब लोगों तक पहुँचा देना जरूरी है जो न जानते हों।

सोलह वर्षसे ज्यादा उम्रके लड़के

पीटर्सबर्गसे इस विषयमें कुछ सवाल पूछे गये हैं। चाहे जो भी लड़का हो, जबतक वह १६ वर्षसे कम उम्रका होगा, नहीं पकड़ा जायेगा। और जिसकी उम्र १६ वर्षसे ज्यादा हो गई हो, उसके पास अनुमतिपत्र हो या न हो, या दूसरे कोई दस्तावेज न हों तब भी उसकी हालत सच्चे अनुमतिपत्रवालेके समान ही मानी जाये।

चालू अनुमतिपत्रका आखिर क्या होगा?

लिंडलीजपोर्टसे एक भाई पूछते हैं कि जिन लोगोंके पास इस समय अनुमतिपत्र हों वे यदि कामसे इस लड़ाईके बीच स्वदेश लौटना चाहें तथा बादमें वापस आना चाहें तो उनका अनुमतिपत्र ठीक माना जायेगा या नहीं। जो जेल जानेकी तैयारी कर रहे हैं उनके मनमें यह प्रश्न उठना ही न चाहिए क्योंकि लड़ाईका अन्त क्या होगा, यह कहा नहीं जा सकता। फिर भी सामान्यतः इस सवालका जवाब यह है कि अनुमतिपत्रवाले मनुष्यके लिए लौटनेमें किसी भी प्रकारकी अड़चन आना सम्भव नहीं।

पुलिसकी जाँचके समय क्या किया जाये?

एक पत्र लेखकने पॉचेफ्स्ट्रूमसे पूछा है कि पुलिस जाँच करनेके लिए आये तब क्या उत्तर दिया जाये? पुलिस जबरदस्ती अनुमतिपत्र ले जाये तो क्या किया जाये? इन प्रश्नोंके उत्तरमें इतना ही कहना है कि पुलिस अनुमतिपत्रकी जाँचके लिए आये तब उसे अनुमतिपत्र बताया

जाये। एक ही अँगूठा लगवाये, तो लगाया जाये। नये अनुमपित्र लेनेके लिए कहे तो साफ इनकार किया जाये और कहा जाये कि नया अनुमतिपत्र लेनेका बिलकुल इरादा नहीं है। न लेनेसे यदि सरकार जेल भेजेगी तो वह भी मंजूर है। जबरदस्ती या छीनकर अनुमतिपत्र ले जानेका पुलिसको अधिकार नहीं है। इसलिए यदि पुलिस कुछ धमकी दे तो हिम्मत रखकर जवाब दिया जाये कि अनुमतिपत्र नहीं दिया जायेगा। और कहीं कुछ भी ऐसी बात हो तो उस सम्बन्धमें संघको लिखकर खबर दी जाये।

इन्हीं भाईने पूछा है कि चौथे प्रस्तावके अनुसार जेल जानेवालोंके बाद जो लोग बचेंगे उनकी क्या व्यवस्था होगी और संघ वकील वगैरहका खर्च देगा या नहीं, वगैरह। इन प्रश्नोंके उत्तर ऊपर दिये जा चुके हैं।

श्री कर्टिसका पत्र

श्री कर्टिसने लन्दन 'टाइम्स' के नाम पत्र लिखा है। उस सम्बन्धमें इस पत्रमें कुछ विवेचन किया जा चुका है। वह पूरा पत्र 'स्टार' में प्रकाशित हुआ है।[1] उसका अनुवाद देना जरूरी नहीं है। क्योंकि उसकी बहुत-कुछ बातें इतिहास-सम्बन्धी हैं। किन्तु उसकी कुछ बातें जानने योग्य हैं। क्योंकि, श्री कर्टिस परिषदके सदस्य हैं और भारतीय प्रश्नके सम्बन्धमें कही गई उनकी बातका हमेशा महत्त्व रहेगा। इसलिए इस विषयमें सभी भारतीयोंको सोचना चाहिए।

श्री कर्टिस कहते हैं:

(१) भारतीय समाज और अंग्रेजोंके कभी भी समान अधिकार नहीं होने चाहिए।
(२) जो कानून बनाया गया है उससे स्पष्टतः जाहिर होता है कि भारतीयों और यूरोपीय लोगोंके समान हक नहीं हैं और यह उचित है।
(३) यह कानून उसी तरह बनाये जानेवाले अन्य कानूनोंका प्रारम्भ-मात्र है।
(४) लॉर्ड सेल्बोर्नने जो वचन दिया है कि एक भी नया भारतीय ट्रान्सवालमें नहीं आयेगा, वह निभाया जाना चाहिए।

इसके अलावा और भी बहुत-सी बातें श्री कर्टिसने लिखी हैं। लेकिन उपर्युक्त बातें भारतीय समाजको जगानेके लिए काफी हैं। इन पत्रोंसे मालूम होता है कि ट्रान्सवालका कानून सिर्फ पंजीयन करवानेके लिए नहीं, बल्कि हमारी बेइज्जती करनेके लिए, किसी तरह हमें असमान दिखानेके लिए तथा हमपर गुलामीका टीका लगानेके लिए है। इस पत्रसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उसके लागू किये जानेपर तथा हमारे उसके सामने झुक जानेपर दूसरे हक दिये जानेके बदले जो भी बचा-खुचा है वह भी छीन लिया जायेगा। और वह सिर्फ ट्रान्सवालमें ही नहीं, सारे दक्षिण आफ्रिकामें। अतः यह कानून कैसा है, यह हमें अच्छी तरहसे याद रखना चाहिए। ऐसे घोर परिणामवाले कानूनके सामने एक भी भारतीय घुटने टेके, उससे उसका देश छोड़ देना या आत्मघात करना ज्यादा अच्छा है। श्री कर्टिसको इस पत्रके सम्पादक श्री पोलकने बहुत सख्त और जबरदस्त उत्तर दिया है। उसका अनुवाद इस जगह देनेका समय नहीं है। किन्तु वह उत्तर अंग्रेजी विभागमें दिया गया है। वहाँ देख लिया जाये।

शाबाश स्टैंडर्टन!

स्टैंडर्टनमें भारतीय कौम नये कानूनके विरुद्ध पूरी ताकतसे लड़ रही है। वहाँके नेताओंसे पूछनेके लिए 'स्टार' का संवाददाता गया था। उन्होंने उसको साफ जवाब दिया कि भारतीय

१. देखिए "भेंट: 'नेटाल मर्क्युरी' को", पृष्ठ ४६८-७० तथा "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४८१-८४।

समाजके लिए नये कानूनके सामने घुटने टेकनेसे होनेवाले कष्टोंकी तुलनामें जेलके कष्ट किसी गिनतीमें नहीं हैं। नये कानूनका विरोध करनेके लिए वे बिलकुल तैयार हैं। पैसे भी इकट्ठा कर रखे हैं और वे कानूनके सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि स्टैंडर्टनके इस उदाहरणके समान चलकर हर गाँवमें हर भारतीय ऐसा ही बेधड़क जवाब देगा। हम अब रणमें उतरे हुए हैं, इसलिए न हमें जरा भी डरना है, और न कुछ छिपाना ही है।

'स्टार' की धमकी

क्लार्क्सडॉर्पमें भारतीयोंने जेल जानेके सम्बन्धमें सभा की। उससे 'स्टार' के सम्पादक महोदय कुछ बिगड़े हैं। इसलिए श्री पोलकने उन्हें उत्तर दिया है कि क्लार्क्सडॉर्प ही नहीं, जर्मिस्टन आदि जगहोंमें भी वैसी ही सभाएँ हुई हैं। इसपर सम्पादक महोदय और भी अधिक बिगड़े, और उन्होंने टीका करते हुए लिखा है कि भारतीय समाजको बढ़ानेवाले कुछ नेता लोग ही हैं। उन्हें यदि देश-निकाला दिया जाये तो दूसरे कोई ऐसे भारतीय नहीं हैं जो कुछ बोलें। वे लोग नया कानून खुशी-खुशी मंजूर कर लेंगे। इसका जवाब श्री गांधीने नीचे लिखे अनुसार दिया है:

श्री गांधीका जवाब[1]

आपने अपने अग्रलेखमें कहा है कि अग्रणी भारतीयोंको निकाल दिया जाये तो विरोध करनेवाले भारतीय दुःखी नहीं होंगे। लेकिन उन विरोध करनेवाले लोगोंको मुझे कह देना चाहिए कि जबरदस्ती निकाल देनेका कानून है ही नहीं। वैसा करनेके लिए नया कानून पास करना होगा और तब जो भारतीय अपने देशकी और राज्यकी भी सेवा करनेको तैयार हैं उन्हें ट्रान्सवाल सरकार निकाल सकेगी। उसी प्रकार आप कहते हैं कि नेताओंको निकाल दिया जाये तो शेष भारतीय कानूनको मान लेंगे और मान लेनेके बाद वे समझ जायेंगे कि नये कानूनके द्वारा उनका कितना रक्षण होता है और उसके बारेमें उन्हें कितना गलत समझाया गया है। इस तरह कहनेसे साफ जाहिर होता है कि आप भारतीय समाजकी भावनाको नहीं समझ सकते। यदि आप मानते हों कि एक भी भारतीय व्यक्ति कानूनको अपना रक्षक मानता है तो उसमें आप भूल करते हैं। मैंने उस कानूनको बहुत पढ़ा है। किन्तु भारतीयोंकी रक्षा करनेवाली एक भी धारा उसमें नहीं दिखाई दी। फिर भारतीयोंके लिए तो चक्करमें आनेकी कोई बात है ही नहीं। क्योंकि उनके सामने जो बात रखी गई है वह बहुत ही सरल है। नये कानूनके द्वारा भारतीयोंकी चमड़ीको कलंकित कर उनका अपमान किया गया है। वह कानून भारतीयोंको कुछ हद तक गुलाम बनाता है, क्योंकि वह उनके व्यक्तित्वपर आक्रमण करता है।

इसलिए उन्हें सलाह दी गई है कि अभी जितनी भी छूट है उसे उन्हें कानूनके सामने झुककर किसी भी प्रकार नहीं खोना चाहिए। मैं मानता हूँ कि नया कानून लागू होगा तो भारतीयोंकी ऐसी स्थिति हो जायेगी।

१. देखिए "पत्र: 'स्टार' को", पृष्ठ ४८७-८८।

इस घातक चोटको खतम करनेके लिए मैंने उन्हें तीन सलाहें दी हैं। वे हैं:

१. नया पंजीयनपत्र न लिया जाये।

२. ट्रान्सवालमें भारतीय रहते हैं, जहाँ उन्हें मताधिकार नहीं है। इसलिए किसी कानूनका उन्हें विरोध करना हो तो उसके लिए जेल जानेका निर्णय एकमात्र सहारा है। वे अनुमतिपत्र न लें, देश न छोड़ें, न जुर्माना दें, बल्कि जेल जायें। यही सीधा और अच्छा मार्ग है।

३. ऊपर कहे मुताबिक यदि उन्हें चलना हो तो उन्हें अनुमतिपत्र कार्यालयसे सम्बन्ध तोड़ लेना चाहिए और अपने सगे-सम्बन्धियोंको लिख देना चाहिए कि वे मुद्दती या स्थायी नये अनुमतिपत्रोंकी मांग न करें।

यदि कोई कहे कि ऊपर बताये अनुसार किया जाये, यही तो गोरे चाहते हैं, तो गोरे भले चाहते रहें। इससे तो वही सिद्ध होता है जो मैं हमेशा कहता आया हूँ। अर्थात्, भारतीय समाज ट्रान्सवालका व्यापार नहीं छीनना चाहता, बल्कि ट्रान्सवालमें इज्जतके साथ रहना चाहता है। पेटके लिए भारतीय समाज अपनी इज्जत नहीं खोयेगा।

बहुतेरे अंग्रेज मित्रोंने मुझसे कहा है और मैं मानता हूँ कि सारे भारतीय मेरी यह सलाह कभी नहीं मान सकते। किन्तु तब भी मैं निर्भय हूँ। उस हालतमें मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हम उपर्युक्त कानूनके योग्य हैं। यह निश्चित है कि इस समय हमारी कसौटी हो रही है। अब देखना यह है कि हम कसौटीपर ठीक उतरते हैं या नहीं।

मैं कहता हूँ कि उपर्युक्त स्थितिके विरुद्ध किसीको कुछ कहना नहीं है। बहादुर उपनिवेशियोंको तो उनसे घृणा करनेके बजाय उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। किन्तु प्रशंसा करें या गालियाँ दें, उसकी परवाह न करते हुए जिस रास्तेको हमने सच्चे दिलसे स्वीकार किया है उससे यदि भटकते हैं तो उसमें मैं हलकापन और पाप समझता हूँ।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८-५-१९०७

४७७. जर्मिस्टनसे जेल जानेवाले

जर्मिस्टनसे हमारे पास ऐसे बहुत-से पत्र आये हैं जिनके लिखनेवाले जेल जानेको तैयार हैं। प्रत्येकने अपनी-अपनी दृष्टिसे जेल जानेके समर्थनमें दलीलें दी हैं। उन सबके लिए यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हम उन महाशयोंके नाम नीचे देते हैं: बाबू लालबहादुर सिंह, सुखराम, गंगादीन सरदार, सोनी कानजी, हीराचन्द, सोनी गोरधन कानजी, बाबू गंगादीन, कल्याण गोपाल ठाकोर, बाबू हजूरासिंह और आर० एस० पण्डित।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८-५-१९०७

४७८. ब्रिटिश भारतीय संघकी बैठक

गत शनिवार तारीख ११ को ब्रिटिश भारतीय संघकी [कार्यकारिणी समितिकी] बैठक हुई थी। श्री ईसप मियाँने अध्यक्ष-पद सुशोभित किया था। श्री कुवाड़िया, क्रूगर्सडॉर्पके श्री काजी, वार्मबाथ्सके श्री नगदी, श्री सुलेमान अहमद, श्री इमाम अब्दुल कादिर, श्री ए० ए० पिल्ले, श्री भीखा रतनजी, श्री ए० एम० भायात, श्री ए० एम० अस्वात, श्री अमीरुद्दीन, रस्टनबर्गके श्री सुलेमान इब्राहीम भायात, श्री नायडू, प्रिटोरियाके श्री कचालिया, श्री ए० एल० गट्टु, श्री अलीभाई आकुजी, श्री उमरजी सालेजी, श्री टॉमस, श्री बोमनशा आदि सज्जन उपस्थित थे।

श्री गांधीने डर्बनसे प्राप्त सहायताका विवरण सुनाया और कई प्रश्नोंका उत्तर दिया और कहा: "यह समय इतना नाजुक है कि एक-दूसरेपर अवलम्बित रहनेके बजाय प्रत्येक भारतीयको, दूसरे चाहे जो करें, स्वयं अपनी प्रतिष्ठाके लिए और देशके लिए जेलके प्रस्तावपर दृढ़ रहना चाहिए। डर्बन और प्रिटोरियामें अनुमतिपत्र कार्यालयसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी आवश्यकता है। नये अनुमतिपत्रसे किसीको [उपनिवेशमें] नहीं आना चाहिए।"

श्री कुवाड़ियाने जोशीला भाषण करते हुए प्रस्ताव रखा कि:

> अवैतनिक मन्त्री अनुमतिपत्र-कार्यालयसे पत्रव्यवहार बन्द रखनेके लिए प्रत्येक स्थानको लिख दें। वे बम्बई और अन्य स्थानोंको तार भेज दें कि ट्रान्सवाल आनेवाले लोग फिलहाल रुक जायें। कोई भी व्यक्ति दस अँगुलियोंकी छाप न दे, और गाँव-गाँवमें सभाएँ करके प्रत्येक व्यक्तिको समझाया जाये कि नये कानूनके सामने कोई न झुके।

श्री अस्वातने प्रस्तावका समर्थन किया और वह सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हुआ। सभाका विसर्जन करते हुए श्री ईसप मियाँने कहा:

> जेलके प्रस्तावपर दृढ़ रहनेसे किसीको डरना नहीं चाहिए। जेल जाना हमारे लिए सम्मान पानेके तुल्य है। हम नये कानूनको मान लेंगे तो कुछ अधिकार मिल जायेंगे, इस लालचमें फँसना नहीं चाहिए। लॉर्ड मिलनर और अन्य अधिकारियोंने बहुतेरे वचन दिये थे, किन्तु उनमेंसे एकका भी पालन नहीं किया गया। इसलिए जबतक हम स्वयं परिश्रम नहीं करते और अपनी हिम्मत नहीं दिखाते तबतक कुछ भी लाभ नहीं हो सकेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८-५-१९०७

४७९. ट्रान्सवालकी लड़ाई

"हे भाई धोखा क्यों खाते हो? बेइज्जतीका जीवन बितानेमें तो बड़ी नामर्दी है। इज्जत खोनेसे तो मरना अच्छा है। मरनेमें एक ही बार दुःख है, किन्तु इज्जत खोनेमें हमेशाका दुःख है। इसमें सभी लोग अँगुली दिखाते रहेंगे। इसलिए उत्तम नर यही चाहते हैं कि इज्जतके साथ जल्दी मरें। हम लम्बे समय तक जीवन चाहें तो जी लें, किन्तु अधम कानूनके कारण हमें बेइज्जतीका जीवन बिताना पड़ता है। गया हुआ धन तो वापस आ सकता है, किन्तु गया हुआ मान नहीं आ सकता; और मानके चले जानेपर तो तीनों ताप और भी ज्यादा दुःख देते हैं।[1]"

हमारे पास आनेवाले पत्रोंसे मालूम होता है कि फिलहाल ट्रान्सवालमें भारतीय समाजको नये कानूनके सिवा और कोई बात नहीं सूझती। यह बहुत ही खुशीकी बात है। इस वातावरणके अनुरूप हम भी उसी विचारको आगे बढ़ायेंगे। पिछले सप्ताह गुजरातके वीर-रसके महाकविका एक गीत दिया गया था।[2] उन्हींकी वीर-रसपूर्ण दूसरी कविता हमने ऊपर दी है। कविने स्पष्ट दिखा दिया है कि ताने सुनना हीनता है। जैसे, धन वगैरह नष्ट हो जानेपर भी प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु गई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं आती। और कवि कहता है कि इज्जत जानेपर तीन प्रकारके ताप पैदा होते हैं। यानी तन-मन-धन तीनोंके कष्ट एक साथ होते हैं।

इज्जत किस प्रकार प्राप्त की जाती है या रखी जाती है, इसका उदाहरण माननीय अमीर हबीबुल्लाने पेश किया है। वे लेडी मिंटोके साथ मीना बाजारमें गये थे। वहाँ उन्होंने कुछ सामान खरीदा। बेचनेवाली लड़की स्वयं अमीरवर्गकी थी। उसने नकद पुर्जा बनाते समय 'महाविभव अमीर' (हिज हायनेस अमीर) लिखा। माननीय अमीरने वह नकद पुर्जा उस लड़कीको वापस दिया और कहा कि उसमें गलती है। लड़की बेचारी बड़ी हैरान हुई। उसने जोड़की जाँच की और विनयपूर्वक कहा कि इस नकद पुर्जेमें गलती नहीं मालूम होती। अमीरने सिर हिलाकर फिर वह नकद पुर्जा उसके हाथमें दे दिया। लड़की घबड़ाकर फिर जाँचने लगी और जब उसे गलती न दिखाई दी तो कहने लगी इसमें क्या गलती है, कृपया आप ही बतला दें तो अच्छा हो। इसपर अमीरने अपने अर्दलीकी मारफत सूचित किया कि अमीर अब सिर्फ 'महाविभव' नहीं 'महामहिम' (हिज मैजेस्टी) हैं।

यह उदाहरण बहुत ही समझने योग्य है। अमीर यही व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्हें अपनी प्रतिष्ठाका भान हो गया है और उसपर से हम कह सकते हैं कि उस दिनसे अफगान

१. इस स्थानपर गांधीजीने निम्नलिखित गुजराती गीत उद्धृत किया है:

झांखा शा खावा भाई, हिणपण मोटी नामरदाई।
मान भंगथी मरवु सारुं एक वार दुःख मरवे;
मान भंगथी नित्य-नित्य दुःख आंगळी करशे सर्वे।
मेळवी जसने मरवुं व्हेलुं उत्तम नर ए च्हाये;
अधम कायदो घणुं जिवीने अपजस मां रीबाये।
गयुं धन ते पाछुं आवे गयुं मान ना आवे;
गयुं मान के त्रणे तापो दुःखडा झाझा लावे।

२. श्री नर्मदाशंकरका; देखिए "ट्रान्सवालकी लड़ाई", पृष्ठ ४९३-९४।

जनताका तेज प्रकट हुआ है। प्रतिष्ठाकी रक्षा करनेमें भी निःसन्देह विचार करना होता है। कोई तुच्छ अहंकारी मनुष्य ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त करनेका विचार करे जो उसे शोभा नहीं देती तो हम उसे छिछोरा कहकर टाल देंगे। माननीय अमीरने स्वाभिमान व्यक्त करनेका वही उपयुक्त समय समझा। लेडी मिंटोके मीना बाजार जैसे अवसरपर उन्होंने लेडी मिंटोको अपनी पदवीका भान कराया। उसका अर्थ यह हुआ कि वह बात सारी दुनियाको मालूम हो गई। उस लड़कीने तो अनजानेमें ही 'महाविभव' लिखा था। किन्तु अब कोई मनुष्य अथवा प्रजा जान या अनजानमें उनका पद नहीं गिरा सकती।

इसी प्रकार ट्रान्सवालमें भारतीय समाजके सामने अपनी प्रतिष्ठाका प्रश्न आ खड़ा हुआ है। भारतीय समाजने आजतक जितना कष्ट सहा है, यदि आज वह बहादुरी बतायें, तो वह सारा कष्ट उठाना विवेक और विनयस्वरूप माना जायेगा। किन्तु यदि इस समय वह कानूनके सामने झुक गया तो उसका वह कष्ट उठाना विवेकपूर्ण कार्य न होकर हीनता, तुच्छता, कायरता कहलायेगा। प्रतिष्ठाकी रक्षा करनेका हर मनुष्य और हर प्रजाको मौका मिलता है और वैसा ही मौका ट्रान्सवालके भारतीयोंको मिला है। सभी गोरे दाँतों तले अँगुली दबा रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या भारतीयोंमें जेल जाने जितनी बहादुरी है? हम भारतीय समाजसे बार-बार प्रार्थना करते हैं कि तेरह हजार भारतीय एक स्वरसे 'हाँ, हाँ और हाँ' कहकर गुंजा दें। डरपोक तो सौ बार मरता है, परन्तु शूर एक ही बार मरता है। भारतमें प्लेगसे छः सप्ताहमें ४,५१,८९२ भारतीयोंके मरनेकी तारसे सूचना आई है। तड़प-तड़प कर ऐसी मौत मरनेकी अपेक्षा यदि उतने ही लोगोंको देश-हितमें मरना पड़े तो उससे क्या हुआ? उतने ही भारतीय यदि देशके लिए मरनेको तैयार हो जायें तो भारत क्या नहीं कर सकता? लेकिन हमें ट्रान्सवालमें यह दशा तो किसी भी हालतमें नहीं भोगनी है। जरा-सा संकट सहन करके जेल जानेकी हिम्मत-भर करनी है। उसमें कौन भारतीय पीछे हटेगा?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५-५-१९०७

४८०. एस्टकोर्टमें मताधिकारकी लड़ाई

एस्टकोर्टके भारतीयोंने नगरपालिकामें मताधिकारकी माँग की तो न्यायाधीशने उसको यह कहकर खारिज कर दिया कि नगरपालिकाके नये विधेयकके अन्तर्गत जिस भारतीयको राजकीय मताधिकार न हो, उसे नगरपालिकाका अधिकार भी मिल नहीं सकता। यह फैसला एकदम बेकायदा है। नगरपालिकाका विधेयक अभी पास नहीं हुआ। उसके खिलाफ अभी हमारी लड़ाई जारी है। किन्तु इससे इतना स्पष्ट है कि एस्टकोर्टके न्यायाधीश महोदय इस समाचारपत्रको, यद्यपि यह उन्हें निःशुल्क मिलता है, पढ़ते नहीं। अन्यथा, जिस विधेयकको बड़ी सरकारने अभी मंजूर नहीं किया, उसके अनुसार बेढंगा फैसला न देते। अब एस्टकोर्टके भारतीयोंके लिए अपील करना बिलकुल आवश्यक है।

इस विषयपर विचार करते हुए हमें यह बता देना चाहिए कि एस्टकोर्टके भारतीयोंको नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सम्मतिके बिना उपर्युक्त कदम नहीं उठाना चाहिए था। यह समय ऐसा नहीं है कि भारतीय समाजका कोई भी अंग स्वतन्त्र रूपसे चल सके। नेटालमें

आफतें बहुत हैं। मुकाबलेकी पूरी आवश्यकता है। और लड़ाईमें एक भी स्थानपर भूल हुई तो उससे सारे समाजको नुकसान पहुँचनेकी सम्भावना है। हम मानते हैं कि नगरपालिका-मताधिकारके सम्बन्धमें उतावली करनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं थी। विलायतमें आजकल जिस विधेयकपर चर्चा चल रही है उसे रद करवानेका प्रयास किया जा रहा है। एस्टकोर्टवाले मुकदमेका प्रभाव बुरा पड़नेकी सम्भावना है। साँप-छछूंदरकी-सी गति हो गई है। अब यदि मुकदमा छोड़ दिया जाये तो बदनामी होगी और यदि चलानेका परिणाम बुरा निकला तो शायद विधेयक स्वीकृत हो जाये। पाँच-सात भारतीयोंको मताधिकार मिले तो क्या और न मिले तो क्या? परन्तु यह अधिकार नहीं जाना चाहिए। क्योंकि, अधिकारके चले जानेसे हम दर्जेमें गिर जाते हैं। अधिकार होते हुए भी उसका उपयोग न करें तो उसमें गिरावट नहीं आती। इस उदाहरणसे हमें आशा है कि नेटालके सभी स्थानोंका भारतीय समाज कांग्रेससे सलाह लिये बिना कोई कदम नहीं उठायेगा। इसीके साथ हमारा फिरसे कहना है कि एस्ट-कोर्टकी अपील अब आगे की जानी चाहिए। नेटालके भारतीयोंको याद रखना है कि यदि वे नगरपालिका-मताधिकार लेना चाहते हों तो इस महीनेके समाप्त होनेसे पहले अपना-अपना कर चुका दें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५-५-१९०७

४८१. चर्चिलका भाषण

उपनिवेश सम्मेलनके बारेमें भाषण देते हुए श्री चर्चिल कह गये हैं कि काफिरों और एशियाई प्रवासियोंके सम्बन्धमें दक्षिण आफ्रिकाके लोगोंको जो कानून बनाना हो उसकी उन्हें छूट है। इसका अर्थ यह हुआ कि नये एशियाइयोंको प्रवेश देने-न-देनेके सम्बन्धमें दक्षिण आफ्रिका उपनिवेशको पूरा अधिकार है। इसलिए शेष इतना ही बचा है कि दक्षिण आफ्रिकामें आज रहनेवाले भारतीयोंके बारेमें जो भी कानून बनाये जायेंगे उनमें बड़ी सरकार कदाचित् थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकती है। किन्तु ट्रान्सवालका नया कानून प्रवाससे सम्बन्धित नहीं है। वह यहाँके वर्तमान निवासी भारतीयोंपर लागू होता है। फिर भी बड़ी सरकारने उसे मंजूर किया है। यों देखा जाये तो मालम होता है कि दक्षिण आफ्रिकामें स्थानीय सरकार स्वच्छ-न्दतापूर्वक भारतीयोंपर आक्रमण करेगी। उस आक्रमणका सामना करनेके लिए जेलका प्रस्ताव ही एक हथियार है। आप सम बल नहीं और मेघ सम जल नहीं, इस कहावतके अनुसार हममें कितना पानी है, इसपर ही सब-कुछ निर्भर करता है। जिस रास्तेसे हम आ रहे हैं, उस रास्तेपर चलते हुए भी हम जेलके प्रस्तावपर आ जाते हैं। वह प्रस्ताव इतना खरा और लाभदायक है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५-५-१९०७

४८२. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

नया कानून

कई प्रश्नोंके उत्तर पिछले सप्ताह दे चुका हूँ।[1] लेकिन अभी और भी प्रश्न आये हैं। बहुतेरोंके उत्तरोंका समावेश पहले उत्तरोंमें हो गया है। फिर भी जो प्रश्न आये हैं उनके उत्तर देता हूँ। जिन पाठकोंको पहले उत्तरोंसे ठीक तरहसे समझमें आ गया होगा वे पुनरावृत्तिका खयाल न करें। मेरी सलाह है कि पाठक पिछला अंक सँभाल कर रखें।

क्या गांधी बिना शुल्कके बचाव करेंगे?

इस विषयमें पूछताछ की गई है, इसलिए यहाँ और भी ज्यादा खुलासा करता हूँ। नये कानूनके अन्तर्गत यदि किसीपर मुकदमा चलाया जायेगा और उस व्यक्तिका अनुमतिपत्र सच्चा होगा या और किसी तरहसे उस व्यक्तिको रहनेका हक होगा तो उसका बचाव श्री गांधी मुफ्त करेंगे। यदि वह मुकदमा दूसरे गाँवका होगा तो वहाँ जानेका किराया संघ देगा। किन्तु जिस गाँवने ब्रिटिश भारतीय संघको बिलकुल पैसे न दिये हों और उस गाँवमें बचावके लिए जाना पड़े तो उस गाँवसे संघ चन्देका पैसा माँगेगा। बचावमें दोनों बातोंका समावेश होता है — अनुमतिपत्रका और नया अनुमतिपत्र न लेनेपर परवाना न मिलनेका।[2] यानी जिस व्यक्तिके पास परवाना न हो और उसे पकड़ा जाये तो उसका बचाव मुफ्त नहीं किया जायेगा। किन्तु जिस व्यक्तिको नया अनुमतिपत्र न लेनेके कारण परवाना न मिले उसका बचाव मुफ्त होगा। बचावका नतीजा यह होगा कि उस व्यक्तिको आखिर जेल जाना पड़ेगा। जो जेल न जाना चाहते हों उनका बचाव निःशुल्क या सशुल्क श्री गांधी नहीं करेंगे। बचाव जिस प्रकार होगा वह '*इंडियन ओपिनियन*' के पिछले अंकमें देख लिया जाये।[3] अभी इतना सुननेमें आया है कि लोगोंके अनुमतिपत्र जाँचे जा रहे हैं। यदि यह बात सच हो तो वह जाँच नये कानूनके अन्तर्गत नहीं हो रही है और इसलिए यदि आजकी जाँचमें कोई पकड़ा जाये तो उसका ऊपर लिखे अनुसार बचाव नहीं हो सकेगा। मुकदमा नये कानूनके अन्तर्गत होना चाहिए, यह याद रखना है।

डेलागोआ-बे जानेवाले क्या करें?

जो भारतीय डेलागोआ-बे जाते हैं, उन्हें पुर्तगालके वाणिज्य दूतका पास लेना पड़ता है। और बहुत बार अनुमतिपत्र कार्यालयके भी चक्कर काटने पड़ते हैं। तब यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि अनुमतिपत्र कार्यालयकी मदद ली जाये या नहीं। इतना तो साफ है कि ऐसे व्यक्तिको भी अनुमतिपत्र कार्यालयकी मदद नहीं लेनी चाहिए। किन्तु उसे डेलागोआ-बे जानेसे कोई रोक नहीं सकता। यदि पोर्तुगीज सरकार रोके तो ऐसे व्यक्तिको डर्बन होकर जाना चाहिए। किन्तु अनुमतिपत्र कार्यालयमें न जाना चाहिए। फिर भी इस मामलेमें पूछताछ हो रही है। विशेष

१. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४९८-५०३।
२. परवाना नया करवानेसे पहले व्यापारीको स्वभावतः अनुमतिपत्र लेना पड़ता था।
३. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४९८-५०३।

जानकारी मिलनेपर बादमें लिखूँगा। इस बीच इतना तो निःसन्देह है कि अनुमतिपत्र कार्यालयमें तो किसी भी हालतमें जाना ही नहीं है।

डेलागोआ-बेसे आनेके लिए क्या किया जाये?

हमें खबर मिली है कि डेलागोआ-बेमें रेलवेका टिकट मिलनेके पहले भारतीयको ब्रिटिश वाणिज्य दूतके पासकी जरूरत होती है। मैं मानता हूँ कि यह बात गैरकानूनी है। इसका उपाय डेलागोआ-बेके भारतीय आसानीसे कर सकते हैं। लेकिन जो बात डर्बनपर लागू होती है वह डेलागोआ-बेपर भी लागू होती है। इसलिए नया अनुमतिपत्र तो अभी किसीको नहीं लेना है। पुराने अनुमतिपत्रवालोंमें जेल जानेकी हिम्मत हो तभी आयें, नहीं तो अभी तत्काल ट्रान्सवालमें न आना ही उत्तम है।

ट्रान्सवाल छोड़ा जाये या नहीं?

एक व्यक्तिने यह प्रश्न किया है कि यदि कोई भारतीय आज ट्रान्सवाल छोड़े तो फिर, यानी जून महीनेमें, आ सकेगा या नहीं। नये कानूनके अनुसार वैसे व्यक्तिके लिए नया अनुमतिपत्र लेनेका बन्धन है। यदि वह नहीं लेगा तो उसे जेल जाना होगा। यानी जिस भारतीयने जेलका डर निकाल दिया है वह बेधड़क आ सकता है। डरपोकोंका चले जाना ही अच्छा है, और बहादुरोंके लिए चले जाने और आनेमें डरने जैसी कोई बात है ही नहीं।

दूकानें कब बन्द की जायें?

इस प्रश्नका कानूनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी मखाडोडॉर्पसे एक पत्र आया है कि वहाँकी पुलिस भारतीय व्यापारियोंको जल्दी दूकान बन्द करनेको कहती है। यदि पुलिसने इस प्रकार कहा हो तो वह गैरकानूनी है। लेकिन मेरी सभी भारतीय व्यापारियोंको सलाह है कि जिस समय सब जगह गोरे दूकानें बन्द करते हैं उसी समय उन्हें भी बन्द करना चाहिए। हमें कानूनी दबावकी राह देखनेकी जरूरत नहीं, यद्यपि इसमें शक नहीं कि वैसा कानून थोड़े ही महीनोंमें बननेवाला है। नगरपालिकाको वैसा कानून बनानेका अधिकार दिया जा चुका है। हमें कोई काम लाचारीसे करना पड़े, उसके बजाय यदि उसे हम स्वेच्छापूर्वक करें तो उसमें एक खूबी है।

मुद्दती अनुमतिपत्रोंका क्या किया जाये?

एक पत्र-लेखकने यह और इससे पैदा होनेवाले कुछ दूसरे प्रश्न पूछे हैं। मुझे मालूम है कि कुछ मुद्दती अनुमतिपत्र जूनके अन्तमें समाप्त हो रहे हैं। मेरी सलाह है मुद्दती अनुमति-पत्रवाले व्यक्ति मुद्दत बीतनेके पहले ट्रान्सवाल छोड़ दें। हमारी लड़ाईमें शुद्ध सत्य है और वह हमें अन्ततक दिखाना जरूरी है। जो ट्रान्सवालमें साधिकार रह रहे हैं उन्हें हठपूर्वक अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा करनी चाहिए। इस उत्तरमें देखता हूँ कि दो अपवाद हो सकते हैं: एक मसजिदके इमाम और दूसरे हिन्दुओंके शास्त्री। ये दोनों धर्म शिक्षाके लिए आये हैं। यदि नया कानून लागू न होता तो उन्हें ज्यादा मुद्दतका अनुमतिपत्र पानेमें कोई कठिनाई नहीं होती। अब उनसे नया अनुमतिपत्र तो लिया नहीं जा सकता। यानी वे जेलमें जानेके इरादेसे सरकारको योग्य खबर देकर रह सकते हैं। वे कह सकते हैं कि वे न व्यापार करते हैं, न किसीकी कमाईमें हिस्सा लेते हैं। उनका काम अपने लोगोंको धर्म-शिक्षा देना है। इसलिए वे बाहर नहीं जा सकते। यह दलील उन खानगी लोगोंपर नहीं लागू होती जो व्यापारके लिए

रह रहे हैं। अतः यद्यपि वे बहादुरी दिखानेको तैयार हों फिर भी मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि वे जेलकी प्रतिष्ठाके हिस्सेदार नहीं हो सकते।

मुद्दती अनुमतिपत्रवालोंको निराश्रितका हक नहीं प्राप्त हो सकता। वे सीमित समयके लिए आये हैं और समय बीत जानेपर भले आदमीकी तरह लौटनेके लिए बँधे हुए हैं। ये मुद्दती अनुमतिपत्रवाले यदि देश-सेवा करना चाहते हों तो वे ट्रान्सवालसे बाहर रहकर देशके लिए परिव्राजक होकर हरएक भारतीयके सामने ट्रान्सवालके दुःखोंकी कहानी सुना सकते हैं, और मौका आनेपर समाजकी बहुत-सी सेवाएँ कर सकते हैं। जिसे सेवा ही करनी हो वह तो जीते-जी और मरनेके बाद भी, जहाँ भी वह होगा, मौका पाता ही रहेगा।

जिन बिना अनुमतिपत्र आनेवालोंने बादमें अनुमतिपत्र ले लिया उनका क्या?

शुरूमें छूट दी गई थी तो कुछ भारतीय बिना अनुमतिपत्रके आ गये थे। उन लोगोंको बादमें निवासी-पास दिये गये थे और फिर उन पासोंको भी बदल कर अनुमतिपत्र दिये गये थे। एक भाईने पूछा है कि ऐसे लोगोंके अनुमतिपत्र कैसे हैं? उन्होंने यह भी पूछा है कि ऐसे अनुमतिपत्रवालोंको क्या हुक्म होगा? यह प्रश्न अनजान जैसा है। जिन्हें अनुमतिपत्र कार्यालयसे सम्बन्ध ही नहीं रखना है उन्हें हुक्म देनेवाला कौन होगा? वे अपने आपको स्वतन्त्र समझें और उस स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए जेल जायें।

'जेल जाओ'

जेल जानेके लिए निकल पड़ो, ऐसे कुछ पत्र मुझे मिले हैं। उन्हें मैं छपनेके लिए नहीं भेज रहा हूँ। अभी जो स्वयं जेल जानेको तैयार हों, ऐसे लोगोंकी हमें जरूरत है। खुद जायेंगे तो दूसरेको सिखाना नहीं होगा और यदि खुद तैयार न होंगे तो उनकी सीखका दूसरोंपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः इन भाइयोंसे मेरा निवेदन है कि वे स्वयं क्या करना चाहते हैं, यह लिखकर सूचित करें, जिससे उनकी खबरें नामवार अंग्रेजी एवं गुजरातीमें प्रकाशित की जायें।

फेरीवालोंको चेतावनी

फेरीवालोंके लिए ट्रान्सवालके हर गाँवमें कानून बन गये हैं। उनका सारांश नीचे देता हूँ:

> फेरीवाला (हॉकर) वह माना जायेगा जिसके पास गाड़ी हो। पैदल-विक्रेता (पेडलर) उसे कहा जायेगा जो पैदल चलकर व्यापार करता हो। उसके पास हाथ-गाड़ी हो सकती है। हर फेरीवालेके लिए परवाना-शुल्क साढ़े पाँच पौंड वार्षिक रखा गया है और पैदल-विक्रेताका पाँच पौंड। हर फेरीवालेको अर्जीमें अपने रहनेका स्थान बताना चाहिए और परवाना मिलनेके बाद भी यदि पता बदले तो उसकी सूचना देनी चाहिए। हर फेरीवाले और पैदल-विक्रेताको अपनी गाड़ी या अपनी गठरीपर 'जोहानिसबर्ग नगर-क्षेत्रका परवानादार विक्रेता' (लाइसेन्स्ड हॉकर फॉर जोहानिसबर्ग म्युनिसिपैलिटी एरिया) लिखना चाहिए। उसी प्रकार गोदामपर अपना नाम व उपर्युक्त शब्द लिखने चाहिए। तथा परचे छपाये जायें तो उनपर भी उपर्युक्त शब्द लिखे जायें। कोई भी व्यक्ति अपना परवाना दूसरेको नहीं दे सकता। लेकिन यदि कोई

अपना माल बेचनेके लिए नौकर रखे और उस नौकरको छुड़ा दे तो उसके बदलेमें नौकर रखे गये दूसरे व्यक्तिको वह असल परवाना दे सकता है। किन्तु वह नगर-पालिकासे अनुमति लेनेके बाद। कोई भी फेरीवाला अपना माल बेचनेके लिए किसी भी जगहपर बीस मिनटसे ज्यादा नहीं ठहर सकता और उस जगहपर उसी दिन दुबारा नहीं आ सकता।

खदानोंपर जानेकी फेरीवालोंको अनुमति नहीं है। कोई भी फेरीवाला अपनी गाड़ीमें से माल निकालकर दूकानके समान बाहर सजाकर नहीं रख सकता। अपनी पैदा की हुई वस्तुको कोई व्यक्ति या उसका नौकर बिना परवानेके बेच सकता है। उसपर उपर्युक्त कानून लागू नहीं होता।

जोहानिसबर्ग नगरपालिकाका कानून इस प्रकार बन चुका है और सम्भव है कि दो सप्ताहमें उसे गवर्नरकी मंजूरी मिल जायेगी। इस कानूनका अर्थ यह हुआ कि फेरीवालेका परवाना लेकर कोई व्यक्ति एक ही जगह खड़ा नहीं रह सकता। प्रेसिडेन्ट स्ट्रीट मार्केट अब बन्द हो जायेगा, अथवा वहाँ व्यापार करनेवाले व्यक्तिको दूकानका अनुमतिपत्र लेना होगा।

उपर्युक्त कानून सख्त है। किन्तु गोरों और कालों सबपर लागू होता है, इसलिए उसका विरोध नहीं किया जा सकता। क्रूगर्सडॉर्प नगरपालिकाने भी ऐसे ही कानून बनाये हैं। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि चूँकि परवाना लेनेवाले सभी लोग भारतीय हैं, इसलिए चाहे जैसे कठिन कानून बनाये जायें, उसमें कोई हर्ज नहीं।

ट्रामगाड़ियोंका कानून

आखिर ट्रामगाड़ियोंके बारेमें फैसला हो गया है। जिन कानूनोंका ब्रिटिश भारतीय संघने विरोध किया था वे पास हो चुके हैं और 'गजट' में प्रकाशित भी हो गये हैं। उनमें कुछ बातें तो ठीक मालूम होती हैं। जैसे 'रंगदार लोग' (कलर्ड पर्सन) के अर्थमें एशियाई लोगोंका समावेश नहीं होता। इस कानूनमें और भी कई बातें हैं। उनमें से मैं नीचे लिखा उद्धरण देता हूँ:

> परिषदको चाहे जिस ट्राम गाड़ीको, या उसके किसी हिस्सेको सिर्फ यूरोपीय, सिर्फ एशियाई या सिर्फ रंगदार लोगोंके लिए सुरक्षित करनेका हक है। नगरपरिषद हर-किसीको चाहे जिस गाड़ीमें प्रवेश करनेकी अनुमति विशेष तौरसे दे सकती है। गोरोंके बालकोंको ले जानेवाले नौकर चाहे जिस गाड़ीमें जा सकते हैं। अपने मालिकके साथ या मालिकको जिस गाड़ीमें जानेका हक हो उस गाड़ीमें नौकर जा सकता है। परिषद हर वर्गके यात्रियोंके लिए उचित व्यवस्था करनेके लिए उत्तरदायी है।

इस कानूनके विषयमें दो बातें जानने योग्य हैं। एक तो यह कि गोरोंके नौकर, चाहे वे जितने काले हों, उनके साथ गाड़ीमें जा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि बीसवें नियमके अनुसार परिचालक आपत्ति न करे तो कुत्ते गोरोंकी गाड़ीमें जा सकते हैं। यानी कुत्ते और काले नौकरोंको छोड़कर स्वतंत्र भारतीयको जबतक विशेष परवाना न मिले तबतक उस गाड़ीमें जानेकी अनुमति नहीं है। इस कानूनके विषयमें कोई यह अवश्य कह सकता है कि गोरोंको काले लोगोंकी गाड़ीमें बैठनेका हक नहीं है। सिर्फ अन्तर इतना है कि गोरे

माँ-साहिवाकी पंक्तिमें वैठे हैं और काले और भारतीय लोग गाँवकी भौजाईकी पंक्तिमें हैं। ऐसी गन्दी स्थितिमें मेरी सलाह है कि किसी भी भारतीयको हरगिज अनुमति नहीं लेनी चाहिए। यह गाँवकी भौजाईकी स्थिति रहेगी या जायेगी, यह तो हमपर निर्भर है।

पहली वस्तियाँ

नये 'गज़ट'में यह भी देखता हूँ कि क्रिश्चियाना, हीडलवर्ग, पॉटजीटर्सरस्ट, रस्टनवर्ग, फॉक्सट्रूमकी वस्तियाँ वहाँकी नगरपालिकाओंके सुपुर्द कर दी गई हैं। और रुत्रीनिकल, लेड्स-डॉर्प, आमर्सफ़ुर्ट वगैरह जगहोंकी वस्तियाँ रद कर दी गई हैं।

न्यू क्लेअरके धोवी

न्यू क्लेअरके धोवियोंपर मुसीवत[1] आई थी, उसका जवाव 'संडे टाइम्स'के सम्पादकके नाम इस पत्रके सम्पादकने दिया है। उसमें वताया है कि श्री "वलचर" ने 'संडे टाइम्स' में जितने इल्जाम लगाये हैं वे सव झूठे हैं। सम्पादकने लिखा है कि जिस कुण्डमें से पानी वहता रहता है वह खराव नहीं है। जिसमें कपड़े धोये जाते हैं उसका पानी हमेशा दो वार वदला जाता है। भारतीय धोवी किसीको ठेका नहीं देते। उनके घर साफ हैं, यह सव नगर-पालिकाने जाँच लिया है। भारतीय धोवियोंके पास वहुत-से नामी गोरोंके प्रमाणपत्र हैं। इसलिए सम्पादकने लिखा है कि 'संडे टाइम्स'के लेखकको माफी माँगनी चाहिए। इसके उत्तरमें 'संडे टाइम्स' का सम्पादक लिखता है कि 'इंडियन ओपिनियन'के सम्पादकका लेख प्रभावशाली तथा मानने योग्य है। सम्पादक उस लेखका जवाव देना चाहता है, लेकिन लिखता है कि "वलचर" साहव वीमार हैं, इसलिए एक-दो हफ्तोंकी देर होगी। इस जवावसे मालूम होता है 'संडे टाइम्स'की अभी तो हार हो गई है। जिन्हें मालूम न हो उनकी जानकारीके लिए मुझे सूचित करना चाहिए कि "वलचर" एक उपनाम है और उसका अर्थ फाड़कर खा जानेवाला गिद्ध पक्षी होता है। इस मनुष्यरूपी गिद्धने भारतीय धोवीको खा जाना चाहा था, किन्तु यह मानना गलत न होगा कि 'इंडियन ओपिनियन'के सम्पादकने उस प्राणीको इसकी झपटसे वचा लिया है।

वहादुर रिच

यहाँके अखवारोंमें ऐसा तार आया है कि श्री रिचने लन्दनके प्रसिद्ध अखवार 'टाइम्स'के नाम पत्र लिखा है। उसमें श्री कर्टिसके लेखकी[2] धज्जियाँ उड़ा दी हैं। भारतीय समाजका दृढ़ताके साथ वचाव किया है और सिद्ध कर दिया कि चैमने साहवकी रिपोर्ट भारतीयोंके पक्षमें है। श्री रिच जो काम करते हैं उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जान पड़ता है, रात-दिन वे इसीका रटन किया करते हैं, और हमारा समर्थन करनेका जव भी मौका आता है उसे वे जाने नहीं देते। अधिकतर भारतीय शिक्षितोंको उनका अनुकरण करना है। श्री रिचको समितिकी ओरसे जो-कुछ दिया जाता है उससे चौगुना भी यदि हम किसी दूसरेको दें तो भी यह निश्चित कहा जा सकता है कि वह श्री रिचके वरावर काम नहीं कर सकेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५–५–१९०७

१. देखिए "जोहानिसवर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४६०।
२. देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ५०१-२।

४८३. भाषण: चीनियोंकी सभामें[1]

[जोहानिसबर्ग
मई २६, १९०७]

अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके रूपमें चीनी

... गत रविवारको ट्रान्सवाल चीनी संघके भवनमें एक विशाल तथा प्रतिनिध्यात्मक सभा हुई। उस सभामें विचार किया गया कि नये एशियाई-विरोधी कानूनके सम्बन्धमें अगला कदम क्या होना चाहिए। कैंटोनीज क्लबके अध्यक्ष श्री क्विनने अध्यक्षता की और श्री मोहनदास करमचन्द गांधीने भाषण दिया। श्री गांधी स्थितिपर प्रकाश डालनेके लिए विशेष रूपसे आमन्त्रित किये गये थे। उन्होंने संक्षेपमें बताया कि जैसा एशियाई-विरोधी दल अक्सर कहा करता है — और अनजान आम जनता उसकी हाँमें-हाँ मिलाया करती है — वैसी कोई अभिवृद्धि उन एशियाइयोंकी सुरक्षामें नये कानूनसे नहीं होती, जो उचित तरीकेसे ट्रान्सवालमें आकर रह रहे हैं। दरअसल तो इससे उनकी वह सारी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है जो गम्भीर शाही प्रतिज्ञाओंके अन्तर्गत उन्हें उपलब्ध है। यह उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापर रोक लगा देता है। इसे किसी भी सभ्य देशकी आत्माभिमानी जनता स्वीकार नहीं कर सकती। ... ट्रान्सवालमें एशियाई अपने अधिकारोंकी रक्षा एक ही गौरवपूर्ण तरीकेसे कर सकते हैं। वह यह कि वे पुनः पंजीयनको लागू करनेवाली अनिवार्य धाराओंकी उपेक्षा कर दें और कानूनसे उपलब्ध होनेवाली सबसे बड़ी सजा, अर्थात् कारावासके दण्डके भागी होनेके लिए अपने आपको तैयार कर लें और साथ ही अनुमतिपत्र कार्यालयका बहिष्कार कर दें ... ।[2]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १–६–१९०७

१. यह "जोहानिसबर्गकी टिप्पणियाँ" से लिया गया है। इंडियन ओपिनियनका यह स्तम्भ हेनरी एस० एल० पोलक "हमारे जोहानिसबर्ग संवाददाता" के नामसे नियमित रूपसे लिखा करते थे।

२. चीनियोंने भारतीयोंकी सितम्बर १९०६ की आम सभाके चौथे प्रस्ताव तथा अप्रैल १९०७ की आम सभाके दूसरे प्रस्तावके समर्थनका वादा किया था और ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम जबरन लागू किया जानेपर भारतीयोंकी तरह जेल जानेका ऐलान किया था। देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ४५३।

४८४. पत्र : 'स्टार' को

जोहानिसबर्ग
मई ३०, १९०७

[सेवामें
सम्पादक
'स्टार'
जोहानिसबर्ग
महोदय,

जनरल बोथाके आगमन और इस तथ्यसे कि एशियाई पंजीयन अधिनियम, शाही मंजूरी मिलनेके बावजूद, अभीतक साम्राज्य सरकार और स्थानीय सरकारके बीच पत्र-व्यवहारका विषय बना हुआ है, मुझे एक बार और आपके और आपके द्वारा उपनिवेशियोंके सद्भावको प्रेरित करनेका साहस होता है। एशियाई विरोधी दलको, जो वह चाहता था, प्राप्त हो चुका है; इसलिए क्या अब भी किसी न्यायसंगत समझौते तक पहुँचना असम्भव है और भारतीयोंको अविश्वसनीय तथा चोरी-चवाड़ीकी वृत्तिवाला समझा जानेसे बचाया जा सकता है? यह अधिनियम अभीतक 'गज़ट' में प्रकाशित नहीं हुआ है और जबतक सरकार न चाहे तबतक ऐसा करनेकी जरूरत भी नहीं है। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि इसके 'गज़ट' में छपनेसे पहले नये अनुमतिपत्रोंके लिए आपसमें एक पत्रक (फार्म) तय किया जा सकता है। और उसके अनुसार जिन भारतीयों तथा अन्य एशियाइयोंके पास सही कागजात हों वे वापस लेकर बदलेमें उनका नये सिरेसे पंजीयन किया जा सकता है। यदि उस समय सब एशियाई अपने कागजपत्र खुद ही दे दें तो उन्हें अधिनियम द्वारा प्रस्तावित अपमानका शिकार होनेका कोई मौका नहीं आ सकता। फिर भी, यदि उपनिवेशमें ऐसे एशियाई हों जो अपने कागजपत्र पेश न करें तो अधिनियमको 'गज़ट' में तुरन्त प्रकाशित किया जा सकता है और एक छोटे-से विधेयक द्वारा उनपर लागू किया जा सकता है। इस तरह जो लोग अनुमतिपत्रोंके सही मालिक हैं और ईमानदार हैं वे, उन लोगोंसे जो अपराधी हैं, अपने-आप अलग हो जायेंगे।

अगर आप यह न सोचते हों कि कानूनका मंशा अनुमतिपत्रोंका गैरकानूनी व्यापार रोकना नहीं, बल्कि खुल्लम-खुल्ला और निर्भीक होकर भारतीयों और दूसरे एशियाइयोंका अकारण अपमान करना है, तो मैं नहीं समझता कि आपको इस सुझावमें कोई दोष दिखाई दे सकता है। ऐसी कोई भी घोषणा होनेसे पूर्व मैं आपको लॉर्ड ऐम्टहिलके निम्नलिखित उद्गारोंकी याद दिला देना चाहता हूँ :

> यह ऐसा मामला नहीं है जो केवल हमारे सम्मानसे सम्बद्ध है। हम तो अपने भारतीय नागरिक बन्धुओंसे प्रतिज्ञाबद्ध हैं। यह प्रतिज्ञा ताजकी गम्भीर घोषणा, हमारे राजनीतिज्ञोंके ऐलानों और साम्राज्यके उस महान देशकी शासन-नीतिसे व्यक्त होनेवाली समस्त पद्धतिपर आधारित है। और वह यह है कि हम भारतीयोंके साथ, शब्दके प्रत्येक अर्थमें, बन्धु-नागरिकके समान व्यवहार करेंगे। हम उन्हें इस साम्राज्यके नागरिक

होनेका गर्व करनेको कहते हैं। हम उनसे बार-बार कहते हैं कि उनके उन पदों तक पहुँचनेमें कोई रुकावट नहीं है, जिनपर भारतमें अंग्रेज आसीन हैं; और जो-कुछ हम उनके लिए करते हैं या उनसे कहते हैं उसमें हमारा मंशा यह है कि वे जब-कभी भी, विश्वके किसी भी हिस्सेमें, ब्रिटिश झंडेके नीचे होंगे, उनके साथ ब्रिटिश नागरिकोंका-सा व्यवहार किया जायेगा।

इस कानूनसे ब्रिटिश राजनीतिज्ञ घोर अपमानकी स्थितिमें पड़ गये हैं। लॉर्ड लैन्सडाउनने इस स्थितिको इतनी तीव्रतासे महसूस किया है कि वे पूछते हैं: क्या थोड़े-से भारतीयोंको लुका-छिपीसे देशमें आ जाने देनेकी अपेक्षा सारे भारतीय राष्ट्रकी भावनाओंको आघात पहुँचाना अधिक हानिकारक और अदूरदर्शितापूर्ण न होगा? लेकिन जिस प्रस्तावका मैंने ऊपर उल्लेख करनेका साहस किया है वह छद्म-प्रवेशके विरुद्ध उतना ही कारगर है जितना कि एशियाई कानून हो सकता है।

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-६-१९०७

परिशिष्ट

परिशिष्ट – १

पंजीयन प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि :

प्रमाण० सं० सं०

एशियाई पंजीयन प्रमाणपत्र

१९०...

नाम

परिवार

जाति

पिताका नाम

अँगूठेकी निशानी ऊँचाई

धन्धा

पता आयु

जारी करनेकी जगह

जारी करनेवाला अधिकारी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-११-१९०६

परिशिष्ट – २

जोहानिसबर्ग
अक्तूबर २३, १९०६

सेवामें
परमश्रेष्ठ लॉर्ड सेल्बोर्न, पी० सी०, जी० सी० एम० जी०
ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर उपनिवेशके गवर्नर
जोहानिसबर्ग

महानुभाव,

मुझे इस शहरके ६० ब्रिटिश भारतीयोंके हस्ताक्षरोंकी मूल प्रति और उसकी एक प्रतिलिपि साथ भेजनेका सम्मान प्राप्त हुआ है। इन भारतीयोंको आपत्ति है कि श्री मो० क० गांधी और श्री हा० व० अली इस उपनिवेशके भारतीयोंके प्रतिनिधियोंके रूपमें उनका मामला औपनिवेशिक कार्यालयमें प्रस्तुत करें। प्रार्थना है कि श्रीमान इसको महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीको भेजनेकी कृपा करें। इस विषयमें बहुतसे ब्रिटिश भारतीयोंके हस्ताक्षरोंसे एक प्रार्थनापत्र डॉ० विलियम गॉडफ्रे पहले ही भेज चुके हैं।

आपका, आदि,
सी० एम० पिल्ले

[अंग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काइव्ज : एल० जी० फाइल : १९०२-१९०६

परिशिष्ट – ३

कॉमन रूम
लिंकन्स इन, डब्ल्यू० सी०
[लन्दन,
नवम्बर १५, १९०६]

[सेवामें
सम्पादक
'टाइम्स'
लन्दन]

महोदय,

आपके कलकी तारीखके अंकमें हमने इस आशयका एक विवरण देखा है कि श्री चर्चिलने कहा है कि एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेशके विरुद्ध आवाज उठानेके लिए श्री गांधी और श्री अलीको अपना प्रतिनिधि अस्वीकार करते हुए जिन दो भारतीयोंने लॉर्ड एलगिनके पास प्रार्थनापत्र भेजा है उनके नाम हैं डॉ० विलियम गॉडफ्रे और श्री सी० एन० पिल्ले। चूँकि हमारे नामोंको हमारे भाईके नामके साथ मिलाकर गलतफहमी पैदा की जा रही है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम उनके विचारोंसे, उनके प्रार्थनापत्रसे और जो रुख उन्होंने अख्तियार किया है उससे पूर्णतया असहमत हैं।

हम ट्रान्सवालके एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेशके बारेमें अपने ३ नवम्बरके प्रार्थनापत्रमें व्यक्त जोरदार विरोधको फिर दुहराते हैं। हमारा वह प्रार्थनापत्र महामहिमके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री परममाननीय लॉर्ड एलगिनको भेजा गया था। श्री गांधी और श्री अलीने जो विरोध प्रकट किया है उससे हम पूर्णतः सहमत हैं और वे जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम हृदयसे उनको सहयोग देते हैं।

हमारे भाईने जिस मार्गका अनुसरण किया है, उसका कारण समझना सम्भव नहीं है, क्योंकि हमने तो उन्हें वीर योद्धाकी भाँति दक्षिण आफ्रिकामें अपने देशवासियोंके पक्षका सदैव समर्थन करते हुए देखा है।

यह प्रार्थनापत्र श्री गांधीको एक राजनीतिक आन्दोलनकारी बताकर उनके सम्बन्धमें गलतफहमी पैदा करता है। उनसे और भारतीय कार्यसे हमारा कमसे कम १५ वर्षोंका सम्बन्ध है और वस्तुस्थितिके इस गाढ़े परिचयके आधारपर हम जिम्मेदारीके साथ कह सकते हैं कि उनका श्रम विशुद्ध रूपसे प्रेमका श्रम है और किसी स्वार्थपूर्ण लक्ष्यका साधन नहीं है।

आपका, आदि,
जॉर्ज वी० गॉडफ्रे
जेम्स डब्ल्यू० गॉडफ्रे

[अंग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काइव्ज: एल० जी० फाइल: १९०२–१९०६

परिशिष्ट – ४

ब्रिटिश भारतीय संघ
२५/२६ कोर्ट चेम्बर्स
रिसिक स्ट्रीट
जोहानिसबर्ग
नवम्बर १२, १९०६

सेवामें
निजी सचिव
परमश्रेष्ठ उच्चायुक्त
जोहानिसबर्ग

महोदय,

अपने संघकी ओरसे मैं उन हलफनामों[1] की प्रतियाँ यहाँ संलग्न कर रहा हूँ जो अब मेरे संघके अधिकारमें हैं। प्रार्थना है कि आप इन्हें यथासम्भव शीघ्र परममाननीय उपनिवेश-मन्त्रीके पास भेज दें।

आपका, आदि,
एच० पोलक
अवैतनिक कार्यवाहक मन्त्री
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काइव्ज़: एल० जी० फाइल: १९०२–१९०६

१. ये हलफनामे एक शान्ति न्यायाधिपतिके सामने बाजाब्ते दिये गये थे और इनपर एक दूसरेको प्रमाणित करते हुए कांडा स्वामी पिल्ले, सैमुअल विंसेंट टॉमस, शिव लिंगम् और वैदीवल नायडूने हस्ताक्षर किये थे। उन सबने प्रमाणित किया था कि डॉक्टर विलियम गॉडफ्रेने ब्रिटिश भारतीय संघके अधिकारका गलत प्रयोग करके ये हस्ताक्षर कोरे कागजपर ले लिये थे। स्वयं वह प्रार्थनापत्र जिसे गांधीजीने इस विषयपर लॉर्ड एलगिनको भेजे अपने एक वक्तव्यमें संक्षेपमें दिया था (पृष्ठ २०८–१३), और जिसका वास्तविक उद्देश्य डॉ० गॉडफ्रेने हस्ताक्षरकर्त्ताओंको सही नहीं बताया था, बादको तैयार किया गया था। जब ये तथ्य ज्ञात हुए तब गॉडफ्रेके प्रार्थनापत्रपर हस्ताक्षर करनेवालोंमें से बहुतोंने अपने हस्ताक्षर वापस ले लिये थे।

सामग्रीके साधन-सूत्र

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: उपनिवेश-कार्यालय, लन्दनके पुस्तकालयमें सुरक्षित कागजात। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९।

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली: गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९।

'इंडिया' (१८९०–१९२१): भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समिति, लन्दन द्वारा प्रकाशित। देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१०।

इंडिया ऑफिस ज्युडीशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स: भूतपूर्व इंडिया ऑफिसके पुस्तकालयमें सुरक्षित भारतीय मामलोंसे सम्बन्धित कागजात और प्रलेख, जिनका सम्बन्ध भारत-मन्त्रीसे था।

'इंडियन ओपिनियन' (१९०३–६१): साप्ताहिक पत्र, जिसका प्रकाशन डर्बनमें आरम्भ किया गया; किन्तु जो बादको फीनिक्समें ले जाया गया। यह १९१४ में गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकासे रवाना होने तक लगभग उन्हींके सम्पादकत्वमें रहा।

'जरनल ऑफ द ईस्ट इंडिया असोसिएशन': असोसिएशनका मुखपत्र, जो १८६७ में आरम्भ किया गया।

'मॉर्निंग लीडर' (१९०२–): लन्दनसे प्रकाशित दैनिक पत्र।

'नेटाल ऐडवर्टाइज़र': डर्बनका दैनिक पत्र।

'नेटाल मर्क्युरी' (१८५२–): डर्बनका दैनिक पत्र।

साबरमती संग्रहालय, अहमदाबाद: पुस्तकालय तथा संग्रहालय, जिनमें गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी काल और १९३३ तक के भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित हैं। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०।

'साउथ आफ्रिका' (१८८९–): लन्दनसे प्रकाशित साप्ताहिक पत्र।

'स्टार': जोहानिसबर्गसे प्रकाशित सान्ध्य-दैनिक पत्र।

'टाइम्स' (१७८८–): लन्दनसे प्रकाशित दैनिक पत्र।

'ट्रिब्यून' (१९०६–१९०८): लन्दनसे प्रकाशित दैनिक पत्र।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१९०६–१९०७)

१९०६

अक्तूबर २० : गांधीजी और श्री हाजी वजीर अलीका शिष्टमण्डल साउथैम्प्टन, इंग्लैंडमें पहुँचा। गांधीजीसे 'ट्रिब्यून' और 'मॉर्निंग लीडर' के प्रतिनिधियोंकी भेंट।
दादाभाई नौरोजीसे भेंट।

अक्तूबर २१ : शिष्टमण्डल लन्दन पहुँचा। प्रोफेसर परमानन्दके साथ गांधीजी जे० एच० पोलकके पास गये और उस दिन उन्हींके साथ रहे।
पण्डित श्यामजी कृष्णवर्मासे भेंट।

अक्तूबर २२ : गांधीजीका 'टाइम्स' को दक्षिण आफ्रिकामें एशियाइयोंकी कथित बाढ़के सम्बन्धमें पत्र।
एशियाई कानून संशोधन अध्यादेशके विरुद्ध ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके संघर्षके समर्थनमें नेटाल भारतीय कांग्रेसका प्रस्ताव।

अक्तूबर २५ के पूर्व : गांधीजी सर मंचरजी भावनगरीसे मिले।

अक्तूबर २५ : 'साउथ आफ्रिका' के प्रतिनिधिकी भेंट।
श्री अलीको देखने लेडी मार्गरेट अस्पताल गये।

अक्तूबर २५ : उपनिवेश उपमन्त्री विन्स्टन चर्चिलने ब्रिटिश लोकसभामें कहा कि नेटाल नगर-पालिका मताधिकार विधेयक उपनिवेश मन्त्रीके विचाराधीन है।

अक्तूबर २६ : गांधीजी सर विलियम वेडरबर्न और दादाभाई नौरोजीसे मिले।
भारतमें बंग-भंगका प्रथम वर्ष-दिवस शोक-दिवसके रूपमें मनाया गया।

अक्तूबर २७ : गांधीजीसे रायटरके प्रतिनिधिकी भेंट।
गांधीजी सर मंचरजी भावनगरी और सर जॉर्ज बर्डवुडसे मिले।

अक्तूबर ३० : सर मंचरजी भावनगरीसे भेंट।

अक्तूबर ३१ : उपनिवेश मन्त्री लॉर्ड एलगिनको भेजनेके लिए प्रार्थनापत्रका मसविदा बनाया।
सर रिचर्ड सॉलोमनसे लोकसभामें भेंट।

नवम्बर १ : राष्ट्रीय भारतीय संघ (नेशनल इंडियन असोसिएशन) द्वारा आयोजित स्वागत-समारोहमें उपस्थित।
'साउथ आफ्रिका' के प्रतिनिधिकी भेंट।

नवम्बर ३ : लन्दनके भारतीय संघ और अखिल इस्लाम संघकी बैठकोंमें भाग लिया।

नवम्बर ६ : एफ० एच० ब्राउन, सर कर्जन वाइली और अमीर अलीसे भेंट।

नवम्बर ७ : संसद-सदस्योंके सम्मुख भाषण।

नवम्बर ८ : शिष्टमण्डलकी लॉर्ड एलगिनसे भेंट।

नवम्बर ९ : गांधीजी और अली सर लेपेल ग्रिफिन और लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनसे मिले।

नवम्बर १० : गांधीजीकी बर्नार्ड हॉलैंडसे भेंट।

नवम्बर ११ : श्रीमती उमेशचन्द्र बनर्जीसे मिले।

नवम्बर १३ : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिके मन्त्रीसे मिलने गये।

नवम्बर १४ : लोकसभामें चर्चिलने डॉ० गॉडफ्रे और पिल्लेके आवेदनपत्रकी वास्तविकताके सम्बन्धमें जाँचका वचन दिया।

नवम्बर १५ : गांधीजी श्रीमती स्पेन्सर वॉल्टनसे मिले।

नवम्बर १६ के पूर्व : डब्ल्यू० टी० स्टैड और कुमारी विंटरबॉटमसे भेंट।

नवम्बर १६ : गॉडफ्रे और पिल्लेके आवेदनपत्रके सम्बन्धमें 'टाइम्स'को पत्र लिखा और 'साउथ आफ्रिका' के प्रतिनिधिको भेंट दी।

नवम्बर १७ के पूर्व : थियोडोर मॉरिसन, सर रिचर्ड सॉलोमन और कुमारी स्मियसे भेंट।

नवम्बर २० : दादाभाई नौरोजीको लन्दनवासी अंग्रेज और भारतीय प्रशंसकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष चुने जानेपर बधाई।

नवम्बर २२ : शिष्टमण्डलकी भारत मन्त्री जॉन मॉर्लेसे भेंट। चर्चिलने लोकसभामें कहा कि १९०६ का फ्रीडडॉर्प बाड़ा अध्यादेश अभी विचाराधीन है।

नवम्बर २३ : गांधीजी और अली, ए० जे० बालफ़र, ए० लिटिलटन, सर रेमंड वेस्ट और लॉर्ड रे से मिले।

नवम्बर २६ : गांधीजी द्वारा पूर्व भारत संघकी बैठकमें दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयों-सम्बन्धी विचार-विमर्शका सूत्रपात।

एशियाई कानून संशोधन अध्यादेशके सम्बन्धमें शिष्टमण्डलकी बात सुननेके लिए उदारदलीय संसद-सदस्योंका प्रधान मन्त्री सर हेनरी कैम्बेल बैनरमैनसे कहनेका निर्णय।

नवम्बर २७ : गांधीजीसे 'डेली न्यूज़' के प्रतिनिधिकी भेंट।

ब्रिटिश संसद-सदस्योंका एक शिष्टमण्डल प्रधानमन्त्रीसे मिला। प्रधानमन्त्रीने कहा कि वे 'अध्यादेशको पसन्द नहीं करते और वे लॉर्ड एलगिनसे बातें करेंगे।"

नवम्बर २८ : विन्स्टन चर्चिलसे भेंट।

ऑरेंज रिवर कालोनीके नये संविधानमें एक निश्चित सीमा तक वतनी मताधिकार रखनेकी वांछनीयताके सम्बन्धमें प्रश्न करनेपर लोकसभामें चर्चिलने यह आशा व्यक्त की कि उपनिवेशकी संसद 'सब सभ्य लोगोंके लिए समान अधिकार' के सिद्धान्तको उचित मान्यता देगी।

नवम्बर २९ : गांधीजी और अलीका होटल सेसिलमें मित्रों और हितैषियोंको अपनी रवानगीके उपलक्ष्यमें जलपान।

दिसम्बर १ : इंग्लैंडसे दक्षिण आफ्रिकाको रवाना।

दिसम्बर ३ : चर्चिलने लोकसभामें सूचना दी कि उपनिवेश मन्त्री "आगे और विचार किये बिना" महामहिमको ट्रान्सवाल अध्यादेश लागू करनेकी सलाह नहीं दे सकते और उसपर "फिलहाल आगे कार्रवाई" नहीं की जायेगी।

दिसम्बर ६ : ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर कालोनीको स्वशासन दिया गया।

दिसम्बर १८ : ट्रान्सवालका शिष्टमण्डल केप टाउन पहुँचा।

दिसम्बर २० : शिष्टमण्डल केप टाउनसे जोहानिसबर्गको रवाना।

दिसम्बर २२ : शिष्टमण्डलका जोहानिसबर्गमें स्वागत।

दिसम्बर २३ : गांधीजीका ब्रिटिश भारतीय संघकी बैठकमें भाषण। जोहानिसबर्गमें उनको और अलीको मानपत्र।

दिसम्बर २५ : प्रिटोरिया, बॉक्सबर्ग और जर्मिस्टनके भारतीयों द्वारा गांधीजी और अलीको मानपत्र।

दिसम्बर २६ : डर्बनमें स्वागत; गांधीजी द्वारा ऐक्यकी और संघर्ष जारी रखनेकी अपील। भारतमें दादाभाई नौरोजी द्वारा 'स्वराज्य' कांग्रेसका लक्ष्य घोषित। वन्दे मातरम् गीतका कांग्रेस अधिवेशनमें प्रथम बार गायन।

दिसम्बर २७ : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने प्रस्ताव द्वारा यह "गम्भीर आशंका" प्रकट की कि यदि साम्राज्य सरकार दृढ़तापूर्वक संरक्षण न देगी तो ट्रान्सवालमें स्वशासन मिलते ही अध्यादेशकी नीतियोंका "अमलमें लाया जाना लगभग निश्चित" है।

दिसम्बर २९ : वेरुलमके भारतीय समाज द्वारा शिष्टमण्डलका स्वागत।

१९०७

जनवरी १ : नेटाल भारतीय कांग्रेस द्वारा डर्बनमें स्वागत। गांधीजी द्वारा संगठित कार्रवाईकी अपील।

जनवरी २ : फीनिक्स गये। गांधीजी और अलीने इंग्लैंडमें शिष्टमण्डलके कामका विवरण सुनाया।

जनवरी ३ : डर्बनमें मुस्लिम संघकी बैठक; गांधीजीकी एकता और सहयोगकी अपील। नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामें भाषण।

जनवरी ५ : गांधीजी और अलीको डर्बनमें नेटाल भारतीय कांग्रेसकी ओरसे बुलाई गई सभामें मानपत्र।

जनवरी १२ के पूर्व : गांधीजीने 'आउटलुक' को इस बातपर जोर देते हुए लिखा कि भारतीय नागरिक अधिकार चाहते हैं; राजनीतिक सत्ता नहीं।
साम्राज्यीय सरकार द्वारा फ्रीडडॉर्प बाड़ा अध्यादेशपर स्वीकृति।

फरवरी १५ : गांधीजीने कुवाड़ियाके नाबालिग पुत्रकी ओरसे अनुमतिपत्रके मामलेमें पैरवी की और उसको बरी करा दिया।

फरवरी १८ : चर्चिलने लोकसभाको बताया कि नेटाल सरकारको एशियाइयोंको व्यापारिक परवाने न देनेके सम्बन्धमें कानून बनानेकी मंजूरी देनेसे इनकार कर दिया गया है और उपनिवेश कार्यालय १८९७ के कानूनके सम्बन्धमें नेटाल सरकारसे लिखा-पढ़ी कर रहा है।

फरवरी १९ : चर्चिलने संसदमें घोषणा की कि फ्रीडडॉर्प बाड़ा अध्यादेशके अन्तर्गत बेदखल किये गये भारतीयोंको हर्जाना देनेके सम्बन्धमें उपनिवेश कार्यालय और ट्रान्सवाल सरकारके बीच बातचीत चल रही है।

मार्च २ : एशियाई पंजीयकके सम्मुख पुलिस द्वारा अँगुलियोंकी निशानियाँ लेनेके विरुद्ध ब्रिटिश भारतीय संघकी आपत्ति।

मार्च ८ के पूर्व : गांधीजी फोक्सरस्ट गये।

मार्च १० : ब्रिटिश भारतीय संघ और भारतीय विरोधी कानून-निधि समितिकी बैठकोंमें भाग।

मार्च ११ : ब्रिटिश भारतीयोंकी आम सभामें सम्मिलित हुए।

मार्च १९ : एशियाई कानून-संशोधन विधेयक 'गज़ट' में प्रकाशित।

मार्च २२ : एशियाई कानून-संशोधन विधेयक ट्रान्सवाल संसदमें स्वीकृत।

मार्च २४: गांधीजीका ब्रिटिश भारतीय संघ और भारतीय विरोधी कानून-निधि समितिकी दूसरी बैठकमें भाग।

मार्च २९: ट्रान्सवालके भारतीयोंकी आम सभामें एशियाई कानून-संशोधन विधेयकके विरुद्ध आपत्ति और स्वेच्छया पंजीयनका प्रस्ताव।

अप्रैल ४: गांधीजीने प्रिटोरियामें स्मट्ससे भेंट की और उनको २९ मार्चकी आम सभामें स्वीकृत प्रस्ताव दिये।

अप्रैल ८: डर्बनमें नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामें भाषण।

अप्रैल ९: उपनिवेशमें अनधिकृत प्रवास-सम्बन्धी असत्य वक्तव्यकी भूल सुधारते हुए 'नेटाल ऐडवर्टाइज़र' को पत्र लिखा।

अप्रैल २१: स्प्रिंगफील्डकी मलेरिया सहायक समितिके सदस्य चुने गये।

अप्रैल २४: संसद-सदस्योंकी सभामें तय हुआ कि ट्रान्सवालके भारतीयोंकी समस्याओंके सम्बन्धमें जनरल बोथा और मॉर्लेसे शिष्टमण्डल मिले।

अप्रैल २९: लॉर्ड ऐम्टहिलके नेतृत्वमें शिष्टमण्डल जनरल बोथासे मिला। बोथाने इस बातका खण्डन किया कि नये कानूनका कोई मंशा उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोंकी भावनाओंको ठेस पहुँचानेका है।

अप्रैल ३०: गांधीजीने 'इंडियन ओपिनियन' में एक पत्र लिखकर एशियाई अध्यादेशका विरोध करनेकी प्रतिज्ञा की और भारतीयोंसे अपील की कि वे अपनी स्थितिपर दृढ़ रहें। सर हेनरी कॉटनके नेतृत्वमें शिष्टमण्डल मॉर्लेसे मिला। मॉर्लेने एशियाई पंजीयन अधिनियमके अन्तर्गत नियमोंमें, जो परिवर्तन सम्भव हों, करनेके लिए जनरल बोथाको पत्र लिखना मंजूर किया।

मई ४: गांधीजीने डर्बनके भूतपूर्व पुलिस सुपरिटेंडेंट अलैक्जेंडरको मानपत्र देते हुए एक सभामें भाषण दिया।

मई ६: नेटाल भारतीय कांग्रेसकी ओरसे उमर हाजी आमद झवेरीको भारत जाते हुए विदाई देनेके लिए आयोजित की गई सभामें भाषण दिया। एक दूसरी सभामें अनुमतिपत्र कार्यालयके बहिष्कारका सुझाव दिया।

मई ७: 'नेटाल मर्क्युरी' के प्रतिनिधिने भेंट की।

उमर हाजी आमद झवेरीको दिये गये विदाई-भोजमें शामिल हुए।

चर्चिलने लोकसभामें जनरल बोथाके इस आश्वासनकी सूचना दी कि ट्रान्सवाल अध्यादेशके अन्तर्गत नियमोंकी अवांछनीय अवस्थाओंको यथासम्भव दूर करनेकी दृष्टिसे संशोधित कर दिया जायेगा।

एशियाई पंजीयन अधिनियमपर सम्राट्की स्वीकृति।

मई १०: गांधीजी डर्बनसे जोहानिसबर्ग वापस।

मई ११ के पूर्व: 'स्टार' के सम्पादकसे भेंट।

मई ११: ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिमें तत्कालीन स्थितिपर भाषण।

'स्टार' को पंजीयन अधिनियम-विरोधी भारतीयोंको निर्वासित करनेके सुझावकी आलोचना करते हुए पत्र।

मई २६: चीनी संघकी सभामें एशियाई विरोधी कानूनोंके सम्बन्धमें भाषण।

मई ३०: 'स्टार' को 'उपनिवेशियों' से पंजीयन अधिनियमको लागू न करने और भारतीयोंके स्वेच्छया पंजीयनको स्वीकार करनेकी अपील करते हुए पत्र।

शीर्षक-सांकेतिका

अँगुलियोंके वे निशान, ३७४
अंग्रेजोंकी उदारता, ३७५–७६
अखिल इस्लाम संघ, १८६–८७
अधीक्षक अलैक्जेंडर, २८८
अनुमतिपत्र कार्यालयका बहिष्कार, ४९६–९७
अनुमतिपत्र विभाग, ३९१–९२
अफगानिस्तानमें शिक्षा, ४३१
अमीरकी अमीरी २९८–९९
अल इस्लाम, ४५७
अलीगढ़ कालेजमें महामहिम अमीर हबीबुल्ला, ३६९–७०
(श्री) आदमजी मियाँ खाँ, ३३४
आवरकपत्र, १०८
आवेदनपत्र लॉर्ड एलगिनको, ४९–५७
इंग्लैंड और उसके उपनिवेश, ४३६–३७
इंडियन ओपिनियन, ३८४
इस्लामका इतिहास, ३९२
उचित सुझाव, २८९
उपनिवेश-सम्मेलन और भारतीय, ४५०–५१
उमर हाजी आमद झवेरी, ३७४–७५
उमर हाजी आमद झवेरीका त्यागपत्र, ४२९
उमर हाजी आमद झवेरीको विदाई, ४७५–८१
एक और दक्षिण आफ्रिकी भारतीय बैरिस्टर, ४९२
एक परिपत्र, ६८, २४८–४९
एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेश, ३८७–८८, ३९५
एस्टकोर्टमें मताधिकार की लड़ाई, ५०६–७
ऐडवर्टाइज़र की पराजय, ३४६–४७
औरतें मर्द और मर्द औरतें! ३५४
कच्ची उम्रमें बीड़ीका व्यसन, ८३
कठिनाईसे निकलनेका एक मार्ग, ३०८–९
कथनीसे करनी भली, ३१–३२
कल्याणदास जगमोहनदास [मेहता], ४७५
केप तथा नेटाल [के भारतीयों] का कर्तव्य, ४०२
केपका नया प्रवासी-कानून, ३६८
केपका परवाना कानून, ३४८
केपका प्रवासी अधिनियम, ३५५
केपका प्रवासी कानून, ३६६
केपके भारतीय, ४६७
केपमें अत्याचार, १७९
क्या भारतीय गुलाम बनेंगे?, ४७१–७२
क्या भारतीयोंमें फूट होगी? ३०९
क्लार्क्सडॉर्पके भारतीय और स्मट्स, ४६७
क्विनका भाषण, २९३–९४
(श्री) गांधीकी प्रतिज्ञा, ४६१–६२
गिरमिटिया भारतीय, ४७३
(श्री) गोगाका परवाना, ४६५
गैर कानूनी, ३७३–७४
घृणा अथवा अरुचि, ३२६–२८
चर्चिलका भाषण, ५०७
चीनी राजदूतके लिए पत्रका मसविदा, ६३
चैमनेकी रिपोर्ट, ४२८–२९
जर्मिस्टनसे जेल जानेवाले, ५०३
जापानकी चाल, ३०१
जेम्स गॉडफ्रे, ३७८–७९
जोहानिसबर्गकी चिट्ठी, २९६–९६, ३०५–६. ३१४–१६, ३२८–३०, ३४४–४६, ३५१–५३, ३५७–५८, ३६२–६३, ३७९–८२, ३८४–८५, ३९३–९५, ४०७, ४३२–३५, ४३८–४३, ४५३–५७, ४५७–६१, ४८१–८४, ४९८–५०३, ५०८–१३
टाइम्सको, लिखे पत्रका मसविदा, १६९–७०
टोंगाटका परवाना, ३४२
ट्रान्सवाल एशियाई अध्यादेश, ४००–२
ट्रान्सवाल भारतीयोंकी आम सभाके प्रस्ताव; ३९८–९९
ट्रान्सवालकी आम सभा, ३१०
ट्रान्सवालकी लड़ाई, ४९३–९४, ५०५–६
ट्रान्सवालके पाठकोंसे विनती, ४०९
ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय, ११३–१६

ट्रान्सवालके भारतीय, ३२५-२६
ट्रान्सवालके भारतीयोंका कर्तव्य, ४३६
ट्रान्सवालके भारतीयोंकी विराट सभा, ४११-२३
ट्रान्सवालके भारतीयोंको चेतावनी, ३७७
डर्बनके आसपास मलेरिया, ४५१
डर्बनके मानपत्रका उत्तर, १८०
डर्बनके स्वागत समारोहमें भाषण, २८२-८३
डर्बनमें जमीनवाले भारतीय, ४३१
तम्बाकू, २८५-८६
तार,–अमीर अलीको, १२;–इंडियन ओपिनियनको, २८६;–उपनिवेश मन्त्रीको,४२४;–एशियाई पंजीयकको, ३७०, ३७१, ३७१-७२;–जे० एस० वायलीको, ३८०,–दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिको, २७८, ३५३, ३९६, ४२४-२५, ४३५, ४९०, ४०६;–लॉर्ड एलगिनको, ४०६;–सर जॉर्ज वर्डवुडको, ११;–सर मंचरजी मे० भावनगरीको, ११
थियोडोर मॉरिसन, ३२६
दक्षिण आफ्रिकामें होनेवाले कष्टोंकी कहानी, ४३०
दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति, ३४१-४२,३६७, ३८९-९०
नीति धर्म अथवा धर्मनीति–१, २८९-९२; –२, २९६ –९८;–३,३०१;–४,३१६-१९;–५,३३०-३२; –६, ३३५-३७;–७, ३४९-५०;–८,३५१-६१
नेटालका नगरपालिका विधेयक, ३५६
नेटालका परवाना कानून, ३४७-४८, ४१०
नेटालकी 'सार्वजनिक सभा,' ३८३-८४
नेटालमें भारतीय व्यापारी, ३४३
नेटालमें व्यापारिक कानून, ३५६
नेटाल भारतीय कांग्रेस; –की बैठक, ४२५-२६
नेटाल मर्क्युरी और भारतीय व्यापारी, ३१३
नेटालका परवाना कानून, ३०९-१३
पंजाबमें हुल्लड़, ४६८
पत्र, –अखबारोंको, २६७-६८;–अब्दुल कादिरको, १५४; –अमीर अलीको ७८, ९४;–अल्बर्ट कार्टराइटको, ८७, ९८, १०६-७;–अल्बर्ट ध्रुम वेस्टको, २२-२३; –आउटलुकको, २९२-९३; –आर्कीबाल्ड और कान्स्टेबल व कं० को, २०५; –उमर एच० ए० जौहरीको, १५३; –ए० एच० गुलको, १४, २५८; –ए० एच० वेस्टको, ७१, १५१-५२; –ए० एच० स्कॉटको, ८१-८२; –एच० ई० ए० कॉटनको, १०१-०२, २१९; –एन० सिलियर्सको, ७५-७६; –एम० रीच मैकेंजीको, ५९, १०३; –ए० जे० चाल्फरके निजी सचिवको, २०२, ११४ –ए० डब्ल्यू० अराथून –को; ८६; –एफ० मैकारनिसको, ६-७ ३७; –एफ बाउनको, ३९, ४८, ८६, ९९, २१६, २५७; –ए० बॉनरकी पेढीको, ७९, १००, १७८; –एम० एन० डॉक्टरको; ४१, २३४; –'एम्पायर' टाइपराइटिंग कम्पनीको, १९१·२००; –एल० एम० जेम्सको, १४-१५, १६३ –एल० डब्ल्यू० रिचको, १६, २५-२६; –ए० लिटिल्टनको, २०४; –एशियाई पंजीयकको, ३७१ –एस० एम० मंगाको १२, १५०; –एस० जे० मीर्नीको, २६६; –एस० हॉलिकको, ७५, १०७, ११९, १४०-४१, १७१, २१८, –कल्याणदास मेहताको, ४५०; –काउंटी स्कूलके प्रधानाध्यापकको, १०१, –काउन्टी स्कूलके मंत्रीको, १९२; –कुमारी ई० जे० बेकको, २३४, २५०, २६५;–कुमारी एडिथ लॉसनको, ७४, २६४; –कुमारी ए० एच० स्मिथको, २३३, २५३; –कुमारी एडा पायवेलको, ६१; –कुमारी एथा रोजनबर्गको, १०५; –कुमारी विंटरबॉटमको, १६८; –कैल्नबैकको, ७०; –क्लॉड हे को, २४१; –क्लेमिन्ट्स प्रिंटिंग वर्क्सको २००; –चार्ल्स एफ० कूपरको, १६६; –छगनलाल गांधीको, २३, (का अंश), २८७, (का अंश), २८८, ३२०-२१, ३२२-२३, ३२४-२५, ३३३, ३३७-३८, ३३९-४०, ३६४, ३७२-७३, ३८६, ३९७-९८, ४४३-४४, ४४९, (का अंश), ४७०, ४८९, ४९०-९१, ४९१-९२; –जॉन मॉर्लेके निजी सचिवको; १४२-४३, १६७, १९६-९७, २३८, २४५, –जॉर्ज गॉडफ्रेको, ५८, –जॉर्ज वॉल्पोलको, ९५, –जी० जे० एडमको, १८-१९, ७२, ९५, ९७, १९४, –जी० डब्ल्यू० एम० ग्रिगको २१६; –जे० एच० पोलकको, १३. ४३-४४, ७८, १११, २६५-६६;–जे० डब्ल्यू० मैकिंटायरको, १५२, –जे० डी० रीज़ को, १०२, १९३, १९८; –जे० सी० गिब्सनको, ७४; –जे० सी० मुकर्जीको, २६, ४०, ७२, १७१, –जोजेफ़ क्रिचिनको, ९४, १४६; जोजेफ़ रायप्पनको, ४१, १०६; –टाउन क्लार्कको ३३८-३९, –टी० जे० बेनेटको. १७४, १८१, २५७; –टाइम्सके सम्पादकको, ९६; –टाइम्सको, ४-६, १५७-५९, १७६-७७; –ट्रान्सवाल अग्रगामी दलको, ४६५; –ट्रान्सवाल लीडरको, ३६५; –डब्ल्यू० ए० अराथूनको, १६५, १९९; –डब्ल्यू० ए० वेवेलको, ८०, १७३-७४; –डब्ल्यू० जे० मैकिंटायरको, ७१; –डब्ल्यू० जे० वेस्टको, १५५; –डब्ल्यू० टी० स्टेडको, १४०, १८९; –डब्ल्यू० पी० मारसको, ४४; –डॉक्टर जे० ओल्डफील्डको, २५, ३५, ५९-६०, १०५, १४७, १३८, २२८, २४४; –टी० जी०

पान्से को, २६४; –थियोडोर मॉरिसन को, १६५, १७७, २३२–३३, २४६; –दादाभाई नौरोजी को, १७५, १९०, ३९७; –नेटाल ऐडवर्टाइज़रको, ४२६–२८; –नेटाल बैंकके प्रबन्धकको, ८७; –नेशनल लिबरल क्लबके मन्त्रीको, २१५; –प्रोफेसर गोखलेको, २७१; –प्रोफेसर परमानन्दको, २६–२७, ४७; –बर्नार्ड हॉलैंडको, १६४, १८२, २५३; –भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिको, १८९–९०, २१८, २५६; –युक लिन ल्यूको, २८, ६० ८१; –रेमिंगटन टाइपराइटर कम्पनीको, २१७; –लक्ष्मीदास गांधीको, ४४४–४८; –लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवको, १७, ३८, ६१, ६९, ७६–७७, १०१, १०९–१०, १३५–३६, १४३, १५६, १६१–६२, २०७–८, २३९–४०, २६८; –लॉर्ड एलगिनको, ९७–९८; –लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनको, ८२; –लॉर्ड मिलनरके निजी सचिवको, २०३; –लॉर्ड रे को, ४२, २०३, २४२, २६२–६३; –लॉर्ड स्टैनलेको, ४८, १६३, ११४, २५८; –लॉर्ड हैरिसको, २५१–५२; –विन्स्टन चर्चिलके निजी सचिवको, २०४, २१५, २५५; –विन्स्टन चर्चिलको, १७२; –बुलगर व रावर्ट्सकी पेढ़ीको, १५५, १८९, १९८; –श्यामजी कृष्णवर्माको, ३७; –श्री कैमरान, किंग व कं० को, १३९; –श्रीमती जी० ब्लेयरको, १३६, १६७; –श्रीमती फ्रीथको, १३७, १७०; –श्री वार्न्स को, १३८; –श्रीमती वार्न्स को, –श्रीमती स्पेंसर वॉल्टनको, ४५, ७३, १७८ –७८; –सर आर्थर मसेरको, ४४; –सर इवान्स गॉर्डनको, २४७; –सर चार्ल्स डिल्कको, ८८, १००, १४१, २०६, ६६–६७; –सर चार्ल्स श्वानको, १०८ –सर जॉर्ज बर्डवुडको, १५, १६६, २०६, २५१; –सर टी० एच० थॉर्नटनको, ७७, ८९; –सर मंचरजी मे० भावनगरीको, १८, १४२, १६०–६१, २०५, २५२ –५३; –सर रिचर्ड सॉलोमनको, १३८–३९, १७२; –सर रेमंड वेस्टको, २६२; –सर रोपर लेथब्रिजको, २१७, २४७–४८; –सर लेपेल ग्रिफिनको, ८८, १५९, २५९; –सर वॉल्टर लॉरेंसको, १९९; –सर विलियम मार्कबीको, २०१, २४६; –सर विलियम वेडरबर्नको, १३६, ११०, ३९६–९७; –सर हेनरी कॉटनको, २४, ७९–८०, १५१, १६२, १६३, १९३ –साउथ आफ्रिकाको, २३१–२२; –साउथ आफ्रिकाके सम्पादकको, २०७; –सी० एच० बॉगको, २६३; –सेंट एडमंडकी सिस्टर-इन-चार्जको, ९६; –सैम हिम्बीको, ११६; –स्टारको, २६३–६४, ४६६, ४८७ –८८, ५१४–१५; –हाजी वजीर अलीको, २७–२८, ३३–३४, ४३, ६२; –हेनरी एच० एल० पोलकको, १९–२२; –हेनरी एस० एल० पोलकको, ६९–७०, १४४–४५, १८०–८१; –हैरॉल्ड कॉक्सको, १६०, ६७–७२.

परवानेका मुकदमा, ३७८

परवानेकी तकलीफ, २९९

परिपत्र, ४६–४७; –लोकसभाके सदस्योंकी बैठकके लिए, ९३

प्रमाणपत्र, कुमारी एडिथ लॉसनको, २५४

प्रार्थनापत्र, लॉर्ड एलगिनको, ८४–८५, ११७–११९

फ्रांसीसी भारत, ४५३

फ्रीडडॉर्प अध्यादेश, २९४, ३६७–६८

ब्रिटिश भारतीय संघकी बैठक, ५०४

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, २८५

भाषण, –चीनियोंकी सभामें, ५१३; –लन्दनके विदाई समारोहमें, २५९–६१

भूतपूर्व अधीक्षक अलैक्जेंडर, ४३०

भेंट, –ट्रिब्यूनको, १–२; –नेटाल मर्क्युरीको, ४६८–७०; –मॉर्निंग लीडरको, २–४; –साउथ आफ्रिकाको, ७–१०, ६४–६६; –रायटरको, ३३

भोजनोपरान्त भाषण, २८०–८१

मदनजीतका उत्साह, ३२१

मनगढ़न्त, ३०७–८

मर्क्युरी और भारतीय व्यापारी ३६६–६७

मलायी बस्ती, ३८८

मलेरिया और भारतीयोंका कर्तव्य, ३९१

माननीय प्रोफेसर गोखलेका महान प्रयास, ४३०

मिडिलबर्गकी बस्ती, ३४४

मिलमें परिवर्तन, ४३८

मिस्रमें स्वराज्यका आन्दोलन, ३७७

मुस्लिम-संघके मानपत्रका जवाब, २८१–८२

राष्ट्रका निर्माण कैसे हो ? ३१९

लंदन भारतीय संघकी सभा, १८३–८६

लॉर्ड एलगिनके नाम लिखे पत्रका मसविदा, ३२, ४५–४६ ११२–१३

लॉर्ड सेल्बोर्नका खरीता, ३८२–८३

लेडीस्मिथका परवाना, ३५५, ४७३

लेडीस्मिथकी अपीलें, ४३७

लेडीस्मिथकी लड़ाई, ३९५

लोकसभा-भवनकी बैठक, १११–१२

लोबिटो-बेको जानेवाले भारतीय, ४०३

विक्रेता परवाना अधिनियम, ३९९–४००

वेरुलमके मानपत्रका उत्तर, २७७

शतरंजकी बाजी, ४९६

शिक्षा-अधीक्षककी रिपोर्ट, २८३–८४

शिक्षा किसे कहा जाये? ४९७-९८
शिक्षित भारतीयोंका कर्तव्य; ३०६;
शिष्टमण्डल, श्री मॉर्लेकी सेवामें, २१९-३१; -लॉर्ड एलगिनकी सेवामें १२०-३५
शिष्टमण्डलकी टीपें-१, १४७-५०; -२, १९४-९६; -३, ५३५-३७; -४, २७३-७५
शिष्टमण्डलकी यात्रा, -४, २९-३०; -५, ८९-९२
शिष्टमण्डल द्वारा आभार प्रकाशन, २७६
शुद्ध विचार, ४५१-५२
संसद-सदस्योंके लिए प्रश्नोंका मसविदा, १८७-८८
सम्भावित नये प्रकाशन, २८६
सर जेम्स फर्ग्युसन, ३२६
सार्वजनिक सभा, ३८१-८२
सिंहावलोकन, २७८-७९
स्त्री-शिक्षा, २९९-३००
स्वागत सभामें प्रस्ताव, २७६-७७
स्वागत समारोहमें भाषण, २७७
हेजाज रेल्वे: कुछ जानने योग्य समाचार, ४८४-८६

सांकेतिका

अ

अँगुलियों, –की छाप, ३९४; –के वे निशान, ३७४
अँगूठा-निशानी, –स्वेच्छासे, २१३
अंग्रेज मेरी नजरमें (इंग्लिशमैन ऐज़ आई फाइंड हिम), १८३ पा० टि०
अंग्रेजी पंजीयन प्रमाणपत्र, –भारतीयों द्वारा लॉर्ड मिलनरकी सलाहपर स्वीकृत, ३
अंग्रेजी शासन, –का यहूदी गुलामी पुनरुज्जीवित करनेका विचार, २
अंग्रेजों, –तथा जापानके बीच मैत्रीभाव, ३०१; –की उदारता, ३७५–७६
अंजुमन-ए-इस्लाम, १८६, ४७४
अंडमान द्वीप, ३३६
अखबारों, –की एशियाई विधेयकपर टीका, ४०५; –को पत्र, २६७–६८
अखिल इस्लामवाद, १८६
अखिल इस्लाम संघ, १८६–८७, १९५; –का लॉर्ड एलगिनको निवेदनपत्र, १८१
अखिल भारतीय कांग्रेस, ३२१, ४२२
अजमेर, ९०
अधिनियम १८, १८९७, ३९९ पा० टि०
अनधिकृत आव्रजन, –भारतीयोंका, बड़े पैमानेपर, ३
अनधिकृत प्रवेश, –और वर्तमान व्यवस्था, ५२
अनाक्रामक प्रतिरोधियों, –के रूपमें चीनी, ५१५
अनिवार्य पंजीयन कानून, –अपमानजनक, ४१६ ४३८; –से व्यक्तिकी निजी आजादीपर नियन्त्रण, ४८७
अनुदार दल, ११४
अनुमतिपत्र, ३९५; –का कानून, ३७९; –का मुकदमा, ३८५; –के नियम बनाते ग्रेप, ४८३; –के पाँच मुकदमें, ३५७–५८; –के सम्बन्धमें चेतावनी, ४३४; –पर फोटो, ३६९; अनुमतिपत्रों, –की जाँच, ३७०; –की सूचना, ३६२–६३; –के मुख्य सचिवको अनुमतिपत्रोंकी मंजूरीका काम हस्तान्तरित, ५१
अनुमतिपत्र अध्यादेश, ३३
अनुमतिपत्र-विभाग, ३९१–९२, ४१९ पा० टि०, ४३४, ४७७, ५०४, ५०८–९; –कानूनसे अनुमतिपत्र देनेके लिए बाध्य नहीं, ३०६; –का बहिष्कार, ४१५, ४९६–९७; –का बहिष्कार करनेका भारतीयोंको सुझाव, ४८३; –की शरारत, ३५२; –के साथ सम्बन्ध रखनेसे कोई लाभ नहीं, ४९७; –को बन्द कर देनेकी सलाह, ४८८
अन्टु दिस लास्ट, ४८९ पा० टि०
अप्पासामी, वी०, –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२१
अफगानिस्तान, ३७०; –के अमीर, २९८ ३६९–३७०; –में शिक्षा, ४३१
अफेन्दी, उस्मान मुहम्मद, २८१
अबूबकर, १२५–२६
अबूहुदा, शेख, ४८५
अब्दुल्ला, दादा, २८२, ४७५
अमगेनी, –का भारतीय मदरसा, २८३; –के पूर्व किनारेपर भारतीयोंमें मलेरिया, ४२६
अमलाजी न्यायालय, ३२७
अमीरुद्दीन, ४११, ५०४
अमृत बाजार पत्रिका, १९४
अमृतसर, ४३०
अमेरिका, –और जापान, २९५; –तथा जापानमें मुठभेड़की आशंका, ३०१
अरबोंका संक्षिप्त इतिहास (ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द सैरासिन्ज़), १२ पा० टि०
अरमेलो, ३६३
अराथून, ए० डब्ल्यू०, –को पत्र, ८६
अराथून, डब्ल्यू० एच०, –को पत्र, १६५
अराथून, सी० डब्ल्यू०, ३०, ७७, ८९, १९७, २१४ पा० टि०, २५९ पा० टि०; २७२, २३५; –के प्रति आभार-प्रदर्शन, २४९; –को पत्र, १९९
अल इस्लाम, ४५७
अलीगढ़, १९४; –कॉलेज, ११ पा० टि०, १६५ पा० टि०, ३७०, ४३०; –में महामहिम अमीर हबीबुल्ला, ३६९–७०
अली, सैयद अमीर, १८–२०, ३०, ३२, ३८, ४२, ४६, पा० टि०, ६२, ९१, १०१, १२०, १४४, १४७–१८६, १९७, २०५, २१४ पा० टि०, २४३, २५७, २५९, पा० टि०, २८२, २८७, ४६०; –का वक्तव्य, १३१; –की इस्लामकी भावना (स्पिरिट ऑफ इस्लाम), २८६; –को तार, १२; –को पत्र, ६८, ९४; –से व्यक्तिगत मुलाकात, १४९
अली, हाजी वजीर, १, ७, १०–११, १४ पा० टि०, १५, १७, २१, २८, ३४–३५, ४२, ४७, ५७–५८, ६१, ६६–६८, ७०, ८२, ८९–९१, ९८, १०२,

१०५-६, १११, ११७, १२०-२१, १२४, १२६, १२८-२९, १३४, १३६, १३९-४३, १४६, १४८-५०, १५३-५५, १५५-६०, १६२, १६४, १६७, १७१-७२, १७४-७५, १८१, १८३, १९८-९९, २०१, २०३-८, २१२, २१४, २१६-१७, २२१, २२३, २३३, २३८, २४१-४२, २४६-४८, २५१, २५३, २६०, २६२, २६४, २७२, २७४, २७६ पा० टि०, २७७, २८०-८२, ३०५, ३४१, ३४६, ३९८ पा० टि०, ४११, ४३२; –केप टाउनमें, ४६१; –गठियासे पीड़ित, ३९; –बीमार, ३५; –शिष्टमण्डलके सदस्य नियुक्त, ६; –हुल्लड़बाज, १९५; –का लॉर्ड एलगिनके सामने दिया गया वक्तव्य, १२७-२८; –का दक्षिण आफ्रिकाका जीवन, २१०; –का प्रस्ताव और भाषण, ४१८-१९; –का लेडी मारगरेट अस्पतालमें इलाज, १९; –का वक्तव्य, २२३; –की सर रिचर्ड सॉलोमनके साथ मुलाकात, १९५; –को डॉ० गॉडफ्रेका परिचय-पत्र, २११; –को पत्र, २७-२८, ३३-३४, ४३, ६२

अली, –श्रीमती, २१

अलैक्जेंडर, अधीक्षक, २८८, ४३०; –की भारतीयोंपर कृपादृष्टि, २८८

अलीरिया, ३१८

अस्वात, इब्राहीम, ४११

अस्वात, ई० एम०, का भाषण, ४२१

अस्वात, ए० एम०, ५०४

अहमद, सुलेमान, ५०४

आ

आँगलिया, मुहम्मद कासिम, ३३४, ३८७ पा० टि०, ४७५, ४७७, ४७९-८०, ४९७

आउटलुक, २१६, २४६; –को पत्र, २९२

आकुजी, अलीभाई, ४०५, ४११, ५०४

आक्रमणकारी प्रतिबन्धात्मक विधान, २६८ पा० टि०

ऑक्सफोर्ड, २०२, २४६; –में श्यामजी कृष्णवर्मा प्रोफेसर नियुक्त, ८९; –से श्यामजी कृष्णवर्माको उपाधि उपलब्ध, ९०

आगाखाँ, २७१

ऑटोमन सरकार, २४६

आत्मकथा, ७० पा० टि०, २२८ पा० टि०

आदम, अब्दुल हाजी, ४२६

आदमी अने तेनी दुनिया, २९७

आधुनिक भारत (मॉडर्न इन्डिया), १०१ पा० टि०

आफ्रिकन वर्ल्ड, १८९

ऑवरकैंफ, –का युद्ध, २९१

आमद, अब्दुल्ला हाजी, ४७४

आमद, उमर हाजी, –और दाउद मुहम्मद द्वारा व्यक्तिगत जमानत, ३९०

आमर्सफुर्ट, ५१२

आयरलैंड, (श्री) –की दृष्टिमें एशियाई एक प्रकारकी प्लेगकी बीमारी, ४५९

आरडट, वेन, ३६३

ऑरेंज रिवर उपनिवेश, ४५६; –का कानून ट्रान्सवालमें लागू करनेका सुझाव, ३२५; –में काले लोगोंके लिए कानून, ११५; –में गोरोंका दिवाला, ४२२

आर्कीबाल्ड, –और कॉर्सटेवल व कं० को पत्र, २०५

आर्नल्ड, मैथ्यू, –धर्मनीतिपर, ३६१

आर्मोडेल कौंसिल, २३

आर्य समाज, पंजाबका, १७८

आलम, मीर, ७५ पा० टि०

ऑस्टिन, ८५

आस्ट्रेलिया, –के विक्टोरिया प्रान्तमें सिग्रेट पीनेकी आदतको रोकनेके लिए कानून, ८३

आहत-सहायक दल, १२१

इ

इंगलतुक, ९४, १४६

इंग्लिशमैन, १६१ पा० टि० २४७

इंडियन ओपिनियन, २ पा० टि०, ४ पा० टि०, ७ पा० टि०, १९, २३, ३४, ३६, ६४ पा० टि०, ८९ पा० टि०, ९७, ९९, ११५, १४७ पा० टि०, १५२, १५४-५५, १८२, १८३ पा० टि०, १८६ पा० टि०, २०५ पा० टि०, २०८, २१०, २१९, २५९ पा० टि०, २६३-६४, २६७ पा० टि०, २६८ पा० टि०, २७६ पा० टि०, २८७-८९, ३२३ पा० टि०, ३३३ पा० टि०, ३३७ पा० टि०, ३४८ पा० टि०, ३५१-५३, ३६२-६४, ३६५ पा० टि०, ३७२ पा० टि०, ३८८, ३९७, ४०९, ४३५, ४६१, ४७० पा० टि०, ४७५-७६, ४८१, ४८३, ४८९ पा० टि०, ४९८, ५०८, ५१२, ५१५ पा० टि०, –को तार, ३८६

इंडियन जनरल स्टाफ कोर, २४७ पा० टि०

इंडियन रिव्यू, ३१९, ४५१

इंडिया, २ पा० टि०, ४ पा० टि०, ६ पा० टि० २०, २२, ३०, ३६, ७९ पा० टि०, १८०, १८७ पा० टि०, १८८ पा० टि०, १९१, २१८-१९, २६७ पा० टि०, ३९६-९७

इंडिया कौंसिल, १६५ पा० टि०

इंडिया ऑफिस, २९, ९०; –और श्यामजी कृष्णवर्मा, ८९-९२

इनर टेम्पल, ७, ४९, १२१
इन्स ऑफ कोर्ट होटल, २६४
इब्राहीम, ई०, ४९२
इब्राहीम, बी० पी०, ३३९
इमर्सन, आर० डब्ल्यू०, –नीतिपर, ३६१ –सेवस्त्व जातिपर, १८५
इमर्सन क्लब, १६८
इम्पीरियल इंस्टिट्यूट, ९९ पा० टि०
इरेस्मस, डी०, ३६३
इलाहाबाद, ४३०
इस्तम्बूल, ४८४–८६
इस्लाम, २०५; –का इतिहास, ३९२
इस्लामकी भावना (स्पिरिट ऑफ इस्लाम), १२ पा० टि०, २०५ पा० टि०; –का अनुवाद, २८६
इस्लामिया अंजुमन, १२१

ई

ईटन पाठशाला, ४९७

उ

उच्चस्तरीय सुविधा, २९३
उत्तरदायी शासन,–और ट्रान्सवालके लोग, २२८
उदयपुर, ९० पा० टि०
उदार दल, ९३, १०२, १११, ११३
उपनिवेश,–और केन्द्रीय सरकार, २२६; उपनिवेशोंमें, –जातिगत प्रभुताकी क्षुद्र भावनाको बढ़ावा, २२७
उपनिवेश कार्यालय, १०१, १६२, १८२ २०७, २१५, २२९, २३१, २५३, २६६, ३२५; –की परम्परागत नीति, १०९; –के अपने समस्त कार्यकालमें अन्यायपूर्ण कार्रवाइयोंका श्री चेम्बरलेन द्वारा विरोध, २२८; –में लॉर्ड एलगिनसे भारतीय शिष्टमण्डलकी भेंटका समय, ६७; –से प्रार्थनापत्र देखनेकी अनुमति, १७७
उपनिवेश मन्त्री, ७; –और आयोगकी नियुक्ति, १८८; –के पास आवेदनपत्र भेजनेका सुझाव, ३१०; –को तार, ४२४
उपनिवेश-सचिव,–का जवाब, ४३८; –की भारतीयोंको दसों अँगुलियोंकी छाप न देनेके विरुद्ध चेतावनी, ३; –द्वारा कानूनको प्रस्तावित करनेके कारणपर प्रकाश १; –द्वारा तार भेजनेसे इनकार, ४३४
उपनिवेश-सम्मेलन, १६९, ३३६, ३४१; –और भारतीय, ४५०–५१; –के बारेमें विन्स्टन चर्चिलका भाषण, ५०७; –में भारतीय प्रश्न, ४५७
उमफली जहाज, –पर भारतीय गिरमिटियोंके साथ होनेवाला व्यवहार, २२
उमर, ४९२
उमर, पीरन, ३८७ पा० टि०
उमर, सेठ, ३४१
उर्दू, १५४
उस्मान, अहमद, ४७५
उस्मान, दादा, ४२५, ४७५–७६, ४७८–७९; –व्यापारिक परवानेसे वंचित, ६५, –और हुंडामलके मामले, २७०
उस्मानिया-पदक, ४८५

ए

एडवर्ड, सम्राट्, ६३, ३८५, ४१९, ४५७; –का सन्देश, ४१८
एडिनबरा, १६२, २११
एडिनबरा विश्वविद्यालय, २०८
एथिकल रिलीजन, २८९ पा० टि०, २९०
एनफील्ड, १०५
एनाविस्स, ३७३
एफ० ब्रिन, २११
एफेन्दी, उस्मान अहमद, ४५७, ४७८, ४९०, ४९७
ए० बॉनर, –की पेढ़ीको पत्र, ७८, १००
एम्पायर, १९१
एम्पायर टाइपराइटिंग कम्पनी, –को पत्र, १९१, २००
एम्पायर नाटक घर, ४२१; –में आयोजित भारतीयोंकी एक विशाल सार्वजनिक सभा, ७, ४९, १८२
एलगिन, लॉर्ड, १, ३, ९–१२, १९–२०, ३०, ३८ पा० टि०, ४२, ४५, ५८ पा० टि०, ६४ पा० टि०, ६६, ६८, ७७–७९, ८१–८२, ८६, ८८, ९४, ९८, १००, १०२, १०७ पा० टि०, १०८, ११०, ११३–१४, ११६, ११९, १३८, १४०, १४५, १४८, १५१, १५३, १६०; १६५–६६, १६८–६९, १७१ पा० टि०, १७७, १८२, १९४, २१७, २२१, २२९–३०, २३२, २३६, २५१, २५३, २६६ पा० टि०, २६९, २७३, ३१३, ३१६, ३४२, ३५६, ३६६, ३८४, ३९६ पा० टि०, ४०४–५, ४०७, ४११–१२, ४१९, ४३२; –का उत्तर, २१२; –का जनरल बोथाको निमन्त्रण, ३८१; –का मरहम, ४८३; –का वक्तव्य, १३१; –का शिष्टमण्डलको उत्तर, १३२–३३; –की बातचीत, २०४; –की भेंट सन्तोषजनक, १४१, १४४, १५४; –की शिष्टमण्डलसे बातचीत, १२०–३५; –की सेवामें आवेदनपत्र, १९७; –के नाम तार, ४०२, ४३४; –के नाम लिखे गये पत्रका मसविदा, ३२; –के निजी सचिवको पत्र, १७, ३८, ६१, ६९, ७६–७७, १०१, १३५–३६, १४३, १५६, १६१–६२, २०७–८, २३९–४०,

२६८; –के निजी सचिवको पत्रका मसविदा, ३१; –के निजी सचिवसे नेटाल तथा ट्रान्सवालके सम्बन्धमें बातचीत, १९५; –के निर्णयकी लॉर्ड सेल्बोर्न द्वारा कटु आलोचना, ३५८; –के निर्णयपर सवाल, १६३; –को अखिल इस्लाम संघका निवेदनपत्र, १८१, १९४; –को आवेदनपत्र, ४९–५७, २२२; –को तार, १६२, १७६, १८०, २१२, ४०६; –को निवेदनपत्र, ४७; –को पत्र, ९७–९८; –को प्रतिनिधियोंका विस्तृत उत्तर, २४५; –को प्रार्थनापत्र, ११७–१९; –को मिलने वाली खबरें गलत, १४९; –की शिष्टमण्डलकी चेतावनी, ४७२; –को सख्त पत्र, ३८९, ३९०, ४५४; –को लॉर्ड सेल्बोर्नका खरीता, ३८२; –को विद्यार्थियोंकी अर्जी, १५०; –द्वारा एशियाई अध्यादेश रद्द, २७५; –द्वारा एशियाई अध्यादेशके सम्बन्धमें सारा इतिहास प्रकाशित, ३५८; –द्वारा ट्रान्सवाल कानूनपर रोक, २७८; –द्वारा नया कानून मंजूर करनेकी अफवाह, ४४२; –द्वारा नेटालके सम्बन्धमें लिखित मसविदेकी माँग, २७५; –द्वारा भारतीयोंके गलेमें सुनहरा डोरा, ४७१; –द्वारा लिखा-पढ़ी ३६७; –द्वारा शिष्टमण्डलको भेंटके लिए समय प्रदान, ४६; –द्वारा शिष्टमण्डलसे भेंटके लिए समय निश्चित, ६७, ७२; –द्वारा सरकारी विरोध होनेपर भी न्याय, ३८३; –में न्यायवृत्तिसे भय अधिक, ४८२; –से भारतीय शिष्टमण्डलकी मुलाकात, ९१, १४७–४८, २०७; –से भेंटकी तैयारी, ७३; –से भेंट होनेकी सम्भावना, ३४; –से शिष्टमण्डलकी भेंटका समय, ४३

एलिफेंट ऐंड कैसिल, ५९

एशिया क्वार्टरली रिव्यू, ३० पा० टि०

एशियाई, –और सोमाली, ३४५; –को अनुमतिपत्र मिलना सम्भव, ३६९; –शब्दका अर्थ, २०२; –शब्दके अन्तर्गत १८८५के कानून ३ के अनुसार आनेवाले लोग, २०३; एशियाइयों, –का ट्रान्सवालमें बड़े पैमानेपर आगमन, ६; –की सुरक्षाके गौरवपूर्ण तरीका, ५१५; –के अनुसार निर्बाध प्रवेशके विरुद्ध गोरोंकी संरक्षणकी माँग, ४६३

एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेश, २, ४, ७, ४२, ४९, ६३, ६५–६६, ८४, ९८, १०८, १२५, १४०, १४२, १५७, १६४, १६९, १७७, १८० पा० टि०, १८३, १८८–९०, २०४, २११, २१३, २२१, २५५, २९४, ३०५, ३१५, ३५४, ३८७, ३९५, ४२५, ४३३, ४३८, ४२४, ४८०, ५१७; –एक दण्डात्मक कानून, ५७; –और वर्गभेदकारी नया कानून, ११४; –ट्रान्सवाल विधानपरिषद् द्वारा स्वीकृत, ६; –फिरसे नई संसदमें प्रस्तुत करनेका प्रयत्न, ३२५; –कानूनमें बरकरार, ६५; –ब्रिटिश परम्पराओंके विरुद्ध, ९३; –भारतीय समाजके लिए अपमानजनक, ३९८; –लॉर्ड एलगिन द्वारा रद्द, २७५; –संसदकी दो बैठकोंमें पास, ३९६; –और १८८५ का कानून ३, ५३–५५; –जैसे उपायोंसे एशियाई समस्या हल होना असम्भव, ४७०; –का विरोध करनेके कारण, ४००–१; –का सभा द्वारा विरोध, ४१८; –का सारांश, १०२–४; की विषय-वस्तु, ९–१०; –के अन्तर्गत सभी भारतीय अपराधी, ११७; –के कारण, ५६; –के कारण आनेवाली मुसीबतें असह्य, १२७–२८; –के कारण भारतीयोंका अनावश्यक अपमान, ११३; –के खिलाफ आवाज उठानेका कारण, २६७; –के नये विनियम अत्यन्त कष्टकर, १२२; –के परिणाम, विवनकी दृष्टिमें, २९३; –के बारेमें लॉर्ड एलगिनको लॉर्ड सेल्बोर्नका खरीता, ३८२; –के बारेमें शिष्टमण्डल, १७; –के रद्द हो जानेसे दक्षिण आफ्रिकी गोरोंपर बहुत प्रभाव, २८९; –के सम्बन्धमें भारतीयोंकी विराट सभा, ४११; के सम्बन्धमें सारा इतिहास लॉर्ड एलगिन द्वारा प्रकाशित, ३५८; –के स्थगित हो जानेपर भी एशियाई विभाग द्वारा कार्यवाही, ३७४; –पर आपत्तिके कारण, २३२; –पर केप आरगस, २८९; –पर दाउद मुहम्मद, ४७७; –पर मूल आपत्ति, २३२; –पर सर रिचर्ड सॉलोमन, ३२८

एशियाई कानून-संशोधन, विधेयक, ४०४; –के अन्तर्गत अनुमतिपत्रके लिए प्रार्थनापत्र न देनेकी भारतीयोंको सलाह, ४८८; –के बारेमें तार भेजनेसे उपनिवेश सचिव द्वारा इनकार, ४३४; –के विरुद्ध भारतीयों द्वारा प्रस्ताव पास, ४२४; –के सम्बन्धमें चीनियोंकी अर्जी, ४५३; –के सम्बन्धमें भारतीय समाज द्वारा सूचना, ४४०; –को ट्रान्सवाल संसदमें पेश करते समय भाषण, ४०४–५

एशियाई कार्यालय, १५८, ४३२; –के अधिकारी रिश्वत-खोर, ४१४

एशियाई नीली पुस्तिका, ३५८, ३८४

एशियाई पंजीयक, ४२६; –का प्रतिवेदन प्रकाशित, ४२४; –को तार, ३७०, ३७१–७२; –को पत्र, ३७१

एशियाई पंजीयन अधिनियम, ३८७ पा० टि०, ४६५–६६, ४८७, ५१५ पा० टि०, ५१६

एशियाई प्रवासियों, –के बारेमें कानून बनानेमें दक्षिण आफ्रिकी लोगोंको पूरी छूट, ५०७

एशियाई बहिष्करण विधेयक, २२२

एशियाई बाजार, ४५८; –का कानून ३८०

एशियाई शासन, –की तुलना, ११४–११५, १२६, ३५२, ३५७

एशियाई भोजनगृह, ३३९ ४४२; –का कानून, ३५३; –के लिए नियम, ३४५
एशियाई-विरोधी आन्दोलन,–के सूत्रधारोंको बधाई, ३८७
एशियाई विरोधी आरोप, –निराधार, ४२४
एशियाई विरोधी दल,–का दोषारोपण, ५१५
एशियाई व्यापार,–के विषयमें कानून बनानेकी जरूरत, ४५९
एशियाई व्यापारी, ४८७
एशियाई समाज,–का अपमान करनेके लिए सरकार अनिच्छुक, ४३९
एस्कम्ब, हैरी, ५७, २०९;–आहत-सहायक दलके नेताओंको आशीर्वाद, २१०;–और सर जॉन रॉबिन्सन, १०९; –द्वारा सर्वोच्च न्यायालयमें अपीलके अधिकार छीन लेनेपर खेद प्रकट, २७०
एस्चिवथ, २८५
एस्कोर्ट, –में मताधिकारकी लड़ाई, ५०६–७; –वाले मुकदमेका प्रभाव बुरा पड़नेकी सम्भावना, ५०७
ऐंड्र्यू हाउस, ४५, १७९
ऐच्छिक पंजीयन,–का प्रस्ताव अब भी बरकरार, ४९०
ऐडम, जी० जे०, १९, २६ पा० टि०, ३३ पा० टि०, ६६ पा० टि०; –को पत्र, ७२, ९५, ९७, १९४
ऐडम्स, ३४१
ऐम्टहिल, लॉर्ड, ४६६;–की रायमें भारतीय समाजकी प्रतिष्ठा गिरानेवाला कानून बनाना अनुचित, ४६१; –के उद्गार, ५१५;–के नेतृत्वमें शिष्टमण्डलकी जनरल बोथासे मुलाकात, ४६०; –को आश्वासन, ४३६; –द्वारा अध्यादेशकी लॉर्डसभामें चर्चा, ३८९
ऐल्वियनरोड, २३४, २६५

ओ

ओक्ले स्क्वेयर, १६६
ओल्ड ज्यूरी, ९५, ९७, १९४
ओल्ड बॉण्ड स्ट्रीट, १३९
ओल्डफील्ड, डॉ० जोसिया, ३४, ६०, ६२, ९६ १६९, २५९ पा० टि०, ३९६; –का लेख, १८१; –की दृष्टिमें अंग्रेज जनताको शक्ति और न्याय प्रिय,२८५; –को पत्र, २५, ३५, ५९–६०, १०५, १४७, २३८, २४४
औपनिवेशिक देशभक्त संघ, ३८२
औपनिवेशिक सम्मेलन, देखिए उपनिवेश सम्मेलन

क

कचालिया, ए० ई० एम०, ३७२, ४९१, ५०४
कडोदिया, गुलाम मुहम्मद, ३८०
कमरुद्दीन, मुहम्मद कासिम, ४७५; –की पेढ़ी, २८०
कमर्शियल रोड, ७०, ७६
करसनदास, ४४६
करीम, मूसा दावजी, ३८०
कर्ज़न, लॉर्ड, २३६; –का ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें जोरदार सहानुभूति-पत्र, २४७–४८; –का रुख नेटाल सरकारके साथ व्यवहार करनेमें, २३०, –द्वारा नेटाल सरकारके साथ की गई कोशिशोंकी तफसील, २२९–३०
कर्टिस, लॉयनेल, ३, ३५८, ४१५, –एशियाई विधेयकके विधाता ४८२; –का एशियाई विधेयकपर भाषण, ४०४; –का पत्र, ५०१; –का भारतीयोंकी शिनाख्तके लिए नया तरीका, ६६; –का भारतीयोंको बसानेके लिए ब्रिटेनके उष्णकटिबन्धस्थित प्रदेशोंको सुरक्षित रखनेका प्रस्ताव, ४६८;–की घोषणा, ६६; –के लेखकी श्री रिच द्वारा धज्जियाँ, ५१२; –के शब्द, ४१२
कलकत्ता, २५१ पा० टि०, २६०; –का इंग्लिशमैन, २४७
कलकत्ता उच्च न्यायालय, १२ पा० टि०, २८२
कलोनियल कागजात, ५२८, २२६
काउंटी स्कूल,–के प्रधानाध्यापकको पत्र, २०१;–के मन्त्रीको पत्र, १९२
काउन्सेल, ई० पी० एस०, २५९ पा० टि०
कॉक्स, हैरॉल्ड, ११ पा० टि०, ३०, ८०, ९१, ९३, १०१, १११ पा० टि०, १२०, १३१, १४७–४८, १७५ पा० टि०, १९७, २१४ पा० टि०, २३५, २४३, २५९ पा० टि०, २७३, ४५८, ४६०;–का वक्तव्य, २२५, १३०; –को पत्र, ६७, ७३, १६०
काजी, इस्माइल, ४११, ५०४
कॉटन, एच० ई० ए०, ३०, १९२, २५९ पा० टि०; –को पत्र, १९९, २१९
कॉटन, सर हेनरी, ११, १२, १९, ३०, ३२, ३८, ४२, ४६ पा० टि०, ६७, ९१, ९३, १०१, १११ पा० टि०, १२०, १३०–३१, १३३, १४७, १५६ पा० टि०, १७४, १७५ पा० टि०, १८२, १९१, १९४, १९७, २१४ पा० टि०, २३५, २५९ पा० टि०, २७२, ४६०;–का लॉर्ड एलगिनसे प्रश्न, १३१; –का वक्तव्य, १२८, २२७; –का श्री चर्चिलसे प्रश्न, २३९; –की अध्यक्षतामें ब्रिटिश संसद-सदस्योंकी एक बैठक, ११३, ४५८; –की नजरोंमें अध्यादेशके अन्तर्गत दिये गये पास "छूटके टिकट", ११६;–को पत्र, २४, ८०, १५१, १६२, १६३, १९३; –को श्री चर्चिलका उत्तर, १९५
कादिर, अब्दुल, १५५, १८६, ४११, ४२५–२६, ४५९, ४८४, ५०४;–का भाषण, ४१२; –को पत्र १५४

कानजी, सोनी गोरधन, ५०३
कानून, –का मंशा, ५१६; –के सम्बन्धमें भारतीयोंके तीन दोष, ३११
कानून, ३, १८८५, २, ५, ८–९, ४६, ५२, ५५–५६, ११४, ११७–१८, १२५–२७, ४३८, ४६५; –जनरल स्मट्सके मतमें ठीक नहीं, ४०४; –बोअर राज्यमें, ४१६; –लॉर्ड मिल्नर द्वारा कड़ाईके साथ लागू, ५१; –और नया अध्यादेश, ५३, ५५; –और शान्ति-रक्षा अध्यादेश, २१३; –का संशोधन करनेवाले विधेयकका मसविदा, ३८७; –की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या, ५०; –के अनुसार 'एशियाई' शब्दके अन्तर्गत आनेवाले लोग, १०३; –के अन्तर्गत अनुमति-पत्र नहीं, २१२; –के अन्तर्गत भारतीयोंका पंजीयन, २; –के पास होनेसे पहले भारतीय अचल सम्पत्तिके अधिकारी, ५३
कॉन्सेल, श्रीमती, १८९
कॉवडन, –की बहादुर लड़की, ३१, ९२
कामा, नादिरशाह, ३९८ पा० टि०, ४११; –का भाषण, ४२१
कारसन, एडवर्ड, १५१ पा० टि०
कार्टराइट, अल्बर्ट, १०७, २५९ पा० टि०; –को पत्र ८७, ९८, १०६–७
कार्ल्टन क्लब, २१७
कार्ल्टन गार्डन्स, २०२, २१४
कार्ल्टन होटल, ३९३
कॉर्सिका, ४९४
कॉलिन्स, रेमजे, ३६३; –की दृष्टिमें नगर-परिषद न्याय करनेके योग्य नहीं, ३७८
कालीकट, ४५३
कॉलेज स्ट्रीट, २०४, २६२
काव्यदोहन, ३०४ पा० टि०, ३१९ पा० टि०, ३३८
किंग्स बेंच वॉक, ७
किंग्स्टन, ३२६
किचिन, एच०, ९४
किचिन, जोज़ेफ, –को पत्र, ९४, १४६
'किदरपुर', १६७
किदवई, मुशीर हुसेन, १८६–८७, ४८४
किम्बरले, ४३६
कीकाभाई प्रसाद, ३५७
कुली व्यापारी, ४६०
कुवाड़िया, ३६२, २७२ पा० टि०, ४०५, ४३२, ४९९, ५०४; –का जोशीला भाषण, ५०४; –का मुकदमा, ३५२; –द्वारा थी अलीके प्रस्तावका समर्थन, ४१९
कुवाड़िया, आमद सालेजी, ३७३, ३८०; –का अपने मतीजेकी उम्रके बारेमें बयान, ३५७
कुवाड़िया, इब्राहीम सालेजी, –के लड़केका मुकदमा, ३५७
कुवाड़िया, एम० एस०, ४११
कूपर, चार्ल्स एफ०; –को पत्र, १६६
कूपर, नसरवानजी, –का भाषण, २७२
'कूरलैंड' ३३४
कृष्णवर्मा, श्यामजी, ४३ पा० टि०, ७८ पा० टि०, ९०, १८६; –और इंडिया हाउस, ८९, ९२; –को पत्र, ३७; –से मुलाकात, ३०
केगोनाग, १९८
केन्द्रीय सरकार, –और उपनिवेश, २२६
केप, –तथा नेटालके भारतीयोंका कर्तव्य, ४०२, ४१०; –का नया प्रवासी कानून, ३६८–६९; –का परवाना कानून, ३४८, ३५५, ३६६; –का प्रवासी कानून, २७९; –का प्रवासी कानून अटपटा, ४६७; –का प्रवासी कानून, सर रिचर्ड सालोमनको नापसन्द, ३२५, –के नेताओंको सलाह, २७९; –के भारतीय, ४६७; –के 'सरकारी गज़ट' में नया कानून प्रकाशित, ३६८; –में अत्याचार, २७९
केप आरगस, –एशियाई अध्यादेशपर, २८९
केप टाउन, ४५९; –का केप आरगस, २८९; –में श्री अलीको तार, २११; –से मदद मिलनेकी सम्भावना, ३९०
केप-नेटाल, –का कानून, ३२९
केप वॉयस, ४१९
केप विक्रेता अधिनियम, १०
केम्ब्रिज, ४९२
कैंटोनीज क्लब, ५१५
कैक्स्टन हॉल, २७२; –में ब्रिटिश भारतीय संघकी बैठक, ४०५
कैडोगन गार्डन्स, ८८, १५९, २५९
कैथलिक सम्प्रदाय, १७८
कैननबरी, १३, ४४, ७८, १११
कैनिंगटन रोड, ९७ पा० टि०, १७५, १९०, ३९७
कैमरॉन, किम व कम्पनी, –को पत्र, १३९
कैरोलीना, ३६३
कैलनबैक, –को पत्र, १७०
कैलिफोर्निया, २३०, २९५
कैवेंडिश स्क्वेयर, १०५
कोएल, –मेरी ३६३
कोट, टॉजर, –नीतिपर, ३३२
कोटी, जेम्स, –का बयान, ३५७
कोलमेन एंड कम्पनी, १७४ पा० टि०
कोलम्बस, ४९३–९४
कोहन, १६
कान्टोरियन रेस्तराँ, –में अखिल इस्लाम संघकी बैठक, १८६

क्राइडन, १६७
क्राउज़, डॉक्टर, –द्वारा एशियाई विधेयकका समर्थन, ४०४
क्राउन ऑफिस रोड, ३७
क्रॉफर्ड एच०, ३५८
क्रॉमर, लॉर्ड –का मिस्रके मुख्य अधिकारी पदसे त्यागपत्र, ४३८; –को भगाकर मिस्रका शासनसूत्र हाथमें लेनेका प्रस्ताव, ३७७
क्रॉमवेल एवेन्यू, २७, ३६, ४०, ४७, १७१
क्रॉमवेल रोड, ११, १८, १४२, १६१, २०५
क्रिश्चियाना, ५१२
क्रूगर, राष्ट्रपति, १२९, १४८, २५५, ३८८, ४४०; –के जीवनकालमें लार्ड सेल्बोर्न भारतीयोंके न्यासी, ४२१; –द्वारा गोरे पास निकालनेके लिए बाध्य, ४१५
क्रूगर्सडॉर्प, ३१५–१६, ४११, ५०४, ५११; –के महापौर २२३; –से तार, १४८
क्रेग, कुमारी मार्था, १८६
क्लार्क्सडॉर्प, ४५६, ५०२;–के भारतीय और स्मट्स, ४६७
क्लिफ्टन, ३४५, ३८८, ४००
क्लीमेन्ट्स प्रिंटिंग वर्क्स, –को पत्र, २००
क्लेरको, ३६३
क्लैबक, हेनरी, ३०३
क्विन, ३२९ पा० टि०, ५१५; –भाषण २९३–९४,२९५-९६; –की धारणा, २९३; –द्वारा सर विलियम वैन हल्स्टीनके संशोधनका समर्थन, ४५९
क्विन, कैंटोनीज क्लबके अध्यक्ष, ५१३
क्वीन ऐन्स चेम्बर्स, ८०, १७३, १९८, २४३, २५४, २७८, ३९६
क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, १९१, २००
क्वीन्स वुड ऐवेन्यू, ३७

ख

खंडुभाई, मणिभाई, ४११; –का भाषण, ४२२
खंडेरिया, मोहनलाल, ४११; –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२१
खान, ४११
खुरशेदजी, ४११, ४२०

ग

गंगादीन, बाबू, ५०३
गुड, ए० एल०, ५०४
गनी, अब्दुल, २०, १८३, २०८, २१०, ३३९, ४११, ४३२;–का एशियाई पंजीयकको पत्र, ३७१;–का ट्रान्सवाल लीडरको पत्र, ३७५;–का निहायत वाजिब सुझाव, ४०८;–का प्रार्थनापत्र, १९०;–का भाषण, ४११
गनी, डॉ० अब्दुल, ४३१–३२
गवरू,–का भाषण, ४२१
गवर्नर,–की सेवामें ट्रान्सवालके प्रतिष्ठित यूरोपीयों द्वारा आवेदनपत्र, ११३
गवर्नर जनरल,–की परिषद्, १०१ पा० टि०
गांधी, आनन्दलाल, ३२३, ३४१, ३७२, ४४६
गांधी, छगनलाल, १९, २२, २८८, ३३४ पा० टि०, ४४६, ४९१–९२;–को पत्र, २३, २८८, ३२०–२१, ३२२, ३२४–२५, ३३३, ३३७–३८, ३३९–४०, ३६४, ३७२, ३८६, ३९७–९८, ४४३–४४, ४४९, ४८९, ४९०–९१;–को लिखे पत्रका अंश, ४७०
गांधी, देवदास, ४४५
गांधी, मणिलाल, २८७ पा० टि०, २८८, ३२३, ३३९, ४४५
गांधी, मोहनदास करमचन्द, १–२, ४, ७, १०–११, १४ पा० टि०, १६ पा० टि०, २८ पा० टि०, ३० पा० टि०, ३१ पा० टि०, ३२ पा० टि०, ३३, ४५ पा० टि०, ४७, ४९ पा० टि०, ५७, ६५, ६७ पा० टि०, ७० पा० टि०, ७१ पा० टि० ७५ पा० टि० ७६ पा० टि०, ७७, ७९ पा० टि०, ८४ पा० टि०, ८७ पा० टि०, ९० पा० टि०, ९३ पा० टि०, ९७ पा० टि०, १०० पा० टि०, १०२ पा० टि०, ११०, ११२ पा० टि०, ११३ पा० टि०, १२०, १२७–२८, १३२–३५, १३६, १४१, १४३, १४५ पा० टि०, १४७ पा० टि०, १४८–५०, १५९, १६९ पा० टि०, १७२ पा० टि०, १७५, १७७, १८३, १८६ पा० टि०, १८७ पा० टि०, १९०, १९५ २०८–१०, २२०, २२३-२४, २३०, २४९, २६८–७२, २७६ पा० टि०, २७७, २८७, २८८ पा० टि०, २९३, ३२१, ३२२, ३२५, ३३३, ३३८, ३४१, ३६४, ३७३, ३८६-८७, ३९७–९८, ४२८, ४४४, ४४९, ४६६, ४६९-७०, ४८८–८९, ४९२, ५०४; –अंग्रेजोंकी उदारता-पर,३ ७५–७६; –अधीक्षक अलैक्जेंडरपर २८८; –अनुमतिपत्रोंके पांच मुकदमोंपर, ३५७; –अफगानिस्तानके अमीरपर, २९८–९९;–इंडियन ओपिनियन के मालिक, २०८; –उमर हाजी आमद झवेरीके जीवनपर, ४७४; –कच्ची उम्रमें बीड़ी पीनेवालोंपर, ८३; –कुवाडियाके मुकदमेपर, ३५२–५३; –केपके नये प्रवासी कानूनपर, ३६८; –केपके परवाना कानून, पर, ३४८; –केपके प्रवासी अधिनियमपर, ३५५, ३६६; –विवनके भाषणपर, २९३–९४; –गिरमिटिया भारतीयोंको खानेके लिए कम चावल देनेके डर्बन निगमके प्रस्तावपर ४७३; –चैमनेकी रिपोर्टपर, ३२८-

२९;–जेम्स गॉडफ्रेपर ३७८-७९; –टॉगाटके परवानेपर, ३४२;–ट्रान्सवालकी नई संसदपर, ३५१; –ट्रान्सवालके भारतीयोंकी आम सभापर ४०९; –ट्रान्सवालके भारतीयोंके कर्तव्यपर, ४३६; –ट्रान्सवालके स्वराज्य-पर, ३१४; –तम्बाकू पीनेकी कुटेवपर, २८५–८६, –थियोडोर मॉरिसनपर, ३२६; –दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिपर, ३४१–४२; –नेटाल ऐडवर्टाइजरकी पराजयपर ३४६–४७; –नेटाल ऐडवर्टाइज़रकी मनगढ़न्त खबरपर, ३०७–८; –नेटालके परवाना कानूनपर, ३०९–१३, ३४७; –नेटाल भारतीय कांग्रेसकी बैठकमें, ४२६; –नेटाल भारतीय कांग्रेसपर, ३९०; –नेटाल सरकार द्वारा नेटाल भारतीय कांग्रेसको दिये गये उत्तरपर, ३९९; –फ्रीडडॉर्प अध्यादेशपर, २९४; –भारतीय आहत-सहायक दल तथा भारतीय डोलीवाहक दलको संघटित करनेके उद्देश्यपर, २०९; –भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसपर, २८५; –भारतीयोंकी सार्वजनिक सभापर, ३८१–८२; –लॉर्ड सेल्बोर्नके खरीतेपर, ३८२–८३; –शिक्षा-अधीक्षककी रिपोर्टपर २८३–८४; –शिक्षापर, ४९७–९८; –शिक्षित भारतीयोंके कर्तव्यपर, ३०६; –श्री आदमजी मियाँखाँपर, ३३४; –श्री गोगाके परवानेपर, ३६५; –श्री श्यामजी कृष्णवर्मापर, ८९–९०; –सर जेम्स फर्ग्युसनपर, ३२६; –स्त्री शिक्षापर, २९९–३००; –का उमर हाजी आमद झवेरीके विदाई-अवसरपर भाषण, ४७९; –का कर्टिस साहबके टाइम्समें छपे लेखको जवाब, ४८२–८३; –का डर्बनके स्वागत समारोहमें भाषण, २८२–८३; –का नेटाल ऐडवर्टाइज़रको जवाब, ३२६–२९; –का भोजनोपरान्त भाषण, २८०–८१; –का लॉर्ड एलगिनके समक्ष वक्तव्य, १२४–२७; –का लोकसभाके सदस्योंकी बैठकमें भाषण, १११–१२; –का विदाई-समारोहमें भाषण, २५९–६१; –का जॉन मॉर्लेके समक्ष वक्तव्य, २२१–२५; –की जेल जानेकी प्रतिज्ञा, ४६१–६२; –की नेटाल मर्क्युरीके संवाददातासे भेंट, ४६८–७०; –की सर जॉन रॉबिन्सन द्वारा प्रशंसा, २०९; –की सर रिचर्ड सॉलोमनसे मुलाकात, ६३; –की साउथ आफ्रिकाके प्रतिनिधिसे बातचीत, ६४-६६; –की साउथ आफ्रिकाके प्रतिनिधिसे भेंट, १८२–८३; –की सारी कमाई जन-सेवाके लिए, ४४६; –की स्टारके सम्पादकसे मुलाकात, ४८१; –को लॉयनेल कर्टिस द्वारा दिया गया भारतीयोंके लिए उपनिवेश-स्थित प्रदेशोंको सुरक्षित रखनेका सुझाव अमान्य, ४६८; –द्वारा चीनी राजदूतके लिए पत्रका मसविदा, ६३; –द्वारा डर्बनके मानपत्रका उत्तर, २८०; –द्वारा नये कानूनके अन्तर्गत चलनेवाले मुकदमोंमें भारतीयोंका मुफ्त बचाव करनेका आश्वासन, ४५५, ५०८; –द्वारा पेशेवर आन्दोलनकारी होनेके आरोपका खण्डन, २०९; –द्वारा बोअर युद्ध और नेटाल विद्रोहके समय की गई सेवाओंपर सर हेन्री ग्रिफिन, १२१; –द्वारा भारतीय नेताओंको निर्वासित करनेके स्टारके सुझावका जवाब, ४८७–८८; –द्वारा मुस्लिम संघके मानपत्रका उत्तर, २८१–८२; –द्वारा लॉर्ड एलगिनको धन्यवाद, ६१; –द्वारा स्टारकी अग्रणी भारतीयोंको निर्वासित करनेकी धमकीका जवाब, ५०२; –द्वारा स्टारको जवाब, ४६३–६४; –पर पेशेवर आन्दोलन-कारी होनेका लांछन, २०८; –पर, भारतीयों और यूरोपीयोंके बीच मनमुटाव पैदा करनेका दोषारोपण, २०८

गांधी, श्रीमती, १५२

गांधी, रामदास, ४४५

गांधी, लक्ष्मीदास, –को पत्र, ४४४–४८

गॉडफ्रे, जॉर्ज, २५, २७, २९, ३३, ६८ पा० टि०, ८४ पा० टि०, ८५, ९७, १४५, १८० पा० टि०, २५९ पा० टि०, २७५; –को पत्र, ५८

गॉडफ्रे, जेम्स डब्ल्यू०, ८५, १८० पा० टि०, १८५, २१४ पा० टि०, २७५; –विलायतसे वापस, २७८; –का निबन्ध, १८३–८६

गॉडफ्रे, डॉ० विलियम, ४५, १७६, १८२, १८३, १९३, २०७, २११–१२, २५३; –का प्रार्थनापत्र, १८०; –का श्री अलीको परिचयपत्र, २११; –की अर्जी, १९५; –द्वारा झूठे बहानोंसे हस्ताक्षर उपलब्ध, १६२

गॉडफ्रे बन्धु, २७४; गॉडफ्रे बन्धुओं, –का पत्र, २१९; –के प्रार्थनापत्र, १८०

गायकवाड़, ४४४

गार्डन, मेजर सर इवान्स, २४१; –को पत्र, २४७

गार्डिनर, २४४ पा० टि०; –का लेख लिखनेका वचन, २७४

गोर्स्ट, सर एल्डन, –की मिस्रमें लॉर्ड क्रोमरकी जगह नियुक्ति, ४३८

गिब्सन, जे० सी० ७५ पा० टि०; –को पत्र, ७४

गिरमिटिया चीनी, ३३८

गिरमिटिया भारतीय, ६६, १२५, ४६९, ४७३; –को निरन्तर लाते रहनेपर नेटालकी समृद्धि निर्भर, २७०

गीगा, केशवजी, ४११

गुजरात हिन्दू सोसायटी, ४०५

गुल, आदम, २७५

गुल, ए० एन०, ८५, २५९ पा० टि०; –को पत्र, १४, २५८

गुल, हर्नाद, १४ पा० टि०

गेडा, इब्राहीम, –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२१

गेटी थियेटर, –में भारतीयोंकी विराट सभा, ४११
गैब्रियल, ब्राउन; ३०९
गोकुलदास, १७० पा० टि०, ३४० पा० टि०, ३७३, ४४५; –की सगाईके बारेमें गांधीजीको गहरा असन्तोष, ४४४
गोकी, देखिए गोकुलदास
गोखले, प्रोफेसर गोपाल कृष्ण, –का महान प्रयास, ४३०; –को पत्र, २७१
गोगा, –का परवाना, ३६५; –के मुकदमेकी जीत अनायास, ३७८
गोरे, –और गेहुँए, ४१२
गोल्डमैन, आर०, ३६३
गौरीशंकर, १८५, ३२३
ग्रांट, डब्ल्यू०, ३५८
ग्राउने रोड, १३, ४४, ७८, १११
ग्रावलर, ३६३
ग्रिग, जी० डब्ल्यू० एम०, –को पत्र, २१६
ग्रिफिन, सर लेपेल, ७, १५, ३२, ४६ पा० टि०, ६७, ७२, ७७, ९१, १०१, ११०, १२०, १२४, १२९, १३०, १३२, १३४, १४४, १४७, १६०, १६४, १६९, १७४, १७५ पा० टि०, १९७, १९९, २१४ पा० टि०, २१६, २२१, २२६, २२९–३०, २३५, २३६, ३४६, ४१३; –दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिके उपाध्यक्ष, २४३; –श्री मॉर्लेकी सेवामें शिष्टमण्डल भेजनेमें सहमत, १४२; –का उपनिवेश मन्त्रीके दिये गये आश्वासनपर सन्तोष, २२७; –का जोशभरा भाषण, १४८; –का लॉर्ड एलगिनके सामने वक्तव्य, १२१–२४; –का लॉर्ड एलगिनको धन्यवाद, १३४; –का वक्तव्य, २२७–२९; –का शिष्टमण्डलमें भाग लेनेसे इनकार, ११; –का शिष्टमण्डलमें शामिल न होना विचित्र, १८; –का श्री मॉर्लेको हार्दिक धन्यवाद, २३१; –को टाइम्समें लॉर्ड एलगिनकी भेंटका विवरण पढ़कर आश्चर्य, १६१; –को पत्र, ८८, १५९, २५९; –को भेंटका विवरण प्रकाशित होनेपर बड़ी खीज, १५१; –द्वारा भारतीय शिष्टमण्डलका नेतृत्व, १८०; –द्वारा भारतीय शिष्टमण्डलका नेतृत्व करनेसे इनकार, २४, ६६; –द्वारा भारतीय शिष्टमण्डलका परिचय, २१९–२१; –द्वारा शिष्टमण्डलका नेतृत्व, ४७, १०२; –द्वारा शिष्टमण्डलमें शामिल होना स्वीकार, १४३; –पर आरोप, ४१४
ग्रेडम्स टाउन, ३४८
ग्रेट स्टेनहॉप स्ट्रीट, ४२, २०३, २४२, २६३
ग्रेशम हाउस, १३९
ग्रेस, २८५
ग्रेस चर्च रोड, २१७
ग्रे, सर एडवर्ड, ६३
ग्रेस्ट्रीट, २८०
ग्लॉस्टर, ११०
ग्लोब, –एशियाई विधेयकपर, ४०५
ग्वालियर, –में अमीर हबीबुल्लाका स्वागत, ३७०

घ

घर, –में फूट, ३१५
घातक चोट, –को समाप्त करनेके लिए तीन सलाहें, ५०३
घोष, मनमोहन, ४९२
घोषणा पत्र, १८५७, २२५

च

चंद्रनगर, ४५३
चर्चरोड, १३६
चर्चिल, विन्स्टन, १५१ पा० टि०, १६२ पा० टि०, १८७ पा० टि०, १९३, २५२, ३६७; –का आश्वासन, ४८३; –का उत्तर, १९५, ३६२; –का फ्रीडडॉर्प बाड़ा अध्यादेशकी बाबत जवाब, २३९; –का भाषण, ५०७; –की चिट्ठीकी माँग, २७४; –के उत्तरका अर्थ लोकसभाके सदस्य समझनेमें असमर्थ ४८४; –के निजी सचिवको पत्र, २०४, २१५, २५५; –को पत्र, १७२; –से मुलाकात, २७३–७४
चीनी, –और भारतीय परवाने, २९६; चीनियों, –की शिकायतोंके प्रति ब्रिटिश सरकारकी सहानुभूति, १२३; –की सहमति, ४४२; –द्वारा भारतीय प्रस्ताव स्वीकृत, ४३५; –में हलचल, ४४२
चीनी राजदूत, ६३
चीनी वाणिज्य दूत, ६३
चीनी शिष्टमण्डल, –का कार्य, ६२
चीनी संघ, –द्वारा भारतीय समाजकी अर्जी मंजूर करनेकी माँग, ४५३
चेचक, –की बीमारीके समय भारतीय नेताओंकी सहायता उपलब्ध, ३४५
चेम्बरलेन, ५६, १२९, २९५; –का खरीता, १०९, २७०; –का तार, २२८; –का तार द्वारा आश्वासन, २२६; –का बोअर सरकारको सख्त खरीता, ११२; –का भारतीयोंके लिए संघर्ष, २३६; –द्वारा एशियाइयोंको प्रभावित करनेवाला कानून नामंजूर, ३; –की ब्रिटिश भारतीयोंपर पाबन्दी न लगानेकी राय, २९२; –द्वारा भारतीयोंपर प्रतिबन्ध लगानेवाला विधेयक नामंजूर, २२२; –द्वारा समस्त अन्यायपूर्ण कार्रवाइयोंका विरोध, २२८

चेयरिंग क्रॉस, १४६
चेल्सी एम्बैंकमेंट, २४७
चेस्टन रोड, १०५
'चेस्टर फील्ड', २६२
चैंपेल, –द्वारा सर विलियम वेन हटस्टीनके संशोधनका समर्थन, ४५९
चैमने, ३५७, ४१५, ४१९, ४३४, ४४३ पा० टि०; –का उत्तर, ३८०; –का भारतीयोंपर आरोप, ४१४; –का विवरण, ४२७; –की रिपोर्ट, ४२८-२९, ४३२–३३, ४४१, ४५६;–की रिपोर्ट भारतीयोंके पक्षमें, ५१२; –को जवाब, ४४३; –द्वारा कुवाड़ियाके मामलेमें हस्तक्षेप करनेसे इनकार, ३५२; –द्वारा दी गई संख्या, ४२९
चोक-वरगर, जनरल, –द्वारा एशियाई विधेयकका समर्थन, ४०४

छ

छिगुनीसे पहुँचा (दि थिन एंड), ९०
छोटाभाई, ३२४

ज

जंजीबार, ४२२, ४६९
जमैका, ३३०;–में भूकम्प, ३२६
जयशंकर, ४८९
जर्मन कम्पनी, –द्वारा फेहमपाशाको रिश्वत देनेसे इनकार, ३४६
जर्मनी, –और तुर्की, ३४६
जर्मिस्टन, ३६२, ४५८, ४९०, ५०२; –से जेल जानेवाले, ५०२
जस्ट, २०७
जॉन, २११
जॉन्स, ओवेन, –का एशियाई विधेयकपर भाषण, ४०४
जॉन्सवुड पार्क, १५१
जापान, –और अंग्रेजोंके बीच मैत्रीभाव, ३०१; –और अमरीका, २९५;–और अमरीकाके बीच मुठभेड़की आशंका, ३०१;–की चाल, ३०१; जापानियोंकी सफलताके कारण, १८४
जाम साहब, ४४४
जिन्ना, ४८५–८६
जीरस्ट, ४११
जुबर्ट, जे० ए०, ३६३
जुल्मेरन्स, ए० टी० डब्ल्यू०, ३५८
जुलू विद्रोह, –३६५ पा० टि०
जुसब, मुहम्मद हाजी, ४३२
जूटपानसबर्ग, ३६३, ४५९
जेकब्स, –एशियाई विधेयकपर भाषण, ४०४
जेमिसन, १७३
जेमिसन, डॉक्टर, २१०, ४३६;–की मृत्यु, ३९३–९४
जेमिसन, श्रीमती, –से ३ पौंडकी वसूली, ३२४
जेम्स, एल० एम०, १५, ६०, ६३, ९०;–को पत्र, १४–१५, १६३
जेम्स (भारतीय), –का एक कंडक्टर द्वारा अपमान, ३६२
जेवियर, संट फ्रांसिस, ३०३ पा० टि०
जैगर, –भारतीयोंके विरुद्ध, ४५९; –जोहानिसबर्ग, –के पत्र लेखकोंको सूचना, ४३५;–में ब्रिटिश भारतीयोंपर अन्य निर्योग्यताएँ, २;–से शिष्टमण्डलके प्रतिनिधियोंको तार, १७६
जोहानिसबर्ग नगर-क्षेत्र, –का परवानादार विक्रेता, ५१०
जोहानिसबर्ग नगर-परिषद, –को मलायी बस्तीका अधिकार, ३८८
जोहानिसबर्ग व्यापार मण्डल, ३२९
जोहानिसबर्ग संवाददाता, –की गलत बयानियाँ, ४
जोहानिसबर्ग स्टार, ३०७
जौहरी, उमर एच० ए०, १३७ पा० टि०; –को पत्र, १५३

झ

झवेरी, अबूबकर, ४७४, ४७७
झवेरी, अब्दुल करीम हाजी आमद, ३३४
झवेरी, उमर हाजी आमद, २७७, ३३४, ४७० पा० टि०, ४७९, ४७५–७९;–सभी कौमोंके प्रेमपात्र, ४७६; –का त्यागपत्र, ४२५, ४२९; –का संक्षिप्त जीवन वृत्तान्त, ४७४–७५; –की विदाई, ४७५–८१; –द्वारा मानपत्रोंका उत्तर, ४८०–८१; –पर श्री इस्माइल गोरा, ४८०

ट

टनब्रिज, ४५, १७९, २५७
टर्नर, सर चार्ल्स, २४७
टाइम्स, १९ पा० टि०, २२ पा० टि०, ३६, ९१, १६०, १६२ पा० टि०, १६३, १८९, १९३, २२७, २१९, २३८, २५२, २६०, २७१, २८१, ३०७, ३९३, ४२३, ५०१; –एशियाई विधेयकपर, ४०५; –का अग्रलेख, १५९; –का विवरण, भेंटके बारेमें, १५१; –का संवाददाता, ३०; –की एक कतरन, २४१; –के सम्पादकको पत्र, ९६; –को अध्यादेश तथा तत्सम्बन्धी आपत्तियोंके बारेमें गलत जानकारी, ८;–को पत्र, ४–६, १५७-५९, १७२ –को लिखनेके लिए शिष्टमण्डलके सदस्योंसे आग्रह, १६१; –को लिखे पत्रका मसविदा, १६९-७०; –में लेख, १९५

टाइम्स ऑफ इंडिया, ११६ पा० टि०, १७४ पा० टि०, २१६, २६०, २८७, ३९६, ४४४, ४४९, ४९०; —के संवाददाता द्वारा हेजाज रेलवेकी हकीकतपर प्रकाश, ४८४
टाइम्स ऑफ नेटाल, ३४३, ३६५
टाउन कौंसिल टरेस, २११
टॉमस, ५०४
टॉमस कुक ऐंड सन, १५५, १८७
टॉल्स्टॉय, ७० पा० टि०, २१०
टीआनो, प्रिंस, —पैगम्बरकी जीवनीपर, ३९२
ट्रूसकोर्ट, ७९, १००, १७८
टेम्पल, ३७
टेम्पल ऐवेन्यू, २४८
टेम्पल चेम्बर्स, २४८
टेलर, २८५
टेलर, कुमारी, ७०, ७६
टेलर, सर फ्रेडरिक, २७२
टेलीग्राफ स्ट्रीट, ७४
टैथम, रैल्फ, ६४, १०९, १४९, ३४३; —का खतरनाक विधेयक, ७६; —का विधेयक अनावश्यक, ६५; —का विधेयक नेटाल विधानसभा द्वारा स्वीकृत, १९०; —का विधेयक नेटाल संसद द्वारा अस्वीकृत, २६८; —का विधेयक प्रकाशित, १५०
टोंगाट, २९९, ३१२, ३७३; —का परवाना, ३४२; —में बहुतसे भारतीयोंको परवाना देनेसे इनकार, ३१०
ट्राउटबेक ऐंड वार्न्स, १३८
ट्रान्सवाल, —और नेटालके सम्बन्धमें लॉर्ड एलगिनके निजी सचिवसे बातचीत, १९५; —छोड़नेका प्रश्न ५०१; —का एशियाई विरोधी अध्यादेश, ३८२; —का एशियाई विरोधी कानून फ्राइहीडमें बरकरार, ६५; —का नया कानून २७२, ५०७; —का ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डल, ३८; —का ब्रिटिश भारतीय समाज, १२२, २५१, ४००; —का शासक वर्ग, ३८०; —की आम सभा, ४१०; —की नई संसद, २५१; —की नई संसद द्वारा एशियाई अध्यादेश दो दिनमें पास, ४०३; —की भारतीय जनसंख्या, ५०; —की लड़ाई, ४९३-९४, ५०५–६; —के अधिवासी ब्रिटिश भारतीय, २३२; —के गोरे उपनिवेशियोंकी भारतीयोंके प्रति भावना खराब नहीं, २३०; —के पाठकोंसे विनती, ४०९; —के प्रतिष्ठित यूरोपीय निवासियों द्वारा गवर्नरकी सेवामें आवेदनपत्र, ११३; —के ब्रिटिश भारतीय, १०२, २०१, २०३, २१७, २९२; —के ब्रिटिश भारतीयोंका प्रश्न, १६९; —के ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे शिष्टमण्डल, १८१; —के ब्रिटिश भारतीयोंकी सभा, २७६; —के ब्रिटिश भारतीयोंके प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया वक्तव्य, २०८–११; —के ब्रिटिश भारतीयों द्वारा अध्यादेशका विरोध, ५; —के ब्रिटिश भारतीयों द्वारा भारतीय जनताकी पूर्ण स्वरक्षाकी मांग, २४५; —के ब्रिटिश भारतीयोंसे सम्बन्धित शिष्टमण्डल, २१४; —के भारतीय जेलके प्रस्तावपर अटल, ४७८; —के भारतीय जेल जानेको तैयार, ४९८; —के भारतीयोंका कर्तव्य, ४३६; —के भारतीयोंकी आम सभाके प्रस्ताव, ३९८–९९; —के भारतीयोंकी विराट सभा, ४११-२३; —के भारतीयोंकी स्थिति, २२५, ४००; —के भारतीयोंके प्रति सहानुभूतिका प्रस्ताव, ४२५–२६; —के भारतीयोंको चेतावनी, ३७७; —के भारतीयोंको ट्रान्सवाल कानूनपर रोक लगनेसे लाभ, २७८; —के लोग और उत्तरदायी शासन, २२८; —में अनुमतिपत्र, ३८०; —में एशियाइयोंका बड़े पैमानेपर आगमन, ६; —में एशियाइयोंके अधिकारोंकी सुरक्षाका गौरवपूर्ण तरीका, ५१५; —में नई संसद, २९५; —में नई संसदका चुनाव, ३०५ —में ब्रिटिश भारतीयोंकी निर्योग्यताएँ, २; —में ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति, ९, २३१, २४१; —में भारतीय आबादी, १; —में भारतीयोंका हिंसात्मक प्रतिरोध नहीं, २६८; —में भारतीयोंकी अनधिकृत बाढ़, १२७; —में रंग-विद्वेष, ३; —में स्वराज्य, ३१४; —से प्रेषित भारतीय प्रार्थनापत्र, २४५
ट्रान्सवाल अग्रगामी दल, —को पत्र, ४६५
ट्रान्सवाल एशियाई अध्यादेश, ४००
ट्रान्सवाल ऐडवर्टाइज़र, ४३२
ट्रान्सवाल चीनी संघ, —के भवनमें विशाल सभा, ५१५
ट्रान्सवाल नगरपालिका संघ, ४६५, ४८२
ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डल, ६, ६६, ८४, १६९, २०७, ४८५; —और ब्रिटिश भारतीय संघ, २१९; लॉर्ड एलगिनकी सेवामें १२०–३५, —श्री मॉर्लेकी सेवामें २१९–३१; —का उद्देश्य, १३६; —की उपनिवेश मंत्रीसे मुलाकात, ४ २५; —की कार्यवाही, २३८; —के कार्यमें डॉ० गॉडफ्रेके भाइयों द्वारा मदद, १९५; —के विषयमें दिया गया प्रार्थनापत्र १७६; —के सदस्य १०१, १२०, २३५, ४६०; —के सदस्योंसे आग्रह १६१; —के सम्बन्धमें तार, ४३४; —द्वारा आभार-प्रकाशन, २७६; —द्वारा ब्रिटिश मित्र जलपानके लिए निमंत्रित, २५९; —द्वारा श्री मॉर्लेको बातचीत गुप्त रखनेका वचन, २३३; —से उपनिवेश कार्यालयमें लॉर्ड एलगिनका मिलनेका समय, ६७
ट्रान्सवाल भारतीय समाज, —एशियाई कानूनका दृढ़तापूर्वक विरोध करनेके लिए तैयार, ४७७

ट्रान्सवाल लीडर, ८७ पा० टि०, ३३०; –लॉर्ड सेल्बोर्नके खरीतेपर, ३८३; –को पत्र, ३७५
ट्रान्सवाल संसद, ३९३; –द्वारा एशियाई कानून-संशोधन विधेयक पास, २९८ –में एशियाई अध्यादेश स्वीकृत होनेका अवसर, ३९५
ट्रान्सवाल-सरकार, –के गज़टमें प्रकाशित फ्रीडडॉर्प बाड़ा अध्यादेश, १८७; –द्वारा एशियाइयोंके सम्बन्धमें एक संशोधन अध्यादेश पास, १
ट्राम गाड़ियों, –का कानून, ५११
टिफ़ान्टीन, ३६३
ट्रिब्यून, २९, ९१, २३८, ४१९ पा० टि०; –एशियाई विधेयकपर, ४०५; –के संवाददाताकी भेंट, १९; –को भेंट, १–२

ठ

ठक्कर, ३२०, ३२३, ३३३, ३४०, ३७३, ४४९ –की तरक्की, ४८९
ठाकोर, कल्याण गोपाल, ५०३

ड

डंकन, २२४–२५; –भारतीयोंके अनधिकृत प्रवेशपर, १२१; –का एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेशपर वक्तव्य, १५७
डचेतर, गोरे, २३९
डचेतर गोरा समिति, २१०
डर्बन, –का भारतीय समाज, २८८; –की सहानुभूति, ४८४; –के आसपास मलेरिया, ३९१, ४५१; –के मानपत्रका उत्तर, २८०; –के स्वागत समारोहमें भाषण, २८२–८३; –में जमीनवाले भारतीय, ४३१
डर्बन व्यापार मण्डल, –के सदस्योंको लेडीस्मिथ निकायके निर्णयसे घबराहट, ३५६
डर्बन स्वच्छता संघ (सेनेटरी एसोसिएशन), ४०३
डर्बी, लॉर्ड, २९१; –द्वारा दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोंके कष्टोंको कम करनेकी चेष्टा, ११२
डाउनिंग स्ट्रीट, १८२, २०७, २१२, २३८, २४५, २५३, २६६
डॉक्टर, एम० एन०, –को पत्र, ४१, २३४
डायरिपल, कर्नल डब्ल्यू०, ३५८
डार्विन, ३३७, ३३६; –के नीति सम्बन्धी विचार, ३३५–३६; –के मतसे जानवरोंमें भी कुछ हद तक परार्थ-बुद्धि, ३३७
डाल्गिश, –की गवाही, २३९
डिग्बी, सैम, –को पत्र, ११६
डिल्क, सर चार्ल्स वेंटवर्थ, ६ पा० टि०, ४२, ४६ पा० टि०, ९१, ९३, १०० पा० टि०, १०१, १११ पा० टि०, १७५ पा० टि०, १९७, २१४ पा० टि०, २३५; –का भारतीय शिष्टमण्डलके लिए अनुदार दलका समर्थन प्राप्त करानेका आश्वासन, ११४; –को पत्र, ८८, १००, १४१, २०६
डी' वाल, ३६३
डी' वेट, ३६३
डेलागोआ-बे, ४८९, ४९१, ५०९; –जानेवालोंका कर्तव्य, ५०८; –की रेल, ३९३; –के भारतीयोंसे याचना, ४६२; –को जानेवाले भारतीयोंके साथ सख्तीका व्यवहार, ३२९; –में विदेशियोंके लिए रोक-टोक नहीं, ३४४
डेली न्यूज़, २४४; –के सम्पादकके साथकी भेंट अत्यन्त सन्तोषप्रद, २५३; –को भेंट, २७४
डेली मेल, २३८
डोनोवन, २८८
ड्यूक स्ट्रीट, २०३
ड्यूटॉयट, जी० जे० डब्ल्यू०, ३५८

ढ

ढींगरा, मदनलाल, ९९ पा० टि०

त

तम्बाकू, –के दुर्गुण, २८६
तर्क, –के सिद्धान्त, २९३
तांजी, ए०, १०५
तावुक, ४८६
तिलक, ४३६
तीन पौंडी शुल्क, २, ३
तुर्की, –और जर्मनी, ३४६; –के मुसल्मानोंपर कानून लागू, १९५
तूलों, –में फ्रेंच युद्धपोत विनष्ट, ३९४
त्रावणकोर–कोचीन, १०१ पा० टि०
त्रिभुवन, टॉवर, ४९२

थ

थॉर्नटन, टी० एन०, ८६ पा० टि०, ९१, १०१, ११०, १४७, १७५ पा० टि०, १९७, २१४ पा० टि०, २३५; –का भाषण, २७२; –के नाम कागज़, ८६; –को पत्र, ७७, ८९
थियोसॉफिकल सोसाइटी, –की अध्यक्ष श्रीमती बेसेंट, ३१९
थेरेसा, ३०३

द

दक्षिण आफ्रिका, २६७ पा० टि०
दक्षिण आफ्रिका, –भारतीय कौमके विरुद्ध, ४५९; –का ब्रिटिश भारतीय प्रश्न, १७, २४८; –का भारतीय समाज, २४२; –का मामला, २८०; –की कौमोंका भविष्य, २२५; –की ब्रिटिश भारतीय प्रजा, १७७; –की भारतीय आबादीमें लड़कियाँ व स्त्रियाँ एक बड़ी संख्यामें ३००; –के प्रतिबन्धक विधान २२२; –के बहुत-से गोरों द्वारा भारतीयोंका स्वागत, २२५; –के ब्रिटिश भारतीय, १७५, १८१, २६१; –के ब्रिटिश भारतीय समुदाय, १७४; –के भारतीय छात्र, २६१; –के भारतीयोंकी भलाईके लिए पत्रकी लड़ाई, ४७६; –के भारतीयोंकी स्थिति, २३५; –के भारतीयोंसे समिति बनानेकी हिदायत उपलब्ध, २५२; –के लिए नाजुक समय, ४६८; –के लोगोंको प्रवासियोंके बारेमें कानून बनानेकी खुली छूट, ५०७; –के व्यापार मण्डलोंकी सभा, ४५८, –के सारे भारतीयोंको लाभ, २७८; –में कार्यपालिकाकी निरंकुश सत्ता, २१३; –में ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति भेदभावका प्रश्न, ३७; –में ब्रिटिश भारतीयोंके साथ किया जानेवाला दुर्व्यवहार, १२९; –में भारतीय समाजकी उपस्थिति नुकसानदेह, ४५९; –में श्री अलीका जीवन, २१०; –में होनेवाले कष्टोंकी कहानी, ४३०
दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, ७० पा० टि०, ७५ पा० टि०, ८७ पा० टि०, ४०३ पा० टि०
दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय चौकसी समिति, १७३-७५, १९६
दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समिति, १६ पा० टि०, १७३ पा० टि०, १९८, २४१, २४६, २४८, २६९, २७१, ३१०, ३२६, ३४१–४२ ३६७, ३८९–९०, ४०७, ४३४, ३४२ पा० टि०. ४७२; –का अस्थायी मसविदा, २४३–४४; –का ब्रिटिश भारतीय संघको तार, ४५४; –का संविधान, २४३–४४; –के उपसमितिके अध्यक्ष और सदस्य २४३; –के लिए विशेष खर्च, ३८१; –के संविधानका मसविदा, २४२, २४७; –के सदस्य, २४३; –के सदस्य द्वारा लोकसभामें फ्रीडडॉर्प अध्यादेशके सम्बन्धमें प्रश्न, ३६२; –के सामने चार काम, ३४२; –को जनरल बोथासे मिलनेका सुझाव, ३९७; –को तार, २७८, ३९६, ४०६, ४२४–२५, ४३५, ४४३, ४९०; –द्वारा भारतीयोंका हर्जाना दिलानेकी तजवीज, ३९४
दक्षिण आफ्रिकी एशियाइयों, –के मामले, ४६८
दक्षिण आफ्रिकी वकीलमण्डल, २६
दमिश्क, ४८४, ४८६; –से मदीना शरीफ रेलवे लाइन, ४८५
दादलानी, –के० एन०, ४११, ४२०
दिलकुश, ३९, ४८, ९९, २१६, २५७
दीवान, मोतीलाल, ४२५, ४८०
दूकान, –की स्थिति, ३११; –दूकानें बन्द करनेका प्रश्न, ५०९
दूकानदारों, –का कर्तव्य, ४९८
देसाई, ए०, –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२२
देसाई, एम० के०, २८७, ३२२, ३७३
देसाई, बापू, ४११; –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२२
द्वारकादास, १८५

ध

धारासभा; –के नये सदस्य, ३५८
धीरा, ३१९
धोरीभाई, ३७३

न

नई संसद, –का चुनाव, ट्रान्सवालमें, ३०५; –के विभिन्न दल, ३५१
नगदी, ५०४
नगर-परिषद (मिडिलबर्ग), –का भारतीयोंको बस्ती खाली कर देनेका ३ मासका नोटिस, ३४४
नगरपालिका मताधिकार, –और व्यापारिक परवानोंका प्रश्न, ३८१; –के रहते हुए भारतीयोंपर नगरपालिका द्वारा घोर अन्याय, ३८२
नगरपालिका विधेयक, २७०, ३४२, ५०६; –सम्बन्धी लड़ाई, ३९०
नगरपालिकाओं –को नेटाल मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रेषित परिपत्र, २७०
नया पंजीयन, २१३
नये एशियाई विरोधी कानून; –के सम्बन्धमें अगला कदम ५१५
नाजर, ३३४
नॉटिंघम, ११३
नाथूराम, १८५
नादरी, ३३४
नानजी, डॉक्टर, ३२४, ४७९; –का कर्तव्य, ३९१; –की अध्यक्षतामें एक मलेरिया निरोधक समिति, ४५१; –द्वारा यथासम्भव सेवा करनेका वचन, ४२६
नायडू, ५०४
नायडू, एम० वी०, ४२०
नायडू, टी०, –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२१

नायडू, बी०, ४११
नायक्लीस, कुमारी, ७०
नाथालाल, ३२२
नारफोक स्ट्रीट, १७९
नारवुड, २६२
निक्सन, –और बेल, १३९
नीली पुस्तिका, –में लिखी हुई कुछ बातोंका विवेचन, ४१३
नेटाल, –और केपके भारतीयोंका कर्तव्य, ४१०; –और ट्रान्सवालके सम्बन्धमें लार्ड एलगिनके निजी सचिवसे बातचीत, १९५; –का उदाहरण, ४१६; –का नगरपालिका विधेयक, ३४२, ३५६; –का परवाना कानून, १०९–१३, ३४२, ३४७–४८, ४१०; –का विधेयक, २७९; –का सवाल, १५०, –की लड़ाई २७५; –की समृद्धि गिरमिटिया मजदूरोंको निरन्तर लाते रहनेपर निर्भर, २७०; –की 'सार्वजनिक सभा', ३८३–८४; –के ब्रिटिश भारतीयोंकी निर्योग्यताएँ, ७६ –के ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें वक्तव्य २६९–७०; –के भारतीयोंको चेतावनी, ५०७; –के मन्त्रिमण्डल द्वारा नगरपालिकाओंको परिपत्र, २७०; –के महापौरका प्रस्ताव १२५; –के शिक्षाधिकारीकी रिपोर्टपर टीका, ३०६; –के हिन्दू, ३०७; –को लॉर्ड कर्जनकी बात अमान्य २३६; –पर भारतीयोंका तिहरा आभार, ६५; –में भारतीय व्यापारी, ३४३; –में भारतीयोंके विरुद्ध एक प्रबल विद्वेष, ६५; –में व्यापारिक कानून, ३५६
नेटाल ऐडवर्टाइज़र, ३०८, ३४७, ४०८; –भारतीयोंकी सार्वजनिक सभापर, ३८१; –का लेख घृणित, ४९१; –की पराजय, ३४६–४७; –को पत्र, ४२६–२८; –में एक मनगढ़न्त समाचार, ३०७; –में छपा तार सर्वथा असत्यपूर्ण, २८१; –में 'नेटालके हिन्दू' शीर्षकसे एक खबर प्रकाशित, ३०९
नेटाल नगर निगम विधेयक, २६१
नेटाल नगर परिषद्, –का उत्तर, ३५६
नेटाल नगरपालिका-मताधिकार विधेयक, २९८; ३३३ पा० टि०, ३८२ पा० टि०, ३८९
नेटाल बैंक लिमिटेड, २४३; –के प्रबन्धकको पत्र, ८७
नेटाल भारतीय कांग्रेस, ४९, ७६, २०९, २८०, ३०८, ३१०, ३२४ पा० टि०, ३६५, ३६७, ३७४, ३८१, ३८४, ३८७ पा० टि०, ३९०, ३९२, ४००, ४२९, ४३६, ४३७, ४५१ पा० टि०, ४७४, ४७५, ४७७, ४८०, ५०६; –की निधिकी श्री आदमजी मियाँखाँके मन्त्रित्वकालमें अभिवृद्धि, ३३४; –की बैठक, ४२५–२६, ४७६; –की शिष्टमण्डलके उद्देश्योंसे सहानुभूति, ६४; –की सलाह लिए बिना भारतीय कोई काम न करें, ५०७; –के खिलाफ शिकायतोंके सम्बन्धमें भारतीयोंकी एक सभामें विचार, ३०७; –के ट्रस्टियोंमें दो हिन्दू, ३०८; –को डॉक्टर म्यूरीसनसे सहायता, ३९१; –को नेटाल सरकारका उत्तर, ३९९; –द्वारा श्री उमर हाजी आमद झवेरीको दिया गया मानपत्र, ४७७; –से असन्तोष, ३०७
नेटाल भारतीय शिक्षा सभा, –कांग्रेसके संरक्षणमें उन्नत और समृद्ध, ३०८
नेटाल मर्क्युरी, २७९, ३४३ पा० टि०, ३६५; –और भारतीय व्यापारी, ३१३, ३६६–६७; –की आपत्ति, २७८; –को भेंट, ४६८; –द्वारा रायटरके तारपर विरोधपूर्ण टिप्पणी, ४२६; –द्वारा लेडीस्मिथ निकायको फटकार, ३६६
नेटाल विटनेस, –द्वारा भारतीयोंके बहीखातोंकी कड़ी आलोचना, ३५५
नेटाल विधान सभा, –द्वारा टैथमका विधेयक स्वीकृत, १९०
नेटाल-सरकार, –का नेटाल भारतीय कांग्रेसको उत्तर, ३९९; –के साथ लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई कोशिशोंकी तफसील, २२९–३०; –के साथ व्यवहार करनेमें लॉर्ड कर्जनका रुख, २३०
नेपोलियन, ४९३–९४
नेशनल रिव्यू, ४६६; –में लॉर्ड मिल्नरका लेख, ४५७
नेशनल लिबरल क्लब, ११६, ४१८; –के मन्त्रीको पत्र, २१५
नैतिकतावादी समिति संघ, १६६ पा० टि०, १९४, २७३; –की कुमारी विंटरबॉटम १८१
नैतिक संस्कृति संघ, २८९
नौजवान जापानी विद्यार्थी, ४७१
नौरोजी, दादाभाई ११–१२, २४, ३०, ३२, ३८, ४२, ४५ पा० टि०, ४६ पा० टि०, ९१, ९७ पा० टि०. १०१, १२०, १४३–४४, १४६–४७, १७४, १८३, १८६, १८९, १९७, २०१, २१४ पा० टि०, २१८, २३५, २४३, २५१, ४२०, ४७४; –'भारतके पितामह,' २६०; –का वक्तव्य; १३१; –के दर्शन, २९; –को पत्र, १७५, १९०, ३९७
'न्यायी,' –का अन्यायी पत्र, ४५६
न्यूइंगटन, २६५
न्यू केंट रोड, ७९
न्यू कैंसिल, ३२२
न्यू कोर्ट, ९५
न्यू क्लेअर, –के धोबियोंपर हमला, ४६०; –के धोबी, ५१२
न्यू टाउन, १९८, ३६३
न्यू साउथ वेल्स, ४५७

प

पंजाब, –का आर्यसमाज, १७८; –में हुल्लड़, ४६८
पंजाब विश्वविद्यालय, १५५, १७८
पंजाबी, १९४; –पर मुकदमा, ४६८
पंजीयक, –द्वारा बच्चोंके अनुमतिपत्रके विषयमें मदद करनेसे इनकार, ३०५
पंजीयन, –का अर्थ, ५०; –का कानून, ४५७
पंजीयन कानून, ४६१, ४६९
पटेल, ई० एम०, ४११; –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२२
पण्डित, आर० एस०, ५०३; –का भाषण, ४२०
पत्तर, रत्नम्, २६ पा० टि०, २७, ४०, ७८ पा० टि०, ८५, १११, २५९ पा० टि०, २६५, २७४
पत्रिका, ३२४
परदेशी अधिनियम (एलियन्स ऐक्ट), –ब्रिटेनका, ११९
परमानन्द, प्रोफेसर, २१, २७, ७२ पा० टि०, २७२, २७४; –को पत्र, २६–२७, ४७
परमेश्वरलाल, १८५
परवाने, –का मुकदमा, ३७८; –की तकलीफ, २९९; –के सम्बन्धमें भारतीयोंकी फिर हार, ४९५
परवाना अदालत, –द्वारा परवाना न देनेका निश्चय, ४७३; –द्वारा बिना गवाहीके मुकदमोंका फैसला, ४३७
परवाना अधिकारी, –और परवाना निकाय दोनों एक, ३१०; –द्वारा एक भारतीय व्यापारीका परवाना बदलनेसे इनकार, ६५; परवाना अधिकारियों, –के निर्णयोंपर सर्वोच्च न्यायालयके पुनर्विचारके अधिकारको बहाल करनेकी सिफारिश, २७०
परवाना कानून, १०९, ३४१, ४१०, ४७४
परवाना निकाय, –द्वारा कुल मिलाकर अन्याय नहीं, ३४२; –से अपील करनेका सुझाव, ३१०
परिचयपत्र, –डॉ० गॉडफ्रेका श्री अलीको, २११
परिपत्र, –नेटाल मन्त्रिमण्डल द्वारा नगरपालिकाओंको प्रेषित, २७०; –लोकसभाके सदस्योंके बैठनेके लिए, ९३
परेरा, डॉ०, –का लड़का, ३१५
पर्चेस, टी० ए० आर०, ३५८, ४१३; –एशियाई विधेयकपर, ४०५, ४१२–१३
पश्चिमी शिक्षा, –पर अमीर हबीबुल्ला, ३७०
पहला मताधिकार अपहरण विधेयक, –नेटाल विधानसभाका, ५६
पाँच ब्रिटिश भारतीयों, –की लॉर्ड एलगिनसे व्यक्तिगत अपील, ११५
पांडीचेरी, ४५३
पाइंट, ३८२
पाइन स्ट्रीट, ४७५
पॉचेफस्ट्रूम, १५८, ३६८ पा० टि०, ४११, ४५८, ५००
पॉटजीटर्सरस्ट, ५१२
पान्से, डी० जी०, –को पत्र, २६४
पायवेल, कुमारी एडा, २२ पा० टि०, ७१, १५२; –को पत्र, ६१
पारसी क्रॉनिकल, २७२, ३२४
पार्कटाउन, ३६३
पार्कलेन, २४२
पाल, २८१
पाल माल, १३९, १७२, २०२, २१४
पाल माल गज़ट, ३३३ पा० टि०; –सच्ची शिक्षापर, ४९७–९८
पावेल, जनरल बेडन, –तम्बाकूपर, २८५; ८६
पाशा, अहमद हाजी, –का सुल्तानको तार, ४८६,
पाशा, इज्जत, ४८५; –के हजूरिए, ४८६; –द्वारा हेजाज रेलवेको जन्म, ४८४
पाश्चात्य देशों, –में शिक्षाका मूल्य, ४९७
'पितामह,' –भारतके, १९, २६०, २८५, ३४१
पिलचर, श्रीमती, १३७
पिल्ले, ए०, ४११
पिल्ले, ए० ए०, ५०४; –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२२
पिल्ले, ए० डी०, ३०९
पिल्ले, सी० एम०, १८२, १९५, २०८; –का प्रार्थनापत्र १८३; –का मामला बहुत दुःखदायी, ४७
पीटर, लॉरेन, १९७
पीटर्सबर्ग, ४११, ५००
पुर्तगाली वाणिज्य दूत, –द्वारा पत्रका उत्तर, ३४४
पुलिस, –की जाँचके समय भारतीयोंका कर्तव्य ५००–१
पूनिया, –का मामला, ८, १२६
पूर्वकाल, –में नीति केवल सांसारिक नीति, ३३१
पूर्व भारत संघ, ७७, ८६ पा० टि०, ९९ पा० टि०, १२१, १५४, १६५, १७७, २९६ पा० टि०, १९९, २२०, २३३, २७५ पा० टि०, ३३०; –में भाषण, २४९–५०; –में रिचका भाषण, १८१, २७२–७३; –से सहयोग उपलब्ध, २६०
पैंकहर्स्ट, कुमारी, ३५४
पेकहम रोड, १४, २५८
पेम्ब्रोक, २९१
पैगम्बर, मुहम्मद, ४९९
पैदल पटरी कानून, –भारतीयोंपर, ४९४
पैदल विक्रेता, –की परिभाषा, ५१०
पैलेस चेम्बर, १४६, १८३, १८९–९१, २१८–१९, २५६,

पोप, –का लूथर द्वारा विरोध, ४९३, –द्वारा लूथरके नाम जामुसके द्वाथ आदेश, ४८३ –द्वारा लूथरको गुलामीकी चिट्ठी प्रेषित, ४९५
पोरबन्दर, ४७४, ४७६
पोर्ट एलिज़ाबेथ, ४५८
पोर्टमन स्क्वेयर, ८२
पोर्टर, डॉक्टर, –की भारतीयोंके विषयमें टीका, ३४५
पोर्टलैंड प्लेस, १५, २८, ८१, १०५, १६३
पोर्ट शेप्स्टन, –का भारतीय परवानेका मुकदमा, ३७८; –में काली चमड़ीके कारण परवानेपर रोक, ३४७
पोलक, जे० एच०, ३०, ३४, ४१, ४४, ७२, २४३, २५९ पा० टि०, २७४; –को पत्र, १३, ४३–४४, ७८, २६५–६६;
पोलक, श्रीमती जे०एच० २७४, ४४९
पोलक, श्रीमती मिली ग्राहम, २१ पा० टि०
पोलक, हेनरी, एस० एल० १३ पा० टि०, २२, २३ पा० टि०, २८–२९, ३१ पा० टि०, ४५ पा० टि०, ६२ पा० टि०, ७० पा० टि०, ७६ पा० टि०, ९१, १४५, १४९, १५२, १८३ पा० टि०, १८६ पा, टि०, १९०, २००, ४३२, ४७६, ४७९, ४८७, ४९१, ५०१, ५१५ पा० टि०; –का 'स्टार' को उत्तर, ५०२; –को पत्र, १९–२२, ६९–७०, १४४–४५, १८०–८१
प्रगतिशील दल, ३५८, ३६३
प्रतिनिधियों, –का लॉर्ड एलगिनको विस्तृत उत्तर, २४५; –का विदाईपत्र, २७४; –की नियुक्ति, ४९; –की साम्राज्यीय आयोगके विषयमें प्रार्थना, २४५; –द्वारा जलपानका निमन्त्रण, २५७; –द्वारा भारतीयोंको नागरिकोंकी हैसियतसे अपना उत्तरदायित्व निभानेकी सलाह, २८१
प्रतिबन्धक विधान, –दक्षिण आफ्रिकाके, २२२
प्रतिबन्धित प्रवासी, ३६८
प्रधानमन्त्री-सम्मेलन, ५६
प्रमाणपत्र, –कुमारी एडिथ लॉसनको, २५३
प्रवासी अधिकारी, –द्वारा तसवीरका नियम दाखिल, २७९
प्रवासी अधिनियम, देखिए प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम
प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम, २६९, ४६३; –और विक्रेता परवाना अधिनियम, १०९; –का मसविदा नामंजूर, ५६
प्रश्नों, –का मसविदा, संसद सदस्योंके लिए, १८७–८८
प्रस्ताव, –स्वागत सभामें, २७६–७७
प्रसाद, ४९९
प्रॉवन, सर लेस्ली, २७२
प्रार्थनापत्र, –लॉर्ड एलगिनको, ८४–८५ ११७–१९
प्रार्थी, –के व्यवहारका सम्भावित स्पष्टीकरण, २११
प्रिंटिंग हाउस स्क्वेयर, ९६, १५७
प्रिटोरिया, २, २०५, ३२३, ३५१, ३६२–६३, ३७०, ३७२–७३, ३९३, ४०७, ४११, ४३२, ४५९, ४९६, ५०४, –का शिष्टमण्डल, ४०७; –में जनरल बोथा और उनके मन्त्रिमण्डलको भोज, ३८५; –में दक्षिण आफ्रिकाके व्यापार मण्डलोंकी बारहवीं वार्षिक सभा, ४५८; –में भारतीयोंकी कठिनाइयाँ, १; –में सर रिचर्ड सॉलोमनका भाषण, ३१५, ३२८–२९; –में सर रिचर्ड सॉलोमनकी हार, ३६३; –में सर रिचर्ड सॉलोमनके चुनाव-प्रयत्न, ३४४
प्रिटोरिया न्यूज़, ४३२
प्रिटोरिया समिति, ४०५
प्रिन्स स्क्वेयर, २६४
प्रीतमदास, –का पद, ३३८
प्रीवी कौंसिल, १२ पा० टि०
प्रेसिडेन्ट स्ट्रीट मार्केट, ५११
प्रैडी, –का प्रस्ताव ४५८ श्री आयरलैंडके मतमें मर्यादाहीन, ४५९;
प्रोटेस्टेंट, सम्प्रदाय, १७८
प्लैंटेजेनेट काल, १२२

फ

फरेरा, आई०, ३६३
फर्ग्युसन, सर जेम्स, २५१ पा० टि०; –की मृत्युपर, ३२६
फाउल, कैप्टन, ३५२, ३५७; –को भारतीय समाजसे सन्तोष, ४१७
फॉक्सट्रूम, ५१२
फॉनडरबर्ग, जे०, ३५८
फॉरेस्ट, –को भारतीयोंकी यादसे दण्ड, ४५९
फॉरेस्ट हिल, ३९, ४८, २१६, २५७
फिचले रोड, १७०
फिट्ज़पैट्रिक, सर पर्सी, ३५१; ३५१; –द्वारा एशियाई विधेयकका समर्थन, ४०४
फिट्ज़राल्ड, ४४६, ४४९
फिलिप्स, वैंडल, ३०२, ३१८
फीनिक्स, २३, १५२, १५४–५५, २८१, ४३५, ४७० पा० टि०, ४७६
फील्यम, आर०, ३५८
फुल्मनिया, –के पक्षमें १९०६ का बैनामा, ४५०
फेरार, सर जॉर्ज, १३, ३५१; –का संयोगसे भारतीयोंकी नियुक्तिका सुझाव, १३०; –का सुझाव, १६९
फेरीवालों, –के लिए जानने योग्य, ४३४; –के लिए विशेष कानून बनानेके सम्बन्धमें व्यापार संघका सुझाव, ४३४; –को चेतावनी, ५१०–११

फेहम पाशा, –की रिश्वतखोरी, ३४६
फैजी, कुमारी, १८६
फैन्सी, एम० पी०, ३७२–७३, ३८०, ४११; –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२१
फोक्सरस्ट, ३५२, ३५७, ३६३, ३७२, ४८९, –का अनुमतिपत्र सम्बन्धी मुकदमा, ३९१; –के अदालतका एक विवरण, १२६
फोर्ट प्रिंटिंग प्रेस, २९७ पा० टि०
फ्रांस, –का विद्रोह नीतिके प्रतिकारमें, ३१८; –के विद्वान लाविस, ३००
फ्राइहीड, –के दादा उस्मान व्यापारिक परवानेसे वंचित, ६५
फ्रायर, सर फ्रेडरिक, २५९ पा० टि०,
फ्रीडडॉर्प, १८७, २४०, २७४, २९४, ३८८; –के भारतीय, ३८९; –के भारतीयोंको मुआवजा, ३५३; –में बहुतसे बाड़े भारतीयोंके अधिकारमें, १८८; –में ब्रिटिश भारतीय बहुत बड़ी संख्यामें, २५५; –में भारतीयोंकी हानि, ३६८; –में भारतीयोंको जमीनका पट्टा लेनेकी मनाही, २७८
फ्रीडडॉर्प बाड़ा अध्यादेश (१९०६), ४५, १८७, २६१, २७८, २९४, ३३३, ३६७, ३९४; –पास, ३६७; –की बाबत श्री चर्चिलका जवाब, २३९; –के सम्बन्धमें लोक सभामें प्रश्न, ३६२; –पर आपत्तियाँ, २५५–५६
फ्रीथ, श्रीमती, ७१, १४५, १५२; –को पत्र, १३७, १७०
फ्रेंच, फील्ड मार्शल सर जॉन, ३५४ पा० टि०; –की बहन, ३५४
फ्रेजर, २७१, ३९६
फ्रेनिखन (वेरीनिगिंग) –की संधि, २९३
फ्लीट स्ट्रीट, १८९, १९८

ब

बंगाल, –में हलचल, २८५
बकिंघम स्ट्रीट, १६८
बच्चों, –के अनुमतिपत्र, ३०५
बनर्जी, कालीचरण, ४९२
बनर्जी, बाबू सुरेन्द्रनाथ, ४२०
बनर्जी, श्रीमती, १६७, १७१
बनारस, –की कांग्रेस, ४२२
बम्बई, ३५, ८९, २३७, ३२३, ४६८, ४७६
बर्क, –द्वारा प्रैडीको अपना प्रस्ताव वापस लेनेकी सलाह, ४५९
बर्जेस, ३९१–९२, ४९६; –की भारतीय यात्रियोंसे पूछताछ, ३८३; –की रिपोर्ट, ३८५
बर्डवुड, सर जॉर्ज, १२, १८–१९, ३०, ३२, ३४, ३८, ४२, ४६ पा० टि०, ९१, १०१, १२०, १४७, १६० पा० टि०, १७३ पा० टि०, १७५ पा० टि०, २४३, २५९ पा० टि०, २७२; –का नाम शिष्टमण्डलका प्रवक्ता बननेके लिए, २४; –का पत्र, २६; –को तार, ११; –को पत्र, १५, १६६, २०६, २५१
बसूटोलैंड, ४५८
बहन, रलियात, ४४५
बाँड दल, २१०
'बाजार' शब्द, –का प्रयोग गलत अर्थमें, १२५
बाजार सूचना, –लॉर्ड मिलनर द्वारा भारतीयोंपर एकाएक लागू, १२५
बारबर्टन, ३६३; –के भारतीयोंको सूचना ३८१
बार्न्ज़, –को पत्र, १३८
बार्न्ज़, श्रीमती –को पत्र, १३७
बालफ़र, ए० जे०, १७२ पा० टि०; –के निजी सचिवको पत्र, २०२, २१४
बावजीर, इमाम अब्दुल कादिर, ३९९ पा० टि०
बासेट, २८५
बिआस, १५६–६२, १७६, २१२, (ब्रिटिश भारतीय संघ भी देखिए)
बिदाई, उमर हाजी आमदको, ४७५–८१
बिम्बलडन, ४४
बिसिक्स, एच०, ७०, ७६; –को पत्र, ७५–७६
बिस्मार्क, –का जर्मनीको बाह्य लाभ पहुँचानेके लिए घोर कृत्य, ३३१
बीन, २८७
बीनहम, ६८, ९४
बीन्स, ४७३
बुलर, जनरल, –के खरीतेमें भारतीय आहत-सहायक दलका विशेष रूपसे उल्लेख, ६५,
बुल, सर विलियम, २४१, २५९ पा० टि०, ४१३
बेक, कुमारी, ई० जे०, –को पत्र, २३४, २६५
बेकन, –इंग्लैंडपर, १८५
बेकन, रोजर, ३१७
बेकर, एफ० ए०, –नेटालके भारतीय व्यापारियोंपर, ३४३
बेग, श्रीमती हमीद, १८६
बेडफोर्ड, १९२, २०१; –काउन्टी स्कूल, २६५
बेडफोर्ड पार्क, १६७
बेथॉल, ३६२
बेनगुएला रेलमार्ग, ३८७ पा० टि०
बेनरमैन, सर हेनरी कैम्बेल, २७३
बेनी, –का मुकदमा, ३६५
बेनेट, टी० जे०, १९७, २१४ पा० टि०, २३५, २४३, २५९ पा० टि०, २७२; –को पत्र, १७४, १८१, २५७

बेन्थम, जेरेमी, ८५, २९६

बेयर्स, ए० एफ०, ३६३

बेल, –और विल्सन, १३९

बेसेंट, श्रीमती एनी ३१९–२०, ३२३

बैकनहम, ९४

बैर्सलोन, ३१८

बैरन्स कोर्ट रोड, ९६

बोअरों, –द्वारा भारतीय केवल नागरिक अधिकारों तथा भूस्वामित्वसे वंचित, २

बोअर युद्ध, –के समय भारतीय आहत-सहायक दलका संगठन, २०९

बोअर राज्य, –में १८८५ का कानून ३, ४१६; –में भारतीयोंके साथ लड़ाई, १२१

बोथा, जनरल, ३५१, ३६३, ३७६, ३९३, ४०५, ४३७, ४५८, ४६१, ५१६; –और उनके मन्त्रिमण्डल-का प्रिटोरियामें अभिनन्दन, ३९३; –और उनके मन्त्री, ३८५; –का मन्त्रिमण्डल, ३८०; –के प्रधान मन्त्री बननेकी सम्भावना ३६३; –के समक्ष शिष्ट-मण्डल, ४६०–६१; –को लॉर्ड एलगिनका निमन्त्रण, ३८१; –से भेंटकी व्यवस्था, ४५४; –से मिलनेका दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिको सुझाव, ३९७

बोवात, एल० डी०, ४११; –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२१

बोमनशाह, ४११, ५०४; –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२२

ब्रह्मदेश, ३२१

ब्राउन, एफ० एच०, १०६, १४७, २३५, २५९ पा० टि०, २७२; –का पत्र, २३२; –को पत्र, ३९, ४८, ८६, ९९, २१६, २५७

ब्राउनिंग, रॉबर्ट, ३१७

ब्रॉडवे, १७३, २४३, २५४, ३९६

ब्रॉडस्टेयर्स, ९६, १५०

ब्रॉमले, २५, २८, ३४–३५, ४३, ५९–६०, ६२, ६८, ९४, १४७, १६९, २४४

'ब्रिटन' जहाज, –द्वारा विदा, २७५

ब्रिटिश उपनिवेशों, –में बसते ही भारतीयोंका अपमान, १७०

ब्रिटिश गियाना, –में भारतीयोंको सभी अधिकार उप-लब्ध, २७२

ब्रिटिश भारतीय, –आतंकित ३९६; –और चीनी परवाने, २९६; –गन्दे कीड़े और आत्मारहित मनुष्य, १११; –ट्रान्सवालमें २२२; –साम्राज्यकी नागरिकताके अयोग्य नहीं, २०९; –का अनधिकृत आगमन, ३; –का आगमन रोकनेके लिए केप या नेटालके नमूनेका कानून, २३२; –का कर्तव्य और मलेरिया, ३९१-९२; –का गोरोंके साथ ट्रान्सवालमें रहनेका दावा २६७; –का दावा, २; –का पंजीयन, ५१; –का पक्ष पूर्णतया सिद्ध, ४२४, ४२८; –का बहिष्कार, २२३; –का रंगदार लोगोंमें समावेश वास्तविक नहीं, ३७६; –का सवाल, १७९; –की अन्य एशियाइयोंसे भिन्नता ५७; –की आबादी ट्रान्सवालमें, १; –की एक सभामें नेटाल भारतीय कांग्रेसके खिलाफ शिकायतोंपर विचार, ३०७; –की गन्दगी, ३११; –की ट्रान्सवालमें अनधिकृत बाढ़ १२७; –की निर्योग्यताएँ युद्धका एक कारण, २; –की नेटालकी स्थितिके सम्बन्धमें वक्तव्य, २६९–७०; –की परवानेके सम्बन्धमें फिर हार, ४९५; –की बहुत बड़ी संख्यामें अनधिकृत भरमार ११७; –की भावनाओंको समझनेमें 'स्टार' असमर्थ, ४८७; –की सभामें चार प्रस्ताव, ३९८–९९; –की सामान्य नागरिक स्वतन्त्रताका भी एशियाई अध्यादेश अवरोधक, २३२; –की सार्वजनिक सभा, ४९, १२४, १२७, २७६, २९९; –की स्थितिकी जाँचके लिए आयोग-की आवश्यकता, १८८; –की स्थितिके सम्बन्धमें लॉर्ड कर्जनका जोरदार सहानुभूतिपूर्ण पत्र, २४८; –के दो प्रतिनिधियोंके साथ उपस्थित होनेवाले सज्जनोंकी सूची, १९७; –के नुकसानके जिम्मेवार रस्टनबर्गके भारतीय, ३७७; –के पीछे एक प्राचीन सभ्यताकी परम्परा, १७९; –के प्रति ट्रान्सवालके गोरे उपनिवे-शियोंकी भावना खराब नहीं, २३०; –के प्रति दक्षिण आफ्रिकामें भेदभावका प्रश्न, ३७; –के प्रति सहानुभूतिका प्रस्ताव नेटाल भारतीय कांग्रेस द्वारा पास, ४२५–२६; –के प्रश्नपर टाइम्सका अग्रलेख, १५७; –के बनाये हुए घर झोंपड़े नहीं, २५३; –के मामलेमें एक समिति बनाना सम्भव, २०; –के लिए अपील करना बिलकुल आवश्यक, ५०३; –के लिए उचित और न्याय्य व्यवहार प्राप्त करना शिष्टमण्डलका उद्देश्य, १३६; –के लिए एक स्थायी समिति, २८; –के लिए श्री वेडरबर्नका संघर्ष, २३६; –के विरुद्ध फ्रांसीसियोंमें दूसरे कानून लागू, ६५; –के सम्बन्धमें डॉ० पोर्टरकी टीका, ३४५; –के साथ दक्षिण आफ्रिकामें दुर्व्यवहार, १२९; –के सिर ट्रान्सवालपर आक्रमण करनेका इल्जाम ४९६; –को एक गोरे द्वारा आंशिक अनुमतिपत्र प्रदान, ४३८; –को एशियाई-विरोधी आन्दोलनके सूत्रधारोंकी निर्दयताका अनुसरण करनेकी सलाह, ३८९; –को दुकानोंसे दूर करने-की धमकी, २३७; –को दक्षिण आफ्रिकामें उचित और न्याय्य व्यवहार देना जरूरी, १७५; –को मत

अध्यादेशके अन्तर्गत दी गई राहत, १२५; –द्वारा ट्रान्सवालमें अध्यादेशका विरोध, ५; –द्वारा बहुत-से अन्य यूरोपीयोंके समान ही बाड़ोंपर कब्जा, २५५; –द्वारा वतनी-विद्रोहमें नागरिकोंके नाते कर्तव्यका पालन, ६५; –पर चलाये गये फोक्सरस्टके मुकदमे, १२६; –पर चेम्बरलेन द्वारा पाबन्दी न लगानेकी राय, २९२; –पर दक्षिण आफ्रिकामें राजनीतिक अधिकारोंकी आकांक्षाका आरोप, ४६३; –पर विक्रेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत साढ़े बारह पौंडका नया कर, ३७३; –से अँगुलियोंके निशानकी माँग, ३७४; –से सम्बन्धित शान्ति-रक्षा अध्यादेश, १८८

ब्रिटिश भारतीय प्रश्न, २६४; –पर प्रकाशित नीली पुस्तिका, ३७५

ब्रिटिश भारतीय व्यापारी, –कुल मिलाकर ईमानदार, ११२; गोरे दूकानदारोंके मुकाबलेमें अधिक कुशल २२५; –यूरोपीय थोक-पेढ़ियोंपर निर्भर, ५६; –और नेटाल मर्क्युरी, ३१४, ३६६–६७; ब्रिटिश भारतीय व्यापारियों, –की परवानेकी अर्जियाँ परवाना अधिकारी द्वारा खारिज, २९९; –को परवाना न देनेका गोरों द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत, ३१०; –को परवाने देनेके सम्बन्धमें नेटालका कानून अधिक कड़ा, ६५; –पर जल्दी दूकान बन्द करनेके लिए पुलिसका दबाव, ५०९; –पर नेटालमें मुसीबत, ३४३

ब्रिटिश भारतीय संघ, ७, ४५, ४९–५०, १२४, १४३; १५५, १७६, १८२–८३, १८७, १८९, २०८–९, २७६, २७८ पा० टि०, ३३८–३९; ३४४, ३४६, ३५२–५३, ३६२, ३७१, ३७५, ३७७, ३८०, ४०८, ४११, ४२०, ४३४, ४६३, ४६६, ५०१, ५०८, ५११; –और भारतीय विरोधी कानून निधि समितिकी बैठक, ३८१, ४०५; –और भारतीय शिष्टमण्डल, २१९; –धन्यवादका पात्र, ४१०; –भारतीयोंकी ओरसे शाही मध्यस्थताका प्रार्थी, ४२४; –का कर्तव्य, ३८३; –का जवाब, ४४०; –का ट्रान्सवाल संसदको तार, ४०३–४; –का निवेदन ४०६; –का विरोध, ५१; –की कोशिशसे रिश्वतखोर अधिकारी गिरफ्तार, ४१४; –की बैठक, ५०४; –की शाखा समितिको जोरदार शब्दोंमें गश्ती पत्र, ३७२; –की समितिके कुछ प्रस्ताव, ४१८; –की सूचना, ४९७; –के तत्वावधानमें भारतीयोंकी सभा, २९८; –को लॉर्ड एलगिनका तार, ११७; –को बधाई, ३७४; –द्वारा किये गये स्वेच्छया पंजीयन करानेके निवेदनसे कानूनका अनुमतिपत्र सम्बन्धी उद्देश्य सिद्ध, ४८२; –द्वारा मनोनीत शिष्टमण्डल, १७; –द्वारा शिष्टमण्डल नियुक्त, ६; –द्वारा हर स्थानको पत्र, ३७९; –में दिलचस्पी रखनेवालोंकी बैठक बुलानेका सुझाव, ८१

ब्रिटिश भारतीय समाज, ५, १९५, ३६३, ४०३; –अनुचित आव्रजन अथवा अनुचित व्यापारिक स्पर्धाकी बातको न्यायपूर्ण ढंगसे सुलझानेको तैयार, ६; –ट्रान्सवालका व्यापार छीननेकी अनिच्छुक, ५०३; –नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सलाह लिये बिना कोई कदम न उठाये, ५०७; –ब्रिटिश राज्यकी रक्षाके लिए सदा तैयार, ४४३; –का पंजीयन, ३८५; –का मामला सच्चा, २७५; –का समिति बनानेका निश्चय, १७४; –की अधिनियम सम्बन्धी शिकायतें, ३८२; –की आदमजी मियाँखाँ द्वारा की गई सेवाएँ, ३३४; –की ओरसे अधिकारों व सुविधाओंकी कोई माँग नहीं, ३६५; –के प्रति चैमनेका तिरस्कार, ४२८–२९; –के लिए जीवन-मरणका प्रश्न, २१३; –के विभिन्न अंगोंको आपसमें लड़ते-झगड़ते देखनेको कुछ 'भले मानस' लालायित, ३०७; –के सामने ट्रान्सवालमें अपनी प्रतिष्ठाका प्रश्न, ५०६; –के सोचने योग्य लॉर्ड सेल्बोर्नका लेख, ३५८; –को अनुमतिपत्र-कार्यालयसे सम्बन्ध रखना नुकसानदेह, ४९७; –को निर्वाचनका अधिकार नहीं, ४२१; –को बहादुरी दिखानेका अवसर, ३९३; –को राहत देनेके बारेमें भारत सरकारकी ओरसे आग्रह, ३५६; –द्वारा अमगेनीका चालित मदरसा, २८३; –द्वारा आरोपका खण्डन, १२७; –द्वारा जेलके निर्णयका पालन करना असम्भव, ४५४; –द्वारा श्री झवेरीको दिया गया मानपत्र, ४७८; –द्वारा बहुत बड़ी संख्याको ट्रान्सवालमें लानेका प्रयत्न, ११७; –पर ट्रान्सवालमें अनधिकृत भारतीयोंकी बाढ़को बढ़ावा देनेका आरोप, ८; –पर ट्रान्सवालमें एशियाइयोंको भर देनेका आरोप, २३१; –पर लगाये गये आरोपोंकी जाँचके लिए आयोग, २४५; –में बालक और प्रौढ़ दोनोंका अभी शिक्षा लेना बाकी, ३०६

ब्रिटिश म्यूज़ियम, १७९

ब्रिटिश लोकसभा भवन, –में सभा, ३३

ब्रिटिश शासन, –का शान्ति-रक्षा अध्यादेश, २१२; –के अन्तर्गत भारतीयोंकी दशा, ५०

ब्रिटिश समिति, –भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी, १८९–९०, २१८

ब्रिटिश सरकार, –द्वारा अध्यादेश नामंजूर, २९६; –में इच्छा-शक्ति या बलका अभाव, २२८

ब्रिटिश साम्राज्य, –में अल्पसंख्यकोंके मुकाबले बहुसंख्यक कम दर्जेके, २२६

ब्रिटेन, –का परदेशी अधिनियम (एलियन्स ऐक्ट), ११९; –के उष्णकटिबन्ध-स्थित प्रदेशोंमें भारतीयोंको बसानेका श्री कर्टिसका प्रस्ताव, ४६८

ब्रेकले रोड, ९४, १४६
ब्लूमहॉफ, ३६३
ब्लेयर, श्रीमतीजी, १३६; –को पत्र, १६७
ब्लैक फायर्स, ७०, ७६

भ

भणसाली, छबीलदास, ८९
भाणा, नगा, ३५७
भाणाभाई, ३८०
भामा, २८७
भायात, ए० एम०, ४११, ५०४
भायात, सुलेमान इब्राहीम, ५०४
भारत, –के 'पितामह,' १९, २६०, २८५, ३४१; –के लोकमतपर नये अध्यादेशका स्वाभाविक रूपसे गम्भीर असर, २२८; –में उपनिवेशियोंपर प्रतिबन्ध लगानेका लॉर्ड सैनलेका सुझाव, २२७; –से गिरमिटिया मजदूर जुटानेकी छूट देना असम्भव, २७०
भारत कार्यालय, १६७, १८१, १९९, २१६, २२०, २३८, २६५, ४१३; –की स्थिति, २२८
भारत, –की औद्योगिक कलाएँ, ११ पा० टि०; –जिसकी हमने सेवा की (इंडिया वी सर्ब्ड), १९९ पा० टि०
भारत परिषद, –में थियोडोर मॉरिसनकी नियुक्ति, ३२६
भारत भ्रमण (टूर्स इन इंडिया), १०१ पा० टि०
भारतमन्त्री, ७; –से भेंट, २३५
भारतीय आहत-सहायक दल, ४९, ६५; –का संगठन बोअर युद्धके समय, २०९; –के नेताओंको एस्कम्बका आशीर्वाद, २१०
भारतीय कर-दाताओं, –को मताधिकारसे वंचित करना अन्यायपूर्ण, २७०
भारतीय डोलीवाहक दल, ४९, ६५; –का संगठन वतनी युद्धके समय, २०९
भारतीय नाटककार, २८२
भारतीय नाम निर्देशिका, ४८९
भारतीय पक्ष, –को दक्षिण आफ्रिकामें समर्थन प्राप्त, २४९
भारतीय पार्सो, –की प्रणाली ज्यादा सस्ती, १
भारतीय पुस्तकालय, –द्वारा श्री दावेरीको दिया गया मानपत्र, ४७८
'भारतीय प्रशासन सेवक,' (इंडिया सिविल सर्वेन्ट), १९९ पा० टि०
भारतीय प्रशासन सेवा, १०१ पा० टि०, ११६ पा० टि०
भारतीय मुसलमानों, –का कर्तव्य, ४८६
भारतीय यात्रियों, –से श्री चेम्बर्सका पूछताछ, ३८३
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, २५१ पा० टि०, २८५; –की ब्रिटिश समिति, १९०, २६०; –की ब्रिटिश समितिको पत्र, १८९–९०, २१८, २५६
भारतीय-विरोधी कानून निधि, ३३३, ३४०, ३८९; –और ब्रिटिश भारतीय संघकी बैठक, ३८१, ४०५
भावनगरी, सर मंचरजी मेरवानजी, ११, १५–१६, १९, २४, २६, ३०, ३२ पा० टि०, ३४, ३८, ४०, ४२, ४६, ६२, ९२, १०१, ११६, १२०, १४४, १४७–४८, १५९, १६१, १६६, १६९ पा० टि०, १७४, १९६–९७, २०१, २०६, २१४ पा० टि०, २२९, २३२, २३५–३६, २४३, २४९, २५९ पा० टि०, २६०, २७२, २७४, ३८९, ४०१, ४६०, ४७४; –और सर विलियम वेडरबर्नसे दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोंके लिए एक स्थायी समितिकी स्थापनाके बारेमें चर्चा, २८; –का आभार २८२; –का टाइम्सको पत्र, १८०; –का प्रश्न, १३३; –का भाषण, २७३; –का वक्तव्य, १२९–३०, २२७; –का सुझाव, २७१; –को तार, ११; –को पत्र, १८, १६०–६१, २०५, २५२–५३; –की समितिकी अध्यक्षता मंजूर, २४८; –द्वारा दिया गया परिचय-पत्र, २४१
भाषण, –एशियाई विधेयकपर, ४०४; –५ चीनियोंकी सभामें, ५१३; –श्री रिचका, २७५
भीखुभाई, ४९१
भीतरी उपाय, ३११

म

मंगा, सुलेमान, एम०, ९६, २५६ पा० टि०, २७४–७५; –की पुर्तगाली वाणिज्य दूतसे मुलाकात, ३४४; –को पत्र, १२, १५०
मक्का शरीफ, ४८५
मखाडोर्डोर्प, –से पत्र, ५०९
मगनलाल, ३२२, ३४०–४१, ४४६, ४८९
मजदूर दल, ९३, १०२, १११, ११३, ३५१, ३६३
मताधिकार, –के सम्बन्धमें उतावलीकी आवश्यकता नहीं, ५०७
मताधिकार अपहरण विधेयक, –का लॉर्ड रिपन द्वारा निषेध, २२२
मदनजीत, ३२३; –का उल्लाह, ३२१
मदीना शरीफ, ४८५
मद्रास, –का विवरण, २९; –में तार, २७५
मद्य अध्यादेश, –के अन्तर्गत भारतीयोंको दी गई राहत, १२५
मद्य परवाना अधिनियम, ३९९

मद्रास विश्वविद्यालय, १८६
मद्रास सरकार, १०१ पा० टि०
मनिया, देखिए गांधी, मणिलाल
मनीफ, ३६३
मराठा, ४४९
मरे, २०
मर्सर, आर्थर,–को पत्र, ४४
मलबारी, बहरामजी मेहरवानजी, २९७ पा० टि०, २९८;–की पुस्तक, २९७
मलायी बस्ती, ३४५, ३८८
मलायी बस्ती समिति,–की हलचल, ३९५
मलेरिया–और भारतीयोंका कर्तव्य, ३९१-९२;–की रोकथाम के लिए सूचनाएँ, ३९१
महाराज, धम्माराम, ४७९
मॉंट गोमरी शायर, १९८
मॅांटेग्यू स्ट्रीट, ८२, २६३
मॉन्ट्स, ए० ३६३
मानपत्र,–का उत्तर, २८०;–वेरूलमके, २७७;–मुस्लिम संघकी ओरसे, २८१-८२;–श्री रुमट्सको, क्लार्क्सडोर्पके भारतीयों द्वारा, ४६७
मॉरिशस, ३१४
मॉरिसन, थियोडोर, १९४, १९७, २१४ पा० टि०, २१६, २३३, २३५, २४३, २५९ पा० टि०, २७२;–की भारत परिषद्में नियुक्ति, ३२६;–को पत्र, १६५, २३२-३३, २४६
मार्कबी, सर विलियम, २०२, २४३, २५९ पा० टि०;–को पत्र, २०१, २४६
मार्गरेट अस्पताल, २३८, २४४
मार्टिन, डब्ल्यू०, ए०, ३५८, ४०३, ४१२;–का एशियाई विधेयकपर भाषण, ४०५
मॉर्निंग पोस्ट, ४६०
मॉर्निंग लीडर, ७८, ९१;–के प्रतिनिधिसे बातचीत, २;–के संवाददाताको भेंट, २-३, १९, २९
मॉर्निंग स्टार, ४६३
मार्लबरो बिल्डिंग्स, ८९
मॉर्ले, जॉन, ४२, ६६, १४२, १४९, १५१ पा० टि०, १६३, १६५ पा० टि०, १८०-८१, १९९, २०६, २१४, २१६, २१८-१९, २२१ पा० टि०, २२६, २३५, २३७, २४१, २५१, ३१३, ४०६ पा० टि०, ४५८;–भारतीय शिष्टमण्डलसे मिलनेको तैयार, १४३;–का उत्तर, २२८;–का प्रश्न, २२३;–का वक्तव्य, २३०-३१, २३५-३६;–के उत्तरके बाद संसद-सदस्योंकी आँखें और भी खुलीं, २७३;–के प्रश्न निश्चित रूपसे उपनिवेश सम्मेलनमें उठानेका निजी सचिवको पत्र, १४२-४३, १६७, १९६-९७, २३८, २४५;–को शिष्टमण्डल द्वारा बातचीत गुप्त रखनेका वचन, २३३;–को सर लेपेल ग्रिफिनका हार्दिक धन्यवाद, २३१;–द्वारा भारतीय परिषद्के संविधान में बड़ा परिवर्तन, ३२६;–द्वारा भारतीय आश्वासन, ४५७;–द्वारा शिष्टमण्डलसे भेंटका समय निर्धारित, १६४;–से मुलाकात देनेका अनुरोध, १४४;–से शिष्टमण्डलकी भेंटकी तारीख, १९४
माल्की लॉ, १८६
माल्टेनो, १९२
माही, ४५३ पा० टि०
मिंटो, लेडी, ५०५-६
मिडिलबर्ग, ३६३;–की बस्ती, ३४४, ३५२
मियाँ, ईसप, ३८०, ४११, ४३२, ४४०, ५०४;–जेलके प्रस्तावपर, ५०४;–का भाषण, ४१९
मियाँखाँ, आदमजी, ३२४, ३३७, ४७४;–की सामाजिक सेवाएँ, ३३४
मियाँखाँ, जी० एच०, ४७५
मियाँ, सेठ हसन,–के लड़केका अफीका, ४५९
मियादी अनुमतिपत्र, ३६८
मिर्जाखाँ, ३५७
मिलन, कुमारी,–का किस्सा, २३७
मिलनर, लॉर्ड, १७२ पा० टि०, २३५, २९३, ३७२, ३९८, ४१७, ४२०, ४६६, ५०४;–का उपनिवेश सम्मेलनको पत्र, ४५०;–का लेख नेशनल रिव्यू में, ४५७;–की जोरदार सलाहपर स्वेच्छया पंजीयन स्वीकृत, १२६;–की सलाहपर अनुमतिपत्रका परिवर्तन तथा पंजीयन, ४२३;–की सलाहपर भारतीयों द्वारा अंग्रेजी पंजीयन प्रमाणपत्र स्वीकृत, ३, ५, ४४१;–की हिदायतें ४२७;–के शब्द, २३१;–के साथ इकरारके अनुसार संघको अँगूठेकी छाप देनेमें आपत्ति नहीं, ३७९;–के साथ हुए समझौतेके मुताबिक संघ चलनेको उत्सुक, ३७१;–द्वारा १८८५ का कानून ३ कड़ाईके साथ लागू, ५१–द्वारा भारतीयोंको आश्वासन, ५१;–द्वारा भारतीयोंपर बाजार सूचना एकाएक लागू, १२५
मिलानें,–को एक भारतीय गवाहकी हिचकियोंसे घृणा, ३२७
मिली, २१
मिस्र, २८३;–में परिवर्तन, ४३८;–में स्वराज्यका आन्दोलन, ३७७
मीनी, एस० जे०,–को पत्र, २६६
मुइन-उल-विजारत, १८६

मुकदमा, –अनुमतिपत्र सम्बन्धी, ३९१; –अब्दुल रहमानका, ३९२; –पंजाबी पर, ४६८; –शेख यूनुसका, ३९१
मुकर्जी, जे० सी०, १९ पा० टि०, २३, १४५, २७२, २७४; –को पत्र, ३६, ४०, ७२
'मुद्,' ३२०, ३२४
मुद्दती अनुमतिपत्रों, –का प्रश्न, ५०९
मुसलमान (दी मोहमडन्स), १०१ पा० टि०
मुस्लिम जायदाद (मोहम्मडन इस्टेट), –के विज्ञापन, ३३९
मुस्लिम संघ, –के मानपत्रका जवाब, २८१–८२
मुहम्मद, अहमद, –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२२
मुहम्मद, आमद, ४११
मुहम्मद, इस्माइल गोरा, ४२६, ४७६; –का भाषण ४८०
मुहम्मद, दाउद, २८२, २९४, ३८७ पा० टि०, ४२६, ४७५–७६; –एशियाई कानूनपर, ४७७; –और उमर हाजी आमद द्वारा व्यक्तिगत अमानत, ३९०; –का दावा, ३८२; –की अध्यक्षतामें नेटाल भारतीय कांग्रेसकी बैठक, ४२५
मुहम्मद, पीरन, ४२५–२६, ४७५–७६, ४७८; –का भाषण, ४७९–८०; –की चेतावनी, ३८४
मूढले, आर० आर०, ४७८
मूनलाइट, मूनसामी, ४११, ४३२
मूसा, तैयब, ४७५
मूसा, मुहम्मद हाफिजी, ११४ पा० टि० ;–का मुकदमा, ९८; –बनाम सरकारका मामला, १८८
मैमन समिति, ४७४, ४८०; –द्वारा श्री झवेरीको दिया गया मानपत्र. ४७८
मेरिडिथ, ११०
मेरी, –कोल्ल, ३६३
मेल्बोर्न स्ट्रीट, ६१
मेहता, कल्याणदास, २८७, ३२२, ३२४, ३३८, ३४०–४१, ३६४, ४४३, ४७०, ४७५, ४९१; –को पत्र, ४५०
मेहता, छबीलदास, ४७८; –का भाषण, ४८०; –की मदद बहुत उपयोगी, ४७७
मेहता, जगमोहनदास, ४८५
मेहता, मणिलाल, २७५
मेहता सर फीरोजशाह, ४७९; –गज्जोपर, २७२
मैकग्रेगर, –की गवाही, ३५७
मैकडॉनल्ड, १५२
मैकनील, स्विफ्ट, १५१ पा० टि०
मैकारनेस, फ्रेडरिक कोलरिज, ७, २१, ७९; –को पत्र, ६–७, ३७
मैकिंटायर, १४५ पा० टि०, ३५३; –को पत्र, १५२
मैकिलवेग, ४५८
मैकेंजी, एन० रोज; –को पत्र, ५९, १७३
मैन्सफील्ड स्ट्रीट, ४८, १६४, २५८
मैफेकिंग, २७६; –में बेडन पावेल्के पासकी तम्बाकू खतम हो जानेपर वहाँके बीड़ी पीनेवाले बिल्कुल बेकार, २८६
मैरित्सबर्ग, ६४, ३४१, ३४७; –के व्यापारियोंको परवाना उपलब्ध, ३६६; –में परवानेके सम्बन्धमें एक अपील, ३४७
मोती, अब्दुल रहमान, ४११; –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२१
मोल्टेनो, पी० ए०, ६ पा० टि०
म्यूरिसन, डॉक्टर, –की रायमें जहाँ-तहाँ थूकनेकी आदतसे क्षयको प्रोत्साहन, ३२७; –से कांग्रेसको सहायता, ३९१

य

यहूदी, गुलामी, –को पुनरुज्जीवित करनेका अंग्रेजी शासनका विचार, २
याम्बो, ४८५
युनाइटेड धर्मा, ३२१
यूनुस, शेख, –का मुकदमा, ३९१

र

रंगदार लोगों, –के अर्थमें रंगदार लोगोंका समावेश, ५११; –में भारतीयोंका समावेश वास्तविक नहीं, ३५६
रंगविद्वेष, –ट्रान्सवालमें, ३
रंगून, ३२१
रणजीतसिंह, ४४९
रतनजी, मीखा, ५०४
रदरफोर्ड, डॉ०, १९७, २१४ पा० टि०, २३५, २४३
रसिक, ३८०
रसेल, ३६५ पा० टि०
रसेल स्क्वेयर, २६३
रस्किन, २१०; –की पुस्तक, ४८९
रस्टनबर्ग, ३७६, ३९४, ४११, ५०४, ५१२; –के भारतीय, ३७७; –में भारतीयोंके अनुमतिपत्रोंकी जाँच, ३७९; –में भारतीयोंपर अँगुलियोंका निशान देनेके लिए पुलिस द्वारा दबाव, ३७०–७१
रहमान, अब्दुल, ३९८ पा० टि०; –का भाषण, ४२०, ४२२; –का मुकदमा, ३९२
रॉकफेलर, –दुनियाके धन कुबेरोंमें, २९०
रॉपस, पी० टी०, ३५८
राजकोट, ४४३
रॉबर्ट्सन, जे० एम०, २१, ३०, ७९, ८१, ९३, १७५ पा० टि० २४३, २५९ पा० टि०
रॉबर्ट्सन, ए० जी०, ३५८

मद्रास विश्वविद्यालय, १८६
मद्रास सरकार, १०१ पा० टि०
मनिया, देखिए गांधी, मणिलाल
मनीफ, ३६३
मराठा, ४४९
मरे, २०
मर्सर, आर्थर,–को पत्र, ४४
मलबारी, बहरामजी मेहरवानजी, २९७ पा० टि०, २९८;–की पुस्तक, २९७
मलायी बस्ती, ३४५, ३८८
मलायी बस्ती समिति,–की हलचल, ३९५
मलेरिया–और भारतीयोंका कर्तव्य, ३९१-९२;–की रोकथाम के लिए सूचनाएँ, ३९१
महाराज, अम्बाराम, ४७९
मॉंट गोमरी शायर, १९८
मॉंटेग्यू स्ट्रीट, ८२, २६३
मॉन्ट्रस, ए० ३६३
मानपत्र,–का उत्तर, २८०;–वेरूलमके, २७७;–मुस्लिम संघकी ओरसे, २८१-८२;–श्री स्मट्सको, क्लार्क्सडॉर्पके भारतीयों द्वारा, ४६७
मॉरिशस, ३१४
मॉरिसन, थियोडोर, १९४, १९७, २१४ पा० टि०, २१६, २३३, २३५, २४३, २५९ पा० टि०, २७२;–की भारत परिषद्में नियुक्ति, ३२६;–को पत्र, १६५, २३२-३३, २४६
मार्कवी, सर विलियम, २०२, २४३, २५९ पा० टि०;–को पत्र, २०१, २४६
मार्गरेट अस्पताल, २३८, २४४
मार्टिन, डब्ल्यू०, ए०, ३५८, ४०३, ४१२;–का एशियाई विधेयकपर भाषण, ४०५
मॉर्निंग पोस्ट, ४६०
मॉर्निंग लीडर, ७८, ९१;–के प्रतिनिधिसे बातचीत, २;–के संवाददाताको भेंट, २-३, १९, २९
मॉर्निंग स्टार, ४६३
मार्लबरो बिल्डिंग्स, ८९
मॉर्ले, जॉन, ४२, ६६, १४२, १४९, १५१ पा० टि०, १६३, १६५ पा० टि०, १८०-८१, १९९, २०६, २१४, २१६, २१८-१९, २२१ पा० टि०, २२६, २३५, २३७, २४१, २५१, ३१३, ४०६ पा० टि०, ४५८;–भारतीय शिष्टमण्डलसे मिलनेको तैयार, १४३;–का उत्तर, २२८;–का प्रश्न, २२३;–का वक्तव्य, २३०-३१, २३५-३६;–के उत्तरके बाद संसद-सदस्योंकी आँखें और भी खुलीं, २७३;–के प्रश्न निश्चित रूपसे उपनिवेश सम्मेलनमें उठानेका निजी सचिवको पत्र, १४२-४३, १६७, १९६-९७, २३८, २४५;–को शिष्टमण्डल द्वारा बातचीत गुप्त रखनेका वचन, २३३;–को सर लेपेल ग्रिफिनका हार्दिक धन्यवाद, २३१;–द्वारा भारतीय परिषद्के संविधान में बड़ा परिवर्तन, ३२६;–द्वारा भारतीय आश्वासन, ४५७;–द्वारा शिष्टमण्डलसे भेंटका समय निर्धारित, १६४;–से मुलाकात देनेका अनुरोध, १४४;–से शिष्टमण्डलकी भेंटकी तारीख, १९४
माल्की लॉ, १८६
माल्टेनो, १९२
माही, ४५३ पा० टि०
मिंटो, लेडी, ५०५-६
मिडिलवर्ग, ३६३;–की बस्ती, ३४४, ३५२
मियाँ, ईसप, ३८०, ४११, ४३२, ४४०, ५०४;–जेलके प्रस्तावपर, ५०४;–का भाषण, ४१९
मियाँखाँ, आदमजी, ३२४, ३३७, ४७४;–की सामाजिक सेवाएँ, ३३४
मियाँखाँ, जी० एच०, ४७५
मियाँ, सेठ हसन,–के लड़केका अफ्रीका, ४५९
मियादी अनुमतिपत्र, ३६८
मिर्जाखाँ, ३५७
मिलन, कुमारी,–का किस्सा, २३७
मिलनर, लॉर्ड, १७२ पा० टि०, २३५, २९३, ३७२, ३९८, ४१७, ४२०, ४६६, ५०४;–का उपनिवेश सम्मेलनको पत्र, ४५०;–का लेख नेशनल रिव्यू में, ४५७;–की जोरदार सलाहपर स्वेच्छया पंजीयन स्वीकृत, १२६;–की सलाहपर अनुमतिपत्रका परिवर्तन तथा पंजीयन, ४२३;–की सलाहपर भारतीयों द्वारा अंग्रेजी पंजीयन प्रमाणपत्र स्वीकृत, ३, ५, ४४१;–की हिदायतें ४२७;–के शब्द, २३१;–के साथ इकरारके अनुसार संघको अँगूठेकी छाप देनेमें आपत्ति नहीं, ३७९;–के साथ हुए समझौतेके मुताबिक संघ चलनेको उत्सुक, ३७१;–द्वारा १८८५ का कानून ३ कड़ाईके साथ लागू, ५१–द्वारा भारतीयोंको आश्वासन, ५१;–द्वारा भारतीयोंपर बाजार सूचना एकाएक लागू, १२५
मिलार्ने,–को एक भारतीय गवाहकी हिचकियोंसे घृणा, ३२७
मिली, २१
मिस्र, २८३;–में परिवर्तन, ४३८;–में स्वराज्यका आन्दोलन, ३७७
मीनी, एस० जे०,–को पत्र, २६६
मुहम्मद-उल-विजारत, १८६

मुकदमा, –अनुमतिपत्र सम्बन्धी, ३९१; –अब्दुल रहमानका, ३९२; –पंजाबी पर, ४६८; –शेख यूनुसका, ३९१
मुकर्जी, जे० सी०, १९ पा० टि०, २३, १४५, २७२, २७४; –को पत्र, ३६, ४०, ७२
'मुतु,' ३२०, ३२४
मुद्दती अनुमतिपत्रों, –का प्रश्न, ५०९
मुसलमान (दी मोहमडन्स), १०१ पा० टि०
मुस्लिम जायदाद (मोहम्मडन इस्टेट), –के विज्ञापन, ३३९
मुस्लिम संघ, –के मानपत्रका जवाब, २८१–८२
मुहम्मद, अहमद, –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२२
मुहम्मद, आमद, ४११
मुहम्मद, इस्माइल गोरा, ४२६, ४७६; –का भाषण ४८०
मुहम्मद, दाउद, २८२, २९४, ३८७ पा० टि०, ४२६, ४७५–७६; –एशियाई कानूनपर, ४७७; –और उमर हाजी आमद द्वारा व्यक्तिगत अमानत, ३९०; –का दावा, ३८२; –की अध्यक्षतामें नेटाल भारतीय कांग्रेसकी बैठक, ४२५
मुहम्मद, पीरन, ४२५–२६, ४७५–७६, ४७८; –का भाषण, ४७९–८०; –की चेतावनी, ३८४
मूडले, आर० आर०, ४७८
मूनलाइट, मूनसामी, ४११, ४३२
मूसा, तैयब, ४७५
मूसा, मुहम्मद हाफिजी, ११४ पा० टि०; –का मुकदमा, ९८; –बनाम सरकारका मामला, १८८
मैमन समिति, ४७४, ४८०; –द्वारा श्री झवेरीको दिया गया मानपत्र. ४७८
मेरिडिथ, ११०
मेरी, –कोएल, ३६३
मेल्बोर्न स्ट्रीट, ६१
मेहता, कल्याणदास, २८७, ३२२, ३२४, ३३८, ३४०–४१, ३६४, ४४३, ४७०, ४७५, ४९१; –को पत्र, ४५०
मेहता, छबीलदास, ४७८; –का भाषण, ४८०; –की मदद बहुत उपयोगी, ४७७
मेहता, जगमोहनदास, ४८९
मेहता, मणिलाल, २७५
मेहता सर फीरोजशाह, ४७९; –गल्तीपर, २७१
मैकग्रेगर, –की गवाही, ३५७
मैकडॉनल्ड, १५२
मैकर्नील, स्विफ्ट, १५१ पा० टि०
मैकारनिस, फ्रेडरिक कोलरिज, ७, २१, ७९; –को पत्र, ६–७, ३७
मैकिंटायर, १४५ पा० टि०, ३५३; –को पत्र, १५२
मैजिनियेरा, ४५८
मैकेंजी, एच० रोज; –को पत्र, ५९, १७३
मैन्सफील्ड स्ट्रीट, ४८, १६४, २५८
मैफेकिंग, २७६; –में बेडन पावेलके पासकी तम्बाकू खतम हो जानेपर वहाँके बीड़ी पीनेवाले बिलकुल बेकार, २८६
मेरित्सबर्ग, ६४, ३४१, ३४७; –के व्यापारियोंको परवाना उपलब्ध, ३६६; –में परवानेके सम्बन्धमें एक अपील, ३४७
मोती, अब्दुल रहमान, ४११; –द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२१
मोल्टेनो, पी० ए०, ६ पा० टि०
म्यूरिसन, डॉक्टर, –की रायमें जहाँ-तहाँ थूकनेकी आदतसे क्षयको प्रोत्साहन, ३२७; –से कांग्रेसको सहायता, ३९१

य

यहूदी, गुलामी, –को पुनरुज्जीवित करनेका अंग्रेजी शासनका विचार, २
याम्बो, ४८५
युनाइटेड धर्मा, ३२१
यूनुस, शेख, –का मुकदमा, ३९१

र

रंगदार लोगों, –के अर्थमें रंगदार लोगोंका समावेश, ५११; –में भारतीयोंका समावेश वास्तविक नहीं, ३५६
रंगविद्वेष, –ट्रान्सवालमें, ३
रंगून, ३२१
रणजीतसिंह, ४४९
रतनजी, भीखा, ५०४
रदरफोर्ड, डॉ०, १९७, २१४ पा० टि०, २३५, २४३
रसिक, ३८०
रसेल, ३६५ पा० टि०
रसेल स्क्वेयर, २६३
रस्किन, २१०; –की पुस्तक, ४८९
रस्टनबर्ग, ३७६, ३९४, ४११, ५०४, ५१२; –के भारतीय, ३७७; –में भारतीयोंके अनुमतिपत्रोंकी जाँच, ३७९; –में भारतीयोंपर अँगुलियोंका निशान देनेके लिए पुलिस द्वारा दबाव, ३७०–७१
रहमान, अब्दुल, ३९८ पा० टि०; –का भाषण, ४२०, ४२२; –का मुकदमा, ३९२
रॉकफेलर, –दुनियाके धन कुबेरोंमें, २९०
रॉबस, पी० टी०, ३५८
राजकोट, ४४३
रॉबर्ट्सन, जे० एम०, २१, ३०, ७९, ८१, ९३, १७५ पा० टि०, २४३, २५९ पा० टि०
रॉबर्ट्सन, ए० जी०, ३५८

रॉबिन्सन, सर जॉन, १७७, २७०; –और श्री हैरी एस्कम्ब, १०९; –का पत्र, २०९
रॉबिन्सन, सर हर्क्युलस देखिए रोज़मीड लॉर्ड
रामसुन्दर, पण्डित, ४११
रामायण, ३८६
रॉय, जे०, ३५८; –की एशियाई विधेयक पेश करनेके लिए सरकारको बधाई, ४०५
रॉयट्र, ए० एस०, ३५८
रायटर १९ पा० टि०, २६, ३४, २९८, ३४६, ३९०, ४२४ पा०टि०; –का तार, ४८३; –की एजेंसी द्वारा एक गलत वक्तव्य तार द्वारा प्रेषित, ४२७; –की मार्फत आधे मूल्यमें विलायतको तार, ४०७; –के तार, ३८९; –के तारपर नेटाल मर्क्युरी की विरोधपूर्ण टिप्पणी, ४२६; –के प्रतिनिधिसे बातचीत, ३३; –को भेंट, ३३; –द्वारा सार्वजनिक सभाकी कार्रवाईकी रिपोर्ट प्रस्तुत, ४०६
रायटर एजेन्सी, –के श्री ऐडम, १५१
रायप्पन, जोज़ेफ़, २९, ८५, २७५, ३४१; –को पत्र, ४१, १०६; –को केम्ब्रिजके स्नातक बननेपर बधाई, ४९२
रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, ११६ पा० टि०
राष्ट्रका निर्माण, ३१९
राष्ट्रीय चर (नेशनल स्काउट), ३४४
राष्ट्रीय दल, ९३, १०२, १११, ११३, ३६३
राष्ट्रीय सम्मेलन, –में पास किया गया प्रस्ताव, १९८
रिच, एल० डब्ल्यू०, २०, २६, २९, ७१, ७८, ८६–८७, ९०, ९२, ९९, ११०, १६६, १७३–७५, १९६–९७, १९९–२०१, २०५, २१४ पा० टि०, २३५, २४३, २५९ पा० टि०, २६४, २६९, २७४–७५, २९४, ३५३ पा० टि०, ३६२, ३९६ पा० टि०, ४०६ पा० टि०, ४३५ पा० टि०, ४३६, ४६३; –का निबन्ध, २४९; –का पत्र, ३८९; –का पत्र, मॉर्निंग पोस्टमें, ४६०; –का पूर्व भारत संघमें भाषण, १८१ १८२, २७२–७३, २७५; –की मुलाकातका विवरण, ३३३, –की योग्यता, २५३; –की विद्यालयके सत्रोंसे मुक्त करनेके लिए न्यायशालिकोंको अर्जी, १६८; –के कामके लिए उन्हें प्रतिमाह दी जानेवाली रकममें वृद्धि, ३८१; –को पत्र, १६, २५–२६; –द्वारा कर्टिसके लेखकी धज्जियाँ, ५१२; –द्वारा सवालोंके जवाब, २७३
रिचमंड हाउस, ८१
रिपन, लॉर्ड, –द्वारा मताधिकार अपहरण विधेयकका निषेध, २२२
रिफॉर्म क्लब, ९४, १३९, १७२
रिव्यू ऑफ रिव्यूज़, १४० पा० टि०, १९४, २९८ पा० टि०
रिसिक, जे०, ३६३
रीड, श्रीमती, –से मुलाकात, ८७
रीडिंग, ६८, ९४
रीज़, जे० डी०, १२०, १३१, १४७–४८, १६० पा० टि०, १७४, १७५ पा० टि०, १८७ पा० टि०, १९७, २१४ पा० टि०, २३५, २४३, ४२०; –का वक्तव्य, १३०; –को पत्र, १०२, १९३, १९८
रुबीनिकल, ५१२
रुस्तमजी, पारसी, ४७५–७६, ४७८–८०
रूज़वेल्ट, राष्ट्रपति, २९५
रुडेकोपेन, २६३
रेमंड बिल्डिंग्स, ७३, १६०
रेमिंग्टन टाइपराइटर कम्पनी, –को पत्र, २१७
रेल, –की तकलीफ, ३९३, ४०७
रे, लॉर्ड, २३५, २५९ पा० टि०, २६३, २७२; –का जोरदार भाषण, २७४; –को पत्र, ४२, २०३, २४२, २६२–६३; –से समितिकी अध्यक्षताके लिए प्रार्थना, २४९, २५२
रैंड अग्रगामी दल, ३०५, ४८२
रैंड डेली मेल, ११५, २११, ३४६, ४११, ४२८–२९, ४४३, ४५४, ४५६–५७, ४६५ पा० टि०, ४६८; –एशियाई विधेयकपर, ४०५; –की एशियाई दफ्तरपर सख्त टीका, ४५८; –की टिप्पणी, ४२५, ४३४, ४४२; –की लॉर्ड मिलनरके लेखपर टीका, ४५७; –की सरकारको सलाह, ४३५; –में एक तार, ४६०
रैबी, सी० टी०, ३६३
रैशनल प्रेस असोसिएशन, २८९ पा० टि०
रोड्स ट्रस्ट, २०३
रोज-इन्स, सर जेम्स, –११ वर्षके बच्चेके मामलेपर, १२६
रोज़मीड, लॉर्ड, २१०, ४१६
रोजेनबर्ग, कुमारी एवा, २३८; –को पत्र, १०५
रोम, ३१८
रोमन कैथोलिक, ३८४

ल

लखनऊ, ४३०; –के एम० एच० किदवई, १८६
लच्छीराम, ३७३
लडगिट सरकस, १५५
लतीफ, उस्मान, ४११; –का पत्र, ४४३; –का भाषण, ४२२; –का रेलकी तकलीफके बारेमें प्रबन्धकको पत्र, ३९३
लन्दन, –के विदाई समारोहमें भाषण, २५९–६१

लन्दन भारतीय संघ, १८१;–की बैठकपर टिप्पणी, १८१;
 –की सभा, १८३–८६
लन्दन वॉल, ८७, ९८, १०७, ११९, १४१, १७१, २१८
लन्दन विश्वविद्यालय, २५०, ३२३
लवडे, आर० के०, ३६३;–का एशियाई विधेयकके लिए सरकारको धन्यवाद, ४०४
लॉक, लॉर्ड, २१०
लाजपतराय, लाला, ४२२
लालभाई, ३६४
लॉसन, कुमारी एडिथ, १३, २७५;–को पत्र, ७४, २६४;
 –को प्रमाणपत्र, २५४
लॉण्ड, ३४५
लॉरेन्स, वी०, ३०९, ४२६; –का एडवर्टाइज़र को पत्र, ३०७–८;–के पत्रपर विचार, ४२५
लॉरेंस, सर वॉल्टर,–को पत्र, १९९
लाविस,–के भाषणका सारांश, ३००
लाहौर, ४३०
लाहौर ऑब्ज़र्वर, १५४ पा० टि०
लिंकन्स इन, ९१, १५२
लिन्ब, २३५
लिडली पोर्ट,–के एक भाईका प्रश्न, ५००
लिटिल्टन, अल्फ्रेड, १२९, १३०–३१, १६९. १७२ पा० टि०, २०२, २३२, २३५. २३७;–का आयोग नियुक्त करनेका वचन, १४८;–को पत्र, २०४;–द्वारा वतनी भूस्वामित्व विधेयकका निषेध, २२२;
 –से मुलाकात, २१४
लिवरपूल, १३६
लिवरपूल भारतीय दुर्भिक्ष-कोष, १३६
लीडर, २११, ४६८;–एशियाई विधेयकपर, ४०५;–और स्टार की नीली पुस्तिकापर टीका, ३८५
लीडेनबर्ग, ३६३
लुडगेट सरकस, १८७
लूथर,–के नाम पोपके जासूस द्वारा कोई आदेश, ४८३;
 –को पोपसे गुलामीका चिट्ठा उपलब्ध, ४९४;–द्वारा पोपका विरोध, ४९३
लेगरमैन, मैक्स, ३५८
लेडनबर्ग, ४५६
लेडी मार्गरेट अस्पताल, २५, २८, ३४–३५, ४३, ६०, ६२, १०५, १४७, १६९;–में श्री अली हाजी वकीलका इलाज, १९
लेडीस्मिथ, २९६;–का परवाना, ३५५, ४७३;–की अर्जी, ४३७;–की लड़ाई, ४९५;–के सम्बन्धमें समिति द्वारा निर्णय, ३६७;–में परवाना सम्बन्धी अपील खारिज, ३४७;–में व्यापारीको आगामी वर्ष परवाना न मिलनेकी सूचना, ३०९
लेडीस्मिथ निकाय,–का काम सही, ३५५;–के निर्णयसे डर्बन व्यापार मण्डलके सदस्योंको घबराहट, ३५६;
 –की नेटाल मर्क्युरी द्वारा फटकार, ३६६
लेडसडॉर्प, ५१२
लेथब्रिज, सर रोपर, १६१ पा० टि०, १८५, १९५, २४८, २५९ पा० टि०;–को पत्र, २१७, २४७–४८
लेफ्टिनेंट गवर्नर, ८५;–के एशियाई कानून-संशोधन अध्यादेशके अन्तर्गत अधिकार, १०४;–के नये अध्यादेशके अन्तर्गत अधिकार, ६६
लेस्ट, ६१, ७१
लेहमन, आर०, ९३
लैन्सडाउन, लॉर्ड, १२९, १३१;–का शेफील्डका भाषण, २२८, २२९, २३६;–द्वारा युद्धके कारणोंपर प्रकाश, २;–द्वारा घोर अपमानकी स्थितिका अनुभव, ५१७
लैम्बडेन्स, ६८
लैन्चेथ, १९०
लोकसभा,–के सदस्य, १४९;–के सदस्योंकी बैठक, ४५८
लोबिटो-बे,–३८७ पा० टि०;–को जानेवाले भारतीय, ४६१;–में एक अंग्रेज कम्पनी द्वारा रेलका निर्माण, ४०३
लोमर, ३६३
ल्यू, युक लिन, १४ पा० टि०, ६२, पा० टि० ६३ पा० टि०;–को पत्र, २८, ६०, ८१

व

वतनी, भूस्वामित्व विधेयक (नेटिव लैंड टेन्यूर बिल), २३२;–का श्री लिटिल्टन द्वारा निषेध, २२२
वतनी-विद्रोह,–के समय भारतीय डोलीवाहक दलका संगठन, २०९;–में भारतीयों द्वारा नागरिकोंके नाते कर्तव्यका पालन, ६५
'वन्डरर'–द्वारा लगाये गये इल्जाम झूठे, ५१२
वली, जुसब हाजी, ४११;–का भाषण, ४२०
वॉग, सी० एच०;–को पत्र, २६३
वाट्ज,–का भाषण, २७२
वार्डी, सर फर्मेन, ९९
वायली, जे० एस०, ३६५ पा० टि०;–को तार, ३८७
वाल्श, डब्ल्यू० पी०;–को पत्र, ४४
वाडेवर्ग, ३५१
वाजा, ४११, ४२०
वाकरस्ट्रूम, ३६३
वाटरलू, २, २९, १३६
वाडिया, पी० जे०, १८५

वानलॉक, लॉर्ड, २५१ पा० टि०
वार्ड, जे०, ९३
वार्मवाथ्स, ५०५
वालजी, हीरजी, ३४०
वाल्पोल, जॉर्ज;–को पत्र, ९५
वाल्टन, जोजेफ, १११ पा० टि०
वाल्टन, स्पेंसर,–के देहान्तपर श्रीमती वाल्टन, स्पेंसरको समवेदना-पत्र, ४५
वाल्टन, श्रीमती स्पेंसर, ४४, १७९;–को पत्र, ४५, ७३, १७८–७९
वाश, १०५
विंचेस्टर, २३३
विंचेस्टर रोड, २५४
विंचेस्टर हाउस, ५९, १७३
विंटरबॉटम, कुमारी, ८१, २७३;–द्वारा मदद देना स्वीकार, १९४
विटवाटर्सरैंड,–का उच्च न्यायालय, २३९
विक्टोरिया, महारानी, ४१९, ४४३;–की घोषणा, ४१८
विक्टोरिया स्ट्रीट, १६, ७७, ८६, १३८, १६५, १७७, १९९, २३३, २८२
विक्रेता-परवाना अधिनियम, ६४, २६९–७०, ३६५ पा० टि०, ३८१ पा० टि०. ३९९–४००;–और प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम, १०९;–के अन्तर्गत भारतीयोंपर १२–१०–० पौंडका नया कर, ३७३
विदाई पत्र,–प्रतिनिधियोंका, २७४
विदेशी आवासी, (एलियन एमिग्रैन्ट्स), २४७ पा० टि०
विधान परिषद् (ट्रान्सवाल),–द्वारा एशियाई अध्यादेश पास, २९५;–द्वारा पास किया गया फ्रीडडॉर्प बाड़ा अध्यादेश, ४५;–द्वारा स्वीकृत एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेश, ४२
विधानसभा (नेटाल),–का पहला मताधिकार अपहरण विधेयक, ५६
विराट् सार्वजनिक सभा, ४०७
विलायत,–का खर्च, ९०;–की बहादुर महिलाएँ, ४०२;–को तार, ४३४;–में एशियाई विधेयकपर टीका, ४०५;–में पढ़नेवाले दक्षिण आफ्रिकी विद्यार्थी, १५०;–में सभा, ४५९;–से तार, ४५७
विलियम, जी० सी०, २१५
विलियम्स, प्रोफेसर मोनियर, ८९
विलियर्स, डी' ३८०
वीनेन, कुमारी वान, २६५–६६
वुड, मार्टिन, २७२
वुलार व रॉबर्टस,–की पेढ़ीको पत्र, १५५, १८९, १९८
वेजिटेरियन, २५ पा० टि०
वेट, डी' ४३२
वेड, आर्थर, ३४७
वेडरबर्न, सर विलियम, १९ पा० टि०, २४, ३०, ६७, १७४, १७५ पा० टि०, १९७, २०१, २१४ पा० टि०, २१८, २३५, २४३, २५९ पा० टि०, ३९७, ४५१;–और सर मंचरजीसे दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके लिए एक स्थायी समितिकी स्थापनाके सम्बन्धमें चर्चा, २८;–के लेखका सारांश, ४५२;–के सामने सुझाव, ३७;–को पत्र, ११०, १४६, ३९६–९७
वेबस्टर, डेनियल, ३०३
वेर, डॉ०,–का अभिनन्दन, ४९७
वेरुलम,–के मानपत्रका उत्तर, २७७;–में चार मुकदमे, ३४७
वेल्स, २५७
वेस्ट, कुमारी, ३२२
वेस्ट, अल्बर्ट ह्यूम, २२–२३, ६१ पा० टि०, १५२, २८७–८८, ३२२–२३, ३३३, ३४०–४१, ३७२, ४४९, ४८९–को पत्र, २२–२३, ७१ १५१–५२, १५५;–और उनकी बहनसे साउथेम्प्टनमें मुलाकात, २९
वेस्ट, डब्ल्यू० जे०, देखिए वेस्ट, अल्बर्ट ह्यूम
वेस्ट, श्रीमती, १५२
वेस्ट इंलिंग, ११, १५, १६६, २५१
वेस्ट केन्सिंगटन, १२
वेस्ट, सर रेमंड, १९९ पा० टि०, २३५, २३७, २४३, २५९ पा० टि०, २७२–७३, ३३०, ४१३;–का भाषण, २७२;–को पत्र, २६२
वेस्टक्लिफ, २६५
वेस्टन, २८५
वेस्टबोर्न रोड, ३९, ४८, ९९, १३७, २१६, २५७
वेस्टमिन्स्टर, ८०, १४६, १७३, १८३, १९०, १९३, १९८, २०४, २१८, २४१, २४३, २५४, २५६, ३९६
वेस्टमिन्स्टर चेम्बर्स, ७७, १९९
वेस्ट स्ट्रीट, १५३
वेस्ट कोर्ट रोड, १२
वेलेस, डब्ल्यू० ए०,–को पत्र, ८०, १७३–७४
व्यापार-संघ,–द्वारा फेरीवालोंके लिए विशेष कानून बनानेका सुझाव, ४३४
व्यापारिक परवानों,–और नगरपालिका सम्बन्धी मताधिकारोंका प्रश्न, ३८१
व्यापारी वर्ग सुधारक मण्डल, ४५६
व्यास, गौरीशंकर, ३२४, ४११, ४३२;–का भाषण, ४२१–२२
व्हाइटहॉल, १६७, १७२, १८२, २०४, २१५, २३४

श

शान्ति-रक्षा अध्यादेश, ६, ८, ३३ पा० टि०, ५१, ५३, ५७, ८४, २२१, २२३-२४, २९३; -ब्रिटिश शासनका, २१२; -भारतीय परिषदोंके लिए अत्यन्त सख्त, २२२; -और १८८५ का कानून ३, २१३; -का दुरुपयोग, ५०; -की निन्दा, १८८; -को भंग करनेमें भारतीय समाज रत, ११८
शाह, नानालाल, ४११, ४१८
शाही आयोग, -की नियुक्ति, ११९
शिकागो, १८९
शिक्षा-अधीक्षक, -की रिपोर्ट, २८३-८४
शिक्षित भारतीयों -का कर्तव्य, ३०६
शिया, -और सुन्नी, ३६९
शुक्ल, दलपतराम भवानजी, ३९
शुभचिन्तकों, -का भोज, २७४
शेक्सपीयर, -की उक्ति, ३०३
शेखसादी, -का ४० वर्षकी उमरके बाद अध्ययन, ४७७
शेफर्ड्स बुश रोड, १५४
शेफील्ड, -में लार्ड लैन्सडाउनका भाषण, २२८-२९
शैफ्ट्सबरी ऐवेन्यू, १९
श्रीलंका, ३१४
श्वान, सर चार्ल्स, ६७, ८८, ९३, १०१, १७५ पा० टि०, १९७, २३५, २४३, २५९ पा० टि०, २७३; -को पत्र, ६६-६७
श्वेतसंघ, -में लार्ड सेल्बोर्न द्वारा की गई घोषणा, ८४

स

संघवी, ३२३, ३४१; -का मामला, ३३९; -की रायमें भारतीय समाजके सभी वर्गोंमें मैत्री, ३०८
संडे टाइम्स, ४६०, ५१२
संसद-सदस्यों, -की दूसरी सभा, २७३; -के लिए प्रश्नोंका मसविदा, १८७-८८
सच्चा भारत, (दी रीयल इंडिया), १०१ पा० टि०
सड़क-निकाय अधिनियम, ३९९
सनातन धर्म सभा, ४७९, ४९०
सभा, -लन्दन भारतीय संघकी, १८३-८४
सरकार, -बनाम मुहम्मद हाफिजी मूसाका मामला, १८८
सरदार, गंगादान, ५०३
सर्वोच्च न्यायालय, ६४, ८४, १२५, १९३, २३२, ३०५, ४३३, ४६५; -परवाना अधिकारियोंके निर्णयोंपर पुनर्विचार करनेमें असमर्थ, २६९, -का अन्याय पूर्ण निर्णयोंपर पुनर्विचारका अधिकार हो, ५६; -का पूनियाके मामलेमें न्याय, १२६; -का स्थावर सम्पत्तिके बारेमें फैसला, ५; -के न्यायाधीश एशियाई बालकके मुकदमेपर, ११४-१५; -के परवाना अधिकारियोंके निर्णयोंपर पुनर्विचारका अधिकार बहाल करनेकी सिफारिश, २७०; -के फैसलोंके कारण मौजूदा कानूनमें बहुत-सी अड़चनें, ३५२; -द्वारा १८८५ के कानून ३ की व्याख्या, ५०; -द्वारा बच्चेपर मुकदमा चलानेकी आलोचना, ९; -में परवानेका मुकदमा, ३७८; -में मुहम्मद हाफिजी मूसाके मामलेकी सुनवाई १८८; -में लेडीस्मिथकी ११ अपीलें, ४३७
सॉडर्स, २४७, २६०
साउथ आफ्रिका, ७ पा० टि०, ५९ पा०, टि०, ९१, १०९ पा० टि०, १४९, १५३, १७३, १९६, पा० टि०, १९१, १९३, २०८ पा० टि०, २१९, २६७ पा० टि० -के सम्पादकको पत्र, २०७; -को पत्र, २३१-३२; -की भेंट, ७-१०, ६४-६६, १८२-८३; -को हार्दिक धन्यवाद, १०; -में मुलाकात प्रकाशित, ३४
साउथ हैम्पस्टेड, १९२
साउथैम्प्टन, १, ४३७; -में वेस्ट और उनकी बहनसे मुलाकात, २९
साबरमती संग्रहालय, ३८६ पा० टि०
सामाजिक आदर्श, ३४९-५०
सामान्य विक्रेता परवाना, -सम्बन्धी कानून, ४५९
साम्राज्य-सरकार, १६९
साम्राज्यीय आयोग, -के विषयमें प्रतिनिधियोंकी प्रार्थना, २४५
सार्वजनिक सभा, -का आयोजन कांग्रेसका उचित कदम, ३९०; -में एक भी विरोधी आवाज नहीं, २११
साले, उनरजी, ४११, ५०४; -द्वारा प्रस्तावका समर्थन, ४२२
सॉलोमन, ई० पी०, ३८०
सॉलोमन, सर रिचर्ड, ६२, १३९, २१०, ३२८-२९, ३५१, ४१३; -एशियाई अध्यादेश पास करनेके पक्षमें, ३५४; -एशियाई विधेयकपर, ४०५; -का भाषण ३१५; -की तजवीज ३२९; -की प्रिटोरियामें हार, ३६३; -के प्रिटोरियामें चुनाव-प्रदत्त, ३४४; -के भाषणका अनुवाद ३२५; -के साथ श्री अलीकी मुलाकात, १९५; -को पत्र, १३८-३९, १७२; -द्वारा मन्त्रिमण्डलमें पद ग्रहण करनेसे इनकार, ३८०; -पर अपना मत व्यक्त न करनेके कारण कुछ लोग नाराज, ३०५
साल्टर, विलियम मैकिटायर, २८९ पा० टि०, २९०
साहित्य समिति, -की अंतमें श्री रुस्तमजीको हार, ४७९
सिंह, बाबू, लालबहादुर, ४११, ५०३
सिकन्दर, ४९३-९४; -इतिहासवेत्ताओंकी दृष्टिमें महान्, ३०२; -का हेतु, ३०२

सिटी ऑफ लन्दन कॉलेज, १११
सिद्दी, ४१९
सिमंड्स, १३, २१, ७४, १४७, २४४, २७४–७५
सीवराइट, सर जेम्स, २१०
सुकरात, ३१७
सुखराम, ५०३
सुन्नी,–और शिया, ३६९
सुल्तान,–सीरियाके पाशाओंके अधीन, ४८५; –की मुसलमान प्रजापर अध्यादेशका विपरीत असर, २२४
सुहरावर्दी, अब्दुल्ला-अल मैमून, १८६
सूटी, १४९
सेइंग्ज ऑफ मुहम्मद, १८६
सेंट जॉन्स वुड, १६, २६
सेंट जॉन्स वुड पार्क, २४, ८०, १३७, १६२, १९३
सेंट एडमंड्स, १५०; –की सिस्टर-इन-चार्जको पत्र, ९६
सेंट स्टीफन्स चैम्बर्स, ७४
सेंट हेलेना, ४१९
सेल्ड, २८६
सेल्बोर्न, लॉर्ड १२४, २२९, २३२, २३९ पा० टि०, २४०, ३५४, ३६२; ३८४–८५, ३८८, ४०७, ४१३, ४२०, ४२२, ४३४, ५०१;–आरम्भसे ही भारतीयोंके हितैषी नहीं, ४१९;–राष्ट्रपति क्रूगरके जीवनकालमें भारतीयोंके न्यासी, ४२१; –का खरीता, ३८२–८३;–का भारतीयोंको ताना, ३९४;–का भारतीयोंपर बिना अनुमतिपत्रके आनेका आरोप, ४१४;–का लेख भारतीय समाजके सोचने योग्य, ३५८;–का वादा, १२५;–की मार्फत माननीय अमीरको मुबारकबादीका तार, ३०५;–के खरीतेपर ट्रान्सवाल लीडर, ३८३; –द्वारा लॉर्ड एलगिनके निर्णयकी कटु आलोचना, ३५८; –द्वारा बर्जेसकी रिपोर्टको महत्त्व, ३९१; –द्वारा भारतीयोंपर किया गया आक्रमण गलत, ४१८
सैंडहर्स्ट, लॉर्ड, २५१ पा० टि०
सैम्सन, कर्नल, ३६३
सैसून, सर एडवर्ड, २४१, २४७ पा० टि०
सोनी, अबू बल्लम, ३५७
सोमाभाई, ४११
सोमाली,–और एशियाई, ३४५
स्कॉट, ए० एच०, २१, ३०, ७८–७९, ८२, ९३, १०८, ११४, १४९, १७५ पा० टि०, १९७, २३५, २४३, २५९ पा० टि०, २६०, २७३, ४९३–९४;–का ब्रिटिश लोकसभाके सदस्योंकी सभा बुलानेमें बड़ा कार्य, १४५; –को पत्र, ८१–८२
स्कॉटलैंड, ७४, ३१५
स्टॉक, डॉक्टर,–की मलायी बस्तीके सम्बन्धमें रिपोर्ट, ३४५
स्टार, २११, २२१, ३१५, ३४४, ३८८, ४११, ५०१; –एशियाई विधेयक तथा ट्रान्सवालके भारतीयोंपर, ४८७; –एशियाई विधेयकपर, ४०५; –और लीडर की नीली पुस्तिकापर टीका, ३८५;–का वक्तव्य, २०९;–की उत्तेजना ४६०;–की धमकी, ५०२;–को पत्र, ४६३–६४, ४६६, ४८७–८८, ५१६–१७; –द्वारा लोगोंको भारतीयोंके विरुद्ध भड़कानेका लेख, ४८१; –द्वारा व्यक्तियोंका प्रश्न, २१२; –में एक प्रभावशाली चित्र, ४९६;–से विवाद ४८१
स्टेड, डब्ल्यू० टी०, १८०;–को पत्र, १४०, १७९;–से मुलाकात, १९४
स्टेप्लटन हॉल रोड, ४०, १०६, ३४१, ३६३
स्टैंडर्टन, ३६३, ४५६, ४५८, ४९२;–में जबरदस्त वर्षा, ३५३;–में भारतीय पूरी ताकतसे संघर्ष-रत, ५०१
स्टैनले, लॉर्ड, ऑफ ऐल्डर्ले, ६ पा० टि०, ९१, १०१, १२०, १३३, १४७, १७५ पा० टि०, १९७, २२८–२९, २३१, २३५–३६;–का वक्तव्य, २२६; –को पत्र, ४८, १६४, २१४
स्टोक न्यूइंगटन, २३४
स्टोन,–नामक, एक अंग्रेज भारतीय मजदूरोंको लोविटो-बे ले जानेको उत्सुक, ४०३
स्ट्राउड ग्रीन, ४१, १०६
स्ट्रैंड, २००, २१६
स्पेक्टेटर, ३९२
स्पेलॉनकिन, ४११
स्पेल्डहर्स्ट, २५७
स्प्रिंगफील्ड रोड, १६, २६
स्प्रिग, सर गॉर्डन, २१०
स्मट्स, जनरल, ८७ पा० टि०, ३५१, ३८०, ४०७, ४२०–२१, ४३२, ४३६, ४३८, ४४०;–एशियाई विधेयकके उद्देश्यपर, ४१६; –का एशियाई विधेयक-पर भाषण, ४०४; –का चीनियोंको जवाब, ४५३; –के समक्ष शिष्टमण्डल, ४३२; –को क्लार्क्सडॉर्पके भारतीयों द्वारा मानपत्र, ४६७; –द्वारा प्रिटोरिया शिष्टमण्डलसे मिलना स्वीकार, ४०७; –द्वारा भारतीय 'कुली' शब्दसे सम्बोधित, ४१८
स्मिथ, ३९२
स्मिथ, कुमारी, ए० एच० १८६, २७४; –को पत्र, २३३, २७४; –से मुलाकात, १९४
स्लोन स्क्वेयर, ७, १५९, २५९
स्लोन स्ट्रीट, ८८, १००, २०६
स्वतन्त्र दल, ३५१
स्वदेश, –का अर्थ, ४५१

स्वराज्य, –का अर्थ, ३१४; –का आन्दोलन मिस्रमें, ३७७
स्वागत-सभा, –में प्रस्ताव, २७६–७७; –में भाषण, २८२–८३

ह

हंटर, सर विलियम विलसन, –उपनिवेशकी पृथक्करणकी नीतिपर, १७०; –द्वारा जीवन-भर दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोंका समर्थन, २६०
हंटर, लेडी, २६०
हजूरासिंह, बाबू, ५०३
हबीब, सेठ हाजी, ३२०, ४०५, ४११, ४५९; –का श्री बर्लाके प्रस्तावका समर्थन और भाषण, ४१९
हबीबिया कालेज, ३७०
हबीबिया विश्वविद्यालय, ४३१
हबीबुल्ला, अमीर, २९९, ५०६; –अलीगढ़ कालेजमें, ३६९–७०; –पश्चिमी शिक्षापर ३७०; –का भाषण, ३६९–७०; –का ग्वालियरमें स्वागत, ३७०; –की अमीरी, २९८–९९; –की सीख, ४५६; –को तार, ३०५; –द्वारा इज्जत रखनेका एक अनुकरणीय उदाहरण पेश, ५०५
हमीदिया इस्लामिया अंजुमन, ९, ८९, १२४, १८३, २१८, २७६, ३३९, ३६४, ३८०; –की बैठक, ४०५; –की साप्ताहिक रिपोर्ट, ३८६
हमीदिया इस्लामिया संघ, २१०
हरियो, देखिए हरिलाल
हरिलाल, ३२३, ४४३, ४४५, ४४८, ४७०
हल्स्टीन, सर विलियम वेन, –का ग्रैडीके प्रस्तावपर संशोधन, ४५९
हारगेट, २७, ३६, ३७, ४०, ४७, १७१
हाईम, १११, पा० टि०
हाउट, वैनगुइडन, ३६३
हार्टवॉट, ४२१
हॉल, ३०, २१८, २५६
हॉस्किन, एस०, ११२, पा० टि०, १४१; –को पत्र, ७५, १०७, ११९, १७१
हॉलेंट, बनार्ड, –को पत्र, १६४, १८२, २५३
हार्डिंग, ४१०
हार्ले स्ट्रीट, १०५
हार्वर्टन हाउस, २५७
हावसन, –द्वारा ग्रैडीके प्रस्तावका समर्थन, ४५८
हॉस्केन, विलियम, ६५, ११३–१४, ३५१; –द्वारा प्रोत्साहन १७७
हास्टर, श्रीमती, ७४
हिन्दू-मुस्लिम एकता, –भारतके दुःख दूर करनेके लिए मुख्य, ४७९
हिन्दू-समाज, –का मुसलमान व्यापारियोंसे सम्बन्ध रखना अपने बारेमें यूरोपीय समाजकी अच्छी रायको धक्का पहुँचाना, ३०७
हिल, डॉक्टर, ३४२; –का श्री कुवाडियाके लड़केकी उम्रके बारेमें बयान, ३५७
हीडेलबर्ग, १५८, ४११, ४५६, ४५८, ५१२
हीरक-जयन्ती पुस्तकालय, –की स्थापना कांग्रेस कोषके बलपर, ३०८
हीराचन्द, ५०३
हुंडामल, –और दादा उस्मानके मामले, २७०
हेंडरसन, –का भारतीय व्यापारियोंपर नेटालको बरबाद करनेका दोषारोपण, ४५९
हे, बर्लाड, –को पत्र, २४१
हेगर, डॉक्टर, ३५३
हेदफॉक, ३५१, ३५८, ३६३; –के नेता, ३५१
हेडिंगटन हिल, २०२, २४६
हेजाज रेलवे, ४८५; –का निर्माण कुख्यात इज्जत पाशा द्वारा, ४८४; –की कुछ जानने योग्य बातें, ४८४-८६
हेनरी, ३७४
हेनलन, २८५
हेमचन्द, ३४०, ४८९, ४९१; –को हिदायत, ३९८
हैमिल्टन, एंगस, २९८ पा० टि०
हैमिल्टन, लॉर्ड जार्ज, ९१; –को पत्र, ८२; –से आधे घण्टे तक बातचीत, १४२; –से भेंट, १४४, १४९
हैम्पस्टेड, २५४, ३३३
हैरिस, लॉर्ड, २५२; –को पत्र, २५१–५२
होटल, सेसिल, १२, २४२, २४८–४९, २६४
होमफील्ड रोड, ४४